

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश



त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
2015–16
भाग–2

मण्डल— बरेली

जनपद—बदायूँ

ग्राम पंचायत—सरेली पुख्ता

मण्डल— बरेली

विकास खण्ड—उसावाँ

प्रस्तर 1— समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा खाता संख्या-33215 से दिनांक 07-04-2015 को रु0 5000/- तथा दि0 09-04-2015 को रु0 5000/- आहरण कर ग्राम निधि कैश बुक के आय पक्ष में कोषांकित नहीं किया गया। अतः कुल धनराशि रु0 10000/- मात्र कैश बुक में प्रविष्टि नहीं करके राजकीय अनुदान का अपहरण किया।

इसलिए उपर्युक्त धन रु0 10000/- (रुपया दस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 2— समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा खाता संख्या-33215 से निम्नलिखित तिथियों को स्वयं पाँच-पाँच हजार रुपये आहरित किया गया है, जिसका विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	तिथि	नाम	आहरित धन रु0	क्र0 सं0	तिथि	नाम	आहरित धन रु0
1	10.10.2014	सी0बी0 सिंह	5000.00	2	10.10.2014	सी0बी0 सिंह	5000.00
3	10.10.2014	सी0बी0 सिंह	5000.00	4	11.10.2014	चन्द्रभान	5000.00
5	13.10.2014	नक्षत्रपाल	5000.00	6	13.10.2014	नक्षत्रपाल	5000.00
7	13.10.2014	नक्षत्रपाल	5000.00	8	16.10.2014	चन्द्रभान	5000.00
9	16.10.2014	चन्द्रभान	5000.00	10	16.10.2014	चन्द्रभान	5000.00
11	22.10.2014	चन्द्रभान	5000.00	12	22.10.2014	चन्द्रभान	5000.00
13	22.10.2014	नक्षत्रपाल	5000.00	14	22.10.2014	नक्षत्रपाल	5000.00
योग—							70000.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त द्वारा अपने लाभ के लिए ग्राम निधि कैश बुक में फर्जी ईट क्रय रु0 46500/- फर्जी खडन्जा नाली निर्माण पर व्यय रु0 20304/- तथा फर्जी हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय रु0 3196/- कुल रु0 70000/- मात्र की प्रविष्टि पारित की गई है।

अतः उपर्युक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए रु0 70000/- (रुपया सत्तर हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—उसावाँ देहात विकास खण्ड—उसावाँ

प्रस्तर 3— ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित तिथियों को निम्न मदों में व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि रु0	क्र0 सं0	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि रु0
1	15.06.2012	ईट क्रय	70000.00	2	17.06.2012	ईट क्रय	70000.00
3	18.06.2012	सीमेन्ट मौरंग क्रय	60000.00	4	20.08.2013	ईट क्रय	80003.00
5	24.08.2013	सीमेन्ट मौरंग क्रय	150025.00	6	26.08.2013	ईट क्रय	174975.00
7	27.08.2013	ईट क्रय	92140.00	8	07.09.2013	ईट क्रय	40920.00
9	16.11.2013	ईट क्रय	46500.00				
योग—							784563.00

उपरोक्तानुसार उपर्युक्त द्वारा फर्जी ईट, सीमेन्ट, मौरंग आदि क्रय करने के उपरान्त किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया गया। इससे स्वतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कैश बुक में फर्जी व्यय कोषांकित कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया। अतः 784563/- (रुपया सात लाख चौरासी हजार पांच सौ तिरेसठ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-असमया रफतपुर**विकास खण्ड-उसावाँ**

प्रस्तर 4- समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा खाता संख्या-33020 से निम्नलिखित तिथियों को निम्न धनराशि आहरित कर ग्राम निधि कैश बुक में कोषांकित नहीं किया गया तथा प्रिया सॉफ्ट में भी फीडिंग नहीं कराके राजकीय अनुदान का अपहरण किया। जिसका विवरण निम्न है :-

क्र०सं०	तिथि	आहरित धन रु०	क्र०सं०	तिथि	आहरित धन रु०
1	26.07.2017	5000.00	2	28.07.2014	5000.00
3	05.08.2014	17500.00	4	05.08.2014	18000.00
5	05.08.2014	18000.00	6	05.08.2014	46500.00
योग-					110000.00

अतः राजकीय धनराशिरु० 110000/- (रुपया एक लाख दस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रिजौला**विकास खण्ड-उसावाँ**

प्रस्तर 5- समीक्ष्य वर्ष 2012-13 में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या-219294 से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम से आहरण करके फर्जी ईट क्रय एवं फर्जी खडन्जा निर्माण करना दर्शित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	तिथि	नाम	आहरित धन रु०	क्र० सं०	तिथि	नाम	आहरित धन रु०
1	01.10.2012	अफजल	5000.00	2	01.10.2012	भगवान दास	3250.00
3	03.10.2012	ब्रजपाल	5000.00	4	04.10.2012	नवीन कुमार	20000.00
5	05.10.2012	महउददीन	5000.00	6	08.10.2012	हरेन्द्र	5000.00
7	08.10.2012	राजेश	5000.00	8	08.10.2012	जफर	5000.00
9	09.10.2012	प्रवीन कुमार	5000.00	10	09.10.2012	जकी अहमद	5000.00
11	09.10.2012	लेखराज	5000.00	12	09.10.2012	अजय	5000.00
13	12.11.2012	बदनसिंह	5000.00	14	12.11.2012	हरेन्द्र सिंह	10000.00
15	14.11.2012	राजेश सक्सेना	10000.00	16	20.11.2012	किसुददीन	5000.00
17	20.11.2012	रिफाकत	5000.00	18	23.11.2012	राजपाल	5000.00
19	23.11.2012	नवीन कुमार	5000.00	20	24.11.2012	राजपाल	5000.00
21	29.11.2012	रामसेवक	5000.00	22	01.12.2012	बदनसिंह	5000.00
23	03.12.2012	ब्रजपाल	5000.00	24	07.12.2012	शमशाद	5000.00
25	21.12.2012	चिरौंजी	5000.00	26	21.12.2012	चिरौंजी	5000.00
27	21.12.2012	चिरौंजी	5000.00	28	21.12.2012	चिरौंजी	5000.00
29	21.12.2012	चिरौंजी	5000.00	30	24.12.2012	शमशाद	5000.00
31	02.01.2013	—	10000.00	32	12.01.2013	इरफान	5000.00
33	12.01.2013	प्रवीन	5000.00	34	12.01.2013	प्रवीन	5000.00
35	14.01.2013	शमशाद	5000.00	36	19.01.2013	प्रवीन	5000.00
37	21.01.2013	पोषाकी	5000.00	38	21.01.2013	पोषाकी	5000.00
39	22.01.2013	इरफान	5000.00	40	22.01.2013	गेटे	5000.00
योग-							228250.00

उपर्युक्त के सापेक्ष ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निम्नलिखित फर्जी ईट क्रय एवं काल्पनिक खडन्जा निर्माण कार्य करना ग्राम निधि कैश बुक में दर्शित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	व्यय धनराशि रु०
1	03.10.2012	हैण्डपम्प मरम्मत	5000.00
2	18.10.2012	ईट क्रय	54400.00
3	01.11.2012	ईट क्रय	8900.00

4	07.11.2012	ईट क्रय	12810.00
5	14.11.2012	खडन्जा निर्माण	12810.00
6	21.11.2012	खडन्जा निर्माण	12810.00
7	28.11.2012	खडन्जा निर्माण	12810.00
8	07.12.2012	खडन्जा निर्माण	12810.00
9	20.01.2013	मिटटी कार्य	4536.00
10	27.01.2013	खडन्जा निर्माण	7000.00
11	28.01.2013	ईट क्रय	40500.00
12	29.01.2013	ईट क्रय	40500.00
13	30.01.2013	ईट क्रय	28350.00
14		अन्य व्यय	4014.00
योग—			257250.00

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किसी संस्था व फर्म के नाम से ग्राम निधि खाता से चेक न काटकर अपने निजी हित लाभ के व्यक्ति विशेष के नाम चेक द्वारा राजकीय धनराशि आहरण करके फर्जी ईट क्रय करना एवं फर्जी खडन्जा निर्माण करना दर्शित है। अतः राजकीय धनराशि रु0 228250/- (दो लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ पचास मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 6— समीक्ष्य वर्ष 2012-13 में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि प्रथम कैश बुक में निम्नलिखित तिथियों का सीमेन्ट क्रय करना दर्शित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	व्यय धनराशि रु०
1	19.04.2012	सीमेन्ट क्रय	8257.00
2	23.04.2012	सीमेन्ट क्रय	16195.00
3	23.04.2012	सीमेन्ट क्रय	10800.00
4	25.04.2012	सीमेन्ट क्रय	6910.00
5	25.06.2012	सीमेन्ट क्रय	5610.00
6	29.06.2012	सीमेन्ट क्रय	9750.00
7	30.06.2012	सीमेन्ट क्रय	2186.00
8	17.08.2012	सीमेन्ट क्रय	15930.00
योग—			75638.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार इकाई द्वारा उक्त तिथियों को सीमेन्ट क्रय किया गया है किन्तु सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट से सम्बन्धित कोई भी कार्य (जैसे नाली निर्माण आदि) कैश बुक में कोषांकित नहीं किया गया है।

अतः सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए रु0 75638/- (रुपया पिचहत्तर हजार छः सौ अड़तीस मात्र) को तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 7— ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा माह-जून, 2014 में ग्राम निधि कैश बुक में निम्नलिखित मदों में व्यय किये जाने की प्रविष्टि की है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	व्यय धनराशि रु०
1	22.06.2014	पाइप क्रय	75000.00
2	23.06.2014	ईट क्रय	118500.00
3	24.06.2014	सीमेन्ट	66483.00
4	24.06.2014	ईट क्रय	94917.00
योग—			354900.00

बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उक्त द्वारा निम्न फर्मों एवं व्यक्तियों को जारी किये गये चेक से आहरण निम्नलिखित तिथियों को किये गये जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	नाम फर्म/व्यक्ति	धनराशि रूपये
1	11.06.2014	हरीओम ईट उद्योग	18000.00
2	23.06.2014	श्रीराम ईट उद्योग	40000.00
3	27.06.2014	अशर्फी सीमेन्ट	15000.00
4	20.06.2014	फुरकान कान्स्ट्रक्टर	25000.00
5	23.06.2014	फुरकान कान्स्ट्रक्टर	25000.00
6	11.06.2014	किशनपाल	10000.00
7	11.06.2014	शौकिन	5000.00
8	13.06.2014	सुनील	5000.00
9	19.06.2014	सुनील	25000.00
10	20.06.2014	सुनील	5000.00
11	28.06.2014	सुनील	5000.00
12	20.06.2014	जीतू	20000.00
13	20.06.2014	पवन	5000.00
14	24.06.2014	राम प्रकाश	5000.00
15	24.06.2014	नेमसिंह	50000.00
16	24.06.2014	नेमसिंह	30000.00
17	30.06.2014	नेमसिंह	15000.00
18	25.06.2014	प्रवीन	10000.00
19	27.06.2014	रजिस्टर	5000.00
20	27.06.2014	राजपाल	13500.00
21	28.06.2014	शिवम	15000.00
22	30.06.2014	निर्भान	5000.00
23	30.06.2014	यादवेन्द्र	3400.00
योग—			354900.00

उपरोक्तानुसार ईट क्रय पर व्यय रू० 58000/—, सीमेन्ट क्रय पर रू० 15000/—, पाइप क्रय पर रू० 50000/— इस प्रकार फर्म को कुल रू० 123000/— का भुगतान किया गया। शेष धन रू० 231900/— अपने निजी हित लाभ के लिए व्यक्ति विशेषों के नाम से आहरण किया गया। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि उक्त द्वारा कैश बुक में फर्जी ईट, सीमेन्ट, तथा पाइप क्रय करना कोषांकित किया गया है।

अतः रू० 231000/— (रूपया दो लाख इकत्तीस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 8— समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रू० 1431441/— (रूपया चौदह लाख इकत्तीस हजार चार सौ इक्तालीस मात्र) का सीमेन्ट, मौरंग आदि का क्रय करना कैश बुक में दर्शित है, जिसका माहवार विवरण निम्नलिखित है :—

क्र०सं०	माह	मद जिसमें व्यय किया गया	व्यय धनराशि रू०
1	अप्रैल	सीमेन्ट मौरंग आदि क्रय	351043.00
2	जुलाई	उपरोक्त	193094.00
3	अगस्त	उपरोक्त	92612.00
4	सितम्बर	उपरोक्त	167589.00
5	अक्टूबर	उपरोक्त	58100.00
6	नवम्बर	उपरोक्त	219000.00
7	जनवरी	उपरोक्त	30000.00
8	फरवरी	उपरोक्त	230200.00
9	मार्च	उपरोक्त	89803.00
योग—			1431441.00

इस प्रकार इकाई द्वारा सम्पूर्ण वर्ष में रू० 1431441/— (रूपया चौदह लाख इकत्तीस हजार चार सौ इक्तालीस मात्र) सीमेन्ट मौरंग आदि क्रय करने पर व्यय किये गये किन्तु ग्राम निधि कैश बुक में उपर्युक्त के सापेक्ष किसी प्रकार का कार्य (नाली निर्माण आदि) पूर्ण होने की प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है। अतः ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि कैश बुक में सीमेन्ट मौरंग आदि फर्जी क्रय दर्शित कर

उपरोक्त राजकीय धन का अपहरण किया। अतः राजकीय धनराशि रु0 1431441/- मात्र तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 9- समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये विकास कार्य के उपरान्त श्रमिकों को मस्टर रोल के अनुसार दी गई वास्तविक मजदूरी तथा (उन्हें दिये गये चेक से आहरण) बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित धनराशि में बहुत अन्तर है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम श्रमिक	पिता का नाम	तिथि	मस्टर रोल नं०	देय धनराशि	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार	अन्तर
1	शाकीन	श्री जलालुद्दीन	27.04.2015 से 30.04.2015	11	1140.00	5000.00	
2	उपरोक्त		27.05.2015 से 29.05.2015	19 (1)	855.00	4000.00	
3	उपरोक्त		03.06.2015 से 08.06.2015	20 (1)	1710.00		
4	उपरोक्त		17.08.2015 से 22.08.2015	55	1710.00		
				योग-	5415.00	9000.00	3585.00
1	शकील	श्री फत्तू	21.06.2015 से 22.06.2015	29 (1)	570.00	10000.00	
2	उपरोक्त		25.06.2015 से 30.06.2015	29 (2)	1710.00	5000.00	
3	उपरोक्त		03.07.2015 से 08.07.2015	31	1710.00	10000.00	
4	उपरोक्त		17.07.2015 से 22.07.2015	40	1710.00	10000.00	
5	उपरोक्त		31.07.2015 से 05.08.2015		1710.00	2000.00	
6	उपरोक्त		06.08.2015 से 08.09.2015	47 (2)	855.00	5000.00	
7	उपरोक्त		14.08.2015 से 20.08.2015	54	1710.00	10000.00	
8	उपरोक्त		21.08.2015 से 26.08.2015		1710.00	9000.00	
				योग-	11685.00	61000.00	49315.00
1	देवसिंह	श्री	21.05.2015 से 29.06.2015	19 (1)	483.00	5000.00	
2	उपरोक्त		03.06.2015 से 08.06.2015	20 (1)	966.00	1000.00	
3	उपरोक्त		25.06.2015 से 30.06.2015	29 (11)	966.00	5000.00	
4	उपरोक्त		03.07.2015 से 08.07.2015	31	966.00	5000.00	
5	उपरोक्त		06.08.2015 से 08.07.2015	47(2)	488.00	--	
6	उपरोक्त		17.08.2015 से 22.08.2015	55	966.00	5000.00	
				योग-	4835.00	21000.00	16165.00
				कुल योग-	21935.00	91000.00	69065.00

उपरोक्तानुसार मस्टर रोल के अनुरूप श्रमिकों को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में देय धनराशि रु0 21935/- थी, जबकि जानबूझ कर रु0 91000/- का भुगतान किया गया। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0 69065/- का जानबूझ कर अधिक भुगतान कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया। अतः अन्तर की धनराशि रु0 69065/- (रुपया उनहत्तर हजार पैंसठ मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 10- वित्तीय वर्ष 2012-13 का अन्तिम नकद अवशेष रु0 215/- मात्र को वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में प्रारम्भिक नगद अवशेष प्रविष्टि 01 अप्रैल, 2013 को नहीं करके अपहरण किया तथा निम्नलिखित तिथियों को आहरित धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके निम्नलिखित राजकीय धनराशि का अपहरण किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	आहरित धन रु०	क्र०सं०	तिथि	आहरित धन रु०
1	15.03.2014	5000.00	2	15.03.2014	5000.00
3	15.03.2014	5000.00	4	15.03.2014	5000.00
5	15.03.2014	5000.00	6	15.03.2014	2000.00
7	26.02.2015	5000.00			
				योग-	32000.00

अतः धनराशि रु0 215.00+32000.00=32215.00(रूपया बत्तीस हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 11— वित्तीय वर्ष 2015-16 में दि0 08.06.2015 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार क्रमशः रु0 20000.00+ 20000.00=40000.00 के स्थान पर ग्राम निधि कैश बुक में क्रमशः रु0 5000.00+5000.00=10000.00 की प्रविष्टि कर रु0 30000.00 का अपहरण किया। अतः धनराशि रु0 30000/- (रूपया तीस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 12— समीक्ष्य वर्ष 2011-12 को ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित तिथियों को हैण्डपम्प मरम्मत के लिए सामान क्रय किया गया जिसका विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	तिथि	आहरित धनराशि रु0	वाउचर संख्या	क्र0 सं0	तिथि	आहरित धनराशि रु0	वाउचर संख्या
1	29.12.2011	10080.00	112	2	24.01.2012	10000.00	115
3	24.01.2012	10000.00	116	4	29.01.2012	10000.00	117
5	18.02.2012	22500.00	122	6	18.02.2012	12783.00	122
योग—						75363.00	

उक्त द्वारा उपर्युक्त तिथियों को हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते सामान क्रय किया गया जिसके हैण्डपम्प मरम्मत कार्य से सम्बन्धित श्रमिक को देय मजदूरी (सम्बन्धित एम0आर0/वाउचर) कैश बुक में कोषांकित नहीं किया गया है। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि उपर्युक्त द्वारा फर्जी सामान क्रय करना दर्शाकर रु0 75363/- मात्र का अपहरण किया।

अतः राजकीय धनराशि रु0 75363/- (रूपया पचहत्तर हजार तीन सौ तिरैसठ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 13— ऑडिट के दौरान पाया गया कि समीक्ष्य वर्षों में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में हैण्डपम्पों के मरम्मत में कितनी धनराशि खर्च की और कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत कराई जिसका विवरण निम्न है :-

क्र0सं0	वर्ष	व्यय धनराशि	मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों की संख्या
1	2012-13	165000.00	240
2	2013-14	260000.00	380
3	2014-15	330240.00	397
4	2015-16	317250.00	--
योग—		1072490.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त द्वारा हैण्डपम्प में गम्भीर अनियमितता बरती गई है तथा हैण्डपम्प मरम्मत कार्य से सम्बन्धित श्रमिक को देय भुगतान वाउचर में हैण्डपम्प की संख्या लिखी गई है और यह दर्शित नहीं किया गया है कि हैण्डपम्प कहां स्थित है। यह स्थिति गम्भीर है व इकाई की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः रु0 1072490/- (रु0 दस लाख बाहत्तर हजार चार सौ नब्बे मात्र) की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा सचिव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—वीरमपुर भदेली

क्षेत्र पंचायत—उसावां

प्रस्तर 14— समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा खाता संख्या—33215 से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम से पाँच-पाँच हजार रुपये आहरित किया गया है, जिसका विवरण निम्न है :-

क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	धनराशि रुपये	क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	धनराशि रुपये
1	01.05.2014	अमरसिंह	5000.00	2	01.05.2014	अमरसिंह	5000.00
3	01.05.2014	धर्मपाल	5000.00	4	01.05.2014	धर्मपाल	5000.00
5	01.05.2014	धर्मपाल	5000.00	6	02.05.2014	भाईसिंह	5000.00
7	05.05.2014	धर्मपाल	5000.00	8	05.05.2014	धर्मपाल	5000.00
9	07.05.2014	अमरसिंह	5000.00	10	07.05.2014	अमरसिंह	5000.00
11	16.05.2014	पूरनलाल	5000.00	12	19.05.2014	धर्मपाल	5000.00
13	19.05.2014	भाईसिंह	5000.00	14	20.05.2014	अमरसिंह	5000.00
15	20.05.2014	अमरसिंह	5000.00	16	20.05.2014	धर्मपाल	5000.00
17	20.05.2014	धर्मपाल	5000.00	18	27.05.2014	गोपाल	15000.00
						सम्पूर्ण योग—	100000.00

उपरोक्तानुसार उपर्युक्त द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम से ग्राम निधि—प्रथम बैंक खाता से चेक काटकर अपने निजी हित लाभ के लिए निम्न मदों में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है, जो निम्नलिखित है।

क्र० सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि रू०
1	07.05.2014	ईट क्रय	50000.00
2	16.05.2014	खडन्जा निर्माण	5000.00
3	27.05.2014	ईट क्रय	45000.00
		सम्पूर्ण योग—	100000.00

उपर्युक्त विवरण से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि उक्त द्वारा पांच—पांच हजार रुपये विभिन्न व्यक्तियों से ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता से आहरण कराके गबन एवं अपहरण को छिपाये रखने के उद्देश्य से अपने निजी हित लाभ के लिए फर्जी ईट क्रय एवं खडन्जा निर्माण कैश बुक में दर्शित है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू० 100000/— (एक लाख रुपया मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 15— दि० 08.02.2014, दि० 28.10.2014 तथा दि० 22.12.2014 को क्रमशः रू० 5000.00+5000.00 +5000.00=15000.00 रुपये ग्राम पं०/वि० अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता से आहरण कर कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि पारित नहीं करके रू० 15000.00 (रुपया पन्द्रह हजार मात्र) का अपहरण किया। अतः रू० पन्द्रह हजार मात्र तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 16— समीक्ष्य वर्ष 2015—16 में ग्राम पं०/वि० अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि—प्रथम बैंक खाता से अपने-अपने नामों से रू० पांच—पांच हजार के चेक काटकर आहरण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	धनराशि रुपये	क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	धनराशि रुपये
1	11.04.2015	धर्मपाल	2000.00	2	15.04.2015	अमरसिंह	5000.00
3	16.04.2015	धर्मपाल	5000.00	4	16.04.2015	धर्मपाल	5000.00
5	16.04.2015	धर्मपाल	5000.00	6	21.04.2015	धर्मपाल	5000.00
7	21.04.2015	अमरसिंह	5000.00	8	21.04.2015	अमरसिंह	5000.00
9	21.04.2015	अमरसिंह	5000.00	10	21.04.2015	अमरसिंह	5000.00
11	22.04.2015	अमरसिंह	5000.00	12	22.04.2015	अमरसिंह	5000.00
13	22.04.2015	अमरसिंह	5000.00	14	22.04.2015	अमरसिंह	5000.00
15	22.04.2015	धर्मपाल	5000.00	16	22.04.2015	धर्मपाल	5000.00
17	22.04.2015	धर्मपाल	5000.00	18	02.06.2015	धर्मपाल	5000.00
19	02.06.2015	धर्मपाल	5000.00	20	02.06.2015	धर्मपाल	5000.00
21	02.06.2015	नेमसिंह	5000.00	22	02.07.2015	धर्मपाल	5000.00
23	02.07.2015	धर्मपाल	5000.00	24	02.07.2015	नेमसिंह	5000.00
25	02.07.2015	नेमसिंह	5000.00	26	02.07.2015	नेमसिंह	5000.00
27	02.07.2015	धर्मपाल	5000.00	28	11.07.2015	नेमसिंह	5000.00
29	11.07.2015	नेमसिंह	5000.00	30	11.07.2015	नेमसिंह	5000.00

31	11.07.2015	धर्मपाल	5000.00	32	11.07.2015	धर्मपाल	5000.00
33	11.07.2015	धर्मपाल	5000.00	34	30.07.2015	नेमसिंह	5000.00
35	30.07.2015	नेमसिंह	5000.00	36	30.07.2015	नेमसिंह	4000.00
37	30.07.2015	धर्मपाल	5000.00	38	30.07.2015	धर्मपाल	5000.00
39	03.08.2015	नेमसिंह	5000.00	40	03.08.2015	धर्मपाल	5000.00
41	10.08.2015	धर्मपाल	5000.00	42	10.08.2015	धर्मपाल	5000.00
43	12.08.2015	नेमसिंह	5000.00	44	17.08.2015	धर्मपाल	5000.00
45	24.08.2015	नेमसिंह	2000.00				
सम्पूर्ण योग—							218000.00

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त द्वारा स्वतः ग्राम निधि—प्रथम बैंक खाता से आहरण किया गया है तथा गबन एवं अपहरण के प्रकरण को छिपाये रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित मदों में खर्च करना दर्शित है :-

क्र० सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि रू०
1	11.04.2015	स्टेशनरी क्रय	2000.00
2	16.04.2015	हैण्डपम्प सामान क्रय	20000.00
3	21.04.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	15000.00
4	22.04.2015	मिट्टी कार्य	15000.00
5	22.04.2015	खडन्जा निर्माण	15000.00
6	22.04.2015	मिट्टी कार्य	10000.00
7	22.04.2015	खडन्जा निर्माण	10000.00
8	02.06.2015	ईट क्रय	20000.00
9	11.07.2015	ईट क्रय	55000.00
10	11.07.2015	मिट्टी कार्य	5000.00
11	30.07.2015	मानदेय	10000.00
12	30.07.2015	सीमेन्ट क्रय	4000.00
13	30.07.2015	खडन्जा निर्माण	10000.00
14	24.08.2015	ईट क्रय	35000.00
सम्पूर्ण योग—			226000.00

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा किसी फर्म एवं संस्था के नाम से नियमानुसार एकाउन्ट पेयी चेक न देकर स्वयं समस्त धनराशि को आहरण कर गबन एवं अपहरण के प्रकरण को छिपाये रखने के उद्देश्य से उपर्युक्त मदों में फर्जी खर्च करना दर्शित है। अतः समस्त धनराशि रू० 218000/- मात्र को अपहरण मानते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से एवं ग्राम प्रधान से विभागीय कार्यवाही करते हुए तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — शाहपुर

प्रस्तर 17— समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या-219197 से दि० 30-08-2013 को रू० 50000/- मात्र आहरण किये जिसके सापेक्ष कैश बुक में रू० 46500/- मात्र अंकन किया गया। इस प्रकार रू० 3500/- मात्र कम की प्रविष्टि पारित कर राजकीय धन का अपहरण किया। अतः धनराशि रू० 3500/- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 18— समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा के०जी०बी० खाता संख्या-33002 से निम्न तिथियों को आहरण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	धनराशि रुपये
1	30.07.2014	12000.00
2	30.07.2014	15000.00
3	30.07.2014	46500.00
4	30.07.2014	46500.00
5	30.07.2014	25000.00
6	30.07.2014	15000.00
योग—		160000.00

उपर्युक्त आहरित की गई धनराशि को ग्राम निधि कैश बुक में अंकन नहीं किया गया तथा प्रिया सॉफ्ट में भी फीडिंग नहीं कराई गई, इससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त द्वारा राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 160000/- (एक लाख साठ हजार रुपया मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 19- समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित तिथियों को ग्राम निधि खाता संख्या-219197 से निम्न धनराशि आहरण की, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	तिथि	धनराशि रुपये
1	09.07.2014	27000.00
2	03.09.2014	15000.00
योग-		42000.00

उपर्युक्त द्वारा आहरित धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके राजकीय धन का अपहरण किया। अतः धनराशि रु0 42000/- (रुपया ब्यालीस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 20- समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 09-07-2015 व दिनांक 11-08-2015 को क्रमशः रु0 149500/- व रु0 108000/- आहरण कर कैश बुक में ईंट क्रय करना दर्शित है, किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार कार्य करने की प्रविष्टि कैश बुक में पारित नहीं की गई है तथा क्रय की गई ईंट को स्टॉक बुक में भी अंकन नहीं किया गया है। इससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि उपरोक्त द्वारा फर्जी ईंट क्रय कर राजकीय अनुदान रु0 257500/- मात्र का अपहरण किया गया। अतः धनराशि रु0 257500/- (दो लाख सत्तावन हजार पांच सौ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कुंवरगांव

प्रस्तर 21- समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक खाता संख्या-32933 से दिनांक 24-07-2014 को क्रमशः रु0 50000.00+35000.00=85000.00 तथा पी0एन0बी0 खाता संख्या-219160 से दिनांक 07-07-2014 को रु0 37000.00 कुल रुपया 122000.00 मात्र आहरण कर ग्राम निधि कैश बुक में कोषांकित नहीं किया तथा सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक से आहरित धन रु0 85000/- को भी प्रिया सॉफ्ट में फीडिंग नहीं कराई। इससे स्वतः ही स्पष्ट है कि उपर्युक्त द्वारा राजकीय अनुदान रु0 122000/- का अपहरण किया गया।

अतः रु0 122000/- मात्र (एक लाख बाईस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 22- समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित तिथियों को निम्न मदों में व्यय किये जाने की प्रविष्टि ग्राम निधि कैश बुक में की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि रु०
1	18.08.2015	ईंट क्रय	50000.00
2	19.08.2015	मिट्टी कार्य	6000.00
3	28.09.2015	ईंट क्रय	80000.00
4	15.02.2016	ईंट क्रय	99500.00
सम्पूर्ण योग-			235500.00

ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा उपर्युक्त सामग्री (ईंट) क्रय करने के उपरान्त किसी भी प्रकार कार्य नहीं कराया गया तथा स्टॉक बुक में भी अंकन नहीं किया, इससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त द्वारा फर्जी ईंट क्रय कैश बुक में दर्शित कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया।

अतः रु0 235500/- (दो लाख पैंतीस हजार पांच सौ मात्र) तत्कालीन तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मसूदपुरा

प्रस्तर 23- समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम निधि खाता संख्या-219212 से दिनांक 03-07-2015 को आहरित धन रु0 10000/- मात्र तथा दि0 01-06-2015 को आहरित धन रु0 5000/- मात्र कुल आहरित धन रु0 15000/- मात्र को ग्राम निधि कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके राजकीय अनुदान का अपहरण किया।

अतः राजकीय अनुदान रु0 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) को तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित नियमानुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मिश्रीपुर मकुईया

विकास खण्ड-सहसवान

प्रस्तर 24- वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 (दिसम्बर, 2016 तक) ग्राम पंचायत में ग्राम निधि से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रपाल सिंह द्वारा उक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किये गये व्यय जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। वर्तमान सचिव श्री रामऔतार शर्मा द्वारा बताया गया कि श्री चन्द्रपाल सिंह पूर्व ग्राम सचिव द्वारा उक्त वर्षों के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। श्री शर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्राम निधि बैंक पासबुक खाता संख्या-1839000400225189 पंजाब नेशनल बैंक, हलवाई चौक, बदायूं के विवरणानुसार विभिन्न वर्षों में प्राप्त आय के सापेक्ष किये गये व्यय जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	वर्ष	प्राप्त अनुदान+ब्याज	किया गया व्यय	अन्तिम शेष
1	2011-12	146721.00	0.00	
2	2012-13	225111.00	368438.00	
3	2013-14	468201.00	443528.70	
4	2014-15	419891.00	431950.00	
5	2015-16	182885.47	198650.00	
	योग-	1442809.47	1442566.70	242.77 (07.11.2015)

अतः रु0 1442566.70/- की धनराशि के अपहरण मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – शुण्डी

क्षेत्र पंचायत-उसावां

प्रस्तर 25- वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों तथा स्वयं के नाम से ग्राम निधि प्रथम से राजकीय धनराशि रु0 189900/- (रुपया एक लाख नवासी हजार नौ सौ मात्र) आहरण कर कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके राजकीय धन का अपहरण किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	तिथि	नाम	धनराशि रुपये में
1	27.12.2012	सर्वेश	46900.00
2	29.12.2012	सर्वेश	5000.00
3	29.12.2012	सर्वेश	5000.00
4	29.12.2012	सर्वेश	5000.00
5	29.12.2012	नवीन	5000.00
6	31.12.2012	सर्वेश	5000.00
7	31.12.2012	परमोद	5000.00
8	01.02.2013	नवीन	5000.00
9	01.02.2013	सर्वेश	5000.00
10	01.02.2013	सर्वेश	5000.00
11	01.02.2013	सर्वेश	5000.00
12	01.02.2013	सर्वेश	5000.00

13	11.03.2013	सर्वेश	5000.00
14	11.03.2013	सर्वेश	5000.00
15	11.03.2013	पप्पू	5000.00
16	11.03.2013	पप्पू	5000.00
17	11.03.2013	लाल बहादुर	5000.00
18	16.03.2013	कुदरत	48000.00
19	20.03.2013	पप्पू	5000.00
20	20.03.2013	परमोद	5000.00
21	20.03.2013	परमोद	5000.00
		योग-	189900

अतः उपरोक्त धनराशि रु0 189900/- (एक लाख नवासी हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 26- वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा निम्न तिथियों को ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रु0 74200/- (रुपया चौहत्तर हजार दो सौ मात्र) को कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके अपहरण किया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	तिथि	धनराशि रुपये
1	09.04.2014	17700.00
2	11.04.2014	5000.00
3	12.04.2014	5000.00
4	12.04.2014	46500.00
	योग-	74200.00

अतः उपरोक्त धनराशि रु0 74200/- (रुपया चौहत्तर हजार दो सौ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 27- ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा माह-मार्च, 2015 में ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 818930 से रु0 40000/- (रुपया चालीस हजार मात्र) आहरण की आय पक्ष में प्रविष्टि की गई है, जिसके सापेक्ष माह में रु0 30000/- (रुपया तीस हजार) व्यय किये गये। व्यय उपरान्त रु0 10000/- (रु0 दस हजार मात्र) नकद अवशेष की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी तथा उसको वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रारम्भ में 01 अप्रैल, 2015 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 शून्य दर्शाकर रु0 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) का अपहरण किया, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ब्याज सहित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 28- ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा दि0 13-08-2015 को रु0 5000/- (रुपया पांच हजार मात्र) ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता से आहरण करके कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके रु0 5000/- मात्र का अपहरण किया जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 29- ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों एवं स्वयं के नाम से ग्राम निधि खाता से रु0 पांच-पांच हजार आहरण कर कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शित कर राजकीय धन का अपहरण किया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	तिथि	नाम व्यक्ति	आहरित धन रु0	क्र0 सं0	तिथि	नाम	आहरित धन रु0
1	09.06.2015	पप्पू	5000.00	2	09.06.2015	पप्पू	5000.00
3	09.06.2015	पप्पू	5000.00	4	09.06.2015	पप्पू	5000.00
5	09.06.2015	मनोज	5000.00	6	09.06.2015	मनोज	5000.00
7	09.06.2015	मनोज	5000.00	8	09.06.2015	सर्वेश	5000.00
9	09.06.2015	सर्वेश	5000.00	10	09.06.2015	सर्वेश	5000.00
11	09.06.2015	अमरसिंह	5000.00	12	09.06.2015	अमरसिंह	5000.00
13	09.06.2015	अमरसिंह	5000.00	14	09.06.2015	अमरसिंह	5000.00
15	26.06.2015	मनोज	5000.00	16	26.06.2015	मनोज	5000.00
17	26.06.2015	मनोज	5000.00	18	26.06.2015	अमरसिंह	5000.00

19	26.06.2015	अमरसिंह	5000.00	20	26.06.2015	अमरसिंह	5000.00
21	26.06.2015	अमरसिंह	5000.00	22	26.06.2015	लड़ैते	5000.00
23	26.06.2015	लड़ैते	5000.00	24	26.06.2015	लड़ैते	5000.00
25	26.06.2015	लड़ैते	5000.00	26	27.06.2015	सर्वेश	5000.00
27	27.06.2015	अमरसिंह	5000.00	28	03.08.2015	बहोरन	5000.00
29	03.08.2015	बहोरन	5000.00	30	03.08.2015	बहोरन	5000.00
31	03.08.2015	बहोरन	5000.00	32	03.08.2015	बहोरन	5000.00
33	03.08.2015	बहोरन	5000.00	34	03.08.2015	राजपाल	5000.00
35	03.08.2015	राजपाल	5000.00	36	03.08.2015	राजपाल	5000.00
37	03.08.2015	राजपाल	5000.00	38	13.08.2015	राजपाल	5000.00
39	13.08.2015	मनोज	5000.00	40	13.08.2015	मनोज	5000.00
41	07.08.2015	अमरसिंह	5000.00				
योग—							205000.00

उपरोक्तानुसार ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न नामों से रु० पांच-पांच हजार ग्राम निधि प्रथम खाता से आहरण कर कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि रु०
1	09.06.2015	एम०आर	28700.00
2	26.06.2015	बिल्डिंग मैटेरियल	25000.00
3	26.06.2015	एम०आर०	28700.00
4	27.06.2015	ईट क्रय	22040.00
5	13.08.2015	ईट क्रय	46400.00
6	14.08.2015	एम०आर०	22960.00
7	28.08.2015	ईट क्रय	50000.00
सम्पूर्ण योग—			223800.00

उपर्युक्त विवरण से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा नियमानुसार किसी फर्म व संस्था तथा श्रमिक को एकाउन्ट पेई चेक नहीं देकर अपने निजी हित लाभ के लिए विभिन्न नामों से चेक काटकर फर्जी ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल क्रय कर फर्जी एम०आर० कैश बुक में दर्शित किया गया। अतः आहरण की गई समस्त धनराशि रु० 205000/- (दो लाख पांच हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लिलवाँ

क्षेत्र पंचायत—उसावाँ

प्रस्तर 30— समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम प्रचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के नामों से (जो फर्म व संस्था नहीं हैं) ग्राम निधि प्रथम खाते से अपने निजी हित लाभ के लिए फर्जी तरीके से राजकीय अनुदान का आहरण किया जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	आहरित धन रु०	क्र० सं०	तिथि	नाम	आहरित धन रु०
1	01.05.2013	गुड्डू	20000.00	2	11.05.2013	गुड्डू	15000.00
3	16.05.2015	गुड्डू	40000.00	4	07.06.2013	गुड्डू	5000.00
5	07.05.2013	सुनील	15000.00	6	10.06.2013	सुनील	5000.00
7	21.06.2013	सुनील	65000.00	8	16.07.2013	सुनील	5000.00
9	17.07.2013	सुनील	20000.00	10	08.08.2013	सुनील	5000.00
11	16.08.2013	सुनील	10000.00	12	05.09.2013	सुनील	5000.00
13	10.09.2013	सुनील	3933.00	14	10.09.2013	सुनील	1067.00
15	12.09.2013	सुनील	25000.00	16	03.10.2013	सुनील	4860.00
17	03.10.2013	सुनील	10000.00	18	09.11.2013	सुनील	4500.00
19	03.01.2014	सुनील	5000.00	20	24.01.2014	सुनील	3600.00
21	12.02.2014	सुनील	9000.00	22	19.02.2014	सुनील	20000.00
23	06.03.2014	सुनील	5000.00	24	12.03.2014	सुनील	5000.00
25	14.03.2014	सुनील	4500.00	26	27.03.2014	सुनील	4600.00
27	22.10.2013	अनिल कुमार	15800.00	28	13.01.2014	अनिल कुमार	10000.00

29	28.03.2014	अनिल कुमार	16500.00	30	01.06.2013	अमरपाल	20000.00
31	13.06.2013	अमरपाल	5000.00	32	24.06.2013	अमरपाल	30000.00
33	29.10.2013	अमरपाल	5000.00	34	10.10.2013	अमरपाल	25000.00
35	01.11.2013	अमरपाल	20000.00	36	25.10.2013	जसवीर	30000.00
37	15.01.2014	जसवीर	4900.00	38	15.03.2014	जसवीर	4800.00
39	14.02.2014	वीर बहादुर	16500.00	40	27.03.2014	बीर बहादुर	30000.00
योग—							549560.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा गुड्डू के नाम से ₹ 80000/- मात्र, सुनील के नाम से ₹ 236060/- मात्र, अनिल कुमार के नाम से ₹ 42300/- मात्र, अमरपाल के नाम से ₹ 105000/- मात्र जसवीर के नाम से ₹ 39700/- मात्र तथा वीर बहादुर के नाम से ₹ 46500/- मात्र। इस प्रकार कुल ₹ 549560/- मात्र अलग-अलग नामों से राजकीय अनुदान को अपने लाभ के लिए आहरण कर फर्जी कार्य करना कैश बुक में अंकन किया गया है, अतः उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 549560/- (रुपया पांच लाख उनन्चास हजार पांच सौ साठ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 31— समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में विभिन्न नामों से ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरण कर फर्जी व्यय कैश बुक में दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(1)

क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	धनराशि ₹०	क्र० सं०	तिथि	नाम	धनराशि ₹०
1	04.04.2014	रामनिवास	15000.00	2	10.04.2014	वीर बहादुर	16300.00
3	12.04.2014	वीर बहादुर	26500.00	4	12.04.2014	बीर बहादुर	16500.00
5	19.04.2014	वीर बहादुर	15000.00	6	10.04.2014	डबले	5000.00
7	11.04.2014	पंकज	15000.00	8	15.04.2014	पंकज	5000.00
9	19.04.2014	पंकज	15000.00	10			
योग—							129300.00

उक्त के सापेक्ष दर्शित फर्जी व्यय है —

क्र० सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि ₹०
1	04.04.2014	सीमेंट क्रय	9600.00
2	12.04.2014	ईंट क्रय	70800.00
3	19.04.2014	मिट्टी कार्य	11018.00
4	19.04.2014	एम०आर०	13082.00
5	02.05.2014	ईंट क्रय	26300.00
सम्पूर्ण योग—			130800.00

(2)

आहरित धनराशि—

क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	धनराशि ₹०	क्र० सं०	तिथि	नाम	धनराशि ₹०
1	10.06.2014	राजेश	10000.00	2	16.06.2014	अनिल	12000.00
3	13.06.2014	डबले	5000.00	4	23.06.2014	डबले	5000.00
5	24.06.2014	डबले	15000.00	6	24.06.2014	डबले	5000.00
योग—							52000.00

उक्त के सापेक्ष दर्शित फर्जी व्यय है —

क्र० सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि ₹०
1	16.06.2014	मिट्टी कार्य	22000.00
2	26.06.2014	ईंट क्रय	25000.00
3	30.06.2014	मिट्टी कार्य	5000.00
सम्पूर्ण योग—			52000.00

(3)

आहरित धनराशि—

क्र० सं०	तिथि	नाम व्यक्ति	धनराशि रु०	क्र० सं०	तिथि	नाम	धनराशि रु०
1	14.08.2014	अमरपाल	25000.00	2	25.08.2014	अमरपाल	25000.00
3	16.08.2014	राजेश	15000.00	4	29.08.2014	राजेश	10000.00
5	29.08.2014	राजेश	4500.00	6			
योग—							79500.00

उक्त के सापेक्ष दर्शित फर्जी व्यय है —

क्र० सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	धनराशि रु०
1		ईट क्रय	35389.00
2		सीमेन्ट क्रय	17500.00
3	16.08.2014	मिट्टी कार्य	15000.00
4	30.08.2014	ईट क्रय	4611.00
5	30.08.2014	मिट्टी कार्य	5500.00
सम्पूर्ण योग—			78000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न नामों से अपने निजी हित लाभ के लिए ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरण कर फर्जी व्यय कैश बुक में कोषांकित किया गया है। अतः उक्त धनराशि रु० 260800/— (दो लाख साठ हजार आठ सौ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 32— समीक्ष्य वर्ष 2015-16 से ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित तिथियों को रु० 273000/— ग्राम निधि खाते से आहरित कर ग्राम निधि कैश बुक कोषांकित नहीं करके अपहरण किया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

उपरोक्तानुसार ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न नामों से रु० पांच-पांच हजार ग्राम निधि प्रथम खाता से आहरण कर कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	धनराशि रुपये	क्र०सं०	तिथि	धनराशि रुपये
1	09.04.2014	5000.00	2	09.04.2015	5000.00
3	10.04.2015	20000.00	4	11.04.2015	5000.00
5	13.04.2015	4000.00	6	16.04.2015	5000.00
7	17.04.2015	15000.00	8	18.04.2015	5000.00
9	18.04.2015	5000.00	10	22.04.2015	5000.00
11	23.04.2015	20000.00	12	27.04.2015	40000.00
13	27.04.2015	22000.00	14	29.04.2015	5000.00
15	12.05.2015	5000.00	16	13.05.2015	5000.00
17	13.05.2015	3000.00	18	13.05.2015	5000.00
19	15.05.2015	5000.00	20	15.05.2015	5000.00
21	18.05.2015	5000.00	22	28.05.2015	5000.00
23	28.05.2015	5000.00	24	28.05.2015	25000.00
25	02.06.2015	5000.00	26	02.06.2015	5000.00
27	02.06.2015	5000.00	28	02.06.2015	5000.00
29	02.06.2015	5000.00	30	02.06.2015	5000.00
31	02.06.2015	5000.00	32	11.06.2015	7000.00
33	13.06.2015	2000.00			
सम्पूर्ण योग—					273000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु० 273000/— मात्र आहरण कर कैश बुक में कोषांकित नहीं करके राजकीय अनुदान का अपहरण किया। अतः धनराशि रु० 273500/— (दो लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पचदियोरा दीवान

क्षेत्र पंचायत—उसावां

प्रस्तर 33— दिनांक 07-04-2012 को ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम कैश बुक में रु0 13500/- (रुपया तेरह हजार पांच सौ मात्र) से सीमेन्ट आदि क्रय करना दर्शित है, जिसके सापेक्ष किसी प्रकार का कार्य कराने की पुष्टि नहीं होती है और स्टॉक बुक में भी अंकन नहीं किया गया है, इससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि बैंक से आहरित धनराशि के विरुद्ध काल्पनिक सामान खरीद का लेखा पारित कर राजकीय धन का आहरण किया गया। अतः उपर्युक्त धनराशि रु0 13500/- मात्र तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 34— वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अलग-अलग दिवसों में विभिन्न नामों से ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित धनराशि आहरण की गई, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	तिथि	धनराशि रुपये
1	04.04.2013	20000.00
2	05.04.2013	5000.00
3	11.04.2013	5000.00
4	22.04.2013	5000.00
5	03.05.2013	30000.00
6	13.06.2013	20000.00
7	23.06.2013	20000.00
8	27.07.2013	15000.00
योग—		120000.00

उपर्युक्त तिथियों को विभिन्न नामों से आहरण कर दि० 29-07-2013 को रु0 106950/- (रुपया एक लाख छः हजार नौ सा पचास मात्र) का काल्पनिक ईट क्रय करने का लेखा पारित कर राजकीय धन का अपहरण किया गया। अतः कुल धनराशि रु0 120000/- (रुपया एक लाख बीस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 35— 04-12-2014 को ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से रु0 5000+5000=10000/-रु० (दस हजार रुपये मात्र) आहरण किये जिन्हें ग्राम निधि प्रथम कैश बुक के आय पक्ष में अंकन नहीं करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अतः धनराशि रुपये 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 36— समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम कैश बुक में निम्नलिखित दिवसों में काल्पनिक ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल क्रय करना दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	तिथि	मद जिसमें व्यय किया गया	व्यय धनराशि रु०
1	26.04.2014	ईट क्रय	75000.00
2	03.05.2014	बिल्डिंग मैटेरियल	19800.00
3	20.06.2014	ईट क्रय	102300.00
4	28.08.2014	ईट क्रय	84936.00
योग—			282036.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार कैश बुक में दर्शित क्रय के सापेक्ष किसी भी प्रकार का कार्य करना दर्शित नहीं है तथा क्रय सामग्री को स्टॉक बुक में भी अंकन नहीं किया गया। अतः समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रु0 282036/- (रुपया दो लाख ब्यासी हजार छत्तीस मात्र) ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 37— वित्तीय वर्ष 2014-15 का अन्तिम नगद अवशेष धन रु0 115/- मात्र को वित्तीय वर्ष 2015-16 दि० 01-04-2015 के प्रारम्भ में प्रविष्टि नहीं करके रु0 115/- मात्र का अपहरण किया गया। अतः रु0 115/- मात्र तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भसुन्धरा

प्रस्तर 38- समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि के 0जी0बी0 खाता संख्या-55964 से निम्नलिखित तिथियों का आहरण किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है

क्र०सं०	तिथि	धनराशि रुपये
1	31.05.2014	30000.00
2	31.05.2014	46500.00
3	31.05.2014	46500.00
4	16.06.2014	5000.00
5	17.06.2014	5000.00
6	17.06.2014	5000.00
योग-		138000.00

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि खाते से ₹0 138000/- (रूपया एक लाख अड़तीस हजार मात्र) आहरण करने के उपरान्त ग्राम निधि प्रथम कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं की तथा प्रिया सॉफ्ट में भी फीडिंग नहीं कराके राजकीय धन ₹0 138000/- मात्र का अपहरण किया गया।

अतः ₹0 138000/- (रूपया एक लाख अड़तीस हजार मात्र) अपहरण की धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 39- समीक्ष्य वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या-219258 से आहरण कर ग्राम निधि कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके राजकीय धन का अपहरण किया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	तिथि	धनराशि रुपये
1	31.12.2014	10000.00
2	15.06.2015	5000.00
3	00.07.2015	15000.00
4	00.07.2015	5000.00
5	00.07.2015	5000.00
6	00.07.2015	5000.00
1	00.07.2015	5000.00
योग-		50000.00

अतः ₹0 50000/- (रूपया पचास हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मिर्जापुर बिचौला

प्रस्तर 40- समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में के 0जी0बी0 खाता से दिनांक 24-07-2014 को आहरित धनराशि ₹0 119750/- (रूपया एक लाख उन्नीस हजार सात सौ पचास मात्र) को ग्राम निधि कैश बुक में कोषांकित नहीं करके तथा प्रिया सॉफ्ट में भी फीडिंग नहीं कराके राजकीय धन का अपहरण किया गया।

अतः राजकीय धनराशि ₹0 119750/- (रूपया एक लाख उन्नीस हजार सात सौ पचास मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 41- समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि खाता संख्या-219188 से दि 30-05-2015 को आहरित धनराशि ₹0 5000/- तथा दि 30-05-2015 को आहरित धनराशि ₹0 15000/- कुल धनराशि ₹0 20000/- मात्र को कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं करके राजकीय धन ₹0 20000/- मात्र का अपहरण किया गया।

अतः राजकीय धनराशि ₹0 20000/- (रूपया बीस हजार मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — रसूलपुर नगला

प्रस्तर 42— समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम के0जी0बी0 खाता संख्या-3298 से दिनांक 04-08-2014 व दिनांक 07-08-2014 को क्रमशः रू0 5000/- व 3000/- कुल रू0 8000/- मात्र आहरण कर ग्राम निधि कैश बुक के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं की तथा प्रिया सॉफ्ट में भी फीडिंग नहीं कराई गई। इस प्रकार उक्त द्वारा रू0 8000/- मात्र अपहरण किया गया। अतः रू0 8000/- मात्र तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

जनपद — बरेली

ग्राम पंचायत — सिसैयामगनपुर

विकास खण्ड — फरीदपुर।

प्रस्तर-01 समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि प्रथम की कोषवही में दिनांक 01.05.15 को आय पक्ष में प्रधान के पास प्रारम्भिक अवशेष शून्य था। माह में प्राप्त और आहरण के पश्चात आय पक्ष का योग 10500.00 होता है और व्यय पक्ष में खर्चे और जमा के उपरान्त 9336.75 योग होता है। इस प्रकार आय पक्ष से व्यय पक्ष को घटाने के उपरान्त 1163.25 अवशेष रहता है। जबकि अंतिम रोकड़ शेष शून्य दर्शा कर 1163.25 का अपहरण श्री विनोद कुमार तोमर, ग्रा0पं0अधि0 द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली श्री विनोद कुमार तोमर से मय ब्याज के करते हुए अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनोद कुमार तोमर ग्रा0पं0अधि0, श्री प्रचार गिरि प्रधान हैं। जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-28)

प्रस्तर-02 समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से संबंधित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय ईट रू0 211339.00 सीमेंट, सरिया, बजरफुट, रेत, रू0 10760.00, मिटटी कार्य ट्राली 40600.00, एम0आर0 मिटटी, खडंजा व नाली 61851.00 कुल 324550.00 के व्यय प्रमाणक मजदूरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर इस धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुकुट लाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन सिंह ने संयुक्त रूप से किया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकुट लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन सिंह से मय ब्याज करते हुए अधिभार की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री जनार्दन सिंह ग्रा0पं0अधि0, श्री मुकुट लाल प्रधान हैं। जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-28)

ग्राम पंचायत — सितारगंज

विकास खण्ड — फरीदपुर।

प्रस्तर-03— समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से संबंधित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय ईट रू0 289598.00, रोड़ा-6175.00, सीमेंट 77159.00, सरिया 4200.00, बजरफुट, रेत, मिटटी कार्य ट्राली 10800.00 एम0आर0 मिटटी, खडंजा व नाली 145057.00, सोलर लाईट 71500.00 कुल 604489.00 के व्यय प्रमाणक मजदूरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर इस धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से मय ब्याज के करते हुए अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सुशीला देवी प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अधि0 हैं। जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-28)

ग्राम पंचायत — नगरिया विक्रमपुर

विकास खण्ड — फरीदपुर

प्रस्तर-04 (1) समीक्ष्य वर्ष 2015-16 की ग्राम निधि की कोष वही के अनुसार निम्न दिनांकों को निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया है। जिनके प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं।

चेक संख्या/दिनांक	विवरण	धनराशि
162514/06.04.2015	कैमरा क्रय का भुगतान	5000.00
162515/13.04.2015	ट्रैक्टर ट्राली का भुगतान	5000.00
162516/16.04.2015	ईट अब्दुल करीम को	45000.00
162517/16.04.2015	ईट अब्दुल करीम को	45000.00

के व्यय प्रमाणक, मजदूरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर इस धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश बाबू सक्सेना ने संयुक्त रूप से किया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश बाबू सक्सेना से मय ब्याज के करते हुए अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सत्यवती प्रधान श्री सुरेश बाबू सक्सेना ग्रा०पं० अधि० हैं। जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-30)

ग्राम पंचायत — कादरगंज

विकास खण्ड — फरीदपुर।

प्रस्तर-4 (2) —समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार ईंट, सीमेंट, मौरंग एवं बजरफुट का क्रय किया जाना कोषवही में अंकित है।

क्रम	विवरण	धनराशि
1	ईंट क्रय	135000.00
2	सीमेंट, मौरंग, रेता एवं सरिया अन्य सामान	23500.00
3	ट्रैक्टर ट्राली भाड़ा	15000.00
	योग	173500.00

क्रय की गयी निर्माण सामग्री हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित नहीं किये गये हैं। जो विशेष आपत्तिजनक है। सामग्री नियमावली के अनुसार/निर्देशानुसार निर्माण हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित कर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर पर टेण्डर/कोटेशन स्वीकृत होने पर सामग्री क्रय की जानी चाहिये थी। परन्तु इस नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की गयी है। जो कि गम्भीर रूप से अनियमितता का विषय है। इस संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध समिति एवं विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सत्यवती प्रधान, श्री सुरेश बाबू सक्सेना सचिव हैं। (सा०आ०संख्या-29)

ग्राम पंचायत — कादरगंज

विकास खण्ड — फरीदपुर।

प्रस्तर-05— समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या 18876 में जमा धनराशि में से रु० 296136.13 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है जो कि बैंक खातों से स्पष्ट होता है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषवही के आय एवं व्यय पक्ष में बिल्कुल नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत के अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री हरि सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह के द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हरि सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री छत्रपाल से ब्याज सहित, अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री हरि सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री छत्रपाल से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री हरि सिंह ग्राम प्रधान, श्री छत्रपाल सिंह ग्रा०पं० अधि० हैं। जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

ग्राम पंचायत — करतौली

विकास खण्ड — फरीदपुर।

प्रस्तर-06— दिनांक 12.09.2015 को चेक संख्या 585840 जो कि न्याज अन्सारी सीमेंट स्टोर को 1680.00 का जारी किया गया है। जबकि बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 18.09.15 को चेक संख्या 585840 द्वारा 16801.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है। इस प्रकार कोषवही में 15121.00 का लेखा अंकित न करके फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती महका तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार तोमर से संयुक्त रूप से इस धनराशि का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती महका एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनोद कुमार तोमर ग्रा०पं०अधि० श्रीमती महका प्रधान हैं। जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-30)

ग्राम पंचायत — किसुरा

विकास खण्ड — फरीदपुर।

प्रस्तर-07— समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से संबंधित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय ईंट रु० 400918.00, रोड़ा 15205.00, सीमेंट 38400.00, सरिया 4200.00, बजरफुट 27198.00, रेता 27328, मिटटी कार्य ट्राली 62356.00 एम०आर० मिटटी, खडंजा व

नाली 182376.00 कुल 757981.00 के व्यय प्रमाणक मजदूरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर इस धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री होशियार सिंह व जितेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया है जिसकी वसूली ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री होशियार सिंह व जितेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह से इसकी वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री देवेन्द्र सिंह ग्रा०पं०अधि० श्री होशियार सिंह व जितेन्द्र सिंह प्रधान हैं। जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-28)

ग्राम पंचायत – बिलपुर

विकास खण्ड – फरीदपुर।

प्रस्तर-8 (1)—वर्ष आलोच्य 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम०बी० सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कोटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि 316582.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम	विवरण	धनराशि
1	सामग्री क्रय (ईंट, सरिया, सीमेंट, बजरफुट)	190000.00
2	हैण्ड पम्प मरम्मत	10000.00
3	मिटटी का कार्य	25000.00
4	प्रशासनिक व्यय	5000.00
5	बैंक चार्ज/कटौती	182.98
6	प्रधान मानदेय	12500.00
7	मजदूरी पर भुगतान	48100.00
8	विज्ञापन व्यय	6000.00
9.	शौचालय निर्माण	18000.00
10.	फोटो स्टेट	1800.00
	योग	316582.98

लीलौर बुजुर्ग विकास खण्ड रामनगर

(सा०आ०सं०- 20)

प्रस्तर 8(2)— दिनांक 12.6.15 को क्रमशः रुपया 5000 एवं 5000 बैंक से कुल 10000. आहरित कर कोषवही प्रथम में अंकित न कर सीधे अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज ग्रा०पं०अधि० वजीर अली व प्रधार धर्मवीर से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

ग्राम पंचायत – लीलौर बुजुर्ग

विकासखण्ड – रामनगर।

प्रस्तर-9 (1)—वर्ष आलोच्य 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम०बी० सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कोटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि 342551.13 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम	विवरण	धनराशि
1	सामग्री क्रय (ईट, सरिया, सीमेंट, बजरफुट)	54000.00
2	हैण्ड पम्प मरम्मत	83890.00
3	मिटटी का कार्य	21000.00
4	ठेली मरम्मत	5000.00
5	बैंक चार्ज/कटौती	51.13.00
6	प्रधान मानदेय	22500.00
7	मजदूरी पर भुगतान	34220.00
8	विज्ञापन व्यय	1000.00
9	प्रशासनिक व्यय	12000.00
10	सफाई हेतु क्रय सामग्री	3500.00
11	डेड स्टॉक (कुर्सी, मेज)	5000.00
12	शौचालय निर्माण हेतु	96000.00
13	फोटो स्टेट/टाइपिंग	4390.00
	योग	342551.13

उत्तरदायी व्यक्ति श्री अबरार ग्राम प्रधान श्री वजीर अली ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। (सा0आ0सं0-20)

ग्राम पंचायत — मझौआ

विकास खण्ड — रामनगर।

प्रस्तर-9 (2)—दिनांक 4.9.15 को क्रमशः 16000. एवं 17000. बैंक से कुल 33000. आहरित कर कोषवही प्रथम में अंकित न कर सीधे अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधि0 वजीर अली व प्रधान अबरार से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-19)

ग्राम पंचायत — मझौआ

विकास खण्ड — रामनगर।

प्रस्तर-10 (1)— वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या कुल 20420100012484 से धन आहरित किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गयी है और न ही व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धन का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित नियमानुसार प्रशासनिक व वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए प्रधान श्री ओमप्रकाश व श्रीमती निनेश कुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीपाल गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	चेक संख्या
1	20.04.15	श्री ओमप्रकाश	10000.00	67
2	21.04.15	श्री श्रीपाल गंगवार	10000.00	69
3	21.05.15	श्री ओमप्रकाश	10000.00	80
4	27.05.15	श्री ओमप्रकाश	10000.00	82
5	18.06.15	श्री ओमप्रकाश	10000.00	90
6	19.03.16	श्रीमती नौनेश कुमारी	10000.00	166
7	29.03.16	श्रीमती नौनेश कुमारी	10000.00	167
8	31.03.16	श्रीमती नौनेश कुमारी	10000.00	171
	योग		80000.00	

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री ओमप्रकाश, श्रीमती निनेश कुमारी ग्राम प्रधान, श्री श्रीपाल गंगवार ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। (सा0आ0सं0-18)

ग्राम पंचायत — धनेली

विकास खण्ड — भोरगढ़।

प्रस्तर-10 (2)— आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, डिलीवरी

चालान आदि लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कोटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।

क्रम	मद जिसमें धनराशि व्यय दर्शित है	धनराशि
1	ईट क्रय	180000.00
2	रेता, बजरी, सीमेंट आदि क्रय पर व्यय	52125.00
3	ठेली मरम्मत, हैण्ड पम्प मरम्मत, आदि पर व्यय	14267.00
	योग	246392.00

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि अंकन रू० 246392.00 बिना बिल/वाउचर, डिलीवरी चालान होने के कारण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनंजय सिंह से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही करते हुए किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-19)

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री ओमप्रकाश, श्रीमती निनेश कुमारी ग्राम प्रधान, श्री श्रीपाल गंगवार ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। (सा०आ०सं०-19)

ग्राम पंचायत — धनेली

विकास खण्ड — भोरगढ़।

प्रस्तर-11 (1)— वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 20420100012489 से धन आहरित किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गयी है और न ही व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धन का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित नियमानुसार प्रशासनिक व वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए प्रधान श्री साधूराम व श्री हरस्वरूप तथा ग्रा०पं०अधि० श्री श्रीपाल गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	चेक संख्या
1	20.04.15	श्री साधूराम	10000.00	55
2	21.04.15	श्री श्रीपाल गंगवार	10000.00	57
3	17.06.15	श्री साधूराम	10000.00	66
4	18.03.15	श्री हरस्वरूप	10000.00	93
5	21.03.15	श्री हरस्वरूप	10000.00	95
	योग		50000.00	

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री साधूराम श्री हरस्वरूप ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल गंगवार ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। (सा०आ०सं०-20)

ग्राम पंचायत — रास

विकास खण्ड — भोरगढ़।

प्रस्तर-11 (2)— आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कोटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।

क्रम	मद जिसमें धनराशि व्यय दर्शित है	धनराशि
1	ईट क्रय	131000.00
2	रेता, बजरी, सीमेंट आदि क्रय पर व्यय	15000.00
3	ठेली मरम्मत, हैण्ड पम्प मरम्मत, आदि पर व्यय	6770.00
	योग	152770.00

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि अंकन रु0 152770.00 बिना बिल/वाउचर, डिलीवरी चालान होने के कारण धनराशि का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री धनंजय सिंह से नियमानुसार दण्डात्मक प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही करते हुए किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री साधूराम, श्री हरस्वरूप ग्राम प्रधान, श्री श्रीपाल गंगवार ग्राम पंचायत अधिकारी है।

(सा0आ0सं0-21)

ग्राम पंचायत – रास

विकास खण्ड – भोरगढ़।

प्रस्तर-12- वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 135170100015558 से 33000.00 नकद धन आहरित किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं पायी गयी तथा इस आहरित धनराशि से कराये गये कार्य के संबंध में कोई अभिलेख जैसे कार्य कहाँ-कहाँ कराये गये का विवरण, वाउचर, मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि अंकन रु0 33000.00 का गबन/अपहरण सचिव तथा प्रधान द्वारा किया गया। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित संबंधित से अपेक्षित है।

क्रम	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	चेक संख्या
1	08.05.15	श्री वेदप्रकाश	10000.00	225
2	07.09.15	श्री वेदप्रकाश	5000.00	256
3	10.9.15	श्री ओमप्रकाश	5000.00	258
4	11.9.15	श्री ओमप्रकाश	5000.00	260
5	23.9.15	श्री ओमप्रकाश	3000.00	263
6	22.3.16	श्री ओमप्रकाश	5000.00	268
योग			33000.00	

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री वेदप्रकाश ग्राम प्रधान, श्री ओमप्रकाश ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

(सा0आ0सं0-14)

ग्राम पंचायत – मोहम्मदपुर

विकास खण्ड – भोरगढ़।

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत छितौनिया में ग्राम निधि से कुल 352900.00 रु0 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मास्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्तीमेट, डी0पी0सी0-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए0डी0ओ0 पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री पीतमराम, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए0डी0ओ0 पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 352900.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री पीतम राम प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए0डी0ओ0 पंचायत हैं।

ग्राम पंचायत – छितौनिया

विकास खण्ड – बहेड़ी।

प्रस्तर-14- आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत भिलइया में ग्राम निधि से कुल 411200.00 रु0 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मास्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्तीमेट, डी0पी0सी0-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा

आई0पी0सी0 की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए0डी0ओ0 पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री भगवान दास एवं श्री कैलाश, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए0डी0ओ0 पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 411200.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवान दास एवं श्री कैलाश प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए0डी0ओ0 पंचायत हैं।

(सा0आ0सं0)

ग्राम पंचायत – भिलैइया

विकास खण्ड – बहेड़ी

प्रस्तर-15—आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत करीमगंज में ग्राम निधि से कुल 337500.00 रु0 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी0पी0सी0-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए0डी0ओ0 पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री भूपिन्दर सिंह एवं श्रीमती राना, सचिव श्री मजहर अली एवं ए0डी0ओ0 पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 337500.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपिन्दर एवं श्रीमती राना प्रधान, श्री मजहर अली सचिव, श्री हिफाजत अली ए0डी0ओ0 पंचायत हैं

(सा0आ0सं0-06)

ग्राम पंचायत – करीमगंज

विकास खण्ड – बहेड़ी।

प्रस्तर-16— आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत भोजपुर जोगीठेर में ग्राम निधि से कुल 213600.00 रु0 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी0पी0सी0-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए0डी0ओ0 पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री मोहनलाल एवं श्री महावीर, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए0डी0ओ0 पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 213600.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री मोहन लाल, श्री महावीर प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए0डी0ओ0 पंचायत हैं।

ग्राम पंचायत — भोजपुर जोगीठेर

विकास खण्ड — बहेड़ी।

प्रस्तर-17— आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत अखा में ग्राम निधि से कुल 351800.00 रु० का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी०पी०सी०-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा आई०पी०सी० की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए०डी०ओ० पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री रोशनलाल एवं श्री देवदत्त, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए०डी०ओ० पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 351800.00.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री रोशनलाल एवं श्री देवदत्त प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए०डी०ओ० पंचायत हैं।

ग्राम पंचायत — अखा

विकास खण्ड — बहेड़ी।

प्रस्तर-18— आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत विषनपुर गुलडिया में ग्राम निधि से कुल 405500.00 रु० का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी०पी०सी०-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा आई०पी०सी० की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए०डी०ओ० पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती रामप्यारी एवं श्री पोपराम, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए०डी०ओ० पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 405500.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती रामप्यारी, श्री पोपराम प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए०डी०ओ० पंचायत हैं।

ग्राम पंचायत — विशनपुर गुलडिया

विकास खण्ड — बहेड़ी।

प्रस्तर-19— आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत मल्हपुर सबराह में ग्राम निधि से कुल 242200.00 रु० का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी०पी०सी०-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा आई०पी०सी० की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए०डी०ओ० पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है।

उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं श्री लीलाधर, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए०डी०ओ० पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 242200.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है। इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती रामवती, श्री लीलाधर प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए०डी०ओ० पंचायत हैं।

ग्राम पंचायत — मल्हपुर सवराहा

विकास खण्ड — बहेड़ी।

प्रस्तर-20—आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत गरीबपुरा में ग्राम निधि से कुल 371650.00 रु० का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी०पी०सी०-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा आई०पी०सी० की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए०डी०ओ० पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला एवं श्रीमती सन्तोष भारती, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए०डी०ओ० पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 371650.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती शकुन्तला एवं श्रीमती सन्तोष भारती प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए०डी०ओ० पंचायत हैं।

(सा०आ०सं०-06)

ग्राम पंचायत — गरीबपुरा

विकास खण्ड — बहेड़ी।

प्रस्तर-21—आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत पुनई में ग्राम निधि से कुल 375600.00 रु० का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी०पी०सी०-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा आई०पी०सी० की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए०डी०ओ० पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती ओम वती एवं श्री चन्द्रपाल, सचिव श्री विपिन सक्सेना एवं ए०डी०ओ० पंचायत श्री हिफाजत से रुपये 375600.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ओमवती एवं श्री चन्द्रपाल प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव, श्री हिफाजत अली ए०डी०ओ० पंचायत हैं।

ग्राम पंचायत — पुनई

विकास खण्ड — बहेड़ी।

प्रस्तर-22(1)—आलोच्य वर्ष 2015-16 में गाम पंचायत रतनपुर उर्फ नौडान्डी में ग्राम निधि से कुल 219000.00 रु० का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी०पी०सी०-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा आई०पी०सी० की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया

जा सकेगा। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए०डी०ओ० पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री गुरुमुख सिंह एवं श्री सुन्दरलाल, सचिव व ए०डी०ओ० पंचायत श्री मजहर अली रुपये 219000.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री गुरुमुख सिंह एवं श्री सुन्दरलाल प्रधान, श्री मजहर अली सचिव तथा ए०डी०ओ० पंचायत हैं।

(सा०आ०संख्या-०६)

ग्राम पंचायत – रतनपुरी उर्फ नौडांडी

विकास खण्ड – बहेड़ी।

प्रस्तर-22(2)—आलोच्य वर्ष 2015-16 में अरमान ब्रिक्स को 57900.00 एवं चौद ब्रिक्स को 81500.00 कुल 139400.00 विभिन्न तिथियों में नियमों की अवहेलना कर भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में भुगतान प्रमाण पत्र, स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, बजट, स्टॉक रजिस्टर, [टेण्डर/कोटेशन](#) आदि अनुपलब्ध रहे। जिसके कारण किया गया भुगतान काल्पनिक व फर्जी रहा। स्पष्ट है कि रु० 139400.00 का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है।

अतः रु० 139400.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी, श्री मजहर अली एवं ग्राम प्रधान श्री गुरुमुख से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है। इस प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उत्तरदायी व्यक्ति श्री गुरुमुख सिंह एवं श्री सुन्दरलाल प्रधान, श्री मजहर अली सचिव तथा ए०डी०ओ० पंचायत हैं।

(सा०आ०संख्या-०७)

ग्राम पंचायत – रतनपुर उर्फ नौडांडी

विकास खण्ड – बहेड़ी।

प्रस्तर-23— वर्ष आलोच्य में दिनांक 01.04.15 से दिनांक 08.9.15 तक किये गये खाते से आहरित रूपये 295990.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में रोकड़ वही, व्यय प्रमाणक, स्वीकृत कार्य योजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, [टेण्डर/कोटेशन](#) पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। आहरित धनराशि रु० 295990.00 के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में समस्त आहरित धनराशि का अपहरण स्पष्ट है। अतः इस प्रकार के [गबन/अपहरण](#) के संबंध में उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान व सचिव से रु० 295990.00 की धनराशि ब्याज सहित वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूल किये जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती पुष्पा, श्री सुरजपाल प्रधान, श्री विपिन सक्सेना सचिव हैं। (सा०आ०सं०-29)

ग्राम पंचायत – खुटिया

विकास खण्ड – बहेड़ी।

प्रस्तर-24— आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत ग्वारी में ग्राम निधि से कुल 513579.98 रु० का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, बजट, स्टॉक पंजिका, क्रय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, [टेण्डर/कोटेशन](#) पत्रावली, स्वीकृत इस्टीमेट, डी०पी०सी०-9 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्राविधान है। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा आई०पी०सी० की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका अनुपलब्ध रही। ए०डी०ओ० पंचायत की नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार, सचिव श्री सुखलाल से रुपये 513579.98 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की कार्यवाही किये जाने की ओर विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज कुमार प्रधान, श्री सुखलाल सचिव हैं।

(सा0आ0संख्या-41)

ग्राम पंचायत – ग्वारी

विकास खण्ड – बहेड़ी।

प्रस्तर-25— समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार ईट, सीमेंट, मोरंग एवं बजरफुट का क्रय किया जाना कोषवही में अंकित है।

क्रम	विवरण	धनराशि
1	ईट क्रय	539889.00
2	सीमेंट, मोरंग, रेता एवं सरिया अन्य सामान	382810.00
3	ट्रैक्टर ट्राली भाड़ा	114500.00
4	हार्ड मास्ट लाईट	8000.00
	योग	1045199.00

क्रय की गयी निर्माण सामग्री हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित नहीं किये गये हैं। जो विशेष आपत्तिजनक है। सामग्री नियमावली के अनुसार/निर्देशानुसार निर्माण हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित कर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर पर टेण्डर/कोटेशन स्वीकृत होने पर सामग्री क्रय की जानी चाहिये थी। परन्तु इस नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की गयी है। जो कि गम्भीर रूप से अनियमितता का विषय है। इस संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध समिति एवं विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती मैना देवी प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह सचिव हैं।

(सा0आ0संख्या-28)

ग्राम पंचायत – ताराखास

विकास खण्ड – फरीदपुर।

प्रस्तर-26— कादरगंज (फरीदपुर)

समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार ईट, सीमेंट, मोरंग एवं बजरफुट का क्रय किया जाना कोष वही में अंकित है।

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	ईट क्रय	135000.00
2	सीमेंट, मोरंग रेता एवं सरिया अन्य सामान	23500.00
3	ट्रैक्टर ट्राली भाड़ा	15000.00
	योग—	173500.00

क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित नहीं किये गये हैं। जो विशेष आपत्तिजनक है। सामग्री नियमावली के अनुसार/निर्देशानुसार निर्माण हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित कर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर पर टेण्डर/कोटेशन स्वीकृत होने पर सामग्री क्रय की जानी चाहिये थी। परन्तु इस नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की गयी है। जो कि गम्भीर रूप से अनियमितता का विषय है। इस सम्बन्ध में श्रीमती सत्यवती, प्रधान व श्री सुरेश बाबु सक्सेना, सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध समिति एवं विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0-29)

जनपद का नाम — पीलीभीत

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :-

प्रस्तर संख्या — 01 :- लेखा परीक्षा वर्ष— 2011-12 में चैक संख्या— 500514 दिनांक 29.04.2011 के द्वारा ` 100000-00 का भुगतान मैसर्स त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड बिलसण्डा को किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में संस्था का बिल उपलब्ध नहीं रहा। जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस किस की ईटें, किस संख्या में क्रय की गई हैं एवं ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, आपूर्ति चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक /उपभोग पंजिका, सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण, रिपोर्ट आदि के अभाव में यह अस्पष्ट रहा कि इन ईटों का प्रयोग कहाँ हुआ है। स्पष्ट है कि फर्म से साठ-गाठ कर धन का अपहरण किया गया है। अतः ` 1-00 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री बाबू राम से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-पिपरगहना सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या— 02:-(क) लेखा परीक्षा वर्ष— 2011-12 में निम्न विवरणानुसार श्री मुन्नालाल के नाम धन आहरित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि
1	500519	20.07.2011	50000.00	5	504006	21.01.2012	10000.00
2	500520	22.10.2011	30000.00			योग	175000.00
3	504003	30.11.2011	35000.00				
4	504004	14.01.2011	50000.00				

इस प्रकार स्पष्ट है 175000.00 का आहरण श्री मुन्ना लाल द्वारा किया गया है। यह मुन्ना लाल कौन है? स्पष्ट नहीं हो सका। इस आहरण के सापेक्ष क्या कार्य कराया गया वह भी अभिलेखों के अभाव में अस्पष्ट रहा। अतः 175000-00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ख) इसी प्रकार चैक सं०- 500513 दिनांक- 28.04.2011 से 100000-00 श्री सुनील के नाम, चैक संख्या- 500516 दिनांक- 10.05.2011 से 70000-00 श्री कन्हई लाल के नाम, एवं चैक संख्या- 500517 दिनांक- 01.06.2011 से 25000-00 श्री प्रहलाद सिंह के नाम (कुल 195000-00) आहरित कराया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि इस धन का उपभोग कहाँ किया गया है। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-पिपरगहना सा०आ०सं०-15)

प्रस्तर संख्या- 03 :-लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14 में दिनांक- 06.02.2014 को 15000-00 का भुगतान श्री राम निवास मिश्रा (नल मिस्त्री) को किया गया है, जिसकी पुष्टि में बिल उपलब्ध नहीं रहा जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि कितने नल, कहाँ-कहाँ पर ठीक कराये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन का अपहरण किया गया है। अतः 15000-00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से की जानी अपेक्षित। (ग्राम पंचायत-पिपरगहना सा०आ०सं०-16)

प्रस्तर संख्या- 04 :-इसी प्रकार श्री देवेश कुमार के नाम निम्न विवरण धन नकद आहरित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि
1	11	26.06.2013	62000.00	5	34	13.02.2014	20000.00
2	21	09.10.2013	20000.00	6	36	17.02.2014	10500.00
3	22	17.10.2013	17000.00			योग	155500.00
4	27	22.01.2014	26000.00				

(ख) इसी प्रकार श्री राजेश सिंह के नाम भी चैक संख्या- 16 दिनांक- 10.08.2013 एवं 17 दिनांक- 20.08.2013 के द्वारा क्रमशः 50000.00 एवं 30000.00 कुल 80000-00 का आहरण किया गया है।

उक्त आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि संदर्भित आहरण के सापेक्ष क्या कार्य करवाया गया अथवा क्या सामग्री कय की गयी है। स्पष्ट है कि मानमाने ढंग से आहरण कराकर धन का आहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से की जानी अपेक्षित (कुल धनराशि) 155500.00, 80000.00 त्र 23,55,00.00

(ग्राम पंचायत-पिपरगहना सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर संख्या- 05 :-वर्ष- 2014-15 में भी निम्न विवरणानुसार नकद धन आहरित किया गा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) श्री अरविन्द कुमार के नाम			(ख) श्री देवेश के नाम		
चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक सं०	दिनांक	धनराशि
41	05.04.2014	25000.00	43	12.04.2014	11000.00
39	09.04.2014	5000.00	52	12.06.2014	21000.00
46	22.04.2014	30000.00	59	01.08.2014	16000.00
48	26.04.2014	9000.00	61	26.08.2014	31000.00
49	15.05.2014	7000.00	63	22.08.2014	22000.00
56	18.06.2014	8000.00		योग	101000.00
	योग	84000.00			

(ग) श्री धर्मपाल के नाम			(घ) श्री रामपाल के नाम		
चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक सं०	दिनांक	धनराशि
57	25.06.2014	10000.00	47	24.04.2014	25000.00
64	08.09.2014	15000.00		योग	25000.00
	योग	25000.00			

(ङ) श्री प्रदीप कुमार के नाम

चैक सं०	दिनांक	धनराशि
60	05.08.2014	30000.00
	योग	30000.00

इस प्रकार क + ख + ग + घ + ङ तक कुल 2,65,000.00 का आहरण अलग-अलग नामों से किया गया है, जिसके सापेक्ष क्या-क्या सामग्री कय की गयी एवं क्या कार्य कराया गया है की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना प्रस्ताव पंजिका, कय आदेश आपूर्ति चालान, बिल वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि मानमाने ढंग से धन का नकद आहरण करारकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से की जानी अपेक्षित है। (ग्राम पंचायत-पिपरगहना सा०आ०सं०-18) प्रस्तर संख्या- 06 :- लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में अलग-अलग नामों से निम्न विवरणानुसार धन का आहरण बैंक से किया गया है :-

1. श्री बाबू राम (प्रधान) द्वारा			3. श्री अरविन्द कुमार के द्वारा		
चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक सं०	दिनांक	धनराशि
91	07.09.2015	15000.00	86	16.04.2015	25000.00
95	16.09.2015	5000.00	101	15.10.2015	17000.00
98	24.09.2015	4500.00		योग	42000.00
514241	26.11.2015	90000.00	4. श्री लाला राम द्वारा		
	योग	114500.00	105	07.11.2015	75000.00
2. श्री प्रमोद सिंह द्वारा			5. श्री रामू द्वारा		
87	17.04.2015	19000.00	97	24.09.2015	5000.00
90	04.09.2015	14000.00	99	08.10.2015	10000.00
	योग	33000.00	100	14.10.2015	10000.00
6. ईट कय			102	04.11.2015	5000.00
89	04.09.2015	21200.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	योग	30000.00
103	07.11.2015	200000.00			
	योग	2,21,200.00			
7. गौरव एजेन्सी					
104	09.11.2015	200000.00			
514242	30.11.2015	50000.00			
	योग	250000.00			

8. अन्य को ट्रान्सफरके द्वारा :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	लाभार्थी का खाता संख्या/नाम
88	17.04.2015	30000.00	2 / 17
92	08.09.2015	31800.00	2 / 34
	योग	61800.00	

इस प्रकार कम संख्या- 01 से 08 तक कुल 827500.00का आहरण ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार के कार्यकाल में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खात संख्या- 16410100005772 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नॉद से किया गया है उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ पायी गई :-

(क) अभिलेखों के अभाव में यह अस्पष्ट रहा कि उक्त आहरण के सापेक्ष क्या-क्या सामग्री किस मात्रा में कय की गई और क्या कार्य कराया गया। अनुमोदित

(ख) अभिलेख-कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कय आदेश, आपूर्ति चालान, बिल वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि।

(ग) ग्राम पंचायत में अन्तेष्टि स्थल का भी निर्माण कराया गया है, जिससे सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रस्ताव पंजिका, सामग्री स्टॉक पंजिका, क्रय आदेश, आपूर्ति चालान, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण यह अपुष्ट रहा कि कार्य की प्रगति क्या है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार को विभाग द्वारा अन्तेष्टि स्थल निर्माण में की गई अनियमितता को संज्ञान लेते हुए निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश उपलब्ध नहीं रहने के कारण वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही। स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से एवं फर्मों से सॉट-गॉट कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-पिपरगहना सा0आ0सं0-19)

प्रस्तर संख्या- 07:- नव नियुक्त ग्राम प्रधान श्री दयाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव प्रकाश के कार्यकाल में निम्न विवरणानुसार धन का आहरण किया है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	धन प्राप्तकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम
1	112	30.03.2016	12000.00	देवेश कुमार
2	111	30.03.2016	96600.00	लालू सिंह
3	108	30.03.2016	96000.00	मैसर्स कृषि विकास केन्द्र
4	109	30.03.2016	100000.00	सैनिक ब्रिक फील्ड
5	110	30.03.2016	100000.00	सैनिक ब्रिक फील्ड
6	116	31.03.2016/04.04.2016	50000.00	देवेश कुमार
		योग	454600.00	

कुल आहरण 454600.00 के सापेक्ष क्या कार्य कराया गया एवं क्या-क्या सामग्री किस मात्रा से क्रय की गयी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, प्राक्कलन कार्य का नाम (आय सहित) क्रय आदेश, फर्म का आपूर्ति चालान, बिल वाउचर माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना अनुमोदित कार्य योजना के मनमाने ढंग से, फर्मों से सॉट-गॉट कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दयाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-पिपरगहना सा0आ0सं0-20)

प्रस्तर संख्या- 08 :- लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में निम्न विवरण अनुसार भुगतान ईट खरीद हेतु किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	बिल सं0	फर्म का नाम	व्यय प्रमाणक
223470	15.04.2014	160,000.00	अप्राप्त	स्टार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
223709	09.05.2014	375,000.00	अप्राप्त	आजहिन्द ब्रिक्स	अप्राप्त
223710	09.05.2014	360,000.00	अप्राप्त	आजहिन्द ब्रिक्स	अप्राप्त
223717	19.06.2014	124,000.00	अप्राप्त	स्टार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
223716	19.06.2014	320,000.00	अप्राप्त	स्टार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
226574	10.11.2014	435,000.0	अप्राप्त	आजहिन्द ब्रिक्स	अप्राप्त
226575	16.12.2014	210,500.00	अप्राप्त	आजहिन्द ब्रिक्स	अप्राप्त
225189	18.02.2015	320,000.00	अप्राप्त	स्टार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
	योग	23,04,500.00			

सामग्री क्रय :- चैक संख्या- 225188 दिनांक- 30.01.2015 के द्वारा सिंह एण्ड कम्पनी को 350,000.00 का भुगतान किया जान दर्शित है। इस प्रकार कुल सामग्री खरीद 2,26,54,500.00 की वर्ष दौरान की जानी दर्शित है, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कोटेशन/टेंडर शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-0-15(1)16 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख से ऊपर की सामग्री खरीद हेतु टेन्डर आमंत्रित किये जाने अनिवार्य है, जो नहीं किये गये, सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालान, स्टोर/स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त सामग्री क्रय किया जाना अपुष्ट रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम- 1961 की धारा- 194 (सी) के अनुसार 2.26 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 एवं उत्तर प्रदेश

सरकार, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, शासनादेश सं0-क0नि0-2-1315/ग्यारह-4 (107/108)उ0प्र0 अधि0-05.2008र-आदेश-(101)-2013 लखनऊ, दिनांक- 07.10.2013 के अनुसार 4.1 वेट की कटौती कर शेष का भुगतान किया जाना था। (2654500 ग 6ण26: त्र 166171ण70 के राजस्व की क्षति) की पुष्टि भी उपलब्ध अभिलेखों से नहीं हो सकी। अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानमाने ढंग से फर्मों से सौंठ-गौंठ कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां से की जानी अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सक्षम विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पंचायत राज अधिनियम की संसंगत धाराओं के अन्तर्गत किया गया होता तो धन के अपहरण को रोका जा सकता था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर संख्या- 09:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार धनराशि अन्य संस्थाओं को संक्षरित की गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	बिल सं0	व्यय प्रमाणक
223713	19.06.2014	75900.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
225187	29.01.2015	75000.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
225181	29.01.2015	450000.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
225193	20.03.2015	330000.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	योग	930900.00			

उक्त हस्तान्तरण की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस संस्था से कितनी मात्रा में क्या सामग्री क्रय की गई है एवं धनराशि किस उद्देश्य हेतु हस्तान्तरित की गई तथा इससे सम्बन्धित विभागीय आदेश/स्वीकृत, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि के अभाव में 930900.00 का हस्तान्तरण पूर्णतया: अप्रमाणित रहा। अतः 930900.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर संख्या- 10 :- लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में निम्न विवरण अनुसार धन की अमानत वसूल (ग्राम रोजगार सेवक) द्वारा नगद आहरण कराकर व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	धन प्राप्तकर्ता का नाम
223468	15.04.2014	50300.00	श्री अमानत रसूल
223407	09.05.2014	50000.0	श्री अमानत रसूल
226567	10.11.2014	13500.00	श्री अमानत रसूल
	योग	113800.00	

अतः विवरण से स्पष्ट है कि धन श्री अमानत रसूल द्वारा बैंक से नकद आहरित किया गया है। श्री अमानत रोजगार सेवक, मनरेगा योजना से कार्य कराये जाने हेतु अधिकृत है। ग्राम निधि से आहरण का अधिकार केवल ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को है। इस प्रकार है स्पष्ट है कि अनाधिकृत व्यक्ति से नकद धन आहरित कराकर लेखा वही में व्यय दर्शा कर (व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया) धन का आहरण किया गया। अतः 113800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या-11:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में निम्न विवरण अनुसार श्री शब्बीर खान के द्वारा नकद धन आहरण कराकर व्यय दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह अपुष्ट रहा कि इस धनराशि से क्या कार्य कराया गया अथवा किस मात्रा में क्या सामग्री क्रय की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट रहा कि मानमाने ढंग से आहरण कराकर, व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। विवरण इस प्रकार से है कि :

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	धन प्राप्तकर्ता का नाम
223471	19.04.2014	60000.00	श्री शब्बीर खान
223478	16.05.2014	185000.00	श्री शब्बीर खान
223714	20.06.2014	37200.00	श्री शब्बीर खान
	योग	282200.00	

अतः 282200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-13)

प्रस्तर संख्या-12 :- इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में श्री इफतेकार खान के द्वारा नकद धन आहरित कराकर धन का व्यय दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह अपुष्ट रहा कि श्री इफतेकार खान को भुगतान किस आधार पर किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट रहा कि मानमाने ढंग से धन आहरण कराकर, व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, विवरण इस प्रकार है :-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	धन प्राप्तकर्ता का नाम
223472	26.04.2014	20000.00	श्री इफतेकार खान/अहमद
223479	12.05.2014	120000.00	श्री इफतेकार खान/अहमद
226569	11.11.2014	13000.00	श्री इफतेकार खान/अहमद
226576	15.12.2014	80000.00	श्री इफतेकार खान/अहमद
225183	30.01.2015	200000.0	श्री इफतेकार खान/अहमद
225196	24.03.2015	25000.00	श्री इफतेकार खान/अहमद
	योग	4,58,000.00	

अतः 458000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या-13 :- लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कैश बुका वाउचर	फर्म का बिल	क्रय सामग्री का विवरण
225194	15.04.2015	150000.00	मै0 पुनीत ट्रेडर्स	01 / 15.04.2015	478 / 15.04. 2015	सीमेंट मोरंग 410 x 30 = 123000
225200	01.05.2015	14400.00	असफाक राज मिस्त्री	03 / 01.05.2015	—	राज मिस्त्री 14,400
225199	01.05.2015	75000.00	आजहिन्द ब्रिक फील्ड	02 / 01.05.2015	179 / 01.05. 2015	ईट अब्बल 15000 x 5000 = 75000
					योग	2,39,400

(क) उक्त की जांच में पाया गया कि चैक संख्या- 225194 की धनराशि का दिनांक 15.04.2015 में बैंक अनुसार हस्तान्तरण होना दर्शित है। यह किस संस्था अथवा खाते में हुआ है। पुष्टि नहीं कराया जा सका। परन्तु कैश बुक के व्यय पक्ष में मैसर्स पुनीत ट्रेडर्स, खीटीमा रोड, माधौटांडा, पीलीभीत के बिल संख्या- 478 दिनांक- 15.04.2015 से सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया है। जबकि यह संस्था लगभग 02 वर्ष पूर्व बंद हरो चुकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धनराशि हस्तान्तरित कहीं और हुई है और बिल बन्द हो चुकी संस्था का लगाकर धन का आहरण किया गया है।

(ख) वाउचर नं0- 2 दिनांक- 01.05.2015 से आजहिन्द ब्रिक फील्ड, शेरपुर कलां पूरनपुर के बिल संख्या- 179 दिनांक- 01.05.2015 से ईट क्रय दर्शित है, जबकि उक्त फर्म को बिल नं0- 161 दिनांक- 24.09.2015 में लगा है, अतः बिल फर्जी है।

(ग) राज मिस्त्री को किस कार्य का भुगतान हुआ है, यह संलग्न वाउचर से स्पष्ट नहीं हो सका। जबकि वाउचर पर कार्य की अवधि एवं माप अंकित किया जाना अपेक्षित था।

(घ) उक्त विवरणमें अब्बल ईट क्रय किया जाना दर्शित है, इससे स्पष्ट है कि नाली का ही निर्माण हुआ होगा, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, आपूर्ति चालान, स्टोर/स्टॉक पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण आदि के अभाव में एवं संस्थाओं के फर्जी बिल दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां से 239400.00 से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-15)

प्रस्तर संख्या-14 :- चैक सं0- 665201 दिनांक- 07.09.2015 के द्वारा 102000.00 का नकद आहरण बैंक से श्री अमानत रसूल रोजगार सेवक से कराकर रफत खां बज्जा के घर से वहीद कोटेदार के घर तक नाली व खडंजा कार्य (105 मी0 X 4 मी0) का लेबर भुगतान किया जाना व्यय प्रमाणक संख्या- 4 दिनांक- 07.09.

2015 से किया जाना दर्शित है। एम0आर0 कार्य की अवधि 22.08.2015 से 22.09.2015 अंकित है तथा उपस्थिति 01 से 30 तारीख तक अंकित है। व्यय प्रमाणक में 20 मजदूर दर्ज है। कुल 510 दिवस 200.00 प्रतिदिन की दर से कुल 102000.00 का भुगतान किया गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत—शेरपुर कलां, सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर संख्या—15 :—चैक संख्या— 665203 दिनांक— 23.09.2015 के द्वारा 100000.00 का भुगतान मैसर्स अनीस सीमेन्ट स्टोर को बैंक द्वारा किया गया है, परन्तु वाउचर सं0— 05 दिनांक— 23.09.2015 के द्वारा इस धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्स पुनीत ट्रेडर्स, खटीमा रोड, माधौटांडा रोड, पीलीभीत को फर्म के बल संख्या— 499 दिनांक— 23.09.2015, 300 बोरी सीमेन्ट स्टोर को बैंक द्वारा किया गया है, परन्तु वाउचर संख— 5 दिनांक— 23.09.2015 के द्वारा इस धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्स पुनीत ट्रेडर्स, खटीमा रोड, माधौटांडा रोड पीलीभीत को फर्म के बल संत्र— 499 दिनांक— 23.09.2015, 300 बोरी सीमेन्ट, 300/बोरी की दर से 90000.00 एवं 100 कुन्तल मोरंग, 100/कु0 की दर से 10000.00 कुल 100000.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। इस सामग्री का प्रयोग कहाँ हुआ है कि पुष्टि नहीं करायी जा सकी, स्पष्ट है कि धन के अपहरण के उद्देश्य से चैक एक फर्म को दिया और बिल दूसरी फर्म का प्रयोग किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था लगभग 82 वर्ष पूर्व ही बंद हो चुकी है। तथा बल संख— 497 दिनांक— 24.09.2015 में प्रयोग किया गया है। अतः 100000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत—शेरपुर कलां, सा0आ0सं0—17)

प्रस्तर संख्या—16 :— लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16 में मोइन खान के घर से मोहम्म अहमद के घर तक नाली एवं खडंजा निर्माण (180 मी0 x 4 मी0) हेतु निम्न विवरण अनुसार व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण अधोलिखित है :—

(क) चैक संख्या— 665202 दिनांक— 24.09.2015 के द्वारा 350000.00 का भुगतान मैसर्स आज हिन्द ब्रिक फील्ड, ग्राम शेरपुर कलां पुरनपुर, पीलीभीत को बिल नं0— 161 दिनांक— 24.09.2015 के द्वारा किया गया है। कैश बुक में व्यय प्रमाणक संख्या— 07/24.09.2015 से यह खरीद दर्ज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था का बिल नं0—179 दिनांक— 01.05.2015 में जारी हुआ है, विवरण निम्नवत् है :—

60,000 ईट खडंजा 4000/हजार की दर से 240000.00

20,000 ईट खडंजा प्रथम 5000/हजार की दर से 100000.00

100 कुन्तर रोडा 100/कुन्तल की दर से 10000.00

योग— 350000.00

(ख) चैक सं0— 665206 दिनांक— 24.09.2015 के द्वारा 245000.00 का नकद भुगतान श्री इफ्तकखार खां द्वारा लिया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक सं0—09 दिनांक— 24.09.2015 के द्वारा मैसर्स पुनीत ट्रेडर्स खटीमा रोड, माधौटांडा पीलीभीत के बिल संख्या— 497 दिनांक— 24.09.2015 से निम्न सामग्री क्रय किया गया है, जबकि फर्म को भुगतान चैक के माध्यम से किय जाना चाहिए था। विवरण इस प्रकार है :—

सीमेन्ट 430 बोरी 300/बोरी की दर से 129000.00

मोरिंग 600 कुन्तल 100/कुन्तल की दर से 60000.00

बजरी 250 कुन्तल 250/कुन्तल की दर से 25000.00

सरिया 7.38 कुन्तल 4200/कुन्तल की दर से 30996.00

योग 244996.00

(ग) चैक संख्या— 665204 दिनांक— 24.09.2015 से 265000.00 का भुगतान अमानत रसूल (रोजगार सेवक) ने बैंक से नकद आहरित कर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है। जबकि रोजगार सेवक नकद आहरण हेतु अधिकृत नहीं है। मोइन खां के घर से मो0 अहमद के घर तक 360 मी0 नाली निर्माण कार्य :—

एम.आर. अनुसार 20 मजदूर 30 दिन प्रत्येक 200/की दर से 120000.00

एम.आर. अनुसार 12 मजदूर 20 दिन प्रत्येक 200/की दर से 48000.00

योग 168000.00

राजमिस्त्री का भुगतान निम्न विवरण अनुसार :-

1. सलमान खां 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान
2. शाहिद खां 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान
3. इमरान खां 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान
4. आरिफ खां 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान
5. अशफाक खां 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान
6. चाँद मियाँ 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान
7. शीनू खां 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान
8. अजमत खां 42 दिन X 300	12600.00	24.09.2015 को भुगतान

योग 97000.00

कुल व्यय	राजमिस्त्री	97000.00
	लेवर	168000.00
योग		265000.00

उक्त व्यय की पुष्टि में कार्य योजना (अनुमोदित) प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, आपूर्ति चालान, स्टोर/स्टॉक पंजिका, स्टीमेट, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, मापांकन उपलब्ध नहीं कराये जाने से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः 350000.

00 + 265000.00 + 245000.00 कुल 860000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती एवं ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली खां से की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि खंजर ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है स्पष्ट नहीं रहा। 60,000 खंजर ईंटों से $60,000 \div 59$ ईंट प्रति वर्ग मी० के हिसाब से कुल 1016.95 वर्गमी० खंडजा बनाया जा सकता है। जबकि यहाँ प्रस्तावित $180 \times 4 = 720$ वर्गमी० है। इसी प्रकार सामग्री क्रय भी फर्म को सीधे भुगतान की जा सकती थी। लेवर में भी अधिकांश मजदूर पूरनपुर के हैं जबकि कार्य शेरपुर कलां से सम्बन्धित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। कुछ धनराशि रु० 860000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारियों श्री ओमप्रकाश भारती तथा ग्राम प्रधान श्री खुशनोद अली से की जानी चाहिये।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा०आ०सं०-18)

प्रस्तर संख्या-17 :- लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक भी कर रही है, विवरण इस प्रकार से है :-

(क) ईंट क्रय :-

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	व्यय प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	फर्म का बिल
665108	08.02.2016	2,70,000-00	अप्राप्त	अर्जता ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
665209	18.02.2016	2,70,000-00	अप्राप्त	अर्जता ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
665218	23.02.2016	5,40,000-00	अप्राप्त	आज हिन्द ब्रिक्स फील्ड	अप्राप्त
	योग	10,80,000-00			

(ख)

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	व्यय प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	फर्म का बिल
665223	10.03.2016	655500-00	अप्राप्त	राज पाइप इण्डस्ट्रीज	अप्राप्त
	योग	655500-00			

(ग)

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	व्यय प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	फर्म का बिल
665219	23.02.2016	1,10,000-00	अप्राप्त	भारत ट्रेडर्स	अप्राप्त
665222	21.03.2016	24,300-00	अप्राप्त	भारत ट्रेडर्स	अप्राप्त
	योग	1,34,300-00			

इस प्रकार कुल आहरण (क+ख+ग) 18,69,800.00 के द्वारा खरीद के सापेक्ष पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, आपूर्ति कर्ता का चालान एवं प्राप्ति रसीद, संस्था का बिल, स्टोर एवं स्टॉक पंजिका, प्राक्कलन, मापांकन, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कोटेशन/टेन्डर (शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(15) 16 दिनांक- 23.09.2008 के अनुसार) रुपये

एक लाख से ऊपर की सामग्री खरीद हेतु टेन्डर आमंत्रित किये जाने अनिवार्य है, जो नहीं किये गये। आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण, उक्त सामग्री क्रय किया जाना अपुष्ट रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम- 1961 की धाना- 194 (सी) के अन्तर्गत 2.26 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 एवं उ0प्र0 सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-2, शासनादेश संख्या- क0नि0-2-1315/ग्यारह-9 (10)/08 उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश (101)-2013 लखनऊ दिनांक- 07.10.2013 के अनुसार 4 : वेट की कटौती कर शेष का भुगतान किया जाना था। (1869800 ÷ 6.2 : त्र 1170894 के राजस्व की क्षति) की पुष्टि भी उपलब्ध अभिलेखों से नहीं हो सकी। अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से फर्मों से सॉट-गॉट कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-20)

प्रस्तर संख्या-18 :- चैक संख्या- 665207/14.01.2016 से 1,00,000.00 का नकद भुगतान श्री रियाजत नूर खान ने लिया है, बैंक अभिलेखों के अनुसार, जिसार, जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उक्त आहरण अपुष्ट रहा। अतः 1,00,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-शेरपुर कलां, सा0आ0सं0-21)

प्रस्तर संख्या-19 :-लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में पुराने प्रधान श्रीमती सुरजा देवी के द्वारा नकद 57000.00 एवं प्रधान पति श्री तेज बहारदुर गौतम द्वारा 138200.00 (कुल 195200.00) नकद आहरण किया गया है। इस आहरण के सापेक्ष क्या कार्य कराया गया है की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य- योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टॉक/उपयोग पंजिका, क्रय आदेश फर्म का बिल, व्यय प्रमाणिक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में यह अपुष्ट रहा कि क्या सामितिग्री खरीदी गई एवं क्या कार्य कराया गया है। अभिलेखों के अभाव में धन के अपहरण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः 195200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भगवान स्वरूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-धुधौरा, सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या-20 :-इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में दिनांक- 29.01.2015 से 31.03.2015 तक कुल 171494.00 का आहरण ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या- 16410100005796 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा, नौद, पीलीभीत से आहरित किया गया है। इस आहरण के सापेक्ष क्या सामितिग्री क्रय की गई है। अथवा क्या कार्य कराया गया है। अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट था। ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टॉक/उपभोग पंजिका, क्रय आदेश, आपूर्ति चालान फर्म का बिल, व्यय प्रमाणिक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में मद अपुष्ट रहा कि क्या सामितिग्री खरीदी गई एवं क्या कराया गया है। अभिलेखों के अभाव में धन के अपहरण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः 171494.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भगवान स्वरूप/कृष्ण पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-धुधौरा, सा0आ0सं0-15)

प्रस्तर संख्या-21 :-इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14 में दिनांक- 01.04.2013 से 27.05.2013 तक कुल 107750.00 का आहरण ग्राम पंचायत के खाता संख्या- 16410100005796 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नौद, पीलीभीत से किया गया है। इस आहरण के सापेक्ष क्या कार्य कराया गया अथवा क्या-क्या सामितिग्री क्रय की गयी, अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य-योजना, प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, आपूर्ति चालान फर्म का बिल, व्यय प्रमाणिक, स्टॉक/उपभोग पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में मद अपुष्ट रहा कि क्या सामितिग्री खरीदी गयी एवं क्या कार्य कराया गया है। अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि मानमाने ढंग से आहरण कर धन का अपहरण किया गया है। अतः 107750.00 की व ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 रिजवान से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-धुधौरा, सा0आ0सं0-16)

प्रस्तर संख्या-22 :- इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 एवं 2012-13 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या - 16410100005796 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नौद पीलीभीत से क्रमशः 245755.00 एवं 380874.00 का आहरण किया गया है। इस आहरण के सापेक्ष क्या कार्य कराया गया अथवा क्या-क्या सामितिग्री क्रय की गई, अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका,

कय आदेश, आपूर्ति चालान, फर्म का बिल, व्यय प्रमाणक, स्टॉक / उपभोग पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में मद अपुष्ट रहा कि क्या सामग्री खरीदी गई एवं कार्य कराया गया है। अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से आहरण कर धन का अपहरण किया गया है। अतः कुल धनराशि 626629.00, 245755.00, 380874.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-धुधौरा, सा0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या-23 :- इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष- 2010-11 में भी ग्राम निधि खाता सं0-16410100005796 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नौद, पीलीभीत से क्रमशः 165150.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर द्वारा दिनांक- 05.02.2011 से 31.03.2011 तक एवं 205060.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नाजुक बी एवं श्री विजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी) कुल 370210.00 का आहरण किया गया है। इस आहरण के सापेक्ष क्या कार्य कराया गया अथवा क्या-क्या सामग्री कय की गयी। ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका कय आदेश, आपूर्ति चालान फर्म का बिल, व्यय प्रमाणक, स्टॉक / उपभोग पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में मद अपुष्ट रहा कि क्या सामग्री कय की गयी एवं क्या कार्य कराया गया।

अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से आहरण किया गया है। अतः 165150.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर तथा 205060.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजुक बी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-धुधौरा, सा0आ0सं0-18)

प्रस्तर संख्या-24 :- चैक संख्या-464 दिनांक- 05.11.2015 के द्वारा 11000.00 का नकद आहरण रोजगार सेवक श्री लतीफ द्वारा कराकर, कैशबुक में लोहिया आवास की पुताई, लिखवाई, शौचालयों नेम पलेट पर लिखवाई का व्यय दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि कितने आवासों की पुताई, नाम लिखवाई, शौचालयों पर लिखवाई आदि कराया गया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि माह नवम्बर में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया का समय है ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान द्वारा धन आहरित कैसे कराया गया। अतः 11000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मेंहदी हसन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या-25 :- दिनांक- 22.04.2015 पाँच अलग-अलग चैकों से ग्राम प्रधान श्री मेंहदी हसन द्वारा नकद धन आहरित कर कैशबुक में मिट्टी भराव कार्य दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल वउचर, मस्टर रोल आदि उपलब्ध नहीं रहे विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	चैक सं० दिनांक	धनराशि	वाउचर सं० दिनांक	ट्राली की सं० एवं दर	धनराशि	कार्य दर्शित
(अ)	410 / 22.04. 2015	156000.00	अज्ञात	1. 36 ट्राली 800	28800.00	परवेज के घर से शेर खाँ के घर तक वार्ड-2
				2. 49 ट्राली 800	39200.00	इकवाल हुसैन के घर से चूड़ी वाले के घर तक।
				3. 48 ट्राली 800	38400.00	नवी अहमद के घर से मुस्तफा मस्जिद होते हुए रहीस इवने के घर तक वार्ड-2
	410 / 22.04. 2015	156000.00		4. 37 ट्राली 800	29600.00	ब्लॉक रोड से बक्सा फैक्ट्री तक
				5. 25 ट्राली 800	20000.00	रवीना के घर से पुरबिया के घर तक
				योग	156000.00	
(ब)	411 / 22.04. 2015	167200.00	अज्ञात	1. 75 × 800	60000.00	कल्लन के घर से पुरबिया के घर तक वार्ड-2
				2. 96 × 800	44800.00	अनवर की झोपड़ी से पुरबिया के घर तक वार्ड-1

				3. 55 × 800	44000.00	मो0 रफीक के घर से सलीम के घर तक वार्ड-2
				4. 23 × 800	18400.00	पप्पू के घर से टावर के आगे तक वार्ड- 12
				योग	167200.00	
(स)	413 / 22.04. 2015	121600.00	अज्ञात	152 × 800	121600.00	मेबिन मियाँ के घर से जुगल के घर होते हुए बक्शा फैक्ट्री तक।
(द)	415 / 22.04. 2015	32000.00	अज्ञात	40 × 800	32000.00	मुन्ने दर्जी के घर से विद्यालय रोड तक 51 मीटर
(र)	412 / 22.04. 2015	84000.00	अज्ञात	105 × 800	84000.00	इब्राहीम मंसूरी के घर से ब्लाक रोड तक वार्ड-2
	योग	560800.00		योग	560800.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'अ' से 'य' तक कुल 5,60,800.00 का नकद आहरण कर मिट्टी भराव कार्य दर्शाया गया है। मस्टर रोल के अभाव में यह अस्पष्ट राह कि कार्य किस अवधि में कराया गया है एवं कितने मजदूरों द्वारा किस लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई तक मिट्टी कार्य हुआ है। भुगतान ट्रेक्टर/ट्राली मालिक को चैक के माध्यम से किया जा सकता था। अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मेंहदी हसन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-15)

प्रस्तर संख्या-26 :- लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार ईट एवं सामग्री खरीद नकद धन आहरित कर किया जाना दर्शाया गया है। नकद आहरण की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, विवरण निम्न प्रकार से है :-

(अ) ईट खरीद :-

चैक सं0 दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम (बैंक के अनुसार)	बिल सं0	ईट की किस्म	संख्या	दर/हजार	कराया गया कार्य
420 / 07.05.2015	50000.00	अकील अहमद	अप्राप्त	I	10000	5000	विवरण अप्राप्त
452 / 27.08.2015	150000.00	मेंहदी हसन (प्रधान)	अप्राप्त	I	30000	5000	विवरण अप्राप्त
454 / 27.08.2015	150000.00	मेंहदी हसन (प्रधान)	अप्राप्त	I	30000	5000	विवरण अप्राप्त
456 / 27.08.2015	150000.00	मेंहदी हसन (प्रधान)	अप्राप्त	I	30000	5000	विवरण अप्राप्त
458 / 27.08.2015	150000.00	मेंहदी हसन (प्रधान)	अप्राप्त	I	30000	5000	विवरण अप्राप्त
योग	650000.00		योग		130000		

(ब) सामग्री खरीद :-

459 / 27.08.2015	150000.00	शमशाद	अप्राप्त	रेता, सीमेंट, खरीदना
459 / 27.08.2015	150000.00	शमशाद	अप्राप्त	रेता, सीमेंट, खरीदना
457 / 27.08.2015	150000.00	शमशाद	अप्राप्त	रेता, सीमेंट, खरीदना
455 / 27.08.2015	150000.00	शमशाद	अप्राप्त	रेता, सीमेंट, खरीदना
योग	600000.00			

(स) एम0आर0 वास्ते नाली निर्माण:-

460 / 27.08.2015	250000.00	मेंहदी हसन (प्रधान)	90000.00	30.08.2015	नाली निर्माण
			60000.00	30.08.2015	नाली निर्माण
			80000.00	30.08.2015	नाली निर्माण
योग	250000.00		230000.00		

(द) शेष 20,000-00, 30-08-2015 को ढिलिया द्वारा सामान ढुलाई पर व्यय। उक्त विवरण के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां अंकित की जा रही है -

(क) कुल ईट खरीद हेतु नकद धन आहरित कर भुगतान किया गया है। कैश बुक में मैसर्स कादरी ब्रिक फील्ड को भुगतान किया जाना दर्शित है, जबकि यह चैक के माध्यम से होना चाहिए था। 50000-00 का आहरण श्री अकील अहमद एवं 600000-00 का आहरण श्री मेंहदी हसन ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है।

पुष्टि में फर्म का बिल चालान पर्ची अप्राप्त रहने के कारण यह अपुष्ट रहा कि किस किस्म की कितनी ईंटें खरीदी गयी है।

(ख) इसी प्रकार 600000-00 का नकद आहरण श्री शमशाद अहमद से कराकर रेता, बजरी, सीमेंट, महीन रेता खरीद दर्शित है। पुष्टि में फर्म का बिल अप्राप्त रहा। भुगतान भी चेक के माध्यम से नहीं कराया गया है।

(ग) इसी प्रकार दिनांक— 30.08.2015 को 230000-00 का भुगतान एम0आर0 पर दर्शित है। एम0आर0 उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह अज्ञात रहा कि कितने राज मिस्त्री ने किस अवधि में कहां कार्य किया है।

(घ) दिनांक— 30.08.2015 को ढिलिया द्वारा सामान ढुलाई पर व्यय दर्शाया गया है, जबकि प्रायः सामग्री खरीद में दरे कार्य स्थल पर पहुँचती होती है, अतः फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह खरीद किन-किन कार्यों हेतु की गयी है, अस्पष्ट रहा। कार्यों की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पंजिका अनुमोदित कार्य योजना, सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट बिल वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, कोटेशन/टेन्डर सम्बन्धी पत्रावली, स्टॉक/उपयोग पंजिका आदि उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः कुल धनराशि 650000-00 + 600000-00 + 250000-00 = 1500000-00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मेंहदी हसन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-16)

प्रस्तर संख्या-27 :- चैक संख्या— 446/04.02.2016 के द्वारा 65580-00 का श्री लतीफ अहमद रोजगार सेवक द्वारा नकद आहरण कर पंचायत निर्वाचन 2015 में 28 बूथों पर दीवार व्यवस्था आदि हेतु टैंट हाउस को भुगतान किया जाना कैश बुक में दर्शित है। पुष्टि में विभागीय आदेश, टैंट हाउस का बिल, प्रताप पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना इत्यादि उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग बूथ बनाने हेतु प्रत्येक बूथ के हिसाब से भुगतान करता है। अतः मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा रिजवन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या-28 :- चैक संख्या— 444 दिनांक— 04.02.2016 एवं 445 दिनांक— 04.02.2016 से क्रमशः 250000.00 एवं ₹250000 कुल 500000.00 का भुगतान “मैसर्स अनीस बिल्डिंग मैटेरियल” को बैंक के अनुसार हुआ है। जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैश बुक में पूर्व में कराये गये नाली निर्माण हेतु मोरंग, सीमेंट, आदि का भुगतान दर्शाकर अंकित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई भी अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा, जिससे यह पुष्ट हो सके कि फर्म को भुगतान शेष है। पूर्व में भी कैश बुक के अनुसार 06 लाख का भुगतान फर्म को किया जाना दर्शाया गया था। (27.08.2015) अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर 500000.00 धन का अपहरण किया गया है। अतः धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

(ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-18)

प्रस्तर संख्या-29 :- चैक संख्या —489 दिनांक 06.02.2016 के द्वारा 211080.00 का भुगतान मैसर्स राज पाइप इण्डस्ट्रीज, पूरनपुर, पीलीभीत को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक से भी हो रही है। पुष्टि हेतु बिल उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह अस्पष्ट रहा कि क्या-क्या सामग्री कय की गयी है और उसका उपयोग कहाँ-कहाँ हुआ है भी अपुष्ट रहा। कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव पंजिका में प्रस्ताव, अनुमोदित कार्य योजना बिल-वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में धन का अपहरण सुस्पष्ट हो रहा है, अतः धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-19)

प्रस्तर संख्या-30 :- वर्ष— 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में ग्राम निधि योजना से व्यय किया जाना दर्शाया गया है। जबकि मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार 60:40 के अनुपात को दृष्टिगत रख मनरेगा से व्यय किया जाना चाहिए था। इस व्यय हेतु विभागीय आदेश, ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कय आदेश प्राक्कलन, बिल-वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

चैक नं०/दिनांक	धनराशि	बिल	धन प्राप्तकर्ता	कार्या का विवरण
437 / 27.04.2015	50000.00	अप्राप्त	सरताज मिस्त्री	मनरेगा भवन में ग्रामीणों के बैठने हेतु टीनशेड का निर्माण
492 / 23.02.2016	56500.00	अप्राप्त	नसीम खान	मनरेगा भवन पुताई, रंगाई कुर्सी में खरीद
492 / 23.02.2016	216000.00	अप्राप्त	अजरा रिजवान (ग्राम प्रधान)	इण्टर लाकिंग सामग्री पर व्यय।
493 / 23.02.2016	41000.00	अप्राप्त	अजरा रिजवान (ग्राम प्रधान)	इण्टर लाकिंग लेबर पर व्यय
467 / 14.03.2016	20180.00	अप्राप्त	कामरान खां (ग्राम प्रधान)	मनरेगा भवन में लकड़ी के दरवाजे एवं पल्ले खरीद
	22025.00	अप्राप्त	कामरान खां (ग्राम प्रधान)	मनरेगा भवन रंगाई, पुताई पर सामग्री कय पर व्यय।
योग	405705.00			

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामनिधि मद का धन मनरेगा योजना में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, अर्थात् एक मद का धन दूसरी मद में व्यय किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमिता है। अतः साक्ष्यों के अभाव में धन अपुष्टित रहा। इस प्रकार 50000.00 की वसूली पूर्व प्रधान श्री मेंहदी हसन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी तथा शेष 355705.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-20)**

प्रस्तर संख्या-31 :- चैक संख्या- 416 / 22.04.2015 से श्री लतीफ अहमद (ग्राम पंचायत रोजगार सेवक) ने नकद धन आहरण कर कैश बुक में वार्ड संख्या- 23 एवं 05 में नाला सफाई का कार्य पर व्यय दर्शाया है। श्री लतीफ ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक है। जो नकद धन आहरण हेतु अधिकृत नहीं है। उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनुमोदितकार्य योजना, मस्टर रोल सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया स्थलीय निरीक्षण कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नहीं रहने से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः 35000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मेंहदी हसन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सहाय विकास अधिकारी (पं०) ने चार सफाई कर्मी ग्राम पंचायत में तैनात होने की पुष्टि की है।

(ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, सा0आ0सं0-13)

प्रस्तर संख्या-32 :- दिनांक- 08.05.2015 को चैक संख्या-51 के द्वारा 30000.00 का भुगतान श्री नौशाद को मंजीत सिंह के घर से रोड तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु किया गया है। पुष्टि में उपलब्ध कराया गया मस्टर रोल में श्री नौशाद द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, बिना कार्य किये हुये श्री नौसाद को भुगतान क्यों किया गया को स्पष्ट नहीं किया जा सका, साथ ही साथ प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदितकार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्थलीय स्त्यापन रिपोर्ट, मापांकन पुस्तिका, सेक्टर प्रभारी की रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपभोग/डी0पी0सी0-09 इत्यादि अभिलेखों कोलेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मस्टर रोल में दिनांक- 01 से 07 तक माह मई 2015 दर्शाया गया है और दिनांक 23 से 30 तक माह अप्रैल 2015 दर्शाया गया है। अनियमित तरीके से एक ही मस्टर रोल में दो माह दर्शाये गये हैं। उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं मस्टर रोल का अनियमित तरीके से भरे जाने से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ने मनमाने ढंग से कार्य दर्शाकर श्री नौसाद के नाम चेक निर्गत कर 30000.00 का सीधा-सीधा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजपाल सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री अतुल पाठक (ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत—उदयकरनपुर, सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या-33:- दिनांक 14.03.2016 को चैक संख्या- 56 के द्वारा 60000.00 का भुगतान श्री नौसाद को किया जाना दर्शित पाया गया है। पुष्टि में उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक संख्या-आर-1/316 से स्पष्ट हुआ कि भुगतान श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री टेका सिंह निवासी उदयकरनपुर को 100 ट्राली मिट्टी डलवाई दर 600 प्रति ट्राली के हिसाब से 60000.00 का किया गया है, जिसके सापेक्ष दर्शाये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है :-

1. गुलाब सिंह के घर से छोटी नहर तक 60 × 3 मी० त्र 180 वर्गमी०
2. जसवीर के घर से रोड तक मिट्टी कार्य 100× 3 मी० त्र 300 वर्गमी०
3. मंजीत सिंह के घर से छोटी नहर तक मिट्टी कार्य 135 × 3 मी० त्र 405 वर्गमी० कुल 885 वर्गमी० में मिट्टी कार्य किया जाना दर्शाया गया है। पुष्टि में निम्न अनियमिततायें पायी गयी :-

क. उक्त कराये गये मिट्टी कार्यों की अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का क्रमांक सं० व दिनांक एवं पंजिका मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपभोग/डी०पी०सी०-०९ इत्यादि अभिलेख उपलब्ध न रहना।

ख. उक्त मिट्टी कार्यों की मिट्टी खनन हेतु रायल्टी का भुगतान शासनादेश संख्या- 4951(11) 77-05-06-506/06 दिनांक- 16.10.2006 के अनुसार न किया जना।

ग. उक्त मिट्टी कार्यों का भुगतान श्री अमरीक सिंह को व्यय प्रमाणक के अनुसार किया जाना चाहिए था। परन्तु भुगतान बैंक अनुसार श्री नौसाद को किया गया है।

घ. उक्त कार्यों पर मिट्टी फैलाने हेतु लगे मजदूरों को कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि दर्शायी गयी है जबकि नियमानुसार मजदूरों का तिथिवार मस्टर रोल भरा जाना चाहिए था। जो नहीं भरा गया।

ङ दर्शाये गये मिट्टी कार्यों का विभागीय अधिकारियों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, कार्यों के फोटो ट्रैक्टर नं० कार्य निर्माण, पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 60000.00 का आहरण श्री नौसाद के नाम कराकर फर्जी/मनमाने ढंग से मिट्टी कार्य दर्शाकर 60000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लखविन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल पाठक से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-उदयकरनपुर, सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर संख्या-34:-दिनांक- 14.03.2016 को चैक संख्या-58 से पूरनपुर ब्रिक फील्ड, ग्राम सिरसा विकास खण्ड पूरनपुर पीलीभीत के बिल/वाउचर क्रमांक सं०- 220 दिनांक- 14.03.2016 के द्वारा 54000 खंजर ईट 3800.00 प्रति हजार की दर से कुल 205200.00 का क्रय किया जाना दर्शित पाया गया। उक्त ईट खरीद के सापेक्ष मस्टर रोल के अनुसार निम्न खडन्जा निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित पाया गया है :-

(क)(प)गुलाब सिंह के घर से छोटी नहर तक खडन्जा निर्माण कार्य 60×3मी०त्र180 वर्गमी०

(पप) जसवीर सिंह के घर से रोड तक खडन्जा निर्माण कार्य 100× 3 मी० त्र 300 वर्गमी०

(पपपद्धमंजीत सिंह के घर से छोटी नहर तक खडन्जा निर्माण कार्य 135×3मी०त्र405 वर्गमी०

योग 885वर्गमी०

उक्त 885 वर्ग मी० खडन्जा निर्माण कार्यों पर दिनांक 14.03.2016 को चैक संख्या-57 के द्वारा श्री इसरार द्वारा आहरण किया गया 16200.00जबकि मस्टर रोल अनुसार दिनांक- 19.03.2016 को व्यय प्रमाणक संख्या -एम.आर.आई/310 का विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्र० सं०	नाम पिता का नाम	निवासी	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	कार्यों में प्रयुक्त दिवस	मजदूरी की दर	कुल भुगतान राशि
1.	श्री नौसाद खां पुत्र श्री छोटे खां	उदयकरनपुर	राजमिस्त्री	09.03.16 से 18.03.16	10	400	4000.00
2.	इरफान खां पुत्र छन्नू खां	उदयकरनपुर	राजमिस्त्री	09.03.16 से 18.03.16	10	400	4000.00
3.	बहादुर पुत्र श्री कन्हई	उदयकरनपुर	मजदूर	09.03.16 से 18.03.16	10	200	2000.00
4.	राम औतार पुत्र राम भरोसे	उदयकरनपुर	मजदूर	09.03.16 से 18.03.16	10	200	2000.00
5	बंके लाल पुत्र ईश्वरी	उदयकरनपुर	मजदूर	09.03.16 से 18.03.16	10	200	2000.00
6	श्रामदीन पुत्र बिहारी लाल	उदयकरनपुर	मजदूर	09.03.16 से 18.03.16	10	200	2200.00
						योग	16200.00

उक्त मस्टर रोल से स्पष्ट है कि खण्ड (क) से दर्शाये गये खडन्जा निर्माण कार्यों पर 16200.00का भुगतान राजमिस्त्री एवं मजदूरों को किया गया है। जिसके सापेक्ष नियमानुसार (पी.डब्लू.डी. नार्मसके अनुसार 50.00 में एक वर्ग मी० खडन्जों का निर्माण होगा) $16200 \div 50 = 324$ वर्गमी० खडन्जा निर्माण कार्य होना चाहिये था। जबकि उक्त मस्टर रोल में मनमाने ढंग से 885 वर्गमी० खडन्जा कार्य दर्शाया गया है। अर्थात् $885 - 324 = 561$ वर्ग मी० खडन्जा कार्य की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। (उदाहरणार्थ:- अनुमोदित कार्य योजना, कार्यों के प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, सामग्री स्टॉक/उपभोग पंजिका, स्थालीय सत्यापन रिपोर्ट, मस्टर रोल, इत्यादि अभिलेख) इस प्रकार स्पष्ट है कि $324 \times 60 = 34560$ ईंटों के प्रयोग किये जाने की पुष्टि हो रही है। शेष ईंटें $54000 - 19440 = 34560$ ईंटों के उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी अर्थात् 34560 खंजर ईंटों का फर्म के साथ सॉट-गॉठकर 34560×3800 हजार की दर से 131328.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री लखबिन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल पाठक द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीलखबिन्दर सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री अतुल पाठक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-उदयकरनपुर, सा०आ०सं०-14)

प्रस्तर संख्या-35 :-लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में ग्राम निधि पंचम से श्री संजीव कुमार द्वारा चैक द्वारा धन आहरित कर मनमाने/अनियमित तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अजीत कुमार मंडन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल के द्वारा 856638.00 का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है:-

(क)	क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि (में)
	1	04.04.2014	88	34002.00
	2	04.04.2014	87	24000.00
	3	11.04.2014	84	33914.00
	4	21.04.2014	91	41152.00
	5	21.04.2014	92	11314.00
	6	22.04.2014	90	44536.00
	7	06.05.2014	95	29144.00
	8	15.05.2014	97	20250.00
	9	16.05.2014	98	3400.00
	10	22.05.2014	99	4950.00
	11	16.06.2014	101	31500.00
	12	17.06.2014	103	19128.00
	13	17.06.2014	102	41152.00
	14	20.08.2014	105	42750.00
	15	23.08.2014	109	4000.00
	16	29.09.2014	111	48552.00
	17	10.10.2014	112	54980.00
	18	10.10.2014	113	53100.00
	19	10.10.2014	114	16436.00
	20	12.01.2015	116	63374.00
	21	14.01.2015	115	91200.00
	22	19.02.2015	120	70200.00
	23	19.02.2015	118	25104.00
	24	26.02.2015	119	48500.00
			योग	856638.00

(ख) कैश बुक एवं व्यय प्रमाणक के द्वारा दर्शित व्यय:-

क्र० सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक	फर्म का नाम	धनराशि	कार्य का विवरण
1	04.04.2014	02 और 03	-	23850.00	मिट्टी कार्य कैश बुक के अनुसार जबकि वाउचर 2 के अनुसार खडंजा निर्माण अर्थात् कार्य फर्जी।
2				10152.00	एम.आर.खडंजा निर्माण एम.आर.उपलब्ध नहीं।
3	04.04.2014	04	-	24000.00	किराने की दुकान से नेताजी के घर तक

					मिट्टी कार्य पुष्टि में एम.आर उपलब्ध नहीं।
4	11.04.2014	अज्ञात	—	33914.00	पुलिया मरम्मत पर व्यय।
5	21.04.2014	अज्ञात	पंजाब ब्रिक फील्ड 8850 / 1000 8650 / 1000	41152.00	ईट कय/पुष्टि में एम.आर. उपलब्ध नहीं।
6	21.04.2014	अज्ञात		11314.00	मिट्टी कार्य पर व्यय एम.आर. उपलब्ध नहीं(76500.00रु0) खडंजा निर्माण (3384.00रु0)एम.आर. उपलब्ध नहीं।
7	22.04.2014	अज्ञात		44536.00	खडंजा निर्माण में मिट्टी कार्य एम.आर. उपलब्ध नहीं।
8	06.05.2014	अज्ञात		29144.00	पुलिय निर्माण
9	16.05.2014	अज्ञात		20950.00	मिट्टी कार्य पर व्यय
10	16.05.2014	अज्ञात		3400.00	विज्ञापन पर व्यय
11	22.05.2014	अज्ञात		4350.00	मिट्टी कार्य पर व्यय
12	16.06.2014	अज्ञात		31500.00	मिट्टी कार्य
13	19.06.2014	अज्ञात		41152.00	ईट कार्य
14	20.06.2014	अज्ञात		15300.00 3828.00	मिट्टी कार्य एम.आर. पर कार्य
15	20.08.2014	अज्ञात		42750.00	पुलिय निर्माण पर व्यय
16	23.08.2014	अज्ञात		4000.00	मिट्टी कार्य
17	29.09.2014	अज्ञात		48552.00	पुलिय निर्माण पर व्यय
18	10.10.2014	अज्ञात		53100.00	खंजर ईट कार्य
19	10.10.2014	अज्ञात		54980.00	पुलिय निर्माण पर व्यय
20	10.10.2014	अज्ञात		11700.00	मिट्टी कार्य पर व्यय
21	14.10.2014	अज्ञात		4736.00	खडंजा पर व्यय
22	12.01.2014	अज्ञात		24750.00	नरेगा भवन में मिट्टी कार्य
23	14.01.2014	अज्ञात		122720.00	नरेगा भवन में खडंजा हेतु
24	19.01.2015	अज्ञात		7104.00	नरेगा भवन में खडंजा लगवाई पर व्यय।
25	19.02.2015	अज्ञात		70200.00	खंजर ईट कार्य
26	22.02.2015	अज्ञात		25104.00	एम.आर.खडंजा एवं मिट्टी डलवाई
27	23.02.2015	अज्ञात		18000.00	मिट्टी कार्य
28	28.02.2015	अज्ञात		7104.00	खडंजा निर्माण पर व्यय
		योग		833242.00	शेष 23396.00 नगद अपहरण

उपरोक्त धनराशि 856638.00 का आहरण श्री संजीव कुमार द्वारा किया गया है। जबकि श्री संजीव ग्राम पंचायत में नकद धन आहरण हेतु अधिकृत ही नहीं है। (श्री संजीव न तो किसी फर्म के मालिक है न ही राजमिस्त्री / मजदूर) आहरित धनराशि के सापेक्ष 833342.00 कैश बुक अनुसार व्यय एवं 23296.00 बिना व्यय के अपहरण किया गया है। दर्शित व्यय की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कय आदेश, फर्म का आपूर्ति आदेश, फर्म का बिल, स्टॉक पंजिका, एम. आर. कार्यपूति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि जाँच हेतु उपलब्ध नहीं किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि 856638.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजीत मंडन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— महाराजपुर, सा0आ0सं0—12)

प्रस्तर संख्या—36 :—लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में श्री बबू के नाम ग्रामनिधि—वी से आहरण कराकर व्यय किया जाना दर्शित पाया गया। विवरण निम्नवत् है:—

बैंक अनुसार आहरण				कैश बुक के अनुसार व्यय			
	दिनांक	चैक सं०	धनराशि (में)	दिनांक	व्यय प्रमाणक सं०	धनराशि (में)	समग्री
1	04.04.2014	86	131688.00	04.04.2014	01	131688.00	खंजर ईट कय व व्यय

2	02.05.2014	94	33340.00	02.04.2014	अज्ञात	33340.00	पुलिया निर्माण पर व्यय
3	05.08.2014	107	45000.00	05.08.2014	अज्ञात	45000.00	पुलिया हेतु क्य
4	05.08.2014	106	45000.00	05.08.2014	अज्ञात	45000.00	पुलिया हेतु क्य
5	22.08.2014	110	80000.00	22.08.2014	अज्ञात	80000.00	पुलिया हेतु क्य
	योग		335028.00		योग	335028.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 335028.00 के सापेक्ष 131688.00 खंजर ईट क्य एवं 203340.00 पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्य पर व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी बब्बू ग्राम पंचायत से नकद धन आहरण हेतु अधिकृत नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बब्बू से नकद धन आहरण कराकर मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः 335028.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजीत मंडन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— महाराजपुर, सा0आ0सं0—13)

प्रस्तर संख्या—37 :—चैक संख्या —117 दिनांक 23.02.2015 के द्वारा 88500.00 की ईट खरीद बीसलपुर से दर्शायी गयी है जिसका भुगतान फर्म को ट्रांसफर द्वारा हुआ है। उक्त खरीद के सापेक्ष 17700.00 खंजर ईट 5000/—की दर से क्य एवं परमानंद की पुलिया से निर्माण विश्वास के धर लम्बाई 100 मीटर कैश बुक में दर्शित है। उपरोक्त की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना ,स्टॉक पंजिका,मस्टर रोल,सक्षम अधिकारी ,क्य आदेश,संस्था बिल,आपूर्ति आदेश ,कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र,मस्टर रोल,सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ईट क्य बीसलपुर से किया जाना दर्शित है जबकि विकास खण्ड पूरनपुर में ही अनेक फर्म उपलब्ध है तथा दर्शित कार्य में चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है (खडंजा) किसी भी कार्य में ल0×चौ0 प्रमुख घटक है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य दर्शाकर एवं सॉठ-गॉठ कर धन का अपहरण किया गया है। अतः 88500.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजीत मंडन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— महाराजपुर, सा0आ0सं0—14)

प्रस्तर संख्या—38 :— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में निम्न विवरणानुसार श्री संजीव द्वारा धन आहरित किया गया है। जबकि श्री संजीव ग्राम पंचायत के खाते से नकद धन आहरित करने हेतु अधिकृत ही नहीं है। आहरण का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि(में)
1	122	16.04.2015	40614.00
2	124	16.04.2015	50400.00
3	126	03.09.2015	.50214.00
4	125	03.09.2015	88500.00
		योग	229728.00

इस प्रकार श्री संजीव द्वारा कुल 229728.00 का आहरण किया गया है।

(ख) इसी प्रकार चैक संख्या —123 दिनांक 11.05.2015 के द्वारा रू0 74340.00 तथा चेक संख्या — दिनांक 03.09.2015 के द्वारा 80000.00 कुल रू0 154340.00 का आहरण श्री बब्बू के द्वारा किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री बब्बू ग्राम पंचायत से नकद धन आहरण हेतु अधिकृत नहीं है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से नकद धन आहरण कराकर धन का अपहरण कर किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजीत मंडन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— महाराजपुर, सा0आ0सं0—15)

प्रस्तर संख्या—39 :—लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16 में ग्राम निधि—वी से 125000.00 का आहरण श्री नौशाद द्वारा किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक अभिलेखों द्वारा भी हो रही है। विवरण निम्नवत है :—

(क)	दिनांक	चैक सं०	धनराशि (में)	व्यय का विवरण	दर	धनराशि खर्च
	23.04.2015	128	60000.00	1. ईट कय-11500 2. मिट्टी कार्य- 25 ट्राली 3. नकद शेष- 150.00	3900.00 600 ट्राली	44850.00 15000.00 59850.00
(ख)	इसी प्रकार	—	—	—	नकद	+ 150.00
	09.02.2016	131	65000.00	मिट्टी कार्य-100 ट्राली	650 ट्राली	65000.00
	योग		125000.00			125000.00

उपरोक्त व्यय (क) के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

- (1) श्री नौशाद ग्राम पंचायत से धन आहरित करने हेतु अधिकृत नहीं है, क्योंकि ये न तो ग्राम प्रधान/पंचायत अधिकारी अथवा किसी फर्म के मालिक है।
- (2) श्री नौशाद जबकि किसी फर्म के मालिक भी नहीं है तो 11500 ईटों (खंजर)/3900/हजार की दर से कुल 44850.00 की आपूर्ति ग्राम पंचायत को कैसे कर दी। स्पष्ट है कि 44850.00 की धनराशि का फर्जी व्यय प्रमाणक द्वारा आपूर्ति दिखाकर धन का अपहरण किया गया है :-
- (3) 15000.00 की मिट्टी डलवाये जाने का व्यय श्री नौशाद को भुगतान दर्शित है। जिसकी पुष्टि बैंक अभिलेखों द्वारा हो रही है, जबकि व्यय प्रमाणक आर-2/415 के द्वारा राम कुमार पुत्र इन्दल निवासी महद को दिनांक- 23.04.2015 को भुगतान किया गया दर्शित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राम कुमार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान श्री नौशाद द्वारा अनियमित फर्जी/सॉठ-गॉठ/कूटरचित तरीके से धन का अपहरण किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त 60000.00 के व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, सामग्री कय ओदश, सम्बन्धित फर्म के चालान, मिट्टी कार्य का ट्रैक्टर नं०, मस्टर रोल, सक्षम अधिकारी का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, सामग्री स्टॉक पंजिका, सेक्टर प्रभरी की रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपयोग प्रमाण पत्र/डी०पी०सी०-09 इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री नौशाद के नाम 60000.00 का आहरण कराकर फर्जी ईट कय, मिट्टी कार्य तथा 150.00 नकद दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुँवरसेन तथा ग्राम पंचात अधिकारी श्री अतुल पाठक से किया जानी अपेक्षित रही।

(ख) इस प्रकार 09.02.2016 को चैक सं०- 131 द्वारा श्री नौशाद को 65000.00 का भुगतान चैक/बैंक अभिलेखों द्वारा किया गया है। जबकि उक्त कार्य को कैश बुक में व्यय प्रमाणक आर-1/216 श्री राज कुमार पुत्र इन्दल निवासी महद को 100 ट्राली मिट्टी/650 की दर से कुल 65000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया। यहां उल्लेखनीय है कि जब कार्य श्री राज कुमार द्वारा किया गया है तो भुगतान श्री नौशाद को क्यों किया गया है इससे स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से श्री नौशाद के नाम चैक निर्गत कर फर्जी कार्य दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। उपरोक्त कार्य की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति की कम संख्या एवं दिनांक, मस्टर रोल, ट्रैक्टर नं०- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, रायल्टी भुगतान सम्बन्धी, विभागीय अधिकारी, सेक्टर प्रभारी, स्थलीय रिपोर्ट, पडभोग प्रमाण पत्र डी०पी०सी०-09 इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जिस कारण उक्त धनराशि 65000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत- महद खास, सा०आ०सं०-14)

प्रस्तर संख्या-40:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में चैक सं०- 133 दिनांक- 23.02.2016 के द्वारा पूरनपुर ब्रिक फील्ड सिरसा जनपद-पीलीभीत को 250000.00 का भुगतान 50000 ईट 5000 हजार की दर से किया जाना दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

1. पूरनपुर ब्रिक फील्ड ग्राम सिरसा, पूरनपुर, पीलीभीत के व्यय प्रमाणक क्रम सं०- 211 बुक नं० अंकित नहीं पायी गयी, तिथि 23.06.2016 अंकित होना, भूल-चूक लेनी-देनी का उल्लेख नहीं पाया गया इत्यादि।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बैंक/कैश बुक के अनुसार 250000.00 का भुगतान दिनांक- 23.02.2016 को किया गया है जबकि फर्म के वाउचर पर तिथि 23.06.2016 की अंकित है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कय आदेश, आपूर्ति चालान, सामग्री स्टॉक पंजिका, मस्टर रोल, सामग्री स्टॉक सत्यापन पंजिका, कार्यपूर्ति उपभोग प्रमाण पत्र/डी०पी०सी०-09 कोटेशन/टेंडर सम्बन्धी पत्रावली, वैट/टी०डी०एस० कटौती

सम्बन्धी पंजिका पत्रावली के अभाव में 250000.00 का व्यय पूर्णतः फर्जी सिद्ध होता है तथा उक्त के अभाव में यह भी स्पष्ट है कि फर्म के साथ सॉट-गॉट कर धन का अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— महद खास, सा0आ0सं0-15)

प्रस्तर संख्या— 41:—जिला पंचायत राज अधिकारी, कार्यालय, पीलीभीत से प्राप्त ग्राम निधि मद अनुदान सम्बन्धी विवरण पत्र के अनुसार निम्न विवरण अनुसार धनराशियाँ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	राज्य वित्त आयोग	वित्त आयोग	अन्य	योग
2005-06	100594.00	83041.00	1870.00	185505.00
2006-07	115678.00	35329.00	—	151007.00
2007-08	195058.00	117456.00	—	312514.00
2008-09	175851.00	40650.00	—	216501.00
2009-10	172086.00	130525.00	—	302611.00
2010-11	280479.00	141224.00	—	421703.00
योग	1039746.00	548225.00	1870.00	1589841.00

इस प्रकार कुल 1589841.00 की आय ग्राम पंचायत को हुई है। दिनांक 31.03.2014 को बैंक खाता संख्या -31547561544, एस0बी0आई0, ए0डी0 बी0 ब्रांच बिलसन्डा पीलीभीत के अनुसार 5142.00 अवशेष है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संदर्भित वर्षों में धनराशियाँ बैंक से आहरित कर व्यय की गई है। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण कुल व्यय अपुष्ट रहा। लेखा परीक्षा हेतु बार बार अभिलेखों की मांग की गई परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः कुल 1589841.00— 5142.00= 1584699.00 की ब्याज सहित वसूली (अभिलेखों के अभाव में) तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (ग्राम पंचायत— वमरोली, सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर संख्या— 42 :—लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में दिनांक 30.03.1984 से राजकीय आर्युवेदिक चिकित्सालय 50/-प्रतिमाह किराये पर संचालित है। जिसकी पुष्टि में कार्यालय क्षेत्रीय आर्युवेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पीलीभीत के पत्रांक संख्या -भवन पत्रांक /2016-2017/1136 दिनांक-05.09.2016 संलग्न है। इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-2011 एवं 2013-2014 से 2015-2016 तक (06+03)09 वर्ष का 09 ×12 = 5400.00 की आय किराये से हुई है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत रूप पत्र-7 या अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि 5400.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (ग्राम पंचायत— वमरोली, सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर संख्या— 43 :—लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान द्वारा धन का आहरण किया गया है विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि(में)
1	172841	09.08.2014	30000.00
2	172842	14.08.2014	7500.00
3	172840	25.08.2014	50000.00
4	172845	10.09.2014	50000.00
5	172848	07.10.2014	60000.00
6	172850	10.10.2014	68000.00
7	172847	10.10.2014	3000.00
8	766691	19.02.2015	15000.00
9	766692	20.02.2015	4000.00
10	766694	02.03.2015	26000.00
11	766695	03.03.2015	20000.00
12	766700	13.03.2015	20000.00
13	766701	25.03.2015	15000.00
14	766703	—	500.00
15	766702	31.03.2015	3500.00
		योग	377000.00

इस प्रकार ,उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न तिथियों में मनमाने ढंग से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। पुष्टि में कोई भी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं रहा जिससे यह भी अपुष्ट रहा कि इस धनराशि का उपयोग कहाँ-कहाँ किस कार्य पर हुआ है। अभिलेख अनुमोदित कार्य-योजना प्रस्ताव पंजिका,क़य आदेश,मस्टर रोल, कार्य-पूर्ति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारीका स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में रू0 377000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव सरन वर्मा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- वमरोली, सा0आ0सं0-07)**
प्रस्तर संख्या- 44:-इसी प्रकार वर्ष- 2014-15 में निम्न विवरणानुसार धन आहरित किया गया है विवरण इस प्रकार से है कि :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	धन पाने वाले का नाम
172829	09.05.2014	7000.00	श्री देवेश कुमार
172830	09.05.2014	30000.00	श्री सुदेश कुमार
	योग	37000.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आहरित धन 37000.00 नकद आहरित ,कर क्या सामग्री क़य की गई है अथवा क्या कार्य कराया गया है। की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन आहरित करके धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव सरन वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम /श्री ओम प्रकाश माथुर से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत- वमरोली, सा0आ0सं0-08)

प्रस्तर संख्या- 45:-इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार धन बैंक से विभिन्न खाते में हस्तान्तरित किया गया है। पुष्टि में यह अस्पष्ट रहा कि यह बैंक खाते किय संस्था के हैं अथवा किसी व्यक्ति के अगर संस्था के हैं तो इनके सापेक्ष क्या सामग्री क़य की गई अथवा कार्य कराया गया। विवरण इस प्रकार से है:-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि (रू0 में)	खाता सं0 जिसमें धन स्थानान्तरण किया गया
172833	14.06.14	30000.00	एकाउण्ट नं031085082394
172831	19.06.14	45044.00	एकाउण्ट नं010384सी0सी0सी0पी0सी0 लखनऊ
172849	14.10.14	35000.00	एस0बी0आई0
766693	02.03.14	150000.00	एकाउण्ट नं031085082394
766698	21.03.15	6000.00	लोकल चेक पेड टू पी.एन.बी.
	योग	266044.00	

उक्त के सापेक्ष कोई भी बिल बाउचर,क़य आदेश, फर्म का सामग्री आपूर्ति प्रमाण-पत्र, क्या कार्य कराया गया, कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना,कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र,सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में रू0 266044.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- वमरोली, सा0आ0सं0-09)**

प्रस्तर संख्या- 46:-उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव सरन वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी है। श्री ओम प्रकाश माथुर से की जानी अपेक्षित विवरण इस प्रकार से है:-

क0सं0	चैक सं0	दिनांक	धनराशि (में)	पाने वाले का नाम
1	172827	12.04.2014	2000.00	श्री सुरेश जयसवाल
2	172834	25.06.2014	4860.00	श्री सुरेश जयसवाल
3	172835	16.04.2014	3000.00	श्री पंकज मिश्रा
4	172836	25.07.2014	3000.00	अज्ञात
5	172838	31.04.2014	2000.00	अज्ञात
6	172837	02.08.2014	2000.00	श्री वीर बहादुर
7	766696	04.03.2014	2000.00	श्री वीर बहादुर
		योग	18860.00	

(ग्राम पंचायत- वमरोली, सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर संख्या— 47:—लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में निम्न विवरण अनुसार धन का आहरण किया गया है, विवरण इस प्रकार से है—

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि (₹)	आहरण कर्ता का नाम
1	000766704	07.05.2015	10000.00	श्री अचल कुमार
2	000043914	09.09.2015	30000.00	श्री अचल कुमार
3	000043916	09.09.2015	20000.00	श्री देवेश कुमार
		योग	60000.00	

(ख) इसी प्रकार ग्राम प्रधान श्री शिव सरन वर्मा द्वारा भी निम्न विवरणानुसार नकद धन आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि (₹)	आहरण कर्ता का नाम
1	000766706	17.04.2017	50000.00	श्री शिव सरन वर्मा
2	00004313	11.09.2015	10000.00	कैस
		योग	60000.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल 120000.00 के नकद आहरण में 60000.00 का आहरण ग्राम प्रधान द्वारा अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया है। शेष का आहरण स्वयं किया है। इस आहरण के सापेक्ष क्या सामग्री क्रय की गयी है अथवा क्या कार्य कराया गया है की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, किया गया आहरण अपुष्ट रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानमाने ढंग से धन आहरित कर, धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव सरन वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— वमरोली, सा०आ०सं०—11)

प्रस्तर संख्या— 48:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16 में निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ अन्य खातों में हस्तांतरित की गई है पुष्टि में ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह खाते फर्म के हैं अथवा व्यक्ति विशेष के इस स्थानान्तरणके सापेक्ष क्या सामग्री क्रय की गई है अथवा क्या कार्य कराया गया है कि पुष्टि में भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाने के कारण कुल आहरण 235000.00 अपुष्ट रहा। अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना प्रस्ताव पंजिका, फर्म का बिल, वाउचर, क्रय आदेश फर्म का आपूर्ति चालान, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सैक्टर प्रभारीका स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से धन हस्तान्तरित कर कूट रचित ढंग से धन का अपहरण किया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव सरन वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि (₹ में)	आहरण कर्ता का नाम
1	000766699	08.04.2015	20000.00	अमाउण्ट ट्रॉन्सफर्ड
2	000766705	15.04.2015	100000.00	एस०बी०आई० अकाउण्ट 31128124217
3	000766710	02.07.2015	60000.00	स्थानान्तरण
4	000043915	15.09.2015	20000.00	एलसी पेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा बिलसाण्डा
5	000043917	09.09.2015	35000.00	स्थानान्तरण
		योग	235000.00	

(ग्राम पंचायत—वमरोली, सा०आ०सं०—12)

प्रस्तर संख्या— 49:—लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कुल 7.48 लाख की एम.आई.एस. फीडिंग कराई गई है अर्थात् 7.48लाख का व्यय किया गया है, जिसके अनुसार 2.99 लाख सामग्री पर (40%) एवं 4.49 लाख श्रमांश पर (60%) मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 के अनुसार व्यय किया जाना चाहिए था। परन्तु उपलब्ध एम.आई.एस. फीडिंग दिनांक 01.08.2016 के अनुसार सामग्री अंश पर 6.64 लाख दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि इस मद में 3.65 लाख अधिक व्यय किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— वमरोली, सा०आ०सं०—2घ)

प्रस्तर संख्या—50:—ग्राम पंचायत नगरिया खुर्द कलां, विकास खण्ड— पूरनपुर, जनपद—पीलीभीत लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 से 2015—16 तक में बिना सामग्री क्रय/देय दायित्व के ग्राम निधि मद/खाते से चैक निर्गत कर श्री संजीव कुमार को मनमाने ढंग से भुगतान ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार किया गया है :—

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	
1)	06.05.2014	85	41152-00	2014-2015 = ` 486589-00
2)	06.05.2014	86	19128-00	
3)	22.05.2014	89	50000-00	
4)	24.05.2014	91	6106-00	
5)	18.06.2014	65	41152-00	
6)	18.06.2014	67	10000-00	
7)	18.06.2014	66	19284-00	
8)	21.06.2014	69	41152-00	
9)	21.08.2014	70	19284-00	
10)	27.08.2014	71	43650-00	
11)	29.09.2014	92	11600-00	
12)	29.09.2014	75	20250-00	
13)	27.01.2014	98	30000-00	
14)	18.02.2015	102	38556-00	
15)	18.02.2015	103	35100-00	
16)	18.02.2015	101	60175-00	
17)	16.04.2015	226	11250-00	2015-2016 = ` 252368-00
18)	22.04.2015	228	88500-00	
19)	22.04.2015	227	26920-00	
20)	27.04.2015	229	7000-00	
21)	03.09.2015	231	47898-00	
22)	03.09.2015	230	70800-00	
		योग	738957-00	

उक्त आहरित 738957.00 के व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य की माप, कार्य स्थल, प्राक्कलन पंजिका, सामग्री क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के बिल/वउचर, फर्म द्वारा जारी आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजिका, मस्टर, रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण-पत्र / डी0पी0सी0-09 विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे।

जिस कारण उक्त भुगतान 738957.00 पूर्णतः अपुष्टित रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री संजीव कुमार न तो किसी फर्म के मालिक है और न हीराज मिस्त्री / मजदूर और न ही ग्राम निधि खाते को संचालित करने हेतु अधिकृत है, तो श्री संजीव कुमार को भुगतान क्यों किया गया स्पष्ट नहीं हो सका। जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्मों को चैक के माध्यम से एवं राज मिस्त्री / मजदूरों को बैंक एडवाइस द्वारा भुगतान होना चाहिए था। उक्त भुगतान की पुष्टि में अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध न रहने के कारण 738957.00 का व्यय फर्जी व काल्पनिक है। ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रवती राणा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल द्वार श्री संजीव कुमार के नाम चैक निर्गत कर मनमाने ढंग से आहरण कर 738957.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इन्द्रवती राणा ग्राम प्रधान व श्री पवन पटेल ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत- नगरिया खुर्द कलां, सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या- 51:- लेखा परीक्षा वर्षों में ग्राम निधि खाते से श्री बबू के नाम चैक निर्गत कर भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	वर्ष 2014-15 में 120606.00
1.	03.06.2014	64	10152.00	3 वर्ष 2015-16 में 93712.00
2.	08.06.2014	94	21954.00	
3.	15.10.2014	93	88500.00	
4.	11.03.2016	182	93712.00	
		योग	214318.00	

उक्त 214318.00 के व्यय/भुगतान की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, कार्य का नाम, बिल वाउचर, क्रय आदेश मस्टर रोल, सक्षम अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट,

माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे और न ही यह स्पष्ट हो सका कि श्री बबू को भुगतान क्यों किया गया, जिस कारण उक्त भुगतान पूर्णतः अप्रमाणित रहा। उक्त 214318.00 के व्यय की पुष्टि में अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध न रहने से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कूट रचित तरीके से श्री बबू के नाम चैक निर्गत कर 214318.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इन्द्रवती ग्राम प्रधान एवं श्री पवन पटेल ग्राम पंचायत अधिकारी से 120606.00 एवं 93712.00 की ब्याज सहित वसूली श्री चम्पा रानी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— नगरिया खुर्द कलां, सा0आ0सं0—15)

प्रस्तर संख्या— 52:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 में ग्राम निधि खाते से निम्न विवरणानुसार चैक निर्गत कर भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया, जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख/विवरण उपलब्ध नहीं रहा :—

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	सम्बन्धित फर्म व व्यक्ति का नाम
1)	22.05.2014	88	50000-00	एफ.आई.आर.यू.ए.
2)	22.05.2014	87	50000-00	एफ.आई.आर.यू.ए.
3)	02.08.2014	68	40000-00	श्री अतुल कुमार
		योग	1,40,000-00	

उक्त 140000.00 के भुगतान/व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही यह स्पष्ट किया जा सका कि एफ.आई.आर.यू.ए. किस फर्म का नाम है और क्या सामग्री क्रय की गयी। मनमाने ढंग से चैक निर्गत कर 140000.00 का उक्त सम्बन्धित फर्मों से सॉट—गॉट कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रवती राना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— नगरिया खुर्द कलां, सा0आ0सं0—16)

प्रस्तर संख्या— 53:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 से 2015—16 में कुल 5786.00 का भुगतान बैंक द्वारा ब्याजमद में किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस धन को अनुदान दाता (सरकार) को वापस किये जाने का प्रावधान है, जबकि दिनांक— 31.03.2016 को ग्राम निधि खाते का अंतिम अवशेष 689.00 ही दर्शित है। जबकि वर्ष के दौरान उपरोक्त के सापेक्ष बैंक द्वारा विभिन्न तिथियों में 1511.00 बैंक स्टेटमेंट, चैक बुक चार्जस आदि के मद में कटौती के उपरान्त 31.03.2016 को न्यूनतम अंतिम अवशेष 4275.00 होना चाहिए था। जबकि 689.00 ही शेष है इस प्रकार 3586.00 का अनियमित तरीके से आहरण कर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत श्रीमती प्रभा तथाग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— बूँदी भूड़, सा0आ0सं0—12)

प्रस्तर संख्या— 54:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—5 से 2015—16 तक में ग्राम निधि मद/खाते से श्री संजीव कुमार को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया :—

क्र. सं.	वर्ष— 2014—15		धनराशि	क्र. सं.	वर्ष— 2015—16		धनराशि
	दिनांक	चैक सं०			दिनांक	चैक सं०	
1.	20.05.2014	56	24910-00	1.	27.04.2015	101	44250-00
2.	20.05.2014	55	90535-00	2.	27.04.2015	102	16104-00
3.	29.05.2014	60	4200-00	3.	27.04.2015	103	28500-00
4.	26.06.2014	63	5400-00	4.	27.04.2015	104	25104-00
5.	26.06.2014	62	26562-00	5.	01.09.2015	137	71890-00
6.	26.06.2014	61	60905-00	6.	01.09.2015	136	177000-00
7.	04.08.2014	66	82955-00	7.	01.03.2016	145	146025-00
8.	04.08.2014	67	4736-00	8.	01.03.2016	146	28830-00
9.	30.08.2014	70	34486-00	9.	08.03.2016	152	36622-00
10.	30.08.2014	69	61728-00			योग	574325-00
11.	13.10.2014	72	44635-00				
12.	13.10.2014	73	27354-00				
13.	13.10.2014	74	60300-00				
14.	18.10.2014	75	25200-00				

15.	27.12.2014	92	44250-00				
16.	10.02.2015	93	88500-00				
17.	10.02.2015	94	5000-00				
18.	09.03.2015	100	24500-00				
		योग	716156-00				

उक्त 716156.00 वर्ष- 2014-15 एवं 574325.00 वर्ष- 2015-16 कुल 1290481.00 का व्यय/भुगतान की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन कार्यस्थल सामग्री क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के बिल वाउचर, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, सामग्री स्टॉक पंजिका, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र / उपभोग प्रमाण पत्र, विभागीय अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट सत्यापन इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जिस कारण उक्त 1290481.00 का आरहण पूर्णतः अपुष्ट रहा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री संजीव कुमार न तो किसी फर्म के मालिक है और न ही राजमिस्त्री है/मजदूर है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कूट-रचना करके उपरोक्त धन 1290481.00 का आहरण कराकर धन का अपहरण ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकला एवं पंचायत सचिव श्री पवन पटेल 1079004.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राम नारायण एवं पंचायत सचिव श्री पवन पटेल से 211477.00 की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत- बूँदी भूड़, सा0आ0सं0-13)

प्रस्तर संख्या- 55:-वर्ष- 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि खाते की जांच में पाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, खटीमा ब्रांच (उत्तराखण्ड) में खाता संख्या- 1/14365 में निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि खाते से धन का हस्तांतरण किया गया है :-

क्र0सं0	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि (में)
1)	23.05.2014	58	24910-00
2)	23.05.2014	57	90535-00
3)	06.08.2014	68	4500-00
4)	26.12.2014	91	44250-00
5)	10.03.2015	99	25000-00
		योग	189195-00

उक्त 189195.00 का हस्तांतरण ग्राम निधि खाते से बैंक ऑफ बड़ौदा खटीमा, उत्तराखण्ड के लिए अनियमित तरीके से किया गया है। उक्त धन हस्तांतरण का उद्देश्य, विभागीय आदेश, अन्य अभिलेख/साक्ष्यों के अभाव में किया गया हस्तांतरण बैंक के साथ सॉट-गॉट / कूट-रचना के द्वारा ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा 189195.00 अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकला एवं पंचायत सचिव श्री पवन पटेल से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत- बूँदी भूड़, सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या- 56:-लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 में निम्न विवरण अनुसार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर द्वारा धन का अपहरण ग्राम निधि खाता संख्या- 16410100005797 बी0ओ0बी0 नॉद से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	दिनांक	चैक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1	21.03.2016	91	98910.00	साई सोलर सप्लायर
2	21.03.2016	92	60000.00	राकेश कुमार
3	22.03.2016	93	80000.00	राकेश कुमार
		योग	238910.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 98910.00 का भुगतान साई सोलर सप्लायर को किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष संस्था का बिल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण यह ज्ञात न हो सका कि किस दर से कितनी सोलर लाइटें खरीदी गई हैं तथा उक्त खरीद में नियमों का पालन हुआ है या नहीं भी अस्पष्ट रहा।

140000.00 का भुगतान गाम प्रधान श्री राकेश द्वारा नकद लिया गया है, इसके आहरण के सापेक्ष क्या कार्य कराये गये अथवा क्या सामग्री क्रय की गई अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहा। अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव, पंजिका, क्रय आदेश, कुटेशन, बिल, आपूर्ति चालान, स्टॉक/उपभोग पंजिका, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं कराने से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से एवं फर्म से सॉट-गॉट कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-सनगवाँ, सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या- 57:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2009-10 से 2014-15 तक का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष में किये गये आहरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, फर्म का आपूर्ति प्रमाण पत्र फर्म का बिल, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र आदि। अतः अभिलेखों के अभाव में किये गये आहरण के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः 1488562.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन (तालिका में दर्शित) ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित/विवरण इस प्रकार से है :-

क्र0सं0	वर्ष	धनराशि	ग्राम प्रधान का नाम	ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम
1.	2009-10	121336-00	श्री मुनेश सिंह	श्री ओम प्रकाश माथुर
2.	2010-11	69000-00	श्री मुनेश सिंह	श्री ओम प्रकाश माथुर
		139175-00	श्रीमती मुन्नी देवी	श्री ओम प्रकाश माथुर
3.	2011-12	88165-00	श्रीमती मुन्नी देवी	श्री ओम प्रकाश माथुर
4.	2012-13	237750-00	श्रीमती मुन्नी देवी	श्री ओम प्रकाश माथुर
5.	2013-14	450836-00	श्रीमती मुन्नी देवी	श्री विजय माथुर
6.	2014-15	132500-00	श्रीमती मुन्नी देवी	श्री विजय माथुर
		249800-00	श्रीमती मुन्नी देवी	श्री विजय माथुर
	योग	1488562-00		

(ग्राम पंचायत- मुडिया ता0 पसगवाँ, सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या- 58:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2009-10 में चैक सं0- 504136 के द्वारा 16000.00 का भुगतान एम. आई.एस. टायल संजय एण्ड कम्पनी को 4000.00 प्रति वर्ष की दर से 04 वर्ष के अभिलेखीकरण हेतु दिया गया है। पुष्टि में फर्म का बिल एवं अभिलेखों की एक-एक प्रति उपलब्ध नहीं रहने के कारण किया गया व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्म से सॉट-गॉट कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-ओडाझार, सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या- 59:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2012-13 में चैक संख्या- 102741 दिनांक- 19.12.2012 को 62760.00 का भुगतान नेडा प्रोजेक्ट्स को सौर्य ऊर्जा से संचालित होने वाली लाइटों हेतु किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य-योजना, प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश बिल, स्टॉक पंजिका, कार्य-पूर्ति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण किया गया व्यय अपुष्ट रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश गंगवार से की जानी अपेक्षित।

(ग्राम पंचायत- ओडाझार, सा0आ0सं0-13)

प्रस्तर संख्या-60:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2009-10 से 2014-15 तक निम्न विवरणानुसार बैंक से धन आहरित कर व्यय किया गया है। पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, बिल वाउचर, कैश बुक, क्रय आदेश, आपूर्ति आदेश, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि के अभाव में किया गया आहरण पूर्णतः अप्रमाणित रहा। यह भी अपुष्ट रहा कि क्या सामग्री क्रय की गई अथवा क्या कार्य कराया गया। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	धनराशि	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत अधिकारी
2009-10	211974-00	श्री नरेश चन्द्र	श्री विजय कुमार
2010-11	152100-00	श्री नरेश चन्द्र	श्री विजय कुमार
2011-12	316923-00	श्री ओम प्रकाश	श्री विजय कुमार
2012-13	111602-00	श्री ओम प्रकाश	श्री राम प्रकाश गंगवार
2014-15	533820-00	श्री ओम प्रकाश	श्री बटन लाल, राजा राम
योग	1326419-00		

उक्त विवरण से स्पष्ट से स्पष्ट है कि 1326419.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— ओडाझार, सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या-61:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 रमें निम्न विवरणानुसार धनराशि बैंक खाते से पुराने प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजाराम के द्वारा आहरित की गई है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1	43	21.04.2015	68000.00	त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड
2	45	20.07.2015	41000.00	श्री देवेश ब्रिक फील्ड
3	46	09.09.2015	20000.00	श्री जितेन्द्र ब्रिक फील्ड
4	47	09.09.2015	6700.00	श्री देवेश ब्रिक फील्ड
5	49	09.09.2015	37000.00	ट्रांसफर दूखाता सं0-2/17
		योग	172700.00	

इस प्रकार 172700.00 के आहरण के सापेक्ष ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके क्या-क्या सामग्री किस मात्रा में किस दर से कय की गई है एवं उसका उपभोग कहां पर किस कार्य में हुआ है। अभिलेख-अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कय आदेश, बिल, आपूर्ति आदेश, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, आदि। अतः 172700.00 की ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं ग्राम पंचायत श्री राजाराम से की जानी अपेक्षित।

(ग्राम पंचायत— ओडाझार, सा0आ0सं0-15)

प्रस्तर संख्या-62:- इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में निम्न विवरणानुसार धनराशियां बैंक खाते से नये प्रधान श्री नरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव प्रकाश (नव नियुक्त) के द्वारा आहरित की गई :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि (में)	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम
58	30.03.2016	200000-00	त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड
53	30.03.2016	175000-00	राज पाइप इन्डस्ट्रीज
57	30.03.2016	50000-00	नरेश चन्द्र (ग्राम प्रधान)
55	31.03.2016	24000-00	कृषि विकास केन्द्र
	योग	449000-00	

इस प्रकार 449000.00 के आहरण के सापेक्ष ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या-क्या सामग्री, किस मात्रा में किस दर से कय की गयी है एवं उसका उपभोग कहाँ पर किस कार्य में हुआ है। अभिलेख-अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका कय, आदेश, आदेश, बिल, आपूर्ति आदेश, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्य पूति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि। अतः 449000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव प्रकाश से की जानी अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिना अनुमोदित कार्य योजना के खाते से धन आहरित कैसे किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— ओडाझार, सा0आ0सं0-16)

प्रस्तर संख्या-63:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में निम्न विवरण अनुसार पेपर ब्लाक का कय किया गया है, विवरण इस प्रकार से है :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान किसे किया गया	बिल नं0	दर संख्या
92	30.08.2014	90476-00	स्थानान्तरण टू अकाउण्ट 06570200000353	—	अप्राप्त
93	30.08.2014	90476-00	स्थानान्तरण टू अकाउण्ट 06570200000353	—	अप्राप्त
	योग	180952-00			

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म के बिल के अभाव में यह अस्पष्ट रहा कि किस दर से कितनी ईंटे (पेपर ब्लाक) किस फर्म से कय की गई है। इस कय के सापेक्ष अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कय-अदेश, संस्था का बिल, आपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त कय अपुष्ट रहा। अभिलखों के अभाव में स्पष्ट है कि संस्था से सॉट-गॉठ कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-मुडिया बिलहरा, सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या-64:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में निम्न विवरणानुसार लाईट कय किया जाना दर्शित है, विवरण निम्न प्रकार से है :-

चैक सं0	चैक निर्गत करने का दिनांक	बैंक से चैक भुगतान का दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	बिल नं0	दर संख्या
69	22.07.2014	25.2014	100000-00	जैड.ए. इन्टर प्राइजेज पीलीभीत	—	अप्राप्त
73	26.07.2014	28.07.2014	62000-00	जैड.ए. इन्टर प्राइजेज पीलीभीत	—	अप्राप्त
		योग	162000-00			

उक्त कय की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कय आदेश, कुटेशन, विभागीय अनुमति, फर्म का बिल (जिससे दर एवं संख्या की पुष्टि की जा सके) स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में उक्त कय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि संस्था से सॉट-गॉठ कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत- मुडिया बिलहरा, सा0आ0सं0-13)

प्रस्तर संख्या-65:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 में निम्न विवरण अनुसार धन राशि का आहरण बैंक खाते से किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) ईंट कय :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	बिल नं0	दर संख्या
65	16.07.2014	75000-00	राम रहीम ब्रिक्स फील्ड	—	अप्राप्त
66	16.07.2014	83000-00	राम रहीम ब्रिक्स फील्ड	—	अप्राप्त
67	22.07.2014	150000-00	सैनिक ब्रिक्स फील्ड	—	अप्राप्त
95	29.08.2014	27750-00	मीर वाहिद ब्रिक्स फील्ड	—	अप्राप्त
94	29.08.2014	27750-00	मीर वाहिद ब्रिक्स फील्ड	—	अप्राप्त
100	27.09.2014	90000-00	मीर वाहिद ब्रिक्स फील्ड	—	अप्राप्त
100	योग	453500-00			

(ख) सीमेन्ट कय :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	बिल नं0	दर संख्या
74	06.08.2014	20800-00	अज्ञात	अप्राप्त	अप्राप्त
96	29.08.2014	23700-00	अज्ञात	अप्राप्त	अप्राप्त
	योग	44500-00			

इस प्रकार कुल खरीद 498000.00 (453500 + 44500) की खरीद के सापेक्ष ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कय आदेश, संस्था/फर्म का बिल (दर एवं संख्या, किस्त हेतु), फर्म का आपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का नाम लम्बाई × चौड़ाई सहित (जहाँ यह सामग्री प्रयोग की गई), स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी, (सेक्टर प्रभारी) द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में दर्शित कय की सामग्री अपुष्ट रही। स्पष्ट है कि संस्था से सॉट-गॉठ कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से की जानी अपेक्षित है। (ग्राम पंचायत- मुडिया बिलहरा, सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या-66:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में ग्राम पंचायत ढक्का चॉट उर्फ ग्रान्ट नं0 21 से ग्राम पंचायत बिरकिया बरगदिया नवगठित हुई को शासनरादेश संख्या- 3468/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 14.01.2016 के द्वारा निर्धारित फार्मूला के अनुसार नवगठित ग्राम पंचायत खिरकिया बरगदिया को उसका अंश

आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के दिनांक-06.02.2016 के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद पीलीभीत के कार्यलय पत्रांक- 4282/7/लेखा/दिनांक 10.02.2016 के द्वारा 51245.00 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं पत्रांक- 4139/7-पं0/लेखा /दिनांक- 05.02.2016 के द्वारा 217572.00 चौदहवां वित्त आयोग से इस प्रकार कुल 268817.00 को हस्तांतरण की अपेक्षा नियमानुसार की गयी थी। परन्तु ग्राम पंचायत ढक्का चौद द्वारा नव सृजित ग्राम पंचायत खिरकिया बरगदिया को ग्राम निधि बैंक एकाउन्ट नं0- 45040100006975 में अतिथि तक उक्त धनराशि का हस्तांतरण नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा 268817.00 की खाते में हस्तान्तरण करने के स्थान पर दिनांक-11.02.2016 को चैक संख्या- 048204 के द्वारा आज हिन्द ब्रिक फील्ड शरेपुर कलां पूरनपुर पीलीभीत को 54000 खंजर ईट कय किये जाने हेतु 270000.00 का चैक मनमाने ढंग से जारी किया गया है। सम्बन्धित फर्म के बिल संख्या- बुक नं0-निल कमां सं0- 182 दिनांक 11.02.2016 के द्वारा 54000 खंजर ईटों को नवसृजित ग्राम पंचायत खिरकिया बिगदिया को उक्त बिल पर ही ग्राम प्रधानश्री लल्लन प्रसाद को प्राप्त कर दी गयी है। जबकि नियमानुसार धनराशि का हस्तान्तरण होना चाहिए था। मानमानें ढेग से उक्त ईटों को कय कर हस्तान्तरण किया गया है पुष्टि में निम्न आपत्तिया पायी गयी :-

1. सामग्री कय कर नवगठित ग्राम पंचायत को सामग्रीहस्तान्तरण कियेजाने सम्बन्धीकोई भी शासनादेश एवं विभागीय आदेश/स्वीकृति उपलब्ध नहीं रही।
2. ग्राम पंचायत द्वारा बिना टेण्डर प्रक्रिया के सामग्री कय की गयी है, जो कि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक- 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है।
3. ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री कय आदेश सामग्री स्टॉक पंजिका सम्बन्धित फर्म द्वारा ईटों को प्रेषण कियं जाने हेतु चालानों की प्रतियां व आपूर्ति आदेश इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे।
4. आज हिन्द ब्रिक फील्ड के वाउचर बुक नं0 अंकित नहीं सम्बन्धित फर्म मालिक के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये।
5. विभागीय सक्षम अधिकारी के द्वार सामग्री के भैतिक सत्यापन उपरान्त ही हस्तान्तरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं की गयी।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुखविन्दर कौर एवं ग्राम प्रधान खिरकिया बरगदिया श्री लल्लन प्रसाद की मिली भगत से फर्म के साथ सौद-गौद कर 270000.00 की 54000 खंजर ईट का फर्जी कय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुखविन्दर कौर (ग्राम प्रधान खिरकिया बरगदिया) एवं श्री ओम प्रकाश भारती ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-ढक्का चौद उर्फ ग्रान्ट नं0 21, सा0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या-67:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती सुखविन्दर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती द्वारा ग्राम निधि खाते से निम्न विवरणानुसार खंजर ईटों को कय किया जाना दर्शाया गया है :-

क. सं.	चैक सं0	दिनांक	भुगतान की धनराशि	कय ईटों का विवरण			फर्म का नाम	बिल नं0 व दिनांक	कैश बुक अनुसार प्रमाणक दिनांक
				किस्म	दर	ईट की सं0			
1	048201	11.02.2016	270000.00	खंजर	5000	54000	बारसी बी.एफ.	58/11.02.2016	03/11.02.2016
2	048206	22.02.2016	135000.00	खंजर	5000	27000	आज हिन्द बी.एफ.	180/22.02.2016	05/22.02.2016
3	048209	08.03.2016	200000.00	खंजर	5000	40000	बारसी बी.एफ.	56/08.03.2016	08/08.03.2016
	योग		605000.0		5000	121000			

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 121000 खंजर ईट दर 5000 प्रति हजार की दर से 605000.00 की कय की गयी है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयीं :-

1. दिनांक 11.02.2016 की ईट खरीद मे मैसर्स बारसी ब्रिक फील्ड धनारा घाट रोड पूरनपुर का बिल संख्या- 58 दिनांक-11.02.2016 एवं दिनांक- 08.03.2016 की ईट खरीद मे मैसर्स बारसी ब्रिक फील्ड धनारा घाट रोड पूरनपुर का बिल संख्या- 56 दिनांक- 08.03.2016 का प्रयोग हुआ है जो अनियमित/असंभव है। एक ही फर्म के बिल पर बिल सं0- 58 पहले एवं बिल सं0- 56 बाद की तिथि में होना।

2. इसी प्रकार दिनांक- 22.02.2016 की ईट खरीद में मैसर्स आज हिन्द ब्रिक फील्ड शेरपुर कलां पूरनपुर, पीलीभीत का बिल संख्या- 180 दिनांक- 22.02.2016 एवं दिनांक- 11.02.2016 की ईट खरीद में बिल संख्या- 182 दिनांक- 11.02.2016 का प्रयोग हुआ है जो अधिमित/असम्भव है।

उक्त के अतिरिक्त कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, सामग्री क्रय आदेश, टैण्डर प्रक्रिया, प्राक्कलन प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय पंजिका, आपूर्ति आदेश, ईट प्राप्ति चालानों की प्रतियां, सामग्री स्टॉक पंजिका, बिल वाउचरों पर बुक नं० अंकित न होना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापांकन पुस्तिका, उपभोग प्रमाण पत्र, डी.पी.सी.-09 सक्षम अधिकारियों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। उक्त अनियमितताओं व अभिलेखों के अभाव में 605000.00 का ईट क्रय, फर्जी क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुखविन्दर कौर से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-ढक्का चॉट उर्फ ग्रान्ट नं० 21, सा०आ०सं०-18)

प्रस्तर संख्या-68:-लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री करन सिंह नामबियाल के द्वारा निम्न विवरण अनुसार धन का आहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है:-

क सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1	105	15.03.2016	90000.00	आज हिन्द ब्रिक फील्ड
2	589330	17.03.2016	263000.00	लूज चेक किसे भुगतान किया गया
3	589331	17.03.2016	62000.00	लूज चेक अस्पष्ट
4	121	31.03.2016	48000.00	ब्रजपाल
5	122	31.03.2016	55000.00	श्रीपाल
		योग	518000.00	

उक्त आहरण के सापेक्ष क्या सामग्री क्रय की गयी अथवा क्या कार्य कराया गया अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहा। अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, संस्था का बिल, आपूर्ति आदेश स्टॉक प्राक्कलन तथा मापांकन पंजिका आदि के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री करन सिंह नामबियाल से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-बंजरिया, सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या- 69 :-लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि खाते से रू० 343899.00 के चैक ग्राम प्रधान श्रीमती कौर एवं ग्राम्य विकास अधिकारी श्री भगवान स्वरूप व श्री विजय कुमार के द्वारा निर्गत कर भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया विवरण निम्नवत् है:-

(i) श्री लखविन्द सिंह ग्राम प्रधान पति के नाम आहरण:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
29.09.2014	55	20000.00
27.03.2015	31	40000.00
	योग	60000.00

(ii) ग्राम प्रधान द्वारा आहरण:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
21.04.2014	अज्ञात	1500.00
24.12.2014	25	16500.00
24.12.2014	26	30000.00
	योग	48000.00

(iii) मोहन के द्वारा आहरण:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
18.09.2014	53	40425.00
04.10.2014	56	36750.00
	योग	77175.00

(iv)गनेश ब्रिक फील्ड को भुगतान:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
31.03.2014	23	20000.00
	योग	20000.00

(v)श्री रमेश द्वारा आहरण:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
20.06.2014	49	40000.00
	योग	40000.00

(vi)श्री अवतार सिंह (रोजगार सेवक के भाई के नाम)आहरण:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
10.10.2014	59	20000.00
	योग	20000.00

(vii)श्री राम औतार (सफाई कर्मचारी के भाई के नाम)आहरण:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
30.05.2014	24	70000.00
	योग	70000.00

(viii)विभिन्न के नाम चैक :-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	अपहरणकर्ता का नाम
13.09.2014	52	4000.00	संदीप कुमार
13.09.2014	51	4500.00	निजामुद्दीन
	योग	8500.00	

उक्त का संकलित विवरण निम्नवत् है :-

i.	श्री लखविन्द्र सिंह ग्राम प्रधान पति के नाम आहरण		60000.00
ii.	श्रीमती कश्मीर कौर ग्राम प्रधान के नाम आहरण		48000.00
iii.	श्री मोहन के नाम व आहरण		77175.00
iv.	श्री गनेश ब्रिक फील्ड के नाम भुगतान		20000.00
v.	श्री रमेश को भुगतान		40000.00
vi.	श्री अवतार सिंह (रोजगार सेवा) के भाई के नाम आहरण		20000.00
vii.	श्री राम औतार (सफाई कर्मचारी) के भाई के नाम आहरण		70000.00
viii.	विभिन्न के नाम चैक निर्गत कर आहरण करना		8500.00
	कुल योग		343675.00

उक्त 343675.00के व्यय की पुष्टि मे प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, कय आदेश, बिल वाउचर, मस्टर रोल, सामग्री स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, सक्षम विभागीय अधिकारी की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र/डी0पी0सी0-09 इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जिस कारण 343675.00 का भुगतान/व्यय पूर्णता: अप्रमाणित रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनाधिकृत व्यक्तियों के नाम चैक निर्गत कर धन आहरण कराया गया है। जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्मों को चैक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त अभिलेखों के अभाव में 343675.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कश्मीर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भगवान स्वरूप 130000.00 व ग्रामप्रधान श्रीमती कश्मीर कौर एवं श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी 213675.00 की करायी जानी अपेक्षित रही। इस ओर विभागीय अधिकारी ध्यान दें।

(ग्राम पंचायत-रमनगरा,सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर संख्या- 70 :-लेखा परीखा वर्ष- 2015-16 में ग्राम निधि खाते से 303558.00 का भुगतान चैक निर्गत कर लिया गया है, जिस विवरण निम्नवत् है :-

(i) श्री मोहन के द्वारा आहरण :-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
09.09.2015	41	27000.00
20.02.2016	44	56350.00
	योग	83350.00

(i) विभिन्न के द्वारा आहरण :-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	
10.04.2015	32	4000.00	श्री निजामुद्दीन
05.05.2014	36	49200.00	राष्ट्रीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नियोड़ा)
11.09.2015	40	20000.00	श्रीमती कश्मीर कौर (ग्राम प्रधान)
	योग	73200.00	
मोहन द्वारा आहरण	83350.00		
कुल आहरण	156550.00		

उक्त 156550.00 के व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रांक्कल, सामग्री क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के बिल वाउचर, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, सामग्री स्टॉक पंजिका, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र/डी0पी0सी0-09, सेक्टर प्रभारी व सक्षम विभागीय अधिकारियों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिस कारण उक्त आहरित 156550.00 पूर्णतः अपुष्टित रहा। अधिकतर धनराशियों को ग्राम प्रधानों द्वारा अनयमित तरीके से नकद आहरण कर मनमाने ढंग से व्यय दर्शाये हुए (उक्त अभिलेखों के अभाव में) 156550.00 का अपहरण संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कश्मीर कौर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से 100200.00 एवं श्री प्रशान्त साना (ग्राम प्रधान) व विजय कुमार (ग्राम्य विकास अधिकारी) से 56350.00 की करायी जानी अपेक्षित रही। विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान दें।

(ग्राम पंचायत-रमनगरा, सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर संख्या- 71 :-लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहे। परन्तु इन वर्षों में निम्न विवरणानुसार एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गई है। जोकि लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्यय हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क0सं0	वर्ष	एम0आई0एस0फीडिंग अनुसार			एम0आई0एस0 फीडिंग भुगतान शेष			योग
		श्रमांश	समग्री	योग	श्रमांश	समग्री	योग	
1	2013-14	0.45	6.37	6.82	—	—	—	6.82
2	2014-15	—	3.09	3.09	—	—	—	3.09
		6.28	4.81	11.09	—	0.13	0.13	11.22
	योग							21.13 लाख

उक्त व्यय की पुष्टि के सापेक्ष, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, स्टीमेट प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पंजिका, स्टॉक पंजिका, मस्टर रोल, क्रय प्रमाणक, माप पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, डी0पी0सी0-9 आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्पष्ट होता है कि बिना अभिलेखों के मनमाने ढंग से एम0आई0एस0फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। अतः कुल धनराशि रू0 21.13 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं रोजगार सेंवक तथा तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी (भुगतान हेतु डोगल लगाया गया है) से किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत-अकबरा बाद, सा0आ0सं0- ग-1)

प्रस्तर संख्या- 72 :-लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01.04.2013 से 31.10.2015 तक की अवधि से बैंक सम्बन्धित बैंक आफ बड़ौदा, शाखा नॉद, खाता न0 16410100004183 से किये गये आहरण का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क0 सं0	वर्ष	आहरित धनराशि
1	2013-2014	642790.00
2	2014-2015	557362.00
3	01.04.2015 से 31.10.2015	179228.00
	योग	1379380.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 1379380.00 के आहरण के सापेक्ष प्रस्ताव पंजिका, कोषवही, बजट पंजिका, स्टॉक पंजिका, टेन्डर/कुटेशन पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, डी0पी0सी0-9 इत्यादि अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा8(क)के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोट भी प्रमाणक न होने पर दर्शायी गई या आहरित की गई धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या -199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास-अधिकारी (पं0) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका एवं संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सहायक विकास-अधिकारी (पं0) नियम संख्या -199 के प्रति उदासीनता एवं मौन, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गवन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती राम श्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार तथा श्री राजाराम से ₹0 1379380.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है। तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं0) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी आकर्षित किया जाता है।

नोट:- विकास खण्ड कार्यालय से ग्राम पंचायतों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्ट एवं सटीक कार्यकाल अंकित नहीं किया जा पा रहा है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

(ग्राम पंचायत-अकबरा बाद, सा0आ0सं0-ख-1, ग्राम निधि)

प्रस्तर संख्या- 73 :-लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14 से 2015-16 तक मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु हेतु उपलब्ध नहीं रहे। परन्तु इन वर्षों में निम्न विवरणानुसार एम0आई0एस0फीडिंग कराई गई है जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में किये गये व्यय हेतु पर्याप्त साक्ष्य है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क. सं.	वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार			एम0आई0एस0 अनुसार भुगतान शेष			योग
		श्रमांश	सामग्री	योग	श्रमांश	सामग्री	योग	
1	2013-14	2.45	0.53	2.98	-	-	-	2.98
2	2014-15	0.78	-	0.78	-	0.01	0.01	0.79
3	2015-16	1.74	-	1.74	0.18	3.27	3.45	5.19
	योग							8.96 लाख

उक्त व्यय की पुष्टि के सापेक्ष प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, स्टीमेट, प्रशासनिक-तकनीकी-वित्तीय स्वीकृति, कुटेशन/टेन्डर पंजिका, स्टॉक पंजिका, मस्टर रोल, क्रय प्रमाणक, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, डी0पी0सी0-09 आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्पष्ट होता है कि बिना अभिलेखों के मानमाने ढंग से एम0आई0एस0फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। अतः कुल धनराशि 8.96लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक तथा कार्यक्रम अधिकारी (भुगतान हेतु डोंगल लगाये जाने के कारण) से किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्ष-2015-16 में मनरेगा के मार्गदर्शी सिद्धान्त 60 : 40 (श्रमांश : सामग्री) के अनुसार व्यय नहीं किया गया है। कुल व्यय 5.19 लाख का सापेक्ष सामग्री अंश 2.07 लाख के सापेक्ष 3.27 लाख किया गया है जो 1.20 लाख से अधिक है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत-हेमपुर, मनरेगा, सा0आ0सं0-1 ग)

प्रस्तर संख्या- 74 :-लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि 01.04.2014 से 31.10.2015 तक की अवधि में निम्न प्रकार से धनराशियाँ आहरित की गई हैं। (01.04.2014 से 31.03.2015 तक 436278.00 एवं 01.04.2015 से 31.10.2015 तक 171000.00 कुल 607278.00 बैंक खाता संख्या- 31547562151 भारतीय स्टेट बैंक शाखा विलसण्डा ए0डी0बी0 पीलीभीत)।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आहरण 607278.00 के सापेक्ष, प्रस्ताव पंजिका, कार्यवाही पंजिका, कोषवही, बजट पंजिका, स्टॉक पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, क्रय प्रमाणक, टेन्डर/कुटेशन पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, डी0पी0सी0-09 इत्यादि अभिलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष

व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक न होने पर दर्शायी गई या आहरित की गई धनराशि को गवन मानते हुये 607278.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार, श्री रोहितेश जैसवार श्री मुन्ना लाल से किये जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आईपीओसी की धारा- 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 179 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका, कोषवही एवं अन्य संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सहायक विकास अधिकारी (पं०) की नियम संख्या- 179 के प्रति उदासीनता एवं मौन, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गवन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान एवंग्राम पंचायत अधिकारी से 607278.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत-हेमपुर,ग्रामनिधि, सा०आ०सं०-ख 1)

प्रस्तर संख्या- 75 :-लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये, जबकि सम्बन्धित वर्षों में निम्न विवरणानुसार एम०आई०एस० फीडिंग कराई गयी है जो व्यय किये गये धन की पुष्टि करता है। अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराया जाना, स्पष्ट करता है कि मनमाने ढंग से एम०आई०एस०फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार से है:-

क्र०सं०	वर्ष	एम०आई०एस०फीडिंग अनुसार			एम०आई०एस०फीडिंगभुगतान शेष			योग
		श्रमांश	सामग्री	योग	श्रमांश	समग्री	योग	
1	2013-14	3.13	1.05	4.18	—	—	—	4.18
2	2014-15	0.35	0.70	1.05	—	—	—	1.05
3	2015-16	2.32	0.33	2.65	2.67	0.41	3.08	5.73
	योग	5.80	2.08	7.88	2.67	0.41	3.08	10.96

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में सामग्री अंश 4.99 लाख एवं श्रमांश अंश 0.74 लाख है जो मनरेगा योजना के सिद्धान्त 60:40 (अर्थात् श्रमांश अंश 60 प्रतिशत एवं सामग्री अंश 40 प्रतिशत) के विपरीत है। इस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। (ग्राम पंचायत-बबूरा, सा०आ०सं०-ग-1 मनरेगा)

प्रस्तर संख्या- 76 :-लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक निम्न विवरण अनुसार धनराशियाँ बैंक खाते से आहरित की गई हैं। जिसका विवरण अनुसार इस प्रकार से है, वर्ष 2013-14 में 357348.00, वर्ष 2014-15 में 435200.00 एवं वर्ष 2015-16 में 405804.00 कुल 1198352.00 का आहरण किया गया है। आहरित धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव पंजिका, कोषवही ,बजट पंजिका, स्टॉक पंजिका,कय प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, अनुमोदित कार्य योजना, मस्टर रोल, टेन्डर/कुटेशन पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट,डी०पी०सी०-9 इत्यादि अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वित लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा-8(क)के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक न होने पर दर्शायी गई या आहरित की गई धनराशि को गवन मानते हुये 1198352.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आईपीओसी की धारा- 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या -199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास-अधिकारी (पं०) द्वारा निरीक्षण पंजिका ,एवं अन्य संगत अभिलेख अनुउपलब्ध रहे। सहायक विकास-अधिकारी (पं०) नियम संख्या -199 के प्रति उदासीनता एवं मौन, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गवन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी एवं श्रीमती जया तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार तथा श्री ओम प्रकाश माथुर से 1198352.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किये जाने के ओर विशेष रूप आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत-बबूरा, सा०आ०सं०-ख-1ग्रामनिधि)

प्रस्तर संख्या- 77 :-लेखा परीक्षा वर्ष- 2012-13 से 2015-16 तक मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहे। परन्तु इन वर्षों में विवरणानुसार एम०आई०एस०फीडिंग कराई गई है जोकि लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्यय हेतु पर्याप्त साक्ष्य है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	वर्ष	एम०आई०एस०फीडिंग अनुसार			एम०आई०एस०फीडिंग अनुसार			योग
		श्रमांश	सामग्री	योग	श्रमांश	सामग्री	योग	
1	2012-13	4.27	2.19	6.46	-	-	-	6.46
2	2013-14	2.55	2.05*	4.60	-	-	-	4.60
3	2014-15	0.72	-	0.72	0.02	-	0.02	0.74
4	2015-16	1.99	-	1.99	-	3.74	3.74	5.73
	योग	9.53	4.24	13.77	0.02	3.74	3.76	17.53लाख

(मनरेगा योजना अनुसार 60 : 40 का पालन नहीं किया गया है जाँच अपेक्षित)

उक्त व्यय की पुष्टि के सापेक्ष प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, स्टीमेट प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पंजिका, स्टॉक पंजिका, मस्टर रोल, कय प्रमाणक, माप पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, डी०पी०सी०-09 आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं करने के कारण स्पष्ट होता है कि बिना अभिलेखों के मनमाने ढंग से एम०आई०एस०फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। अतः कुल धनराशि 17.53 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं रोजगार सेवक तथा तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी (भुगतान हेतु डोंगल लगाये जाने के कारण) से किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत-घुंघचइया, सा०आ०सं०-ग-1)

प्रस्तर संख्या- 78 :- लेखा परीक्षा वर्ष- 2009-10 से 2011-12 तक अभिलेख एवं एम.आई.एस. फीडिंग दोनों ही उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण व्यय की गयी धनराशि की समीक्षा नहीं हो सकी। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। परिपालन के समय पुष्टि की जावे एवं अभिलेखों के अभाव में व्यय की गयी धनराशि का संकलन कर समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं रोजगार सेवक से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत- घुंघचइया, सा०आ०सं०- मनरेगा-ग-2)

प्रस्तर संख्या- 79:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2009-10 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष- 2010-11 से 2015-16 तक निम्न विवरणानुसार धनराशि बैंक खाता संख्या- 16410100004184 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोंद से आहरित की गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	वर्ष	आहरित धनराशि	क्र०सं०	वर्ष	आहरित धनराशि
1	2010-11	440510.00	1	2013-14	578230.00
2	2011-12	298510.00	2	2014-15	515548.00
3	2012-13	295822.00	3	2015-16	532954.00
	योग				2661574.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2661574.00 के आहरण के सापेक्ष, प्रस्ताव पंजिका, कोषवही, बजट, पंजिका, स्टॉक पंजिका, टेन्डर/कुटेशन, पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, डी०पी०सी०-09 इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क)के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक न होने पर दर्शायी गई या आहरित की गई धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ-साथ जिलापंचायत राज अधिकारी द्वारा आई०पी०सी० की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-147 के नियम संख्या- 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका, एवं संगत अभिलेख, उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सहायक विकास अधिकारी (पं०) की नियम संख्या- 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गवन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं श्रीमती अनामिका तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से 2661574.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं०) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी आकर्षित किया जाता है।

(ग्राम पंचायत-घुंघचियाई, सा०आ०सं०-ख-1ग्राम निधि)

प्रस्तर संख्या-80:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में ग्राम निधि खाते से चैक निर्गत कर सामग्री कय किया जाना दर्शित पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

(क) ईट कय पर भुगतान—

क. सं.	दिनांक	चैक	फर्म का नाम	फर्म का बिल	किस्म	प्रति हजार दर	संख्या	धनराशि (में)
1)	06.04.2015	443487	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	8621	50000
2)	02.05.2015	443490	नीलकण्ठ महादेव	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800		50000
3)	25.05.2015	443491	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	17242	100000
4)	07.07.2015	443492	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	8621	50000
5)	17.09.2015	443496	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	17242	100000
6)	17.09.2015	443497	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	17242	100000
7)	11.02.2016	449887	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	17242	100000
8)	20.02.2016	449895	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	17242	100000
9)	20.02.2016	449896	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	17242	100000
10)	20.02.2016	449897	नव भारत ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	अब्बल ईट	5800	17242	100000
11)	19.03.2016	455905	अजन्ता ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	खंजर	5000	20000	100000
12)	19.03.2016	455909	अजन्ता ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	खंजर	5000	20000	100000
13)	19.03.2016	455910	अजन्ता ब्रिक फील्ड	अप्राप्त	खंजर	5000	20000	100000
							योग	11,50,000

(ख)सीमेन्ट मोरिंग कय पर भुगतान

दिनांक	चैक सं०	फर्म का नाम	बिल/वाउचर	धनराशि
08.04.2015	443488	सिंह एण्ड कम्पनी	अप्राप्त	50000-00
07.09.2015	443494	सिंह एण्ड कम्पनी	अप्राप्त	50000-00
07.09.2015	443993	सिंह एण्ड कम्पनी	अप्राप्त	50000-00
20.02.2016	449898	सिंह एण्ड कम्पनी	अप्राप्त	50000-00
20.02.2016	449899	सिंह एण्ड कम्पनी	अप्राप्त	50000-00
16.03.2016	455902	सिंह एण्ड कम्पनी	अप्राप्त	80000-00
			योग	330000-00

क्र०सं०	सामग्री की किस्म	धनराशि	भुगतान कर्ता का नाम	सामग्री कय की अवधि
01	ईट कय	4,50,000-00	श्रीमती फूलमती पूर्व ग्राम प्रधान	06.04.2015 से 19.09.2015 तक
02	ईट कय	7,00,000-00	श्री जोगेश्वर दयाल वर्तमान चैक	11.02.2016 से 19.03.2016 तक
03	सीमेन्ट व मोरिंग	1,50,000-00	श्रीमती फूलमती पूर्व ग्राम प्रधान	08.04.2015 से 07.09.2015 तक
04	सीमेन्ट व मोरिंग	1,80,000-00	श्री जोगेश्वर दयाल वर्तमान चैक	20.02.2016 से 16.03.2016 तक
	योग	14,80,000-00		

उक्त सामग्री कय 1480000.00 की जाँच में पाया गया कि सामग्री कय में कय नियमों का पालन नहीं किया गया है। (सम्बन्धित फर्मों के कोटेशन एवं निविदायें आमंत्रित नहीं किये गये) प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, सामग्री कय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां फर्मों के बिल/वाउचर, सामग्री स्टॉक पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, कराये गये कार्यों का विवरण मापांकन पुस्तिक, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र उपभोग प्रमाण—पत्र, डी०पी०सी०—०९, सेक्टर प्रभारी एवं विभागीय सक्षम अधिकारियों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट व सूची इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये, जिस कारण उक्त कय पूर्णतः अपुष्टित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तैयार की गयी कैश बुक में उक्त कय की गयी सामग्री के सापेक्ष क्या—क्या कार्य कराये गये हैं। का भी विवरण अंकित नहीं किया गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है ग्राम पंचायत द्वारा फर्मों के साथ सॉट—गॉट कर मनमाने ढंग से कय दर्शाक 14,80,000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से 6,00,000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री जागेश्वर दयाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से 8,80,000.00 की करायी जानी अपेक्षित रही जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

(ग्राम पंचायत—सिमरिया ता० अजीतपुर बिल्हा, सा०आ०सं०—10)

प्रस्तर संख्या— 81:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16ग्राम पंचायत— सिमरिया ता0 अजीतपुर बिल्हा, में ग्राम निधि खाते से ग्राम प्रधान पति श्री दुर्गा प्रसाद के नाम चैक निर्गत कर धनराशि का अपहरण कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

पास बुक/बैंक के अनुसार			कैश बुक के अनुसार				
दिनांक	चैक सं०	धनराशि	क०सं०	दिनांक	वाउचर सं०	कार्य का विवरण	धनराशि
16.09.2015	443500	35000.00	01	16.09.2015	अंकित नहीं	70 ट्राली मिट्टी 500/- ट्राली	35000.00
29.09.2015	449885	30000.00	02	29.09.2015	अंकित नहीं	मस्टर रोल कुशल /अकुशल श्रमिक	30000.00
	योग	65000.00					65000.00

उक्त 65000.00 के व्यय की पुष्टि में निम्न आपत्ति पायी गयी :-

कमांक—1 पर पायी गयी आपत्तियां :- कैशबुक व व्यय प्रमाण पर कार्य स्थल का उल्लेख नहीं किया जाना, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, प्राक्कलन (कार्य की ल०×चौ०×ग०) मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, सेक्टर प्रभारी व विभागीय सक्षम अधिकारियों का स्थलीय भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों कोलेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य आवादी के ट्रैक्टर का नं० का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त व्यय पूर्णतः अप्रमाणित रहा।

कमांक—2 पर पायी गयी आपत्तियां :- कैश बुक व मस्टर रोल पर कार्य स्थल का उल्लेख नहीं, कार्य अवधि का उल्लेख नहीं, कार्य का उल्लेख नहीं, हस्ताक्षर भुगतान कर्ता के नहीं, मस्टर रोल में राज मिस्त्री व मजदूरी का प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं, इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव पंजिका अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, कार्य निर्माण पंजिका, मापांकन पुस्तिका, सेक्टर प्रभारी एवं सक्षम विभागी अधिकारियों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जिस कारण व्यय पूर्णतः अप्रमाणित रहा।

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान पति के नाम मनमाने ढंग से धन का आहरण कराकर 65000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सक्सेना द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से करायी जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— सिमरिया ता० अजीतपुर बिल्हा, सा०आ०सं०—11)

प्रस्तर संख्या— 82:—वर्ष—2014—15 के लेखा परीक्षा में दिनांक 02.12.2014 को कैशबुक अनुसार बैंक में जमा 391.00 दर्शित किया गया परन्तु पुष्टि में बैंक पासबुक / बैंक स्टैटमेन्ट के अनुसार जमा दर्शित नहीं है। इस प्रकार 391.00 नकद प्रधान श्रीमती शब्बेनूर एवं तत्कालीन सचिव श्री अखिलेश कुमार से ब्याज सहित वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— सिरसा सरदाह, सा० आ० सं०—(ख)०८)

प्रस्तर संख्या— 83:—वर्ष— 2014—15 के लेखा परीक्षा में माह —जनवरी /2015 में रोकड़ बही के आय पक्ष का योग 199972.00 एवं व्यय पक्ष का योग 199702.00 दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा अनुसार आय पक्ष का योग 213652.00 होना चाहिये था। इस प्रकार माह के अन्त में अन्तिम अवशेष 270.00 के बजाय लेखा परीक्षा अनुसार 13950.00 होना चाहिये था। इस प्रकार अन्तर धनराशि रु (13950—270) = रु 13680.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान शब्बेनूर एव तत्कालीन सचिव श्री अखिलेश कुमार से कर जमा किया जाना अपेक्षित है। माह जनवरी /2015 के कैशबुक अनुसार आय—व्यय पक्ष का विवरण निम्न प्रकार है।

आय पक्ष			व्यय पक्ष		
दिनांक	विवरण	धनराशि	दिनांक	विवरण	धनराशि
01.01.2015	प्र० अवशेष	50.00	17.01.2015	एम.आर.	12000.00
12.01.2015	आहरण	10200.00	19.01.2015	ईटक्य	44000.00
16.01.2015	आहरण	1500.00	19.01.2015	आहरण समायोजन	40.00
17.01.2015	आहरण	2000.00	20.01.2015	खाते में जमा	3450.00
19.01.2015	आहरण	9200.00	20.01.2015	आहरण समायोजन	50.00
19.01.2015	आहरण	40.00	30.01.2015	रेत क्य	7500.00
19.01.2015	आहरण	15200.00	30.01.2015	प्राप्त धन खाते में जमा	109601.00
20.01.2015	डी०पी०आर०ओ०से प्राप्त	3450.00	30.01.2015	प्राप्त धन खाते में जमा	23061.00
20.01.2015	आहरण	50.00			
23.01.2015	आहरण	18500.00			

23.01.2015	आहरण	15800.00			
30.01.2015	आहरण	5000.00			
30.01.2015	डी0पी0आर0ओ0 से प्राप्त	109601.00			
30.01.2015	डी0पी0आर0ओ0से प्राप्त	23061.00			
	योग	199972.00		योग	199702.00

लेखा परीक्षा अनुसार योग— 213652

अवशेष — 270.00

अन्तर (—) — 13680.00

अन्तर (+) 13680.00

अवशेष जो होना चाहिये था 13950.00

(ग्राम पंचायत— सिरसा सरदाह, सा0 आ0 सं0—(ख)09)

प्रस्तर संख्या— 84:—वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये कोषवही में दिनांक 17.04.2015 को आहरित धनराशि 20000.00 (रु0 बीस हजार मात्र) चेक सं— 935984 द्वारा श्री राशिद खान की प्रविष्टि नहीं की गयी है। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही में प्रविष्टि नहीं होना, कय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, कार्य योजना, स्वीकृत स्टीमेंट, टेण्डर / कोटेशन पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेख मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा 8 (क) के अनुसार दर्शित व्यय / आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। इस प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती शब्बेनूर एवं सचिव श्री अखिलेश कुमार से 20000.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किये जाने के लिये विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत— सिरसा सरदाह, सा0 आ0 सं0—(ख)10)

प्रस्तर संख्या— 85:—वर्ष—2014—15 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गए कोषवही में दिनांक 01.04.2014 से 23.08.2014 तक प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की गयी है। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट (बैंक ऑफ इण्डिया, पीलीभीत, खाता नं0— 633110100005040) के अनुसार कुल अंकन 252460.00 का आहरण किया गया है। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर / कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेंट, डी0पी0सी0—09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा—8 (क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए प्रावधान है। इस प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर दयाल एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय तिवारी से 252460.00 की वसूली की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण	चेक नं0	धनराशि
15.04.2014	तेजराम	1214	20000.00
03.05.2014	नकद	1212	10000.00
09.05.2014	शाहजी ब्रिक फील्ड	1215	44000.00
17.05.2014	महेश कुमार	1219	5000.00
19.05.2014	रामेश्वर दयाल	1216	5000.00
26.05.2014	रामेश्वर दयाल	1220	5000.00
29.05.2014	हरीशंकर	1221	5000.00
29.05.2014	मुकेश कुमार	1217	5000.00
14.06.2014	रामेश्वर दयाल	1222	5000.00
14.06.2014	हरीशंकर	1223	5000.00
16.06.2014	संदीप कुमार	1224	5000.00
24.06.2014	तेजराम	1226	15000.00
24.06.2014	जयराम	1225	15000.00
03.07.2014	मानसिंह	1227	6460.00
10.07.2014	गौरव गुप्ता	1228	5000.00
17.07.2014	रामेश्वर दयाल	1229	17500.00
06.08.2014	शाहजी ब्रिक फील्ड	1230	67000.00
16.08.2014	रामेश्वर	1231	5000.00

21.08.2014	मानसिंह	1232	5000.00
23.08.2014	संजीव	1233	2500.00
	योग—		<u>252460.00</u>

(ग्राम पंचायत—रूराराम नगर, सा0आ0सं0—(ख)8)

प्रस्तर संख्या— 86:—वर्ष— 2014—15 के कोषवही में दिनांक— 21.10.2014 से 06.01.2015 तक के प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की गयी है। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल 497694.00 का आहरण किया गया है। आहरित धनराशि के सापेक्ष में कय प्रमाणक, कार्यपति प्रमाण पत्र, कार्य योजना मस्टर रोल, [टेण्डर/कुटेशन](#) पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट, डी0पी0सी0—09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शयी गयी आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि को वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। इस प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर दयाल एवं तत्कालीन सचिव श्री अखिलेश कुमार से 497694.00की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

दिनांक	विवरण	चेक नं0	धनराशि
21.10.2014	रामगोपाल	1256	3000.00
21.10.2014	रामेश्वर दयाल	1258	5000.00
22.10.2014	रूपलाल	1255	7000.00
27.10.2014	जयराम	1260	35000.00
28.10.2014	आत्माराम	1261	5000.00
28.10.2014	द्वारिका प्रसाद	1262	5000.00
29.10.2014	के.जी.एन. ब्रिक फील्ड	1254	80000.00
05.11.2014	रूपलाल	1263	2500.00
05.11.2014	सोमपाल	1265	4600.00
05.11.2014	जयराम	1264	4500.00
10.11.2014	सोमपाल	1266	5000.00
13.11.2014	दीपक ब्रिक फील्ड	1259	80000.00
15.11.2014	मान सिंह	1268	4000.00
17.11.2014	सोमपाल	1271	5000.00
19.11.2014	रवि कुमार	1269	744.00
21.11.2014	रामेश्वर दयाल	1273	3500.00
24.11.2014	दीक्षित एजेन्सी	1270	28000.00
27.11.2014	दीक्षित	1257	40000.00
10.12.2014	रामेश्वर दयाल	1286	3400.00
10.12.2014	महेन्द्र	1272	38000.00
20.12.2014	सिदार्थ इन्टरप्राइजेज	1288	70450.00
03.01.2015	जयराम	1292	10000.00
06.01.2015	चाँद ब्रिक फील्ड	1290	48000.00
06.01.2015	रामेश्वर दयाल	1291	10000.00
	योग		<u>497694.00</u>

(ग्राम पंचायत— रूराराम नगर, सा0आ0सं0—(ख)9)

प्रस्तर संख्या— 87:—वर्ष—2015—16 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये कोषवही में दिनांक 01.04.2015 से 11.05.2015 तक के प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल 116500.00 का आहरण किया गया है। आहरित धनराशि के सापेक्ष कय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल [टेण्डर/कोटेशन](#) पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट डी0पी0सी0—09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किए जाने का प्रावधान है। इस प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री

रामेश्वर दयाल एवं तत्कालीन सचिव श्री अखिलेश कुमार से अंकन 116500.00 की ब्याज सहित वसूली को कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	विवरण	चेक नं०	धनराशि
06.04.2015	रामेश्वर दयाल	1297	5000.00
06.04.2015	जयराम	1293	20000.00
20.04.2015	रामेश्वर दयाल	1300	5000.00
20.04.2015	द्वारिका प्रसाद	1301	5000.00
21.04.2015	जयराम	1298	20000.00
25.04.2015	राशिद खान	1277	50000.00
28.04.2015	मान सिंह	1302	3000.00
08.05.2015	रामेश्वर दयाल	1304	5000.00
11.05.2015	मानसिंह	1305	3500.00
योग			116500.00

(ग्राम पंचायत- रुराराम नगर, सा0आ0सं0-(ख)10)

प्रस्तर संख्या- 88:-लेखा परीक्षा अवधि में आहरित 214500.00के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	व्यक्ति/संस्था जिसके नाम चेक जारी किया गया	धनराशि
1	561579	18.02.2016	तेजबहादुर	50000.00
2	529904	23.02.2016	तेजबहादुर	50000.00
3	01	13.03.2016	महेन्द्रपाल	61500.00
4	03	16.03.2016	तेजबहादुर	50000.00
5	02	17.03.2016	सी0एल0जी0	3000.00
6			योग	214500.00

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कौन-कौन सी सामग्री क़य की गई है। अथवा कौन से कार्य कराये गये हैं। अभिलेखों के अभाव में पूर्णतया अपुष्ट रहा। अभिलेख यथा- अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, उपभोग पंजिका, सामग्री क़य आदेश, संस्था का बिल/वाउचर, , कैशबुक, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूर्ति, प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका आदि के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से नकद धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। उक्त आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान श्री तेजबहादुर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री बाबूराम से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-दुक्सी, सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर संख्या- 89:-कुल 25147.00 के व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	वाउचर संख्या	कार्य जिस पर व्यय दर्शाया गया	धनराशि	दिनांक
1	1	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	2000.00	17.04.2015
2	4	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	4000.00	29.04.2015
3	7	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	2828.00	30.06.2015
4	9	रसीद बाबत 20 ट्राली मिट्टी 500/ट्राली	10000.00	09.07.2015
5	17	स्कूल शौचालय की रंगाई-पुताई पर व्यय	600.00	30.08.2015
6	19	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	4489.00	18.09.2015
7	25	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	1230.00	31.03.2016
		योग	25147.00	

उक्त व्यय की पुष्टि में बिल वाउचर, प्रस्ताव पंजिका, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र आदि के अभाव में किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि में से 23917.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा से तथा 1230.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती नरगिस एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-रढ़ैता, सा0आ0सं0-19)

प्रस्तर संख्या-90:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16 में कौशबुक में कुल 14000 नग खंजर कय दर्शाया गया है जिसमें 4000 नग खंजर रू0 5000.00 प्रति हजार की दर से (4 X 5000= 20000) तथा 10000.00 नग खंजर रू0 5300.00 प्रति हजार की दर से (10 X 5300= 53000) कय किये गये हैं। जबकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में केवल 4000 नग खंजर कय किया गया है अतः 10000 नग खंजर अधिक कय दर्शाया गया है जबकि इनका स्टॉक भी नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी पुष्टि में उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः फर्जी तरीके से कय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— रद्वैता, सा0आ0सं0-20)

प्रस्तर संख्या-91:—लेखा परीक्षा वर्ष दौरान ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निम्न विवरणनुसार धन का आहरण किया गया।

क.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि (में)	व्यक्ति/संस्था का नाम जिसके नाम धन आहरित किया गया।
1	10.04.2014	57	15000	अनिल कुमार
2	10.04.2014	56	19000	पप्पू
3	12.04.2014	55	1000	टू कैश
4	22.04.2014	58	22522	अनिल कुमार
5	28.04.2014	59	55000	पप्पू
6	30.04.2014	60	10000	अनिल कुमार
7	30.05.2014	61	2000	डीपीआरओ पीलीभीत
8	30.05.2014	62	3000	पप्पू
9	19.06.2014	64	20000	अनिल कुमार
10	19.06.2014	66	15000	टू ट्रांसफर
11	19.06.2014	65	16500	सुरेश
12	23.06.2014	63	3000	रजा वक्श
13	05.07.2014		449	डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज
14	01.08.2014	69	12700	रमेश चन्द्र
15	04.08.2014	67	22522	एम0आई0सी0आर0 आइ0एन0डब्लू0डी0 सी0एल0जी0 (ओ टी एच बी ए आर)
16	06.08.2014	71	2000	रजा वक्श
17	06.08.2014	70	10000	महेन्द्र पाल
18	26.08.2014	72	2000	लूज चेक
19	27.08.2014	68	20150	अनिल कुमार
20	27.08.2014	73	25000	पप्पू
21	28.08.2014	74	10000	महेन्द्र पाल
22	28.08.2014	75	4000	शुभम
23	07.10.2014	520	50000	टू कैश
24	07.10.2014		899	डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज
25	10.11.2014	76	26260	पप्पू
26	10.11.2014	77	3000	पप्पू
27	17.12.2014	80	10000	रजा वक्श
28	17.12.2014	81	8000	जगमोहन
29	18.12.2014	82	12950	ज्ञानचन्द्र
30	19.12.2014	83	5000	शुभम पाराशंकर
31	19.12.2014	86	10000	पप्पू
32	19.12.2014	78	2000	लूज चेक (बनाम)
33	19.12.2014	79	1500	सनी शर्मा
34	19.12.2014	84	15000	हसनी ब्रिक फील्ड
35	20.12.2014	85	10000	अनिल कुमार
36	24.12.2014		34	चेकबुक चार्ज
37	03.01.2015	552109	6000	
38	03.02.2015	87	30000	अनिल कुमार
39	03.02.2015	88	30000	पप्पू

40	07.02.2015	89	2000	सी0जी0एल0
41	10.02.2015	91	5000	शुभम
42	10.02.2015	92	12000	कल्यान
43	17.03.2015	90	1200	श्री मृदुल
योग			531686	(वर्ष- 2014-15)

क0 सं0	दिनांक	चेक सं0	आहरित धनराशि (में)	व्यक्ति/संस्था का नाम जिसके नाम धन आहरित किया गया।
1	23.04.2015	96	25000	1 / 22722
2	24.04.2015	93	4000	हसनी ब्रिक फील्ड
3	25.04.2015	97	25000	अनिल कुमार
4	28.04.2015	95	3450	रजा वक्श
5	08.05.2015	94	2200	महेन्द्र पाल
6	14.05.2015	99	10000	पप्पू
7	12.06.2015	98	25000	कल्यान
8	26.06.2015	101	5450	रजा वक्श
9	27.06.2015	100	1000	राकेश सिंघल
10	26.08.2015	104	30000	अनिल कुमार
11	26.08.2015	106	40200	पप्पू
12	27.08.2015	103	2000	सी0जी0एल0
13	16.03.2016	107	40000	संजय बाबू
14	19.03.2016	108	2000	सी0जी0एल0
15	19.03.2016	109	30000	संजय बाबू
16	21.03.2015	110	40000	संजय बाबू
योग			285300	वर्ष (2015-16)

कुल योग - (2014-15 एवं 2015-16) 816986.00

कुल आहरण- 816986 रु 1382 (बैंक कटौती) 815604.00

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष क्या सामग्री कय की गई, अथवा क्या कार्य दर्शाया गया है, अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहा। अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कय अदेश, संस्था का बिल, आपूर्ति आदेश, स्टॉक, पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, आदि के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से धन आहरित कर अपहरण किया गया है।

उक्त आहरित धनराशि 815604.00 में से 703604.00 (सात लाख तीन हजार छः सौ चार मात्र) की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार से एवं 112000.00(एक लाख बारह हजार मात्र) की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्रामप्रधान श्री संजय बाबू एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अलिन कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-मलकपुर, सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर संख्या-92:-मनरेगा सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण, लेखा परीक्षा सम्भव नहीं रही, जबकि लेखा परीक्षा वर्षों में एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय की पुष्टि हो रही है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क0सं0	वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार			एम0आई0एस0 फीडिंग भुगतान शेष			योग
		श्रमांश	सामग्री	योग	श्रमांश	सामग्री	योग	
1	2012-13	0.58	9.81	10.39	0.69	—	0.69	11.08
2	2013-14	1.83	1.20	3.03	—	—	—	3.03
3	2014-15	3.31	—	3.31	—	—	—	3.31
4	2015-16	0.79	—	0.79	—	—	—	0.79
							योग	18.21

उक्त व्यय की पुष्टि के सापेक्ष प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पंजिका, स्टीमेट, स्टॉक पंजिका, कम प्रमाणक ,मस्टर रोल, आय पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, सेक्टर प्रभारी की निरीक्षण पंजिका आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं

रहने के कारण स्पष्ट होता है कि बिना अभिलेखों के मनमाने ढंग से एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। अतः कुल धनराशि 18.21 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी से किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत— ईंटगांव, सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या—93:—मनरेगा योजना अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण कराया गया है, जिसकी आई0डी0 संख्या—3126005042/एस.के./14 है रु0 10 लाख की धनराशि स्वीकृति (प्राक्कलन) की गई है, जिसके निर्माण से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा में उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि दिनांक 23.10.2013 को एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार इस निर्माण कार्य पर सामाग्री अंश 1287536.00 एवं श्रमांश अंश 73970.00 (कुल 1361506.00) के व्यय होने की पुष्टि हो रही है तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण दर्शाया जा रहा है। इसी प्रकार दिनांक 05.10.2016 को भी एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार अंश 1287536.00 एवं श्रमांश अंश 73970.00 (कुल 1361506.00) की ही पुष्टि तथा कार्य अपूर्ण ही दर्शाया जा रहा है।

अतः उक्त के आधार पर स्पष्ट है कि 10 लाख के प्राक्कलन स्वीकृति के सापेक्ष 1361506.00 व्यय किया गया है। अतः 361506.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती से की जानी अपेक्षित है तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने से स्पष्ट है कि 10 लाख व्यय किये जाने के बाद भी समाज/ आम जन को प्रोजेक्ट का लाभ नहीं मिल सका। स्पष्ट है कि 10 लाख का मनमाने ढंग से व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। 10 लाख की ब्याज सहित वसूली भी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— ईंटगांव, सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर संख्या— 94 :- लेखा परीक्षा वर्ष— 2009—10 से 2011—12 वर्ष— 2009—10 से 2011—12 का भी कोई भी अभिलेख एवं एम.आई.एस. फीडिंग लेखा परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिस कारण आय—व्यय की गई धनराशि की समीक्षा नहीं की जा सकी। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— ईंटगांव, सा0आ0सं0-मनरेगा— 02)

प्रस्तर संख्या— 95:—लेखा परीक्षा वर्ष 2009—10 से 2015—16 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01.04.2011 से 30.06.2013 तक की अवधि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	अवधि	आहरित धनराशि (धनराशि में)
1	2011—12	463316.00
2	2012—13	496338.00
3	01.04.2013 से 31.06.2013	47334.00
	योग	1006988.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1006988.00 के आहरण के सापेक्ष प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, बजट पंजिका, क्रय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, टेन्डर / कुटेशन पत्रावली, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, डी0पी0सी0—9 इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक नहीं होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए 1006988.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से किये जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ—साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई0पी0सी0सी0 की धारा —409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या—179 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन मास में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका, कोषवही एवं अन्य संगत अभिलेखस उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सहायक विकास अधिकारी (पं0) की नियम संख्या —179 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गवन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करना है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से 1006988.00 की ब्याज सहित वसूली तथा सहायक विकास अधिकारी (पं0) को पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या —179 का दोषी मानते हुए उचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत— ईंटगांव, सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या— 96:—लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम निधि मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पृष्टि में उपलब्ध नहीं करया गया। ग्राम निधि खाता सं० — 24060100001641, बैंक ऑफ बड़ौदा , शाखा— सिद्धनगर विकासखण्ड — पूरनपुर जनपद पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार आहरण कर व्यय किया गया है।

क्रम सं०	आहरण की अवधि	आहरित धनराशि	वसूली से सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का नाम
1	2010-11	51833.00	श्रीमती माया कौर एवं श्री आर्येन्द्र गंगवार
2	2011-12	802975.00	श्री रंजीत सिंह एवं श्री रोहितेश जैयसवार
3	2012-13	681517.00	श्री रंजीत सिंह एवं श्री संजीव वर्मा
4	2013-14	974270.00	श्री रंजीत सिंह एवं श्री भगवत सरन
5	2014-15	848373.00	श्री रंजीत सिंह एवं श्री भगवत सरन
6	2015-16	1363128.00	श्री रंजीत सिंह एवं श्री विवेक वर्मा —474593.00
	योग	4722096.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु०-4722096.00 के आहरण के सापेक्ष, कोषवही, बजट पंजिका, स्टॉक पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कय प्रमाणक, टेन्डर/ कोटेशन पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट, मस्टर रोल कार्य, पूर्ति प्रमाण-पत्र , मापांकन पुस्तिका, डीपीसी-09 इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो वित लेखा मैनुअल के अध्याय —8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक उपलब्ध न होने पर व्यय दर्शायी गई या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुये 4722096.00 की वसूली (तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया कौर एवं श्री आर्येन्द्र गंगवार से 51833.00 श्री रंजीत सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री रोहितेश जायसवार ग्राम पंचायत अधिकारी से 802975.00, श्री रंजीत सिंह ग्राम प्रधान एवं ग्राम प्रधान व श्री संजीव वर्मा (सचिव) से 681517.00 , श्री रंजीत सिंह ग्राम व श्री भगवत सरन (सचिव) से 474593.00 , एवं श्री गुरुदेव सिंह ग्राम प्रधान व श्री विवेक वर्मा (सचिव) से 888535.00 किये जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई० पी० सी० की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायाजय में चालाया जा सकेगा। उ० प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम सं०-179 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका, कोषवही एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी (पं०) की नियम संख्या-179 के प्रति उदासीनता एवं मौन, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार उक्त ग्राम प्रधानों एवं उक्त सचिवों से 4722096.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा तत्कालीन सहायक वि० अधिकारी (पं०) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी आकर्षित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड कार्यालय से ग्राम पंचायतों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्ट एवं सटीक कार्यकाल अंकित नहीं किया जा पा रहा है।

(ग्राम पंचायत— वमनपुर भगीरथ, सा०आ०सं०-ख-1)

प्रस्तर संख्या— 97:—लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक की मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पृष्टि में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम निधि खाता सं० — 24060100004264 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा —सिद्धनगर विकासखण्ड —पूरनपुर जनपद पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार आहरण कर व्यय किया गया है।

क्रम सं०	आहरण की अवधि	आहरित धनराशि	रोजगार गारंटी निधि खाता सं० — 24060100004264 आहरण
1	2010-11	682340.00	बैंक खाते के अनुसार
2	2011-12	630400.00	बैंक खाते के अनुसार
3	2012-13	854848.00	बैंक खाते के अनुसार
4	2013-14	440085.00	बैंक खाते के अनुसार
5	2014-15	230321.00	बैंक खाते के अनुसार
6	2015-16	59000.00	एम. आई.एस फीडिंग के अनुसार व्यय
	योग	2896994.00	

उक्त आहरण/व्यय की पुष्टि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वकृति पंजिका, कुटेशन/ टेण्डर पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मंस्टर रोल, कय प्रमाणक, सामग्री कय आदेश, मापाकन पंजिका प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण -पत्र डी0 पी0 सी0 -09 इत्यादि अभिलेखों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त 2896994.00 का आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। अतः वित लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के पैरा8 (क)के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक उपलब्ध न होने पर आहरित की गयी धनराशि के गबन मानते हुये तत्कालीन ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सचिवों से, रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु आकर्षित किया जाता है। यहाँ पर उल्लेखनीय अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण स्पष्ट व सटीक कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया जा सका। जो कार्यकाल का उल्लेख किया गया। वह बैंक स्टेटमेंट के आधार पर दर्शित किया गया है।

(ग्राम पंचायत- वमनपुर भगीरथ, सा0आ0सं0-ग-मनरेगा)

प्रस्तर संख्या- 98:-लेखा परीक्षा अवधि में व्यय किए गये कुल 1393009.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष- 2013-14

क.सं.	वाउचर संख्या	कार्य/कय सामग्री का विवरण	दिनांक	धनराशि (में)
1.	2	20000 नग खंजर कयदर 4050दरहजार	25.04.2013	81000
2.	3	26200 नग ईट 1 कय दर4200/हजार	26.04.2013	110040
3.	5	फोटोस्टेट पर व्यय	28.04.2013	460
4.	6	15 मी0 ³ मोरंग कयदर 1250	18.05.2013	18750
5.	8	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	30.06.2013	3658
6.	7	172 बोरी सीमेन्ट कय दर 300	27.06.2013	51600
7.	11	3000 नग ईट 1 कय दर4200	31.07.2013	12600
8.	12	10 सोडियम लाइट कयदर 3645	10.08.2013	36450
9.	13	3521 नग ईट 1 कयदर 5000	27.08.2013	17605
10.	14	विज्ञापन पर व्यय	03.09.2013	1000
11.	15	50 वैग सीमेन्ट कय दर 300 = 15000 5.0 घन मी. मोरंग कय दर 1250 = 6250	25.09.2013	21250
12.	19	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	27.09.2013	4004
13.	20	8000 नग ईट 1 दर 5000	24.10.2013	40000
14.	21	3 टेली कय दर 12000 = 36000 60 वैग सीमेन्ट दर 300 = 18000 4.8 घन मी. मोरंग दर 1250 = 6000	29.10.2013	60000
15.	23	13500 नग खंजर दर 4650 = 62775 3445 नग ईट 1 दर 5000 = 17225	31.10.2013	80000
16.	25	फोटोस्टेट पर व्यय	31.10.2013	156
17.	26	विज्ञापन पर व्यय	22.11.2013	1000
18.	27	विज्ञापन पर व्यय	02.12.2013	1000
19.	28	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	03.12.2013	3678
20.	30	7000 तग खंजर कय दर 4650	12.12.2013	32550
21.	31	9 वैग सीमेन्ट कय दर 300 = 2700 1.0 घन मी. मोरंग कय दर 1250 = 1250	12.12.2013	3950
22.	35	विज्ञापन पर व्यय	12.02.2014	1000
23.	36	12000 नग खंजर कय दर 4650 = 55800 12840 नग ईट 1 कय दर 5000 = 64200	12.02.2014	120000
24.	41	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	18.02.2014	808
25.	46	200 नग ईट 1 कय दर 5500	10.03.2014	11000
26.	47	25 वैग सीमेन्ट कय दर 300 = 7500 1.2 घन मी. मोरंग दर1250 = 1500 1.0 घन मी. बजरी दर 1000 = 1000 1.0 शौचालय सीट दर 300 = 300 20 किग्रा. सरिया दर 50 = 1000	11.03.2014	12500

		1 जोड़ी किवाड़े दर 1200 = 1200		
27.	49	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	17.03.2014	3508
28.	61	4596 नग ईट 1 दर 5500	10.04.2014	25000
29.	04	15 बोरी सीमेन्ट कय दर 300 = 4500 1.0 घन मी. मोरंग कय दर 1250 = 1250	12.05.2014	5750
30.	06	12000 नग खंजर कय दर 5000	29.05.2014	60000
31.	07	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	30.05.2014	510
32.	10	5000 नग ईट 1 दर 5500	19.06.2014	27500
33.	11	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	24.06.2014	1040
34.	13	16 बोरी सीमेन्ट कय दर 300 = 4800 2.0 घन मी. मोरंग दर 1250 = 1250	24.06.2014	7300
35.	15	2000 नग ईट 1 दर 5800	25.06.2014	11000
36.	16	25 बोरी सीमेन्ट कय दर 300 = 7500 1.0 घन मी. मोरंग दर 1250 = 1250 1.0 घन मी. बजरी दर 1000 = 1000 25 किग्रा. सरिया दर 50 = 1250 1 जोड़ी किवाड़े दर 1200 = 1200 शौचालय शीट दर 300 = 300	25.06.2014	12500
37.	20	6600 ईट 1 दर 5500	26.06.2014	36300
38.	21	फोटोस्टेट पर व्यय	30.06.2014	108
39.	23	23 बोरी सीमेन्ट कय दर 300 = 6900 1.28 घन मी. मोरंग दर 1250 = 1600	12.08.2014	8500
40.	25	7450 नग खंजर कय दर 5000	20.08.2014	37250
41.	26	9090 नग ईट 1 दर 5500	22.08.2014	50000
42.	29 ए	30 बोरी सीमेन्ट दर 300 = 9000 3.0 घन मी. मोरंग दर 1250 = 3750	29.08.2014	12750
43.	30	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	29.08.2014	3800
44.	31	विज्ञापन पर व्यय	15.09.2014	1000
45.	34	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	23.09.2014	2000
46.	35	25 बोरी सीमेन्ट कय दर 300 = 7500 2.5 घन मी. मोरंग दर 1250 = 3125	04.10.2014	10625
47.	37	12000 नग खंजर कय दर 5000	14.10.2014	60000
48.	41	फोटोस्टेट एवं स्टेशनरी कय पर व्यय	28.11.2014	223
49.	42	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19.12.2014	2000
50.	43	4500 नग ईट 1 कय दर 5500	24.12.2014	24750
51.	44	25 बोरी सीमेन्ट कय दर 300 = 7500 2.0 घन मी. मोरंग कय दर 1250 = 2500 4.0 घन मी. महीन रेत दर 680 = 2720	24.12.2014	12720
52.	47	8500 नग खंजर कय दर 5000	08.01.2015	42500
53.	50	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	20.01.2015	4000
54.	51	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	07.02.2015	2000
55.	53	8000 नग ईट 1 दर 5500	09.02.2015	44000
56.	54	13 बोरी सीमेन्ट दर 300 = 3900 1.0 घन मी. मोरंग दर 1250 = 1250 3.0 घन मी. महीन रेत दर 680 = 2040	19.02.2015	7190
57.	56	2000 नग ईट 1 दर 5500	20.12.2015	11000
58.	57	25 बोरी सीमेन्ट दर 300 = 7500 1.0 घन मी. मोरंग दर 1250 = 1250 1.0 घन मी. बजरी दर 1000 = 1000 25 किग्रा. सरिया दर 50 = 1250 शौचालय शीट + पाईप = 300	20.02.2015	12450

		1 जोड़ी किबोडे दर 1200 = 1200																																															
59.	61	फोटोस्टेट पर व्यय	28.02.2015	36.00																																													
60.	03	50 बोरी सीमेन्ट दर 270 = 13500 4.0 घन मी. मोरंग दर 1600 = 6400	24.04.2015	19900																																													
61.	07	50 बोरी सीमेन्ट दर 270 = 13500 4.0 घन मी. मोरंग दर 1600 = 6400	18.06.2015	19900																																													
62.	09	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	08.07.2015	1220																																													
63.	10	विज्ञापन पर व्यय	16.07.2015	2000																																													
64.	13	विज्ञापन पर व्यय	22.08.2015	2000																																													
65.	15	स्टेशनरी क्य पर व्यय	10.09.2015	48																																													
66.	17	268 बोरी सीमेन्ट क्य दर 270 = 72360 (कैशबुक केअनुसार) जबकि वाउचरों में कुल 234 बोरी सीमेन्ट दर 260 प्रति बोरी की दर से कुल 58680 में क्य की गई है। इस प्रकार 13680 के वाउचर कम है। विवरण निम्न है। रामा आयरन स्टोर बीसलपुर— <table border="1"> <thead> <tr> <th>वुक नं.</th><th>क्रमांक</th><th>दर</th><th>मात्रा</th><th>कुल व्यय</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td><td>1066</td><td>260</td><td>6</td><td>1560, 11.02.2016</td></tr> <tr> <td>22</td><td>1067</td><td>260</td><td>10</td><td>2600, 11.02.2016</td></tr> <tr> <td>22</td><td>1074</td><td>260</td><td>20</td><td>5000 (200 की छूट) 14.02.2016</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1101</td><td>260</td><td>100</td><td>25000 (1000 की छूट) 24.02.2016</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1102</td><td>260</td><td>80</td><td>20000 (800 की छूट) 24.02.2016</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1106</td><td>260</td><td>02</td><td>520, 25.02.2016</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1115</td><td>260</td><td>16</td><td>4000 (160 की छूट) 29.02.2016</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>234</td><td>58680</td></tr> </tbody> </table>	वुक नं.	क्रमांक	दर	मात्रा	कुल व्यय	22	1066	260	6	1560, 11.02.2016	22	1067	260	10	2600, 11.02.2016	22	1074	260	20	5000 (200 की छूट) 14.02.2016	23	1101	260	100	25000 (1000 की छूट) 24.02.2016	23	1102	260	80	20000 (800 की छूट) 24.02.2016	23	1106	260	02	520, 25.02.2016	23	1115	260	16	4000 (160 की छूट) 29.02.2016				234	58680	16.02.2016	13680
वुक नं.	क्रमांक	दर	मात्रा	कुल व्यय																																													
22	1066	260	6	1560, 11.02.2016																																													
22	1067	260	10	2600, 11.02.2016																																													
22	1074	260	20	5000 (200 की छूट) 14.02.2016																																													
23	1101	260	100	25000 (1000 की छूट) 24.02.2016																																													
23	1102	260	80	20000 (800 की छूट) 24.02.2016																																													
23	1106	260	02	520, 25.02.2016																																													
23	1115	260	16	4000 (160 की छूट) 29.02.2016																																													
			234	58680																																													
67.	23	नया हैण्डपम्प लगाने में व्यय	25.02.2016	15000																																													
68.	27	स्टेशनरी क्य पर व्यय	28.02.2016	180																																													
69.	29	सौर ऊर्जा लाइट क्य	09.03.2016	20500																																													
70.	31+40	कैशबुक में वाउचर 31 के द्वारा 18.03.2016 की 110 बोरी सीमेन्ट तथा वाउचर नं०— 40 के द्वारा 28.03.2016 को 165 बोरी सीमेन्ट 300-00 प्रति बोरी की दर से क्य दर्शाया गया है जबकि मार्च 2016 के वाउचरों में कुल 210 बोरी सीमेन्ट क्य है, जिसका विवरण निम्न है — (रामा आयरन स्टोर) <table border="1"> <thead> <tr> <th>वुक नं.</th><th>क्रमांक</th><th>दर</th><th>मात्रा</th><th>कुल व्यय</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>1133</td><td>300</td><td>60</td><td>18000, 04.03.2016</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1126</td><td>300</td><td>50</td><td>15000, 03.03.2016</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1127</td><td>300</td><td>50</td><td>15000, 03.03.2016</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1132</td><td>300</td><td>50</td><td>15000, 03.03.2016</td></tr> </tbody> </table> 210 बोरी 63000 इस प्रकार 65 बोरी के क्य के वाउचर नहीं है अतः कुल 19500-00 के व्यय की पुष्टि नहीं होती है।	वुक नं.	क्रमांक	दर	मात्रा	कुल व्यय	23	1133	300	60	18000, 04.03.2016	23	1126	300	50	15000, 03.03.2016	23	1127	300	50	15000, 03.03.2016	23	1132	300	50	15000, 03.03.2016	18.03.2016 व 28.03.2016	19500																				
वुक नं.	क्रमांक	दर	मात्रा	कुल व्यय																																													
23	1133	300	60	18000, 04.03.2016																																													
23	1126	300	50	15000, 03.03.2016																																													
23	1127	300	50	15000, 03.03.2016																																													
23	1132	300	50	15000, 03.03.2016																																													
71.	37	सटरिंग चार्ज	28.03.2016	9762																																													
72.	38	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	28.03.2016	3500																																													
			योग	1393009																																													

उक्त व्यय की पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, सामग्री क्य आदेश, कुटेशन, आपूर्ति आदेश, स्टॉक पंजिका, उपयोग पंजिका फम्र का बिल, व्यय वाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा

स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका आदि के अभाव में किया गया। व्यय 1393009.00 (तेरह लाख तिरानवे हजार नौ मात्र) पूर्णतया : अपुष्ट रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा नकद धन का आहरण कर मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। , जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रवती एवं श्रीमती चम्पाकली ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री बाबू राम से की जानी अपेक्षित रही। इसमें से कुल 1310887.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूराम तथा 82122.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पाकली एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूराम से की जानी अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत नगरिया फतेपुर में वर्ष- 2013-14 व 2014-15 में कैशबुक में दर्शायी गई सामग्री एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार उपयोग की गई में क्रमशः 264875.00 एवं 164673.00 (कुल 429548)का अन्तर पाया गया जबकि वर्ष- 2015-16 का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सामग्री का नाम	कैशबुक		कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र		अन्तर (में)
		मात्रा	व्यय धनराशि (में)	मात्रा	व्यय धनराशि (में)	
2013-14	ईट-1	56006	272670	35000	155840	116830
	खंजर	52500	232125	33200	151680	80845
	सीमेण्ट	316 बोरे	94800	294 बोरे	88200	6600
	महीन	13 ट्राली	19500	12 ट्राली	18000	1500
	मिट्टी	230 ट्राली	115000	111 ट्राली	555000	59500
					योग	264875
2014-15	ईट-1	41786	229823	22800	125400	104423
	खंजर	39950	199750	37500	187500	12250
	सीमेण्ट	197 बोरे	59100	172 बोरे	51600	7500
	मिट्टी	196 ट्राली	98000	115 ट्राली	57500	40500
					योग	164673
				कुल योग	(2013-14 रव 2014 - 15)	429548

कैशबुक व कार्यपूर्ति में जो अन्तर पाया गया है उसकी पुष्टि में स्टाक पंजिका, उपयोग पंजिका, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट , मस्टर रोल, सामग्री क्रय आदेश, फर्म का बिल वाउचर, आपूर्ति आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका आदि के अभाव में किया गया व्यय अपुष्ट रहा। परन्तु उक्त क्रय सामग्री के वाउचर उपलब्ध न होने के कारण इसे विशेष आपत्ति संख्या- 1 (सामान्य आपत्ति संख्या-17) में शामिल किया गया है।

(ग्राम पंचायत-नगरिया फतेपुर, सा0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या-99:-ग्राम पंचायत के वर्ष- 2013-14 व 2014-15 में 288700.00 के वाउचर/रसीद पर भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम व हस्ताक्षर एवं भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। उक्त व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाउचर संख्या	कार्य/क्रय सामग्री का विवरण	दिनांक	धनराशि (में)
1.	04	19 ट्राली मिट्टी दर 500	26.04.2013	9500
2.	09	6 ट्रालीमहीन रेत दर 1500	05.07.2013	9000
3.	16	4 ट्राली महीन रेत दर 1500	25.09.2013	6000
4.	18	60 ट्राली मिट्टी दर 500	26.09.2013	30000
5.	24	11 ट्राली मिट्टी दर 500	03.10.2013	5500
6.	32	01 ट्राली महीन रेत दर 1500	13.12.2013	1500
7.	34	20 ट्राली मिट्टी दर 500	14.12.2013	10000
8.	38	40 ट्राली मिट्टी दर 500	14.02.2014	20000
9.	40	ग्राम प्रधान मानदेय (अप्रैल/2013 से नवम्बर/2013 तक)	17.02.2014	20000
10.	42	ग्राम प्रधान मानदेय (दिसम्बर/2013 से मार्च/2014 तक)	08.03.2014	10000
11.	43	40 ट्राली मिट्टी दर 500	09.03.2014	20000
12.	45	02 ट्राली महीन रेत दर 1500	10.03.2014	3000

13.	50	40 ट्राली मिट्टी दर 500	31.03.2014	20000
14.	02	40 ट्राली मिट्टी दर 500	30.04.2014	20000
15.	03	01 ट्राली महीन रेत दर 1500	12.05.2014	1500
16.	08	20 ट्राली मिट्टी दर 500	30.05.2014	10000
17.	12	02 ट्राली महीन रेत दर 1500	24.06.2014	3000
18.	17	01 ट्राली देशी रेत दर 1500	25.06.2014	1500
19.	19	स्कूल शौचालय की रंगाई पुताई	26.06.2014	600
20.	22	30 ट्राली मिट्टी दर 500	08.07.2014	15000
21.	24	01 ट्राली महीन रेत दर 1500	12.08.2014	1500
22.	29	16 ट्राली मिट्टी दर 500	29.08.2014	8000
23.	33	02 ट्राली देशी रेत दर 1500	20.09.2014	3000
24.	36	40 ट्राली मिट्टी दर 500	10.10.2014	20000
25.	39	ग्राम प्रधान मानदेय (अप्रैल/2014 से जुलाई/2014 तक)	14.10.2014	10000
26.	46	12 ट्राली मिट्टी दर 500	24.12.2014	6000
27.	48	13 ट्राली मिट्टी दर 500	08.01.2015	6500
28.	52	ग्राम प्रधान मानदेय (अक्टूबर/2014 से फरवरी/2015 तक)	09.02.2015	12500
29.	58	01 ट्राली महीन रेत दर 1500	20.02.2015	1500
30.	59A	स्कूल शौचालय रंगाई पुताई	22.02.2015	600
31.	60	25 ट्राली मिट्टी दर 500	22.02.2015	12500
		कुल योग		288700

उक्त व्यय के सापेक्ष जो व्यय प्रमाणक (रसीद) उपलब्ध कराई गई वो अपूर्ण पाई गई, इसका भुगतान किसेकिया गया है। इसका उल्लेख नहीं है साथ ही भुगतानकर्ता एवं भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है साथ ही 5000 से अधिक के भुगतान भी नकद किए गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त व्यय की पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्राकवलन एवं मापांकन पंजिका आदि के अभाव में किया गया व्यय पूर्णतया: अपुष्ट रहा। अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन का आहरण कर मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रवती एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री बाबूराम से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— नगरिया फतेपुर, सा0आ0सं0—18)

प्रस्तर संख्या—100:—ग्राम पंचायत नगरिया फतेपुर में वर्ष— 2013—14 से 2015—16 तक कुल 480828.00 के मस्टर रोल अपूर्ण पाये गये। इन मस्टर रोल पर राजमिस्त्री व लेवर के नाम व हस्ताक्षर एवं कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर व मुहर तथा भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं किए गये थे। अतः ऐसे मस्टर रोल से व्यय की पुष्टि नहीं होती है। मस्टर रोल का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है।

क.सं.	वाउचर संख्या	कार्य/कय सामग्री का विवरण	दिनांक	धनराशि (में)
1	10	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण (नन्हे लाल की जगह से जूहा. स्कूल तक) (172 मी.×9×8×9 रद्दा)	09.07.2013 से 30.07.2013 तक	51392
2	17	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण 1. मिश्रीलाल — तालाब तक 55 मी. 2. मिश्रीलाल — तालाब तक 45 मी.	15.09.2013 से 25.09.2013 तक	12848
3	22	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण शिवकुमार की जगह से राजू की जगह तक 75 मी.	22.10.2013 से 29.10.2013 तक	9344
4	29	एम0 आर0 वावत खंडजा निर्माण शिवकुमार राजू (75 × 3 मी.)	04.12.2013 से 11.12.2013 तक	9344
5	33	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण जाविर अली — मेंहदी हसन के यहां तक (17 मी.)	11.12.2013 से 14.12.2013 तक	2336
6	36	एम0 आर0 वावत खंडजा निर्माण जाविर अली — मेंहदी हसन (17 × 3.2 मी.)	11.02.2014 से 14.02.2014 तक	2336
7	39	एम0 आर0 वावत खंडजा निर्माण (80× 3 मी.) जगह	08.02.2014	8176

		का उल्लेख नहीं।	14.02.2014	
8	44	एम0 आर0 वावत खंडजा निर्माण सुन्दर शाह की जगह से (22 × 3.25 मी.)	06.03.2014 09.03.2014	4896
9	48	एम0 आर0 स्कूल शौचालय में मरम्मत कार्य	09.03.2014 12.03.2014	4896
10	5	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण पप्पू के घर से सुरेश टेलर के घर तक (माप नहीं दी गयी)	09.05.2014 12.05.2014	2448
11	9	एम0 आर0 वावत खंडजा मरम्मत – स्थान व माप का उल्लेख नहीं	23.05.2014 30.05.2014	9792
12	14	एम0 आर0 वावत सपोर्ट वाल का निर्माण रुपरानी के यहाँ से भुवनेश के खेत तक (60 मी.)	19.06.2014 25.06.2014	4896
13	18	एम0 आर0 वावत स्कूल शौचालय में मरम्मत	23.06.2014 26.06.2014	4896
14	27	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	25.08.2014 29.08.2014	5508
15	28	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	25.08.2014 29.08.2014	5508
16	32	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	16.09.2014 20.09.2014	6120
17	38	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	06.10.2014 14.10.2014	11016
18	45	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	20.12.2014 24.12.2014	6120
19	49	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	01.01.2015 09.01.2015	11016
20	55	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	17.02.2015 19.02.2015	3672
21	59	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	19.02.2015 22.02.2015	4896
22	06	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	13.06.2015	12440
23	8	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	18.06.2015	12440
24	14	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	10.09.2015	9952
25	21	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	23.02.2016	84000
26	24	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	28.02.2016	28560
27	26	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	28.02.2016	18480
28	34	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	18.03.2016	84000
29	36	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	28.03.2016	12540
30	42	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	28.03.2016	28560
31	45	एम0 आर0 वावत नाली निर्माण	31.03.2016	8400
			कुल योग	480828

उक्त व्यय की पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, कोटेशन, सामग्री क्रय आदेश, आपूर्ति अदेश, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन तथा मापांकन पंजिका व पूर्ण मस्टर रोल आदि के अभाव में उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। अतः स्पष्ट है कि आहरित धन को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि में से कुल 216288.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रवती एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री बाबूराम से एवं कुल 264540.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पाकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूराम से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या-101:-लेखा परीक्षा अवधि में व्यय किये गये कुल 967106 रुपये की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं०	वाउचर संख्या	कार्य / सामग्री का विवरण जिस पर व्यय किया गया है।	दिनांक	धनराशि (₹)
1	2	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	22-04-13	5000.00
2	4	5000 नग ईट 1 कय दर 4200=21000 25670 नगखंजर कय दर 4050=104000	27-06-13	125000
3	5	50बोरी सीमेन्ट कय दर 300=15000 5.0 घन मी मोरंग कय दर 1250=6250 17.5 घन मी महीन रेत दर 500=8750	27-06-13	30000
4	8	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	10-07-13	4150
5	10	10 बोरी सीमेन्ट कय दर 300=3000 1.0 घन मी मोरंग कय दर 1250=1250 2.0 घन मी बजरी कय दर 1300=2600 49.500 किग्रा0सरिया कय दर 40=1982	24-07-13	8832
6	12	10 सोडियम लाईट कय दर 3645	10-08-13	36450
7	13	विज्ञापन पर व्यय	27-08-13	1000
8	14	2800नग ईट 1 कय दर 5000	27-08-13	14000
9	15	25 बोरी सीमेन्ट कय दर 300=7500 2.0घन मी0 मोरंग दर 1250=2500 2.06 घन मी महीन रेत दर 500=1030	27-08-13	11030
10	16	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	03-09-13	1150
11	18	7346 नग खंजर कय दर 4650	26-09-13	34160
12	20	2800नग ईट 1कय दर 5000	10-10-13	14000
13	21	25 बोरी सीमेन्ट कय दर 300=7500 2.0घन मी0 मोरंग दर 1250=2500	10-10-13	10000
14	25	3243 नग खंजर कय दर 4650	31-04-13	15072
15	28	विज्ञापन पर व्यय	27-11-13	1000
16	29	विज्ञापन पर व्यय	27-11-13	500
17	30	विज्ञापन पर व्यय	02-12-13	2000
18	31	6882 नग खंजर कय दर 4650	16-12-13	32000
19	32	विज्ञापन पर व्यय	04-02-14	2000
20	33	10000 नग ईट 1 कय दर 5000	15-02-14	50000
21	36	फोटोस्टेट पर व्यय	11-03-14	328
22	37	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	20-03-14	3000
23		कुल योग		400672

वर्ष-2014-15

क्रम सं०	वाउचर संख्या	कार्य / सामग्री का विवरण जिस पर व्यय किया गया है।	दिनांक	धनराशि(₹0)
1	01	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	03.04.14	1200
2	02	11नग ईट 1कय दर 5000 (फिजा / ब्रिक्स फील्ड)	25.04.14	55000
3	04	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	29.04.14	1500
4	4A	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	26.05.14	4050
5	06	20 बोरी सीमेन्ट कय दर 300=6000 2.0 घन मी. मोरंग दर 1250=2500	06.06.14	8500
6	09	18456 नग खंजर कय दर 4650	21.06.14	85820
7	10	3000 नग ईट 1 दर 5000	11.07.14	15000
8	11	10 बोरीसीमेण्ट कय दर 300=3000 1.0घन मी0मोरंग दर 1250=1250	17.07.14	5550

		2.0 घन मी० महीन रेत दर 650=1300		
9	14	9000 नग खंजर कय दर 5000 (फिजा/ब्रिक्स फील्ड)	28.07.14	45000
10	15	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	30.07.14	2002
11	18	8500नग ईट 1 दर 5500 (फिजा/ब्रिक्स फील्ड)	29.08.14	46750
12	19	स्टेशनरी कय	31.08.14	302
13	20	20000 नग खंजर कय दर 5000(फिजा/ब्रिक्स फील्ड)	22.09.14	100000
14	21	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	23.09.14	2000
15	22	36 बोरीसीमेण्ट कय दर 300=10800 4.0घन मी०मोरंग दर 1000=4000 6.0 घन मी० महीन रेत दर 650=3900	20.09.14	18700
16	24	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	30.09.14	1284
17	25	रसीद पावत 38 ट्राली मिट्टी दर 500	30.09.14	19000
18	26	4000नग खंजर कय दर 5000	20.10.14	20000
19	27	विज्ञापन पर व्यय	18.12.14	1000
20	28	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19.12.14	2000
21	29	15000 नग खंजर कय दर 5000(फिजा/ब्रिक्स फील्ड)	24.12.14	75000
22	32	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	16.02.15	1500
23	33	10000नग ईट 1 दर 5500	19.02.15	55000
24	34	फोटो स्टेट पर व्यय	02.03.15	276
		कुल योग		566434.00
		महायोग-2013-14+2014-15=(400672)+(566434)=967106.00		

उक्त व्यय की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, सामग्री, कय आदेश, कुटेशन, आपूर्ति आदेश, स्टॉक पंजिका, प्रस्ताव पंजिका, उपभोग पंजिका, फर्म का बिल, व्यय वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका आदि के अभाव में किया व्यय 967106.00 पूर्णतया अपुष्ट रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है ग्राम प्रधान व ग्राम विकास /पंचायत अधिकारी द्वारा नकद धन आहरण कर मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री बाबू राम से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-कितनापुर, सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर संख्या-102:-ग्राम पंचायत कितनापुर वर्ष 2013-14 व 2014-15 तक कुल 71394 (वर्ष-2013-1446578 वर्ष- 2014-15 24816 के मस्टर रोल अपूर्ण पाये गये। इन मस्टर रोल पर राज व लेवर के नाम व हस्ताक्षर एवं कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर व मुहर तथा भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टर रोल का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है-

क्रम सं०	वाउचर संख्या	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि(रु०)
1	06	एम० आर०वावत नाली निर्माण-विनोद पाल की बैठक से राम प्रसा के घर तक - 90 मीटर	12.06.2013 से 30.06.2013 तक	10370
2	07	एम० आर०वावत खडंजा निर्माण-विनोद पाल की बैठक से राम प्रसा के घर तक 30×5.5 मी. +60×4 मी०	18.06.2013 से 30.06.2013तक	14600
3	11	एम० आर०वावत पुलिया निर्माण	25.07.2013 से 25.07.2013 तक	1168
4	17	एम० आर०वावत नाली निर्माण- भगवान दास के घर से कन्हई लाल की बैठक तक 50 मीटर	21.09.13 से 25.09.2013 तक	5840
5	19	एम० आर०वावत खडंजा निर्माण- भगवान दास के घर से कन्हई लाल की बैठक तक 25 ×3.5 मी 20×1.5 मी	5.10.13 से 8.10.13 तक	4088
6	23	एम० आर०वावत नाली निर्माण-राजकिशोर के मकान से चेताराम के मकान तक -50 मी०	27.10.13 से 31.10.13 तक	5840
7	34	एम० आर०वावत खडंजा निर्माण-राजकिशोर के मकान से चेताराम के मकान तक -50×3मी०	22.02.14 से 25.02.14 तक	4672
		योग	(2013-14)	46578

1	05	एम0 आर0वावत ग्राम समाज की विवादित भूमि की नींव खुदाई	4.06.14 से 06.06.14 तक	1560
2	08	एम0 आर0वावत ग्राम समाज की विवादित भूमि की नींव वाउन्डी वाल का निर्माण	7.06.14 से 11.6.14 तक	6120
3	12	एम0 आर0वावत नाली निर्माण-शकील खां के मकान से छोटे खां के मकान तक-18 मी0	19.07.14 से 20.07.14 तक	2448
4	16	एम0 आर0वावत खडंजा निर्माण-शकील खां व छोटे खां 18×3.2 मीटर	7.8.14 से 8.8.14 तक	2448
5	23	एम0 आर0वावत नाला निर्माण-धनश्याम सिंह की जगह से गंगाराम के खेत तक -36 मी0 (18+18)	22.9.14 से 30.9.14 तक	11016
6	31	एम0 आर0वावत खडंजा निर्माण-धनश्याम सिंह+ गंगाराम के खेत तक 18×2 मी0	4.02.14 से 04.02.14 तक	1224
		योग	(2014-15)	24816.00
		कुल योग (2013-14+2014-15)		71394.00

उक्त व्यय की पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, कोटेशन, सामग्री, क्रय आदेश, आपूर्ति आदेश,स्टाक पंजिका, उपभोग पंजिका, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में किया गया व्यय 71394 अपुष्ट रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि ग्राम प्रधान नकद धन का आहरण कर फर्जी तरीके से राजमिस्त्री व लेवर के नाम से अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बाबूराम सेकी जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-कितनापुर, सा0आ0सं0-18)

प्रस्तर संख्या-103:-ग्राम पंचायत कितनापुर वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कैशबुक में क्रय की गई सामग्री एवं कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र में उपभोग की गई सामग्री में कुल 521532 (वर्ष- 2013-14 में 92082 व 2014-15 में 429450) का अन्तर पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	सामग्री का नाम	कैशबुक		कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र		अन्तर (रु0 में)
		मात्रा	व्यय धनराशि	मात्रा	धनराशि	
2013-14	ईट 1खंजर मिट्टी	20600	99000	10600	49000	50000
		43146	185232	40346	173210	12082
		131 ट्राली	65500	71 ट्राली	33500	30000
				योग-(2013-14)		92082
2014-15	ईट 1खंजर मिट्टी		171750	11200	58500	113250
		32500	325200	5600	28000	297200
		66456	29000	20 ट्राली	10000	19000
		58ट्राली				
				योग-(2014-15)		429450
				महायोग-(2013-14+2014-15)		521532

कैशबुक व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में सामग्री में जो अन्तर पाया गया है उस सामग्री को स्टॉक पंजिका में भी नहीं दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से सामग्री क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ति में उपभोग की गई सामग्री से कैशबुक में कुल 521532.00 की सामग्री अधिक क्रय दर्शायी गई है। जिसमें से ईट एवं खंजर क्रय पर कुल 472532.00 का अधिक क्रय दर्शाया गया है। जिसके व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः इस धनराशि को सामान्य आपत्ति संख्या - 17 में शामिल कर लिया गया है जो कि व्यय प्रमाणक की अनुपलब्धता से सम्बन्धित आपत्ति है। इसके अतिरिक्त मिट्टी क्रय पर कुल 94500.00(वर्ष- 2013-14 में 65000.00 एवं 2014-15 में 29000.00) का व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है तथा इसके व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध कराये गये हैं परन्तु कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र उमें केवल 45500.00 (वर्ष 2013-14 में 35500.00 एवं 2014-15 में 10000.00)का उपयोग दर्शाया गया है। अतः 49000.00(उन्नचास हजार मात्र)का अधिक व्यय दर्शाया गया है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री बाबूराम से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत- कितनापुर, सा0आ0सं0-19)

प्रस्तर संख्या-104:-

क्रम सं०	वाउचर संख्या	दिनांक	व्यक्ति / संस्था का नाम जिसके नाम से चेक जारी किया गया है।	आहरित धनराशि(रु०)
1	102	17.04.15	सी०एल०जी०(लूज चेक-किसे भुगतान किया गया है अस्पष्ट है)	2000.00
2	108	21.4.15	जगदीश प्रसाद	40000.00
3	86	24.4.15	वीरमती	25000.00
4	104	5.5.15	लोकेश कुमार	900.00
5	87	16.6.15	सी०एल०जी० (लूज चेक-किसे भुगतान किया गया है अस्पष्ट है)	2000.00
6	88	27.6.15	जगदीश प्रसाद	28000.00
7	—	1.7.15	डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज	342.00
8	89	11.7.15	लोकेश कुमार	3000.00
9	90	11.8.15	जगदीश प्रसाद	40000.00
10	91	28.8.15	लोकेश कुमार	3000.00
11	92	15.9.15	सी०एल०जी० (लूज चेक-किसे भुगतान किया गया है अस्पष्ट है)	2000.00
12	93	16.9.15	जगदीश प्रसाद	15000.00
13	100	10.2.16	सी०एल०जी० (लूज चेक-किसे भुगतान किया गया है अस्पष्ट है)	2000.00
14	94	23.2.16	सुरेश चन्द्र	100000.00
15	95	8.3.16	राम निवास मिश्रा	900.00
16	96	8.3.16	मॉ नर्मदा इंटरप्राइजेज	41000.00
17	97	21.3.16	कृष्णपाल	50000.00
योग - 355142.00-342 बैंक कटौती				

उक्त धनराशि में से कुल 354800.00 का आहरण एवं 342 की बैंक कटौती की गई है। व्यय धनराशि 354800.00 के सापेक्ष पुष्टि हेतु प्रमाणक, कैश बुक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कोटेशन, सामग्री क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण-पत्र स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, मस्टर रोल , कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में किया गया व्यय 354800.00 पूर्णतया: अपुष्ट रहा। अतः ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि में से 160900.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री बाबूराम एवं 193900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री बाबूराम से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत- कितनापुर, सा०आ०सं०-20)

प्रस्तर संख्या- 105:-वित्तीय वर्ष- 2014-15 व 2015-16 में अप्रैल 2014 से दिसम्बर/2015 तक कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, इस दौरान किए गये आहरण का विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि (₹)	व्यक्ति/संस्था/फर्म का नाम, जिसके नाम से चेक काटा गया है
02.04.2014	47	10000	टू कैश
07.04.2014	48	5000	सत्यदेव
08.05.2014	52	30000	सत्यदेव
08.05.2014	51	20000	अनिल कुमार
10.05.2014	49	12000	ज्ञान चन्द्र
17.05.2014	50	5000	राम सिंह
21.05.2014	53	2000	डी०पी०आर०ओ०
05.07.2014	—	337	सी०एच०जी०एस०
11.07.2014	56	15000	स्वयं
12.07.2014	55	22522	सी०एल०जी०
04.09.2014	60	10000	सत्यदेव
05.09.2014	58	10000	अनिल कुमार
06.09.2014	57	2000	सी०एल०जी०

07.10.2014	—	787	डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज
13.10.2014	77	40000	सत्यदेव
20.10.2014	76	20000	अनिल कुमार
21.10.2014	78	5000	कल्यान
10.11.2014	79	25000	स्वयं
28.11.2014	83	1000	नन्हे लाल
11.12.2014	85	2000	सत्यदेव
19.12.2014	82	2000	सी0एल0जी0
20.12.2014	87	15000	सत्यदेव
20.12.2014	89	5000	वीरेस
20.12.2014	88	5000	अनिल कुमार
06.01.2015	86	15000	02/74
07.01.2015	90	7000	सत्यदेव
02.02.2015	84	11854	तराई
04.02.2015	91	30000	सत्यदेव
05.02.2015	92	5000	अनिल कुमार
13.02.2015	93	2000	सी0एल0जी0
02.03.2015	.	337	आउटवर्ड रिटर्न चार्जस
17.04.2015	96	2000	सी0एल0जी0
25.04.2015	95	1200	मृदुल जी
01.05.2015	.	112	सी0एल0जी0
06.05.2015	99	30000	सत्यदेव
06.05.2015	97	8000	अनिल कुमार
28.05.2015	100	1000	राकेश सिंहल
16.06.2015	101	2000	सी0एल0जी0
16.06.2015	103	14000	स्वयं
17.06.2015	104	4000	अनिल कुमार
26.06.2015	105	3000	नन्हे लाल
25.08.2015	108	25000	सत्यदेव
25.08.2015	107	15000	अनिल कुमार
27.08.2015	106	2000	सी0एल0जी0
योग	—	443149	(आहरण + बैंक कटौती)
कुल आहरण	—	443149—1573 (बैंक कटौती) =	441576.00

उक्त आहरण के सापेक्ष क्या सामग्री कय की गई है अथवा क्या कार्य कराया गया है अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहा। अभिलेख यथा— अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, सामग्री कय आदेश, संस्था का बिल, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, डेड स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति सृजन, पंजिका, आदि के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत की वर्ष— 2014—15 की कैशबुक भी उपलब्ध नहीं करायी गई जबकि वर्ष— 2015—16 की जो कैशबुक उपलब्ध करायी गई उसमें केवल जनवरी/2016 से मार्च/2016 तक के व्यय का उल्लेख किया है शेष कैशबुक रिक्त है, जिससे स्पष्ट है कि सरकारी धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि 441576.00 (चार लाख इकतालीस हजार पाँच सौ छियत्तर मात्र) की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्यदेव एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत—पटनियां, सा0आ0सं0—13)**

प्रस्तर संख्या—106:—वित्तीय वर्ष— 2014—15 व 2015—16 की लेखा परीक्षा में अप्रैल/2014 से दिसम्बर/2015 तक का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत में किए गये आहरण का विवरण निम्न प्रकार है :—

दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि (₹)	व्यक्ति/संस्था का नाम जिसके नाम चेक काटा गया है
25.04.2014	41	50000	अनिल कुमार
25.04.2014	42	7000	मो0 शाह
25.04.2014	40	50000	मो0 शाह
25.04.2014	39	50000	हस्ती ब्रिक फील्ड
26.04.2014	—	34	चेक बुक चार्ज
03.05.2014	37	22522	पंचायत उद्योग
08.05.2014	45	3000	मो0 शाह
08.05.2014	44	20000	अनिल कुमार
08.05.2014	43	20000	मो0 शाह
21.05.2014	47	3500	रजा वक्श
30.05.2014	46	2000	डी पी आर ओ
09.06.2014	49	20000	राम बहादुर
18.06.2014	50	25000	टू कैश
19.06.2014	52	2000	मो0 शाह
19.06.2014	51	25000	मो0 शाह
28.06.2014	55	1000	मो0 शाह
28.06.2014	54	10000	अनिल कुमार
28.06.2014	53	10000	राम बहादुर
05.07.2014	—	449	डुप्लिकेट स्टेटमेंट चार्ज
10.07.2014	58	5000	सोनू
28.07.2014	59	4000	राम बहादुर
02.08.2014	57	30000	अनिल कुमार
04.08.2014	56	30000	पप्पू
22.08.2014	92	50000	अनिल कुमार
22.08.2014	91	50000	गंगा सिंह
22.08.2014	95	6000	साबिर
26.08.2014	93	20000	हसनिव फील्ड
01.09.2014	97	10000	मो0 शाह
01.10.2014	94	2000	सी0एल0जी0
04.10.2014	99	50000	मो0 शाह
04.10.2014	98	80000	अनिल कुमार
04.10.2014	100	5000	मो0 शाह
14.10.2014	101	2000	सी0एल0जी0
20.10.2014	102	2000	प्रेमपाल
05.12.2014	105	800	01/2475
17.12.2014	104	3000	जगमोहन
19.12.2014	109	50000	मन शाह
19.12.2014	107	6000	मो0 शाह
20.12.2014	108	70000	अनिल कुमार
31.12.2014	106	1500	पातीराम
02.01.2015	110	2700	मेवालाल
08.01.2015	111	400	नन्हेलाल
09.01.2015	112	1500	पातीराम
02.02.2015	96	15000	कल्यान
03.02.2015	113	8000	राकेश कुमार
07.02.2015	114	2000	सी0एल0जी0
10.02.2015	116	26270	झण्डू लाल
10.02.2015	115	500	सी0एल0जी0
02.03.2015	119	10000	मो0 शाह
02.03.2015	120	4000	मो0 शाह
02.03.2015	118	60000	अनिल कुमार

30.03.2015	117	1200	मृदुल
16.04.2015	122	12000	मो0 शाह
16.04.2015	121	4000	रजा वक्श
22.04.2015	125	50000	राम बहादुर
23.04.2015	124	50000	अनिल कुमार
24.04.2015	126	6000	मो0 शाह
05.05.2015	123	12000	हसनी ब्रिक फील्ड
22.05.2015	130	4000	मो0 शाह
28.05.2015	127	1000	राकेश सिंहल
08.09.2015	134	30000	अजय प्रताप
10.09.2015	135	20000	अनिल कुमार
10.09.2015	131	31600	उमाकांत
10.09.2015	12	31600	उमाकांत
10.09.2015	129	10000	कल्यान राय
11.09.2015	137	10000	अनिल कुमार
11.09.2015	139	1000	मो0 शाह
11.09.2015	136	15000	मो0 शाह
11.09.2015	140	1000	मो0 शाह
28.09.2015	133	2000	सी0एल0जी0
09.11.2015	141	1000	राम बहादुर
कुल योग (आहरण + बैंक कटौती)		1222575.00	
कुल आहरण =	1222575-483 (बैंक कटौती) =		
	1222092.00		

उक्त आहरण के सापेक्ष क्या सामग्री कय की गयी है अथवा क्या कार्य कराया गया है ? अभिलेखों अभाव में अपुष्ट रहा। अभिलेख यथा- अनुमोदित कार्ययोजना, कैशबुक, व्य प्रमाणक, प्रस्ताव पंजिका कोटेशन, सामग्री कय आदेश, संस्था का बिल, उपभोग प्रमाण-पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रेल, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन एवं मापंकन पंजिका, डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति सृजन पंजिका आदि के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से धन आहरित कर सरकारी धन का अपहरण किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत की वर्ष- 2014-15 की कैशबुक भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि वर्ष- 2015-16 में की जो कैशबुक उपलब्ध करायी गयी है उसमें केवल जनवरी/2016 से मार्च/2016 तक के व्यय एवं कराये गये कार्यों का उल्लेख है एवं इसके अभिलेख (व्यय प्रमाणक) उपलब्ध कराये गये हैं। शेष कैश बुक रिक्त है जबकि दोनों वित्तीय वर्षों में ग्राम विकास अधिकारी एक ही है। अतः स्पष्ट है कि यहा धन का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि 1222092.00 (बारह लाख वाइस हजार बानवे मात्र) की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा एवं तत्कालीन गाम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-रिछोला घासी, सा0आ0सं0-13)

प्रस्तर संख्या-107:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2010-11 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम निधि मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम निधि खाता सं0- 15240100004236 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा- सिद्धनगर विकास खण्ड, पूरनपुर, जनपद-पीलीभीतसे निम्न विवरणानु धनराशि का आहरण किया गया है :-

क0सं0	लेखा परीक्षा वर्ष/अवधि	आहरित धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
01	2010-11	352533.00	
02	2011-12	520107.50	
03	2012-13	320812.00	
04	2013-14	1034941.00	
05	2014-15	795084.00	
06	2015-16	1100750.00	
	योग	4124227.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 4124227.50 के आहरण के सापेक्ष कोषवही (रूप पत्र-06) बजट पंजिका, सामग्री, स्टॉक पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, स्वीकृतस्टीमेट, कय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, मापांकन पुस्तिका, डी0पी0सी0-09 इत्यादि अभिलेखों कोलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना, वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गवन मानते हुये 4124227.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमीर उल्लाह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूप लाल से 232533.00 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेम लता व ग्राम्य विकास अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार 960919.50 (1,20,000+5,20,107.50+3,20,812) ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता व ग्राम्य विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से 1830025-00 (10,34,941-00+7,95,084-00) ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेम लता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पटेल से 292500.00 दिनांक- 01.04.2015 से अक्टूबर/2015 तक ग्राम प्रधान श्री रामाज्ञा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पटेल से 100000.00 ग्राम प्रधान श्री रामाज्ञा व ग्राम्य विकास अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से 708250.00 किये जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 179 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोष वही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका कोषवही एवं अन्य सगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम संख्या- 179 के प्रति उदासीनता एवं मौन, ग्राम प्रधानों एवं सचिव के द्वारा किये गये गवन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार उक्त ग्राम प्रधानों व उक्त सचिवों से कार्यकाल के अनुसार 4124227.50 की ब्याज सहित वसूली कराये जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं0) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड-कार्यालय से ग्राम पंचायतों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्ट एवं सटीक कार्यकाल अंकित नहीं किया जा पा रहा है। ग्राम निधि बैंक स्टेटमेंट में इंगित नामों के आधार पर कार्यालय इन्द्रराज किया गया है।

(ग्राम पंचायत-भरतपुर, सा0आ0सं0-ख-1)

प्रस्तर संख्या-108:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16 में कैश बुक व पासबुक की जांच में पाया गया कि मै0 राज पाइप इण्डस्ट्रीज गुरुद्वारा शाहबाजपुर, रसूलपुर, पंचपुरखरा-पूरनपुर, पीलीभीत को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है :-

क0सं0	कैशबुक के अनुसार आहरण			बैंक के अनुसार भुगतान		
	चैक सं0	दिनांक चैक निर्गत	धनराशि	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
01	125	अज्ञात	612500.00	19.03.2016	मै0 राज पाइप इण्डस्ट्रीज	612500.00
02	127	अज्ञात	52020.00	21.03.2016	मै0 राज पाइप इण्डस्ट्रीज	52020.00
		योग	664520.00			664520.00

उक्त 664520.00 के आहरण के सापेक्ष दर्शित कय सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क0 सं0	कैशबुक के अनुसार सामग्री कय			फर्म के बिल /वाउचर का विवरण				
	दिनांक	व्यय प्रमाणक सं0	धनराशि	बुक नं0	क0 सं0	दिनांक	समग्री का विवरण इण्टरलाकिंग ईट का विवरण	धनराशि
01	19.03.2016	01	83160.00	05	232	11.04.2016	80 मी0मी0 4750 ईटदर 1750/-	83160.00
02	19.03.2016	02	190890.00	05	233	11.04.2016	80 मी0मी0 10908 ईटदर 1750/-	190890.00
03	19.03.2016	03	207550.00	05	234	11.04.2016	80 मी0मी0 11860 ईटदर 1750/-	207550.00
		योग	481600.00				27520 दर 1750/-	481600.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल आहरण 664520.00 के सापेक्ष केवल 481600.00 की ही सामग्री को कैश बुक में मनमाने/अनियमित तरीके से क़य कर व्यय किया जाना दर्शाया गया है। शेष 182920.00 की पुष्टि में कोई भी विवरण अंकित नहीं पाया गया।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत किये गये बिल/वाउचरों पर दिनांक— 11.04.2016 अंकित है जो वित्तीय वर्ष— 2016-17 से सम्बन्धित है इससे स्पष्ट है कि वर्ष— 2015-16 में आहरित 664520.00 का कोई भी बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः 664520.00 के व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्यक्रम, सम्बन्धित कार्यों के प्राक्कलन सम्बन्धित फर्मों के बिल/वाउचर, सामग्री क़य आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सामग्री स्टॉक पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, सेक्टर प्रभारी की स्थलीय स्थापन रिपोर्ट, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र डी0पी0सी0- 09 इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जोकि वित्त लेखा मैनुअल अध्याय-8 के पैरा- 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय 664520.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक न होने पर दर्शायी गई या आहरित की गयी धनराशि को गवर्न मानते हुए 664520.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लौंग श्री से यि जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अन्तर्गत गवर्न का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा उ0प्र0 पंचयतीराज नियमावली- 1947 के नियम सं0- 179 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही (रूपपत्र-06) का प्रत्येक तीन माहमें एक बार सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका कोषवही एवं अन्य संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सहायक विकास अधिकारी (पं0) की नियम सं0- 179 के प्रति उदासीनता एवंमौन, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गवर्न में संलिप्तता एवं सहयोग कियाजाना सिद्ध करता है। अतः उच्च अधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती लौंग श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार वर्मा 664520.00 से ब्याज सहित वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं0) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी आंकषित किया जाता है।

(ग्राम पंचायत- खमरिया पट्टी, सा0आ0सं0-18)

प्रस्तर संख्या-109:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 2015-16 तक ग्राम निधि खाता सं0- 15240100004238, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा- कबीर गंज से वर्ष वाईज निम्न विवरणानुसार धनराशि का आहरण किया गया है

01. लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 में आहरण का विवरण :-

(क) श्रीमती लालती देवी ग्राम प्रधान :-

क0सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि
1	10.05.2011	500309	90140.00
2.	23.05.2011	500310	10000.00
3	29.06.2011	500371	30000.00
4	19.04.2011	500308	124000.00
योग			254140.00

(ख) नकद आहरण :-

क0सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि
1	08.08.2011	503374	21600.00
2	23.11.2011	503377	7500.00
3	13.12.2011	503380	89100.00
4	14.01.2012	505685	22000.00
योग			140200.00

(ग) विभिन्न द्वारा आहरण :-

क0सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	आहरणकर्ता का नाम
1	04.04.2011	500307	2000.00	श्री अश्वनी
2	19.04.2011	500306	2000.00	श्री अशोक शर्मा
3	28.04.2011	500305	2000.00	श्री संजीव
4	29.06.2011	503372	500	श्री अजय

5	23.11.2011	503376	480	श्री सुरेन्द्र
6	07.11.2011	503373	30000.00	श्री बन्तासिंह
7	25.11.2011	503378	1020.00	श्री मुकेश
8	04.01.2012	505671	18600	श्री मुकेश
9	03.02.2012	505686	52800.00	श्री बब्बू
10	16.02.2012	505379	2565	पी.एल.ए.
योग		111965.00		

(घ) गुप्ता सीमेंट स्टोर को भुगतान :-

क0सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि
1	04.04.2011	500301	36954.00
2	12.01.2012	505681	139440.00
योग			176394.00

(ङ) ईट कय पर व्यय :-

क0सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	आहरणकर्ता का नाम
1	09.01.2012	503375	81900.00	दयाल ब्रिक्सफील्ड
2	12.01.2012	505683	30609.00	नेशनल ब्रिक्सफील्ड
योग			112590.00	

कुल आहरण :-

क) ग्राम प्रधान द्वारा	254140.00
ख) नकद आहरण	140200.00
ग) विभिन्न द्वारा आहरण	111965.00
घ) गुप्ता सीमेन्ट स्टोर के नाम	176394.00
ङ) ईट कय पर	112590.00
योग	795289.00

02. लेखा परीक्षा वर्ष - 2012-13 में आहरण का विवरण :-

(क) नकद आहरण :-

क0सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि
1	24.07.2012	205672	50000.00
2	16.08.2012	505673	20000.00
3	24.08.2012	505674	1000.00
4	07.09.2012	505675	15000.00
योग			86000.00

(ख) विभिन्न के द्वारा आहरण :-

क0सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	आहरणकर्ता का नाम
1	11.05.2012	505689	6000.00	सरफराज
2	21.03.2013	5056680	6000.00	संजीव
3	15.03.2013	505678	130000.00	राजपाइप
योग			142000.00	

कुल आहरण का विवरण :-

क) नकद आहरण	86000.00
ख) विभिन्न के द्वारा आहरण	142000.00
योग	228000.00

03. लेखा परीक्षा वर्ष - 2013-14 में आहरण का विवरण :-

(क) नकद आहरण :-

19.01.2013	29	10000.00
19.10.2013	30	10000.00
28.10.2013	31	10000.00

28.10.2013	32	10000.00
06.12.2013	35	50000.00
07.12.2013	36	50000.00
13.12.2013	43	10000.00
13.12.2013	44	20000.00
28.12.2013	02	15000.00
04.01.2014	03	5000.00
16.01.2014	10	10000.00
योग		200000.00

(ख) श्री बन्ता सिंह ग्राम प्रधान पति के नाम :-

21.06.2013	23	10000.00
21.06.2013	21	10000.00
10.01.2014	4	5000.00
16.01.2014	09	10000.00
16.01.2014	7	10000.00
03.03.2014	48	5000.00
योग		50000.00

(ग) श्री विवेक वर्मा ग्राम विधि अधिकारी के द्वारा :-

21.06.2013	22	10000.00
21.06.2013	20	10000.00
02.08.2013	26	8586.00
21.01.2014	08	17000.00
14.03.2014	50	12000.00
28.01.2014	12	10000.00
योग		67586.00

(घ) श्री सुभाष द्वारा आहरण :-

20.12.2013	45	25000.00
28.12.2013	02	20000.00
16.01.2014	05	14000.00
19.02.2014	15	16800.00
योग-		75800.00

(ङ) सामग्री/फर्मों के नाम चैक निर्गत कर :-

20.05.2013	18	66480.00
20.05.2013	16	192900.00
20.05.2013	17	219440.00
24.08.2013	27	53840.00
25.09.2013	28	75000.00
06.12.2013	37	53840.00
10.12.2013	40	53840.00
10.12.2013	41	53840.00
10.12.2013	42	53840.00
04.02.2014	13	150000.00
19.02.2014	46	100000.00
01.03.2014	47	60000.00
योग		1133020.00

दयाल ब्रिक्स फील्ड
गुप्ता सीमेन्ट स्टोर
दयाल ब्रिक्स फील्ड
अनुराग इन्टर प्राइजेज
अनुराग इन्टर प्राइजेज
अनुराग इन्टर प्राइजेज
अनुराग इन्टर प्राइजेज
अनुराग इन्टर प्राइजेज
अनुराग इन्टर प्राइजेज
अनुराग इन्टर प्राइजेज
ओम ब्रिक्स फील्ड
ओम ब्रिक्स फील्ड

(च) विभिन्न के द्वारा आहरण :-

17.04.2013	00	60973.00	एफ.डी.
15.05.2013	504220	90000.00	लूज चैक
21.06.2013	19	9000.00	लालती देवी ग्राम प्रधान
28.06.2013	24	34000.00	काशीराम
29.07.2013	25	10000.00	काशीराम
06.12.2013	38	53840.00	सुपर शान
06.12.2013	39	53840.00	सुपर शान
06.12.2013	34	3000.00	संजीव
28.10.2013	33	10000.00	श्रीपाल
16.01.2014	06	13000.00	श्री राजेश राजन
28.01.2014	11	50000.00	लालती देवी ग्राम प्रधान
19.02.2014	14	3000.00	श्री पाल
14.03.2014	49	10000.00	पवन
योग		400653.00	

कुल आहरण का विवरण :-

क) नकद आहरण	200,000.00
ख) ग्राम प्रधानपति के नाम आहरण	50000.00
ग) श्री विवेक वर्मा के नाम आहरण	67586.00
घ) श्री सुभाष	75800.00
ङ) विभिन्न फर्मों के नाम चैक द्वारा आहरण	1133020.00
च) विभिन्न नाम चैक निर्गत कर	400653.00

योग **1927059.00**

04. लेखा परीक्षा वर्ष - 2014-15 में आहरण का विवरण :-

क) श्री विवेक वर्मा द्वारा आहरण

30.04.2014	57	3000.00
30.04.2014	58	61644.00
03.05.2014	59	80000.00
19.05.2014	81	10000.00
04.08.2014	63	35000.00
26.08.2014	66	30000.00
19.09.2014	67	15000.00
09.10.2014	69	75000.00
18.10.2014	70	10000.00
18.10.2014	71	15000.00
22.10.2014	75	10000.00
22.10.2014	73	50000.00
27.10.2014	93	5000.00
20.01.2014	94	20000.00
04.02.2014	101	50000.00
09.02.2015	102	12500.00
योग		494644.00

ख) श्री बन्ता सिंह ग्राम प्रधान पति :-

19.05.2014	80	58700.00
19.05.2014	82	10000.00
19.06.2014	88	25000.00
19.06.2014	85	21500.00

26.06.2014	61	35000.00
04.08.2014	64	35000.00
04.08.2014	62	40000.00
27.08.2014	90	25000.00
09.10.2014	68	75000.00
20.10.2014	72	15000.00
22.10.2014	74	10000.00
29.12.2014	92	15000.00
21.01.2015	95	20000.00
04.02.2015	100	50000.00
07.03.2015	103	50000.00
	योग	485200.00

ग)नकद आहरण :-

09.04.2014	53	75000.00
18.06.2014	83	10000.00
19.06.2014	87	25000.00
09.12.2014	91	15000.00
03.03.2015	104	50000.00
	योग	107500.00

घ)विभिन्न के द्वारा आहरण :-

09.04.2014	54	12000.00	श्री पवन
20.05.2014	78	16400.00	श्री मक्कू यादव
20.05.2014	77	18800.00	श्री खदरू चौहान
20.05.2014	76	24800.00	श्री सुभाष चन्द्र
20.05.2014	60	29200.00	श्री गुलाब
20.05.2014	79	12000.00	श्री किशन कुमार
14.08.2014	65	3000.00	श्री बल्लू गुप्ता
04.02.2015	97	3500.00	श्री निजामुद्दीन
06.02.2015	96	3000.00	श्री अजय शर्मा
04.02.2015	99	15000.00	श्रीमती लालती देवी
03.03.2015	105	1500.00	श्रीपाल
08.08.2014	89	2000.00	पीएलए
	योग	141200.00	

कुल आहरण :-

क)श्री विवेक वर्मा द्वारा आहरण	494644.00
ख) श्री बन्ता सिंह ग्राम प्रधान पति	485200.00
ग) नकद आहरण	107500.00
घ) विभिन्न के द्वारा आहरण	141200.00
सदभावना ट्रेडिंग कम्पनी	23300.00
योग	1251844.00

05. लेखा परीक्षा वर्ष – 2015–16 में आहरण का विवरण :-

क) आहरण :-

10.04.2015	108	10000.00
10.04.2015	106	13500.00
01.09.2015	506920	125000.00
01.09.2015	506921	125000.00
01.09.2015	506922	77000.00
	योग	350500.00

ख)श्री बन्ता सिंह ग्राम प्रधान पति :-

10.04.2015	107	10000.00
24.04.2015	110	50000.00
15.05.2015	117	13000.00
योग-		73000.00

ग)विभिन्न के द्वारा आहरण :-

21.04.2015	109	50000.00	
05.05.2015	114	32800.00	नोयडा पीलीभीत
06.05.2015	121	23500.00	श्रीपाल
15.05.2015	116	35000.00	श्री गुलाब
24.04.2015	111	15000.00	श्री विवेक वर्मा
योग		156300.00	

कुल आरहण :-

क)कुल आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती लालती देवी		
नकद व लूज चैक से		350500.00
ख) श्री बन्ता सिंह ग्राम प्रधान पति		73000.00
ग) विभिन्न के द्वारा आहरण		156300.00
योग		579800.00

लेखा परीक्षा वर्ष - 2015-16 में ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल के कार्यालय सम्बन्धी आहरण दिनांक 06.02.2016 से सम्बन्धी :-

क) ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल द्वारा आहरण :-

06.02.2016	119	100000.00
12.02.2016	139	100000.00
24.02.2016	142	125000.00
09.03.2016	133	61274.00
19.03.2016	147	10000.00
योग		283774.00

ख) श्री विवेक वर्मा ग्रा० वि० अधि० :-

60.02.2016	120	100000.00
12.02.2016	138	100000.00
19.03.2016	148	10000.00
योग		210000.00

ग) विभिन्न खातों में धनराशि हस्तान्तरित कर आहरण :-

06.02.2016	122	200000.00	खाता सं० 2/44
06.02.2016	118	125000.00	खाता सं० 2/153
12.02.2016	136	125000.00	खाता सं० 2/153
12.02.2016	137	85000.00	खाता सं० 2/92
23.02.2016	140	50000.00	खाता सं० 2/44
08.03.2016	134	150000.00	श्रीओम ब्रिक्स फील्ड
08.03.2016	145	70000.00	श्रीओम ब्रिक्स फील्ड
09.03.2016	135	150000.00	गुप्ता ब्रादर्स सीमेन्ट स्टोर
15.03.2016	131	12000.00	गुप्ता ब्रादर्स सीमेन्ट स्टोर
10.03.2016	127	41600.00	01/6912 खाते में हस्तान्तरित
11.03.2016	128	36000.00	01/7494 खाते में हस्तान्तरित
11.03.2016	—	25600.00	01/517 खाते में हस्तान्तरित
17.03.2016	125	16800.00	01/5753 खाते में हस्तान्तरित
21.03.2016	130	32800.00	01/4704 खाते में हस्तान्तरित
योग		1119800.00	

घ) विभिन्न नामों के द्वारा आहरण :-

11.03.2016	126	16000.00
08.03.2016	143	3500.00
11.03.2016	123	3000.00
14.03.2016	132	11200.00
14.03.2016	129	25600.00
योग		59300.00

कुल आहरण:-

क) ग्राम प्रधान द्वारा आहरण	283774.00
ख) श्री विवेक वर्मा द्वारा आहरण	210000.00
ग) विभिन्न खातों में हस्तान्तरित	1119800.00
घ) विभिन्न के द्वारा आहरण	59300.00
योग	1672874.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष- 2011-12 से 2015-16 तक में आहरित की गयी धनराशि 6454866.00 का विवरण वर्ष वाईज अग्रलिखित है।

क0सं0	लेखा परीक्षा वर्ष		आहरणकर्ता का नाम व विवरण	आहरित धनराशि	
01	2011-12	क	ग्राम प्रधान द्वारा आहरण	254140-00	
		ख	नकद आहरण	140200-00	
		ग	विभिन्न के द्वारा आहरण	111965-00	
		घ	गुप्ता सीमेन्ट स्टोर के नाम	176394-00	
		ङ	ईट कय हेतु आहरण	112590-00	
			योग	795289-00	795289-00
02	2012-13	क	नकद आहरण	86000-00	
		ख	विभिन्न के द्वारा आहरण	142000-00	
			योग	228000-00	228000-00
03		क	नकद आहरण	200000-00	
		ख	ग्राम प्रधान के पति के नाम आहरण	50000-00	
		ग	श्रीविवेक वर्मा के नाम आहरण	67586-00	
		घ	श्रीसुभाष चन्द्र के नाम आहरण	75800-00	
		ङ	विभिन्न फर्मों के नाम आहरण	1132020-00	
		च	विभिन्न नामों से आहरण	400653-00	
			योग	1927059-00	1927059-00
04		क	श्री विवेक वर्मा द्वारा आहरण	494644-00	
		ख	श्री बन्तासिंह ग्राम प्रधान पति	485200-00	
		ग	नकद आहरण	107500-00	
		घ	विभिन्न के द्वारा आहरण	141200-	
		ङ	सद्भावना ट्रेडिंग कम्पनी	23300-00	
			योग	1251844-00	1251844-00

05	2015-16	क	नकद व लूज चैक से आहरण	350500-00	
	(i)	ख	श्री बन्ता सिंह ग्राम प्रधान पति के नाम	73000-00	
		ग	विभिन्न नामों से आहरण	156300-0	
			योग	579800-00	579800-00
	(ii)	क	ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल द्वारा	283774-00	
		ख	श्री विवेक वर्मा द्वारा आहरण	210000-00	
		ग	विभिन्न खातों धनराशि हस्तान्तरण	1119800-00	
		घ	विभिन्न नामों से आहरण	59300-00	
			योग	1672874-00	1672874-00
			कुल योग		6454866-00

लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 2015-16 तक में कुल 6454866.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा, जैसे प्रस्ताव पंजिका कोषवही (रूपपत्र- 06) बजट पंजिका, सामग्री स्टॉक पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति पंजिका, स्टीमेंट, मस्टर रोल, कार्य निर्माण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, मापांकन पुस्तिका, डी0पी0सी0-07, सक्षम विभागीय अधिकारियों की स्थल सत्यान रिपोर्ट, इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8(क) के अनुसार आहरित को गवन मानते हुए रु0 6454866.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम्य विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा एवं श्रीमती लालती देवी ग्राम प्रधान से वर्ष- 2011-12 से दिनांक-01.09.2015 तक रु0 4781992.00 व ग्राम्य विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल से दिनांक- 06.02.2016 से 31.03.2016 तक रु0 1672874.00 से किये जाने का प्रावधान है। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकता है एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 179 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका, एवं संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सहायक विकास अधिकारी (पं0) की नियम संख्या- 179 के प्रति उदसीनता एवं मोन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गवन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमा अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती लालती देवी व श्री जवाहर लाल एवं ग्राम्य विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से 6454866.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं0) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी आकर्षित किया जाता है।

(ग्राम पंचायत-रामनगर, सा0आ0सं0-16)

प्रस्तर संख्या-110:-लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14 से 2015-16 तक मनरेगा योजनासे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहे। परन्तु इन वर्षों में निम्न विवरणानुसार एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गई है, जो कि लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्यय हेतु कराई गई है। जो कि लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्यय हेतु पर्याप्त साक्ष्य है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क.सं.	लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार भुगतान				एम0आई0एस0 के अनुसार भुगतान शेष				कुल योग
		श्रमांश	समग्री	अन्य	योग	श्रमांश	समग्री	अन्य	योग	
01	2013-14	2.36	—	0.03	2.39	—	—	—	—	2.39
02	2014-15	5.8	0.87	0.02	6.69	—	—	—	—	6.69
03	2015-16	8.04	2.67	0.15	10.86	1.00	0.07		1.07	11.93
		16.20	3.54	0.20	19.94	1.00	0.07		1.07	21.01

उक्त एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय 21०01 लाख की पुष्टि के सापेक्ष, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजनप, कोषवही, बिल/वाउचर, सामग्री स्टॉक पंजिका, प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय

स्वकृति पंजिका, स्टीमेंट / प्राक्कलन पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, मस्टर रोल कार्य निर्माण पंजिका, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूत प्रमाण पत्र, डी0पी0सी0-09 इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्पष्ट होता है कि बिना अभिलेखों के मानमाने ढंग से ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। अतः कुल धनराशि 21०01 लाख की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालती देवी वर्ष- 2011-12 से अक्टूबर/2015 तक एवं सचिव श्री विवेक वर्मा व नवम्बर/2015 से दिनांक- 31.03. 2016 तक ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल व सचिव श्री विवेक वर्मा, रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) से किये जोन हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष- 2010-11 से 2012-13 तक के मूल अभिलेख एवं एम0आई0एस0 फीडिंग दोनों ही अभिलेखों का लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण व्यय की गयी धनराशि की समीक्षा नहीं हो सकी। अतः जबकि शासन एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार लेखा परीक्षा की जानी अनिवार्य थी। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। अभिलेखों के अभाव में व्यय की गई धनराशि का संकलन कर समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी), रोजगार सेवक से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-रामनगर, सा0आ0सं0-ख-1)

प्रस्तर संख्या-111 :-लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पाया गया कि नव नियुक्त ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिमा खानम के द्वारा निम्न विवरण अनुसार धनराशि का भुगतान विज्ञापन मद में किया है, जिसकी प्रति में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, संस्था का बिल, जिला सूचना अधिकारी द्वारा अनुमोदित दरें, ग्राम पंचायत का विज्ञापन हेतु आदेश, समाचार पत्र की प्रति आदि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास मद में उपलब्ध धन को विज्ञापन मद में व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। विवरण इस प्रकार है:-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम
665217	24.02.2016	3000.00	श्री सरफराज खां
665211	22.02.2016	3000.00	श्री अहमद मियां खां
665221	25.02.2016	3000.00	श्री सादाब
665224	19.03.2016	6000.00	श्री नवीन अग्रवाल
	योग	15000.00	

अतः 15000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत:-शेरपुर कला, सा0मा0आ0 सं0- 19)

प्रस्तर संख्या-112 :-लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार धनराशि विज्ञापन मद पर व्यय किया जाना कौश बुक(पत्र सं0 -6) में दर्शित है, जिसकी पुष्टि में विभागी आदेश जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित दरें, बिल एवं समाचार पत्र की प्रति जिसमें विज्ञापन छपा हुआ है। आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है:-

चेक सं0	दिनांक	धनराशि (में)	व्यय प्रमाण क सं0	संस्था	प्राप्तकर्ता का नाम	दर्शित अवसर
409	24.09.2015	3000.00	अज्ञात	दैनिक स्पष्ट आवाज	श्री अहमद मियां खान	26 जनवरी
418	27.04.2015	3000.00	अज्ञात	दैनिक आज	श्री शादाब अली	26 जनवरी
417	27.04.2015	2500.00	अज्ञात	दैनिक आज	श्री मुर्शरफ	26 जनवरी
419	11.05.2015	2500.00	अज्ञात	दैनिक आज	श्री शाहिद खां	26 जनवरी
448	05.02.2016	7000.00	अज्ञात	कैनविज टाईम्स	श्री योगेश	प्रचार/प्रसार
484	15.02.2016	9000.00	अज्ञात	अमर उजाला	श्री संजीव सिंह	प्रचार/प्रसार
495	14.02.2016	3000.00	अज्ञात	अमर उजाला	श्री सरफराज	प्रचार/प्रसार
494	24.02.2016	3000.00	अज्ञात	दैनिक आज	श्री शादाब अली	प्रचार/प्रसार
466	29.02.2016	3000.00	अज्ञात	दैनिक आज	श्री मुरारी श्रीवास्तव	प्रचार/प्रसार
	योग	36000.00				

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 11000.00 का व्यय पूर्व प्रधान श्री मेंहदी हसन एवं 25000.00 का व्यय वर्तमान प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान के कार्यकाल से सम्बन्धित है।

(ग्राम पंचायत :- पूरनपुर देहात, सा0मा0आ0 सं0- 12)

प्रस्तर संख्या— 113 :—लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16 में ग्राम निधि खाते से बिना विभागीय स्वीकृति के चैक निर्गत कर ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा विापन व्यय पर भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :—

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	प्रेस का नाम
1.	16.09.2015	443499	6000.00	श्री नवीन अग्रवाल	दैनिक जागरण
2.	18.08.2015	443498	6000.00	श्री रामनरेश	अज्ञात
3.	28.09.2015	449882	6000.00	श्री सरफराज	राष्ट्रीय सहारा
4.	19.02.2016	449892	6000.00	श्री अहमद मियां	दैनिक स्पष्ट आवाज
5.	19.02.2016	449893	2000.00	श्री मुरारी लाल	जनमोर्चा
6.	14.03.2016	449889	3000.00	श्री आलोक	हिन्दी राष्ट्रीय टीवी0 न्यूज चैनल
7.	16.03.2016	455904	3000.00	श्री सरफराज	राष्ट्रीय सहारा
8.	18.03.2016	455902	3000.00	श्री लोकेश	अज्ञात
9.	21.03.2016	455911	5000.00	श्री योगेश सिंह	खुसरो मेल
		योग	40000.00		

उक्त विवरणानुसार 40,000.00 का भुगतान विज्ञापन कराये जाने पर व्यय किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को विज्ञापन कराये जाने हेतु कोई भी ग्राण्ट सरका से प्राप्त नहीं होती है। और न ही विभागीय आदेश/स्वीकृतिपुष्टि में उपलब्ध रहा। बिना विभागीय आदेश/स्वीकृति एवं ग्राण्ट के विज्ञापन पर व्यय किया जाना पूर्णतः धन का दुरुपयोग है। 40,000.00 के धन का दुरुपयोग मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती एवं श्री राजीव सक्सेना से 18,000.00 एवं श्री जोगेश्वर दयाल ग्राम प्रधान एवं राजीव सक्सेना से 22,000.00 से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— सिमरिया ता0 अजीतपुर बिल्हा, सा0आ0सं0— 12)

आपत्ति संख्या0—114:—मनरेगा योजना अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण कराया गया है जिसकी आई0डी0 संख्या—3126005042/एस.के./14 है 10 लाख की धनराशि स्वीकृति (प्राक्कलन) की गई है। जिसके निर्माण से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा में उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि दिनांक 23.10.2013 को एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार इस निर्माण कार्य पर सामाग्री अंश 1287536.00 एवं श्रमांश अंश 73970.00 (कुल 1361506.00) के व्यय होने की पुष्टि हो रही हैं तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण दर्शाया जा रहा है। इसी प्रकार दिनांक 05.10.2016 को भी एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार अंश 1287536.00 एवं श्रमांश अंश 73970.00 (कुल 1361506.00) की ही पुष्टि तथा कार्य अपूर्ण ही दर्शाया जा रहा है।

अतः उक्त के आधार पर स्पष्ट है कि 10 लाख के प्राक्कलन स्वीकृति के सापेक्ष 1361506.00 व्यय किया गया है। अतः 0361506.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती से की जानी अपेक्षित है तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने से स्पष्ट है कि 10 लाख व्यय किये जाने के बाद भी समाज/ आम जन को प्रोजेक्ट का लाभ नहीं मिल सका। स्पष्ट है कि 10 लाख का मनमाने ढंग से व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जाँच उपरान्त 10 लाख की ब्याज सहित वसूली भी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— ईटगांव, सा0 आ0 सं0—2मनरेगा)

प्रस्तर संख्या—115:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 में ग्राम निधि खाता सं0— 06970100020491 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा पूरनपुर पीलीभीत में शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर वर्ष— 2013—14 में 7889.00 एवं वर्ष— 2014—15 में 6465.00 कुल 7889-6765=14654-00 को शासनादेश संख्या— 10/2015/ ए-1-502(1) दस— 2015—10 (3-2010 दिनांक— 29.05.2015) एवं शासनादेश सं0— ए-1-12-10(33) /2010 दिनांक— 21.03.2012 के अनुसार अर्जित किया गया है, अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अर्जित ब्याज को राजीकय कोष में जमा करना चाहिए था। उक्त की जांच में पाया गया कि अर्जित ब्याज 14654.00 के सापेक्ष उक्त ग्राम निधि खाते में अन्तिम अवशेष 3641.50 पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि (14654-3641.50=11012.50) ब्याज की धनराशि को आहरित कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रा मप्रधान श्रीराम निवास एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश दीक्षित का है। 11012.50 प्राप्त ब्याज की धनराशि राज्य सरकार का वापस न कर व्यय किया जाना धन का दुरुपयोग है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम निवास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवनीश कुमार दीक्षित से करयी जानी अपेक्षित रही। **(ग्राम पंचायत— खमरिया पट्टी, सा0आ0सं0— 17)**

प्रस्तर संख्या-116:—लेखा परीक्षा वर्षों में 2012-13 से 2015-16 तक मनरेगा योजना सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जबकि कराई गई एम0आई0एस0फीडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	अकुशल श्रमिक	1.26	2.31	2.66	3.69
2	कुशल श्रमिक	—	0.02	—	0.16
3	समग्री	4.00	0.84	—	2.66
4	अन्य	0.48	0.36	—	—
	योग	5.74	3.53	2.66	6.51

सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह माने जाने का पर्याप्त कारण है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर एम0आई0एस0फीडिंग कराई गई है। जिस हेतु ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी ग्राम प्रधान श्री बाबूराम— दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 30.10.2015 तथा श्री दयाराम दिनांक 21.12.2015 से 31.03.2016 तक ग्राम पंचायत अधिकारी— श्री आरेन्द्र गंगवार, श्री कृष्ण पाल सिंह, श्री राजीव प्रकाश, श्री राजाराम पर दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत पिपरगहना, सा0मा0आ0 सं०— 1(घ))

प्रस्तर संख्या-117:—भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण मनरेगा योजना से कराया गया है। जिसके निर्माण हेतु मनरेगा योजना से 946450.00 के बजट का प्रावधान किया गया है। आईडी-3126005086/एस0के0/01 से कार्य कराया गया है। जिस पर दिनांक 23.10.2013 को प्राप्त एम0आई0एस0फीडिंग आँकड़ों के अनुसार सामग्री पर 984463.00 एवं श्रमांश पर 82540.00 कुल 1067003.00 का व्यय किया गया है। जो आवंटित धनराशि से 120553.00 अधिक है। अधिक व्यय/कार्यसे सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गई। यह उल्लेखनीय है कि एम0आई0एस0फीडिंग अनुसार दिनांक 23.10.2013 को कार्य अपूर्ण दर्शित है। जो कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है। विभागीय स्तर पर समीक्षा कर उत्तरदायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही की जाये एवं 120553.00 (किये गये अधिक व्यय) की ब्याज सहित वसूली ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान— बाबूराम, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आरेन्द्र गंगवार एवं कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत पिपरगहना, सा0मा0आ0 सं०— 2(घ))

प्रस्तर संख्या-118:—लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 और 2015-16 से सम्बन्धित मनरेगा योजना सम्बन्धी कोई भी अभिलेख उपलब्ध लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिस कारण लेखा परीक्षा किया जाना संभव नहीं रहा, जबकि निम्न विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्षों में एम0आई0एस0फीडिंग करायी गयी है। विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	समग्री	अन्य	योग
2014-15	8.65 लाख	1.77 लाख	2.95 लाख	—	17.37 लाख
2015-16	12.08 लाख	0.39 लाख	2.65 लाख	0.17 लाख	15.29 लाख
				कुल योग	32.60 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल 32.60 लाख की एम0आई0एस0फीडिंग के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइस की खुली अवहेलना है। अभिलेखों की अनुपलब्धता में 32.60 लाख की एम0आई0एस0फीडिंग अपुष्ट रही जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी (अतिरिक्त) एवं कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही। ग्राम प्रधान श्री खुशनुदअली खॉ दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.10.2015 तक श्रीमती नाजिया खानम दिनांक 21.12.2015 से 31.03.2016 तक ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल पाठक दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 17.09.2015 तक श्री ओम प्रकाश भारती 18.09.2015 से 31.03.2016 तक पर दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत—शेरपुर कला, सा0मा0आ0 सं०— 1ग)

प्रस्तर संख्या-119:—लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मनरेगा योजना सम्बन्धी अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जबकि सम्बन्धित वर्षों में निम्न विवरण अनुसार एम0आई0एस0फीडिंग करायी

गयी है। एम0आई0एस0फीडिंग से स्पष्ट है कि इन वर्षों में दर्शित धनराशि का उपभोग ग्राम पंचायत द्वारा हुआ है। विवरण इस प्रकार से है:-

वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	सामग्री	अन्य	योग
2013-14	1.05	0.08	0.96	—	2.09
2014-15	2.13	0.06	0.95	—	3.14
2015-16	0.94	—	—	—	6.17
				योग	6.17

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में श्रमांश एवं सामग्री का 60:40 का अनुपात भी बिगड़ गया है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराना एक गम्भीर अनियमितता है। अभिलेखों के अभाव में दर्शित व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सूरजा देवी (दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 30.10.2015) श्री इरफान खॉं (दिनांक 21.12.2015 से दिनांक 31.03.2016) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि प्रकाश मिश्रा (दिनांक 30.06.2013 से दिनांक 31.12.2014), श्री कृष्ण पाल सिंह (दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 30.06.2015) श्री भगवान स्वरूप (दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2015) श्री रोहितेश कुमार (दिनांक 01.11.2015 से दिनांक 30.03.2016) से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत — धुधौरा, सा0मा0आ0 सं0— 1 ग)

प्रस्तर संख्या-120:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2015-16 के दौरान मनरेगा योजना सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण उक्त मद की लेखा परीक्षा की जानी सम्भव नहीं हो सकी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गयी है—

(1)	अकुशल श्रमिक	—	2.76 लाख
(2)	कुशल श्रमिक	—	—
(3)	सामग्री अंश	—	30000.00
(4)	अन्य	—	—
	योग		3.06 लाख

उपरोक्तानुसार 3.06 लाख का व्यय किया जाना दर्शित पाया गया कि पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जो मनमाने ढंग से फीडिंग कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली मयब्याज ग्राम प्रधान श्री मेहंदी हसन (01.04.2015 से 30.10.2015) श्रीमती अजरा रिजवान (21.12.2015 से 31.03.2016), ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता, तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही। (ग्राम पंचायत— पूरनपुर देहात, मनरेगा.सा0मा0आ0 सं0—01)

प्रस्तर संख्या-121:—लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में बार बार माँग किये जाने के बावजूद भी पुष्टि हेतु मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराया जाना। मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स की घोर अवहेलना है। जबकि ऑन लाइन एम0आई0 एस0 फीडिंग के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया:— अकुशल श्रमिक 0.96 लाख, कुशल श्रमिक शून्य, अन्य, कुल धनराशि 0.96 लाख की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाना गम्भीर अनियमितता है। 0.96 लाख की एम0आई0 एस0 फीडिंग की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण एम0आई0 एस0 फीडिंग की सत्यता प्रमाणित नहीं होती है और उक्त फीडिंग किस आधार पर कराई गयी स्पष्ट नहीं हो सका। जिस कारण एम0आई0एस0 फीडिंग 0.96 लाख की वसूली मयब्याज ग्राम प्रधान श्री राजपाल सिंह (01.04.2015 से 30.10.2015) व श्री लखबिंदर सिंह (21.12.2015 से 31.03.2016), ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल पाठक, रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी से की जाना अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (ग्राम पंचायत उदयकरनपुर, सा0मा0आ0 सं0— ख(1)मनरेगा)

प्रस्तर संख्या-122:—लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान मनरेगा योजना सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की बार-बार माँग किये जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण उक्त मद की लेखा परीक्षा की जानी सम्भव नहीं हो सकी, परन्तु उपरोक्त वित्तीय वर्ष में निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गयी है—

वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	सामग्री	अन्य	योग
2014-15	6.81 लाख	0.37 लाख	2.91 लाख	—	10.09 लाख
2015-16	4.17 लाख	0.57 लाख	3.62 लाख	—	3.36 लाख
				योग	18.45 लाख

उपरोक्तानुसार 18.45 लाख एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया कि पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जो मनमाने ढंग से फीडिंग कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार मंडन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही। **(ग्राम पंचायत— महाराजपुर, सा0मा0आ0 सं0— 01 (ग) मनरेगा)**
प्रस्तर संख्या—123:—लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में मनरेगा योजना सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की बार—बार मांग किये जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण उक्त मद की लेखा परीक्षा की जानी सम्भव नहीं हो सकी, परन्तु उपरोक्त वित्तीय वर्ष में निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गयी है—

वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	सामग्री	अन्य	योग
2015—16	2.65 लाख	0.12 लाख	—	—	2.77 लाख

इस प्रकार 2.77 लाख रुपये का व्यय अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहा तथा यह कि मनमाने ढंग से फीडिंग कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान— श्री ओम प्रकाश, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल पाठक, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— महदखास, सा0मा0आ0 सं0— 01 (ग) मनरेगा)
प्रस्तर संख्या—124:—लेखा परीक्षा में पाया गया कि “निर्मल भारत अभियान” के अन्तर्गत वर्ष 2013—14 की वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत 10,000.00 प्रति शौचालय की दर से कुल 13 शौचालय (धनराशि 13000.00) एवं वर्ष 2015—16 में 12000.00 प्रति शौचालय की दर से कुल 166 शौचालय (धनराशि 1992000.00) शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये। परन्तु पुष्टि हो ग्राम निधि — से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराये गये। यथा लाभार्थियों की सूची , प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदन, कार्यपूर्ति प्रमाण— पत्र , कैशबुक, बैंक पास बुक, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अभिलेखों के अभाव में धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (कुल धनराशि 2122000.00)

(ग्राम पंचायत— बमरोली, सा0मा0आ0 सं0—06)
प्रस्तर संख्या—125:—लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में ग्राम पंचायत बमरोली को राज्य आयोग से कुल रू0 597942.00 तथा तेरहवें वित्त आयोग से 450018.00 कुल 1047960.00 प्राप्त हुआ है। दिनांक 31.03.2014 / 01.04.2014 को बैंक खाते में 5142.00 अवशेष होने के कारण, स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा 1042818.00 कर व्यय लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में किया गया है। जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कैशबुक, कय आदेश , बिल बाउचर , आपूर्ति आदेश, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं करने के कारण स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव सरन वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— बमरोली.सा0मा0आ0 सं0—15)
प्रस्तर संख्या—126:— लेखा परीक्षा वर्षों में निम्न विवरण अनुसार एम0आई0एस0फीडिंग कराई गयी है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करया, जिस कारण समीक्षा नहीं करायी गयी। विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	सामग्री अंश	अन्य	योग
2015—16	0.57	0.27	6.64	—	7.48 लाख
2014—15	2.16	0.13	—	—	2.29 लाख
2013—14	0.37	—	1.42	0.20	1.99 लाख
योग	3.10	0.40	8.06	0.20	11.76 लाख

अभिलेखों के अभाव में एम0आई0एस0 फीडिंग अपुष्ट रही, यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम रोजगार सेवक ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी तकनीकी सहायक कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत— बमरोली.सा0मा0आ0 सं0—1घ)
प्रस्तर संख्या— 127:—लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 से 2015—16 तक में मनरेगा योजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में बार—बार मांग किये जाने के बावजूद भी पुष्टि हेतु मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराया जाना मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स की घोर अवहेलना जबकि ऑन लाइन एम.आई.एस. फीडिंग के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया:—

क्र०सं०	लेखा परीक्षा वर्ष	अकुशल श्रमिकों पर एम०आई०एस० फीडिंग केअनु० व्यय	कुशल श्रमिकों पर एम०आई०एस० फीडिंग केअनु० व्यय	अन्य पर व्यय	सामग्री परएम०आई०एस०फीडिंग केअनु०	कुल एम०आई०एस० फीडिंग पर व्यय
01	2014-15	3.57 लाख	0.21 लाख	—	2.06 लाख	5.84 लाख
02	2015-16	4.03 लाख	0.35 लाख	0.16 लाख	2.50 लाख	7.04 लाख
		7.60 लाख	.056 लाख	0.16 लाख	4.56 लाख	12.88 लाख

उक्त कुल रू० 12.88 लाख की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाना वित्तीय गम्भीर अनियमितता है एवं एम. आई.एस. फीडिंग की सत्यता अभिलेखों के अभाव में प्रमाणित नहीं होती है। रू० 12.88 लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी(मनरेगा) /खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग्राम पंचायत— नगरिया खुर्दकला, सा०मा०आ० सं०—17)

प्रस्तर संख्या— 128:—लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक के दौरान मनरेगा योजना सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की बार-बार मांग किये जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण उक्त मद की लेखा परीक्षा की जानी सम्भव नहीं हो सकी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरण अनुसार ऑन लाइन एम०आई०एस० फीडिंग करायी गयी है—

	2014-15 (लाख में)	2015-16 (लाख में)	योग
सामग्री अंश	3.69	5.31	9.00
अकुशल श्रमिक	14.07	10.36	24.43
कुशल श्रमिक	0.29	0.78	1.07
अन्य	0.13	0.32	0.45
योग	18.18	योग	34.95

उपरोक्तानुसार 34.95 लाख का व्यय किया जाना दर्शित पाया गया। जबकि पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से एम.आई.एस.फीडिंग कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत— बूँदी भूड़, सा०मा०आ० सं०—01ग)

प्रस्तर संख्या—129:—लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की एम.आई.एस. फीडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है—

वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	सामग्री अंश	अन्य	योग
2015-16	2.37	0.09	1.53	—	3.99
2014-15	1.97	0.13	0.09	—	2.19
2013-14	1.41	—	1.47	—	2.88
2012-13	0.97	0.27	1.32	—	2.56
योग	—	—	—	—	11.62 लाख

उक्त विवरण की पुष्टि हेतु सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कराया गया एम.आई०एस० फीडिंग अपुष्ट रहा। अभिलेख अनुमोदित कार्य—योजना प्रस्ताव पंजिका, प्रकलन,कुटेशन, सामग्री, कय आदेश, सामग्री आपूर्ति प्रमाण—पत्र, स्टॉक पंजिका, उपभोग पंजिका, फर्म का बिल, मस्टर रोल, अन्य बिल, बाउचर, मापांकन पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण का प्रमाण—पत्र आदि के अभाव में किया गया व्यय/एम०आई०एस० फीडिंग में दर्शित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत—सनगवाँ, सा०मा०आ० सं०—1घ)

प्रस्तर संख्या— 130:—मनरेगा योजना सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा (2009-10 से 2015-16 तक) में उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक एम०आई०एस० फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार 7.72 लाख व्यय होने की पुष्टि हो रही है। शेष वर्षों 2009-10 से 2011-12 तक का कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं रखने के कारण अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिसका विवरण तलाश कर परिपालन के समय धनराशि के व्यय के सापेक्ष अभिलेख अनुमोदित कार्य—योजना प्रस्ताव पंजिका, कार्य की

फाइल, कार्य पूर्व एवं बाद के फोटो, प्रशासनिक— तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, प्राक्कलन, बिल—वाउचर, मस्टर रोल, स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति सृजन पंजिका, मापांकन पंजिका आदि के अभाव में दर्शित व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रोजगार सेवक तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं कार्यक्रम / खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	सामग्री अंश	अन्य	योग
1	2012-13	1.23	0.57	0.34	—	2.14
2	2013-14	0.83	—	—	0.03	0.86
3	2014-15	2.39	—	—	—	2.39
4	2015-16	1.44	0.04	0.85	—	2.33
	योग	5.89	0.61	1.19	0.03	7.72

(ग्राम पंचायत—मुडिया ता० पसगवाँ, सा०मा०आ० सं०—1घ)

प्रस्तर संख्या— 131:—मनरेगा सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा सम्भवन नहीं रही, परन्तु दिनांक— 01.08.2016 को प्राप्त एम०आई०एस०फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, बिल वाउचर, स्टॉक पंजिका, कार्य से पूर्व मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद के फोटों, कार्य की फाइल, माप पुस्तिका आदि के अभावमें किया गया व्यय अपुष्ट रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अकुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	सामग्री	अन्य	योग
2015-16	2.43	0.18	5.07	—	7.68
2014-15	3.59	0.88	1.66	—	6.13
2013-14	5.75	1.64	3.05	0.36	10.79
2012-13	3.71	0.13	1.72	0.44	6.00
				योग	30.60 लाख

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा वर्ष— 2015-16 में मनरेगा योजना अन्तर्गत एम०आई०एस०फीडिंग अनुसार अकुशल श्रमिक 2.43लाख एवं एवं सामग्री अंश में 5.25लाख दर्शित है। (सामग्री + कुशल श्रमिक) कुल 7.68 लाख की एम.आई.एस. फीडिंग दर्शित है। इस प्रकार 3.07 सामग्री अंश में एवं 4.61 लाख श्रमिक अंश में 40 : 60 के अनुपात में व्यय होना चाहिए था, परन्तु 5.25 लाख सामग्री अंश में दर्शित है जो 2.18 लाख से अधिक है। यह मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 6.2 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः सामग्री अंश में किया गया अधिक व्यय 2.18 लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान ओमप्रकाश व नरेश चन्द्र तथा सचिव राजाराम एवं बरनलाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी से मयब्याज किया जाना अपेक्षित है। (ग्राम पंचायत— ओडाझार, सा०मा०आ० सं०—1ग)

प्रस्तर संख्या— 132:—लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना सम्बन्धी समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी पुष्टि हेतु मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराया जाना। मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स की घोर अवहेलना है। जबकि ऑन लाइन एम०आई०एस० फीडिंग के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया:-

क्र०सं०	लेखा परीक्षा वर्ष	कुशल श्रमिकों पर व्यय	सामग्री पर व्यय	अन्य व्यय	अकुशल पर व्यय	कुल एम०आई०एस० फीडिंग के अनुसार व्यय
1	2015-16	0.50	2.25	0.13	4.75	7.63 लाख
2	2014-15	1.47	8.96	—	9.01	19.44 लाख
	योग	1.97	11.21	0.13	13.76	27.07 लाख

उक्त एम०आई०एस० फीडिंग के अनुसार वर्ष 2014-15 व 2015-16 में क्रमशः 19.44 लाख व 7.63 लाख कुल 27.07 लाख की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाना वित्तीय गम्भीर अनियमितता है। रु० 27.07 लाख की एम०आई०एस० फीडिंग की मूल अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण एम०आई०एस० फीडिंग की सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में 60:40 का अनुपातिक रूप से कार्य नहीं किया गया सामग्री अंश पर अधिक व्यय किया जाना वसूली योग है। उक्त एम०आई०एस० फीडिंग 27.07 लाख की वसूली अपेक्षित रही उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती कश्मीर कौर दिनांक 01.04.2014 से नवम्बर 2015 तक, ग्राम प्रधान श्री प्रशान्त साना दिनांक दिसम्बर 2015 से 31.03.2016 तक ग्राम

पंचायत सचिव श्री भगवान स्वरूप दिनांक 01.04.2014 से 03.08.2014 तक एवं श्री विजय कुमार दिनांक 01.09.2014 से 31.03.2016 तक रोजगार सेवक श्री राजेश्वर प्रसाद, तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) से ब्याज सहित वसूल करायी जावे।

(ग्राम पंचायत— रमनगरा, सा0मा0आ0 सं0—ख(1) मनरेगा)

प्रस्तर संख्या— 133:—लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में बार—बार माँग किये जाने के बावजूद भी पुष्टि हेतु मूलरूप में उपलब्ध नहीं कराया जाना मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स की घोर अवहेलना है। जबकि ऑनलाईन एम आईएस फीडिंग के अनुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया। अकुलशल श्रामिक 14.05 लाख, अकुशल श्रामिक 00.00 सामग्री पर व्यय 1.81 लाख अन्य 0.12 लाख कुल 15.98 लाख की एमआईएस करायी गयी की पुष्टि में अभिलेखों को मूलरूप में उपलब्ध नहीं कराया जाना वित्तीय गम्भीर/ वित्तीय अनियमितता है। जिस कारण एमआईएस फीडिंग की सत्यता भी प्रमाणित नहीं होती है। रु0 15.98 लाख की ऑनलाईन एमआईएस फीडिंग किस आधार पर कराई गयी स्पष्ट न हो सका। अभिलेखों के अभाव में रु0 15.98 लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती पूर्व ग्राम प्रधान श्री जागेश्वर दयाल वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीराजीव सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय, रोजगार सेवक श्री बब्लू से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत—सिमरिया ता0 अजीतपुर बिल्हा, सा0मा0आ0 सं0— ग(1))

प्रस्तर संख्या— 134:—लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 से 2015—16 तक की मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण लेखा परीक्षा किया जाना सम्भव नहीं हो सका। जबकि वर्ष 2013—14 से 2015—16 तक की ऑन लाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर आपत्ति जनक स्थिति है। एम0आई0एस0 फीडिंग का विवरण निम्नवत् है—

क्र0सं0	वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार			एम0आई0एस0 फीडिंग भुगतान शेष			योग
		श्रमांश	सामग्री	योग	श्रमांश	सामग्री	योग	
1	2013—14	—	1.16	1.16	—	—	—	1.16
2	2014—15	1.00	—	1.00	—	0.04	0.04	1.04
3	2015—16	2.51	3.79	6.30	0.04	—	0.04	6.34
	योग	3.51	4.95	8.46	0.04	0.04	0.08	8.54

उक्त व्यय 8.54 लाख की पुष्टि के सापेक्ष अनुमोदित कार्य योजना, प्रशासनिक— तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली। पंजिका सामग्री स्टॉक पंजिका, मस्टर रोल क्व प्रमाणक, प्राकलन, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, डी0पी0सी0 09 जाब कार्ड रजिस्टर परिसम्पत्ति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही। एवं वर्ष 2010—11 से 2012—13 तक का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में मूल अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना वित्तीय गम्भीर आपत्ति जनक ही। उक्त रु0 8.54 लाख की एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अप्रमाणित रही। मूल अभिलेखों के अभाव में फीडिंग की सत्यता अप्रमाणित नहीं होती है। मनमाने ढंग से फीडिंग कराकर व्यय दर्शाया गया है। जो वित्तीय गम्भीर अनियमितता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अमीर उल्ला से दिनांक— 01.04.2010 से सितम्बर/2010 श्रीमती प्रेमलता ग्राम प्रधान से अक्टूबर/2010 से अक्टूबर/2015 तक रामाज्ञा नवम्बर/2015 से दिनांक— 31.03.2016 तक इसी क्रम में श्री रूप लाल ग्राम पंचायत अधिकारी वर्ष— 2010—11 श्री आर्येन्द्र गंगवार वर्ष— 2011—12 से 2013—14 तक श्री विवेक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी 2013—14 से 2014—15 तक श्री पवन कुमार पटेल ग्राम पंचायत अधिकारी दिनांक— 01.04.2015 से फरवरी—2016 तक श्री आर्येन्द्र गंगवार ग्राम विकास अधिकारी मार्च 2016 तक तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (कार्यक्रम अधि0) एवं रोजगार सेवक से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित रही। इस ओर विभागीय अधिकारी ध्यान दे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम्य विकास अधिकारियों का कार्यकाल ग्राम निधि खाते में आहरण के आधार पर दर्शित किया गया है। मूल अभिलेखों के अभाव एवं कार्यलय खण्ड विकास अधिकारी पूरनपुर से लिखित में कार्यकाल मांगे जाने बावजूद भी सटीक व स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। जो राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

(ग्राम पंचायत— भरतपुर सा0मा0आ0 सं0—ग(1))

जनपद का नाम — शाहजहाँपुर

मण्डल का नाम — बरेली

प्रस्तर संख्या —01—ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

वर्ष 2010-11, 2011-12, 1012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 366585.00, 108279.00, 307495.00, 561550.00, 852665.00, 308150.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) एवं 13 के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सरेली, विकास खण्ड— तिलहर स0आ0सं0—4)

प्रस्तर संख्या —02—ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

वर्ष 2010-11, 2011-12, 1012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 313098.00, 164459.00, 336700.00, 435915.00, 719744.00, 312000.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) एवं 13 के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत बिहारीपुर मुडिया, विकास खण्ड— तिलहर स0आ0सं0—2)

प्रस्तर संख्या —03—ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

वर्ष 2010-11, 2011-12, 1012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 150975.00, 205273.00, 265222.00, 399184.00, 482423.00, 461195.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) एवं 13 के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत वरखेड़ी हवेली, विकास खण्ड— तिलहर स0आ0सं0—2)

प्रस्तर संख्या —04—ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

वर्ष 2010-11, 2011-12, 1012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 21382.00, 308340.00, 443617.00, 826800.00, 1281520.00, 466500.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम

प्रस्तर संख्या –25—ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ग्राम पंचायत रुजवारी, विकास खण्ड- तिलहर स0आ0सं0-4)

वर्ष 2010-11, 2011-12, 1012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 269730.00, 204320.00, 190500.00, 186400.00, 471392.00, 203000.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) एवं 13 के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -27 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 1941660.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –28 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 342456.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -29- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 599867.00, 525283.00, 343428.00 का व्यय (प्रियासॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम

द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत मौजम, विकास खण्ड- ददरौल पुरसं०आ०सं० ०६)

(ग्राम पंचायत परवेजपुर, विकास खण्ड— ददरौल सं०आ०सं० ०६)

(ग्राम पंचायत गोबर संडा, विकास खण्ड— ददरौल सं०आ०सं० ०६)

(ग्राम पंचायत कैलहा इ० शिसनई, विकास खण्ड— ददरौल सं०आ०सं० ०६)

(ग्राम पंचायत खिरिया हीर, विकास खण्ड- ददरौल सं0आ0सं0 06)

(ग्राम पंचायत गोपालपुर नगरिया, विकास खण्ड- ददरौल सं0आ0सं0 06)

(ग्राम पंचायत पिपरौला अहमदपुर, विकास खण्ड- ददरौला सं0आ0सं0 06)

प्रस्तर संख्या –87– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

वर्ष 2015–16 में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत रुपया 217229.00 व्यय किया गया है परन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अतः उक्त धन का तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण एवं दुरुपयोग किया गया है। इसकी ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) एवं 13 के अनुसार तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत परासीन ददरौल सं0आ0सं0 07)

प्रस्तर संख्या –88– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत की कोष वही /पासबुक के अनुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रुपया 1504971.55 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना, डी0पी0सी0 9, स्टाक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सिंह व राजाराम द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय स्वयं में स्पष्ट फर्जी है।

अतः रुपया 1504971.55 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) एवं 13 के अनुसार प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सिंह व राजाराम से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम

पंचायत सिरखिड़ी पुवायां सं0आ0सं0 05)

प्रस्तर संख्या –89– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत की कोष वही /पासबुक के अनुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रुपया 2641453.15 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना, डी0पी0सी0 9, स्टाक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्री शहामत खॉ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरीशचन्द्र शुक्ला व कुलदीप वर्मा व राजकुमार शुक्ला द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय स्वयं में स्पष्ट फर्जी है।

अतः रुपया 2641453.15 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) एवं 13 के अनुसार प्रधान श्री शहामत खॉ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरीशचन्द्र शुक्ला व कुलदीप वर्मा व राजकुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सकरापुर पुवायां सं0आ0सं0 04)

प्रस्तर संख्या –90– ग्राम पंचायत की कोष वही /पासबुक के अनुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रुपया 242069.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना, डी0पी0सी0 9, स्टाक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्री रामभरोसे व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार शुक्ला द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय स्वयं में स्पष्ट फर्जी है।

अतः रुपया 242069.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री रामभरोसे व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत बसखेड़ा बुजुर्ग पुवायां सं0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या –91– ग्राम पंचायत की कोष वही /पासबुक के अनुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रुपया 891690.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना, डी0पी0सी0 9, स्टाक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र शुक्ला व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण पाल सिंह व हरीनन्दन मिश्रा द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय स्वयं में स्पष्ट फर्जी है।

अतः रुपया 891690.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री देवेन्द्र शुक्ला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण पाल सिंह व हरीनन्दन मिश्रा से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत वित्तौनी पुवायां सं0आ0सं0 05)

प्रस्तर संख्या –92– ग्राम पंचायत की कोष वही /पासबुक के अनुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रुपया 589390.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना, डी0पी0सी0 9, स्टाक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजाराम द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय स्वयं में स्पष्ट फर्जी है।

अतः रुपया 589390.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्रीमती सुनीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजाराम से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत महुआ पाठक पुवायां सं0आ0सं0 05)**

प्रस्तर संख्या –93– ग्राम पंचायत की कोष वही /पासबुक के अनुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रुपया 235700.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना, डी0पी0सी0 9, स्टाक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्री रामसनेही ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजाराम द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय स्वयं में स्पष्ट फर्जी है।

अतः रुपया 235700.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री रामसनेही व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजाराम से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत सुनारा बुजुर्ग पुवायां सं0आ0सं0 04)**

प्रस्तर संख्या –94– ग्राम पंचायत की कोष वही /पासबुक के अनुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रुपया 595130.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना, डी0पी0सी0 9, स्टाक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूनम सिंह द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय स्वयं में स्पष्ट फर्जी है।

अतः रुपया 595203.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूनम सिंह से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सतवा बुजुर्ग पुवायां सं0आ0सं0 04)

प्रस्तर संख्या –95– आलोच्य वर्ष में प्रधान श्रीमती रामसहेली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजाराम द्वारा दिनांक 24.04.2015 व 15.07.2015 में चैक संख्या 231731 व 231803 से क्रमशः रुपया 20,000.00 व रुपया 30,000.00 कुल रुपया 50,000.00 बैंक से नकद अहारित किये गये। अहारित धनराशि को रोकड़वही में मात्र रुपया 25000.00 अंकित किया गया है तथा शेष धनराशि रुपया 25000.00 ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत

अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया है तथा ग्राम प्रधान को मानदेय रुपया 62500.00 कैशबुक में व्यय दर्शाया गया है जबकि सम्पूर्ण वर्ष में देय मानदेय रुपया 30000.00 ही होता है।

इस प्रकार रुपया 32500.00 प्रधान को देय मानदेय भुगतान अधिक दर्शाकर अपहरण किया गया है अतः रुपया 57500.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्रीमती रामसहेली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजाराम से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत गंगसरा पुवायां सं0आ0सं0 03)**

प्रस्तर संख्या -96- वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक के समस्त अभिलेख आय व व्यय के लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे उक्त वर्षों में प्राप्त आय तथा किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्तीयवर्ष 2011-12 से 2015-16 तक किये गये व्यय रुपया 2399107.23 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा व्यय के सापेक्ष मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, डी0पी0सी0 9, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, ईट डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्यय रुपया 2399107.23 की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा लक्ष्मी, श्री रामदरश व हरजिन्दर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सिंह व अजय पाल सिंह द्वारा बैंक से आहरित धनराशि को कोषवही में फर्जी तरीके से व्ययों को उल्लेख करके धनराशि का अपहरण किया गया है।

अतः रुपया 2399107.23 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्रीमती शोभा लक्ष्मी, श्री रामदरश व हरजिन्दर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सिंह व अजय पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सिंगापुर पुवायां सं0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या -97- आलोच्य वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.16 तक कोषवही के ग्राम निधि खाता संख्या 12570100017494 से कुल रुपया 196056.00 के अहारण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदित कार्य योजना, निर्माण कार्य रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये इससे स्पष्ट होता है कि उक्त अहारित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः रुपया 196056.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री रामवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ए0के0 पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	अहारित धनराशि
06.04.2015	10000.00
06.04.2015	50000.00
27.04.2015	4000.00
30.04.2015	10000.00
30.04.2015	20000.00
30.04.2015	20000.00
01.05.2015	56.00
06.05.2015	10000.00
17.06.2015	20000.00
25.06.2015	10000.00
28.07.2015	10000.00
03.09.2015	37000.00
03.09.2015	3000.00
30.11.2015	1000.00
योग	196056.00

(ग्राम पंचायत श्री नगर , कलान, सं0आ0सं0 20)

प्रस्तर संख्या –98– आलोच्य वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.16 तक कोषवही के ग्राम निधि खाता संख्या 12570100017485 से कुल रुपया 490034.00 के अहारण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदित कार्य योजना, निर्माण कार्य रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये इससे स्पष्ट होता है कि उक्त अहारित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः रुपया 490034.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री श्याम सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ए०के० पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	अहारित धनराशि
06.04.2015	20000.00
06.04.2015	20000.00
06.04.2015	20000.00
06.04.2015	20000.00
08.04.2015	80000.00
05.05.2015	20000.00
05.05.2015	20000.00
05.05.2015	8000.00
05.05.2015	25000.00
15.06.2015	20000.00
15.06.2015	20000.00
15.06.2015	15000.00
16.06.2015	30000.00
25.07.2015	34.00
04.09.2015	20000.00
04.09.2015	20000.00
04.09.2015	20000.00
04.09.2015	20000.00
04.09.2015	20000.00
योग	490034.00

(ग्राम पंचायत सनाई , कलान, सं०आ०सं० 20)

प्रस्तर संख्या-99– ग्राम पंचायत की खाता संख्या (प्रथम) 11790100009839 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर से चैक संख्या 31 द्वारा दिनांक 19.06.15 को रुपया 80000.00 तथा चैक संख्या 32 द्वारा दिनांक 24.06.2015 को रुपया 80000.00 कुल रुपया 160000.00 का नकद आहरण श्री वेदपाल सिंह तत्कालीन प्रधान के नाम से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वेदपाल सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि रुपया 160000/- का लेखा कोषवही के आय पक्ष में न करके रोकड़ अवशेष कम किया गया है तथा आहरित नकद धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि रुपया 160000.00 को कोषवही में ना दर्शाकर रोकड़ शेष कम करके तथा इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वेदपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक गंगवार द्वारा उक्त नगद अहारित राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः रुपया 160000.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री वेदपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत बसई मिर्जापुर सं०आ०सं० 08)

प्रस्तर संख्या-100– ग्राम पंचायत की खाता संख्या (प्रथम) 11790100009839 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर से चैक संख्या 33 द्वारा दिनांक 23.06.15 को रुपया 55000.00 तथा चैक संख्या 34 द्वारा दिनांक 01.07.2015 को रुपया 10000.00 कुल रुपया 65000.00 का नकद आहरण श्री अशोक कुमार गंगवार के नाम से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वेदपाल सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से धन का अहारण किया जाना राजकीय

नियमों के सर्वार्थ विपरीत है। उक्त धनराशि रुपया 65000/- का लेखा कोषवही के आय पक्ष में न करके रोकड़ अवशेष कम किया गया है तथा आहरित नकद धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि रुपया 65000.00 को कोषवही में ना दर्शाकर रोकड़ शेष कम करके तथा इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वेदपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक गंगवार द्वारा उक्त नगद अहारित राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः रुपया 65000.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री वेदपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत बसई, मिर्जापुर, सं0आ0सं0 09)

प्रस्तर संख्या-101- ग्राम पंचायत की खाता संख्या (प्रथम) 11790100009839 बैंक आफ बड़ौदा शाखा मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर से चैक संख्या 36 द्वारा दिनांक 05.02.16 को रुपया 44000.00 का नकद आहरण श्री मिथलेश कुमार के नाम से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिथलेश कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि रुपया 44000.00/- का लेखा कोषवही के आय पक्ष में न करके रोकड़ अवशेष कम किया गया है तथा आहरित नकद धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि रुपया 44000.00 को कोषवही में ना दर्शाकर रोकड़ शेष कम करके तथा इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिथलेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक गंगवार द्वारा उक्त नगद अहारित राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः रुपया 44000.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री मिथलेश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार से बराबर बराबर ततारीख दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत बसई सं0आ0सं0 10)

प्रस्तर संख्या -102- आलोच्य वर्ष 2015-16 के कोषवही में हैन्डपम्प मरम्मत भिन्न तिथियों में कुल रुपया 28434.00 व्यय किया गया इसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

हैन्ड पम्प खराब होने सम्बन्धी रिपोर्ट जल प्रबन्धन समिति द्वारा हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैन्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का आदेश एवं वाउचर एवं मजदूरी भुगतान का बाउचर जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त कार्य फर्जी प्रतीत होता है। मरम्मत कराये गये हैन्डपम्प की सूची एवं स्थल विवरण सैक्टर ए0डी0ओ0 द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उपरोक्त कार्य फर्जी प्रतीत होता है। सैक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत के पुराने बदले गये सामग्री का स्टॉक पंजिका इनकी विक्री से प्राप्त आय का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कार्य फर्जी प्रतीत होता है।

अतः रुपया 27000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश गौतम तथा रुपया 1434.00 ग्राम प्रधान श्री निर्भय कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश गौतम से ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत भोजपुर, खुदागंज, सं0आ0सं0 10)

प्रस्तर संख्या -103- आलोच्य वर्ष 2015-16 के कोषवही में हैन्डपम्प मरम्मत भिन्न तिथियों में कुल रुपया 61650.00 व्यय किया गया इसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

हैन्ड पम्प खराब होने सम्बन्धी रिपोर्ट जल प्रबन्धन समिति द्वारा हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैन्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का आदेश एवं वाउचर एवं मजदूरी भुगतान का बाउचर जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त कार्य फर्जी प्रतीत होता है। मरम्मत कराये गये हैन्डपम्प की सूची एवं स्थल विवरण सैक्टर ए0डी0ओ0 द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उपरोक्त कार्य फर्जी प्रतीत होता है। सैक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत के पुराने बदले गये सामग्री का स्टॉक पंजिका इनकी विक्री से प्राप्त आय का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कार्य फर्जी प्रतीत होता है।

प्रस्तर संख्या —110— अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक ग्राम निधि 1 से सम्बन्धित बैंक खाते से विभिन्न तिथियों में अहारित कुल धनराशि रुपये 439000.00 की व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे राजकीय धन का अपहरण स्वतः सिद्ध होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जलालउद्दीन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टहा खुर्दकला सं0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या —111— माह फरवरी 2016 में ग्राम निधि 1 से सम्बन्धित बैंक खाते से विभिन्न तिथियों में अहारित कुल धनराशि रुपये 99000.00 की व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे राजकीय धन का अपहरण स्वतः सिद्ध होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अन्जुम बेगम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टाह खुदकला, खुटार, सं0आ0सं0 04)

प्रस्तर संख्या —112— अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक ग्राम निधि 1 से सम्बन्धित बैंक खाते से विभिन्न तिथियों में अहारित कुल धनराशि रुपये 463705.00 की व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे राजकीय धन का अपहरण स्वतः सिद्ध होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री तरुण कुमार दीक्षित व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सिल्हुआ, खुटार, सं0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या —113— दिनांक 31.03.2011 को कैशबुक में नकद शेष रुपये 3603.00 तथा बैंक खाता संख्या 1263 में जमा शेष रुपये 399.00 अंकित है जबकि दिनांक 01.04.2011 को कैशबुक में प्रारम्भिक रोकड़ शेष रुपये शून्य दर्शाया गया है तथा खाता संख्या 1263 के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है।

खाता संख्या 01/11276 में जमा शेष रुपये 49500.00 दर्शित किया गया है। जबकि गत वर्ष की कैशबुक में अन्तिम शेष व खाता संख्या 11276 की आय नहीं दर्शायी गयी यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 की कैशबुक में अंकन विवरणानुसार दिनांक 21.08.2010 को खाता संख्या 1263 में रुपये 201999.49 जमा शेष होता है परन्तु दिनांक 21.08.2010 को बैंक जाम शेष रुपये 233484.49 दर्शित है। अतः खाता संख्या 1263 में प्राप्त आय रुपये 21485.00 जो अन्तर की धनराशि का लेखांकन न किया जाना हो सकता है। चूंकि लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेट मेन्ट 2010-11 का अनुपलब्ध रहा। जिससे स्थिति स्पष्ट न हो सकी व स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकी।

अतः उपरोक्त अन्तर व लेखांकन न किये जाने की स्थिति स्पष्ट की जायें एवं अन्तिम रोकड़ शेष की धनराशि रुपये 3603.00 जो प्रारम्भिक रोकड़ न दर्शाकर अपहरण किया गया की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार प्रधान श्री अशोक कुमार से की जानी अपेक्षित है। खाता संख्या 1263 के अन्तिम शेष रुपये 399.00 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत जपनापुर, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या —114— 2010-11 में कैशबुक में निम्नानुसार विभिन्न तिथियों में यह दर्शित किया गया है लेखा परीक्षा में व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं अन्य अपेक्षित विवरण पंजिका, पत्रावली, एवं अभिलेख, उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके अभाव में समस्त धनराशि अपुष्ट रही।

प्रधान श्रीमती प्रेमवती पाल के कार्यकाल में दर्शित व्यय

ईट	146340.00
हैन्डपम्प मरम्मत	19920.00
शौचालय निर्माण	180720.00
मस्टर रोल	40100.00
एम0डी0एम0	39764.00
अन्य (सी0ए0, पेन्टिंग, मानदेय)	30000.00
योग	456844.00

प्रधान श्री अशोक कुमार के कार्यकाल में दर्शित व्यय—

ईट कय	130200.00
मस्टर रोल	122240.00
अन्य (किबाड़, शीट, ठेली)	62800.00
वाल पेन्टिंग	31000.00
रेता/मौरंग	19000.00
सीमेन्ट	77500.00
योग	442740.00

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में अभिलेख व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से स्पष्ट है कि अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग एवं अपहरण किया गया है।

जिसकी प्रधान श्रीमती प्रेमवती पाल व तत्कालीन सचिव से रुपया 456844.00 तथा प्रधान श्री अशोक कुमार व तत्कालीन सचिव से रुपया 442740.00 की ब्याज सहित वसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त धनराशि खुरदबुर्द की गयी है जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट है—

क— कय सामग्री ईट, सीमेन्ट, कीबाड़, रेता, मौरंग आदि को स्टांक पंजिका मे दर्ज नहीं किया गया। तथा ईट की आमद से सम्बन्धित चालान भी उपलब्ध नहीं कराये गये।

ख— कय सामग्री के सापेक्ष उपयोग हेतु किये गये व्यय मस्टर रोल से भुगतान भी कार्यस्थल माप, माप पंजिका, निर्माण पंजिका के अभाव में तथा स्टीमेट एवं एम0बी0 के उपलब्ध नहीं कराये जाने से अपुष्ट है।

(ग्राम पंचायत जपनापुर, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या —115— वर्ष 2011-12 में निम्न मदों में व्यय दर्शित है जिसकी प्रमाणक व अन्य अभिलेख यथा माप पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्ट्र, ईट कय के चालान, बैंक पास बुक/बैंक स्टेट मेन्ट, स्टीमेट, एम0बी0 आदि उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे दर्शित व्यय व कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि अनुदान की धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है व फर्जी व्यय दर्शाया गया है।

मद	धनराशि
ईट कय	249320.00
हैन्डपम्प मरम्मत	11045.00
मस्टर रोल	119010.00
मानदेय	9000.00
मिट्टी	36000.00
योग	424375.00

अतः व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के न प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली प्रधान श्री अशोक कुमार तथा तत्कालीन सचिव से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत जपनापुर, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 17)

प्रस्तर संख्या —116— वर्ष 2008-09 व 2009-10 के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे अहारण व्यय की स्थिति अज्ञात है। वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में प्रिया साप्ट से उपलब्ध आकड़ों

के अनुसार कमशः रुपया 329375.00, 200691.00 एवं 791904.00 व्यय किया गया है तथा ग्राम निधि खाता संख्या 15260100011276 से रुपया 344858.00 नकद अहारण/चैक से भुगतान (व्यय) किया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख, (कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पंजिका, माप पंजिका, स्टाक पंजिका, चालान, कार्यवाही पंजिका, स्टीमेट, एम0बी0, परीसम्पत्ति रजिस्टर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है कि धन का दुरुपयोग व अपहरण किया गया।

अतः उपरोक्त धन कुल रुपया 1666828.00 की ब्याज सहित बसूली प्रधान श्री अशोक कुमार व तत्कालीन सचिव श्री सुखलाल भास्कर से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत जपनापुर, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या -117- वर्ष 2013-14 में निम्न मदों में विभिन्न तिथियों में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। किये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे स्पष्ट है कि व्यय फर्जी दर्शा कर धन का दुरुपयोग व अपहरण किया गया।

मद	धनराशि
सीमेन्ट/मौरंग/ बिलिडिंग मटेरियल आदि	52118.00
ईट	212170.00
मिट्टी	4800.00
हैन्डपम्प मरम्मत व सामग्री	17705.00
स्कूल टंकी फिटिंग	31800.00
पाईप क्य	31800.00
सफाई किट	14890.00
मस्टर रोल	59446.00
मानदेय/अन्य	17625.00
योग	442354.00

उपरोक्त व्यय निम्न तथ्यों से भी पुष्टित है कि फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।

क- सीमेन्ट, मौरंग, बिलिडिंग मटेरियल, ईट क्य की पुष्टि में ईट के चालान बिल उपलब्ध नहीं कराये गये, स्टाक पंजिका अनुपलब्ध रही। ईट व अन्य सामग्री क्य से पूर्व टेन्डर व कोटेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। स्टाक पंजिका में दर्ज न होना व चालान भी न होना यह पुष्टि करता है कि सामग्री क्य ही नहीं की गयी।

ख- हैन्डपम्प मरम्मत कहाँ कहाँ करायी गयी अंकित नहीं की गयी तथा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही कार्यवाही पंजिका उपलब्ध कराया गया जो स्पष्ट करता है कि उक्त मद में फर्जी व्यय दर्शाया गया है।

ग- स्कूल की टंकी फिटिंग पर रुपया 31800.00 व्यय दर्शाया गया परन्तु ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो कि वास्तव में कार्य कराया गया।

घ- रुपया 31800.00 का पाईप क्य किया गया है जिसका उपयोग किया जाना दर्शित नहीं हैं जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में पाईप क्य ही नहीं किया गया।

ड- क्य सामग्री जब फर्जी है तो उस पर किये गये समस्त मस्टर रोल व्यय स्वतः ही फर्जी है। कैशबुक में यह अंकित नहीं किया गया कि कहाँ व कितना कितना कार्य कराया गया तथा माप पंजिका भी नहीं बनाई गई है, न ही कहीं माप अंकित किया गया है।

अतः उपरोक्त फर्जी व्यय की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कृष्णावती / श्री अजय प्रताप सिंह व सचिव श्री गंगामहेश पाण्डेय/ श्री कुलदीप सक्सेना से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सिढरा, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या-118- 2014-15 में रुपया 550976.00 निम्नानुसार विभिन्न तिथियों में व्यय दर्शाया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेखों के साथ व्यय प्रमाणक जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक नहीं है तथा फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है।

मद	धनराशि
ईट कय	276500.00
मिट्टी	25000.00
सीमेन्ट/मौरंग आदि	94250.00
मस्टर रोल	74172.00
मानदेय/अन्य	29454.00
हैन्डपम्प मरम्मत	51600.00
योग	550976.00

उपरोक्त व्यय फर्जी है यह निम्न तथ्यों से भी स्पष्ट है—

क— विभिन्न तिथियों में कय किये गये ईट का चालान नहीं है तथा दिनांक 31.10.2014 को रुपया 60000.00 ईट कय हेतु भुगतान दर्शाया गया है जब कि चैक संख्या 28 का भुगतान श्री कुवंर सेन द्वारा प्राप्त किया गया है। वर्ष में कय किये गये ईटों की पुष्टि में स्टांक पंजिका उपलब्ध नहीं कराया गया तथा कय ईट से कराये गये कार्य की पुष्टि में सत्यापन रिपोर्ट, माप पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

ख— मिट्टी कहाँ से कहाँ तक प्रयोग में लाई गयी अंकित नहीं किया गया।

ग— सीमेन्ट/मौरंग आदि स्टांक रजिस्टर में दर्ज नहीं रहा जिससे सामग्री आने की पुष्टि नहीं होती है।

घ— हैन्डपम्प मरम्मत पर रुपया 51600.00 व्यय दर्शाया गया परन्तु क्या सामग्री आयी कहाँ किस किस नल में क्या प्रयुक्त हुआ कहाँ कहाँ पर के नल मरम्मत करायी गयी कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। साथ ही कार्यवाही पंजिका उपलब्ध नहीं करायी गयी।

ङ— कय की गयी सामग्री के प्रयोग पर रुपया 74172.00 का मस्टररोल पर व्यय दर्शाया गया परन्तु मस्टर रोल तैयार नहीं किया गया तथा न ही कैशबुक में कार्य की मॉप, कार्य स्थल का हवाला दिया गया। लेखापरीक्षा में माप पंजिका, स्टीमेट, एम0बी0 उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे पुष्टि हो सके कि व्यय किया गया।

च—दिनांक 23.07.2014 को श्री गंगा महेश पाण्डे द्वारा रुपया 20000.00 का भुगतान प्राप्त किया गया परन्तु कैशबुक के अनुसार ईट कय किया जाना दर्शित है इसी प्रकार दिनांक 21.10.2014 को गंगा महेश पाण्डेय द्वारा रुपया 5000.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है परन्तु कैशबुक में इसके सापेक्ष दिनांक 25.10.14 में मस्टर रोल से भुगतान दर्शाया गया है।

छ—दिनांक 03.03.15 को चैक संख्या 44 से रुपया 19000.00 का भुगतान खाते से हुआ है। कैशबुक में इस चैक से सापेक्ष रुपया 10000.00 मिट्टी डलवाई व रुपया 9000.00 हैन्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शाया गया है। जो स्वयं में सिद्ध करता है कि दर्शित व्यय फर्जी है।

अतः उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि का अपेक्षित साक्ष्य व प्रमाणक न होने से स्पष्ट है कि अनुदान की धनराशि खुदबुर्द की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कृष्णावती/ श्री अजयप्रताप सिंह व सचिव श्री गंगामहेश पाण्डेय /श्री कुलदीप सक्सेना से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सिढरा, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या-119- 2015-16 में निम्न तिथियों में निम्न धनराशि ग्राम निधि खाता संख्या 15260100004901 से अहारित की गयी परन्तु कैशबुक में कोषांकित नहीं किया गया।

दिनांक	धनराशि
13.04.2015	13700.00
29.04.2015	15000.00
11.05.2015	15000.00
11.05.2015	7000.00
25.05.2015	10000.00
27.05.2015	10000.00
27.05.2015	15000.00
22.06.2010	15000.00
24.06.2015	10000.00
27.06.2015	10000.00
29.06.2015	6000.00
योग	126700.00

कैशबुक के कोषांकित न किये जाने से स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है अतः रुपया 126700.00 की ब्याज सहित बसूली प्रधान व सचिव से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सिढरा, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 14)

प्रस्तर संख्या-120- लेखा परीक्षा मे निम्न व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही अन्य अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिससे किये गये व्यय की पुष्टि हो सके।

दिनांक	मद	धनराशि
03.07.2015	सीमेन्ट/मौरंग आदि	20150.00
21.07.2015	ईट	18800.00
20.08.2015	हैन्डपम्प मरम्मत	10200.00
11.09.2015	मस्टर रोल नाली निर्माण	10186.00
योग		59336.00

अतः अपुष्टित व्यय की ब्याज सहित बसूली प्रधान व सचिव से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सिढरा, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-121- निम्न दिनांक को दर्शित कय सामग्री का प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही दर्शित कय सामग्री का प्रयोग भी प्रदर्शित नहीं किया गया तथा न ही स्टांक पंजिका मे दर्ज किया गया।

दिनांक	मद	धनराशि
14.09.2015	इन्टरलाकिंग विकस	19500.00
14.09.2015	सीमेन्ट/मौरंग आदि	10000.00
21.09.2015	ईट कय	19250.00
योग		48750.00

अतः प्रयोग नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि भुगतान दर्शा कर फर्म के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुये धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत सिढरा, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या-122- ग्राम निधि खाता संख्या 152601000109662 से वर्ष 2015-16 में रुपया 425500.00 प्रधान व सचिव द्वारा नकद अहारण/चैक द्वारा भुगतान (व्यय) किया गया है कि जिससे सम्बन्धित अभिलेख (कैशबुक, प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पंजिका, कार्यवाही पंजिका, सम्बन्धित कार्य की एम0बी0 स्टीमेट आदि) लेखा परीक्षा हेतु बार-बार माँग करने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान के धन का दुरुपयोग व अपहरण छिपाने तथा अनुदान की धनराशि को खुरदबुरद किये जाने को छिपाने के उद्देश्य से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

तथा उक्त के सम्बन्ध मे कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री सुखलाल भास्कर एवं गंगा महेश पाण्डे तथा प्रधान श्रीमती रजिया बेगम से रुपया 425500.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत विलन्दपुर, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-123- ग्राम निधि खाता संख्या 15260100000709 से वर्ष 2015-16 में रुपया 551003.00 प्रधान व सचिव द्वारा नकद अहारण/चैक द्वारा भुगतान (व्यय) किया गया है कि जिससे सम्बन्धित अभिलेख (कैशबुक, प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पंजिका, कार्यवाही पंजिका, सम्बन्धित कार्य की एम0बी0 स्टीमेट आदि) लेखा परीक्षा हेतु बार-बार माँग करने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान के धन का दुरुपयोग व अपहरण छिपाने तथा अनुदान की धनराशि को खुरदबुरद किये जाने को छिपाने के उद्देश्य से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

तथा उक्त के सम्बन्ध मे कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव व गंगा महेश पाण्डे तथा प्रधान श्री राधेश्याम से रुपया 551003.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत अहमद नगर, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या –124– प्रिया साफ्ट से उपलब्ध आकड़ों के अनुसार वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि से रुपया 1035057.00 व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेखा लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे स्पष्ट अपहरण व दुरुपयोग को छिपाने के उद्देश्य से बार-बार मॉग के बाबजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः तत्कालीन सचिव व प्रधान शशी बिन्दू ठाकुर से बराबर-बराबर ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत अटा खुर्द, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 10)

प्रस्तर संख्या–125– दिनांक 30.04.15 को ग्राम निधि खाता संख्या 18280100016066 से चैक संख्या 505174 से श्री विनोद कुमार यादव को रुपया 70,000/-भुगतान किया गया है। जबकि श्री यादव से किसी भी प्रकार का कोई सामग्री क़य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है न ही ऐसा सुंगत अभिलेख साक्ष्य मे प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि व्यय नियमित व विधि संगत किया गया है।

उक्त अहारण के सापेक्ष निम्नानुसार व्यय कैशबुक मे दर्शित पाया गया है।

दिनांक	मद	धनराशि
20.04.2015	मिट्टी कार्य मय लेवर	15000.00
30.04.2015	सिमेन्ट/मौरंग आदि क़य का भुगतान	23600.00
30.04.2015	प्रधान मान देय	30000.00
योग		68600.00

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मानदेय गत वर्ष 2014–15 का भुगतान दर्शाया गया है जो अभिलेखों के अभाव में यह भी नहीं सिद्ध करता है कि गत वर्ष इसका भुगतान नहीं किया गया था। साथ ही सीमेन्ट मौरंग हेतु चैक संख्या 505173 से भुगतान 20.04.2015 को ही हो गया जिसकी स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि धन का खुर्द बुर्द किया गया अतः प्रधान व सचिव से रुपया 68600 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत अटाखुर्द, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 11)

प्रस्तर संख्या –126– दिनांक 13.06.2015 को 8000 ईट रुपया 5500 प्रति 1000 की दर से क़य किया जाना दर्शित हैं जिसका भुगतान रुपया 53000.00 किया गया है जबकि रुपया 44000.00 ही भुगतान किया जाना था।

अतः रुपया 9000.00 अधिक भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली प्रधान व सचिव से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत अटाखुर्द, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 12)

प्रस्तर संख्या–127– ग्राम निधि खाता संख्या 15260100011277 से वर्ष 2015–16 में रुपया 1747567.00 प्रधान व सचिव द्वारा नकद अहारण/चैक द्वारा भुगतान (व्यय) किया गया है कि जिससे सम्बन्धित अभिलेख (कैशबुक , प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर ,माप पंजिका, कार्यवाही पंजिका , सम्बन्धित कार्य की एम0बी0 स्टीमेट आदि) लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मॉग करने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान के धन का दुरुपयोग व अपहरण छिपाने तथा अनुदान की धनराशि को खुर्दबुर्द किये जाने को छिपाने के उद्देश्य से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

तथा उक्त के सम्बन्ध मे कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामवीर सिंह व गंगा महेश पाण्डे तथा प्रधान श्री नानक चन्द से रुपया 1747567.00 की ब्याज सहित बसूली पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत चौढेरा, भावलखेड़ा, सं0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या —128— ग्राम पंचायत के खाता संख्या प्रथम 31596405167 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बन्डा जनपद शाहजहाँपुर से दिनांक 10.02.2016 को नकद अहारण मॉग पत्र द्वारा रुपया 200000.00 का ग्राम प्रधान के नाम नकद अहारण ग्राम प्रधान श्री जसवीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशीकपूर गौतम द्वारा किया गया है उक्त अहारित धनराशि रुपया 200000.00 का लेखा कोषवही के आय पक्ष में न करके रोकड़ शेष कम किया गया है। लेखा परीक्षा में इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि रोकड़ कम करके एवं व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत न करके उक्त नकद अहारित धनराशि रुपया 200000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जसवीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशी कपूर गौतम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री जसवीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशी कपूर गौतम से बराबर-बराबर व तारीख ब्याज सहित पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत हंसापुर, बण्डा, सं0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या —129— ग्राम पंचायत के खाता संख्या प्रथम 31582330922 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बन्डा जनपद शाहजहाँपुर से दिनांक 01.02.2016 को नकद अहारण मॉग पत्र द्वारा रुपया 30,000.00 का ग्राम प्रधान के नाम नकद अहारण ग्राम प्रधान श्री जसवीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशीकपूर गौतम द्वारा किया गया है उक्त अहारित धनराशि रुपया 30000.00 का लेखा कोषवही के आय पक्ष में न करके रोकड़ शेष कम किया गया है। लेखा परीक्षा में इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि रोकड़ कम करके एवं व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत न करके उक्त नकद अहारित धनराशि रुपया 30000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक शील पाल द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक शील पाल से बराबर-बराबर व तारीख दण्डात्मक ब्याज सहित पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत पिपरिया घासी, बण्डा, सं0आ0सं0 12)

प्रस्तर संख्या —130— ग्राम पंचायत के खाता संख्या प्रथम 31600101621 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बन्डा जनपद शाहजहाँपुर से दिनांक 505.01.2016 को चैक संख्या 714239 द्वारा रुपया 200000.00 एवं दिनांक 13.01.2016 को चैक संख्या 714241 द्वारा रुपया 30000.00 कुल रुपया 230000.00 का नकद अहारण ग्राम प्रधान श्रीमती सुशील देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशी कपूर गौतम द्वारा सुखलाल के नाम चैक निर्गत करके कराया गया है। उक्त धनराशियों का अहारण करने हेतु श्री सुखलाल को चैक किस निमित्त निर्गत किया गया है इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त नकद अहारित धनराशि रुपया 230000.00 का लेखा कोषवही के आय पक्ष में न करके रोकड़ शेष कम किया गया है तथा इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये। स्पष्ट है कि रोकड़ शेष कम करके एवं इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके उक्त नकद अहारित धनराशि रुपया 230000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुशील देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशीकपूर गौतम द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशील देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशीकपूर गौतम से बराबर-बराबर ब्याज सहित पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8 (क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नवादा डाह बण्डा सं0आ0सं0 13)

मण्डल— बस्ती

जनपद—बस्ती

संभाग—बस्ती

प्रस्तर-1—विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत खरका देवरी के वर्ष 2014-15 से 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि -। खाते से दिनांक 24.04.15 को चेक संख्या 229242 से रू0 9984.00, 08.05.15 को चेक संख्या 229239 से रू0 1000.00 एवं दिनांक 21.05.15 को वाई नेफ्ट रू0 22780.00 कुल रू0 33764.00 की निकासी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की गयी है जिसकी प्रवृष्टि कैशबुक में तिथिवार आय व व्यय पक्ष में न कर और न ही लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित कोई प्रमाणक ही प्रस्तुत कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अनीतादेवी प्रधान से रू0 16882.00 एवं श्री धुव्रचन्द्र चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 16882.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2—विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत महुआलखनपुर के वर्ष 2014-15 से 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते से दिनांक 28.08.15 को चेक संख्या 968965 से रू0 10000.00, 28.08.15 को चेक संख्या 968964 से रू0 10000.00 एवं 968956 से रू0 7350.00, दिनांक 04.09.15 968967 से रू0 10000.00, 20.10.15 को चेक संख्या 968968 से रू0 10000.00 एवं 22.10.15 को चेक संख्या 968970 से रू0 10000.00 कुल रू0 57350.00 की निकासी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की गयी है जिसकी प्रवृष्टि कैशबुक में तिथिवार आय व व्यय पक्ष में न कर और न ही लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित कोई प्रमाणक ही प्रस्तुत कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कृपलानी देवी प्रधान से रू0 28675.00 एवं श्री धुव्रचन्द्र चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 28675.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3—विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत पिलखांव के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि -। खाते से दिनांक 16.12.15 व 23.12.15 को क्रमशः रू0 29946.00 व 34937.00 कुल रू0 64883.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित है परन्तु उक्त से संबन्धित व्यय प्रमाणक व कार्यपूर्ति एवं सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त धन की निकासी जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान की गयी है प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर के अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सूर्यनरायण तिवारी, प्रधान से रू0 32442.00 एवं श्रीमती माण्डवी सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 32441.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4—विकास खण्ड सल्टौआ की ग्राम पंचायत केउवाजप्ती के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में दिनांक 12.08.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 12 से रू0 9660.00, दिनांक 17.08.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 13 से रू0 7000.00, दिनांक 17.08.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 14 से रू0 7000.00 दिनांक 20.08.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 15 से रू0 75600.00 एवं दिनांक 28.08.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 16 से रू0 5313.00 कुल रू0 104573.00 के दर्शित व्ययों की स्वीकृत कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त दर्शित व्ययों कुल रू0 104573.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0प्र0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विनोद, प्रधान से रू0 52287.00 एवं श्री लाल चन्द्र वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 52286.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5—विकास खण्ड सल्टौआ की ग्राम पंचायत उमराखास के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में दिनांक 10.07.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 09 से रू0 10453.00, दिनांक 13.07.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 10 से रू0 30000.00, दिनांक 14.07.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 11 से रू0 79450.00 दिनांक 20.07.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 12 से रू0 6271.00, दिनांक 20.07.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 13, दिनांक 22.07.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 14 से रू0 59650.00 एवं दिनांक 25.07.15 को व्यय प्रमाणक संख्या 15 से रू0 23750.00 कुल रू0 214557.00 के दर्शित व्ययों की स्वीकृत कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त दर्शित व्ययों कुल रू0 214557.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली श्री रामदयाल, ग्राम प्रधान से रू0 107279.00 एवं श्री लाल चन्द्र वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 107278.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6—विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत कुरियार के वर्ष 2014-15 से 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते से दिनांक 01.02.15 से 31.12.15 तक कुल ₹0 343400.00 की निकासी ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की गयी है जिसकी कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अर्पित रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जगदीश चौधरी, ग्राम प्रधान से ₹0 171700.00 एवं श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी से ₹0 171700.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7—विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत तिधरा के वर्ष 2005-06 से 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में दिनांक से दिनांक 21.03.16 से 31.03.16 तक की अवधि में आशाराम के घर से राम सूरत के घर तक खण्डजा मरम्मत मद में ईट क्रय ₹0 49980.00 तथा मजदूरी ₹0 43953.00 कुल ₹0 93933.00 का व्यय दर्शित है जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति, मस्टररोल, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर व स्टॉक बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर व दर्शित कार्य की वास्तविकता एवं व्यय की उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम-8 क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामतिलक, ग्राम प्रधान से ₹0 46967.00 एवं श्री रामकुमार यादव, ग्राम विकास अधिकारी से ₹0 46966.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8—विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत चन्दोखा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में दिनांक 01.04.15 से 31.12.15 तक की अवधि कुल ₹0 339500.00 की निकासी प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर के विभिन्न योजनाओं पर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके व्यय प्रमाणक, एम0 बी0 रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्ट, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर व उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गणेशगिरि, ग्राम प्रधान से ₹0 169750.00 एवं श्री चन्द्रभान, ग्राम पंचायत अधिकारी से ₹0 169750.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9—विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत चन्दोखा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में दिनांक 01.01.16 से 31.03.16 तक की अवधि कुल ₹0 1430964.00 की निकासी प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर के विभिन्न योजनाओं पर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके व्यय प्रमाणक, एम0 बी0 रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्ट, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर व उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती सिंह, ग्राम प्रधान से ₹0 715482.00 एवं श्री चन्द्रभान, ग्राम पंचायत अधिकारी से ₹0 715482.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10—विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत गन्धरिया बुजुर्ग के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में दिनांक 04.01.16 को ईट क्रय मद में ₹0 87000.00, निर्गत चेक माँ दुर्गे ब्रिक फिल्ड, दिनांक 07.01.16 को मजदूरी व्यय मद में ₹0 53130.00 निर्गत चेक श्री उमेश चन्द्र चौधरी, दिनांक 15.02.16 को ईट क्रय मद में ₹0 84000.00 निर्गत चेक माँ दुर्गे ब्रिक फिल्ड, दिनांक 09.03.16 को मजदूरी मद में ₹0 70035.00 निर्गत चेक श्री उमेश चन्द्र चौधरी, दिनांक 16.03.16 को ईट क्रय मद में ₹0 69300.00 निर्गत चेक माँ दुर्गे ब्रिक फिल्ड एवं इसी तिथि को मजदूरी मद में ₹0 48300.00 निर्गत चेक श्री उमेश चन्द्र चौधरी के आधार पर कुल ₹0 411765.00 का व्यय/भुगतान कैशबुक में दर्शित है जिससे संबंधित स्वीकृत कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र, एम0बी0 रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत कर साथ ही मजदूरी पर दर्शित व्ययों के चेक अनधिकृत व्यक्ति को निर्गत होने का औचित्य स्पष्ट न कर संबंधित प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गनपत, ग्राम प्रधान से ₹0 205883.00 एवं श्री अविनाश पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी से ₹0 205882.00 की की जानी अपेक्षित है।

जनपद—संतकबीर नगर

संभाग—बस्ती

प्रस्तर-1— विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत छिबरा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते से दिनांक 08.04.15 को चेक संख्या 21057207 से रू0 2000.00, दिनांक 14.05.15 को चेक संख्या 21057209 से रू0 150000.00, दिनांक 10.06.15 को चेक संख्या 21057213 से रू0 20000.00, दिनांक 11.07.15 को चेक संख्या 21057215 से रू0 100000.00, दिनांक 06.08.15 को चेक संख्या 21057212 से रू0 10000.00, दिनांक 24.08.15 को चेक संख्या 21057217 से रू0 63000.00 एवं दिनांक 04.11.15 को चेक संख्या 21057218 से रू0 69500.00 कुल रू0 414500.00 की निकासी की गयी है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखों से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अजीत कुमार, ग्राम प्रधान से रू0 207250.00 एवं श्री शिवकुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 207250.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2— विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत छिबरा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते से दिनांक 21.03.16 को चेक संख्या 21057219 से रू0 65000.00, की निकासी की गयी है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखों से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती फूलमती, ग्राम प्रधान से रू0 32500.00 एवं श्री शिवकुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 32500.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3— विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत अतरीनानकार के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते से दिनांक 30.04.15 को चेक संख्या 21067084 से रू0 650.00, की निकासी की गयी है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखों से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव प्रसाद, ग्राम प्रधान से रू0 325.00 एवं श्री केशवप्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 325.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4— विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत अतरीनानकार के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते से दिनांक 28.07.15 को चेक संख्या 21067087 से रू0 60000.00, दिनांक 17.08.15 को चेक संख्या 21067089 से रू0 75000.00, तथा दिनांक 06.11.15 को चेक संख्या 21067090 से रू0 74000.00, कुल रू0 209000.00 की निकासी की गयी है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखों से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिवप्रसाद, ग्राम प्रधान से रू0 104500.00 एवं श्री प्रेमचन्द्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 104500.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5— विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत मुसहरा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते से दिनांक 04.04.15 को चेक संख्या 26785453 से रू0 100000.00, की निकासी की गयी है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखों से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया

गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अरविन्द सिंह, ग्राम प्रधान से रु0 50000.00 एवं श्री शिवकुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 50000.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6- विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत मुसहरा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते से दिनांक 05.03.16 को चेक संख्या 21083322 से रु0 400000.00, की निकासी की गयी है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखो से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जयचन्द्र, ग्राम प्रधान से रु0 200000.00 एवं श्री शिवकुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 200000.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7- विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत धोबहा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते से दिनांक 09.03.16 को चेक संख्या 7664021 से रु0 320000.00, की निकासी की गयी है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखो से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धीरज कुमार, ग्राम प्रधान से रु0 160000.00 एवं श्री शिवकुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 160000.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8- विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत राजेडीहा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते से दिनांक 09.04.15 को चेक संख्या 21066052 से रु0 55000.00, आहरणकर्ता श्री जगलाल, दिनांक 20.04.15 को चेक संख्या 21066050 से रु0 650.00 गाव कनेक्शन, दिनांक 06.07.15 को चेक संख्या 21066053 से रु0 30000.00 आहरणकर्ता श्री राम सहाय, दिनांक 10.08.15 को चेक संख्या 21066054 से रु0 55000.00 आहरणकर्ता श्री जगलाल, एवं दिनांक 06.11.15 को चेक संख्या 21066055 से रु0 56000.00 आहरणकर्ता श्री जगलाल के आधार पर कुल रु0 196650.00 की निकासी की गयी है जिसकी न तो कैशबुक में कैशबुक में की गयी है और न व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पुष्टि प्रमाण पत्र यथा स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माणकार्य रजिस्टर, पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको/अभिलेखो से न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती उषा, ग्राम प्रधान से रु0 98325.00 एवं श्री जगलाल, ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 98325.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9- विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत पडिया के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते की कैशबुक में दिनांक 22.03.16 को शौचालय एवं सोख्ता मरम्मत मद में मजदूरी पर रु0 5320.00, सामग्री पर रु0 24003.00 तथा दरवाजा पर रु0 10350.00 कुल रु0 39673.00 का व्यय दर्शित है जिसकी मजदूरी व्यय की पुष्टि में मस्टररोल एवं सामग्री आदि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं उक्त मद की स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, एम0बी0 रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त धन की निकासी कर एवं कैशबुक में कात्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री फूलचन्द्र, ग्राम प्रधान से रु0 19837.00 एवं श्री राकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी से रु0 19836.00 की की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10- विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत टिकुईकोल बाबू के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते से माह दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक कुल रु0 28000.00 की निकासी प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की गयी है जिससे संबन्धित कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, सार्वजनिक निमाण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, आदि लेखापरीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर तथा निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रा0पं0वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती ज्ञानमती देवी, ग्राम प्रधान से रु0 14000.00 एवं श्री उमाशंकर गौतम, ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 14000.00 की की जानी अपेक्षित है।

जनपद—सिद्धार्थनगर

मण्डल—बस्ती

1—ग्राम पंचायत—सोनवल

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

वि०ख०—नौगढ़

प्रस्तर संख्या—01—ग्राम०पं० सोनवल के वर्ष 2015—16 के ग्रा०नि० प्रथमकी लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि रोकड़ बही में दिनांक 18.09.15 को रु 12000.00 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिश्टान वितरण हेतु व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो सका कि व्यय दर्शितधनराशि राज्य वित्त से संबंधित है या 13 वॉ/14 वॉ वित्त से। नियमतः अनुदान में प्राप्त धनराशि योजना के गाइडलाइन के अनुसार विकासपरक कार्यों में तकनीकी/प्रशासनिक/स्वीकृतिके अनुक्रम में की जाती है।लेखा परीक्षा में पाया गया कि वाहक चेक के माध्यम से खातों से नगद धनराशि आहरित कर स्वतंत्रता दिवस मिश्टान वितरण मद में समायोजन लेखा पारित कर तत्कालिन प्रधान व सचिव द्वारा योजना के गाइडलाइन व नियमों का उल्लंघन कर रु 12000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बसावन से रु 6000.00 एवम् सचिव श्री लाल बिहारी से रु 6000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12000.00	—	—	12000.00

2—ग्राम पंचायत—गायघाट

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

वि०ख०—बर्दपुर

प्रस्तर संख्या—02—ग्राम पंचायत गायघाट के वर्ष 2015—16 के ग्रा०नि० प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि रोकड़बही में दिनांक 05.10.15 को रु 7369.00 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प के मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है।उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो सका कि सामग्री व मजदूरी मद में अलग-अलग व्यय की धनराशि कितनी है।प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।रोकड़ बही में मरम्मत किये गये हैण्ड पम्प का लोकेषन,संख्या, आदि की स्थिती भी अज्ञात रही।व्यय भुगतान की संस्तुति जलप्रबन्धन समिति से लेने का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।धनराशि खाते से नगद आहरित की गयी है।उपरोक्त आधारों पर लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्रा०नि० के खाते से वाहक चेक के माध्यम से नगद धनराशि आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत मद में व्यय समायोजन लेखा पारित कर तत्कालिन प्रधान व सचिव की दुरभिःसंधि से अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मैमुन्सिा से रु 3684.00 एवं सचिव श्री गोपेष्वर पटेल से रु 3684.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7369.00	—	—	7369.00

3—ग्राम पंचायत—पिकौरा

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

वि०ख०—भनवापुर

प्रस्तर संख्या—03—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को कय सामग्री पर रु 72948.00 व्यय दर्शाया गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री वसीम एवं ग्राम सचिव श्री रामहर्ष द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वसीम से रु 36474.00 एवम् ग्राम सचिव श्री रामहर्ष से रु 36474.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
72948.00	—	—	72948.00

4—ग्राम पंचायत—तराँव

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

वि०ख०—भनवापुर

प्रस्तर संख्या—04—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को कय सामग्री पर व्यय दर्शाया (रु० 51750.00) गया है,परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं कीया जा सका। अस्तु तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पावती देवी एवं ग्राम सचिव श्री रामहर्ष द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पावती देवी से रु 25875.00 एवम् ग्राम सचिव श्री रामहर्ष से रु 25875.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
51750.00	—	—	51750.00

5-ग्राम पंचायत-सिरसिया लेखा परीक्षा वर्ष -2015-16**वि0ख0-भनवापुर**

प्रस्तर संख्या-05—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को कय सामग्री (रु86000.00) पर व्यय दर्शाया गया है,परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर ,स्टॉक पंजिका,स्वीकृत प्रस्ताव ,माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।अस्तु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बादामा देवी एवं ग्राम सचिव श्री मोतीलाल मिश्रा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बादामा देवी से रु 43000.00 एवम् ग्राम सचिव श्री मोती लाल मिश्र से रु 43000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
86000.00	—	—	86000.00

6-ग्रामपंचायत-भरवटिया मुस्तकहम लेखा0परी0 वर्ष 2015-16 वि0ख0-भनवापुर

प्रस्तर संख्या-06— रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को कय सामग्री पर व्यय दर्शाया(रु0 29870.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर ,स्टॉक पंजिका,स्वीकृत प्रस्ताव ,माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी से रु 14935.00 एवम् ग्राम सचिव श्री अनुप कुमार से रु 14935.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
29870.00	—	—	29870.00

7-ग्रामपंचायत-परोई लेखा0परी0 वर्ष 2015-16 वि0ख0-खेसरहा

प्रस्तर संख्या-07—लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में कि वर्ष 2015-16 में ग्राम निधी प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 314879.00 का स्टाक कैष बुक में अंकित विवरण के अनुसार कय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में कय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे संबंधित चालान,बिल,वाउचर, ही प्रस्तुत किया गया।

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। धन का भुगतानअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। स्टाक कय के भुगतान की स्वीकृतिनिर्माण समिति से नहीं करायी गयी है।स्पष्ट है कि स्टाक का कय दर्शा कर रु 314879.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधानद श्री सिरगुटी शर्मा से रु 157439.00 एवम् ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 157439.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
314879.00	—	—	314879.00

7-ग्रामपंचायत-परोई लेखा0परी0 वर्ष 2015-16 वि0ख0-खेसरहा

प्रस्तर संख्या-08— आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निधि प्रथम् खाते से रु 48228.00 भुगतान मजदूरी के रुप में किया गया हैं।परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।कराये गये कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की कैष बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नहीं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु 48228.00 का मजदूरी के रुप में व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया हैं

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सिरगुटी शर्मा से रु 24224.00 एवम् ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 24224.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
48228.00	—	—	48228.00

प्रस्तर संख्या-09—लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में कि वर्ष 2015-16 में ग्राम निधी प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 34800.00 का स्टाक कैष बुक में अंकित विवरण के अनुसार कय किया गया है।परन्तु लेखा परीक्षा में कय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे संबंधित चालान,बिल,वाउचर, ही प्रस्तुत किया गया।

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। धन का भुगतान अकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृतिनिर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 34800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया से रु 17400.00 एवं ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 17400.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
34800.00	—	—	34800.00

प्रस्तर संख्या-10—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निधि प्रथम् खाते से रु 9918.00 भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कराये गये कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कैष बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नहीं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु 9918.00 का मजदूरी के रूप में व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया से रु 4959.00 एवं ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 4959.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
9918.00	—	—	9918.00

8—ग्रामपंचायत—डुमरिया बुजुर्ग लेखापरी0 वर्ष 2015—16 वि0ख0—खेसरहा

प्रस्तर संख्या-11—लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष 2015—16 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 227300.00 का स्टॉक कैष बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे संबंधित चालान, बिल, वाउचर, ही प्रस्तुत किया गया।

स्टॉक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। धन का भुगतान अकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृतिनिर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 227300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता से रु 113650.00 एवं ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 113650.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
227300.00	—	—	227300.00

प्रस्तर संख्या-12—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निधि प्रथम् खाते से रु 76695.00 भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कराये गये कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कैष बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नहीं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु 76695.00 का मजदूरी के रूप में व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता से रु 383447.50 एवं ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 383447.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
76695.00	—	—	76695.00

प्रस्तर संख्या-13—लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में कि वर्ष 2015—16 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 21900.00 का स्टॉक कैष बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे संबंधित चालान, बिल, वाउचर, ही प्रस्तुत किया गया।

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। धन का भुगतान अकाउण्ट पेयीचेक से न कर के नगद किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 21900.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से रु 10950.00 एवम् ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 10950.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
21900.00	—	—	21900.00

प्रस्तर संख्या-14—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निधि प्रथम् खाते से रु 2436.00 भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कराये गये कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कैश बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नहीं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु 2436.00 का मजदूरी के रूप में व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से रु 1218.00 एवम् ग्राम सचिव श्री श्रीराम से रु 1218.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2436.00	—	—	2436.00

9—ग्राम पंचायत—खानकोट लेखा 0परी 0 वर्ष 2015—16 वि०ख०—इटवा

प्रस्तर संख्या-15—लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में कि वर्ष 2015—16 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 360018.00 का स्टॉक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे संबंधित चालान, बिल, वाउचर, ही प्रस्तुत किया गया।

स्टॉक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। धन का भुगतान अकाउण्ट पेयीचेक से न कर के नगद किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु 360018.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बृजनंदन से रु 180009.00 एवम् ग्राम सचिव श्री प्रभुनाथ सिंह से रु 180009.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
360018.00	—	—	360018.00

प्रस्तर संख्या-16—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निधि प्रथम् खाते से रु 19127.00 भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कराये गये कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कैश बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नहीं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु 19127.00 का मजदूरी के रूप में व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बृजनंदन से रु 9564.00 एवम् ग्राम सचिव श्री प्रभुनाथ सिंह से रु 9564.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19127.00	—	—	19127.00

10—ग्राम पंचायत—सेमरी लेखा 0परी 0 वर्ष 2015—16 वि०ख०—इटवा

प्रस्तर संख्या-17—लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में कि वर्ष 2015—16 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 1149974.00 का स्टॉक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे संबंधित चालान, बिल, वाउचर, ही प्रस्तुत किया गया।

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। धन का भुगतान अकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। स्टॉक क़य के भुगतान की स्वीकृति निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क़य दर्शाकर रु 1149974.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधानद श्रीमती रष्मी सिंह से रु 574987.00 एवम् ग्राम सचिव श्री प्रभुनाथ सिंह से रु 574987.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1149974.00	—	—	1149974.00

प्रस्तर संख्या—18—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निधि प्रथम् खाते से रु 226667.00 भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कराये गये कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की कैश बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नहीं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु 226667.00 का मजदूरी के रूप में व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रश्मि सिंह से रु 113334.00 एवम् ग्राम सचिव श्री प्रभुनाथ सिंह से रु 113334.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
226667.00	—	—	226667.00

11—ग्राम पंचायत—मगरौव लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 वि०ख०—मनवापुर

प्रस्तर संख्या—19—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्य योजना में दर्शित “भट्ठा से प्राथमिक विद्यालय तक खड़न्जा मरम्मत” कर्ष हेतु रु 87450.00 का व्यय ईट क़य पर दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित आपूर्ति चालान, व्यय वाउचर, एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही भुगतान से संबंधित व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा आधारहीन व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार से रु 43725.00 एवम् ग्राम सचिव श्री मुख्तार अली से रु 43725.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
87450.00	—	—	87450.00

12—ग्राम पंचायत—बिजवार बढई लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 वि०ख०—मनवापुर

प्रस्तर संख्या—20—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को क़य सामग्री पर व्यय दर्शाया (रु 56000.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा प्रसाद एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री मुहम्मद अजीजुद्दीन एवं ग्राम सचिव श्री मुख्तार अली द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा प्रसाद से रु 23000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अजीजुद्दीन से रु 5000.00 एवम् ग्राम सचिव श्री मुख्तार अली से रु 28000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
56000.00	—	—	56000.00

13—ग्राम पंचायत—एकडेंगवा लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—लोटन

प्रस्तर संख्या—21—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में कुल 160958.00 का भुगतान ईट क़य एवं मजदूरी भुगतान कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। परन्तु उक्त भुगतान की पुष्टि के रूप में क़य की सामग्री का वाउचर, माल आपूर्ति चालान, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें, जिससे व्यय की गयी धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा आधारहीन व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम गोविन्द यादव से रु 80479.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमा षंकर सिंह से रु 80479.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
160958.00	—	—	160958.00

14—ग्राम पंचायत—पनेरा लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—लोटन

प्रस्तर संख्या—22—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में कुल 157456.00 का भुगतान ईट कय एवं मजदूरी भुगतान कैष बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। परन्तु उक्त भुगतान की पुष्टि के रूप में कय की सामग्री का वाउचर, माल आपूर्ति चालान, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें, जिससे व्यय की गयी धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा आधारहीन व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती से रु 78728.00 तथा ग्राम सचिव श्री विजय बहादुर से रु 78728.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
157456.00	—	—	157456.00

15—ग्राम पंचायत—बगही लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—उस्का

प्रस्तर संख्या—23—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में कुल 249950.00 का भुगतान ईट कय एवं मजदूरी भुगतान कैष बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। परन्तु उक्त भुगतान की पुष्टि के रूप में कय की सामग्री का वाउचर, माल आपूर्ति चालान, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें, जिससे व्यय की गयी धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा आधारहीन व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से रु 124975.00 तथा ग्राम सचिव श्री राम किषुन से रु 124975.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
249950.00	—	—	249950.00

16—ग्राम पंचायत—हरिवंशपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—लोटन

प्रस्तर संख्या—24—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में कुल आहरित धनराशि के सापेक्ष माह में कुल व्यय की धनराशि समायोजित करने के उपरान्त रोकड़ शेष रु 77774.00 होना चाहिये जिसके स्थान पर रु 23774.00 अंकित है। स्पष्ट है कि रोकड़ बही में रु 54000.00 का कम रोकड़ दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा रु 54000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल्ला खॉ से रु 27000.00 तथा ग्राम सचिव श्री विजय बहादुर से रु 27000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
54000.00	—	—	54000.00

17—ग्राम पंचायत—सिरसिया लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—खुनियॉव

प्रस्तर संख्या—25—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को कय सामग्री पर व्यय दर्शाया(रु 229000.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नूर मोहम्मद एवं ग्राम सचिव श्री सुनिल कुमार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तत्कालीन श्री नूर मोहम्मद से रु 114500.00 एवं ग्राम सचिव श्री सुनिल कुमार से रु 114500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
229000.00	—	—	229000.00

18-ग्राम पंचायत-खखरा-खखरी लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि०ख०-खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-26—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को क्रय सामग्री पर व्यय दर्शाया (रु० 272000.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती उशा देवी एवं ग्राम सचिव श्री सुनिल कुमार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तत्कालीन श्रीमती उशा देवी से रु 136000.00 एवं ग्राम सचिव श्री सुनिल कुमार से रु 136000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
272000.00	—	—	272000.00

19-ग्राम पंचायत-राजपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि०ख०-खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-27—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को क्रय सामग्री पर व्यय दर्शाया (रु० 277500.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर सिंह द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी से रु 138750.00 एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर सिंह से रु 138750.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
277500.00	—	—	277500.00

20-ग्राम पंचायत-हरैया लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि०ख०-खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-28—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को क्रय सामग्री पर व्यय दर्शाया (रु० 20500.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती मैना देवी एवं ग्राम सचिव श्री विजय कुमार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मैना देवी से रु 102500.00 एवं ग्राम सचिव श्री विजय कुमार से रु 102500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
205000.00	—	—	205000.00

21-ग्राम पंचायत-मझारी मैकोहल लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि०ख०-खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-29—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को क्रय सामग्री पर व्यय दर्शाया (रु० 149286.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री बेचू एवं ग्राम सचिव श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचू से रु 74643.00 एवं ग्राम सचिव श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह से रु 74643.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
149286.00	—	—	149286.00

22-ग्राम पंचायत-गोरया लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि०ख०-खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-30—रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों को क्रय सामग्री पर व्यय दर्शाया (रु० 132900.00) गया है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। अस्तु तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री इब्राहिम एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर सिंह द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इब्राहिम से रु 66450.00 एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर सिंह से रु 66450.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
132900.00	—	—	132900.00

25-ग्राम पंचायत-नरही बुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि0ख0-मिठवल

प्रस्तर संख्या-36-ग्राम पंचायत नरही बुजुर्ग की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में प्रा0पा0 नरही बुजुर्ग में शौचालय निर्माण में रु 101387.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र नाथ दूबे तथा ग्राम सचिव श्री राधेश्याम मणि द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र नाथ दूबे से रु 50693.50 तथा ग्राम सचिव श्री राधेश्याम मणि से रु 50693.50.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
101387.00	—	—	101387.00

26-ग्राम पंचायत-तुरसिया लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि0ख0-मिठवल

प्रस्तर संख्या-37-ग्राम पंचायत तुरसिया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 374274.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री लखराम तथा ग्राम सचिव श्री दयाराम द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लखराम से रु 187137.00 तथा ग्राम सचिव श्री दयाराम से रु 187137.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
374274.00	—	—	374274.00

27-ग्राम पंचायत-परसपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 वि0ख0-बॉसी

प्रस्तर संख्या-38-ग्राम पंचायत परसपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 20500.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग-अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अकबर बली से रु 10250.00 एवं ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 10250.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20500.00	—	—	20500.00

प्रस्तर संख्या-39-ग्राम पंचायत परसपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में "अजीउल्लाह के घर से रफीद के घर" तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 34000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री अकबर अली तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अकबर अली से रु 17000.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 17000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
34000.00	—	—	34000.00

प्रस्तर संख्या-40—ग्राम पंचायत परसपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “छोटकन के घर से हकीम के घर” तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 39973.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अकबर अली तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अकबर अली से रु 19986.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 19986.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
39973.00	—	—	39973.00

28—ग्राम पंचायत—सुकरौली लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या-41—ग्राम पंचायत सुकरौली की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 19188.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग-अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी से रु 9594.00 एवं ग्राम सचिव श्री अजय राय से रु 9594.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19188.00	—	—	19188.00

प्रस्तर संख्या-42—ग्राम पंचायत सुकरौली की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “शिवकुमार के घर से पारस के घर” तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 91100.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी तथा ग्राम सचिव श्री अजय राय द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित

वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी से रु 45555.00 तथा ग्राम सचिव श्री अजय राय से रु 45555.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
91100.00	—	—	91100.00

29—ग्राम पंचायत—भगौतापुर उत्तरी लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि0ख0—बॉसी

प्रस्तर संख्या—43—ग्राम पंचायत भगौतापुर उत्तरी की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 20000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग—अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी से रु 10000.00 एवं ग्राम सचिव श्री आशुतोश यादव से रु 10000.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

प्रस्तर संख्या—44—ग्राम पंचायत भगौतापुर उत्तरी की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में गंगाराम के घर से परशुराम के घर तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 40000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी तथा ग्राम सचिव श्री आशुतोश यादव द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी से रु 20000.00 तथा ग्राम सचिव श्री आशुतोश यादव से रु 20000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
40000.00	—	—	40000.00

प्रस्तर संख्या—45—ग्राम पंचायत भगौतापुर उत्तरी की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हरिराम के घर से रामायन के घर तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 40000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी तथा ग्राम सचिव श्री आशुतोश यादव द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी से रु 20000.00 तथा ग्राम सचिव श्री आशुतोश यादव से रु 20000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
40000.00	—	—	40000.00

प्रस्तर संख्या-46— ग्राम पंचायत भगौतापुर उत्तरी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “चैतु के घर से राधेश्याम के घर” तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 40000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी तथा ग्राम सचिव श्री आशुतोश यादव द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी से रु 20000.00 तथा ग्राम सचिव श्री आशुतोश यादव से रु 20000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
40000.00	—	—	40000.00

30—ग्राम पंचायत—बरौव नानकार लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या-47—ग्राम पंचायत बरौव नानकार की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 41000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग-अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शुक्लावती से रु 20500.00 एवं ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 20500.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
41000.00	—	—	41000.00

प्रस्तर संख्या-48—ग्राम पंचायत बरौव नानकार की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “अजीबुनिसा के घर से रबानी के घर” तक नाली निर्माण/मरम्मत में रु 73660.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती शुक्लावती तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शुक्लावती से रु 36830.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 36830.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
73660.00	—	—	73660.00

प्रस्तर संख्या-49—ग्राम पंचायत बरौव नानकार की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “चतुर्भान के घर से गढ़डे” तक नाली निर्माण/मरम्मत में रु 70840.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती शुक्लावती तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शुक्लावती से रु 35420.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 35420.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
70840.00	—	—	70840.00

31—ग्राम पंचायत—जाजरगठिया लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या—50—ग्राम पंचायत जाजरगठिया की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 8000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग—अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से रु 4000.00 एवं ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 4000.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
8000.00	—	—	8000.00

प्रस्तर संख्या—51—ग्राम पंचायत जाजरगठिया की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “बनवारी के घर से सोहराब के घर” तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 43710.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती शीला तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से रु 21855.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 21855.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
43710.00	—	—	43710.00

प्रस्तर संख्या—52—ग्राम पंचायत जाजरगठिया की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “बनवारी के घर से सोहराब के घर” तक नाली निर्माण/मरम्मत में रु 62514.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती शीला तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी

ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से रु 31257.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 31257.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
62514.00	—	—	62514.00

32—ग्राम पंचायत—कोल्ही बुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या—53—ग्राम पंचायत कोल्ही बुजुर्ग की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 30000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग—अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी से रु 15000.00 एवं ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 15000.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30000.00	—	—	30000.00

प्रस्तर संख्या—54—ग्राम पंचायत कोल्ही बुजुर्ग की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में सोख्ता निर्माण में रु 58580.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है। सोख्ता निर्माण के स्थान एवं माप का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी से रु 29290.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 29290.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
58580.00	—	—	58580.00

प्रस्तर संख्या—55—ग्राम पंचायत कोल्ही बुजुर्ग की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में कूप मरम्मत एवं नाली मरम्मत हेतु रु 20000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कूप मरम्मत के स्थान एवं माप का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी से रु 10000.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 10000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

प्रस्तर संख्या-56—ग्राम पंचायत कोल्ही बुजुर्ग की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से दिनांक 04.08.15 को चेक संख्या 044433 द्वारा रु 4000.00 की निकासी की गयी है परन्तु रोकड़ बही के आय पक्ष में 2000.00 रु अंकित किया गया है। इय प्रकार रोकड़ बही में 2000.00 रु कम अंकित कर के ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा 2000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी से रु 1000.00 तथा ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु 1000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2000.00	—	—	2000.00

33—ग्राम पंचायत—अशोगवा लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या-57—ग्राम पंचायत अशोगवा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 25545.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग-अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नही मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया हे वे वास्तव में कराये गए है या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हे कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर वयय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी से रु 1277.50 एवं ग्राम सचिव श्री तमेश्वर प्रसाद से रु 127725.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
25545.00	—	—	25545.00

प्रस्तर संख्या-58—ग्राम पंचायत अशोगवा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “जवहिरके घर से टिसुर के घर” तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 133964.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित हे वे वास्तव में कराये गए है या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी तथा ग्राम सचिव श्री तमेश्वर प्रसाद द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी से रु 66982.00 तथा ग्राम सचिव श्री तमेश्वर प्रसाद से रु 66982.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
133964.00	—	—	133964.00

34—ग्राम पंचायत—गुल्हरिया राजा लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या-59—ग्राम पंचायत गुल्हरिया राजा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में 4 हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 7648.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग-अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नही मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए

भुगतान किया गया हे वे वास्तव में कराये गए है या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हे कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरीराम से रु 3824.00 एवं ग्राम सचिव श्री अजय राय से रु 3824.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7648.00	—	—	7648.00

प्रस्तर संख्या-60—ग्राम पंचायत गुल्हरिया राजा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “सुकदेव के घर से पिच रोड” तक खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 35342.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित हे वे वास्तव में कराये गए है या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री हरीराम तथा ग्राम सचिव श्री अजय राय द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरीराम से रु 17671.00 तथा ग्राम सचिव श्री अजय राय से रु 17671.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
35342.00	—	—	35342.00

प्रस्तर संख्या-61—ग्राम पंचायत गुल्हरिया राजा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “राममिलन के घर से राम प्रसाद के घर” तक नाली निर्माण/मरम्मत में रु 130510.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित हे वे वास्तव में कराये गए है या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री हरीराम तथा ग्राम सचिव श्री अजय राय द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरीराम से रु 65255.00 तथा ग्राम सचिव श्री अजय राय से रु 65255.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
130510.00	—	—	130510.00

35—ग्राम पंचायत—बष्ठा लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या-62—ग्राम पंचायत बष्ठा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 9447.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग-अलग नहीं किया गया है। सामग्री कय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नही मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया हे वे वास्तव में कराये गए है या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हे कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रु 4723.50 एवं ग्राम सचिव श्री शिवमणि से रु 4723.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
9447.00	—	—	9447.00

प्रस्तर संख्या-63—ग्राम पंचायत बष्ठा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में खडन्जा निर्माण/मरम्मत में रु 88773.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती आरती तथा ग्राम सचिव श्री शिवमणि द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रु 44386.50 तथा ग्राम सचिव श्री शिवमणि से रु 44386.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
88773.00	—	—	88773.00

प्रस्तर संख्या-64—ग्राम पंचायत बष्ठा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “मेन रोड से पोखरा होते हुए गाँव तक” खडन्जा निर्माण/मरम्मत में रु 112980.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आरती तथा ग्राम सचिव श्री शिवमणि द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रु 56490.00 तथा ग्राम सचिव श्री शिवमणि से रु 56490.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
112980.00	—	—	112980.00

36—ग्राम पंचायत—रमतिकरा लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—बॉसी

प्रस्तर संख्या-65—ग्राम पंचायत रमतिकरा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में रु 46000.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की मरम्मत का कार्य कहाँ पर कराया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन रोकड़ बही में अलग-अलग नहीं किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया है और नही मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया है और मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यानप प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका जिन हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य को कराये जाने के लिए भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा मरम्मत पर व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलपरी से रु 23000.00 एवं ग्राम सचिव श्री देवदत्त से रु 23000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
46000.00	—	—	46000.00

प्रस्तर संख्या-66—ग्राम पंचायत रमतिकरा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में “राम कुबेर के घर से मेन नाली तक नाली नाली” निर्माण/मरम्मत में रु 22320.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का

भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूलपरी तथा ग्राम सचिव श्री देवदत्त द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूलपरी से रु 11160.00 तथा ग्राम सचिव श्री देवदत्त से रु 11160.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
22320.00	—	—	22320.00

37—ग्राम पंचायत—बरैनिया लेखा परीक्षा वर्ष —2015—16 वि०ख०—जोगिया

प्रस्तर संख्या—67—ग्राम पंचायत बरैनिया की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सोख्ता निर्माण में रु 20105.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सीमेंट का मूल्य (16 बोरी दर 300 प्रति बोरी) आडिट के अनुसार 4800.00 होता है किन्तु कैश बुक में 1800.00 अंकित है। सामग्री क्रय का भुगतान नगद किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से सोख्ता निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान से रु 10052.50 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 10052.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20105.00	—	—	20105.00

प्रस्तर संख्या—68—ग्राम पंचायत बरैनिया की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 37859.00 का व्यय जुबेर अहमद के बाउन्डी से सरफुद्दीन के घर तक खडन्जा मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण दर्शा का ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान से रु 18929.50 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 18929.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
37859.00	—	—	37859.00

प्रस्तर संख्या—69—ग्राम पंचायत बरैनिया की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 32003.00 का व्यय मुख्तार के घर से अब्दुर्रहमान के घर तक खडन्जा मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ईट का मूल्य (2000 नग दर 6300 प्रति हजार) आडिट के अनुसार 12600.00 होता है किन्तु कैश बुक में 13000.00 अंकित है। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण दर्शा का ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान से रु 16001.50 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 16001.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
32003.00	—	—	32003.00

प्रस्तर संख्या-70—ग्राम पंचायत बरैनिया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 25925.00 का व्यय सुखि के घर से सफीउल्लाह के घर तक खडन्जा मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान से रु 12962.50 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 12962.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
25925.00	—	—	25925.00

प्रस्तर संख्या-71—ग्राम पंचायत बरैनिया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 37640.00 का व्यय बददू के घर से मनसब के घर तक खडन्जा मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान से रु 18820.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 18820.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
37640.00	—	—	37640.00

प्रस्तर संख्या-72—ग्राम पंचायत बरैनिया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 20.08.15 को कैश बुक में रु 30000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान के मानदेय (पूरे वर्ष में) के रूप में किया जाना दर्शित है। आडिट अनुसार प्रधान का मानदेय अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 तक का कुल 4 माह रु 2500.00 प्रति माह दर से रु 10000.00 होता है। इस प्रकार 20000.00 रु ग्राम प्रधान को अधिक मानदेय भुगतान कर ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा रु 20000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान से रु 10000.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 10000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

प्रस्तर संख्या-73—ग्राम पंचायत बरैनिया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कैश बुक में मार्च 2016 का योग नहीं किया गया है। आडिट के अनुसार आय पक्ष का योग 106763.00 तथा व्यय पक्ष का योग रु 106690.00 होता है। अतः 106763.00-106690=73.00 रु दिनांक 31.03.16 को शेष होना चाहिए जो कैश बुक में अंकित नहीं है। इस प्रकार कैश बुक में वर्षान्त में रु 73.00 रोकड़ शेष न दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा रु 73.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हन्नान से रु 36.50.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 36.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
73.00	—	—	73.00

38—ग्राम पंचायत—बैजनथा लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—जोगिया

प्रस्तर संख्या-74—ग्राम पंचायत बैजनथा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 99735.00 का व्यय बैजनथा में मेन सडक से कल्लू के घर तक खडन्जा मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खड़न्जा निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री चन्द्र बली एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्र बली से रु 23632.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 23632.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
47264.00	—	—	47264.00

प्रस्तर संख्या—79—ग्राम पंचायत बैजनथा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 2803.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, जल प्रबन्धन की रिपोर्ट व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। हैण्ड मरम्मत की तिथि भी कैश बंक में अंकित नहीं है। रहा। सामग्री कय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री चन्द्र बली एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्र बली से रु 1401.50 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 1401.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2803.00	—	—	2803.00

39—ग्राम पंचायत—बभनी लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—जोगिया

प्रस्तर संख्या—80—ग्राम पंचायत बभनी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 03.02.16 को बैंक पासबुक में चेक सं० 280917 द्वारा रु 5000.00 की निकासी दर्शित है जिसे कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर ग्राम पंधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती समीउन्नीसा से रु 2500.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 2500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
5000.00	—	—	5000.00

प्रस्तर संख्या—81—ग्राम पंचायत बभनी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 31.03.16 को कैश बुक में आय—व्यय पक्ष का योग नहीं किया गया है। और न ही वर्षान्त में शेष अंकित किया गया है। आडिट के अनुसार आय—व्यय पक्ष का अन्तर रु 258.00 होना चाहिए जिसे कैश बुक में न दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती समीउन्नीसा से रु 129.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 129.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
258.00	—	—	258.00

40—ग्राम पंचायत—जखौलिया लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—जोगिया

प्रस्तर संख्या—82—ग्राम पंचायत जखौलिया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 11.08.15 को चेक सं० 868530 द्वारा श्री पारस नाथ को रु 13000.00 का नगद भुगतान किया गया है। जिसे कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रु 13000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मोमिना खातून से रु 6500.00 एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 6500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
13000.00	—	—	13000.00

41—ग्राम पंचायत—सिरसिया मिश्र लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 वि०ख०—जोगिया

प्रस्तर संख्या—83—ग्राम पंचायत सिरसिया मिश्र की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खाते से रु 40938.00 का व्यय पुलिया के एप्रोच खड़न्जा निर्माण पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री कय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

ज्ञात्व है कि ईट की दर में चट्टा लगाने की मजदूरी भी शामिल होती है जबकि माह अगस्त में 4000 ईटो की चट्टा लगवाई रु 400.00 अलग से खारिज की गयी है। दिनांक 06.08.15 को रु 10000.00, दिनांक 07.08.15 को रु 10000.00, दिनांक 24.08.15 को रु 10000.00 व दिनांक 24.08.15 को रु 10000.00 की निकासी खाते से की गयी है अर्थात माह अगस्त में खाते से कुल निकासी रु 40000.00 की गयी जिसके सापेक्ष कुल व्यय रु 40938.00 तथा रु 62.00 नगद शेष कैश बुक में दर्शित है। अर्थात रु 1000.00 का अवास्तविक व्यय रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती कौलेश्वरी एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कौलेश्वरी से रु 20000.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 20000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
40000.00	—	—	40000.00

प्रस्तर संख्या—84— ग्राम पंचायत सिरसिया मिश्र की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दो खडन्जा निर्माण में कुल रु 197013.00 का व्यय कैश बुक के अनुसार किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को अकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

ज्ञात्व है कि ईट की दर में चट्टा लगाने की मजदूरी भी शामिल होती है जबकि माह मार्च 16 में 10000 ईटो की चट्टा लगवाई रु 2000.00 अलग से खारिज की गयी है। माह सितम्बर 15 से माह मार्च 16 तक कुल निकासी रु 197000.00 की गयी है जिसके सापेक्ष उपरोक्त परियोजनाओं पर कुल व्यय 1971013.00 किया गया जो असम्भव है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती कौलेश्वरी एवं ग्राम सचिव श्री रमाशंकर द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कौलेश्वरी से रु 98500.00 तथा ग्राम सचिव श्री रमाशंकर से रु 98500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
197000.00	—	—	197000.00

42—ग्राम पंचायत—बकरहुआ लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—जोगिया

प्रस्तर संख्या—85— ग्राम पंचायत बकरहुआ की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 44820.00 का व्यय मेहदिया गाँव में नाली मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को अकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से नाली निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी से रु 22410.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 22410.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
44820.00	—	—	44820.00

प्रस्तर संख्या—86— ग्राम पंचायत बकरहुआ की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 29.04.15 को वाउचर सं० 04 द्वारा स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर व्यय रु 16120.00 रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत कहाँ पर कराया गया इसका कोई उल्लेख कैश बुक में नहीं किया गया है। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से स्ट्रीट लाईट पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी देवी एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी से रु 8060.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 8060.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
16120.00	—	—	16120.00

प्रस्तर संख्या—87—ग्राम पंचायत बकरहुआ की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 29.04.15 को वाउचर सं० 04 द्वारा 20 ट्राली राबिस दर 500.00 प्रति ट्राली (20ग500 =10000.00)पर व्यय रु 10000.00 रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु उक्त राबिस किस उद्येष्ठ से गिराया गया इसका कोई उल्लेख कैश बुक में नहीं किया गया है। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से राबिस क्रय पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी देवी एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी से रु 5000.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10000.00	—	—	10000.00

प्रस्तर संख्या—88—ग्राम पंचायत बकरहुआ की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 29.04.15 को वाउचर सं० 06 द्वारा 11500.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित है। परन्तु उक्त मरम्मत किस स्थान पर कराया गया यह न तो कैश बुक में उल्लिखित है और न ही उक्त व्यय की पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी देवी एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी से रु 575.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 575.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1150.00	—	—	1150.00

प्रस्तर संख्या—89—ग्राम पंचायत बकरहुआ की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 39016.00 का व्यय नन्द किशोर के घर से महन्त के घर तक खडन्जा मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी देवी से रु 19508.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 19508.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
39016.00	—	—	39016.00

प्रस्तर संख्या-90—ग्राम पंचायत बकरहुआ की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 66438.00 का व्यय शिव मंदिर से से ब्रदेव के घर तक खडन्जा मरम्मत पर किया गया है है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री कय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से खडन्जा निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी देवी से रु 33219.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 33219.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
66438.00	—	—	66438.00

43—ग्राम पंचायत—सेहुड़ा लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—जोगिया

प्रस्तर संख्या-91—ग्राम पंचायत सेहुड़ा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु 43660.00 का व्यय कैश बुक में दर्शित है। उपरोक्त व्यय किस उद्देश्य के लिए है यह न तो कैश बुक में उल्लिखित है और न ही इससे संबंधित कोई पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य का की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, मस्टरोल, तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार निरुद्देश्य एवं फर्जी ढंग से व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया से रु 21830.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 21830.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
43660.00	—	—	43660.00

प्रस्तर संख्या-92—ग्राम पंचायत सेहुड़ा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 08.07.15 को वाउचर सं० 05 द्वारा 1000.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित है। परन्तु उक्त मरम्मत किस स्थान पर कराया गया यह न तो कैश बुक में उल्लिखित है और न ही उक्त व्यय की पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तु की गयी। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री कय का भुगतान फर्म कोअकाउण्ट पेयी चेक से न कर के नगद किया गया है। मनमाने ढंग से एकमुष्ट की धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया से रु 500.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1000.00	—	—	1000.00

प्रस्तर संख्या-93—ग्राम पंचायत सेहुड़ा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में खडन्जा निर्माण/मरम्मत में रु 44762.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है। उपरोक्त खडन्जा मरम्मत किस स्थान पर किया गया यह न तो कैश बुक में उल्लिखित है और न ही इससे संबंधित कोई पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती गुड़िया तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया से रु 22381.00 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 22381.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
44762.00	—	—	44762.00

प्रस्तर संख्या-94—ग्राम पंचायत सेहुड़ा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण/मरम्मत में रु 46445.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है। उपरोक्त खड़न्जा मरम्मत किस स्थान पर किया गया यह न तो कैश बुक में उल्लिखित है और न ही इससे संबंधित कोई पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। उक्त व्यय से संबंधित वाउचर, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत प्रस्ताव, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कृतकार्य का कार्यपूति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की रोकड़ बही में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं। अतः वाउचर एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती गुड़िया तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया से रु 23222.50 तथा ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 23222.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
46445.00	—	—	46445.00

44—ग्राम पंचायत—धनरखपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या-95—ग्राम पंचायत धनरखपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 अर्थात कुल 19 माह का मानदेय 2500.00 प्रति माह के दर से कुल देय धनराशि रु 47500.00 होती है, जगकी रोकड़बही में संदर्भित अवधि हेतु कुल 70000.00 भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान पंजिका अनुपलब्ध रही। ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में रु 22500.00 का अधिक भुगतान किया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसीमा व सचिव धर्मदत्त चौधरी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नसीमा से रु 11250.00 व ग्राम सचिव श्री धर्मदत्त चौधरी से रु 11250.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
22500.00	—	—	22500.00

45—ग्राम पंचायत—हिसामुद्दीनपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या-96—ग्राम पंचायत हिसामुद्दीनपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बिना स्वीकृति प्रस्ताव व ग्रा०प० सदन की अनुमति के बगैर मार्च 2016 में एक ही तिथि में दो आर्डर चेकों के माध्यम से तत्कालीन सचिव ग्रा०वि०अधि श्री दुर्गेश सिंह व ग्राम प्रधान श्री इंद्रासन वर्मा द्वारा कुल रु 20000.00 स्वयं के नाम से नगद भुगतान लेकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। रोकड़ बही में उक्त धनराशि का समायोजन हैण्ड पम्प मरम्मत मद में दर्शाया गया है।

उक्त भुगतान से संबंधित जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी, बिल/वाउचर, हैण्ड पम्प मरम्मत का स्थान आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उल्लेखनीय है कि ग्रा०प० का गठन दिसम्बर 2015 में हुआ, एवं निकासी की अवधि तक ग्रा०प० की खुली बैठक, समितियों के गठन आदि का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री इंद्रासन वर्मा एवं सचिव श्री दुर्गेश सिंह की दुरभिसंधि से रु 20000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इंद्रासन वर्मा से रु 10000.00 एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गेश सिंह से रु 10000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

46—ग्राम पंचायत—बनकटी लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 वि०ख०—डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या-97—ग्राम पंचायत बनकटी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बिना स्वीकृति प्रस्ताव व ग्रा०प० सदन की अनुमति के बगैर मार्च 2016 में एक ही तिथि में दो आर्डर चेकों के माध्यम से तत्कालीन सचिव ग्रा०वि०अधि श्री दुर्गेश सिंह द्वारा कुल रु 20000.00 स्वयं के नाम से नगद भुगतान लेकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। रोकड़ बही में उक्त धनराशि का समायोजन हैण्ड पम्प मरम्मत मद में दर्शाया गया है।

उक्त भुगतान से संबंधित जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी, [बिल/वाउचर, हैण्ड](#) पम्प मरम्मत का स्थान आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उल्लेखनीय है कि ग्रा0प0 का गठन दिसम्बर 2015 में हुआ, एवं निकासी की अवधि तक ग्रा0प0 की खुली बैठक, समितियों के गठन आदि का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं सचिव श्री दुर्गेश सिंह की दुरभिसंधि से रु 20000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से रु 10000.00 एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गेश सिंह से रु 10000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

47—ग्राम पंचायत—खोरिया शिवबक्श ले0प0 वर्ष—2015—16 वि0ख—डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या—98—ग्राम पंचायत खोरिया शिव बक्श की वर्ष 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दो तिथियों में आर्डर चेकों के माध्यम से तत्कालीन सचिव ग्रा0वि0अधि श्री दुर्गेश सिंह द्वारा कुल रु 30000.00 स्वयं के नाम से नगद भुगतान लिया गया है। रोकड़ बही में उक्त धनराशि में से रु 20000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत मद में तथा रु 10000.00 प्रधान के मानदेय मद में व्यय समायोजन लेखा पारित कर के धन का अपहरण कर लिया गया है।

उक्त भुगतान से संबंधित जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी, [बिल/वाउचर, हैण्ड](#) पम्प मरम्मत का स्थान आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उल्लेखनीय है कि ग्रा0प0 का गठन दिसम्बर 2015 में हुआ, एवं निकासी की अवधि तक ग्रा0प0 की खुली बैठक, समितियों के गठन आदि का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। ग्राम प्रधान के मानदेय भुगतान से संबंधित पंजिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उल्लेखनीय है कि बैंक पासबुक के अनुसार नगद भुगतान तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश सिंह द्वारा लिया गया है, ऐसी परिस्थिति में प्रधान का मानदेय भुगतान दर्शाना तर्क संगत नहीं है। रहा। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्रीमती फूलमती देवी एवं सचिव श्री दुर्गेश सिंह की दुरभिसंधि से रु 30000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती देवी से रु 15000.00 एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गेश सिंह से रु 15000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30000.00	—	—	30000.00

48—ग्राम पंचायत—हल्लौर ले0प0 वर्ष—10—11 से 2015—16 वि0ख—डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या—99—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष रु 1602630.00 की नगद धनराशि आहरित कर के सामग्री के सापेक्ष भुगतान दर्शाया गया है। क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका न बनये जाने के कारण स्टॉक आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। सामग्री क्रय का भुगतान नगद किया जाना आपत्तिजनक है। कार्य के सापेक्ष अनुमोदित कार्ययोजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि रु 1602630.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तर से रु 639590.00, ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 161725.00 एवं ग्राम सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह से रु 801315.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1602630.00	—	—	1602630.00

प्रस्तर संख्या—100—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रु 273700.00 का मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है।

उपरोक्त मजदूरी के सापेक्ष स्वीकृति कार्य योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण समिति की संस्तुति नहीं ली गयी है। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा कार्य कराये बिना फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु 273700.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तर से रु 126400.00, ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 10450.00 एवं ग्राम सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह से रु 136850.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
273700.00	—	—	273700.00

प्रस्तर संख्या-101—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10-11 से 2015-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष रु 1316852.00 की वाहक चेक द्वारा नगद धनराशि आहरित कर के सामग्री के सापेक्ष भुगतान दर्शाया गया है। कय सामग्री का स्टॉक पंजिका न बनये जाने के कारण स्टॉक आमद की पुष्टि नहीं कि जा सकी। सामग्री कय का भुगतान नगद किया जाना आपत्तिजनक है। कार्य के सापेक्ष अनुमोदित कार्ययोजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि रु 1316852.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 658426.00 एवं ग्राम सचिव श्री सल्टू राम से रु 658426.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1316852.00	—	—	1316852.00

प्रस्तर संख्या-102—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10-11 से 2015-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष रु 1251181.00 की वाहक चेक द्वारा नगद धनराशि आहरित कर के सामग्री के सापेक्ष भुगतान दर्शाया गया है। कय सामग्री का स्टॉक पंजिका न बनये जाने के कारण स्टॉक आमद की पुष्टि नहीं कि जा सकी। सामग्री कय का भुगतान नगद किया जाना आपत्तिजनक है। कार्य के सापेक्ष अनुमोदित कार्ययोजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि रु 1251181.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 625590.50 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु 625590.50.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1251181.00	—	—	1251181.00

प्रस्तर संख्या-103—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10-11 से 2015-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 320790.00 का मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। उपरोक्त मजदूरी के सापेक्ष स्वीकृति कार्य योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण समिति की संस्तुति नहीं ली गयी है। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा कार्य कराये बिना फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु 320790.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 160395.00 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु 160395.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
320790.00	—	—	320790.00

प्रस्तर संख्या-104—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10-11 से 2015-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खाते से कुल रु 180000.00 व्यक्तिगत शौचालय अनुदान दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में अनुमोदित लाभार्थी सूची, प्रयुक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण पत्र, एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा ग्रा0प0 सदन की अनुमति के बिना एकमुष्ट नगद धनराशि आहरित कर शौचालय के नाम पर अपहरित कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 90000.00 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु 90000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
180000.00	—	—	180000.00

प्रस्तर संख्या-105—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10-11 से 2015-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रा0प0 की स्वीकृतिके बिना तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा वाहक चेक के माध्यम से विभिन्न तिथियों में अनुमन्य सीमा से अधिक नगद निकासी कर रोकड़ बही में व्यय समायोजन लेखा दर्शा कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। निर्माण नियमावली के अनुसार सर्वप्रथम कार्य का प्रस्ताव ग्रा0प0 द्वारा पारित होने पर उसकी वित्तीय स्वीकृतिके बाद धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है। परन्तु यहां पर वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी है। कय की गयी सामग्री की स्टॉक पंजिका भी नहीं बनाई गयी है जिससे स्टॉक आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। सामग्री के सापेक्ष भुगतान नगद किया गया

है जो आपत्तिजनक है। सामग्री के सापेक्ष सप्लायर्स का चालान, बिल/वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान की स्वीकृतिनिर्माण समिति से नहीं ली गयी है। कार्य के सापेक्ष अनुमोदित योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त के आधार पर पाया गया की कुल रु 250158.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 125079.00 एवं ग्राम सचिव श्री सल्टू राम से रु 125979.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
250158.00	—	—	250158.00

प्रस्तर संख्या—106—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि खाते से दिनांक 20.12.12 को एकमुष्ट रु 50000.00 मोहरम माह में सफाई मद में व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक ग्राम में सफाई हेतु सफाई कर्मी को नियुक्त किया गया है, ऐसी परिस्थिति में इस कार्य हेतु अलग से व्यय करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं हुआ। उक्त कार्य से संबंधित कोई बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्रा0नि0 प्रथम् खाते से कुल रु 50000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली एवं ग्राम सचिव श्री सल्टू राम द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 25000.00 एवं ग्राम सचिव श्री सल्टू राम से रु 25000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
50000.00	—	—	50000.00

प्रस्तर संख्या—107—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 46350.00 का मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। उपरोक्त मजदूरी के सापेक्ष स्वीकृति कार्य योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण समिति की संस्तुति नहीं ली गयी है। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा कार्य कराये बिना फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु 46350.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 23175.00 एवं ग्राम सचिव श्री सल्टू राम से रु 23175.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
46350.00	—	—	46350.00

प्रस्तर संख्या—108—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रा0प0 की स्वीकृतिके बिना तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा वाहक चेक के माध्यम से विभिन्न तिथियों में अनुमन्य सीमा से अधिक नगद निकासी कर रोकड बही में व्यय समायोजन लेखा दर्शा कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। निर्माण नियमावली के अनुसार सर्वप्रथम कार्य का प्रस्ताव ग्रा0प0 द्वारा पारित होने पर उसकी वित्तीय स्वीकृतिके बाद धन उपलब्ध होने पर काग़ प्रारम्भ किया जाता है। परन्तु यहा पर वित्तीय स्वीकृतिनहीं ली गयी है। क़य की गयी सामग्री की स्टाक पंजिका भी नहीं बनाई गयी है जिससे स्टाक आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। सामग्री के सापेक्ष भुगतान नगद किया गया है जो आपत्तिजनक है। सामग्री के सापेक्ष सप्लायर्स का चालान, बिल/वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान की स्वीकृतिनिर्माण समिति से नहीं ली गयी है। कार्य के सापेक्ष अनुमोदित योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त के आधार पर पाया गया की कुल रु 3115722.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 1557861.00 एवं ग्राम सचिव श्री मनमोहन वर्मासे रु 1557861.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
3115722.00	—	—	3115722.00

प्रस्तर संख्या—109—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 752243.00 का मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है।

उपरोक्त मजदूरी के सापेक्ष स्वीकृति कार्य योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण समिति की संस्तुति नहीं ली गयी है स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा कार्य कराये बिना फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु 752243.00 का अपहरण

कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 376121.50 एवं ग्राम सचिव श्री मनमोहन वर्मा से रु 376121.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
752243.00	—	—	752243.00

प्रस्तर संख्या—110—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि खाते से दिनांक 28.03.14 को एकमुष्ट रु 75000.00 मोहरम माह में सफाई मद में व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक ग्राम में सफाई हेतु सफाई कर्मी को नियुक्त किया गया है, ऐसी परिस्थिति में इस कार्य हेतु अलग से व्यय करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं हुआ। उक्त कार्य से संबंधित कोई बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्रा0नि0 प्रथम् खाते से कुल रु 75000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली एवं ग्राम सचिव श्री मनमोहन वर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 37500.00 एवं ग्राम सचिव श्री मनमोहन वर्मा से रु 37500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
75000.00	—	—	75000.00

प्रस्तर संख्या—111—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 28.03.14 को रु 38242.00 स्ट्रीट लाईट मरम्मत मद में मय सामग्री सहित व्यय दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में ग्रा0पं0 की स्वीकृतिप्रस्ताव, प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर, व चालान कोटेशन, आदि प्रस्तुत नहीं रहे। खराब स्ट्रीट लाईट का स्थान व सूची की जानकारी भी उपलब्ध नहीं करायी गई। स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर बिना कार्य कराये तत्कालीन प्रधान श्री गुलाम अली व तत्कालीन सचिव श्री मनमोहन वर्मा द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 19112.00 एवं ग्राम सचिव श्री मनमोहन वर्मा से रु 19112.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
38242.00	—	—	38242.00

प्रस्तर संख्या—112—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रा0प0 की स्वीकृतिके बिना तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा वाहक चेक के माध्यम से विभिन्न तिथियों में अनुमन्य सीमा से अधिक नगद निकासी कर रोकड बही में व्यय समायोजन लेखा दर्शा कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। निर्माण नियमावली के अनुसार सर्वप्रथम कार्य का प्रस्ताव ग्रा0पं0 द्वारा पारित होने पर उसकी वित्तीय स्वीकृतिके बाद धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है। परन्तु यहा पर वित्तीय स्वीकृतिनही ली गयी है। कय की गयी सामग्री की स्टोक पंजिका भी नहीं बनाई गयी है जिससे स्टोक आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। सामग्री के सापेक्ष भुगतान नगद किया गया है जो आपत्तिजनक है। सामग्री के सापेक्ष सप्लायर्स का चालान, बिल/वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तु नहीं किया गया। भुगतान की स्वीकृतिनिर्माण समिति से नहीं ली गयी है। कार्य के सापेक्ष अनुमोदित योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त के आधार पर पाया गया की कुल रु 1555155.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 777577.50 एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु 777577.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1555155.00	—	—	1555155.00

प्रस्तर संख्या—113—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खाते से विभिन्न तिथियों में रु 469744.00 का मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है।

उपरोक्त मजदूरी के सापेक्ष स्वीकृति कार्य योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण समिति की संस्तुति नहीं ली गयी है। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा कार्य कराये बिना फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु 469744.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 234872.00 एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु 234872.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
469744.00	—	—	469744.00

प्रस्तर संख्या—114—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रा0प0 की स्वीकृतिके बिना तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा वाहक चेक के माध्यम से विभिन्न तिथियों में अनुमन्य सीमा से अधिक नगद निकासी कर रोकड बही में व्यय समायोजन लेखा दर्शा कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। निर्माण नियमावली के अनुसार सर्वप्रथम कार्य का प्रस्ताव ग्रा0प0 द्वारा पारित होने पर उसकी वित्तीय स्वीकृतिके बाद धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है। परन्तु यहा पर वित्तीय स्वीकृतिनही ली गयी है। क्रय की गयी सामग्री की स्टाक पंजिका भी नही बनाई गयी है जिससे स्टाक आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। सामग्री के सापेक्ष भुगतान नगद किया गया है जो आपत्तिजनक है। सामग्री के सापेक्ष सप्लायर्स का चालान, बिल/वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान की स्वीकृतिनिर्माण समिति से नही ली गयी है। कार्य के सापेक्ष अनुमोदित योजना, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त के आधार पर पाया गया की कुल रु 485015.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाम अली से रु 242507.50 एवं ग्राम सचिव श्री मनमोहन वर्मा से रु 242507.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
485015.00	—	—	485015.00

प्रस्तर संख्या—115—ग्राम पंचायत हल्लौर की वर्ष 10—11 से 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रा0नि प्रथम खाते से मार्च 16 में कुल रु 133065.00 दो चेक के माध्यम से पंचायत मरम्मत हेतु में0 असगर को दि0 19.03.16 को भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि 2015 में निर्वाचनोपरांत दिस0 2015 में ग्राम पंचायत गठित हुई थी, मार्च तक खुली बैठक, स्वीकृतिप्रस्ताव आदि की कोई जानकारी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त सामग्री आमद को स्टाक पंजिका में दर्ज होने पर निर्माण समिति की संस्तुति के क्रम में उपलब्ध चालान/बिल, के आधार पर टी0डी0एस काट कर एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा रनिंग बिल का भुगतान किया जाता है। उक्त नियमों के परिपालन के बिना ही धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद सिद्धार्थनगर में पंचायत भवन के निर्माण का दायित्व समाज कल्याण विभाग का था। ऐसे में ग्रा0नि0 खाते से इस पर व्यय करने का कोई औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं हुआ। उपरोक्त के आधार पर पाया गया की कुल रु 133065.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अफसरी बेगम से रु 66532.50 एवं ग्राम सचिव श्री मनमोहन वर्मा से रु 66532.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
133065.00	—	—	133065.00

48—ग्राम पंचायत—बगुलहवा ले0प0 वर्ष—7—2015—16 वि0ख—शोहरतगढ़

प्रस्तर संख्या—116—ग्राम पंचायत बगुलहवा की वर्ष 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 657900.00 का व्यय दर्शाया गया है, परन्तु उक्त के संबंध में बार—बार माँगे जाने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक यथा बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। और न ही कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्यवाही पंजिका, माप पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे की ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के बारे में कोई पूर्ष्टि की जा सके।

उल्लेखनीय है कि व्यय की गयी धनराशि में से रु 397500.00 की नगद निकासी वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा की गयी है, जबकी नियमानुसार सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक के द्वारा किया जाना चाहिये। शेष धनराशि रु 260400.00 का विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया है जिसकी पुष्टि में भी कोई बिल, वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति, स्टाक पंजिका काई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मिलीभगत कर के विभिन्न तिथियों में रु 657900.00 का आधारहीन और काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती महमून निसा से रु 186500.00, निवर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती अतीतुनिसा से रु 142450.00 एवं ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु 328950.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
657900.00	—	—	657900.00

मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम

जनपद का नाम – बाँदा

मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम

ग्राम पंचायत गुजैनी

विकास खण्ड – बबेरु,

प्रस्तर संख्या-1 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्ड पंपों की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय व मजदूरी पर व्यय कोषबही में दर्शित है : –

दिनांक	धनराशि	विवरण	चेक सं.
04.04.2015	49880 रु	सामग्री क्रय दयाल सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर	166098
09.04.2015	28000 रु	सामग्री क्रय पटेल सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर	166100
12.06.2015	48770 रु	सामग्री क्रय अरुण सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर	21865
28.08.2015	44485 रु	सामग्री क्रय दयाल सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर	21876
07.09.2015	11700 रु	मजदूरी महेश कुमार	21877
06.11.2015	5000 रु	मजदूरी रमेश कुमार प्रधान	90641
06.11.2015	42250 रु	मजदूरी में अनिल कुमार गुप्ता	90642
06.11.2015	45750 रु	सामग्री क्रय में संदीप ट्रेडर्स	90643
21.03.2016	49500 रु	सामग्री में संदीप ट्रेडर्स	90648
21.03.2016	45500 रु	सामग्री में संदीप ट्रेडर्स	90649
योग	370835 रु		

हैण्डपंप सामग्री क्रय / मरम्मत मजदूरी पर दर्शित भुगतान रु 370835 पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. हैण्डपंप खराब होने तथा उसकी मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रधान को आवेदन पत्र नहीं दिया गया है।
2. खराब / बिगड़े हैण्डपंपों की संख्या व उसकी मरम्मत पर होने वाले व्यय के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच तथा अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है।
3. हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर 354135 का व्यय भुगतान दर्शाया गया है, जिसका बिल / बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। मजदूरी मद पर रु 16700 दर्शित है, जो राशि स्वयं तत्कालीन प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया है।

ऐसी दशा में उपरोक्त दर्शित व्यय संदिग्ध फर्जी है जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गुजैनी

विकास खण्ड – बबेरु,

प्रस्तर संख्या-2 चेक संख्या 90646 दिनांक 09.11.2015 द्वारा रु. 120000 का भुगतान (रामलाल रैदास के घर से भाउराम के घर तक) खडंजा मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है परंतु खडंजा निर्माण संबंधी सामग्री क्रय व मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल अप्राप्त रहा, साथ ही मेसर्स चौरसिया ट्रेडर्स को भुगतान किया गया दर्शित है, स्पष्ट है मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है और 31.03.2016 तक कोई व्यय नहीं है। सामग्री क्रय का स्टॉक भी नहीं बनाया गया है और न ही प्रमाणक उपलब्ध है। अतः दर्शित व्यय व भुगतान संदिग्ध और फर्जी प्रतीत होते हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

भाग – ब मनरेगा अभिलेख भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त व अनुपलब्ध रहे। जिस संबंध में वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अछाह

विकास खण्ड – बबेरु,

प्रस्तर संख्या-3 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्ड पंपों की मरम्मत हेतु व्यय कोषबही में दर्शित है :-

दिनांक	धनराशि	विवरण	चेक सं.
29.05.2015	49906 रु	सामग्री क्रय अरुण मशीनरी स्टोर्स	160416
25.09.2015	14586 रु	सामग्री क्रय धनेश कुमार सेनेटरी	28747
14.10.2015	49045 रु	सामग्री क्रय अरुण मशीनरी स्टोर्स	28751
06.11.2015	45000 रु	सामग्री में अनिल कुमार गुप्ता	28752
04.02.2016	47430 रु	सामग्री क्रय अरुण मशीनरी स्टोर्स	28754
06.02.2016	60000 रु	सामग्री अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी	28755

14.03.2016	6000 रु	मजदूरी कमलेश कुमार	28759
16.03.2016	49870 रु	सामग्री क्रय अरुण मशीनरी स्टोर्स	28760
29.03.2016	5250 रु	मजदूरी महेश कुमार	101843
योग	327087 रु		

हैण्डपंप सामग्री क्रय / मरम्मत मजदूरी पर दर्शित भुगतान रु 370835 पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. हैण्डपंप खराब होने तथा उसकी मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रधान को आवेदन पत्र नहीं दिया गया है।
2. खराब / बिगड़े हैण्डपंपों की वास्तविक संख्या व उसकी मरम्मत पर होने वाले व्यय के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच तथा अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है।
3. उपरोक्त क्रम से स्पष्ट है कि मरम्मत सामग्री क्रय के नाम पर अत्यधिक धनराशि व्यय / भुगतान दर्शाया गया है, जबकि मजदूरी मरम्मत व्यय नाम मात्र का रहा, तुलनात्मक रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है।
4. हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध अप्राप्त रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय संदिग्ध फर्जी प्रतीत होता है जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

भाग – ब मनरेगा अभिलेख भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त व अनुपलब्ध रहे। जिस संबंध में वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – करुहली

विकास खण्ड – बबेरु,

प्रस्तर संख्या-4 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न व्यय कोषबही में दर्शित है : –

क्र.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	23.04.2015	1000 रु	समाचार पत्र सहारा विज्ञापन
2	20.04.2015	500 रु	समाचार पत्र नवकर्म युग विज्ञापन
3	20.04.2015	2000 रु	समाचार पत्र अमर उजाला विज्ञापन
4	20.05.2015	12038 रु	विज्ञापन व्यय एवं स्टेशनरी व्यय
5	04.06.2015	500 रु	इण्डिया विज्ञापन
6	04.06.2015	500 रु	लोकभारती विज्ञापन
7	17.06.2015	1000 रु	आज विज्ञापन
	योग	17536 रु	

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. विज्ञापन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अप्राप्त रही और विज्ञापन का औचित्य भी अस्पष्ट रहा।
2. विज्ञापन की पुष्टि में समाचार पत्र की कटिंग भी अनुपलब्ध रही, जिससे विज्ञापन का उद्देश्य अस्पष्ट रहा।
3. भुगतान संबंधित एजेन्सी के नाम से न कर कतिपय व्यक्तियों के नाम से किया गया है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है।
4. उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय फर्जी है, जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – करुहली

विकास खण्ड – बबेरु,

प्रस्तर संख्या-5 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्ड पंपों की मरम्मत हेतु व्यय कोषबही में दर्शित है : –

दिनांक	धनराशि	विवरण	चेक सं.
25.05.2015	46663 रु	सामग्री क्रय में. अनिल कुमार गुप्ता	160056
24.08.2015	7000 रु	मजदूरी महेश कुमार	28762
02.11.2015	40230 रु	सामग्री क्रय में. अनिल कुमार गुप्ता	28765
21.03.2016	45380 रु	सामग्री क्रय खान ट्रेडर्स	28773
21.03.2016	39870 रु	सामग्री क्रय खान ट्रेडर्स	28774
योग	179143 रु		

हैण्डपंप सामग्री क्रय / मरम्मत मजदूरी पर दर्शित भुगतान पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. हैण्डपंप खराब होने तथा उसकी मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रधान को आवेदन पत्र नहीं दिया गया है।

2. खराब / बिगड़े हैण्डपंपों की वास्तविक संख्या व उसकी मरम्मत पर होने वाले व्यय के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच तथा अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है।
3. उपरोक्त क्रम से स्पष्ट है कि मरम्मत सामग्री क्रय के नाम पर धनराशि व्यय / भुगतान 179143 रु दर्शाया गया है, जबकि मजदूरी मरम्मत व्यय 7000 रु का रहा, तुलनात्क रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है।
4. हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय / मरम्मत पर कुल 179143 रु का व्यय दर्शित है, जिसपर केवल 7000 रु मरम्मत व्यय सम्मिलित है।
5. 31.03.2016 को रु 85250 सामग्री पर व्यय दर्शाया गया परंतु उसका उपयोग नहीं हुआ है, क्रय सामग्री न तो स्टॉक में दर्ज है और न ही अगले वर्ष में उपयोग की पुष्टि कराई गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय संदिग्ध फर्जी प्रतीत है जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – करुहली

विकास खण्ड – बबेरु,

प्रस्तर संख्या-6 चेक सं. 28769 दिनांक 09.11.2015 द्वारा रु 52781 खडन्जा सामग्री क्रय हेतु जय मों दुर्गा ट्रेडर्स को किया गया दर्शित है, जिसे काटकर शौचालय मरम्मत भी दर्शाया गया है और चेक सं. 28770 दिनांक 09.11.2015 द्वारा उक्त कार्य को मजदूरी पर रु. 43410 देय दर्शाया गया। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

1. खडन्जा मरम्मत (राजकुमार के घर से बडरा के घर तक) हेतु अनुमानित व्यय पत्र / विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है।
2. खडन्जा मरम्मत पर दर्शित व्यय, मजदूरी देय, क्रय सामग्री की तुलना में अत्यधिक है।
3. सामग्री क्रय का प्रमाणक तथा मजदूरी से संबंधित मस्टररोल भी लेखा परीक्षा के दौरान अनुपलब्ध रहे।
4. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी अप्राप्त रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय संदिग्ध फर्जी प्रतीत है जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

भाग – ब मनरेगा अभिलेख भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त व अनुपलब्ध रहे। जिस संबंध में वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अरमार

विकास खण्ड – बबेरु,

प्रस्तर संख्या-7 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न व्यय कोषबही में दर्शित है : –

क्र.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	18.04.2015	2000 रु	अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र
2	18.04.2015	1000 रु	स्वारा दैनिक समाचार पत्र
3	21.04.2015	1000 रु	आज समाचार पत्र
4	23.04.2015	500 रु	नवकर्मयुग समाचार पत्र
5	25.04.2015	9500 रु	विज्ञापन समाचार पत्र
6	22.05.2015	2000 रु	लोकभारती विज्ञापन
7	22.05.2015	500 रु	श्री इण्डिया समाचार पत्र
8	31.05.2015	11500 रु	विज्ञापन समाचार पत्र
9	04.09.2015	3000 रु	समाचार पत्र विज्ञापन
	योग	31000 रु	

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. विज्ञापन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अप्राप्त रही और विज्ञापन का औचित्य भी अस्पष्ट रहा।
2. विज्ञापन की पुष्टि में समाचार पत्र की कटिंग भी अनुपलब्ध रही, जिससे विज्ञापन का उद्देश्य अस्पष्ट रहा।
3. भुगतान संबंधित एजेन्सी के नाम से न कर कतिपय व्यक्तियों के नाम से किया गया है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है।
4. सक्षम अधिकारी से अनुमति अप्राप्त रही।

उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय फर्जी है, जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — अरमार

विकास खण्ड — बबेरु,

प्रस्तर संख्या—8 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्ड पंपों की मरम्मत हेतु व्यय कोषबही में दर्शित है : —

दिनांक	धनराशि	विवरण	चेक सं.
14.05.2015	44200 रु	सामग्री क्रय में पटेल ट्रेडर्स	07924
23.05.2015	5250 रु	मजदूरी राजकिशोर	07923
25.05.2015	5000 रु	मजदूरी राजकिशोर	07927
20.06.2015	49970 रु	सामग्री में अनिल कुमार गुप्ता	07930
25.07.2015	4950 रु	मजदूरी राजकिशोर	07933
25.07.2015	38795 रु	सामग्री में अनिल कुमार गुप्ता	07934
25.07.2015	5000 रु	मजदूरी हरिनारायण	07931
07.09.2015	42500 रु	सामग्री में अनिल कुमार गुप्ता	07939
06.11.2015	49500 रु	सामग्री में अनिल कुमार गुप्ता	90605
16.03.2015	8250 रु	मजदूरी राजकिशोर	90608
19.03.2015	42340 रु	सामग्री में अनिल कुमार	90610
19.03.2015	49570 रु	सामग्री में अग्रवाल ट्रेडिंग	90611
29.03.2015	4500 रु	मरम्मत रमेश मिस्त्री	90609
30.03.2015	48930 रु	सामग्री अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी	90612
योग	398805 रु		

365855 (सामग्री क्रय) + 32950 (मजदूरी) = 398805 (कुल व्यय राशि)

हैण्डपंप सामग्री क्रय / मरम्मत मजदूरी पर दर्शित भुगतान पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. हैण्डपंप खराब होने तथा उसकी मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रधान को आवेदन पत्र नहीं दिया गया है।
2. खराब / बिगड़े हैण्डपंपों की वास्तविक संख्या व उसकी मरम्मत पर होने वाले व्यय के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच तथा अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है।
3. उपरोक्त क्रम से स्पष्ट है कि मरम्मत सामग्री क्रय के नाम पर अत्यधिक धनराशि व्यय / भुगतान दर्शाया गया है, जबकि मजदूरी मरम्मत व्यय नाम मात्र का रहा, तुलनात्मक रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है।
4. हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध अप्राप्त रहा।

उपरोक्त तथ्यों से हैण्डपंप मरम्मत पर दर्शित व्यय फर्जी व संदिग्ध है, जिसकी क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

भाग — ब मनरेगा अभिलेख भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त व अनुपलब्ध रहे। जिस संबंध में वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — बरईमानपुर

विकास खण्ड — महुआ,

प्रस्तर संख्या—9 ग्राम निधि खाता संख्या 50044885309 अगस्त 2015 में (राज्य वित एवं तेरहवां व चौदहवां वित से विभिन्न तिथियों में रुपया 64617.00 आहरित निम्न है।

दिनांक	धनराशि
13.08.2015	100000 रु
13.08.2015	5000 रु
13.08.2015	5000 रु
17.08.2015	6000 रु
18.08.2015	27465 रु
24.08.2015	6000 रु
31.08.2015	5152 रु
योग	64617 रु

उपरोक्त आहरित राशि रुपया 64617.00 का लेखा कैश बुक में अंकित नहीं किया और ना ही पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। स्पष्ट है कि आहरित धनराशि 64617.00 का बिना लेखा किये सीधा अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित रुपया 32308.50 श्री ओम प्रकाश पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रुपया 32308.50 श्री अमृत लाल गिरि ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — देवरार**विकास खण्ड — महुआ,**

प्रस्तर संख्या—10 ग्राम निधि खाता संख्या 5004487002 से दिनांक 07.10.2015 को चेक संख्या 217236 से चन्द्रपाल के खेत के पास पुलिया निर्माण के मद में 52050 कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया। लेकिन पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त कार्य की पुष्टि ने कार्य योजना, अनुमानित व्यय, निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अन्य पुष्टि प्रमाणक नहीं रहें। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पुलिया निर्माण की सामग्री क्रय फर्जी दर्शाकर रुपया 52050 का अपहरण किया गया। इसकी वसूली ब्याज संहित रुपया 26025 श्री ओमप्रकाश पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रुपया 26025 श्री भवानीदीन यादव ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — काजीपुर**विकास खण्ड — महुआ,**

प्रस्तर संख्या—11 ग्राम निधि खाता संख्या 5044872582 से दिनांक 18.05.2015 को चेक संख्या 012732 से रुपया 19780.00 हैण्डपंप मरम्मत सामग्री के मद में आहरित किया गया जिसका लेखा कैश बुक में तो किया गया है लेकिन पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टि प्रमाणपत्र उपलब्ध ना रहने से किया गया व्यय अपुष्ट रहा। जैसे क्रय सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्शित थी या नहीं स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध रहा। जैसे क्रय में शासनादेश संख्या ए-1-864(1) दस-2008-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया ऐसी दशा में स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रुपया 19780.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ब्याज संहित 9890.00 से ओम प्रकाश पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रुपया 9890.00 श्रीमति सुमित्रा देवी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — काजीपुर**विकास खण्ड — महुआ,**

प्रस्तर संख्या—12 ग्राम निधि खाता संख्या 5044872582 से दिनांक 29.09.2015 को चेक संख्या 151255 से रुपया 7344.00 फोटोकापी व्यय मद में आहरित किया गया जिसका लेखा कैश बुक में तो किया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न रहने से व्यय की पुष्टि ना कि जा सकी। स्टेशनरी उपभोग पंजीका भी प्रस्तुत नहीं रही। अतः रुपया 7344.00 व्यय फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। इसकी वसूली ब्याज संहित रु 3672.00 से ओम प्रकाश पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रुपया 3672.00 श्रीमति सुमित्रा देवी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — बछेई**विकास खण्ड — महुआ,**

प्रस्तर संख्या—13 ग्राम निधि खाता संख्या 50044882716 से दिनांक 07.04.2015 से चेक संख्या 143305 से रुपया 35520.00 नाला निर्माण मजदूरी (जानकी से काला चरण तक) के मद में आहरित किया गया जिसका लेखा कैश बुक में तो किया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न रहने से व्यय की पुष्टि ना कि जा सकी। इसकी वसूली ब्याज संहित रु 35520.00 से ओम प्रकाश पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान जगतराज से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — बछेई**विकास खण्ड — महुआ,**

प्रस्तर संख्या—14 ग्राम निधि खाता संख्या 50044882716 से दिनांक 06.11.2015 से चेक संख्या 143313 से रुपया 20050.00 हैण्डपंप प्लेटफार्म निर्माण सामग्री के मद में आहरित कैश बुक में तो किया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न रहने से व्यय की पुष्टि ना कि जा सकी। जैसे क्रय सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्शित थी या नहीं स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध रहा। जैसे क्रय में शासनादेश संख्या ए-1-864(1) दस-2008-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया ऐसी दशा में स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रुपया 20050.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ब्याज संहित 10025.00 से ओम प्रकाश पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रुपया 10025.00 ग्राम प्रधान जगतराज से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – नरजिता

विकास खण्ड – जसपुरा,

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम निधि खाता संख्या 50044905610 में (राज्य वित्त एवं तेरहवां व चौदहवां वित्त से विभिन्न तिथियों में रुपया 92000.00 आहरित निम्न है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	चेक सं.	विवरण (कार्य का)
1	26.06.2015	15000 रु	026608	प्रिया साफ्ट की फीडिंग के लिए
2	03.10.2015	57000 रु	090803	मजदूरी
3	02.06.2015	10000 रु	013480	जानवरों के लिए जल।
4	12.06.2015	10000 रु	026605	जानवरों के लिए जल।
	योग	92000 रु		

उपरोक्त आहरित राशि रुपया 92000.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रमाणक विहीन धनराशि की वसूली ब्याज सहित रुपया 46000.00 श्री दिनेश कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रुपया 46000.00 श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – खण्डिहा खुर्द

विकास खण्ड – जसपुरा,

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम निधि खाता संख्या 50044904683 में (राज्य वित्त एवं तेरहवां व चौदहवां वित्त से विभिन्न तिथियों में रुपया 50000.00 आहरित निम्न है।

क्र.	दिनांक	धनराशि
1	01.04.2015	50000 रु
2	01.05.2015	50000 रु
3	01.06.2015	50000 रु
4	01.07.2015	50000 रु
5	01.08.2015	50000 रु
6	01.09.2015	50000 रु
7	01.10.2015	50000 रु
8	01.11.2015	50000 रु
9	01.12.2015	50000 रु
	योग	450000 रु

उपरोक्त आहरित राशि रुपया 450000.00 का लेखा कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है, और न ही व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है। प्रमाणक विहीन धनराशि की वसूली ब्याज सहित रुपया 225000.00 श्री दिनेश कुमार (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) एवं रुपया 225000.00 श्री राजेश ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चंदवारा

विकास खण्ड – जसपुरा,

प्रस्तर संख्या-17 कैशबुक वर्ष 2014-15 की जांच में पाया गया कि दि० 06.08.2014 को चेक संख्या – 162645 द्वारा रु 56960.00 का आहरण किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक से की गयी, किन्तु उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में रु 54960.00 का किया गया है। इस प्रकार कैशबुक में रु 2000.00 से कम आय का लेखा करके धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमति आकांक्षी सिंह तत्कालीन प्रधान व श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ग्रा०वि०अधि० से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रानीपुर

विकास खण्ड – नरैनी,

प्रस्तर संख्या-18 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा० निधि खाता 50044912005 से दि० 23.04.15 को सी०सी० सामग्री हेतु रु 74658 एवं दिनांक 20.05.15 को सी०सी० सामग्री हेतु रु 53372- दि० 23.07.15 सी०सी० सामग्री हेतु रु 82134 दि० 03.10.2015 सा०सी० सामग्री हेतु रु 58093.00 दिनांक 16.10.15 सी०सी० सामग्री हेतु रु 54111.00 व्यय कैश में दर्ज है सामग्री का विवरण स्टॉक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः व्यय अपुष्ट रहा। जो शासनादेश सं० ए-1-864(1)/दस-2008-15(1) 86 दि० 23.09.2008 का पालन नहीं लिखा गया। अतः ग्राम पं० अधिकारी श्री कान्त गुप्ता से रुपया 161184 एवं प्रधान श्री महेश से रु 161184.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पुरैनिया**विकास खण्ड – नरैनी,**

प्रस्तर संख्या-19 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044911964 से दि0 17.07.15 को चेक सं0 151245 से रु 121369- एवं दिनांक 22.08.15 को चेक सं0 036922 द्वारा 121805.00 सी0सी0 निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान कैश बुक में दर्शाया है सामग्री का विवरण स्टॉक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः व्यय अपुष्ट रहा। जो शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं लिखा गया। अतः सचिव श्री कान्त गुप्ता से रुपया 121587 एवं प्रधान श्रीमति रामरति से रु 121587.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – दुवरिया**विकास खण्ड – नरैनी,**

प्रस्तर संख्या-20 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044911635 से दि0 29.07.13 को रु 1197200 दिनांक 20.08.2013 को रु 85700.00 दिनांक 04.09.13 को रु 100053.00 दिनांक 09.09.13 को रु 4000.00 दिनांक 21.09.13 को 149427.00 सी0सी0 निर्माण हेतु सामग्री क्रय ली गई। सामग्री का विवरण स्टॉक रजि0 और न ही व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। जो शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं लिखा गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु 494900.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली अतः सचिव श्री विनय कुमार सिंह से रुपया 247450.00 एवं प्रधान श्रीमति मुन्नी बेगम से रु 247450.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – नीवी**विकास खण्ड – नरैनी,**

प्रस्तर संख्या-21 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044911760 से दि0 03.06.15 को विविध सामग्री हेतु रु 192923.00 एवं दिनांक 01.08.2015 को विविध सामग्री हेतु रु 64450.00 एवं दिनांक 28.09.15 विविध सामग्री हेतु रु 101796 का व्यय कैश बुक में दर्ज है। विविध सामग्री का विवरण एवं स्टॉक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। जो शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं लिखा गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु 359170.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली अतः सचिव श्री कान्त गुप्ता से रुपया 179585.00 एवं प्रधान श्री राममिलन से रु 179585.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गोवरा**विकास खण्ड – नरैनी,**

प्रस्तर संख्या-22 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044910552 से दि0 14.07.15 को मोरम हेतु रु 51471.00 एवं दि0 01.09.15 को मोरम हेतु रु 101471.00 का व्यय कैश बुक में दर्ज है। परंतु मोरम का विवरण एवं स्टॉक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। जो शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं लिखा गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु 153004.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली अतः सचिव श्री रवीन्द्र कुमार सिंह से रुपया 76502.00 एवं प्रधान श्री महेश प्रसाद से रु 76502.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पुकारी**विकास खण्ड – नरैनी,**

प्रस्तर संख्या-23 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044910132 से दि0 16.04.15 को नाली निर्माण हेतु सामग्री रु 45050.00 एवं दि0 11.05.15 को रु 64864.00, एवं दि0 14.07.15 को रु 63904.00, एवं दि0 14.07.15 को रु 109356.00, एवं दि0 08.08.15 को रु 70482.00 की सामग्री कम दर्शित की गई। सामग्री का विवरण स्टॉक रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये। जो शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं लिखा गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु 353656.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली अतः सचिव श्री मुकेश कुमार से रुपया 176828.00 एवं प्रधान श्रीमति गौरा देवी से रु 176828.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

जनपद—चित्रकूट

ग्राम पंचायत — भौरी

विकासखण्ड — मानिकपुर

आपत्ति पत्र वर्ष 2013—14 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—1— वर्ष 2013—14 से 2015—16 (1.04.2015 से 31.12.2015 तक) ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा की गयी। जिसमें ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों पर व्यय निम्न विवरण के अनुसार है।

क्र० सं०	कराये गये कार्य (मद)	वर्ष 2013—14	वर्ष 2014—15	वर्ष 2015—16 (01.04.15 से 31.12.15 तक)	योग
1	हैण्डपम्प मरम्मत	170491.00	133600.00	2494.00	553491.00
2	सोलर लाइट	41600.00	326914.00	186808.00	555322.00
3	स्ट्रीट लाइट	90748.00	—	—	90748.00
4	पुलिया निर्माण	119825.00	25500.00	—	145325.00
5	पं०भवन जीर्णोद्धार एवं पं०भवन के सामने नाली, फर्श व चबूतरा मरम्मत	600421.00	33540.00	—	633961.00
6	पं०भवन में विद्युतीकरण एवं सी०एफ०एल० बल्ब	—	87570.00	—	87570.00
7	नाली निर्माण	179875.00	415196.00	41540.00	636611.00
8	नाली मरम्मत	179054.00	—	129873.00	308927.00
9	विद्यालयों में शौचालय मरम्मत	21398.00	—	59873.00	81271.00
10	कूप मरम्मत	—	63000.00	65940.00	128940.00
11	खडंजा मरम्मत	—	93330.00	227941.00	321271.00
12	मोरमीकरण	15620.00	6958.00	—	22578.00
13	सी०सी० रोड निर्माण	4435308.00	1299059.00	1239327.00	6973694.00
14	डब्लू०बी०एम० रोड निर्माण	663200.00	250440.00	164454.00	1078094.00
15	पानी की टंकी व बाथरूम मरम्मत	16259.00	—	—	16259.00
16	नाला सफाई एवं कूड़ा उठाई	33820.00	—	—	33820.00
योग—		6567619.00	2735107.00	2365156.00	11667882.00

उपरोक्त के क्रम में निम्न बिन्दु रहे—

- 1— मरम्मत किये गये हैण्डपम्प, सोक्ता गडढा, चबूतरा आदि का स्थान नहीं दर्शित था।
- 2— ग्राम पंचायत में कुल हैण्डपम्पों की संख्या उपलब्ध नहीं थी।
- 3— मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों के अगल—बगल रहने वालों से मरम्मत किये जाने की पुष्टि प्रमाण पत्र नहीं पाये गये।
- 4— क्षेत्र पंचायत स्तर पर तैनात जल निगम कर्मियों की कोई जांच आख्या नहीं पाई गयी।
- 5— मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों से निकली निस्प्रोज्य सामग्री (पीतल ब्रास, लोहे की छड़, नट—बोल्ट आदि) को स्टॉक रजिस्टर में न दर्शाकर क्रय सामग्री का 40 प्रतिशत को ग्राम पंचायत के आय पक्ष में दर्शित नहीं था।
- 6— हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित व्यय प्रमाणको (बाउचरो) सहित क्रय सामग्री एवं श्रमिकों को भुगतानित धनराशि के मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।
- 7— निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत में गठित निर्माण समिति का योगदान नगण्य रहा।
- 8— क्रय सामग्री पर भुगतानित व्यापार कर, आयकर, रायल्टी आदि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।
- 9— उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहे।
- 10— कराये गये कार्यों की परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि ग्राम निधि खाता— 59001179397 इलाहाबाद बैंक मानिकपुर से आहरित धनराशि रु० 11667882.00 फर्जी लेखा कर तत्कालीन ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीरामेश्वर प्रसाद दोनों द्वारा अपहरण किया गया। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद दोनों से आधा—आधा रु० 11667882.00 की वसूली तात्तरीख ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 4)

प्रस्तर संख्या-2- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के वर्ष 2013-14 से 2015-16 (1.04.2015 से 31.12.2015 तक) के व्यय पक्ष में प्रधान का मानदेय निम्न विवरणानुसार दर्शित था।

क्र०सं०	दिनांक	विवरण (माह)	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 (01.04.15 से 31.12.15)	योग
1	10.06.2013	फरवरी 13 से जून 13 तक 750ग5	3750	—	—	3750
2	31.08.2013	जुलाई 13 व अगस्त 13 750ग2	1500	—	—	1500
3	31.12.2013	सितम्बर 13 व नवम्बर 13 750ग3	2250	—	—	2250
4	24.02.2015	दिसम्बर 13 व जनवरी 14 2500ग2	—	5000	—	5000
5	09.04.2015	फरवरी 14 से मई 14 2500ग4	—	—	10000	10000
6	11.04.2015	जून-14 2500ग1	—	—	2500	2500
7	15.04.2015	जुलाई-14 2500ग1	—	—	2500	2500
8	18.04.2015	सितम्बर-13 व अक्टूबर-13	—	—	2000	2000
9	18.04.2015	नवम्बर-13	—	—	2000	2000
10	06.05.2015	अगस्त-14 व सितम्बर-14 2500ग2	—	—	5000	5000
11	12.05.2015	अक्टूबर 14 से मई-15 2500ग8	—	—	20000	20000
12	13.07.2015	दिसम्बर-13 से सितम्बर-14 750ग10	—	—	7500	7500
13	04.11.2015	जून-15 से सितम्बर-15 2500ग4	—	—	10000	10000
14	07.11.2015	अक्टूबर-15 2500ग1	—	—	2500	2500
योग-			7500	5000	64000	76500

उपरोक्त के क्रमानुसार प्रधान का मानदेय फरवरी 13 से अक्टूबर 15 तक देना दर्शित है। फरवरी 13 से नवम्बर 13 तक प्रधानों को रू० 750/- प्रतिमाह की दर से देय था

(1) इस प्रकार से क्रमांक 8 व 9 पर दर्शित मानदेय फर्जी दर्शित किया गया है क्योंकि उक्त क्रमांक 8 व 9 पर सितम्बर 13 व अक्टूबर 13 तथा नवम्बर 13 का मानदेय देना दर्शित था, जो बिना दर के उल्लेख किये दिया गया है जो रू० 2000+2000=4000/- होता है। साथ ही क्रमांक 12 पर दिनांक 13.07.2015 को दिसम्बर- से सितम्बर-14 तक 10 माह का मानदेय 750ग10=7500 प्रधान को दुबारा भुगतान किया गया दर्शित था। अतः कुल रू० 4000+7500=11500/- कैशबुक में प्रधान को फर्जी मानदेय देना दर्शित कर ग्रा०प०वि० अधिकारी श्री राजेश कुमार तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद दोनों द्वारा अपहरण किया गया है। अतः दोनों से आधा-आधा रू० 11500.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(2) शेष रू० 65000/- जो प्रधान को मानदेय कैशबुक में देना दर्शित है की पुष्टि में मानदेय रजि०, एवं भुगतानित धनराशि की प्राप्ति रसीद प्रधान से प्राप्त नहीं थी, जिससे भुगतानित धनराशि रू० 65000/- का अनियमित रूप से लेखा कर अनियमिता की गयी। अतः तत्कालीन ग्रा०प०वि० अधिकारी श्री राजेश कुमार व ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद दोनों पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 5)

प्रस्तर संख्या-3 लेखा परीक्षा में वर्ष 13-14 से 15-16 तक की प्रस्तुत कैशबुक के व्यय पक्ष में निम्न विवरण के अनुसार प्रशासनिक रूप में व्यय/भुगतानित धनराशियों के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें भुगतानिक धनराशि रू० 250502.00 की व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार रू० 250502.00 का तत्कालीन ग्रा०प०वि० अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः ग्रा०प०वि० अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद दोनों से रू० 250502.00 आधा-आधा तात्तरीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

दिनांक	वर्ष 2013-14 विवरण	धनराशि
29.04.2013	शरद अर्चना एण्ड कम्पनी सी०ए० को	8000.00
27.06.2013	स्टेशनरी	5000.00
01.07.2013	फावडा, गैती, आदि क्रय	5000.00
17.07.2013	खुली बैठक में जलपान व्यवस्था	4500.00
03.08.2013	सफाई किट (गाड़ी, तसला, फावडा) क्रय	14000.00
19.08.2013	प्रिया साफ्ट फीडिंग	1000.00
31.08.2013	फोटोकापी	327.00
06.11.2013	पं०भवन में दीवार लेखन	3000.00
24.12.2013	पं० भवन में मेज कुसी क्रय	37050.00
26.02.2014	फोटोकापी	27.07.00
29.03.2014	कैमरा क्रय	6490.00

31.03.2014	साइबर फ़ैफ़े इन्फोसिस से कम्प्यूटर व फोटोकापी क्रय	65500.00
31.03.2014	फोटोकापी	90.00
वर्ष 2013-14 का योग-		152664.00
दिनांक	वर्ष 2014-15 विवरण	धनराशि
03.05.2014	पं० भवन हेतु कूलर पंखा आदि	32500.00
10.05.2014	स्टेशनरी क्रय	3000.00
11.06.2014	फोटोकापी	320.00
06.08.2014	नवकर्मयुग प्रकाशन में टेण्डर	3920.00
31.08.2014	कम्प्यूटर हेतु कुर्सी व टेबल	3900.00
31.08.2014	परदा 12 नग, पाइप गाइडर आदि	8100.00
31.08.2014	तौलिया, बेडसीट, रेक्सीन गद्दा, तकिया आदि	4004.00
15.09.2014	फोटो महापुरुषों की 25 नग	2500.00
15.09.2014	मटका, प्लास्टिक बाल्टी आदि	1500.00
15.09.2014	तख्त, लकड़ी का	3000.00
15.09.2014	पं०भवन में चल रहे कार्यों की फोटोग्राफी	2000.00
21.10.2014	झाड़ू, साबुन, एसिड, मिनरल	396.00
21.10.2014	खुली बैठक हेतु मुनादी	2000.00
21.10.2014		1500.00
26.11.2014	मेज हेतु काँच क्रय	1500.00
26.11.2014	पं० भवन हेतु	200.00
26.11.2014	फोटोकापी	232.00
23.02.2015	स्टेशनरी	2514.00
30.03.2015	फोटोकापी	3000.00
30.03.2015	फोटोकापी	3000.00
वर्ष 2014-15 का योग-		79086.00
दिनांक	वर्ष 2014-15 विवरण	धनराशि
23.05.2015	अभय टी०बी० की सी०सी० बनवाई	5000.00
29.07.2015	फोटोकापी	415.00
30.07.2015	सफाई सामग्री	8000.00
18.08.2015	फोटोकापी	23.00
24.09.2015	फोटोकापी	59.00
17.10.2015	फावडा एवं तसला क्रय	960.00
07.11.2015	प्रशासनिक सामग्री	4295.00
वर्ष 2015-16 का योग-		18752.00
महायोग-		250502.00

(मू०आ०सं० 6)

ग्राम पंचायत-मडैयन

विकासखण्ड-मानिकपुर

प्रस्तर संख्या-4- वर्ष 2015-16 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा की गयी, जिसमें दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.11.2015 की अवधि में राज्य वित्त/13वें वित्त से ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों पर व्यय निम्न विवरण के अनुसार है।

क्र०	कराये गये कार्य (मद)	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	154102.00
2	सोलर लाइट	93404.00
3	प्रा०वि० मडैयन में शौचालय मरम्मत एवं खिडकी लगवाई	22072.00
4	कूपों की मरम्मत/सफाई	59906.00
5	आगनबाडी केन्द्र मरम्मत	59978.00
6	पुलिया मरम्मत	49025.00
7	नाली मरम्मत	169858.00
8	खडन्जा मरम्मत	685575.00
योग-		1293920.00

उपरोक्त के क्रम में निम्न बिन्दु रहे—

- 1— मरम्मत किये गये हैण्डपम्पो का स्थान नहीं दर्शित था।
- 2— ग्राम पंचायत में कुल हैण्डपम्प की संख्या उपलब्ध नहीं थी।
- 3— मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों के अगल-बगल रहने वालों से मरम्मत किये जाने का प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया।
- 4— क्षेत्र पंचायत स्तर पर तैनात जल निगम कर्मियों की कोई जांच आख्या नहीं पायी गयी।
- 5— मरम्मत किये गये हैण्डपम्पो से निकाली गयी निस्प्रोज्य सामग्री को स्टाक रजिस्टर में न दर्शाकर क्रय सामग्री का 40 प्रतिशत को ग्राम पंचायत के आय पक्ष में दर्शित नहीं था।
- 6— हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित (बाउचर) व्यय प्रमाणकों सहित क्रय सामग्री एवं श्रमिकों को भुगतानित धनराशि के मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 7— निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत में गठित निर्माण समिति का योगदान नगण्य रहा।
- 8— क्रय सामग्री पर भुगतानित व्यापार कर आयकर, रामल्टी आदि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।
- 9— उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं रहा।
- 10— कराये गये कार्यों की परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि ग्रामनिधि खाता 59001199926 इलाहाबाद बैंक मानिकपुर से आहरित धनराशि रु० 1293920.00 फर्जी लेखा कर तत्कालीन ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः ग्रा०वि० अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार दोनों से आधा-आधा तातारीख रु० 1293920.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 4)

ग्राम पंचायत— रुकमाखुर्द विकासखण्ड—मानिकपुर

प्रस्तर संख्या—5— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 01.11.2014 से 31.03.2015 के मध्य में ग्रामनिधि खाता 59001179411 से निम्नलिखित तिथियों में धन का आहरण/भुगतानित किया गया। किन्तु उक्त अवधि में आहरित धन कर पुष्टि में उक्त अवधि की कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि आहरित भुगतानित धनराशि रु० 769981.00 का तत्कालीन ग्राम पंचायत वि० अधिकारी श्री भूषण प्रसाद एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्यनारायण दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः श्री भूषण प्रसाद एवं श्री सत्यनारायण दोनों से आधा-आधा तातारीख ब्याज सहित रु० 769981.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है—

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	05.11.2014	005614	5000.00
2	07.11.2014	005615	88012.00
3	07.11.2014	005613	94978.00
4	07.11.2014	005611	89340.00
5	07.11.2014	005612	91377.00
6	10.11.2014	005617	95090.00
7	10.11.2014	005618	93282.00
8	13.11.2014	005616	31170.00
9	26.11.2014	005619	88594.00
10	26.11.2014	005620	93138.00
योग—			769981.00

(मू०आ०सं० 6)

ग्राम पंचायत— निंही

विकासखण्ड—मानिकपुर

प्रस्तर संख्या—6— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 01.11.2014 से 10.02.2015 तक की अवधि में ग्राम निधि खाता 59001201891 इलाहाबाद बैंक मानिकपुर से निम्नलिखित तिथियों में धन का आहरण/भुगतानित किया गया। किन्तु उक्त अवधि में आहरित धन की पुष्टि में उक्त अवधि की कैशबुक व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि आहरित/भुगतानित धनराशि रु० 782228.00 का तत्कालीन ग्राम पंचायत वि०

अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर दोनो द्वारा अपहरण किया गया। अतः श्री सतीश कुमार पाण्डेय व श्री रमाशंकर दोनो से आधा-आधा तातारीख ब्याज सहित रु0 782228.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	03.11.2014	009021	2000.00
2	15.11.2014	009024	36972.00
3	24.11.2014	009025	11700.00
4	25.11.2014	009026	31752.00
5	25.11.2014	009027	63800.00
6	25.11.2014	009028	117172.00
7	25.11.2014	009029	92463.00
8	25.11.2014	009030	21600.00
9	29.12.2014	009610	48300.00
10	30.12.2014	009606	42096.00
11	30.12.2014	009607	99274.00
12	30.12.2014	009608	113211.00
13	30.12.2014	009611	38640.00
14	30.12.2014	009612	4000.00
15	03.01.2015	009609	52948.00
16	08.01.2015	009613	3300.00
17	03.02.2015	—	2000.00
18	10.02.2015	—	1000.00
योग-			782228.00

(मू०आ०सं० 6)

ग्राम पंचायत — छिपनी बाहर खेडा

विकासखण्ड — कर्वी

प्रस्तर संख्या-7 ग्राम पंचायत की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 17.06.2015 में बैंक खाते से मु० 5000/- का आहरण किया गया। आहरित धन का लेखा आय पक्ष में दर्शित परन्तु व्यय पक्ष में दर्शित नहीं रहा। इस प्रकार मासान्त में हस्तगत रोकड शेष रु० 5000/- शेष होना चाहिये। परन्तु रोकड बही में हस्तगत रोकड शून्य दिखाया गया इस प्रकार हस्तगत रोकड शेष दिखाकर रु० 5000/- का अपहरण किया गया जिसे तत्कालीन ग्राम प्रधान राजकरन यादव व सचिव राम कृष्ण चन्देल से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आप०सं०-भाग 2(ख)-1)

ग्राम पंचायत- दुग्गा

विकासखण्ड-कर्वी

प्रस्तर संख्या-8-आलोच्य वर्ष 2015-16 में मॉरगीकरण कार्य हेतु निम्नांकित तिथियों में मॉरंग क्रय हेतु व्यय दर्शाया गया जिसके उपयोग की पुस्टि में श्रम व्यय शून्य रहा तथा क्रय सामग्री का स्टॉक भी अवशेष के रूप में दर्शित नहीं रहा।

क्र०	दिनांक	सामग्री क्रय व्यय	श्रम व्यय
1	27.04.2015	10000.00	0
2	01.05.2015	10000.00	0
3	01.05.2015	10000.00	0
4	01.05.2015	30000.00	0
योग-		60000.00	शून्य

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि अनियमित रूप से सामग्री क्रय व्यय दिखाकर मु० 60000/- (साठ हजार रुपये) का दुरुपयोग किया गया है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती गोलिनिया देवी व तत्कालीन ग्राम पं० वि० अधिकारी सुरेश यादव से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बनाडी

विकासखण्ड-कर्वी

प्रस्तर संख्या-9- दिनांक 28.09.2015 में बैंक पासबुक अनुसार चेक संख्या 59949 से रु० 9200/- आहरित किया गया जिसका लेखा कैशबुक में पारित नहीं किया गया। इस प्रकार आहरित धन का लेखा कैशबुक में पारित न कर रु० 9200/- का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुकुरी

देवी व ग्राम विकास अधिकारी धर्मपाल यादव से बराबर-बराबर तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० भाग 2 ख-1)

ग्राम पंचायत- ताम्रबनी

विकासखण्ड-कर्वी

प्रस्तर संख्या-10 आलोच्य वर्ष 2015-16 में मोरंगी करण हेतु मोरंग क्रय दिनांक 21.04.2015 में रु० 8000/-, दिनांक 08.05.2015 में रु० 10000/-, दिनांक 15.05.2015 में रु० 10000/- व दिनांक 31.05.2015 में रु० 10000/- कुल योग- 38000/- रु० व्यय दिखाया गया है आलोच्य वर्ष में उक्त सामग्री के उपयोग की पुष्टि में श्रम व्यय दर्शित नहीं रहा श्रमिक के बगैर मोरंगी करण कार्य असम्भव है। वर्षान्त में उपरोक्त स्टाक शेष के रूप में दर्शित नहीं रहा इससे स्पष्ट है कि अनियमित रूप से व्यय दिखाकर मु० 38000/-रु० का दुरुपयोग किया गया है जिसे तत्कालीन ग्राम प्रधान दयानन्द से सचिव लीलाधर शुक्ला से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० भाग-2(ख)1)

ग्राम पंचायत- खोही

विकासखण्ड-कर्वी

प्रस्तर संख्या-11- दिनांक 18.04.2015 में खाता संख्या 50045849336 इलाहाबाद बैंक शाखा कर्वी से 192316.00 रु० का आहरण किया जिसका लेखा कैशबुक के आय पक्ष में दर्शित रहा। व्यय पक्ष में उक्त धनराशि बैंक खाते में जमा दर्शाया गया। जबकि बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 18.04.2015 में खाते से 192316.00 रु० का आहरण किया गया था। इस प्रकार भ्रामक लेखा पारित कर मु० 192316/-रु० का अपहरण किया गया जिसे तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री छक्कीलाल व सचिव श्री जगदीश कुशवाहा से तातारीख मय ब्याज बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० भाग-2(ख)-1)

ग्राम पंचायत- सुरसेन

विकासखण्ड-पहाडी

प्रस्तर संख्या-12- लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीचन्द्रभान सिंह द्वारा वर्ष 2015-16 के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये जबकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-2015 से बकाया थी और श्री चन्द्रभान सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ही वर्ष 2014-15 में कार्यरत थे।

ग्राम निधि खाता संख्या 50045004085 इलाहाबाद बैंक शाखा राजापुर के वर्ष 2014-15 के बैंक समाधान विवरण पत्र अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित/हस्तान्तरित चेको का विवरण निम्न प्रकार था-

क्र०	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	04.04.2014	सुभाष चन्द्र मिश्र	004654	74124.00
2	09.04.2014	सुभाष चन्द्र मिश्र	004655	205100.00
3	09.04.2014	सुभाष चन्द्र मिश्र	004652	1000.00
4	12.04.2014	त्रिपाठी ट्रेडर्स	004656	215100.00
5	29.05.2014	एवन इण्टर	004657	6490.00
6	18.06.2014	साई ट्रेडर्स	004658	210150.00
7	23.06.2014	साई ट्रेडर्स	004659	215210.00
8	01.08.2014	साई ट्रेडर्स	004660	5110.00
9	27.10.2014	साई ट्रेडर्स	004661	40000.00
10	07.11.2014	साई ट्रेडर्स	004663	40000.00
11	07.11.2014	साई ट्रेडर्स	004664	105000.00
12	27.11.2014	साई ट्रेडर्स	004662	5000.00
13	28.11.2014	साई ट्रेडर्स	004665	50220.00
14	18.03.2015	साई ट्रेडर्स	004666	110500.00
15	18.03.2015	साई ट्रेडर्स	004667	97500.00
16	20.03.2015	साई ट्रेडर्स	004668	95800.00
17	20.03.2015	साई ट्रेडर्स	004669	96200.00
योग-				1572504.00

उपरोक्त आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 1572504.00 की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत न रहने से हस्तान्तरित/आहरित धनराशि रु० 1572504/- अपहरित, दुरुपयोगित एवं अनियमित प्रतीत होती है।

उपर्युक्त हस्तान्तरित/आहरित धनराशि के अभिलेख न बनाये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ-साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिम्मेदार रहे क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 1572504.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र मिश्र से रु0 786252.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से रुपया 786252.00 ब्याज सहित तातारीख अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— जमहिल

विकासखण्ड—पहाडी

प्रस्तर संख्या—13— प्रस्तुत कैंशबुक से निर्मित खण्डजा साइडवाला सहित प्राथमिक विद्यालय से अगस्त्य मुनि के दरवाजे के पास तक, के ऊपर किये व्यय का विवरण निम्न प्रकार दर्शित था।

क्र०	दिनांक	विवरण	अहरित धनराशि	सामग्री पर	श्रम पर
1	27.07.2015	कामदगिरी ट्रेडर्स पहाडी	33000.00	33000.00	—
2	07.08.2015	कामदगिरी ट्रेडर्स पहाडी	22000.00	22000.00	—
3	10.08.2015	करीगर एवं श्रमिकों को मजदूरी	13500.00	—	13433.00
4	24.09.2015	कामदगिरी ट्रेडर्स पहाडी	20000.00	20000.00	—
5	30.09.2015	कामदगिरी ट्रेडर्स पहाडी	25000.00	25000.00	—
6	30.09.2015	कामदगिरी ट्रेडर्स पहाडी	70000.00	70000.00	—
7	29.10.2015	करीगर एवं श्रमिकों को मजदूरी	5000.00	—	4970.00
8	10.02.2016	करीगर एवं श्रमिकों को मजदूरी	5000.00	—	4970.00
9	10.02.2016	करीगर एवं श्रमिकों को मजदूरी	5000.00	—	4970.00
योग—			198500.00	170000.00	28343.00

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे—

- 1— सामग्री क्रय में शासनादेश संख्या ए—1864(1)/दस—2008—15 (1) 86 दिनांक 23.09.08 का पालन नहीं किया गया था।
- 2— क्रय सामग्री स्टॉक रजिस्टर अन्तर्गत थी या नहीं स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं था।
- 3— कार्य के सन्दर्भ में न तो कार्य माप पुस्तिका बनायी गयी और न ही कार्य का मापन एवं मूल्यांकन किया गया था।
- 4— क्रय निर्माण सामग्री पर आयकर एवं व्यापारकर नहीं काटा गया।
- 5— गठित निर्माण समिति का योगदान शून्य पाया गया।
- 6— श्रम के बदले श्रमिकों को भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत मास्टर रोल सामान धनराशि, समान श्रमिकों एवं समान मानप दिवस, अलग—अलग तिथियों में प्रस्तुत था।
- 7— मास्टर रोल पर कार्य का, कार्यस्थल, लम्बाई—चौड़ाई और ऊँचाई तथा प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं था।
- 8— मास्टर रोल पर श्रमिकों के निशानी अंगूठा एक समान एवं प्रमाणित नहीं थे।
- 9— उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत द्वारा सक्षम अधिकारी से कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र नहीं पाये गये।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि फर्जी प्रमाणक रखकर ग्राम पंचायत धन रु0 198343.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया गया है जिसकी वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती बेसनिया से रुपया 94521.50/— एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री राज प्रकाश से रुपया 4970.00 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सन्दीप सिंह से रु0 99171.50/— ब्याज सहित तातारीख अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— चनहट

विकासखण्ड—पहाडी

प्रस्तर संख्या—14— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैंश—बुक वर्ष 2015—16 एवं बैंक समाधान विवरण पत्र अनुसार दिनांक 04.07.2015 तक अहरित धनराशि 207135.00 का लेखा आय पक्ष में किया गया है, किन्तु अहरित धनराशि किसको किस पक्ष एवं किस मद हेतु भुगतान का लेखा व्यय पक्ष में नहीं किया गया है किये आय पक्ष में लेखा का विवरण निम्न प्रकार दर्शित है—

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	04.07.2015	019010	5000.00
2	06.07.2015	019011	5000.00
3	07.07.2015	019012	9750.00
4	07.07.2015	019013	32000.00
5	14.07.2015	019014	20600.00

6	14.07.2015	019015	12800.00
7	01.08.2015	018443	3500.00
8	03.08.2015	018441	23600.00
9	03.08.2015	018442	8000.00
10	03.08.2015	018444	8000.00
11	14.09.2015	018445	11385.00
12	22.09.2015	018447	17500.00
13	22.09.2015	018446	30000.00
14	24.09.2015	018448	10000.00
15	28.09.2015	018449	10000.00
योग—			207135.00

उपरोक्त अहरित धनराशि का लेखा कैश बुक के व्यय— पक्ष में न कर एवं व्यय प्रमाणक न रखकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा रु0 207135.00 अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से रुपया 103567.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से रु0 103567.50 ब्याज सहित तातारीख अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—15— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में ग्राम निधि खाता संख्या 50045076690 से रु0 103000.00 का भुगतान पंचायत भवन मरम्मत एवं चरही निर्माण हेतु क्रय सामग्री का लेखा दिनांक 29.02.2016 को किया गया दर्शित निम्न प्रकार था।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	29.02.2016	60000.00	सामग्री पंचायत भवन मरम्मत हेतु।
2	29.02.2016	43000.00	सामग्री चरही निर्माण हेतु।

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे—

- 1—क्रय सामग्री के सापेक्ष श्रम दिनांक 31.03.2016 तक शून्य था।
- 2—क्रय सामग्री स्टॉक रजिस्टर अन्तर्गत नहीं थी।
- 3—क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणक में आयकर एवं व्यापारकर की कटौती नहीं की गयी।
- 4—तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त, प्रस्तुत नहीं थी।
- 5— क्रय सामग्री पूर्णांक में थी।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि पंचायत भवन मरम्मत पर रु0 60000/— एवं चरही निर्माण पर रु0 43000/— सामग्री क्रय के फर्जी प्रमाणक रख कर ग्राम पंचायत धन रुपया 103000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया गया कि वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री प्रेम सिंह से रु0 51500.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय से रुपया 51500.00 ब्याज सहित तातारीख अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— बक्टा बुजुर्ग

विकासखण्ड—पहाड़ी

प्रस्तर संख्या—16— प्रस्तुत कैश बुक में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण प्राथमिक विद्यालय से बरम बाबा तक निर्माण हेतु सामग्री क्रय कर किया भुगतान निम्न प्रकार दर्शित था।

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1	07.10.2015	016390	49300.00	सामग्री
2	09.10.2015	016392	49700.00	सामग्री
3	26.10.2015	016395	49500.00	सामग्री
योग—			148500.00	

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे—

- 1— क्रय सामग्री स्टॉक रजिस्टर में अंकित थी या नहीं पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।
- 2— क्रय सामग्री में शासनादेश संख्या ए—1—864(1)/एस—2008—15(1)86 दिनांक 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया।
- 3— सामग्री व्यय प्रमाणको में आयकर एवं व्यापार कर नहीं काटा गया।
- 4— क्रय सामग्री के सापेक्ष श्रम दिनांक 31.03.2016 तक शून्य रहा।
- 5— कार्य के सन्दर्भ न तो कार्यमाप पुस्तिका बनायी गयी और न ही कार्य का मापन एवं मूल्यांकन किया गया था।

6- उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण पर दिनांक 31.03.2016 तक क्रय सामग्री का उपभोग न करना, स्टॉक अन्तर्गत न रखा जाना क्रय सामग्री फर्जी प्रतीत होती है।

अतः बिना क्रय सामग्री किये, फर्जी प्रमाणक रखकर कैशबुक से भुगतानित रु0 148500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत किवास अधिकारी द्वारा किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से रुपया 74250.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सन्दीप सिंह से रु0 74250.00 ब्याज सहित तातारीख उपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17- प्रस्तुत कैशबुक की जांच में पाया गया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत चेक का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा से प्राप्त कर निर्गत चेक की धनराशि का लेखा निम्न विवरणानुसार दर्शित था।

कैशबुक के व्यय पक्ष में पारित लेखा

अहरित चेक का दिनांक	निर्गत चेक की सम्पूर्ण धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
05.06.2015	36960.00	012579	05.06.2015	36862.00,98.00	मजदूरी सी0सी0 रोड स्टेशनरी
03.07.2015	8500.00	016384	03.07.2015	8400.00,100.00	मजदूरी हैण्डपम्प स्टेशनरी
21.08.2015	60000.00	016387	21.08.2015	59850.00,150.00	मजदूरी सी0सी0 रोड स्टेशनरी
07.10.2015	22450.00	016394	07.10.2015	22456.00,84.00	मजदूरी सी0सी0 रोड स्टेशनरी
06.11.2015	8000.00	016398	06.11.2015	7800.00,200.00	मजदूरी हैण्डपम्प स्टेशनरी
25.01.2016	5000.00	002681	25.01.2016	4800.00,200.00	मजदूरी हैण्डपम्प स्टेशनरी
11.03.2016	32000.00	002685	11.03.2016	31759.00,241.00	मजदूरी पंचायत भवन स्टेशनरी
योग-	173000.00	योग-		173000.00	

उपरोक्त विवरण से निर्गत चेक की भुगतानित राशि का लेखा कैश बुक के व्यय पक्ष में अलग-अलग मदों में दर्शाकर, निर्गत चेक की सम्पूर्ण राशि का समायोजन है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में श्रमिकों से कराये श्रम का भुगतान उनके बैंक खातों में न कर या मेड के माध्यम न कर, प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सप्लायर के नाम निर्गत चेक की धनराशि बैंक शाखा से प्राप्त कर निर्गत चेक की धनराशि का समायोजन रुपया 173000.00 अपहरित प्रतीत होता है।

अतः रुपया 173000.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से रुपया 68000.00 एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती देवमती से रुपया 18500.00 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सन्दीप सिंह से रुपया 86500.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। साथ-साथ विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बाबूपुर

विकासखण्ड-पहाडी

प्रस्तर संख्या-18- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक में दिनांक 01.04.2015 को प्रधान के पास नगद अवशेष रु0 29980.00 दर्शाया था, जो पूर्व वर्षों (13.03.2012 से पहले) में छात्रवृत्ति वितरण पश्चात् अवशेष धनराशि थी, जिसे सम्बन्धित बैंक खाता में जमा किया जाना चाहिए था या सम्बन्धित विभाग को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा वापस किया जाना चाहिए था, न कर प्रधान के पास नगद अवशेष के रूप में यथावत् दिनांक 31.03.2016 को प्रस्तुत कैशबुक में दर्शाया था।

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे।

- 1- दिनांक 01.04.2015 एवं 31.03.2016 को प्रधान के पास नगद अवशेष धनराशि (छात्रवृत्ति धन) रु0 29980.00 का भौतिक सत्यापन किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और न ही कराया गया।
- 2- कैशबुक ता-तारीख लिखी न रहने से लेखा परीक्षा में अवशेष धनराशि का सत्यापन न किया जा सका।
- 3- माह जनवरी 2016 में नव निर्वाचित नये प्रधान श्री अवध बिहारी द्वारा कार्यभार ग्रहण बाद अवशेष धनराशि रु0 29980.00 श्री रमाशंकर द्वारा श्री अवध बिहारी को हस्तगत (प्राप्त) नहीं करायी गयी, न ही अवशेष धनराशि श्री रमाशंकर द्वारा ग्रा0पं0वि0 अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी।
- 4- वर्ष 2011-12 में शासन द्वारा छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था समाप्त किये जाने बाद विभागीय आदेशों एवं निर्देशों अन्तर्गत अवितरित अवशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धित विभागों को वापस किये जाने का पालन न कर खातों में एवं नगद अवशेष छात्रवृत्ति रखी।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कैशबुक में दर्शित अवशेष धनराशि (छात्रवृत्ति) रु0 29980.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0 अधिकारी द्वारा पूर्व वर्षों में ही कर लिया गया था।

अतः अपहरित धनराशि रु0 29980.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर से रुपया 14990.00 एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री सन्दीप सिंह से रुपया 14990.00 संयुक्त रूप से ब्याज सहित ता-तारीख अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19- प्रस्तुत कैशबुक में मुकेश के घर के पास कूप मरम्मत पर सामग्री रुपया 59904.00 एवं श्रमिकों को श्रम के बदले रुपया 19980.00 का भुगतान क्रमशः दिनांक 22.04.2015 एवं 24.04.2015 को दर्शित पर निम्न बिन्दु रहे।

1- सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रुपया दिनांक 22.04.2015 को 59904.00 एवं 24.04.2015 को 19980.00 की पुष्टि में प्रमाणक (सामग्री क्रम की रसीद एवं मास्टर रोल) प्रस्तुत नहीं रहा।

2- उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, स्वीकृत प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं रही।

3- क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया या नहीं, पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

5- कार्य की पुष्टि में कार्य योजना, माप पुस्तिका, कार्य निर्माण रजिस्टर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नियम संख्या 209 के तहत प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के रुपया 79884.00 अहरित धनराशि का लेखा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के व्यय पक्ष में कर अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी द्वारा किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर से रुपया 39942.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप सिंह से रु0 39942.00 ब्याज सहित ता-तारीख अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रायपुर

विकासखण्ड-पहाडी

प्रस्तर संख्या-20- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2014-2015 में दिनांक 23.12.2014 के शासन से प्राप्त अनुदान एवं ग्राम निधि खाता 50045071193 इलाहाबाद बैंक शाखा राजापुर से अहरित/हस्तान्तरित धनराशियों का लेखा नहीं दर्शित था।

शासन से प्राप्त एवं ग्राम निधि खाता संख्या 50045071193 से अहरित/हस्तान्तरित धनराशियां लेखा परीक्षा में प्राप्त बैंक समाधान विवरण-पत्र से निम्न प्रकार दर्शित थी।

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	निकासी	जमा
1	17.01.2015	013819	4000.00	
2	19.01.2015	013811	2800.00	
3	19.01.2015	013818	53800.00	
4	19.01.2015	013816	200000.00	
5	19.01.2015	013814	150000.00	
6	19.01.2015	013815	80000.00	
7	19.01.2015	013817	35000.00	
8	20.01.2015	चेकबुक	70.00	
9	21.01.2015	013820	1050000.00	
10	23.01.2015	013812	9850.00	
11	23.01.2015	013813	9850.00	
12	27.01.2015	017404	32400.00	
13	28.01.2015	017401	50000.00	
14	29.01.2015	017403	50000.00	
15	29.01.2015	017402	50000.00	
16	04.02.2015	017405	78000.00	
17	18.02.2015	017406	12500.00	
18	23.02.2015	017407	80184.00	
19	25.02.2015	017408	12250.00	
20	28.02.2015	017409	80184.00	
21	28.02.2018	ब्याज		45824.00
22	25.03.2015	017411	80000.00	
23	26.03.2015	017410	400000.00	
24	27.03.2015	प्राप्त		1000.00
25	30.03.2015	प्राप्त		19529.00
26	30.03.2015	प्राप्त		69594.00
27	30.03.2015	प्राप्त		92795.00
योग-			2520388.00	228742.00

उपरोक्त धनराशियों की पुष्टि में रूप-पत्र-7, कैशबुक, व्यय-प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, शासनादेश संख्या 609/33-3-2013-48/2013 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 22.02.2013 अनुसार निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण एवं अन्य पुष्टि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न रहने से किया गया उपरोक्त व्यय रू0 2520318.00 अनियमित है।

उपर्युक्त धनराशि के अभिलेख न बनाये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ-साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिम्मेदार रहे क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत में निरीक्षण किया गया होता तो अभिलेख बने होते।

अतः अहरित/हस्तान्तरित धनराशि रूपया 2520318.00 अनियमित भुगतान की वसूली संयुक्त रूप से भूतपूर्व प्रधान श्री शंकर दयाल से रू0 1260159.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से रू0 1260159.00 ब्याज सहित ता-तारीख अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुसेली

विकासखण्ड-पहाडी

प्रस्तर संख्या-21- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक में ग्राम निधि खाता संख्या 50045074547 से आहरित एवं हस्तान्तरित धनराशियों का लेखा निम्न विवरणानुसार कैश बुक के व्यय पक्ष में दर्शित था।

क्र0	दिनांक	बाउचर नं0	विवरण	धनराशि
1	04.04.2015	1	मुख्य सडक से गज्जा के दरवाजे तक खण्डजा नाली निर्माण हेतु सामग्री "दीक्षा ट्रेडर्स पहाडी"	122400.00
2	28.04.2015	2	मुख्य सडक से गज्जा के दरवाजे तक खण्डजा नाली निर्माण हेतु सामग्री "दीक्षा ट्रेडर्स पहाडी"	26200.00
योग-				148600.00
3	27.06.2015	3	मुख्य सडक से गज्जा के दरवाजे/नाली निर्माण में लगे करीगर एवं श्रमिको को मजदूरी	14882.00
4	27.06.2015	4	स्टेशनरी का भुगतान	118.00
योग-				15000.00
5	14.07.2015	5	मुख्य सडक से गज्जा के दरवाजे तक खण्डजा/नाली निर्माण में लगे करीगर एवं श्रमिको को मजदूरी	14399.00
6	14.07.2015	6	स्टेशनरी का भुगतान	101.00
7	15.07.2015	7	2 नग सोलर लाइट "एस के ट्रेडर्स"	46702.00
8	23.07.2015	8	हैण्डपम्प में मिस्त्री का भुगतान	1500.00
9	24.07.2015	9	प्रिया साफ्ट फीडिंग (12-13 एवं 13-14) श्री प्रशान्त	2000.00
योग-				64702.00
10	03.08.2015	10	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु "श्रीमंगल सिंह" से सामग्री	14500.00
योग-				14500.00
11	22.09.2015	11	मुख्य सडक से गज्जा के दरवाजे तक खण्डजा/नाली निर्माण में लगे करीगर एवं श्रमिको को मजदूरी	20363.00
12	22.09.2015	12	स्टेशनरी हेतु भुगतान	137.00
योग-				20500.00
13	06.11.2015	13	मुख्य सडक से गज्जा के दरवाजे तक खण्डजा/नाली निर्माण हेतु सामग्री "दीक्षा ट्रेडर्स पहाडी"	75000.00
14	06.11.2015	14	मुख्य सडक से गज्जा के दरवाजे तक खण्डजा/नाली निर्माण हेतु सामग्री "दीक्षा ट्रेडर्स पहाडी"	40000.00
योग-				115000.00
15	10.03.2016	15	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु "श्री मंगल सिंह" से सामग्री	35500.00
16	21.03.2016	16	10 नग हैण्डपम्प मरम्मत में लगे मिस्त्री श्री सन्तोष की मजदूरी	4500.00
योग-				40000.00

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे-

- 1- भुगतानित धनराशियों की पुष्टि में बाउचर/बिल प्रस्तुत नहीं रहा।
- 2- उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत प्रस्तुत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।
- 3- स्टॉक रजिस्टर अन्तर्गत उपरोक्त क्रय सामग्री का लेखा नहीं किया गया था।

4- ग्राम पंचायत में कराये कार्यों का निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत न रहने से कार्य का कार्यन्वयन संदिग्ध प्रतीत होता है।

5- निर्माण सामग्री क्रय में शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस-2008-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया था।

6- हैण्डपम्प मरम्मत से प्राप्त डिस्पोजल सामग्री का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं था।

7- परिसम्पत्ति रजिस्टर अपूर्ण रहने से उपरोक्त कार्य का होना संदिग्ध प्रतीत होता है।

8- ग्राम पंचायत में पूरे वित्तीय वर्ष में एक ही निर्माण कार्य (खण्डजा/नाली) करना, कराये निर्माण कार्य को संदिग्ध प्रतीत करता है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में ग्राम निधि खाता से आहरित/हस्तान्तरित धनराशियों के बिल/बाउचर/ मास्टर रोल के बिना फर्जी लेखा कर आहरित/हस्तान्तरित धनराशियां रु0 418302.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रु0 418302.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रघुराई देवी से रु0 189151.00 एवं वर्तमान प्रधान श्रीमती निराशा देवी से रु0 20000.00 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सन्दीप सिंह से रुपया 209151.00 ब्याज सहित ता-तारीख अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अतरौली

विकासखण्ड-पहाडी

प्रस्तर संख्या-22- प्रस्तुत कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री दिनांक 21.03.2017 को रु0 43000.00 की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न रहने से, दिनांक 21.03.2017 को भुगतानित रु0 43000.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री अपहरित प्रतीत होती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री रामप्रकाश से रु0 21500.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री एम0पी0सिंह से रु0 21500.00 ब्याज सहित ता-तारीख अपेक्षित है।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि हैण्डपम्पों की मरम्मत के बाद निकले निष्क्रिय सामान यथा लोहे के पाइप, साकेट, नट बोल्ट आदि का लेखा स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया, जो धन का अपहरण सिद्ध करता है।

प्रस्तर संख्या-23- ग्राम पंचायत में दो अलग-अलग स्थानों पर सी0सी0 रोड निर्माण दर्शाकर रु0 244133.00 दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत कैश बुक में था।

क्र0	विवरण	सामग्री		श्रम	
		दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
1	रामराज की दुकान से नहर पट्टी तक	10.04.2016	53910.00	13.04.2016	21508.00
2	मुख्य रोड से शिवशंकर कुम्हार घर तक	20.08.2016	157377.00	01.09.2016	11338.00
योग-		211287.00		32846.00	

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे।

1- समान कार्य अलग-अलग स्थान पर करने पर एक समान दूरी (लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई) पर सामग्री एवं श्रम के अनुपात में दर्शित अन्तर से निर्माण कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

2- मास्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान एक सामान प्रतीत थे, जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं थे।

3- मास्टर रोल पर कार्य का, कार्य स्थल, लम्बाई-चौड़ाई एवं ऊँचाई के साथ-साथ प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं था।

4- क्रय सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्शित थी या नहीं स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध था।

5- कार्य के सन्दर्भ में न तो कार्य माप पुस्तिका बनाई गयी और न ही कार्य का मापन एवं मूल्यांकन किया गया था।

6- सामग्री क्रय में शासनादेश संख्या ए-1-846(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया था।

7- सामग्री व्यय प्रमाणको में आयकर एवं व्यापार कर नहीं कटा गया।

8- उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत द्वारा सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाये गये।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा फर्जी प्रमाणक रखकर रु0 244133.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से भू0पू0 ग्राम प्रधान श्रीमती सोहन तारा से रु0 122066.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री एम0पी0 सिंह से रुपया 122066.50 ब्याज सहित ता-तारीख अपेक्षित है।

जनपद—हमीरपुर

मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम, बांदा।

प्रस्तर 01:— विकास खण्ड सरीला की ग्राम पंचायत—मनकहरी में निर्मल भारत अभियान खाता सं०—50169001771 इलाहाबाद बैंक सरीला द्वारा चेक सं०—17252 दिनांक—07.11.2015 को श्री तुलसीराम ग्राम प्रधान को रू०—42,315=00 का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त चेक का भुगतान कोष बही में नहीं अंकित किया गया जो रोकड़ का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। चेक बुक प्रतिपर्ण स्लिप में भी उक्त चेक का उल्लेख अंकित नहीं पाया गया। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि किस कार्य/मद की धनराशि का चेक प्रधान के नाम निर्गत किया गया। स्थिति स्पष्ट न हो सकी। अतः उक्त धनराशि की आधी-आधी धनराशि रू०—21,158=00 सचिव श्री जगभान श्रीवास व रू०—21,157=00 श्री तुलसीराम प्रधान से व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 02:— विकास खण्ड सरीला की ग्राम पंचायत—करियारी में दिनांक—09.11.2015 को दशम वित्त/राज्य वित्त खाते की चेक सं०—09317 जो हर्ष ट्रेडर्स सरीला को भुगतान रू०—6,970=00 बैंक शाखा द्वारा किया गया था। जिसका लेखा कोष बही में पारित नहीं किया गया। जो अपहरण की परिधि में आता है। जिसकी धनराशि की आधी-आधी वसूली सचिव व प्रधान से क्रमशः रू०—3,185=00 सचिव श्री जवाहरलाल से एवं रू०—3,185=00 प्रधान श्रीमती प्रकाशरानी से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 03:— विकास खण्ड भरुआ सुमेरपुर की ग्राम पंचायत—विरखेरा में आलोच्य वर्ष 2013—14 में निधि प्रथम के इलाहाबाद बैंक खाते से निम्न विवरणानुसार फर्मों को चेक दिये गये हैं। दिनांक—21.02.14 चेक सं०—701331, राधिका ट्रेडर्स सुमेरपुर रू०—2,19,890=00 एवं दिनांक— 21.02.14, चेक सं०—701333, पंकज ट्रेडर्स सुमेरपुर, रू०—2,20,270=00 योग—4,40,160=00, उपरोक्त दोनों चेक, वंशी के घर से मरघट तक नाली मरम्मत कार्य हेतु एक ही तिथि पर भिन्न फर्मों को चेक काटे गये हैं। जिससे निम्न गम्भीर आपत्तियां हैं।

- 1— कार्य के लिये टेण्डर अप्राप्त रहे (चेक 1 लाख रू० से ऊपर के हैं)।
- 2— खरीदी गयी निर्माण सामग्री के सापेक्ष उक्त कार्य के लिये मजदूरी के मस्टर रोल, कैश बुक में अंकित नहीं है। जिससे कार्य का होना दर्शित नहीं हो पा रहा है।
- 3— निर्माण स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।
- 4— उक्त कार्य का कार्यपूर्ति जांच प्रमाण पत्र सेक्टर अधिकारी को नहीं प्रस्तुत किया गया।
- 5— उक्त कार्य का परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। जिससे नाली के निर्माण एवं मरम्मत की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य न कराकर क्रय सामग्रियों को निजी कार्य में लगाकर या बिक्रीकर धन का अपहरण कर लिया गया है। अस्तु श्री वेद प्रकाश, पूर्व प्रधान से रू०—2,20,080=00 व श्री रामसेवक वर्मा ग्रा०वि०अ० से रू०—2,20,080=00 व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 04:— विकास खण्ड भरुआ सुमेरपुर की ग्राम पंचायत—अमिरता में आलोच्य वर्ष 2012—13 में दिनांक—12.04.2012 को रू०—3,000=00 व दिनांक—17.04.2013 को रू०—20,000=00 निधि प्रथम में इलाहाबाद बैंक खाता नं०—50045458490 से आहरण कर कैश बुक में आय न पकड़कर रू०—23,000=00 का अपहरण कर लिया गया है। अस्तु रू०—23,000=00 की वसूली व्याज सहित तत्कालीन प्रधान रामफल से रू०—10,500=00 व तत्कालीन सचिव श्री रामसेवक वर्मा से रू०—11,500=00 व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 05:— विकास खण्ड भरुआ सुमेरपुर की ग्राम पंचायत—अमिरता में आलोच्य वर्षों की निम्न तिथियों पर एक ही फर्म से खरीददारी की गयी है।

दिनांक—18.12.2012, सिंह विल्डर्स सुमेरपुर, चेक सं०—9950, रू०—1,10,000=00 अभ्युक्ति सभी अपहरण निधि प्रथम के इलाहाबाद

दिनांक—12.03.2013, सिंह विल्डर्स सुमेरपुर, चेक सं०—0048, रू०— 52,000=00 बैंक से खाता सं०—50045458490 से किये गये हैं

दिनांक—28.04.2013, सिंह विल्डर्स सुमेरपुर, चेक सं०—0057, रू०— 17,000=00

दिनांक—06.07.2013, सिंह विल्डर्स सुमेरपुर, चेक सं०—0058, रू०— 35,000=00

दिनांक—14.08.2013, सिंह विल्डर्स सुमेरपुर, चेक सं०—0059, रू०— 30,500=00

दिनांक—14.08.2013, सिंह विल्डर्स सुमेरपुर, चेक सं०—0060, रू०— 25,000=00

दिनांक—02.09.2013, सिंह विल्डर्स सुमेरपुर, चेक सं०—15022, रू०— 42,000=00

योग— 3,11,500=00

निम्न आपत्तियां है :-

- 1 :- फर्म के कोटेशन अप्राप्त रहे।
- 2 :- खरीदी गयी निर्माण सामग्रियों के सापेक्ष दिनांक-18.12.2012 से लेकर दिसम्बर, 2013 तक मजदूरी के मस्टर रोल, कैश बुक में अंकित नहीं है। जिससे कार्य का होना दर्शित नहीं हो पा रहा है। कैश बुक में कार्यों का उल्लेख भी नहीं है।
- 3 :- निर्माण का स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा व परिसम्पत्ति रजिस्टर भी अप्राप्त रहा। इसप्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त खरीद के सापेक्ष निर्माण कार्य नहीं कराया गया। खरीद माल को निजी कार्य में लगाकर रु०-3,11,500=00 का अपहरण कर लिया गया है। अस्तु रु०-3,11,500=00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री रामफल से रु०-1,55,750=00 व तत्कालीन सचिव श्री रामसेवक वर्मा से रु०-1,50,750=00 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 06:- विकास खण्ड भरुआ सुमेरपुर की ग्राम पंचायत-कलौलीजार में संस्था के पी०एन०बी० के खाता सं०-4573000100021910 दूर संचार से दिनांक-11.07.2012 को चेक सं०-252007 के द्वारा मु०-19,000=00 की निकासी प्रधान श्रीमती धर्मी द्वारा की गयी थी। किन्तु उक्त धनराशि का लेखा संस्था की कैश बुक में अंकित न करके अपहरण किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन सचिव श्री जागेश्वर अनुरागी एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती धर्मी का है। अतः रु०-9,500=00 की वसूली श्रीमती धर्मी प्रधान से तथा 9,500=00 की वसूली सचिव श्री जागेश्वर प्रसाद अनुरागी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 07:- विकास खण्ड भरुआ सुमेरपुर की ग्राम पंचायत-कल्ला में दिनांक-04.08.2014 को व्यय प्रमाणक सं०-15 क द्वारा प्रधान श्रीमती विनीता यादव का मानदेय दिनांक-01.07.2012 से 31.07.2014 तक मु०-36,250=00 की चेक सं०-006065 से किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार दिनांक-01.07.2012 से 11/2013 तक रु०-750=00 की दर से रु०-12,750=00 एवं 12/2013 से 31.07.2014 तक रु०-25,000=00 की दर से रु०-20,000=00 कुल 32,750=00 होता है। इस प्रकार रु०-3,500=00 से मानदेय का अधिक भुगतान किया गया है। जो अनियमित है, जिसकी वसूली सचिव श्री रामदत्त यादव एवं प्रधान श्रीमती विनीता यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 08:- विकास खण्ड मुस्कुरा की ग्राम पंचायत-बजेहटा में संस्था के कैश बुक में माह मई, 2008 का अन्तिम अवशेष नकद रु०-64,590=00 दर्शित था। माह जून, 2008 में आय व्यय शून्य दर्शाया गया है। माह जुलाई में प्रारम्भिक अवशेष नकद शून्य दर्शाया गया। इस प्रकार रु०-64,590=00 का अपहरण किया गया। जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री मैयादीन वर्मा को ठहराते हुये बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 09:- विकास खण्ड मुस्कुरा की ग्राम पंचायत-बजेहटा में संस्था की राज्य वित्त की कैश बुक में माह अगस्त 08 से अगस्त 09 तक मय ब्याज के म०-3,10,757=00 प्राप्त हुआ था। जिसमें थे रु०-9,560=00 एवं शेष रु०-20,017=00 खाता सं०-7856 में जमा रहा (बैंक पास बुक अप्राप्त) माह अगस्त 09 में कैश बुक में अंकित किया गया है कि नकद धनराशि छात्रवृत्ति की कोष बही में अंकित है। लेकिन लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति की कोष बही अप्राप्त रही है। जिससे उक्त नकद धनराशि के अपहरण तथा शेष जमा धनराशि के गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 10:- विकास खण्ड मुस्कुरा की ग्राम पंचायत-बजेहटा में छात्रवृत्ति के खाता सं०-21678735631 से निम्न तिथियों में निम्न चेकों को से निकासी करके कैशबुक तैयार न करके एवं छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर प्रस्तुत न करके अपहरण किया गया है।

तिथि	चेक सं०	धनराशि
30.12.2010	663355	98,000=00
04.01.2011	663356	98,500=00
11.04.2011	663357	84,495=00

योग-2,80,995=00

जिसकी वसूली प्रधान श्री रामतीरथ व सचिव श्री मलखान सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 11:— विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत-बजेहटा में छात्रवृत्ति के खाता सं०-21678735631 से निम्न तिथियों में निम्न चेकों से निकासी करके कैशबुक तैयार न करके एवं छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर प्रस्तुत न करके अपहरण किया गया है।

तिथि	चेक सं०	धनराशि
02.11.2011	663358	1,90,000=00
04.01.2011	663359	46,000=00
11.04.2011	663360	11,460=00

योग-2,48,080=00

जिसकी वसूली प्रधान श्री रामतीरथ व सचिव श्री मलखान सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 12:— विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत-बजेहटा में छात्रवृत्ति के खाता सं०-21678735631 में दिनांक-31.08.2012 को जमा अवशेष धनराशि रु०-27,778=00 विभाग/शासन को वापस न भेजकर अनियमित रूप से शासकीय धनराशि को बैंक खाता में रखा गया है। जिसे तत्काल वापस किया जाये अन्यथा कि स्थिति में सचिव श्री मनफूल पाल व प्रधान श्री रामतीरथ उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 13:— विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत-टीहर में दिनांक-02.12.2015 को खाता सं०-50136424413 की चेक सं०-007970 के द्वारा मु०-45,000=00 रु० की निकासी हेतु निर्गत की गयी थी। जिसका भुगतान दिनांक-04.12.2015 को सचिव श्री मैयादीन वर्मा द्वारा प्राप्त किया गया था। किन्तु कैशबुक में मात्र-4,500=00 रु० की आय अंकित कर मु०-40,500=00 रु० का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली सचिव मैयादीन वर्मा एवं प्रधान श्री रामकिशोर से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 14:— विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत-गहरौली में दिनांक-30.06.2012 तक छात्रवृत्ति वितरण के उपरान्त छात्रवृत्ति के अवशेष धनराशि रु०-40,760=00 कैशबुक में दर्शित थी। जिसमें से दिनांक-30.03.2013 को छात्रवृत्ति के खाता सं०-21678735596 में रु०-35,000=00 नकद जमा कर दिया गया। जिसका लेखा कैशबुक में पारित नहीं किया गया है। लेकिन जमा की पुष्टि बैंक पास से की गयी। शेष धनराशि मु०-5,760=00 रु० जमा करके सचिव श्री गोविन्द नारायण त्रिपाठी एवं प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर 15:— विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत-गहरौली में छात्रवृत्ति के खाता सं०-21678735596 में दिनांक-31.03.2016 तक रु०-2,90,241=00 मय ब्याज के छात्रवृत्ति जमा रही जबकि छात्रवृत्ति का संचालन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी के मध्य 2011-12 से बन्द हो चुका है। अतः बैंक में जमा धनराशि को उसी समय सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस भेज दिया जाना चाहिये था। किन्तु ऐसा न करके ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा दुर्विनियोग किया गया है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में इस आशय हेतु लाया जाता है कि बैंक में जमा धनराशि को यथाशीघ्र सम्बन्धित विभाग/शासन को भेजा जाये। अन्यथा की स्थिति में उक्त दायित्व सचिव श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, कपिल सिंह वर्तमान सचिव श्री शिवमूरत सिंह व प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी का होगा। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 16:— विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत-बिहुनी खुर्द में दिनांक-31.03.2015 को राज्य वित्त की कैश बुक का रोकड़ अवशेष रु०-7,033=00 होता है। जबकि कैश बुक में मात्र रु०-71=00 दर्शित है। जिसका मुख्य कारण है की मार्च, 2015 के आय पक्ष का योग लेखा परीक्षा असासर रु०-2,91,512=00 होता है। जबकि कैश बुक में योग रु०-2,84,550=00 दर्शित है। इस प्रकार रु०-6,962=00 से आय का योग कम दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी वसूली प्रधान श्री देवी सिंह एवं सचिव श्री सुरेश कुमार से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 17:— विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत-बिहुनी खुर्द में दिनांक-05.04.2014 को राज्य वित्त की कैश बुक में व्यय प्रमाणक सं०-02 के द्वारा क्रय सामग्री के मूल्य का योग रु०-82,400=00 होता है। जबकि सप्लायर्स जय मां कालका ट्रेडर्स मुस्करा को रु०-82,500=00 से भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु०-100=00 से अधिक भुगतान कर अनियमितता की गयी। जिसकी वसूली सचिव श्री सुरेश कुमार एवं प्रधान श्री देवी सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 18:— विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत-कैथी में वर्ष 2010-11 में ग्राम निधि खाते से शौचालय निर्माण में रु०-27,090=00 व्यय करना दर्शित किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं

परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं शौचालय निर्माण सम्बन्धित सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि रु0-27,090=00 अनियमित प्रतीत होती है। अतः प्रधान श्री इन्दल सिंह एवं सचिव श्री बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 19:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत-कैथी में वर्ष 2011-12 में ग्राम निधि खाते से शौचालय निर्माण में रु0-14,140=00 व्यय करना दर्शित किय गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा शौचालय निर्माण से सम्बन्धित सूची अप्राप्त रहने के कारण देय की गयी धनराशि रु0-14,140=00 अनियमित प्रतीत होती है। अतः प्रधान श्री इन्दल सिंह एवं सचिव श्री विनय कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 20:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत-कैथी में वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति खाते की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि छात्रवृत्ति वितरण के पश्चात अवशेष धनराशि रु0-7,643=00 को बैंक में जमा न कर अनियमित ढंग से रोककर रखा गया है। जिसके लिये प्रधान श्री इन्दल सिंह एवं सचिव श्री बृजेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 21:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत-खड़ाकर में वर्ष 2010-11 में ग्राम निधि खाते में शौचालय निर्माण में रु0-66,150=00 व्यय करना दर्शित किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में सक्षत अधिकारी से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि रु0-66,150=00 अनियमित प्रतीत होती है। अतः प्रधान श्री मिथलेश एवं सचिव श्री दिनेश के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 22:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत-खड़ाकर में वर्ष 2010-11 में मध्यान्ह भोजन खाते से रु0-87,380=00 की निकासी की गयी किन्तु वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 का पैरा 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः व्यय धनराशि को अनियमित मानते हुये धनराशि रु0-87,380=00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मिथलेख एवं सचिव श्री दिनेश कुमार के प्रति आवश्यक कार्यवाही सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर 23:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत-परा में वर्ष 2011-12 में ग्राम निधि खाते से शौचालय निर्माण में रु0-15,120=00 देय करना दर्शित किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं शौचालय निर्माण से सम्बन्धित सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि रु0-15,920=00 अनियमित प्रतीत होती है। अतः प्रधान श्री जौहर सिंह एवं सचिव श्री दिनेश कुमार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 24:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत-धमना में लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत की सफाई मजदूरी के मद में रु0-15,000=00 व्यय करना दर्शाया गया है जबकि ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु एक सफाई कर्मी की नियुक्ति है। सफाई करना उसका कार्य है फिर भी सचिव एवं प्रधान द्वारा सफाई कार्य हेतु रु0-15,000=00 का अनियमित व्यय किया गया। जिसकी वसूली सचिव श्री अमर सिंह एवं प्रधान श्रीमती कान्ती रानी से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 25:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत-उर्दना में वर्ष 2015-16 के वर्षान्त में अवशेष नकद धनराशि प्रधान के पास रु0-30,440=00 दर्शित है जो छात्रवृत्ति की है एवं पूर्व प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन पंचायत सचिव से सम्बन्धित है। अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि का अपहरण किया है। जबकि ये धनराशि खाते में जमा करके मूल विभाग को वापस की जानी थी। जो वापस नहीं की गयी है। इसका उत्तरदायित्व पूर्व प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन सचिव का है। अतः उक्त धन की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित करके मूल विभाग को वापिस की जानी अपेक्षित है तथा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 26:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत-गुरदहा में दिनांक-01.04.2014 की ओपनिंग धनराशि रु0-6,410=00 छात्रवृत्ति की है। जो विवरण के पश्चात अवशेष धनराशि रु0-6,410=00 विभाग को वापस न करके या बैंक खाते में जमा न करके धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली सचिव एवं प्रधान से आधी-आधी की जानी प्रधान श्रीमती रामरती से रु0-3,205=00 एवं तत्कालीन सचिव से भी रु0-3,205=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 27:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत-छिरका में दिनांक-01.04.2011 को ओपनिंग धनराशि रु0-21,350=00 जो छात्रवृत्ति की रोकड़ शेष दर्शित थी तत्कालीन प्रधान श्री देवीदीन एवं तत्कालीन सचिव

ने वितरण करने के पश्चात अवशेष धनराशि को खाते में जमा नहीं किया है। कैशबुक में रोकड़ शेष काल्पनिक दर्शाया जा रही है। जो आपत्तिजनक है। जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री देवीदीन से 50 प्रतिशत रु०-10,675=00 एवं तत्कालीन सचिव से रु०-10,675=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 28:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत-भैंसमरी में दिनांक-31.03.2012 की अवशेष छात्रवृत्ति धनराशि रु०-13,620=00 की प्रधान एवं सचिव के खाते में जमा नहीं किया है एवं न ही मूल विभाग को वापिस किया है। जिसको दिनांक-01.10.2016 में काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है एवं रोकड़ शून्य किया गया है। अतः रु०-13,620=00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रामकुमार से रु०-6,810=00 एवं सचिव श्री चन्द्रकुमार चन्देल से रु०-6,810=00 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 29:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत-छिमौली में दिनांक-27 अगस्त, 2015 तक रहे सचिव श्री ताज मुहम्मद एवं तत्कालीन प्रधान श्री रामप्रकाश के पास अवशेष रोकड़ रु०-25,358=00 थी। जिसमें से रु०-19,885=00 छात्रवृत्ति एवं रु०-5,473=00 तेरहवें वित्त से सम्बन्धित थी। जिसको वर्तमान सचिव श्री पीर मुहम्मद को चार्ज में न देकर अपहरण कर लिया गया है। जिससे वर्तमान सचिव ने दिनांक-28.08.2015 को रोकड़ शून्य दर्शाकर कैशबुक तैयार की है। जिससे रु०-25,358=00 की वसूली प्रधान श्री रामप्रकाश से आधी रु०-12,679=00 एवं सचिव श्री ताज मुहम्मद से भी रु०-12,679=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 30:- विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-चिकासी वित्तीय वर्ष 2011-12 व 2012-13 एवं 2013-14 की कैश बुके, बिल बाउचर, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, स्टीमेट एम0बी0 बुक कार्यवाही रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बैंक से आहरित धनराशि वर्ष 2011-12 में रु०-8,71,133=00 तथा वर्ष 2012-13 में रु०-79,001=00 तथा 2013-14 में रु०-6,50,711=00 का बैंक से अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। कुल धनराशि रु०-16,00,845=00 की गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिये प्रधान श्री छोटेलाल एवं सचिव श्री श्रीचन्द्र वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 31:- विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-चिकासी में वित्तीय वर्ष 2014-15 से रु०-7,95,668=00 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से रु०-9,09,565=00 की धनराशि बैंक से आहरित एवं कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया है। लेकिन व्यय धनराशियों के व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, स्टीमेट एम0बी0 बुक तथा निर्माण कार्य समिति की संस्तुति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण व्यय धनराशि का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि का रु०-17,05,233=00 की गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिये प्रधान श्री छोटेलाल एवं खरंगी तथा सचिव श्री अरविन्द कुमार सक्सेना संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 32:- विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-नंदना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त के प्रथम खाते ए0सी0 110 डी0सी0बी0 गोहाण्ड से रु०-16,864=00 का बैंक से आहरण कर कैश बुक में लेखा न करके प्रधान और सचिव द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्री सुरेश सिंह प्रधान से आधी धनराशि रु०-8,432=00 तथा आधी धनराशि श्री हरिश्चन्द्र सचिव से रु०-8,432=00 की ब्याज सहित वसूली जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 33:- विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-नंदना में प्रधान एवं सचिव ने रु०-2,500=00 माह की दर से माह अगस्त, 2015 एवं सितम्बर, 2015 का मानदेय दो बार लिया गया है, जो सितम्बर, माह (अगस्त एवं सितम्बर) एवं दिनांक-03.11.2015 में अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 2015 का मानदेय लिया गया है। इस प्रकार रु०-5,000=00 का अधिक अनियमितता भुगतान करके कैश का अपहरण किया है श्री गोविन्द सिंह सचिव से आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली रु०-2,500=00 की जाये तथा आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली रु०-2,500=00 की श्री सुरेश सिंह से की जाये।

प्रस्तर 34:- विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-नंदना में दिनांक-27.07.2015 को रु०-184=00 कैश बुक में अवशेष था। जिसे दिनांक-31.07.2015 को कैश बुक में एवं दिनांक-01.08.2015 को कैशबुक में दर्शित न करके सचिव प्रधान द्वारा अपहरण किया गया। अर्थात् आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री हरिश्चन्द्र राजपूत से रु०-92=00 की जाये एवं प्रधान श्री सुरेश सिंह रु०-92=00 की ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर 35:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-स्यावरी में दिनांक-29.05.2014 को राज्यवित्त की चेक सं0-11591 से रू0-23,338=00 बैंक से आहरित कर कैशबुक में दर्ज न करके अपहरण किया गया है। प्रधान श्री राम सहाय से आधी धनराशि सचिव श्री गोविन्द सिंह से रू0-11,669=00 की ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर 36:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-स्यावरी में दिनांक-04.11.2015 को राज्यवित्त की चेक सं0-3761 से रू0-5,569=00 बैंक से आहरित कर कैश बुक में दर्शित न करके धनराशि का अपहरण किया। अतः आधी धनराशि की वसूली सचिव श्री गोविन्द सिंह सं0 रू0-2,785=00 तथा आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामसहाय से रू0-2,784=00 की जाये।

प्रस्तर 37:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-स्यावरी में दिनांक-20.01.2016 के राज्यवित्त चेक सं0-3764 से रू0-10,000=00 बैंक से आहरण प्रधान श्री खूबचन्द्र द्वारा तथा दिनांक-28.01.2016 को चक सं0-3765 से रू0-10,000=00 बैंक से आहरित श्री अरविन्द सक्सेना सचिव द्वारा किया गया था। जिससे दिनांक-30.01.2016 में 10 ट्राली बजरा ग्राम की रास्तों में डलवाया गया कैश बुक में दर्शित किया है। जो फर्जी व्यय प्रतीत होता है कैशबुक में किस फर्म संस्था व्यक्ति को दिया गया कुछ नहीं दर्शित है। और न ही उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर, एम0बी0 बुक, स्टॉक रजिस्टर व निर्माण रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये सचिव श्री अरविन्द सक्सेना से रू0-10,000=00 तथा प्रधान श्री खूबचन्द्र से रू0-10,000=00 की ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर 38:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-स्यावरी में दिनांक-03.02.2016 को चेक सं0-03767 से रू0-49,000=00 बैंक से आहरित कर कैशबुक में दर्शित न करके अपहरण किया गया। क्या क्रय किया किस फर्म को नगद दिया कैशबुक में दर्शित नहीं तथा उक्त के बिल बाउचर उपलब्ध नहीं हुये। अपहरण माना गया प्रधान एवं सचिव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर 39:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-इटायल में दिनांक-01.04.2011 से जुलाई, 2011 तक बैंक से कुल रू0-2,88,720=00 राज्य वित्त खातों से आहरण किया गया है। लेकिन कैश बुक, बिल बाउचर, स्टॉक रजि0, निर्माण रजि0, स्टीमेट, एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री अरविन्द कुमार सक्सेना तथा प्रधान श्रीमती रामकली संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 40:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-इटायल में अगस्त, 2011 से जून, 2012 तक राज्य वित्त खाते के बैंक से रू0-3,54,171=00 का आहरण किया गया, जिसकी कैश बुक, बिल बाउचर, स्टॉक रजि0, निर्माण रजि0, स्टीमेट, एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री श्रीचन्द्र वर्मा तथा प्रधान श्रीमती रामकली संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 41:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-इटायल में जुलाई, 2012 से अक्टूबर, 2013 तक बैंक से राज्य वित्त खाते से रू0- 8,22,471=00 का आहरण किया गया। जिसकी कैश बुक, बिल बाउचर, स्टॉक रजि0, निर्माण रजि0, स्टीमेट, एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री जागेश्वर प्रजापति तथा प्रधान श्रीमती रामकली संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 42:— विकास खण्ड गोहाण्ड गाम पंचायत-इटायल में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की कैश बुक में निम्नलिखित चेकों को कैश बुक में दर्शित (अंकन) न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है।

दिनांक	चेक सं0	रू0
15.04.14	16241	48,000=00
20.10.14	19327	24,400=00
12.01.15	19339	1,250=00
22.01.15	19340	5,000=00
13.02.15	002803	70,000=00
18.02.15	002805	35,000=00
25.05.15	002807	37,000=00
06.07.15	002819	17,300=00
08.09.15	002824	2,840=00
योग—		2,75,790=00

उक्त के बिल बाउचर भी लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुये। जो गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव राजेन्द्र सिंह भदौरिया तथा प्रधान श्रीमती रामकली संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 43:— विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-बरौली खरका में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त |ध्व -513 से बैंक से आहरित धनराशि रू0-5,54,765=00 से सम्बन्धित कैश बुक, बिल बाउचर, स्टाक रजि0, निर्माण रजि0 अप्राप्त रहें है। जो गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री श्रीचन्द्र वर्मा तथा प्रधान श्री देवपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 44:— विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-बरौली खरका में वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त |ध्व -513 के बैंक से आहरित रू0-80,400=00 में से रू0-40,401=00 ही कैश बुक में दर्शित किये गये शेष रू0-39,999=00 का आय कैश बुक में दर्शित न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री श्रीचन्द्र वर्मा तथा प्रधान श्री देवपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 45:— विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-बरौली खरका में वर्ष 2014-15 में बैं से आहरित धनराशि रू0-16,09,160=00 कैश बुक में दर्शित है। जबकि उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर, स्टाक रजि0, निर्माण रजि0 तथा स्टीमेट, एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री श्रीचन्द्र वर्मा तथा प्रधान श्री देवपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 46:— विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-बरौली खरका में वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित चेकों धनराशि का कैश बुक में दर्शित न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है।

दिनांक	चेक सं0	धनराशि
14.05.15	18955	1,60,996=00
14.05.15	18956	35,304=00
14.05.15	18957	1,39,151=00
14.05.15	18958	30,000=00

योग— 3,65,451=00

उक्त धनराशि के बिल बाउचर भी लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुये। जो गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री अरविन्द कुमार सक्सेना तथा प्रधान श्री देवपाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 47:— विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-बरूवा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक से आहरित धनराशि रू0-22,60,802=00 से सम्बन्धित कैशबुक, बिल बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 बुक कार्यवाही रजिस्टर तथा निर्माण कार्य समिति के तथा जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती शिवपतरानी एवं सचिव श्री राजेन्द्र भदौरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 48:— विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-बरूवा में निम्नलिखित तिथियों तथा चेकों का कैशबुक में अंकन न करके (दर्शित न कर) गम्भीर अनियमितता की गयी है।

दिनांक	चेक सं0	धनराशि
07.01.14	11850	5,400=00
08.09.15	3109	9,400=00
08.09.15	3108	1,880=00
30.09.15	3114	17,500=00

योग— 34,180=00

जिसके लिये सचिव श्री राजेन्द्र भदौरिया एवं प्रधान श्रीमती शिवपतरानी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 49:— विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-पतखुरी में दिनांक-24.01.2013 को राज्य वित्त के चेक सं0-009526 से रू0-10,000=00 बैंक से आहरण करके कैशबुक में दर्ज न करके अपहरण किया गया है।

उक्त धनराशि सचिव श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया से रु०-5,000=00 तथा आधी धनराशि प्रधान श्री डालचन्द्र से रु०-5,000=00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 50:- विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-पतखुरी में दिनांक-01.04.2013 से 31.01.2014 तक की कैशबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त अवधि में बैंक से रु०-3,32,940=00 का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि से सम्बन्धित कैशबुक, बिल बाउचर, स्टाट रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये। जो गम्भीर अनियमितता है जिसके लिये सचिव श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया एवं प्रधान श्री डालचन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 51:- विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-पवई में वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त खाते से बैंक से आहरित धनराशि रु०-6,22,229=00 से सम्बन्धित कैशबुक, बिल बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, स्टीमेट एम0बी0 बुक कार्यवाही रजिस्टर तथा निर्माण कार्य समिति के तथा जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये सचिव श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया एवं प्रधान श्री मझादीन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 52:- विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-पवई में निम्नलिखित तिथियों तथा चेकों का कैशबुक में अंकन न करके (दर्शित न कर) गम्भीर अनियमितता की गयी है।

दिनांक	चेक सं०	धनराशि
23.04.14	14620	5,000=00
20.06.15	3062	3,500=00
01.09.15	3067	2,500=00
योग-		11,000=00

जिसके लिये सचिव श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया एवं प्रधान श्री मझादीन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 53:- विकास खण्ड गोहाण्ड ग्राम पंचायत-अलकछवा में वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त बारहवें तेरहवें वित्त मद से व्यय की गयी धनराशि रु०-18,11,798=00 से सम्बन्धित व्यय के बिल बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, स्टीमेट एम0बी0 बुक तथा अन्य व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे कैशबुक में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। कुल रु०-18,11,798=00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री श्रीचन्द्र वर्मा एवं प्रधान श्री राजेन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 54:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत-मेरापुर में वर्ष 2014-15 में बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार निम्नलिखित धनराशि का आहरण किया है। किन्तु इससे सम्बन्धित लेखा कैश बुक में पारित न करके गम्भीर अनियमितता की है।

दि०	चेक सं०	धनराशि
05.05.14	009183	63,100.00
03.06.14	010662	84,000.00
22.07.14	009185	27,500.00
01.11.14	015514	73,000.00
13.03.15	018273	4,000.00
योग-		2,51,600.00

अतः उपरोक्त धनराशि आधी-आधी प्रधान श्रीमती सीमा देवी से रु०-1,25,800=00 एवं सचिव श्री शिवनरेश गुरुदेव से रु०-1,25,800=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 55:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत-मेरापुर में वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार अन्तर से लेखा पारित किया गया। यथा

पास बुक से आहरण की धन०		कैश बुक मे दर्शित धन०		अन्तर
रु०	चेक सं०	रु०	चेक सं०	
30000=00	013506	3000=00	013506	27000=00
30200=00	009189	3200=00	009189	27000=00
योग- 60200=00		योग- 6200=00		योग- 54000=00

अन्तर की धनराशि रु0-54,000=00 बैंक से कम आहरण दर्शित करके अपहरण किया गया है तथा सितम्बर, 2014 प्रारम्भिक अवशेष रु0-28087 होना चाहिये। जबकि दर्शित अवशेष रु0-28097 अन्तर 10 रु0 से अधिक एवं माह अक्टूबर के अंत में रु0-3,17,983 बैलेन्स होना चाहिये। किन्तु रु0-3,15,993 कैश बुक में दर्शित है अन्तर रु0-1990 से कम दर्शित है। कुल अन्तर रु0-27,000+27,000 - 10+1990=55980 का कैश बुक में अंकन न करके एवं गलत अंकन करके अपहरण किया गया है। इस प्रकार अपहरण की गयी धनराशि रु0-55,980=00 आधी आधी प्रधान श्रीमती सीमा देवी से रु0-27,990=00 एवं सचिव श्री शिवनरेश गुरुदेव रु0-27,990=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 56:- विकास खण्ड कुरारा ग्राम पंचायत-पारा में वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त |ध्व 50044516012 इला0 बैंक कुरारा से निम्ननांकित धनराशि आहरित की गयी।

चेक सं०	धनराशि
008600	75,600=00
013797	9,984=00
013798	9,984=00
015526	5,000=00
योग-	1,00,568=00

किन्तु उपरोक्त धनराशि का अंकन कैश बुक में न करके अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री शिवनरेश गुरुदेव एवं प्रधान श्री रामाधार से आधी-आधी की जानी चाहिये।

प्रस्तर 57:- विकास खण्ड कुरारा ग्राम पंचायत-पारा द्वारा प्रस्तुत आय व्यय वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षा के अनुसार रु0-28,324=00 का अन्तर है। अन्तर का कारण माह मई, 2015 के आहरण पक्ष का योग रु0-53,324=00 लेखा परीक्षा के अनुसार होता है। जबकि दर्शित आहरण पक्ष का योग रु0-30,000=00 है तथा इसी प्रकार चेक सं०-002236 से रु0-5,000=00 राज्य वित्त एकाउन्ट 50044516012 इला0 बैंक कुरारा से आहरित है। किन्तु इसका लेखा कैश बुक में नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि रु0-23,324=00 आय पक्ष में योग कम दर्शित करके तथा रु0-5,000=00 की आय न दर्शित करके कुल योग रु0-28,324=00 का अपहरण किया गया है। जिनकी आधी-आधी वसूली रु0-14,162=00 श्री शिवनरेश गुरुदेव एवं प्रधान श्री रामाधार से रु0-14,162=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

प्रस्तर 58:- विकास खण्ड कुरारा ग्राम पंचायत-जल्ला में दिनांक-30.01.2016 को कमिश्नर साहब के आगमन पर पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा चाय, नाश्ता एवं खाना आदि पर संदिग्ध व्यय प्रमाणकों के आधार पर रु0-28,500=00 राज्य वित्त एवं तेहरवें वित्त से किया गया। जिसके सम्बन्ध में कोई भी आदेश ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि यह धनराशि विकास कार्यों के लिये शासन से प्राप्त हुयी थी। इसलिये इस धनराशि का विकास कार्यों में प्रयोग न करके दुरुपयोग किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री जयराम कुशवाहा व प्रधान श्रीमती अभिलाशा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 59:- ग्राम पंचायत भेड़ी डांडा में वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में निर्मल भारत अभियान खाते से सचिव व प्रधान द्वारा क्रमशः रु0- 12,40,395=00 एवं 18,29,046=00 इस प्रकार कुल रु0- 30,69,441=00 का अपहरण किया गया था। उक्त आहरण से सम्बन्धित कोष बही तैयार कर/व्यय समायोजन सचिव श्री रामू अहिरवार द्वारा वर्तमान सचिव को हस्तगत न कराकर आहरित धनराशि का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। जिसकी आधी - आधी धनराशि प्रधान श्री शिवकुमार व सचिव श्री रामू अहिरवार से ब्याज सहित जमा करायी जाये।

प्रस्तर 60:- ग्राम पंचायत धौहल बुजुर्ग में वर्ष 2014-15 व 2015-16 में निर्मल भारत योजना की कोष बही तैयार की गयी थी, बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में रु0- 11,75,954=00 का बैंक से आहरण किया गया था, जिससे सम्बन्धित समायोजन अप्राप्त रहने के कारण आहरित धनराशि अपहरण किया जाना रहा। क्योंकि श्री रामू अहिरवार तत्कालीन सचिव द्वारा वर्तमान सचिव को चार्ज में नहीं दिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री रामू अहिरवार व प्रधान श्री लाखन सिंह से क्रमशः रु0- 5,87,977=00 व रु0- 5,87,977=00 करायी जानी अपेक्षित है।

मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम, बॉदा।

जनपद का नाम – महोबा

ग्राम पंचायत का नाम – तुर्रा मुहार

आपत्ति का सांराश

प्रस्तर संख्या –01 दिनोंक –11.6.2015 को तेरहवां वित्त की चेक संख्या 025666 रु0 6440.00 नाली सफाई के लिये अखिलेश कुमार के नाम निर्गत की गई है। किन्तु कैशबुक मे धनराशि अंकित नहीं है और न ही प्रमाणक संलग्न पाया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती रिकी सोनी सचिव श्री मैयादीन ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत तुर्रा मुहार, विकास खण्ड पनवाड़ी जनपद महोबा उत्तरदायी है। उत्तरदायी से तातारीख ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0-10)

मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम, बॉदा।

जनपद का नाम – महोबा

ग्राम पंचायत का नाम – धवार

प्रस्तर संख्या –02 ग्राम पंचायत धवार विकास खण्ड पनवाड़ी जनपद महोबा की वर्ष 2014-15 मे राज्य वित्त /तेरहवां वित्त की कैशबुक मे दिनोंक 25.08.2014 चैक संख्या 013259 मु0 11300.00 रुपये की निर्गत की गयी थी, किन्तु स्टेटमेंट के अनुसार कैशबुक मे उक्त चैक आय पक्ष मे अंकित नहीं की गयी और न ही व्यय अंकित किया गया है। इस प्रकार से उक्त धनराशि रु0 11300.00 की वसूली अपेक्षित है। जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्रीमती उमा देवी व सचिव श्री प्रीतम सिंह उत्तरदायी है। जिससे ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

मण्डल — देवीपाटन

जनपद — बहराइच

मण्डल — देवीपाटन

प्रस्तर सं० ग्राम पंचायत चकपिहनी विकास खण्ड कैसरगंज वर्ष 2015-16

- 1 ग्राम पंचायत चकपिहनी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रू०. 13700.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू०. 13700.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 3)
- 2 ग्राम पंचायत चकपिहनी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 24.04.2013, 25.04.2013, 27.04.2013, 29.01.2014 को नाली निर्माण पर व्यय रू०. 7200.00, 4000.00, 5000.00, 5000.00, दिनांक 29.09.2013, 29.10.2013, 29.10.2013, 06.03.2014, 06.03.2014, 11.04.2014, 21.04.2014, 28.05.2014, 18.07.2014, 10.11.2014, 26.11.2014 व 30.03.2015 को खड़न्जा निर्माण पर व्यय रू०. 19761.00, 20874.00, 14534.00, 19940.00, 11940.00, 12780.00, 36556.00, 17800.00, 12480.00, 15267.00, 10692.00, 14778.00 कुल रू०. 228602.00 खड़न्जा मरम्मत हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू०. 228602.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 6)
- 3 ग्राम पंचायत चकपिहनी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 29.10.2013, 12.11.2013, 31.03.2014, 31.03.2014 को ईट क्रय पर व्यय रू०. 53462.00, 27527.00, 54762.00, 28740.00 कुल रू०. 109729.00 का ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू०. 109729.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 8)
- 4 ग्राम पंचायत चकपिहनी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 07.05.2015, 03.07.2015, 03.08.2015, 03.08.2015, 14.09.2015, 18.09.2015, 20.10.2015, 26.10.2015 को व्यय रू०. 4991.00, 4830.00, 29302.00, 10948.00, 4991.00, 4830.00, 4991.00, 4830.00, कुल रू०. 69713.00 खड़न्जा मरम्मत मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू०. 69713.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 7)
- 5 ग्राम पंचायत चकपिहनी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 15.05.2015, 26.05.2015, 03.07.2015, 16.07.2015, 03.08.2015, 13.08.2015, 08.09.2015, 08.09.2015, 19.10.2015, को व्यय रू०. 10106.00, 19840.00, 30318.00, 14329.00, 31000.00, 50939.00, 21470.00, 19200.00, 15190.00 कुल व्यय रू०. 212392.00 का ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू०. 212392.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 9)

ग्राम पंचायत — देवलखा**विकास खण्ड — कैसरगंज****वर्ष 2015—16**

6. ग्राम पंचायत देवलखा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0. 45900.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 45900.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती भारती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं03)**
7. ग्राम पंचायत देवलखा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 28.04.2013, 22.06.2013, 07.08.2013, 08.08.2013,, 19.08.2013, 30.03.2014 को 36400.00, 13000.00, 2224.00, 4750.00, 10674.00, 8355.00 पर कुल रु0. 75403.00 चबूतरा निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 75403.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती भारती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं06)**
8. ग्राम पंचायत देवलखा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 22.06.2013, 22.06.2013, 22.07.2013, 29.08.2013, 29.09.2013, 29.10.2013 को व्यय रु0. 20000.00 , 24000.00, 6890.00, 11606.00, 35505.00, 12070.00 कुल रु0. 110071.00 खण्डजा निर्माण हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 110071.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती भारती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं08)**
9. ग्राम पंचायत देवलखा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.06.2013, 16.12.2013, 29.03.2014, 31.03.2014, 31.03.2014 को व्यय रु0. 33800.00, 7242.00, 33096.00, 15380.00, 36400.00, 40219.00 कुल व्यय रु0. 166137.00 पुलिया निर्माण एवं ईट क्रय पर व्यय कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 166137.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती भारती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं010)**
10. ग्राम पंचायत देवलखा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 07.04.2015, 15.04.2015, 26.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 19.06.2015, 22.06.2015, 27.06.2015 को 4212.00, 4992.00, 4992.00, 4830.00, 9016.00, 4830.00, 4992.00, 4830.00 कुल व्यय रु0. 42694.00 खण्डजा निर्माण हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 42694.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुबेद वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं07)**
11. ग्राम पंचायत देवलखा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 02.07.2015, 02.07.2015, 02.07.2015, 02.07.2015, 02.08.2015, 02.08.2015, 02.08.2015, 07.09.2015, 10.09.2015, 10.09.2015, 28.09.2015 को 4104.00, 2394.00, 12838.00, 2415.00, 4104.00, 2394.00, 12838.00, 12500.00 5000.00, 45909.00, 13512.00 कुल रु0. 118008.00 मजदूरी नाली निर्माण एवं सामग्री खरीद पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 118008.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुबेद वर्मा

एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं09)

12. ग्राम पंचायत देवलखा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 13.04.2015, 15.05.2015, 18.05.2015, 26.05.2015, 27.06.2015, 28.09.2015 को रू0. 30072.00, 10230.00, 55614.00, 39785.00, 15556.00, 24841.00 कुल रू0. 176098.00 का ईट कय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 176098.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुबेद वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं011)

ग्राम पंचायत — भकला विकास खण्ड — कैसरगंज वर्ष 2015-16

13. ग्राम पंचायत भकला की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 34264.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 34264.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं03)
14. ग्राम पंचायत भकला की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 03.04.2014, 03.04.2014, 03.04.2014, 19.04.2014, 02.03.2015, 02.03.2015, 02.03.2015, 03.03.2015 को रू0. 4970.00, 4970.00, 4000.00, 29110.00, 4992.00, 4992.00, 4992.00, 4992.00 कुल रू0. 63018.00 खण्डजा निर्माण हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 63018.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं06)
15. ग्राम पंचायत भकला की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 07.10.2014, 07.10.2014, 07.10.2014, 16.12.2014 को रू0. 4600.00, 142500.00, 82627.00, 4600.00 कुल रू0. 234327.00 पौचालय सामग्री एवं निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 234327.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं08)
16. ग्राम पंचायत भकला की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 02.04.2014, 03.04.2014, 03.04.2014, 03.04.2014, 21.04.2014, 21.04.2014, 02.03.2015, 09.03.2015 को 52000.00, 95000.00, 48750.00 36750.00 55000.00 56258.00 56000.00 51189.00 कुल रू0. 450947.00 ईट कय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 450947.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं09)
17. ग्राम पंचायत भकला की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 10.08.2015, 10.08.2015, 10.08.2015, 21.08.2015, 21.08.2015, 22.08.2015, 22.08.2015, 22.08.2015 को रू0. 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00, 4991.00 कुल रू0. 67910.00 मजदूरी नाली, खडन्जा/मरम्मत कार्य पर निर्माण हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय

प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 67910.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं07)

18. ग्राम पंचायत भकला की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 26.05.2015, 26.05.2015, 06.08.2015, 10.08.2015 को 90000.00, 50000.00, 68500.00, 51000.00 कुल रु0. 259500.00 ईट कय पर केशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टोक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 259500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं010)

ग्राम पंचायत — बंगलाचक

विकास खण्ड — रिसिया

वर्ष 2015-16

19. ग्राम पंचायत बंगलाचक की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0. रु0. 72331.00 केशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 72331.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गंगा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं03)
20. ग्राम पंचायत बंगलाचक की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0. रु0. 100500.00 केशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 100500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शहीदा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं04)
21. ग्राम पंचायत बंगलाचक की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.04.2015, 18.05.2015, 13.07. 2015, 08.10.2015 को रु0. 51000.00, 49000.00, 23500.00, 25000.00 कुल रु0. 148500.00 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर केशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 148500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गंगा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं06)
22. ग्राम पंचायत बंगलाचक की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 16.04.2015, 20.04.2015, 18.05. 2015, 17.07.2015, 03.11.2015 को रु0. 128000.00, 128000.00, 140800.00, 71500.00, 52000.00 कुल रु0. 520300.00 ईट कय पर केशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 520300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गंगा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं07)
23. ग्राम पंचायत बंगलाचक की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 15.04.2015, 21.04.2015, 18.05. 2015, 17.07.2015, 03.11.2015 को 46648.00, 33166.0.0, 34937.00, 18998.00, 14651.00 कुल रु0. 148400.00 नाली एवं खडन्जा मरम्मत पर केशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 148400. 00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गंगा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं08)
24. ग्राम पंचायत बंगलाचक की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 15.04.2015, 15.04.2015 को रु0. 42090.00, 21000.00, 21000.00 कुल रु0. 63090.00 सामग्री कय कय पर केशबुक में व्यय दर्शित है

जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 63090.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गंगा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं09)

ग्राम पंचायत – लौकी

विकास खण्ड – रिसिया

वर्ष 2015–16

25. ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 27.04.2015, 26.05.2015, 25.06.2015, 11.07.2015, 24.08.2015, 18.09.2015, 24.09.2015, को रू0. 1882.00, 2491.00, 6020.00, 1809.00, 1661.00, 2000.00, 7543.00 कुल रू0. 23406.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 23406.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नकछेद प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं03)

26. ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 07.04.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 19.06.2015, 22.09.2015 को रू0. 24852.00, 6000.00, 20520.00, 11742.00, 20000.00 कुल रू0. 83114.00 ट्राली द्वारा मिट्टी भराई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 83114.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नकछेद प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0104)

27. ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 11.04.2015, 27.04.2015, 30.05.2015, 04.06.2015, 05.06.2015, 17.07.2015, 06.10.2015 को रू0. 51200.00, 19200.00, 32000.00, 64000.00, 26000.00, 19500.00 कुल रू0. 243900.00 ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 243900.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नकछेद प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 5)

28. ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 07.04.2015, 07.04.2015, 25.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 04.06.2015, 13.06.2015, 03.07.2015, 24.08.2015, 22.09.2015, 06.10.2015 को रू0. 4508.00, 15778.00, 26082.00, 2898.00, 3864.00, 29302.00, 2254.00, 14651.00, 8330.00, 1932.00, 6762.00 कुल रू0. 116361.00 खण्डजा मरम्मत/नाली मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 116361.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नकछेद प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 6)

29. ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.09.2015 को रू0. 8280.00 कम्प्यूटर वर्क तथा बुकलेट निर्माण आंकलन निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 8280.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नकछेद प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 7)

ग्राम पंचायत — बभनी सैदा**विकास खण्ड — रिसिया****वर्ष 2015—16**

30. ग्राम पंचायत बभनी सैदा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 17.04.2015, 18.09.2015 को रु0. 12530.00, 16755.00 कुल रु0. 29285.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 29285.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शफीकुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 3)
31. ग्राम पंचायत बभनी सैदा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 16.04.2015, 22.06.2015, 19.09. 2015 को रु0. 14000.00, 6000.00, 7500.00 कुल रु0. 23500.00 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 23500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शफीकुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 5)
32. ग्राम पंचायत बभनी सैदा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 04.04.2015, 23.06.2015, को रु0. 80000.00, 12800.00, कुल रु0 92800.00 नाली निर्माण/खडंजा ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 92800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शफीकुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 6)
33. ग्राम पंचायत बभनी सैदा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 25.04.2015, 22.06.2015, को 25776.00, 6700.00, कुल रु0. 32476.00 खण्डजा मरम्मत/नाली मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 32476.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शफीकुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 7)
34. ग्राम पंचायत बभनी सैदा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.04.2015, 25.04.2015, को रु0. 20000.00, 16724.00 कुल रु0. 36724.00 सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 36724.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शफीकुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 8)
35. ग्राम पंचायत बभनी सैदा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.05.2013, 13.05.2015, 15.05. 2015, 16.05.2015, 16.05.2015, 16.05.2015, 16.05.2015, 17.05.2015, 28.05.2015, 28.05.2015, 12.06. 2015 को रु0. 40904.00, 22260.00, 6000.00, 290000.00, 89670.00, 275960.00, 120000.00 183657. 00, 104490.00 86610.00, 106920.00 कुल रु0. 1326471.00 अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 1326471.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शफीकुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 9)

ग्राम पंचायत — रमवापुर**विकास खण्ड — रिसिया****वर्ष 2015—16**

36. ग्राम पंचायत रमवापुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 29.04.2015, 10.08.2015, 18.09.2015 को 2308.00, 3500.00, 10558.00 कुल रू0. 16366.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 16366.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बल्लूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 3)
37. ग्राम पंचायत रमवापुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 27.04.2015, 19.06.2015, 20.06.2015, 22.09.2015 को रू0. 40000.00, 20520.00, 20520.00, 8900.00 कुल रू0. 89940.00 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 89940.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बल्लूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 5)
38. ग्राम पंचायत रमवापुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 07.04.2015, 09.04.2015 को रू0. 105400.00, 80000.00, कुल रू0 185400.00 ईट कय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 185400.00 .00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बल्लूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 6)
39. ग्राम पंचायत रमवापुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 08.04.2015, 27.04.2015, 01.06.2015, 16.06.2015, 22.09.2015 को रू0. 38556.00, 47736.00, 4992.00, 4992.00, 16100.00 कुल रू0 112376.00 खडन्जा मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 112376.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बल्लूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 7)
40. ग्राम पंचायत रमवापुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.09.2015, 12.01.2016 को 20000.00, 20000.00 कुल रू0. 40000.00 प्रधान मानदेय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 40000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बल्लूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 8)

ग्राम पंचायत — ऐलासापुर अगैय्या**विकास खण्ड — रिसिया****वर्ष 2015—16**

41. ग्राम पंचायत ऐलासापुर अगैय्या की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 27.05.2015, 16.06.2015, 23.07.2015, 19.09.2015 को रू0. 1736.00, 6312.00, 5600.00, 7623.00 कुल रू0 21271.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 21271.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 3)
42. ग्राम पंचायत ऐलासापुर अगैय्या की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 01.06.2015, 01.06.2015, 17.08.2015, 21.08.2015, 22.08.2015, 21.09.

2015, 22.09.2015, 22.09.2015 को रू0 5928.00, 7980.00, 8436.00, 8664.00, 21090.00, 20520.00, 13680.00, 5700.00, 6840.00, 10944.00, 13680.00 कुल रू0 123462.00 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 123462.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 5)

43. ग्राम पंचायत **ऐलासापुर अगैय्या** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.05.2015, 21.05.2015, 27.05.2015, 01.06.2015, 09.06.2015, 16.06.2015, 23.07.2015, 19.08.2015, 21.08.2015, 22.08.2015, 22.09.2015, 22.09.2015, 22.09.2015, को रू0 54400.00, 70400.00, 32000.00, 32000.00, 76800.00, 38400.00, 25600.00, 51200.00, 38400.00, 12800.00, 12800.00, 19200.00, 25600.00 कुल रू0 489600.00 को ईट कय पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0.489600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 6)

44. ग्राम पंचायत **ऐलासापुर अगैय्या** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.05.2015, 21.05.2015, 27.05.2015, 01.06.2015, 16.06.2015, 16.06.2015, 17.08.2015, 19.08.2015, 21.08.2015, 22.08.2015, 22.09.2015, 22.09.2015, 22.09.2015, को रू0. 9016.00 11914.00, 14007.00, 14651.00, 32683.00, 21896.00, 22540.00, 28175.00, 18998.00, 10143.00, 9660.00, 16100.00, 10143.00, कुल रू0. 219926.00 खडन्जा मरम्मत मजदूरी पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 219926.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 7)

45. ग्राम पंचायत **ऐलासापुर अगैय्या** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 22.08.2015, 25.08.2015, 25.08.2015, 25.08.2015, 25.08.2015, 25.08.2015, 25.08.2015 को रू0 1250.00, 5490.00, 3000.00, 750.00, 850.00, 5300.00, 1265.00, 8708.00, 1286.00, 625.00, 5195.00, 3000.00, 750.00, 850.00, 5300.00, 943.00, 8708.00 कुल रू0 53260.00 शौचालय मरम्मत पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 53260.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 8)

ग्राम पंचायत — बहबोलिया महादा विकास खण्ड — रिसिया वर्ष 2015-16

46. ग्राम पंचायत **बहबोलिया महादा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 20.04.2015, 15.06.2015, 22.07.2015, 07.08.2015, 04.10.2015 को रू0. 5550.00, 5360.00, 5000.00, 5600.00, 4745.00 कुल रू0. 26255.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 26255.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अफसर जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 3)

47. ग्राम पंचायत **बहबोलिया महादा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.04.2015, 20.05.2015, 02.08.2015, 03.09.2015, 01.10.2015, 14.10.2015 को रू0. 11000.00, 23480.00, 25000.00, 14000.00, 35000.00, 25000.00 कुल रू0. 133480.00 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है

जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 133480.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अफसर जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 4)

48. ग्राम पंचायत **बहबोलिया महादा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.04.2015, 06.04.2015, 09.06.2015, 12.08.2015, 12.08.2015, 01.10.2015, को रू0. 80600.00, 70200.00, 62000.00, 80000.00, 72000.00, 24800.00 कुल रू0. 389600.00 ईट कय पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 389600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अफसर जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 5)

49. ग्राम पंचायत **बहबोलिया महादा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 20.05.2015, 12.08.2015, 03.09.2015, 01.10.2015, 14.10.2015, को रू0. 26520.00, 281775.00, 16905.00, 32200.00, 28980.00 कुल रू0. 132780.00 खण्डन्जा निर्माण/मरम्मत मजदूरी पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 132780.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अफसर जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 6)

50. ग्राम पंचायत **बहबोलिया महादा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.04.2015, 06.04.2015, 07.04.2015, 22.04.2015, 20.05.2015, 20.05.2015, 19.06.2015, 19.06.2015, 12.08.2015, 12.08.2015, 13.08.2015, 26.08.2015, 26.08.2015, 03.09.2015, 03.09.2015, 07.09.2015, 01.10.2015, 14.10.2015, 14.10.2015, को रू0. 118800.00, 11400.00, 75000.00, 1500.00, 73525.00, 26475.00, 17400.00, 600.00, 40726.00, 128000.00, 29770.00, 29000.00, 472681.00, 58560.00, 37044.00, 25305.00, 129700.00, 26516.00, 7610.00, 3215.00, कुल रू0. 1312827.00 अत्येष्टि स्थल निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 1312827.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अफसर जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 7)

ग्राम पंचायत — लीलापारा विकास खण्ड — रिसिया वर्ष 2015-16

51. ग्राम पंचायत **लीलापारा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 23.04.2015, 22.07.2015, को रू0. 4865.00, 4141.00 कुल रू0. 9006.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 9006.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना परवीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 3)

52. ग्राम पंचायत **लीलापारा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 23.04.2015, 01.06.2015, 22.07.2015, 22.07.2015, को रू0. 14706.00, 11970.00, 11400.00, 10260.00 कुल रू0. 48336.00 ट्राली द्वारा मिट्टी पटार्ई पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 48336.00 का अपहरण ग्राम

(आ०सं० 5)

- (आ०सं० 6)

- (आ०सं० ७)

- (आ०सं० ८)

- (आ०सं० ९)

- (आ०सं० 10)

- वर्ष 2015-16

वर्ष 2015-16

- 2015, 30.10.2015, को रू0. 32297.00, 7962.00, 3000.00, 1690.00 कल रू0. 44949.00 हैण्ड पम्प

(आ०सं० ३)

- (आ०सं० 5)

- (आ०सं० 6)

- (आ०सं० ७)

- (आ०सं० ८)

ग्राम पंचायत – पटनाधुसियारी

विकास खण्ड – रिसिया

वर्ष 2015-16

- (आ०सं० ३)

- 1015

1016

58513.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मंशाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 9)

91. ग्राम पंचायत **डिहवा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 22.03.2016, को रू0. 21280.00 नाली निर्माण मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 21280.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 10)

92. ग्राम पंचायत **डिहवा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 18.09.2015, 18.09.2015, 07.10.2015 को रू0. 13725.00, 1275.00, 6800.00 कुल रू0. 21800.00 नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट एव वालू सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 21800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मंशाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 11)

93. ग्राम पंचायत **डिहवा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 22.03.2016, 22.03.2016 को रू0. 24400.00, 6800.00 कुल रू0. 36400.00 नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट एव वालू सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 36400.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 12)

94. ग्राम पंचायत **डिहवा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 23.06.2015, 22.09.2015, को रू0. 60000.00, 6000.00 कुल रू0. 66000.00 शौचालय/अनुदार निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/लभ्यार्थी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 66000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मंशाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 13)

ग्राम पंचायत — बडेहरा

विकास खण्ड — रिसिया

वर्ष 2015-16

95. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 16.04.2015, 18.05.2015, 16.07.2015, 21.09.2015 को रू0. 8000.00, 4624.00, 1495.00, 1847.00 कुल रू0. 15966.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 15966.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 3)

96. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 19.03.2016 को रू0. 37500.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 37500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अजमतुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 4)

97. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 15.04.2015, 25.04.2015, 13.06.2015, 07.07.2015, 21.07.2015, 24.07.2015, 21.09.2015, को रू0. 19500.00, 2704.00, 20041.00, 5260.00, 10000.00, 17000.00, 9867.00 कुल रू0. 84372.00 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित

है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 84372.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 5)

98. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 24.04.2015, 05.05.2015, 05.05.2015, 20.05.2015, 10.06.2015, 10.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 07.07.2015, 23.09.2015 को रु0. 24800.00, 40300.00, 19500.00, 19959.00, 64000.00, 44800.00, 77952.00, 47104.00, 15680.00, 50400.00 कुल रु0. 404495.00 ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 404495.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 6)

99. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 28.03.2016, 28.03.2016, को रु0. 94500.00, 72261.00 कुल रु0. 166761.00 ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 166761.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अजमतुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 7)

100. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 25.04.2015, 05.05.2015, 18.05.2015, 10.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 07.07.2015, 16.07.2015, 21.09.2015, 31.10.2015 को रु0. 16692.00, 19968.00, 15444.00, 42987.00, 14812.00, 27048.00, 13202.00, 13363.00, 8211.00, 12075.00 कुल रु0. 183802.00 मस्टर रोल खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 183802.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 8)

101. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 29.03.2016 को रु0. 27692.00 कुल रु0. 27692.00 मस्टर रोल खडन्जा निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 27692.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अजमतुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 9)

102. ग्राम पंचायत **बडेहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 29.03.2016 को रु0. 10944.00 सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 10944.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अजमतुल निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाम जाबिर द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 10)

ग्राम पंचायत — बांसगढी

विकास खण्ड — महसी

वर्ष 2015-16

103. ग्राम पंचायत **बांसगढी** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 07.04.2015, 21.04.2015, 19.06.2015 को रु0. 33613.00, 6400.00, 943.00 कुल रु0. 40956.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय

(आ०सं० ३)

- (आ०सं० 5)

- (आ०सं० ६)

- (आ0सं07)

- (आ०सं० ८)

वर्ष 2015-16

- (आ०सं० ३)

- (आ०सं० 5)

129. ग्राम पंचायत **सोनहरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा दिनांक 31.03.2016 चेक संख्या 037965 द्वारा रु0. 800.00 आहरित धनराशि को कैशबुक व्यय पक्ष में अंकित न कर एव व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जगतापुर विकास खण्ड – हुजूरपुर वर्ष 2015–16

131. ग्राम पंचायत **जगतापुर** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा खाता सं०. 50047324587 से पूरे माह मई 2015 रु०. 50000.00 आहरित आय अंकित करके व्यय खारिज व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु०. 50000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं० 8)**

133. ग्राम पंचायत **जगतापुर** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा खाता सं०. 50047324587 से पूरे माह जुलाई 2015 धन रु०. 25000.00 आहरित करके आय अंकित करके व्यय खारिज व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु०. 220000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ०सं० 8)

134. ग्राम पंचायत **जगतापुर** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा खाता सं०. 50047324587 से पूरे माह अगस्त 2015 धन रू०. 25000.00 आहरित करके आय अंकित करके व्यय खारिज व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू०. 25000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

1026

(आ०सं० ८)

- (आ०सं० ८)

विकास खण्ड – हुजूरपुर

- (आ०सं० ८)

- (आ०सं० ८)

अधिकारी श्री तेज नारायन राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 8)

148. ग्राम पंचायत **यादवपुर मटेहिया** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा खाता सं0. 5004732396 से पूरे माह जुलाई 2015 रू0. 58757.00 आहरित करके ग्राम निधि प्रथम में आय अंकित कर उसके सापेक्ष व्यय खारिज न कर व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 58757.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अब्दुल्ला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायन राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 8)

149. ग्राम पंचायत **यादवपुर मटेहिया** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा खाता सं0. 5004732396 से पूरे माह अगस्त 2015 रू0. 50000.00 आहरित करके ग्राम निधि प्रथम में आय अंकित कर उसके सापेक्ष व्यय खारिज न कर व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 50000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अब्दुल्ला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायन राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 8)

ग्राम पंचायत – डीहा

विकास खण्ड – चित्तौरा

वर्ष 2015-16

150. ग्राम पंचायत **डीहा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 13.04.2015, 15.04.2015, 29.06.2015, 29.06.2015, 10.08.2015, 14.08.2015, 08.03.2016. को 76800.00, 6000.00, 21960.00, 12000.00, 1200.00, 50050.00, 3750.00, 21960.00, 9000.00, 2200.00, 24700.00, 5490.00, 2000.00, 4406.00 कुल रू0. 281210.00 बिना खण्डन्जा मरम्मत किये ईट, सीमेन्ट, मोरंग, बालू गिट्टी पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 281210.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री आदित्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्वत द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 5)

151. ग्राम पंचायत **डीहा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.03.2016, 25.05.2015, 29.06.2015, 03.07.2015, 20.08.2015 को 17101.00, 21868.00, 17402.00, 2259.00, 5453.00 कुल रू0. 69083.00 मस्टर रोल, खण्डन्जा मरम्मत एवं नाली निर्माण पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 69083.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री आदित्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्वत द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 6)

152. ग्राम पंचायत **डीहा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 05.04.2015, 25.06.2015, 03.07.2015, 29.09.2015, 19.10.2015, 30.10.2015 को 4300.00, 4080.00, 8160.00, 12615.00, 25650.00, 3765.00 कुल रू0. 58570.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 58570.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री आदित्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्वत द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 7)

ग्राम पंचायत – दुलारपुर

विकास खण्ड – चित्तौरा

वर्ष 2015-16

153. ग्राम पंचायत **दुलारपुर** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 24.04.2015, 27.04.2015, 20.06.2015, 30.10.2015, 28.03.2016 को 3250.00, 2770.00, 5550.00, 5174.00, 9300.00 कुल रू0. 26044.00 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 26044.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नरगिस बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 5)

154. ग्राम पंचायत **दुलारपुर** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 13.04.2015, 18.06.2015, 04.06.2015, 21.09.2015, 22.03.2016, 22.03.2016, को 17904.00, 34944.00, 15778.00, 20468.00, 25564.00, 4620.00 कुल रु0. 119278.00 मस्टर रोल खण्डन्जा मरम्मत एवं नाली पुनर्निर्माण पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 119278.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नरगिस बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 6)

155. ग्राम पंचायत **दुलारपुर** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 13.04.2015, 13.04.2015, 20.06.2015, 19.06.2015, 19.06.2015, 19.06.2015, 21.09.2015, 08.03.2016, 22.03.2016, 22.03.2016, 28.03.2016, 29.03.2016, 21.03.2016, 21.03.2016 को 44633.00, 70400.00, 64000.00, 18300.00, 10000.00, 6100.00, 37800.00, 46620.00, 13230.00, 14300.00, 6075.00, 31000.00, 15000.00, 18000.00 कुल रु0. 395458.00 बिना खण्डन्जा मरम्मत किये नाली निर्माण ईट, सीमेन्ट, मोरंग, बालू गिट्टी, मिट्टी ढुलाई आदि कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 395458.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नरगिस बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 7)

ग्राम पंचायत — अहिरौरा

विकास खण्ड — चित्तौरा

वर्ष 2015-16

156. ग्राम पंचायत **अहिरौरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 11.04.2015, 16.05.2015, 22.06.2015, 17.07.2015, 19.08.2015, 21.09.2015, 09.02.2016, 21.03.2016 को 11280.00, 6850.00, 10380.00, 5260.00, 8770.00, 12390.00, 20360.00, 9750.00 कुल रु0. 85040.00 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 85040.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं05)

157. ग्राम पंचायत **अहिरौरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 09.05.2015, 09.05.2015, 05.08.2015, 11.08.2015, 09.02.2016, 09.02.2016, 11.02.2016, 21.09.2015, को 21588.00, 9314.00, 10528.00, 7952.00, 9996.00, 6300.00, 10528.00, 14994.00, 91200.00 कुल रु0. 91200.00 मस्टर रोल, खण्डन्जा मरम्मत एवं नाली निर्माण आदि पर कैंशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रु0. 91200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं06)

158. ग्राम पंचायत **अहिरौरा** की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 08.05.2015, 08.05.2015, 08.05.2015, 08.05.2015, 18.05.2015, 18.05.2015, 18.05.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 23.09.2015, 10.02.2016, 10.02.2016, 11.02.2016, 19.02.2016, 11.05.2015, 02.08.2015, 11.01.2016, को 12400.00, 37200.00, 17920.00, 38400.00, 50400.00, 24800.00, 8100.00, 2440.00, 16200.00, 59200.00, 27050.00, 44100.00, 23424.00, 26000.00, 50400.00, 11000.00, 16494.00, 6120.

00, 5760.00, 11250.00 कुल रू0. 488658.00 बिना खण्डन्जा मरम्मत किये ईट, सीमेन्ट, मोरंग, बालू गिट्टी आदि के क़य पर क़ैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 488658.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं07)

ग्राम पंचायत – चफरिया विकास खण्ड – चित्तौरा वर्ष 2015–16

159. ग्राम पंचायत चफरिया की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 21.05.2015, 07.07.2015, 23.09.2015 को 40000.00, 22575.00, 24110.00 कुल रू0. 86685.00 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर क़ैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 86685.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री तैय्यब अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं05)

160. ग्राम पंचायत चफरिया की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा दिनांक 20.06.2015, 01.08.2015, 27.08.2015, 23.09.2015, 01.08.2015, 29.09.2015 को 56490.00, 23506.00, 24211.00, 13202.00, 74800.00, 31500.00 कुल रू0. 223709.00 मस्टर रोल, खण्डन्जा निर्माण, पुनर्निर्माण, आर0 सी0 सी0 ढक्कन निर्माण एवं ईट क़य पर क़ैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 223709.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री तैय्यब अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं06)

ग्राम पंचायत – सिंगंहा विकास खण्ड – चित्तौरा वर्ष 2015–16

161. ग्राम पंचायत सिंगंहा की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.05.2015, 19.03.2016 को 11570.00, 19500.00 कुल रू0. 31070.00 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर क़ैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 31070.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सलमा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं03)

163. ग्राम पंचायत सिंगंहा की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.05.2015, 15.04.2015, 22.06.2015, 19.09.2015 को 18032.00, 13416.00, 25438.00, 32480.00 कुल रू0. 89366.00 मस्टर रोल, मिट्टी पटार्ई, दरेसी कराई एवं खडन्जा निर्माण पर क़ैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 89366.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सलमा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 6)

164. ग्राम पंचायत सिंगंहा की वर्ष 2015–16 की दिनांक 15.04.2015, 24.06.2015, 10.04.2015, 06.05.2015, 22.06.2015, 20.07.2015, 19.09.2015 को 93000.00, 124000.00, 33300.00, 38500.00, 34000.00, 16000.00, 30500.00 कुल रू0. 369300.00 बिना खण्डन्जा मरम्मत किये ईट क़य, एवं मिट्टी ढुलाई पर क़ैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 369300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सलमा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 7)

ग्राम पंचायत – बिछला**विकास खण्ड – चित्तौरा****वर्ष 2015–16**

165. ग्राम पंचायत **बिछला** की वर्ष 2015–16 की दिनांक 26.05.2015, 23.09.2015, 19.03.2016 को 14142.00, 19680.00, 22860.00, कुल रू0. 56682.00 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 56682.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 5)

166. ग्राम पंचायत **बिछला** की वर्ष 2015–16 की दिनांक 07.04.2015, 06.05.2015, 24.09.2015 को 18300.00, 21734.00, 18480.00 कुल रू0. 58514.00 मस्टर रोल, खण्डन्जा निर्माण, बाउन्ड्रीवाल निर्माण परकैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 58514.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 6)

167. ग्राम पंचायत **बिछला** की वर्ष 2015–16 की दिनांक 12.05.2015, 06.05.2015, 07.05.2015, 28.09.2015, 28.08.2015 को 78140.00, 42178.00, 6787.00, 30240.00, 49998.00 कुल रू0. 207343.00 बिना खण्डन्जा वाल निर्माण ईट, सीमेन्ट, लोहे, का गेट ताला, मिट्टी ढुलाई आदि परकैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 207343.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 7)**ग्राम पंचायत – कुसौर****विकास खण्ड – चित्तौरा****वर्ष 2015–16**

168. ग्राम पंचायत **कुसौर** की वर्ष 2015–16 की दिनांक 07–11–2015 को रू0–31150.00, इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 31150.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शीतला प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 5)

169. दिनांक 15.04.2015, 12.06.2015, 17.07.2015, 18.09.2015, 27.01.2016, 02.02.2016, 26.02.2016, 26.02.2016, 28.02.2016 को रू0–224413.00, 115840.00, 21860.00, 73055.00, 69074.00, 71862.00, 14245.00, 101869.00, 4237.00, 28000.00 कुल रू0. 913455.00 मस्टर रोड खण्डन्जा नाली निर्माण हयूम पाईप कय परकैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 913455.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शीतला प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 6)

जनपद—बलरामपुर

ग्राम पंचायत : गुलरिहा

विकास खण्ड : तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या—1— वर्ष 2010—11 से वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 21887498226 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फातिमा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री राज कुमार चतुर्वेदी से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
22.05.2014	20,000.00	05.09.2014	60,000.00	11.12.2014	5,000.00
22.05.2014	18,000.00	05.11.2014	40,000.00	13.03.2015	60,000.00
23.05.2014	54,000.00	05.11.2014	60,000.00	14.03.2015	20,000.00
23.05.2014	48,600.00	05.11.2014	20,000.00	14.03.2015	20,000.00
28.05.2014	5,000.00	10.11.2014	30,000.00	16.03.2015	42,000.00
02.07.2014	20,000.00	22.11.2014	20,000.00	06.04.2015	20,000.00
02.07.2014	20,000.00	24.11.2014	20,000.00		
02.07.2014	10,000.00	24.11.2014	50,000.00		
04.09.2014	20,000.00	28.11.2014	90,000.00		
05.09.2014	10,000.00	05.12.2014	20,800.00	योग	8,03,400.00

(मूल आपत्ति—17)

2. वर्ष 2015—16 बैंक खाता संख्या 21887498226 से निम्न विवरणानुसार आहरण करके निर्माण कार्य पर ब्यय को कोशबही में दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत् है :—

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
18.04.2015	20,000.00	13.08.2015	20,000.00	25.02.2016	1,50,000.00
22.04.2015	32,000.00	14.08.2015	7,000.00	25.02.2016	2,00,000.00
22.04.2015	50,000.00	07.09.2015	21,000.00	15.03.2016	5,000.00
27.04.2015	5,000.00	07.09.2015	93,000.00	18.03.2016	5,000.00
13.05.2015	3,000.00	08.09.2015	93,000.00	18.03.2016	24,800.00
10.06.2015	10,000.00	08.09.2015	93,000.00	15.03.2016	20,000.00
13.06.2015	20,000.00	30.09.2015	20,000.00	18.03.2016	24,400.00
17.06.2015	10,000.00	08.10.2015	23,500.00	18.03.2016	1,11,370.00
17.06.2015	15,000.00	योग	5,79,000.00	18.03.2016	1,10,632.00
10.08.2015	3,500.00	22.02.2016	50,000.00	योग	9,51,202.00
13.08.2015	20,000.00	23.02.2016	1,50,000.00		
13.08.2015	20,000.00	23.02.2016	1,00,000.00	कुल योग	15,30,202.00

उपरोक्त निर्माण कार्य के पत्रावलियों के जाँच में निम्न कमियां पायी गयी :—

- (i) उक्त निर्माण कार्य पर ब्यय किस मद से किया गया है, कोशबही में अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (ii) उपरोक्त ब्यय राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुरूप नहीं पाया गया, जो कि अपेक्षित था। राज्य वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुसार इस मद में प्राप्त अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी परिसम्पत्तियों जैसे खड़न्जा, नाली, पुलिया, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, कुएं, हैण्ड पम्प, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था आदि के रख-रखाव एवं अनुरक्षण में किया जायेगा।

13वें वित्त आयोग के संस्तुतिओं के अन्तर्गत किष्प की धनराशि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 'मूलभूत' संस्थाओं जैसे पेयजल सुविधा, सीवेज व्यवस्था, सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रीट लाइट एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के रख-रखाव (अनुरक्षण) पर उपयोग किया जा सकता है। जो नहीं किया गया है।

- (iii) कोशबही में निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के क्रय किये जाने वाले फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (iv) नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।
- (v) उपरोक्त निर्माण कार्य का आंकलन पत्र व एम.बी. रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और मौखिक बताया गया कि तैयार नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त के अभाव में निर्माण कार्य का आंकलन व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।
- (vi) उपरोक्त निर्माण कार्य पर कोशबही में दर्शित व्यय का प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः दर्शित व्यय अवास्तविक प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोशबही में उपरोक्त निर्माण कार्य पर रु० 5,79,000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती फातिमा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज कुमार चतुर्वेदी तथा अन्य तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी ने राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित व्यक्तियों से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है तथा उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोशबही में उपरोक्त निर्माण कार्य पर रु० 9,31,002.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अब्दुल मोइद खान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज कुमार चतुर्वेदी तथा अन्य तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी ने राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित व्यक्तियों से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.-18)

ग्राम पंचायत : नेवाजपुर

विकास खण्ड : तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-2- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार शौचालय मद में व्यय को कैशबुक में दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

प्रमाणक संख्या/तिथि	विवरण	धनराशि	प्रमाणक संख्या/तिथि	विवरण	धनराशि
1/22.09.2015	ईट क्रय	1,20,000.00	3/29.10.2015	ईट/गिट्टी क्रय	1,00,000.00
2/05.10.2015	सामग्री क्रय	1,20,000.00	4/07.11.2015	सामग्री एवं मस्टररोल	20,000.00
				योग	3,60,000.00

वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त/तेरहवें वित्त मद से हुए व्यय को कैशबुक में दर्शाया गया है।

तिथि	विवरण	धनराशि	तिथि	विवरण	धनराशि
20.04.2015	मिट्टी क्रय	20,000.00	07.08.2015	मस्टररोल	10,000.00
20.04.2015	खड़जा उखड़ाई	20,000.00	16.08.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	1,600.00
07.05.2015	ईट क्रय	62,000.00	16.08.2015	सीमेंट क्रय	20,000.00
16.06.2015	खड़जा उखड़ाई	20,000.00	20.08.2015	मस्टररोल	10,000.00
07.07.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	15,000.00	25.08.2015	ईट क्रय	25,000.00
27.07.2015	बालू क्रय	10,000.00	25.08.2015	सीमेंट क्रय	15,000.00
27.07.2015	ईट क्रय	20,000.00	16.10.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	12,000.00
28.07.2015	ईट क्रय	20,000.00	योग		2,69,800.00
			कुल योग		6,29,800.00

उपरोक्त निर्माण कार्य के पत्रावलियों के जाँच में निम्न कमियां पायी गयी :-

- (i) उक्त निर्माण कार्य पर व्यय किस मद से किया गया है, कोशबही में अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (ii) उपरोक्तानुसार व्यय राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुरूप नहीं पाया गया, जो कि अपेक्षित था। राज्य वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुसार इस मद में प्राप्त अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी परिसम्पत्तियों जैसे खड़जा, नाली, पुलिया, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, कुएं, हैण्ड पम्प, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था आदि के रख-रखाव एवं अनुरक्षण में किया जायेगा।

13वें वित्त आयोग के संस्तुतिओं के अन्तर्गत किष्प की धनराशि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 'मूलभूत' संस्थाओं जैसे पेयजल सुविधा, सीवेज व्यवस्था, सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रीट लाइट एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के रख-रखाव (अनुरक्षण) पर उपयोग किया जा सकता है। जो नहीं किया गया है।

- (iii) कोशबही में निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के क्रय किये जाने वाले फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (iv) नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।
- (v) उपरोक्त निर्माण कार्य का आंकलन पत्र व एम.बी. रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और मौखिक बताया गया कि तैयार नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त के अभाव में निर्माण कार्य का आंकलन व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।
- (vi) उपरोक्त निर्माण कार्य पर कोशबही में दर्शित व्यय का प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः दर्शित व्यय अवास्तविक प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोशबही में उपरोक्त निर्माण कार्य पर ₹6,29,800.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री तरन्नुम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतलाल मौर्या तथा अन्य तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी ने राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित व्यक्तियों से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं.-17)

ग्राम पंचायत : जहानडीह

विकास खण्ड : तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-3- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 की कैशबुक में सामग्री क्रय पर व्यय को दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

तिथि	विवरण	धनराशि	तिथि	विवरण	धनराशि
08.04.2010	ईंट क्रय	61,000.00	09.05.2011	ईंट क्रय	22,600.00
14.05.2010	ईंट क्रय	25,000.00	26.09.2011	बालू क्रय	7,120.00
08.09.2010	बालू क्रय	8,000.00	03.10.2011	सीमेंट क्रय	13,750.00
09.11.2010	ईंट क्रय	53,000.00	03.10.2011	ईंट क्रय	58,200.00
11.12.2010	ईंट क्रय	43,500.00	03.10.2011	सीमेंट क्रय	17,040.00
11.12.2010	ईंट क्रय	19,440.00	17.11.2011	सामग्री क्रय	44,967.00
19.01.2011	बालू क्रय	8,000.00	15.11.2011	सीमेंट क्रय	14,850.00
18.03.2011	ईंट क्रय	60,480.00	14.01.2012	सामग्री क्रय	23,591.00
18.03.2011	सीमेंट क्रय	16,500.00	14.01.2012	ईंट क्रय	50,000.00
18.03.2011	ईंट क्रय	90,000.00	10.02.2012	ईंट क्रय	43,280.00
				योग	7,11,318.00
					6,29,800.00

उपरोक्त निर्माण कार्य के पत्रावलियों के जाँच में निम्न कमियां पायी गयी :-

- (i) उक्त निर्माण कार्य पर व्यय किस मद से किया गया है, कोशबही में अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (ii) उपरोक्तानुसार व्यय राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुरूप नहीं पाया गया, जो कि अपेक्षित था। राज्य वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुसार इस मद में प्राप्त अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी परिसम्पत्तियों जैसे खड़न्जा, नाली, पुलिया, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, कुएं, हैण्ड पम्प, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था आदि के रख-रखाव एवं अनुरक्षण में किया जायेगा।

13वें वित्त आयोग के संस्तुतिओं के अन्तर्गत किष्प की धनराशि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 'मूलभूत' संस्थाओं जैसे पेयजल सुविधा, सीवेज व्यवस्था, सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट

और स्ट्रीट लाइट एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के रख-रखाव (अनुरक्षण) पर उपयोग किया जा सकता है। जो नहीं किया गया है।

- (iii) कोशबही में निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के क्रय किये जाने वाले फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (iv) नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।
- (v) उपरोक्त निर्माण कार्य का आंकलन पत्र व एम.बी. रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और मौखिक बताया गया कि तैयार नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त के अभाव में निर्माण कार्य का आंकलन व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।
- (vi) उपरोक्त निर्माण कार्य पर कोशबही में दर्शित व्यय का प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः दर्शित व्यय अवास्तविक प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोशबही में उपरोक्त निर्माण कार्य पर ₹7,11,318.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मोमिना तथा अन्य तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी ने राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित व्यक्तियों से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.-17)

2. वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 की कैशबुक में सामग्री क्रय पर व्यय को दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	वर्ष	ईट क्रय पर व्यय	बालू, सीमेंट, गिट्टी आदि क्रय पर व्यय
01.	2012.13	1,09,800.00	30,000.00
02.	2013.14	5,07,750.00	1,85,500.00
03.	2014.15	3,52,224.00	1,57,160.00
04.	2015.16	1,02,500.00	73,000.00
योग		10,72,274.00	4,45,660.00
कुल योग		15,17,934.00	

उपरोक्त निर्माण कार्य के पत्रावलियों के जाँच में निम्न कमियां पायी गयी :-

- (i) उक्त निर्माण कार्य पर व्यय किस मद से किया गया है, कोशबही में अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (ii) उपरोक्तानुसार व्यय राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुरूप नहीं पाया गया, जो कि अपेक्षित था। राज्य वित्त आयोग के गाइड लाइन्स के अनुसार इस मद में प्राप्त अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी परिसम्पत्तियों जैसे खड़न्जा, नाली, पुलिया, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, कुएं, हैण्ड पम्प, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था आदि के रख-रखाव एवं अनुरक्षण में किया जायेगा।

13वें वित्त आयोग के संस्तुतिओं के अन्तर्गत किष्प की धनराशि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 'मूलभूत' संस्थाओं जैसे पेयजल सुविधा, सीवेज व्यवस्था, सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रीट लाइट एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के रख-रखाव (अनुरक्षण) पर उपयोग किया जा सकता है। जो नहीं किया गया है।

- (iii) कोशबही में निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के क्रय किये जाने वाले फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया जो कि अपेक्षित था।
- (iv) नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग के अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।
- (v) उपरोक्त निर्माण कार्य का आंकलन पत्र व एम.बी. रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और मौखिक बताया गया कि तैयार नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त के अभाव में निर्माण कार्य का आंकलन व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- (vi) उपरोक्त निर्माण कार्य पर कोशबही में दर्शित व्यय का प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः दर्शित व्यय अवास्तविक प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोशबही में उपरोक्त निर्माण कार्य पर ₹15,17,934.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मोमिना तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतलाल मौर्या तथा अन्य तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी ने राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित व्यक्तियों से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं.-18)

ग्राम पंचायत : परसिया कला

विकास खण्ड : तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-4- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- वर्ष 2011-12 सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक खाता से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
07.04.2011	9,000.00	05.07.2011	9,000.00	24.10.2011	8,250.00
07.04.2011	17,000.00	12.09.2011	6,825.00	01.11.2011	33,000.00
11.04.2011	22,200.00	12.09.2011	23,500.00	02.11.2011	9,000.00
19.04.2011	65,070.00	26.09.2011	1,03,740.00	06.11.2011	10,000.00
19.04.2011	30,985.00	26.09.2011	17,800.00	15.11.2011	5,000.00
21.04.2011	1,43,280.00	19.10.2011	6,500.00	22.11.2011	30,000.00
26.05.2011	5,000.00	21.10.2011	11,700.00	योग	5,65,000.00

दिनांक 22.11.2011 से दिनांक 31.03.2011 तक का बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। यदि उक्त अवधि में कोई आहरण की गयी हो तो उसे भी इस योग में सम्मिलित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार ₹5,65,000.00 की निकासी करके समस्त धन का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार तिवार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतलाल मौर्या से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। (मूल आपत्ति-17)

- निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत निधि खाता संख्या 74240 से बैंक आहरण के सापेक्ष कैशबुक एवं छात्रवृत्ति वितरण पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। विवरण निम्नवत् है :-

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
20.05.2010	9,000.00	23.04.2011	5,700.00	24.10.2011	57,000.00
01.12.2010	45,000.00	27.04.2011	3,850.00	15.11.2011	5,700.00
19.02.2011	72,600.00	18.10.2011	27,000.00	योग	2,25,850.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार ₹2,25,850.00 की निकासी करके समस्त धन का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार तिवार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतलाल मौर्या से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। (मूल आपत्ति-18)

ग्राम पंचायत : बरदहवा

विकास खण्ड : तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-5- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- वर्ष 2011-12 की कैशबुक में निम्न विवरणानुसार छात्रवृत्ति मद में व्यय को दर्शाया गया है।

दिनांक 30.11.2011 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय ₹39,300.00 तथा दिनांक 17.12.2011 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय ₹28,800.00 कुल व्यय ₹68,100.00 के सम्बंध में निम्न आपत्तियाँ हैं :-

- छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु जाँच में पाया गया कि लाभार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण की वितरण पंजिका नहीं अनायी गयी है और न ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी है।
- लाभार्थियों से सम्बंधित अन्य किसी भी विवरण को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः विवरणहीन एवं अपुष्ट छात्रवृत्ति वितरण की धनराशि गबन की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मन्ना, ग्राम प्रधान तथा श्री राम अचल, ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है। (मूल आपत्ति-17)

2. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 90140100008867 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
21.05.2010	34,000.00	17.06.2010	34,000.00	15.07.2010	12,000.00
22.05.2010	11,400.00	22.06.2010	5,000.00	20.07.2010	3,000.00
24.05.2010	18,360.00	23.06.2010	15,000.00	18.10.2010	1,000.00
24.05.2010	9,450.00	08.07.2010	14,570.00	योग	1,57,780.00

(मूल आपत्ति सं.-18)

3. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 90140100008867 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मन्ना तथा तत्कालीन ग्रा. पं.अ. श्री राम अचल से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
16.12.2010	21,600.00	07.02.2011	19,280.00	20.04.2011	12,780.00
14.01.2011	3,500.00	09.02.2011	25,000.00	20.04.2011	21,500.00
22.01.2011	13,500.00	09.02.2011	12,100.00	20.04.2011	14,840.00
24.01.2011	5,000.00	09.02.2011	27,600.00	14.05.2011	12,600.00
27.01.2011	30,600.00	14.02.2011	18,000.00	30.05.2011	10,800.00
28.01.2011	34,500.00	17.02.2011	2,250.00	31.05.2011	5,050.00
02.02.2011	14,400.00	25.02.2011	2,080.00		
07.02.2011	12,150.00	07.04.2011	21,600.00	योग	3,36,710.00

(मूल आपत्ति सं.-19)

ग्राम पंचायत : भगवान पुर

विकास खण्ड : तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-6- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार कैशबुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. पंजिका, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। विवरण निम्नवत् है :-

प्रमाणक संख्या / तिथि	विवरण	धनराशि	प्रमाणक संख्या / तिथि	विवरण	धनराशि
1 / 13.04.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	12,500.00	10 / 07.07.2015	सफाई कर्मी किट	2,000.00
2 / 05.05.2015	ईंट क्रय	43,200.00	11 / 10.08.2015	ईंट क्रय	68,200.00
3 / 05.05.2015	ईंट क्रय	43,200.00	12 / 10.08.2015	सीमेंट क्रय	15,000.00
4 / 05.05.2015	ईंट क्रय	36,000.00	13 / 17.08.2015	सरिया क्रय	20,000.00
5 / 27.06.2015	ईंट क्रय	99,200.00	14 / 17.08.2015	मस्टररोल	40,000.00
6 / 27.06.2015	मिट्टी क्रय	15,000.00	15 / 24.08.2015	ईंट क्रय	74,400.00
7 / 27.06.2015	मस्टररोल	20,000.00	16 / 25.08.2015	मस्टररोल	30,000.00
8 / 27.06.2015	मस्टररोल	45,000.00	17 / 25.08.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	5,700.00
9 / 07.07.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	5,000.00	18 / 06.11.2015	सेख्ता निर्माण	30,000.00
योग					6,04,400.00

अतः कैशबुक में अवास्तविक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री बलदेव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतलाल मौर्या जिम्मेदार हैं। अतः ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही संस्था व राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.-17)

ग्राम पंचायत : कोल्हूयी बिनौनी

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-7- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. दिनांक 01.04.2011 को रोकड़ अवशेष 57,611.00 प्रमाणक 19 / 17.08.2011 मिट्टी क्रय 5,000.00
दिनांक 17.08.2011 खाते से आहरण 5,000.00 प्रमाणक 20 / 28.08.2011 सोडियम लाइट क्रय 45,000.00

दिनांक 25.08.2011 खाते से आहरण 45,000.00 दिनांक 31.08.2011 रोकड़ अवशेष 57,611.00
योग 1,07,611.00 योग 1,07,611.00

उपरोक्तानुसार दिनांक 31.08.2011 को रोकड़ अवशेष रु०57,611.00 के स्थान पर रु०1,961.00 दर्शाकर रु०55,650.00 का अपहरण प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। अतः रु०55,650.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शक्तिवेश मौर्या से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति-17)

2. छात्रवृत्ति खाता संख्या 10432 से दशम् वित्त की कैशबुक में निम्न निकासी को दर्शाया गया है :-

दिनांक 18.04.2011 को छात्रवृत्ति खाते से आहरण रु०13,965.00
 दिनांक 18.04.2011 को छात्रवृत्ति खाते से आहरण रु०1,23,960.00

कुल आहरण रु०1,37,925.00

उक्त छात्रवृत्ति आहरण के सापेक्ष प्रमाणक 1/20.04.2011 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय रु०20,400.00 तथा प्रमाणक 2/20.04.2011 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय रु०59,955.00 कुल व्यय रु०80,355.00 का ही छात्रवृत्ति वितरण दर्शाया गया। अवशेष रु०57,570.00 का अन्य मद में व्यय दर्शाकर वित्तीय दुरुपयोग ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शक्तिवेश मौर्या द्वारा किया गया है। अतः आवश्यक वैधानिक कार्यवाही संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति-18)

3. वर्ष 2011-12 की कैशबुक में निम्न विवरणानुसार छात्रवृत्ति मद में व्यय को दर्शाया गया है :-

प्रमाणक 1/20.04.2011 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय रु०20,400.00 तथा प्रमाणक 2/20.04.2011 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय रु०59,955.00 कुल व्यय रु०80,355.00 का ही छात्रवृत्ति वितरण दर्शाया गया। उक्त के सम्बंध में निम्न आपत्तियाँ हैं :-

(i) छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु जाँच में पाया गया कि लाभार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण की वितरण पंजिका नहीं अनायी गयी है और न ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी है।

(ii) लाभार्थियों से सम्बंधित अन्य किसी भी विवरण को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः विवरणहीन एवं अपुष्ट छात्रवृत्ति वितरण की धनराशि गबन की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ओमप्रकाश, ग्राम प्रधान तथा श्री शक्तिवेश मौर्या, ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति-19)

4. दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 से सम्बंधित कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। उक्त अवधि में राज्य/दशम् वित्त खाते से, छात्रवृत्ति मद खाते से, एम०डी०एम० मद खाते से ज़िम्मे भी निकासी ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की गयी है, उस समस्त धनराशि को अपहृत मानते हुए सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं.-20)

ग्राम पंचायत : ढोबाडाबर

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-8- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105051818 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भुलई तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री शक्तिवेश मौर्या से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
27.02.2013	23,100.00	28.02.2013	22,380.00
27.02.2013	24,700.00	28.02.2013	79,700.00
		योग	1,50,680.00

2. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 90280100030036 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भुलई तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री शक्तिवेश मौर्या से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
05.04.2010	34,000.00	25.06.2011	5,000.00	31.05.2012	25,980.00
22.06.2010	3,000.00	11.07.2011	500.00	31.05.2012	49,700.00
22.06.2010	27,200.00	13.07.2011	5,000.00	31.05.2012	51,250.00
23.07.2010	1,625.00	27.07.2011	8,000.00	05.06.2012	38,000.00
02.08.2010	27,200.00	10.08.2011	5,000.00	05.06.2012	38,000.00
04.08.2010	3,180.00	03.09.2011	67,500.00	05.06.2012	20,000.00
12.08.2010	11,900.00	03.09.2011	67,500.00	06.06.2012	38,000.00
13.08.2010	4,500.00	15.10.2011	800.00	13.06.2012	10,500.00
25.10.2010	5,000.00	24.10.2011	5,000.00	14.07.2012	63,300.00
25.10.2010	5,000.00	24.10.2011	57,000.00	20.07.2012	21,000.00
02.11.2010	2,250.00	17.12.2011	9,950.00	28.07.2012	4,200.00
31.12.2010	10,000.00	26.12.2011	1,500.00	30.07.2012	6,700.00
10.01.2011	5,000.00	29.12.2011	1,200.00	04.08.2012	54,900.00
12.01.2011	1,664.00	25.01.2012	9,750.00	08.08.2012	13,500.00
05.02.2011	5,000.00	30.01.2012	13,200.00	08.08.2012	17,400.00
15.02.2011	12,000.00	11.04.2012	1,480.00	21.08.2012	27,000.00
18.03.2011	4,800.00	16.04.2012	5,000.00	05.09.2012	15,500.00
21.03.2011	54,000.00	18.04.2012	16,600.00	12.09.2012	7,700.00
21.03.2011	54,000.00	02.05.2012	8,500.00	06.10.2012	6,750.00
06.04.2011	4,950.00	05.05.2012	980.00	19.10.2012	20,000.00
30.4.2011	5,000.00	14.05.2012	12,000.00	08.11.2012	44,000.00
30.04.2011	57,200.00	14.05.2012	22,600.00	08.11.2012	44,000.00
09.05.2011	8,880.00	18.05.2012	10,000.00	08.11.2012	44,000.00
11.05.2011	50,400.00	18.05.2012	15,000.00	12.01.2013	3,000.00
18.05.2011	2,250.00	30.05.2012	10,880.00	01.02.2013	1,440.00
26.05.2011	11,000.00	30.05.2012	10,000.00	योग	14,71,959.00

(मूल आपत्ति-18)

ग्राम पंचायत : गायडीह

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-9- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 39342 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यज प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कनीजा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री छब्बन खान से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
23.04.2011	20,000.00	12.11.2011	38,000.00	29.11.2011	9,000.00
30.05.2011	8,000.00	22.11.2011	5,040.00	21.02.2012	15,200.00
18.06.2011	4,000.00	28.11.2011	5,280.00	22.05.2012	95,000.00
18.06.2011	15,000.00	29.11.2011	6,240.00	योग	2,15,760.00

ग्राम पंचायत : महुआद्वार

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-10- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 28492 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यज प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री छब्बन खान, श्री प्रदीप वर्मा से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

क्र.सं.	चेक संख्या/तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1.	745797 / 20.05.2010	5,000.00	हकीकुनिषा
2.	745795 / 20.05.2010	17,000.00	---
3.	745796 / 20.05.2010	14,000.00	---
4.	745799 / 12.07.2010	5,000.00	हकीकुनिषा
5.	745798 / 12.07.2010	17,000.00	---
6.	745800 / 07.09.2010	5,000.00	प्रदीप वर्मा
7.	370142 / 11.03.2011	5,000.00	स्वयं
8.	370143 / 17.03.2011	1,49,000.00	पी.एन.बी. अकाउण्ट में ट्रांसफर
9.	370141 / 11.04.2011	12,000.00	आरटण्डन

उक्त निकासी में से रु०1,49,000.00 पी.एन.बी. अकाउण्ट में ट्रांसफर की पुष्टि की जाती है। 'पी' निकासी रु०83,000.00 अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री छब्बन खान, श्री प्रदीप वर्मा से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत : देवरिया मुबारकपुर

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-11- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 30771 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसमें से रु०5,32,014.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (01.04.2010 से 03.11.2010 तक) तथा रु०4,52,383.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती रीता देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शक्तिवेश मौर्या, श्री प्रदीप वर्मा एवं अन्य तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
19.04.2010	12,600.00	12.08.2010	33,900.00	07.02.2011	20,000.00
23.04.2010	20,000.00	14.08.2010	50,540.00	07.02.2011	25,000.00
07.05.2010	51,000.00	17.08.2010	1,500.00	07.02.2011	25,000.00
07.05.2010	51,000.00	17.08.2010	1,500.00	12.02.2011	25,000.00
10.06.2010	1,000.00	19.08.2010	1,500.00	17.03.2011	54,000.00
15.06.2010	10,000.00	19.08.2010	1,500.00	17.03.2011	54,000.00
23.06.2010	9,750.00	20.08.2010	1,500.00	21.03.2011	7,850.00
23.06.2010	15,870.00	21.08.2010	12,000.00	26.03.2011	31,600.00
23.06.2010	1,500.00	23.08.2010	14,000.00	27.04.2011	5,000.00
29.06.2010	4,000.00	01.09.2010	6,300.00	05.05.2011	8,000.00
07.07.2010	10,000.00	07.09.2010	7,100.00	18.05.2011	5,880.00
12.07.2010	58,420.00	07.09.2010	5,600.00	18.05.2011	2,953.00
13.07.2010	8,300.00	07.09.2010	9,000.00	07.07.2011	22,000.00
15.07.2010	1,290.00	07.09.2010	7,100.00	11.07.2011	5,000.00
19.07.2010	1,000.00	24.09.2010	464.00	30.08.2011	20,000.00
29.07.2010	2,540.00	19.10.2010	15,000.00	10.10.2011	20,500.00
29.07.2010	1,500.00	04.11.2010	12,000.00	17.10.2011	52,000.00
29.07.2010	16,200.00	योग	5,32,014.00	29.10.2011	5,000.00
30.07.2010	12,000.00	04.12.2010	15,000.00	21.12.2011	18,050.00
31.07.2010	34,000.00	04.12.2010	1,500.00	21.12.2011	1,200.00
31.07.2010	17,000.00	04.12.2010	1,500.00	29.12.2011	2,200.00
02.08.2010	8,000.00	11.01.2011	1,500.00	23.01.2012	7,500.00
09.08.2010	4,540.00	11.01.2011	1,500.00	30.01.2012	13,150.00
				योग	4,52,383.00

ग्राम पंचायत : संझवल प्रेमनगर

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-12- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105043208 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजीज तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री शक्तिवेश मौर्या से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

चेक संख्या	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
005282	26.02.2013	49,700.00
005281	26.02.2013	50,500.00
	योग	1,00,200.00

2. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 30966 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजीज तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री शक्तिवेश मौर्या से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
27.04.2011	5,000.00	24.10.2011	57,000.00	16.06.2012	13,610.00
03.06.2011	9,000.00	28.12.2011	1,200.00	21.07.2012	19,500.00
24.06.2011	54,000.00	30.01.2012	9,800.00	07.09.2012	7,600.00
11.07.2011	500.00	23.02.2012	10,500.00	06.10.2012	20,000.00
26.07.2011	52,000.00	13.04.2012	980.00	19.10.2012	44,000.00
18.08.2011	2,800.00	15.05.2012	18,105.00	09.11.2012	19,900.00
18.08.2011	2,250.00	05.06.2012	18,600.00	15.12.2012	5,000.00
19.08.2011	5,000.00	05.06.2012	8,760.00	01.02.2013	1,440.00
06.09.2011	31,500.00	06.06.2012	6,400.00		
14.09.2011	20,000.00	11.06.2012	68,400.00	योग	5,74,845.00

(मूल आपत्ति-18)

ग्राम पंचायत : पटियाला ग्रन्ट

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-13- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अछयवर तथा श्री मनोज गौतम, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अन्य तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
13.04.2011	15,000.00	11.06.2011	10,104.00	29.10.2011	38,000.00
18.04.2011	36,000.00	14.06.2011	67,860.00	29.10.2011	10,000.00
22.04.2011	16,400.00	14.07.2011	5,000.00	29.10.2011	10,000.00
23.04.2011	23,368.00	14.07.2011	4,500.00	12.11.2011	72,000.00
25.04.2011	5,000.00	16.07.2011	11,040.00	11.12.2011	10,000.00
08.05.2011	5,000.00	20.08.2011	5,000.00	20.01.2012	10,000.00
17.05.2011	10,000.00	13.10.2011	5,000.00	21.01.2012	10,000.00
12.06.2011	5,000.00	13.10.2011	5,000.00	12.02.2012	10,000.00
				योग	1,01,272.00

(मूल आपत्ति-17)

ग्राम पंचायत : बरगदवा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-14- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 39616 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री स्वामीनाथ तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
27.05.2011	1,100.00	06.02.2012	4,200.00	02.07.2012	2,400.00
31.05.2011	10,000.00	27.02.2012	19,000.00	09.07.2012	4,800.00
14.06.2011	9,500.00	29.02.2012	19,656.00	17.07.2012	3,500.00
26.07.2011	8,200.00	07.03.2012	5,000.00	20.07.2012	5,000.00
27.07.2011	6,000.00	29.03.2012	14,040.00	23.07.2012	22,050.00
24.08.2011	4,500.00	27.04.2012	4,800.00	01.09.2012	16,610.00
02.09.2011	3,000.00	10.05.2012	10,860.00	01.09.2012	7,500.00
14.09.2011	5,000.00	21.05.2012	38,000.00	03.09.2012	1,500.00
04.10.2011	5,000.00	06.06.2012	11,050.00	15.09.2012	1,500.00
22.10.2011	5,000.00	12.06.2012	4,800.00	21.09.2012	3,000.00
14.11.2011	4,050.00	16.06.2012	15,600.00	11.10.2012	11,500.00
12.12.2011	5,000.00	20.06.2012	7,560.00	20.10.2012	4,800.00
17.12.2011	31,500.00	26.06.2012	5,830.00	01.11.2012	1,400.00
17.12.2011	36,000.00	29.06.2012	5,250.00	24.01.2013	3,000.00
21.01.2012	5,000.00	02.07.2012	2,400.00	योग	3,95,456.00

(मूल आपत्ति-17)

ग्राम पंचायत : रामपुर वनगहौं

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-15- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. डकड खाता संख्या 10635 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, छात्रों की उपस्थिति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री संतोश श्रीवास्तव से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
22.11.2010	10,100.00	22.12.2010	18,940.00
		योग	29,040.00

ग्राम पंचायत : महमूदनगर

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-16- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105047921 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अब्दूल क्यूम तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री मसूदूल हक सिद्दिकी से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
18.02.2014	30,000.00	01.07.2014	1,000.00	13.11.2014	35,000.00
13.03.2014	30,000.00	23.07.2014	32,400.00	13.11.2014	30,000.00
13.03.2014	30,000.00	23.07.2014	32,400.00	18.11.2014	30,000.00
03.04.2014	30,000.00	23.07.2014	32,400.00	20.11.2014	30,000.00
03.04.2014	30,000.00	23.07.2014	32,400.00	24.11.2014	7,000.00
09.05.2014	20,250.00	23.07.2014	32,400.00	01.12.2014	25,000.00
18.05.2014	32,500.00	23.07.2014	32,400.00	01.12.2014	24,500.00
28.05.2014	32,400.00	23.07.2014	32,400.00	09.12.2014	35,000.00
28.05.2014	32,400.00	14.08.2014	30,000.00	10.12.2014	20,000.00
24.06.2014	30,000.00	23.08.2014	30,000.00	योग	8,21,750.00

ग्राम पंचायत : लखमा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-17- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 5010504957 चेक संख्या 003912 दिनांक 26.04.2014 खाते से आहरण की धनराशि रु०6,140.00 को कैशबुक में आय पक्ष में नहीं दर्शाकर रोकड़ अवषेश का अपहरण किया गया

है। अतः रु०6,140.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री महादेव प्रसाद पाण्डेय से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

ग्राम पंचायत : गिद्धौर

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-18- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. डकडखाता संख्या 5986 से निम्न विवरणानुसार आहरण के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, छात्रों की उपस्थिति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र वर्मा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री संतोश श्रीवास्तव से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
05.04.2010	16,350.00	22.09.2010	5,700.00	17.01.2011	17,022.00
17.05.2010	8,994.50	24.09.2010	6,248.00	योग	54,314.50

2. छात्रवृत्ति खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र वर्मा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री संतोश श्रीवास्तव से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

दिनांक 19.04.2011 खाते से आहरण 14,680.00

दिनांक 04.07.2011 खाते से आहरण 49,500.00

कुल आहरण

65,180.00

ग्राम पंचायत : पुरैना वाजिद

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-19- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 3920 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री छब्बन खान से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
04.02.2012	7,560.00	06.06.2012	4,000.00	17.12.2012	5,000.00
16.04.2012	9,000.00	09.08.2012	3,600.00	03.01.2013	10,000.00
10.05.2012	5,000.00	04.10.2012	6,000.00	योग	50,160.00

ग्राम पंचायत : वनगावां

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-20- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 2971 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसमें से रु०2,20,150.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री छब्बन खान (01.04.2010 से 31.08.2010 तक) तथा रु०2,91,988.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना खातून तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री छब्बन खान (01.12.2010 से 30.06.2011 तक) से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
18.04.2010	5,000.00	22.06.2010	3,400.00	10.01.2011	54,000.00
23.04.2010	54,400.00	12.07.2010	10,800.00	15.01.2011	1,400.00
06.05.2010	3,000.00	15.07.2010	2,000.00	20.04.2011	8,400.00
06.05.2010	2,100.00	16.07.2010	2,200.00	27.04.2011	21,900.00
15.05.2010	4,900.00	21.07.2010	2,800.00	28.04.2011	13,200.00
18.05.2010	3,500.00	28.07.2010	2,300.00	13.05.2011	39,600.00
29.05.2010	3,000.00	30.07.2010	2,450.00	14.05.2011	5,000.00
29.05.2010	2,000.00	06.08.2010	4,200.00	14.05.2011	6,750.00
09.06.2010	4,200.00	06.08.2010	54,000.00	15.06.2011	26,988.00
09.06.2010	3,500.00	योग	2,20,150.00	योग	2,91,988.00
22.06.2010	50,400.00	03.01.2011	54,000.00	कुल योग	5,12,138.00

ग्राम पंचायत : पड़री रामनाथ**विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज**

प्रस्तर संख्या-21- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बीरेन्द्र द्वारा वर्ष 2015-16 से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। श्री सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि श्री महादेव प्रसाद पाण्डेय द्वारा सम्बंधित वर्ष 2015-16 के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

वर्ष 2014-15 की कैशबुक के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ अवशेष रु०8,359.00 था। वर्ष 2015-16 से सम्बंधित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण रु०8,359.00 अपहृत मानी गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शफीउनीसा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री महादेव प्रसाद पाण्डेय से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-17)**

- इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105047868 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शफीउनीसा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री महादेव प्रसाद पाण्डेय से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-18)**

चेक संख्या/आहरण तिथि	आहरित धनराशि	चेक संख्या/आहरण तिथि	आहरित धनराशि
019545/05.04.2015	25,000.00	019555/11.07.2015	54,500.00
019546/12.04.2015	30,000.00	019557/15.07.2015	40,000.00
019548/15.05.2015	40,000.00	019558/17.07.2015	10,860.00
019547/18.05.2015	62,000.00	019559/29.07.2015	30,000.00
019549/18.05.2015	99,750.00	019560/04.08.2015	70,680.00
019550/03.06.2015	40,000.00	019326/05.08.2015	40,000.00
019551/23.06.2015	45,000.00	019327/21.08.2015	16,500.00
019552/25.06.2015	40,000.00	019329/01.09.2015	40,000.00
019553/07.07.2015	99,200.00	019328/07.09.2015	44,000.00
019554/08.07.2015	81,500.00	019330/18.09.2015	18,000.00
019556/11.07.2015	54,500.00	योग	9,81,490.00

दिनांक 29.02.2016 को उक्त खाते से रु०1,97,015.00 किसी अन्य ग्राम पंचायत के खाते में स्थानान्तरित हुआ। सम्बंधित अभिलेखों के अभाव में उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। जो कि अपेक्षित रहा।

ग्राम पंचायत : अज़या खुर्द**विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज**

प्रस्तर संख्या-22- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105049300 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बन्धु तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री मनोज कुमार गौतम तथा अन्य तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-17)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
10.05.2013	48,000.00	09.07.2014	15,000.00	02.02.2015	18,600.00
10.05.2013	24,980.00	10.07.2014	15,000.00	13.02.2015	25,600.00
13.09.2013	5,400.00	10.07.2014	17,500.00	14.02.2015	24,800.00
24.10.2013	5,000.00	10.07.2014	15,000.00	02.03.2015	43,020.00
28.10.2013	2,000.00	12.07.2014	17,000.00	16.03.2015	4,500.00
29.10.2013	11,550.00	25.07.2014	37,800.00	07.04.2015	20,000.00
29.10.2013	6,400.00	27.07.2014	6,200.00	07.04.2015	62,000.00
30.10.2013	20,135.00	08.08.2014	5,000.00	15.04.2015	25,000.00
08.11.2013	5,000.00	12.08.2014	21,600.00	09.06.2015	10,000.00
16.11.2013	21,600.00	02.09.2014	3,000.00	26.06.2015	7,000.00
05.12.2013	3,000.00	03.09.2014	3,255.00	29.06.2015	13,000.00
11.12.2013	4,500.00	05.09.2014	17,000.00	30.06.2015	5,000.00
13.12.2013	20,000.00	08.09.2014	17,000.00	13.07.2015	37,200.00
10.03.2014	13,000.00	10.09.2014	3,900.00	30.07.2015	13,000.00
25.04.2014	2,000.00	10.11.2014	37,200.00	01.08.2015	9,000.00

05.05.2014	7,000.00	10.11.2014	15,000.00	07.08.2015	5,000.00
12.05.2014	1,000.00	14.11.2014	6,000.00	17.08.2015	9,950.00
24.05.2014	20,000.00	17.11.2014	15,000.00	20.08.2015	7,000.00
27.05.2014	20,000.00	17.12.2014	14,000.00	25.08.2015	12,000.00
27.05.2014	5,000.00	18.12.2014	15,000.00	31.08.2015	22,500.00
11.06.2014	5,000.00	10.01.2015	14,000.00	01.10.2015	20,000.00
20.06.2014	5,940.00	14.01.2015	10,500.00	05.10.2015	20,000.00
24.06.2014	7,000.00	19.01.2015	6,432.00	05.10.2015	10,000.00
24.06.2014	1,000.00	21.01.2015	28,500.00	08.10.2015	49,600.00
28.06.2014	59,400.00	30.01.2015	10,000.00	13.10.2015	20,000.00
09.07.2014	17,500.00	31.01.2015	24,800.00	योग	10,78,262.00

ग्राम पंचायत : शाहपुर इटई

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-23- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 3937 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम उजागर वर्मा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
04.04.2012	13,000.00	05.07.2012	15,263.00	14.08.2012	1,935.00
07.05.2012	17,000.00	10.07.2012	2,765.00	14.08.2012	5,000.00
29.05.2012	15,000.00	10.07.2012	8,050.00	14.08.2012	440.00
09.06.2012	5,000.00	10.07.2012	43,080.00	04.09.2012	500.00
30.06.2012	3,015.00	14.07.2012	5,100.00	04.09.2012	500.00
30.06.2012	4,400.00	04.08.2012	5,060.00	22.09.2012	500.00
				25.09.2012	5,000.00
				योग	1,50,608.00

2. वर्ष 2012-13 सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 3937 से चेक संख्या 757783 दिनांक 21.01.2013 से रु०5,000.00 आहरण की धनराशि को कैशबुक में आय पक्ष में नहीं दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम उजागर वर्मा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

3. दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 30.09.2012 तक की अवधि के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। वर्ष 2012-13 में कैशबुक में दिनांक 31.03.2012 को नगद रोकड़ अवशेष रु०26,770.00 दर्शित था। वर्ष 2012-13 का कैशबुक अप्राप्त रहा अर्थात् नगद रोकड़ अवशेष रु०26,770.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम उजागर वर्मा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-19)

ग्राम पंचायत : केराव गढ़

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-24- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 2953 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसमें से रु०53,650.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.06.2010 तक) तथा रु०4,27,611.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सौदागर तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (दिनांक 01.03.2011 से दिनांक 31.03.2013 तक) से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
21.04.2010	5,250.00	30.04.2011	9,615.00	18.05.2012	38,000.00
15.05.2010	12,600.00	13.05.2011	72,000.00	28.05.2012	25,000.00
19.05.2010	6,000.00	25.05.2011	1,500.00	29.05.2012	18,000.00
19.05.2010	6,000.00	06.06.2011	5,000.00	23.06.2012	14,400.00
05.06.2010	3,000.00	28.06.2011	82,000.00	23.07.2012	4,920.00
11.06.2010	10,800.00	06.07.2011	1,500.00	29.08.2012	7,500.00
15.06.2010	1,500.00	01.08.2011	8,000.00	09.11.2012	5,000.00

29.06.2010	8,500.00	11.08.2011	14,619.00	07.02.2013	950.00
योग	53,650.00	22.11.2011	5,000.00	28.02.2013	1,440.00
17.03.2011	5,000.00	05.12.2011	5,000.00	23.03.2013	4,500.00
23.03.2011	3,000.00	13.01.2012	10,620.00	योग	4,27,611.00
29.03.2011	3,847.00	14.05.2012	38,000.00		
20.03.2011	20,400.00	18.05.2012	22,800.00	कुल योग	4,81,261.00

ग्राम पंचायत : तख्तरवा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-25- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 39458 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०5,85,003.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री यशवंत पाण्डेय से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-17)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
15.04.2011	11,000.00	25.01.2012	1,440.00	27.04.2012	2,650.00
20.04.2011	21,600.00	25.01.2012	5,000.00	27.04.2012	4,970.00
09.05.2011	18,000.00	30.01.2012	44,000.00	23.05.2012	10,000.00
11.05.2011	60,000.00	30.01.2012	44,000.00	20.06.2012	25,200.00
24.05.2011	28,800.00	04.02.2012	10,000.00	22.06.2012	8,160.00
08.06.2011	20,000.00	18.02.2012	22,000.00	25.06.2012	16,800.00
10.06.2011	5,000.00	21.03.2012	26,000.00	14.07.2012	10,000.00
30.06.2011	10,753.00	18.04.2012	25,000.00	27.07.2012	10,000.00
04.10.2011	10,000.00	18.04.2012	25,000.00	10.08.2012	10,000.00
22.10.2011	15,200.00	18.04.2012	15,000.00	16.08.2012	5,250.00
18.01.2012	10,000.00	24.04.2012	15,000.00	16.08.2012	5,495.00
25.01.2012	10,000.00	27.04.2012	4,030.00	16.08.2012	3,220.00
25.01.2012	2,565.00	27.04.2012	4,870.00	योग	5,85,003.00

ग्राम पंचायत : पचौथा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-26- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105052062 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०25,99,676.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नुरैन तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री वृजेश कुमार, श्री प्रदीप वर्मा एवं अन्य तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-17)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
01.10.2013	32,400.00	30.08.2014	23,400.00	26.02.2015	3,208.00
01.10.2013	21,600.00	30.08.2014	9,021.00	28.02.2015	3,976.00
11.10.2013	2,240.00	03.09.2014	24,800.00	07.03.2015	20,500.00
29.10.2013	32,400.00	03.09.2014	7,176.00	07.04.2015	18,000.00
11.11.2013	10,000.00	08.11.2014	20,000.00	07.04.2015	18,000.00
27.12.2013	48,600.00	18.11.2014	20,284.00	07.04.2015	18,000.00
27.12.2013	48,600.00	18.11.2014	16,900.00	07.04.2015	49,600.00
04.01.2014	10,800.00	19.11.2014	45,880.00	07.04.2015	49,600.00
26.02.2014	16,600.00	19.11.2014	37,200.00	13.04.2015	49,600.00
14.03.2014	20,000.00	20.11.2014	12,400.00	13.04.2015	49,600.00
18.03.2014	11,391.00	21.11.2014	23,400.00	13.04.2015	49,600.00
20.03.2014	30,197.00	21.11.2014	28,392.00	21.04.2015	7,800.00
26.03.2014	10,860.00	17.12.2014	41,000.00	28.04.2015	4,452.00
20.05.2014	6,140.00	22.12.2014	41,000.00	28.04.2015	4,725.00
24.06.2014	20,000.00	15.01.2015	6,883.00	28.04.2015	48,000.00
28.06.2014	54,000.00	15.01.2015	1,890.00	09.06.2015	3,376.00
02.07.2014	15,000.00	15.01.2015	3,600.00	10.06.2015	20,000.00
15.07.2014	32,400.00	15.01.2015	7,232.00	11.06.2015	20,000.00
15.07.2014	16,800.00	16.01.2015	10,296.00	06.07.2015	13,356.00
15.07.2014	8,465.00	16.01.2015	5,634.00	07.07.2015	49,600.00

16.07.2014	10,416.00	16.01.2015	2,964.00	09.07.2015	49,600.00
16.07.2014	15,250.00	16.01.2015	5,460.00	09.07.2015	49,600.00
22.07.2014	1,250.00	16.01.2015	2,526.00	14.07.2015	4,145.00
22.07.2014	10,000.00	19.01.2015	11,780.00	14.07.2015	15,000.00
24.07.2014	10,000.00	19.01.2015	27,900.00	17.07.2015	49,600.00
28.07.2014	14,040.00	19.01.2015	15,500.00	17.07.2015	20,000.00
28.07.2014	2,964.00	19.01.2015	51,460.00	21.07.2015	20,000.00
28.07.2014	6,958.00	19.01.2015	33,480.00	27.07.2015	15,000.00
28.07.2014	25,920.00	04.02.2015	17,500.00	01.08.2015	15,000.00
31.07.2014	18,870.00	05.02.2015	20,000.00	03.08.2015	3,800.00
04.08.2014	54,000.00	12.02.2015	2,334.00	19.08.2015	2,254.00
04.08.2014	8,856.00	25.02.2015	13,416.00	19.08.2015	16,100.00
04.08.2014	24,880.00	25.02.2015	3,264.00	21.08.2015	49,600.00
04.08.2014	9,380.00	25.02.2015	4,314.00	21.08.2015	12,900.00
06.08.2014	7,500.00	25.02.2015	26,448.00	21.08.2015	31,400.00
12.08.2014	7,749.00	25.02.2015	8,985.00	03.09.2015	20,000.00
12.08.2014	3,075.00	25.02.2015	9,238.00	08.09.2015	20,000.00
27.08.2014	20,000.00	25.02.2015	1,043.00	09.09.2015	37,200.00
30.08.2014	2,806.00	25.02.2015	17,360.00	10.09.2015	21,000.00
30.08.2014	985.00	25.02.2015	16,120.00	24.09.2015	49,600.00
30.08.2014	7,585.00	25.02.2015	48,980.00		
30.08.2014	20,400.00	25.02.2015	55,800.00		
30.08.2014	69,000.00	26.02.2015	7,246.00	कुल योग	25,99,676.00

ग्राम पंचायत : किदुरा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-27- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार खाते से आहरण की धनराशि को कैशबुक में आय पक्ष में नहीं दर्शाकर रोकड़ अवषेश का अपहरण किया गया है। अतः रु०1,16,950.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वकीला बेगम तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री प्रदीप वर्मा से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

बैंक का नाम/खाता संख्या	चेक संख्या/दिनांक	आहरित धनराशि
सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक	040156/29.07.2013	16,000.00
इला० बैंक / 50105052266	007050/26.02.2014	19,250.00
इला० बैंक / 50105052266	007051/26.02.2014	19,250.00
इला० बैंक / 50105052266	014540/06.02.2015	16,945.00
इला० बैंक / 50105052266	018811/20.02.2015	15,000.00
इला० बैंक / 50105052266	018807/20.02.2015	15,000.00
इला० बैंक / 50105052266	--/23.02.2015	13,500.00
योग		1,16,945.00

- सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसमें से रु०54,500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सागर तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.10.2010 तक) तथा रु०6,57,588.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वकीला बेगम तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (दिनांक 01.01.2011 से दिनांक 31.01.2013 तक) से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
05.04.2010	2,000.00	17.10.2011	4,000.00	19.05.2012	2,355.00
11.05.2010	51,000.00	03.11.2011	4,000.00	05.06.2012	1,980.00
11.05.2010	1,500.00	04.11.2011	12,758.00	05.06.2012	4,200.00
योग	54,500.00	19.12.2011	27,500.00	05.06.2012	7,600.00
27.01.2011	50,000.00	24.12.2011	38,000.00	29.06.2012	2,565.00
01.03.2011	12,000.00	17.02.2012	7,500.00	29.06.2012	36,000.00
17.03.2011	52,500.00	21.03.2012	39,000.00	29.06.2012	13,600.00
04.04.2011	3,750.00	29.03.2012	5,000.00	29.06.2012	37,000.00
22.05.2011	3,000.00	23.04.2012	7,150.00	12.12.2012	34,000.00
19.07.2011	58,500.00	07.05.2012	9,115.00	21.12.2012	5,000.00

27.08.2011	54,000.00	07.05.2012	16,730.00	28.12.2012	5,000.00
08.10.2011	27,000.00	07.05.2012	19,535.00	12.01.2013	3,130.00
17.10.2011	27,000.00	08.05.2012	27,120.00	योग	6,57,588.00
				कुल योग	7,12,088.00

ग्राम पंचायत : पिपरा रामचन्दर

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-28- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०12,28,583.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती खातून तथा श्री प्रदीप वर्मा, श्री मनोज गौतम एवं तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-17)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
23.03.2011	18,000.00	04.02.2012	2,565.00	31.07.2012	2,751.00
23.03.2011	18,000.00	04.02.2012	1,440.00	06.08.2012	7,906.00
23.03.2011	7,500.00	04.02.2012	20,000.00	07.08.2012	7,334.00
23.03.2011	18,000.00	03.03.2012	20,000.00	14.08.2012	440.00
24.03.2011	5,000.00	03.03.2012	23,025.00	16.08.2012	10,000.00
07.04.2011	18,000.00	03.03.2012	26,600.00	04.09.2012	1,000.00
07.04.2011	18,000.00	03.03.2012	39,000.00	20.09.2012	3,750.00
07.04.2011	15,000.00	28.04.2012	2,250.00	22.09.2012	1,000.00
08.04.2011	25,550.00	01.05.2012	750.00	22.09.2012	500.00
08.04.2011	7,500.00	01.05.2012	10,000.00	27.09.2012	1,050.00
29.04.2011	15,000.00	01.05.2012	16,494.00	27.09.2012	14,940.00
05.05.2011	11,640.00	01.05.2012	1,250.00	27.09.2012	10,568.00
05.05.2011	18,000.00	01.05.2012	10,004.00	27.09.2012	8,183.00
12.05.2011	32,437.00	02.05.2012	9,225.00	27.09.2012	4,000.00
13.05.2011	5,000.00	02.05.2012	11,900.00	27.09.2012	4,000.00
13.05.2011	16,470.00	02.05.2012	3,125.00	09.10.2012	10,000.00
21.05.2011	5,000.00	07.05.2012	18,000.00	09.10.2012	10,000.00
29.05.2011	30,000.00	07.05.2012	20,000.00	03.11.2012	20,000.00
09.06.2011	31,500.00	26.05.2012	9,194.00	03.11.2012	20,000.00
14.06.2011	20,000.00	26.05.2012	27,185.00	24.11.2012	10,000.00
19.08.2011	15,370.00	28.05.2012	22,800.00	20.12.2012	5,000.00
23.08.2011	10,000.00	28.05.2012	24,640.00	28.12.2012	2,250.00
23.08.2011	10,000.00	31.05.2012	4,215.00	30.01.2013	24,000.00
03.09.2011	2,250.00	09.06.2012	2,400.00	31.01.2013	5,000.00
03.09.2011	36,000.00	09.06.2012	1,500.00	02.02.2013	19,200.00
23.09.2011	2,500.00	20.06.2012	11,000.00	05.02.2013	5,000.00
25.09.2011	6,720.00	20.06.2012	12,000.00	27.02.2013	15,000.00
19.10.2011	36,000.00	23.06.2012	7,300.00	04.03.2013	2,000.00
19.10.2011	31,500.00	27.06.2012	3,000.00	19.03.2013	600.00
22.10.2011	10,000.00	05.07.2012	2,565.00	09.04.2013	7,000.00
22.10.2011	1,140.00	10.07.2012	9,960.00	09.04.2013	3,000.00
07.12.2011	10,000.00	10.07.2012	1,400.00	09.04.2013	19,200.00
07.12.2011	10,000.00	10.07.2012	3,600.00	09.04.2013	20,800.00
15.12.2011	2,250.00	21.07.2012	16,300.00	09.04.2013	1,500.00
19.12.2011	5,000.00	23.07.2012	5,995.00	09.04.2013	5,000.00
				कुल योग	12,28,583.00

2. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105047245 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०20,61,769.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती खातून तथा श्री प्रदीप वर्मा, श्री मनोज गौतम एवं तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
07.03.2013	8,000.00	02.09.2014	10,000.00	26.03.2015	9,240.00
03.04.2014	20,000.00	02.09.2014	20,000.00	06.04.2015	49,600.00
11.04.2014	54,000.00	03.09.2014	43,200.00	08.04.2015	37,200.00
11.04.2014	27,000.00	14.11.2014	10,000.00	08.04.2015	37,200.00

15.04.2014	54,000.00	18.11.2014	15,000.00	08.04.2015	37,200.00
17.04.2014	30,000.00	27.11.2014	20,000.00	08.04.2015	15,000.00
25.04.2014	10,000.00	10.12.2014	7,500.00	27.04.2015	18,000.00
25.04.2014	54,300.00	17.12.2014	20,000.00	27.04.2015	12,280.00
26.04.2014	9,210.00	26.12.2014	24,800.00	27.04.2015	9,744.00
01.05.2014	7,000.00	29.12.2014	49,600.00	27.04.2015	13,280.00
02.05.2014	20,000.00	31.12.2014	21,540.00	06.05.2015	20,000.00
03.05.2014	54,000.00	22.01.2015	10,000.00	14.05.2015	20,000.00
09.05.2014	20,000.00	31.01.2015	20,000.00	14.05.2015	20,000.00
15.05.2014	54,000.00	02.02.2015	24,800.00	14.05.2015	20,000.00
16.05.2014	1,935.00	05.02.2015	37,200.00	18.05.2015	49,600.00
16.05.2014	30,000.00	05.02.2015	37,200.00	18.05.2015	49,600.00
19.05.2014	20,000.00	16.02.2015	15,000.00	23.05.2015	13,300.00
31.05.2014	54,000.00	19.02.2015	15,000.00	23.05.2015	15,900.00
12.06.2014	5,000.00	04.03.2015	9,500.00	11.06.2015	20,000.00
16.06.2014	20,000.00	04.03.2015	9,000.00	17.06.2015	20,000.00
20.06.2014	10,000.00	04.03.2015	7,500.00	22.06.2015	20,000.00
24.06.2014	1,000.00	04.03.2015	32,400.00	02.07.2015	13,200.00
16.07.2014	15,000.00	07.03.2015	37,200.00	13.07.2015	49,600.00
17.07.2014	15,000.00	09.03.2015	10,000.00	16.07.2015	3,450.00
28.07.2014	10,000.00	12.03.2015	49,600.00	28.07.2015	18,750.00
06.08.2014	10,000.00	14.03.2015	15,000.00	12.08.2015	20,000.00
21.08.2014	20,000.00	20.03.2015	7,500.00	19.08.2015	10,000.00
27.08.2014	20,000.00	26.03.2015	20,000.00	21.08.2015	49,600.00
27.08.2014	54,000.00	26.03.2015	15,000.00	योग	20,61,769.00
28.08.2014	30,000.00	26.03.2015	6,680.00	29.02.2016	1,15,358.00
01.09.2014	10,000.00	26.03.2015	13,360.00	कुल योग	21,77,127.00

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 29.02.2016 को रु०1,15,358.00 दूसरे ग्राम पंचायत के खाते में ट्रान्सफर हुआ है। कैंशबुक के अभाव में, किस ग्राम पंचायत के खाते में ट्रान्सफर हुआ है, की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत : गुलरहा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-29- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105049437 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैंशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०2,13,700.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नन्दकिशोर तथा श्री शक्तिवेश मौर्या एवं तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-17)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
27.02.2013	28,800.00	02.03.2013	24,000.00	04.03.2013	5,000.00
28.02.2013	22,700.00	07.03.2013	57,600.00	04.03.2013	5,000.00
01.03.2013	13,000.00	07.03.2013	57,600.00	योग	2,13,700.00

2. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैंशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०9,94,518.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नन्दकिशोर तथा श्री शक्तिवेश मौर्या एवं तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-18)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
08.05.2010	1,500.00	29.04.2011	2,200.00	14.05.2012	10,000.00
08.05.2010	4,500.00	10.05.2011	72,000.00	15.05.2012	10,000.00
12.05.2010	20,000.00	10.05.2011	10,800.00	06.06.2012	2,443.00
23.05.2010	10,000.00	11.05.2011	6,000.00	07.06.2012	10,000.00
15.07.2010	4,500.00	11.05.2011	9,000.00	08.06.2012	800.00
13.08.2010	45,300.00	11.05.2011	8,250.00	09.06.2012	5,000.00
13.08.2010	8,000.00	17.05.2011	500.00	09.06.2012	18,000.00
13.08.2010	5,900.00	08.09.2011	2,150.00	09.06.2012	22,800.00
21.08.2010	12,000.00	28.09.2011	3,750.00	09.06.2012	8,000.00
30.08.2010	10,000.00	27.10.2011	57,000.00	09.06.2012	57,000.00
07.10.2010	5,000.00	27.10.2011	5,000.00	09.06.2012	30,000.00

26.10.2010	2,250.00	26.12.2011	40,500.00	02.08.2012	7,100.00
14.12.2010	5,000.00	28.12.2011	1,200.00	07.09.2012	6,100.00
12.01.2011	40,800.00	19.01.2012	17,900.00	04.10.2012	4,500.00
21.01.2011	5,000.00	16.04.2012	5,950.00	12.10.2012	10,000.00
23.02.2011	15,000.00	09.05.2012	980.00	12.10.2012	2,565.00
04.04.2011	1,500.00	11.05.2012	3,000.00	12.10.2012	1,000.00
04.04.2011	3,000.00	14.05.2012	57,000.00	16.11.2012	20,000.00
11.04.2011	72,000.00	14.05.2012	57,000.00	01.02.2013	1,440.00
26.04.2011	5,000.00	14.05.2012	57,000.00		
29.04.2011	8,340.00	14.05.2012	57,000.00	योग	9,94,518.00

ग्राम पंचायत : बलहा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-30- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 39476 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०3,17,435.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अब्दुल वहीद खान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री यशवंत पाण्डेय तथा अन्य तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
16.05.2011	15,000.00	12.01.2012	3,645.00	05.10.2012	1,000.00
15.06.2011	13,600.00	18.02.2012	50,000.00	05.10.2012	1,000.00
19.11.2011	45,000.00	18.02.2012	22,000.00	05.10.2012	3,000.00
19.11.2011	45,000.00	03.03.2012	5,000.00	05.10.2012	12,750.00
04.01.2012	44,000.00	14.08.2012	440.00	10.10.2012	5,000.00
04.01.2012	44,000.00	04.09.2012	1,000.00	03.11.2012	6,000.00
				योग	3,17,435.00

2. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105047074 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०4,29,450.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अब्दुल वहीद खान तथा श्री मनोज गौतम ग्रा.पं.अ. तथा अन्य तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
04.04.2015	49,600.00	17.06.2015	10,000.00	19.08.2015	39,750.00
04.04.2015	49,600.00	18.06.2015	15,000.00	27.08.2015	15,000.00
27.05.2015	10,000.00	01.07.2015	15,000.00	28.08.2015	25,000.00
27.05.2015	15,000.00	02.07.2015	21,000.00	योग	4,29,450.00
03.06.2015	15,000.00	02.07.2015	24,800.00	29.02.2016	1,00,628.00
09.06.2015	37,200.00	27.07.2015	20,000.00	29.02.2016	1,12,054.00
16.06.2015	17,600.00	19.08.2015	25,000.00		
17.06.2015	10,000.00	19.08.2015	15,000.00	कुल योग	6,42,132.00

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 29.02.2016 को रु०1,00,628.00 तथा रु०1,12,054.00 दूसरे ग्राम पंचायत के खाते में ट्रान्सफर हुआ है। कैशबुक के अभाव में, किस ग्राम पंचायत के खाते में ट्रान्सफर हुआ है, की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत : बभनपुरवा

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-31- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 2265 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०3,33,200.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद यूनूस तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री मसुदूल हक सिद्दीकी एवं अन्य तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
18.04.2012	5,000.00	28.10.2013	5,000.00	29.11.2013	32,400.00
06.09.2012	1,500.00	11.11.2013	5,000.00	29.11.2013	32,400.00
27.11.2012	5,000.00	11.11.2013	32,400.00	29.11.2013	32,400.00
12.01.2013	5,000.00	11.11.2013	32,400.00	30.11.2013	18,000.00
11.04.2013	5,000.00	14.11.2013	32,400.00	02.12.2013	32,400.00
08.08.2013	1,000.00	21.11.2013	18,000.00	16.12.2013	5,000.00
18.09.2013	500.00	29.11.2013	32,400.00	योग	3,33,200.00

2. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105047802 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०17,82,200.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद यूनुस तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री मसुदूल हक सिद्दीकी एवं अन्य तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
22.10.2013	15,000.00	03.07.2014	30,000.00	11.11.2014	30,000.00
13.11.2013	32,400.00	03.07.2014	30,000.00	14.11.2014	30,000.00
16.12.2013	30,000.00	05.07.2014	32,400.00	14.11.2014	30,000.00
17.01.2014	32,400.00	05.07.2014	32,400.00	20.11.2014	25,000.00
13.03.2014	30,000.00	05.07.2014	32,400.00	20.11.2014	25,000.00
13.03.2014	30,000.00	05.07.2014	32,400.00	20.11.2014	30,000.00
25.03.2014	30,000.00	05.07.2014	32,400.00	10.12.2014	20,000.00
28.03.2014	30,000.00	05.07.2014	32,400.00	10.12.2014	35,000.00
28.03.2014	30,000.00	17.07.2014	30,000.00	06.02.2015	10,000.00
03.04.2014	30,000.00	31.07.2014	32,400.00	09.02.2015	49,600.00
03.04.2014	20,000.00	31.07.2014	32,400.00	09.02.2015	49,600.00
21.04.2014	30,000.00	31.07.2014	32,400.00	12.02.2015	35,000.00
21.04.2014	30,000.00	31.07.2014	32,400.00	12.02.2015	35,000.00
21.04.2014	30,000.00	31.07.2014	32,400.00	16.03.2015	20,000.00
29.04.2014	32,400.00	31.07.2014	32,400.00	17.03.2015	49,600.00
29.04.2014	32,400.00	31.07.2014	32,400.00	24.03.2015	49,600.00
29.04.2014	32,400.00	14.08.2014	30,000.00	24.03.2015	49,600.00
28.05.2014	30,000.00	14.08.2014	30,000.00	26.03.2015	10,000.00
24.06.2014	1,000.00	11.11.2014	30,000.00	30.03.2015	10,000.00
26.06.2014	30,000.00	11.11.2014	30,000.00	कुल योग	17,82,200.00

ग्राम पंचायत : मझारी वाझिल

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-32- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105049672 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०22,48,275.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नानमुन तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री शक्तिवेश मौर्या एवं अन्य तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
04.05.2013	30,000.00	10.01.2014	30,000.00	28.07.2014	30,000.00
11.05.2013	28,800.00	13.01.2014	32,400.00	12.08.2014	30,000.00
31.05.2013	48,000.00	13.01.2014	32,400.00	12.08.2014	30,000.00
27.06.2013	48,000.00	27.01.2014	32,400.00	01.09.2014	22,250.00
27.06.2013	10,000.00	14.02.2014	30,000.00	01.09.2014	30,000.00
08.08.2013	1,000.00	04.03.2014	30,000.00	10.11.2014	30,000.00
22.10.2013	15,000.00	04.03.2014	30,000.00	10.11.2014	30,000.00
30.10.2013	15,000.00	05.03.2014	32,400.00	14.11.2014	30,000.00
31.10.2013	7,500.00	05.03.2014	32,400.00	14.11.2014	30,000.00
31.10.2013	7,500.00	13.03.2014	30,000.00	28.11.2014	20,000.00
31.10.2013	7,500.00	28.03.2014	30,000.00	09.12.2014	35,000.00
07.11.2013	10,000.00	21.04.2014	10,000.00	09.12.2014	20,000.00
07.11.2013	15,000.00	22.04.2014	10,500.00	12.12.2014	37,200.00
12.11.2013	32,400.00	23.04.2014	15,000.00	12.12.2014	37,200.00

13.11.2013	15,000.00	24.04.2014	32,400.00	18.12.2014	7,500.00
14.11.2013	32,400.00	24.04.2014	32,400.00	18.12.2014	35,000.00
20.11.2013	32,400.00	01.05.2014	30,000.00	19.12.2014	30,000.00
20.11.2013	21,600.00	28.05.2014	15,000.00	21.01.2015	20,000.00
26.11.2013	32,400.00	04.06.2014	30,000.00	09.02.2015	10,000.00
03.12.2013	15,000.00	12.06.2014	32,400.00	12.02.2015	49,600.00
04.12.2013	15,000.00	12.06.2014	32,400.00	12.02.2015	49,600.00
09.12.2013	35,000.00	13.06.2014	30,000.00	21.02.2015	7,000.00
13.12.2013	20,000.00	24.06.2014	1,000.00	04.03.2015	20,000.00
20.12.2013	32,400.00	25.06.2014	51,625.00	17.03.2015	10,000.00
20.12.2013	32,400.00	05.07.2014	17,500.00	17.03.2015	49,600.00
23.12.2013	32,400.00	15.07.2014	30,000.00	24.03.2015	10,000.00
23.12.2013	32,400.00	15.07.2014	30,000.00	24.03.2015	49,600.00
27.12.2013	32,400.00	15.07.2014	30,000.00		
10.01.2014	30,000.00	28.07.2014	30,000.00	योग	22,48,275.00

ग्राम पंचायत : बेलई बुजुर्ग

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-33- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 39412 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०4,69,704.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुलाब रब्बानी तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री कपिल देव प्रसाद, श्री मनोज गौतम, श्री प्रदीप से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
13.06.2011	6,000.00	04.02.2012	15,000.00	23.05.2012	20,000.00
13.06.2011	4,250.00	16.02.2012	26,000.00	12.06.2012	5,000.00
18.06.2011	1,420.00	18.02.2012	15,000.00	12.06.2012	5,000.00
19.08.2011	10,000.00	02.03.2012	15,000.00	12.06.2012	5,000.00
20.09.2011	15,000.00	05.03.2012	5,000.00	12.06.2012	5,000.00
21.09.2011	1,140.00	05.03.2012	15,000.00	19.06.2012	5,000.00
14.10.2011	20,000.00	19.03.2012	5,000.00	19.06.2012	4,010.00
22.10.2011	10,000.00	30.03.2012	15,000.00	19.06.2012	5,190.00
05.11.2011	5,000.00	30.03.2012	5,000.00	20.06.2012	5,000.00
07.12.2011	10,000.00	16.04.2012	16,800.00	23.06.2012	1,000.00
07.12.2011	10,000.00	16.04.2012	60,800.00	05.07.2012	2,565.00
07.12.2011	4,500.00	24.04.2012	7,000.00	14.08.2012	440.00
19.12.2011	5,000.00	25.04.2012	10,000.00	04.09.2012	500.00
19.12.2011	10,000.00	25.04.2012	7,200.00	04.09.2012	500.00
19.12.2011	10,000.00	25.04.2012	5,025.00	27.09.2012	3,000.00
12.01.2012	9,864.00	07.05.2012	16,000.00	27.09.2012	1,500.00
03.02.2012	15,000.00	23.05.2012	20,000.00	योग	4,69,704.00

2. इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50105047381 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०16,88,260.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुलाब रब्बानी तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री कपिल देव प्रसाद, श्री मनोज गौतम, श्री प्रदीप से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
09.02.2013	48,000.00	12.04.2014	7,000.00	15.12.2014	10,000.00
06.03.2013	15,000.00	17.04.2014	3,500.00	26.12.2014	20,000.00
07.03.2013	2,990.00	17.04.2014	9,600.00	29.12.2014	5,000.00
14.03.2013	10,000.00	21.04.2014	15,000.00	13.01.2015	5,000.00
02.04.2013	24,000.00	26.04.2014	6,140.00	14.01.2015	10,000.00
30.04.2013	10,000.00	01.05.2014	7,000.00	23.01.2015	22,500.00
30.04.2013	8,000.00	02.05.2014	3,145.00	23.01.2015	10,000.00
18.05.2013	61,200.00	02.05.2014	7,000.00	29.01.2015	23,900.00
18.05.2013	66,960.00	12.05.2014	15,000.00	02.02.2015	10,000.00
27.05.2013	15,000.00	15.05.2014	32,400.00	05.02.2015	15,000.00

31.05.2013	1,540.00	22.05.2014	10,000.00	10.02.2015	10,000.00
10.06.2013	15,000.00	09.06.2014	54,000.00	24.02.2015	24,800.00
13.06.2013	5,000.00	16.06.2014	15,000.00	20.02.2015	6,200.00
22.06.2013	10,000.00	16.06.2014	1,000.00	16.03.2015	37,200.00
26.06.2013	10,000.00	25.06.2014	15,000.00	19.03.2015	15,000.00
05.07.2013	15,000.00	26.06.2014	15,000.00	24.03.2015	7,500.00
08.07.2013	48,000.00	01.07.2014	9,000.00	25.03.2015	18,600.00
19.07.2013	10,000.00	15.07.2014	15,000.00	26.03.2015	15,000.00
27.07.2013	3,000.00	15.07.2014	32,400.00	07.04.2015	10,000.00
31.07.2013	10,000.00	21.07.2014	15,000.00	20.04.2015	26,290.00
08.08.2013	1,000.00	22.07.2014	3,035.00	06.05.2015	18,000.00
22.10.2013	13,000.00	24.07.2014	20,000.00	18.05.2015	10,000.00
22.10.2013	14,000.00	01.08.2014	35,850.00	18.05.2015	10,000.00
01.11.2013	43,000.00	07.08.2014	15,000.00	22.05.2015	3,620.00
22.11.2013	20,000.00	21.08.2014	15,000.00	23.05.2015	10,000.00
12.12.2013	15,000.00	13.11.2014	15,000.00	09.06.2015	37,200.00
27.12.2013	1,440.00	17.11.2014	10,000.00	15.07.2015	5,000.00
27.01.2014	19,000.00	18.11.2014	15,000.00	16.07.2015	18,000.00
24.02.2014	15,000.00	20.11.2014	17,250.00	17.07.2015	5,000.00
26.02.2014	54,000.00	20.11.2014	17,250.00	21.07.2015	15,000.00
13.03.2014	27,000.00	22.11.2014	5,000.00	12.08.2015	20,800.00
15.03.2014	15,000.00	18.11.2014	10,000.00	12.08.2015	20,000.00
31.03.2014	20,000.00	28.11.2014	10,000.00	28.08.2015	5,000.00
03.04.2014	10,000.00	13.12.2014	24,800.00	31.08.2015	4,950.00
10.04.2014	10,000.00	11.12.2014	37,200.00	योग	16,88,260.00

ग्राम पंचायत : मुजहनी

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-34- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसमें से रु०1,27,210.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.09.2010 तक) तथा रु०2,33,548.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश वर्मा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (दिनांक 01.03.2011 से दिनांक 30.04.2011 तक) से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-17)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
26.04.2010	5,000.00	10.09.2010	1,500.00	11.03.2011	5,000.00
05.05.2010	3,750.00	14.09.2010	36,000.00	14.03.2011	5,000.00
01.07.2010	5,000.00	15.09.2010	9,000.00	18.03.2011	5,000.00
01.07.2010	15,640.00	16.09.2010	9,000.00	29.03.2011	5,898.00
08.07.2010	3,000.00	योग	1,27,210.00	05.04.2011	50,400.00
30.07.2010	2,450.00	28.12.2010	8,000.00	23.04.2011	50,400.00
02.08.2010	25,670.00	06.01.2011	36,000.00	23.04.2011	21,600.00
19.08.2010	2,450.00	06.01.2011	36,000.00	योग	2,33,548.00
26.08.2010	5,000.00	01.02.2011	5,000.00		
26.08.2010	3,750.00	11.02.2011	5,250.00	कुल योग	3,60,758.00

2. छात्रवृत्ति खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु० 2,45,300.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश वर्मा तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-18)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
29.12.2010	5,500.00	03.12.2011	50,000.00	14.02.2011	4,700.00
13.04.2012	93,300.00			योग	2,45,300.00

3. एम.डी.एम. खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, उपरिस्थिति प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०26,427.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. (दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.09.2010 तक) से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-19)

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
12.05.2010	7,235.00	02.06.2010	4,037.00	21.07.2010	6,000.00
14.09.2010	2,155.00	05.10.2010	7,000.00	योग	26,427.00

ग्राम पंचायत : गौर रमवापुर

विकास खण्ड : श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-35- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनकी ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. एम.डी.एम. खाता संख्या 10637 से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, उपस्थिति प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०32,494.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री संतोश श्रीवास्तव (दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.10.2010 तक) से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-17)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
15.04.2010	9,140.00	06.05.2010	10,600.00	06.05.2010	1,507.00
06.08.2010	6,190.00	08.09.2010	3,860.00	27.10.2010	1,197.00
				योग	32,494.00

2. छात्रवृत्ति खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। अतः रु०1,85,300.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री संतोश श्रीवास्तव (दिनांक 01.04.2010 से 31.10.2010) तथा रु०45,300.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तीरथा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोश श्रीवास्तव से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-18)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
20.04.2010	750.00	04.06.2010	1,70,000.00	16.08.2010	14,550.00
				योग	1,85,300.00
29.01.2011	45,300.00			योग	45,300.00
				कुल योग	2,30,600.00

3. सर्व यू.पी.० ग्रामीण बैंक खाते से निम्न विवरणानुसार निकासी के सापेक्ष कैशबुक, ब्यय प्रमाणक, एम.बी. पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसमें से रु०8,41,090.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री संतोश श्रीवास्तव (दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.09.2010 तक) तथा रु०77,750.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तीरथा देवी तथा तत्कालीन ग्रा.पं.अ. श्री संतोश श्रीवास्तव (दिनांक 01.12.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक) से संस्था एवं राजकीय हित में अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति-19)**

आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि	आहरण तिथि	आहरित धनराशि
20.04.2010	34,000.00	10.07.2010	20,000.00	30.07.2010	6,300.00
17.05.2010	5,000.00	12.07.2010	10,200.00	03.08.2010	25,000.00
19.05.2010	14,600.00	12.07.2010	11,000.00	06.08.2010	19,250.00
22.05.2010	5,000.00	13.07.2010	11,500.00	09.08.2010	23,800.00
04.06.2010	7,340.00	14.07.2010	10,200.00	09.08.2010	68,000.00
04.06.2010	56,000.00	15.07.2010	9,000.00	17.08.2010	24,000.00
04.06.2010	5,000.00	21.07.2010	12,600.00	08.09.2010	5,000.00
22.06.2010	5,000.00	28.07.2010	34,000.00	10.09.2010	3,500.00
25.06.2010	7,800.00	28.07.2010	68,000.00	योग	8,41,090.00
30.06.2010	34,000.00	28.07.2010	5,000.00	27.12.2010	36,000.00
30.06.2010	34,000.00	28.07.2010	34,000.00	27.12.2010	21,600.00
30.06.2010	34,000.00	28.07.2010	15,000.00	03.03.2011	8,000.00
30.06.2010	10,000.00	28.07.2010	37,400.00	03.03.2011	7,150.00
10.07.2010	34,000.00	28.07.2010	34,000.00	18.03.2011	5,000.00
10.07.2010	68,000.00	28.07.2010	51,000.00	योग	77,750.00
				कुल योग	9,18,840.00

ग्राम पंचायत : नारायनपुर

विकास खण्ड : गैड़ास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-36- ग्राम पंचायत, नारायनपुर की वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार कैशगुक में हैण्डपम्प मरम्मत दर्शित किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	13.05.2015	--	15,000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	श्रीमती गुल्सन, प्रधान तथा श्री षोभाराम यादव, सेक्रेटरी
2.	18.06.2015	--	17,000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	श्रीमती गुल्सन, प्रधान तथा श्री षोभाराम यादव, सेक्रेटरी
3.	28.11.2015	--	41,250.00	हैण्डपम्प मरम्मत	श्रीमती गुल्सन, प्रधान तथा श्री षोभाराम यादव, सेक्रेटरी

उक्त ब्यय धनराशि के सम्बंध में लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-

1. धनराशि को कैशबुक में अंकन से यह ज्ञात नहीं होता है कि कितनी धनराशि मजदूरी पर और कितनी धनराशि सामग्री पर ब्यय हुआ।
2. ब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
3. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्प किन स्थानों पर लगे हैं इस सम्बंध में कैशबुक या अन्य किसी भी सूची से कोई जानकारी नहीं मिल पायी।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त ब्यय धनराशि रु०93,650/- पूर्णतया कूटरचित अंकन कैशबुक में करते हुए अपहृत कर ली गयी, जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु०46,825/- ग्राम प्रधान श्रीमती गुल्सन से तथा रु०46,825/- सेक्रेटरी श्री शोभाराम यादव से की जाय।

(मूल आपत्ति-12)

ग्राम पंचायत : पिड़िया बुजुर्ग

विकास खण्ड : गैड़ास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-37- ग्राम पंचायत, पिड़िया बुजुर्ग की वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार कैशबुक में स्ट्रीट लाईट क्रय किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	15.10.2015	008131	18,000.00	स्ट्रीट लाईट क्रय	श्री षहजाद अली, प्रधान तथा श्री संदीप शिल्पकार, सेक्रेटरी
2.	26.10.2015	008132	18,000.00	स्ट्रीट लाईट क्रय	श्री षहजाद अली, प्रधान तथा श्री संदीप शिल्पकार, सेक्रेटरी

उक्त ब्यय का ब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया और न तो यह स्पष्ट किया गया कि स्ट्रीट लाईट को लगवाने में कितनी धनराशि मजदूरी पर दी गयी।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त ब्यय धनराशि रु०36,000/- पूर्णतया कूटरचित अंकन कैशबुक में करते हुए अपहृत कर ली गयी, जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु०18,000/- ग्राम प्रधान श्री शहजाद अली तथा रु० 18,000/- सेक्रेटरी श्री संदीप शिल्पकार से की जाय।

(मूल आपत्ति-12)

ग्राम पंचायत : मध्यनगर

विकास खण्ड : हरैया सप्तधरवा

प्रस्तर संख्या-38- आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक (ग्राम निधि प्रथम) में दर्शित विभिन्न मदों पर ब्यय धनराशि ब्यय प्रमाणक विहीन पाया गया। विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	आहरित धनराशि	मद
1.	03.06.2015	01	6,000.00	मजदूरी हैण्डपम्प मरम्मत।
2.	03.06.2015	02	9,000.00	सामग्री क्रय हैण्डपम्प मरम्मत।
3.	20.06.2015	03	30,000.00	सीमेन्ट क्रय, पुलिया निर्माण चौकीपुरवा मार्ग पर।
4.	20.06.2015	04	66,960.00	ईट क्रय, 10ए800 दर 6ए20
5.	20.06.2015	05	33,040.00	सामग्री क्रय, गिट्ठी, बालू, सरिया, मोरंग पुलिया निर्माण चौकीपुरवा मार्ग पर।
6.	29.07.2015	06	10,000.00	मजदूरी, पुलिया निर्माण चौकीपुरवा मार्ग पर।
7.	14.08.2015	07	49,600.00	ईट क्रय, खडंजा निर्माण गुरुदयाल के घर से रामजष के घर तक।
8.	14.08.2015	08	10,400.00	मजदूरी पर ब्यय, खडंजा निर्माण गुरुदयाल के घर से रामजष के घर तक।
योग			2,15,000.00	

उक्त ब्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-

1. लेखा परीक्षा में ब्यय की पुष्टि में ब्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी., मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रय की गयी सामग्री किस फर्म से की गयी है, इसका विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।
3. लेखा परीक्षा में पाया गया कि समस्त भुगतान सेल्फ/बियरर चेकों के द्वारा आहरण कर नगद किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।

उक्त ब्यय धनराशि रु०2,15,000/- की पुष्टि में ब्यय प्रमाणक की पुष्टि में ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल की धारा-8 एवं 8ख तथा नियम 156 के अन्तर्गत प्रमाणक बिहीन ब्यय धनराशि अपहरण मानी जायेगी, जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानेश्वरी से तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती उमा तिवारी से तातारीख किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति-12)

ग्राम पंचायत : टेढ़वा

विकास खण्ड : हरैया सप्तधरवा

प्रस्तर संख्या-39- आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक (ग्राम निधि प्रथम) में दर्शित विभिन्न मदों पर ब्यय धनराशि ब्यय प्रमाणक बिहीन पाया गया। विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	आहरित धनराशि	मद
1.	25.05.2015	01	38,472.00	मजदूरी भुगतान, खडन्जा निर्माण। सहज राम केखेत से गाँव के अन्दर तक।
2.	25.05.2015	02	1,55,000.00	ईट क्रय, 25,000 दर 6.20
3.	26.05.2015	03	20,800.00	हैण्डपम्प मरम्मत।
4.	27.06.2015	05	29,200.00	नाली निर्माण हेतु सातग्री क्रय।
5.	27.06.2015	07	46,500.00	ईट क्रय।
6.	14.08.2015	08	77,000.00	ईट क्रय, 10,000 दर 6.20 मजदूरी 10,848/-, मिट्टी क्रय, 4,152/-
योग			2,27,472.00	

उक्त ब्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-

1. लेखा परीक्षा में ब्यय की पुष्टि में ब्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी., मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रय की गयी सामग्री किस फर्म से की गयी है, इसका विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।
3. लेखा परीक्षा में पाया गया कि समस्त भुगतान सेल्फ/बियरर चेकों के द्वारा आहरण कर नगद किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।
4. लेखा परीक्षा में पाया गया कि कुछ दर्शित ब्यय जैसे दिनांक 25.05.2015 रु०1,55,000/- ब्यय करके 25000 ईट क्रय किया गया, जिसका टेण्डर किया जाना एवं दिनांक 27.06.2015 को रु०46,500/- का ईट क्रय तथा दिनांक 14.08.2015 को रु०62,000/- ब्यय करके 10000 ईट क्रय किया गया, जो रु०2,00,000/- से अधिक है। इनका कोटेशन किया जाना आवश्यक था जो नहीं लिया गया।

उक्त ब्यय धनराशि रु०2,27,472/- की पुष्टि में ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल की धारा-8 के खण्ड-7 तथा 8ख तथा नियम 204 एवं 205 तथा 156 के अन्तर्गत प्रमाणक बिहीन ब्यय धनराशि अपहरण मानी जायेगी, जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव प्रसाद से तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती उमा तिवारी से तातारीख किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति-12)

ग्राम पंचायत : हाथी गर्दा

विकास खण्ड : हरैया सप्तधरवा

प्रस्तर संख्या-40- आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक (ग्राम निधि प्रथम) में अपहरण प्रकाश में लाया जाता है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	मद
1.	23.05.2011	233053	36,000.00	कैशबुक में ब्यय का विवरण दर्शित नहीं है।
2.	08.06.2011	233054	20,000.00	कैशबुक में ब्यय का विवरण दर्शित नहीं है।
योग			56,000.00	

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैशबुक (ग्राम निधि प्रथम) में उक्त धनराशि रु०56,000/- का आहरण दर्शित है, किन्तु ब्यय का विवरण नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ब्यय किस मद पर किया गया है और न ही लेखा परीक्षा के समय ब्यय की पुष्टि में ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है।

इससे यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु०56,000/-का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चेताराम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीकान्त द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-12)

आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक (ग्राम निधि प्रथम) में दर्शित विभिन्न मदों पर व्यय धनराशि व्यय प्रमाणक विहीन पाया गया। विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	आहरित धनराशि	मद
1.	23.05.2015	01	38,000.00	ईट क्रय, खड़न्जा निर्माण। हजारीलाल के घर से रामचन्दर के घर तक।
2.	30.05.2015	02	60,000.00	ईट क्रय, उपरोक्त कार्य हेतु।
3.	08.06.2015	03	26,000.00	उपरोक्त कार्य हेतु मिट्टी एवं मजदूरी भुगतान।
4.	03.09.2015	11	30,000.00	मजदूरी /मिट्टी कार्य दुर्गा प्रसाद के घर से छोटकउ के घर तक खड़न्जा निर्माण।
योग			1,54,000.00	

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-

1. लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी., मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रय की गयी सामग्री किस फर्म से की गयी है, इसका विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।
3. लेखा परीक्षा में पाया गया कि समस्त भुगतान सेल्फ/बियरर चेकों के द्वारा आहरण कर नगद किया गया है। जबकि रासन के पत्रांक 2686/37-07-2011 -752पं०रा०जी०ए०-2011 दिनांक 16.07.2011 के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान के मानदेय के अतिरिक्त कोई भी भुगतान सेल्फ/बियरर चेकों के माध्यम से नहीं किया जायेगा।
4. उक्त व्यय धनराशि रु० 1,54,000/- की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधक के लेखा मैनुअल की धारा-8 के खण्ड-7 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम 204 एवं 205 तथा 156 के अन्तर्गत प्रमाणक विहीन व्यय धनराशि अपहरण मानी जायेगी। प्रमाणक विहीन धनराशि अधिभार योग्य है।

अतः आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रु०1,54,000/- का कूट रचित ढंग से अपहरण कर कैशबुक में अंकित कर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चेताराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती उमा तिवारी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-13)

आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक (ग्राम निधि प्रथम) में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय प्रमाणक विहीन पाया गया। विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	आहरित धनराशि	मद
1.	14.08.2015	09	25,000.00	20 अदद हैण्डपम्प पर सामग्री में रु०15,000/- तथा मजदूरी में रु०10,000/-
योग			25,000.00	

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-

1. व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प कहाँ पर स्थित है, सूची अप्राप्त रही।
3. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की ए०डी०ओ० पंचायत द्वारा सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. उक्त धनराशि को व्यय करके यदि मरम्मत करायी गयी है तो कन्डम पार्ट/कबाड़ निकलेगा जिसका अंकन डेड स्टॉक पंजिका पर होना चाहिए जबकि नहीं बनाया गया है।

अतः आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रु०25,000/- का कूट रचित ढंग से अपहरण कर कैशबुक में अंकित कर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चेताराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती उमा तिवारी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति-14)

जनपद— गोण्डा

ग्राम पंचायत — करनूपुर राजा

प्रस्तर सं०(1) :- ग्राम पंचायत करनूपुर राजा के व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक नं० 9 व 10 पर निम्न मजदूरों से एक ही तिथि में दो मस्टररोलों पर कार्य कराना दिखाकर रु० 9982.00 व 9982.00 कुल रु० 19964.00 का भुगतान किया गया है।

क्र.सं.	नाम श्रमिक	प्रमाणक नं० 9 पर श्रमिक का क्रमांक	प्रमाणक नं० 10 पर श्रमिक का क्रमांक	अवधि जिसमें दोनों प्रमाणकों पर उपस्थिति अंकित है
1	पट्टे पुत्र चैतू	1	1	1.9.15 से 12.9.15
2	विमला पत्नी रामशब्द	2	2	— तदैव —
3	मायावती पत्नी खट्टन	3	3	— तदैव —
4	महादेव पुत्र कामता प्रसाद	4	4	— तदैव —
5	शिवचरन पुत्र कामता प्रसाद	5	5	— तदैव —
6	रामशब्द पुत्र बद्री	6	6	— तदैव —

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ही तिथि में दो प्रमाणकों पर नाम अंकित कर फर्जी तरीके से भुगतान दर्शित है। अतः उक्त धन रु० 19964.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री मेहीलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुशीला मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—12)

प्रस्तर सं०(2) :- दिनांक 06.07.2015 को चेक द्वारा बैंक से रु० 15000.00 आहरित कर कोशबही में प्रविष्टि न कर रु० 15000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री मेहीलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुशीला मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—13)

ग्राम पंचायत — ज्ञानीपुर रामप्रसाद

विकासखण्ड — मनकापुर

प्रस्तर सं०(3) :- ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर राम प्रसाद की लेखा परीक्षा में रु० 287579.00 वर्ष 2015—16 में व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में मानी जायेंगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक के रु० 287579.00 व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती नुसरतुन्निशा एवं ग्रा०पं०अ० श्री नौशाद अहमद से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

1. मजदूरी भुगतान	—	4347.00
2. ह्यूम पाईन क्रय	—	52535.00
3. ईट क्रय	—	58644.00
4. मजदूरी भुगतान	—	15573.00
5. मजदूरी भुगतान	—	6967.00
6. मिट्टी पटाई	—	13113.00
7. सोलर लाइट क्रय	—	39000.00
8. हैण्ड पम्प मरम्मत	—	47400.00
9. मानदेय प्रधान	—	47500.00
10. प्रचार प्रसाद हेतु	—	1000.00
11. स्टेशनरी	—	1500.00

योग — 287579.00

(आपत्ति संख्या—12)

ग्राम पंचायत — कपूरपुर

विकासखण्ड — हलधरमऊ

प्रस्तर सं०(4) :- आलोच्य वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत कपूरपुर की ग्राम निधि कैश बुक के अनुसार रु० 443056.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया गया, विवरण निम्न प्रकार है

1. डेड स्टॉक में (फावड़ा, तसला)	—	7400.00
2. मजदूरी नाली निर्माण	—	11372.00
3. ईट क्रय	—	102362.00
4. सामग्री (सीमेंट बालू मोरंग)	—	22425.00
5. मजदूरी भुगतान	—	65076.00
6. सामग्री (सीमेंट बालू मोरंग)	—	90521.00
7. मजदूरी भुगतान	—	25036.00
8. मजदूरी भुगतान	—	13416.00
9. ईट क्रय	—	57420.00

10. मजदूरी	—	20860.00
11. सामग्री कूप मरम्मत	—	21288.00
12. मजदूरी	—	5880.00

योग — 443056.00

उल्लेखनीय है उक्त से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं किया गया। समस्त भुगतान नगद/बियरर चेक से किया गया है।

उपरोक्त के आधार पर एवं वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में मानी जायेगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक के ₹0 443056.00 व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री रामनाथ द्विवेदी एवं ग्रा0पं0अ0 से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर सं0(5) :- ग्राम पंचायत कपूरपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ₹0 50063.00 व्यय किया जाना कैशबुक ग्रामनिधि में दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में दर्शित नहीं रहा। विवरण निम्न प्रकार है

1. मजदूरी	—	25613.00
2. सामग्री	—	19640.00
3. मजदूरी	—	4810.00

योग — 50063.00

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अपहरण है। अतः ₹0 50063.00 बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री रामनाथ द्विवेदी एवं ग्रा0पं0अ0 श्री जगजीत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

ग्राम पंचायत —डुढ़ही

विकासखण्ड —हलधरमऊ

प्रस्तर सं0(6) :- ग्राम पंचायत डुढ़ही की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 427862.00 निम्न विवरणानुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गया दर्शित है :-

1. ईंट क्रय	—	136294.00
2. मजदूरी	—	129669.00
3. हैण्ड पम्प मरम्मत	—	22000.00
4. सामग्री क्रय	—	139899.00

योग — 427862.00

उल्लेखनीय है उक्त से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं किया गया। समस्त भुगतान नगद/बियरर चेक से किया गया है जबकि भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से किया जाना चाहिए था। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में मानी जायेगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक के ₹0 427862.00 व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती रमकला एवं ग्रा0पं0अ0 श्री दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर सं0(7) :- आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत डुढ़ही में ₹0 378697.00 निम्न विवरणानुसार बिना व्यय प्रमाण के व्यय किया गया है।

1. ईंट क्रय	—	113900.00
2. सामग्री क्रय	—	188370.00
3. मजदूरी व्यय	—	76427.00

योग — 378697.00

उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में मानी जायेगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक के ₹0 378697.00 व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती रमकला एवं ग्रा0पं0अ0 श्री दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10 एवं 11)

ग्राम पंचायत —रामगढ़

विकासखण्ड —हलधरमऊ

प्रस्तर सं0(8) :- ग्राम सभा रामगढ़ की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक ग्राम निधि-प्रथम में अंकित ₹0 152731.00 बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शित है। ₹0 33719.00 मजदूरी पर एवं ₹0 119012.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अनियमित है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना

व्यय प्रमाणक के भुगतान अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के रु0 152731.00 व्यय कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बकरीदी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-09)

ग्राम पंचायत —भुलभुलिया

विकासखण्ड —हलधरमऊ

प्रस्तर सं0(9) :- ग्राम पंचायत भुलभुलिया की वर्ष 2015-16 की कैश बुक ग्राम निधि-प्रथम में रु0 75149.00 निम्न विवरणानुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया जाना अंकित है।

1. हैण्ड पम्प मरम्मत	—	24750.00
2. मजदूरी	—	31999.00
3. फावड़ा, तसला, स्टेसनरी	—	18400.00
योग	—	75149.00

उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अनियमित है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के रु0 75149.00 व्यय कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रविनन्दन सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-09, 10 एवं 11)

ग्राम पंचायत —चकसेनिया

विकासखण्ड —हलधरमऊ

प्रस्तर सं0(10) :- ग्राम पंचायत चकसेनिया की वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः रु0 546000.00 एवं 433700.00 कुल रु0 979700.00 इलाहाबाद बैंक की शाखा बालपुर खाता सं0 22000975542 से आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि की प्रविष्टि लेखा कैश बुक ग्राम निधि-प्रथम में नहीं पाया गया। उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कैश बुक में प्रविष्टि न कर व्यय किये जाने के कारण उक्त धन को अपहरण मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी क्रमशः श्रीमती लीला देवी व श्री जगजीत सिंह से समान रूप में की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-09 एवं 11)

प्रस्तर सं0(11) :- ग्राम पंचायत चकसेनिया की वर्ष 2014-15 में रु0 504331.00 एवं वर्ष 2015-16 में रु0 192536.00 कुल रु0 696867.00 बिना व्यय प्रमाणक के कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2014-15

1. ईंट क्रय	—	232753.00
2. मजदूरी	—	216578.00
3. मिट्टी पटाई	—	30000.00
4. हैण्ड पम्प मरम्मत	—	6400.00
5. सामग्री क्रय	—	18600.00
योग	—	504331.00

वर्ष 2015-16

1. ईंट क्रय	—	119205.00
2. मजदूरी	—	20131.00
3. फावड़ा तसला	—	20000.00
4. स्वच्छता बोर्ड	—	13200.00
5. हैण्ड पम्प मरम्मत	—	20000.00
योग	—	192536.00

उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति रजि0 आदि प्रस्तुत नहीं है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया हुआ व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के रु0 696867.00 व्यय कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीला देवी एवं ग्रा0पं0अ0 श्री जगजीत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10, 12 एवं 13)

ग्राम पंचायत —कैथोला

विकासखण्ड —हलधरमऊ

प्रस्तर सं0(12) :- वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः रु0 287162.00 एवं रु0 228964.00 बिना व्यय प्रमाणक के कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2014-15

1. सोलर लाइट	—	96172.00
2. मजदूरी	—	120630.00
3. सामग्री क्रय	—	42620.00
4. ईट क्रय	—	15840.00
5. हैण्ड पम्प	—	11900.00

योग — 287162.00

वर्ष 2015-16

1. मजदूरी	—	65724.00
2. सामग्री	—	119317.00
3. स्टेशनरी	—	1513.00
4. स्वच्छता बोर्ड	—	13500.00
5. ईट क्रय	—	21510.00
6. फावड़ा तसला	—	7400.00

योग — 228964.00

उपर्युक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया हुआ व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के व्यय कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आराधना एवं ग्रा0पं0अ0 श्री रविनन्दन सिंह से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उक्त व्ययों से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक बुक, परिसम्पत्ति रजि0 माप पुस्तिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

(आपत्ति संख्या— 9 एवं 10)

प्रस्तर सं0(13) :— वर्ष 2014-15 में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू0 55810.00 व्यय किया गया, ग्राम निधि-प्रथम में दर्शित है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं :—

1. ग्राम पंचायत में किस स्थान पर स्थित हैण्ड पम्प की मरम्मत की गयी, सूची उपलब्ध नहीं है।
2. मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प की सत्यापन/कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. हैण्ड पम्प के खराब होने का प्रमाण पत्र एवं मरम्मत कराने की माँग पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ।
4. मरम्मत कार्य से प्राप्त कन्डम पार्ट (कबाड़) को स्टॉक में नहीं रखा गया है।
5. मजदूरी एवं सामान पर व्यय अलग-अलग दर्शित नहीं है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती आराधना एवं ग्रा0पं0अ0 श्री रविनन्दन सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत —नकही**विकासखण्ड —हलधरमऊ**

प्रस्तर सं0(14) :— वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कुल रू0 607080.00 ग्राम निधि-प्रथम कैंश बुक के अनुसार व्यय किया गया है विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1. ईट क्रय	—	301422.00
2. मजदूरी	—	163057.00
3. हैण्ड पम्प	—	34707.00
4. सामग्री क्रय	—	34075.00
5. मिट्टी पटार्ड	—	73819.00

योग — 607080.00

उपर्युक्त धनराशि रू0 607080 बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान किया गया है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के उक्त व्यय कर अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती एवं ग्रा0पं0अ0 श्री रविनन्दन सिंह से समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उक्त व्ययों से सम्बन्धित कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजि0, माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजि0 आदि अभिलेख को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईट एवं सामग्री क्रय का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से न कर नगद/बियरर किया गया है जो कि अनियमित है।

(आपत्ति संख्या—09)

जनपद— श्रावस्ती

नाम ग्राम पंचायत — भरथा रोशनगढ़

क्षेत्र पंचायत— सिरसिया

प्रस्तर—1. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	24.04.15	03	मिट्टी पटाई	9000.00
2	22.05.15	6	मिट्टी पटाई	9000.00
3	08.06.15	11	मिट्टी पटाई	4500.00
योग				22500.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 22500.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती इशरत जहां ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में खड़जा कय पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है —

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	23.05.15	8	खड़जा मरम्मत हेतु ईंट कय	32000.00
2	24.07.15	17	खड़जा मरम्मत हेतु ईंट कय	38400.00
3	24.07.15	18	खड़जा मरम्मत हेतु ईंट कय	32000.00
4	18.02.16	19	खड़जा मरम्मत हेतु ईंट कय	64000.00
योग				166400.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 166400.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, एम०बी०बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती इशरत जहां ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—3. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में मस्टर रोल खड़न्जा, पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	28.04.15	5	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	22400.00
2	23.05.15	9	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	4992.00
3	08.06.15	10	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	4992.00
4	24.07.15	16	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	4992.00
योग				37376.00

इस प्रकार रु० 37376.00 का व्यय मस्टर रोल पर किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त व्ययों की मजदूरी दर रु० 161.00 प्रतिवेदन के हिसाब से पूर्ण गुणक में नहीं बनता है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार

के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती इशरत जहां ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में स्पन एवं सोलर लाइट पर व्यय दर्शाकर कैशबुक से खारिज किया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	27.04.15		स्पन पाइप खरीद पर व्यय	29650.00
2	06.07.15	14	सोलर लाइट खरीद पर व्यय	20800.00
योग				50450.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 50450.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम०बी०बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती इशरत जहां ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत-पिपरहवा जोगा गॉव

क्षेत्र पंचायत-सिरसिया

प्रस्तर-5. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	16.05.15	11	मिट्टी पटाई	7500.00
2	16.05.15	12	मिट्टी पटाई	7500.00
3	09.06.15	19	मिट्टी पटाई	4050.00
4	09.06.15	20	मिट्टी पटाई	9000.00
5	20.07.15	37	मिट्टी पटाई	5400.00
6	20.07.15	38	मिट्टी पटाई	5400.00
योग				38850.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 38850.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शांति सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में खड़जा कय पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	15.05.15	7	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	16000.00
2	15.05.15	8	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	38400.00
3	15.05.15	9	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	64000.00
	15.05.15	10	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	38400.00
5	09.06.15	13	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	96000.00
6	09.06.15	14	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	57600.00
7	09.06.15	15	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	10240.00
8	09.06.15	16	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	64000.00
9	09.06.15	17	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	6400.00
10	09.06.15	18	निसार ब्रिक्स फील्ड से ईट कय	64000.00
योग				512640.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 512640.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में मस्टर रोल खड़न्जा, पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	15.05.15	2	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	4992.00
2	15.05.15	3	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	4992.00
3	15.05.15	4	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	4992.00
4	15.05.15	5	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	4992.00
5	15.05.15	6	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	4056.00
6	13.06.15	21	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	9828.00
7	3.06.15	22	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	14976.00
8	13.06.15	23	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	21372.00
9	13.06.15	24	मस्टररोल, खड़न्जा निर्माण	17316.00
योग				87516.00

इस प्रकार रु0 87516.00 का व्यय मस्टर रोल पर किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त व्ययों की मजदूरी दर रु0 161.00 प्रतिवेदन के हिसाब से पूर्ण गुणक में नहीं बनता है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में स्पन एवं सोलर लाइट पर व्यय दर्शाकर कैशबुक से खारिज किया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	16.07.15	29	सोलर लाइट खरीद पर व्यय	20800.00
2	26.08.15	39	सोलर लाइट खरीद पर व्यय	61002.00
योग				81802.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 50450.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत –तालबघौड़ा

क्षेत्र पंचायत– सिरसिया

प्रस्तर-9. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	29.05.15	11	मिट्टी पटाई	5850.00
2	12.06.15	15	मिट्टी पटाई	5400.00
3	18.06.15	18	मिट्टी पटाई	4500.00
4	19.06.15	19	मिट्टी पटाई	4500.00
5	03.10.15	41	मिट्टी पटाई	12150.00
योग				32400.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 32400.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुन्ना ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में खड़जा क्रय पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	21.04.15	8	खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	64000.00
2	21.04.15	17	खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	64000.00
3	15.05.15	18	खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	32000.00
4	28.05.15	19	खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	64000.00
5	18.06.15		खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	41600.00
6	18.06.15		खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	64000.00
7	18.06.15		खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	32000.00
8	18.06.15		खड़जा मरम्मत/ निर्माण हेतु ईंट क्रय	19200.00
योग				380800.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 380800.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुन्ना ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में मस्टर रोल खड़जा, पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	28.04.15	8	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	3432.00
2	28.04.15	9	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	2652.00
3	06.06.15	13	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	5928.00
4	23.04.15	14	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	5304.00
5	23.06.15	26	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	10764.00
6	23.06.15	27	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	13884.00
7	23.06.15	28	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	5928.00
योग				47892.00

इस प्रकार रु0 47892.00 का व्यय मस्टर रोल पर किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त व्ययों की मजदूरी दर रु0 161.00 प्रतिवेदन के हिसाब से पूर्ण गुणक में नहीं बनता है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुन्ना ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में स्पन एवं सोलर लाइट पर व्यय दर्शाकर कैशबुक से खारिज किया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	03.06.15	12	स्पन पाइप खरीद पर व्यय	29300.00
2	20.07.15	35	सोलर लाइट खरीद पर व्यय	20800.00
3	03.06.15	38	सोलर लाइट खरीद पर व्यय	20800.00
योग				70900.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 70900.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुन्ना ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत -परसोहना

क्षेत्र पंचायत- सिरसिया

प्रस्तर-13. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	मद	धनराशि
1	09.05.15	4	मिट्टी पटाई	4950.00
2	16.05.15	6	मिट्टी पटाई	7650.00
3	03.06.15	9	मिट्टी पटाई	4500.00
4	03.06.15	10	मिट्टी पटाई	2700.00
5	03.06.15	11	मिट्टी पटाई	5400.00
6	15.07.15	23	मिट्टी पटाई	3600.00
योग				28800.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 28800.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रुबी बेगम उर्फ रहीसा ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में खड़जा क्रय पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	09.05.15	5	रियाज ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	68800.00
2	04.06.15	12	रियाज ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	46910.00
3	04.06.15	13	रियाज ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	87566.00
4	04.06.15	14	रियाज ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	50037.00
5	27.06.15	19	रियाज ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	25029.00
6	16.07.15	25	रियाज ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	46300.00
योग				324642.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 324642.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम०बी०बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रूबी बेगम उर्फ रहीसा ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में मस्टर रोल खड़न्जा, पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	28.05.15	7	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	8892.00
2	28.05.15	8	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	13416.00
3	06.06.15	15	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	10140.00
4	06.06.15	16	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	5928.00
5	06.06.15	17	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	14976.00
6	20.07.15	27	मजदूरी, खड़जा मरम्मत	2340.00
योग				55692.00

इस प्रकार रु० 55692.00 का व्यय मस्टर रोल पर किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त व्ययों की मजदूरी दर रु० 161.00 प्रतिवेदन के हिसाब से पूर्ण गुणक में नहीं बनता है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रूबी बेगम उर्फ रहीसा ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में स्पन एवं सोलर लाइट पर व्यय दर्शाकर कैशबुक से खारिज किया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	01.05.15	4	स्पन पाइप खरीद पर व्यय	23440.00
2	16.07.15	14	सोलर लाइट खरीद पर व्यय	20800.00
योग				44240.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 44240.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम०बी०बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली

—1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रुबी बेगम उर्फ रहीसा ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत —मदारगढ़

क्षेत्र पंचायत— सिरसिया

प्रस्तर—17. लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	24.04.15	03	मिट्टी पटाई	6750.00
योग				6750.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 6750.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली —1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री वसीम ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 18. लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में खड़जा क्य पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है —

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	24.04.15	2	खड़जा मरम्मत हेतु ईट क्य	64000.00
2	22.04.15	3	खड़जा मरम्मत हेतु ईट क्य	64000.00
3	22.04.15	4	खड़जा मरम्मत हेतु ईट क्य	32000.00
4	18.06.15	14	खड़जा मरम्मत हेतु ईट क्य	64000.00
5	18.06.15	15	खड़जा मरम्मत हेतु ईट क्य	64000.00
योग				288000.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 288000.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली —1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री वसीम ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—19. लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में सी0सी0 रोड एवं खड़जा निर्माण पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	23.04.15	5	मस्टररोल, सी0सी0 रोड	10150.00
2	23.04.15	6	मस्टररोल, सी0सी0 रोड	59708.00
3	23.04.15	7	मस्टररोल, सी0सी0 रोड	2900.00
4	23.04.15	8	मस्टररोल, सी0सी0 रोड	32152.00
5	23.04.15	17	मस्टररोल, खड़जा निर्माण	4056.00
6	23.04.15	18	मस्टररोल, खड़जा निर्माण	12324.00
7	23.04.15	23	मस्टररोल, खड़जा निर्माण	26420.00
योग				147710.00

इस प्रकार रु0 147710.00 का व्यय मस्टर रोल पर किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त व्ययों की मजदूरी दर रु0 161.00 प्रतिवेदन के हिसाब से पूर्ण गुणक में नहीं बनता है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री वसीम ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 20. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में स्पन पर व्यय दर्शाकर कैशबुक से खारिज किया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाण सं०	मद	धनराशि
1	06.06.15	10	स्पन पाइप खरीद पर व्यय	29300.00
योग				29300.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 29300.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0बुक, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री वसीम ग्राम प्रधान तथा श्री मंजूर आलम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मण्डल का नाम— गोरखपुर

जिले का नाम— देवरिया

मण्डल का नाम — गोरखपुर

ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

- 1— ग्राम पंचायत — जमुई वर्ष 2015—16 विकास खण्ड — भलुअनी जनपद देवरिया**
 प्रस्तर सं० 1—ग्राम पंचायत जमुई में वर्ष 2015—16 के आडिट में कय ईट का उपयोग न कर रु० 28980 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्रीमती ज्ञान्ती देवी ग्रा०प्र० श्री रामाश्रय विश्वकर्मा ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
 प्रस्तर सं० 2—ग्राम पंचायत जमुई में वर्ष 2015—16 के आडिट में ग्राम प्रधान को समय से पूर्व मानदेय का भुगतान कर रु० 7500 का की अनियमितता की गयी है उत्तरदायी श्रीमती ज्ञान्ती देवी ग्रा०प्र० श्री रामाश्रय विश्वकर्मा ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
 प्रस्तर सं० 3—ग्राम पंचायत जमुई में वर्ष 2015—16 के आडिट में विज्ञापन मद में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु० 2000 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्रीमती ज्ञान्ती देवी ग्रा०प्र० श्री रामाश्रय विश्वकर्मा ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

संभाग:— गोरखपुर

जनपद:— कुशीनगर

जनपद का नाम:— कुशीनगर

मंडल का नाम:— गोरखपुर

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां:—

ग्राम पंचायत :— ग्रा०पं० शिवपुर बुजुर्ग की वर्ष 2014—15 से 2015—16 तक की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खंड :— पडरौना

प्रस्तर संख्या 1:— आलोच्य वर्षों में निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान की धनराशि को विज्ञापन मद में व्यय करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अजय तिवारी, श्रीमती उषा कुशवाहा तथा ग्रा० प्रधान श्री शाकिर अली बराबर— बराबर के उत्तरदायी है। उक्त धनराशि में से रु० 21000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शाकिर अली से तथा रु० 10500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अजय तिवारी, से व रु० 10500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती उषा कुशवाहा से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	पृ०सं०	धनराशि
1	15.04.2014	1	2000.00
2	16.04.2014	2	1500.00
3	17.04.2014	3	2400.00
4	20.05.2014	6	1500.00
5	20.09.2014	18	2500.00
6	30.09.2014	22	2000.00
7	28.10.2014	28	2400.00
8	30.10.2014	29	1500.00
9	20.11.2014	30	1500.00
10	26.11.2014	31	2000.00
11	09.12.2014	32	4000.00
12	07.05.2015	—	1500.00
13	08.05.2015	—	2000.00
14	08.05.2015	—	2400.00
15	12.05.2015	—	1800.00
16	12.05.2015	—	2000.00
17	12.05.2015	—	2000.00
18	13.05.2015	—	1500.00
19	13.05.2015	—	2000.00

20	16.05.2015	—	1500.00
21	30.05.2015	—	2000.00
योग			42000.00

अपहरण	दुर्विनियोग	योग
—	42000.00	42000.00

संभाग:— गोरखपुर **वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015—16)** **जनपद:— कुशीनगर**
ग्राम पंचायत :— ग्रा0पं0 शिवपुर बुजुर्ग की वर्ष 2014—15 से 2015—16 तक की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खंड :— पडरौना

प्रस्तर संख्या 2:—ग्रामनिधि प्रथम कैशबुक के अनुसार दिनांक 01.05.15 को चेक सं0 5 द्वारा मु0 12300.00 का कैमरा अनुदान की धनराशि से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रय करके अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही इसे डेड स्टॉक पंजिका में दर्शित नहीं किया गया है। उक्त धनराशि के लिए ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री अजय तिवारी, श्रीमती उषा कुशवाहा तथा ग्रा0 प्रधान श्री शाकिर अली बराबर— बराबर के उत्तरदायी है। उक्त धनराशि में से रू0 6150.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शाकिर अली से तथा रू0 3075.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री अजय तिवारी, से व रू0 3075.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती उषा कुशवाहा से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	योग
—	12300.00	12300.00

ग्राम पंचायत :— ग्रा0पं0 मिश्रौली की वर्ष 2015—16 तक की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खंड :— खड्डा

प्रस्तर संख्या 3:—ग्राम निधि प्रथम खातों से निकासी की गई धनराशि का लेखांकन कोषबही में नहीं किया गया है और न ही उक्त धनराशि से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। जिससे निकासी धन की पुष्टि न हो सकी। अतः कोषबही में लेखांकन न होने से निकासी धन रू0 41384.00 का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 20692.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से तथा रू0 20692.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री भगवन्त प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
2.5.15	286419	41384.00	नेशनल ईट उद्योग

अपहरण	दुर्विनियोग	योग
41384.00	—	41384.00

संभाग:— गोरखपुर **वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015—16)** **जनपद:— कुशीनगर**
ग्राम पंचायत :— ग्रा0पं0 बसडीला गुनाकर की वर्ष 2015—16 तक की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खंड :— सेवरही

प्रस्तर संख्या 4:—दिनांक 17.4.15 व 12.6.15 को रू0 15750.00 व रू0 7000.00 कुल रू0 22750.00 का भुगतान लाइट मरम्मत मद में किया गया। लेखा परीक्षा में लाइट कहां कहा खराब हुई थी इसका विवरण तथा खरीदे गये लाइटों के वारंटी कार्ड तथा मरम्मत से संबंधित व्यय बाउचर्स प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे किया गया भुगतान 22750.00 अप्रमाणित रहा। ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री दशरथ सिंह द्वारा दुरुपयोग किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि में से रू0 11375.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव से तथा रू0 11375.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री दशरथ सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	योग
22750.00	—	22750.00

ग्राम पंचायत :- ग्रा0पं0 परसा उर्फ सिरसिया की वर्ष 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खंड :- सेवरही

प्रस्तर संख्या 5:-लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 15-16 में रू0 149700.00 का भुगतान लाइट मरम्मत मद में किया गया है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत प्रस्ताव ,स्टाक रजि0 भी नहीं रहा। लाइट कहा कहा खराब हुई थी इसका विवरण तथा लाइटों के वारंटी कार्ड तथा मरम्मत से संबंधित व्यय बाउचर्स प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे किया गया भुगतान रू0 149700.00 अप्रमाणित रहा।ग्राम प्रधान श्री राजगोविन्द यादव व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री दशरथ सिंह उक्त का दुरुपयोग किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि में से रू0 74850.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजगोविन्द यादव से तथा रू0 74850.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री दशरथ सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	योग
149700.00	—	149700.00

संभाग:- गोरखपुर वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16) जनपद:- कुशीनगर

ग्राम पंचायत :- ग्रा0पं0 परसा उर्फ सिरसिया की वर्ष 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खंड :- सेवरही

प्रस्तर संख्या 6:-दिनांक 26.4.14 को रू0 13990.00 का भुगतान एक अदद फोटो कैमरा खरीदने पर किया गया है। जब कि अगले वित्तीय वर्ष 15-16 में भी एक अदद कैमरा रू0 12990.00 में दिनांक 3.9.15 को खरीदा गया हैं पूर्व में ग्रा0 पं0 में कैमरा होने के बाद भी नया कैमरा खरीदा जाना राजकीय धन का दुरुपयोग है। एवं उक्त क्रय हेतु स्वीकृति प्रस्ताव स्टाक रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत रहा। अतः उक्त क्रय पर किया गया व्यय रू0 12990.00 में से 6495.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजगोविन्द यादव से तथा रू0 6495.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री दशरथ सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	योग
12990.00	—	12990.00

जनपद का नाम -गोरखपुर

मण्डल का नाम - गोरखपुर

4.3 -ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

ग्राम पंचायत- चवरियां बुजुर्ग विकास खण्ड -कौडीराम जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-01 वर्ष 2015-16 अर्न्तगत दिनांक 31.03.2016 को रूप्या 15312.60 प्रधान के पास नगद अवशेष पडा रहा। रूप पत्र 06 कैशबुक अर्न्तगत प्रधान के पास नगद अवशेष प्रदर्शित किया गया है जो नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार अनियमित रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।जिसका उत्तरदायित्व श्रीमती कौशिल्या देवी (पूर्व प्रधान) श्री रामधनी (वर्तमान प्रधान) तथा श्री अंकुर दूबे (ग्रा0पं0अधि0) की है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	15312.60	15312.60

ग्राम पंचायत- हरिखोरा विकास खण्ड -कौडीराम जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-02 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 09.06.2015 को रू0 24500.00 दिनांक 21.08.2015 को रू0 13500.00 तथा दिनांक मार्च 2016 में रूप्या 30450.00 कुल रूप्या 68450.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित किया गया है। इससे सम्बन्धित बिल एवं बाउचर/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्ययोजना कार्यपूर्ति तथा सर्वे रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मरम्मत के पश्चात उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची तथा वांछित उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त धन का अपहरण किया जाना परिलक्षित है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश (पूर्व प्रधान) श्री संतोष (वर्तमान प्रधान) तथा श्री अनुज राय ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
68450.00	00.00	68450.00

ग्राम पंचायत— खदरा**विकास खण्ड — गोला****जनपद — गोरखपुर**

प्रस्तर सं०—03 ग्राम पंचायत कोषबही वर्ष 2015-16 में दिनांक 07.05.2015 को ग्राम प्रधान श्री श्याम राज विशवकर्मा को दिसम्बर 2013 से मई 2014 तक कुल 06 माह का मानदेय रुपया 2500.00 प्रति माह से कुल रुपया 17500.00 भुगतान किया गया है। जबकि नियमानुसार 06 माह का रुपया 2500.00 की दर से रुपया 1500.00 मानदेय ही भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार ग्राम प्रधान को रुपया 2500.00 अधिक मानदेय भुगतान करके रुपया 2500.00 का अपहरण किया गया है। अतः उत्तरदायी पूर्व ग्राम प्रधान श्याम राज विशवकर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राहुल मिश्रा से रुपया 2500.00 मय दण्डनीय ब्याज वसूल किया जाना चाहिये।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2500.00	00.00	2500.00

प्रस्तर सं०—04 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम

पंचायत द्वारा ग्राम निधि खाते से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रुपया 7861.00 व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य तथा व्यय की पुष्टि नहीं करायी गयी है। उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक भी जांच हेतु उपलब्ध नहीं रहा। अतः उक्त व्यय अनियमित व अपुष्टित प्रतीत होता है। जिसकी जांच कराकर उपरोक्त उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीश्याम राज विशवकर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राहुल मिश्रा से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	7861.00	7861.00

ग्राम पंचायत— बरईपार**विकास खण्ड — सरदारनगर****जनपद — गोरखपुर**

प्रस्तर सं०—05 दिनांक 21.05.2015 को हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि रुपया 7000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि कुल हैण्डपम्पो की सत्यापित सूची एवं उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जबकि भुगतान आपूर्तिकर्ता को नगद रूप में किया गया है। जबकि चेक से भुगतान किया जाना चाहिये। व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय कर ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रामगोपान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रद्युम्न से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
7000.00	00.00	7000.00

ग्राम पंचायत— महरी**विकास खण्ड — भटहट****जनपद — गोरखपुर**

प्रस्तर सं०—06 दिनांक-22-03-2016 को रुपया-10100.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया दर्शित है न्ति हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख नहीं है। तथा कितने हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है इसका भी उल्लेख नहीं है। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शा कर रु० 10100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रुपया-10100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान विष्णु प्रताप सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शंकर मणि से आधा- आधा वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 16)**

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
10100.00	0.00	10100.00

ग्राम पंचायत— बरगदही**विकास खण्ड — भटहट****जनपद — गोरखपुर**

प्रस्तर सं०—07 दिनांक 06.05.2015 को ग्राम निधि खाता प्रथम से रु० 15000.00 की निकासी की गयी है किन्तु कोष बही में आय रु० 10000.00 की गयी है। इस प्रकार रु० 15000.00-10000.00 = 5000.00 से आय कम करके रोकड का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नवनीत मिश्र द्वारा कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु० 5000.00 में से रु० 2500.00 श्रीमती नीलम ग्राम प्रधान एवं रु० 2500.00 श्री नवनीत मिश्र ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 15)

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
5000.00	0.00	5000.00

ग्राम पंचायत— मिश्रौली

विकास खण्ड — गगहा

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—08 1 (क) दिनांक 24.01.2014 को प्रा० वि० मिश्रौली के गेट व चहारदीवारी निर्माण हेतु निम्नलिखित सामग्री केय की गयी दर्शित है।

क्रम सं०	सामग्री	संख्या	दर/बोरी/हजार/घन मी०	लेखापरीक्षानुसार धनराशि	कैशबुक अनुसार धनराशि
1	सफेद बालू	25 घन मी०	1050 रु० घन मी०	26250.00	26250.00
2	ईट	23819	5100 रु० / हजार	126240.00	126240.00
3	सीमेंट	172 बोरी	325 रु० / बोरी	55900.00	55900.00
4	ईट टुकड़ा	7.38 घन मी०	1000.00 रु०/घन मी०	7380.00	7380.00
5	सफेद सीमेंट	240 किलो ग्राम	12 रु०/किलो ग्राम	2880.00	2880.00
6	लेहे का गेट	52 किलो ग्राम	62.50 रु०/किलो ग्राम	3250.00	5750.00
			योग	221900.00	224400.00

दिनांक 24.01.2014 को केवल रु० 26250.00 का भुगतान दुर्गा ट्रेडर्स गगहा का किया गया दर्शित है। लेखापरीक्षानुसार रु० 195650.00 दुर्गा ट्रेडर्स गगहा को भुगतान करना अवशेष है। लेकिन दिनांक 17.02.2014 रु० 113479.00 व दिनांक 11.03.2014 को रु० 84271.00 कुल रु० 197750.00 का भुगतान दुर्गा ट्रेडर्स गगहा को किया गया है। अतः रुपया— 2100.00 अधिक भुगतान कर ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीराम नरायण सिंह द्वारा रु० 2100.00 अपहरण कर लिया गया है।

(ख) पुनः दिनांक 24.06.2014 को कैशबुक में दिनांक 24.01.2014 की क्रय सामग्री रु० 221900.00 का योग कैशबुक अनुसार रु० 224400.00 दर्शा कर दुबारा दिनांक 24.06.2014 को रु० 222324.00 का भुगतान दुर्गा ट्रेडर्स गगहा को किया जाना दर्शित है। तथा 13.11.2014 को रु० 2076.00 का भुगतान दुर्गा ट्रेडर्स गगहा को दिया गया दर्शित है। इस प्रकार दि० 24.01.2014 के क्रय सामग्री का भुगतान वैशबुक के योग के अनुसार रु० 224400.00 पुनः दुर्गा ट्रेडर्स गगहा को किया जाना दर्शाकर रु० 224400.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीराम नरायण सिंह द्वारा कर लिया गया है।

अतः 2100.00 + 224400.00 कुल 226500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीराम नरायण सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2100.00	0.00	2100.00
224400.00	0.00	224400.00
	योग	226500.00

ग्राम पंचायत— सोपाई

विकास खण्ड — बेलघाट

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—09 ग्राम सभा द्वारा ग्राम निधि खाते से निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु० 13929.00 व्यय किया गया है, परन्तु कितने हैण्डपम्प की मरम्मत एवं किस स्थान पर स्थित है, का विवरण अंकित नहीं रहा, और ना ही मरम्मत पर हुए व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा, जिससे कि व्यय की पुष्टि न हो सकी।

क्रम सं०	दिनांक	उत्तरदायी कर्मचारी का नाम	विवरण	धनराशि
1	02.11.2015	ग०वि०अधि०— श्री नरसिंह तिवारी ग्राम प्रधान— श्रीमती माया सिंह	हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	4020.00
2	31.03.2016	ग्रा०वि०अधि० — ग्राम प्रधान —	इण्डिया मार्क—।। हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु व्यय	9909.00
			योग	13929.00

उक्त से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु० 13929.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है। अतः धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
4020.00	00.00	4020.00
9909.00	00.00	9909.00
	योग	13929.00

ग्राम पंचायत—जिगनी बुजुर्ग विकास खण्ड — बेलघाट जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—10 ग्राम सभा द्वारा ग्राम निधि खाते से निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु० 36800.00 व्यय किया गया है, परन्तु कितने हैण्डपम्प की मरम्मत एवं किस स्थान पर स्थित है, का विवरण अंकित नहीं रहा, और ना ही मरम्मत पर हुए व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा, जिससे कि व्यय की पुष्टि न हो सकी।

क्रम सं०	दिनांक	उत्तरदायी कर्मचारी का नाम	विवरण	धनराशि
1	02.11.2015	ग्रा०वि०अधि० — अजय कुमार पाण्डेय ग्राम प्रधान— राजेश पाण्डेय	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	20400.00
2	31.03.2016	ग्रा०वि०अधि० — अजय कुमार पाण्डेय ग्राम प्रधान — धीरेन्द्र पाण्डेय	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	16400.00
			योग	36800.00

उक्त से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु० 36800.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है।

अतः धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव सेबराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
20400.00	00.00	20400.00
16400.00	00.00	16400.00
	योग	36800.00

ग्राम पंचायत— कुई विकास खण्ड — खोराबार जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—11 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 03.06.2015 को रुपया 7300.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री तथा दिनांक 20.03.2016 को हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान पर रुपया 14400.00 का कुल रुपया 21700.00 का व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सम्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे मरम्मत पर व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक के माध्यम से न कर नगद रूप में किया गया है। जो अनियमित रहा जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व श्री बहादुर प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपया 7300.00 तथा रुपया 14400.00 श्रीमती पूनम ग्राम प्रधान व सचिव श्री बहादुर प्रसाद बराबर—बराबर मात्रा में वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	21700.00	21700.00

प्रस्तर सं०—12 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान तत्कालीन ग्राम प्रधान को किया गया है विवरण निम्नवत है—

दिनांक	धनराशि	किस माह से किस माह तक	ग्राम प्रधान का नाम
16.04.2015	10000.00	दिसम्बर 2014 से मार्च 2014	श्रीमती मुन्नी देवी
01.07.2015	10000.00	अप्रैल 2015 से जुलाई 2015	श्रीमती मुन्नी देवी
02.09.2015	5000.00	अगस्त 2015 से सितम्बर 2015	श्रीमती मुन्नी देवी
02.09.2015	7500.00	जनवरी 2016 से मार्च 2016	श्रीमती पूनम
कुल धनराशि	32500.00		

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
32500.00	0.00	32500.00

मानदेय भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर व गम वर्ष का लेखा परीक्षित कोषबही प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में भुगतानित मानदेय रुपया 32500.00 में से रुपया 25000.00 की बराबर बराबर की धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव श्री बहादुर प्रसाद से तथा रुपया 7500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व ग्राम पंचायत सचिव श्री बहादुर प्रसाद से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०—13 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पासबुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है:—

कार्य का नाम	निकासी की तिथि	चेक संख्या	धनराशि भुगतान का विवरण	धनराशि
1- मेन बन्धे	15.04.2015	49000.00	ईट	46400.00
से प्राथमिक	16.04.2015	49000.00	मस्टर रोल	29200.00
पाठशाला स्कूल			मिटटी	9470.00
तक खडन्जा	04.06.2015	49000.00	ईट	29000.00
मरम्मत कार्य			मस्टर रोल	14600.00
	20.08.2015	25000.00	मस्टर रोल	14600.00
	28.08.2015	24000.00	ईट	29000.00
			कुल	172270.00

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रूपया 172270.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व ग्राम पंचायत सचिव श्री बहादुर प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
172270.00	0.00	172270.00

ग्राम पंचायत- डुमरी विकास खण्ड - खोराबार जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-14 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 07.04.2015 को रूपया 20000.00 की निकासी के सापेक्ष दिनांक 07.04.2015 को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर रूपया 20000.00 नगद भुगतान तथा दिनांक 17.09.2015 को हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान रूपया 12292.00 का कुल रूपया 32292.00 का व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भैतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे मरम्मत पर व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक के माध्यम से न कर नगद रूप में किया गया है। जो अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जालन्धर यादव व सचिव ग्राम पंचायत दरोगा मिश्र बराबर-बराबर उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	32292.00	32292.00

प्रस्तर सं0-15 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 30.04.2015 को रूपया 9000.00 का भुगतान तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जालन्धर यादव को मानदेय माह अप्रैल 2014 से 31.03.2015 तक रूपया 750.00 की दर से व दिनांक 17.09.2015 को रूपया 10000.00 का भुगतान कुल चार माह का तत्कालीन ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में किया गया है। भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजिस्ट्री व गत वर्ष का लेखा परीक्षित कोषबही प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में भुगतानित मानदेय के बराबर-बराबर की धनराशि तत्काली ग्राम प्रधान श्री श्री जालन्धर यादव व सचिव ग्राम पंचायत दरोगा मिश्र से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
19000.00	0.00	19000.00

ग्राम पंचायत- जगदीशपुर गाही विकास खण्ड -पाली जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-16 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पासबुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	निकासी की तिथि	चेक सं0	धनराशि	भुगतान का विवरण	धनराशि
डुमरी में मेन खडन्जा से	22.04.2015	546680	45000.00	मिटटी	9805.00
	23.04.2015	546678	40000.00	मस्टररोल	6240.00
	23.04.2015	546679	30000.00	ईट	66120.00
	25.04.2015	546681	28000.00	मस्टररोल	9828.00
कोदई तिवारी के घर से	25.04.2015	546682	30000.00	मिटटी	8566.00
रिंग बाध तक खडन्जा कार्य				मस्टररोल	5460.00
				ईट	66120.00

				मस्टररोल	9828.00
चौधरी के घर के आगे तक खडन्जा मरम्मत कार्य	16.05.2015	546683	20000.00	मिटटी	22638.00
	21.05.2015	546684	2000.00		
	31.07.2015	546685	45000.00	ईट	34800.00
				मस्टररोल	11544.00
मास्टर के घर से रामजी निषाद के घर तक	10.08.2015	546687	18000.00	मस्टररोल	7728.00
	28.08.2015	546686	40600.00	मिटटी	10290.00
				ईट	40600.00
	17.09.2015	546688	49800.00	ईट	28826.00
				मिटटी	8722.00

कुल 347115.00

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रूप्या 347115.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,कार्यपूति प्रमाणपत्र व एम0बी0बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री जालन्धर यादव व सचिव ग्राम पंचायत दरोगा मिश्र से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
347115.00	0.00	347115.00

ग्राम पंचायत- करीमनगर

विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-17 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रू0 877967.98 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका ,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रू0 781829.98 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा रू0 96138.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाबी देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
877967.98	00.00	877967.98

ग्राम पंचायत- जनकपुर

विकास खण्ड -कैम्पियरगंज

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-18 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रू0 296278.98 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका ,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रू0 256914.98 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती मालती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक चौहान से तथा रू0 39364.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री राजेश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक चौहान से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
296278.98	00.00	296278.98

ग्राम पंचायत- कुनवार

विकास खण्ड -कैम्पियरगंज

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-19 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रू0 234521.18 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका ,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रू0 165105.18 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा रू0 69416.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री दीनानाथ व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
234521.18	00.00	234521.18

ग्राम पंचायत— खडखडिया विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—20 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 1634451.13 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका ,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 1589451.13 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से तथा रु० 45000.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री नटवरलाल व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1634451.13	00.00	1634451.13

ग्राम पंचायत— छितही खुर्द विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—21 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 310790.13 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 270790.13 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री राजन व ग्राम विकास अधिकारी श्री लालबहादुर से तथा रु० 40000.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री घरभरन व ग्राम विकास अधिकारी श्री लालबहादुर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
310790.13	00.00	310790.13

ग्राम पंचायत— गेरुई खुर्द विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—22 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 1117684.28 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका ,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 1009584.28 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा व ग्राम विकास अधिकारी श्री लालबहादुर से तथा रु० 108100.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री राजू चौधरी व ग्राम विकास अधिकारी श्री लालबहादुर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1117684.28	00.00	1117684.28

ग्राम पंचायत— जबैनिहां विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—23 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 218961.98 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका ,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
218961.98	00.00	218961.98

ग्राम पंचायत— मखनहां विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—24ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1-योगेन्द्र के घर से जितेन्द्र के घर होते हुये पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	16/04/2015	ईट	5800	8000	46400
	14/05/2015	ईट	5800	8000	46400
	30/05/2015	सामग्री सीमेन्ट	335 सी०	140 बोरी	60100

		बालू मोरग			
2-हरिद्वार गुप्ता के घर से संजय के खेत तक खडन्जा मरम्मत कार्य	02/07/2015	ईट	6400	14000	89600
3-मनमोहन के घर से करिया के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	20/07/2015	ईट	6400	6800	43520
4-मोतीलाल के घर से रामललित के घर तक खडन्जा मरम्मत	30/07/2015	ईट	6400	3000	19200
5-चन्द्रभुषण के घर से नेवास के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	15/09/2015	ईट	6400	2500	16000
6-रामकेवल के घर से इन्द्रावती के घर तक खडन्जा निर्माण	15/09/2015	ईट	6400	2800	17920
6-रामधनी के घर से चन्द्रभान के घर तक खडन्जा मरम्मत	18/09/2015	ईट	6400	2000	12800
7-बन्धे से पंचायत भवन तक खडन्जा मरम्मत	30/09/2015	ईट	6400	5400	34560
8-कपिल के झोपडी से रामललित के घर तक खडन्जा मरम्मत	22/03/2016	ईट	6400	3000	19200

कुल **405700**

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 405700.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक , मस्टर रोल ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,व एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 386500.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से तथा रु0 19200.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दीपक सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
405700.00	00.00	405700.00

प्रस्तर सं0-25 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 29825.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है।नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था।विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	30/04/2015	2	3600
हैण्डपम्प मरम्मत	31/07/2015	6	13504
हैण्डपम्प मरम्मत	30/09/2015	6	12721
			29825

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 29825.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
29825.00	00.00	29825.00

प्रस्तर सं0-26 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से वर्ष में निर्माण /मरम्मत कार्य के सापेक्ष मिटटी क़य का भुगतान प्रति धन मीटर में न कर प्रति ट़ाली रु0 500.00 के दर से किया गया है। जो आपत्तिजनक रहा। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	दर	धनराशि
मिट्टी 12 ट्राली	20/07/2015	500	6000
मिट्टी 14 ट्राली	30/07/2015	500	7000
मिट्टी 10 ट्राली	15/09/2015	500	5000
मिट्टी 10 ट्राली	19/09/2015	500	5000
मिट्टी 08 ट्राली	24/03/2016	500	4000
			27000

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 27000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 23000.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से तथा रु0 4000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दीपक सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
27000.00	00.00	27000.00

प्रस्तर सं0-27 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	मात्रा	धनराशि
1-योगेन्द्र के घर से जितेन्द्र के घर होते हुये पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	29/04/2015	मजदूरी	161	126	31086
2-हरिद्वार गुप्ता के घर से संजय के खेत तक खडन्जा मरम्मत कार्य	14/07/2015	मजदूरी	161	380	61180
3-मनमोहन के घर से करिया के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	30/07/2015	मजदूरी	161	32	5152
4-मोतीलाल के घर से रामललित के घर तक खडन्जा मरम्मत	30/07/2015	मजदूरी	161	78	12558
5-चन्द्रभुषण के घर से नेवास के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	15/09/2015	मजदूरी	161	24	3864
6-रामकेवल के घर से इन्द्रावती के घर तक खडन्जा निर्माण	17/09/2015	मजदूरी	161	24	3864
6-रामधनी के घर से चन्द्रभान के घर तक खडन्जा मरम्मत	28/09/2015	मजदूरी	161	42	6762
7-बन्धे से पंचायत भवन तक खडन्जा मरम्मत	30/09/2015	मजदूरी	161	117	18837

कुल **143303**

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 143303.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
143303.00	00.00	143303.00

प्रस्तर सं0-28 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 31.10.15 को रु0 17500.00 का भुगतान तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद को मानदेय माह अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक हेतु रु0 2500.00 की दर से किया गया है। मानदेय रजि0 अभाव में भुगतानित मानदेय की बराबर-बराबर की धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद व ग्राम पंचायत सचिव प्रमोद कुमार से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
17500.00	00.00	17500.00

ग्राम पंचायत— बसन्तपुर**विकास खण्ड—कैम्पियरगंज****जनपद —गोरखपुर**

प्रस्तर सं०—29 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 919555.98 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका ,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 881962.98 की वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री वन्दन व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा रु० 37593.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधानश्री शेषनाथ व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
919555.98	00.00	919555.98

ग्राम पंचायत— चौरी**विकास खण्ड—कैम्पियरगंज****जनपद —गोरखपुर**

प्रस्तर सं०—30 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 297606.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, मानदेय पंजिका,कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 247706.00 की वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री संजय व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामबृक्ष से एवं रु० 49900.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामबृक्ष से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
297606.00	00.00	297606.00

ग्राम पंचायत— लोहरपुरवा**विकास खण्ड—कैम्पियरगंज****जनपद —गोरखपुर**

प्रस्तर सं०—31 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1—हनुमाननगर में अवशेष आर.सी. सी. निर्माण कार्य	13/04/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू ,मोरंग	बालू / 3800 सीमेन्ट	38 बैग	44750
	27/04/2015	ईट टुकड़ा ईट	5800	2500	21277
	30/04/2015	पत्थर गिटटी	2642.00 प्रति धन मीटर	9	23778
	07/05/2015	सामग्री सीमेन्ट गिटटी	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	20 बैग	30478
2—सोख्ता निर्माण — 20	22/07/2015	ईट टुकड़ा ईट	5800	10000	69295
	30/07/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू ,मोरंग	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	140	50700
	30/07/2015	सामग्री बालू ,मोरंग सरिया	सरिया / 5000	5.20 के	45712
3—लौकिहवा में खडन्जा निर्माण कार्य	31/07/2016	ईट	5800	4700	27260
4—रेहरवां टोला पर दो कूप मरम्मत	08/07/2015	ईट टुकड़ा ईट	5800	5000	33418
	14/07/2015	ईट	5800	2673	15500
	16/07/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू ,मोरंग	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	26	12630
5—सोख्ता निर्माण — 20	24/07/2015	ईट टुकड़ा ईट	5800	10000	62518

6-सोख्ता निर्माण - 19	28/07/2015	ईट टुकड़ा ईट	5800	10000	67036
	30/07/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू ,मोरंग	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	125	45675
	01/08/2015	सामग्री सरिया ,तार बालू मोरंग	सरिया / 5000	4 के	41132
	05/08/2015	ईट	5800	9000	52200
7-प्रधान के घर से मेन नाली तक खडन्जा निर्माण	03/09/2015	ईट	5800	2000	11600
	05/09/2015	हयुम पाईप	3210	6	19260
8-जगन्नाथपुर में नाली मरम्मत	09/09/2015	ईट टुकड़ा ईट	5800	2000	13985
	10/09/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू ,मोरंग	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	11 बैग	5005
8-हनुमाननगर पंचायत भवन मरम्मत कार्य	19/09/2015	ईट टुकड़ा ईट	5800	1000	8000
	20/09/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू ,मोरंग	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	35 बैग	14925
	23/09/2015	रंगाई पुताई	0	0	2890
9-सोख्ता निर्माण - 2	30/09/2015	ईट टुकड़ा ईट	6400	2400	16020

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 735044.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,कार्यपूति प्रमाण पत्र व एम0 बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री धर्मराज व ग्राम विकास अधिकारी श्री छोटेलाल यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
735044.00	00.00	735044.00

प्रस्तर सं0-32 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 79340.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	28/07/2015	—	40000
हैण्डपम्प मरम्मत	19/08/2015	—	18748
हैण्डपम्प मरम्मत	10/10/2015	—	20592
			79340

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 79340.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री धर्मराज व ग्राम विकास अधिकारी श्री छोटेलाल यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
79340.00	00.00	79340.00

प्रस्तर सं0-33 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	मात्रा	धनराशि
1-हनुमाननगर में अवशेष आर.सी.सी. निर्माण कार्य	30/04/2015	मिस्त्री	350	12	4200
	30/04/2015	मजदूरी	161	32	5152
2-सोख्ता निर्माण - 20	17/06/2015	मिस्त्री	350	40	14000
	17/06/2015	मजदूरी	161	80	12880
3-लौकिहवा में खडन्जा निर्माण कार्य	04/07/2016	मजदूरी	161	25	4025
4-रेहरवां टोला पर दो कूप मरम्मत	20/07/2015	मिस्त्री	350	16	5600
	20/07/2015	मजदूरी	161	48	7728
5-सोख्ता निर्माण - 19	10/08/2015	मिस्त्री	350	40	14000
	10/08/2015	मजदूरी	161	120	19320
6-जगन्नाथपुर में नाली मरम्मत	13/09/2015	मिस्त्री	350	8	2800
	13/09/2015	मजदूरी	161	40	6440
7-हनुमाननगर पंचायत भवन मरम्मत कार्य	22/09/2015	मिस्त्री	350	16	5600
	22/09/2015	मजदूरी	161	40	6440
8-सोख्ता निर्माण - 2	08/10/2015	मिस्त्री	350	8	2800
	08/10/2015	मजदूरी	161	32	5152
9-साहूटोला पर श्याम देव के घर से पुलिया तक आर.सी.सी. उच्चीकरण कार्य	22/03/2016	मजदूरी	161	160	25760

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 141897.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 116137.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री धर्मराज व ग्राम विकास अधिकारी श्री छोटेलाल यादव से व रु0 25760.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री छोटेलाल यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
141897.00	00.00	141897.00

प्रस्तर सं0-34 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से वर्ष में फोटो कापी पर अत्याधिक व्यय किया गया है। जो कैशबुक के अनुसार उमेश वर्मा को भुगतान किया गया है। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	दर	धनराशि
फोटोकापी	23/04/2015	अंकित नहीं	1900
फोटोकापी	01/08/2015	—	4730
फोटोकापी	14/09/2015	—	3780
			10410

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 10410.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री धर्मराज व ग्राम विकास अधिकारी श्री छोटेलाल यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
10410.00	00.00	10410.00

ग्राम पंचायत— बडुआ

विकास खण्ड—कैम्पियरगंज

जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं0-35 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु0 320415.98 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित

अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से ₹0 258398.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री फोटो व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा ₹0 62017.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
320415.98	00.00	320415.98

प्रस्तर सं0-36 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार दिनांक 31.03. 2016 को ₹0 27483.00 प्रधान के पास नकद अवशेष दर्शित है। अनुदान की धनराशि को विकास कार्यो पर व्यय न कर प्रधान द्वारा नकद रखा जाना धन का दुरुपयोग है। नकद अवशेष की वसूली ब्याज सहित बराबर- बराबर की मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
27483.00	00.00	27483.00

ग्राम पंचायत- राजपुर

विकास खण्ड-कैम्पियरगंज

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-37 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि ₹0 729938.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से ₹0 532404.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से तथा ₹0 197534.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
729938.00	00.00	729938.00

ग्राम पंचायत- बजही

विकास खण्ड-कैम्पियरगंज

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-38 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1-कल्लू के घर से पाण्डेय के घर तक खडन्जा मरम्मत	10/04/2015	ईट	5300	3000	15900
2-ओरी के घर से मेन पिच रोड तक खडन्जा मरम्मत	05/05/2015	ईट	5300	5000	26500
3-रामविलास के घर से निषाद के घर तक खडन्जा मरम्मत	06/05/2015	ईट	5300	2000	10600
4-घूरहू के घर से कल्लू के घर तक खडन्जा मरम्मत	24/07/2015	ईट	5800	6000	34800
4-घूरहू के घर से कल्लू के घर तक खडन्जा मरम्मत	01/09/2015	ईट	5800	4000	23200

कुल 111000

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि ₹0 111000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक , मस्टर रोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , व एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
111000.00	00.00	111000.00

प्रस्तर सं0-39 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 55017.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	05/05/2015	5	20110
हैण्डपम्प मरम्मत	01/06/2015	3	10350
हैण्डपम्प मरम्मत	01/09/2015	3	10350
हैण्डपम्प मरम्मत	22/03/2016	5	14207
			55017

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 55017.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 40810.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती देवी व व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से व रु0 14207.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोती व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
55017.00	00.00	55017.00

प्रस्तर सं0-40 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से वर्ष में निर्माण /मरम्मत कार्य के सापेक्ष मिटटी क़य का भुगतान प्रति धन मीटर में न कर प्रति ट्राली रु0 400.00 के दर से किया गया है। जो आपत्तिजनक रहा। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	दर	धनराशि
मिटटी 06 ट्राली	15/04/2015	400	2400
मिटटी 02 ट्राली	10/05/2015	400	800
मिटटी 30 ट्राली	01/09/2015	400	12000
			15200

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 15200.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती देवी व व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
15200.00	00.00	15200.00

प्रस्तर सं0-41 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	दिवस	धनराशि
1-कल्लू के घर से पाण्डेय के घर तक खडन्जा मरम्मत	24/04/2015	मजदूरी	156	46	7176
2-ओरी के घर से मेन पिच रोड तक खडन्जा मरम्मत	10/05/2015	मजदूरी	156	83	12948
3-रामविलास के घर से निषाद के घर तक खडन्जा मरम्मत	01/06/2015	मजदूरी	156	10	1560
	01/06/2015	मिस्त्री	350	5	1750
4-घूरहू के घर से कल्लू के घर तक खडन्जा मरम्मत	22/03/2016	मजदूरी	161	161	25921

कुल 49355

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 49355.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 23434.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से व रु0 25921.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मोती व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
49355.00	00.00	49355.00

ग्राम पंचायत— बादशाहपुर विकास खण्ड—कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं0-42 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि	
1-रामबूझ के खेत से शंकर के घर तक खडन्जा मरम्मत	15/04/2015	ईट	5800	7700	44660	
2-कूप मरम्मत कुन्जलगढ	13/07/2015	ईट टुकडा ईट	5800	3000	21400	
	29/07/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू गिटटी	सीमेन्ट 350 प्रति बैग	25 बोरी	17675	
3-पंचायत भवन मरम्मत कार्य कुन्जलगढ	28/08/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू गिटटी	सीमेन्ट 350 प्रति बैग	20 बोरी	13800	
	31/08/2015	रंगाई पोताई			15550	
4-यादव स्टोर से उदय राज के खेत तक नाली मरम्मत	22/03/2016	ईट टुकडा ईट	6400	1000	8400	
	22/03/2016	सामग्री सीमेन्ट बालू	सीमेन्ट 350 प्रति बैग	20 बोरी	11000	

कुल 132485

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 132485.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,कार्यपूति प्रमाण पत्र व एम0 बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 113085.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रामसूरत व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से व रु0 19400.00 की ब्याज सहितवसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री प्रेमनरायन व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
132485.00	00.00	132485.00

प्रस्तर सं0-43 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियो में रु0 38659.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	19/05/2015	4	22100
हैण्डपम्प मरम्मत	07/09/2015	4	16559
			38659

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 38659.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रामसूरत व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
38659.00	00.00	38659.00

प्रस्तर सं0-44 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	मात्रा	धनराशि	
1-रामबूझ के खेत से शंकर के घर तक खडन्जा मरम्मत	14/05/2015	मजदूरी	161	75	12075	
2-कूप मरम्मत कुन्जलगढ	28/08/2015	मजदूरी	161	45	7245	
	28/08/2015	मिस्त्री	350	20	7000	
3-पंचायत भवन मरम्मत कार्य कुन्जलगढ	28/08/2015	मजदूरी	161	30	4830	
	31/08/2015	मिस्त्री	350	10	3500	
4-यादव स्टोर से उदय राज के खेत तक नाली मरम्मत	22/03/2016	मजदूरी	161	39	6279	
	22/03/2016	मिस्त्री	350	12	4200	

कुल **45129**

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 45129.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 34650.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रामसूरत व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से व रु0 10479.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री प्रेमनरायन व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
45129.00	00.00	45129.00

ग्राम पंचायत- मरहठा विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-45 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु0 298606.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 218939.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा रु0 79667.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
298606.00	00.00	298606.00

ग्राम पंचायत- रिगौली विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-46 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु0 1815673.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 1670823.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती जमुद्रदी निशा व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य सिंह से तथा रु0 144850.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1815673.00	00.00	1815673.00

ग्राम पंचायत— रामकोला विकास खण्ड—कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—47 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 265104.13 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 217626.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री कमलेश व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से तथा रु० 47478.00 की वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
265104.13	00.00	265104.13

ग्राम पंचायत— शिवलहिया विकास खण्ड—कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—48 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 277491.13 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती राबिया निशा व ग्राम विकास अधिकारी श्री छोटेलाल यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
277491.13	00.00	277491.13

ग्राम पंचायत— सनगढ़ विकास खण्ड—कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—49 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 323867.98 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
323867.98	00.00	323867.98

ग्राम पंचायत— सोनौरा बुजुर्ग विकास खण्ड—कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—50 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रु० 1041851.13 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 992351.13 की ब्याज सहित वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती आशा व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से तथा रु० 49500.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर—बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1041851.13	00.00	1041851.13

ग्राम पंचायत—गोपालगंज उर्फ हरनामपुर विकास खण्ड—कैम्पियरगंज जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—51 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1-12 अदद सोख्ता निर्माण	23/04/2015	सामग्री	335	सीमेण्ट 58 बोरी मौरंग	54396
	18/04/2015	बालू	1200	5घनमी०	6000
	23/04/2015	मजदूरी	161	42	10602
	10/05/2015	ईट	5800	10000	58000
3-खडन्जा मरम्मत कार्य	23/06/2015	मजदूरी	—	0	35420

	27/07/2015	ईट	5800	8000	46400
	07/09/2015	ईट	5800	3000	17400
3-बारातघर मरम्मत कार्य	28/03/2015	सामग्री	पेन्ट सीमेन्ट	0	20700
	31/03/2015	मजदूरी	—	0	10962
				कुल	259880

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 259880.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक , मस्टर रोल ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,व एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय मे से रु0 228218.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री त्रिलाकी नाथ गुप्ता व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा रु0 31662.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री राम निवास व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
259880.00	00.00	259880.00

प्रस्तर सं0-52 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 49400.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	30/04/2015	8	21402
हैण्डपम्प मरम्मत	31/07/2015	3	6330
हैण्डपम्प मरम्मत	22/03/2015	8	21668
			49400

उपरोक्त व्यय मे से रु0 27732.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा रु0 21668.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर- बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री राम निवास व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
49400.00	00.00	49400.00

प्रस्तर सं0-53 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजि0 व गत वर्ष का लेखा परीक्षित कोषबही प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	माह का विवरण	दर	धनराशि
मानदेय प्रधान	07/04/2015	दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 तक	2500	10000
मानदेय प्रधान	07/09/2015	अप्रैल 2015 से अगस्त 2015 तक	2500	12500
मानदेय प्रधान	07/11/2015	नवम्बर 2015 से दिसम्बर 2015 तक	2500	5000
मानदेय प्रधान	22/03/2016	-विवरण अंकित नहीं	2500	5000
				32500

उपरोक्त व्यय मे से रु0 27500.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से तथा रु0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर- बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री राम निवास व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
32500.00	00.00	32500.00

प्रस्तर सं०-54 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत कोषबही के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 27.08.2015 को जल निकासी हेतु पाइप क़य के सापेक्ष क्रमशः रू० 39555.00 का भुगतान एवं 95550.00 का भुगतान कुल भुगतान रू० 135105.00 चेक के माध्यम से मे० नितिराज इलेक्ट्रानिक्स गोरखपुर को किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य का विवरण कोषबही में दर्शित नहीं किया गया है और ना ही पाइप लगाये जाने हेतु किसी प्रकार का मजदूरी आदि का भुगतान दर्शित किया गया है। विवरण के अभाव उक्त पाइप क़य की उपयोगिता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। अस्तु फर्जी व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना परिलक्षित होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
135105.00	00.00	135105.00

प्रस्तर सं०-55 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत कोषबही के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 31.03.2016 को रू० 21650.00 सफाई किट के क़य पर तथा रू० 13220.00 सफाई कार्य हेतु सामग्री के क़य पर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके सोपक्ष व्यय प्रमाणक व अनुदान की राशि से व्यय का औचित्य मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में रू० 34870.00 ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय मणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
34870.00	00.00	34870.00

ग्राम पंचायत- डुमरिया विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं०-56 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रू० 494467.98 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
494467.98	00.00	494467.98

ग्राम पंचायत- विशुनपुर 1 विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं०-57 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय की धनराशि रू० 476978.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की प्रमाणिकता में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय से रू० 338016.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री ध्रुवनाथ व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से तथा रू० 38962.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
476978.00	00.00	476978.00

ग्राम पंचायत- खजुरगांव विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं०-58 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1-कुप मरम्मत	15/04/2015	ईट	अप्राप्त	अज्ञात	70928
	15/04/2015	सामग्री	अप्राप्त	अज्ञात	64040
2-साधु लोहार के घर से ब्रह्मदेव के घर तक नाली निर्माण कार्य	16/06/2015	ईट	अप्राप्त	अज्ञात	68067

	16/06/2015	सामग्री सीमेन्ट	अप्राप्त	अज्ञात	44890
3-लालचन्द के घर से कन्या विद्यालय तक खडन्जा	23/07/2015	ईट	अप्राप्त	अज्ञात	78300
4-प्राथमिक विद्यालय कैम्पस का हैण्डपम्प उच्चीकरण	03/09/2015	ईट	अप्राप्त	अज्ञात	23200
	03/09/2015	सीमेन्ट बालू	अप्राप्त	अज्ञात	8225

357650

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 357650.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व एम0 बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री बांकेचन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
357650.00	00.00	357650.00

प्रस्तर सं0-59 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 87318.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	23/06/2015	—	3350
हैण्डपम्प मरम्मत	25/08/2015	—	28970
हैण्डपम्प मरम्मत	22/03/2016	—	22800
हैण्डपम्प मरम्मत	22/03/2016	—	22200
हैण्डपम्प मरम्मत	31/03/2016	—	9998
			87318

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 87318.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु0 32320.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री बांकेचन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह तथा रु0 54998.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती रिन्की पाण्डेय व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
87318.00	00.00	87318.00

प्रस्तर सं0-60 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से वर्ष में ऐसे कार्यों पर व्यय किया गया है जो अनुदान के उद्देश्यों के विपरित रहा। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	दर	धनराशि
सफाई सामग्री कय	30/05/2015	अंकित नहीं	10000
विज्ञापन भुगतान	25/08/2015	—	7000
मिष्ठान पर व्यय 15 अगस्त	25/08/2015	—	7500
15 अगस्त हेतु स्टेशनरी	25/08/2015	—	2650
अलाव व्यवस्था	28/03/2016	—	20000
कूड़ादान	30/03/2016	—	91102
			138252

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 138252.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में रु0 27150.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री बांकेचन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह तथा रु0 111102.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती रिन्की पाण्डेय व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
138252.00	00.00	138252.00

प्रस्तर सं0-61 लेखा परीक्षा वर्ष में कोषबही के अनुसार दिनांक 05.09.2015 को पथ प्रकाश व्यवस्था पर रु0 27300.00 का व्यय दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में रु0 27300.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री बांकेचन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
27300.00	00.00	27300.00

प्रस्तर सं0-62 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजि0 व गत वर्ष का लेखा परीक्षित कोषबही प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	माह का विवरण	दर	धनराशि
मानदेय प्रधान	10/04/2015	दिस0 2013 से मार्च 2015 तक	2500	40000
मानदेय प्रधान	31/03/2016	अप्रैल 2015 से अक्टू0 2015 तक	2500	17500
मानदेय प्रधान	31/03/2016	—		10000
				67500

उपरोक्त व्यय में से रु0 67500.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री बांकेचन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह से तथा रु0 27500.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर- बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती रिन्की पाण्डेय व ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
67500.00	00.00	67500.00

ग्राम पंचायत- नवापार विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-63 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि	
1-बेचू के घर से छोटका पोखरा तक नाली मरम्मत कार्य	23/04/2015	ईट	6400	4000	25600	
	23/04/2015	सामग्री सीमेन्ट	335	50	16750	
	05/05/2015	बालू 03 टाली	4000	3	12000	
2-रामकिशुन के घर से अवधेश के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	25/06/2015	इन्टरलाकिंग ईट	16	3500	56000	
	27/07/2015	ईट	6400	4000	25600	
	27/07/2015	सामग्री सीमेन्ट	335	30	10050	
	27/07/2015	बालू 04 टाली	4000	4	16000	
	21/08/2015	इन्टरलाकिंग ईट	16	5000	80000	
	21/08/2015	बालू 01 टाली	4000	1	4000	
3-गुंजेश्वर के घर से सुभग के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	07/09/2015	ईट टुकड़ा ईट	6400	1000	8400	
	08/09/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू	सीमेन्ट 350 प्रति बैग	3 बैग	7350	
	08/09/2015	इन्टरलाकिंग ईट	16	800	12800	

कुल **274550**

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 274550.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व एम0 बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
274550.00	00.00	274550.00

प्रस्तर सं0-64 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 55985.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	24/04/2015	2	7165
हैण्डपम्प मरम्मत	05/05/2015	5	24410
हैण्डपम्प मरम्मत	26/08/2015	5	24410
			55985

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 55985.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-65 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	मात्रा	धनराशि
1-बेचू के घर से छोटका पोखरा तक नाली मरम्मत कार्य	23/04/2015	मजदूरी	161	260	41860
	23/04/2015	मिस्त्री	350	40	14000
2-रामकिशुन के घर से अवधेश के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	26/08/2015	मजदूरी	161	210	33810
	26/08/2015	मिस्त्री	350	40	14000

कुल 103670

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 103670.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में रु0 103670.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
103670.00	00.00	103670.00

ग्राम पंचायत- सरपतहां विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-66 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1-पी0डब्लू0डी0 रोड से मिश्रीलाल के घर होते हुये उमेश नाउ के घर तक खडन्जा निर्माण	07/04/2015	ईट	5800	8000	46400
	18/04/2015	ईट	5800	6000	34800
	06/05/2015	ईट	5800	16000	92800
	24/07/2015	ईट	5800	8000	46400
2-शर्मानन्द के घर से कैलाश के घर तक खडन्जा निर्माण	12/05/2015	ईट	5800	16000	92800
3- पी0डब्लू0डी0 से सुदामा यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत	18/06/2015	ईट	5800	2000	11600
4-जमुहरा खडन्जे से हूबलाल के घर तक खडन्जा निर्माण	01/08/2015	ईट	6400	5400	34560
5-पी0डब्लू0डी0 रोड से हीरामन के घर तक खडन्जा मरम्मत	26/08/2015	ईट	6400	12000	76800
6-योगेन्द्र के घर से रामरेखा के घर तक खडन्जा मरम्मत	29/03/2016	ईट	6400	6000	38400

कुल 474560

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 474560.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक , मस्टर रोल ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,व एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी।पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
474560.00	00.00	474560.00

प्रस्तर सं0-67 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 40828.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	30/04/2015	2	3022
हैण्डपम्प मरम्मत	31/05/2015	2	3222
हैण्डपम्प मरम्मत	30/06/2015	6	11300
हैण्डपम्प मरम्मत	31/03/2016	10	23284
			40828

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 40828.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय प्रमाणक के अभाव में ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
40828.00	00.00	40828.00

प्रस्तर सं0-68 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से वर्ष में निर्माण /मरम्मत कार्य के सापेक्ष मिटटी क़य का भुगतान प्रति धन मीटर में न कर प्रति ट्राली रु0 500.00 के दर से किया गया है। जो आपत्तिजनक रहा। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	दर	धनराशि
मिटटी 20 ट्राली	11/04/2015	500	10000
मिटटी 08 ट्राली	17/07/2015	500	4000
मिटटी 10 ट्राली	01/08/2015	500	5000
मिटटी 08 ट्राली	04/08/2015	500	4000
मिटटी 12 ट्राली	30/03/2016	500	6000
			29000

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 29000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
29000.00	00.00	29000.00

प्रस्तर सं0-69 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	दिवस	धनराशि
1-पी0डब्लू0डी0 रोड से मिश्रीलाल के घर होते हुये उमेश नाउ के घर तक खडन्जा निर्माण	18/04/2015	मजदूरी	161	98	15778
2-पी0डब्लू0डी0 से सुदामा यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत	06/05/2015	मजदूरी	161	190	30590
	17/06/2015	मजदूरी	161	440	70840
सोख्ता निर्माण	17/07/2015	मजदूरी	161 320	35 10	8835
3-शर्मानन्द के घर से कैलाश के घर तक खडन्जा निर्माण	20/07/2015	मजदूरी	161	90	14490
4-जमुहरा खडन्जे से हूबलाल के घर तक खडन्जा निर्माण	04/08/2015	मजदूरी	161	42	6762
5-पी0डब्लू0डी0 रोड से हीरामन के घर तक खडन्जा मरम्मत	31/08/2015	मजदूरी	161	206	33166
6-योगेन्द्र के घर से रामरेखा के घर तक खडन्जा मरम्मत	30/03/2016	मजदूरी	174	84	14616

कुल 195077

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रू0 195077.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
195077.00	00.00	195077.00

प्रस्तर सं0-70 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 04.08.15 को रू0 40000.00 का भुगतान तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र को मानदेय माह अप्रैल 2014 से जुलाई .2015 तक रू0 2500.00 की दर से व दिनांक 31.03.2016 को रू0 17500.00 का भुगतान कुल सात माह का तत्कालीन ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में किया गया है। भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजि0 व गत वर्ष का लेखा परीक्षित कोषबही प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में भुगतानित मानदेय की बराबर-बराबर की धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व ग्राम पंचायत सचिव सुनील कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
40000.00	00.00	40000.00

ग्राम पंचायत- बरईपार विकास खण्ड-कैम्पियरगंज जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-71 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रू0 94132.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	29/04/2015	5	40000
हैण्डपम्प मरम्मत	01/08/2015	1	3618.40
हैण्डपम्प मरम्मत	07/10/2015	1	1514
हैण्डपम्प मरम्मत	22/03/2016	9	49000
			90514

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रू0 90514.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रू0 41514.40 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री शक्तिधर पाण्डेय व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से तथा रू0 49000.00 की

ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
90514.00	00.00	90514.00

ग्राम पंचायत— भौराबारी
प्रस्तर सं०—72

विकास खण्ड—कैम्पियरगंज

जनपद —गोरखपुर

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1—गोरख भुज के घर से अम्बिका यादव के घर तक सी० सी० रोड निर्माण	23/05/2015	ईट	5800	5900	34220
	05/06/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू गिटटी	सीमेन्ट 325 प्रति बैग	42	115000
	17/06/2015	ईट टुकड़ा ईट	1129.50 प्रति धन मीटर	18	20331
	17/06/2015	सामग्री सीमेन्ट	सीमेन्ट 325 प्रति बैग	158	51350
2—चन्दीपुर में बेचन के घर से पोखरा तक खडन्जा निर्माण	22/07/2015	ईट	5800	10800	62640
	30/07/2015	ईट	5800	12000	69600
3—परशुराम दुषाध के घर से झावर निषाद के घर तक खडन्जा मरम्मत	31/07/2016	ईट	5800	5500	31900
4—अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य	03/08/2015	सामग्री लोहे का फ्रेम ,सीट	10000 प्रति फ्रेम		50000
	04/08/2015	ईट	5800	10000	58000
	19/08/2015	ईट टुकड़ा ईट	1679.50 प्रति धन मीटर	33	55423
	27/08/2015	सामग्री सीमेन्ट	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	229	76715
	28/08/2015	सामग्री सीमेन्ट व बालू	सीमेन्ट 325 प्रति बैग	250	150000
	29/08/2015	ईट	6400	16000	102400
	05/09/2015	सामग्री सीमेन्ट व बालू मोरंग	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	90	83500
	08/09/2015	ईट	6400	14000	89600
	15/09/2015	सामग्री सीमेन्ट व बालू मोरंग	सीमेन्ट 335 प्रति बैग	30	150000
	25/09/2015	ग्रिल प्लाई पेन्टिंग रंगाई	हैण्डपम्प 01 साइन बोर्ड	0	64081
	25/09/2015	शटरिंग	0	0	31800
	29/10/2015	अन्य व्यय	0	0	12500
	30/10/2015	सामग्री सीमेन्ट व सरिया	सीमेन्ट 325 प्रति बैग तथा 5000 प्रति कुन्तल	38.35 कुन्तल	200000
3—राजाराम हरिजन के घर से तिरहवां पिच मार्ग तक खडन्जा निर्माण	29/10/2015	ईट	6400	20000	128000
	05/11/2015	ईट	6400	5000	32000
4—शौकत अली के घर से जाकिर के घर तक खडन्जा मरम्मत	21/03/2016	ईट	6400	4500	28800
4—हरीशचन्द्र के घर से शौकत के घर तक खडन्जा मरम्मत	28/03/2016	ईट	6400	5000	32000

कुल 1729860

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1729860.00	00.00	1729860.00

प्रस्तर सं०-73 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु० 23427.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं०	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	31/05/2015	2	3780
हैण्डपम्प मरम्मत	30/06/2015	7	16999
हैण्डपम्प मरम्मत	28/03/2016	1	2648
			23427

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु० 23427.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय प्रमाणक के अभाव में रु० 20779.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार चौरसिया से व रु० 2648.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार चौरसिया से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
23427.00	00.00	23427.00

प्रस्तर सं०-74 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	मात्रा	धनराशि
1-गोरख भुज के घर से अम्बिका यादव के घर तक सी० सी० रोड निर्माण	22/06/2015	मजदूरी	161	120	19320
	22/06/2015	मिस्त्री	300	30	9000
2-चन्दीपुर में बेचन के घर से पोखरा तक खडन्जा निर्माण	25/07/2015	मजदूरी	161	210	33810
3-परशुराम दुषाध के घर से झावर निषाद के घर तक खडन्जा मरम्मत	31/07/2016	मजदूरी	161	140	22540
4-अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य	28/08/2015	मिस्त्री	300	84	25200
	28/08/2015	मजदूरी	161	360	57960
	29/10/2015	मिस्त्री	300	87	26100
	29/10/2015	मजदूरी	161	360	57960
3-राजाराम हरिजन के घर से तिरहवां पिच मार्ग तक खडन्जा निर्माण	05/11/2015	मजदूरी	161	230	37030
4-शौकत अली के घर से जाकिर के घर तक खडन्जा मरम्मत	22/03/2016	मजदूरी	161	83	13363
4-हरीशचन्द्र के घर से शौकत के घर तक खडन्जा मरम्मत	22/03/2016	मजदूरी	161	116	18676

कुल **320959**

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु० 320959.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रु० 288920.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार चौरसिया से व रु० 32039.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार चौरसिया से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
320959.00	00.00	320959.00

प्रस्तर सं०-75 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से वर्ष में निर्माण /मरम्मत कार्य के सापेक्ष मिट्टी क़य का भुगतान प्रति धन मीटर रू० 85.00 के दर से किया गया है। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	दर	धनराशि
मिट्टी 210 घन मी०	25/07/2015	85.20	17892
मिट्टी 200 घन मी०	05/11/2015	85.20	17040
मिट्टी 47 घन मी०	21/03/2016	77.40	3637
मिट्टी 60 घन मी०	22/03/2016	94.60	5676
			44245

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रू० 44225.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय में से रू० 34932.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार चौरसिया से व रू० 9313.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार चौरसिया से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
44225.00	00.00	44225.00

ग्राम पंचायत- सरण्डा विकास खण्ड-पिपराइच जनपद -गोरखपुर
प्रस्तर सं०-76 कोषबही में नल मरम्मत है। हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:-

क्रम सं०	तिथि	प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	2	3	4	5
1	25.08.2015	13	17000.00	इ०मा० हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद सामग्री सहित
2	02.09.2015	14	10435.00	इ०मा० हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद सामग्री सहित
		योग	27435.00	

उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त/चौदहवां वित्त) से कराया गया है। जो कोष में अंकित नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक रहा।

कोषबही में मरम्मत किये गये नलो में प्रयुक्त सामग्रियों की मात्रा व दर कही- कही पर अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम के न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपूर्ति भी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत रहा। क्रमशः जो आवश्यक था।

लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजि० उपलब्ध नहीं कराया गया। जो आवश्यक था। कोषबही में मरम्मत किये नलो की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया गया। जो आवश्यक था।

उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोषबही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है, और कोषबही में उक्त कार्य पर अंकन रू० 27435.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है, जिसकी वसूली ब्याज के साथ किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है। साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी आवश्यक है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
27435.00	00.00	27435.00

ग्राम पंचायत— कोनी विकास खण्ड—पिपराइच जनपद —गोरखपुर
प्रस्तर सं०—77 कोषबही में नल मरम्मत है। हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:—

क्रम सं०	तिथि	प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	2	3	4	5
1	19.07.2014	19	11338.00	इ०मा० हैण्डपम्प मरम्मत पर मिस्त्री सामग्री सहित चार्ज
2	22.11.2014	29	8000.00	इ०मा० हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद
3	30.04.2015	08	9490.00	इ०मा० हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद मिस्त्री एवं सामग्री सहित
		योग	28828.00	

उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त/चौदहवां वित्त) से कराया गया है। जो कोष में अंकित नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक रहा।

कोषबही में मरम्मत किये गये नलो में प्रयुक्त सामग्रीयों की मात्रा व दर कही— कही पर अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम के न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपूर्ति भी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत रहा। क्रमशः जो आवश्यक था।

लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजि० उपलब्ध नहीं कराया गया। जो आवश्यक था। कोषबही में मरम्मत किये नलो की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया गया। जो आवश्यक था।

उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोषबही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है, और कोषबही में उक्त कार्य पर अंकन रु० 28828.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है, जिसकी वसूली ब्याज के साथ किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है। साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी आवश्यक है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
28828.00	00.00	28828.00

ग्राम पंचायत— इमिलिया उर्फ बिजहरा विकास खण्ड—पिपराइच जनपद —गोरखपुर
प्रस्तर सं०—78 कोषबही में नल मरम्मत है। हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:—

क्रम सं०	तिथि	प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	2	3	4	5
1	30.04.2015	09	9440.00	इ०मा० हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व मिस्त्रीचार्ज सहितरसीद
2	03.08.2015	21	19570.00	इ०मा० हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व मिस्त्रीचार्ज सहितरसीद
		योग	29010.00	

उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त/चौदहवां वित्त) से कराया गया है। जो कोष में अंकित नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक रहा।

कोषबही में मरम्मत किये गये नलो में प्रयुक्त सामग्रीयों की मात्रा व दर कही— कही पर अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम के न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपूर्ति भी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत रहा। क्रमशः जो आवश्यक था।

लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजि० उपलब्ध नहीं कराया गया। जो आवश्यक था। कोषबही में मरम्मत किये नलो की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया गया। जो आवश्यक था।

उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोषबही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है, और

कोषबही में उक्त कार्य पर अंकन रु0 29010.00का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है, जिसकी वसूली ब्याज के साथ किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है। साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1-दीनानाथ के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य	08/04/2015	ईट	5800	48700	282460
	08/04/2015	ईट का टुकड़ा	1850	1129.50 घन मी०	20896
	09/04/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू मोरंग गिट्टी सरिया आदि	335 प्रति बोरी 5000 प्रति कु०	346 बोरी 5.5 कु०	214483
2-जय नारायन के घर से रामप्रीत के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	21/04/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	5800	3400	40728
3-कुप मरम्मत 01 अदद	22/04/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	6400	3300	26056
	22/04/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू मोरंग	335 प्रति बोरी 1200 प्रति घन मी०	28 बोरी	14132
4-नाली निर्माण कार्य	01/05/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	6400	6400	46042
	01/05/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू मोरंग	335 प्रति बोरी 1200 प्रति घन मी०	72 बोरी	51722
5-01 अदद सोख्ता निर्माण	11/06/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	6400	600	9840
	11/06/2015	सामग्री सीमेन्ट बालू मोरंग	335 प्रति बोरी 1200 प्रति घन मी०	6 बोरी	5080
6-सी०सी० रोड निर्माण कार्य	07/09/2015	सीमेन्ट	335	136	45560
	23/09/2015	सामग्री बालू मोरंग गिट्टी आदि	2157.30 प्रति घन मी०	12.87 घन मी०	104690

861689

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 861689.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,कार्यपूति प्रमाण पत्र व एम० बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री तूफानी व ग्राम विकास अधिकारी श्री के०एम० दास से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
29010.00	00.00	29010.00

ग्राम पंचायत- महुई बुजुर्ग

विकास खण्ड-उरुवां

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं०-79 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रु0 59233.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं०	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	10.05.2015	—	10833
हैण्डपम्प मरम्मत	20.06.2015	—	23000
हैण्डपम्प मरम्मत	30.09.2015	—	25400
			59233

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु० 59233.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री तूफानी व ग्राम विकास अधिकारी श्री के० एम० दास से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
59233.00	00.00	59233.00

प्रस्तर सं०-80 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पासबुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1-दीनानाथ के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य	08/04/2015	ईट	5800	48700	282460
	08/04/2015	ईट का टुकड़ा	1850	1129.50 घन मी०	20896
	09/04/2015	समग्री सीमेन्ट बालू मोरंग गिट्टी सरिया आदि	335 प्रति बोरी 5000 प्रति कु०	346 बोरी 5.5 कु०	214483
2-जय नारायन के घर से रामप्रीत के घर तक आर० सी०सी० रोड निर्माण कार्य	21/04/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	5800	3400	40728
3-कुप मरम्मत 01 अदद	22/04/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	6400	3300	26056
	22/04/2015	समग्री सीमेन्ट बालू मोरंग	335 प्रति बोरी 1200 प्रति घन मी०	28 बोरी	14132
4-नाली निर्माण कार्य	01/05/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	6400	6400	46042
	01/05/2015	समग्री सीमेन्ट बालू मोरंग	335 प्रति बोरी 1200 प्रति घन मी०	72 बोरी	51722
5-01 अदद सोख्ता निर्माण	11/06/2015	ईट व ईट का टुकड़ा	6400	600	9840
	11/06/2015	समग्री सीमेन्ट बालू मोरंग	335 प्रति बोरी 1200 प्रति घन मी०	6 बोरी	5080
6-आर०सी०सी० रोड निर्माण कार्य	07/09/2015	सीमेन्ट	335	136	45560
	23/09/2015	समग्री बालू मोरंग गिट्टी आदि	2157.30 प्रति घन मी०	12.87 घन मी०	104690

861689

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु० 861689.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व एम० बी० बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने से व्यय की पुष्टि न की जासकी। पुष्टि के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्रामप्रधान श्री तूफानी व ग्राम विकास अधिकारी श्री के०एम० दास से की जानीअपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
861689.00	00.00	861689.00

प्रस्तर सं०-81 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पास बुक से निकासी के सापेक्ष कोषबही में दर्शित किये गये व्यय/ कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	दर	मात्रा	धनराशि
1-दीनानाथ के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य	20/04/2015	मजदूरी	156	300	46800
	20/04/2015	मिस्त्री	290	127	36830
2-कुप मरम्मत 01 अदद	28/04/2015	मजदूरी	161	37	5957
	28/04/2015	मिस्त्री	300	12	3600
4-नाली निर्माण कार्य	01/05/2015	मजदूरी	161	92	14812
	01/05/2015	मिस्त्री	300	20	6000

5-01 अदद सोख्ता निर्माण	15/06/2015	मजदूरी	161	9	1449
	15/06/2015	मिस्त्री	300	2	600
6-सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	29/09/2015	मजदूरी	161	174	28014
	29/09/2015	मिस्त्री	300	71	21300

165362

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रू0 165362.00 के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टर रोल के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री तूफानी व ग्राम विकास अधिकारी श्री के0एम0 दास से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
165362.00	00.00	165362.00

ग्राम पंचायत- छेदी डडवा

विकास खण्ड-उरुवां

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-82 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रू0 31048.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	28/04/2015	—	25500
हैण्डपम्प मरम्मत	10/06/2015	—	3108
हैण्डपम्प मरम्मत	05/09/2015	—	2440
			31048

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रू0 31048.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री संजू देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
31048.00	00.00	31048.00

प्रस्तर सं0-83 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते की कोषबही प्रस्तुत की गयी जबकि बैंक पासबुक के अनुसार खाता सं0 31655439419 (एस0बी0आई0 किशुनपुर) में बी.आर.जी.एफ. का अनुदान रू0 80000.00 प्राप्त किया है किन्तु कोषबही में राज्य वित्त /तेरहवे वित्त का ही व्यय दर्शित किया गया है जबकि बी.आर.जी.एफ. के अनुदान को बी0आर0जी0एफ0 कैशबुक में स्थानान्तरित दर्शित किया गया है।इस प्रकार ग्राम निधि प्रथम खाते से बी0आर0जी0एफ0 अनुदान के सापेक्ष कुल निकासी रू0 80000.00 का स्थानान्तरण बी0आर0जी0एफ0 कैशबुक में किया जाना अंकित है। इस प्रकार स्थानान्तरित धनराशि के सापेक्ष बी0आर0जी0एफ0 की कोषबही व कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।कोषबही एवं पत्रावली के अभाव में रू0 80000.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
80000.00	00.00	80000.00

ग्राम पंचायत- पिडिया

विकास खण्ड-उरुवां

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-84 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित तिथियों में रू0 27080.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नवत है :-

विवरण	दिनांक	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पो की सं0	धनराशि
हैण्डपम्प मरम्मत	10/06/2015	—	9680
हैण्डपम्प मरम्मत	31/08/2015	—	17400
			27080

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 27080.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री सोमनाथ यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
27080.00	00.00	27080.00

प्रस्तर सं0-85 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते की कोषबही प्रस्तुत की गयी जबकि बैंक पासबुक के अनुसार खाता सं0 31653733659 (एस0बी0आई0 किशुनपुर) में बी.आर.जी. एफ. का अनुदान रु0 2500000.00 प्राप्त किया है किन्तु कोषबही में राज्य वित्त /तेरहवे वित्त का ही व्यय दर्शित किया गया है जबकि बी.आर.जी.एफ. के अनुदान को बी0आर0जी0एफ0 कैशबुक में स्थानान्तरित दर्शित किया गया है। इस प्रकार ग्राम निधि प्रथम खाते से बी0आर0जी0एफ0 अनुदान के सापेक्ष कुल निकासी रु0 2518324.00 में से रु0 2498324.00 का स्थानान्तरण बी0आर0जी0एफ0 कैशबुक में किया जाना अंकित है। इस प्रकार स्थानान्तरित धनराशि रु0 2148324.00 के सापेक्ष बी0आर0जी0एफ0 की कोषबही व कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। कोषबही एवं पत्रावली के अभाव में रु0 2498324.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री सोमनाथ यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2498324.00	00.00	2498324.00

प्रस्तर सं0-86 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 07.05.2015 को बी0आर0जी0एफ0 मद में की गयी निकासी रु0 50000.00 के सापेक्ष 19720.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम के कोषबही में अंकित किया गया है। शेष रु0 30000.00 बी0आर0जी0एफ0 कैशबुक को स्थानान्तरित अंकित किया गया है। इस प्रकार रु0 20000.00 का उपयोग राज्य वित्त/तेरहवे वित्त के कार्य के सापेक्ष किया जाना बी0आर0जी0एफ0 अनुदान के उद्देश्यों के विपरित रहा। इससे स्पष्ट है कि रु0 20000.00 का दुरुपयोग किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव जिम्मेदार है। रु0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्री सोमनाथ यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	20000.00	20000.00

ग्राम पंचायत- रामपुर गोपालपुर विकास खण्ड-चरगावां जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-87 ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2015-16 में दिनांक 28.04.2015 को श्री शशि भूषणपाण्डेय (सचिव) द्वारा चेक संख्या 618797, 618799 और 618800 द्वारा प्रत्येक चेक रु0 50000.00 इस प्रकार कुल रु0 150000.00 (50000.00×3) की नकद निकासी की गयी है। परन्तु कोषबही में सिर्फ रु0 100000.00 (50000.00×2) ही आयपक्ष में अंकित कर व्यय किया गया है। इस प्रकार रु0 50000.00 की निकासी को कोषबही में न दर्ज कर पूरी राशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 50000.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री संगम सिंह से रु0 25000.00 एवं सचिव श्री शशि भूषणपाण्डेय से रु0 25000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
50000.00	00.00	50000.00

ग्राम पंचायत- देवीपुर विकास खण्ड-चरगावां जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-88 ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2015-16 में दिनांक 23.06.2015 एवं 26.06.2015 को रवि प्रताप के घर के पास कूप मरम्मत पर कुल व्यय रु0 52939.00 किया गया है। इसमें सामग्री पर रु0 34907.00 एवं रु 18032.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित किया गया है। लेखा परीक्षा में इन सभी भुगतानों से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त मद में किये गये खर्च की पुष्टि न की जा सकी। अस्तु रु0 52939.00 की ब्याज सहित वसूलीग्राम प्रधान श्री राम बचन यादव से रु0 26470.00 एवं सचिव श्री कृष्ण वर्मा से रु0 26469.00 से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
52939.00	00.00	52939.00

प्रस्तर सं0-89 ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्शित है। परन्तु कितने एवं किन-किन स्थानों का हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया इसकी जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	विवरण	दिनांक	धनराशि (रु0 में)
1	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	24.06.2015	32663.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	01.08.2015	22000.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	24.08.2015	7500.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	21.09.2015	19550.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	25.09.2015	7500.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	13.01.2016	10000.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	22.03.2016	19550.00
8	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	22.03.2016	5400.00
	योग	-	124163.00

उपरोक्त धन से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे उक्त मद में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव के द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रु0 124163.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री रामबचन यादव से रु0 44607.00 एवं ग्राम प्रधान श्री केदार सिंह से रु0 17475.00 और सचिव श्री कृष्ण वर्मा से रु0 62082.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
124163.00	00.00	124163.00

ग्राम पंचायत- मुझधरपुर

विकास खण्ड-जंगल कौडिया

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-90 वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत को 14वें वित्त आयोग से प्राप्त रु0 140295.00 में से विभागीय निर्देशों के विपरित बैंक खाते से नगद निकासी कर जु0 हाई स्कूल बाउण्ड्री वाल उच्चीकरण, शौचालय मरम्मत में रु0 121595.00 व्यय किया गया है। इसकी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित फाइल जांच में प्रस्तुत नहीं रही, इसके साथ ही प्राक्कलन एवं एम0 बी0 भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः रु0 121595.00 का दुरुपयोग किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मनोज राज ग्रा0 पं0 अधिकारी एवं श्री अलगवान ग्राम प्रधान से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	121595.00	121595.00

ग्राम पंचायत- मझगांवां

विकास खण्ड-जंगल कौडिया

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-91 दिनांक 21.04.2015 को चेक सं0 127959 द्वारा रु0 50000.00 की निकासी श्री ताजुल अफरिन द्वारा की गयी है। इसके स्थान पर कैशबुक में रु0 16250.00 की आय का लेखा किया गया है। इस प्रकार अन्तर रु0 33750.00 कम आय दर्शाकर अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री ताजुल अफरिन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री घुरहु ग्राम प्रधान से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
33750.00	00.00	33750.00

ग्राम पंचायत- अडिलापार

विकास खण्ड-पिपरीली

जनपद -गोरखपुर

प्रस्तर सं0-92 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 25.05.2015 को कैशबुक में रु0 27000.00(सत्ताइस हजार रुपये) महिला काम्पलेक्स मरम्मत हेतु व्यय की गयी धनराशि के रूप में दर्शित है। परन्तु मरम्मत से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे महिला काम्पलेक्स में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः व्यय में दर्शित सम्पूर्ण धनराशि रु0 27000.00 को फर्जी मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तत्कालीन प्रधान श्री इन्द्रपाल सिंह व ग्रा0वि0अधि0 श्री जनार्दन यादव से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
27000.00	00.00	27000.00

ग्राम पंचायत— कूडा भरथ विकास खण्ड—बांसगांव जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—93 माह मार्च 2015 में कुल रू० 82800.00 की नकद निकासी कर मिट्टी ट्राली से, ईट, सीमेंट, सरिया, स्टेशनरी, हैंडपम्प मरम्मत व पेस्ट्रीसाइट पर व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है। कैशबुक रूप पत्र—6 पर किनारे लेखई पासी के घर से भार्गव के खेत तक खडंजा मरम्मत हेतु दर्शित किया गया है। इससे सम्बन्धित बिल, बाउचर एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य योजना, कार्यपूर्ति व एम० बी० भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक में दर्शित व्यय असत्य प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इसका उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्री बाबू लाल यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन दूबे की है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
82800.00	00.00	82800.00

ग्राम पंचायत— टडवा विकास खण्ड—बांसगांव जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—94 दिनांक 07.04.2015 रू० 30000.00 माह अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक रूपपत्र—6 कैशबुक में दर्ज कर खारिज किया गया है जो कि प्रधान जी को मानदेय/वेतन दिया जाना दर्शित है। गतवर्ष के बकाया मानदेय की स्थिति को लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। भुगतान नकद किया जाना दर्शित है जो कि नियम विरुद्ध है। इसका विवरण व मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक एवं रसीद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार गतवर्ष (2014—15) के आडिट वर्ष 2015—16 में मानदेय बकाया भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कल्याणी देवी, व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परशुराम की है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
30000.00	00.00	30000.00

ग्राम पंचायत— दूबौली विकास खण्ड—बांसगांव जनपद —गोरखपुर

प्रस्तर सं०—95 दिनांक 15.05.2015 रू० 50000.00 की निकासी कर खडंजा मरम्मत में ईट क्रय 46400.00 व दिनांक 24.05.2015 मजदूरी रू० 3542.00, दिनांक 06.07.2015 रू० 29000.00 खाते से नकद निकासी कर खडंजा मरम्मत हेतु ईट क्रय, इसी प्रकार दिनांक 11.09.2015 को रू० 30000.00 खाते से नकद निकासी कर खडंजा मरम्मत हेतु ईट क्रय रू० 23200.00 व दिनांक 20.09.2015 को रू० 6923.00 मजदूरी भुगतान तथा रू० 20.00 स्टेशनरी क्रय मद में कैशबुक में व्यय किया गया दर्शित किया गया है। खडंजा मरम्मत कहां कराया गया। कार्य स्थल का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। इससे सम्बन्धित बिल, बाउचर एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य योजना, कार्यपूर्ति तथा एम० बी० भी अप्रस्तुत रहा, दर्शित व्यय असत्य प्रतीत होता है। जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इसका उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्री सताक्षी राय, व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परशुराम की है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
109085.00	00.00	109085.00

मण्डल –गोरखपुर

जनपद— महाराजगंज

मंडल— गोरखपुर

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर सं० 1. ग्राम पंचायत हरखपुरा विकास खंड सिसवा में दिनांक 30.04.15 को पूरे ग्राम पंचायत की नाली एवं खडंजा सफाई हेतु 289 मानव दिवस की मजदूरी रु० 46529.00 निधि प्रथम के कैश बुक में खारिज है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाईकर्मी नियुक्त हैं, ऐसे में उनसे सफाई न करा कर अलग से मजदूर लगा कर सफाई पर व्यय अनुदान राशि रु० 46529.00 का दुरुपयोग मात्र है, जिस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती मेवाती देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन तिवारी जिम्मेदार/उत्तरदायी रहे। अतः रु० 23264.50 का आधा भाग रु० 11632.25 तत्कालीन प्रधान श्रीमती मेवाती देवी से एवं आधा भाग रु० 11632.25 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन तिवारी से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 23)**

प्रस्तर सं० 2. ग्राम पंचायत बौलिया राजा विकास खंड मिठौरा में दिनांक 09.10.15 को ग्रामनिधि खाता प्रथम के सेंट्रल बैंक के खाता सं० 31733767710 से रु० 15000.00 की निकासी चेक सं० 008279 द्वारा की गई है जिसका लेखा कोषबही के आय पक्ष में रु० 1500.00 अंकित है, इस प्रकार रु० 13500.00 निकासी धन का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम कयास व ग्राम प्रधान श्रीमती परम ज्योति द्वारा कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम कयास से रु० 13500.00 का आधा भाग रु० 6750.00 व ग्राम प्रधान श्रीमती परम ज्योति से आधा भाग रु० 6750.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 24)

प्रस्तर सं० 3. ग्राम पंचायत जमुई पंडित विकास खंड मिठौरा की लेखा परीक्षा में निधि प्रथम का मात्र कोष बही एवं बैंक पास बुक ही उपलब्ध कराया गया ऐसे में बिना व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्वीकृत डी०पी०सी०— 2, नक्शा व्यय अनुमान एवं एम०बी० के वर्ष का समस्त व्यय रु० 1505643.00 काल्पनिक एवं फर्जी अंकित कर धन का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य, पूर्व प्रधान श्री रमाशंकर त्रिपाठी तथा वर्तमान प्रधान श्रीमती राधिका देवी द्वारा किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है—

दिनांक	विवरण	धनराशि
09.04.15	इंटरलॉकिंग ईट भुगतान	9000.00
20.04.15	ऑडिट फीस	600.00
20.04.15	माह मार्च 2015 का मानदेय	2500.00
20.04.15	स्टेशनरी क्रय	2500.00
24.04.15	नाली निर्माण हेतु गिट्टी क्रय	10000.00
06.05.15	ह्युम पाइप क्रय	3192.00
14.05.15	ईट क्रय	5742.00
16.05.15	मजदूरी	25428.00
18.05.15	ईट क्रय	87000.00
20.05.15	ईट क्रय	87000.00
20.05.15	मजदूरी	20904.00
04.06.15	नाली निर्माण सामग्री	40000.00
20.06.15	नाली निर्माण सामग्री	10000.00
25.06.15	ईट क्रय	69600.00
26.06.15	मजदूरी	27612.00
29.06.15	मानदेय अप्रैल व मई 2015	5000.00
01.07.15	खडंजा मरम्मत ईट व गिट्टी	24960.00
07.07.15	मजदूरी	5928.00
09.07.15	ईट क्रय	39962.00
10.07.15	ठेला मरम्मत	7000.00
15.07.15	विज्ञापन	3200.00
16.07.15	इंटरलॉकिंग सामग्री	50000.00

27.07.15	इंटरलॉकिंग सामग्री	190453.00
28.07.15	कूप मरम्मत	5228.00
29.07.15	मजदूरी	6240.00
29.07.15	ईट व गिट्टी क्रय	34800.00
14.08.15	ईट क्रय	63220.00
14.08.15	ईट व गिट्टी क्रय	11600.00
14.08.15	मजदूरी	27692.00
25.08.15	मजदूरी	29302.00
29.08.15	ईट क्रय	83200.00
30.08.15	फोटोकॉपी	312.00
04.09.15	कूप मरम्मत	60550.00
04.09.15	मजदूरी	7084.00
07.09.15	मजदूरी	5313.00
08.09.15	सामग्री क्रय	87403.00
09.09.15	सामग्री क्रय	44223.00
09.09.15	मजदूरी	16890.00
19.09.15	सामग्री क्रय	120000.00
14.10.15	नाली निर्माण सामग्री	20000.00
14.10.15	कूप मरम्मत	20000.00
03.12.15	मानदेय	5000.00
03.12.15	स्टेशनरी	500.00
10.03.15	मानदेय श्रीमती राधिका देवी	5000.00
17.03.16	कुर्सी मेज क्रय	10000.00
21.03.16	ठेला मरम्मत व सामग्री क्रय	10000.00
31.03.16	नाली मरम्मत सामग्री (कसौधन सीमेंट खाद भंडार)	105105.00
योग		1506243.00

रु० 1506243.00 में से रु० 600.00 ऑडिट फीस जमा है जिसकी पुष्टि ऑडिट कार्यालय से होती है, इस प्रकार बिना प्रमाणक के कुल व्यय रु० 1505643.00 है । पूर्व के प्रधान के कार्यकाल का व्यय रु० 1375538.00 है और वर्तमान प्रधान के कार्यकाल का व्यय रु० 130105.00 है । इस प्रकार रु० 1505643.00 का आधा भागरु० 752821.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य से, रु० 1375538.00 का आधा भागरु० 687769.00 पूर्व प्रधान श्री रमाशंकर त्रिपाठी से तथा रु० 130105.00 का आधा भागरु० 65052.50 वर्तमान प्रधान श्रीमती राधिका देवी से नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 26)**

प्रस्तर सं० 4. ग्राम पंचायत जमुई पंडित विकास खंड मिठौरा के निधि प्रथम के कोष बही के अनुसार माह सितम्बर 2015 के आय पक्ष का योग 436885.00 है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार व्यय पक्ष का योग रु० 415708.00 होता है, परन्तु व्यय पक्ष का योग फर्जी रूप से रु० 21177.00 से बढ़ा कर आय और व्यय को बराबर कर के रोकड़ शेष शून्य कर दिया गया है । इस प्रकार रु० 21177.00 के रोकड़ शेष का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य तथा पूर्व प्रधान श्री रमाशंकर त्रिपाठी द्वारा किया गया है । अतः प्रधान श्री रमाशंकर त्रिपाठी से रु० 21177.00 का आधा भागरु० 10588.50 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य से आधा भाग रु० 10588.50 की नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 27)

प्रस्तर सं० 5. ग्राम पंचायत पोखरभिंडा विकास खंड घुघली के वर्ष 14-15 में दिनांक 31.03.15 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा जोगिया के खाता सं० 2160645088 के चेक सं० 011753 तथा 011754 द्वारा क्रमशः रु० 10000.00 व रु० 20000.00 की नकद निकासी की गई है जो बैंक पास बुक में भी दर्शित है परन्तु उक्त धनराशियाँ रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्शित न कर तत्कालीन प्रधान श्रीमती कुसुमलता व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूलाल द्वारा अपहरण किया गया है । अस्तु कुल धनराशि रु० 30000.00 का आधा रु० 15000.00 तत्कालीन

प्रधान श्रीमती कुसुमलता से व आधा रु० 15000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूलाल से नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना तथा विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं० 2(ख) 15)

प्रस्तर सं० 6. ग्राम पंचायत डेकही विकास खंड घुघली के वर्ष 15-16 के माह अक्टूबर 15 के रोकड़ बही में आय पक्ष का योग रु० 96231.00 दर्शित है जबकि व्यय पक्ष का योग रु० 80231.00 दर्शित है । लेखा परीक्षा के अनुसार रु० 16000.00 रोकड़ शेष होता है जिसे रोकड़ बही में शून्य दर्शा कर रोकड़ शेष रु० 16000.00 का प्रधान श्री नागेश्वर मिश्र तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज प्रजापति द्वारा अपहरण किया गया है । अस्तु कुल धनराशि रु० 16000.00 का आधा रु० 8000.00 प्रधान श्री नागेश्वर मिश्र से व आधा रु० 8000.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज प्रजापति से नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना तथा विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 16)

प्रस्तर सं० 7. ग्राम पंचायत पिपरा ब्राह्मण उर्फ बारीगांव विकास खंड घुघली के वर्ष 15-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 03.10.15 एवं दिनांक 06.10.15 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बारीगांव खाता सं० 11773370265 से चेक सं० 309972 तथा 309968 द्वारा क्रमशः रु० 36064.00 तथा रु० 64000.00 कुल रु० 100064.00 की निकासी रोकड़ बही में दर्शित है तथा उपरोक्त आहरित धनराशियाँ, चेकों के विरुद्ध रोकड़ बही के व्यय पक्ष में **“चेक द्वारा भुगतान किया गया”** अंकित है । रोकड़ बही में यह अंकित नहीं है कि उक्त भुगतान किस व्यक्ति या किस फर्म को किया गया है एवं किस मद में किया गया यह भी अंकित नहीं है । साथ ही लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु० 100064.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज प्रजापति द्वारा किया गया है । अतः रु० 100064.00 का आधा भाग रु० 50032.00 प्रधान श्री अनिल सिंह व आधा भाग रु० 50032.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज प्रजापति से नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 16)

प्रस्तर सं० 8. ग्राम पंचायत गौनरिया राजा विकास खंड मिठौरा के ग्राम निधि खाता प्रथम के बैंक ऑफ इंडिया से रु० 23000.00 की निकासी की गई है जिसका लेखा कोषबही के आय पक्ष में रु० 2300.00 अंकित है । इस प्रकार रु० 20700.00 निकासी धन का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम कयास व ग्राम प्रधान श्री कृष्ण चन्द्र वर्मा द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 20700.00 का आधा भाग रु० 10350.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम कयास से व आधा भाग रु० 10350.00 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण चन्द्र वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 24)

प्रस्तर सं० 9. ग्राम पंचायत खुडुरी विकास खंड सिसवा के वर्ष 15-16 में दिनांक 07.04.15 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिसवा बाजार के खाता सं० 11479735417 से चेक सं० 478879 द्वारा रु 35000.00 आहरित किया गया परन्तु निधि प्रथम के कैश बुक के आय पक्ष में मात्र रु 3500.00 बैंक निकासी से आय अंकित किया गया है जो रु० 31500.00 से कम अंकित कर रु० 31500.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन तिवारी द्वारा किया गया है । अतः रु० 31500.00 का आधा भाग रु० 15750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से एवं आधा भाग रु० 15750.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन तिवारी से नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति करते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 21)

प्रस्तर सं० 10. ग्राम पंचायत खुडुरी विकास खंड सिसवा के वर्ष 15-16 में दिनांक 08.04.15 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिसवा बाजार के खाता सं० 11479735417 से चेक सं० 478880 द्वारा रु 40000.00 आहरित किया गया है परन्तु निधि प्रथम के कैश बुक के आय पक्ष में मात्र रु 4000.00 ही अंकित किया गया है जो रु० 36000.00 से कम अंकित कर रु० 36000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन तिवारी द्वारा किया गया है । अतः रु० 36000.00 का आधा भाग रु० 18000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से एवं आधा भाग रु० 18000.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन तिवारी से नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति करते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 22)

प्रस्तर सं० 11. ग्राम पंचायत बरवा विद्यापति विकास खंड सिसवा में दिनांक 20.04.15 को निधि प्रथम के कैश बुक में ग्रामीण सफाई हेतु 155 मानव दिवस की मजदूरी/रु० 161.00 से रु० 24955.00 का व्यय खारिज किया गया है, ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी के रहते हुए मजदूरों से सफाई कार्य कराना दर्शा कर ग्राम पंचायत की अनुदान

राशि रु० 24955.00 का दुरुपयोग किया गया है, लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय का मस्टर रोल भी उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः रु० 24955.00 का आधा भाग रु० 12477.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार कश्यप से एवं आधा भाग रु० 12477.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन तिवारी से रु० 12477.50 नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 21)

प्रस्तर सं० 12. ग्राम पंचायत हरदी विकास खंड मिठौरा के ग्रामनिधि खाता प्रथम के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से दिनांक 03.08.15 को रु० 35701.00 की निकासी की गई है जिसका लेखा कोष बही में न कर के निकासी धन का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य व ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र दास द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 35701.00 का आधा भाग रु० 17850.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य से व आधा भाग रु० 17850.50 ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र दास से रु० 17850.50 की नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 25)

प्रस्तर सं० 13. ग्राम पंचायत हरदी विकास खंड मिठौरा के ग्रामनिधि खाता प्रथम का मात्र कोष बही एवं बैंक पास बुक ही उपलब्ध कराया गया ऐसे में बिना व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्वीकृत डी० पी० सी०— 2, नक्शा व्यय अनुमान एवं एम०बी० के वर्ष का समस्त व्यय रु० 1137608.00 काल्पनिक एवं फर्जी अंकित कर धन का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य, पूर्व प्रधान श्री नरेन्द्र दास तथा वर्तमान प्रधान श्री रघुवर प्रसाद द्वारा किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है—

दिनांक	विवरण	धनराशि
12.04.15	मानदेय दिसम्बर 14 से मार्च 15	10000.00
16.05.15	मजदूरी	53196.00
16.05.15	हैंडपंप मरम्मत	1500.00
17.05.15	मिट्टी	23520.00
22.05.15	ईंट क्रय	127600.00
04.06.15	नाली निर्माण पर व्यय	40000.00
15.06.15	मानदेय अप्रैल व मई 15	5000.00
22.06.15	मजदूरी	12324.00
23.06.15	मिट्टी	3879.00
25.06.15	ईंट	32538.00
11.07.15	ठेला मरम्मत व्यय	4500.00
12.07.15	नाली मरम्मत	10000.00
15.07.15	विज्ञापन	3200.00
15.07.15	इंटरलॉकिंग की सामग्री	50000.00
27.07.15	इंटरलॉकिंग की सामग्री	203189.00
28.07.15	नाली निर्माण मजदूरी	23023.00
28.07.15	ह्युम पाईप	66432.00
30.07.15	नाली निर्माण सामग्री	37540.00
25.08.15	इंटरलॉकिंग की सामग्री	87810.00
18.09.15	मजदूरी	6069.00
19.09.15	चबूतरा निर्माण मजदूरी	19809.00
19.09.15	इंटरलॉकिंग ईंट	131120.00
22.09.15	चबूतरा निर्माण में ईंट	22353.00
05.10.15	नाली निर्माण व स्लैब पर भुगतान	29000.00

25.10.15	खडंजा मरम्मत व मिट्टी	21006.00
29.03.16	ईट का भुगतान सिंह ईट को	40000.00
30.03.16	ईट का भुगतान सिंह ईट को	73000.00

योग 1137608.00

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.03.16 को रु० 40000.00 व दिनांक 30.03.16 को रु० 73000.00 का भुगतान सिंह ईट को किया गया कोष बही में अंकित है । परन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० 40000.00 क्लीयरिंग के द्वारा श्री छेदी प्रसाद को व रु० 73000.00 क्लीयरिंग के द्वारा श्री राघव प्रसाद को किया गया है । रु० 1137608.00 में से रु० 113000.00 वर्तमान प्रधान के कार्यकाल का है व शेष रु० 1024608.00 पूर्व प्रधान के कार्यकाल का है । इस प्रकार रु० 1137608.00 का आधा भाग रु० 568804.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष मौर्य से, तथा रु० 1024608.00 का आधा भाग रु० 512304.00 पूर्व प्रधान श्री नरेन्द्र दास से एवं वर्तमान प्रधान श्री रघुवर प्रसाद से रु० 113000.00 का आधा भाग रु० 56500.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 26)

प्रस्तर सं० 14. ग्राम पंचायत सोनबरसा विकास खंड पनियरा के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 25.06.15 को सोलर लाइट रु० 20800.00 का क्रय किया गया है जो कोष बही में अंकित है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, सर्वे रिपोर्ट, विभागीय स्वीकृति, कार्यपूर्ति साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा । इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का ग्राम विकास अधिकारी श्री आशुतोष आर्य एवं प्रधान श्रीमती राधा देवी द्वारा अपहरण कर लिया गया है । अतः रु० 20800.00 का आधा भाग रु० 10400.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री आशुतोष आर्य से तथा आधा भाग रु० 10400.00 प्रधान श्रीमती राधा देवी से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति सं० 2(ख) 18)

प्रस्तर सं० 15. ग्राम पंचायत सोनबरसा विकास खंड पनियरा के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 22.03.16 को हैण्ड पंप मरम्मत का भुगतान रु० 29150.00 कोष बही में दर्शित है । लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, सर्वे रिपोर्ट, विभागीय स्वीकृति, कार्यपूर्ति से संबंधित अन्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विदित होता है कि मात्र कैश बुक से हैण्ड पंप मरम्मत पर व्यय दर्शा कर उक्त धनराशि का ग्राम विकास अधिकारी श्री आशुतोष आर्य एवं प्रधान श्रीमती राधा देवी द्वारा अपहरण कर लिया गया है । अतः रु० 29150.00 का आधा भाग रु० 14575.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री आशुतोष आर्य से तथा आधा भाग रु० 14575.00 प्रधान श्रीमती राधा देवी से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 19)

प्रस्तर सं० 16. ग्राम पंचायत कमता बुजुर्ग विकास खंड पनियरा के बैंक ऑफ बडौदा, शाखा महाराजगंज, खाता सं० 32750100001376 से दिनांक 19.06.15 को रु० 15600.00 की निकासी की गई है जो बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है परन्तु कैश बुक में अंकित न कर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त तथा ग्राम प्रधान श्री विशुनदयाल द्वारा अपहरण कर लिया गया है । अतः उक्त धनराशि रु० 15600.00 का आधा भाग रु० 7800.00 ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचा० अधिकारी श्री रमाकान्त से तथा आधा भाग रु० 7800.00 ग्राम प्रधान श्री विशुनदयाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं० 2(ख) 18)

प्रस्तर सं० 17. ग्राम पंचायत चौका विकास खंड धानी के कोष बही में हैण्डपंप मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	भुगतान तिथि	धनराशि	हैण्डपंप	स्थल	फर्म का नाम
1.	18.03.2016	23250.00	जगरनाथ, मूती, मोतीराम व नागू के घर के पास	अग्रहरी मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल स्टोर्स	
2.	18.03.2016	26450.00	अदालती, हीरावन, श्रीराम, लालमन व दारान के घर के पास	अग्रहरी मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल स्टोर्स	

योग 49700.0

उपरोक्त भुगतान किस अनुदान मद से किया गया है । कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । उक्त मरम्मत कार्य का आकलन पत्र तैयार नहीं किया गया है । बिना आकलन पत्र तैयार किये किसी मरम्मत धर्निर्माण कार्य का व्यय किया जाना अनियमित है । उपरोक्त किये गए भुगतान का व्यय प्रमाणक

प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण क्रय किये गए सामग्रियों की संख्या एवं दर को नहीं जाना जा सका । उक्त के अभाव में खरीदे गए सामग्रियों के न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था ।

उपरोक्त प्रत्येक भुगतान रु० 20000.00 से अधिक का है, जिसके लिए कोटेशन आवश्यक है । लेखा परीक्षा में उक्त खरीद का कोटेशन पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कोष बही में दर्शा कर स्पष्ट रूप से रु० 49700.00 का अपहरण किया गया है ।

उपरोक्त हैंडपंप मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है । बिना तकनीशियन एवं मजदूर के हैंडपंप मरम्मत सम्भव ही नहीं है । अतः उक्त भुगतान अवास्तविक प्रतीत होता है ।

उपरोक्त हैंडपंप मरम्मत कार्य एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने की पुष्टि भी अभिलेखों से नहीं किया जा सका, जो अति आवश्यक था । उक्त भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती भी नहीं की गई है, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति पंजी अथवा ग्राम पंचायत में स्थित हैंडपंपों की सूची/रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण हैंडपंप मरम्मत की जरूरत एवं स्थलों की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन के आदेश सं० 234/33-3-2016-02/2016 लखनऊ दिनांक 18.02.2016 के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान से कराये गए प्रत्येक निर्माण/मरम्मत कार्य की वर्क आई.डी. जेनरेट किया जायेगा, जो इस मरम्मत कार्य में नहीं किया गया है । जो यह दर्शाता है कि ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा शासनादेशों की अवहेलना कर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त हैंडपंप मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है तथा उक्त मरम्मत कार्य पर रु० 49700.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर लिया है । अतः रु० 49700.00 का आधा भाग रु० 24850.00 प्रधान श्री गंगाधर से तथा आधा भाग रु० 24850.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 5)

प्रस्तर सं० 18. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी के कोष बही में सफाई सामग्री क्रय पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० एवं तिथि	धनराशि	अन्य विवरण
1	01/ 05.04.2015	6200.00	विवरण अंकित नहीं है । जायसवाल हार्डवेयर, धानी
2	12/ 11.08.2015	2500.00	विवरण अंकित नहीं है । जायसवाल हार्डवेयर, धानी
योग		8700.00	

कोष बही में उक्त सामग्री क्रय का विवरण अंकित नहीं किया गया है (कौन सी सामग्री कितनी संख्या में आदि), जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण क्रय किये गए सामग्रियों की संख्या, दर एवं उनके न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान होता है । लेखा परीक्षा में सफाई सामग्रियों का स्टॉक पंजी भी प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण उक्त खरीद की प्राप्ति, उपयोग एवं वर्षान्त में अवशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी । स्टॉक पंजी का न बनाया जाना उक्त खरीद को संदिग्ध बनता है । उल्लेखनीय है कि ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति की सचिव ए.एन.एम. होती है, के खाते में उक्त कार्य के लिए प्रति वर्ष रु० 10000.00 राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है । ऐसे में एक ही कार्य के लिए दो अनुदानों का व्यय राजकीय धन का दुरुपयोग है ।

उपरोक्त क्रय का सत्यापन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने की पुष्टि भी ग्राम पंचायत अभिलेखों से नहीं किया जा सका, जो अति आवश्यक था ।

उक्त से स्पष्ट है कि उक्त सफाई सामग्री वास्तव में खरीदी ही नहीं गई और कोष बही में रु० 8700.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 8700.00 का आधा भाग रु० 4350.00 प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 4350.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 1)

प्रस्तर सं० 19. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी में प्रमाणक सं० 2 दिनांक 07.04.15 से जय प्रकाश बिल्डिंग वर्क्स को रु० 5500.00 का ठेला मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है । ठेला लोहे के सरिया, एंगल आदि से बना होता है जिसकी मरम्मत इंजीनियरिंग वर्कशॉप में होती है न कि बिल्डिंग मटेरियल की दूकान पर । ठेला मरम्मत

हेतु बिलडिंग मटेरियल की दूकान को भुगतान इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनता है । उक्त भुगतान किस मद से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं किया गया, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक का भुगतान अवास्तविक भुगतान है । लेखा परीक्षा में मृत स्कंध पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में ग्राम पंचायत में कुल ढेलों की संख्या एवं उनके खरीद की तिथि की पुष्टि नहीं की जा सकी तदनुसार ढेला मरम्मत के औचित्य की भी पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । कोष बही में मरम्मत किये गए कुल ढेलों की संख्या भी अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था । कोष बही में ढेला/ढेलों का आकर भी अंकित नहीं किया गया है और न ही मरम्मत किये जाने का स्थान ही अंकित किया गया है, जो अति आवश्यक था ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वास्तव में ढेला मरम्मत कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 5500.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 5500.00 का आधा भाग रु० 2750.00 प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 2750.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 2)

प्रस्तर सं० 20. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी के कोष बही में शौचालय मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण	
1	03/24.04.2015/अग्रहरी ट्रेडिंग कंपनी	14924.00	सीमेंट 15 बोरी/335	= 5025.00
			बालू 2.8 घन मी०/1405	= 3434.00
			पत्थर गिट्टी 1.9 घन मी०/2850	= 5415.00
			सरिया 12 किलो/50	= 600.002.
2	04/28.04.2015	5020.00	मजदूरी व्यय 6 मिस्त्री/300	= 1800.00
			20 मजदूर/161	= 3220.00
			योग	19944.00

उपरोक्त मरम्मत कार्य किस अनुदान मद से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में उक्त मरम्मत कार्य का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उपरोक्त मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि की जाँच एवं सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था ।

उपरोक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त सामग्री क्रय के न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था ।

उपरोक्त मरम्मत कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है । जो अति आवश्यक था । जो इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनाता है । नियमानुसार राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त धनराशि से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्य के डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रा० वि० बरजी में शौचालय मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 19944.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 19944.00 का आधा भाग रु० 9972.00 प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 9972.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं० 2(ख) 3)

प्रस्तर सं० 21. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी के कोष बही में दिनांक 27.05.15 को श्री श्याम बली पुत्र ओरी को रु० 22000.00 का भुगतान छोटकी बरजी में पोखरी के पास मिट्टी पटाई (304 घन मीटर/72.5) हेतु भुगतान किया गया दर्शित है ।

उपरोक्त कार्य किस मद के अनुदान राशि से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं किया गया है और न ही उक्त मिट्टी पट्टाई का माप (ल०×चौ०×ऊ०) ही अंकित किया गया है, जो अति आवश्यक था । उक्त भुगतान रु० 20000.00 से अधिक का है अतः इसके लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा । इन अनुदानों का उद्देश्य ग्राम पंचायत के परिसंपत्तियों का रखरखाव करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना है । उक्त कार्य ठेके पर करा कर सृजित मानव दिवसों का नुकसान कर अनुदान के उद्देश्यों की अवहेलना किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा । लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो आपत्तिजनक रहा । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान किया जाना अवास्तविक भुगतान है । उक्त मिट्टी खरीद पर रॉयल्टी की कटौती कर के राज्य सरकार के खाते में जमा न कर राजस्व को हानि पहुंचाई गई है, जो आपत्तिजनक रहा । उक्त मिट्टी पट्टाई कार्य का एस्टीमेट व माप पुस्तिका नहीं बनाया गया है, जो अति आवश्यक था । उक्त के अभाव में उक्त मिट्टी खरीद की मात्रा एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त मिट्टी पट्टाई कार्य तेरहवां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के धनराशि से कराया गया है जिसका डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत न करा कर शासनादेश की अवहेलना किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त मिट्टी पट्टाई कार्य का एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है । जो इस कार्य को संदिग्ध बनाता है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि छोटकी बरजी के पोखरी के पास मिट्टी पट्टाई कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 22000.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 22000.00 का आधा भाग रु० 11000.00 प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 11000.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 4)**

प्रस्तर सं० 22. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी के कोष बही में रतनापार में नाली कवर बनवाई पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	08/25.06.2015/अग्रहरी ट्रेडिंग कंपनी	20000.00	सीमेंट 15 बोरी/335 = 5025.00 बालू
	3.5 घन मी०/1123 = 3930.00		गिट्टी 3 घन मी०/2850 = 8550.00
			सरिया 50 किलो/5000/क्वि = 2500.002.
2	13/18.08.205	4032.00	मजदूरी 6 × 350 = 2100.00
		12×161	=1932.00
		योग	24032.00

उक्त व्यय किस मद से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं किया गया है जो अति आवश्यक था । कोष बही में उक्त नाली कवर का आकार (ल०×चौ०×ऊ०) एवं संख्या अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त नाली तदनुसार उसके कवर निर्माण की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त नाली निर्माण का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त नाली कवर निर्माण पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो आपत्तिजनक रहा । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान किया जाना अवास्तविक भुगतान है । उक्त नाली कवर निर्माण का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृत होना चाहिए जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त निर्माण कार्य का एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने की पुष्टि ग्राम पंचायत अभिलेखों से नहीं किया जा सका, जो अति आवश्यक था ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रतनापार में नाली निर्माण कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 24032.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 24032.00 का आधा

भाग रु० 12016.00 प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 12016.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 5)

प्रस्तर सं० 23. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी के कोष बही में हैंडपंप मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	09 / 26.06.2015	25000.00	विवरण अंकित नहीं भुगतान दुर्गा मशीनरी स्टोर्स, धानी को मजदूरी सहित ।
2	11 / 08.08.2015	23250.00	विवरण अंकित नहीं भुगतान दुर्गा मशीनरी स्टोर्स, धानी को मजदूरी सहित ।

योग

48250.00

उपरोक्त व्यय किस मद से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । कोष बही में मरम्मत किये गए हैंडपंपों की संख्या व स्थल अंकित नहीं पाया गया । जिसके अभाव में व्यय किये गए धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति पंजी अथवा ग्राम पंचायत में स्थित हैंडपंपों की संख्या व स्थल की सूची प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त हैंडपंपों की मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त हैंडपंप मरम्मत का आकलन पत्र नहीं बनाया गया है और न ही एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से सत्यापन ही कराया गया है, जो अति आवश्यक था । कोष बही में हैंडपंप मरम्मत में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण एवं मात्रा तथा दर भी अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था । उक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो आपत्तिजनक रहा । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है ।

ग्राम पंचायत स्वयं एक कार्यदायी संस्था है, इसे हैंडपंप मरम्मत स्वयं आवश्यक सामग्री क्रय कर करवाना चाहिए न कि ठेके पर स उल्लेखनीय है कि सामग्रियों के क्रय का भुगतान दुकानदार/फर्म को किया जाता है तथा मजदूरी का भुगतान मजदूरों को स दोनों भुगतान एक ही संस्था/दुकानदार को किया जाना कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है ।

उपरोक्त प्रत्येक भुगतान रु० 20000.00 से अधिक का है अतः मरम्मत कार्य कोटेशन आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर कराया जाना चाहिए था, जो न करके वित्तीय नियमों की अवहेलना की गई है, जो आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हैंडपंप मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त मरम्मत कार्य पर रु० 48250.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्रीलाल ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर लिया है । अतः रु० 48250.00 का आधा भाग रु० 24125.00 प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 24125.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्रीलाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 6)

प्रस्तर सं० 24. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी के कोष बही में प्रमाणक सं० 15 दिनांक 14.08.2015 से स्थानीय समाचार पत्र "स्पष्ट आवाज" में टेण्डर प्रकाशित करने हेतु रु० 4700.00 का भुगतान किया गया है ।

उपरोक्त भुगतान किस अनुदान राशि से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । टेण्डर हेतु विज्ञापन का आकार तथा दर कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था । उक्त के अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । कोष बही में विज्ञापन (टेण्डर) प्रकाशित होने का दिनांक भी अंकित नहीं किया गया है और न ही प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति ही प्रस्तुत की गई जिसके अभाव में उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उल्लेखनीय है कि टेण्डर विज्ञापन अधिक वितरण वाले प्रांतीय/राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग टेण्डर फॉर्म भर सकें, जो नहीं किया जा गया है, आपत्तिजनक रहा । लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान का रसीद/बिल भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । बिना प्रमाणक (बिल/रसीद) के भुगतान अवास्तविक है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वास्तव में टेण्डर का विज्ञापन प्रकाशित ही नहीं कराया गया है तथा कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 4700.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्रीलाल ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर लिया है । अतः रु० 4700.00 का आधा भाग रु० 2350.00

प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 2350.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्रीलाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 7)

प्रस्तर सं० 25. ग्राम पंचायत बरजी विकास खंड धानी के कोष बही में रतनापार में "मुन्नर के घर से राम समुझ के घर तक" खडंजा मरम्मत पर रु० 45272.00 व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	16 / 02.09.2015	8275.00	मिट्टी खरीद 112.58 घन मी० / 73.50 फर्म का नाम अंकित नहीं ।
2.	17 / 18.09.2015	31040.00	ईट 4850 / 6400.00 फर्म का नाम अंकित नहीं ।
3.	18 / 22.09.2015	5957.00	मजदूरी व्यय 37 मजदूर / 161.00 ।
योग		45272.00	

उक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । कोष बही में उक्त खडंजा मरम्मत का आकार 60मी०×30मी० अंकित कर अपरिलेखन कर 30 का 50 बनाया गया है, परन्तु पैमाना (मी०/सेमी०) अंकित नहीं किया गया है । बिना पैमाने के खडंजा मरम्मत के माप की जानकारी सम्भव नहीं है । बिना माप के उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकी । लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त खडंजा मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में उक्त खडंजा निर्माण का आकलन एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसके अभाव में उक्त मरम्मत कार्य पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मिट्टी किससे खरीदी गई? ईट किस फर्म से खरीदा गया? तथा मजदूरी किसको भुगतान किया गया? की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही उक्त खरीद के न्यूनतम दर की पुष्टि की जा सकी, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । इस मरम्मत कार्य पर रु० 8275.00 का 112.58 घन मीटर मिट्टी खरीदी गई है जिस पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती कर राज्य सरकार के खजाने में जमा नहीं किया गया है । जो आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त निर्माण कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जो इस कार्य को संदिग्ध बनाता है । जो आपत्तिजनक रहा । तेरहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से लिया जाना आवश्यक था, जिसे नहीं लिया गया है, जो आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रतनापार में "मुन्नर के घर से राम समुझ के घर तक खडंजा मरम्मत" कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है तथा कोष बही में उक्त मरम्मत कार्य पर रु० 45272.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 45272.00 का आधा भाग रु० 22636.00 प्रधान श्रीमती श्रीमती से तथा आधा भाग रु० 22636.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 8)

प्रस्तर सं० 26. ग्राम पंचायत सिकंद्राजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में इण्डिया मार्का-।। हैंडपंप मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1	01 / 11.04.2015	30500.00	सामग्रियों की संख्या, मात्रा व दर अंकित नहीं अग्रहरी मशीनरी स्टोर्स ।
2	10 / 05.07.2015	31500.00	सामग्रियों की संख्या, मात्रा व दर अंकित नहीं अग्रहरी मशीनरी स्टोर्स ।
3	21 / 17.09.2015	30500.00	सामग्रियों की संख्या, मात्रा व दर अंकित नहीं अग्रहरी मशीनरी स्टोर्स ।
4	27 / 28.03.2016	34300.00	सामग्रियों की संख्या, मात्रा व दर अंकित नहीं अग्रहरी मशीनरी स्टोर्स ।

योग **126800.00**

उपरोक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । कोष बही में मरम्मत किये गए हैंडपंपों की संख्या व स्थल अंकित नहीं पाया गया । जिसके अभाव में व्यय

किये गए धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति पंजी अथवा ग्राम पंचायत में स्थित हैंडपंपों की संख्या व स्थल की सूची प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त हैंडपंपों की मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त हैंडपंप मरम्मत का आकलन पत्र एवं कार्यपूर्ति पत्र नहीं बनाया गया है, जिसके कारण उक्त हैंडपंपों के मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अपेक्षित था । कोष बही में हैंडपंप मरम्मत में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण एवं मात्रा तथा दर भी अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था । उक्त मरम्मत में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण, संख्या, दर अंकित नहीं किया गया है और न ही व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण प्रयुक्त सामग्रियों एवं उनके न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । ग्राम पंचायत स्वयं एक कार्यदायी संस्था है, इसे हैंडपंप मरम्मत स्वयं, आवश्यक सामग्री क्रय कर करवाना चाहिए न कि ठेके पर । उल्लेखनीय है कि सामग्रियों के क्रय का भुगतान दुकानदार/फर्म को किया जाता है जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों को । दोनों भुगतान एक ही संस्था/फर्म/दुकानदार को किया जाना कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है । चूँकि उपरोक्त प्रत्येक भुगतान रु० 20000.00 से अधिक का है, ऐसे में मरम्मत कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर क्रय कर, कराया जाना चाहिए था । जो न करके वित्तीय नियमों की अवहेलना की गई है, जो अपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त मरम्मत कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो उक्त कार्य को संदिग्ध बनता है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हैंडपंप मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त मरम्मत कार्य पर रु० 126800.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम प्रधान श्री गंगाधर (अक्टूबर, 15 तक), प्रधान श्री योगेन्द्र नाथ (नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्रीलाल ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर लिया है । जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्रीलाल से रु० 63400.00, प्रधान श्री गंगाधर से रु० 46250.00 एवं प्रधान श्री योगेन्द्र नाथ से रु० 17150.00 किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 1)

प्रस्तर सं० 27. ग्राम पंचायत सिकंद्राजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत दिनांक 13.04.2015 को रु० 475443.00 प्राप्त हुआ है जिसे इंटरलॉकिंग सड़क पर व्यय किया गया है । विवरण निम्न है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	अंकित नहीं/25.06.2015	41909.00	मजदूरी पर व्यय 42×350 एवं 169×161
2.	अंकित नहीं/02.07.2015	71949.00	ईट 7080/5800 ईट गिट्टी 30 घ०मी०/1129.
3.	अंकित नहीं/02.07.2015	181683.00	सीमेंट 82 बोरी/ 335, बालू 15 घ०मी०/1123, लोकल बालू 07 घ०मी०/702, सीमेंट ईट 7960/16.64 प्रति ईट
4.	अंकित नहीं/15.07.2015	30000.00	ईट 3450/5800, ईट गिट्टी 8.05 घ०मी०/1129
5.	अंकित नहीं/05.08.2015	122550.00	सीमेंट 55 बोरी/335, बालू 115 घ०मी०/1123, लोकल बालू 4.3 घ०मी०/702, सीमेंट ईट 5300/16.64 प्रति ईट
6.	अंकित नहीं/10.08.2015	3000.00	साईन बोर्ड
7.	अंकित नहीं/11.08.2015	12125.00	मजदूरी 14×350 एवं 45×161
8.	अंकित नहीं/12.08.2015	10000.00	ईट 1725/5800
योग		473236.00	

कोष बही में उक्त इंटरलॉकिंग सड़क का स्थल तथा माप (लं०×चौ०) अंकित नहीं किया गया है जो अति आवश्यक था । उक्त सड़क के प्राक्कलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसके अभाव में उक्त सड़क पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था ।

उपरोक्त सामग्री क्रय रु० 20000.00 से अधिक का है, जिसके लिए कोटेशन आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर क्रय किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, जो अपत्तिजनक रहा । लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजी

प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अपेक्षित था ।

उपरोक्त मरम्मत कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जो इस कार्य को संदिग्ध बनाता है । उक्त सड़क निर्माण का निर्माण लागत रु० 473236.00 है, जिसके लिए निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था तत्पश्चात न्यूनतम दरों पर सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त कर निर्माण कराया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा । उक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में खरीदे गए सामग्रियों के न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति किसी सक्षम अधिकारी से कराये जाने की भी पुष्टि ग्राम पंचायत अभिलेखों से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था । दिनांक 15.07.2015 को एस० के० इंटरप्राइजेज को 3450 ईट/5800 तथा 8.05 घ०मी० ईट गिट्टी/1129 के दर से रु० 30000.00 का भुगतान किया गया है । आकलन करने पर ईट का मूल्य रु० 20010.00 तथा ईट गिट्टी का मूल्य रु० 9088.00 कुल रु० 29098.00 होता है, जबकि भुगतान रु० 30000.00 का किया गया है, अन्तर रु० 902.00 से भुगतान अधिक किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी रूप से धन का समायोजन दर्शाया गया है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण वास्तव में कराया ही नहीं गया है तथा कोष बही में उक्त मरम्मत कार्य पर रु० 473236.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 473236.00 का आधा भाग रु० 236618.00 प्रधान श्री गंगाधर से एवं आधा भाग रु० 236618.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्तिकिया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 2)

प्रस्तर सं० 28.ग्राम पंचायत सिकंद्राजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में शौचालय मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० एवं तिथि	धनराशि	विवरण
1.	04 / 15.05.2015	20600.00	बालू 3.5 घ०मी० / 1123 मोटा बालू 0.76 घ०मी० / पत्थर गिट्टी 2.5 घ०मी० / 2850सीमेंट 16 बोरी / 33सरिया50 किलो / 5000
2.	05 / 27.05.201	7952.00	मजदूरी व्यय 8×35 एवं 32×161
योग		28552.00	

उपरोक्त मरम्मत कार्य किस मद के अनुदान से कराया गया है तथा शौचालय में क्या मरम्मत किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । उक्त शौचालय मरम्मत कार्य का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उपरोक्त कार्य पर व्यय धनराशि की जाँच एवं सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया जिसके कारण उनके न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था ।

उक्त मरम्मत कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था एवं इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनाता है । नियमानुसार राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त धनराशि से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्य के डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रा० वि० सिकंद्राजीतपुर में शौचालय मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 28552.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 28552.00 का आधा भाग रु० 14276.00 प्रधान श्री गंगाधर से तथा आधा भाग रु० 14276.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्तिकिया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 3)

प्रस्तर सं० 29. ग्राम पंचायत सिकंद्राजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में रामनाथ के घर से आर० सी० सी० पुलिया तक भूमिगत नाली निर्माण पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० एवं तिथि	धनराशि	विवरण
1.	07/05.06.2015	6496.00	ईट क्रय 1015/6400
2.	11/11.07.2015	14996.00	सीमेंट 14 बोरी/335 मोटा बालू 0.56 घ०मी०/2350 महीन बालू 2.40 घ०मी०/1123 पत्थर गिट्टी 0.90 घ०मी०/2550 सरिया 80 किलो/5000
3.	12/14.07.2015	26630.00	ह्युम पाइप 20 अदद 250 एम.एम./2663
4.	13/31.07.2015	7469.00	मजदूरी 8×350 एवं 29×161
योग		55591.00	

उपरोक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है और भूमिगत नाली की लंबाई कितनी है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त दर्शित नाली निर्माण के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त निर्माण का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उपरोक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 55591.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया जिसके कारण उनके न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । ह्युम पाइप का क्रय रु० 26630.00 का क्रय किया गया है जो रु० 20000.00 से अधिक है । अतः उक्त खरीद के लिए कोटेशन आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर क्रय किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, जो अपत्तिजनक रहा । तेरहवां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अनुदान राशि से कराये गए निर्माण कार्यों के डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा । उक्त मरम्मत कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था, जो इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनाता है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रामनाथ के घर से आर० सी० सी० पुलिया तक भूमिगत नाली निर्माण वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 55591.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 55591.00 का आघात भाग रु० 27796.00 प्रधान श्री गंगाधर से एवं आघात भाग रु० 27796.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्तिकिया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 4)

प्रस्तर सं० 30. ग्राम पंचायत सिकंद्राजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में दीनानाथ के घर से देवेन्द्र के घर तक नाली निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	15/14.08.2015	6608.00	मजदूरी व्यय 6×350 एवं 28×161
2.	17/21.08.2015	21580.00	सीमेंट 45 बोरी/335 बालू महीन 5.34 घ०मी०/1404 बालू मोटा 0.51 घ०मी०/2494
3.	12/12.09.2015	19878.00	ईट 2450/5800 ईट गिट्टी 2.5 घ०मी०/1679.50
4.	20/15.09.2015	9760.00	बालू महीन 12.09 घ०मी०/1404 पत्थर गिट्टी 0.75 घ०मी०/3046 सरिया 89 किलो/5000
5.	522/17.09.2015	12950.00	ईट 1630/5800 ईट गिट्टी 1.5 घनमीटर/1679.50
6.	23/17.09.2015	4998.00	मजदूरी व्यय 6×350 एवं 18×161
योग		75774.00	

उक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है तथा नाली की लंबाई एवं आकार (एल टाइप या यू टाइप) कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था । परिसंपत्ति पंजी के अभाव में उक्त नाली के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी स जो अपेक्षित था । उक्त नाली निर्माण का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका भी नहीं बनाया गया है, जिसके अभाव में उस पर व्यय किये गए धनराशि रु० 75774.00 की पुष्टि नहीं की जा

सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त नाली निर्माण पर व्यय किये गए धन का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । नियमानुसार तेरहवां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अनुदान से कराये गए निर्माण कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा । उक्त नाली निर्माण का कार्य योजना रु० 75774.00 का है जो रु० 20000.00 से अधिक है जिसके लिए कोटेशन आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय कर निर्माण कराया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा । उक्त मरम्मत कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जो इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दीनानाथ के घर से देवेन्द्र के घर तक नाली का निर्माण वास्तव में कराया ही नहीं गया है तथा कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 75774.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 75774.00 का आघात भाग रु० 37887.00 प्रधान श्री गंगाधर से एवं आघात भाग रु० 37887.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 5)**

प्रस्तर सं० 31. ग्राम पंचायत सिकंद्राजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में रामबेलास के घर से अनवर के घर तक खडंजा मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है-

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	24 / 19.09.2015	40780.00	ईट 6022 / 6400 मिट्टी 98.50 घनमीटर / 73.50
2.	25 / 19.09.2015	6174.00	मजदूरी व्यय 2×350 एवं 34×161
	योग	46954.00	

खडंजा मरम्मत पर व्यय किस अनुदान मद से किया गया है तथा खडंजा मरम्मत की माप (लं०×चौ०) कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था । परिसंपत्ति पंजी के अभाव में उक्त खडंजा तथा मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त खडंजा मरम्मत का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका भी नहीं बनाया गया है, जिसके अभाव में उस पर व्यय किये गए धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । खडंजा मरम्मत में प्रयुक्त ईट एवं मिट्टी खरीद के प्रमाणक तथा मजदूरों को किये गए भुगतान का मस्टर रोल नहीं पाया गया । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान होता है । इस खडंजा मरम्मत में प्रयुक्त सामग्रियों का क्रय रु० 40780.00 का किया गया है, जो रु० 20000.00 से अधिक है । अतः नियमानुसार कोटेशन आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय कर मरम्मत कार्य करवाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा । इस खडंजा मरम्मत में 98.5 घनमीटर मिट्टी खरीदी गई है रु० 7249.00 में, जिस पर नियमानुसार रु० 12.00 प्रति घनमीटर की दर से रु० 11182.00 रॉयल्टी काट कर सरकार के खजाने में जमा नहीं किया गया है । जो आपत्तिजनक रहा । राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग के अनुदान से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा । उक्त खडंजा मरम्मत का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो आपत्तिजनक रहा तथा इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनाता है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रामबेलास के घर से अनवर के घर तक खडंजा मरम्मत वास्तव में कराया ही नहीं गया है तथा कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 46954.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 46954.00 का आघात भाग रु० 23447.00 प्रधान श्री गंगाधर से एवं आघात भाग रु० 23447.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है **(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 6)**

प्रस्तर सं० 32. ग्राम पंचायत सिकंद्राजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में प्रमाणक सं० 03 दिनांक 08.05.2015 से अग्रहरी मशीनरी एवं इलेक्ट्रिकल स्टोर्स को ग्राम पंचायत में बिजली बल्ब लगवाई रु० 37000.00 का भुगतान किया गया है । कोष बही में बल्ब लगाये जाने वाले स्थल, संख्या अंकित नहीं पाया गया और न ही खरीदे गए सामग्रियों का विवरण अंकित पाया गया, जो अति आवश्यक था । उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान होता है । उक्त खरीद रु० 20000.00 से अधिक का है, अतः नियमानुसार कोटेशन आमंत्रित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा । सी०एफ०एल/एल०ई०डी० बल्ब के खरीद पर एक साल से ले कर दो साल तक रिप्लेसमेंट की गारंटी होती है तथा रु० 37000.00 के बिजली सामानों की संख्या अधिक होगी, ऐसे में स्टॉक पंजी बनाया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा । उक्त खरीद का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया

गया है, जो आवश्यक था तथा इस खरीद को संदिग्ध बनाता है । आलोच्य वर्ष में बिजली बिल जमा नहीं किया गया है । बिना बिजली के वैध कनेक्शन के बिजली का उपयोग गलत है तथा इस खरीद को संदिग्ध बनाता है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वास्तव में बिजली सामग्री (बल्ब, तार आदि) का खरीद किया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त खरीद पर रु० 37000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 37000.00 का आघात रु० 18500.00 प्रधान श्री गंगाधर से एवं आघात रु० 18500.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है **(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 7)**

प्रस्तर सं० 33. ग्राम पंचायत सिकंदराजीतपुर विकास खंड धानी के कोष बही में प्रमाणक सं० 02 दिनांक 13.04.2015 से रु० 6000.00 का सफाई सामग्री का क्रय जायसवाल हार्डवेयर स्टोर्स, धानी से कोष बही में अंकित है । उक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है तथा क्रय किये गए सामग्रियों का विवरण, संख्या एवं दर भी कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया, जो आपत्तिजनक रहा । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान होता है । सफाई सामग्री में प्रायः झाड़ू, ब्लीचिंग आदि होता है, जो रु० 6000.00 अधिक संख्या में प्राप्त हुए होंगे । ऐसे में उनका स्टॉक पंजी बनाया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा । दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । उल्लेखनीय है कि ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति जिसकी सचिव ए.एन.एम. होती है, के खाते में उक्त कार्य के लिए प्रति वर्ष रु० 10000.00 राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है । ऐसे में एक ही कार्य के लिए दो अनुदानों का व्यय राजकीय धन का दुरुपयोग है । उक्त खरीद का सत्यापन एडीओ पीअथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो कि अपेक्षित था ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सफाई सामग्री वास्तव में खरीदी ही नहीं गई है तथा कोष बही में उक्त खरीद पर रु० 6000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री गंगाधर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल द्वारा कर लिया गया है । अतः रु० 6000.00 का आघात रु० 3000.00 प्रधान श्री गंगाधर से एवं आघात रु० 3000.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री मिश्री लाल से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 8)**

प्रस्तर सं० 34. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के बैंक खाता सं० 11635223550 से निम्न तिथियों को निम्न चेक से धन आहरित कर कोष बही में अंकित न कर प्रधान श्री सुग्रीव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे द्वारा अपहरण कर लिया गया है । विवरण निम्न है—

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1	11.06.2015	318811	32894.00
2	11.06.2015	318814	2428.00
3	12.06.2015	318815	30000.00
4	16.06.2015	318816	43097.00
5	18.06.2015	318813	149760.00
6	18.06.2015	318821	55485.00
7.	29.06.2015	318820	1092.00
8.	03.07.2015	318812	68670.00
9.	20.07.2015	318819	98259.00
10.	22.07.2015	318828	3000.00
11.	20.10.2015	318833	7728.00
12.	26.10.2015	318832	18676.00
13.	26.10.2015	318837	38318.00
14.	28.10.2015	318839	92400.00
योग			601807.00

उक्त निकासी संबंधित कोई भी पत्रावली (बैंक स्टेटमेंट को छोड़ कर) प्रस्तुत नहीं किया गया । स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का बैंक से आहरण कर प्रधान श्री सुग्रीव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने कोष बही में

अंकित न कर व्यक्तिगत उपयोग कर अपहरण कर लिया है । अतः रु० 601807.00 का आघा भाग रु० 300904.00 प्रधान श्री सुग्रीव से तथा आघा भाग रु० 300904.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 1)

प्रस्तर सं० 35. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में "प्रभु के घर से विनोद वर्मा के घर तक" खडंजा मरम्मत (1054 वर्गमीटर) पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	01 / 16.04.2015	130200.00	ईट 21000 / 6200, फर्म का नाम अंकित नहीं
2.	02 / 17.04.2015	29880.00	मिट्टी खरीद 415 घनमीटर / 72, फर्म का नाम अंकित नहीं
3.	03 (I) / 17.04.2015	29302.00	मजदूरी 182×161 खडंजा उखड़वाई व मिट्टी समतलीकरण
4.	03 (II) / 27.04.2015	29302.00	मिट्टी समतलीकरण एवं चिनाई मजदूरी 182×161
5.	04 / 27.04.2015	27531.00	खडंजा चिनाई मजदूरी 171×161
योग		246215.00	

उपरोक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त खडंजा मार्ग तथा खडंजा मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में उक्त खडंजा मरम्मत का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 246215.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त व्यय राशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कोष बही में फर्म का नाम अंकित नहीं किया गया है । उक्त के अभाव में मिट्टी किससे खरीदी गई? ईट किस फर्म से खरीदा गया तथा मजदूरी किसको भुगतान किया गया? की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही उक्त खरीद में न्यूनतम दर की पुष्टि ही की जा सकी, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । इस मरम्मत कार्य में ईट आपूर्ति का भुगतान रु० 130200.00 का है, जो एक लाख से अधिक है स इसमें निविदा का आमंत्रण अति आवश्यक था । जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा । इस मरम्मत कार्य में 415 घनमीटर मिट्टी की खरीद की गई है, जिस पर नियमानुसार रु० 12.00 प्रति घनमीटर की दर से रु० 4980.00 रॉयल्टी की कटौती नहीं कर राज्य सरकार के राजस्व की हानि पहुंचाई गई है, जो आपत्तिजनक रहा । खडंजा मरम्मत का क्षेत्रफल कोष बही में 1054 वर्गमीटर अंकित किया गया है जिस पर मरम्मत कार्य के दौरान ईट उखाड़ने के पश्चात 415 घनमीटर मिट्टी डाली गई है । जो सत्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 1054 वर्गमीटर में 415 घनमीटर मिट्टी डालने पर डाले हुए मिट्टी की मोटाई 0.39 मीटर अर्थात् 39 सेमी० होता है जिस पर तत्काल खडंजा बिछाने पर खडंजा धस जायेगा जो इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनाता है । खडंजा सदैव कठोर सतह को बराबर कर बिछाई जाती है । खडंजा मरम्मत का क्षेत्रफल कोष बही में 1054 वर्गमीटर दिया गया है । नए खडंजे में 57 ईट एक वर्गमीटर में लगता है अर्थात् 1054 वर्गमीटर नया खडंजा निर्माण में कुल 60078 ईट लगता । खडंजा मरम्मत में 10 प्रतिशत नया ईट अनुमन्य है अर्थात् 6008 अदद ईट ही अनुमन्य है, जबकि 21000 ईट खरीदी गई है अर्थात् अनुमन्य से 14992 ईट अधिक जो ग्राम पंचायत धन के दुरुपयोग/अपहरण को दर्शाता है जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि समस्त व्यय मात्र फर्जी समायोजन है । खडंजा मरम्मत का सत्यापन एडीओ पीअथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो इस कार्य को संदिग्ध बनाता है । सत्यापन अति आवश्यक रहा । राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि "प्रभु के घर से विनोद वर्मा के घर तक" खडंजा मरम्मत वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 246215.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे द्वारा अपहरण कर लिया गया है । अतः रु० 246215.00 का आघा भाग रु० 123108.00 प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघा भाग रु० 123108.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 2)

प्रस्तर सं० 36. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में "शिव लोहिया टोला पर खडंजा मरम्मत" पर निम्न व्यय दर्शित है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण

1.	07/02.06.2015	47744.00	ईट 6000/6400, तथा 128 घ0मी0 मिट्टी/73 फर्म का नाम अंकित नहीं ।
2.	08/03.06.2015	17710.00	खडंजा उखड़वाई व मिट्टी समतलीकरण । मजदूरी 110×161
3.	13/17.06.2015	7245.00	खडंजा चिनाई मजदूरी । 45×161

योग 72699.00

उपरोक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त खडंजा मार्ग एवं खडंजा मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त खडंजा मरम्मत का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 72699.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । कोष बही में लोहिया टोला में खडंजा कहाँ मरम्मत हुआ है, अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । उक्त व्यय राशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोष बही में भुगतान किये गए फर्म का नाम ही अंकित पाया गया, जो अति आवश्यक था । व्यय प्रमाणक के अभाव में खरीदे गए सामग्रियों के न्यूनतम दर की पुष्टि भी नहीं की जा सकी । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । इस मरम्मत कार्य में 128 घनमीटर मिट्टी की खरीद की गई है, जिस पर नियमानुसार रु० 12.00 प्रति घनमीटर की दर से रु० 1536.00 रॉयल्टी की कटौती नहीं कर राज्य सरकार के राजस्व की हानि पहुंचाई गई है, जो आपत्तिजनक रहा । खडंजा मरम्मत का क्षेत्रफल 100×3 मी० अर्थात् 300 वर्गमीटर है जिस पर मरम्मत कार्य के दौरान ईट उखाड़ने के पश्चात् 128 घनमीटर मिट्टी डाली गई है और फिर से खडंजा बिछाई गई है, जो सत्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 128 घनमीटर मिट्टी डालने पर डाले हुए मिट्टी की मोटाई 0.42 मीटर अर्थात् 42 सेमी० (लगभग डेढ़ मीटर) होता है जिस पर तत्काल खडंजा बिछाने पर खडंजा धस जायेगा जो इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनाता है । खडंजा सदैव कठोर सतह को बराबर कर बिछाई जाती है । खडंजा मरम्मत का क्षेत्रफल कोष बही में 300 वर्गमीटर दिया गया है । नए खडंजे में 57 ईट एक वर्गमीटर में लगता है अर्थात् 300 वर्गमीटर नया खडंजा निर्माण में कुल 17100 ईट लगता । खडंजा मरम्मत में 10 प्रतिशत नया ईट अनुमन्य है अर्थात् 1710 अदद ईट ही अनुमन्य है, जबकि 6000 ईट खरीदी गई है अर्थात् अनुमन्य से 4290 ईट (रु० 27456.00) अधिक जो ग्राम पंचायत धन के दुरुपयोग/अपहरण को दर्शाता है । साथ ही संसाधन का फर्जी समायोजन भी दर्शाता है । इस मरम्मत कार्य में ईट उखड़वाई एवं मिट्टी समतलीकरण पर 110 मजदूर लगाये गए हैं जो यह दर्शाता है कि एक मजदूर दिन भर में 2.72 वर्गमीटर (1.65 मीटर×1.6 मीटर) पर उक्त कार्य किया है । जो मानक से अत्यधिक कम है अर्थात् उक्त कार्य पर अधिक धन व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण किया गया है । खडंजा मरम्मत का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है । सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक था । राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि "शिव लोहिया टोला पर खडंजा मरम्मत" वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 72699.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने कर लिया है । अतः रु० 72699.00 का आघा भाग रु० 36350.00 प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघा भाग रु० 36350.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 3)

प्रस्तर सं० 37. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में "हरिहरपुर से मस्जिद तक" खडंजा मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शित है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	09/06.06.2015	48320.00	ईट खरीद 7550/6400, फर्म का नाम अंकित नहीं
2.	11/19.06.2015	9274.00	ईट 1000/6400 मिट्टी 39.37 घ0मी0/73
3.	12/16.06.2015	9016.00	मजदूरी 56×161
योग		66610.00	

उपरोक्त किस अनुदान मद से व्यय किया गया है कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त खडंजा स्थल एवं कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया और न ही कोष बही में भुगतान किये गए फर्म का नाम ही अंकित पाया गया, जो अति आवश्यक था । व्यय प्रमाणक के अभाव में खरीदे गए सामग्रियों के न्यूनतम दर की पुष्टि भी नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । खडंजा निर्माण में 7550 ईट रु० 54720.00 में खरीदा गया है, चूँकि खरीद में रु० 20000.00 से अधिक का है अतः कोटेशन प्राप्त कर दर निर्धारित कर खरीद किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, आपत्तिजनक रहा । नियमों का पालन नहीं किया जाना स्वैच्छाचारिता कहलाता है, जो किया गया है । खडंजा निर्माण पर 39.37 घनमीटर मिट्टी खरीद किया गया है, जिस पर नियमानुसार रु० 12.00 प्रति घनमीटर की दर से रु० 472.00 रॉयल्टी की कटौती नहीं कर राज्य सरकार के राजस्व की हानि पहुंचाई गई है, जो आपत्तिजनक रहा । इस खडंजा कार्य का क्षेत्रफल 50×3 मी० अर्थात् 150 वर्गमीटर है जिस पर खडंजा कार्य के पहले 39.37 घनमीटर मिट्टी डाला गया है और फिर से खडंजा बिछाया गया है, जो सत्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 39.37 घनमीटर मिट्टी डालने पर डाले हुए मिट्टी की मोटाई 0.26 मीटर अर्थात् 26 सेमी० होता है जिस पर तत्काल खडंजा बिछाने पर खडंजा धस जायेगा । ईट का आकार (9×4.5×2.5) इंच होता है अर्थात् खडंजे 4.5 इंच (11.25 सेमी०) होता है जो 26 सेमी० मिट्टी डालने के बाद रखने पर धस जायेगा । खडंजा सदैव कठोर सतह को बराबर कर बिछाई जाती है । खडंजा कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है । सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक था । राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि "हरिहरपुर से मस्जिद तक" खडंजा कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 66610.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर लिया है । अतः रु० 66610.00 का आघात रु० 33305.00 प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघात रु० 33305.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 4)

प्रस्तर सं० 38. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में "तीन अदद रैंप निर्माण पर" पर निम्न व्यय दर्शित है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	14/08.06.2015	39993.00	सीमेंट 45/335, मोटा बालू 2. घ०मी०/2335, महीन बालू 5 घ०मी०/1404 तथा लोहे की रेलिंग 180 किलो/70 फर्म का नाम अंकित नहीं
2.	15/30.06.2015	23434.00	ईट 3000/6400, मिट्टी 2 घ०मी०/1679 तथा मिट्टी 12 घ०मी०/73 फर्म का नाम अंकित नहीं
3.	16/30.06.2015	9996.00	मजदूरी 12×350, 36×161
योग		72423.00	

उपरोक्त किस अनुदान मद से व्यय किया गया है कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । रैंप निर्माण कहाँ किया गया है (स्थल) कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त रैंप निर्माण के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त रैंप निर्माण का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 72423.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो आपत्तिजनक रहा । उक्त खरीदे गए सामग्रियों का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया और न ही

कोष बही में भुगतान किये गए फर्म का नाम ही अंकित पाया गया, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । कोष बही में रैंप का आकार एवं लम्बाई, चौड़ाई भी अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । खडंजा कार्य का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है । सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक था । राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि "तीन अदद रैंप" का निर्माण वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 72423.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर लिया है । अतः रु० 72423.00 का आघात भाग रु० 36212.00 प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघात भाग रु० 36212.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 5)

प्रस्तर सं० 39. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में "हरिराम के घर से पक्की सड़क तक" खडंजा मरम्मत (126×3 वर्गमीटर) पर निम्न व्यय दर्शित है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	19/01.09.2015	62880.00	ईट 8000 खरीद/6400, मिट्टी 160 घ०मी०/73 फर्म का नाम अंकित नहीं स
2.	20/08.09.2015	31073.00	मजदूरी, खडंजा उखड़वाई, समतलीकरण एवं चिनाई 193×161

योग 93953.00

उपरोक्त किस अनुदान मद से व्यय किया गया है कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त खडंजा मार्ग एवं खडंजा मरम्मत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । उक्त खडंजा मरम्मत का आकलन पत्र एवं मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि रु० 93953.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो आपत्तिजनक रहा । उक्त व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया और न ही भुगतान किये गए फर्म का नाम ही कोष बही में अंकित पाया गया, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । इस मरम्मत कार्य में 160 घनमीटर मिट्टी खरीद किया गया है, जिस पर नियमानुसार रु० 12.00 प्रति घनमीटर की दर से रु० 1920.00 रॉयल्टी की कटौती नहीं कर राज्य सरकार के राजस्व की हानि पहुंचाई गई है, जो आपत्तिजनक रहा । इस मरम्मत का क्षेत्रफल 126×3 मी० अर्थात् 378 वर्गमीटर है जिस पर मरम्मत के दौरान 160 घनमीटर मिट्टी डाला गया है और खडंजा बिछाया गया है, जो सत्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 378 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 160 घनमीटर मिट्टी डालने पर डाले हुए मिट्टी की मोटाई 0.43 मीटर अर्थात् 43 सेमी० होता है जिस पर तत्काल खडंजा बिछाये जाने पर खडंजा धस जायेगा जो इस मरम्मत कार्य को संदिग्ध बनाता है । खडंजा सदैव कठोर सतह को बराबर कर बिछाई जाती है । कोष बही में दर्शित खडंजा मरम्मत का क्षेत्रफल 378 वर्गमीटर है स नए खडंजा हेतु 57 ईट प्रति वर्गमीटर की दर से 21546 ईट लगता स मरम्मत कार्य नए खडंजे का 10 प्रतिशत ईट ही अनुमन्य है अर्थात् इस खडंजा मरम्मत 2155 ईट ही चाहिए मानक के अनुसार । जबकि 8000 ईट की खरीद की गई है । मानक से 5845 ईट अधिक क्रय दर्शा कर रु० 37408.00 के ग्राम पंचायत धन की क्षति पाई गई जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी हैं । यह ग्राम पंचायत धन के फर्जी समायोजन को भी दर्शाता है । खडंजा मरम्मत का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है । सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक था । राज्य वित्त आयोग/तेरहवां

वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए जो नहीं कराया गया है, आपत्तिजनक रहा तथा इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि "हरिराम के घर से पक्की सड़क तक" खडंजा मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 93953.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर लिया है । अतः रु० 93953.00 का आघात भाग रु० 46776.00 प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघात भाग रु० 46776.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 6)**

प्रस्तर सं० 40. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में खडंजा मरम्मत (स्थल अंकित नहीं) पर निम्न व्यय दर्शित है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	22 / 23.09.2015	35589.00	ईट 4500 / 6400, तथा मिट्टी 93 घ०मी० / 73 फर्म का नाम अंकित नहीं
2.	25 / 23.09.2015	16422.00	मिट्टी समतलीकरण एवं चिनाई मजदूरी 102×161
योग		51961.00	

उपरोक्त किस अनुदान मद से व्यय किया गया है कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था । कोष बही में खडंजा मरम्मत का कार्य स्थल अंकित नहीं किया गया है । जो यह दर्शाता है कि खडंजा मरम्मत धरातल पर नहीं कराया गया है । स्थल का अंकन किया जाना अति आवश्यक था । ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु 51961.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था । खडंजा मरम्मत पर व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया और न ही भुगतान किये गए फर्म का नाम ही अंकित पाया गया, जो अति आवश्यक था । बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है । इस मरम्मत कार्य में 93 घनमीटर मिट्टी खरीदा गया है, जिस पर नियमानुसार रु० 12.00 प्रति घनमीटर की दर से रु० 1116.00 की रॉयल्टी की कटौती नहीं कर राज्य सरकार के राजस्व की हानि पहुंचाई गई है, जो आपत्तिजनक रहा । खडंजा मरम्मत का क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर है जिस पर मरम्मत के दौरान 93 घनमीटर मिट्टी डाला गया है और फिर खडंजा बिछाया गया है, जो सत्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 220 वर्गमीटर में 93 घनमीटर मिट्टी डालने पर डाले हुए मिट्टी की मोटाई 0.42 मीटर अर्थात् 42 सेमी० होता है जिस पर तत्काल खडंजा बिछाने पर खडंजा धस जायेगा । ईट का आकार (9×4.5×2.5) इंच होता है अर्थात् खडंजे 4.5 इंच (11.25 सेमी०) होता है जो 42 सेमी० उंचाई तक मिट्टी डालने के बाद बिछाने पर उसमें धस जायेगा । खडंजा सदैव कठोर सतह को बराबर कर बिछाई जाती है न कि तत्काल मिट्टी भर कर । खडंजा मरम्मत का क्षेत्रफल 378 वर्गमीटर कोष बही में अंकित है । नए खडंजा हेतु 57 ईट प्रति वर्गमीटर अनुमन्य है अर्थात् नया खडंजा उकर क्षेत्रफल पर बनाने पर 12540 ईट लगता । चूंकि खडंजा मरम्मत है जिस पर कुल ईट का 10 प्रतिशत अर्थात् 1254 ईट ही अनुमन्य है जबकि 4500 ईट खरीदा गया है जो मानक से 3246 ईट अधिक है जो यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत धन का अपहरण/दुरुपयोग किया जा रहा है । जो आपत्तिजनक रहा । यह ग्राम पंचायत के संसाधन के फर्जी समायोजन को भी दर्शाता है । खडंजा मरम्मत का सत्यापन एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है, जो इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है । सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक था । राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यों का डीपीसी-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए जो नहीं कराया गया है, जो आपत्तिजनक रहा । उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस खडंजा मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 51961.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण कर

लिया है। अतः रु० 51961.00 का आघा भाग रु० 25981.00 प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघा भाग रु० 25981.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 7)

प्रस्तर सं० 41. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में हैंडपंप मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	18/03.07.2015	32100.00	विवरण व फर्म का नाम अंकित नहीं
2.	25/21.11.2015	9650.00	विवरण व फर्म का नाम अंकित नहीं
	योग	41750.00	

उपरोक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है, कोष बही में अंकित नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था। कोष बही में मरम्मत किये गए हैंडपंपों की संख्या व स्थल अंकित नहीं पाया गया। जिसके अभाव में व्यय किये गए धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति पंजी अथवा ग्राम पंचायत में स्थित हैंडपंपों की संख्या व स्थल की सूची प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त हैंडपंपों की मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था। उक्त हैंडपंप मरम्मत का आकलन पत्र भी नहीं बनाया गया है और न ही एडीओ पी अथवा किसी सक्षम अधिकारी से सत्यापन ही कराया गया है, जो इस कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है। सत्यापन कराया जाना आवश्यक था। जिसके कारण उक्त हैंडपंपों के मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अपेक्षित था। कोष बही में हैंडपंप मरम्मत में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण एवं मात्रा तथा दर भी अंकित नहीं किया गया है, जो अति आवश्यक था। कोष बही में हैंडपंपों के मरम्मत में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण, मात्रा, दर भी अंकित नहीं किया गया है जिसके अभाव में उनके न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो आवश्यक था। फर्म का नाम भी अंकित नहीं पाया गया, जो आपत्तिजनक रहा। उक्त हैंडपंप मरम्मत पर व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया, जो आपत्तिजनक रहा। बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है। कोष बही में उक्त हैंडपंप के मरम्मत पर मजदूरी भुगतान नहीं पाया गया। बिना तकनीशियन एवं मजदूर के हैंडपंप मरम्मत सम्भव ही नहीं है। मजदूरी भुगतान न किया जाना उक्त मरम्मत कार्य को असत्य दर्शाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हैंडपंप मरम्मत वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर रु० 41750.00 का अवास्तविक व्यय कोष बही में दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने कर लिया है। रु० 41750.00 का आघा भाग रु० 20875.00 प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघा भाग रु० 20875.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 8)

प्रस्तर सं० 42. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में प्रमाणक सं० 24 दिनांक 23.09.2015 से रु० 6118.00 का सफाई सामग्री का क्रय दर्शाया गया है। उक्त व्यय किस अनुदान मद से किया गया है अंकित नहीं पाया गया और न ही फर्म का नाम अंकित किया गया है। उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया जिसके अभाव में उक्त खरीद के न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो अति आवश्यक था। बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अवास्तविक भुगतान है। उक्त सफाई सामग्रियों का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण उक्त खरीद में प्राप्त, उपयोग एवं वर्षान्त में अवशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो अति आवश्यक था। स्टॉक पंजी का न बनाया जाना उक्त खरीद को संदिग्ध बनाता है। उल्लेखनीय है कि ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति जिसकी सचिव ए.एन.एम. होती है, के खाते में उक्त कार्य के लिए प्रति वर्ष रु० 10000.00 राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है। ऐसे में एक ही कार्य के लिए दो अनुदानों का व्यय राजकीय धन का दुरुपयोग है। जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त क्रय का सत्यापन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने की पुष्टि भी ग्राम पंचायत के अभिलेखों से नहीं किया जा सका, अति आवश्यक था। उक्त से

स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित सफाई सामग्री वास्तव में खरीदी ही नहीं गई है तथा उस पर रु० 6118.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने अपहरण लिया है ।रु० 6118.00 काआघा भाग रु० 3059.00ग्राम प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघा भाग रु० 3059.00ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से 3059.00ब्याज सहितक्षतिपूर्तिकिया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 9)

प्रस्तर सं० 43. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में निम्न को जमानत राशि वापस करना दर्शाया गया है—

क्र०सं०	प्रमाणक सं० व तिथि	धनराशि	विवरण
1.	10 / 16.06.2015	5000.00	श्री जगदम्बा पाण्डेय, ह्युम पाइप के लिए
2.	17 / 02.07.2015	5000.00	माँ दुर्गा सोलर इंटरप्राइजेज
3.	21 / 09.09.2015	5000.00	उमा ब्रिक्स फील्ड
योग		15000.00	

उक्त जमानत राशि किस वर्ष का है कोष बही में अंकित नहीं पाया गया और न ही जमानत पंजी ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण उक्त जमानत राशि के प्राप्ति की पुष्टि नहीं किया जा सका जो अति आवश्यक था । उक्त जमानत राशि के लिए संबंधित व्यक्तियों के आवेदन तथा धन प्राप्ति का रसीद भी नहीं पाया गया । बिना आवेदन एवं प्राप्ति रसीद के जमानत राशि का भुगतान अवास्तविक भुगतान है, जो आपत्तिजनक रहा । उक्त भुगतान हेतु किसी सक्षम अधिकार अथवा एडीओ पी से अनुमति प्राप्त करने की पुष्टि भी अभिलेखों से नहीं किया जा सका, जो आवश्यक था । उपरोक्त से स्पष्ट है कि जमानत राशि का भुगतान वास्तव में किया ही नहीं गया है तथा कोष बही में उक्त रु० 15000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुग्रीव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे ने कर लिया है ।रु० 15000.00 का आघा भाग रु० 7500.00ग्राम प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघा भाग रु० 7500.00ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहितक्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 10)

प्रस्तर सं० 44. ग्राम पंचायत नौसागर विकास खंड धानी के कोष बही में दिनांक 13.04.2015 को बीआरजीएफ से रु० 475443.00 का अनुदान प्राप्त हुआ है । कोष बही में नियम, शर्तें एवं उद्देश्य अंकित नहीं किया गया है और न ही उक्त से संबंधित पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया । अतः उक्त अनुदान के नियम, शर्तें एवं उद्देश्यों की जानकारी नहीं की जा सकी । जो अति आवश्यक था । आलोच्य वर्ष में उक्त धनराशि का आहरण किया गया है, परन्तु कोई निर्माण/मरम्मत कार्य न करा कर अपहरण कर लिया गया है । जिसका उल्लेख आपत्ति सं० 1 में किया गया है ।रु० 475443.00 का आघा भाग रु० 237722.00ग्राम प्रधान श्री सुग्रीव से एवं आघा भाग रु० 237722.00ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप दुबे से ब्याज सहितक्षतिपूर्ति कर उक्त संस्था को वापस किया जाना राजकीय हित में अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(ख) 11)

मण्डल का नाम—झांसी

जनपद का नाम— जालौन

मण्डल का नाम—झांसी

ग्राम पंचायत— कुसमरा बावनी।**विकास खण्ड— कदौरा।**

प्रस्तर सं०—1—आलोच्य वर्ष 2014—15 व 2015—16 की लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया कि दिनांक 24.03.2015 को चैक सं०— 009203 से रू०— 10900.00 तत्कालीन सचिव श्री सुनील कुमार तथा तत्कालीन प्रधान श्री मलखान सिंह द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से ग्राम निधि खाता सं०— 50045130468 से की गयी निकासी का अंकन आलोच्य 2014—15 की कैशबुक में न दर्शाकर रू०— 10900.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु सचिव/ प्रधान व्यक्तिगत /संयुक्त रूप से पूर्ण जिम्मेदार है। सचिव श्री सुनील कुमार से रू०— 5450.00 एवं तत्कालीन प्रधान श्री मलखान सिंह से रू०— 5450.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०—(21)**ग्राम पंचायत— बरसार।****विकास खण्ड— डकोर।**

प्रस्तर सं०—2—वर्ष 2013—14 में सम्पूर्ण वित्तीय एवं 2014—15 में दिनांक 01.04.14 से 31.07.2014 तक विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरित किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्राम निधि खाता सं०— 3102297370 एवं निर्मल भारत अभियान खाता संख्या— 10760100010256 की आहरित धनराशि रू०— 572892.00 और रू०—182069 और 37953.00 कुल धनराशि 792914.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया है। इस धनराशि के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोषवहीं तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो गम्भीर अनियमितता दर्शाता है। उत्तरदायी सचिव श्री फूल सिंह निरंजन ग्रा०पं०वि० अधिकारी एवं प्रधान श्री हरीराम से ब्याज सहित कुल रू० 792914 की वसूली की जानी अपेक्षित है। खाता सं०— 3102297370 ग्राम निधि की आहरित धनराशि निम्न हैं

वर्ष 2013—14

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
27.04.13	000733	20303.00
27.04.13	000735	6200.00
13.05.13	000734	3000.00
22.05.13	000736	1500.00
30.05.13	000737	10020.00
03.07.13	000738	9600.00
16.08.13	000739	6840.00
16.08.13	0001831	2250.00
26.08.13	000740	10500.00
29.10.13	0001832	15700.00
29.10.13	001833	15700.00
01.11.13	001834	2250.00
18.11.13	—	57.00
08.02.14	001835	2250.00
04.03.14	001836	13071.00
06.03.14	001837	5072.00
20.03.14	001839	13114.00
20.03.14	001840	6000.00
21.03.14	001836	38642.00
	योग—	182069.00

वर्ष 2014—15

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
05.05.14	001841	5000.00
19.05.14	—	113.00
26.06.14	001843	12240.00
01.07.14	001844	14600.00

02.07.14	001842	1000.00
12.07.14	001845	5000.00
	योग-	37953.00

**2- खाता सं०- 10760100010256 निर्मल भारत
वर्ष 2013-14**

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
02.04.13	955155	23500.00
04.04.13	955154	6600.00
12.06.13	955156	60970.00
30.07.13	955157	27900.00
17.09.13	955160	15400.00
19.09.13	955159	23100.00
03.10.13	955161	112000.00
07.12.13	955165	36082.00
07.12.13	955166	27043.00
07.12.13	955162	54684.00
10.12.13	955164	10560.00
11.12.13	955168	83057.00
12.12.13	955167	19600.00
12.12.13	955163	15840.00
13.12.13	955169	56556.00
	योग-	572892.00

मूल आपत्ति सं०- (6)

ग्राम पंचायत- टीकर।

विकास खण्ड- डकोर।

प्रस्तर सं०-3-प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि खाते से वर्ष 2010-11 में रू०- 177612.00 एवं 2011-12 में रू०- 111137.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष पुष्टि में कैशबुक, खाता/बैंक स्टेटमेन्ट एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के कारण उपरोक्त व्यय धनराशि अपुष्ट एवं अनियमित रहें जिसकी पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री हंसराज राजपूत एवं प्रधान श्री खेमचन्द्र से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12	
दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
03.08.10	49875.00	30.04.11	60412.00
03.08.10	58745.00	12.07.11	.12360.00
03.12.10	10540.00	28.08.11	14180.00
20.01.11	36091.00	28.08.11	3000.00
20.01.11	22361.00	10.09.11	7500.00
		16.12.11	3675.00
		03.01.12	3750.00
		06.01 12	6260.00
योग-	177612.00	योग-	111137.00

मूल आपत्ति सं०- (5)

ग्राम पंचायत- बिलौड।

विकास खण्ड- रामपुरा।

प्रस्तर सं०- 4-वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम निधि खाता सं०- 50045906110 में 554003.00 किश्त प्राप्त हुयीं एवं रू०- 993360.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया है किन्तु आहरित धनराशियों के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण जैसे व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो गम्भीर अनियमितता हैं। व्ययों की पुष्टि हेतु कैशबुक बाउचर से पुष्टि करायीं जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री मनीराम ग्रा०पं०वि०अधि० एवं प्रधान श्रीमती सिया देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
03.04.14	152774	5450.00
20.05.14	152780	21500.00
20.05.14	152779	61600.00
22.05.14	152781	21600.00
20.06.14	152784	5000.00
24.06.14	—	360.00
26.06.14	152785	2000.00
05.07.14	152783	11500.00
17.07.14	152787	3100.00
18.07.14	152788	20500.00
23.07.14	152782	1000.00
25.07.14	152786	10500.00
21.09.14	152789	35000.00
06.09.14	152792	16500.00
17.09.14	152791	2000.00
22.09.14	152795	36600.00
22.09.14	152797	11300.00
23.09.14	152796	42300.00
13.10.14	152794	5384.00
14.10.14	152799	3500.00
15.10.14	152793	1500.00
15.10.14	152800	10600.00

18.10.14	021281	16000.00
10.10.14	021282	4500.00
22.10.14	021286	16200.00
22.10.14	021285	16400.00
19.11.14	021288	259876.00
20.11.14	021290	12000.00
20.11.14	021287	2000.00
06.12.14	021289	2000.00
16.12.14	021291	16500.00
16.12.14	021293	9500.00
17.12.14	021292	20500.00
17.12.14	021294	2300.00
27.12.14	021295	30000.00
02.01.15	021299	6500.00
02.01.15	021296	7200.00
02.01.15	021298	3000.00
02.01.15	021297	5000.00
20.01.15	021300	7000.00
23.01.15	—	70.00
23.01.15	—	120.00
28.01.15	022981	11200.00
07.02.15	022982	15200.00
13.02.15	022985	15000.00
13.02.15	022983	25000.00
18.02.15	022984	15000.00
19.02.15	022988	2000.00
20.02.15	022986	13000.00

23.02.15	022987	2000.00
07.10.14	152798	30000.00
25.02.15	022991	15000.00
26.02.15	022989	3000.00
03.03.15	022994	15200.00
03.03.15	022993	10300.00
04.03.15	022992	3000.00
20.03.15	022996	26000.00
23.03.15	022995	3000.00
23.03.15	022998	24000.00
	योग-	993360.00

मूल आपत्ति सं०-(5)

ग्राम पंचायत- सेवडी।

विकास खण्ड- डकोर।

प्रस्तर सं०-05-प्रिया साप्ता में फीडिंग के अनुसार संस्था में वर्ष 2010-11 में रु०- 302670.00 का व्यय किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में कैशबुक, खाता/बैंक स्टेटमेंट एवं व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी। अतः उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट व अनियमित रही जिसकी पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री प्रमोद कुमार यादव एवं प्रधान श्री संजीत कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
26.04.2010	25000.00	07.09.2010	28350.00
30.04.2010	5000.00	07.09.2010	6850.00
30.04.2010	7500.00	31.01.2011	5000.00
30.04.2010	30000.00	09.02.2011	5000.00
30.04.2010	3500.00	20.02.2011	5000.00
30.05.2010	2500.00	10.03.2011	5000.00
03.06.2010	8675.00	20.03.2011	18250.00
03.06.2010	4500.00	22.03.2011	22500.00
03.06.2010	6600.00	22.03.2011	11750.00
03.06.2010	3200.00	22.03.2011	52500.00
03.06.2010	2025.00	24.03.2011	66170.00
05.06.2010	1000.00	योग-	302670.00
16.07.2010	3750.00		
16.07.2010	250.00		

मूल आपत्ति सं०-(5)

प्रस्तर सं०-06-वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्त खाता से दिनांक 05.05.2012 को रु०- 8700.00 की निकासी की गयी थी। जिसमे से दिनांक 15.05.2012 को रु०- 8400.00 की छात्रवृत्ति का विवरण किया गया है। शेष रु०-

300.00 प्रधान द्वारा न तो छात्रवृत्ति खाता में जमा किया गया है और न ही वितरण किया गया है। अतः उक्त अपहरण धनराशि की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री प्रमोद कुमार यादव व प्रधान श्री संजीत कुमार से किया जाना चाहिये।

मूल आपत्ति सं०—(26)

ग्राम पंचायत— ऐर।

विकास खण्ड— डकोर।

प्रस्तर सं०— 7—प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि खाते से वर्ष 2010—11 में रु०— 900808.00 एवं वर्ष 2011—12 में रु०— 237268.00 का व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष पुष्टि में कैशबुक, खाता/बैंक स्टेटमेन्ट एवं व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावलियां आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय राशि अपुष्ट व अनियमित रहें। अतः व्यय राशि की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री रमाशंकर प्रजापति व प्रधान महिपाल से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत हैं

2010—11		2011—12	
दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
17.04.10	15000.00	27.04.2011	26051.00
08.05.10	20500.00	27.04.2011	14451.00
16.05.10	20000.00	28.04.2011	3990.00
20.05.10	25560.00	29.04.2011	34320.00
26.05.10	5000.00	29.04.2011	11140.00
05.06.10	9560.00	29.04.2011	5537.00
10.06.10	9000.00	25.05.2011	7000.00
15.06.10	7600.00	25.05.2011	9600.00
23.06.10	14250.00	25.05.2011	3700.00
28.06.10	10600.00	25.05.2011	7500.00
30.06.10	7700.00	27.05.2011	19520.00
05.07.10	2000.00	21.06.2011	6840.00
05.07.10	49997.00	23.06.2011	14487.00
06.07.10	22596.00	30.06.2011	21487.00
07.07.10	45192.00	17.04.2011	22800.00
28.07.10	3500.00	02.07.2011	2529.00
28.07.10	3500.00	04.07.2011	21856.00
06.08.10	10000.00	अगस्त, 11 से मार्च 12 तक कोई व्यय नहीं।	
12.08.10	10500.00		
18.08.10	9300.00		
23.08.10	5000.00		
21.12.10	35099.00		
26.12.10	6880.00		
27.12.10	6100.00		
20.01.11	64470.00		
28.01.11	15000.00		
04.02.11	15000.00		
05.02.11	19700.00		
12.02.11	25844.00		
12.02.11	24091.00		
12.02.11	27075.00		
12.02.11	25.00		
12.02.11	03.00		

17.02.11	19700.00		
17.02.11	39808.00		
28.02.11	95740.00		
28.02.11	75062.00		
09.03.11	1874.00		
10.03.11	1712.00		
10.03.11	51734.00		
17.03.11	290.00		
17.03.11	1510.00		
योग—	900808.00	योग—	237268.00

मूल आपत्ति सं०—(5)

प्रस्तर सं०— 8—वर्ष 2012-13 में कैशवुक / बैंक पासवुक के अनुसार दिनांक 16.10.2012 को रू०— 24870.00 तथा दिनांक 17.10.2012 को रू०— 10250.00 की निकासी की गयी है। किन्तु कैशवुक के व्यय पक्ष में उक्त निकासी के सापेक्ष कोई व्यय विवरण दर्ज नहीं है। अतः उक्त विवरण रहित अप्रमाणित व्यय का अपहरण संभावित है। अतः तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं प्रधान श्री महिपाल से से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०—(6)

ग्राम पंचायत— सिद्धपुरा।

विकास खण्ड— रामपुरा।

प्रस्तर सं०— 9—वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम निधि सं०— 50046046337 में 676697.00 किश्त प्राप्त हुयीं एवं 1040880.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया है। किन्तु आहरित धनराशियों के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण जैसे व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशवुक तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो गम्भीर अनियमितता है। व्ययों की स्थिति में उत्तरदायी श्री मनीराम ग्रा०पं०वि०अधिकारी / सचिव एवं प्रधान श्री मनोज कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
10.04.2014	014135	30000.00
10.04.2014	014127	2000.00
10.04.2014	014136	25000.00
10.04.2014	014137	10400.00
10.04.2014	014138	25000.00
12.04.2014	014139	16500.00
28.04.2014	014140	85500.00
28.05.2014	018881	30000.00
09.06.2014	018883	13500.00
14.06.2014	—	240.00
16.06.2014	018884	27500.00
25.06.2014	018886	30000.00
01.07.2014	018885	30000.00
21.07.2014	018888	9956.00
22.07.2014	018887	10500.00
26.07.2014	018882	1000.00
06.08.2014	018889	10500.00
21.08.2014	018892	3000.00
21.08.2014	018893	15600.00
25.08.2014	018898	7000.00
25.08.2014	018896	10775.00
25.08.2014	018897	10500.00

26.08.2014	018894	5000.00
01.09.2014	018891	30000.00
01.09.2014	018909	16000.00
10.09.2014	—	70.00
10.09.2014	020761	17000.00
10.09.2014	020762	11500.00
15.09.2014	020763	21500.00
20.09.2014	020764	18500.00
22.09.2014	020766	6725.00
22.09.2014	020765	19040.00
23.09.2014	020768	3100.00
01.10.2014	020769	30000.00
10.10.2014	020770	16400.00
13.10.2014	020767	5384.00
16.10.2014	020771	30000.00
18.10.2014	020773	10500.00
20.10.2014	020774	26200.00
20.10.2014	020775	2000.00
22.10.2014	020778	12600.00
29.10.2014	020780	1800.00
31.10.2014	—	70.00
31.10.2014	020772	15000.00
24.11.2014	020779	5900.00
12.12.2014	021562	18600.00
12.12.2014	021563	23900.00
12.12.2014	021564	18000.00
20.01.2015	021563	6000.00
20.01.2015	—	120.00
23.01.2015	021568	9300.00
03.02.2015	021565	13200.00
05.02.2015	021567	1000.00
19.02.2015	021570	2000.00
23.02.2015	021571	100000.00
27.02.2015	021573	9000.00
18.03.2015	021569	5000.00
18.03.2015	021572	100000.00
18.03.2015	021574	19200.00
26.03.2015	021575	6800.00
	योग—	1040880.00

मूल आपत्ति सं०—(5)

प्रस्तर सं०- 10—आलोच्य वर्ष 2012-13 की कोषवर्षी के अनुसार दिनांक 01.04.2012 को श्री मुन्नालाल प्रधान के पास रू०- 10500.00 छात्रवृत्ति मद की नकद रोकड शेष थी तथा माह मई 2012 में छात्रवृत्ति खाते से रू०- 1,17,360.00 तत्कालीन सचिव श्री छेदालाल एवं तत्कालीन प्रधान श्री मुन्नालाल के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकासी की गयी जिसके सापेक्ष माह में रू०- 1,13,820.00 छात्रवृत्ति वितरण की गयी। वितरण के उपरान्त शेष नकद बची धनराशि रू०- 3,540.00 तथा गत वर्ष की अवशेष रोकड रू०- 10,500.00 सहित कुल छात्रवृत्ति की धनराशि 14,040.00 अनियमित ढंग से रोका गया जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2017 में रू०- 10,500.00 छात्रवृत्ति खाता में नकद वापिस श्री मुन्नालाल प्रधान द्वारा जमा किया गया। इस प्रकार शेष बची धनराशि रू०- 3,540.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मुन्नालाल एवं सचिव श्री छेदालाल से ब्याज सहित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-(21)

ग्राम पंचायत- सुल्तानपुरा।

विकास खण्ड- रामपुरा।

प्रस्तर सं०- 11—वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम निधि सं०- 50045902379 में रू०- 582869 की किश्त प्राप्त हुई एवं रू०- 916325.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया किन्तु आहरित धनराशियों के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, यहां तक केशवुक तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो गम्भीर अनियमितता है। व्ययों की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव/ ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री मनीराम एवं तत्कालीन प्रधान श्री गम्भीर सिंह यादव से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
03.05.2014	016614	30000.00
03.05.2014	016615	10000.00
03.05.2014	016616	5000.00
05.05.2014	016117	5000.00
04.05.2014	016118	10000.00
07.06.2014	016120	21384.00
09.06.2014	016119	19385.00
01.06.2014	019061	125000.00
14.06.2014	019063	25000.00
14.06.2014	019062	16200.00
16.06.2014	019064	5000.00
19.06.2014	019065	171882.00
23.07.2014	019066	1000.00
30.07.2014	019067	16500.00
25.08.2014	019069	56500.00
28.08.2014	019068	56500.00
01.09.2014	019071	3500.00
20.09.2014	019072	6000.00
24.09.2014	—	300.00
14.10.2014	019074	8060.00
15.10.2014	019073	5384.00
16.10.2014	019070	17000.00
18.10.2014	019075	5000.00
18.10.2014	019077	8000.00
12.12.2014	019079	9000.00
15.12.2014	019078	19040.00
16.12.2014	019080	31200.00
16.12.2014	—	70.00

29.12.2014	022461	40000.00
08.01.2015	022463	4500.00
19.01.2015	022464	31000.00
23.01.2015	—	120.00
27.01.2015	022465	37000.00
16.02.2015	022469	13200.00
18.02.2015	022467	16200.00
25.02.2015	022470	5500.00
20.03.2015	022472	38400.00
23.03.2015	022474	15000.00
23.03.2015	022475	28000.00
	योग—	916325.00

मूल आपत्ति सं०— (5)

ग्राम पंचायत— असूपुरा।

विकास खण्ड— कोंच।

प्रस्तर सं०— 12—विगत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक छात्रवृत्ति मद में बैंक में जमा धनराशि रु०— 12006.00 दर्शित/अंकित रही। जबकि शासन के निर्देशानुसार जून 2012 से उक्त मद की धनराशि का संचालन विद्यालय स्तर पर प्रधान/ प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाने का निर्देश है। इस प्रकार सचिव श्री मनीष निरंजन द्वारा उक्त धनराशि को छात्रों में वितरण न कर संबंधित विभाग को वापिस न कर निरन्तर कैशबुक में दर्शित कर अनियमितता की गयी है। जिसको ब्याज सहित वापिस की जाने की कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार निरन्तर कैशबुक में धनराशि दर्शित करके शासन के निर्देशों की अवहेलना की गयी। इस प्रकार सचिव श्री मनीष निरंजन व तत्कालीन प्रधान श्री महेन्द्र सिंह के द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा अपने स्तर से विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (15)

ग्राम पंचायत— कोडाकिर्वाही।

विकास खण्ड— महेवा।

प्रस्तर सं०— 13—आलोच्य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2014 की कैशबुक में 01.04.2014 को छात्रवृत्ति मद में रु० 13074.00 बैंक में जमा दर्शित किया गया। जिस मद का खाता सं० अंकित नहीं किया गया और न ही लेखा परीक्षा में उक्त मद की बैंक पासबुक उपलब्ध करायी गयी जिससे जमा धनराशि पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ जिसकी पुष्टि/प्रविष्टि कैशबुक में अंकित नहीं पायी गयी। जो वित्तीय अनियमितता है।

साथ ही जून 2012 से शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति मद के अभिलेख विद्यालय स्तर पर अनुरक्षित किये जा रहे हैं। तथा उसका संचालन प्रधान/प्रधानाध्यापक के निर्देश है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सचिव को उक्त धनराशि रु०— 13074.00 का वितरण न किये जाने पर संबंधित विभाग को वापिस कर देनी चाहिये थे। परन्तु वापिसी की कार्यवाही न कर कैशबुक में निरन्तर धनराशि दर्शित करके शासन के निर्देशों की अवहेलना की गयी। इस प्रकार तत्कालीन सचिव श्री शिवनाथ पाल द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा जांच कर उक्त धनराशि संबंधित विभाग को वापिसी की कार्यवाही कराते हुये समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (21)

ग्राम पंचायत— चकजगदेवपुर।

विकास खण्ड— डकोर।

प्रस्तर सं०— 14—वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत रु०— 221802.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया है। किन्तु आहरित धनराशियों के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण जैसे कोष वहीं, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो गम्भीर अनियमितता का घटक है। व्ययों की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री जयपाल सिंह ग्रा०प०वि० अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती केशरानी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि

04.05.2010	062535	8000.00
04.05.2010	000001	52000.00
12.05.2010	062535	8500.00
12.05.2010	062536	370.00
22.05.2010	062538	13570.00
05.06.2010	062537	11600.00
10.6.2010	062539	1000.00
14.07.2010	062540	5000.00
21.08.2010	—	2000.00
09.09.2010	029843	26000.00
16.09.2010	029845	7000.00
23.09.2010	029847	1000.00
06.01.2010	029848	13100.00
07.01.2011	029849	4800.00
20.01.2011	029851	5270.00
20.01.2011	029850	4920.00
31.01.2011	029852	1500.00
03.02.2011	029853	3000.00
28.02.2011	—	22.00
01.03.2011	029854	1150.00
07.03.2011	029855	15000.00
08.03.2011	029856	2600.00
10.03.2011	029857	13600.00
10.03.2011	029841	20800.00
	योग—	221802.00

मूल आपत्ति सं०— (27)

प्रस्तर सं०— 15—दिनांक 13.05.2011 को छात्रवृत्ति खाते (खाता संख्या 1977) से रू०— 36600.00 आहरित किया गया जिसे न तो छात्रों में वितरित किया गया और न ही वापस अथवा आगामी माह के प्रारम्भिक रोकड में लिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रू०— 36600.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री जयपाल सिंह एवं प्रधान श्रीमती केशरानी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

मूल आपत्ति सं०— (28)

ग्राम पंचायत — राठौरनपुरा

विकास खण्ड— रामपुरा।

प्रस्तर सं०— 16—वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम निधि खाता सं०— 50046916326 में रू०— 744998.00 किश्त प्राप्त हुईं और रू०— 639860.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया किन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण यथा व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और कोषवही तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री मनीराम ग्राम पं० अधिकारी एवं प्रधान श्री जगराम से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
07.05.2014	015360	11000.00
19.05.2014	018524	2500.00
19.05.2014	018521	20000.00
19.05.2014	018522	26500.00
03.06.2014	018526	30500.00
16.06.2014	018529	35000.00
16.06.2014	018528	18000.00

16.06.2014	018527	75618.00
23.06.2014	018530	4800.00
25.06.2014	018535	5456.00
26.06.2014	018533	15664.00
26.06.2014	018534	23938.00
26.06.2014	018532	46614.00
10.07.2014	018536	2000.00
24.07.2014	018531	1000.00
25.08.2014	018538	30000.00
27.08.2014	018540	35000.00
27.08.2014	018539	30000.00
28.08.2014	018537	60000.00
01.09.2014	018542	15000.00
24.09.2014	018545	21200.00
01.10.2014	018543	21200.00
01.10.2014	018548	6000.00
08.10.2014	018549	5800.00
09.10.2014	018547	10000.00
17.10.2014	018544	19040.00
24.11.2014	018550	2000.00
11.12.2014	018551	15000.00
03.02.2015	018553	7000.00
26.02.2015	018554	2000.00
24.03.2015	018555	18500.00
	बैंक चार्जस	1030.00
	योग-	639860.00

मूल आपत्ति सं०- (5)

ग्राम पंचायत – मिर्जापुर जागीर।

विकास खण्ड- रामपुरा।

प्रस्तर सं०- 17-वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम निधि खात सं०- 50045915908 में रू०- 722892.00 की किश्त प्राप्त हुई एवं रू०- 824568.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया है किन्तु आहरित धनराशियों के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण जैसे कोषवर्ही, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो गम्भीर अनियमितता का घोटक है। उत्तरदायी सचिव श्री मनीराम ग्रा०प० अधिकारी एवं प्रधान श्री मनोज कुमार चतुर्वेदी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
12.04.2014	015914	8000.00
12.04.2014	015912	22600.00
16.04.2014	015913	111000.00
22.04.2014	015915	42500.00
01.05.2014	015917	9800.00
02.05.2014	015916	110500.00
20.05.2014	015919	17800.00
24.06.2014	015920	22000.00
26.07.2014	015918	1000.00
22.08.2014	018482	30000.00
23.08.2014	018481	20000.00

26.08.2014	018484	12500.00
28.08.2014	018486	2000.00
28.08.2014	018489	17500.00
28.08.2014	018485	41500.00
30.08.2014	018484	17600.00
01.09.2014	018490	3500.00
05.09.2014	018491	5000.00
06.09.2014	—	480.00
20.10.2014	018494	17000.00
22.10.2014	018496	34000.00
18.11.2014	018497	20500.00
19.11.2014	018498	4000.00
18.12.2014	018499	20500.00
18.12.2014	—	70.00
19.12.2014	018493	30000.00
31.12.2014	018495	2000.00
23.01.2015	—	120.00
28.01.2015	022501	9000.00
09.02.2015	022502	2000.00
18.02.2015	022505	11200.00
18.02.2015	022504	21200.00
27.02.2015	022509	3000.00
04.03.2015	022506	75798.00
04.03.2015	022507	35100.00
04.03.2015	022510	5500.00
09.03.2015	022508	1000.00
20.03.2015	022511	18000.00
31.03.2015	022512	20100.00
	योग—	824568.00

मूल आपत्ति सं०— (5)

ग्राम पंचायत — हथना बुजुर्ग।

विकास खण्ड— जालौन।

प्रस्तर सं०— 18—आलोच्य वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि चैक सं०— 030942 दिनांक 15.10.2014 को ग्राम निधि खाता सं०— 3099169416 से की गयी निकासी रु०— 3000.00 का लेखा कोषवर्ही में नहीं किया गया है। जिससे उक्त धन के अपहरण होने की पुष्टि होती है। अतः तत्कालीन सचिव श्री चन्द्रभूषण श्रीवास्तव से रु०— 1500.00 तथा तत्कालीन प्रधान श्री उदय नारायण से रु०— 1500.00 से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (23)

प्रस्तर सं०— 19—ग्राम पंचायत हथना बुजुर्ग की कैशबुक में दिनांक 01.04.2014 को निम्न खातों में बैंक में जमा धनराशि दर्शित/ अंकित है।

1— ग्राम निधि खाता सं०— 8335 में रु०— 1486.00

2— छात्रवृत्ति खाता सं०— 8395 में रु०— 169997.00

कुल योग— 171483.00

छात्रवृत्ति मद की धनराशियों को शासन के निर्देशानुसार जून 2012 से ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान से संचालन बन्द कर उसके स्थान पर विद्यालय स्तर से प्रधानाध्यापक/प्रधान के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर दिया गया है जिसके बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा छात्रवृत्ति मद की धनराशि सम्बद्ध विभाग को वापिस करने की कार्यवाही न करके उपरोक्त धनराशि कैशबुक में माह अगस्त-2014 तक निरन्तर दर्शित रही। माह—

सितम्बर ,2014 में खातों में अवशेष जमा उक्त दोनों खातों की धनराशि को शासन को वापिस करना दर्शाया गया है। जो निरन्तर माह सितम्बर 14 से 31.03.2016 तक शून्य दर्शित रहीं। इस प्रकार सन्दर्भित दोनों मदों की अवशेष धनराशि को कैशबुक में बगैर चैक के निर्गत/बगैर विभागीय आदेश के धनराशि को शासन को वापिस दर्शाने से उक्त धनराशि की अपहरण करने की मंशा प्रतीत होती है। इस प्रकार तत्कालीन सचिव द्वारा अपने मर्जी से भ्रामक टिप्पणी अंकित की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री सचेन्द्र भूषण श्रीवास्तव जिम्मेदार है। उक्त धनराशि शासन वापिस करने की कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये। जिस अनियमितता हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कर तत्कालीन सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (24)

ग्राम पंचायत—कुवंरपुर।

विकास खण्ड— कोंच।

प्रस्तर सं०— 20— विगत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक छात्रवृत्ति मद में बैंक में जमा धनराशि रु०— 67117.00 दर्शित/अंकित रहीं। जबकि शासन के निर्देशानुसार जून, 2012 से उक्त मद की धनराशि का संचालन विद्यालय स्तर पर प्रधान/ प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाने का निर्देश है। इस प्रकार सचिव श्री मनीष निरंजन द्वारा उक्त धनराशि को छात्रों में वितरण न कर/ संबंधित विभाग को वापिस न कर निरन्तर कैशबुक में दर्शित कर अनियमितता की गयी है। जिसको ब्याज सहित वापिस की जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार निरन्तर कैश बुक में धनराशि दर्शित करके शासन के निर्देशों की अवहेलना की गयी तथा उक्त धनराशि के दुरुपयोग होने की संभावना रहीं। इस प्रकार सचिव श्री मनीष निरंजन के द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा स्तर से समुचित कार्यवाही करना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (15)

ग्राम पंचायत—गोरा करनपुर।

विकास खण्ड— कोंच।

प्रस्तर सं०—21—विगत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक छात्रवृत्ति मद में बैंक में जमा धनराशि रु०— 8905.00 दर्शित/अंकित रहीं। जबकि शासन के निर्देशानुसार जून, 2012 से उक्त मद की धनराशि का संचालन विद्यालय स्तर पर प्रधान/प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाने का निर्देश है इस प्रकार सचिव श्री मनीष निरंजन द्वारा उक्त धनराशि को छात्रों में वितरण न कर संबंधित विभाग को वापिस न कर निरन्तर कैशबुक में दर्शित कर अनियमितता की गयी है। जिसको ब्याज सहित वापिस की जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार निरन्तर कैशबुक में धनराशि दर्शित करके शासन के निर्देशों की अवहेलना की गयी तथा उक्त धनराशि के दुरुपयोग होने की संभावना रहीं। इस प्रकार सचिव श्री मनीष निरंजन के द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा अपने स्तर से समुचित कार्यवाही करना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (15)

ग्राम पंचायत—कपासी।

विकास खण्ड— डकोर।

प्रस्तर सं०— 22—वर्ष 2012-13 में कैशबुक माह जुलाई,2012 से माह अगस्त,2012 तक की नहीं भरी गयी है। उक्त अवधि में ग्राम निधि खाता सं०— 3101726209 (सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा एट) से कुल रु०— 128817.00 की निकासी की गयी है। व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि का व्यय अनियमित रहा जिसकी पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन सचिव श्री रामप्रकाश पाठक एवं प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अवधि की बैंक से निकासी का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	व्यय धनराशि
24.07.2012	1150.00
24.07.2012	13500.00
06.08.2012	4100.00
06.08.2012	8640.00
08.08.2012	48946.00
08.08.2012	34885.00
27.08.2012	3680.00
28.08.2012	9916.00

28.08.2012	2000.00
30.08.2012	2000.00
योग-	128817.00

मूल आपत्ति सं०- (05)

प्रस्तर सं०- 23-वर्ष 2012-13 दिनांक 24.01.2013 को रू०- 2600.00 एवं दिनांक 27.02.2013 को रू०- 576.00 ग्राम निधि खाता सं०- 310726209 से निकासी किया गया है। किन्तु कैशवुक में उक्त निकासी व व्यय को कोषांकित नहीं किया गया है। अतः उक्त आहरित धनराशि का अपहरण सम्भावित है। जिसकी उत्तरदायी सचिव श्री ईश्वरदयाल श्रीवास्तव एवं प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०- (06)

प्रस्तर सं०- 24-वर्ष 2012-13 में 31.03.2013 को पुरानी ग्राम निधि खाता सं०- 1923 में अवशेष राशि रू०- 5889.00 एवं छात्रवृत्ति खाता सं०- 1922 में अवशेष रू०- 8488.00 को अवशेष रोकड में दर्शित नहीं किया गया है। उक्त अवशेष रोकड को कैशवुक में दर्शित न करके संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है। अतः कैशवुक में रोकड शेष को दर्शित किया जाये अन्यथा हानि के लिये उत्तरदायी सचिव श्री ईश्वर दयाल श्रीवास्तव एवं प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०- (07)

प्रस्तर सं०- 25-वर्ष 2013-14 में कैशवुक में दिनांक 09.07.2013 को मनोज ट्रेडर्स को चैक सं०- 669 से रू०-69840.00 तथा चैक सं०- 670 से रू०- 73560.00 कुल रू०- 143400.00 सी०सी० निर्माण हेतु सामग्री कय का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त सी०सी० निर्माण से संबंधित पत्रावली के अभाव में उक्त निर्माण कार्य कब और कहाँ किया गया पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त निर्माण सामग्री का अपहरण सम्भावित है, जिसकी तत्कालीन प्रधान श्री मती निर्मला देवी व सचिव श्री ईश्वर दयाल श्रीवास्तव उत्तरदायी सचिव से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०- (08)

ग्राम पंचायत- वजीदा।

विकास खण्ड- डकोर

प्रस्तर सं०- 26-ग्राम निधि बैंक पासवुक खाता सं०- 50045809188 (इलाहाबाद बैंक शाखा जिला परिषद उरई) के अनुसार वर्ष 2011-12 में रू०- 654946.00 का आहरण बैंक से किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष संस्था द्वारा कैशवुक, खाता, निर्माण पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय राशि अपुष्ट एवं अनियमित रहें। उक्त व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री बद्री प्रसाद सेन एवं प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

व्यय विवरण निम्नवत है-

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
11.04.2011	98480.00	15.10.2011	2665.00
15.05.2011	15000.00	20.10.2011	6310.00
19.05.2011	26000.00	24.10.2011	7270.00
14.06.2011	3000.00	02.11.2011	10000.0
09.08.2011	55.00	15.11.2011	400.00
11.08.2011	21000.00	15.11.2011	9750.00
12.08.2011	15050.00	17.11.2011	58254.0
29.08.2011	1000.00	29.11.2011	5000.00
29.08.2011	4200.00	08.12.2011	1500.00
29.08.2011	500.00	10.12.2011	7300.00
21.09.2011	36770.00	12.12.2011	5900.00
21.09.2011	16520.00	14.12.2011	22700.0
22.09.2011	11350.00	14.12.2011	63560.0
22.09.2011	24970.00	14.12.2011	9080.00
23.09.2011	9080.00	16.12.2011	6810.00
25.09.2011	1000.00	12.12.2012	1500.00

29.09.2011	880.00	12.12.2012	2100.00
29.09.2011	1000.00	22.12.2012	43652.0
03.10.2011	68100.00	22.12.2012	3240.00
08.10.2011	4000.00	23.03.2012	1300.00
11.10.2011	28700.00	योग—	654946.0

मूल आपत्ति सं०— (5)

ग्राम पंचायत— पाली

विकास खण्ड— कदौरा।

प्रस्तर सं०— 27—आलोच्य वर्ष 2013—14 में छात्रवृत्ति खात सं०— 3557 में बैंक में जमा धनराशि रु०— 4645.00 दर्शित था। वर्ष में प्राप्त ब्याज रु०— 94.00 के उपरान्त कुल धनराशि 4739.00 दिनांक 31.03.2014 तक बैंक में जमा दर्शित रहा। जिसके उपरान्त उक्त धनराशि को कैशवुक में न दर्शाकर और न ही संबंधित विभाग को वापिस न कर उक्त धनराशि को अपहरण की मंशा से प्रवृष्टि न करके अनियमितता एवं दुरुपयोग किया गया। इस प्रकार जून 2012 में शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति मद के अभिलेख विद्यालय स्तर पर अनुरक्षित कर उसका संचालन प्रधान/ प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाना है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सचिव श्री सुनील कुमार द्वारा उक्त धनराशि शासन को वापिस न कर और न ही आगामी वर्ष 2014—15 की कैशवुक में दर्शित न कर अपहरण किये जाने की मंशा प्रतीत होती है। इस प्रकार की गयी अनियमितता एवं दुरुपयोग के संबंध में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना है कि उक्त धनराशि की संबंधित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (21)

ग्राम पंचायत— धगुवांकला

विकास खण्ड— डकोर।

प्रस्तर सं०—28—प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि खाते से वर्ष 2010—11 में कुल धनराशि रु०— 314415.00 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष पुष्टि में कैशवुक/खाता/ बैंक स्टेटमेन्ट एवं व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त अपुष्ट व्यय धनराशि अनियमित रहा। अतः व्यय की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री तुलसी राम राजपूत एवं प्रधान श्री रंजीत सिंह से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। धनराशि व्यय का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
01.04.10	950.00	05.01.11	10000.00
02.04.10	5000.00	07.02.11	3000.00
21.04.10	1150.00	10.02.11	5000.00
14.05.10	49200.00	10.02.11	5000.00
26.05.10	15000.00	11.02.11	3000.00
26.05.10	21000.00	13.02.11	3000.00
01.06.10	14500.00	16.02.11	30000.00
10.06.10	7390.00	20.02.11	19620.00
10.06.10	35600.00	01.03.11	24300.00
15.06.10	12140.00	18.01.11	10000.00
16.06.10	7695.00	29.07.10	12000.00
20.06.10	14500.00	योग	314415.00
20.08.10	5370.00		

मूल आपत्ति सं०— (5)

प्रस्तर सं०—29—वर्ष 2011—12 में बैंक पासवुक खाता सं०— 31555602221 (एस०बी०आई० एट)/ प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार रु०— 498218.00 की निकासी किया गया है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कैशवुक, खाता, निर्माण फाईल/व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय राशि अनियमित रहा। अतः व्यय की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री रमा शंकर प्रजापति एवं प्रधान श्री रंजीत सिंह से से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। धनराशि व्यय विवरण निम्नवत है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि

29.08.11	6750.00	21.02.12	10680.00
08.10.11	8500.00	21.02.12	15460.00
24.10.11	10000.00	27.02.12	1100.00
03.01.12	10560.00	01.03.12	10580.00
03.01.12	22580.00	15.03.12	49880.00
03.01.12	48960.00	15.03.12	5000.00
05.01.12	49896.00	15.03.12	48560.00
05.01.12	48960.00	16.03.12	2000.00
05.01.12	49896.00	योग—	498218.00
05.01.12	48960.00		
05.01.12	49896.00		

मूल आपत्ति सं०— (6)

प्रस्तर सं०—30—वर्ष 2012-13 की कौशवुक माह अप्रैल 12 से न भरके अक्टूबर 12 से (अधूरी) कौशवुक भरी गयी हैं। 1 अप्रैल 12 से 30 सितम्बर 12 के मध्य बैंक पासवुक खाता सं०— 3155602221 (एस०बी०आई० एट) के अनुसार रू०— 234747.00 की निकासी किया गया है। जिसकी पुष्टि में संस्था द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः व्यय अनियमित रहा। व्यय की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री रमा शंकर प्रजापति एवं प्रधान श्री रंजीत सिंह से से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। धनराशि व्यय का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
13.04.2012	8560.00	13.07.12	500.00
01.05.2012	9992.00	14.07.12	5000.00
15.05.2012	730.00	17.07.12	40000.00
18.06.2012	5000.00	17.07.12	25260.00
23.06.2012	15000.00	17.07.12	41925.00
23.06.2012	15000.00	25.08.12	10000.00
23.06.2012	18780.00	25.08.12	9000.00
09.07.2012	15000.00	योग—	234747.00
09.07.2012	15000.00		

मूल आपत्ति सं०— (7)

ग्राम पंचायत—एट ।

विकास खण्ड— डकोर ।

प्रस्तर सं०— 31—प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2010-11 में ग्राम निधि खाता से व्यय रू०— 920844.00 का किया गया है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में संस्था में कौशवुक , खाता/बैंक स्टेटमेन्ट व अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उक्त अप्रमाणित व्यय अनियमित रहा। ऐसी स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्रीमती किरन रावत एवं प्रधान श्री अरविन्द कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
05.04.2010	95200.00	14.06.10	40900.00
05.04.2010	3500.00	05.07.10	15000.00
07.04.2010	1950.00	15.07.10	30000.00
07.04.2010	9550.00	15.07.10	20000.00
07.04.2010	5000.00	08.07.10	20000.00
07.04.2010	10000.00	19.07.10	13000.00
07.04.2010	2000.00	26.07.10	30000.00

19.04.2010	10800.00	26.07.10	5000.00
19.04.2010	20000.00	09.08.10	28000.00
19.04.2010	10000.00	10.09.10	60000.00
23.04.2010	10000.00	22.11.10	70000.00
23.04.2010	10400.00	22.11.10	5000.00
30.04.2010	12000.00	31.12.11	5000.00
30.04.2010	10000.00	04.01.11	25000.00
04.05.2010	1000.00	23.01.11	46535.00
04.05.2010	15000.00	28.01.11	60000.00
22.05.2010	20000.00	14.02.11	30000.00
02.06.2010	20000.00	12.03.11	6475.00
10.06.2010	15000.00	12.03.11	25000.00
10.06.2010	36600.00	17.03.11	17000.00
14.06.2010	20000.00	17.03.11	3558.00
14.06.2010	20000.00	27.03.11	7376.00
		योग—	920844.00

मूल आपत्ति सं०— (5)

प्रस्तर सं०— 32—वर्ष 2011—12 में बैंक पास बुक खाता सं०— 4506000100016335 (पी०एन०बी० शाखा एट) के अनुसार वर्ष में निकासी रू०— 1163079.00 की किया गया हैं किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष पुष्टि में कैशबुक, खाता व व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त अपुष्ट व्यय धनराशि अनियमित रहें जिसकी पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री रमा शंकर प्रजापति एवं प्रधान श्री अरविन्द कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
29.05.2011	38520.00	28.11.11	45880.00
04.06.2011	45500.00	08.12.11	6500.00
04.06.2011	10200.00	22.12.11	10000.00
06.06.2011	4080.00	24.12.11	10560.00
11.06.2011	56300.00	01.01.12	15492.00
20.06.2011	18400.00	01.01.12	30660.00
22.06.2011	82800.00	05.01.12	21360.00
30.06.2011	12300.00	05.01.12	2582.00
05.07.2011	11400.00	05.01.12	10925.00
23.07.2011	49800.00	07.01.12	6860.00
25.07.2011	49800.00	10.02.12	10000.00
25.07.2011	24940.00	17.02.12	5000.00
27.07.2011	49880.00	05.03.12	22360.00
28.07.2011	49880.00	05.03.12	3000.00
30.07.2011	49880.00	05.03.12	2000.00
02.08.2011	49880.00	05.03.12	46960.00
25.08.2011	22620.00	10.03.12	49480.00
03.09.2011	15000.00	12.03.12	48680.00
19.09.2011	49800.00	15.03.12	10480.00

26.09.2011	49800.00	21.03.12	6880.00
30.09.2011	22000.00	27.03.12	10200.00
25.11.2011	15320.00	योग	1163079.00
28.11.2011	8800.00		

मूल आपत्ति सं०- (6)

प्रस्तर सं०- 33-वर्ष 2012-13 में कैशवुक माह 01 अप्रैल 2012 से न भरके माह- अक्टूबर 2012 से (अधूरी) कैशवुक भरी गयी है। 01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के मध्य बैंक पासवुक खाता सं०-4506000100016335(पी०एन०बी० शाखा एट) से निकासी रू०- 1227931.00 की किया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कैशवुक, खाता एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय राशि अपुष्ट रहीं। अतः उक्त व्यय राशि अनियमित रहीं। व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव रमा शंकर प्रजापति एवं प्रधान श्री अरविन्द कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
07.04.2012	10350.00	19.07.12	47800.00
03.04.2012	4464.00	20.07.12	10052.00
03.04.2012	1882.00	20.07.12	10600.00
03.04.2012	1882.00	20.07.12	45834.00
03.04.2012	2582.00	20.07.12	7760.00
30.04.2012	10825.00	21.07.12	1650.00
08.05.2012	49560.00	21.07.12	47731.00
09.05.2012	15000.00	22.07.12	47767.00
14.05.2012	26088.00	16.07.12	48967.00
15.05.2012	25560.00	16.07.12	38560.00
15.05.2012	15440.00	17.07.12	43386.00
18.05.2012	49880.00	18.07.12	49234.00
30.05.2012	15360.00	23.07.12	35484.00
30.06.2012	18380.00	24.07.12	47800.00
30.06.2012	49960.00	25.07.12	19120.00
03.07.2012	48890.00	26.07.12	34765.00
07.07.2012	49590.00	26.07.12	591.00
09.07.2012	49380.00	31.07.12	34000.00
13.07.2012	27840.00	31.07.12	40630.00
14.07.2012	38560.00	31.07.12	7400.00
15.07.2012	5000.00	01.08.12	44581.00
15.07.2012	49756.00	योग	1227931.00

मूल आपत्ति सं०- (7)

ग्राम पंचायत- सोमई।

विकास खण्ड- डकोर।

प्रस्तर सं०- 34-प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि खाते से वर्ष 2010-11 में रू०- 650121.00 एवं वर्ष 2011-12 में रू०- 378583.85 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में कैशवुक, खाता/बैंक पासवुक एवं व्यय प्रमाणक/ निर्माण पत्रावलियां आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री पुष्पेन्द्र त्रिपाठी एवं प्रधान श्रीमती पूजा देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

2010-11		2011-12	
दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
15.04.10	15000.00	01.04.11	47996.85
14.05.10	2800.00	08.08.11	22500.00
25.05.10	114000.00	09.08.11	4200.00
13.07.10	9500.00	18.10.11	6000.00
23.07.10	1500.00	25.10.11	8500.00
13.09.10	10000.00	21.11.11	9600.00
22.09.10	5800.00	16.12.11	4800.00
15.07.10	18500.00	27.12.11	13800.00
27.07.10	40000.00	12.01.12	50.00
18.07.10	2000.00	12.01.12	18900.00
04.08.10	31000.00	23.01.12	72708.00
04.08.10	29000.00	25.01.12	4500.00
04.09.10	30000.00	01.02.12	31146.00
22.11.10	5800.00	01.02.12	6500.00
11.01.11	19520.00	03.02.12	38690.00
24.01.11	9500.00	02.03.12	4500.00
11.02.11	20000.00	07.03.12	5040.00
24.02.11	399301.00	24.03.12	2800.00
08.03.11	3000.00	24.03.12	12800.00
		28.03.12	50553.00
		29.03.12	13000.00
योग	650121.00	योग	378583.85

मूल आपत्ति सं०- (5)

प्रस्तर सं०- 35-वर्ष 2012-13 के कैशबुक माह 01 अप्रैल 2012 से न भर करके माह अक्टूबर 2012 से अधूरी भरी गयी है। 01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के मध्य ग्राम निधि खाता सं०- 50045683265 से रू०- 358367.00 की निकासी की गयी हैं जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक व निर्माण पत्रावलियां प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी सचिव श्री पुष्पेन्द्र त्रिपाठी एवं प्रधान श्रीमती पूजा देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	आहरित धनराशि	दिनांक	आहरित धनराशि
03.04.12	44282.00	05.06.12	181440.00
21.04.12	3000.00	16.06.12	9000.00
14.05.12	8100.00	03.05.12	10200.00
17.05.12 (1291x5)	6455.00	17.07.12	7200.00
17.05.12	78202.00	18.07.12	14050.00
29.05.12	7000.00	19.07.12	26088.00
19.05.12	25600.00	19.07.12	42696.00
02.06.12	5900.00	07.12 से 30.07.12 तक (1291x5)	6455.00
08.06.12	45995.00	योग	358367.00

मूल पत्ति सं०- (6)

ग्राम पंचायत—बनफरा।**विकास खण्ड—डकोर।**

प्रस्तर सं०— 36—वर्ष 2010—11 के अन्तर्गत रू०— 82836.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया है किन्तु आहरित धनराशियों के सापेक्ष व्ययों से संबंधित कोई विवरण जैसे कोष वहीं, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो गम्भीर अनियमितता का घोटक है। व्ययों की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव/ ग्रा०पं०वि० अधि० श्री रामप्रकाश पाठक व ग्राम प्रधान श्री जगदीश सिंह से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि
19.05.10	027882	8000.00
22.05.10	027883	5000.00
01.07.10	027884	5000.00
01.07.10	027885	5000.00
21.07.10	027886	8000.00
20.12.10	027877	8437.00
22.12.10	027888	5000.00
22.12.10	027889	2500.00
17.01.11	027890	1000.00
12.02.11	027891	2000.00
01.03.11	027893	10000.00
17.03.11	027881	22877.00
17.03.11	—	22.00
	योग	82836.00

मूल आपत्ति सं०— (29)

प्रस्तर सं०— 37—वर्ष 2012—13 में दिनांक 05.04.2012 को छात्रवृत्ति मद की धनराशि रू०— 6600.00 को हैण्डपम्प सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है जो कि सर्वथा अनुचित है। उपयोग में न होन की दशा में छात्रवृत्ति मद की धनराशि संबंधित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित होता है। इस प्रकार छात्रवृत्ति की अवशेष को हैण्डपम्प मद में व्यय करके धन की अनियमितता बरती गयी है। जिसकी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश सिंह व सचिव श्री राम प्रकाश पाठक से से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (30)

ग्राम पंचायत— सिम्हारा कासिमपुर**विकास खण्ड— महेवा।**

प्रस्तर सं०—38—आलोच्य वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2014 की कैशवुक में 01.04.2014 को छात्रवृत्ति मद में रू०— 57282.00 बैंक में जमा दर्शित किया गया। जिस मद का खाता संख्या अंकित नहीं किया गया और नहीं लेखा परीक्षा में उक्त मद की बैंक पासवुक उपलब्ध करायी गयी जिससे जमा धनराशि पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ जिसकी पुष्टि/प्रविष्टि कैशवुक में अंकित नहीं पायी गयी। जो वित्तीय अनियमितता है। साथ ही जून 2012 से शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति मद के अभिलेख विद्यालय स्तर पर अनुरक्षित किये जा रहे हैं। तथा उसका संचालन प्रधान/प्रधानाध्यापक के निर्देश है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सचिव को उक्त धनराशि रू०— 57282.00 का वितरण न किये जाने पर संबंधित विभाग को वापिस कर देनी चाहिये थी। परन्तु वापिसी की कार्यवाही न कर कैशवुक में निरन्तर धनराशि दर्शित करके शासन के निर्देशों की अवहेलना की गयी तथा जिससे धनराशि के दुरुपयोग होने की संभावना है। इस प्रकार तत्कालीन सचिव श्री शिवनाथ पाल के द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा जांच कर उक्त धनराशि संबंधित विभाग को वापिस ब्याज सहित वापिसी की कार्यवाही कराते हुये समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०— (21)

ग्राम पंचायत –दौन

विकास खण्ड– कुठौन्द ।

प्रस्तर संख्या– 39—आलोच्य वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि छात्रवृत्ति खाता संख्या –4506 में बैंक में जमा छात्रवृत्ति की धनराशि रू0– 1660.00 यथावत कैशबुक में दर्शायी जा रही है। जबकि शासन के निर्देशों/ आदेशानुसार जून 2012 से छात्रवृत्ति मद का संचालन विधालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/ प्रधान द्वारा किया जाना निश्चित किया गया है। उक्त अवधि से छात्रवृत्ति मद के अभिलेख भी विधालय स्तर पर अनुरक्षित किये जाने के निर्देश है। साथ ही अवितरित छात्रवृत्ति को संबंधित विभाग को वापिस किये जाने का प्राविधान है किन्तु तत्कालीन सचिव श्री ख्यालीराम पाल द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि 1660.00 का प्रधानाध्यापक के माध्यम से न तो छात्रों को वितरण कराया गया एवं न ही संबंधित विभाग को धनराशि वापिस की गयी जिससे धनराशि एवं उस पर निर्धारित ब्याज से राजकीय राजस्व की क्षति की जा रही है इससे के लिये संबंधित सचिव श्री ख्यालीराम पाल पूर्णतया जिम्मेदार है।

अतः श्री ख्यालीराम पाल सचिव से निर्धारित बैंक में जमा धनराशि तथा उस पर प्राप्त ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि संबंधित विभाग को वापिस किये जाने की राजस्व की भांति कार्यवाही की जानी चाहिये। इस प्रकार सचिव द्वारा की गयी अनियमितता की जांच करते हुये समुचित कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0– (21)

जनपद का नाम —झांसी

मण्डल का नाम —झांसी

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत —अमरौख

प्रस्तर —1 वर्ष 2014-15 की कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 3780.00 छात्रवृत्ति हेतु एवं शिक्षा निधि खाते में रु 82062.00 धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः तत्कालीन प्रधान श्री चन्द्रभान राय द्वारा रु 3780.00 शिक्षा निधि खाते में एवं समस्त धनराशि रु 3780.00 तथा 82062.00 कुल रु 85842.00 अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत —अमरौख

प्रस्तर —2 वर्ष 2014-15 की कैशबुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 150.00 ग्राम निधि के थे जोकि माह अगस्त-12 से यथावत जमा हैं। उक्त की वसूली पूर्व प्रधान श्री चन्द्रभान राय से करके ग्राम निधि में जमा किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत — अटा

प्रस्तर —3 कैश बुक के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक पूर्व प्रधान श्री चन्दू के पास नकद रु 60.00 जोकि छात्रवृत्ति से सम्बन्धित है अनियमित रूप से यथावत रखा जा रहा है। उक्त धनराशि पूर्व प्रधान श्री चन्दू द्वारा शिक्षा निधि खाते में जमा किया जाना चाहिये एवं शिक्षा निधि खाते की समस्त धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत — अटरिया

प्रस्तर —4 31.03.2016 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाता सं०— 6320 डीसीबी मौठ में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 39080.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत — बडैरा

प्रस्तर —5 31.12.2015 कैश बुक के अनुसार पूर्व प्रधान श्री सुरेश कुमार के पास छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि रु 7100.00 नकद थी जिसे शिक्षानिधि खाते में नहीं जमा किया गया। उक्त धनराशि को शिक्षानिधि खाते में और शिक्षानिधि खाते की समस्त धनराशि शासन/विभाग को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत — बम्हरोली

प्रस्तर —6 कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 1825.00 छात्रवृत्ति हेतु एवं शिक्षा निधि खाते में रु 102975.00 धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः तत्कालीन प्रधान श्री नरायण सिंह द्वारा रु 1825.00 शिक्षा निधि खाते में एवं समस्त धनराशि रु 1825.00 तथा 102975.00 कुल रु 104800.00 अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत — बरथरी

प्रस्तर —7 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 47342.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – बसोवई**

प्रस्तर –8 कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 5100.00 छात्रवृत्ति हेतु एवं शिक्षा निधि खाते में रु 36575.000 धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः तत्कालीन प्रधान श्रीमती राकेश कुमारी द्वारा रु 5100.00 शिक्षा निधि खाते में एवं समस्त धनराशि रु 5100.00 तथा 36575.00 कुल रु 41675.00 अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत –बेलमाकला**

प्रस्तर –9 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 67480.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – भरोसा**

प्रस्तर –10 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि अप्रयुक्त है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 1723.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – भौराघाट**

प्रस्तर –11 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा कैश बुक/खाता रजिस्टर में भी नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 169650.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – भुजौंद**

प्रस्तर –12 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा कैश बुक/खाता रजिस्टर में भी नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 20820.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत –बुढावली**

प्रस्तर –13 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 1920.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – छपार**

प्रस्तर –14 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर के अनुसार चेक सं0-000142 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा रु 24490.00 श्री कमलेश कुमार प्रधान को मजदूरी भुगतान हेतु निर्गत की गई जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त चेक से रु 24990.00 आहरित किये गये। इस प्रकार अन्तर रु 500 का लेखा न तो कैशबुक और न ही खाता रजिस्टर में रखा गया। अतः रु 500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कमलेश कुमार से करके ग्राम निधि खाते में जमा किया जाना चाहिये।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – चितगुंवा

प्रस्तर 15 दिनांक 13.06.2014 को रु 15000 एवं दिनांक 21.06.2014 को रु 9984 कुल रु 24984 घूरे की सफाई एवं नालियों की सफाई पर व्यय किये गये जबकि उक्त सफाई का कार्य ग्राम पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मचारी से कराये जाने चाहिये। अतः उक्त मद में किया गया व्यय अनियमित है जिसके आधे रु 12492 की वसूली पूर्व प्रधान श्रीमती रामकुमारी से एवं आधे की ब्याज सहित वसूली पूर्व सचिव श्री बृजेश निगमानी से करके ग्राम निधि में जमा किया जाना चाहिये।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – इमिलिया

प्रस्तर –16 कैश बुक के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक पूर्व प्रधान श्री झुण्डीलाल के द्वारा नकद रु 3400.00 छात्रवृत्ति का अनियमित रूप से रखा गया है जिसे शिक्षानिधि में जमा किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – इमिलिया

प्रस्तर –17 ग्राम पंचायत के शिक्षा निधि खाते में रु 37653.00 विगत अनेक वर्षों से पूर्व प्रधान श्री झुण्डीलाल एवं सचिव श्री महेश राजपूत द्वारा अनियमित रूप से यथावत जमा रखा गया है जिसका न तो उपयोग किया गया और न ही सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया गया। उक्त का लेखा भी कैश बुक में नहीं रखा गया है। अतः शिक्षा निधि में जमा समस्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – जौरा

प्रस्तर –18 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 64919.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – खजूरी

प्रस्तर –19 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 35340.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – खिल्ली

प्रस्तर –20 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 27908.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – खिल्ली

प्रस्तर –21 वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 17/07/2013 को रु 55000.00 नाला सफाई पर व्यय किया गया जबकि ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। अतः उक्त मद में किया गया व्यय अनियमित है जिसके आधे रु 27500 की वसूली ग्राम प्रधान श्री देवीदयाल एवं आधे रु

27500 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से करके ग्राम निधि में जमा किया जाना चाहिये।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – कुम्हारार

प्रस्तर –22 कैश बुक के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2014–15 से पूर्व प्रधान श्री अनिल के पास नकद रु 4020.00 विगत अनेक वर्षों से अनियमित रूप से रखा जा रहा है जिसे पूर्व प्रधान श्री अनिल द्वारा शिक्षा निधि खाते में जमा किया जाना चाहिये और शिक्षा निधि की समस्त धनराशि सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत –लावन

प्रस्तर –23 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 4129.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – मडोरा खुर्द

प्रस्तर –24 कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 11540.00 छात्रवृत्ति हेतु एवं शिक्षा निधि खाते में रु0 15545.00 धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः तत्कालीन प्रधान श्रीमती विलेश कुमारी द्वारा 115440.00 शिक्षा निधि खाते में एवं समस्त धनराशि रु0 11540.00 तथा 15545.000 कुल रु0 27085.00 अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – तालौड

प्रस्तर –25 दिनांक 13.05.2015 को समाधिया ट्रेडस को रु0 19900.00 का भुगतान किया गया जिसका लेखा न तो कैश बुक में किया गया न ही खाता रजिस्टर में। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का तत्कालीन प्रधान श्रीमती रजनी देवी एवं सचिव श्री सतीश चन्द्र द्वारा अपहरण किया गया। अतः अपहरण की धनराशि का आधा रु0 9950.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती रजनी देवी एवं रु0 9950.00 तत्कालीन सचिव / ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र द्वारा ब्याज सहित ग्राम निधि में जमा किया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – तालौड

प्रस्तर –26 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक / खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु0 44133.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत –महेलुवा

प्रस्तर –27 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 1485.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ

ग्राम पंचायत – पनारी

प्रस्तर – 28 कैश बुक के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक पूर्व प्रधान श्रीमती रेखा देवी के द्वारा नकद रु 1425.00 छात्रवृत्ति का अनियमित रूप से रखा गया है जिसे शिक्षा निधि में जमा किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – पनारी**

प्रस्तर –29 ग्राम पंचायत के शिक्षा निधि खाते में रु 37585.00 विगत अनेक वर्षों से अनियमित रूप से यथावत जमा हैं जिसका न तो उपयोग किया गया और न ही सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया गया इसके प्रति पूर्व प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं सचिव श्री महेश राजपूत उत्तरदायी हैं। उक्त का लेखा भी कैश बुक में नहीं रखा गया है। अतः शिक्षा निधि में जमा समस्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – पाण्डौरी**

प्रस्तर –30 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा कैश बुक/खाता रजिस्टर में भी नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 66590.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – पूछ**

प्रस्तर –31 दिनांक 24.03.2015 को चेक सं0-999275 का कैश बुक में रु 22500 का लेखा पारित किया गया है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 22572 का भुगतान किया गया। इस प्रकार रु 72.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अरविन्द श्रीवास्तव से करके ग्राम निधि में जमा किया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – पुलगहना**

प्रस्तर –32 कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 1620.00 छात्रवृत्ति हेतु एवं शिक्षा निधि खाते में रु 11440.000 धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः तत्कालीन प्रधान श्रीमती विमलेश कुमारी द्वारा रु 1620.00 शिक्षा निधि खाते में एवं समस्त धनराशि रु 1620.00 तथा 11440.00 कुल रु 13060.00 अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – पुलिया**

प्रस्तर –33 धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 24020.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – रेव**

प्रस्तर –34 दिनांक 01.04.2014 को कैशबुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 2034.00 थे जिसमें रु 600.00 छात्रवृत्ति तथा शेष ग्राम निधि के थे। अवशेष छात्रवृत्ति की शिक्षानिधि खाते में जमा न करके दिनांक 04.07.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय कर दिया गया। अतः रु 600.00 की वसूली प्रधान श्री हरदेव सिंह से करके शिक्षानिधि खाते में जमा किया जाना चाहिये तथा शिक्षानिधि की समस्त धनराशि शासन/विभाग को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – सौजना**

प्रस्तर –35 वर्ष 2015-16 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा कैश बुक/खाता रजिस्टर में भी नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 18442.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत –सौराई**

प्रस्तर –36 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 20500.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – सेना**

प्रस्तर –37 कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 1920.00 छात्रवृत्ति हेतु एवं शिक्षा निधि खाते में रु 39314.00 धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा भी कैश बुक/खाता रजिस्टर में नहीं रखा गया है। अतः तत्कालीन प्रधान श्री हरदास द्वारा रु 1920.00 शिक्षा निधि खाते में एवं समस्त धनराशि रु 1920.00 तथा 39314.00 कुल रु 41234.00 अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – सेरसा**

प्रस्तर –38 दिनांक 01.04.2015 को कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद रु 15575.00 थे जिसमें से रु 4925.00 छात्रवृत्ति एवं रु 10650.00 ग्राम निधि के थे। पूर्व सचिव श्री ओमकारेश्वर यादव द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि पूर्व प्रधान श्री रमेश चन्द्र के पास शेष है जो कि वर्ष 2011-12 में कार्यरत थे और बाद में उन्हें पदच्युत कर दिया गया था किन्तु पूर्व प्रधान के द्वारा नकद रु 15575.00 अब तक जमा नहीं किया गया। अतः पूर्व प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं पूर्व सचिव श्री ओमकारेश्वर से रु 15575.00 की वसूली ब्याज सहित कर रु 4925.00 शिक्षानिधि खाते में एवं रु 10650.00 ग्राम निधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – शाहजहाँपुर**

प्रस्तर –39 आलोच्य वर्षों में छात्रवृत्ति की धनराशि रु 6360.00 पूर्व प्रधान श्रीमती गिरिजा देवी द्वारा अनियमित रूप से नकद रखा जा रहा है और नकद धनराशि को नवनिर्वाचित प्रधान श्री उमाशंकर को चार्ज में भी नहीं दिया गया। उक्त धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण पूर्व प्रधान श्रीमती गिरिजा देवी द्वारा शिक्षानिधि खाते में जमा की जानी चाहिये और शिक्षानिधि खाते की समस्त धनराशि शासन/विभाग को वापस की जानी चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – सिकन्दरा**

प्रस्तर –39 जा रही है और उक्त धनराशि की नवनिर्वाचित प्रधान को हस्तान्तरित भी नहीं कराया गया। अतः रु 27890.00 की वसूली पूर्व प्रधान श्री मती कस्तूरी देवी से करते हुये धनराशि को शिक्षानिधि खाते में जमा किया जाना चाहिये एवं खाते में जमा समस्त धनराशि को अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – सिमिरिया**

प्रस्तर –41 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा कैश बुक/खाता रजिस्टर में भी नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 8495.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड मौठ**ग्राम पंचायत – टोडी**

प्रस्तर –42 छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा निधि खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है और खाते में जमा धनराशि का लेखा कैश बुक/खाता रजिस्टर में भी नहीं रखा गया है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 79696.00 को अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड – बामौर**ग्राम पंचायत – इस्किल बुजुर्ग**

प्रस्तर —43 ग्राम पंचायत इस्किल बुजुर्ग विकास खण्ड बामौर झांसी के वर्ष 2015—16 की कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 94090100023057 सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक शाखा — करगृवां में रु० 42875.00 अवशेष है, जिसे तत्काल ब्याज सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये । इसके लिये श्री महीपत सिंह (सचिव) व श्री सुरेन्द्र बहादुर (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड — बामौर

ग्राम पंचायत — लमेरा

प्रस्तर —44 ग्राम पंचायत लमेरा विकास खण्ड बामौर (झांसी) के वर्ष 2015—16 की कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 11590157570 एस०बी०आई० एरच में रु० 17265.00 अवशेष है, जिसे तत्काल ब्याज सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये । इसके लिये श्री महीपत सिंह (सचिव) व श्री पूरनलाल (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड — बामौर

ग्राम पंचायत — गेंदा कबूला

प्रस्तर —45 ग्राम पंचायत गेंदा कबूला विकास खण्ड बामौर (झांसी) के वर्ष 2015—16 की कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 11590157536 एस०बी०आई० एरच में रु० 1313.21 अवशेष है, जिसे तत्काल ब्याज सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये । इसके लिये श्री महीपत सिंह (सचिव) व श्रीमती कान्ति (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड — बामौर

ग्राम पंचायत — शमशेरपुरा

प्रस्तर —46 ग्राम पंचायत शमशेरपुरा विकास खण्ड बामौर झांसी के वर्ष 2015—16 की कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 94140100021606 सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक में रु० 91173.00 अवशेष है, जिसे तत्काल ब्याज सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये । इसके लिये श्री महीपत सिंह (सचिव) व श्री रामकिशन (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड — बामौर

ग्राम पंचायत — डिकोली

प्रस्तर —47 ग्राम पंचायत डिकोली विकास खण्ड बामौर (झांसी) के वर्ष 2015—16 की कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 11590157490 एस०बी०आई० एरच में रु० 23705.21 अवशेष है, जिसे तत्काल ब्याज सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये। इसके लिये श्री महीपत सिंह (सचिव) व श्रीमती देवकुमारी (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड — बंगरा

ग्राम पंचायत — सकरार

प्रस्तर —48 ग्राम पंचायत सकरार विकास खण्ड बंगरा के वर्ष 2015—16 की कोषवही में अन्तिम अवशेष प्रधान नकद रु० 4080.00 पूर्व प्रधान के पास है । उक्त धनराशि पूर्व प्रधान श्रीमती गीता देवी ने वर्तमान प्रधान को चार्ज मे नही दी है । अतः रु० 4080.00 की ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान श्रीमती गीता देवी से की जानी चाहिये ।

विकास खण्ड — बंगरा

ग्राम पंचायत —निनौरा

प्रस्तर —49 ग्राम पंचायत निनौरा विकास खण्ड बंगरा (झांसी) के वर्ष 2015—16 के कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 5040 कोआपरेटिव बैंक बंगरा में रु० 19555.00 अवशेष है जिसे तत्काल ब्याज सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये। इसके लिये श्री जुवैर हसन (सचिव) व श्री मातादीन (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड — बंगरा

ग्राम पंचायत — मगरपुर

प्रस्तर —50 ग्राम पंचायत मगरपुर विकास खण्ड बंगरा (झांसी) के वर्ष 2015—16 के कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 5031 कोआपरेटिव बैंक बंगरा में रु० 68730 अवशेष है जिसे तत्काल ब्याज सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये । इसके लिये श्री जुवैर हसन (सचिव) व श्रीमती कपूरीदेवी (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड — बंगरा

ग्राम पंचायत — सिजारो

प्रस्तर —51 ग्राम पंचायत सिजारो विकास खण्ड बंगरा (झांसी) के वर्ष 2015—16 के कोषवही में छात्रवृत्ति खाता सं० 9424010004295 सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक शाखा उल्दन में रु० 79742.00 अवशेष है जिसे तत्काल ब्याज

सहित समाज कल्याण विभाग को वापिस किया जाना चाहिये । इसके लिये श्री आलोक चतुर्वेदी (सचिव) व श्री रणवीर पटेल (प्रधान) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड – बंगरा

ग्राम पंचायत – खिसनी बुजुर्ग

प्रस्तर –52 ग्राम पंचायत खिसनी बंजुर्ग विकास खण्ड बंगरा के वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि पी0एन0वी खाता सं0 00159085 से कुल निकासी धनराशि रू0 640461.55 है । जबकि कोषवही में उक्त खाते से आयपक्ष में कुल धनराशि रू0 398878.55 की दिखायी गयी है इस प्रकार से व्यय पासबुक की निकासी व कोषवही की आय में रू0 241583.00का अंतर है । इस प्रकार से रू0 241583.00का अपहरण सम्बन्धित सचिव श्री ओम प्राश निरंजन (सचिव) व प्रधान श्री तुलसीराम द्वारा किया गया है । अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित श्री ओम प्राश निरंजन (सचिव) व प्रधान श्री तुलसीराम से की जानी चाहिये ।

सम्बन्धित चैको की धनराशि, तिथि व चैक संख्या का विवरण

क्रमांक	तिथि	चैक संख्या	धनराशि
1	21.08.2014	930779	10000.00
2	26.08.2014	930780	2196.00
3	17.10.2014	930787	20400.00
4	18.10.2014	930789	5000.00
5	31.10.2014	930790	10000.00
6	31.10.2014	930791	10000.00
7	3.11.2014	930788	3000.00
8	7.11.2014	930795	47385.00
9	7.11.2014	930794	47960.00
10	7.11.2014	930798	15750.00
11	10.11.2014	930797	7000.00
12	10.11.2014	930796	24492.00
13	22.12.2014	930799	33400.00
14	08.1.2015	930800	5000.00
	योग		241583.00

विकास खण्ड – चिरगांव

ग्राम पंचायत – बघैरा

प्रस्तर –53 पूर्व प्रधान श्री मानसिंह के पास छात्रवृत्ति मद की नकद धनराशि रू0 600.00 विगद वर्ष से कैश इनहैण्ड चली आ रही है जिसको न तो सम्बन्धित खाते में जमा किया गया एवं न ही नव निर्वाचित प्रधान को चार्ज में हस्तान्तरित किया गया है । इस प्रका पूर्व प्रधान श्री मानसिंह के द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया है । अतः पूर्व प्रधान श्री मानसिंह से रू0 600.00 की ब्याज सहित वसूली कर सम्बन्धित विभाग को वापिस किया जाना अपेक्षित है

विकास खण्ड – चिरगांव

ग्राम पंचायत – विठरी

प्रस्तर –54 दिनांक 31.03.2015 को पूर्व प्रधान श्रीमती अनीता देवी के पास नकद रोकड शेष रू0 4929.00 थी जिसको वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रारम्भ में कैश बुक में शून्य दर्शा कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान श्रीमती अनीता देवी से की जानी अपेक्षित है ।

मण्डल का नाम –झॉसी

जनपद का नाम – ललितपुर

मण्डल का नाम –झॉसी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

ग्राम पंचायत— जमौरा माफी

विकास खण्ड— जखौरा

प्रस्तर— 1

दिनांक 04.06.2015 को कोषबही में फोटो कापी का भुगतान रु० 2000.00 दर्शित किया गया है जिसकी जाँच में पाया गया कि दिनांक 04.06.2015 को ग्राम निधि खाता संख्या 100101523 से चैक सं० 300664 बाउचर संख्या 05 के द्वारा रु० 2000.00 का भुगतान श्री जयपाल को किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । जिससे रु० 2000.00 का फर्जी भुगतान कोषबही में दिखाकर उक्त धनराशि रु० 2000.00 का अपहरण किया गया है ।

अतः उक्त धनराशि रु० 2000.00 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रह्म कुमार रिछारिया से रु० 1000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश से रु० 1000.00 कुल 2000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 20

ग्राम पंचायत— मसौरा कला

विकास खण्ड— जखौरा

प्रस्तर— 2

दिनांक 29.09.2015 को कोषबही में हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान रु० 6000.00 दर्शित किया गया है जिसकी जाँच में पाया गया कि दिनांक 29.09.2015 को ग्राम निधि खाता सं० 3101718528 से चैक सं० 045808, बाउचर संख्या 18 के द्वारा रु० 6000.00 का भुगतान श्री अमरेश को किया गया था जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे रु० 6000.00 का फर्जी भुगतान कोषबही में दिखाकर उक्त धनराशि रु० 6000.00 का अपहरण किया गया है । अतः उक्त धनराशि रु० 6000.00 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमित सिंघई से रु० 3000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता कुशवाहा से रु० 3000.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 20

ग्राम पंचायत— दैलवारा

विकास खण्ड— जखौरा

प्रस्तर— 3

दिनांक 06.04.2015 को कोषबही में स्टेशनरी कय का भुगतान रु० 1850.00 दर्शित किया गया है जिसकी जाँच में पाया गया कि दि० 06.04.2015 को ग्राम निधि खाता सं० 3101720309 से चैक सं० 36798 बाउचर सं० 01 के द्वारा रु० 1850.00 का भुगतान श्री अरविन्द कुमार को किया गया । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे रु० 1850.00 का फर्जी भुगतान कोषबही में दिखाकर उक्त धनराशि रु० 1850.00 का अपहरण किया गया है । अतः उक्त धनराशि रु० 1850.00 की सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमित जैन एक से रु० 925.00 एवं ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र से रु० 925.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 2

ग्राम पंचायत— सीरोन कलां

विकास खण्ड— जखौरा

प्रस्तर— 4

दिनांक 24.04.2015 को कोषबही में ग्राम पंचायत सीरोनकलां में डुग्गी पिराई कार्य का भुगतान रु० 1000.00 दर्शित किया गया है, जिसकी जाँच में पाया गया कि दिनांक 24.04.2015 को ग्राम निधि खाता संख्या 3101718823 से चैक संख्या 41525 बाउचर संख्या 05 के द्वारा रु० 1000.00 का भुगतान श्री लालचन्द को किया गया जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । जिससे रु० 1000.00 का फर्जी भुगतान कोषबही में दिखाकर उक्त धनराशि रु० 1000.00 का अपहरण किया गया है । अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रकाश वर्मा से रु० 500.00 एवं श्री कल्लू अहिरवार ग्राम प्रधान से रु० 500.00 योग रु० 1000.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 20

ग्राम पंचायत— हर्षपुर

विकास खण्ड— जखौरा

प्रस्तर— 5

आलोच्य वर्ष में 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया, कि मिडडेमील योजना में खाता संख्या 718 में ₹0 764.00 जमा दर्शित है। जबकि शाखा द्वारा एम0डी0एम0 योजना का संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से प्रथक कर दिया गया था। उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक व ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा है। फिर भी श्री धन सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती रचनादेवी ने खाते में जमा समस्त धनराशि ₹0 764.00 व ब्याज सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जमा धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- हर्षपुर विकास खण्ड- जखौरा

प्रस्तर- 6

आलोच्य वर्ष में 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 864 में ₹0 21343.00 जमा दर्शित है जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति का संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से प्रथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक व ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा है। फिर भी श्री धन सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती रचना देवी ने खाते में जमा समस्त धनराशि 21343.00 व ब्याज सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई, जमा धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 21

ग्राम पंचायत- जिजयावन विकास खण्ड- जखौरा

प्रस्तर- 7

आलोच्य वर्ष में 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया, कि मिडडेमील योजना में खाता संख्या 2891 में ₹0 10702.00 जमा दर्शित है। जबकि शाखा द्वारा एम0डी0एम0 योजना का संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से प्रथक कर दिया गया था। उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक व ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा है। फिर भी श्री राजीव कुमार वर्मा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद ने खाते में जमा समस्त धनराशि ₹0 10702.00 व ब्याज सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जमा धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 19

ग्राम पंचायत- जिजयावन विकास खण्ड- जखौरा

प्रस्तर- 8

आलोच्य वर्ष में 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 6456 में ₹0 13122.00 जमा दर्शित है जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति का संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से प्रथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक व ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा है। फिर भी श्री राजीव कुमार वर्मा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद ने खाते में जमा समस्त धनराशि 13122.00 व ब्याज सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई, जमा धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- किसलवाँस विकास खण्ड- जखौरा

प्रस्तर- 9

आलोच्य वर्ष में 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 6974 में ₹0 4533.88 जमा दर्शित है जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति का संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से प्रथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान

अध्यापक व ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा है । फिर भी श्री दानवीर सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी देवी ने खाते में जमा समस्त धनराशि 4533.88 व ब्याज सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई, जमा धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— ललितपुर ग्रामीण विकास खण्ड— जखौरा

प्रस्तर— 10

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि वर्ष के प्रारम्भ में 01.04.2015 में पूर्व प्रधान श्रीमती उत्तरादेवी के पास नकद रोकड के रूप में अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि रु0 1440.00 दर्शित है । जोकि विगत वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण करने के उपरान्त शेष बची थी उक्त धनराशि को छात्रवृत्ति खाते में जमा न कर रु0 1440.00 का पूर्व प्रधान श्रीमती उत्तरादेवी ने अपहरण कर लिया है । क्योंकि वर्तमान प्रधान श्रीमती देवका बाई एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरीओम निरंजन को चार्ज में रु0 1440.00 प्राप्त नहीं कराया गया है । इसलिये रु0 1440.00 को तातारीख ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान श्रीमती उत्तरा देवी एवं पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनुरुद्ध पाण्डेय से करके छात्रवृत्ति खाते में जमा करने के उपरान्त समस्त धनराशि शासन/विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 20

ग्राम पंचायत— गढ़ौलीकला विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 11

वित्तीय वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में 31.03.2016 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 26340 में गत वर्षों का शेष रु0 3333.00 दर्शित है । जबकि छात्रवृत्ति का संचालन पंचायत स्तर से समाप्त हो गया है । यह राशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी थी । ताकि उक्त धनराशि का अनियमित आहरण कर दुरुपयोग या अपहरण न किया जा सके । उक्त राशि को वापस न करना गम्भीर आपत्ति है अतः इसे तत्काल वापस किया जाये । इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जी0एल0 निरंजन एवं प्रधान श्रीमती कमला देवी जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 17

ग्राम पंचायत— गढ़ौलीकला विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 12

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में एम0डी0एम0 खाता संख्या 45027 में विगत वर्षों का रु0 310.00 दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग में वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया । जबकि एम0डी0एम0 विद्यालय स्तर पर प्रधान और प्रधानाचार्य द्वारा संचालित किया जा रहा है । अतः सम्बन्धित राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाये । इसके लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जी0एल0 निरंजन एवं प्रधान श्रीमती कमला देवी उत्तरदायी है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 18

ग्राम पंचायत— गुंदरापुर विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 13

वित्तीय वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में 31.03.2016 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 4902 में गत वर्षों का शेष रु0 38478.00 दर्शित है । जबकि छात्रवृत्ति का संचालन पंचायत स्तर से समाप्त हो गया है । यह राशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी थी । ताकि उक्त धनराशि का अनियमित आहरण कर दुरुपयोग या अपहरण न किया जा सके । उक्त राशि को वापस न करना गम्भीर आपत्ति है अतः इसे तत्काल वापस किया जाये । इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उत्तम सिंह एवं प्रधान श्री ग्यासी जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 17

ग्राम पंचायत— गुंदरापुर विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 14

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में एम0डी0एम0 खाता संख्या 55798 में विगत वर्षों का रू0 30416.00 दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग में वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया । जबकि एम0डी0एम0 विद्यालय स्तर पर प्रधान और प्रधानाचार्य द्वारा संचालित किया जा रहा है । अतः सम्बन्धित राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाये । इसके लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उत्तम सिंह एवं प्रधान श्री ग्यासी उत्तरदायी है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 18

ग्राम पंचायत— सादूमल

विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 15

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को ग्राम निधि (डी0सी0बी0) खाता संख्या 1049 में गत वर्षों की रू0 1414401.80 धनराशि जमा अवशेष दर्शित थी । जिसे न सम्बन्धित उद्देश्यों में उपयोग किया गया । जिसके फलस्वरूप लेखा परीक्षा दौरान बैंक अभिलेखानुसार ब्याज सहित यह धनराशि रू0 1522143.80 हो गई है । इस प्रकार उक्त धनराशि को रोककर शासन को वापस न करना घोर लापरवाही के साथ गम्भीर आपत्ति का विषय है । अतः तात्तरीख तक जमा धनराशि को तत्काल शासन को वापस किया जाये । जिससे उसके अनियमित आहरण कर अपहरण एवं दुरुपयोग की सम्भावना समाप्त हो सके । उपरोक्त अनियमितता के लिये श्री ओमप्रकाश तिवारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती जुवेदावानों प्रधान उत्तरदायी है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 17

ग्राम पंचायत— सादूमल

विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 16

दिनांक 31.03.2016 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 1285 में रू0 151914.00 अवशेष जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या — 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था । फिर भी श्री ओमप्रकाश तिवारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती जुवेदावानों प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस करके अनियमितता की गई । जिसे शीघ्र वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 18

ग्राम पंचायत— बुदनीमड़ावरा

विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 17

वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि खाता सं0 39552 में दिनांक 31.03.2016 को गत वर्षों से शेष रू0 152420.00 दर्शित है जिसे शासन को वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया । उक्त धनराशि का अनियमित आहरण कर दुरुपयोग या अपहरण न किया जा सके । उक्त राशि को शासन को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसे तुरन्त वापस किया जाये । उक्त अनियमितता के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिमोहन तथा ग्राम प्रधान श्री करण सिंह उत्तरदायी है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 17

ग्राम पंचायत— पथराई

विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 18

वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में 31.03.2016 को छात्रवृत्ति खाते में गत वर्षों का शेष रू0 45956.00 दर्शित है । जबकि छात्रवृत्ति का संचालन पंचायत स्तर से समाप्त हो गया है । यह राशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी थी । ताकि उक्त धनराशि का अनियमित आहरण कर दुरुपयोग या अपहरण न किया जा सके । उक्त राशि को वापस न करना गम्भीर आपत्ति है अतः इसे तत्काल वापस किया जाये । इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जी0एल0 निरंजन एवं प्रधान श्री राजपाल सिंह जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 17

ग्राम पंचायत— पथराई

विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 19

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में एम0डी0एम0 खाते में विगत वर्षों का रू0 44472.24 दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग में वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया । जबकि एम0डी0एम0 विद्यालय स्तर पर प्रधान और प्रधानाचार्य द्वारा संचालित किया जा रहा है । अतः सम्बन्धित राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाये । इसके लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जी0एल0 निरंजन एवं प्रधान श्री राजपाल सिंह 44472.24 उत्तरदायी है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 18

ग्राम पंचायत— खटौरा

विकास खण्ड— महरौनी

प्रस्तर— 20 वित्तीय वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति खाता संख्या 11360 में गत वर्षों से शेष रू0 2106.00 दर्शित है । जबकि छात्रवृत्ति का संचालन पंचायत स्तर से समाप्त हो गया है अतः यह धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी थी जिसे तुरन्त वापस किया जाये ताकि उक्त धनराशि का अपहरण कर दुरुपयोग या अपहरण न किया जा सके । अतः उक्त धनराशि को वापस न करना गम्भीर आपत्ति है । जिसके लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरिमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री क्षमाधर प्रसाद जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 17

ग्राम पंचायत— राजपुर

विकास खण्ड— तालबेहट

प्रस्तर— 21

वर्ष 2015—16 में छात्रवृत्ति खाता सं0 2324 में रू0 27217.00 दिनोंक 31.03.2016 तक अवशेष है जो जिला समाज कल्याण विभाग को वापस नहीं किया गया ।

इस प्रकार ग्राम प्रधान श्री यशवेन्द्र सिंह एवं श्रीमती राजकुमारी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रोहित निरंजन द्वारा छात्रों को विवरण नहीं किया गया है और न ही जिला समाज कल्याण विभाग को वापस किया गया । खाते में जमा रखने से किसी समय अपहरण की सम्भावना है । जिसे तुरन्त सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाये । श्री रोहित निरंजन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री यशवेन्द्र सिंह एवं श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान उत्तरदायी है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— सारसैंड़

विकास खण्ड— तालबेहट

प्रस्तर— 22

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनोंक 30.12.2015 को ग्राम निधि खाता सं0 3101080946 से रू0 5000.00 की निकासी की गयी लेकिन कौशबुक में उक्त धनराशि दर्शित न करके धनराशि का अपहरण किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री गंगाराम शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से 2500.00 एवं श्री टोरन सिंह ग्राम प्रधान से रू0 2500.00 कुल 5000.00 की जानी अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— ककड़ारी

विकास खण्ड— तालबेहट

प्रस्तर— 23

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015—16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या—2304 में रू0 48189.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या — 1233/79—6—10 दिनोंक 12.1.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सोनी एवं श्रीमती वारो ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रू0 48189.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी । जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— पवा

विकास खण्ड— तालबेहट

प्रस्तर— 24

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015—16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या — 23029 में रू0 13359.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनोंक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह एवं श्रीमती विनीता रजक ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 13359.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की है । अतः जमा धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 18

ग्राम पंचायत- पवा

विकास खण्ड- तालबेहट

प्रस्तर- 25

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया, कि दिनोंक 31.03.2016 को मिडडे मील खाता संख्या - 11549 में रु0 3930.00 जमा अवशेष दर्शित है । जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था । क्योंकि विभाग को वापस किया जाना चाहिये था । क्योंकि मिडडेमील योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर से समाप्त हो गया है । अतः इस अनियमितता के लिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह एवं श्रीमती विनीता रजक ग्राम प्रधान उत्तरादायी है । जमा धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 19

ग्राम पंचायत- पड़ना

विकास खण्ड- बिरधा

प्रस्तर- 26

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-3118 में रु 6696.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पंचायत अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनोंक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार जैन श्री नत्थू सिंह ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 6696.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 19

ग्राम पंचायत- ऐरा

विकास खण्ड- बिरधा

प्रस्तर- 27

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-9505 में रु 139439.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पंचायत अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनोंक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हबीब खॉ एवं प्रधान श्रीमती प्रेमबाई ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 139439.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 19

ग्राम पंचायत- ऐरा

विकास खण्ड- बिरधा

प्रस्तर- 28

आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मिडडे मील योजना (एम0डी0एम0) खाता संख्या 9509 में रु0 1789.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को एम0डी0एम0 के संचालन से शासनादेश संख्या 1233/79-6-10 दिनोंक 12.11.2010 के द्वारा पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है फिर भी श्री हबीब खॉ ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती प्रेमबाई ग्राम प्रधान ने एम0डी0एम0 की खाता की जमा धनराशि रु0 1789.00 सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं करके गम्भीर अनियमितता की गयी । जमा धनराशि को शीघ्र सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- ककोरिया

विकास खण्ड- बिरधा

प्रस्तर— 29

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-1333 में रु 42910.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पं0वि0 अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पं0वि0 अधिकारी श्री अवधेश प्रताप सिंह एवं श्री बृजेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 42910.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— टेनगा

विकास खण्ड— बिरधा

प्रस्तर— 30

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-9548 में रु 34663.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पं0वि0 अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पं0वि0 अधिकारी श्री जोधन सिंह एवं श्री रामेश्वर ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 34663.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी । जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— अण्डेला

विकास खण्ड— बिरधा

प्रस्तर— 31

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-7304 में रु 22637.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पं0वि0 अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पं0वि0 अधिकारी श्री जोधन सिंह एवं श्री प्रकाश चन्द्र ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 22637.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— बरखेरा

विकास खण्ड— बिरधा

प्रस्तर— 32

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-9540 में रु 1809.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पं0वि0 अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पं0वि0 अधिकारी श्री गंगाराम शर्मा एवं श्रीमती मीरा देवी ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 1809.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 19

ग्राम पंचायत— सिंगेपुर विकास खण्ड— बिरधा

प्रस्तर— 33

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-2988 में रु 81787.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पं0वि0 अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्रामपं0वि0 अधिकारी श्री

मनोजकुमार सोनी एवं प्रधान श्रीमती चन्द्रकुमारी ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 81787.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गई जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 19

ग्राम पंचायत- सिंगेपुर विकास खण्ड- बिरधा

प्रस्तर- 34

आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मिडडे मील योजना (एम0डी0एम0) खाता संख्या 1433 में रु0 593.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को एम0डी0एम0 के संचालन से शासनादेश संख्या 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 के द्वारा पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है फिर भी श्री मनोज कुमार सोनी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती चन्द्रकुमारी ने एम0डी0एम0 की खाता की जमा धनराशि रु0 593.00 सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं करके गम्भीर अनियमितता की गयी । जमा धनराशि को शीघ्र सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- पिपरिया जागीर विकास खण्ड- बिरधा

प्रस्तर- 35

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा 2015-16 में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या-9585 में रु 133540.00 जमा दर्शित है । जबकि शासन द्वारा छात्रवृत्ति खाते के संचालन से ग्राम पंचायत अधिकारी को शासनादेश संख्या - 1233/79-6-10 दिनांक 12.11.2010 से पृथक कर दिया गया था उक्त खाते का संचालन प्रधान अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा था, फिर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश प्रताप सिंह एवं श्री लखनलाल ग्राम प्रधान ने छात्रवृत्ति खाते में जमा धनराशि रु0 133540.00 सम्बन्धित विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी । जमा धनराशि को शीघ्र ही विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 19

ग्राम पंचायत- बार विकास खण्ड- बार

प्रस्तर- 36

लेखा परीक्षा दौरान दिनांक 27.06.2015 को कोषबही में टिन नं0 हेतु व्यय रु0 4000.00 बाउचर संख्या 28 से दर्शित किया गया है जिसकी जाँच में पाया गया कि दिनांक 27.06.2015 को ग्राम निधि खाता संख्या - 256002100012853 से चैक संख्या 612555 बाउ0सं0 28 के द्वारा रु0 4000.00 का भुगतान श्री अखिलेश कुमार शर्मा को किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे रु 4000.00 का फर्जी भुगतान कोषबही में दिखाकर उक्त धनराशि रु0 4000.00 का अपहरण किया गया है । उक्त धनराशि रु0 4000.00 को सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार त्रिपाठी से रु0 2000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शशि देवी (पूर्व) से रु0 2000.00 कुल 4000.00 को ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 21

ग्राम पंचायत- देवरान विकास खण्ड- बार

प्रस्तर- 37

वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कोषबही में दिनांक 01.04.2015 को प्रधान के पास रु0 1005.00 नगद रोकड शेष थी जिसे वर्ष दौरान जमा नहीं कराया गया एवं कोषबही में कराया गया एवं कोषबही में दिनांक 31.03.2016 को शेष रोकड नगद रु0 1005.00 प्रधान के पास दर्शित की गयी है ।

इस प्रकार उपरोक्त नगद धनराशि को बैंक में जमा न करके दुरुपयोग किया गया है जिसकी वसूली पूर्व प्रधान श्री अखिलेश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रदीप त्रिपाठी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- पुराधन कुआं विकास खण्ड- बार

प्रस्तर- 38

वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 35136 में विगत वर्षों से ₹0 51062.00 की धनराशि दिनोंक 31.03.2017 को जमा पायी गयी जबकि छात्रवृत्ति वितरण का संचालन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी से बन्द कर दिया गया था इस दशा में उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को शासन को वापस किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं किया गया था जो आपत्तिजनक है । अतः उक्त धनराशि को खाता बन्द करते हुए चालान द्वारा शासन या समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है ताकि उक्त धनराशि का अनियमित आहरण कर दुरुपयोग/अपहरण न किया जा सके । उक्त गम्भीर अनियमितता के लिए श्री अनिल त्रिपाठी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती हीराबाई वर्तमान प्रधान एवं श्री गजराज सिंह पूर्व प्रधान जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- पुराधन कुआं विकास खण्ड- बार

प्रस्तर- 39

वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि एम0डी0एम0 खाता संख्या 94490100022461 में दिनोंक 31.03.2017 को ब्याज सहित ₹0 51287.24 शेष रही जबकि एम0डी0एम0 विद्यालय स्तर पर प्रधान एवं अध्यापक द्वारा संचालित किया जाता है । बैंक में जमा एम0डी0एम0 की धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसे तुरन्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाये । उक्त गम्भीर अनियमितता के लिए श्री अनिल त्रिपाठी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती हीराबाई वर्तमान प्रधान एवं श्री गजराज सिंह पूर्व प्रधान जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 21

ग्राम पंचायत- दिदौरा विकास खण्ड- बार

प्रस्तर- 40

वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 1130000100087421 में विगत वर्षों से ₹0 57271.00 की धनराशि दिनोंक 31.03.2017 को जमा पायी गयी जबकि छात्रवृत्ति वितरण का संचालन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी से बन्द कर दिया गया था इस दशा में उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को शासन को वापस किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं किया गया था जो आपत्तिजनक है । अतः उक्त धनराशि को खाता बन्द करते हुए चालान द्वारा शासन या समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है ताकि उक्त धनराशि का अनियमित आहरण कर दुरुपयोग/अपहरण न किया जा सके । उक्त गम्भीर अनियमितता के लिए श्री अनिल त्रिपाठी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री खुशाल पूर्व प्रधान एवं श्रीमती सुहागरानी वर्तमान प्रधान जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- मोगान विकास खण्ड- बार

प्रस्तर- 41

वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 1130000100035172 में विगत वर्षों से ₹0 68128.00 की धनराशि दिनोंक 31.03.2017 को जमा पायी गयी जबकि छात्रवृत्ति वितरण का संचालन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी से बन्द कर दिया गया था इस दशा में उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को शासन को वापस किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं किया गया था जो आपत्तिजनक है । अतः उक्त धनराशि को खाता बन्द करते हुए चालान द्वारा शासन या समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है ताकि उक्त धनराशि का अनियमित आहरण कर दुरुपयोग/अपहरण न किया जा सके । उक्त गम्भीर अनियमितता के लिये श्री अनिल त्रिपाठी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री भगराम यादव भूतपूर्व प्रधान तथा श्री राजेन्द्र वर्तमान प्रधान जिम्मेदार है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या- 20

ग्राम पंचायत- दिगवार विकास खण्ड- मड़ावरा

प्रस्तर- 42

वर्ष की लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि दिनोंक 01.04.2015 के ग्राम निधि खाता संख्या 1766 में ₹0 46692.00 की धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत बनी हुई है । नियमानुसार उक्त अनुपयोगित धन

को शासन को वापस किया जाना चाहिए था । जकि पैसा नहीं वापस नहीं किया है । इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष निरंजन एवं प्रधान श्री लोकेन्द्र तथा देशराज उत्तरदायी है ।

अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष निरंजन एवं प्रधान श्री लोकेन्द्र तथा देशराज द्वारा अविलम्ब उक्त धनराशि को शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 10 बी

ग्राम पंचायत— मड़वरा

विकास खण्ड— मड़वरा

प्रस्तर— 43

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता संख्या 814 (डीसीबी) में ₹0 38558.68 की धनराशि दिनांक 01.04.2015 को जमा दर्शित रही । यह धनराशि गत वर्षों से यथावत है । जिसे शासन को वापस किया जाना चाहिये था जो अभी तक नहीं किया गया ।

अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामदास सुमन एवं श्रीमती कस्तूरी देवी प्रधान द्वारा अविलम्ब उक्त धनराशि को शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 17

ग्राम पंचायत— बारचौन

विकास खण्ड— मड़वरा

प्रस्तर— 44

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विगत वर्षों से ग्राम निधि खाता संख्या 23781 में 423.00 एवं ग्राम निधि खाता संख्या 45090 में ₹0 3199.00 की धनराशि यथावत चली आ रही है । जिसे शासन को वापस नहीं किया गया है ।

अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश राजपूत तथा श्री वीर सिंह प्रधान द्वारा उक्त धनराशि 423 + 3199 = 3622.00 को शासन को अविलम्ब वापस किया जाना अपेक्षित है । जिस संबंध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या— 18

ग्राम पंचायत— रखवारा

विकास खण्ड— मड़वरा

प्रस्तर— 45

वर्ष की लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि दिनांक 01.04.2015 को ग्राम निधि खाता संख्या 839 में ₹0 20466.90 की धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत बनी हुई है । नियमानुसार उक्त अनुपयोगित धन को शासन को वापस किया जाना चाहिये था । जबकि पैसा वापस नहीं किया गया जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है । अतः इसके लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री ज्योतिस्वरूप शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मन एवं श्रीमती सखी उत्तरदायी है । अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लक्ष्मन एवं श्रीमती सखी द्वारा अविलम्ब उक्त धनराशि को शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में श्री ज्योतिस्वरूप शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मन एवं श्रीमती सखी पूर्ण उत्तरदायी होंगे ।

मूल आपत्ति संख्या— 19

मण्डल का नाम : कानपुर

जनपद का नाम : औरैया

मण्डल का नाम : कानपुर

ग्राम पंचायत का नाम : बरमपुर

विकास खण्ड का नाम : औरैया

लेखा परीक्षा वर्ष : 2003-04- 2004-05 एवं 2015-16

प्रस्तर -01

प्रस्तर संख्या	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण			
1	30000.00	वर्ष एवं मरम्मत पंप हैंड अनुसार के विवरण निम्न में बरमपुर पंचायत ग्राम मे 16-2015 है गए दर्शाये मे बही कोष व्यय क्रय सामान			
		दिनांक	प्रमाणक संख्या	सामग्री का विवरण	व्यय की धनराशि
		2015 / 05 / 23	14	हैंड पम्प का सामान क्रय	2000000-
		2015 / 07 / 23	17	हैंड पम्प का सामान क्रय	5000-00
		2015 / 12 / 14 2015 / 12 / 16	23	हैंड पम्प का सामान क्रय	5000-00
				योग	30000-00

उक्त व्ययों के संबंध मे निम्न आपत्तियाँ है-

1-उक्त व्ययों की पुष्टि मे भुगतान रशीदें लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी।

2-ग्राम प्रधान द्वारा किन-किन स्थानों के हैंड पंपों की मरम्मत कराई गयी है कि पुष्टि अभिलेखों से नहीं हो सकी।

3-हैंड पम्प मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

4-हैंड पम्प मरम्मत मे बदली गयी पुरानी सामग्री को सुरक्षित रखकर लेखा परीक्षा दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

5-हैंड पम्प मरम्मत की आवश्यकता एवं कार्य पूर्ण होने पर सक्षम तकनीकी अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

6-व्यय जल प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित नहीं है।

उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत मे उक्त सामग्री क्रय नहीं की गयी है। हैंड पम्प मरम्मत के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है अतः काल्पनिक व्यय की राशि रु0 30000.00 मे से रु0 15000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शांती देवी से एवं रु0 15000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरिजा शंकर अवस्थी से तातारीख व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम: नरोत्तमपुर

विकास खण्ड का नाम: औरैया

लेखा परीक्षा वर्ष: 2015-16

प्रस्तर-2 वर्ष 2015-16 मे निम्नलिखित विवरण के अनुसार ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई पर व्यय कोष बही मे दिखाया गया है-

दिनांक	प्र0 संख्या	मिट्टी की मात्रा	दर प्रति ट्राली	व्यय की राशि
2015 / 04 / 18	03	ट्राली 20	00-500	10000-00
2015 / 06 / 12	08	ट्राली 4	00-500	2000-00
2015 / 06 / 25	10	अंकित नहीं	अंकित नहीं	5441-00
2015 / 08 / 24	17	ट्राली 8	00-500	4000-00
			योग	21441-00

उक्त व्ययों के संबंध मे निम्न आपत्तियाँ है-

1-मिट्टी पुराई ट्रैक्टर से कराई जानी दर्शित है जबकि मिट्टी पुराई का कार्य श्रमिकों से कराकर रोजगार श्रजन किया जाना चाहिए था।

2—मिट्टी पुराई पर दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में भुगतान रसीदे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

3— मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

4— मिट्टी पुराई पर ₹0 14/-घन मीटर की दर से राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है।

5—मिट्टी पुराई की आवश्यकता संबंधी प्लान व स्टीमेट तैयार नहीं किए गए हैं।

6—मिट्टी पुराई से पूर्व एवं बाद की कार्य स्थल की फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7—उक्त मिट्टी पुराई कार्य से संबंधित सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र नहीं है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त मिट्टी पुराई का कार्य कराया ही नहीं गया है मिट्टी पुराई के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है अतः अपहरण की राशि ₹0 21441.00 में से ₹0 10720.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जाहर सिंह एवं ₹0 10720.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरिजा शंकर अवस्थी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0संख्या-26)

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार हैंड पम्प मरम्मत एवं सामान क्रय दर्शाकर व्यय बही में दर्शाये गए हैं—

दिनांक	प्रमाणक संख्या	सामग्री का विवरण	व्यय की धनराशि
2015 / 06 / 10	06	हैंड पम्प मरम्मत का सामान क्रय	5000.00
2015 / 06 / 12	07	हैंड मरम्मत पर मिस्त्री पर व्यय	2000.00
2015 / 07 / 06	12	हैंड पम्प मरम्मत का सामान क्रय	5000.00
2015 / 08 / 21	15	हैंड पम्प मरम्मत का सामान क्रय	10000.00
2015 / 08 / 27	18	हैंड मरम्मत पर मिस्त्री पर व्यय	5000.00
2015 / 12 / 16 / 2015 / 12 / 15	25	हैंड पम्प मरम्मत का सामान क्रय	5000.00
2016 / 01 / 05	26	हैंड मरम्मत पर मिस्त्री पर व्यय	5000.00
		योग	37000.00

उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

उक्त व्ययों की पुष्टि में भुगतान रसीदे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

ग्राम प्रधान द्वारा किन-किन स्थानों के हैंड पंपों की मरम्मत कराई गयी है कि पुष्टि अभिलेखों से नहीं हो सकी।

हैंड पम्प मरम्मत कार्य हेतु क्रय की सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

हैंड पम्प मरम्मत में बदली गयी पुरानी सामग्री को सुरक्षित रखकर लेखा परीक्षा दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

हैंड पम्प मरम्मत की आवश्यकता एवं कार्य पूर्ण होने पर सक्षम तकनीकी अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

व्यय जल प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित नहीं है।

उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में उक्त सामग्री क्रय नहीं की गयी है। हैंड मरम्मत के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। अतः काल्पनिक व्यय की राशि ₹0 37000-00 में से ₹0 18500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जाहर सिंह से एवं ₹0 18500-00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरिजा शंकर अवस्थी से तातारीखा व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-27)

जनपद का नाम— फर्रुखाबाद

मण्डल का नाम—कानपुर

ले0प0वर्ष—2015—16

विकास खण्ड:—नबाबगंज

प्रस्तर सं0 01 ग्राम पंचायत ज्योरी विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं० व बाउचर नं०	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	ज्यौनी	2014-15	10.10.2014 27.02.2015	09 19	8400.00 6406.00	अमर उजाला अमर उजाला

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 02 ग्राम पंचायत पिलखना विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं० व बाउचर नं०	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	पिलखना	2014-15	16.08.2014 17.12.2014 17.12.2014	अंकित नहीं अंकित नहीं अंकित नहीं	2000.00 2000.00 2000.00	विलेज टूडे विलेज टूडे जनमान्यता टूडे

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 03 ग्राम पंचायत बिजौरी विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं० व बाउचर नं०	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	बिजौरी	2014-15	28.08.2014 28.08.2014 12.12.2014 16.12.2014 23.01.2015 27.02.2015	अंकित नहीं अंकित नहीं अंकित नहीं अंकित नहीं अंकित नहीं अंकित नहीं	2000.00 6000.00 2000.00 2000.00 2000.0 6000.00	दैनिक जागरण अमर उजाला दैनिक जागरण अमर उजाला दैनिक जागरण अमर उजाला

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 04 ग्राम पंचायत सिरमौरा बांगड विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं0 व बाउचर नं0	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	सिरमौरा बांगड	2014-15	30.04.2014 16.05.2014 01.08.2014	07 08 17	5000.00 4000.00 2500.00	अमर उजाला राष्ट्रीय सहारा विलेज टूडे

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 05 ग्राम पंचायत भगौरा विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं0 व बाउचर नं0	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	भगौरा	2014-15	13.10.2014 27.11.2014 22.12.2014 23.03.2015	13 19 26 37	2000.00 2000.00 1500.00 2000.00	दैनिक जागरण अमर उजाला समृद्धि न्यूज हिन्दुस्तान

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 06 ग्राम पंचायत गनीपुर जोगपुर विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं0 व बाउचर नं0	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	गनीपुर जोगपुर	2014-15	29.09.2014 27.11.2014 05.12.2014 30.01.2015 23.03.2015	47 57 64 90 94	2000.00 2000.00 1500.00 2000.00 2000.00	दैनिक जागरण राष्ट्रीय सहारा समृद्धि न्यूज अमर उजाला हिन्दुस्तान

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 07 ग्राम पंचायतरुखैय्या खालिक दादपुर विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त

रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं० व बाउचर नं०	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	रुखैय्या खालिक दादपुर	2014-15	11.04.2014 12.05.2014 17.10.2014 12.12.2014	01 03 20 21	2000.00 2500.00 2500.00 2000.00	फ्रीडम ऑफ स्पीच विलेज टूडे विलेज टूडे दैनिक जागरण

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 08 ग्राम पंचायत खलवारा विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं० व बाउचर नं०	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	खलवारा	2014-15	02.04.2014 08.05.2014 08.05.2014 08.05.2014	01 04 05 06	2000.00 2000.00 2000.00 2000.00	विलेज टूडे अमर उजाला दैनिक जागरण राष्ट्रीय सहारा

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 09 ग्राम पंचायत ज्योना विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं० व बाउचर नं०	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	ज्योना	2014-15	04.12.2014 05.12.2014	40 41	2000.00 12826.00	दैनिक जागरण अमर उजाला

सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 10 ग्राम पंचायत नौली विकासखंड नवाबगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित विज्ञापन की प्रति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, साथ ही

विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	भुगतान का दिनांक	प्रमाणक सं० व बाउचर नं०	धनराशि	विवरण (समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ)
1.	नौली	2012-13	21.04.2012	अंकित नहीं	2000.00	विवरण अंकित नहीं
			18.07.2012	अंकित नहीं	2000.00	विवरण अंकित नहीं
			19.09.2012	अंकित नहीं	2000.00	विवरण अंकित नहीं
			04.01.2013	अंकित नहीं	2000.00	विवरण अंकित नहीं
			05.01.2013	अंकित नहीं	2000.00	विवरण अंकित नहीं

कराये जाना सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों से मय ब्याज वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

विकास खण्ड नवाबगंज

प्रस्तर सं० 11 ग्राम पंचायत-गनीपुर जोगपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता सं०-4731 में दिनांक 31.03.2015 को अवशेष रू०-587098.00 दर्शित है, चूंकि छात्रवृत्ति का खाता वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा संचालित नहीं होता है। अतः सम्बन्धित धनराशि यथाशीघ्र शासन को वापस की जाए।

प्रस्तर सं० 12 ग्राम पंचायत-रमापुर दबीर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.10.2009 को चेक सं०-686 द्वारा रू०-1000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को भुगतान दर्शित है जो प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट रहा। अपुष्ट रहने के कारण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से रू०-1000=00 से संयुक्त रूप से मय ब्याज वसूलकर जमा कराये जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 14 ग्राम पंचायत-बबना की लेखा परीक्षा में पाया गया कि-

(क) कतिपय तिथियों में कैशबुक में जिला समाज कल्याण अधिकारी को निम्नवत् छात्रवृत्ति की धनराशि को वापसी दर्शायी गयी है किन्तु इसकी पुष्टि में सम्बन्धित आदेश एवं प्राप्त रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः वापसी अपुष्ट रही। अपुष्ट रहने के कारण सम्बन्धित धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दंगल सिंह/श्रीमती गुडडी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मोहित यादव से संयुक्त रूप से मय ब्याज वसूलकर जमा अपेक्षित है।

दिनांक	—	धनराशि
27.04.2010	—	95000.00
18.09.2012	—	135351.00

(ख) 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया दिनांक 09.05.2012 को छात्रवृत्ति खाता सं०-4735 (बैंक ऑफ इण्डिया) से रू०-90010.00 आहरित किए गए किन्तु इसके सापेक्ष रू०-57600 का ही व्यय दर्शाया गया है इस प्रकार रू०-32410.00 शेष बचता है, जबकि कैशबुक में शेष रू०-26610.00 ही दर्शाया गया है, अन्तर की धनराशि रू०-5800.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। कैश बुक में दर्शित अवशेष रू०-26610.00 जो कि छात्रवृत्ति की धनराशि थी उसे छात्रवृत्ति मद में व्यय न कर उस धनराशि से राज्य वित्त/तेरहवें वित्त से कराए गए कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है अतः रू०-26610.00 की भी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाए। इस प्रकार कुल रू०-32410=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दंगल सिंह/श्रीमती गुडडी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मोहित यादव से की जाय।

विकास खण्ड-राजेपुर

वर्ष 2010-11 से 2014-15

प्रस्तर सं0 15 ग्राम पंचायत- रतनपुर पमारान की वर्ष 2011-12 की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 22.06.2011 को पन्द्रह हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0-15000.0 एवं दिनांक 18.08.2011 को 10 हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0-11700.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित प्रमाणक लेखा-परीक्षा में अप्राप्त रहे। वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8क में यह प्राविधान है, कि प्रमाणक के अभाव में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। वसूली के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः कुल रू0-26700.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री शिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभय प्रताप सिंह से व्याज सहित की जाय।

प्रस्तर सं0 16 ग्राम पंचायत- रतनपुर पमारान की वर्ष 2010-11 की लेखा-परीक्षा में पाया गा कि दिनांक 29.03.2011 को एस0बी0आई0 में रू0-1000.00से खाता खोलना कैश बुक में दर्शाया गया किन्तु सम्बन्धित प्रमाणक एवं एस0बी0आई0 की पासबुक लेखा-परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित जमा अपुष्ट रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 में वर्षान्त में दर्शित अवशेष में भी एस0बी0आई0 में जमा अवशेष को नहीं दर्शाया गया है साथ ही वर्ष 2011-12 की कैश बुक में भी दिनांक 01.04.2011 को दर्शित प्रारम्भिक शेष में भी एस0बी0आई0 में जमा अवशेष को नहीं दर्शाया गया है। अतः जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन प्रधान श्री शिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप सिंह से इसकी व्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर सं0 17 ग्राम पंचायत- रतनपुर पमारान की वर्ष 2012-13 की कैशबुक में प्रारम्भिक अवशेष में एस0बी0आई0 खाता सं0-1346 में रू0-40505.00जमा दर्शाये गये है। वर्ष 2011-12 की कैशबुक में उक्त खाते से न तो कोई आहरण ही दर्शाया गया है एवं न ही कोई धनराशि ही जमा दर्शायी गयी है। सम्बन्धित पासबुक (वर्ष 2011-12 की) लेखा-परीक्षा में अप्राप्त रहने से तत्सम्बन्धी स्थिति अज्ञात एवं अपुष्ट रही है। अतः एस0बी0आई0 की पासबुक (2011-12) लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत की जाय एवं यदि उससे कोई धनराशि आहरित हुई है तो उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान शिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से मय व्याज की जाय।

प्रस्तर सं0 18 ग्राम पंचायत- रतनपुर पमारान की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2012 को प्रधान के पास नगद अवशेष रू0-60.00 कैशबुक में दर्शित है, किन्तु वर्ष 2012-13 की कैशबुक में दिनांक 01.04.2012 को प्रधान के पास नगद अवशेष रू0-0.00 (शून्य) दर्शाया गया है। अतः रू0-60.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान शिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप सिंह से की जाय।

प्रस्तर सं0 19 ग्राम पंचायत- रतनपुर पमारान की आलोच्य वर्षों की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि कतिपय तिथियों में विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है किस्मन्धित प्रमाणक एवं विज्ञापन की प्रति लेखा-परीक्षा में अप्राप्त रहें। विज्ञापन पर व्यय अनियमित है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-5 क के अनुसार प्रमाणक के अभाव में दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि रू0-11500.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान शिशुपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप सिंह से मय व्याज सहित वसूली की जाय।
विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	दिनांक	प्रमाण संख्या	धनराशि
1	18.04.2012	01	2000.00
2	10.11.2012	14	1500.00
3	21.01.2014	29	1000.00
4	04.08.2014	07	5000.00
5	09.09.2014	08	2000.00

			11500.00

प्रस्तर सं0 20 ग्राम पंचायत— रतनपुर पमारान की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह फरवरी 2013 में खाता सं0-3393 में अवशेष रू0-74183.00 दर्शाया गया है कैशबुक अनुसार माह मार्च 2013 में उक्त खाते से कोई लेन-देन नहीं हुआ। अतः मार्च 2013 के अन्त में सम्बन्धित खाते में अवशेष रू0-74183.00 ही होना चाहिए था किन्तु कैशबुक में उक्त खाते में कोई अवशेष नहीं दर्शाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 की कैशबुकों में भी खाता सं0-3393 का कोई उल्लेख नहीं है। मात्र एस0बी0आई0 खाता सं0-1346 के आधार पर ही कैशबुक कें तैयार की गयी है। अतः स्पष्ट है कि खाता सं0-3393 का अवशेष रू0-74183.00 बैंक से आहरण कर उसका अपहरण किया गया। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान शिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अभय प्रताप सिंह से मय ब्याज संयुक्त रूप से की जाय। खाता सं0-3393 की पासबुक अपूर्ण रहने के कारण तत्सम्बन्धी स्थिति अज्ञात एवं अपुष्ट रही।

प्रस्तर सं0 21 ग्राम पंचायत— रतनपुर पमारान की वर्ष 2013-14 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि माह अक्टूबर 2013 में एस0बी0आई0 खाता सं0-1346 में अवशेष रू0-99832.00 दर्शाया गया। माह नवम्बर 2013 में उक्त खाते से कुल रू0-60940.00 आहरण दर्शाये गये हैं। इस प्रकार नवम्बर 2013 के मासान्त में एस0बी0आई0 खाता सं0-1346 में अवशेष रू0-38892.00 होने चाहिए थे किन्तु कैशबुक में रू0-25332.00 ही उक्त खाते में अवशेष दर्शाये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्तर की धनराशि रू0-13560.00 सम्बन्धित खाते से आहरित किये गये किन्तु इसकी प्रविष्टि कैशबुक में न कर धनराशि का अपहरण किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान शिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप सिंह से मय ब्याज की जाय। सम्बन्धित पासबुक अपूर्ण रहने से तत्सम्बन्धी स्थिति अज्ञात एवं अपुष्ट रही।

प्रस्तर सं0 22 ग्राम पंचायत— रतनपुर पमारान की वर्ष 2014-15 की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि माह अप्रैल 2014 के मासान्त में एस0बी0आई0खातासं0-1346 में अवशेष रू0-208842.00 दर्शित है। माह मई 2014 में आय एवं व्यय शून्य दर्शित है माह जून 2014 में रू0-3481.00 की आय दर्शित है एवं कुल रू0-137633.00 का व्यय दर्शाया गया है इस प्रकार माह जून 2014 के मासान्त में एस0बी0आई0 खाता सं0-1346 में अवशेष रू0-74660.00 होने चाहिए थे जबकि कैशबुक में अवशेष रू0-73660.00 ही दर्शाये गये हैं। स्पष्ट है कि रू0-1000.00 की धनराशि बैंक से आहरित की गयी किन्तु इसकी प्रविष्टि कैशबुक में न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः रू0-1000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान शिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप सिंह से मय ब्याज की जाय। सम्बन्धित पासबुक अपूर्ण रहने से तत्सम्बन्धी स्थिति अज्ञात एवं अपुष्ट रही।

जनपद— कानपुर देहात

सम्भाग— कानपुर।

ग्राम पंचायत से सम्बंधित आपत्तियों:—

1. ग्राम पंचायत— गहलू विकास खण्ड रसूलाबाद में दि0 10.04.15 को खाता संख्या 11344 से रु 36000 की ईट क्रय उपरान्त शौचालय निर्माण का प्रमाण व स्टॉक न दर्शाकर अपहरण किया गया है। उक्त रु 36000 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्रा0 पं0 अधि0 श्री राजीव द्विवेदी व ग्राम प्राधन श्री मती ममतादेवी से की जानी अपेक्षित है।
2. ग्राम पंचायत —लोदीपुर विकास खण्ड —सरवनखेडा में दि0 22.09.15 को 16000+16000 कुल—32000 ईट 6100 रु0 प्रति हजार की दर से कमशः 97600+97600 कुल 195200 ईट कम कोषवही में दर्शित के सापेक्ष उपभोग स्टॉक शेष दर्शित नहीं है। इस प्रकार उक्त ईट(स्टॉक)रु0 का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री रामशंकर वर्मा व ग्राम प्रधाम श्री विजयभान से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

3. ग्राम पंचायत –किशरवल विकास खण्ड–सरवनखेडा में दिनांक– 31.03.16 को लेखा परीक्षा अनुसार शेष रु0 1254126 एवं कैशबुक के अनुसार शेष रु0–1156196 दर्शित है। अन्तर धनराशि रु0 97930 जो दिनांक–28.07.15 को रा0वि0 खाते सं0 18762 से चेक न0 501785 के द्वारा ईट क्य हेतु रु0 97600 की अवशेष धनराशि में रु0 33 को कोशवही में नहीं पंकडा गया। इसप्रकार रु0 97600+330=97930 कुल रु0 का अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि रु0 97930 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार व्यक्ति श्री रमाशंकर वर्मा(ग्रा0वि0अधि0)व ग्रा0पं0 श्री मती–राधा देवी से की जानी अपेक्षित है।
4. ग्राम पंचायत–बुजुर्ग वि0ख0–डेरापुर में दि0 20.08.15 को अटल ईट उधेग से 2500 ईट रु0 6000 रुपये प्रति हजार की दर से रु015000 खरीद के उपरान्त न तो उपभोग दर्शाया गया और न ही स्टॉक शेष कोशवही में दर्शित है। इस प्रकार उक्त स्टॉक/रुपये का अपहरण किया गया है। अतः रुपया 15000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री परीक्षित सिंह से की जानी अपेक्षित है।
5. ग्राम पंचायत तुतुआपुर वि0ख0 सन्दलपुर वर्ष 14–15 की लेखा परीक्षा में कोशवही के व्यय प्रमाणक संख्या 10,11,17,42,45,61, के व्यय प्रमाणको पर भुगतान प्राप्त करता के हस्ताक्षर नहीं। बिना बिल बाउचरों में हस्ताक्षर के व्यय को काल्पनिक मानते हुये हुये रु0 16490 का अपहरण किया गया अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती कान्ती देवी व ग्रा0पंचा0अधि0श्री अखिलेश से की जानी अपेक्षित है।
6. ग्राम पंचायत–तातमऊ वि0ख0 मैथा की वर्ष–2015–16 में दिनांक 22.04.15 को रु0 10000, प्रधान मानदेय जनवरी 15 से अप्रैल–15 तक प्रधान को देना कोषवही में दर्शित है। जबकि अन्त तीन महीने जनवरी–15 से मार्च–15 का मानदेय वर्ष 2014–15 की कोषवही में दिनांक 12.03.15 को व्यय प्रमाणक सं0 20 द्वारा मार्च–15 तक अहरित कर रु0 7500 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री लाखन सिंह से की जानी अपेक्षित है।
7. ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकासखण्ड मलासा की वर्ष 2015–16 राज्यविता खाते का व्यय रु0 261758 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराये गये। अतः उक्त धनराशि का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया 01 दिवस की ब्याज सहित वसूली ग्राम्य विकास अधिकारी श्री अमरेश कुमार व ग्राम प्रधान श्री शिव सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है।
8. ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकासखण्ड मलासा की वर्ष 2015–16 में निर्मल भारत निधि से रु0 691000 निकासी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराये जाने से निकासी धनराशि रु0 691000 को ब्याज सहित वसूली ग्राम्य विकास अधिकारी श्री अमरेश कुमार व ग्राम प्रधान श्री शिव सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है।
9. ग्राम पंचायत – बीसलपुर विकासखण्ड सन्दलपुर में वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में रा0वि0 खाते से रु0 260714 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषवही व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराये जाने से आहरित धनराशि रु0 260714 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश बाजपेयी व ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी से की जानी अपेक्षित है।

ज नपद का नाम:

कानपुर नगर मण्डल : कानपुर

विकास खण्ड :

ककवन

1. ग्राम पंचायत : उट्ठा

लेखा परीक्षा वर्ष–2005–06 से 2015–16

प्रस्तर संख्या-1- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3392723/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3392723/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रागिनी दुबे से रु0- 1696362/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्त कुमार से रु0-1696361/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-2- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3965148/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3965148/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुखरानी से रु0- 1982574/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु0-1982574/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

2. ग्राम पंचायत : मौजमपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-3- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1616281/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1616281/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रामसागर से रु0- 808141/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रु0-808140/- से तातातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-4- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1251121/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1251121/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती रमला यादव से रु0- 6255561/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रु0-6255560/- से तातारीख ब्याज सहित

दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

3. ग्राम पंचायत : दलेलपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-5- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2059072/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2059072/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकुमारी से रु0- 1029536/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु0-1029536/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-6- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2217661/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2217661/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकुमारी से रु0- 1108831/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु0-1108830/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

4. ग्राम पंचायत : रहीमपुर विषधन

लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-7- लेखा परीक्षा वर्ष 2006 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3801424/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3801424/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती खुर्शीद बानों से रु0-1900712/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आलोक सिंह से रु0-1900712/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-8- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4859525/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के

दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

7. ग्राम पंचायत : सिहुरादाराशिकोह लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-13- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1962289/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1962289/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री संतोड्ड कुमार से रू0-981145/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रू0-981144/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-14- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3860432/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3860432/- में से ग्राम प्रधान श्री बिट्ठन पाल से रू0-1930216/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रू0-1930216/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-15- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 6889/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 6889/- में से ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र से रू0- 3445/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रू0-3444/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 04)

8. ग्राम पंचायत : मैदो लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-16- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1408009/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार

(मू०आ०सं० ०४)

15. ग्राम पंचायत : कसिगवां

(मू०आ०सं० ०२)

(मू०आ०सं० ०३)

16. ग्राम पंचायत : फत्तेपुर

(मू०आ०सं० ०२)

(मू०आ०सं० ०३)

लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-42- लेखा परीक्षा वर्ष 2006 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1599789/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1599789/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राज कुमार से रु०-799895/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्त कुमार से रु०-799894/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(म०आ०सं० 02)

(मू०आ०सं० ०२)

प्रस्तर संख्या-43- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1371966/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1371966/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गणेश कुशवाहा से रु0-685983/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु0-685983/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(म0आ0सं0 03)

(मू०आ०सं० ०३)

प्रस्तर संख्या-44- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 23900/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 23900/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से रु०-11950/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु०-11950/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूति की जा सके।

(म०आ०सं० 04)

(मू०आ०सं० ०४)

19. ग्राम पंचायत : औरों ताहरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-45- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-6 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4878942/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख केशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4878942/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री नवाब सिंह यादव से रु0-2439471/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम औतार पाल से रु0-2439471/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(म0आ0सं0 02)

(मू०आ०सं० ०२)

प्रस्तर संख्या-46- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 6416857/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख

सम्पूर्ण धनराशि रुपये 9660/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से रू0-4830/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप दीक्षित से रू0-4830/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

21. ग्राम पंचायत : भनावा बिल्हौर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-51- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1391431/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1391431/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-695716/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रू0-695715/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-52- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1984966/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1984966/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह से रू0-992483/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रू0-992483/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-53- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 165617/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 165617/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार से रू0-82809/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप दीक्षित से रू0-82808/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

22. ग्राम पंचायत : जमालपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-54- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1575982.50/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार

बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1575982.50/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती राम कली से रु0-787991.40 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगन्नाथ मिश्रा से रु0-787991.40/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-55- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3061563/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3061563/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुकीर्ति कटियार से रु0-1530782/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु0-1530781/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-56- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 14950/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 14950/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाल सिंह से रु0-7475/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु0-7475/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 04)

23. ग्राम पंचायत : देवहा

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-57- लेखा परीक्षा वर्ष 2005 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4736745/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4736745/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम कुमार से रु0-2368373 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार से रु0-2368372/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-58- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 5293549/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के

पंचायत अधिकारी श्री सन्त कुमार से रु०-982113/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० ०२)

प्रस्तर संख्या-63— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2871753/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2871753/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती से रु०-1435877/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल सचान से रु०-1435876/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० ०३)

विकास खण्ड : कल्याणपुर

1. ग्राम पंचायत : सोना लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-64 — लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 7389137/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 7389137/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु०- 1234923/- व ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार रु. 2459646/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हेत राम से रु०-1979914/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से रु०-1714654/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० ०२)

2. ग्राम पंचायत : रामपुर भीमसेन लेखा परीक्षा वर्ष-2008-09 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-65— लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 8218480/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 8218480/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राज बहादुर से रु०- 785688/- व ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी रु. 3323553/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लवकुष से रु०-1369747/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से रु०-1369747/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कटियार से रु०-1369745/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० ०२)

3. ग्राम पंचायत : रौतेपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-66— लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4854959/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4854959/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसा देवी से रु0- 882345/- व ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती रु. 1545135/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु0-809159/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश पाल से रु0-809159/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयवीर सिंह से रु0-809161/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

4. ग्राम पंचायत : भैलामऊ लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-67- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3280935/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3280935/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी से रु0- 640271/- व ग्राम प्रधान श्रीमती जयश्री रु. 1000196.50/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से रु0-777638.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के. बी. सिंह से रु0-431414.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हेत राम से रु0-431414.50 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

5. ग्राम पंचायत : पतरसा लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-68- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 6351082/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 6351082/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जी.एल. वर्मा से रु0- 986701/- व ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह रु. 2188840/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से रु0-986701/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लवकुश से रु0-1227777/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कटियार से रु0-961063/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

6. ग्राम पंचायत : होरा कछार लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-69- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1550098/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1550098/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार से रु0- 387524/- व ग्राम प्रधान श्री राम नारायण रु. 387525/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह से रु0-775049/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

7. ग्राम पंचायत : परगही बांगर लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-70- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1529684/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1529684/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मुन्ना से रु0- 382421/- व ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र शर्मा रु. 382421/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह से रु0-764842/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

8. ग्राम पंचायत : बरहट बांगर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-71- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2338543/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2338543/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बालेन्द्र सिंह से रु0- 1169271.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश मिश्रा से रु0-1169271.50 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

9. ग्राम पंचायत : बैकुण्ठपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16

प्रस्तर संख्या-72- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1089095/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1089095/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री महाबीर से रु0- 544549/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह से रु0-544547.50 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

10. ग्राम पंचायत :लोधर

लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-73- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2739813/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2739813/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री हरीशंकर से रु0- 1369906.50 एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह से रु०—1369906.50 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० ०२)

11. ग्राम पंचायत : होराबांगर लेखा परीक्षा वर्ष—2012—13 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—74— लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 से 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1962488 /— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1962488 /— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री विमलेश से रु०— 490622 /— व ग्राम प्रधान श्रीमती निशा से रु. 490622 /— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह से रु०—981244 /— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० ०२)

12. ग्राम पंचायत : बगदौही बांगर लेखा परीक्षा वर्ष—2011—12 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—75— लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 से 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 8125386 /— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 8125386 /— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती अरुणा से रु०— 2031346.50 /— व ग्राम प्रधान श्री कुलदीप से रु. 2031346.50 /— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह से रु०—4062693 /— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० ०२)

13. ग्राम पंचायत : बहेरा लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16

प्रस्तर संख्या—76— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 358919 /— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 358919 /— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू शर्मा से रु०— 179460 /— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद दीक्षित से रु०—179459 /— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० ०२)

14. ग्राम पंचायत : टिकरा लेखा परीक्षा वर्ष—2007—08 से 2015—16

प्रस्तर संख्या-77- लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 5615743/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 5615743/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती अंगाना से रु0- 818747/- व ग्राम प्रधान श्री राम किशोर से रु. 534046/- व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी 1455078/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद दीक्षित से रु0-1403936/- एवं अरविन्द पाल से रु. 1403936/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

15. ग्राम पंचायत : सुरार लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-78- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4794781/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4794781/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम करन से रु0- 1924987/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्री सूर्य प्रकाश से रु. 472403/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयवीर सिंह से रु0-23697391/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

16. ग्राम पंचायत : रैकेपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-79- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3397290/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3397290/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजापाल से रु0- 615286.50/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्री कमलेश रु. 1026272.50 व पूर्व प्रधान श्रीमती रेखा से रु. 57086/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद दीक्षित से रु0-849322.50/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द्र पाल से रु 849322/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

17. ग्राम पंचायत : मकसूदाबाद लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-80- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3896026/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक,

बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3896026/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से रु०- 1621613/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार रु. 3263400/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद दीक्षित से रु०-974007/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द्र पाल से रु 974006/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

18. ग्राम पंचायत : लुधवाखेडा लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-81- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 8013843.37/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 8013843.37/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री नन्द किशोर से रु०- 1178686/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्री रामदास से रु. 1442754/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से रु. 1385482/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा से रु०-4006921/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

19. ग्राम पंचायत : मोहम्मदपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-82- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3072965/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3072965/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से रु०- 579635/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्री राज कुमार से रु. 717458/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्री राज बहादुर से रु. 239390/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश मिश्रा से रु०-1536482/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

20. ग्राम पंचायत : हृदयपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-83- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3194767/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः

सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3194767/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम सुन्दरी से रु0- 621882/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र से रु. 975501.50/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश्वरी मिश्रा से रु0-1597383.50/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

21. ग्राम पंचायत : नौरंगाबाद लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-84- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3697255/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3697255/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री वेदी पाल से रु0- 931717/- व पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी से रु. 890115/- व पूर्व ग्राम प्रधान अनुराग से रु. 26793/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद दीक्षित से रु0-924314/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द्र पाल से रु. 924314/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

विकास खण्ड - पतारा

1. ग्राम पंचायत : रामसारी

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16

प्रस्तर संख्या-85- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 773880/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 773880 /- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कमल सिंह से रु0- 386940/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुनीता सक्सेना से रु0-386940/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द्र पाल से रु. 924313.75 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

विकास खण्ड : सरसौल

1. ग्राम पंचायत : रायपुर नरवल

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2008-09 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-86- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-5 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 779092/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है।

अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 779092/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिव राम यादव से रु०- 389546/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 15)

2. ग्राम पंचायत : निवादा वौसर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 10-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-87- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 855229/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 855229/- में से ग्राम प्रधान श्रीराम प्रताप से रु०- 427615/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-427614/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 11)

प्रस्तर संख्या-88- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 193610/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 193610/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती राजा बेटी से रु०- 96805/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु०-96805/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 12)

3. ग्राम पंचायत : सुनहला लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-89- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1553787/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1553787/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु०- 776823/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-776894/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 15)

4. ग्राम पंचायत : खोजरूपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-90— लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1539155/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1539155/- में से ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह यादव से रु0- 769598/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र यादव से रु0-384788/- व राहुल अवस्थी रु.384789/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 10)

प्रस्तर संख्या-91— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 45600/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 45600/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र सिंह से रु0-22800/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल अवस्थी से रु0-22800/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

5. ग्राम पंचायत : पूरनपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2011-12 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-92— लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1493700/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1493700/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी से रु0-746850 /- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र यादव से रु0-746850/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-93— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-2012 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 429300 /- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 429300/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री भगवान दीन से रु0-214650/- एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री राहुल अवस्थी से रू0-214650/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 16)

6. ग्राम पंचायत : पाली भोगीपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2003-04 से 2013-14 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-94- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1568043/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1568043/- में से ग्राम प्रधान श्री साधू यादव से रू0-784022 /- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद कुषवाहा से रू0-784021/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या-95- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-2014 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1086791/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1086791/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रामसखी से रू0-543396/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल सिंह से रू0-543395/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 14)

7. ग्राम पंचायत : बेहटा सकट

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2012-13 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-96- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1171529/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1171529/- में से ग्राम प्रधान श्री राम बाबू से रू0-585765/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव शंकर बाजपेयी से रू0-585764/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-97- लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2012-2013 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2006311/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2006311/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती राम बाबू से रु0-1003156/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनी राम से रु0-1003155/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

8. ग्राम पंचायत : नरायण पुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-98- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1791998/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1791998/- में से ग्राम प्रधान श्री परशुराम से रु0-895999/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल अवस्थी से रु0-895999/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

9. ग्राम पंचायत : नागापुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-99- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1537304/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1537304/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती राम कली से रु0-768652/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु0-768652/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

10. ग्राम पंचायत : करबिगवां साढ

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2008-09 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-100- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2005-06 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 443992/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 443992/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री इंद्रपाल कोरी से रु0-221996/- एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद कुशवाहा से रू0-221996/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

प्रस्तर संख्या-101- लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1380220/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1380220/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री इंद्रपाल कोरी से रू0-690110/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रू0-690110/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 12)

11. ग्राम पंचायत : खरौटी लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-102- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1413165/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1413165/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा तिवारी से रू0-706583/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीन कुमार मिश्रा से रू0-706582/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

प्रस्तर संख्या-103- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 95587/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 95587/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा तिवारी से रू0-47794/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत सिंह से रू0-47793/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 23)

12. ग्राम पंचायत : बिपौसी

लेखा परीक्षा वर्ष-2002-03 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-104- लेखा परीक्षा वर्ष 2002-03 से 2004-05 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 692291/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक,

(मू०आ०सं० २२)

(मू०आ०सं० 23)

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2011-12 एवं 2015-16

(मू०आ०सं० ११)

(मू०आ०सं० 12)

लेखा परीक्षा वर्ष—2004-05 से 2010-11 एवं 2015-16

1205

द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 8133193/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बुद्धि लाल से रु०-4066597/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल अवस्थी रु०-4066596/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 11)

प्रस्तर संख्या-109- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1425732/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1425732/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बड़े लाल से रु०-712866/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-712866/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 12)

15. ग्राम पंचायत : सुभौली

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-110- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1158283/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1158283/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती किरन पाण्डेय से रु०-579141/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा रु०-579142/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 15)

प्रस्तर संख्या-111- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 399901/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 39990/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुष्मा देवी से रु०-199950/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-199950/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 16)

16. ग्राम पंचायत : शीशुपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2008-09 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-112— लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2006-07 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 854015/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 854015/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह से रू0-427008/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय रू0-427007/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

प्रस्तर संख्या-113— लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 592417/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 592417/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती वन्दना मिश्रा से रू0-296208/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीन कुमार मिश्रा से रू0-296209/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 12)

17. ग्राम पंचायत : पुर्वामीर

लेखा परीक्षा वर्ष-2003-04 से 2005-06 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-114— लेखा परीक्षा वर्ष 2003-04 से 2005-06 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 498980/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 498980/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जय नारायण गुप्ता से रू0-249490/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव शंकर बाजपेयी रू0-249490/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या 115— लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1141606/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है।

अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1141606/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जय नारायण गुप्ता से रू0-570803/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रू0-570803/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

18. ग्राम पंचायत : महुआ गांव

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2008-09 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-116- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 1567694/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1567694/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कैलाष दिवाकर से रू0-783847/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा रू0-783847/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

19. ग्राम पंचायत : मुखनाई

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2009-10 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-117- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 1395037/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1395037/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रामेन्द्र सिंह से रू0-697519/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप वर्मा से रू0-697518/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 18)

20. ग्राम पंचायत : सलेमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2007-08 से 2011-12 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-118- लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 1538520/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1538520/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम लाल से रू0-769260/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप वर्मा से रू0-769260/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या-119- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 626141/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 626141/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार से रू0-313071/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद कुशवाहा से रू0-313070/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 12)

21. ग्राम पंचायत : डोमनपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2009-10 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-120- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 311424/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 311424/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल से रू0-155712/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद कुशवाहा से रू0-155712/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या-121- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4359640/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4359640/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम लाल से रू0-2179820/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा से रू0-2179820/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 19)

22. ग्राम पंचायत : महाराजपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2009-10 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-122 श्री बालाजी ट्रेडर्स महाराजपुर के पास दिनांक 23.4.15 से 11.7.15 तक रू.19070/- का समायोजन न कर धन राशि का दुरुपयोग किया गया अतः उक्त अवधि 23.4.15 से 11.7.15 तक का रुपया 19070/- का ब्याज 12 प्रतिशत की दर से रू.501/- की वसूली की कार्यवाही ग्राम विकास अधिकारी श्री धनी राम से भी जारी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 12)

प्रस्तर संख्या-123- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 (दिनांक 21.4.15 से 10.9.15 तक) में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 223585/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 223585/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बदलू सिंह से रू0-111793/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनीराम से रू0-111792/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या-124 22.4.15 से 27.10.15 तक रु.381200/- का व्यय मिट्टी पुराई मद में दर्शित है उक्त मिट्टी पुराई से किये गये कार्य की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट /सत्यापित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (रूप पत्र 61) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त आहरित धनराशि को अपहरण की राशि मानते हुए समस्त धनराशि रु.381200 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बदलू सिंह सेंगर से रु. 190600/- एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री धनीराम से रु0-190600/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही । (मू0आ0सं0 14)

23. ग्राम पंचायत : महौली लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2015-16

प्रस्तर संख्या 125 दिनांक 24.3.16 रु.186160/- का काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू सिंह से रु.93080/- एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनी राम से रु.93080/- की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 11)

प्रस्तर संख्या-126- दिनांक 28.3.16 को रुपये 8790/- का पी.एन.बी. नरवल से अपहरण कर कोषबही में अंकन न कर धन का अपहरण किया तथा जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू सिंह से रु.4395/- एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धनी राम से रु.4395/- की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या-127- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 (दिनांक 13.2.16 से 31.3.16 तक) में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1724303/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1724303/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू सिंह से रु0-862152/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनी राम से रु0-862151/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

प्रस्तर संख्या 128- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1348041/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1348041/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कल्याण सिंह से रु0-674021/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद कुशवाहा से रु0-674020/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-129- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1844072/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1844072/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कल्याण सिंह से रु0-922036/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु0-922036/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक

कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

24. ग्राम पंचायत : अमौली

लेखा परीक्षा वर्ष—2004—05 से 2009—10 एवं 2015—16

प्रस्तर संख्या—130— दिनांक 16.7.15 को रुपये 15400/—का पी.एन.बी. नरवल से आहरित कर कैश बही में लेखा न कर धनराशि का आहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ से रु.7700/— एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धनी राम से रु.7700/— की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 17)

प्रस्तर संख्या—131— दिनांक 16.1.16 को रुपये 14150/—का पी.एन.बी. नरवल से आहरित कर कैश बही में लेखा न कर धनराशि का आहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ से रु.7075/— एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धनी राम से रु.77075/— की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 18)

25. ग्राम पंचायत : ऐमा

लेखा परीक्षा वर्ष—2007—08 से 2010—11 एवं 2015—16

प्रस्तर संख्या—132— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 में (दिनांक 16.12.10 से 30.3.11 तक) में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 209050/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 209050/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती आशा रावत से रु0—104525/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल अवस्थी से रु0—104525/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 19)

26. ग्राम पंचायत : नौगवां गौतम

लेखा परीक्षा वर्ष—2004—05 से 2011—12 एवं 2015—16

प्रस्तर संख्या—133— लेखा परीक्षा वर्ष 2004—05 से 2005—06 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 336750/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 336750/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप से रु0—168375/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा से रु0—168375/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या—134— लेखा परीक्षा वर्ष 2006—07 से 2009—10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1624888/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है।

अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1624888/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप से रू0-812444/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा से रू0-812444/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

27. ग्राम पंचायत : सिकठिया

लेखा परीक्षा वर्ष-2003-04 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या- 135— लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 1744900/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1744300/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार से रू0-872150/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा से रू0-872150/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

प्रस्तर संख्या 136— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 512500/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क)के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 512500/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम सरन से रू0-256250/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा से रू0-256250/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 12)

28. ग्राम पंचायत : तिलसहरी बुजुर्ग

लेखा परीक्षा वर्ष-2007-08 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या- 137— लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 853746/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 853746/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बृजभान यादव से रू0-426873/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा से रू0-426873/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

29. ग्राम पंचायत : रहनस

लेखा परीक्षा वर्ष-2002-03 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-138 — लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 2414148/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक,

बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2414148/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0-1207074/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रू0-1207074/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 15)

30. ग्राम पंचायत : ताजपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2009-10 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-139- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 946606/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 946606/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार से रू0-473303/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानूलाल यादव से रू0-473303/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-140- लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 665140/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 665140/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार से रू0-332570/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार यादव से रू0-332570/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 16)

31. ग्राम पंचायत : टीकरभाऊ लेखा परीक्षा वर्ष-2003-04 से 2011-12 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-141- लेखा परीक्षा वर्ष 2003-04 से 2007-08 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 665174/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 665174/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बालक राम से रू0-332587/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रू0-332587/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-142— लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2011-12 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 551414/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 551414/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बालक राम से रु0-181287/-व श्रीमती गीता तिवारी से रु.94420/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र वर्मा से रु0-275707/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

32. ग्राम पंचायत : तिर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2009-10 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-143— लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2299807/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2299807/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रमा देवी से रु0-1149904/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल अवस्थी से रु0-1149903/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

33. ग्राम पंचायत : हर चन्द्र खेड़ा

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2008-09 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-144— लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 784760/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 784760/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जयकेश तिवारी से रु0-392380/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु0-392380/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

34. ग्राम पंचायत : मंडिला

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2013-14 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-145— लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 750900/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 750900/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल पाल से रु0-375450/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रु0-375450/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-146- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-13 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 893200/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 893200/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया से रु.446600/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु0-446600/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

35. ग्राम पंचायत : नर्वल

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2013-14 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-147- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 7009268/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 7009268/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री नन्दू शुक्ला से रु0-1752317/- व जय पाल सिंह यादव से रु.1752317/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मंगल शुक्ला से रु0-3504634/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-148- लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2013-14 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4631819/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4631819/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री महेश नारायण अवस्थी से रु0-2315910/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु0-2315909/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

36. ग्राम पंचायत : तुडौरा

लेखा परीक्षा वर्ष—2004—05 से 2013—14 एवं 2015—16

प्रस्तर संख्या—149— लेखा परीक्षा वर्ष 2004—05 से 2010—11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1371907/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1371907/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री विकास सिंह से रु०—685954/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद कुशवाहा से रु०—685953/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 15)

37. ग्राम पंचायत : बारादरी

लेखा परीक्षा वर्ष—2005—06 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—150— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 से 2012—13 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 166884/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 166884/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती से रु०.83442/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयशंकर शुक्ला से रु०—83442/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 15)

प्रस्तर संख्या—151— लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 से 2014—15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1280218/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1280218/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती से रु०—640109/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रु०—640109/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 16)

प्रस्तर संख्या—152— लेखा परीक्षा वर्ष 2008—09 से 2010—11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 944653/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 944653/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती से रु०—472327/—एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री संजय गुप्ता से रू0-472326/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 19)

38. ग्राम पंचायत :कमालपुर नर्वल

लेखा परीक्षा वर्ष-2003-04 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-153- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 290061/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 290061/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अनवार अहमद से रू0-145031/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल अवस्थी से रू0-145030/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-154- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 279858/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 279858/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अनवार अहमद से रू.139929/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल अवस्थी से रू0-139929/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या-155- लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 105190/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 105190/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अनवार अहमद से रू.52595/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल अवस्थी से रू0-52595/ से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 17)

प्रस्तर संख्या-156- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1791880/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1791880/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अनवार अहमद से रु.895940/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल अवस्थी से रु0-895940/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या-157- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2599703/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क)के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2599703/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती कैसरजहां से रु.1299852/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद से रु0-65560/-व अजीत सिंह से रु.65559 तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 19)

39. ग्राम पंचायत : नसड़ा

लेखा परीक्षा वर्ष-2004-05 से 2010-11 एवं 2015-16

प्रस्तर संख्या-158- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2006-07 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 131119/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 131119/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार से रु.65560/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद कुशवाहा से रु0-65559/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या-159- लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 620534/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 620534/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार से रु.310267/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल सिंह से रु0-310267/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या-160- लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 362727/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक,

बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्षकृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 320727/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार से रु.160364/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्या प्रसाद से रु०-160363/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 19)

प्रस्तर संख्या-161- लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 292068/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 292068/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार से रु.146034/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल सिंह से रु०-146034/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 20)

विकास खण्ड – विधनू

1.ग्राम पंचायत : पिपौरी

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16

प्रस्तर सं. 162 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में फोटो स्टेट सेल इनवाइस प्रस्तुत कर रु.13500/-का भुगतान कर अपहरण किया गया। अतः उक्त सम्पूर्ण धनराशि की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती निर्मला देवी से रु.6750/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.6750/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.10)

प्रस्तर सं. 163 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/-का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती निर्मला देवी से रु.4500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.4500/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.18)

प्रस्तर सं. 164 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 16.7.2015 से 30.6.2016 तक रु.80469/-का सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.80469/-की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती निर्मला देवी से रु.28388.50 एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती क्षमा यादव से रु.11846/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु. 40234.50 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.20)

प्रस्तर सं.165 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-1में दिनांक 16.7.2015 से 30.6.2016 तक रु.205540/-का ईट का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.205540/-की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती निर्मला देवी से रु.75735/- एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती क्षमा यादव से रु. 27035/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.102770/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.21)

प्रस्तर सं.166 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 20.7.2015 को रु.32183/- का हैंड पाइप सामग्री कय एवं मजदूरी मद से भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि की वसूली

पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती निर्मला देवी से रु.16090.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु. 16090.50 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.22)

2. ग्राम पंचायत : सेन पश्चिम पारा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर सं. 167 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में दिनांक 5.5.2015 से 20.8.2015 तक रु.129880/—सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.129880/— की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती राम कली से रु.64940/—ग्राम पंचायत अधिकारी सत्य प्रकाश से रु. 64940/—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.19)

प्रस्तर सं. 168 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में दिनांक 1.5.2015 से 20.8.2015 तक रु.222375/—ईट का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.222375/—की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती राम कली से रु.111187.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.111187. 50 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.20)

प्रस्तर सं. 169 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में दिनांक 15.5.2015 से 30.8.2015 तक रु.55114/—का हैंड पाइप सामग्री कय एवं मजदूरी मद से भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती राम कली से रु.27557/— व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.27557/—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.21)

प्रस्तर संख्या—170— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में दिनांक 3.6.2015 से 20.8.2015 तक कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 55624/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 55624/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती राम कली से रु०— 27812/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु०—27812/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मूल आ.सं. 22)

3. ग्राम पंचायत : बकौली

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर सं.171 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में दिनांक 05.06.2015 से 09.07.2015 तक रु.39491/— सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.39491/— की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से रु.19745/— व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश यादव से रु. 19745/—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.27)

प्रस्तर सं.172 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में दिनांक 09.06.2015 से 14.07.2015 तक रु.50595/—ईट का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु. 50595 /—की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से रु. 25298/—व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र यादव से रु.25297/—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.28)

प्रस्तर संख्या—173— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2000/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2000/—

में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से रु0- 1000/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र यादव से रु0-1000/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 25)

4. ग्राम पंचायत : सपई

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर सं. 174 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु. 9000/-का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती चन्दा देवी से रु.4500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु. 4500/-की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.26)

प्रस्तर सं. 175 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 02.04.2015 से 09.05.2015 तक रु.65475/- सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु. 65475/-की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती चन्दा देवी से रु.32737.50/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.32737.50/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.21)

प्रस्तर सं. 176 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 02.04.2015 से 25.05.2015 तक रु.262925/-ईट का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु. 262925/-की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती चन्दा देवी से रु.131462.50/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.131462.50/-ब्याज सहित जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.22)

प्रस्तर सं.177 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 01.04.2015 से 30.07.2015 तक रु.33444/-का मिट्टी पुराई एवं मजदूरी मद से भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती चन्दा देवी से रु.16722/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु. 16722/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.23)

प्रस्तर सं.178 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु 28000/- का भुगतान जे.सी.बी. मशीन हेतु करके उक्त धन का अपहरण किया गया है जिसकी बसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा देवी से रु 14000/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु. 14000/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

(मूल आ.सं.24)

प्रस्तर सं 179 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु 10000/- का भुगतान सचिव आवास उद्घाटन कार्यक्रम हेतु श्री बिजय पाल को देना दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने के कारण उक्त भुगतान हेतु की गई धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान पूर्व श्रीमती चन्दा देवी से रु 5000/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु 5000/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.25)

5. ग्राम पंचायत : गढ़ेवा मोहसिनपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर सं.180 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/-का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती साधना यादव से रु.4500/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु. 4500/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.10)

प्रस्तर सं. 181 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 27.04.2015 से 19.03.2016 तक रु.69893/- सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.69893/- की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती साधना यादव से रु. 29970/- एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती इन्द्रपाल पासवान से रु.4976.50/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु. 34946.50/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.21)

प्रस्तर सं. 182 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 30.04.2015 से 24.03.2016 तक रु.154361/- ईट का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु. 154361/- की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती साधना यादव से रु. 65070.50/- एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती इन्द्रपाल पासवान से रु.12110/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु.77180.50/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.20)

प्रस्तर सं. 183 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 07.07.2015 से 03.11.2015 तक रु.48938/- का हैंड पाइप सामग्री कय एवं मजदूरी मद से भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती साधना यादव से रु.24469/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु.24469/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.22)

प्रस्तर संख्या-184 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 04.07.2015 व 03.11.2015 में फर्नीचर एवं कैमरा कय कर कय धनराशि रु 40847/- का अपहरण किया गया। जिसकी बसूली पूर्व ग्राम प्रधान साधना यादव से रु 20423.50/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु 20423.50/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है
(मूल आ.सं.23)

प्रस्तर संख्या-185 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 04.07.2015 व 14.09.2015 में पुताई एवं शौचालय हेतु सामग्री मद में धनराशि रु 44280/- का व्यय किया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहे अतः उक्त आहरित अपहरण धनराशि रु 44280/- की बसूली पूर्व ग्राम प्रधान साधना यादव से रु 22140/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु 22140/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है
(मूल आ.सं.24)

प्रस्तर सं.186 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में वाल पेन्टिंग मद अर्न्तगत कार्य का विवरण कैश बही में दर्शित कर उसके साक्षेप फर्जी प्रमाणक लगा कर रु 10800/- अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल पासवान से रु. 5400/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु 5400/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं. 26)

6. ग्राम पंचायत - पतेहुरी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर सं. 187 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में फोटो स्टेट इनवाइस प्रस्तुत कर रु.21972/- का भुगतान कर अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती किशन पाल गौतम से रु.10986/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.10986/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.24)

प्रस्तर सं. 188 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 8.4.2015 से 23.4.2015 तक रु.64599/- सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.64599/- की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती किशन पाल गौतम से रु. 32299.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.32299.50 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.22)

प्रस्तर सं.189 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 7.4.2015 से 20.8.2015 तक रु.154168/- ईट का कय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.154168/- की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती किशन पाल गौतम से रु.77084/- व ग्राम पंचायत अधिकारी सत्य प्रकाश से रु. 77084/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.23)

प्रस्तर सं. 190 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 30.8.2015 को रु.37600/- का हैंड पाइप सामग्री कय एवं मजदूरी मद से भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती किशन पाल गौतम से रु.18800/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु.18800/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.21)

प्रस्तर संख्या-191 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 23.04.2015 व 17.09.2015 में फर्नीचर एवं कैमरा कय कर कय धनराशि रु 23892/- का अपहरण किया गया। जिसकी बसूली पूर्व ग्राम प्रधान किशन पाल

गौतम से रु 11946/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु 11946/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.20)

प्रस्तर सं.192 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 23.04.2015 को वाल पेन्टिंग मद अर्न्तगत कार्य का विवरण कैश बही में दर्शित कर उसके साक्षेप फर्जी प्रमाणक लगा कर रु 6660/- अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री किशन पाल गौतम से रु 3330/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु 3330/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.स. 25)

प्रस्तर सं.193 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 08.11.2015 को सी.एफ.एल. मद अर्न्तगत कार्य का विवरण कैश बही में दर्शित कर उसके साक्षेप फर्जी प्रमाणक लगा कर रु 21500/- अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री किशन पाल गौतम से रु 10750/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यप्रकाश से रु 10750/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.26)

प्रस्तर सं.194 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/- का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती किशन पाल गौतम से रु.4500/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश रु. 4500/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.स. 19)

7. ग्राम पंचायत — भैरमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015-16

प्रस्तर सं. 195 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/- का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती विनय कुमार यादव से रु.4500/- व ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश सिंह से रु. 4500/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.11)

प्रस्तर सं. 196 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु. 451725/- सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.451725/- की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती विनय कुमार यादव से रु.225862.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.225862.50 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.14)

प्रस्तर सं. 197 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु.198752/- ईट का क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.198752/- की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती विनय कुमार यादव से रु.99376/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.99376/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.12)

प्रस्तर सं. 198 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु.81044/- का हैंड पाइप सामग्री क्रय एवं मजदूरी मद से भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती विनय कुमार यादव से रु.40522/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.40522/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.13)

प्रस्तर सं.199 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु. 67815/- सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.67815/- की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती विनय कुमार यादव से रु.33907.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.33907.50 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.15)

प्रस्तर सं. 200 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 08.04.2015 को चेक सं.723602 द्वारा रु.703602/- आहरित किया गया। किन्तु कैश बुक में अंकित न कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अपहरण की गई धनराशि रु.34230/- में रु.17115/- की वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार यादव एवं रु.17115/- की वसूली सचिव श्री राजेश सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.21)

प्रस्तर सं.201—लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में दिनांक 8.4.2015 को चेक सं. 723602 द्वारा 34230/- आहरित किया गया है किन्तु कैश बुक में आय पक्ष में अंकित न कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अपहरण

की गई धनराशि में रु.17115/-की वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार यादव एवं रु.17115/- की वसूली सचिव श्री राजेश सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.16)

8. ग्राम पंचायत — ऐती

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर सं.202 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—1में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/-का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती कृष्णा देवी से रु.4500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.4500/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.11)

प्रस्तर सं.203 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में रु. 52330/-सीमेन्ट, मौरंग गिट्टी, का क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.52330/-की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती कृष्णा देवी से रु.26165/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.26165/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.21)

प्रस्तर सं. 204 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16में रु.146336/-ईट का क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त अपहरण धनराशि रु.146336/-की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी से रु. 73168/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु.73168/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.22)

9.ग्राम पंचायत — मझावन

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या—205— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2773985/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2773985/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रामेन्द्र कुमार गुप्ता से रु0— 1289593/- व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूला गुप्ता से रु0— 97400/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु0—1386993/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मूलआ0सं0 18)

10.ग्राम पंचायत — हरवंशपुर

लेखा परीक्षा वर्ष — 2015—16

प्रस्तर संख्या—206— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 797197/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 797197/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शिवप्यारी से रु0— 360960/-व ग्राम प्रधान श्रीमती लीला से रु0—37639/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु0—398598/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मूलआ0सं0 06)

प्रस्तर सं. 207 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/-का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शिवप्यारी से रु.4500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.4500/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.18)

11.ग्राम पंचायत — बाजपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या-208- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 730784/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 730784/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिवमोहन सिंह से रु०- 365392/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-365392/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 18)

12.ग्राम पंचायत — पलरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर संख्या-209- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 944163/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 944163/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिवप्रसाद से रु०- 472082/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु०-472081/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 10)

प्रस्तर सं. 210 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/- का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री शिवप्रसाद से रु.4500/- व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.4500/- ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.18)

13.ग्राम पंचायत — मर्दनपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

प्रस्तर संख्या-211- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 542897/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 542897/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जालवेन्द्र श्री से रु०- 271449/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रु०-271448/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 11)

14.ग्राम पंचायत — रमईपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर संख्या-212- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1548241/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1548241/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गंगा राम से रु०- 695849/- व ग्राम प्रधान श्री डा.संग्राम सिंह से रु०- 78272/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-774120/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक

कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

15.ग्राम पंचायत — इटारा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या—213— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 635264 /—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8(क) के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 635264 /में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह से रू0— 300132 /—व ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से रू0—17500 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रू0—317632 /—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 06) **प्रस्तर सं. 214** लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रू.9000 /—का भुगतान अपहरण किया गया । जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह से रू.4500 /—व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रू. 4500 /—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.18)

16.ग्राम पंचायत — कठुई

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या—215— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1018824 /— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 (क)के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1018824 /— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से रू0— 501952 /— व ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से रू0— 8360 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रू0—509412 /—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 06)

प्रस्तर सं. 216 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रू.9000 /—का भुगतान अपहरण किया गया । जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से रू.4500 /—व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रू.4500 /—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.14)

17.ग्राम पंचायत — दहेली उजागर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या—217— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 393843 /—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 303843 /— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गणेश शंकर दुबेसे रू0— 196922 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश यादव से रू0—196921 /—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

18.ग्राम पंचायत — धुरुवा खेड़ा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या-218— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 945427 /— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 945427 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र से रू0— 472713.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रू0—472713.50 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 06)

प्रस्तर सं. 219 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रू.9000 /—का भुगतान अपहरण किया गया । जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र से रू.4500 /—व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रू.4500 /—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.18)

19.ग्राम पंचायत — हाजीपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015-16

प्रस्तर संख्या-220— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 490140 /—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क)के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 490140 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी से रू0— 225872 /—व ग्राम प्रधान श्री सूरजपाल से रू0—19198 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रू0—245070 /—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

20.ग्राम पंचायत — चौराई

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015-16

प्रस्तर संख्या-221— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1182408 /—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क)के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1182408 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मन फूल सिंह से रू0— 591204 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रू0—591204 /—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 13)

21.ग्राम पंचायत — कड़री चम्पतपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015-16

प्रस्तर संख्या-222— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 598048 /—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय

अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 598048/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री प्रेमशंकर शुक्ला से रु0- 299024/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश यादव से रु0-299024/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

22.ग्राम पंचायत –ढरहरा

लेखा परीक्षा वर्ष– 2015–16

प्रस्तर संख्या–223– लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 561854/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 561854/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रु0- 280927/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश यादव से रु0-280927/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 13)

23.ग्राम पंचायत – कठेरुआ

लेखा परीक्षा वर्ष– 2015–16

प्रस्तर संख्या–224– लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 790337/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 790337/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी से रु0- 349335/-व ग्राम प्रधान श्रीमती रानी पाण्डेय से रु0- 45834/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु0-395168/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

24.ग्राम पंचायत – खेरसा

लेखा परीक्षा वर्ष– 2015–16

प्रस्तर संख्या–225– लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1494229/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1494229/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा तिवारीसे रु0- 607958/-व ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह से रु0-139156.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु0-747115/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 06)

प्रस्तर-226—लेखा परीक्षा वर्ष दौरान माह जुलाई 2015 से वास्तविक व्यय में रु.15000/—अधिक दर्शा कर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि रु.15000/—की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा तिवारी से रु.7500/—व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.7500/—की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर-227— लेखा परीक्षा वर्ष दौरान कैश बुक में दर्शित मद में अनुसार व्यय न करके रु.5000/—की धन राशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि रु.5000/—की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.5000/—ब्याज सहित की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 19)

25.ग्राम पंचायत — विधनू

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या-228— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 358842/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 358842/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री पवन सिंह चन्देल से रु0— 179421/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु0—179421/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 10)

प्रस्तर सं. 229 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/—का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री पवन सिंह चन्देल से रु.4500/—व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.4500/—ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.18)

प्रस्तर-230 लेखा परीक्षा वर्ष दौरान कैश बुक में माह सितम्बर 2015 में व्यय पक्ष में वास्तविक व्यय से रु. 3000/—अधिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि रु.3000/—की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री पवन सिंह से रु.1500/—व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.1500/—ब्याज सहित की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 11)

26.ग्राम पंचायत — उदयपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या-231— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में कैशबुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 759989/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 759989/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी से रु0— 330714.50/— व ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से रु0— 49280.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु0—379994.50 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 06)

प्रस्तर सं. 232 लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान दिनांक 8.2.2016 को चेक नं. 714673 से रु.71190/— आहरित कर कैश बुक में लेखा न कर के धन का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार

दुबे से रु.35595/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.35595/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.11)

प्रस्तर सं. 233 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/-का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी से रु.4500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.4500/-की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.20)

27.ग्राम पंचायत - अफजलपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर सं. 234 लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान शौचालय खाता सं.13707 में ब्याज की धनराशि रु.24402/- को नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि रु.24402/-की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता से रु.12201/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.12201/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.10)

प्रस्तर संख्या-235- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2285360/आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2285360/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता से रु0-1123874/-व ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से रु0-1880.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु0-1142580.00 से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

प्रस्तर सं. 236 लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान शौचालय के खाते से दिनांक 8.2.2015 को चेक नं. 36 से रु. 25000/- आहरित कर कैशबुक में लेखा न कर के धन का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता से रु.12500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.12500/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.12)

प्रस्तर सं. 237 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पंचायत कर कैश बुक में न अंकित कर रु.9000/-का भुगतान अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता से रु.4500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.4500/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.20)

प्रस्तर सं. 238 लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान शौचालय के खाते से निकाली गई धनराशि में से रु.9000/- का कैश बुक में लेखा न कर के धन का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता से रु.4500/-व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु.4500/-ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.सं.21)

विकास खण्ड : चौबेपुर

1.ग्राम पंचायत : संडीला

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर संख्या-239- लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में कैश बुक के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 47223/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण

ग्राम प्रधान श्री बाबू राम पाल से रू0— 213563/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से रू0—213563/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

विकास खण्ड : शिवराजपुर

1.ग्राम पंचायत : महिपालपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर संख्या—244— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 के दौरान स्टेट बैंक शिवराजपुर खाते की दिनांक 1.4.2015 का प्रारम्भिक अवशेष रू.176970/— के स्थान पर पंचायत द्वारा कैशबुक में रू.117088/—अंकित कर रू. 59832/—का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 59832/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रू0— 29916/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनरेश सिंह गौड़ से रू0—29916/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 05)

प्रस्तर संख्या—245— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 के दौरान पंचायत कैश बही में की दिनांक 1.4.2015 बैंक खाता सं.2063 में रू.4826/—तथा बैंक खाता सं.7139 में रू.6204/—प्रारम्भिक अवशेष के रूप में दर्शित किया गया है। उक्त खातों में वर्ष दौरान कोई लेन देन नहीं हुआ फिर भी दिनांक 31.3.2016 के अंतिम अवशेष में उक्त अवशेषों का अंकन न कर कुल रुपये रू.11030/—का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 11030/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रू0— 5515/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनरेश सिंह गौड़ से रू0—5515/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 06)

प्रस्तर संख्या—246— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 के दौरान पंचायत द्वारा विभिन्न दिनाकों में रू.59882/— बैंक पासबुक के अनुसार आहरित किये गये है। जिन्हें पंचायत द्वारा कैश बुक में उक्त तिथियों में अंकित न कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 59882/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रू0— 29941/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनरेश सिंह गौड़ से रू0—29941/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 07)

प्रस्तर संख्या—247— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 के दौरान पंचायत द्वारा दिए गये रुपये 9328/— के व्यय प्रमाणको पर भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर न होने से भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 9328/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरेसे रू0— 4664/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनरेश सिंह गौड़ से रू0—4664/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 08)

प्रस्तर संख्या—248— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 के दौरान पंचायत द्वारा रुपये 4900/—की अनियमित रूप से खरीददारी दर्शित कर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4900/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रू0— 2450/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनरेश सिंह गौड़ से रू0—2450/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 09)

प्रस्तर संख्या—249— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 के दौरान पंचायत द्वारा दिए गये रुपये 54616/—के मस्टर रोलों के आधार पर दर्शित व्यय में मस्टर रोलों पर मजदूरों के नाम व हस्ताक्षर न पाये जाने के कारण भुगतान

फर्जी प्रतीत होता है अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 54616/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु0-27308/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनरेश सिंह गौड़ से रु0-27308/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 10)

विकास खण्ड – बिल्हौर

1. ग्राम पंचायत : विरखानपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-250- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 909383/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 909383/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा कटियार से रु0- 454697/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौतम से रु0-454696/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-251- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2714563/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2714563/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री खीश चन्द्र से रु0- 1357282/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौतम से रु. 1357281/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-252- लेखा परीक्षा वर्ष दिसम्बर 2015 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 37185/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 37185/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से रु0- 18593/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौतम से रु. 18592/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

02. ग्राम पंचायत : बमियापुर : लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 2015-16

प्रस्तर संख्या—253— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 से 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2690325/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2690325/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम औतार से रु०— 1345163/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रु०—1345162/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या—254— लेखा परीक्षा वर्ष दिसम्बर 2015 के बाद में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 86148/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 86148/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार से रु०— 43074/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रु०—43074/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

03. ग्राम पंचायत : मकनपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—255— लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 से 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3784763/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3784763/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री इमरान शिकोह से रु०—1892382/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रु०—1892381/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या—256— लेखा परीक्षा वर्ष दिसम्बर 2015 के बाद में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 32866/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 32866/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना बेगम से रु०— 16433/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रु०—16433/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

04. ग्राम पंचायत : महीउद्दीनपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2005—06 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—257— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 से 2010—11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 864114/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 864114/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु०— 432057/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रु०—432057/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या—258— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 से 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1688424/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1688424/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती राज कुमार सिंह से रु०—844212/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रु०—844212/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या—259—लेखा परीक्षा वर्ष दिसम्बर 2015 के बाद में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 25000/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 25000/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा देवी से रु० 12500/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रु०—12500/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

05. ग्राम पंचायत : रसूलपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2005—06 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—260— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 से 2010—11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 876235/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 876235/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से रु०— 438118/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रु०—438117/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक

कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-261- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1919636/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1919636/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से रु0- 959818/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रु0-959818/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

06. ग्राम पंचायत:रहीमपुर करीमपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-262-लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1498273/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1498273/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती निधेश से रु0- 749137/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रु0-749136/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-263- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2818550/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2818550/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री चन्द्र कुमार कटियार से रु0- 1409275/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश वर्मा से रु0-1409275/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

ग्राम पंचायत : महादेवा

07. लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2008-09 एवं 2014-15 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-264- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2008-09 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 873730/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के

अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2120708/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती बसन्ती से रु0- 1060354/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम वर्मा से रु0-1060354/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-269- लेखा परीक्षा वर्ष दिसम्बर 2015 के बाद में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 61654/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 61654/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शशिकान्त से रु0- 30827/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम वर्मा से रु0-30827/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

09. ग्राम पंचायत : अनेई : लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-270- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1075740/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1075740/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकली से रु0- 537870/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश वर्मा से रु0-537870/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-271- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2594099/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2594099/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार से रु0- 1297050/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश वर्मा से रु0-1297049/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

10. ग्राम पंचायत : अरौल लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-272- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1575615/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1575615/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री करन सिंह से रु0- 787807/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिव्यान्शु पाण्डेय से रु0-787808/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-273- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3935500/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3935500/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह से रु0- 1967750/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिव्यान्शु पाण्डेय से रु0-1967750/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

11. ग्राम पंचायत : बरौली लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-274- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1363077/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1363077/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से रु0- 681539/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कटियार से रु0-681538/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-275- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3265773/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3265773/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू कटियार से रु0-1632887/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कटियार से रु0-1632886/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-276- लेखा परीक्षा वर्ष दिसम्बर 2015 के बाद में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 34250/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के

अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2227374 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार कटियार से रू0— 1113687 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रू0—1113687 /— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

14. ग्राम पंचायत : बेदीपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2005—06 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—281— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 से 2010—11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1155180 /— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1155180 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती से रू0— 577590 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रू0—577590 /—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या—282— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 से 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3398616 /—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3398616 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बेचेलाल से रू0— 1699308 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रू0—1699308 /—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या—283— लेखा परीक्षा वर्ष दिसम्बर 2015 से मार्च 2015 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 218351 /—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 218351 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार से रू0— 109176 /—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रू0—109175 /— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 04)

ग्राम पंचायत : महिगवां

15. लेखा परीक्षा वर्ष— 2008—09 से 2009—10 एवं 2014—15 एवं 2015—16

प्रस्तर संख्या—284— लेखा परीक्षा वर्ष 2008—09 से 2009—10 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 219175 /— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 219175 /—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह से रू0— 109588 /— एवं ग्राम

प्रस्तर संख्या-289- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 64965/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 64965/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री प्रवीन चन्द्र से रु0- 32483/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौतम रु0-32482/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

18. ग्राम पंचायत : खजुरी लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-290- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 आंशिक से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3829590/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3829590/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सपना कटियार से रु0-1914795/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्येन्द्र सोनकर से रु0-1914795/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

19. ग्राम पंचायत : पिहानी मजबूत नगर

लेखा परीक्षा वर्ष-2014-15से 2015-16

प्रस्तर संख्या-291- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3391683/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3391683/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम भरोसे से रु0-1695841/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौतम से रु0-1695842/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-292- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 215636/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 215636/- में से ग्राम प्रधान श्री शब्द स्वरूप से रु0- 107818/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार रु0-107818/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

20. ग्राम पंचायत : दादरपुर कटहा लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-293— लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1162472/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1162472/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल से रू0- 581236/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रू0-581236/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-294— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2137964/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2137964/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा से रू0-1068982/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार रू0-1068982/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-295— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 248993/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 248993/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बाल किशन से रू0- 124497/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार रू0-124496/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 04)

21. ग्राम पंचायत : दरियापुर बिल्हौर लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06से 2015-16

प्रस्तर संख्या-296— लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1101398/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1101398/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती राठौर से रू0- 550699/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रू0-550699/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-297— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1824690/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1824690/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री धर्म सिंह से रु0- 912345/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु0-912345/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या - 298— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 55649/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 55649/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार से रु0- 27825/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु0-27824/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

22. ग्राम पंचायत :गदनपुर चौरासा लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06से 2015-16

प्रस्तर संख्या-299— लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1618585/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1618585/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अहमद से रु0- 809293/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश वर्मा से रु0-809292/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-300— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2954872/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2954872/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती किताब श्री से रु0- 1477436/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से रु0-1477436/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या—301— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 39280/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 39280/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती नूरबानों से रु०— 19640/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से रु०—19640/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 04)

23. ग्राम पंचायत : गूजेपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2005—06 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—302— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 आंशिक से 2010—11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1183480/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1183480/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुदामा देवी से रु०—591740/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश वर्मा से रु०—591740/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या—303— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 आंशिक से 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2810554/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2810554/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राज कुमार पाल से रु०— 1405277/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से रु०—1405277/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 03)

प्रस्तर संख्या—304— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 115176/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 115176/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री इंदरीश खॉ से रु०— 57588/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से रु०—57588/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते

हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

24. ग्राम पंचायत : इतियासपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-305- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1238049/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1238049/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमा देवी से रू0-619025/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रू0-619024/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-306- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2760993/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2760993/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जय करन से रू0-1380497/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रू0-1380496/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-307- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 194844/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 194844/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़ियां से रू0- 97422/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रू0-97422/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

25.ग्राम पंचायत : गिलवट अमीनाबाद लेखा परीक्षा वर्ष-2010-11से 2015-16

प्रस्तर संख्या-308- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2576363/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2576363/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रघुवीर यादव से रू0-1288182/-एवं

(मू०आ०सं० ०३)

प्रस्तर संख्या-309— लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3642878/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3642878/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती हंसमुखी से रु०-1821439/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिव्यांशु पाण्डेय से रु०-1821439/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूति की जा सके।

(म०आ०सं० 03)

(मू०आ०सं० ०४)

(मू०आ०सं० ०२)

(मू०आ०सं० ०३)

व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3345529/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता से रू0-1672765/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से रू0-1672764/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

31. ग्राम पंचायत : बरान्डा : लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-322- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1963651/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1963651/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू कटियार से रू0-981826/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रू0-981825/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-323- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 7238637/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 7238637/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू कटियार से रू0-3619319/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से रू0-3619318/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

32. ग्राम पंचायत : आंकिन : लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-324- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1392416/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1392416/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सरला से रू0-696208/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिव्यांश पाण्डेय से रू0-696208/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-325- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 5091311/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 5091311/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सरला से रू०-2545656/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौतम से रू०-2545655/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 03)

प्रस्तर संख्या-326- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 129198/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 129198/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सरला से रू०-64599/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौतम से रू०-64599/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 04)

33. ग्राम पंचायत : कुदौरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-327 लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 880683/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 880683/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सपना से रू०-440342/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कटियार से रू०-440341/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या-328- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2556216/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2556216/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सपना से रू०-1278108/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हेत राम से रू०-1278108/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 03)

प्रस्तर संख्या—329— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 18980/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 18980/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रु०— 9490/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हेत राम से रु०—9490/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 04)

34. ग्राम पंचायत : खासपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2011—12 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—330 — लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 आंशिक से 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1387690/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1387690/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से रु०—693845/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रु०—693845/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 03)

प्रस्तर संख्या—331— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 22000/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 22000/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से रु०— 11000/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रु०—11000/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 03)

35. ग्राम पंचायत : चौबिगही शिकोहाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष—2005—06से2015—16

प्रस्तर संख्या—332— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 आंशिक से 2010—11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 969250/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 969250/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रन्जना कटियार

से रू0-484625/एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-484625/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-333- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपय 2103307/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 2103307/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रन्जना कटियार से रू0- 1051654/एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-1051653/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-334- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 30000/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 30000/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रंजना कटियार से रू0- 15000/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-15000/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

36. ग्राम पंचायत : कमसान लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-335- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 आंशिक से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 510290/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 510290/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सिपाही लाल से रू0-255145/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से रू0-255145/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

37. ग्राम पंचायत : ददिखा लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-336- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रूपये 824367/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के

प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 824367/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती अप्पी देवी से रू०-412184/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के.वी.सिंह से रू०-412183/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 03)

प्रस्तर संख्या-337- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 38775/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 38775/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सर्वेश से रू०-19388/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हेतराम से रू०-19387/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 04)

38. ग्राम पंचायत : नसिरापुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2012-13 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-338- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2099806/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2099806/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार से रू०-1049903/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के.पी.सिंह से रू०-1049903/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 03)

39. ग्राम पंचायत : उधौनिवादा लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-339- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1655463/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1655463/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र शुक्ला से रू०-827732/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू०-827731/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या-340— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2711693/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2711693/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र शुक्ला से रू0-1355847/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-1355846/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

40. ग्राम पंचायत : नानामऊ लेखा परीक्षा वर्ष- 2012-13 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-341— लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4845330/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4845330/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी से रू0-2422665/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के.बी.सिंह से रू0-2422665/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-342— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 23550/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 23500/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री संदीप से रू0- 11775/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के.बी.सिंह से रू0-11775/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

41. ग्राम पंचायत : पलिया बुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-343— लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1527810/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1527810/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम से रू0-763905/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-763905/- से तातारीख ब्याज सहित

दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-344- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2502220/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2502220/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम दुबे से रू0- 1251110/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हेत राम से रू0-1251110/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-345- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 59600/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 59600/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम नाथ से रू0- 29800/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हेत राम से रू0-29800/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 04)

42. ग्राम पंचायत : नेवादा धमनू लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या 346- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1521969/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1521969/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती महेष्चरी से रू0-760985/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-760984/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-347- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1743609/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1743609/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती महेश्वरी से रू0-

871805/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-871804/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-348- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 37000/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क)के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 37000/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से रू0- 18500/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-18500/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

43. ग्राम पंचायत : लालपुर : लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-349- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 830408/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 830408/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी से रू0-415204/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रू0-415204/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-350- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1881694/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1881694/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र से रू0-940847/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र पाल से रू0-940847/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-351- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 47007/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना

व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 47007/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार से रू0- 23504/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र पाल से रू0-23503/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

44. ग्राम पंचायत : सिधौली लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-352- लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1217949/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1217949/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश कुमार से रू0-608975/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रू0-608974/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-353 लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2617074/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2617074/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती कौशलया से रू0-1308537/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रू0-1308537/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-354- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 57165/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 57165/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मोती लाल से रू0- 28583/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रू0-28582/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

45. ग्राम पंचायत : हलपुरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या—355— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 आंशिक से 2010—11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1621879/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1621879/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूलता से रू०—810940/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिव्यांशू पाण्डेय से रू०—810940/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या—356— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 आंशिक से 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2725763/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2725763/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गोपी नाथ से रू०—1362881/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिव्यांशू पाण्डेय से रू०—681441/— एवं श्री हेत राम ग्राम पंचायत अधिकारी से रू०—681441/—तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 03)

46. ग्राम पंचायत :सुजावलपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2005—06 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—357— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 आंशिक से 2010—11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1301024/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1301024/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मदन लाल से रू०—650512/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू०—650512/— से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

प्रस्तर संख्या—358— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 आंशिक से 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1915973/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1915973/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री विवके कुमार से रू०—957987/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू०—957986/— से तातारीख ब्याज सहित

दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० ०३)

प्रस्तर संख्या—359— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 22000/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 22000/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री से रू०— 11000/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू०—11000/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० ०४)

47. ग्राम पंचायत : सैबसू : लेखा परीक्षा वर्ष— 2005—06 से 2015—16

प्रस्तर संख्या—360— लेखा परीक्षा वर्ष 2005—06 आंशिक से 2010—11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 910967/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 910967/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल से रू०—455484/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू०—455483/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० ०२)

प्रस्तर संख्या—361— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 आंशिक से 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2316493/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2316493/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुरेश कुमार से रू०—1158246/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार शाक्य से रू०—1158247/—से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० ०३)

प्रस्तर संख्या—362— लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 78850/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः

सम्पूर्ण धनराशि रुपये 78850/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री बिन्दू से रू0- 39425/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-39425/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

48. ग्राम पंचायत :लक्ष्मणपुर मिश्रान लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-363- लेखा परीक्षा वर्ष 2006 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1163707/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1163707/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम शंकर से रू0-581854/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिताभ पाल से रू0-581853/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-364- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1949900/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1949900/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गुड्डू अग्निहोत्री से रू0- 974950/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिताभ पाल से रू0-974950/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-365- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 17113/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 17113/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती ममता से रू0- 8557/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिताभ पाल से रू0-8556/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

49. ग्राम पंचायत : सुभानपुर मुरादनगर लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-366- लेखा परीक्षा वर्ष 2006 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1038379/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य

अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1038379/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गुच्छन खॉ से रू0-519190/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-519189/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-367— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3265935/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3265935/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती विधा से रू0-1632968/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-1632967/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-368— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 88225/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 54200/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती विधा से रू0-44113/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-44112/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 04)

50. ग्राम पंचायत : रौगांव लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-369— लेखा परीक्षा वर्ष 2006 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3769548/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3769548/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी यादव से रू0-1884774/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रू0-1884774/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-370— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 6431813/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 6431813/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुभाङ्ग चन्द्र 3215907 से रू0-1632968/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आसीम सोनकर से रू0-3215906/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-371— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 54200/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 54200/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नीदेवी से रू0- 27100/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आसीम सोनकर से रू0-27100/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 04)

51. ग्राम पंचायत : संजती बादशाहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-372— लेखा परीक्षा वर्ष 2006 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1825340/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1825340/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अवधेश से रू0-912670/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के.बी.सिंह से रू0-912670/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-373— लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4001959/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4001959/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री पुत्तिलाल से

रू0-2000980/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के.बी.सिंह से रू0-2000979/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-374- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 12200/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 12200/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा सिंह से रू0- 6100/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के.बी.सिंह से रू0-6100/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

52. ग्राम पंचायत : सिहुरामऊ लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06 से 2015-16

प्रस्तर संख्या-375- लेखा परीक्षा वर्ष 2006 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1182536/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1182536/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जग मोहन से रू0-591268/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिताभ पाल से रू0-591268/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-376- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1845441/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1845441/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती श्री देवी से रू0-922721/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिताभ पाल से रू0-922720/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-377- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 35063/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 35063/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार से रू0- 17532/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिताभ पाल से रू0-17531/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये

वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

53. ग्राम पंचायत : शाहमपुर कोट लेखा परीक्षा वर्ष-2005-06से2015-16

प्रस्तर संख्या-378- लेखा परीक्षा वर्ष 2006 आंशिक से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1087673/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1087673/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती दर्शना देवी से रू0-543937/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-543836/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 02)

प्रस्तर संख्या-379- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1315484/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1315484/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार से रू0-657742/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-657742/- से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 03)

प्रस्तर संख्या-380- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 27000/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 27000/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन से रू0- 13500/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से रू0-13500/-से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।
(मू0आ0सं0 04)

मण्डल— लखनऊ

जनपद— लखनऊ

विकास खण्ड—चिनहट

ग्राम पंचायत—सरौरा

वर्ष—2015—16

प्रस्तर संख्या—1 कैंश बुक में दिनांक 07.04.2015 में रू0 24912.00 मजदूरी भुगतान में दर्शित है। जो रामचन्द्र की दुकान से संतोष के घर तक नाली निर्माण हेतु किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

(i) व्यय की तिथि 07.04.2015 है। वर्ष के प्रारम्भ में आरम्भिक स्टाक अप्राप्त है व इस तिथि के पूर्व कोई खरीद, ईट, सीमेन्ट, मोरंग आदि पर नहीं है। फिर नाली निर्माण पर व्यय की गई मजदूरी संदिग्ध है। अतः उक्त रकम की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से रू0 12456.00 तथा सचिव रमेश्वर दत्त शुक्ल से 12456.00 से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—2 कैंश बुक में दुकान 08.04.2015 में खड़जा निर्माण (टिकवा नाले से बड़ी नाली तक) के लिए मजदूरी व्यय रू0 8424.00 का किया गया है। उक्त तिथि के पूर्व कोई ईट क्रय दर्शित नहीं है और न ही आरम्भिक स्टाक प्राप्त है। अतः उक्त मजदूरी ईट अभाव में खड़जा निर्माण हेतु संदिग्ध हैं अतः ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से रू0 4214.00 की वसूली व सचिव रमेश्वर दत्त शुक्ला से रू0 4214.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—3 कैंश बुक में दिनांक 12.04.2015 में रू0 10100.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत में दर्शित है। संलग्नक में पवन ट्रेडर्स से विभिन्न सामग्री हैण्ड पम्प से सम्बन्धित दर्शित है। जिन पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

(i) खरीद की गई सामग्री का स्टाक में अंकन लेखा परीक्षा में अप्राप्त है। स्टाक में अंकन के अभाव में उक्त सामग्री क्रय की पुष्टि, अपुष्टि है।

(ii) सामान का क्रय पवन ट्रेडर्स से किया जाना दर्शित हैं। उक्त फर्म के विवरण में केवल भवन सामग्री यथा (सीमेन्ट, सरिया) की बिक्री का विवरण अंकित है तो इस फर्म से हैण्ड पम्प सामग्री कैसे क्रय किया जा सकता है।

(iii) जिन हैण्ड पम्प की मरम्मत की गई है। उनका विवरण/संदर्भ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

उक्त के परिपेक्ष्य में व्यय की राशि संदिग्ध है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से रू0 5050.00 व ग्राम सचिव रमेश्वर दत्त शुक्ला से रू0 5050.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—4 कैंश बुक में दिनांक (निम्न में) में ईट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न है।

तिथि	रू0	कैंश बुक में सेल इनवायस का नं0	कैंश बुक में वाउचर नं0
15.04.2015	70000.00	825	5
25.04.2015	60000.00	841	6
25.04.2015	50000.00	837	7
	180000.00		

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा टिप्पणी निम्न है—

(i) संलग्नक में उक्त ईट क्रय विद्या ब्रिक फिल्ड से किया जाना दर्शित है। उक्त क्रय हेतु विद्या ब्रिक फिल्ड का चयन कैसे किया गया, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.01.2017 को इस सम्बन्ध में सचिव से लिखित में पत्रावली की मांग की गई जो उपलब्ध नहीं कराई गई।

(ii) विद्या ब्रिक फिल्ड से क्रय की गई ईट से सम्बन्धित सेल इनवाइस पर दो तिथियां अंकित हैं। एक तिथि वही है जो ऊपर दी गई है और उसी तिथि पर कैंश बुक में व्यय दर्शित है। दूसरी निम्न है।

क्र0सं0	तिथि	रू0	सेल इनवाइस नं0 कैंश बुक में
1.	10.03.2015	70000.00	5
2.	28.03.2015	60000.00	6

3.	20.03.2015	50000.00	7

उक्त तिथि के अंकन से स्पष्ट है कि यह व्यय पिछले वित्त वर्ष का है और इन तिथियों में पर्याप्त ग्रामनिधि कोष था। तो फर्म का भुगतान क्यों नहीं किया गया है और स्पष्ट है कैश बुक में 28.03.15 के प्रमाणक का नं०-6 दिया गया है तथा 20.03.15 के प्रमाणक का नं०-7 दिया गया है जो कि हो नहीं सकता।

(iii) उक्त क्रय की गई ईट का अंकन स्टॉक रजिस्टर में अप्राप्त है।

उक्त के परिपेक्ष्य में क्रय की गई ईट व उस पर व्यय राशि अपुष्टित है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से 90000.00 व ग्राम सचिव रमेश्वर दत्त शुक्ला से 90000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 कैश बुक में दिनांक 25.04.15 में ₹0 1500.00 का व्यय हैण्ड पम्प मजदूरी में दर्शित है। प्रश्न है कि हैण्ड पम्प मरम्मत का विवरण व संदर्भ लेखा परीक्षा में अप्राप्त है। अतः उक्त व्यय अपुष्टित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से 750.00 ग्राम सचिव रमेश्वर दत्त शुक्ला से 750.00 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6 कैश बुक में दिनांक 17.09.15 प्रमाणक संख्या-9 से ₹0 5000.00 का व्यय दर्शित है। प्रमाणक में पवन ट्रेडर्स का बिल संलग्न है। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

(i) उक्त फर्म से ₹0 5000.00 का हैण्ड पम्प सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। इस सामग्री का अंकन स्टॉक में अप्राप्त रहा एवं पूरे वित्त वर्ष 2015-16 में उपयोग किया जाना दर्शित नहीं है क्योंकि जब 5000.00 की सामग्री क्रय की गई है तो उसकी फिटिंग में भी मजदूरी का व्यय आना चाहिए था, जोकि नहीं हुआ है।

(ii) सम्बन्धित फर्म पवन ट्रेडर्स केवल भवन सामग्री विक्रेता है तो उससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री कैसे खरीद की जा सकती है।

(iii) खराब हैण्ड पम्प के विवरण/संदर्भ भी लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं था। उक्त के आलोक में किया गया व्यय संदिग्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से क्रमशः ₹0 2500.00 एवं ₹0 2500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7 कैश बुक में दिनांक 19.10.15 में ₹0 55435.00 का व्यय दर्शित है। संलग्नक में पवन ट्रेडर्स से सीमेन्ट, मोरंग क्रय करने का बिल संलग्न है। जिस पर तिथि 07.03.15 अंकित है। 07.03.2015 की तिथि का क्रय सामग्री का भुगतान वित्त वर्ष 2014-15 में किया जाना चाहिए था। ग्रामनिधि के प्रथम खाते में मार्च 15 में पर्याप्त धनराशि थी। तो भुगतान क्यों नहीं किया गया है। इस का भुगतान 19.10.15 वित्त वर्ष 2015-16 में किया गया है। जो नियम विपरीत है। इस व्यय को संदिग्ध मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान गोपाल व ग्राम सचिव से किया जाना अपेक्षित है। उक्त व्यय रकम ₹0 27718.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान गोपाल व शेष रकम 27718.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 कैश बुक में तिथि 30.03.16 को निम्न प्रकार सामग्री क्रय की गई है।

तिथि	फर्म का नाम	सामग्री विवरण/धनराशि
30.03.16	पवन ट्रेडर्स	सीमेन्ट, बालू, मोरंग, पीला बालू धनराशि-23835.00
30.07.16	विद्या ब्रिक फिल्ड	ईट-68250.00

उक्त खरीद सामग्री का स्टॉक में अंकन नहीं किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान गोपाल से ₹0 46042.00 तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से ₹0 46043.00 किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-शंकरपुर विकास खण्ड-माल वर्ष-2015-16

प्रस्तर संख्या-9 ग्राम पंचायत शंकरपुर के ग्राम निधि खाता प्रथम में वर्ष 2015-16 में किये गये व्यय ₹0 379159.00 से सम्बन्धित अभिलेखों में मात्र कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया वर्तमान सचिव श्री रवि तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा उक्त के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया है, ग्राम पंचायत के वर्ष 2015-16 ग्राम निधि खाता प्रथम की कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट की जांच में निम्नलिखित व्यय प्रकाश में आये-

क्र.सं०	दिनांक	चेक सं.	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	26.6.15	2329	शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स	4270
2	26.6.15	2333	अशोक कुमार शुक्ला	5000
3	27.6.15	2328	विशाल ट्रेडर्स	22200
4	29.6.15	2334	अशोक कुमार शुक्ला	5000
5	30.6.15	2326	अशोक कुमार शुक्ला	5000
6	1.7.15	2335	अशोक कुमार शुक्ला	5000
7	2.7.15	2336	अशोक कुमार शुक्ला	5000
8	4.7.15	2332	शक्ति ब्रिक फील्ड	77500
9	7.7.15	2331	शेरबहादुर	5000
10	27.7.15	2338	अशोक कुमार शुक्ला	5000
11	29.7.15	2339	अशोक कुमार शुक्ला	5000
12	29.7.15	2337	विशाल ट्रेडर्स	12725
13	30.7.15	2340	अशोक कुमार शुक्ला	5000
14	31.7.15	2341	अशोक कुमार शुक्ला	5000
15	18.8.15	2330	जयराम	2000
16	5.11.15	2343	रोचना मिश्रा	5000
17	5.11.15	2344	रोचना मिश्रा	5000
18	5.11.15	2348	विशाल ट्रेडर्स	10000
19	5.11.15	2349	खाता सं. 682220100000030	6500
20	6.11.15	2347	रोचना मिश्रा	2500
21	6.11.15	2345	रोचना मिश्रा	5000
22	6.11.15	2346	शक्ति ब्रिक फील्ड	41100
23	9.11.15	2350	अग्रवाल इलेक. कंपनी	6950
24	21.3.16	2355	गीता देवी	7500
25	21.3.16	2356	गीता देवी	9184
26	21.3.16	2353	शंकर इन्जी. वर्क्स एंड लोहा भण्डार	34000
27	22.3.16	2351	शक्ति ब्रिक फील्ड	44100
28	22.3.16	2354	पुष्पा पब्लिसिटी आशुतोष	2600
29	28.3.16	2352	विशाल ट्रेडर्स	11900
30	30.3.16	2358	गीता देवी	7230
31	30.3.16	2357	विशाल ट्रेडर्स	11900
			योग	379159

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी—

- ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, चल अचल संपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, समेकित सार रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं पाए गए।
- कैश बुक में दर्शित कार्यों की कोई माप इंगित नहीं है जिससे कार्यों के क्षेत्रफल तथा वास्तविक गुणांक की जानकारी नहीं हो सकी। दर्शाये गए कार्यों पर हुए व्यय का औचित्य माप के अभाव में अस्पष्ट रहा।
- ग्राम पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा में क्रय सम्बन्धी शासकीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में क्रय सम्बन्धी कोटेशन, टेन्डर व क्रयादेश आदि महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं पाए गए।

(iv) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रू0 379159.00 की पुष्टि नहीं हो सकी।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।”

अतः प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि रू0 379159.00 को अपहरण/गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रोचना मिश्रा, श्रीमती गीता देवी तथा तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 मनरेगा योजना से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 285000.00 व्यय किया गया है, उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि रू0 285000.00 अपुष्ट रही। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण/गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रोचना मिश्रा, श्रीमती गीता देवी तथा तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पतौना विकास खण्ड-माल वर्ष-2015-16

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत पतौना के ग्राम निधि खाता प्रथम में वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक किये गये व्यय सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध उक्त अवधि का व्यय धनराशि रू0 1521783.00 सुसंगत अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहें। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर संख्या-12 ग्राम पंचायत पतौना के ग्राम निधि खाता प्रथम में वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक किये गये व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों में मात्र कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया किन्तु इनके सापेक्ष कोई भी अन्य सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, चल अचल सम्पत्ति पंजिका, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, समेकित सार रजिस्टर, टेन्डर/कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में रू0 1159053.00 का व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण/गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकुमारी व श्री गंगाराम तथा तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वर्ष 2014-15 व 2015-16 ग्राम निधि खाता प्रथम की कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट की जाँच में निम्नलिखित व्यय प्रकाश में आये-

क्र.सं0	दिनांक	चेक सं.	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	25.4.14	5023	एस0आर0ब्रिक्स	90500
2	16.5.14	5025	विशाल ट्रेडर्स	45200
3	27.5.14	5030	मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड म्यूजिक पैलेस	8060
4	29.5.14	5031	एस0आर0ब्रिक्स	71500
5	6.6.14	5038	मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड म्यूजिक पैलेस	57600
6	9.6.14	5035	विशाल ट्रेडर्स	33000
7		5039	विशाल ट्रेडर्स	23400

8	19.6.14	5041	मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड म्यूजिक पैलेस	24180
9	25.6.14	5043	एस0आर0ब्रिक्स	39000
10	30.6.14	5046	मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड म्यूजिक पैलेस	8060
11	27.8.14	5053	शेरबहादुर	4000
12	28.8.14	5051	गायत्री ग्रामोद्योग	30000
13	3.9.14	5054	विश्वकर्मा लोहा रिपेरिंग सेंटर	7000
14	16.10.14	5056	विशाल ट्रेडर्स	35400
15	28.11.14	5059	एस0आर0ब्रिक्स	72400
16	5.1.15	5068	शक्ति ब्रिक फील्ड	78125
17	6.4.15	5077	शंकर इंजी. वर्क्स एण्ड लोहा भण्डार	23300
18	1.5.15	5079	मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड म्यूजिक पैलेस	13445
19	13.5.15	5083	शक्ति ब्रिक फील्ड	62500
20	19.5.15	5086	विशाल ट्रेडर्स	32675
21	26.5.15	5084	न्यू मानव साइकल्स वर्क्स	9060
22	15.5.15	5026	ओमप्रकाश	5000
23	26.5.15	5027	ओमप्रकाश	5000
24	28.5.15	5028	ओमप्रकाश	5000
25	2.6.14	5032	ओमप्रकाश	5000
26	3.6.14	5033	ओमप्रकाश	5000
27	4.6.14	5034	ओमप्रकाश	5000
28	5.6.14	5036	ओमप्रकाश	5000
29	13.6.14	5040	ओमप्रकाश	5000
30	21.6.14	5042	ओमप्रकाश	6000
31	19.8.14	5052	ओमप्रकाश	5000
32	20.12.14	5066	ओमप्रकाश (ट्रेक्टर ट्राली मिट्टी भाड़ा हेतु)	4800
33	1.1.15	5070	ओमप्रकाश	5000
34	27.4.15	5078	ओमप्रकाश	5000
35	1.5.15	5082	ओमप्रकाश	5000
36	25.6.15	5096	शेरबहादुर (प्रिया सॉफ्ट फीडिंग)/धीरेन्द्र कुमार	2000
37	5.6.15	5092	शंकर इंजी. वर्क्स एण्ड लोहा भण्डार	25208
38	13.8.15	5105	मुकेश (सफाई सामग्री हेतु)	2500
39	14.8.15	5103	शक्ति ब्रिक फील्ड	44950
40	6.11.15	5110	शंकर इंजी. वर्क्स एण्ड लोहा भण्डार	10000
41	6.11.15	5111	शक्ति ब्रिक फील्ड	96875
42	6.11.15	5116	गायत्री ग्रामोद्योग	10770
43	6.11.15	5112	मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड म्यूजिक पैलेस	15000
44	9.11.15	5107	अग्रवाल इलेक्ट्रॉ एल.ई.डी. बल्ब हेतु	7645
45	3.3.16	5119	शक्ति ब्रिक फील्ड	62500
46	3.3.16	5118	संजीत शुक्ल (कुर्सी क्रय)	8800
47	22.3.16	5120	पुष्प पब्लिसिटी	2600
48	31.3.16	2480	शक्ति ब्रिक फील्ड	25000

49	31.3.16	2477	गायत्री ग्रामोद्योग	6000
			योग	1159053

प्रस्तर संख्या-13 मनरेगा योजना से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये तथा उक्त अवधि की व्यय धनराशि की सूचना एम0आई0एस0 फीडिंग मनरेगा.एन.आई.सी.इन से प्राप्त की गई है, किन्तु व्यय की गई धनराशि ₹0 1742000.00 के सापेक्ष सुसंगत अभिलेख यथा कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम.बी., सम्पदा रजिस्टर, कार्यों से सम्बन्धित फाइल्स, चल अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, जॉब कार्ड पंजिका, क्रयादेश, वित्तीय स्वीकृति आदि के अभाव में व्यय की गई धनराशि ₹0 1742000.00 अपुष्ट रही। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण/गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकुमारी व श्री गंगाराम तथा तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 ग्रामपंचायत पतौना ग्राम निधि खाता प्रथम के वर्ष 2015-16 के उपलब्ध अभिलेख तथा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट की जाँच में तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 1.8.15 को सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला ने चेक संख्या 5098 द्वारा ₹0 5000.00 आहरित किये, किन्तु कैश बुक में उक्त भुगतान प्रधान को मानदेय के रूप में दर्शित है जिसके सापेक्ष में मानदेय रजिस्टर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। स्पष्ट है कि ₹0 5000.00 का भुगतान सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा लेकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम पंचायत पतौना ग्राम निधि खाता प्रथम के वर्ष 2015-16 के उपलब्ध अभिलेख यथा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट की जाँच में तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 6.8.15 को सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला ने चेक संख्या 5102 द्वारा ₹0 5000.00 आहरित किये किन्तु कैश बुक में उक्त भुगतान राम आसरे को हैण्ड पम्प मजदरी भुगतान के रूप में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई भी भुगतान प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ। स्पष्ट है कि उक्त भुगतान ₹0 5000.00 का अपहरण सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम पंचायत पतौना ग्राम निधि खाता प्रथम के कैश बुक के अनुसार दिनांक 01.7.15 को नकद अवशेष ₹0 8421.00 था तथा दिनांक 15.7.15 को चेक सं0 5097 द्वारा ₹0 5000.00 का भुगतान श्री ओमप्रकाश को किया गया है तथा दिनांक 29.7.15 को चेक सं0 5095 द्वारा प्रधान को ₹0 5000.00 का भुगतान किया गया है। कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.7.15 को खड़जा मरम्मत हेतु ₹0 16100.00 का भुगतान किया गया है, स्पष्ट है कि खड़जा मरम्मत/निर्माण हेतु श्री ओमप्रकाश को ₹0 5000.00 का भुगतान किया गया है जबकि श्री ओमप्रकाश को अन्य बहुत सारे विविध कार्यों के लिये भी भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरणार्थ :

हैण्डपंप मरम्मत हेतु कुल ₹0 91000.00 का भुगतान

ट्रेक्टर ट्राली से मिट्टी ढुलाई हेतु कुल ₹0 7600.00 का भुगतान

ग्राम पंचायत द्वारा एक ही व्यक्ति को अलग-अलग प्रकार के कार्यों हेतु किया गया भुगतान नियम सांगत नहीं है, स्पष्ट है कि श्री ओमप्रकाश व अन्य द्वारा प्राप्त किया गया ₹0 16100.00 का भुगतान अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ओमप्रकाश व अन्य भुगतान प्राप्तकर्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रामकुमारी और सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-शाहपुर अपैया

वि0खं0-मोहनलालगंज

वर्ष-2015-16

प्रस्तर संख्या-17 पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत घर के प्रांगण में मिट्टी भरान कार्य के सापेक्ष वर्ष 2012-13 की विभिन्न तिथियों में श्री संदीप कुमार को रूपया 75,750.00 का भुगतान किया गया जिससे सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ द्रष्टव्य है।

(अ) उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, अनुमानित व्यय, उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुअल अध्याय-8 के नियम (154) के अनुसार जिस कार्य की लागत रूपया 5000.00/- से अधिक है ऐसा कोई भी निर्माण कार्य उस समय तक आरम्भ नहीं किया

जाएगा जब तक कि उसके योजना का मानचित्र, अनुमानित व्यय स्वीकार न किया जाये। नियम (164) के अनुसार कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

(ब) अनुमानित व्यय के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता थी और कितनी घनमीटर मिट्टी डाली गई। कैश बुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल 214 ट्राली मिट्टी डाली गई जबकि पी0डब्लू0डी0 के मानक के अनुसार मिट्टी मापने की इकाई घनमी0 होती है।

(स) बैंक पास बुक एवं कैश बुक तथा प्रमाणकों के अवलोकन से यह पता चला कि मिट्टी की आपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी रायल्टी कोषागार में नहीं जमा हुआ और न ही मिट्टी आपूर्तिकर्ता श्री संदीप द्वारा रायल्टी जमा किया जाने सम्बन्धी प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति पंचायत में जमा किया गया और पंचायत द्वारा मिट्टी आपूर्तिकर्ता श्री संदीप के भुगतान बिल से रायल्टी के रूप में कोई कटौती की गई।

जबकि शासनादेश संख्या 564/77-5-2001-200/77-टी0सी0 दिनांक 05.08.2002 तथा शासनादेश संख्या 4020/77-5-2003-1(2016)/93 दिनांक 12.08.2003 के अनुसार निर्माण प्रयुक्त सामान्य मिट्टी को गौण खनिज घोषित किया एवं राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 1651/77-5-2001-200-77 दिनांक 28.03.2001 के माध्यम से साधारण मिट्टी पर रायल्टी घोषित की थी जिसमें सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रस्तुत होने वाले उपखनिज (साधारण मिट्टी) की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी भुगतान कर वैध रक्क (एम0एम0 11) के आधार पर ही परिवहन किये गये हैं। रायल्टी के पूर्ण भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जायें।

उक्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षकों द्वारा यह माना गया है कि भुगतान में गम्भीर अनियमितता बरती गई। अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0-75750.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से रू0 37875.00 तथा ग्रामपंचायत सचिव श्री पंकज वर्मा से रू0 37875.00 की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में हैण्डपम्प सामग्री एवं मजदूरी पर कुल रू0 25040.00/- व्यय किया गया जिसमें हैण्डपम्प सामग्री पर रू0 22040.00 एवं मरम्मत मजदूरी पर रू0 3000.00/- व्यय दर्शित है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां द्रष्टव्य हैं।

(अ) स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय की गई सामग्री पंचायत तक पहुंची या नहीं।

(ब) हैण्डपम्प का मरम्मत के पूर्व, मरम्मत के दौरान, मरम्मत के उपरान्त की फोटोग्राफ अभिलेखों के साथ नहीं पाया गया इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प का मरम्मत हुआ।

(स) पंचायत द्वारा सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त हैण्डपम्प ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हुए हैं या नहीं।

जबकि शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29.6.2011 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठापित नये हैण्डपम्प को प्रारूप पत्र 1 पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को हस्तान्तरित कराया जायेगा। हस्तान्तरित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त ग्राम सभा के परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। ग्राम पंचायत हस्तान्तरित किये जाने हैण्डपम्प के रख-रखाव पर खर्च कर सकती है।

उक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षक यह मानता है कि हैण्डपम्प का मरम्मत नहीं किया गया और मंगाई गई हैण्डपम्प सामग्री पंचायत में नहीं पहुंची। अतः हैण्डपम्प सामग्री एवं मरम्मत पर खर्च किया कुल धनराशि रू0 25040.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मीरा देवी ग्राम प्रधान से रू0 12520.00/- तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज वर्मा से रू0 12520.00/- किये जाने की संस्तुति करता है।

प्रस्तर संख्या-19 ग्राम पंचायत का वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.01.2012 को पार्थ इन्टरप्राइजेज समेसी के बिल संख्या 645 के माध्यम से रू0 22040.00 का हैण्डपम्प सामग्री क्रय की गई पुनः 03.07.2012 को रू0 28430.00 की हैण्डपम्प सामग्री खरीदी गई इस दौरान हैण्डपम्प मरम्मत के सापेक्ष किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया अर्थात् दिनांक 08.01.2012 को खरीदी गई सामग्री का कोई उपयोग नहीं किया गया और न ही दोनों तिथियों में खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर

में दर्ज किया गया। उक्त आपत्तियों के आलोक में दुबारा खरीदी गई हैण्डपम्प सामग्री को लेखा परीक्षण अवास्तविक मानता है जिसको गबन मानते हुए ग्राम निधि से खर्च रु0 28430.00/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मीरा देवी से रु0-14215.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज वर्मा से रु0 14215.00/- करने की संस्तुति करता है उक्त वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- काटा कारौदी वि0खं0- मोहनलालगंज वर्ष-2014-15

प्रस्तर संख्या-20 पंचायत द्वारा एन0आई0सी0 फिडिंग (प्रिया सापट) से प्राप्त ऑकड़ों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न मदों में विभिन्न तिथियों में रु0 823689.00 व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ द्रष्टव्य हैं-

(1) (क) दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक (वाउचर) प्रस्तुत नहीं किया गया तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, अनुमानित व्यय, एम0बी0 उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि उ0प्र0 पंचायतराज मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 152 (ख) के अनुसार कार्य का मानचित्र और अनुमान तैयार किया जाना चाहिए नियम-154 के अनुसार जिस कार्य की लागत रु0 5000.00/- से अधिक हो उसके लिए मानचित्र, अनुमानित व्यय, ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अनुमति के बाद ही उसे निर्धारित अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा नियम 156 के अनुसार 5000.00/- से अधिक का निर्माण कार्य उस समय तक आरम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय नियमों के अनुसार स्वीकार न किए गये हो। नियम 164 के अनुसार निर्माण कार्यों के पूरा होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

अतः उक्त आपत्तियों एवं नियमों के आधार पर लेखा परीक्षक यह संस्तुति करता है कि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया धनराशि रु0 823689.00/- को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मंशा राम से 411844.50 तथा पंचायत सचिव श्री मनोज यादव रु0 411844.50 किया जाना अपेक्षित है।

(2) वर्ष पर्यन्त किये गये कुल व्यय रु0 823689.00 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्प सामग्री क्रय विभिन्न तिथियों में कुल रु0 37100.00 के सापेक्ष दर्शित है जिससे सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ द्रष्टव्य हैं।

(क) हैण्डपम्प सामग्री का पहली क्रय दिनांक 08.07.2014 को चेक संख्या 142973 के माध्यम से शुक्ला इन्टरप्राइजेज से किया गया। पुनः दूसरी बार दिनांक 30.10.2014 को रु0 26428 की हैण्डपम्प सामग्री का क्रय किया गया। जबकि दोनों खरीद तिथियों के बीच किसी प्रकार का हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। अतः दुबारा हैण्डपम्प सामग्री का क्रय क्यों किया गया यह प्रश्न लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा।

(ख) लेखा परीक्षा स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त सामग्री पंचायत में पहुँचा या नहीं।

(ग) हैण्डपम्प हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रारूप पत्र-I लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित नये हैण्डपम्प को प्रारूप पत्र-I सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को हस्तागत कराया गया जायेगा। हस्तान्तरित इण्डिया मार्का-I हैण्डपम्प ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त ग्राम सभा को परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। इसी क्रम में ग्राम पंचायत हस्तान्तरित किये जाने वाले हैण्डपम्प के रख-रखाव पर खर्च कर सकती है।

(3) लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये:-

1. क्रय आदेश, 2. सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित चालान, 3. स्टॉक रजिस्टर, 4. कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र, 5. बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट,
6. सम्पत्ति रजिस्टर, 7. कार्यवाही पुस्तिका,
8. कार्य योजना, 9. उपयोग प्रमाण पत्र, 10. एम0बी0, 11. चेक निर्गत रजिस्टर

ग्राम पंचायत-देवरिया विकास खण्ड-चिनहट वर्ष-2015-16

प्रस्तर संख्या-21 कैश बुक दिनांक 29.05.2015 में रू0 3250.00 का नकद भुगतान जनवाणी (हिन्दी साप्ताहिक) को दर्शित है। संलग्नक में टेन्डर प्रकाशन हेतु जनवाणी (हिन्दी साप्ताहिक) का बिल नं0 215 तिथि 08.05.2015 संलग्न है, जिस पर निम्न आपत्ति है-

(i) बिल पर अंकित तिथि 08.05.2015 है जिसका कैश बुक में लेखांकन 29.05.2015 में किया गया है। जो नियमों के सर्वथा विपरीत है।

(ii) टेन्डर प्रकाशन हेतु, राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर या क्षेत्रीय स्तर के न्यूनतम तीन समाचार में प्रकाशन होना चाहिए। जबकि टेन्डर हेतु चयनित जनवाणी पत्र साप्ताहिक होने का विवरण बिल पर अंकित है। यह पत्र ख्याति प्राप्त बिल्कुल नहीं है। प्रचार व प्रसार में इसका बिल्कुल कोई नाम नहीं है। अतः टेन्डर हेतु चयनित जनवाणी साप्ताहिक पत्र नियमों की परिधि में नहीं आता है और एक ही पत्र में प्रकाशन का विवरण प्राप्त है।

(iii) टेन्डर चयन हेतु पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं थी। उस पर जनवाणी को चेक/ड्राफ्ट से भुगतान न करके नकद रू0 3250.00 का किया गया है।

क्रमांक (i), (ii), (iii) के परिपेक्ष्य में उक्त भुगतान अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल से रू0 1625.00 व सचिव श्रीमती नमिता सिंह रू0 1625.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 कैश बुक दिनांक 18.05.2015 में क्रमशः रू0 2820.00, 1800.00, 3499.00, 3980.00 का भुगतान न्यूपाल हार्डवेयर एवं सनेटरी को दर्शित है। संलग्नक में उक्त फर्म का बिल निम्न विवरणानुसार संलग्न है।

क्र0सं0	बिल सं0	तिथि	चेक सं0	तिथि	धनराशि	मद
1.	02	06.05.2015	325	18.05.2015	2820	हैण्ड पम्प सामग्री
2.	08	11.05.2015	326	18.05.2015	1800	हैण्ड पम्प सामग्री
3.	21	13.05.2015	327	18.05.2015	3499	हैण्ड पम्प सामग्री
4.	13	14.05.2015	328	18.05.2015	3980	हैण्ड पम्प सामग्री
				योग	12099	

उक्त पर निम्न आपत्ति है-

(i) कैश बुक में उक्त भुगतान को 18.05.2015 में दर्शित किया गया है जबकि खरीद उसके पूर्व का है। अतः क्रय तिथि से अंकन होना चाहिए या जो कि नहीं है।

(ii) जब फर्म को एक ही तिथि 18.05.2015 में भुगतान किया गया तो चार चेक की जगह, एक चेक से क्यों नहीं किया गया। फर्म से एक ही प्रकार की सामग्री का क्रय किया गया है तो एक तिथि में क्रय के स्थान पर लगातार विभिन्न तिथियों में क्रय किया गया है। जो खरीद को संदिग्ध करता है।

(iii) क्रमांक-4 पर अंकित बिल संख्या-13 तिथि 14.05.2015 है। जबकि बिल संख्या-21 की तिथि 13.05.2015 है। जो विरोधाभासी है। स्पष्ट है कि सभी क्रय, बनावटी बिल लगाकर दर्शित किया गया है।

(iv) लेखा परीक्षा में मरम्मत योग्य हैण्डपम्प पम्पों की संख्या अज्ञात रही व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। उपरोक्त के संदर्भ में स्पष्ट है कि फर्म के साथ सांटगाठ करके कुल रू0 12099.00 का भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री लल्लू लाल से रू0 6050.00 तथा सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रू0 6050.00 का किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 कैश बुक दिनांक 25.05.2015 में नकद रू0 5000.00 का भुगतान अग्रवाल बुक डिपो को, स्टेशनरी मद में किया गया है। संलग्नक में अग्रवाल बुक डिपो का बिल सं0 1686 तिथि 25.05.2015 संलग्न है जिस पर निम्न टिप्पणी अंकित है-

(i) स्टेशनरी खरीद के लिए अग्रवाल बुक डिपो का चयन किस आधार पर किया गया। चयन से सम्बन्धित पत्रावली, लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी। अतः बिना चयन के मनमानी तौर पर, इस फर्म से क्रय किया गया।

(ii) बिल पर टिन अंकित नहीं है अतः यह बिल मान्य नहीं हैं

(iii) क्रय की गई सामग्री का स्टॉक में अंकन नहीं है। अतः क्रय संदिग्ध है।

(iv) भुगतान नकद किया गया है। चेक से नहीं किया गया है।

क्रम संख्या (i) से (iii) के परिपेक्ष्य में उक्त भुगतान अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल से रु0 2500.00 व सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु0 2500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

तिथि	व्यय की गई मजदूरी की धनराशि	मजदूरों का मास्टर रोल में क्रम से नाम
20.05.2015	1000 नकद	अमरेश, सोनू, मनीष
21.05.2015	1000	अमरेश, सोनू, मनीष
22.05.2015	1000	अमरेश, सोनू, मनीष
23.05.2015	1000	अमरेश, सोनू, मनीष

जिस पर निम्न आपत्ति है—

(i) प्रत्येक तिथि का एक मास्टर रोल फार्म, भरा गया है। अकेले तिथि का एक अन्य मास्टर रोल भरा गया है। इस प्रकार कुल चार अलग-अलग मास्टर रोल भरे हुए हैं। जब मजदूर प्रत्येक दिन वही है, तो चार मास्टर रोल भरने का क्या औचित्य था।

(ii) मजदूरों का नाम, चारों मास्टर रोल एक ही क्रम से था। लेकिन हस्ताक्षर में सोनू व मनीष का अंगूठा निशानी तिथि 22.05.2015 व 23.05.2015 में पहले मनीष व बाद में सोनू का निशानी लगाया गया है। यह निशानी संदिग्ध प्रतीत होता है।

(iii) हैण्ड पम्प मरम्मत में निदेशक पंचायतराज, उ0प्र0 के पत्रांक 5/शा0/741/05-05/19/02 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी 2005 का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें हैण्डपम्पों का ग्राम पंचायत में हस्तान्तरण व मरम्मत में लाभार्थियों का मरम्मत में 50% का व्यय भार ग्रहण करने का निर्देश है। लेकिन हैण्ड पम्प मरम्मत में हैण्डपम्प का कोई विवरण, हस्तान्तरण अंकित नहीं है। पूर्व में हैण्डपम्प पर कब मरम्मत की गई थी का कोई विवरण नहीं उपलब्ध था।

(iv) उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय इससे सम्बन्धित रु0 12099.00 जो क्रय सामग्री आपत्ति सं0 2 में बिल सं0 व तिथि में असंगतता के कारण फर्जी साबित हो चुकी है।

अतः क्रमांक I का IV के आलोक में उक्त हैण्डपम्प मरम्मत व्यय रु0 4000.00 का अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व सचिव श्रीमती नमिता सिंह से क्रमशः रु0 2000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 कैश बुक में दिनांक 25.05.2015 में रु0 4098.00 का भुगतान चेक न्यू पाल हार्डवेयर एण्ड सेनेट्री स्टोर को सामग्री क्रय के लिये किया गया है। संलग्नक में उक्त फर्म का बिल सं0 1884 दिनांक 25.05.2015 संलग्न है। उक्त बिल से प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय की रंगाई पुताई के लिए सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है जिस पर निम्न टिप्पणी है।

(i) न्यू पाल हार्डवेयर एण्ड सेनेट्री से ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व की तिथियों में भी सामग्री क्रय किया गया है और संदर्भित रंगाई, पुताई से सम्बन्धित सामान भी इसी फर्म से क्रय किया गया दर्शित है जो निम्न है—

क्र0सं0	बिल संख्या	तिथि	धनराशि	विवरण सामग्री
1.	02	06.05.2015	2820	हैण्डपम्प
2.	08	11.05.2015	1800	हैण्डपम्प
3.	21	13.05.2015	3499	हैण्डपम्प
4.	13	14.05.2015	3980	हैण्डपम्प
5.	1884	25.05.2015	4098	रंगाई एवं पुताई

(ii) क्रमांक 1 से 4 तक अंकित बिलों पर आपत्ति सं० 2 में की गई है। क्रमांक 5 पर अंकित बिल संख्या 1884, का क्रमांक 1, 2, 3, 4 से मिलान आतर्किक है। अतः इस परिपेक्ष्य में यह व्यय अनियमित तथा वसूली योग्य है।

(iii) लेखा परीक्षा में रंगाई, पुताई का इस्टीमेट आगणन अनुपलब्ध था। अतः क्रय सामग्री की पुष्टि अपुष्टित है।

(iv) क्रय सामग्री का स्टॉक में लेखाकन नहीं है व भुगतान चेक के बजाय नकद दर्शित है।

उपरोक्त क्रमांक (i) से (iv) के परिपेक्ष्य में किया गया व्यय/भुगतान काल्पनिक/अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू प्रधान से रु० 2049.00 तथा ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु० 2049.00 का किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 कैश बुक में दिनांक 26.05.2015 एवं 29.05.2015 में क्रमशः रु० 1000.00 व रु० 3000.00 का व्यय, प्रा०वि० एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालय हॉसमऊ के शौचालय की रंगाई पुताई के मजदूरी मद में किया जाना दर्शित है।

इस रंगाई पुताई के लिए जो सामग्री क्रय की गई है उसका विवरण यह है कि सामग्री न्यू पाल हार्डवेयर एण्ड सेनेटरी से क्रय की गई है, और इस फर्म से इसी माह और भी सामग्री क्रय की गई है जिस पर आपत्ति सं० 5 में अंकित है विवरण में बिल संख्या 1884 तिथि 25.05.2015 रु० 4098.00 का क्रय काल्पनिक दर्शित हो चुका है। अतः जब सामग्री का काल्पनिक क्रय है तो उस पर व्यय मजदूरी भी काल्पनिक ही है। साथ ही स्कूल में शौचालय की संख्या व रंगाई, पुताई का इस्टीमेट भी लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। अतः व्यय अनियमित तथा वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल से रु० 2000.00 व सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु० 2000.00 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 कैश बुक में निम्न तिथियों में ईट क्रय श्री अम्बे ट्रेडर्स से की जाने दर्शित है। विवरण निम्न है।

क्र०सं०	बिल संख्या	तिथि	टिन नं०	धनराशि	सामग्री
1.	132	25.05.2015	—	42000.00	ईट
2.	133	02.06.2015	—	42000.00	ईट
3.	136	11.06.2015	—	21000.00	ईट
			योग—	105000.00	

इस प्रकार विभिन्न तिथियों में उक्त फर्म को चेक से भुगतान किया जाना दर्शित है। इस निम्न आपत्ति है—

(i) ईट क्रय के लिए चयनित फर्म, अम्बे ट्रेडर्स से सम्बन्धित पत्रावली/प्रक्रिया लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।

(ii) क्रय की गई सामग्री के बिल पर व्यापार कर का टिन अंकित नहीं है।

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे ईट के स्टॉक का अंकन की जांच नहीं की जा सकी।

क्रमांक (i) से (iii) से परिपेक्ष्य में व्यय की गई धनराशि रु० 105000.00 अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व सचिव श्रीमती नमिता सिंह से क्रमशः रु० 52500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 कैश बुक में दिनांक 05.06.2015 में रु० 10100.00 का भुगतान पंकज प्लाई हाऊस को कुर्सी क्रय के मद में किया जाना दर्शित है। संलग्नक में पंकज प्लाई हाऊस का बिल सं० 055, बुक नं० 2 दिनांक 05.06.2015 संलग्न है जिस पर निम्न आपत्ति है—

(i) उक्त प्लास्टिक कुर्सी के क्रय के लिए कॉटेशन/आदि से सम्बन्धित प्रक्रिया लेखा परीक्षा अनुपलब्ध थी।

(ii) नग 12, दर 800 की दर से कुर्सी क्रय की गई व 500 का वैटशामिल कर कुल 10100.00 का भुगतान है। उक्त क्रय कुर्सी का अंकन, ग्राम पंचायत स्टॉक रजिस्टर में नहीं है। वास्तव में स्टॉक रजिस्टर बना ही नहीं है।

स्टाक में अंकन न होने तथा क्रय का प्रक्रिया का पालन न होने के कारण, व्यय अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व ग्रामसचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु० 5050.00 का क्रमशः प्रत्येक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 कैश बुक में माँ वैष्णों ट्रेडर्स से निम्न विवरणानुसार मोरंग, बालू, सीमेन्ट क्रय व भाड़ा सहित भुगतान किया जाना दर्शित है।

क्र०सं०	बिल संख्या	तिथि	धनराशि	भुगतान
1.	1750	08.06.2015	39195.00	चेक से
2.	1754	16.06.2015	10910.00	चेक से
		योग	50105.00	

इस पर निम्न आपत्ति है—

- क्रय की गई सामग्री के बिल पर व्यापार कर का टिन अंकित नहीं है।
- क्रय के लिये माँ वैष्णों का चयन किस प्रकार किया गया, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
- उपरोक्त बिलों पर जो तिथि अंकित है। वही तिथि बैंक पास बुक में अंकित है। यह कैसे सम्भव है कि क्रय के दिन प्रेषित चेक, उसी दिन बैंक खाते में डेबिट हो गया।
- ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर नहीं बना है। अतः उक्त क्रय सामग्री का स्टाक अंकन अपुष्टित रहा।

उक्त क्र०सं० (1) से (4) के आलोक में व्यय मनमानी व अनियमित है। फलस्वरूप उक्त व्यय को अनियमित मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु० 25053.00 क्रमशः प्रत्येक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 कैश बुक में दिनांक 15.06.2015 में नाला निर्माण के मद में मजदूरी व्यय रु० 17500.00 दर्शित है। संलग्नक में मास्टर रोल संलग्न है जिसमें प्राथमिक विद्यालय हासेमऊ के सामने नाला निर्माण हेतु राम पाल के घर तक के निर्माण वास्ते 7 मजदूर दर्शित है। जिसमें से दो की प्रतिदिन दर रु० 500.00 है व अन्य 5 की मजदूरी दर/प्रतिदिन 300 है। कुल 7 दिवस कार्य दर्शित है जिस पर निम्न आपत्ति है—

- मास्टर रोल पर अंकित कार्य दिवस 07.06.2015 से 13.06.2015 है। इस रूप में नाला निर्माण का शुरुआत दिवस 07.06.2015 है। ग्राम पंचायत के कैशबुक में मोरंग, बालू, सीमेन्ट की क्रय 08.06.2015 में माँ वैष्णों से रु० 39195.00 दर्शित है। इस रूप में क्रय 08.06.2015 को हुई व निर्माण 07.06.2015 को, बिना सीमेन्ट आदि के कैसे प्रारम्भ कर दिया गया? यह सम्भव नहीं है, अतः यह फर्जी व्यय है।
- नाला निर्माण से जुड़ा आगणन व एम०बी०लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी। अतः नाला व्यय पर मजदूरी अनियमित है।

अतः क्रमांक (i) व (ii) के परिपेक्ष्य में व्यय काल्पनिक व अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल से रु० 8750.00 व ग्रामसचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु० 8750.00 का किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31 कैश बुक में दिनांक 20.06.2015 में प्राथमिक विद्यालय हासेमऊ के सामने रामपाल के घर तक नाला निर्माण पर रु० 18100.00 व्यय मजदूरी में दर्शित है। मास्टर रोल संलग्न है। मास्टर रोल में कुल 8 मजदूर दर्शित है। जिसमें से सात (7) मजदूर वही है जो आपत्ति 7 में कार्यरत थे। एक अन्य मजदूर है। मास्टर रोल 07.06.2015 से 13.06.2015 में शामिल/कार्यरत मजदूर का हस्ताक्षर, मास्टर रोल 14.06.2015 से 20.06.2015 में कार्यरत मजदूर का हस्ताक्षर भिन्न है जबकि दोनों में एक ही नाम है। अतः व्यय मजदूरी संदिग्ध लगती है जिस पर निम्न आपत्ति है—

- आगणन लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा एवं मास्टर रोल जे०इ० से प्रमाणित नहीं है।
- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

अतः व्यय अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु० 9050.00 क्रमशः प्रत्येक से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32 कैश बुक में दिनांक 20.06.2015 में ₹0 5000.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री क्रय हेतु किया गया है। संलग्नक में न्यू पाल हार्डवेयर एण्ड सेनेटरी का बिल संख्या 284, तिथि 20.06.15 संलग्न है। जिस पर निम्न आपत्ति है। इसी फर्म से पूर्व कि तिथियों में सामग्री क्रय की गई है। जिसका विवरण, इस बिल सहित निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	बिल संख्या	तिथि	धनराशि
1.	02	06.05.2015	2820
2.	08	11.05.2015	1800
3.	21	13.05.2015	3499
4.	13	14.05.2015	3980
5.	1884	25.05.2015	4098
6.	284	20.06.2015	5003

(i) बिलों का क्रय सं० उनके तिथियों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार क्रमांक 1 से 5 तक पर आपत्ति की जा चुकी है व क्रमांक 6 पर अंकित बिल संख्या 284, तिथि 20.06.2015 वास्तविक नहीं है। बल्कि फर्जी बिल संलग्न है।

(ii) स्टॉक रजिस्टर नहीं बना है। अतः क्रय सामग्री का स्टॉक अंकन नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में व्यय अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से क्रमशः प्रत्येक से 2500.00 का किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 कैश बुक में हासेमऊ में राम सेवक के घर के पास नाला निर्माण पर मजदूरी में दिनांक 23.07.2015 में ₹0 14000.00 का व्यय दर्शित है। संलग्नक में मास्टर रोल संलग्न है। जिसमें निर्माण कार्य 17.07.2015 से 23.07.2015 कुल 7 दिवस किया गया है। जिसमें दो श्रमिक की मजदूरी प्रतिदिन 500 की दर से तथा अन्य 4 श्रमिक की मजदूरी ₹0 250.00 की दर से दिया जाना दर्शित है जिस पर लेखा परीक्षा टिप्पणी निम्न है-

(i) उक्त नाला निर्माण की एम०बी०लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

(ii) नाला निर्माण हेतु सीमेन्ट सामग्री व अन्य सामग्री पूर्व में दिनांक 08.06.2015 को ₹0 39195.00 में क्रय की गई थी और इस क्रय के बाद 16.06.2015 में सीमेन्ट आदि का क्रय दर्शित है। लेकिन इस क्रय उपरान्त नाला निर्माण पर ₹0 18100.00 दिनांक 20.06.2015 व ₹0 17500 दिनांक 15.06.2015 में व्यय किया जा चुका है तो सीमेन्ट, मोरंग व बालू की अवशेष मात्रा से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अज्ञात रहा है। जिससे खपत की गई सीमेन्ट की मात्रा अज्ञात रही।

(iii) सीमेन्ट के स्टॉक के अभाव में उक्त नाला निर्माण के लिए ₹0 14000.00 की मजदूरी व्यय, संदिग्ध प्रतीत होता है।

(iv) मास्टर रोल में अंकित श्रमिक का नाम है उनके पते का कालम खाली छोड़ दिया गया है।

(v) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

क्रमांक (i) से (v) के परिपेक्ष्य में उक्त व्यय अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से ₹0 7000.00 प्रत्येक से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 कैश बुक में अम्बे ट्रेडर्स से 08.07.2015 में ₹0 28000.00 का ईट क्रय दर्शित है। ईट क्रय ₹0 7.00 प्रति/ईट की दर से किया गया है पूर्व में भी इसी फर्म से ईट क्रय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण मय खरीद सहित निम्न है-

क्र०सं०	बिल संख्या	तिथि	धनराशि	सामग्री
1.	132	25.05.2015	42000	ईट
2.	133	02.06.2015	42000	ईट
3.	136	11.06.2015	21000	ईट
4.	137	08.07.2015	28000	ईट

(i) क्रय बिल संख्या लगातार क्रम से चल रही है जबकि तिथि में एक माह से अधिक का अन्तर है। एक माह उपरान्त भी अगला बिल संख्या को रसीद संलग्न है। जिससे सन्देह होता है कि यह बिल फर्जी है।

(ii) बिल पर टिन नहीं है स्टॉक रजिस्टर नहीं बना है

क्रमांक (i) व (ii) के आलोक में उक्त व्यय अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु0 14000.00 प्रत्येक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35 कैश बुक में माँ वैष्णों ट्रेडर्स से दिनांक 21.07.2015 में मोरंग, बालू, सीमेन्ट, का क्रय रु0 17800.00 में किया जाना दर्शित है। इस दौरान नाला निर्माण पर मजदूरी (आपत्ति सं0 15) 14000.00 का व्यय दर्शित है। पर मजदूरी (17.07.15 से 23.07.15) के दौरान की गई है। खरीद 21.07.15 में है। अर्थात् बिना मोरंग, सीमेन्ट, बालू क्रय के ही निर्माण चालू कर दिया गया है। जो सम्भव नहीं लगता है।

(i) इस खरीद से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है। इस फर्म से पहले भी खरीद हो चुकी है।

क्र0सं0	बिल	तिथि	धनराशि	सामग्री
1.	1750	08.06.2015	39195	सीमेन्ट, मोरंग, बालू
2.	1754	16.06.2015	10910	सीमेन्ट, मोरंग, बालू
3.	1756	21.07.2015	17800	सीमेन्ट, मोरंग, बालू

क्रम (3) पर अंकित बिल संख्या 1756 दिनांक 31.07.2015 व क्रम (2) पर अंकित 1754 तिथि 16.05.15 है। अवलोकन पर विदित होता है कि फर्म ने मात्र 1½ माह में एक बिक्री की है जो सन्देहास्पद है।

(ii) बिल पर टिन अंकित नहीं है। स्टॉक रजिस्टर नहीं बना है जिससे स्टॉक अंकन की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(iii) एम0बी0 लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।

(iv) बिल 1754 दिनांक 16.06.15 में खरीद का विवरण निम्न है—

सामग्री	दर	कुल राशि
100 फीट बालू	35	3500.00
50 फीट मोरंग	50	2500.00
14 बोरी सीमेन्ट	315	4410.00
भाड़ा	—	500.00
कुल		10910.00

एक बिल 1756 में खरीद का विवरण (27.07.15)

सामग्री	दर	कुल राशि
120 फीट मोरंग	50	6000.00
175 फीट बालू	40	7000.00
16 बोरी सीमेन्ट	300	4800.00
कुल		17800.00

पूर्ण बिल में भाड़ा संलग्न है। जबकि उससे ज्यादा सामग्री खरीद में भाड़ा बिल 1756

(27.07.2015) में शामिल नहीं है। अतः यह फर्जी है। इस खरीद की बिल संख्या कार्य के निर्माण पर लगी मजदूरी आदि में सामंजस्य नहीं बैठता है। अतः अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल से रु0 8900.00 व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु0 8900.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36 कैश बुक में स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर हेतु तिवारी इन्टर प्राइजेज को निम्न प्रकार भुगतान किया गया है। भुगतान बावत तिवारी इन्टर प्राइजेज का बिल संलग्न है।

बिल संख्या	तिथि	धनराशि
निल	08.07.2015	23000.00 चेक द्वारा
	16.07.2015	25000.00 चेक द्वारा
	कुल धनराशि	48000.00

जिस पर निम्न आपत्ति है—

- (i) दिनांक 08.7.2015 में 25 स्ट्रीट लाइट मरम्मत दर 800 व 6 स्ट्रीट लाइट मरम्मत दर 600 कुल 23000 का व्यय है व दिनांक 16.07.15 में स्ट्रीट लाइट 10 दर 2500 कुल 25000.00 का व्यय है। जिसके लिए तिवारी इन्टरप्राइजेज का बिल संलग्न है।
- (ii) स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु फर्म का चयन से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (iii) बिल पर कोई संख्या अंकित नहीं है।
- (iv) कार्य योजना अनुपलब्ध थी।
- (v) वाऊचर पर कोई बिल संख्या अंकित नहीं है।

उपरोक्त(i)से (iii)के क्रम में व्यय अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से क्रमशः प्रत्येक से 24000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—37 कौश बुक में दिनांक 24.08.2015 में स्वच्छता कार्य पर 2500.00 का व्यय दर्शित है। संलग्न में मास्टर रोल संलग्न है जिसमें 4 मजदूर दर 250 प्रतिदिन के हिसाब से कुल 10 दिवस का मजदूरी दर्ज है। मास्टर रोल में कार्य दिवस 22.08.2015 से 24.08.2015 है। जिस पर निम्न आपत्ति है।

- (i) श्रमिकों के नाम अंकित है पर रजिस्टर पर, उनका पता अंकित नहीं है।
- (ii) केवल स्वच्छता कार्य लिखकर मजदूरी निकाली गई है।
- (iii) ग्राम पंचायत में, सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं तो स्वच्छता पर अन्य व्यय क्यों किया या अगर कोई व्यय किया जाना था तो ग्राम सभा से प्रभावित व उच्चाधिकारी का अनुमोदन की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध करानी चाहिये जोकि नहीं किया गया। अतः व्यय अपहृत है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू लाल से रु0 1250.00 व ग्राम सचिव श्रीमती नमिता सिंह से रु0 1250.00 का किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— बाघामऊ विकास खण्ड— चिनहट वर्ष—2015—16

प्रस्तर संख्या—38 कौश बुक में रु0 10150.00 का व्यय नाली निर्माण के मजदूरी मद में दिनांक 05.05.2015 में दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्ति है।

- (i) संलग्न मास्टर रोल में कार्य का विवरण नाली निर्माण अंकित है। नाली का पूरा पता अंकित नहीं है न कौश में ही अंकित है।
- (ii) कुल 12 मजदूर, मास्टर रोल में अंकित है। जिसमें से एक मजदूर ग्राम पंचायत का है शेष ग्राम पंचायत के बाहर के है। कार्य दिवस 01.05.2015 से 05.05.2015 है। लेकिन मास्टर रोल पर किसी मजदूर का प्राप्तकर्ता धनराशि के कालम में हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अंकित नहीं है।
- (iii) कार्य के पूर्व किसी प्रकार वित्त वर्ष 2015—16 में निर्माण सामग्री क्रय करने का प्रमाण नहीं है। अतः बिना सामग्री के नाली निर्माण कैसे सम्भव है एवं स्टाक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त था। जिससे यह ज्ञात नहीं रहा कि कोई निर्माण सामग्री, ग्राम पंचायत में शेष थी।
- (iv) नाली निर्माण/मरम्मत से सम्बन्धित इस्टीमेट आगणन व एम0बी0 अनुपलब्ध था।

उपरोक्त क्रमांक (i) से (ii) के परिपेक्ष्य में उक्त व्यय अनियमित/अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला एवं ग्राम सचिव रामपाल निरंजन से क्रमशः रु0 5075.00 प्रत्येक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—39 कौश बुक में रु0 2500.00 का व्यय दिनांक 21.03.2016 में दर्शित है। कौश बुक में ग्राम पंचायत के दीवार पर लेखन हेतु पेन्टर श्री राजेन्द्र को भुगतान दर्शित है। बिल संलग्न नहीं है। लेखन विवरण भी अंकित नहीं है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार वाऊचर अनुपलब्धता को गबन माना गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में रु0 1250.00 की ब्याज सहित वसूली क्रमशः ग्राम प्रधान सुशीला व ग्राम सचिव राम पाल निरंजन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—40 कौश बुक में रु0 43000.00 तिथि 06.05.15 में ईट क्रय में, व्यय दर्शित है। उक्त भुगतान कौश बुक/पास बुक में पंकज कन्स्ट्रक्शन को दर्शित किया गया है। संलग्नक में कोई बिल संलग्न नहीं है।

सहायक विकास अधिकारी (प0) द्वारा अहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण पत्र 2015-16 में क्रम संख्या (1) पर नाली मरम्मत पर श्रमिक भुगतान 10150.00 व सामग्री पर रू0 43000.00 अंकित है। जिस पर निम्न आपत्ति है—

(i) मानक व्यय जो 10150/- दर्शित किया गया है वह 01.05.15 से 05.05.15 तक के अवधि का है जबकि ईट क्रय 06.05.15 में रू0 43000.00 अंकित है तो नाली निर्माण, बिना ईट व अन्य सामग्री के कैसे सम्भव हो सकता है।

(ii) क्रय ईट का बिल संलग्न नहीं है।

उपरोक्त (i) व (ii) के परिपेक्ष्य में उक्त धनराशि पंकज कन्सट्रक्शन से साठ-गांठ कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला से रू0 21500.00 व ग्राम सचिव रामपाल निरंजन से रू0 21500.00 का किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 कैश बुक में रू0 2500.00 का भुगतान तिथि 26.6.15 में मेसर्स एम्पल टेक्नोलॉजी की दर्शित है। प्रियाशाफ्ट पर फीडिंग पर ग्राम निधि I के फीडिंग हेतु दर्शित है जिस पर निम्न आपत्ति है।

(i) उक्त प्रिया फीडिंग के लिए कोई धनराशि व्यय के लिए दिशा निर्देश, पंचायत राज से नहीं है। अगर है तो लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक/बिल, लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं था।

क्रमांक (i) से (ii) के परिपेक्ष्य में उक्त व्यय अनियमित/अपहरण जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला से 1250.00 व ग्राम सचिव श्री रामपाल निरंजन से रू0 1250.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42 कैश बुक में रू0 3750.00 का भुगतान दिनांक 01.07.2015 में हैण्ड पम्प मरम्मत में सामग्री हेतु किया जाना नकद दर्शित है। उक्त भुगतान धर्मेन्द्र कुमार को मय मरम्मत, सामग्री सहित के लिए किया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

(i) सामग्री क्रय हेतु, बिल संलग्न होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर युक्त, विवरण वाला प्रपत्र।

(ii) हैण्ड पम्प मरम्मत में हैण्ड पम्प का विवरण व पूर्व में मरम्मत की तिथि का विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

(iii) हैण्ड पम्प मरम्मत के सम्बन्ध में निरीक्षक पंचायत राज लखनऊ के पत्र संख्या-5/शा0/741/05-05/19/02 लखनऊ 3 जनवरी 2005 का पालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त क्रमांक (i) से (iii) के परिपेक्ष्य में भुगतान अपहृत किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला एवं ग्राम सचिव राम पाल निरंजन से क्रमशः रू0 1875.00 प्रत्येक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43 कैश बुक में रू0 5600.00 का भुगतान बालू क्रय के मद में श्री सुनील कुमार को ट्रेक्टर व बालू हेतु किया जाना 03.07.15 में दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्ति है।

(i) सामग्री क्रय के लिये बालू विक्रेता फर्म से क्रय करके, उससे सम्बन्धित बिल संलग्न होना चाहिए था और क्रय सामग्री के ढुलाई हेतु ट्रेक्टर-ट्राली मालिक को भाड़ा देय होना चाहिये था। जो कि नहीं किया गया है। बल्कि एक ही व्यक्ति को सामग्री व ढुलाई का भुगतान कर दिया गया है जो अनियमित है।

(ii) बिल व भाड़ा बिल संलग्न नहीं है—

उक्त के परिपेक्ष्य में ग्राम प्रधान सुशीला से रू0 2800.00 व ग्राम सचिव रामपाल निरंजन से रू0 2800.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44 कैश बुक में रू0 500.00 का भुगतान टेन्डर हेतु पंचायत जागरण की नकद दिनांक 21.07.15 में किया गया है। संलग्नक में न तो टेन्डर की कटिंग संलग्न है। अतः ग्राम प्रधान सुशीला से 250.00 व ग्राम सचिव रामपाल निरंजन से रू0 250.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। उक्त पंचायत जागरण को टेन्डर के लिए किस प्रकार चयनित किया गया, पत्रावली अनुपलब्ध थी।

प्रस्तर संख्या-45 कैश बुक में, प्रा0 विद्यालय वाधामऊ के बाउन्ड्रीवाल व शौचालय निर्माण पर निम्न विवरणानुसार मजदूरी व सामग्री क्रय दर्शित है—

क्र0सं0	मजदूरी	धनराशि	मास्टर रोल में अवधि
1	मजदूरी	10650.00	01.07.15 से 6.07.15
2	मजदूरी	9750.00	1.09.15 से 7.09.15

3	सामग्री ईट	39960.00	10.09.15
	योग	60360.00	

- (i) क्रमांक (i) पर दर्शित मजदूरी 10650 है जिसका भुगतान कैश बुक में 22.7.15 में नकद दर्शित है। जबकि मास्टर रोल में अंकित तिथि 06.07.15 थी और उक्त तिथि को ग्राम पंचायत निधि-I में रु0 1,16,871.00 अवशेष था फिर भी विलम्ब से भुगतान दर्शित है।
- (ii) क्रमांक (i) के व्यय में मास्टर रोल संलग्न है जिसमें 11 मजदूर अंकित है जिसमें तीन मजदूर, ग्राम पंचायत के हैं और शेष मजदूर अन्य जगह के हैं।
- (iii) मास्टर रोल के भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कालम में, किसी प्रकार का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं लगा हुआ है।
- (iv) क्रमांक 2 पर दर्शित मजदूरी रु0 9750.00 है। जिसका भुगतान कैश बुक में 16.09.15 में नकद दर्शित है। जबकि मास्टर रोल में अन्तिम तिथि 07.09.2015 थी और उक्त तिथि को ग्राम पंचायत निधि I में रु0 97,469/- था। फिर भी विलम्ब से भुगतान दर्शित है।
- (i) क्रमांक 2 के व्यय में मास्टर रोल संलग्न है जिसमें 7 मजदूर अंकित है तीन मजदूर ग्राम पंचायत के हैं और 5 मजदूर अन्य जगह के हैं।
- (vi) मास्टर रोल के भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कालम में किसी प्रकार हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित नहीं है।
- (vii) क्रमांक (3) पर ईट सामग्री प्राथमिक विद्यालय वाधामऊ के बाउन्ड्रीवाल व शौचालय मरम्मत हेतु क्रय दर्शित है जिसकी तिथि 10.09.15 है। संलग्न वाउचर बिना तिथि के विशेष ब्रिक फील्ड का रु0 40,000.00 है। जबकि कैश बुक में रु0 39960.00 का भुगतान अंकित है। जिस पर निम्न टिप्पणी है। मास्टर रोल में कार्यरत मजदूर, ईट क्रय के तिथि के पहले ही दर्ज है बिना ईट के ये मजदूर किस सामग्री से बाउन्ड्रीवाल व शौचालय मरम्मत कर रहे थे एवं निर्माण/मरम्मत हेतु कोई सीमेन्ट क्रय भी, कैश बुक में दर्शित नहीं है। एम0बी0 अनुपलब्ध थी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उक्त व्यय अपहरण/अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला से रु0 30180.00 व ग्राम सचिव रामपाल निरंजन से रु0 30180.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46 कैश बुक में निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प सामग्री एवं मरम्मत पर व्यय दर्शित है।

क्र0सं0	विवरण	धनराशि	तिथि	
1.	मजदूरी सहित सामग्री	7850.00	24.08.15	नकद
2.	मजदूरी सहित सामग्री	4450.00	06.11.2015	नकद
3.	मजदूरी सहित सामग्री	13975.00	18.02.2016	नकद
	योग	26275.00		

उक्त व्यय पर निम्न आपत्ति है।

- (i) सामग्री क्रय व मजदूरी हेतु कोई भी बिल/विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं था। मात्र धर्मेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उक्त धनराशि प्राप्ति की, एक सादा रसीद संलग्न है। जो कि मान्य प्रमाणक नहीं है।
- (ii) हैण्ड पम्प मरम्मत के सम्बन्ध में निदेशक पंचायत राज लखनऊ के पत्र संख्या 05/शा0/741/05-5/19/02 लखनऊ 3 जनवरी 2005 का पालन नहीं किया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में धन व्यय अनियमित/अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला से रु0 13138.00 व ग्राम सचिव राम पाल निरंजन से 13138.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 कैश बुक में सफाई सामग्री हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क्र०सं०	विवरण	धनराशि	तिथि	
1.	सफाई सामग्री	2150.00	25.08.2015	नकद
2.	सफाई सामग्री	1560.00	17.02.2016	नकद
	कुल	3710.00		

निम्नलिखित पर निम्न टिप्पणी है।

- (i) उपरोक्त क्रय सामग्री के वास्ते कोई बिल लेखा परीक्षा में संलग्न नहीं था।
- (ii) सफाई सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नहीं था। वास्तव में ग्राम पंचायत में स्टॉक रजिस्टर बना ही नहीं था।

उपरोक्त (i) व (ii) के क्रम में व्यय अनियमित है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार वाउचर अनुपलब्धता को गबन माना गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला से ₹0 1855.00 व ग्राम सचिव रामपाल निरंजन से ₹0 1855.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 कैश बुक में ₹0 15000.00 का भुगतान दिनांक 16.09.2015 में सामग्री क्रय हेतु नीलकण्ठ इन्टर प्राइजेज को किया जाना दर्शित है। उक्त सामग्री क्रय, प्रा०वि० बाधामऊ के बाउन्ड्रीवाल व शौचालय हेतु कैश बुक में दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्ति है।

- (i) प्राथमिक विद्यालय बाधामऊ के बाउन्ड्रीवाल व शौचालय मरम्मत पर पूर्व तिथियों में निम्नानुसार सामग्री क्रय व मजदूरी व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	धनराशि	मास्टर रोल में कार्यावधि
1.	मजदूरी	10650.00	01.07.2015 से 06.07.2015
2.	मजदूरी	9750.00	01.09.2015 से 07.09.2015
3.	सामग्री क्रय ईट	39960.00	10.09.2015
4.	सामग्री क्रय	15000.00	16.09.2015

क्रमांक 4 पर अंकित सामग्री किस रूप में बाउन्ड्री व शौचालय पर व्यय हुई, जब खरीद बाद में हो रही है व मजदूरी पर व्यय पहले ही दर्शित है। खरीद का कोई बिल संलग्न नहीं है, न ही क्रय सामग्री का कोई विवरण आइटमवार, कैश बुक में अंकित है। केवल कैश बुक में नीलकण्ठ इन्टरप्राइजेज से क्रय किया जाना दर्शित है। अतः क्रमांक 4 पर व्यय की धनराशि ₹0 15000.00 अनियमित है वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार वाउचर अनुपलब्धता का गबन माना गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला से ₹0 7500.00 व ग्राम सचिव रामपाल निरंजन से ₹0 7500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 कैश बुक में ₹0 11500.00 का व्यय 17.12.2015 में दर्शित है कैश बुक में जनता एच०पी० रिपेयरिंग वर्क्स बाराबंकी से सामग्री क्रय हेतु अंकित है। सामग्री का विवरण अप्राप्त है। बिल, संलग्न नहीं है। स्टॉक रजिस्टर में अंकन नहीं है। अपितु स्टॉक रजिस्टर बना नहीं है। अतः व्यय अनियमित है वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार वाउचर अनुपलब्धता का गबन माना गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुशीला से ₹0 5750.00 व ग्राम सचिव राम पाल निरंजन से 5750.00 किया जाना अपेक्षित है।

मण्डल— लखनऊ**जनपद— रायबरेली****वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16****ग्राम पंचायत—बेहटाखुर्द विकास खण्ड— राही**

प्रस्तर—1 दिनांक 19.08.2015 को बैंक खाता संख्या 26125 से चेक संख्या 119 द्वारा रू0 1600 आहरित कर सम्बन्धित कैश बुक के आय पक्ष में अंकित न कर धनराशि रू0 1600 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी कु0 अल्का एवं प्रधान श्रीमती निशा से किया जाना अपेक्षित है। आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर दर्शित हेड में जमा कराये।

(आपत्ति संख्या—09)**ग्राम पंचायत—दोस्तपुर विकास खण्ड— बछरावाँ**

प्रस्तर—2 आलोच्य वर्ष में रोकड़बही (राज्य वित्त) व बैंक विवरण व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत दोस्तपुर में मस्जिद के पास इण्टरलाकिंग कार्य, कराये जाने का विवरण (आहरण व तत्सम्बन्धी व्यय) निम्नानुसार दर्शाया गया है— आय पक्ष— क्रम0सं0 (1) दिनांक 31.07.2015 को चेक सं0 90 रानी कंक्रीट उद्योग को रू0 68320.00, क्रम0सं0 (2) 10/12.08.2015 को चेक सं0 94 से रानी बाजपेयी (ग्राम प्रधान) को रू0 33172.00, क्रम0सं0 (3) 24.08.2015 को चेक सं0 (93) से शिवशक्ति ट्रेडर्स को रू0 44530.0, क्रम0सं0 (4) 11.09.2015, 15.09.2015 को चेक सं0 (100) से रानी बाजपेयी (ग्राम प्रधान) को रू0 19970.00, क्रम0सं0 (5) 11.09.2015, 05.10.2015 को चेक सं0 (95) से शिव शक्ति ट्रेडर्स रू0 41805.00 का आहरण किया गया। तथा व्यय पक्ष में— प्रमाणक सं0 (14) से इण्टरलाकिंग ईट का भुगतान 3200 नं0 दर 21.35 रू0 प्रति ईट रू0 65320.00, प्रमाणक सं0 (17) से इण्टरलाकिंग कार्य का मजदूरी भुगतान मिस्त्री 30एम0डी0दर290 रू0 + 152 एम0डी0 दर161रू0 = रू0 33172.00, प्रमाणक सं0 (20) से इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट का भुगतान 146 बोरी दर 305 प्रति बोरी रू0 44530.00, प्रमाणक सं0 (23) से इण्टरलाकिंग कार्य का मजदूरी भुगतान मिस्त्री 30एम0डी0दर290 रू0 व श्रमिक 70एम0डी0 दर 161 रू0 = रू0 19970.00, प्रमाणक सं0 (25) से मस्जिद के पास इण्टरलाकिंग कार्य में प्रयुक्त बालू व मोरंग का भुगतान (शिवशक्ति ट्रेडर्स को) 15 घन मी0 बालू दर 1560 रू0, 9 घन मी0 मोरंग दर 2045 रू0 = रू0 41805.00, कुल योग रू0 207797.00, का व्यय किया गया। उक्त विवरणानुसार मस्जिद के पास इण्टरलाकिंग कार्य पर किये गये कुल व्यय रू0 165992.00 पर निम्न आपत्तियाँ हैं— (1) मस्जिद के पास इण्टरलाकिंग कार्य का प्रस्ताव व अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा नहीं किया गया है। (2) इण्टरलाकिंग कार्य का न तो प्राकवलन किया गया है न ही एम0बी0 करायी गयी है। क्रमांक 1, 2, 3, 4 व 5 में अंकित श्रम व सामग्री का अनुपात तर्कसंगत नहीं है। कुल 3200 नम्बर इण्टरलाकिंग ईट कबछाने में रू0 53142.00 मजदूरी भुगतान तर्कसंगत नहीं लगता। इसके अतिरिक्त इण्टरलाकिंग ईट बिछाने में 146 बोरी सीमेन्ट के प्रयोग का औचित्य भी प्रतीत नहीं होता। लेखा परीक्षा में इकाई से पूछे जाने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी, न ही सीमेन्ट के प्रयोग का कोई प्रमाण ही प्रस्तुत किया जा सका। इण्टरलाकिंग ईट बिछाने में जहाँ सीमेन्ट बालू व मोरंग की खरीद दर्शित है वही इण्टरलाकिंग ईट बिछाने में प्रयुक्त होने वाले अनिवार्य घटक ईट गिट्टी/गिट्टी की खरीद नहीं की गयी है। ऐसे में बिना अनिवार्य घटक ईट गिट्टी/पत्थर गिट्टी के इण्टरलाकिंग ईट का बिछाया जाना कैसे सम्भव है ? (2) इण्टरलाकिंग ईट की खरीद में सम्बद्ध फर्मों से कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके विपरीत ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं की फर्म रानी कंक्रीट उद्योग से खरीद कर अनुचित लाभ पहुँचाया गया है, जिस पर नियमानुसार व्यापार कर व आयकर की कटौती भी नहीं की गयी है, न ही इस आशय का कोई प्रमाण पत्र ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। कोटेशन आमंत्रित न किये जाने ग्राम पंचायत को प्रति स्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं मिल सका। इस प्रकार इण्टरलाकिंग ईट की खरीद में निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन न करके स्वयं की फर्म से खरीद कर अनियमितता की गयी है, अतः इण्टरलाकिंग ईट की खरीद में भुगतान की गयी धनराशि रू0 68320.00 की वसूली सम्बद्ध पक्षों से की जानी अपेक्षित है। (4) उक्त इण्टरलाकिंग कार्य में क्रय सामग्री (क्रमांक 1, 4, 5) में निर्धारित खरीद प्रक्रिया कोटेशन के माध्यम से खरीद का पालन न कर अनियमितता की गयी है। (5) उक्त इण्टरलाकिंग कार्य में क्रय सामग्री (क्रमांक 1, 4, 5) का भण्डार पंजिका में अंकन नहीं किया गया है, जिससे खरीदे गये स्टॉक (रोकड़ बही के अनुसार) उसका उपभोग व अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि खरीद स्टॉक का भण्डार पंजिका में अंकन न कर, स्टॉक का अपहरण किया गया है, जिससे सम्बद्ध धनराशि रू0 154655.00 की वसूली सम्बद्ध पक्षों से की जानी चाहिए। (6) उक्त

इंटरलाकिंग कार्य की कार्यतिथि दिनांक 2 से 9 अगस्त 2015 व सामग्री खरीद तिथियों 24.08.2015 प्रमाणक (20) व 11.09.2015, 05.10.2015 प्रमाणक (25) में तारतम्यता न होना भी उक्त कार्य को फर्जी साबित करता है। उपरोक्त तथ्यों (क्रम 1 से 6) से स्पष्ट है कि फर्जी इंटरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान कोषाङ्कित कर व खरीद स्टॉक को स्टॉक पंजिका में न दर्शाकर सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु0 207797.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्रीमती रानी वाजपेयी व ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री रामप्रसाद चौरसिया से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-05)

ग्राम पंचायत-जींगो विकास खण्ड - बछरावाँ

प्रस्तर-3 रोकड़बही (राज्य वित्त) बैंक विवरण पत्र में दिनांक 19.10.2015 को चेक संख्या 00130 से एस0के0 इंजीनियरिंग वर्क्स को मोटर रिपेयरिंग हेतु रु0 19900 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं- (क) मोटर रिपेयरिंग मद में व्यय का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं परित कराया गया है। (ख) मोटर ग्राम पंचायत का है या नहीं व उसका ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में क्या उपभोग है, लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो सका। (ग) मोटर खराब होने की सूचना सम्बन्धी बोर्ड प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। भुगतान बिल/प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में नहीं। (घ) ग्राम पंचायत स्तर पर भण्डार पुस्तिका (स्टाक रजि0) प्रपत्र नहीं बनाया गया है जो शासनादेश संख्या 01/33 दस/2005 (15) 104 दिनांक 04.01.2005 का उल्लंघन है, इस स्थिति में गत वर्षों में मोटर की खरीद की गयी थी या नहीं की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मोटर रिपेयरिंग का फर्जी व्यय दर्शाकर भुगतान की गयी धनराशि रु0 19900 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यभामा व ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर-2 की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-12)

ग्राम पंचायत-जींगो विकास खण्ड - बछरावाँ

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही (राज्य वित्त) में ह्यूम पाइप खरीद पर व्यय इस प्रकार दर्शाया गया- (क) 10.04.2015 को नारायण ट्रेडर्स को ह्यूम पाइप का भुगतान रु0 94000 (ख) 18.06.2015 को हेरिटेज स्पन पाइप को ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान रु0 97830 (ग) 21.09.2015 को हेरिटेज स्पन पाइप इंडस्ट्रीज को ह्यूम पाइप का भुगतान रु0 89600 कुल रु0 281430, का भुगतान दर्शित है। उक्त ह्यूम पाइप खरीद पर निम्न आपत्तियाँ हैं- (ए) क्रमांक (क), (ख), व (ग) पर अंकित क्रय ह्यूम पाइप की खरीद का बिल बाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में यह बात प्रकाश में आयी कि क्रमांक (क) की ह्यूम पाइप खरीद का भुगतान जिस फर्म-नारायण ट्रेडर्स को किया गया है वह न तो ह्यूम पाइप का निर्माण करती है न ही सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) ही है ऐसे में किया गया भुगतान रु0 94000.00 फर्जी है। (बी) उक्त ह्यूम पाइप को लगवाने की आवश्यकता सम्बन्धी ग्राम सभा का मांग पत्र व ह्यूम पाइप खरीद सम्बन्धी अनुमोदन ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं लिया गया है। (सी) रोकड़ बही में ह्यूम पाइप खरीद तो दर्शित है किन्तु ह्यूम पाइप लगवाई/डलवाई मजदूरी व्यय सम्पूर्ण वर्ष में खारिज नहीं है, जिससे क्रय ह्यूम पाइप के उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। (डी) ग्राम पंचायत में भण्डार पंजिका प्रपत्र 13 नहीं बनाया गया है, जिससे खरीदी गयी ह्यूम पाइप, उसके उपभोग या अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी। (ई) ह्यूम पाइप का प्रयोग किन स्थानों पर किया गया ? लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट नहीं हो सका। कार्यपूति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया गया है। (एफ) उक्त भुगतानों पर 2 प्रतिशत आयकर एवं 4 प्रतिशत व्यापार की कटौती भी नहीं की गयी है और न फर्मों से इस आशय का कोई प्रमाण ही लिया गया कि उक्त कर जमाकर दिये गये हैं या जायेंगे। (जी) वित्त एवं लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या ए-1/864/दस-08/15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000.00 से एक लाख की सामग्री खरीद हेतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त ह्यूम पाइप खरीद में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं मिला। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप खरीद में अनियमितता की गयी है व खरीद स्टॉक का अपहरण किया गया है। अतः अनियमित व अपुष्ट ह्यूम पाइप खरीद की धनराशि रु0 281430.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यभामा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-13)

ग्राम पंचायत—जींगो

विकास खण्ड — बछरावों

प्रस्तर—5 आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही राज्य वित्त में ईंट खरीद का विवरण इस प्रकार अंकित/दर्शित किया गया है— (i) 15.05.2015 को शिवानी ब्रिक फील्ड को ईंटों का भुगतान किया गया ₹0 29500.00 (ii) 15.05.2015 को शिवानी ब्रिक फील्ड को ईंटों का भुगतान किया गया ₹0 41300.00 (iii) 13.07.2015 को शिवानी ब्रिक फील्ड को ईंट सीधा खंजड 8000 नग दर 6200 प्रति हजार से भुगतान किया गया ₹0 49600.00 (iv) 12.08.2015 को शिवानी ब्रिक फील्ड को ईंट सीधा खंजड 6000 नग दर 6.2 प्रति हजार से भुगतान किया गया ₹0 16120.00 (v) 31.08.2015 को शिवानी ब्रिक फील्ड को ईंटों का भुगतान किया गया ₹0 18550.00 (vi) 11.09.2015 को नन्हा ब्रिक फील्ड को ईंट के मूल्य हेतु भुगतान ₹0 34550.00 योग ₹0 189620.00, भुगतान किया है। उक्त ईंट खरीद पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं— (क) उक्त ईंटों का क्रय किस कार्य के लिए किया गया है, न तो रोकड़ बही में उल्लिखित है, न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। जिससे खडन्जा/कूप मरम्मत/अन्य कार्य में उपभोग की गयी ईंटों का कार्य के क्षेत्रफल के अनुपात में उपभोग की गणना/जांच नहीं की जा सकी, जो अनियमित रहा। (ख) ग्राम पंचायत में स्टॉक पंजिका नहीं बनायी गयी है, जिससे खरीद स्टॉक, उसके उपभोग व अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अनियमित रहा। (ग) क्रमांक (i), (ii) व (iv) क्रम पर अंकित खरीद सामग्री ईंट में नियमानुसार शासकीय खरीद प्रक्रिया कोटेशन का पालन नहीं किया गया है जो अनियमित रहा। इस प्रकार क्रमांक (iv) को छोड़कर एक ही फर्म शिवानी ब्रिक फील्ड से खरीद किया जाना अनियमित रहा। (घ) उक्त भुगतानों पर नियमानुसार 2 प्रतिशत आयकर एवं 4 प्रतिशत व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी थी और न ही इस आशय का कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया कि उक्त कर का भुगतान फर्मों द्वारा जमा कर दिये गये थे। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त ईंट खरीद में भुगतान की गयी धनराशि ₹0 189620.00 में अनियमितता की गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यभामा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—14)

ग्राम पंचायत—जींगो

विकास खण्ड — बछरावों

प्रस्तर—6 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में रोकड़बही (राज्य वित्त) में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत मद में निम्नानुसार व्यय दर्शाया पाया गया— 24.04.2015 को श्री राजकुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद हैण्डपम्प मिस्त्री को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान किया गया 13 नग दर 622 प्रतिनल ₹0 8086.00, 19.05.2015 धीरेन्द्र मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प सामग्री का भुगतान किया गया ₹0 9000.00, 18.06.2015 हैण्डपम्प मरम्मत 17 नग हेतु राजकुमार मिस्त्री को भुगतान किया गया ₹0 10574.00/18.06.2015 को धीरेन्द्र मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत एवं लीकेज पाइप लाइन सामग्री का भुगतान किया गया ₹0 19000.00/16.07.2015 को धीरेन्द्र मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत एवं लीकेज पाइप लाइन सामग्री का भुगतान किया गया ₹0 18000.00/05.08.2015 को राजकुमार मिस्त्री को 15 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी दी गयी ₹0 15530.00/24.08.2015 को ओमप्रकाश हैण्डपम्प मिस्त्री को हैण्डपम्प मरम्मत 14 नग की मजदूरी का भुगतान किया गया ₹0 8708.00/11.09.2015 को ओमप्रकाश हैण्डपम्प मिस्त्री को हैण्डपम्प मरम्मत 14 नग की मजदूरी दी गयी ₹0 16172.00/14.09.2015 को धीरेन्द्र मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प सामग्री हेतु भुगतान किया गया ₹0 3500.00/12.10.2015 को ओमप्रकाश मिस्त्री को हैण्डपम्प मरम्मत 10 नग की मजदूरी का भुगतान किया गया ₹0 6220.00/उक्त हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुल ₹0 65290.00 का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु एवं ₹0 49500.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु (कुल ₹0 114790.00) किया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं— (क) हैण्डपम्प मरम्मत में मजदूरी का भुगतान प्रति हैण्डपम्प ₹0 622.00 की दर से किया गया है। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि प्रत्येक हैण्डपम्प एक ही तरह से खराब हो। किसी में कम लेबर की जरूरत हो सकती है किसी में अधिक। ऐसे में सभी हैण्डपम्पों की मरम्मत के लिए एक ही मजदूरी दर को लागू करके राजकीय धन/अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। (ख) लेखा परीक्षा में मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की सूची व उनमें प्रयुक्त सामग्री का विवरण (अलग-अलग) जाँच हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे किस हैण्डपम्प पर कितनी सामग्री का उपभोग हुआ की जाँच नहीं की जा सकी। (ग) ग्राम पंचायत में स्टॉक पंजिका नहीं बनायी गयी है, जिससे खरीदी गयी सामग्री उसके

उपभोग तथा अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अनियमित रहा। (घ) लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री के सापेक्ष मरम्मतोपरान्त प्राप्त डेड स्टॉको की सूची व उनके मूल्यांकन सम्बन्धी पंजिका नयी बनायी गयी है, जिससे खरीद सामग्री के उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत में शासकीय धन का दुरुपयोग व अनियमितता की गयी है अतः व्यय धनराशि रु0 114790.00 (श्रम रु0 65290.00 व सामग्री रु0 49500.00) की ब्याज सहित वसूली ग्राम वि० अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यभामा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-15)

ग्राम पंचायत-असहन जगतपुर

विकास खण्ड – बछरावाँ

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 01/22955 से दिनांक 28.05.2015 को चेक संख्या 153 से रु0 7400.00 का आहरण (बैंक विवरण पत्र के अनुसार) ग्राम प्रधान देवतादीन के नाम से किया गया है, जिसे रोकड़ बही (राज्य वित्त) में प्रमाणक संख्या 8 के अनुसार फोटोकापी आदि हेतु जय कम्प्यूटर बछरावाँ को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—(क) उक्त भुगतान जय कम्प्यूटर, बछरावाँ को नगद किया गया है जबकि नियमानुसार रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान चेक से किया जाना चाहिए। (ख) लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत जय कम्प्यूटर के बिल पर कस्टमर का नाम: ग्राम पंचायत उचौसी अंकित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत असहन जगतपुर की बजाय ग्राम पंचायत उचौरी का फर्जी बिल लगाकर फर्जी भुगतान दर्शाया जा रहा है। बिल पर न तो क्रमांक अंकित है न ही टिन नम्बर अंकित है। (साक्ष्य : प्रमाणक नं० 8 पर ज्ये०ले० परीक्षक द्वारा ऑडिटेड अंकित कर हस्ताक्षरित की गयी बिल की छायाप्रति), उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 7400.00 का फर्जी व्यय भुगतान कोषावित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्री देवतादीन व ग्राम वि० अधिकारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-13)

ग्राम पंचायत-असहन जगतपुर

विकास खण्ड – बछरावाँ

प्रस्तर-8

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 01/22955 से चेक संख्या 154 से दिनांक 29.05.2015 को मो० शकूर द्वारा रु0 23130.00 का अपहरण किया गया है (बैंक विवरण पत्र के अनुसार)। जिसे रोकड़ बही राज्य वित्त में दिनांक 29.05.2015 को (प्रमाणक संख्या 9) से मो० शकूर को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रु0 23130.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं— (क) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत प्रमाणक नं० (09) सेल इन्वाइस मो० शकूर रिपेयरिंग वर्क्स, पिण्डौली, शिवगढ़, रायबरेली क्रमांक 180 दिनांक 29.05.2015 पर केवल रु0 23130.00 मूल्य योग कालम से अंकित नहीं है। बिल पर टिन नं० भी अंकित नहीं है, जिससे साबित होता है कि खरीद पंजीकृत फर्म से नहीं की गयी है। साक्ष्य : लेखापरीक्षा में प्रस्तुत प्रमाणक नं० 09 की ऑडिटेडअंकित छायाप्रति। (ख) नियमानुसार रु0 20000.00 से अधिक की सामग्री खरीद में कोटेशन आमंत्रित करने की अनिवार्यता का भी पाहन नहीं किया गया है। (ग) लेखा परीक्षा में मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की सूची भी नहीं प्रस्तुत की जा सकी। उपरोक्त तथ्यों (क), (ख), (ग) से स्पष्ट है कि फर्जी बिल का भुगतान कोषावित किया गया है, जबकि सामग्री की खरीद की ही नहीं गयी, धनराशि रु0 23130.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री देवतादीन व ग्राम वि० अधिकारी श्री सत्यप्रकाश तिवारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-असहन जगतपुर

विकास खण्ड – बछरावाँ

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 01/22955 से चेक नं० 146 से हेरीटेज स्पनपाइप इण्डस्ट्रीज को ह्यूम पाइप खरीद हेतु रु0 49792.00 का भुगतान किया जाना रोकड़ बही (राज्य वित्त) में कोषावित किया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत प्रमाणक संख्या 32 हेरीटेज स्पन पाइप इंडस्ट्रीज, बछरावा, रायबरेली बुक नं० 2, सीरियल नं० 89 दिनांक 13.09.2015 की जाँच में पाया गया कि ह्यूम पाइप खरीद में फ्रेट, लोडिंग व अनलोडिंग का चार्ज 23 प्रतिशत रु0 8947.00 लगाया गया है जबकि नियमानुसार यह दर 15 प्रतिशत से अनधिक होनी चाहिए। नियमानुसार उक्त खरीद में कोटेशन भी आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत सम्पादित कार्य (1) सम्पर्क मार्ग रामदयाल के घर से उचौरी सीमा तक व सम्पर्क

मार्ग सैय्यद अली के ख़से मसन्द खेड़ा पुल तक में प्रयोग के लिए इसी फर्म से क्रय की गयी (मूल्य रु0 13800.00 प्रत्येक कार्य) ह्यूम पाइप में फ़्रेट, लोडिंग व अनलोडिंग का चार्ज 15 प्रतिशत ही लगाया गया है। स्पष्ट है कि अधिक दर आरोपित कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः अन्तर की धनराशि रु0 3112.00 (25 प्रतिशत रु0 8947.00 (-) 15 प्रतिशत रु0 5835.00 = रु0 3112.00) की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री देवतादीन व ग्राम विकास अधिकारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। साक्ष्य : प्रमाणक नं0 32 की ऑडिटेड अंकित एवं हस्ताक्षरित (के व्यय) की छायाप्रति। (आपत्ति संख्या-15)

ग्राम पंचायत-असहन जगतपुर

विकास खण्ड - बछरावाँ

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में झाड़ी कटाई सफाई पर व्यय रोकड़ बही में निम्नानुसार कोषाड्डित किया गया है- (क) 31.05.2015 को बाउचर क्रमांक (10) से मस्टररोल झाड़ी कटाई सफाई पर 110एम0डी0 × 161 रु0 = 17710.00 (ख) 30.06.2015 को बाउचर क्रमांक (20) से मस्टर रोल झाड़ी कटाई सफाई 95एम0डी0 × 161 रु0 = रु0 15295.00 (ग) 16.08.2015 को बाउचर क्रमांक (21) से झाड़ी कटाई सफाई मजदूरी मस्टररोल 24एम0डी0 × 161 रु0 = रु0 3864.00, कुल योग रु0 36869.00, का भुगतान दशित है। उक्त मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल प्रमाणक क्रमांक (10) (20) व (21) की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियाँ प्रकाश में आयी- (1) मस्टररोलों प्रमाणक क्रमांक 10, 20 व 21 में कार्य किये जाने की तिथि का अंकन नहीं है। (2) किसी भी प्रमाणक पर झाड़ी सफाई स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। न ही झाड़ी सफाई कार्य के प्रस्ताव का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन ही किया गया है। (3) मस्टररोलों पर मजदूरों की उपस्थिति की पुष्टि में लिये गये अंगूठे के निशान में एकरूपता है। इसी प्रकार मजदूरों के हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित किये गये हैं। उक्त तथ्यों (1), (2) व (3) से स्पष्ट है कि काल्पनिक झाड़ी सफाई का फर्जी मस्टर रोल के माध्यम से भुगतान कोषाड्डित कर आहरित धनराशि रु0 36869.00 (17710.00 + 15295.00 + 3864.00 रु0) का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्री देवतादीन व ग्राम विकास अधिकारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी से की जानी अपेक्षित है। साक्ष्य : प्रमाणक 10, 20 व 21 मस्टररोल की ऑडिटेड अंकित व हस्ताक्षरोपरान्त की छायाप्रति। (आपत्ति संख्या-16)

ग्राम पंचायत-दुन्दगढ़

विकास खण्ड - बछरावाँ

प्रस्तर-11 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता संख्या 01/22952 से ग्राम प्रधान श्री रामकुमार वर्मा को मानदेय के भुगतान का विवरण रोकड़ बही में निम्न प्रकार दर्शाया गया है- (1) 22.07.2015 को प्रमाणक सं0 (15) से ग्राम प्रधान को दिया गया मानदेय अप्रैल 2011 से नवम्बर 2013 तक 33 माह दर750.00 रु0 24750.00 (2) 25.07.2015 को प्रमाणक सं0 (18) से ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2014 तक 12 माहदर2500.00 माह रु0 30000.00 (3) 16.09.2015 को प्रमाणक सं0 (21) से ग्राम प्रधान मानदेय पद हेतु श्री राजकुमार प्रधान दुन्दगढ़ को दिसम्बर 2014 से अगस्त 2015 तक 9 माह दर2500.00 रु0 22500.00 योग कुल रु0 77250.00, का भुगतान किय गया है। उक्त भुगतान किये गये मानदेय की पुष्टि में प्रमाणक क्रमांक (15), (18) व (21) जो भुगतान प्राप्त रसीद है के अलावा मानदेय की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर वर्ष 2010-11 से 2015-16 व वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक लेखा परीक्षित रोकड़ बही लेखा परीक्षा में जाँच हेतु नहीं प्रस्तुत की गयी। जिससे बकाया वर्षों/माह के भुगतान बकाया होने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया। अतः स्पष्ट है कि कुल भुगतान किये गये मानदेय 77250.00 में से अप्रैल 2015 से अगस्त 2015 तक के 5 माह के मानदेय रु0 12500.00 को छोड़कर शेष बकाया माह अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के कुल रु0 64750.00 का भुगतान फर्जी दर्शाकर धनराशि रु0 64750.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री मंजुल मयंक व ग्राम प्रधान श्री राम कुमार वर्मा से बराबर-बराबर कराया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-12)

ग्राम पंचायत-दुन्दगढ़

विकास खण्ड - बछरावाँ

प्रस्तर-12 आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही राज्य वित्त में पक्की नाली निर्माण किरन शुक्ला के घर से नाला तक पर निम्नानुसार व्यय किया जाना अंकित है- (क) 30.10.2015 को बाउचर क्रमांक (22) से नाली निर्माण की मजदूरी का भुगतान किरन शुक्ला के घर से नाला तक श्रमिक 91 मानव दिवस दर रु0 161, राजगीर 34

मानव दिवस दर रू0 290, से रू0 24511.00, (ख) 06.11.2015 को प्रमाणक सं0 (23) से गया प्रसाद ब्रिक फील्ड को पक्की नाली हेतु ईट रू0 24050.00 खरीद का भुगतान ईट 3700 दर 6500 प्रति हजार रू0 24050.00 व्यय किया गया है, उपरोक्त पक्की नाली निर्माण पर निम्न आपत्तियाँ हैं— (1) दिनांक 30.10.2015 चेक संख्या 33 से प्रधानाली निर्माण की मजदूरी का भुगतान किया गया दर्शित है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक संख्या (22) जो मस्टररोल है पर नाली निर्माण की कार्यतिथि 4 से 10 नवम्बर 2015 अंकित है। इस प्रकार कार्य प्रारम्भ होने से पहले साबित करता है कि पक्की नाली निर्माण पर मजदूरी का फर्जी भुगतान कर धनराशि रू0 24511.00 का अपहरण किया गया है। (2) 06.11.2015 को गया प्रसाद ब्रिक फील्ड को उक्त पक्की नाली हेतु ईट खरीद का एकाउण्ट पेयी भुगतान चेक संख्या 85 से किया गया है, किन्तु इस ईट खरीद की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे खरीद स्टॉक, उसके उपभोग व अवशेष की स्थिति अस्पष्ट रही। उक्त ईट खरीद में निर्धारित शासकीय खरीद प्रक्रिया कुटेशन का पालन नहीं किया गया है बल्कि ग्राम प्रधान श्री राम कुमार वर्मा के स्वयं के ईट भट्टे गया प्रसाद ब्रिक फील्ड से खरीद की गयी है। इस प्रकार कोटेशन न लेकर व ग्राम प्रधान के स्वयं के ईट भट्टे से ईट की खरीद कर अनियमितता की गयी है। जो आपत्तिजनक है। (3) पक्की नाली निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री—बालू, मारंग, ईट गिट्टी व सीमेंट की खरीद व भुगतान रोकड़ बही में अंकित नहीं है, स्पष्ट है कि सामग्री के अभाव में नाली का निर्माण सम्भव नहीं है। इस प्रकार फर्जी पक्की नाली निर्माण दर्शाकर मजदूरी भुगतान धनराशि व खरीद स्टॉक का अपहरण किया गया है। (4) उक्त पक्की नाली निर्माण के पूर्ण होने की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में जाँच हेतु नहीं उपलब्ध कराया गया, जिससे इस काय के सम्पादित होने की पुष्टि नहीं होती। उक्त नाली की माप का उल्लेख भी उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पक्की नाली निर्माण का फर्जी मजदूरी भुगतान रू0 24511.00 व खरीद ईट स्टॉक रू0 24050.00 कुल रू0 48561.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम कुमार वर्मा व ग्राम विकास अधिकार श्री सत्य प्रकाश तिवारी से बराबर—बराबर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (साक्ष्य : मस्टररोल की छायाप्रति, रोकड़ बही की छायाप्रति)

(आपत्ति संख्या—13)

ग्राम पंचायत—कसरावाँ विकास खण्ड — बछरावाँ

प्रस्तर—13 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी के निलम्बित होने की स्थिति में सफाई हेतु सफाई मजदूर को किये गये भुगतान का लेखा रोकड़ बही (राज्य वित्त) में इस प्रकार किया गया है— (1) 10.07.2015 को प्रमाणक सं0 (13) से ग्राम पंचायत की सफाई हेतु सफाई मजदूर का भुगतान 25 मानव दिवस दर 200.00 रू0 प्रतिदिन (प्रमाणक के अनुसार कार्यतिथि 1 से 25.06.2015 तक) रू0 5000.00, (2) 15.07.2015 को प्रमाणक सं0 (14) से ग्राम पंचायत का सफाई कर्मी निलम्बित होने के कारण सफाई मजदूर को द्वितीय भुगतान 20 मानव दिवस दर 200.00 रू0 प्रतिदिन (प्रमाणक 26.06.2015 से 15.07.2015 तक) रू0 4000.00, (3) 22.07.2015 को प्रमाणक संख्या (15) से ग्राम पंचायत की सफाई हेतु मजदूर का तृतीय भुगतान (10 मानव दिवस दर 200.00 रू0 प्रतिदिन) रू0 2000.00, (4) 30.08.2015 को प्रमाणक सं0 (28) से ग्राम पंचायत की नाली निर्माण हेतु सफाई मजदूर का भुगतान 20 मानव दिवस दर 200 रू0 प्रतिदिन (कार्यतिथि का उल्लेख रोकड़ बही व प्रमाणक में नहीं है) रू0 4000.00, उक्त भुगतान पर लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी— (क) ग्राम सभा में सफाई हेतु मजदूर लगाने का प्रस्ताव न तो ग्राम सभा द्वारा लाया गया है न ही उसका अनुमोदन किया गया है। (ख) सभी भुगतान एक ही सफाई कर्मी महेश कुमार को किये गये हैं वह भी नकद जबकि नियमानुसार रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान चेक से किया जाना चाहिए था। (ग) मजदूर द्वारा किये गये मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका बल्कि सफाई मजदूर को किये गये भुगतान की धनप्राप्ति रसीद प्रमाणक के रूप में उपलब्ध कराई गयी, जिससे मजदूर महेश कुमार द्वारा किये गये कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। (घ) दिनांक 15.07.2015 को रू0 4000.00 का द्वितीय भुगतान कार्यतिथि 26.06.2015 से 15.07.2015 तक के लिए व दिनांक 22.07.2015 को रू0 2000.00 का भुगतान/दिनांक 13.07.2015 से 22.07.2015 तक के कार्य के लिए किया गया क्रमशः प्रमाणक क्रमांक (14) व (15) में दर्शाया गया है। इस प्रकार सफाई मजदूर महेश कुमार को दिनांक 13, 14 व 15.07.2015 का भुगतान दो—दो बार किया गया है। (ड) किस नाली निर्माण हेतु नाली सफाई का दिनांक 30.08.2015 को प्रमाणक (28) के अनुसार मजदूर महेश कुमार को भुगतान किया गया है, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अपुष्ट रहा। रोकड़ बही व प्रमाणक नं0 28 में मजदूरी किये जाने की तिथि का भी उल्लेख नहीं है। (साक्ष्य : प्रमाणक नं0 13, 14 व 28 व 15 पर ज्ये0ले0परीक्षक द्वारा मजदूरी की

तिथि दुबारा हस्तलिखित कर दी गयी है व रसीद पर ऑडिटेडभी लिखा गया है), उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कूट रचित सफाई कार्य का फर्जी प्रमाणक प्रस्तुत कर धनराशि रु0 15000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम प्रसाद चौरसिया व ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-13)

ग्राम पंचायत-करनपुर

विकास खण्ड – बछरावों

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष में दिनांक 23.05.2015 को मा0 इरफान सिद्दीकी एण्ड सन्स द्वारा चेक नं0 92 से रु0 6400.00 का आहरण किया जाना बैंक विवरण पत्र/ (खाता सं0 01/22957) पासबुक, तदनुसार रोकड़ बही (राज्य वित्त) 2015-16 में अंकित है, किन्तु रोकड़ बही के व्यय पक्ष में उक्त तिथि (माह मई 2016 की किसी भी तिथि को) को उक्त फर्म को किस मद हेतु रु0 6400.00 का भुगतान किया गया, का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही प्रमाणक पत्रावली में मो0 इरफान सिद्दीकी एण्ड सन्स का कोई प्रमाणक ही संलग्न किया गया है। इसके विपरीत दिनांक 23.05.2015 को खंडजा मरम्मत छेदू के खेत से नहर पुलिया तक में रु0 13524.00 के मजदूरी भुगतान (मस्टररोल संख्या 09 प्रमाणक) का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि मो0 इरफान सिद्दीकी एण्ड सन्स को भुगतान की गयी धनराशि रु0 6400.00 के सापेक्ष व्यय न दर्शाकर व फर्म को फर्जी भुगतान कर रु0 6400.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि0 अधिकारी श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम प्रधान मो0 जहीर से बराबर-बरबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-12)

ग्राम पंचायत-उचौरी

विकास खण्ड – बछरावों

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही राज्य वित्त में दिनांक 28.05.2015 को चेक संख्या 000079 द्वारा ह्यूम पाइप खरीद हेतु हेरिटेज स्पन पाइप को रु0 64480.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। पुष्टि में प्रमाणक गार्ड फाइल में चस्पा प्रमाणक नं0 (03) हेरिटेज स्पन पाइप इण्डस्ट्रीज, रायबरेली का बिल बुक नं0 01 सीरियल नं0 (23) दिनांक 23.05.2015 की जाँच से निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई— (क) ह्यूम पाइप की खरीद में शासकीय खरीद प्रक्रिया के अनुसार कुटेशन नहीं माँगे गये, जिससे ग्राम पंचायत को ह्यूम पाइप खरीद में न्यूनतम दर का लाभ नहीं मिल पाया। इस सन्दर्भ में ग्राम वि0 अधिकार सत्य प्रकाश तिवारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (ख) बिल के अनुसार ह्यूम पाइप खरीद में भुगतान की गयी धनराशि रु0 64480.00 में वैट 4 प्रतिशत रु0 2015.00, सैट 1 प्रतिशत रु0 503.75 तथा फ्रेट, लोडिंग व अनलोडिंग 23 प्रतिशत रु0 11586.25 शामिल है जबकि नियमानुसार ह्यूम पाइप कीमत रु0 50375.00 का 15 प्रतिशत ही यानि रु0 7556.25 फ्रेट, लोडिंग व अनलोडिंग आदि होना चाहिए। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0 11586.25 - 7556.25 = 4030.00 का अनियमित भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सत्यप्रकाश तिवारी व ग्राम प्रधान श्री राम बरन सिंह से बराबर-बराबर जमा कराया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-12(क), 12(ख)

ग्राम पंचायत-मलपुर

विकास खण्ड – बछरावों

प्रस्तर-16 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 01/22997 से चेक संख्या 0127 दिनांक 06.08.2015 द्वारा (आहरण 31.08.2015) रु0 27900.00 का भुगतान शिवानी ब्रिक फील्ड को सीधा खंडजा ईट खरीद 4500 नग दर 6200 प्रति हजार खंडजा श्री कृष्ण के घर से आगे से अरुण कुमार के दरवाजे तक हेतु किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। (संलग्नक प्रमाण : रोकड़ बही की छायाप्रति) जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—(1) रोकड़ बही में जिस खंडजा हेतु ईट खरीद किया जाना दर्शित है उस खंडजे के निर्माण या मरम्मत, जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट नहीं है सम्बन्धी मजदूरी व्यय सम्पूर्ण वर्ष 2015-16 में रोकड़ बही में उल्लिखित नहीं है न ही उक्त खंडजा (निर्माण या मरम्मत) से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि खंडजा कार्य का सम्पादन नहीं हुआ। (2) उक्त ईट खरीद का स्टॉक लेखा भी स्टॉक रजि0 में नहीं अंकित है, जिससे दर्शित ईट खरीद उपभोग व अवशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। (3) उक्त ईट खरीद में शासकीय खरीद प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। ईट खरीद में फर्मों से बिना कुटेशन लिए ही खरीद कर ली गयी है जो अनियमितता है। (4) सम्बन्धित खंडजा निर्माण या मरम्मत, जो अस्पष्ट है के पूर्ण होने की सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। (5) तत्कालीन ग्राम

विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा द्वारा सितम्बर 2015 में ग्राम पंचायत का चार्ज ग्राम विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार को हस्तान्तरित किये जाते समय भी चार्ज लिस्ट में उक्त ईट खरीद का अवशेष स्टॉक के रूप में चार्ज लिस्ट में अंकन नहीं है। स्पष्ट है कि क्रय सामग्री ईट का उपभोग नहीं किया गया है न ही अवशेष स्टॉक के रूप में ही स्टॉक रजिस्टर में अंकित है। इस प्रकार खरीद स्टॉक का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा व प्रधान श्रीमती सुनीता से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-12

ग्राम पंचायत-मलपुर

विकास खण्ड - बछरावों

प्रस्तर-17 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 01/22947 चेक संख्या 122 से ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा द्वारा रू0 14717.00 का आहरण किया गया है जिसे रोकड़ बही के व्यय पक्ष में निम्न प्रकार दर्शाया गया है-03.08.2015 को मजदूरी खंडजा निर्माण एवं झाड़ी कटाई मजदूरों को दी गयी रू0 14717.00, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं- (क) लेखा परीक्षा में मजदूरी भुगतान सम्बन्धी व्यय प्रमाणक-मस्टररोल, खंडजा निर्माण सम्बन्धी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर जाँच हेतु अप्राप्त रहा। स्पष्ट है कि उक्त कार्य सम्पादित नहीं किया गया है। व फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय खरिज कर धनराशि रू0 14717.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0 वि0 अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (ख) लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों से खंडजा निर्माण व झाड़ी कटाई स्थल की स्थिति भी अज्ञात रही।

आपत्ति संख्या-13

ग्राम पंचायत-खैरहनी

विकास खण्ड - बछरावों

प्रस्तर-18 आलोच्य वर्ष में बाबा का तालाब पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मस्टररोल क्रमांक 9643 (दिनांक 14.03.16 से 20.03.16) मस्टररोल क्रमांक 8084 (दिनांक 20 से 26.02.2016) पर मजदूरों क्रमशः शिवप्रसाद व सरोज तथा रमेश की 7 दिनों की उपस्थिति को काटते हुए शून्य कर दिया गया है जबकि मस्टररोल पर उक्त मजदूरों की उपस्थिति की पुष्टि में हस्ताक्षर भी मौजूद है। इस प्रकार गलत ढंग से मजदूरों की मजदूरी को अनुपस्थित दर्शाकर शून्य किया जाना अनियमित रहा। इस सन्दर्भ में सुश्री सुशीला देवी ग्रा0 विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवही किये जाने हेतु सक्षम पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति संख्या-7 (मनरेगा)

ग्राम पंचायत-खैरहनी

विकास खण्ड - बछरावों

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बैरहनी को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना में स्वीकृत कार्य ग्रा0वि0 पीठन की बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु रू0 600000.00 लाख की धनराशि कार्य कराये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रायबरेली के कार्यालय पत्रांक-244 दिनांक 15.07.2015 द्वारा आवंटित की गयी थी, जो ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 01/22932 में दिनांक 23.07.2015 को क्रेडिट हुई। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष बाउण्ड्री वाल निर्माण में ग्राम पंचायत खैरहनी द्वारा निम्न विवरणानुसार (रोकड़ बही के अनुसार) कार्य किया जाना दर्शाया गया है- (1) 09.09.2015 को बाउचर क्रमांक (23) से सिंह ट्रेडर्स से सीमेन्ट, फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, पत्थर गिट्टी रू0 179579.00, (2) 09.09.2015 को बाउचर क्रमांक (24) से मे0 घनश्याम अटलानी से ईट क्रय 15000 नग रू0 104204.00, (3) 10.10.2015 को बाउचर क्रमांक (25) से सिंह ट्रेडर्स से सीमेन्ट, फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, आर0सी0सी0 रू0 128834.00 (4) 14.10.2015 को बाउचर क्रमांक (29) से मस्टररोल बाउण्ड्रीवाल निर्माण पीठन रू0 65704.00, (5) 26.10.2015 को बाउचर क्रमांक (30) से विनोद कुमार को पुताई सामग्री का भुगतान रू0 33750.00 (6) 26.10.2015 को बाउचर क्रमांक (31) से सिंह ट्रेडर्स से 5 घन मीटर कोर्स सैण्ड दर2044.00 रू0 10220.00 (7) 26.10.2015 को बाउचर क्रमांक (32) से इजहार को बाउण्ड्रीवाल हेतु लोहे के गेट का भुगतान रू0 11855.00 (8) 29.10.2015 को बाउचर क्रमांक (33) से मे0 घनश्याम अटलानी ईट भट्टा को ईट 13500 दर 6450.00 प्रति हजार व गिट्टी का भुगतान रू0 91661.00 कुल योग रू0 625807.00 व्यय दर्शित है, उपर्युक्त व्यय पर आपत्ति यह है कि बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु अधिकृत धनराशि (बी0जी0आर0एफ0से) रू0 600000.00 से अधिक व्यय रू0 25807.00 का अनधिकृत व्यय कर : 13 वें वित्त की धनराशि का दुर्विर्नियोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली

ग्राम प्रधान श्री जनार्दन प्रताप सिंह व ग्राम विकास अधिकारी सुश्री सुशीला देवी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-12 (मनरेगा)

ग्राम पंचायत-बगहा

विकास खण्ड -सलोन

प्रस्तर-20 आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में दिनांक 26.05.2015 को सिंह स्पन पाइप को ह्यूम पाइप खरीद हेतु रू0 68466.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है, किन्तु खरीद व उपभोग की पुष्टि में प्रमाणक व उपभोग स्थानों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। स्टॉक रजिस्टर में भी उक्त खरीद का अंकन नहीं किया गया है। कोटेशन न लेकर शासकीय खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन भी किया गया है। कार्यवाही रजिस्टर में उक्त ह्यूम पाइप खरीद का प्रस्ताव नहीं है। कुल तथ्यों से स्पष्ट है कि खरीद स्टॉक का अपहरण किया गया है। उक्त रू0 68466.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार सोनी व ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

ग्राम पंचायत-बगहा

विकास खण्ड -सलोन

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में दिनांक 17.04.2015 को स्टेशनरी पर व्यय रू0 2360.00 दर्शित है, किन्तु प्रमाणक गार्ड फाइल में उक्त व्यय की पुष्टि में चस्पा किया गया प्रमाणक नं0 1 रिकू स्टेशनर्स को रू0 2000.00 का ही है। इस प्रकार रू0 360.00 का अधिक व फर्जी भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है। उक्त रू0 360.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार सोनी व ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-15

ग्राम पंचायत-बगहा

विकास खण्ड -सलोन

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में माह सितम्बर 15 में मजदूरी पर व्यय रू0 27028.00 अंकित है, किन्तु पुष्टि में प्रस्तुत मस्टर रोल में मजदूरी का भुगतान मात्र रू0 26028.00 का ही किया गया है। इस प्रकार रू0 1000.00 का अधिक भुगतान कर अपहरण किया गया है। उक्त रू0 1000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार सोनी व ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-16

ग्राम पंचायत-खैरहनी पहाड़गढ़

विकास खण्ड -सलोन

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष में बैंक विवरण पत्र के अनुसार दिनांक 30.04.15 को ग्राम निधि प्रथम खाते में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से रू0 1323000.00 की प्राप्ति शवदाह गृह निर्माण हेतु हुई है। जिसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में व्यय का भुगतान निम्नानुसार कोषांकित किया गया है— (1) 16.07.15 को ममता ब्रिक फील्ड को भुगतान बाबत शवदाह रू0 155000.00, (2) 27.08.15 को मजदूरी शवदाह गृह रू0 34457.00, (3) 01.09.15 को ममता ब्रिक फील्ड को भुगतान रू0 124000.00, (4) 09.09.15 को मजदूरी शवदाह गृह रू0 42633.00, (5) 11.09.15 को 30 हजार ईट की लोकल शिपिंग रू0 8500.00, (6) 14.09.15 को मे0 अम्बिका कान्स्ट्रक्शन को भुगतान रू0 107754.00, (7) 22.09.15 को ममता ब्रिक फील्ड को रू0 76945.00, (8) 23.09.15 को मजदूरी शवदाह रू0 11914.00, (9) 23.09.15 को विजय ट्रेडर्स को शवदाह रू0 17574.00 (10) 24.09.15 को विजय ट्रेडर्स को शवदाह रू0 18600.00, (11) 16.10.15 को मजदूरी शवदाह रू0 22651.00, (12) 16.10.15 को मिट्टी ढुलाई शवदाह रू0 9500.00, (13) 17.10.15 को सेनेट्री रंगपेन्ट नारायण मशीनरी रू0 13924.00, (14) 17.10.15 को अम्बिका कान्स्ट्रक्शन रू0 124929.00, (15) 17.10.15 को ममता ब्रिक फील्ड रू0 64533.00, (16) 07.11.15 को मिट्टी भराई शवदाह को रू0 49600.00, (17) 07.11.15 को ममता ब्रिक फील्ड को भुगतान रू0 32000.00, (18) 07.11.15 को अम्बिका कान्स्ट्रक्शन को भुगतान रू0 204500.00, (19) 07.11.15 को ममता ब्रिक फील्ड रू0 48128.00, (20) 28.03.16 को त्रिपाठी ट्रेडर्स को भुगतान रू0 29200.00, कुल योग रू0 1196342.00 व्यय किया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं— (1) नियमानुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त धनराशि व किये गये व्यय भुगतान की अलग से कोष बही नहीं बनायी गयी। (2) सृजित सम्पत्ति शवदाह गृह का अंकन परिसम्पत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया। (3) नियमानुसार शवदाह गृह निर्माण में किये गये व्यय भुगतान (श्रम व सामग्री) की पुष्टि में लेखा परीक्षा में प्राक्कलन व मापन पुस्तिका (एम0बी0), मजदूरी भुगतान सम्बन्धित

मस्टररोल, सामग्री खरीद सम्बन्धी बिल/बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व भण्डार पंजिका नहीं प्रस्तुत किये गये। अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धक के मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध होने से उपर्युक्त सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु0 1196342.00 को गबन मानते हुए ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार सोनी व ग्राम प्रधान श्रीमती फूलकली व श्री शीतीश प्रकाश से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

ग्राम पंचायत- शहरी

विकास खण्ड -सलोन

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से नाली निर्माण पर निम्नविवरणानुसार व्यय कोषांकित किया गया है- 14.09.2015 को बाउचर क्रमांक (104) से त्रिभुवन मौर्य को रु0 9713.00/6.11.2015 को बाउचर क्रमांक (105) से त्रिभुवन मौर्य को रु0 20900.00 व्यय किया गया है, उक्त पर निम्नानुसार आपत्ति प्रकाश में आई है- (1) रु0 20900.00 का ईट मोरंग क्रय खरीद कोषांकित है जो ग्रा0 प्र0 के नाम आहरित है फर्म को बैंक से भुगतान नहीं किया गया है। (2) रु0 9713.00 नाली निर्माण मजदूरी पर व्यय दो माह पूर्व दर्शित है। (3) उक्त निर्माण से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (मस्टररोल, ईट क्रय का बाउचर)बार-बार मांग के बावजूद नहीं प्रस्तुत किया जा सका। (4) उक्त से सम्बन्धित कार्य योजना कार्य पूर्ति, मापन मूल्यांकन पुस्तिका नहीं प्रस्तुत की गयी न ही परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन ही किया गया है। अतएव स्पष्ट है कि उक्त मजदूरी व सामग्री पर दर्शित व्यय काल्पनिक है जो ग्राम प्रधान श्रीमती मारिया बानो एवं सचिव श्री सुनील कुमार यादव द्वारा अपहृत किया गया है। उक्त दोनो ही धनराशियां कुल रु0 30613.00 सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती मारिया बानो एवं सचिव श्री सुनील कुमार यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

ग्राम पंचायत-कालूजलालपुर

विकास खण्ड -सलोन

प्रस्तर-25 आलोच्य वर्ष में रोकड़ बही (राज्य वित्त) में ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप खरीद पर व्यय निम्नानुसार दर्शाया गया है- (ए) 13.07.2015 को बाउचर क्रमांक (13) से मेसर्स सुनीता देवी से 300 एम0एम0 की 7 नग, 250 एम0एम0 की 5 नग, 200 एम0एम0 की 5 नग स्पन पाइप क्रय हेतु रु0 43552.00, (बी) 09.11.2015 को बाउचर क्रमांक (45) से मेसर्स सुनीता देवी से 200 एम0एम0की 6 नग सीमेन्ट पाइप क्रय हेतु रु0 13770.00 का भुगतान किया गया है, लेखा परीक्षा में क्रमांक (ए) की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक नं0 (13) बुक नं0 10, बिल नं0 466 में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 23 प्रतिशत की दर से रु0 7825.75 लगाया गया है जबकि क्रमांक (बी) की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक नं0 (45) बुक नं0 01, बिल नं0 39 में ट्रांसपोर्टेशन की दर 15 प्रतिशत की दर से रु0 1721.25 लगाया गया है। इस प्रकार एक ही फर्म से एक ही ग्राम पंचायत में अलग-अलग दर से खरीद किया जाना आपत्तिजनक रहा। क्रमांक (ए) पर अंकित ह्यूम पाइप खरीद में अनधिकृत रूप से 23 प्रतिशत की दर पर खरीद किया जाना अनियमित रहा। अतः अन्तर की धनराशि (23 प्रतिशत रु0 7825.75 - 15 प्रतिशत रु0 5103.75) रु0 2722.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजाधर वर्मा व प्रधान श्री सलिक रामपाल से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

ग्राम पंचायत- खुशरुपुर

विकास खण्ड -सतांव

प्रस्तर-26 आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आया कि खाता सं0 00540100012599 के स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 27.06.15 को चेक सं0 (58) से रु0 75000.00 आस्था ट्रेडर्सको, 11.07.15 को चेक सं0 (62) से रु0 84500.00 का स्थानांतरण, 10.08.15 को चेक सं0 (63) से रु0 49000.00 प्रमोद कुमार सिंहको व 13.08.15 को चेक सं0 (64) से रु0 215000.00 शिवांश एसोसिएट्स को दिया गया है। उसके सापेक्ष कोष पंजिका 16.08.15 को शिवांश एसोसिएट्स को रु0 376786.00 दिये जाने का प्रमाणक एवं भुगतान फर्जी है क्योंकि- चेक संख्या 58 रु0 75000.00 का भुगतान आस्था ट्रेडर्स को 27.06.15 को किया गया, चेक सं0 62 रु0 84500.00 की धनराशि 11.07.15 को ही ट्रांसफर हो गई, चेक सं0 63 रु0 49000 दिनांक 10.08.15 को प्रमोद कुमार सिंह द्वारा आहरण किया गया, चेक सं0 64 दिनांक 13.08.15 रु0 215000.00 शिवांश एसोसिएट्स द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जबकि कोष पंजिका में उपरोक्त पूर्व में आहरित अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग फर्मों/व्यक्ति को निर्गत चेक सं0 58, 62, 63, 64 की धनराशियों को जोड़कर 16.08.15 को

शिवांश एसोसिएट को रू0 376786.00 का दर्शित भुगतान एवं प्रमाणक फर्जी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-15

ग्राम पंचायत- खुशरूपुर

विकास खण्ड -सतांव

प्रस्तर-27 बैंक स्टेटमेंट खाता सं0 00540100012599 के अनुसार दिनांक 11.09.15 को शिवांश एसोसिएट द्वारा चेक सं0 72 रू0 150000.00 मात्र का आहरण किया गया, माह का का प्रा0 शेष नगद प्रधान के पास रू0 70840.00 था। इसके सापेक्ष कोष पंजिका में दिनांक 11.09.15 को आस्था ट्रेडर्स को जगन्नाथ के घर से राजकुमार पासी के घर तक निर्मित सी0सी0 रोड में प्रयुक्त निर्माण सामग्री हेतु भुगतान रू0 176356.00 दर्शित है। अतः आस्था ट्रेडर्स को फर्जी भुगतान दर्शित कर रू0 176356.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सावित्री सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-16

ग्राम पंचायत- खुशरूपुर

विकास खण्ड -सतांव

प्रस्तर-28 बैंक स्टेटमेंट खात सं0 00540100012599 दिनांक 06.11.15 को सिंह सीमेन्ट एजेन्सी को चेक सं0 74 रू0 30780.00 का भुगतान किया गया जबकि कोष पंजिका में सिंह सीमेन्ट पाईप का ह्यूम पाइप का भुगतान रू0 48735.00 दर्शित है। (उक्त भुगतान में दिनांक 02.11.15 को शिवांश एसोसिएट को चेक 82 रू0 4024 एव प्रधान के पास नगद धनराशि 13997.00 में से सम्मिलित किया गया है) अतः अधिक भुगतान दर्शित की गई धनराशि रू0 48735.00 - रू0 30780.00 = रू0 17955.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सावित्री सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-17

ग्राम पंचायत- कोरिहर

विकास खण्ड -सतांव

प्रस्तर-29 राज्य वित्त 2015-16 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न स्थिति आलोक में आयी-पासबुक के अनुसार- 23.05.15 को चेक सं0 (175) से रू0 48380.00 मालिनी को, 27.08.15 को चेक सं0 (188) से रू0 रू0 74400.00 मालिनी (ग्राम प्रधान) को निर्गत किया गया है, उसके सापेक्ष कोष पंजिका में 23.05.15 को बाउचर क्रमांक (09) से अनुज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प हेतु सामग्री हेतु रू0 48900.00, 27.08.15 को बाउचर क्रमांक (30) से अजय ब्रिक फील्ड को ईट हेतु रू0 76110.00, 27.08.15 को बाउचर क्रमांक (27) से अजय ब्रिक फील्ड को ईट का भुगतान रू0 40710.00 कुल योग रू0 165720.00 व्यय दर्शित है, उक्त में निम्न आपत्ति रही- (i) फर्म के नाम भुगतान एकाउन्ट पेई चेक द्वारा नहीं किया गया। (ii) सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। (iii) स्टॉक पंजिका अनुपलब्ध रही। स्टॉक आने की पुष्टि न की जा सकी। अतः फर्म को नगद भुगतान दर्शित कर बिना व्यय प्रमाण के व्यय अपुष्ट, स्टॉक अपुष्ट रू0 165720.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती प्रधान व श्री राम मिलन चौधरी ग्रा0पं0अधि0 से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13

ग्राम पंचायत- कोरिहर

विकास खण्ड -सतांव

प्रस्तर-30 निम्न भुगतान (राज्य वित्त 2015-16) ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, या फर्म द्वारा बैंक से प्राप्त नहीं किये गये हैं जबकि कोष पंजिका में फर्म को भुगतान दर्शित किया गया, अर्थात् तृतीय पक्ष को भुगतान की गई धनराशि को फर्जी भुगतान दर्शित कर समायोजन का प्रयास किया गया-पासबुक के अनुसार- दिनांक 25.05.15 को चेक सं0 (170) से रू0 2000.00 संतोष को, दिनांक 28.06.15 को चेक सं0 (179) से रू0 59000.00 राम विलाश के नाम आहरित कर कोष पंजिका में दिनांक 25.05.15 को बाउचर क्रमांक (10) से विनोद फाइबर फर्नीचर को रू0 2000.00, 26.06.15 को बाउचर क्रमांक (14) से रू0 59000.00 माँ शारदा ब्रिक फील्ड को, कुल रू0 61000.00 दिया जाना दर्शित है, अतः उपरोक्त धनराशि रू0 61000.00 मात्र की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम मिलन चौधरी व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से बराबर-बराबर धनराशि की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

ग्राम पंचायत— कोरिहर**विकास खण्ड —सतांव**

प्रस्तर—31 लेखा परीक्षा राज्य वित्त 2015-16 के दौरान निम्न स्थिति रही— पासबुक के अनुसार दिनांक 23.05.15 को चेक सं० (174) से रू० 47200.00 मालती के नाम, 30.05.15 को चेक सं० (176) से रू० 29463.00 राम बहादुर के नाम कुल रू० 76663.00 के सापेक्ष 30.05.15 को बाउचर क्रमांक (11) से रू० 70800.00 बाल्देश्वर ब्रिक फील्ड को भुगतान दर्शित है, पासबुक अनुसार 02.07.15 को चेक सं० (180) से रू० 5000.00 आनन्द प्रकाश के नाम, 04.07.15 को चेक सं० (181) से रू० 41860.00 मालती के नाम और दिनांक 07.07.15 को चेक सं० (182) से रू० 29600.00 पप्पू के नाम कुल रू० 76460.00 आहरित कर रोकड बही में दिनांक 07.07.15 को रू० 64900.00 अजय ब्रिक फील्ड को भुगतान दर्शित है। 30.07.15 को चेक सं० (184) से रू० 21600.00 इन्द्रेण सिंह के नाम व 30.07.15 को ही चेक सं० (183) 02.7.15 से रू० 35000.00 मालती के नाम कुल रू० 56600.00 आहरित कर रोकड बही में दिनांक 03.07.15 को रू० 38350.00 अजय ब्रिक फील्ड को भुगतान दर्शित है। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म के नाम एकाउन्ट पेई चेक द्वारा भुगतान न कर अलग-अलग व्यक्ति द्वारा भुगतान प्राप्त किये गये चेकों की धनराशि को जोड़कर उसके सापेक्ष व्यय पक्ष में भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है, इसमें कई भुगतान प्राप्तकर्ता ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान के अतिरिक्त हैं। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक एवं स्टाक पंजिका अनुपलब्ध रही अतः उक्त अपहरित धनराशि रू० 174050.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती मालती व ग्राम पंचायत अधिकार श्री राम मिलन चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—15**ग्राम पंचायत— कोरिहर****विकास खण्ड —सतांव**

प्रस्तर—32 राज्य वित्त बैंक पासबुक खाता सं० 00540100012732 के अनुसार दिनांक 27.08.15 टु ट्रांसफर चेक सं० 187 धनराशि रू० 74400.00 है। इसके सापेक्ष कोष पंजिका में रू० 74400.00 का कोई व्यय दर्शित नहीं है। जबकि चेक सं० 187 की धनराशि किसी खाते में ट्रांसफर हुई है। पासबुक में किसके खाते में ट्रांसफर हुई यह अंकित नहीं है अर्थात् उक्त ट्रांसफर धनराशि के सापेक्ष अन्य फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती मालती एवं ग्रा०प० अधि० श्री राम मिलन चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—16

जनपद — सीतापुर
विकास खण्ड — लहरपुर

ग्राम पंचायत टकेली वर्ष 2015-16

1— हैण्डपम्प मरम्मत करायी गयी है। उसका सामान अपंजीकृत फर्मों/व्यक्तियों से क्रय किया जाता है जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हो रही है। हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री बिल पर लेबर भुगतान की प्राप्ति लिख दी गयी है जो आपत्तिजनक है। नियमानुसार वैट धनराशि की अग्रिम कटौती को सम्बन्धित फर्म के टिन नं० में जमा की जानी अपेक्षित है। तथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उदाहरणार्थ—

दिनांक	व्यय प्रमाणक/ चेक संख्या	धनराशि	विवरण
10-09-2015	31	9000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
15-07-2015	02	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
21-03-2016	40	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय

प्रधान — श्रीमती गीता/मीना देवी
सचिव/ग्रा०वि०अ० — श्री विष्णू प्रकाश

सामान्य आपत्ति संख्या —

2— ग्राम पंचायत अनियाकलां वर्ष 2015-16 द्वारा हयूम पाईप क्रय की गयी है फर्म या वैट की धनराशि अंकित नहीं है। बिल पर वैट की धनराशि अंकित होना चाहिये तथा वैट की अग्रिम धनराशि कटौती कर सम्बन्धित फर्म के टिन नम्बर में जमा की जानी चाहिए। उक्त के परिपालन की ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उदाहरणार्थ —

दिनांक	व्यय प्रमाणक/ चेक संख्या	धनराशि	विवरण
30-09-2015	12	21672.00	हयूम पाईप क्रय

प्रधान – श्री मोहन लाल तथा सचिव/ग्रा०वि०अ० – श्री मुकेश नाथ त्रिवेदी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। सामान्य आपत्ति संख्या –

विकास खण्ड

—

रामपुर मथुरा

ग्राम पंचायत राजापुर इसरौली वर्ष 2014-15 एवं 2015-16

3-वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर कोषबही में कुल व्यय रु० 29120/- दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी जिनकी संख्या व मरम्मत के पश्चात पुरानी सामग्री का प्रयोग कहाँ किया गया है। बाउचरों व प्रमाणकों में दर्शित नहीं है। जैसे –

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	नल मिस्त्री	भुगतान धनराशि
1	07-01-2015	32	दयाराम	13000.00
2	13-01-2015	36	दयाराम	4800.00
3	03-10-2015	18	रामदास	5590.00
4	03-10-2015	19	रामदास	5730.00
			योग :-	29120.00

प्रधान – श्रीमती माया देवी/श्री अमरेन्द्र सिंह तथा सचिव – श्री रामआसरे पाल/श्री राधेश्याम यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। सामान्य आपत्ति संख्या-14

ग्राम पंचायत – रामपुरमथुरा, वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक

4- वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत में दो बार सोलर लाईट क्रय की गयी। क्रय से पूर्व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया जो कि विभागीय नियमों के विपरीत रहा। ग्राम पंचायत में कितनी सोलर लाईट क्रय की गयी व उन्हें कहाँ पर लगाया गया यह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत प्रमाणकों से स्पष्ट न हो सका। उदाहरणार्थ –

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	नल मिस्त्री	भुगतान धनराशि
1	08-06-2015	11	मे० अंश इण्टरप्राइजेज से सोलर लाईट क्रय	70053.00
2	09-06-2015	14		46702.00
			योग :-	116755.00

प्रधान – श्रीमती जहीरा/श्रीमती अर्चना प्रताप तथा सचिव – श्री प्रदीप चौधरी, ग्रा०वि०अ०/श्री कुलदीप कुमार, ग्रा०पं०अ० के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। सामान्य आपत्ति संख्या-24

विकास खण्ड

—

एलिया

ग्राम पंचायत – खगेसिया मऊ वर्ष 2013-14

5- वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की विद्युत व्यवस्था हेतु सोडियम लाईटें क्रय की गई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है –

दिनांक	बाउचर संख्या	फर्म का नाम	धनराशि
04-04-2013	04	मेसर्स मिश्रा हार्डवेय	65000.00
13-04-2013	08	मेसर्स मिश्रा हार्डवेय	65000.00
05-03-2014	54	मेसर्स मिश्रा हार्डवेय	65000.00
		योग :-	195000.00

उक्त की खरीद किसी विद्युत फर्म से न करके मेसर्स मिश्रा हार्डवेयर से की गई जो कि फर्जी प्रतीत होती है। उक्त खरीद हेतु न्यूनतम पर प्राप्ति के लिए धनराशि की निविदा अथवा कोटेशन की औपचारिकता भी पूर्ण नहीं

की गई। जबकि उक्त धनराशि की खरीद पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी। क्रय लाईटें स्टॉक पंजिका पर अंकित किये बिना प्रयोग में लाई गई तथा सम्पत्ति पंजिका पर भी अंकित नहीं पाई गई। अतः उक्त की खरीद की पुष्टि नहीं होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या – 16

6— वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धी किये गये भुगतान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा परिचालन में नहीं/चालू नहीं/खराब हैण्डपम्प की सूचना सम्बन्धी मांग पत्र अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धी सूची व तकनीशियन की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे मरम्मत पर किये गये भुगतानों की पुष्टि न हो सकी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धी निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक लेखा तैयार नहीं किया गया। जबकि विभागीय निर्देशानुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री कर बिक्री से प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा की जानी चाहिये थी। जो कि नहीं किया गया। गम्भीर आपत्तिपूर्ण है। मरम्मत कार्य किन हैण्डपम्प पर किया गया का भी विवरण अप्राप्त रहा। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	बाउचर संख्या	मद	धनराशि
27-04-2013	10	हैण्डपम्प मरम्मत	25000.00
13-05-2013	16	हैण्डपम्प मरम्मत	16000.00
05-08-2013	22	हैण्डपम्प मरम्मत	26000.00
		योग :-	67000.00

सामान्य आपत्ति संख्या – 17

7— वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी ढुलाई कार्टेज मदों में धनराशि व्यय की जानी दर्शायी गयी है। भुगतान रसीदों पर भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये तथा ट्रैक्टर ड्राली का नम्बर भी रसीदों पर अंकित नहीं है। उक्त पर राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान भी नहीं किया गया है तथा कार्य ठेकेदारी प्रथा से कराया गया। जबकि मजदूरों से कराया जाना चाहिये था। साथ ही भुगतान प्रमाणकों पर ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जबकि ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर होने भी अनिवार्य हैं। मिट्टी ढुलाई किस प्रयोजन हेतु की गई आदि का कोई भी विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं है तथा उक्त के फलस्वरूप सृजित आय सम्बन्धी सम्पत्ति रजिस्टर तैयार करके नहीं रखा गया जो कि गम्भीर आपत्तिपूर्ण है। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	मद	धनराशि
1	19-09-2013	32	मिट्टी ढुलाई भुगतान	15000.00
2	04-10-2013	33	मिट्टी ढुलाई भुगतान	24900.00
3	07-10-2013	34	मिट्टी ढुलाई भुगतान	24900.00
4	12-10-2013	35	मिट्टी ढुलाई भुगतान	20100.00
5	07-11-2013	46	मिट्टी ढुलाई भुगतान	24000.00
6	09-01-2014	53	मिट्टी ढुलाई भुगतान	45000.00
7	02-01-2015	-	मिट्टी ढुलाई भुगतान	3840.00
			योग :-	157740.00

सामान्य आपत्ति संख्या – 18

8— कैशबुक दिनांक 29/05/2014 को बाउचर संख्या 01 के अनुसार तालाब में पानी आपूर्ति का भुगतान रु० 10800/- भगवानदीन को किया जाना दर्शित है। प्रमाणक में यह उल्लेख नहीं यिका गया है कि जलापूर्ति हेतु पम्पिंग सेट से किस दर पर व कितने घंटे पानी लिया गया। उक्त भुगतान नकद किया जाना दर्शित है। जबकि एकाउन्ट पेई चेक से किया जाना चाहिये था। बाउचर भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या – 19

9— कैशबुक दिनांक 31/01/2015 को ईट क्रय हेतु रु0 38640/- का भुगतान विष्णु ब्रिक फील्ड ग्राम भटपुरवा कचनार रोड, सीतापुर को किया जाना दर्शित है तथा प्रथम श्रेणी ईट क्रय हेतु रु0 17980/- का भुगतान गुरु नानक ब्रिक फील्ड, शाहजहाँपुर रोड कटीली नेरी को दिया जाना दर्शित है। उक्त के भुगतान प्रमाणकों पर टिन अंकित नहीं पाया गया, तथा क्रय की गई ईटों का प्रयोग किस कार्य हेतु किया गया आदि का विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं पाया गया। अतः उक्त खरीद संदिग्ध प्रतीत होती है एवं गम्भीर आपत्ति का विषय है। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या – 21

10— कैशबुक दिनांक 04/03/2015 को एम0आर0 संख्या 61 के अनुसार खडन्जा मरम्मत हेतु श्रमिक भुगतान रु0 26208/- किया जाना दर्शित है। मस्टररोल पर कार्य की माप स्थान आदि का विवरण अंकित नहीं है। भुगतान प्राप्तकर्ता श्रमिकों के अंगूठा निशान काल्पनिक प्रतीत होते हैं क्योंकि मस्टररोल में 17 श्रमिकों के कार्यों का उल्लेख है। जबकि अंगूठा निशान 16 पाये गये हैं। इस प्रकार एक श्रमिक की मजदूरी काल्पनिक दर्शाकर रु0 1560/- का अपहरण किया गया। मस्टररोल कार्य प्रभारी द्वारा स्वीकृत भी नहीं किया गया। कार्य प्रारम्भ के पूर्व व कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ कार्य से सम्बन्धित स्टेटमेन्ट व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। उक्त कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। जिससे कृत कार्यों की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रधान – श्री अब्दुल रज्जाक

सचिव – श्री रामपाल, ग्रा0पं0अ0

सामान्य आपत्ति संख्या – 23

ग्राम पंचायत कमोलिया, वर्ष 2014-15

11— ग्राम पंचायत के कैशबुक दिनांक 31/05/2014 को ईटा क्रय हेतु राज्य वित्त/13वां वित्त खाते से रु0 29250/- का भुगतान ब्रिक फील्ड को नकद किया गया। लेखा परीक्षा में ईट क्रय का ब्रिक फील्ड का बाउचर उपलब्ध नहीं रहा, जो कि गम्भीर आपत्तिपूर्ण है। उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र गुप्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल से संयुक्त रूप से की जाये। उक्त ईट को स्टोक पंजिका पर अंकित नहीं पाया गया तथा न्यूनतम तद हेतु कोटेशन भी नहीं लिया गया है।

सामान्य आपत्ति संख्या –14

12— दिनांक 31/05/2014 को राज्य वित्त/13वें वित्त खाते से हयूम पाईप क्रय हेतु सिंह स्पन पाइप लखीमपुर-खीरी को रु0 23040/- का भुगतान चेक संख्या 006022 के द्वारा श्री अशर्फी लाल को किया गया। इस प्रकार कैशबुक में सिंह स्पन पाइप को भुगतान दर्शाकर आहरित धनराशि रु0 23040/- का दुरुपयोग किया गया है। जो कि गम्भीर आपत्तिपूर्ण है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। उक्त का कहीं उपयोग किया गया का विवरण भी अप्राप्त रहा।

सामान्य आपत्ति संख्या-15

13— कैशबुक दिनांक 31/05/2014 को बाउचर संख्या 7 के अनुसार राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से मिट्टी ढुलाई रु0 20000/- रु0 500/- प्रति ट्राली की दर से 40 ट्राली मिट्टी ढुलाई का नगद भुगतान किया जाना दर्शित है। भुगतान रसीद पर भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम व पता, हस्ताक्षर, ट्रैक्टर ट्राली नम्बर व भुगतान करने वाले प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। जो कि गम्भीर आपत्ति पूर्ण है। किया गया भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-16

14— कैशबुक दिनांक 07/06/2014 को सीमेन्ट, बालू, मौरंग क्रय हेतु चेक संख्या 006025 के द्वारा रु0 30000/- का भुगतान अशर्फी लाल को किया जाना दर्शित है। जिसका भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-17

15— कौशबुक दिनांक 13/06/2014 को बाउचर संख्या 11 के अनुसार इण्डिया मार्का नलों की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का भुगतान रु0 9400/— कौशबुक में दर्शित है, जिसका भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जो कि गम्भीर आपत्ति पूर्ण है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-18

16— वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/13वें वित्त खाते से निम्न मदों हेतु धनराशि व्यय की जानी दर्शित है। जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जो कि गम्भीर आपत्ति पूर्ण है। सम्पूर्ण व्यय की धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र गुप्ता व ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपाल से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	दिनांक	बाउचर संख्या	मद	धनराशि
1	01-07-2014	15	लोहा क्रय	100.00
2	04-07-2014	16	इण्डिया मार्का नलों की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	4500.00
3	15-07-2014	17	पक्की रोड से रजबहा तक मिट्टी का कार्य 59 X 156 मी0	9204.00
4	15-07-2014	22	मिट्टी ढुलाई भाड़ा भुगतान	7000.00
5	08-08-2014	26	धीरज आयरन सप्लाय को टिन की चादर क्रय हेतु भुगतान	9439.00
6	08-08-2014	27	मिट्टी ढुलाई भाड़ा भुगतान	10000.00
7	27-08-2014	30	मिट्टी ढुलाई भाड़ा भुगतान	10000.00
8	13-08-2014	29	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर व्यय हेतु	4800.00
9	27-08-2014	32	मिट्टी ढुलाई भाड़ा भुगतान	20000.00
10	18-10-2014	38	सीमेन्ट, मिट्टी आदि क्रय का व्यय	10000.00
11	18-10-2014	39	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय हेतु भुगतान	5748.00
12	01-01-2015	44	ईट क्रय हेतु ब्रिक फील्ड को भुगतान	26320.0
13	16-03-2015	62	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय हेतु भुगतान	8552.00
			योग :-	125663.00

प्रधान — श्री महेन्द्र गुप्ता

सचिव — श्री रामपाल, ग्रा0वि0अ0

सामान्य आपत्ति संख्या-19

जनपद— उन्नाव

ग्राम पंचायत—कैथौली

विकास खण्ड—गंजमुरादाबाद

प्रस्तर सं0—1 ग्राम पंचायत कैथौली में वर्ष 2015—16 में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0 28560.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प व्यय नियंत्रण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी अतः अपुष्ट व्यय काल्पनिक मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं0—2 काशी खेड़ा में खडंजा मरम्मत एवं नाली निर्माण पर रु0 95793.00 व्यय किये गये हैं। जिसकी पुष्टि में अनुमानित लागत, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ, व्यय प्रमाणक, (सामग्री क्रय एवं मस्टर रोल) माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति आदि अप्राप्त रहे। अतः अपुष्ट व्यय काल्पनिक मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सरोजनी एवं सचिव श्री उदल सिंह से की जाये।

प्रस्तर सं0—3 प्रमाणक सं0 9 दि0 25.08.15 को रु0 25000.00 का भुगतान चे नं0 860231 द्वारा प्रधान को 10 माह के मानदेय हेतु किया गया है। बकाया अवधि का उल्लेख नहीं है। मानदेय रजिस्टर के अभाव में

बकाया की पुष्टि नहीं की जा सकी और पुर्नभुगतान की सम्भावना बनी रही। भुगतान की पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती सरोजनी से ब्याज सहित वसूली योग्य है।

प्रस्तर सं०-4 दिनांक 31.03.16 को मनरेगा खाते में ₹0 54733.00 और छात्रवृत्ति खाते में ₹0 113635.00 गत वर्ष की भांति शेष है। आलोच्य वर्ष में इसकी कोई जानकारी अथवा बैंक पासबुक से पुष्टि नहीं कराई गयी। वर्तमान में मनरेगा योजना का संचालन एफ0टी0ओ0के माध्यम से हो रहा है और छात्रवृत्ति का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं हो रहा है। अतः अप्रयुक्त धनराशियों को अनावश्यक रोक कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चहोलिया

विकास खण्ड— गंज मुरादाबाद

प्रस्तर सं०-5 वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि I से ₹0 378401.00 निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये हैं।

1. पंचायत भवन से राम कुमार के दरवाजे तक सी0सी0 रोड पर खड़जा कार्य	₹0 149141.00
2. पंचायत भवन से प्रेमशंकर व प्यारे के घर तक सी0सी0 रोड पर खड़जा कार्य	₹0 85100.00
3. जयपाल के घर से गंगा प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग	₹0 49745.00
4. सलीम के दरवाजे से रामेश्वर के दरवाजे तक खड़जा कार्य तथा राधा कृष्ण के घर से तालाब तक नाली कार्य	₹0 94415.00
योग—	₹0 378401.00

उक्त कार्यों का एस्टीमेट, प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियाँ व्यय प्रमाणक (सामग्री क्रय एवं मस्टर रोल) एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, क्रय सामग्री की स्टॉक में प्रविष्टि, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति आदि अप्राप्त रहे। अतः अपुष्ट व्यय को काल्पनिक मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं०-6 वर्ष 2015-16 में हेड पम्प मरम्मत पर ₹0 17000.00 व्यय किये गये। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, हैण्ड पम्प व्यय नियंत्रण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण इस व्यय को काल्पनिक मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं०-7 वर्ष 2015-16 में विज्ञापन पर ₹0 2000.00 और बाल पेंटिंग पर ₹0 12000.00 का व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहे। अनुदान की धनराशि का विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार पर व्यय पर दुरुपयोग किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं०-8 वर्ष 2015-16 में ₹0 37500.00 का भुगतान मानदेय हेतु प्रधान श्रीमती कान्ती को किया गया है। जो कि 15 माह का है। भुगतान पर अवधि का उल्लेख नहीं है। मानदेय रजिस्टर के अभाव में पुर्नभुगतान की सम्भावना बनी रही। अतः भुगतान की पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती कान्ती से ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर सं०-9 दिनांक 31.03.16 को एम0डी0एम0 खाते में ₹0 1603.00 और छात्रवृत्ति खाते में ₹0 41156.00 गत वर्ष की भांति अप्रयुक्त शेष रहे। अलोच्य वर्ष में इसकी कोई जानकारी अथवा बैंक पासबुक से पुष्टि नहीं करायी गयी। वर्तमान में दोनों योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं हो रहा है। अतः अप्रयुक्त धनराशियों को अनावश्यक रोक कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—बरौकी

विकास खण्ड—गंजमुरादाबाद

प्रस्तर सं०-10 वर्ष 2015-16 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 16740.00 व्यय किये गये। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबंधन समिति की संस्तुति हैण्डपम्प व्यय नियंत्रण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः अपुष्ट व्यय को काल्पनिक मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं०-11 वर्ष 15-16 में ₹0 11400.00 का व्यय तालाब में पानी भराई पर किया गया व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबंधन समिति की संस्तुति अप्राप्त रहे। काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वीवी और सचिव रामेश्वर से की जाये।

प्रस्तर सं०-12 दिनांक 18.05.16 को ₹0 2000.00 का भुगतान पत्रकार को विज्ञापन हेतु किया गया। विज्ञापन सम्बन्धी बिल, एवं समाचार पत्र की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अनुदान की राशि का विज्ञापन पर व्यय कर दुरुपयोग किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान और सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं०-13 प्राथमिक विद्यालय से सोवरन अराव के घर तक खड़जा मरम्मत पर ₹0 160500.00 व्यय किये गये जिसकी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके अभाव में कार्य का एस्टीमेट, वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ, व्यय प्रमाणक (सामग्री क्रय एवं मस्टर रोल), माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, क्रय सामग्री की स्टॉक के प्रविष्टि और निर्माण कार्य समिति की संस्तुति आदि अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। अपुष्ट व्यय की काल्पनिक मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वीवी और सचिव रामेश्वर से की जाये।

प्रस्तर सं०-14 दिनांक 31.03.16 को मनरेगा खाते ₹0 1887.00 और छात्रवृत्ति खाते में ₹0 49597.00 गत वर्ष की भांति शेष है। आलोच्य वर्ष में इसकी कोई जानकारी अथवा बैंक पास बुक से पुष्टि नहीं कराई गयी। वर्तमान में मनरेगा का संचालन एफ0टी0ओ0 के माध्यम से हो रहा है और छात्रवृत्ति का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं हो रहा है। अतः अप्रयुक्त धनराशियों को अनावश्यक रोक कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मिर्जापुर अजिगाँव

विकास खण्ड– औरास

प्रस्तर सं०-15 वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत मिर्जापुर अजिगाँव द्वारा 'जमुना आयस स्टोर' से सामग्री बाबत हैण्डपम्प मरम्मत क्रय की गयी जिसका विवरण निम्न है

दिनांक	रसीद नं०	बाउचर क्रमांक	दुकान का नाम	धनराशि
05.06.15	02	07	जमुना आयस स्टोर	18000.00
28.07.15	04	24	„	6000.00
20.08.15	07	33	„	13300.00
06.10.15	08	53	„	5000.00
19.10.15	10	58	„	4000.00
				46300.00

उक्त प्रमाणकों पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

सामग्री 'जमुना आयस स्टोर' से क्रय की गयी जिस पर न टिन नंबर अंकित है व न ही रजिस्ट्रेशन है। व न ही हैण्डपम्प बनवाये जाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र संलग्न है व न ही प्रमाणक जल प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत है।

इसके साथ ही अवशेष, अप्रयुक्त व खराब सामान वहाँ गया भी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है तथा समस्त पांचो प्रमाणक सचिव/प्रधान द्वारा सत्यापित भी नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए उक्त की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर प्रधान/सचिव क्रमशः श्रीमती कमला व श्रीमती रघुवीर सिंह से की जाये।

प्रस्तर सं०-16 ग्राम पंचायत मिर्जापुर अजिगाँव द्वारा वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि I से रुपये 3600.00 बाबत हैण्डपम्प मरम्मत व्यय किये गये हैं। उक्त से सम्बन्धित प्रमाणक सं० 45 अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि को फर्जी मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान/सचिव क्रमशः श्रीमती कमला व श्री रघुवीर सिंह से बराबर-बराबर किया जाये।

ग्राम पंचायत-बैजुआमऊ

विकास खण्ड-पुरवा

प्रस्तर सं0-17 ग्राम पंचायत बैजुआमऊ में वर्ष 15-16 में खड़जा निर्माण रामकिशुन खेडा से रामखेडा सड़क तक रू0 157300.00 का व्यय कैश बुक में दिखाया गया है।

क्र0 सं0	दिनांक	चेक संख्या	नाम जिनको भुगतान दिखाया जा रहा है	रूपया
1.	28.04.15	00014	गंगाराम (ईटा के लिए)	25500.00
2.	04.05.15	00016	शंकर (मास्टर रोल)	11000.00
3.	16.05.15	00111	न्यू पटेल (ईटा के लिए)	56700.00
4.	27.06.15	000114	गंगाराम (ईट के लिए)	26550.00
5.	29.06.15	000115	गंगाराम (मिट्टी के लिए)	16500.00
6.	27.06.15	000113	पुकेश (मिट्टी के लिए)	5500.00
7.	16.07.15	000118	गंगाराम (मजदूरी व स्टेशनरी)	15550.00
				157300.00

उपरोक्त सभी व्यय के व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की एम0वी0, तकनीकी स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः उपरोक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार काल्पनिक व्यय की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री गंगाराम व सचिव श्री अनिल कुमार राणा से ब्याज सहित की जाए।

ग्राम पंचायत-ममरेजपुर

ब्लाक-पुरवा

प्रस्तर सं0-18 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 15-16 में ह्यूम पाइप पर निम्न लिखित व्यय कैशबुक में दर्शाया जा रहा है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	नाम जिसको पेमेन्ट दिखाया जा रहा है	रू0
1.	15.04.15	00070	राम किशोर (करन पाइप इन्डस्ट्रीज)	28200.00
2.	18.06.15	00073	विवेक शुक्ला (जे0के0 ह्यूम पाइप इन्डस्ट्रीज)	17625.00
3.	07.08.15 / 11.08.15	00076	करन विल्डर्स पाइप इन्डस्ट्रीज	64400.00
			योग	110225.00

उपरोक्त सभी ह्यूमपाइप का न तो उपभोग किया गया है और न ही इन्हें स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया है और व्यय प्रमाणक, एम0वी0 तकनीकी स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गा है। अतः उपरोक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः अपुष्ट व्यय रू0 110225.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राकेश कुमार व सचिव श्री राममिलन से ब्याज सहित की जाय।

ग्राम पंचायत: मुस्तफाबाद

विकास खण्ड-मियाँगंज

प्रस्तर सं0-19 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में कराये गये निम्नांकित कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में कार्य से सम्बन्धी माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक/एम0आर0 तकनीकी स्वीकृति, अनुमानित व्यय स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये फलस्वरूप किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। यहाँ उल्लेखनीय है कि क्रय की गयी सामग्री आदि की आमद व खर्च स्टाक रजि0 में भी नहीं दर्शाया गया है।

I- शिवमंगल के दरवाजे से तालाब तक नाली निर्माण व कूप मरम्मत

1.	ईट क्रय	रू0	78093.00	दि0 15.04.15	उदय ब्रिक फील्ड
2.	सामग्री क्रय	रू0	49752.00	दि0 15.04.15	महेश ट्रेडर्स
3.	समाग्री क्रय	रू0	8563.00	दि0 15.04.15	" "
4.	मजदूरी	रू0	20808.00	दि0 20.04.15	अज्ञात
	योग-	रू0	157216.00		

II- ताड़ के पेड़ों से मुन्नू सिंह के दरवाजे तक खड़जा व नाली निर्माण-

1.	ईंट क्रय	रु0	113055.00	दि0 25.05.15	उदय ब्रिक फील्ड
2.	सामग्री क्रय	रु0	25216.00	दि0 25.05.15	महेश ट्रेडर्स
3.	मजदूरी	रु0	19968.00	दि0 24.05.15	अज्ञात
4.	मजदूरी	रु0	15939.00	दि0 25.05.15	अज्ञात
5.	सामग्री क्रय	रु0	11220.00	दि0 25.05.15	महेश ट्रेडर्स
6.	ईंट क्रय	रु0	28700.00	दि0 30.05.15	दया ब्रिक फील्ड
7.	मजदूरी	रु0	9050.00	दि0 30.05.15	अज्ञात

योग- रु0 **223148.00**

कुल धनराशि रु0 157216.00 + 223148.00 = 380364.00 जो अपुष्टित है। उक्त अपुष्टित व्यय रु0 380364.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान फूलचन्द एवं सचिव सुरेश चंद चौरसिया से की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0-20 वर्ष 2015-16 में हैण्डपम्प अनुरक्षण पर रुपया 99730.00 का व्यय कोष बही में दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा धारा 29 के अन्तर्गत जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति नहीं प्रस्तुत किये गये फलस्वरूप दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। उक्त अपुष्टित व्यय काल्पनिक मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान फूलचन्द/मीना सिंह एवं सचिव सुरेश चंद चौरसिया से की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – कोरारी कलाँ

विकास खण्ड-मियाँगंज

प्रस्तर सं0-21 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 कराये गये निम्नांकित कार्यो हेतु ईंट/सामग्री/मजदूरी का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/एम0आर0माप-पुस्तिका, तकनीकी स्वीकृति, अनुमानित स्वीकृत व्यय, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये फलस्वरूप किये गये व्यय अपुष्टित रहे।

I- शिव कुमार लोध के घर से सुन्नी के खेत तक नाली निर्माण

1.	ईंट क्रय	रु0	81349.00	दि0 22.04.15	अजय ब्रिक फील्ड
2.	मिट्टी क्रय	रु0	8585.00	दि0 10.04.15	अज्ञात
3.	मजदूरी	रु0	14964.00	दि0 10.04.15	अज्ञात

योग- रु0 **104898.00**

II- पप्पू लोहार के घर से मुन्नू सिंह के खेत तक मिट्टी/खड़जा कार्य-

1.	मिट्टी क्रय	रु0	11434.00	दि0 03.07.15	अज्ञात
2.	ईंट क्रय	रु0	56355.00	दि0 03.07.15	अजय ब्रिक फील्ड
3.	मजदूरी	रु0	13671.00		

योग- रु0 **81460.00**

कुल धनराशि रु0 104898.00 + 81460.00 = 186358.00 अपुष्टित है। उक्त अपुष्टित व्यय रु0 186358.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अश्विनी कुमार तिवारी एवं सचिव प्रकाश चन्द से की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0-22 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में हैण्डपम्प अनुरक्षण पर रु0 49900.00 का व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं धारा 29 के अन्तर्गत जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति नहीं प्रस्तुत की गयी फलस्वरूप किया गया व्यय अपुष्टित रहा। पुष्टि के अभाव में व्यय को काल्पनिक मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान अश्विनी कुमार तिवारी/सुनीता तिवारी एवं सचिव प्रकाश चन्द से की जानी चाहिये।

ग्राम पंचायत-बेहटा भवान

विकास खण्ड – पूरवा

प्रस्तर सं०-23 निम्न विवरणानुसार व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी-

तिथि	प्र०सं०	व्यय विवरण कोष वही के अनुसार	धनराशि रू० में
16.04.15	1	9 हैण्डपम्प मरम्मत	15600.00
24.04.15	2	प्रधान मानदेय माह मार्च, अप्रैल, मई 2015	7500.00
29.04.15	3	6 हैण्डपम्प मरम्मत	10143.00
12.05.15	4	प्रा०पा०बाल में 60 सेमी० मिट्टी ढुलाई व्यय	9000.00
08.06.15	5	ह्यूम पाइप डलवाई मस्टर रोल भुगतान	7245.00
25.06.15	6	हैण्डपम्प बनवाई रामनरेश को	4025.00
25.06.15	7	6 हैण्डपम्प मरम्मत	7150.00
25.06.15	8	खाद्यान्न योजना की फोटोकापी व हार्ड कापी व्यय	305.00
03.07.15	9	3 हैण्डपम्प मरम्मत व्यय	3500.00
13.07.15	10	प्रधान मानदेय जून व जुलाई 2015	5000.00
13.07.15	11	खड़जा मरम्मत स्थल पर 13 ट्राली मिट्टी डलवाई	5200.00
18.07.15	12	स्टेशनरी व फोटोकापी व्यय	250.00
04.08.15	13	न्यू पटेल ईट भट्ठे से नाली मरम्मत हेतु ईट क्रय	29250.00
04.08.15	14	स्टेशनरी क्रय	1750.00
05.08.15	15	प्रधान मानदेय अगस्त 2015	2500.00
10.08.15	16	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	9750.00
13.08.15	17	नाली मरम्मत मजदूरी विकास के घर से तालाब तक	6400.00
26.08.15	18	हैण्डपम्प मरम्मत	4265.00
26.08.15	19	नाली मरम्मत सामग्री क्रय	23040.00
27.08.15	20	प्रधान मानदेय सितम्बर 2015	2500.00
29.09.15	21	हैण्डपम्प मरम्मत	7040.00
30.09.15	22	ईट क्रय न्यू पटेल ईट भट्ठे से	78400.00
27.10.15	23	प्रधान मानदेय अक्टूबर 2015	2500.00
30.10.15	24	ईट क्रय खड़जा मरम्मत हेतु	64000.00
30.10.15	25	27 ट्राली मिट्टी ढुलाई	10800.00
30.10.15	26	मस्टर रोल उक्त खड़जा मरम्मत	11270.00
31.10.15	27	मस्टर रोल उक्त खड़जा मरम्मत	26082.00
05.03.16	28	9 हैण्डपम्प मरम्मत मिस्त्री	12780.00
21.03.16	29	ग्राम पंचायत में नाली सफाई	11270.00
21.03.16	30	चूना, झाड़ू व फावड़ा क्रय	830.00
		कुल योग-	379345.00

अतः रू० 354465.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती रेखादेव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार पटेल से तथा रू० 24880.00 नये प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार पटेल से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत –जखैला

विकास खण्ड- हसनगंज

प्रस्तर सं०-24 नन्हा के घर से चौबे के घर तक नाली निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है।

चेक संख्या	दिनांक	सामग्री	मूल्य
82	23.05.2015	ईट	27076.68

82	23.05.2015	मिट्टी	4792.84
81	25.05.2015	सी0+मौ0+बालू	23728.00
80	25.05.2015	एम0आर0 (16.05.15 से 25.05.15)	8892.00
93	04.09.2015	सी0+मौरंग	5000.00

(क) मस्टर रोल के अनुसार 16.05.2015 को कार्य प्रारम्भ होकर 25.05.2015 को समाप्त हो गया। यदि 16.05.2015 को कार्य प्रारम्भ हुआ और पहली बार सामग्री 23.05.2015 को क्रय की गई तो बिना सामग्री के कार्य का प्रारम्भ होना संदिग्ध प्रतीत होता है और यदि 25.05.2015 को कार्य पूर्ण हो गया तो 04.09.2015 को सामग्री का क्रय औचित्यहीन है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य कराया ही नहीं गया।

(ख) कोष बही, मस्टर रोल में कार्य की माप का उल्लेख न होने कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मेजरमेंट बुक, कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किये जाने से भी कार्य का न कराया जाना ही सिद्ध होता है।

(ग) दिनांक 04.09.2015 को चेक संख्या 93 के द्वारा कोष बही और बाउचर के अनुसार रु0 5000.00 का भुगतान करके दीप ट्रेडर्स से सामग्री क्रय की गई जबकि बैंक पासबुक के अनुसार चेक संख्या-93 का भुगतान दीप ट्रेडर्स को न करके किसी महेश पाल नाम के व्यक्ति को किया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नन्हा के घर से चौबे के घर तक नाली निर्माण का कार्य कराया ही नहीं गया और समस्त धनराशि 69489.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री बृजेश सिंह व सचिव श्री सुनील कुमार करकेटा से की जाए।

प्रस्तर सं0-25 राजकपूर के घर से तालाब पुलिया तक खड़जा निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	सामग्री	मूल्य
23.05.2015	ईंट क्रय	72745.00
25.05.2015	मिट्टी पटाई	8138.00
25.05.2015	एम0आर0 (01.05.15 से 08.05.15)	9984.00

(क) मस्टर रोल से स्पष्ट है कि कार्य 01.05.2015 को प्रारम्भ होकर 08.05.2015 को पूर्ण हो गया जबकि सामग्री 23.05.2015 को क्रय की गई और मिट्टी पटाई का कार्य 25.05.2015 को कराया गया। कार्य पूर्ण होने के बाद सामग्री क्रय और मिट्टी का कार्य कराये जाने के उल्लेख से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया।

(ख) कार्य की माप का उल्लेख न होने, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मेजरमेंट बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्ययोजना प्रस्तुत न किये जाने से भी कार्य का न कराया जाना ही सिद्ध होता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया और उस पर व्यय की गई धनराशि रु0 90867 का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान बृजेश सिंह व सचिव श्री सुनील कुमार करकेटा से की जाए।

प्रस्तर सं0-26 रसूल बक्स के घर से राम नरायण के घर तक नाली निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	सामग्री	मूल्य
04.09.2015	ईंट क्रय	21500.00
07.09.2015	सी+मौ+बालू	15000.00
07.09.2015	एम0आर0 (01.09.2015 से 10.09.2015)	8657.00

(क) मस्टर रोल के अनुसार 01.09.2015 को कार्य प्रारम्भ हुआ जबकि सामग्री का क्रय क्रमशः 04.09.2015 व 07.09.2015 को किया गया। बिना सामग्री के कार्य का प्रारम्भ कार्य कराए जाने को ही संदिग्ध बनाता है जिससे कार्य का न कराया जाना ही परिलक्षित होता है।

(ख) चेक सं0 91 के माध्यम से प्रधान बृजेश सिंह को 15000 का भुगतान किया जाना पासबुक में दर्शित है जबकि कोष बही व बाउचर के अनुसार यह भुगतान दीप ट्रेडर्स को किया गया है। इस प्रकार नकद भुगतान भी कार्य न कराये जाने की ओर ही संकेत कर रहा है।

(ग) मस्टर रोल के अनुसार दिनांक 01.09.2015 से दिनांक 10.09.2015 तक कार्य किया गया जबकि मजदूरी का भुगतान कोष बही के अनुसार 07.09.2015 कर दिया गया। कार्य समाप्ति के पूर्व ही मजदूरी का भुगतान किये जाने से भी कार्य का न कराया जाना ही परिलक्षित होता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कार्य कराया ही नहीं गया और व्यय की गई समस्त धनराशि 45157/- का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री बृजेश सिंह व सचिव श्री सुनील कुमार करकेटा से की जाए।

ग्राम पंचायत—पमेधिया

विकास खण्ड—हसनगंज

प्रस्तर सं०—27 फारुख के दरवाजे से कल्लू पासी के दरवाजे तक खडंजा मरम्मत कार्य में व्यय का विवरण निम्नलिखित है—

04.07.2015	ईंट क्रय	नग अस्पष्ट	धनराशि	51984 /—
13.06.2015	मजदूरी	मस्टर रोल	धनराशि	6440 /—
13.06.2015	मजदूरी	मस्टर रोल	धनराशि	9690 /—
13.06.2015	मजदूरी	मस्टर रोल	धनराशि	9690 /—
20.06.2015	मिट्टी पटाई	ट्राली भाड़ा	धनराशि	15915 /—

(क) सामग्री (ईंट) क्रय से पूर्व ही मजदूरी का भुगतान किये जाने से कार्य का कराया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

(ख) लेखा परीक्षा के दौरान कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मेजरमेन्ट बुक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने से भी कार्य का न कराया जाना ही परिलक्षित होता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया और उस पर दर्शित समस्त व्यय रु० 93719/- का अपहरण पंचायत सचिव श्री अनिल शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री तुषार अवस्थी द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं०—28 नरायन के खेत से बजरंग बली के मंदिर तक खडंजा मरम्मत कार्य में व्यय का विवरण निम्नलिखित है—

13.06.2015	ईंट क्रय	नग अस्पष्ट	धनराशि	64980 /—
13.06.2015	मजदूरी	मस्टर रोल	धनराशि	42237 /—
13.06.2015	मजदूरी	मस्टर रोल	धनराशि	6440 /—
13.06.2015	मजदूरी	मस्टर रोल	धनराशि	9690 /—
13.06.2015	मजदूरी	मस्टर रोल	धनराशि	9690 /—
20.06.2015	मिट्टी पटाई	ट्राली भाड़ा	धनराशि	15863 /—

(क) कार्य की माप का उल्लेख कोष बही में दर्शित न होने, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मेजरमेंट बुक और परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा कार्य योजना प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त कार्य का न कराया जाना ही सिद्ध होता है। मस्टर रोल में भी कार्य की माप का उल्लेख न होना/कार्य न कराये जाने की ही पुष्टि करता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य न कराकर रु० 148900/- का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री तुषार अवस्थी व पंचायत सचिव श्री अनिल शर्मा से की जाए।

प्रस्तर सं०—29 कोष बही के अनुसार 20.06.2015 को बालाजी इलेक्ट्रानिक्स से बैट्री क्रय पर रु० 10800/- व्यय किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशि का भुगतान बालाजी इलेक्ट्रानिक्स को न करके प्रधान श्री तुषार अवस्थी द्वारा आहरण प्राप्त किया गया। स्पष्ट है कि रु० 10800/- की धनराशि का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर ली गई जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री तुषार अवस्थी व सचिव श्री अनिल शर्मा से की जाए।

ग्राम पंचायत—शिवपुर

विकास खण्ड—विछिया

प्रस्तर सं०—30 वर्ष 2014—15 में प्रिया साफ्ट, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 1035041.00 का व्यय नाली, खण्डजा निर्माण खण्डजा मरम्मत, हैण्डपाइप मरम्मत, स्कूल में शौचालय निर्माण एवं लेबर के भुगतान हेतु किया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं।

अ— कार्य योजना प्रस्ताव, इस्टीमेट, कार्यपूर्ति, कार्यों की एम0बी0 व्यय प्रमाणक एवं उपभोग प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेण्डर की कार्यवाही लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये फलस्वरूप व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा।

ब— बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार यह समस्त धनराशि नकद निकासी की गयी सामग्री क्रय हेतु कोई भी चेक फर्म के नाम निर्गत नहीं किया गया नकद धनराशि के भुगतान प्राप्त करता श्री राजेश कुमार एवं कन्हैया लाल थे।

उक्त के आधार पर ग्राम निधि से किया गया व्यय रू0 1035041.00 कार्य के नियमों का पालन नहीं करता है अतः इतनी धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः रू0 1035041.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कन्हैया लाल एवं सचिव श्री राघवेन्द्र निगम से वसूल किया जाय।

प्रस्तर सं0-31 बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 11.10.2014 को चेक सं0 432751 द्वारा रूपया 24500.00 श्री कन्हैया लाल प्रधान द्वारा नकद अहरित किया गया। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.03.2015 को चेक नं0 432772 द्वारा रू0 25000/- श्री राजेश कुमार द्वारा नकद अहरित किया गया। अहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। रू0 49500/- प्रधान श्री कन्हैया लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राघवेन्द्र निगम से ब्याज सहित वसूल कराया जाय।

प्रस्तर सं0-32 वर्ष 2015-16 की कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार 01.04.15 से 30.06.15 तक रू0 208000/- बैंक से नकद श्री कन्हैया लाल प्रधान द्वारा अहरित किया गया जिसके सापेक्ष कोई व्यय अंकित नहीं किया गया। उक्त धनराशि आधी-आधी प्रधान श्री कन्हैया लाल एवं सचिव श्री एस0के0 सिंह से ब्याज सहित वसूल कर ग्राम पंचायत में जमा करायी जाय।

प्रस्तर सं0-33 I- माह जुलाई 15 से दिसम्बर 15 तक कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 126643/- अहरित किये गये जिसके समझ रू0 3350/- मिट्टी पटाई रू0 16201/- मजदूरी एवं राज मिस्त्री तथा रू0 50592/- की ईट क्रय करना दर्शाया गया। व्यय की पुष्टि में कार्य योजना प्रस्ताव, इस्टीमेट, प्रमाणक, मस्टर रोल कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये। फलस्वरूप धनराशि रू0 70143/- व्यय अपुष्ट।

अतः प्रधान श्री कन्हैया लाल एवं सचिव श्री एस0के0 सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाय।

II-शेष धनराशि रू0 56500/- का न तो व्यय किया गया और न रोकड़ नकद शेष ही दर्शाया गया। इस प्रकार रू0 56500/- का अपहरण प्रधान श्री कन्हैया लाल एवं सचिव श्री एस0के0 सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाय।

प्रस्तर सं0-34 माह दिसम्बर 15 के पश्चात मार्च 16 तक कैशबुक नहीं बनायी गयी थी। इस अवधि में दिनांक 21.03.2016 को रू0 20150/- श्री रणजय सिंह द्वारा अहरित की गयी है जिसका कोई उपभोग प्रमाणित नहीं होता।

अतः उक्त रू0 20150/- आधा-आधा श्री रणजय सिंह प्रधान एवं श्री एस0के0 सिंह सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाय।

ग्राम पंचायत— ओरहर विकास खण्ड— विछिया

प्रस्तर सं0-35 वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

तिथि	चेक सं0	धनराशि	कृत कार्य/व्यय
17.05.2013	723451	41600.00	ईट क्रय बावत गुड्डू सिंह के घर के पास बस्ती खेड़ा छोटेलाल से तालाब तक
01.06.2013	723452	39900.00	एम0आर0बावत दरोगा खेड़ा से जाफर खेड़ा में खड़जा
01.06.2013	723453	47700.00	ईट क्रय बावत दरोगा खेड़ा से जाफर खेड़ा में खड़जा
01.06.2013	723454	5000.00	कारीगर बावत हैण्ड पम्प मरम्मत
10.07.2013	723455	1000.00	विज्ञापन आज दैनिक
10.07.2013	723456	3000.00	कारीगर बावत हैण्डपम्प मरम्मत
16.07.2013	723457	19650.00	निर्माण सामग्री बावत बस्ती खेड़ा में क्रास ढलाई तथा नाली

16.07.2013	723458	9940.00	एम0आर0बावत बस्ती खेड़ा में क्रास ढलाई तथा नाली
11.09.2013	580401	1000.00	विज्ञापन व्यय आजदैनिक
11.09.2013	580402	36870.00	ईट क्रय बावत जाफर खेड़ा से दरोगा खेड़ा तालाब तक खड़जा
11.09.2013	580403	9500.00	एम0आर0बस्ती खेड़ा छोटे लाल गुड़ू सिंह के घर तक खड़जा
15.09.2013	580404	26250.00	एम0आर0जाफर खेड़ा से दरोगा खेड़ा तक खड़जा
15.09.2013	580405	39800.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री संजय मशीनरी
15.09.2013	580406	98320.00	ईट क्रय जाफर खेड़ा से दरोगा खेड़ा खड़जा
25.09.2013	580407	1450.00	स्टेशनरी क्रय
25.09.2013	580408	5000.00	कारीगर एम0आर0
25.09.2013	580409	1000.00	विज्ञापन व्यय बावत अमर उजाला
25.09.2013	580410	49160.00	ईट क्रय जाफर खेड़ा से दरोगा खेड़ा में खड़जा
25.09.2013	580411	15620.00	एम0आर0जाफर खेड़ा से दरोगा खेड़ा में खड़जा
10.10.2013	580412	98320.00	ईट क्रय बावत शाखों के प्रांगण से प्रा0स्कूल में नाली तथा चबूतरा
01.11.2013	580413	15900.00	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय
01.11.2013	580414	98900.00	निर्माण सामग्री बावत प्रा0पा0 से शाखों में नाली व चबूतरा
01.11.2013	580415	1000.00	विज्ञापन बावत अमर उजाला
01.11.2013	580416	3000.00	कारीगर बावत हैण्ड पम्प मरम्मत
01.11.2013	580417	1000.00	विज्ञापन बावत राष्ट्रीय सहारा
01.11.2013	580418	3000.00	ट्राली भाड़ा बावत शाखों में नाली व चबूतरा
10.11.2013	580419	24900.00	एम0आर0बावत शाखों में नाली व चबूतरा
01.02.2014	426551	54120.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 ओरहर जू0 हा0
01.02.2014	426552	27060.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 ओरहर प्रा0 II
01.02.2014	426553	33825.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 खम्भार प्रा0
01.02.2014	426554	81180.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 दरोगा खेड़ा जू0
01.02.2014	426555	40590.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 दरोगा खेड़ा जू0
01.02.2014	426556	16912.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 ओरहर I
01.02.2014	426557	30442.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 प्रा0 तुर्कमान नगर
01.02.2014	426558	91327.00	ईट क्रय स्कूल एप्रोच खं0 प्रा0 वस्ती खेड़ा
10.02.2014	426559	8520.00	एम0आर0 बावत ओरहर जू0 हा0 स्कूल एप्रोच व ख0
10.02.2014	426560	4260.00	एम0आर0बावत ओरहर प्रा0 स्कूल एप्रोच व ख0
10.02.2014	426561	5680.00	एम0आर0 बावत ओरहर खम्भारखेड़ा प्रा0 एप्रोच व ख0
10.02.2014	426562	12780.00	एम0आर0बावत ओरहर दरोगाखेड़ा जू0 एप्रोच व ख0
10.02.2014	426563	7100.00	एम0आर0बावत ओरहर दरोगाखेड़ा प्रा0 एप्रोच व ख0
10.02.2014	426564	2840.00	एम0आर0बावत ओरहर I एप्रोच व ख0
10.02.2014	426565	4970.00	एम0आर0बावत ओरहर तुर्कमान नगर एप्रोच व ख0
10.02.2014	426566	14200.00	एम0आर0 बावत ओरहर वस्तीखेड़ा प्रा0 एप्रोच व ख0
15.02.2014	426567	129900.00	उपरोक्त स्कूल शौचालय मरम्मत हेतु टाइल तथा सामग्री
15.02.2014	426568	125900.00	उपरोक्त स्कूल शौचालय हेतु ओर हेड बैंक अधिष्ठापन
15.02.2014	146569	37750	मानदेय प्रधान— नवम्बर 10 से मार्च 14
15.02.2014	426570	39760.00	एम0आर0बावत स्कूल शौचालय मरम्मत
15.02.2014	426571	1000.00	विज्ञापन व्यय बावत आज
15.02.2014	426572	4151.00	एम0आर0. स्कूल एप्रोच ख0 ओरहर I
15.02.2014	426773	7854.00	एम0आर0..... स्कूल एप्रोच ख0 जू0 ओरहर
01.03.2014	726574	521.00	ट्राली भाड़ा स्कूल एप्रोच ओरहर –II

01.03.2014	426575	4459.00	एम0आर0तथा ट्राली भाड़ा स्कूल एप्रोच खम्भार
01.03.2014	426576	4190.00	एम0आर0तथा ट्राली भाड़ा स्कूल एप्रोच दरोगा खेड़ा
02.03.2014	427377	14394.00	एम0आर0तथा ट्राली भाड़ा स्कूल एप्रोच वस्ती खेड़ा
02.03.2014	427378	10044.00	एम0आर0तथा ट्राली भाड़ा स्कूल एप्रोच वस्ती खेड़ा
02.03.2014	427379	4408.00	एम0आर0 तथा ट्राली भाड़ा स्कूल एप्रोच तुर्कमान नगर
02.03.2014	427380	2990.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच ओरहर –I
02.03.2014	427381	9420.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच जू0 ओरहर
02.03.2014	427382	2468.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच ओरहर–II
02.03.2014	427383	4485.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच खम्भार प्रा0
02.03.2014	427384	3440.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच तुर्कमान नगर
02.03.2014	427385	11582.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच प्रा0 वस्तीखेड़ा
02.03.2014	427386	4935.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच प्रा0 दरोगाखेड़ा
02.03.2014	427387	10087.00	निर्माण सामग्री स्कूल एप्रोच जू0 दरोगाखेड़ा
02.03.2014	427388	122000.00	निर्माण सामग्री बावत खम्भार खेड़ा मुख्य मार्ग सी0सी0 रोड
02.03.2014	427389	63690.00	ईट सामग्री बावत खम्भार खेड़ा मुख्य मार्ग सी0सी0 रोड
02.03.2014	427390	153250.00	मो0, सी0 सामग्री बावत खम्भार खेड़ा मुख्य मार्ग सी0सी0 रोड
02.03.2014	427391	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय
02.03.2014	427392	54369.00	नि-सामग्री खम्भार खेड़ा सी0सी0 रोड
03.03.2014	427393	46850.00	स्कूल शौचालय ओवर हेड ट्रैक अधिष्ठान हेतु व्यय
20.03.2014	427394	18200.00	एम0आर0 बावत खम्भारखेड़ा सी0सी0 रोड
28.03.2014	427395	24300.00	एम0आर0 बावत खम्भारखेड़ा सी0सी0 रोड
28.03.2014	427396	20800.00	ट्राली भाड़ा कृपा से मुख्यमार्ग तथा खम्भार मुख्य मार्ग खड़जा के पास
30.03.2014	427397	32200.00	एम0आर0बावत कृपा से मुख्यमार्ग तथा खम्भार मुख्य मार्ग मिट्टी
30.03.2014	427398	61690.00	ईट क्रय कृपा से मुख्यमार्ग तथा खम्भार मुख्यमार्ग खड़जा के पास
	योग-	2146719.00	

लेखा परीक्षा के दौरान रू0 2146719.00 के व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराये गये फलस्वरूप सम्बन्धित व्यय अपुष्ट रहा जो अपहरण की श्रेणी में आता है अतः तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी आलोक अवस्थी एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिलीप सिंह से बराबर (आधी-2) धनराशि की ब्याज सहित वसूली से की जाये।

प्रस्तर सं0-36 वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

तिथि	चेक सं0	धनराशि	कृत कार्य/व्यय
01.06.2014	427399	25180.00	व्यय बावत ह्यूम पाइप क्रय
01.06.2014	427400	29800.00	व्यय बावत हैण्डपम्प मरम्मत
01.07.2014	580420	5000.00	कारीगर बावत हैण्ड पम्प मरम्मत
10.07.2014	429501	50360.00	व्यय बावत ह्यूमपाइप क्रय
10.07.2014	429502	23400.00	एम0आर0बावत डामर रोड शाखों में सी0सी0 रोड
10.07.2014	429503	185070.00	ईट तथा ईट गिट्टी (66932.00) + ईट क्रय बावत वस्तीखेड़ा, सुन्दर सिंह से वस्तीखेड़ा ख0(118138.00)
10.07.2014	429504	31200.00	दरोगा खेड़ा में खड़जा
10.07.2014	429505	30400.00	एम0आर0 बावत वस्ती खेड़ा खड़जा
18.07.2014	499506	123380.00	ईट क्रय बावत वीर सिंह, देशराज ललोरी खरजा माडल
18.07.2014	429507	129800.00	निर्माण सामग्री क्रय बावत डामर रोडसे तालाब सीसी रोड
22.07.2014	429508	2390.00	कूड़ागाड़ी मरम्मत

22.07.2014	429509	30940.00	निर्माण सामग्री डामर रोड से शाखो माडल सीसी रोड
22.07.2014	429510	166563.00	ईट क्रय बावत वस्ती खेड़ा देशराज से दया वस्ती खेड़ा खरजा
30.11.2014	429512	16000.00	राज कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को कूड़ागाड़ी हेतु भुगतान
04.12.2014	429513	14040.00	एम0आर0खड़जा महेन्द्र शुक्ला के घर से ओरहर तालाब तक
04.12.2014	429514	5950.00	एम0आर0खड़जा महेन्द्र शुक्ला के घर से ओरहर तालाब तक
30.12.2014	429515	64575.00	साई ब्रिक फील्ड को ईट क्रय भुगतान बावत ओरहर में महेन्द्र शुक्ला के घर से ओरहर तालाब तक खड़जा
30.12.2014	429516	49200.00	साई ब्रिक फील्ड को भुगतान ईट क्रय दरोगा खेड़ा में प्रभु के घर से राकेश के घर तक खड़जा
30.12.2014	429517	10000.00	एम0आर0प्रभू के घर से राकेश के घर तक 18892.00 स्टेशनरी क्रय (1108.00)
27.01.2015	429518	9435.00	बावत इंडिया मार्ग-2 हैण्ड पम्प सा0 क्रय
27.01.2015	429519	4500.00	कमलेश मिस्त्री को नल बनवायी का भुगतान
28.01.2015	429520	7200.00	रामकुमार को भुगतान बावत ट्राली मिट्टी दरोगाखेड़ा में प्रभू के घर से राकेश के घर तक खड़जा हेतु
05.02.2015	429522	1000.00	आज प्रकाशन प्रा0लि0 को विज्ञापन का भुगतान
11.02.2015	429523	5460.00	एम0आर0बावत रज्जू यादव के घर के पास खड़जा
12.02.2015	429524	15600.00	एम0आर0बीर सिंह, मुनेश्वर यादव, रज्जू के घर के पास खड़जा
01.03.2015	429525	1200.00	कमलेश मिस्त्री को पाइप बनवाई का भुगतान
07.03.2015	429526	15000.00	रु0 7176.00 एम0आर0कल्लू के घर के पास जगतपाल सिंह के पास खड़जा रु0 6765.00 ईट क्रय साई ब्रिक फील्ड रु0 1059.00 तसला, फावड़ा, बेलचा क्रय
	योग-	1052643.00	

उक्त विवरण अनुसार विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित प्रमाणन लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये फलतः व्यय अपुष्टित रहा इस प्रकार व्यय के प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय को अपहरण मानते हुए तत्कालीन प्रधान से रु0 526321.50 श्री दिलीप सिंह (पूर्ण) एवं ग्रा0वि0अधि0 अवधेष श्रीवास्तव से मु0 526321.50 ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर सं0-37 वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

तिथि	चेक सं0	धनराशि	कृत कार्य/व्यय
16.04.2015	429527	8260.00	सत्येन्द्र हार्ड वेयर बावत इण्डिया मार्का-2 हैण्ड मरम्मत हेतु सामान क्रय
16.04.2015	429528	3900.00	कमलेश कुमार को (मिस्त्री) नल बनवाई भुगतान
05.05.2015	429530	22000.00	एम0आर0 भुगतान रु0 21971.00 फोटोकापी
05.05.2015	429531	8400.00	चन्द्रशेखर को उक्त कार्य हेतु मिट्टी उलवाई भुगतान
05.05.2015	429535	25000.00	उक्त कार्य हेतु एम0आर0का भुगतान 21971.00 स्वी0 क्रय रु0 3029.00
11.05.2015	429536	23000.00	खम्भार में केशन के घर से शंकर के घर तक सी0सी0एम0आर0 14872.00 बाल्टी, वेल्या, तसला, आदि क्रय रु0 4928.00 खम्भार में मिट्टी कार्य रु0 3200.00
12.05.2015	429537	57635.00	न्यू शारदा ब्रिक फील्ड को ईट क्रय भुगतान बावत सीसी रोड राम आसरे के घर से राम औतार के घर तक

16.05.2015	429539	69940.00	राम सिंह खाद भण्डार को उक्त कार्य हेतु भुगतान
16.05.2015	429540	68373.00	न्यू शारदा ब्रिक फील्ड को ईट क्रय भुगतान बावत केशन के घर से शंकर सिंह के घर तक खड़जा
16.05.2015	429541	86795.00	राम सिंह खाद भण्डार उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, मौरंग, मिट्टी का भुगतान
30.05.2015	429542	56415.00	राम सिंह भण्डार उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, मौरंग, मिट्टी का भुगतान (राम आसरे से रामऔतार के घर तक खड़जा)
30.05.2015	429543	59975.00	राम सिंह भण्डार उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, मौरंग, मिट्टी का भुगतान (केशन से शंकर सिंह तक सीसी)
01.06.2015	429544	25000.00	एम0आर0 सी0सी0रोड केशन के घर से शंकर के घर तक रु0 24884.00 +टेप क्रय—116.00
01.06.2015	429545	20300.00	सैनी ट्रेडर्स को भुगतान पालीथीन कि0 भाड़ा वाइवेटर आदि
22.06.2015	429547	7056.00	चन्द्रशेखर को वस्तीखेड़ा में भूरे बछेदी लाल के घर के पास मि0 कार्य
22.06.2015	429548	21661.00	12455.00 एम0आर0नाली ओरहर मे प्यारे लाल लोध के घर से तालाब तक 9206.00 एम0आर0वस्ती खेड़ा खड़जा भुगतान, भूरे व छेदी के घर के पास
22.06.2015	429549	39036.00	साई ब्रिक फील्ड को ईट क्रय हेतु भुगतान प्यारे लोध के घर से तालाब
22.06.2015	429550	19010.00	विशाल इन्टर प्राइजेज को उक्त नाली हेतु भुगतान
30.06.2015	481891	21539.00	मॉ शारदा पाइप उद्योग दरोगाखेड़ा में सम्पर्कमार्ग पर ह्यूम पाइप क्रय
30.06.2015	481892	64000.00	ईट क्रय भुगतान न्यू शारदा ब्रिक फील्ड बावत वस्ती खेड़ा में खड़न्जा भूरेव छेदी के पास
10.07.2015	481893	5100.00	कमलेश कुमार मिस्त्री को नल बनवाइ का भुगतान
10.07.2015	481894	8174.00	रामेन्द्र हार्ड वेयर को नल सामान क्रय हेतु भुगतान
10.07.2015	481895	19200.00	न्यू शारदा ब्रिक फील्ड बावत राम कुमार के घर से जंगली माता मंदिर तक खड़जा हेतु ईट क्रय
11.07.2015	481896	36950.00	राम सिंह खाद भण्डार बावत दरोगा खेड़ा में सीसी रोड विश्वनाथ के घर से खुल्ली तक
23.07.2015	481897	24000.00	23918.00 एम0आर0 बावत उक्त कार्य 82.00 फोटोकापी
23.07.2015	481898	36950.00	रामराज सिंह खाद भण्डार बावत दरोगा खेड़ा सीसी सीमेन्ट, मौरंग आदि क्रय
01.08.2015	481899	19200.00	मॉ शारदा पाइप उद्योग को ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान
01.08.2015	4818900	54050.00	साई ब्रिक फील्ड को ईट क्रय का भुगतान बावत बली के घर से विश्वनाथ तक सीसी
01.08.2015	4818901	70500.00	राम राज सिंह खाद भण्डार बावत सीसी रोड सीमेन्ट मौरंग क्रय बावत बली से विश्वनाथ तक
05.08.2015	4818902	36750.00	साई ब्रिक फील्ड बावत ईट क्रय सीसी विश्वनाथ के घर से प्रदीप के घर तक
05.08.2015	4818903	45992.00	राम राज सिंह खाद भण्डार बावत सीसी सी0, मौरंग क्रय विश्वनाथ के घर से प्रदीप के घर तक
05.08.2015	4818904	25000.00	24884.00 एम0आर0सीसी रोड विश्वनाथ घर से प्रदीप के घर तक 116.00 फोटोकापी व्यय

05.08.2015	4818905	15000.00	2400.00 खम्भार में जंगली माता के पास खड़जा हेतु मिट्टी भुगतान 2400.00 एम0आर0राम कुमार से जंगली माता तक खड़जा 499.00 एम0आर0जाफर खेड़ा खड़जा मुन्नी लाल से शंकर लाल तक 4357.00 एम0आर0जाफर खेड़ा खड़जा सन्तराम के घर से चन्द्रपाल 32.00 फोटोकापी व्यय
02.09.2015	481906	1000.00	विज्ञापन आज प्रकाशन को भुगतान
15.09.2015	481907	48000.00	19200.00 न्यू शारदा ब्रि0फी0 को ईट क्रय हेतु बावत जाफर खेड़ा में मुन्नी लाल के घर से शंकर लाल तक 19200.00 सन्तराम के घर से चन्द्रपाल तक 9600.00 वस्ती खेड़ा में रामखेलावन से रामस्वरूप तक
15.09.2015	481908	48000.00	न्यू शारदा ब्रि0फी0 बावत वस्ती खेड़ा में खड़जा रामखेलावन से राम सहायक
21.09.2015	481909	3600.00	कमलेश मिस्त्री को भुगतान नल बनवाई
21.09.2015	481910	5175.00	रामेन्द्र हार्डवेयर को भुगतान नल सामान क्रय हेतु
03.10.2015	208654	9660.00	एम0आर0खड़जा वस्ती खेड़ा में रामखेलावन के घर के पास
03.10.2015	208655	7100.00	राम राज सिंह बावत वस्ती खेड़ा में मिट्टी भुगतान
03.10.2015	208657	48000.00	न्यू शारदा ब्रि0फी0 बावत वस्ती खेड़ा खड़जा राम सहाय के घर से मेन खड़जा तक
01.11.2015	208658	5000.00	एम0आर0 वस्ती खेड़ा खड़जा रू0 4991.00 फोटो कापी – रू0 09.00
	योग	1279696.00	

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा के दौरान प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये फलस्वरूप सम्बन्धित व्यय की पुष्टि न थी पुष्टि न की जा सकी अतः बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसका प्रतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/प्रधान से होनी है अतः रू0 639848.00 ग्रा0वि0अधि0 श्री अवधेश श्रीवास्तव एवं रू0 639848.00 ग्राम प्रधान श्री दिलीप सिंह (पूर्व प्रधान) से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

ग्राम पंचायत मुर्तजापुर

विकास खण्ड—बांगरमऊ

प्रस्तर सं0—38 वर्ष 2011—12 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित धनराशियाँ बैंक में आहरित की गयी है। जिनके व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें—

31.05.11	डी0सी0बी0	चेक नं0—127635	रू0	15200.00	ईट क्रय
31.05.11	डी0सी0बी0	चेक नं0—127634	रू0	30400.00	ईट क्रय
09.06.11	यूको बैंक	चेक नं0—578645	रू0	13200.00	हैण्ड पम्प सामग्री
02.09.11	पी0एन0बी0	चेक नं0—200503	रू0	7600.00	ह्यूम पाइप क्रय
03.10.11	पी0एन0बी0	चेक नं0—200518	रू0	7400.00	ह्यूम पाइप क्रय
21.09.11	पी0एन0बी0	चेक नं0—200507	रू0	17520.00	बाउण्ड्रीवाल निर्माण
23.09.11	पी0एन0बी0	चेक नं0—200510	रू0	22800.00	ईट क्रय
26.09.11	पी0एन0बी0	चेक नं0—200514	रू0	72000.00	ईट क्रय
27.09.11	पी0एन0बी0	चेक नं0—200512	रू0	16832.00	भवन गेट
29.09.11	पी0एन0बी0	चेक नं0—200516	रू0	48120.00	सीमेन्ट, मौरंग, बालू
22.03.12	पी0एन0बी0	चेक नं0—200520	रू0	20000.00	ईट क्रय
		योग—	रू0	271072.00	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार प्रमाणक रहित व्यय की राशि को गबन की राशि मानते हुए प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय।

प्रस्तर सं0-39 वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के बाउचर नं0 3 पर हैण्ड पम्प सामग्री के बाउचर पर टिन नम्बर एवं फर्म/विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है। रू0 30000.00 हैण्डपम्प सामान क्रय का फर्जी बाउचर लगाया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं— हैण्डपम्प मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति या संस्था का आवेदन पत्र संलग्न नहीं। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री ग्राम पंचायत की स्टाक पंजिका में अंकित नहीं है, हैण्डपम्प में किस उपकरण की खराबी है, किसकी रिपेरिंग होनी है, किसे बदलना है। प्रमाणक/पत्रावली में इसका उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मात्र कागजी खानापूर्ति करके एक मुश्त क्रय दर्शाकर धन को अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं0-40 दिनांक 17.02.2014 को पी0एन0बी0खम्हौली खाता सं0 3355000101279491 चेक सं0 871899 द्वारा रू0 15000.00 आहरित की गयी है। इस धनराशि के व्यय का कोई भी विवरण कोष बही में अंकित नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त धन बैंक से आहरित कर स्वयं रख लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं0-41 वर्ष 2013-14 में दिनांक 15.10.2013 को यूको बैंक खाता सं0 3886 से चेक नं0 736981 द्वारा रू0 10000.00 प्रधान श्रीमती जग्गादेवी द्वारा एवं 23.10.13 को यूको बैंक के चेक सं0 736983 द्वारा रू0 36000.00 श्री राम सागर ग्राम वि0 अधिकारी द्वारा आहरित किया गया है। यह धन किस मद में खर्च किया गया यह न तो कोषबही में अंकित है और न ही व्यय प्रमाणक से प्रमाणित होता है। अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है उक्त धन बैंक से निकाल कर निजी कार्यों में प्रयुक्त हुआ है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं0-42 वर्ष 2013-14 में नकद रोकड़ अवशेष कैश बुक में रू0 120 अंकित है जबकि लेखा परीक्षा गणना के अनुसार नकद रोकड़ अवशेष रू0 478.00 है। अन्तर $478-120=358$ एवं सितम्बर 2014 तक रोकड़ शेष शून्य अंकित (चार्ज हस्तान्तरित) है जबकि गणना के अनुसार रू0 120 नकद रोकड़ शेष आता है। इस प्रकार रू0 $358+120=478$ नकद रोकड़ शेष कैश बुक में अंकित नक करके अपहरण का लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं0-43 वर्ष 2014-15 में 19.05.2014 को चेक नं0 871908/पी0एन0बी0रू0 25000.00 आहरित की (प्रधान द्वारा) गयी है एवं 23.05.2014 को चेक नं0 871909/पी0एन0बी0रू0 20000.00 आहरित (श्री राम सागर यादव) की गयी है। उक्त आहरित धनराशि को कैशबुक के व्यय पक्ष में शौचालय निर्माण हेतु सीमेन्ट मोरंग बालू क्रय का भुगतान दर्शित है। चेक सम्बन्धित फर्म के नाम न काटकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी के नाम काटा गया है और कैशबुक में भुगतान गुप्ता इण्टर प्राइजेज दर्शित किया गया है। यह आपत्ति जनक है। उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रयोग हुआ कि न ही यह कैशबुक से स्पष्ट नहीं होता और न ही इस निर्माण (शौचालय निर्माण) से सम्बन्धित मजदूरी भुगतान/मस्टर रोल ही उपलब्ध हुए हैं। अतः यह स्पष्ट नहीं होता कि सम्बन्धित आहरित धन का प्रयोग हुआ। मात्र कागजी खानापूर्ति करके धन अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

प्रस्तर सं0-44 वर्ष 2014-15 में हैण्ड पम्प सामग्री क्रय हेतु चेक नं0 871916 से रू0 25000.00 दिनांक 04.08.14 चेक सं0 871918 दिनांक 16.08.14 को रू0 25000.00 चेक सं0 871922 रू0 25000.00 दिनांक 05.09.2014 को आहरित की गयी। ये तीनों चेक क्रमशः प्रधान, प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आहरित है जबकि नियमानुसार चेक क्रय फर्म के नाम से कटनी चाहिए। अतः उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न अभियुक्तियाँ हैं— हैण्डपम्प मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई भी आवेदन पत्र संलग्न नहीं है। मरम्मत हेतु जल संसाधन समिति की स्वीकृत नहीं की गयी है। मरम्मत हेतु जे0ई0आर0ई0एस0 की सर्वे रिपोर्ट संलग्न नहीं

है। मरम्मतके उपरान्त पुराने उपकरणों का क्या किया गया। इसकी कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मात्र कागजी खानापूर्ति करके एक मुश्त क्रय दर्शाकर धन की अपहृत कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

नाम ग्राम पंचायत –भिखारीपुर कस्ब विकास खण्ड–बॉगरमऊ

प्रस्तर सं0-45 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु0 18500/- हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि अनुरक्षण पंजिका एवं व्यय प्रमाणकों से नहीं करायी जा सकी। पुष्टि के अभाव में रु0 18500/- की ब्याज सहित वसूली तत्कालिक प्रधान श्री शिव कुमार एवं सचिव श्री पंचम से की जानी अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
08-05-15	2000.00	10-08-15	3000.00
08-05-15	2000.00	14-09-15	2000.00
02-06-15	5000.00	24-09-15	1500.00
10-07-15	3000.00		
योग	12000.00	योग	6500.00
		कुल योग	18500.00

प्रस्तर सं0-46 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में निम्न खड़जा मरम्मत कार्य कराये गये-

1-लालता के दरवाजे से भारत के दरवाजे तक खड़जा मरम्मत

2-सोने लाल के दरवाजे से गजोधर के दरवाजे तक खड़जा मरम्मत

3-श्री राम के दरवाजे से गुड्डू के दरवाजे तक खड़जा मरम्मत उक्त कार्यों पर निम्नानुसार व्यय दर्शाये गये-

कार्य नं0-1

कार्य नं0-2

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
10.04.15	मजदूरी	7500.00	03.07.15	मजदूरी	16100.00
08.05.15	मजदूरी	24960.00	06.07.15	मजदूरी	5500.00
08.05.15	मिट्टी ढुलाई	5000.00	03.07.15	मिट्टी ढुलाई	12400.00
08.05.15	ईंट क्रय	19500.00	03.09.15	ईंट क्रय	20500.00
08.05.15	ईंट क्रय	10140.00			
	योग	67100.00		योग	54500.00

कार्य नं0-3

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि	सम्पूर्ण योग
03.09.15	मजदूरी	7500.00	67100+54500+33000=154600 / -
04.09.15	ईंट	12500.00	
11.09.15	मिट्टी ढुलाई	6000.00	
05.11.15	ईंट	7000.00	
		33000.00	

इस प्रकार कुल व्यय रु0 154600/- प्रमाणकों से अपुष्टित होने के कारण इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- शादीपुर

विकास खण्ड-बॉगरमऊ

प्रस्तर सं0-47 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.09.13 को चेक नं0 81866 द्वारा रू0 10650.00 प्रधान को किया गया, जिसमें से रू0 10500.00 माह जुलाई 13 एवं अगस्त 2013 के मानदेय भुगतान का है, जो तत्कालीन निर्धारित मानदेय दर से अत्यधिक है। तत्कालीन मानदेय दर रू0 750/- प्रतिमाह थी। इस प्रकार अधिक भुगतान राशि 10500-1500=9000/- (रू0 नौ हजार मात्र) की ब्याज सहित वसूली प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-48 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में हैण्डपम्प चबूतरा एवं नाली निर्माण पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है-

दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
02.04.2013	1	22500.00	मजदूरी भुगतान द्वारा मस्टर रोल
10.04.2013	2	1400.00	राजगीर भुगतान द्वारा रसीद
12.04.2013	3	45000.00	ईंट क्रय, रसीद स्टार ब्रिक फील्ड
18.04.2013	4	36700.00	सामग्री क्रय गुप्ता इंटरप्राइजेस
	योग-	105600.00	

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 105600/- की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य की एम0वी0 तकनीकी स्वीकृति अनुमानित व्यय, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। अतः पुष्टि के अभाव में रू0 105600/- (रू0 एक लाख पांच हजार छः सौ मात्र) की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-49 वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा कैंशबुक के अनुसार निम्न कार्यो हेतु मात्र सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है किन्तु ईंट व सामग्री का प्रयोग इन कार्यो में नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि इन कार्यो पर मजदूरी व्यय न किये जाने से होती है तथा स्टोक मे शेष भी पुष्टित नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि ईंट व सामग्री क्रय का फर्जी भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है। कार्यो पर व्यय का विवरण निम्नवत् है।

(1) राजेन्द्र के दरवाजे से जगदीश के दरवाजे तक खड़जा कार्य हेतु क्रय

दिनांक 29.12.2014 प्र0सं0 32 रू0 148000/- बावत ईंट क्रय गंगा ब्रिक फील्ड से

(2) सी0सी0 रोड से राम चन्द्र के घर तक एवं नन्हकू के घर से मुल्कपाल के घर तक खड़जा कार्य हेतु क्रय-दिनांक 29.12.2014 प्र0सं0-33 रू0 148000/- बावत ईंट क्रय गंगा ब्रिक फील्ड

(3) मंगल के घर से अरुण के घर तक एवं कल्लू के घर से कल्लू के खेत तक नाली निर्माण हेतु क्रय

1-दिनांक 29.12.2014 प्र0सं0 34 रू0 108000/- बावत ईंट क्रय गंगा ब्रिक फील्ड

2-दिनांक 05.01.2015 प्र0सं0 37 रू0 46000/- बावत सामग्री क्रय गुप्ता इंटरप्राइजेस03-दिनांक 06.02.2015 प्र0सं0 45 रू0 173800/- बावत ह्यूम पाइप क्रय भूवनेश्वर इंटरप्राइजेस से।

इस प्रकार उक्त कार्य पर दर्शित व्यय कुल रू0 623800/- के भुगतान की पुष्टि में कार्यो से सम्बन्धित एम0वी0, तकनीकी स्वीकृति अनुमानित स्वीकृत व्यय, कार्यपूर्ति प्रभाव पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-50 वर्ष 2014-15 की कैंश बुक के अनुसार वर्षान्त में रू0 24.00 प्रधान के पास नकद शेष था किन्तु वर्ष 2015-16 की कैंशबुक में प्रधान के पास नकद शेष शून्य दर्शाकर रू0 24.00 का अपहरण किया गया। अतः रू0 24.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-51 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में कराये गये निम्न कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि में प्रत्येक कार्य की एम0वी0 तकनीकी स्वीकृति, अनुमानित व्यय स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

(1) अरूण के घर से धर्मपाल के घर तक खड़जा नाली निर्माण

1. ईंट क्रय	रू0	160000.00	दि0-12.04.15	कंचन ब्रिक फील्ड
2. सामग्री क्रय	रू0	44500.00	दि0-07.04.15	गुप्ता इन्टरप्राइजेज
3. मजदूरी	रू0	31200.00	दि0-06.04.15	अज्ञात

योग— 235700.00

(2) डामर रोड से राजेश के घर तक खड़जा कार्य एवं डामर रोड से नन्हके के घर तक खड़जा कार्य—

1. ईंट क्रय	रू0	153000.00	दि0-29.04.15	गंगा ब्रिक फील्ड
2. मजदूरी	रू0	16100.00	दि0-26.05.15	विवरण अप्राप्त
3. मिट्टी भाड़ा	रू0	6125.00	दि0-29.06.15	विवरण अप्राप्त
4. मजदूरी	रू0	10423.00	दि0-29.06.15	विवरण अप्राप्त

योग— 185648.00

(3) ह्यूम पाइप पर व्यय—

1.	दिनांक 31.07.15	बाबा गवरेश्वर इन्टरप्राइजेस से क्रय	रू0	84190.00
2.	दिनांक 31.07.15	बाबा गवरेश्वर इन्टरप्राइजेस से क्रय	रू0	84190.00
3.	दिनांक 14.08.15	गुप्ता इन्टर प्राइजेज	रू0	45000.00
4.	दिनांक 10.08.15	मजदूरी पर व्यय	रू0	17227.00
		योग—	रू0	230607.00

उपरोक्तानुसार कुल व्यय रू0 651955.00 (235400+185648+230607) अपुष्टित होने के कारण प्रधान एवं सचिव से वसूली योग्य पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-52 ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प अनुरक्षण पर वर्ष 2013-14 में रू0 10700/- वर्ष 2014-15 में रू0 48500/- एवं 2015-16 में रू0 58000/- व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है। धारा-29 के अन्तर्गत जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। पुष्टि के अभाव में वर्षवार दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाये।

मण्डल:- मेरठ

जनपद:- बागपत

मण्डल:- मेरठ

प्रस्तर संख्या-01 ग्राम पंचायत रूस्तमपुर विकास खण्ड-बड़ौत आलोच्य वर्ष 2015-16 में निधि 01 से अंकन रु. 637063.88 का आहरण किया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा में मात्र बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया। लेखा परीक्षा में कैश बुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति, कार्यों से सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट एम0बी0 मूल्यांकन व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण अंकन रु. 637063.88 का व्यय अपुष्ट एवं नियमित रहा है। उक्त की वसूली मय ब्याज श्रीमती ऊषा देवी, प्रधान व पंचायत सचिव श्री राजबीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-02 ग्राम पंचायत रूस्तमपुर विकास खण्ड-बड़ौत आलोच्य वर्ष में प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों पर वर्ष 2015-16 में अंकन रु. 790860.00 में व्यय किया गया है। उक्त से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ रही हैं:-

(क) उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि में सामग्री क्रय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहें हैं।

(ख) व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन, एम0बी0 आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे, क्यो नहीं कराये गये हैं जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।

(ग) सामग्री क्रय हेतु कुटेशन नहीं लिये गये हैं। स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151 से 154, 207 व 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रु. 503460.00 की वसूली मय ब्याज श्री राजबीर व प्रधान श्रीमती ऊषा देवी से तथा अंकन रु0 287400.00 श्री लोकपाल, ग्राम विकास अधिकारी व श्रीमती ऊषा देवी, प्रधान से वसूल की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या-03 ग्राम पंचायत कासिमपुर खेड़ी विकास खण्ड-बड़ौत आलोच्य वर्ष 2015-16 में अंकन रु. 1441607.00 का आहरण किया गया है। जिसमें से रु. 1409107.00 की धनराशि विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों एवं ग्राम के विकास पर किये गये हैं।

अंकन रु0 1409107.00 व्यय धनराशि से सम्बन्धित निम्न आपत्ति रही:-

1. निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में सामग्री क्रय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहें हैं।

2. व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन, एम0बी0 आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे क्यो नहीं कराये गये हैं जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।

3. निर्माण सामग्री हेतु कुटेशन नहीं लिये गये हैं। स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुखा अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151 से 154, 207 व 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रुपये 1409107.00 की धनराशि में की वसूली मय ब्याज श्रीमती शिमला देवी, प्रधान व श्री लोकपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 ग्राम पंचायत अशरफाबाद थल, विकास खण्ड बड़ौत, आलोच्य वर्ष 2015-16 में प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों पर अंकन रु0 1654582.00 की धनराशि व्यय दर्शायी गई है।

उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ रही हैं:-

1. उक्त कार्यों की कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(क) व्यय धनराशियों की पुष्टि में सामग्री क्रय के बिल, तथा मजदूरी भुगतान के मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसका भुगतान अपुष्ट रहा है।

(ख) व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन, एम0बी0 आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे क्यो नहीं कराये गये हैं जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।

(ग) सामग्री क्रय हेतु कुटेशन नहीं लिये गये हैं, स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151 से 154, 207 व 209 का पालन नहीं किया गया है। व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रुपये 1654582.00 की धनराशि की वसूली मय ब्याज श्रीमती बालों प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी श्री लोकपाल से वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 ग्राम पंचायत अशरफाबाद थल, विकास खण्ड बड़ौत, आलोच्य वर्ष 2015-16 में प्रधान व सचिव द्वारा निधि 01 के खाते से अंकन रु0 1776812.98 आहरित किये गये हैं, परन्तु कैशबुक में अंकन रु0 1705612.98 का आहरण दर्शाया गया है। अन्तर की धनराशि रु0 71200.00 कैशबुक में दर्ज न कर सीधे अपहरण कर लिया गया है। जिसका विवरण निम्न अनुसार है:-

क्र0सं.	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
1.	486943	20.04.2015	51200.00
2.	486949	18.04.2015	20000.00
		योग	71200.00

उक्त धनराशि अंकन रु0 71200.00 की वसूली मय ब्याज प्रधान श्रीमती बालों तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लोकपाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 ग्राम पंचायत बूढ़पुर, विकास खण्ड बड़ौत, आलोच्य वर्ष 2015-16 में बूढ़पुर के निधि 01 के खाते से अंकन रुपये 2296819.00 आहरित किये गये हैं। परन्तु कैश बुक में अंकन रु0 2206834.00 आहरित दर्शाया गया है। अन्तर की धनराशि अंकन रुपये 89985.00 कैश बुक में दर्शाकर खाते से सीधे अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि अंकन रु0 89985.00 की वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। जो श्री लोकपाल ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री इन्द्रपाल से की जानी है।

(आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-07 ग्राम पंचायत बूढ़पुर, विकास खण्ड बड़ौत, आलोच्य वर्ष 2015-16 की कैश बुक की जाँच में पाया गया कि माह अक्टूबर 2015 की कैशबुक के आय पक्ष का योग अंकन रु0 402065.00 दर्शित है, परन्तु जब व्यय पक्ष का योग किया गया तो पाया गया कि व्यय पक्ष का योग अंकन रु0 279465.00 ही आता है अन्तर की धनराशि अंकन रु0 122600. की वसूली मय ब्याज प्रधान श्री इन्द्रपाल व ग्राम विकास अधिकारी श्री लोकपाल से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या-08 ग्राम पंचायत बूढ़पुर, विकास खण्ड बड़ौत, आलोच्य वर्ष 2015-16 में प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो ग्राम विकास पर व्यय दर्शायी गयी है। उक्त कार्य पर अंकन रु0 2086614.00 व्यय किये गये हैं।

उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ रही है:-

(क) लेखा परीक्षा में निर्माण/मरम्मत से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण कार्यो की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) कार्यो पर व्यय धनराशियों की पुष्टि में सामग्री क्रय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहें है।

(ग) व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन, एम0बी0 आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे, क्यो नहीं कराये गये हैं जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।

(घ) सामग्री क्रय हेतु कुटेशन नहीं लिये गये हैं, स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151 से 154, 207 व 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन, एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रु0 208614.00 की धनराशि की वसूली मय ब्याज श्री इन्द्रपाल प्रधान व श्री लोकपाल ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 ग्राम पंचायत रटौल, विकास खण्ड खेकड़ा, वर्ष 2015-16 के दौरान व्यक्तिगत नाम से रु0 1525600.00 का कैश झा किया गया जो फर्म के नाम से दिए जाने थे। आवश्यक कार्यवाही तथा मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत रटौल, विकास खण्ड खेकड़ा, वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त की किश्त 11 जनवरी 2016 में अंकन रु0 3156122.00 प्राप्त की गयी थी, इससे चैक संख्या 41833401 से रु0 20000.00 कैश दिनांक 21.03.2016 को नसरीन जाकिर ने झा किये। वर्षान्त में 3136122.00 शेष रही। जबकि 14वें वित्त आयोग की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन /प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड होने के पश्चात् ही धनराशि का आहरण किया जा सकता है। यह शासनादेश के विरुद्ध है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत सिंघावली अहीर, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत द्वारा जनवरी से मार्च 2016 तक रुपये 1414950.00 का आहरण 14वें वित्त की धनराशि से किया, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन /प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड होने के पश्चात् ही किया जा सकता है। इस प्रकार धनराशि का आहरण शासनादेशों के विरुद्ध किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-12 ग्राम पंचायत सलावतपुर खेड़ी, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत द्वारा फरवरी से मार्च 2016 में रुपये 378361.00 का आहरण 14वें वित्त की धनराशि से किया गया, जिसका आहरण जिलाधिकारी महोदय स्वीकृति कार्ययोजना/प्राक्कलन /प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध आहरण किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-13 ग्राम पंचायत ढिकौली, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2014-15 व 2015-16 में पंचायत द्वारा 14वें वित्त की धनराशि से जनवरी से मार्च 2016 तक रु0 165820.00 का आहरण किया गया है जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय की अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-14 ग्राम पंचायत बसा टीकरी, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत पर दिसम्बर 2015 के अन्त में रु0 808.00 शेष था दिनांक 11.01.2016 में 14वें वित्त से रु0 342882.00 प्राप्त हुआ जिसमें से 22 मार्च 2016 तक रु0 289757.00 का व्यय किया गया जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड होने के पश्चात् ही किया जाना था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम पंचायत सिखेड़ा, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत द्वारा दिनांक 22.02.2016 में 50000.00 व 22.03.16 में रु0 20000.00 कैप का आहरण किया गया है। यह धनराशि 14वें वित्त की थी, जिसका आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर फीड होने के पश्चात् ही किया जा सकता था, इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम पंचायत मुकारी, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत द्वारा 14वें वित्त की धनराशि दिनांक 11.01.2016 में रु0 748467.00 प्राप्त की गई उसमें से दिनांक 21.03.2016 तक रु0 115000.00 का आहरण किया गया जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया गया है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-17 ग्राम पंचायत सॉकलपूठी, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में दिनांक 11.01.2016 में 14वें वित्त के रू0 517862.00 प्राप्त हुये, उसमें से रू0 307845.00 का आहरण जनवरी से मार्च 2016 तक किया गया है, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड़ होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया गया है, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-18 ग्राम पंचायत खट्टाप्रहलादपुर, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत द्वारा जनवरी 16 से मार्च 16 तक रुपये 1272016.00 का आहरण 14वें वित्त की धनराशि का किया गया है, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड़ होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार जनवरी 2016 में प्राप्त 14वें वित्त की धनराशि का शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया गया है, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-19 ग्राम पंचायत पिलाना, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत पर दिसम्बर 2015 के अन्त में रू0 7205.68 था दिनांक 11.01.2016 में 14वें वित्त से रू0 1132653.00 प्राप्त हुए इसमें से जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक रू0 954225.00 का आहरण कर लिया गया, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड़ होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया गया है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-20 ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर औगटी, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत को दिनांक 04.01.2016 में 14वें वित्त की रू0 243570.00 धनराशि प्राप्त हुई उससे पहले निधि 01 में रू0 1754.91 थें। 14वें वित्त से 28.03.2016 तक रू0 150000.00 का आहरण किया गया, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड़ होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया गया है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-21 ग्राम पंचायत लतीफपुर दत्तनगर, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत को दिनांक 11.01.2016 में रुपये 671795.00 14वें वित्त से प्राप्त हुये थें जिनमें से जनवरी व फरवरी 2016 में रू0 205100.00 का आहरण किया गया, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड़ होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध धन का आहरण किया गया है, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-22 ग्राम पंचायत पुरामहादेव, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2014-15 व 2015-16 में पंचायत को दिनांक 04.01.2016 में 14वें वित्त की धनराशि रू0 732457.00 प्राप्त हुई उसमें से दिनांक 04.03.2016 तक रू0 571200.00 का आहरण किया गया। दिनांक 04.03.2016 में पंचायत घर हेतु रू0 354172.00 प्राप्त हुआ, उसके बाद दिनांक 28.03.2016 तक रू0 200000.00 और आहरण किये गये, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड़ होने के पश्चात् ही धनराशि का आहरण होना था। इस प्रकार 14वें वित्त की सम्पूर्ण धनराशि रुपये 732457.00 का आहरण गलत ढंग से किया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-23 ग्राम पंचायत सैण्डभर, विकास खण्ड पिलाना, वर्ष 2015-16 में पंचायत द्वारा फरवरी व मार्च 2016 में रू0 456246.00 का आहरण 14वें वित्त की धनराशि से किया गया, जबकि 14वें वित्त की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/प्राक्कलन/प्लान प्लस पर कार्ययोजना फीड़ होने के पश्चात् ही किया जा सकता था। इस प्रकार शासनादेशों के विरुद्ध 14वें वित्त की धनराशि का आहरण किया। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

जनपद— बुलन्दशहर

मंडल— मेरठ

प्रस्तर संख्या 1—ग्राम पंचायत जिनामई, वि०ख० पहासू में बिना कोई वस्तु/ सेवा प्राप्त किये कतिपय पार्टियों को रू० 149000 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमति राधा देवी, प्रधान एवं श्री रेशमपाल, सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-9)

प्रस्तर संख्या 2— ग्राम पंचायत जिनामई वि०ख० पहासू में कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शित है। वास्तविक भुगतान रू० 15000 जिस पार्टी को किया गया उससे कोई वस्तु/ सेवा प्राप्त नहीं की गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमति राधा देवी, प्रधान एवं श्री रेशमपाल, सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 3— ग्राम पंचायत बरकातपुर वि०ख० पहासू में बिना प्रमाणक, सी०आ०, कुटेशन, टैंडर, एस्टीमेट, मेपस्, स्वीकृत बजट, के रू० 274360 का काल्पनिक व्यय दर्शित किया गया हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विजय सिंह प्रधान एवं सचिव विजय सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं० -9)

प्रस्तर संख्या 4— ग्राम पंचायत बरकातपुर वि०ख० पहासू में बिना प्रमाणक, सी०आ०, कुटेशन, टैंडर, एस्टीमेट, मेपस्, स्वीकृत बजट, के रू० 40000.00 का काल्पनिक व्यय दर्शितकर गबन किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विजय सिंह प्रधान एवं सचिव विजय सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 5— ग्राम पंचायत बरकातपुर वि०ख० पहासू में बिना कोई वस्तु /सेवा प्राप्त किये अज्ञात पार्टी को रू 60000 भुगतान किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विजय सिंह प्रधान एवं सचिव विजय सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 6— ग्राम पंचायत बरकातपुर वि०ख० पहासू में बिना कोई वस्तु /सेवा प्राप्त किये अज्ञात पार्टी को रू 70000 भुगतान किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विजय सिंह प्रधान एवं सचिव विजय सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या 7— ग्राम पंचायत बाद वि० ख० पहासू बिना व्यय प्रमाणकों एवं जलकर वसूली के हेंडपम्प व्यय रू० 34091 दर्शित है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती पूनम देवी प्रधान एवं सचिव राजवीर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर संख्या 8— ग्राम पंचायत बाद वि० ख० पहासू में बिना कोई वस्तु/सेवा प्राप्त किये अज्ञात पार्टी को भुगतान रू० 21562 किया गया। काल्पनिक व्यय प्रपत्र रखकर उसे मजदूरी भुगतान के रूप में दर्शित किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती पूनम देवी प्रधान एवं सचिव राजवीर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 9— ग्राम पंचायत बाद वि० ख० पहासू में रू० 73985 जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती पूनम देवी प्रधान एवं सचिव राजवीर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 10— ग्राम पंचायत बाद वि० ख० पहासू में बिना प्रमाणक, सी०आ०, कुटेशन, टैंडर, एस्टीमेट, मेपस्, स्वीकृत बजट, के व्यय रू० 103410 किया गया काल्पनिक व्यय दर्शित कर क्षतिकारित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती पूनम देवी प्रधान एवं सचिव राजवीर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या 11— ग्राम पंचायत नगला दलपतपुर वि०ख० पहासू विना वाउचर के रू० 18000 ,मस्टरोल, स्वीकृत बजट, के बिना हेंड पम्प मरम्मत एवं ईट क्रय के मद में एक ही व्यक्ति को तीन बार में भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अजीत सिंह प्रधान एवं सचिव श्री जगदीश प्रसाद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-09)

ग्राम पंचायत नगला दलपतपुर

वि०ख० पहासू

प्रस्तर संख्या 12— ग्राम पंचायत नगला दलपतपुर वि०ख० पहासू में बिना प्रमाणक सीमेंट क्रय का भुगतान रू० 8000 अलग अलग व्यक्ति को किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अजीत सिंह प्रधान एवं सचिव श्री जगदीश प्रसाद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 13— ग्राम पंचायत नगला दलपतपुर वि०ख० पहासू में बिना प्रमाणक, सी०आ०, कुटेशन, टैंडर, एस्टीमेट, मेपस्, स्वीकृत बजट, के व्यय रू० 51000 किया। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अजीत सिंह प्रधान एवं सचिव श्री जगदीश प्रसाद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 14— ग्राम पंचायत रून्सी वि० ख० पहासू में बिना प्रमाणक बालू सिमेंट क्रय रू० 9000 किया काल्पनिक व्यय दर्शित कर क्षतिकारित की गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री देवेन्द्र व सचिव— श्री मुनेश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर संख्या 15— ग्राम पंचायत रून्सी वि० ख० पहासू में बिना कोई वस्तु/सेवा प्राप्त किये अज्ञात पार्टी को रू० 10525 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री देवेन्द्र व सचिव श्री मुनेश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 16— ग्राम पंचायत रून्सी वि० ख० पहासू में बिना कोई वस्तु/सेवा प्राप्त किये अज्ञात पार्टी को रू० 181720 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री देवेन्द्र व सचिव— श्री मुनेश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 17— ग्राम पंचायत तयोर बुजुर्ग वि०ख० पहासू बिना कोई वस्तु /सेवा प्राप्त किये कमल सिंह को रू० 57000 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री फूलवती व सचिव— सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर संख्या 18— ग्राम पंचायत तयोर बुजुर्ग वि०ख० पहासू में बिना कोई वस्तु /सेवा प्राप्त किये शैलेन्द्र सिंह को भुगतान रू० 15000 किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती फूलवती व सचिव सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 19— ग्राम पंचायत तयोर बुजुर्ग वि०ख० पहासू में बिना बिना सेवा सामग्री प्राप्त किये अज्ञात पार्टी को भुगतान रू० 378000 किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती फूलवती व सचिव सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या-20— ग्राम पंचायत तयोर बुजुर्ग वि०ख० पहासू में बिना बिना सेवा सामग्री प्राप्त किये अज्ञात पार्टी को रू० 776385 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती फूलवती व सचिव— सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या 21— ग्राम पंचायत तयोर बुजुर्ग वि०ख० पहासू में काल्पनिक व्यय रू० 357460 प्रपत्र तैयार किये गये जिनका कोई वाउचर प्राप्त नहीं हुआ। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती फूलवती व सचिव— सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर संख्या 22— ग्राम पंचायत तयोर बुजुर्ग वि०ख० पहासू में फर्जी व्यय रू० 50000 प्रपत्र तैयार कर मजदूरी का भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती फूलवती व सचिव विजय सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा० आ०सं०-14)

प्रस्तर संख्या 23— ग्राम पंचायत तयोर बुजुर्ग वि०ख० पहासू में बिना कोई वस्तु/सेवा प्राप्त किये कमल सिंह को रू० 912500 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती फूलवती व सचिव दिनेश गौड़ से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।
(सा०आ०सं०-15)

प्रस्तर संख्या 24— ग्राम पंचायत सालाबाद वि०ख० पहासू में फर्जी प्रपत्र गढ़कर बिना मास्टर रोल के अज्ञात व्यक्ति को रू० 10000 मजदूरी भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री सत्यपाल एवं सचिव रेशमपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर संख्या 25— ग्राम पंचायत सालाबाद वि०ख० पहासू में फर्जी प्रपत्र गढ़कर बिना मास्टर रोल के अज्ञात व्यक्ति को रू० 10000 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री सत्यपाल एवं सचिव रेशमपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 26— ग्राम पंचायत सालाबाद वि०ख० पहासू में बिना मास्टर रोल स्वीकृत बजट के सत्यपाल को चेक द्वारा हैण्डपम्प मिस्ट्री को रू० 15000 भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री सत्यपाल एवं सचिव— रेशमपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 27— ग्राम पंचायत सालाबाद वि०ख० पहासू में बिना कोई सेवा/सामग्री प्राप्त किये नरेश कुमार को भुगतान रू० 30000 एवं 55000 किया गया जिसका कोई प्रमाणक नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान सत्यपाल, सचिव रेशमपाल एवं सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या 28— ग्राम पंचायत सालाबाद वि०ख० पहासू में बिना कोई सेवा/सामग्री प्राप्त किये विभिन्न पार्टियों को भुगतान रू० 561000 किया जिसका कोई प्रमाणक मास्टर रोल, स्वीकृत बजट नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान सत्यपाल, एवं सचिव सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर संख्या 29— ग्राम पंचायत कुंवरपुर वि०ख० पहासू बिना स्वीकृत बजट/रूप पत्र, एस्टीमेट, मेपस, सी आर प्रमाण पत्र व प्रमाणक के व्यय रू० 530021 दर्शाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान विरेन्द्र कुमार, सचिव शम्भूदयाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 30— ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा वि०ख० पहासू बिना कोई सेवा/सामग्री प्राप्त किये विभिन्न पार्टियों को भुगतान रू० 97000 किया जिसके स्वीकृत बजट प्रस्ताव, एस्टीमेट, सी०आर०, मास्टर रोल, मेपस अनुपलब्ध रहे, जिसका दायित्व प्रधान श्री राजेश एवं सचिव श्री रेशम पाल का है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर संख्या 31— ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा वि०ख० पहासू में बिना स्वीकृत बजट प्रस्ताव, एस्टीमेट, सी०आर०, मास्टर रोल, मेपस के धन रू० 92000 व्यय किया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री राजेश एवं सचिव श्री विजय सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 32— ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा वि०ख० पहासू में उपरोक्त क्रमांक 2 के अनुसार जिसका दायित्व प्रधान श्री राजेश एवं सचिव श्री रेशमपाल व श्री विजय सिंह रू० 255000 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 33— ग्राम पंचायत नारऊ वि०ख० पहासू अकारण कुछ पार्टियों को भुगतान रू० 249236 की पंचायत कोष को हानि पहुंचाई गई। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री अनवर एवं सचिव श्री शम्भू दयाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर संख्या 34— ग्राम पंचायत त्योंरी वि०ख० पहासू बिना स्वीकृत बजट प्रस्ताव, एस्टीमेट, सी०आर०, मास्टर रोल, मेपस के धन रू० 391159 व्यय किया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री राजाराम एवं सचिव श्री शम्भू दयाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 35 ग्राम पंचायत पहासू देहात वि०ख० पहासू बिना कोई सेवा/सामग्री प्राप्त किये विभिन्न पार्टियों को भुगतान रू० 132000 किया जिसका कोई प्रमाणक, बाऊचर एस्टीमेट, मास्टर रोल, मेपस स्वीकृत बजट नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री शिखा देवी एवं सचिव श्री शम्भू दयाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-9)

प्रस्तर संख्या 36— 35 ग्राम पंचायत पहासू देहात वि०ख० पहासू में चेक द्वारा वासू ईट को क्रय किया जबकि कैश बुक में सीमेन्ट पाइप क्रय दर्शित है। जिसका कोई बाऊचर, स्वीकृत बजट नहीं उपलब्ध रहा है। रू० 6687 प्रधान श्री शिखा देवी एवं सचिव श्री शम्भू दयाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 37— 35 ग्राम पंचायत पहासू देहात वि०ख० पहासू में व्यय रु० 315562 की पुष्टि हेतु कोई बाऊचर एस्टीमेट, मास्टर रोल, मेपस स्वीकृत प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री शिखा देवी एवं सचिव श्री शम्भू दयाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 38— ग्राम पंचायत जगदीशपुर वि०ख० पहासू बिना कोई सेवा/सामग्री प्राप्त किये अज्ञात को भुगतान रु० 10000 किया जिसका मास्टर रोल, अनुपलब्ध रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री कृपाल सिंह एवं सचिव श्री सुन्दरपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-9)

प्रस्तर संख्या 39— ग्राम पंचायत जगदीशपुर वि०ख० पहासू में बिना कोई सेवा/सामग्री प्राप्त किये विभिन्न पार्टियों को भुगतान किया गया। जिसका कोई प्रमाणक, बाऊचर एस्टीमेट, मास्टर रोल, मेपस स्वीकृत बजट नहीं है।

दायित्व प्रधान कृपाल सिंह व सचिव नन्द किशोर रु० 18000

दायित्व प्रधान कृपाल सिंह व सचिव सुन्दर पाल रु० 16000

से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 40— ग्राम पंचायत जगदीशपुर वि०ख० पहासू में बिना स्वीकृत बजट प्रस्ताव, एस्टीमेट, सी०आर०, मास्टर रोल, मेपस के धन व्यय किया।

दायित्व प्रधान कृपाल सिंह व सचिव नन्द किशोर रु० 76120

दायित्व प्रधान कृपाल सिंह व सचिव सुन्दर पाल रु० 35000

से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 41— ग्राम पंचायत सरावा दादूपुर वि०ख० खुर्जा अप्रैल-14 से सितम्बर-14 तक निधि-1 पासबुक से आहरित धनराशि रु० 369900 के अभिलेख, कैशबुक, प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाणक आदि अनुपलब्ध रहे/अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान महंदा हसन एवं सचिव श्री दिनेश गौड़ से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-9)

प्रस्तर संख्या 42— ग्राम पंचायत आसफपुर वि०ख० खुर्जा बिना कोई सेवा/निर्माण सामग्री की आपूर्ति के बिना विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान रु० 250000 किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री सुदेश कुमार एवं सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-16)

प्रस्तर संख्या 43— ग्राम पंचायत आसफपुर वि०ख० खुर्जा में बिना पंचायत कर वसूले पी०एफ०ए० का भुगतान रु० 800 किया गया। क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री सुदेश कुमार एवं सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर संख्या 44— ग्राम पंचायत भादवां वि०ख० खुर्जा विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री कय एवं अन्य मदों पर व्यय रु० 1180600 प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजीव प्रताप सिंह प्रधान, योगेन्द्र सिंह सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-8)

प्रस्तर संख्या 45— ग्राम पंचायत मन्सूरपुर वि०ख० खुर्जा अप्रैल-14 से सितम्बर-14 तक निधि-1 पासबुक से आहरित रु० 231376 धनराशि की कैशबुक, व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाणक पत्र आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों श्री तुलसीराम प्रधान, दिनेश गोड़ सिंह सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-9)

प्रस्तर संख्या 46— ग्राम पंचायत मुमरेजपुर वि०ख० खुर्जा विभिन्न तिथियों में निर्माण कय एवं अन्य मदों पर व्यय रु० 862850 की पुष्टि में प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रधान, योगेन्द्र सिंह सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-9)

प्रस्तर संख्या 47— पंचायत मुमरेजपुर वि०ख० खुर्जा में बिना बिना पंचायत कर वसूले पी०एफ०ए० का भुगतान रु० 800 किया गया उरोक्तानुसार। क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रधान, योगेन्द्र सिंह सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या 48— ग्राम पंचायत सिरियाल वि०ख० खुर्जा के वर्ष 2013-14 में कैशबुक, प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहने के कारण वर्ष में ग्राम निधि-1 से आहरित व्यय रु० 430500 का अपहरण की धनराशि की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों वीरेन्द्र सिंह प्रधान, विजय सिंह सचिव की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-01)

प्रस्तर संख्या 49— ग्राम पंचायत रुदरी वि०ख० अरनिया चेक से आहरित धनराशि की प्रविष्टि कैशबुक में न कर रु० 37250 अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों जितेन्द्र कुमार प्रधान एवं तेजपाल सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 50— ग्राम पंचायत रनियावली वि०ख० अरनिया बिना स्वीकृत कार्ययोजना एस्टीमेट, प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। रु० 395500 का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों सुमन देवी प्रधान, तेजपाल सिंह सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 51— ग्राम पंचायत मोहाली वि०ख० गुलावटी स्वीकृत बजट इस्टीमेट का प्रमाणक सी०आर० के व्यय दर्शित हैं, भुगतान सतीश कुमार को किया जबकि सामान अन्य से क्रय करके रु० 180857 का अपहरण किया। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 52— ग्राम पंचायत मोहाली वि०ख० गुलावटी में बिना बिना प्रमाणक मास्टर रोल, सामान क्रय किया गया किन्तु बजट, सी०आर०, इस्टीमेट नहीं है, रु० 322780 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 53— ग्राम पंचायत मोहाली वि०ख० गुलावटी में बिना बिना अनुमति प्राप्त किये सी०ए० को भुगतान रु० 8000 किया उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या 54— ग्राम पंचायत बदरपुर वि०ख० डिबाई वर्ष 2013-14 एवं 14-15 के व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहने के कारण उपभोग धनराशि रु० 3041235 का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नरेश कुमार प्रधान, नाथूराम, राजवीर सिंह व मुकेश राघव सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-14)

प्रस्तर संख्या 55— ग्राम पंचायत भैसोड़ा वि०ख० स्याना प्रधान के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को चेक जारी किया, जबकि चेक फर्म को एवं मजदूरी का भुगतान मास्टर रोलों में अंकित मजदूरों को किया जाना चाहिए था। जिसका दायित्व देवेश कुमार प्रधान एवं शिव कुमार शर्मा सचिव का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु० 581100 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-28)

प्रस्तर संख्या 56— ग्राम पंचायत भैसोड़ा वि०ख० स्याना में बिना बिना पंचायत कर वसूले पी०एफ०ए० में श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा भुगतान रु० 800 किया। क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों देवेश कुमार प्रधान एवं शिव कुमार शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-29)

प्रस्तर संख्या 57— ग्राम पंचायत बैरा फिरोजपुर वि०ख० स्याना पंचायत कर वसूले पी०एफ०ए० में सचिव श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा भुगतान रु० 800 किया गया। क्षतिपूर्ति की वसूली सचिव श्री शिव कुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-27)

प्रस्तर संख्या 58— ग्राम पंचायत बैरा फिरोजपुर वि०ख० स्याना में बिना प्रधान के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को चेक जारी किया, जबकि चेक फर्म को एवं मजदूरी रु० 3016470 का भुगतान मास्टर रोलों में अंकित मजदूरों को किया जाना चाहिए था। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों रमेशचंद्र प्रधान, शिवकुमार सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-28)

प्रस्तर संख्या 59— ग्राम पंचायत जगतपुर सुलतानपुर वि०ख० सिकन्दाबाद वर्ष में कैश बुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजि० आदि अभिलेखों के आभाव में ग्राम निधि-1 में आहरित रु० 651729 धन का अपहरण किया। उत्तरदायी व्यक्तियों रेखा देवी प्रधान, एवं भूदत्त शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर संख्या 60— ग्राम पंचायत अरौंडा वि०ख० सिकन्दाबाद 1 अप्रैल-14 से 31 अगस्त-14 तक की कैश बुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिस कारण ग्राम निधि-1 से आहरित रू० 400000 धन का अपहरण किया। उत्तरदायी व्यक्तियों सतेन्द्र सिंह प्रधान, भूदत्त शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-27)

प्रस्तर संख्या 61— ग्राम पंचायत चौकी वि०ख० सिकन्दाबाद वर्ष में ग्राम निधि-1 से आहरित धन के कैश बुक, व्यय रू० 933700 प्रमाणक, निर्माण रजि० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों हेमंत कुमार प्रधान, भूदत्त शर्मा, कछिन्द्र सिंह सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर संख्या 62— ग्राम पंचायत मौ०पुर केहरी वि०ख० सिकन्दाबाद वर्ष में ग्राम निधि-1 से आहरित रू० 148000 धन के कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण रजि० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों नरेश सिंह प्रधान, भूदत्त शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-5)

प्रस्तर संख्या 63— ग्राम पंचायत ककौड देहात वि०ख० सिकन्दाबाद वर्ष में ग्राम निधि-1 से आहरित रू० 1876534 धन के कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण रजि० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों सुमन देवी प्रधान, भूदत्त शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर संख्या 64— ग्राम पंचायत निठारी वि०ख० सिकन्दाबाद वर्ष में ग्राम निधि-1 से आहरित रू० 676757 धन के कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण रजि० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों हरिओम सिंह प्रधान, भूदत्त शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर संख्या 65— ग्राम पंचायत शेखपुर माम वि०ख० सिकन्दाबाद वर्ष में ग्राम निधि-1 से आहरित धन के कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण रजि० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे। कुल -572800

दायित्व प्रधान संजीव कुमार रू० 286400

सचिव कच्छिद सिंह रू० 211900

सचिव भूदत्त शर्मा रू० 74500

इन प्रधान और सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर संख्या 66— ग्राम पंचायत चन्द्रावली वि०ख० सिकन्दाबाद पंचायत कर वसूले पी०एफ०ए० में श्रीपाल सिंह सचिव द्वारा जमा रू० 800 किया। क्षतिपूर्ति की वसूली श्रीपाल सिंह सचिव से मयब्याज की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-28)

प्रस्तर संख्या 67— ग्राम पंचायत चन्द्रावली वि०ख० सिकन्दाबाद में बिना मै० के०एस० दास ईट उद्योग, जुलेपुरा (बु०शहर) को क्रय ईटों का भुगतान रू० 21740 अधिक करना। उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीपाल सिंह सचिव, एवं धर्मपाल सिंह प्रधान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-30)

मण्डल का नाम – मेरठ

प्रस्तर संख्या— 08 ग्राम पंचायत—डाढा विकास खण्ड दनकौर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा आपत्ति में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 14,34,800 का व्यय किया गया है। जिसमें निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व अन्य कार्य कराया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं किये गये, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव श्री ओम प्रकाश जिम्मेदार है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 10 ग्राम पंचायत-दनकौर देहात विकास खण्ड दनकौर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा आपत्ति में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 14,02,698 का व्यय किया गया है। जिसमें निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व अन्य कार्य कराया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव श्री ओम प्रकाश जिम्मेदार है। मय ब्याज वसली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 12 ग्राम पंचायत-पारसौल विकास खण्ड दनकौर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा आपत्ति में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 6,38,940 का व्यय किया गया है। जिसमें निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व अन्य कार्य कराया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव श्री ओम प्रकाश जिम्मेदार है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 14 ग्राम पंचायत-ऐच्छर विकास खण्ड दनकौर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा आपत्ति में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 3,03,000 का व्यय किया गया है। जिसमें निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व अन्य कार्य कराया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव श्री ओम प्रकाश जिम्मेदार है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 23 ग्राम पंचायत-बदौली बांगर विकास खण्ड दनकौर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा आपत्ति में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 15,93,760 का व्यय किया गया है। जिसमें निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व अन्य कार्य कराया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के अपहरण से

इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव श्री ओम प्रकाश जिम्मेदार है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 24 ग्राम पंचायत—उसमानपुर विकास खण्ड दनकौर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा आपत्ति में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 4,59,235 का व्यय किया गया है। जिसमें निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व अन्य कार्य कराया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव श्री डम्बर सिंह जिम्मेदार है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 25 ग्राम पंचायत—बागडपुर विकास खण्ड दनकौर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा आपत्ति में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1,07,000 का व्यय किया गया है। जिसमें निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व अन्य कार्य कराया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव श्री ओम प्रकाश जिम्मेदार है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम—मेरठ

मण्डल का नाम—मेरठ

प्रस्तर:—01—ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015—16 में रु0 430200.00 बैंक से निधि 1 का आहरण किया गया जिसके उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र स्टॉक पंजिका कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराये गये। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015—16 का प्राप्ति एवं व्यय का विवरण बजट ग्राम सभा की बैठक में पारित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्तिजनक है। फलतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है जो उक्त धन के अपहरण/गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुसीबा तथा ग्राम विकास अधिकारी जय निवास सैनी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुसीबा एवं ग्राम विकास अधिकारी जयनिवास सैनी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0—2)

प्रस्तर:—02— ग्राम पंचायत अझौता विकास खण्ड दौरालाद्वारा वर्ष 2015—16 में रु0 482662.00 का बैंक से निधि 1 से आहरण किया गया जिसके उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराये गये। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015—16 का प्राप्ति एवं व्यय का विवरण / बजट ग्राम सभा की बैठक में पारित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्तिजनक है। फलतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है जो उक्त धन का अपहरण/गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेश तथा ग्राम विकास अधिकारी जय निवास सैनी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेश एवं ग्राम विकास अधिकारी जयनिवास सैनी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0—3)

प्रस्तर:—03— ग्राम पंचायत बडकली विकास खण्ड दौरालाद्वारा वर्ष 2015—16 में रु0 532400.00 बैंक से निधि 1 से आहरण किया गया जिसके उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराये गये। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015—16 का प्राप्ति एवं व्यय का विवरण / बजट ग्राम सभा की बैठक में पारित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्तिजनक है। फलतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है जो उक्त धन का अपहरण/गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयवीर सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी विजय कुमार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जयवीर सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी विजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0—3)

प्रस्तर:—04— ग्राम पंचायत समोली सलेमपुर विकास खण्ड दौरालाद्वारा वर्ष 2015—16 में रु0 679499.00 बैंक से निधि 1 से आहरण किया गया जिसके उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये तथा

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका , माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराये गये। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण / बजट ग्राम सभा की बैठक में पारित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्तिजनक है। फलतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है जो उक्त धन का अपहरण/गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री तिलकराम तथा ग्राम विकास अधिकारी जगस्वरूप गुप्ता उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जयवीर सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी विजय कुमार से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-5)

प्रस्तर:-05-ग्राम पंचायत हाजीपुर शकरपुर विकास खण्ड मेरठ द्वारा कोष बही में दिनांक 15.04.2015 को ब्रिकब्लेस खरीद का भुगतान रु० 2754.00 किया गया दर्शित है, जिसका लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है, जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान का है। इसलिए रु० 1377.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं रु० 1377.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-1)

प्रस्तर:-06-ग्राम पंचायत हाजीपुर शकरपुर विकास खण्ड मेरठ में दिनांक 22.04.2015 को कोष बही में भारत ट्रेडर्स को भुगतान रु० 17500 प्रविष्ट है जबकि इसके सापेक्ष लगे केशमेमो नंबर 83/22-4-15 में 17325 की धनराशि लेखांकित है। स्पष्ट है कि रुपए 175 का अधिक भुगतान दिखा कर अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का है। अतः रु० 88/- ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं रु० 88 तत्कालीन ग्राम प्रधान से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2)

प्रस्तर:-07-ग्राम पंचायत हाजीपुर शकरपुर विकास खण्ड मेरठ में दिनांक 31.7.15 को कोष बही में हैडपम्प मरम्मत पर रु० 1616.00 दर्शित है। जिसका लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का है अतः रु० 808/- ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं रु० 808 तत्कालीन ग्राम प्रधान से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर:-08-ग्राम पंचायत हाजीपुर शकरपुर विकास खण्ड मेरठ में दिनांक 7.8.15 को कोष बही में हैडपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान मय सामान रु० 10572.00 होना दर्शित है। लेखा परीक्षा में इसका व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का है। अतः रु० 5286/- ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं रु० 5286/- तत्कालीन ग्राम प्रधान से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-4)

प्रस्तर:-09-ग्राम पंचायत हाजीपुर शकरपुर विकास खण्ड मेरठ द्वारा दिनांक 24.8.15 की कोष बही में प्रकाश कम्पनी से ब्रिक ब्लेस खरीद का भुगतान रु० 4136/- दर्शित है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का है। अतः रु० 2068/- तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु० 2068/- तत्कालीन ग्राम प्रधान से मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-1)

प्रस्तर:-10-ग्राम पंचायत तारापुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के साथ मिलीभगत कर धन आहरण कर निर्माण कार्य आदि कराया जाना दर्शित है, जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी:-

अतः प्रधान श्री हरपाल सिंह द्वारा रु० 258100.00 स्वयं आहरित करके बिना प्रमाणक, कुटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सत्यापन प्रमाण पत्र तथा पुष्टि पत्र के बिना किया गया निर्माण व्यय व अन्य व्यय कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री हरपाल सिंह व ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर:-11-ग्राम पंचायत गुढा विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में दि० 30.06.2015 को रु० 27800.00 व दिनांक 06.07.2015 को रु० 15000.00 आदि का भुगतान ग्राम की नालियों पर सफाई व्यय में दर्शाया

गया है, परन्तु उक्त की पुष्टि में न तो कोई मस्टर रोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये और न ही सफाई कराते समय फोटोग्राफी करायी गयी। उक्त की पुष्टि में विभागीय अधिकारी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे ग्राम सभा की नालियों पर व्यय की गई समस्त धनराशि का व्यय कुल ₹0 42800.00 का अपहरण प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-15)

प्रस्तर:-12-ग्राम पंचायत गुढा विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में दि० 03.9.2015 में स्कूल शौचालय की मरम्मत व गड्डों की सफाई पर अंकन ₹0 5000.00 का व्यय दर्शित है, जबकि उक्त से सम्बन्धित कोई भी मस्टर रोल, बिल/बाउचर व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि तथा स्कूल प्रधानाध्यापक की कोई भी रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिस कारण प्रधान/सचिव द्वारा ₹0 5000.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-16)

प्रस्तर:-13-ग्राम पंचायत गुढा विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में अंकन ₹0 30000.00 सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की सफाई का व्यय दर्शाया गया है, परन्तु उक्त की पुष्टि में न तो मस्टर रोल व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये और न ही सफाई कराते समय फोटोग्राफी करायी है तथा साथ ही किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस कारण उक्त धनराशि अपहरण श्री प्रधान व श्री ओम प्रकाश ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-18)

प्रस्तर:-14-ग्राम पंचायत गुढा विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष की रोकड बही में दिनांक 11.04.2015 में पंचायत घर के प्रांगण में मिटटी भराव कराकर चैनर लगवाया गया, जिसमें मजदूरी ₹0 12500.00 कच्ची रोडी ₹0 10800.00 चैनर निर्माण हेतु 3 बैग सीमेन्ट ₹0 900, डस्ट 20 फुट ₹0 800.00 तथा रोडी 20 फुट ₹0 1000.00 तथा चैनर लगायी की मजदूरी ₹0 1200 का भुगतान कुल भुगतान ₹0 27200.00 दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबंधित कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, मिटटी भराव किस जमीन से (सरकारी/व्यक्तिगत) की गई है, के विषय में भी स्थिति अस्पष्ट रही रायल्टी की अदायगी के संबंध में कोई पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः प्रधान/सचिव ₹0 27200.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-19)

प्रस्तर:-15-ग्राम पंचायत गुढा विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में दिनांक 30.06.2015 में टाईल्स लगाई की मजदूरी का भुगतान ₹0 4200.00 किया गया परन्तु के संबंध में कोई भी मस्टर रोल तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रधान/सचिव ₹0 4200.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-21)

प्रस्तर:-16-ग्राम पंचायत गुढा विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष की रोकड बही में दिनांक 27.07.2015 में रास्ते में मिटटी भराव कराकर रोड निर्माण किया गया, जिसमें मजदूरी ₹0 3500.00, रेत कय ₹0 5175.00 रबर बॉण्ड कय मय माल ढुलाई ₹0 76620.00, 500 ईट कय ₹0 2600.00, डस्ट+रेत+टाईल्स लगाई ₹0 405.00 का भुगतान कुल भुगतान ₹0 88300.00 किय गया है, परन्तु उक्त कार्य से संबंधित कोई भी बिल/वाउचर मस्टर रोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, मिटटी भराव किस जमीन से (सरकारी/व्यक्तिगत) की गई है, के विषय में भी स्थिति अस्पष्ट रही रायल्टी की अदायगी के संबंध में कोई पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः प्रधान/सचिव ₹0 88300 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-22)

प्रस्तर:-17-ग्राम पंचायत सिरजेपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में निम्न तिथियों में ईट कय की गई किन्तु कम से कम तीन कुटेशन, प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने चाहिए थे अनुपलब्ध रहे-

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	संस्था/फर्म का नाम	आहरित धनराशि (रु० में)
1	20.07.2015	603389	सैफपुर बिक्सर फिल्ड	50000.00
2	25.07.2015	603389	सैफपुर बिक्सर फिल्ड	30000.00
3	25.07.2015	603391	सैफपुर बिक्सर फिल्ड	18000.00
योग				98000.00

ग्राम प्रधान श्री रणवीर सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रमाणक तथा कुटेशन लिए बिना धनराशि का भुगतान करके धन का आहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर:-18-ग्राम पंचायत सिरजेपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में निम्न तिथियों में प्रधान श्री रणवीर सिंह द्वारा आहरण किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रमाणक, नार्मस मस्टरोल आदि प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी:-

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	आहरित धनराशि (रु० में)
1	29.05.2015	603384	20000.00
2	03.06.2015	603385	11500.00
3	03.06.2015	603386	5000.00
4	06.06.2015	603387	10000.00
5	21.07.2015	603388	15000.00
6	16.09.2015	603393	17500.00
7	16.09.2015	603394	33600.00
योग			112600.00

अतःग्राम प्रधान श्री रणवीर सिंह द्वारा रु० 112600.00 बिना प्रमाणक, नार्मस मस्टर रोल के अभाव में धन का, ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश के साथ मिलकर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहितवसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०- 17)

प्रस्तर:-19-ग्राम पंचायत रहमापुर विकास खण्ड हस्तिनापुर मेंआलोच्य वर्ष के दिनांक 09.2015 को प्रधान श्रीमती पूनम को मानदेय रु० 40000.00 का भुगतान किया गया, उक्त के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे यह मानदेय किस अवधि का भुगतान किया गया है, का उल्लेख नहीं है और न ही कोष रजिस्टर के मुख पृष्ठ पर प्रधान जी का मानदेय शेष अंकित किया गया है। अतः भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर:-20-ग्राम पंचायत रहमापुर विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा निम्न निर्माण सामग्री को समय समय पर क्रय किया-

क्र०स०	दिनांक	चैक सं०	संस्था/फर्म का नाम	क्रय की जाने वाली सामग्री	धनराशि (रु० में)
1	27.05. 2015	234834	नागर टाईल्स	सीमेन्ट, सी०सी०टाईल्स, अब्बल ईट, रेत	47161.00
2	27.05. 2015	233432	नागर टाईल्स	सी०सी० टाईल्स सीमेन्ट	58056.00
3	06.07. 2015	234839	नागर टाईल्स	विवरण अंकित नहीं	49660.00

4	05.08. 2015	234844	नागर टाईल्स	सी0सी0 टाईल्स रेत	70000.00
5	—09. 2015	234846	नागर टाईल्स	सीमेन्ट, सी0सी0टाईल् स, अव्वल ईट, रेत आदि	50000.00
योग					274877.00

उपरोक्त अंकित क्रय की गई निर्माण सामग्री की कुटेशन/टेण्डर से संबंधित पत्रावली, बिल/वाउचर, नार्मस स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। एक ही फर्म से क्रय की टाईल्स, रोडी, बालू रेत, व सीमेन्ट आदि निर्माण सामग्री का दुर्विनियोग किया जा सकता है। जिसका उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी का है। अतः ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोनों से बराबर ब्याज सहित वसूली करके राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-16)

प्रस्तर:-21—ग्राम पंचायत रानी नंगला विकास खण्ड हस्तिनापुर में निम्न तिथियों में ग्राम प्रधान श्री सतीश यादव द्वारा नकद आहरण करके सामग्री क्रय की गई। जबकि शासकीय/विभागीय नियमानुसार संबंधित संस्था/फर्म को चैक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था।

क्र०स०	दिनांक	कोष रजिस्टर में अंकित प्रमाणक सं	सामग्री का क्रय	धनराशि रू० में
1	15.06. 2015	14	अव्वल ईट क्रय	3276.00
2	29.07. 2015	21	अव्वल ईट क्रय	14378.00
योग				17654.00

उक्त के प्रमाणक तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, इस प्रकार प्रधान द्वारा रू० 17654.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश यादव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं-16)

प्रस्तर:-22—ग्राम पंचायत रानी नंगला विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा समय-समय पर निर्माण सामग्री क्रय की गई, किन्तु उक्त सामग्री के प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये—

क्र० स०	दिनांक	कोष रजिस्टर में अंकित प्रमाणक सं०	संस्था का नाम	सामग्री का क्रय	धनराशि रू० में
1	09.04. 2015	06	मैसर्स आलोक कुमार	सी0सी0 टाईल्स	41250.00
2	15.06. 2015	17	मैसर्स आलोक कुमार	सी0सी0 टाईल्स सीमेन्ट व बालू रेत	30690.00
3	24.07. 2015	20	मैसर्स आलोक कुमार	सीमेन्ट, रेत व कच्ची रोडी	36859.00
योग					108799.00

इस प्रकार बिना नार्मस पूरे किये एक ही फर्म से क्रय की टाईल्स, रोडी, बालू रेत, व सीमेन्ट आदि निर्माण सामग्री का खरीद दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्री सतीश यादव तथा ग्राम

विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी दोनों का है। अतः ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोनों से बराबर ब्याज सहित वसूली करके राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-17)

प्रस्तर:-23-ग्राम पंचायत निडावली विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में समय-समय पर ईट तथा निर्माण सामग्री आदि कय की गई, किन्तु उक्त की पुष्टि में विभागीय नियमानुसार कम से कम तीन कुटेशन, प्रमाणक तथा स्टॉक रजिस्टर आदि होने चाहिए थे, जो कि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे-

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	संस्था/फर्म का नाम	आहरित धनराशि (रु० में)
1	21.04.2015	002252	गणेश बिक्स फिल्ड	60000.00
2	08.05.2015	002255	गणेश बिक्स फिल्ड	50000.00
3	15.07.2015	002256	गणेश बिक्स फिल्ड	60000.00
योग				170000.00

इस प्रकार बिना नार्मस पूरे किये एक ही फर्म से कय की टाईल्स, रोडी बालूरेत, व सीमेन्ट आदि निर्माण सामग्री का दुर्विनियोग किया जा सकता है। जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्री विनोद कुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील खारी दोनों का है। अतः ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोनों से बराबर ब्याज सहितवसूली करके राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-08)

प्रस्तर:-24-ग्राम पंचायत निडावली विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 30.05.2015 को नाले के पास से मिटटी उठाई की मजदूरी का भुगतान रु० 18000.00 किया गया है, जिसका कोई मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय की गई उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील खारी दोनों से बराबर करके नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 10)

प्रस्तर:-25-ग्राम पंचायत माखननगर विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 16.09.2015 को निधि-1 से ग्राम प्रधान श्रीमती सुरेन्द्री व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी ने रु० 12500.00 का नकद आहरण कर मैसर्स नागर एन्टरप्राजेज से टाईल्स कय किये, जिसका कोई प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर व कुटेशन आदि की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सुरेन्द्री व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी द्वारा अंकन रु० 12500.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरेन्द्री से रु० 6250.00 तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी से रु० 6250.00 कर राजकीय कोष में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर:-26-ग्राम पंचायत माखननगर विकास खण्ड हस्तिनापुर में कतिपय निम्न निर्माण सामग्री कय की गई किन्तु चैक का भुगतान सम्बन्धित फर्म के नाम से न करके अन्य पार्टी/अन्यत्र को किय गया है जो विभागीय नियमों के विपरीत है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	संस्था का नाम	विवरण	धनराशि रु० में	जिसको भुगतान किया गया
1	10.04. 2015	28580	मैसर्स नागर टाईल्स	टाईल्स कय	67584.00	श्री सुशील
2	02.07. 2015	28585	मै० गुप्ता इलै० हस्तिनापुर	बल्ब, होल्डर, आदि	20400.00	श्री प्रवीण
योग					87984.00	

कय की गयी किसी भी सामग्री का कोई प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर व कुटेशन आदि की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त भुगतान प्रधान श्रीमती सुरेन्द्री नागर व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी द्वारा संबंधित फर्म/संस्था के नाम से न करके अन्यत्र को कुल रु० 87984.00 करके धनराशि का

दुर्विनियोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोनों पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर:-27-ग्राम पंचायत माखननगर विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्री नागर तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी ने मै0 नागर एन्टरप्राइजेज को लाईट के भुगतान हेतु चैक सं0-932642 अंकन रू0 222233.00 चैक सं0 932643 अंकन रू0 109294.00 तथा चैक सं0 932644 अंकन रू0 56340.00 कुल अंकन रू0 387867.00 निर्गत किया गया है, जिसका भुगतान मै0 नागर एन्टरप्राइजेज ने दिनांक 22.02.2016 को बैंक से प्राप्त किया, कय की गयी लाईट से संबंधित कोई भी प्रमाणक, बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर व कम से कम तीन कुटेशन आदि की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। आर0बी0आई0 के नियमों के अनुसार किसी भी चैक को अधिकतम तीन माह में प्रत्येक दशा में भुगतान प्राप्त हेतु बैंक में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, स्पष्ट है कि उपरोक्त चैकों को दिनांक 22.11.2015 के पश्चात ही निर्गत किया गया है, जबकि उस समय प्रदेश में पंचायत चुनाव हेतु आचार संहिता लागू थी। अतः उक्त अवधि में आचार संहिता का उल्लंघन कर ग्राम निधि खातों से धन निकालकर ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्स नागर एन्टरप्राइजेज को चैक निर्गत कर किया गया है। इस प्रकार चैक निर्गत करना गम्भीर अनियमितता का घटक है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुरेन्द्री नागर तथा ग्राम पंचायत विकास श्री संजीव गिरी का है। अतः उक्त धनराशि की न सिर्फ ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली वरन आचार संहिता का उल्लंघन करने हेतु उक्त के प्रति उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर:-28-ग्राम पंचायत अलीपुर मोरना विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 01.04.15 से 23.08.15 तक का कोष रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बिल/वाउचर, निर्माण सामग्री के कय संबंधित वाउचर तथा उनकी टेण्डर व कुटेशन, उक्त अवधि में कराये गये कार्यों के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इस अवधि में कुल आहरण (607404.00-160368.00 = 447036.00) रू0 447036.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शेर सिंह से रू0 223518.00 व ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार सागर से रू0 223518.00 दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर:-29-ग्राम पंचायत जलालपुर जोरा विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 25.04.2015 को चैक सं0 002582 से रू0 36000.00 एवं दिनांक 28.07.2015 को चैक सं0 002585 से रू0 15000.00 कुल रू0 51000.00 श्री सुशील नागा को ईट आदि का भुगतान किया गया। जबकि ईट/निर्माण सामग्री कय का भुगतान संबंधित संस्था/फर्म को कर किसी व्यक्ति को किया गया है, जो शासकीय/विभागीय नियमों के विरुद्ध है तथा साथ ही साथ अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः ग्राम प्रधान श्री लवकुश से रू0 25500.00 तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री हरवीर सिंह से रू0 25500.00 नियमतः ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर:-30-ग्राम पंचायत जलालपुर जोरा विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 13.05.2015 को चैक सं0 002584 के द्वारा रू0 25000.00 का आहरण किया गया, किन्तु उक्त के प्रमाणक मस्टर रोल व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। जिसके कारण प्रधान श्री लवकुश से रू0 12500.00 तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री हरवीर सिंह से रू0 12500.00 की ब्याज सहित वसूली करके राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर:-31-ग्राम पंचायत बहोडपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 01.04.15 से 23.08.15 तक का कोष रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बिल/वाउचर, निर्माण सामग्री के कय से सम्बन्धित वाउचर तथा उनकी टेण्डर व कुटेशन, उक्त अवधि में कराये गये कार्यों के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इस अवधि में ग्राम निधि-1 की बैंक पासबुक सं0 21452911999 से कुल आहरण (325799.00-82973.00 = 242826.00) रू0 242826.00 का आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद अब्बास से रू0 121413.00 व ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित सागर से रू0 121413.00 दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर:-32-ग्राम पंचायत करीमपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 22.05.2015 को चैक सं0 929904 से रू0 13500.00 प्रधान श्री रामे द्वारा आहरण किये गये, जिसमें उन्होंने निम्न कार्य किये 1-स्टेशनरी कय रू0

545.00, 2—नागर टाईल्स को भुगतान रू0 1805.00 एवं 3—गणेश ब्रिक फिल्ड का भुगतान रू0 11150.00 सभी को नकद भुगतान किया गया, जबकि नागर टाईल्स व गणेश ब्रिक फिल्ड दोनों को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार प्रधान श्री रामे द्वारा रू0 1805+11150.00 = 12955.00 का भुगतान संदिग्ध होने के कारण धन का दुरुपयोग किया गया, जिसकी ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री रामे से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या—15)

प्रस्तर:-33—ग्राम पंचायत करीमपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में दिनांक 16.09.2015 में रू0 7000.00 के पौधे कृय किये गये, किन्तु लेखा परीक्षा में कृय संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई और न ही कृय से सम्बन्धित कोई बिल/वाउचर आदि लेखा परीक्षा के दौरान वाउचर पत्रावली प्रस्तुत में चस्पा पाया गया जिसके अभाव में जाँच न की जा सकी तथा उक्त पौधों का क्या किया हुआ इस संबंध में न तो कोई स्टॉक रजिस्टर और न ही पौधे लगवाने के सम्बन्ध में कोई मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री रामे तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री संजीव गिरी दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं—16)

प्रस्तर:-34—ग्राम पंचायत करीमपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 29.07.2015 को बैंक सं0 929911 से प्रधान श्री रामे द्वारा अंकन रू0 13500.00 का नकद आहरण किया गया, जबकि उक्त का भुगतान मैसर्स नागर एन्टरप्राइजेज को नकद के रूप में किया गया है, जो कि बैंक स्टेटमेंट में भी अंकित है। इस प्रकार प्रधान श्री रामे द्वारा मैसर्स नागर एन्टरप्राइजेज को नकद भुगतान करना गम्भीर अनियमितता का घटक है।
(आपत्ति संख्या—17)

प्रस्तर:-35—ग्राम पंचायत खोडराय विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष में समय-समय पर ईट तथा निर्माण आदि कृय की गई, किन्तु उक्त की पुष्टि में विभागीय नियमानुसार कम से कम तीन कुटेशन, प्रमाणक, तथा स्टॉक रजिस्टर आदि होने चाहिए थे, जो कि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

क्र0 सं0	दिनांक	बैंक सं0	संस्था/फर्म का नाम	आहरित धनराशि (रू0 में)
1	25.04.2015	002079	गणेश एन्टरप्राइजेज	25200.00
2	25.04.2015	002080	गणेश एन्टरप्राइजेज	20000.00
3	26.04.2015	002903	गणेश एन्टरप्राइजेज	50000.00
योग				95200.00

इस प्रकार बिना नामर्स पूरे किये एक ही फर्म से कृय की टाईल्स, रोडी, बालू रेत व सीमेंट आदि निर्माण सामग्री का दुर्विनियोग/दुरुपयोग किया जा सकता है। जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्री धर्मवीर तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील खारी दोनों का है। अतः ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोनों से बराबर ब्याज सहितवसूली करके राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—08)

प्रस्तर:-36—ग्राम पंचायत खोडराय विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 22.03.2016 को ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर द्वारा बैंक सं0 002916 के द्वारा नकद आहरण रू0 2500.00 करके हैण्डपम्प मरम्मत कराया जाना रोकड बही में दर्शित है, किन्तु हैण्डपम्प खराब की रिपोर्ट, स्वीकृति मरम्मत एवं सामान सम्बन्धी रजिस्टर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.10.2015 को पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार प्रतिबंधित कर दिये गये थे। अतः उक्त अवधि के दौरान आहरण करने के लिए ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार दोषी है। अतः उक्त दोनों में प्रत्येक से रू0 1250.00 ब्याज सहितवसूल करते हुए राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही उचित कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या—18)

प्रस्तर:-37-ग्राम पंचायत मानपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में निम्न तिथियों में ईट कय की गयी किन्तु कम से कम तीन कुटेशन, प्रमाणक, तथा स्टॉक रजिस्टर आदि होने चाहिए थे, जो कि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	संस्था/फर्म का नाम	आहरित धनराशि (रु० में)
1	26.05.2015	508100	सैफपुर बिक्सर फिल्ड	50100.00
2	25.07.2015	86702	सैफपुर बिक्सर फिल्ड	34800.00
योग				84900.00

ग्राम प्रधान श्रीमती हुन्दली बाई व ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश द्वारा व्यय प्रमाणक तथा कुटेशन लिए बिना तथा बिना नार्मस पूरे किये धनराशि का भुगतान किया गया, जिसका अपहरण किया जा सकता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हुन्दली बाई व ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर:-38-ग्राम पंचायत मानपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में निम्न तिथियों में प्रधान श्रीमती हुन्दली बाई द्वारा आहरण किया किन्तु लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रमाणक, नार्मस, मस्टर रोल, आदि प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी है:

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	आहरित धनराशि (रु० में)
1	03.07.2015	86701	40000.00
योग			40000.00

अतः ग्राम प्रधान श्रीमती हुन्दली बाई द्वारा 40000.00 बिना प्रमाणक, नार्मस, मस्टर रोल के अभाव में धन का आहरण ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश के साथ मिलकर अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर:-39-ग्राम पंचायत मानपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में आलोच्य वर्ष की निम्न तिथियों में प्रधान द्वारा धन आहरित करे निर्माण कार्य आदि कराया जाना दर्शित है:-

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	आहरित धनराशि (रु० में)
1	23.05.2015	528098	15000.00
2	23.05.2015	528099	10000.00
3	04.09.2015	86704	24800.00
योग			49800.00

उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष मस्टर रोल, व्यय प्रमाणक, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा विभागीय अधिकारी किये गये भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः प्रधान श्रीमती हुन्दली बाई तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश द्वारा कुल धन रु० 49800.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान हुन्दली बाई से रु० 24900.00 तथा ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश से रु० 24900.00 दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर:-40-ग्राम पंचायत मकदूमपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में कतिपय निम्न तिथियों में प्रधान श्री भारत द्वारा आहरण किया गया, किन्तु संबंधित धनराशि के व्यय के संबंध में प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

क्र० सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रु० में)
1	07.07.2015	134780	5000.00
2	07.07.2015	134782	15000.00

3	13.05.2015	134776	20000.00
4	13.05.2015	134778	5000.00
योग			45000.00

अतः प्रधान द्वारा रु0 45000.00 का बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टररोल आदि के अभाव में अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भारत तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री हरबीर सिंह दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर:-41-ग्राम पंचायत मकदूमपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 13.05.2015 को चैक सं0 134777 से रु0 37000.00 एवं दिनांक 28.07.2015 को चैक सं0 134783 से रु0 54000.00 कुल रु0 91000.00 श्री सुशील नागर को ईट आदि का भुगतान किया गया जबकि ईट/निर्माण सामग्री क़य का भुगतान संबंधित संस्था/फर्म को न कर किसी व्यक्ति को किया गया है, जो शासकीय/विभागीय नियमों के विरुद्ध है, जिसका दुर्विनियोग किया जा सकता है। अतः ग्राम प्रधान श्री भारत से रु0 45500.00 तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री हरबीर सिंह से रु0 45500.00 नियमतः ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर:-42-ग्राम पंचायत मीरपुर विकास खण्ड रोहटा में आलोच्य वर्ष में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार हैण्डपम्प पर धनराशि व्यय दर्शायी गई है-

क्र0 सं0	वाउचर सं0	दिनांक	धनराशि (रु0 में)
1	10	11.05.2015	10000.00
2	14	07.07.2015	8000.00
3	25	28.07.2015	9579.00
4	28	07.08.2015	4000.00
योग			31579.00

उक्त से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ रही हैं।

1. भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा सताना खरीद हेतु दुकान के बिल प्रस्तुत नहीं रहे हैं, जिससे भुगतान अपुष्ट एवं संदिग्ध रहे हैं।
2. हैण्डपम्पों की सूची सुलभ न थी जिस कारण यह अज्ञात रहा कि गांव में कुल कितने हैण्डपम्प नहीं रहे हैं।
3. हैण्डपम्प ठीक होने की पुष्टि में शिकायत कर्ताओं के हस्ताक्षर सहित प्रमाणक उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रधान श्रीमती बाला व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन कुमार से उक्त की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -08)

प्रस्तर:-43-ग्राम पंचायत मीरपुर विकास खण्ड रोहटा में आलोच्य वर्ष में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय दर्शायी गयी है।

क्र0 सं0	नाम कार्य	धनराशि
1	नाली निर्माण/जू0हाई स्कूल मिटटी भराव विजेन्द्र के मकान से खुशीराम के मकान तक राजपाल के मकान से सुको तक	88539.00
2	सिल्ट/सफाई खण्डजा पुनः निर्माण/नालीनिर्माण/नाली निर्माण जगन के मकान से नेपाल तक 2-सत्यप्रकाश से संजीव की दुकान तक 3-बुद्ध के मकान से जोहड तक आदि	108288.00
3	नाला निर्माण व खण्डजा पुनः निर्माण प्रा0पा0लाहोर गढ के पास	81881.00
4	दीवार पुनः निर्माण/शौचालय प्लास्टर/दीवार व चैनल लगाई 1-प्रा0पा0 लोहरर गढ 2-प्रा0पा0 मीरपुर नेपाल के मकान के पास चैनल	67977.00
योग		346685.00

उक्त के सम्बन्ध में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अतः अंकन रु0 346685.00 की धनराशि की ब्याज सहितवसूली श्रीमती बाला प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर:-44-ग्राम पंचायत जटपुरा विकास खण्ड रोहटा में आलोच्य वर्ष में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय दर्शायी गयी है।

क्र० सं०	नाम कार्य	धनराशि
1	सिल्ट सफाई मैन सराइफन से रजवाहे तक + म०/जू०हाई० स्कूल से रजवाहे तक मिटटी भराव में 2-शौचालय प्लास्टर कार्य प्रा०:जू० 3-चैनल मरम्मत+निर्माण (राजू, अनूज, संजय, बेदू के पास)	95053.00
2	सी०सी० टाईल्स मरम्मत कार्य एल टाइप नाली मरम्मत मेन रास्ते से दीपक के मकान तक	88296.00
	योग	183349.00

उक्त से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ रही-

- 1-निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में सामग्री कय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहे।
- 2-व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम०बी० आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे कयों नहीं कराये गये, जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।
- 3-निर्माण सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिए गये स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं० 151 से 154 व 207 से 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम०बी० प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रु० 183349.00 की धनराशि की ब्याज सहितवसूली श्रीमती बाला प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार से की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या)**

प्रस्तर:-45-ग्राम पंचायत कैथवाडी विकास खण्ड रोहटा में आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में खाते से निम्न चैक विवरण अनुसार आहरित किये गये हैं, परन्तु कैशबुक में अंकित नहीं किये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि (रु० में)
1	21857730	29.07.15	3000.00
2	21857731	24.08.15	3540.00
3	21857746	09.03.16	20000.00

उक्त विवरण अनुसार कैशबुक में चैक प्रविष्ट ना कर खाते से धनराशि का सीधे अपहरण कर लिया गया है, जिसमें से अंकन रु० 6540.00 श्री विपिन कुमार, ग्रा० प०अ० व श्रीमती सरोज प्रधान से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है। शेष 20000.00 श्री मनोज कुमार ग्रा०प०अ० व प्रधान श्री सुधीर त्यागी से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या)**

प्रस्तर:-46-ग्राम पंचायत कैथवाडी विकास खण्ड रोहटा में आलोच्य वर्ष में अंकन रु० 1150593.00 की धनराशि विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों एवं गाँव के विकास कार्यों पर खर्च किये हैं। अंकन रु० 1150593.00 व्यय धनराशि से सम्बन्धित निम्न आपत्ति रही-

- 1-निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में सामग्री कय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहे।
- 2-व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम०बी० आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे कयों नहीं कराये गये, जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।
- 3-निर्माण सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिए गये स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं० 151 से 154 व 207 से 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम०बी० प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रु० 1150593.00 की धनराशि में अंकन रु० 717623.00 श्री विपिन कुमार ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान

श्रीमती सरोज से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है। तथा शेष धनराशि अंकन रु0 432970.00 श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री सुधीर त्यागी से ब्याज सहितवसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या)

प्रस्तर:-47-ग्राम पंचायत अरनावली विकास खण्ड रोहटा में आलोच्य वर्ष में प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अंकन रु0 581585.00 का निर्माण/विकास कार्यो पर व्यय किया गया, जिस पर निम्न आपत्तियाँ रही।

1-कार्यो पर व्यय धनराशि की पुष्टि में सामग्री कय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहे।

2-व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे क्यों नहीं कराये गये, जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।

3-निर्माण सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिए गये स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151 से 154 व 207 से 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रु0 546527.00 की धनराशि श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती सरोज से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है। तथा शेष धनराशि अंकन रु0 432970.00 श्री मनोज कुमार प्रधान तथा श्री अशोक कुमार, सचिव से ब्याज सहितवसूली की जाये तथा अंकन रु0 35058.00 की ब्याज सहितवसूली श्री बिटटू सिंह (वर्तमान प्रधान) तथा श्री रामवीर शर्मा से की जाये।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर:-48-ग्राम पंचायत अरनावली विकास खण्ड रोहटा में माह फरवरी में दिनांक 9.2.16 को चैक सं0 856295 द्वारा 5000.00 तथा चैक सं0 856296 दिनांक 11.2.16 को प्रधान श्री बिटटू सिंह तथा सचिव रामवीर शर्मा द्वारा 25000.00 खाते से कुल 30000.00 आहरित किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय ना दर्शाकर सीधे खाते से अपहरण कर लिया गया है। उक्त की ब्याज सहितवसूली सचिव श्री रामवीर एवं श्री बिटटू सिंह प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर:-49-ग्राम पंचायत शाहपुर जैनपुर विकास खण्ड रोहटा में लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में श्रीमती किरन प्रधान तथ्या श्री अशोक कुमार सचिव द्वारा विकास कार्यो पर जिनमें निर्माण/मरम्मत कार्य शामिल है पर अंकन रु0 297010.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियाँ रही-

1-विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय धनराशि की पुष्टि में सामग्री कय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहे।

2-व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे क्यों नहीं कराये गये, जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।

3-निर्माण सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिए गये स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रुख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151 से 154 व 207 से 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रु0 297010.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार सचिव व ग्राम प्रधान श्रीमती किरन से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर:-50-ग्राम पंचायत घसौली विकास खण्ड रोहटा में आलोच्य वर्ष में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय दर्शायी गयी है।

क्र0 सं0	नाम कार्य	धनराशि
1	सी0सी0 टाईल्स रोड निर्माण/नाली1-मेन रास्ते से देवेन्द्र चौ0 कैलाश शर्मा से मेन रोड सी0सी0 तक 2-ओमवीर शर्मा से मेन सी0सी0 तक	159384.00

2	सी0सी0 टाईल्स निर्माण 1—सुक्को के मकान से शिव मन्दिर हरि बस्ती 2—मेन सी0सी0 से पीतम डीलर तक	256344.00
3	सी0सी0 टाईल्स निर्माण 1—मेन सडक से जरीना 2—सैनी वाली गली से	95461.00
	योग	511189.00

उक्त से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ रही—

1—लेखा परीक्षा में जो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र किये गये उन पर प्रस्ताव संख्या/ स्वीकृति अंकित नहीं की गयी थी। कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किसी भी उच्च/सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त कार्यों पर किया गया व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

2—निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में सामग्री क्रय के बिल तथा मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहे।

3—व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 आदि जो तकनीकी रूप से आवश्यक थे क्यों नहीं कराये गये, जिस कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है।

4—सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिए गये स्पष्ट है कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मनमाना रूख अपनाया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151 से 154 व 207 से 209 का पालन नहीं किया गया है।

व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, मूल्यांकन एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये अंकन रू0 511189.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव तथा श्रीमती कविता ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—08)

प्रस्तर:—51—ग्राम पंचायत दुर्वेशपुर विकास खण्ड परीक्षितगढमें ग्राम निधि प्रथम के सिंडिकेट बैंक खाते से कुल निकासी रू0 593400.00 का किया गया जिसका बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। उक्त निकासी धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैश बुल, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि रू0 593400.00 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रपाल सिंह एवं श्री रोहताश उत्तरदायी रहे। उक्त अपहृत धनराशि में से रू0 296700.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से व रू0 296700.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—01)

प्रस्तर:—52—ग्राम पंचायत आलमगीरपुर बढला विकास खण्ड परीक्षितगढ में ग्राम निधि प्रथम के सिंडिकेट बैंक खाते से कुल निकासी रू0 586000.00 का किया गया जिसका बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। उक्त निकासी धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैश बुल, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि रू0 586000.00 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम तथा श्रीमती अर्चना चौधरी उत्तरदायी रहे। उक्त अपहृत धनराशि में से रू0 293000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से व रू0 293000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—01)

प्रस्तर:—53—ग्राम पंचायत मोहनीपुर भरोटा विकास खण्ड सरधना में ग्राम पंचायत निधि 1 से वर्ष 2015—16 में रू0 296263.00 का बैंक से आहरण किया गया जिसके उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015—16 के अन्त में ग्राम सभा की प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण(गोस्वारा) बजट ग्राम सभा की बैठक में पारित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। फलतः दर्शित व्यय पुष्टि रहित है। तथा उक्त धन के अपहरण/गबन है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बालादेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री भुट्टों से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या— 02)

प्रस्तर:—54—ग्राम पंचायत मोहनीपुर भरोटा विकास खण्ड सरधना में वर्ष 14—15 में अंकन रू0 45000.00 टाईल्स क्रय, रू0 10910.00 कच्ची रोड़ी व ईट क्रय, रू0 33300.00 सी0सी0 टाईल्स क्रय, रू0 8000.00

हैण्डपम्प मरम्मत का सामान, रू0 100000.00 सी0सी0 टाईल्स व रेत क्रय, रू0 73800.00 सी0सी0 टाईल्स क्रय तथा 45000.00 सी0सी0 टाईल्स क्रय कुल रू0 271010.00 का व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में अप्राप्त रहें।

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री तेजपाल सिंह एवं श्री भुट्टों तथा ग्राम प्रधान श्रीमती बाला देवी उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर:-55-ग्राम पंचायत दौलतपुर विकास खण्ड सरधना में ग्राम पंचायत निधि 1 से वर्ष 2015-16 में रू0 274500.00 का बैंक से आहरण किया गया जिसके उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में ग्राम सभा की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण (गोस्वारा) बजट ग्राम सभा की बैठक में पारित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। फलतः दर्शित व्यय पुष्टि रहित है। तथा उक्त धन के अपहरण/गबन है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रचना एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री भुट्टों से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 04)

प्रस्तर:-56-ग्राम पंचायत दौलतपुर विकास खण्ड सरधना में वर्ष 14-15 में अंकन रू0 50000.00 चटका ईट व रोडी क्रय, रू0 49000.00 चटका ईट क्रय, रू0 90000.00 टाईल्स क्रय, रू0 85000.00 सी0सी0 टाईल्स क्रय कुल रू0 274000.00 का व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में अप्राप्त रहें। इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री तेजपाल सिंह एवं श्री भुट्टों तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रचना देवी उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर:-57-ग्राम पंचायत आलमगीरपुर विकास खण्ड सरधना में दिनांक 15.11.2014 में धनराशि अंकन रू0 144000.00 चैक सं0 17856 से गंगा सिंह से चटका ईट क्रय का प्रमाण लेखा परीक्षा जांच में अप्राप्त रहा। स्टॉक रजिस्टर से उक्त स्टॉक प्राप्ति की पुष्टि नहीं कराई गयी। उक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी तथा पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ दुबे से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 14)

प्रस्तर:-58-ग्राम पंचायत सकौती विकास खण्ड सरधना में दिनांक 31.03.15 को रोकड शेष कम दर्शाकर अंकन रू0 12002.00 का अपहरण किया गया, जिस हेतु ग्राम पंचायत सचिव श्री तेजपाल सिंह एवं श्री भुट्टों तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी उत्तरदायी है। उक्त की मय ब्याज वसूली दोनों से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर:-59-ग्राम पंचायत सकौती विकास खण्ड सरधना में अंकन रू0 1170401.0 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
7	16.04.2014	45000	सी0सी0 टाईल्स क्रय
12	19.04.2014	51000	सी0सी0 टाईल्स क्रय
13	23.04.2014	20000	ईट व कच्ची रोडी क्रय
14	29.04.2014	35000	सी0सी0 टाईल्स क्रय
15	29.04.2014	14612	सी0सी0 टाईल्स क्रय
17	29.04.2014	72500	ईट व कच्ची रोडी क्रय
18	30.04.2014	70000	सी0सी0 टाईल्स क्रय
19	30.04.2014	10000	रेत क्रय
20	30.04.2014	19224	सी0सी0 टाईल्स क्रय व नाली बनाई
22	01.05.2014	50000	रोडी डस्ट व सीमेन्ट क्रय
27	02.05.2014	40040	सी0सी0 टाईल्स व पतली रेत क्रय
29	07.05.2014	16000	टंकी के लिकेज का सामान क्रय

अंकित नहीं	06.08.2014	60000	सी0सी0 टाईल्स कय
अंकित नहीं	25.08.2014	26100	सी0सी0 टाईल्स कय
अंकित नहीं	22.09.2014	55300	सी0सी0 टाईल्स कय
अंकित नहीं	30.09.2014	49980	सी0सी0 टाईल्स कय
अंकित नहीं	14.10.2014	54995	सी0सी0 टाईल्स कय
अंकित नहीं	27.10.2014	113900	सी0सी0 टाईल्स कय
अंकित नहीं	08.11.2014	74000	सी0सी0 टाईल्स कय
अंकित नहीं	16.12.2014	12000	सीमेन्ट कय 40 बैग
अंकित नहीं	19.12.2014	13600	रोडी पत्थर कय
अंकित नहीं	20.01.2015	45000	लाईट कय
अंकित नहीं	10.02.2015	50150	रोडी कय
अंकित नहीं	19.03.2015	125600	ईट कय
अंकित नहीं	31.03.2015	39900	सी0सी0 टाईल्स कय
योग		1170401	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री तेजपाल सिंह एवं श्री भुट्टों तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या- 3क)

प्रस्तर:-60—ग्राम पंचायत भामोरी विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 259620.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
अंकित नहीं	19.04.2014	26803	टाईल्स कय
4	08.05.2014	15750	ईट कय
6	27.05.2014	13000	हैडपम्प मरम्मत
7	30.06.2014	58420	गणेश ब्रिक्स फिल्ड को भुगतान
14	11.08.2014	12834	गणेश ब्रिक्स फिल्ड को भुगतान
21	12.09.2014	43888	गणेश ब्रिक्स फिल्ड को भुगतान
अंकित नहीं	18.12.2014	23925	ओम टाईल्स को भुगतान
अंकित नहीं	26.12.2014	15000	बिल्लू बिल्डिंग मैट्रिरियल को भुगतान
अंकित नहीं	06.02.2015	50000	संजय लाईट को भुगतान
योग		259620	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुदीप तिवारी तथा ग्राम प्रधान दिनेश कुमार उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या- 16)

प्रस्तर:-61—ग्राम पंचायत जीतपुर विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 306900.0 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
10	28.6.14	104000	टाईल्स कय का भुगतान
8	23.6.14	84800	ईट कय का भुगतान
15	16.7.14	4800	ईट कय का भुगतान
37	30.9.14	32430	ईट कय का भुगतान
38	30.9.14	14130	ईट कय का भुगतान
41	22.10.14	25030	ईट कय का भुगतान
48	18.11.14	58800	ईट कय का भुगतान
61	31.12.14	24000	ईट कय का भुगतान
67	28.2.15	19800	रेत, सीमेन्ट, डस्ट कय का भुगतान
योग		306900	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हितेश तथा ग्राम प्रधान श्रीमती ममता उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर:-62—ग्राम पंचायत कैली विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 526530.0 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
1	4.4.14	54000	टाईल्स कय
10	31.7.14	70000	टाईल्स कय
12	6.8.14	50000	रोड़ी, डस्ट व रेत कय
21	19.8.14	98000	चटका ईट कय
29	9.9.14	137780	चटका ईट, रेत, कच्ची रोड़ी कय
30	5.11.14	43250	सीमेन्ट, डस्ट व रेत कय
31	11.11.14	73500	चटका ईट कय
	योग	526530	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री तेजपाल तथा सचिन तथा ग्राम प्रधान श्री तोहिद उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर:-63—ग्राम पंचायत अक्खेपुर विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 213224.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
अंकित नहीं	4.8.14	4680	खंडण्जा उखडाई
अंकित नहीं	6.8.14	7956	मिटटी कार्य
अंकित नहीं	18.8.14	19468	मिटटी कार्य
अंकित नहीं	18.8.14	26000	ईट का भुगतान
अंकित नहीं	1.10.14	7000	हैण्डपम्प मरम्मत
अंकित नहीं	20.11.14	21600	चटका ईट का भुगतान
अंकित नहीं	31.12.14	43200	चटका ईट का भुगतान
अंकित नहीं	16.1.15	40000	टाईल्स का भुगतान
अंकित नहीं	02.2.15	48000	टाईल्स का भुगतान
	योग	213224	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पेन्द्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 14)

प्रस्तर:-64—ग्राम पंचायत जमालपुर गोमा विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 268513.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
4	20.5.14	27470	चटका ईट कय
9	25.8.14	25000	चटका ईट कय
10	25.8.14	9900	चटका ईट कय
11	25.8.14	15828	शौचालय हेतु दरवाजे कय
19	8.9.14	30000	2000 टाईल्स कय
20	10.9.14	15000	42 बैग सीमेन्ट, 2 घन मी० डस्ट कय
21	12.9.14	22200	4400 नग अव्वल ईट कय

22	14.9.14	25440	1996 नग टैल्स कय
24	18.9.14	51250	650 अब्बल, 10000 चटका ईट कय
35	5.12.14	46425	3095 नग टैल्स कय
	योग	268513	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ दूबे तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है
(मूल आपत्ति संख्या- 14)

प्रस्तर:-65—ग्राम पंचायत बेगमाबाद विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 148000.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
अंकित नहीं	11.4.14	49500	टाईल्स कय भुगतान
अंकित नहीं	12.4.14	49500	टाईल्स कय भुगतान
अंकित नहीं	20.8.14	49000	ईट कय भुगतान
	योग	148000	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश अग्रवाल तथा ग्राम प्रधान श्री शाहजाद उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या- 14)

प्रस्तर:-66—ग्राम पंचायत कुलंजन विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 121892.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
11	23.5.14	22992	टाईल्स कय
17	10.7.14	33500	अब्बज ईट कय भुगतान
26	10.8.14	38000	स्ट्रीट लाईट कय
33	15.10.14	27400	ईट कय
	योग	121892	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ दूबे तथा ग्राम प्रधान श्री सना उल्ला खां उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर:-67—ग्राम पंचायत टेहरकी विकास खण्ड सरधना में अंकन रु0 615906.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
1	3.4.14	90100	5300 टाईल्स कय
2	3.4.14	117011	6883 टाईल्स कय
3	3.4.14	35960	116 बैग सीमेन्ट कय
10	30.4.14	51675	9750 ईट अब्बल कय
13	10.5.14	15000	स्ट्रीट लाईट कय
35	25.6.14	1500	स्ट्रीट लाईट कय
34	25.6.14	74800	4400 टाईल्स कय
50	28.7.14	86360	5080 टाईले कय
40	19.7.14	3000	स्ट्रीट लाईट कय
65	24.9.14	85000	5000 टाईले कय
106	9.2.15	15000	स्ट्रीट लाईट कय

	योग	615906	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सचिन तथा ग्राम प्रधान श्रीमती समा प्रवीण उत्तरदायी है।
मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 14)

प्रस्तर:-68—ग्राम पंचायत सकौती टाण्डा विकास खण्ड सरधना में अंकन रू0 204489.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
04	28.5.14	30000	इण्टर लॉकिंग टॉइल्स भुगतान
08	23.6.14	39220	ईट क्रय भुगतान
10	30.6.14	45984	ईट क्रय भुगतान
31	30.11.14	28000	ईट क्रय भुगतान
35	19.12.14	35440	टाईल्स क्रय भुगतान
46	11.3.15	25845	ईट क्रय भुगतान
	योग	204489	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हितेश तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमोद कुमार उत्तरदायी है।
मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर:-69—ग्राम पंचायत कपसाड विकास खण्ड सरधना में दिनांक 31.03.15 को रोकड शेष कम दर्शाकर अंकन रू0 9900.00 का अपहरण किया गया जिस हेतु ग्राम पंचायत सचिव श्री सुदीप तिवारी तथा ग्राम प्रधान श्री सदन कुमार उत्तरदायी है। उक्त की मय ब्याज वसूली दोनों से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-9अ)

प्रस्तर:-70—ग्राम पंचायत कपसाड विकास खण्ड सरधना में अंकन रू0 1213300.0 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
07	15.4.14	60000	चटका व अव्वल ईट क्रय
08	16.4.14	42500	टाईल्स क्रय
09	16.4.14	27540	सीमेन्ट व टेल क्रय
13	17.4.14	63000	लाईट क्रय
14	17.4.14	110000	लाईट ट्यूब व तार का बंडल क्रय
20	7.5.14	72000	ईट क्रय
32	31.7.14	53900	सामान क्रय
46	2.9.14	26000	अव्वल ईट क्रय
51	10.9.14	130000	अव्वल ईट क्रय
55	29.9.14	30000	अव्वल ईट क्रय
57	30.9.14	13300	लाई क्रय कम्प्लीट
64	21.10.14	26000	हैण्डपम्प सामान क्रय
69	11.11.14	69825	ईट क्रय
71	13.11.14	51940	ईट क्रय
66	5.11.14	45050	रोडी क्रय
66	7.11.14	42000	डस्ट क्रय
80	26.12.14	100000	ईट क्रय, कच्ची रोडी क्रय
87	14.5.15	91025	ईट क्रय
88	17.1.15	44550	सी0सी0 टाईल्स क्रय
89	22.1.15	90000	सी0सी0 टाईल्स क्रय
अंकित नहीं	9.2.15	81250	सीमेन्ट क्रय

अंकित नहीं	12.2.15	42500	पत्थर क्रय
	योग	1213300	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुदीप तिवारी तथा ग्राम प्रधान श्री सदन कुमार उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 3अ)

प्रस्तर:-71-ग्राम पंचायत रुहासा विकास खण्ड सरधना में दिनांक 23.1.2015 में चैक सं0 259671 से अंकन रू0 18500 की निकासी (बैंक पासबुक के अनुसार) की प्रविष्टि कैशबुक में 15800 दर्ज किये जाने के कारण अंकन रू0 2700 से आय पक्ष प्रभावित रहा है। माह जनवरी 15 का आय योग 713489 दर्शित है जिसमें 2700 जोड़ने के उपरान्त 716189 आता है, जिसमें से व्यय योग अंकन रू0 711482 घटाने पर रोकड शेष 2007 के स्थान पर 4707 आता है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रू0 2700.00 से माह फरवरी व माह मार्च के अन्तिम रोकड शेष भी प्रभावित रहा जिस हेतु ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पेन्द्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी उत्तरदायी है। उक्त की मय ब्याज वसूली दोनों से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर:-72-ग्राम पंचायत रुहासा विकास खण्ड सरधना में अंकन रू0 1279800.0 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	कैशबुक के अनुसार
10	2.5.14	90000	ईट क्रय
11	15.5.14	88000	तलाब से रजवाहे तक सफाई
12	1.5.14	200000	रोडी व ईट क्रय
17	28.5.14	61500	सीमेन्ट व कोरसेन्ड क्रय
29	11.8.14	70000	ईट क्रय
32	23.8.14	30000	ईट क्रय
35	2.9.14	180000	ईट क्रय
41	23.9.14	38400	ईट क्रय
42	29.9.14	96900	टाईल्स क्रय का भुगतान
52	21.10.14	64000	टाईल्स क्रय का भुगतान
58	7.11.14	40000	टाईल्स क्रय
59	7.11.14	52800	टाईल्स क्रय का भुगतान
62	10.11.14	39800	टाईल्स क्रय का भुगतान
86	23.1.15	78000	टाईल्स क्रय
87	28.1.15	150400	ईट क्रय
	योग	1279800	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पेन्द्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी उत्तरदायी है।

मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर:-73-ग्राम पंचायत चान्दना विकास खण्ड सरधना में अंकन रू0 279000.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर अप्राप्त रहें।

वाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	कैश बुक के अनुसार
अंकित नहीं	4.5.14	57750	टाईल्स क्रय हेतु भुगतान
अंकित नहीं	20.5.14	82500	टाईल्स क्रय हेतु भुगतान
अंकित नहीं	5.8.14	24750	टाईल्स क्रय हेतु भुगतान
अंकित नहीं	12.2.15	82500	टाईल्स क्रय हेतु भुगतान
अंकित नहीं	13.9.14	31500	टाईल्स क्रय हेतु भुगतान
	योग	279000	

इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश अग्रवाल तथा ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार कुमार उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 14)

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

जनपद का नाम:—अमरोहा
ग्राम पंचायत का नाम —जगुवा खुर्द

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद
वर्ष 2015—16

प्रस्तर संख्या — 1 वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि के खाते से रू0 224396.00 का आहरण करके निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	दिनांक	दर्शित व्यय का विवरण	धनराशि
01	01.05.2015	14000 ईट	63000.00
02	07.05.2015	म०रो०	8428.00
03	07.05.2015	16 ट्राली मिटटी	8000.00
04	13.07.2015	8000 ईट	36000.00
05	17.07.2015	म०रो०	6020.00
06	17.05.2015	10 ट्राली मिटटी	5000.00
07	14.08.2015	12000 ईट	54000.00
08	21.08.2015	म०रो०	8428.00
09	21.08.2015	20 ट्राली मिटटी	10000.00
10	17.09.2015	3000 ईट	13500.00
11	22.09.2015	म०रो०	6020.00
12	22.09.2015	मिटटी	6000.00
		योग	224396.00

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन/टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था इसकी जांच नहीं हो सकी।

(ज) निर्माण कार्यों का कोई बजट एम०वी० नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री जसवन्त एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नानक चन्द द्वारा आपस में राजकीय धन को बाट लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि—224396.00

प्रस्तर संख्या —2 दिनांक 24.03.2016 का **9000 ईट** रू0 40500 दिनांक 31.03.2016 को क्रमशः मिटटी रू0 14000 एवं म०रो० रू0 10836 व्यय 14वें वित्त आयोग की धनराशि से बिना आई०डी० जनरेट किये गये नगद व्यय किया गया है, तथा खरीद सामग्री बिना कोटेशन के ही खरीद लिया जाना अनियमित रहा। भुगतान का ग्राम पंचायत निर्माण समिति से भुगतानादेश प्राप्त नहीं है। उक्त भुगतान पूर्णता अनियमित रहा। जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की है, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि— 65336 /—

प्रस्तर संख्या —3 ग्राम प्रधान को मानदेय दिनांक 17.09.2015 को रू0 30,000 एवं दिनांक 30.09.2015 को रू0 15,000 रू0 कुल रू0 45.000 का भुगतान बिना रसीद के नगद किया गया है। भुगतान अवधि बिना मानदेय रजि0 के प्रमाणित नहीं हो सकी तथा भुगतान की पुनरावृत्ति नहीं हुई । इसका कोई प्रमाण नहीं है। जिससे भुगतान अपुष्ट रहा। कार्यवाही अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि—45,000

(2) ग्राम पंचायत का नाम -काला खेडा

वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या — 4 वर्ष 2015-16 की प्रस्तुत कैश बुक की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों में बैंक से धन आहरण करके बिना कैश बुक में दर्ज किये हुए तथा बिना किसी प्रमाणक के धन अपहरण किया गया है।

क्र0सं0	तिथि	चैक नं0	धनराशि	आहरणकर्ता
01	25.04.2015	8280054	30000.00	श्री बबलू
02	30.07.2015	68280060	30000.00	श्री कृष्ण पाल सिंह
03	19.09.2015	682277946	26500.00	श्री आलोक वर्मा
		योग	86500.00	

वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह व सचिव श्री कपिल व तहसीन से ब्याज सहित बराबर बराबर वसूल की जाये।

सम्बन्धित धनराशि—86500.00

प्रस्तर संख्या —5 वर्ष 2015-16 में प्राप्त 14 वें वित्त आयोग की धनराशि में से दिनांक 22.03.2016 को एकमुश्त नगद धनराशि रू0 256926 बैंक खाते से आहरित करके बिना खरीद नियमों का पालन किया जो कि अनियमित रहा। साथ ही 14 वे वित्त में निर्धारित मानक को बिना पूरा किये बिना आई0डी0 जनरेट किये हुए किया जाना अनियमित रहा। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि— 256926.00

(3) ग्राम पंचायत का नाम - अशरफपुर फैजगंज

वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या — 6 वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि के खाते से रू0 698345 का आहरण करके निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है—

क्र0सं0	तिथि	दर्शित व्यय का विवरण	धनराशि
01	27.04.2015	11400 ईंट	51300.00
		45 बोरी सीमेंट	14400.00
		रेता	577.00
		म0रो0	9000.00
		14000 ईंट	58800.00
		मिटटी भराव	24192.00
		म0रो0	7200.00
		7200 ईंट	32400.00
02	29.04.2015	28 बोरी सीमेंट	8960.00
		रेता	385.00
		म0रो0	6000.00
		10800 ईंट	45360.00
		मिटटी भराव	15120.00
03	30.04.2015	म0रो0	4500.00
04	10.05.2015	म0रो0	7641.00

05	22.06.2015	मिटटी भराव	47250.00
06	20.07.2015	15500 ईट	65100.00
07	23.07.2015	मिटटी भराव	30240.00
08	25.07.2015	म0रो0	9000.00
09	27.07.2015	10800 ईट	45360.00
10	28.07.2015	मिटटी भराव	16060.00
11	30.07.2015	म0रो0	4500.00
12	25.09.2015	17800 ईट	74760.00
13	26.09.2015	मिटटी भराव	32760.00
14	28.09.2015	म0रो0ईट (12300)	9600.00+ 51660
15	29.09.2015	मिटटी	19920.00
16	30.09.2015	म0रो0	6300.00
		योग	698345.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोअेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मसटर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जांच नहीं हो सकी।

(ज) मिटटी भराव किससे किस प्रकार एवं किस दर से की गयी विवरण नहीं है, तथा रायन्टी भुगतान भी नहीं किया गया है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री नफीस एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहितसे दोनों से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि—698345.00

प्रस्तर संख्या —7 दिनांक 31.08.2015 को रु० 8000 की कार्यालय सामग्री खरीद की जानी दर्शित है। जिसका व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। कार्यालय सामग्री में क्या क्या खरीद की गयी है इसका कोई विवरण नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि—8000.00

प्रस्तर संख्या —8 दिनांक 29.03.2016 को वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से रु० 230000 आहरण नगद करके बिना वर्क आई०डी० एवं खरीद की कार्यावाही पूर्ण किये दिए व्यय किया जाना अनियमित रहा। ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन एवं ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि— 230000.00

(4) ग्राम पंचायत— रजबपुर

वर्ष—2015—16

प्रस्तर संख्या — 9 वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि—के खाते से रु० 824730 / का आहरण करके निम्न आपत्तियां पायी गयी।

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खातों से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।

(ज) निर्माण कार्यों का कोई बजट, स्टीमेट एम०वी नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान शाहीन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नानक चन्द द्वारा आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा०वि० अधिकारी से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —10 दिनांक 30.04.2015 को रू० 30,000 एवं दिनांक 30.09.2015 को रू० 15,000 कुल रू० 45,000/ मानदेय प्रधान के रूप में दर्शित है, लेकिन प्रधान से रसीद नहीं प्राप्त की गयी है तथा नगद भुगतान किया जाना, मानदेय अवधि दर्शित न होना एवं मानदेय रजि० न होने से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान शाहीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नानक चन्द के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —11 विभिन्न तिथियों में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से कुल रू० 524380.00 का व्यय दर्शित किया गया है जिसके संबंध में निम्नांकित आपत्तियाँ हैं।

(1) बिना वर्क आई० डी० जनरेट किये ही व्यय किया जाना अनियमित है।

(2) समस्त भुगतान नगद किया जाना अनियमित रहा।

(3) निर्माण सामग्री खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(4) म० रो० का भुगतान भी नगद किया गया है, जबकि सभी मजदूरों के खाते बैंक में हैं।

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा खातून एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नानक चन्द द्वारा मनमाने ढंग से बैंक से नगद धन आहरित करके व्यय किया गया आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(5) ग्राम पंचायत का नाम — हाकमपुर

वर्ष — 2015—16

प्रस्तर संख्या —12 बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से नगद धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन/ टेण्डर के ही तथा ग्राम पंचायत का भुगतानादेश भी न प्राप्त करके व्यय दर्शाया जाना। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान जसवन्त एवं सेक्रेट्री नानक चन्द से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि — 276046.00

प्रस्तर संख्या —13 14वें वित्त की धनराशि बिना आई०डी० जनरेट किये नगद आहरण करके व्यय किया जाना। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान सुनीता देवी एवं सेक्रेट्री नानक चन्द के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये।

सम्बन्धित धनराशि — 92456.00

प्रस्तर संख्या — 14 ग्राम प्रधान मानदेय बिना रसीद के नगद भुगतान तथा अवधि की पुष्टि न होना। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान जसवन्त एवं सेक्रेट्री नानक चन्द के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये।

सम्बन्धित धनराशि — 45000.00

(6) ग्राम पंचायत का नाम — श्यामपुर

वर्ष — 2015—16

प्रस्तर संख्या — 15 बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से नगद धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन/ टेण्डर के ही तथा ग्राम पंचायत का भुगतानादेश भी न प्राप्त करके व्यय दर्शाया जाना। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान गुलशन जहां एवं सेक्रेट्री राजेश से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि — 638058.00

प्रस्तर संख्या – 16 14वें वित्त की धनराशि बिना वर्क आई.डी. जनरेट किये नगद आहरण करके व्यय किया जाना। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान अल्लन एवं सेक्रेट्री राजेश के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये।

सम्बन्धित धनराशि –216000.00

(7) ग्राम पंचायत का नाम -खईया माफी वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 17 वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि-1 के खाते से रू0 210806/ का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी।

- (क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।
- (ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।
- (घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।
- (च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।
- (छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि0 नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।
- (ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम0वी0 बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0 अधि0 से बराबर बराबर मय ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 18 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धन में से बिना वर्क आई0डी0 जनरेअ किये बिना नगद धन आहरण करते हुए तथा बिना कोटेशन प्राप्त किये खरीद किया जाना दिनांक 05.03.2016 को रू0 66716 दिनांक 22.03.2016 को रू0 25650 एवं दिनांक 22.03.2016 को रू0 162000 कुल रू0 254366 का अनियमित भुगतान किया गया है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(8) ग्राम पंचायत का नाम मुबारकपुर नूरी वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 19 वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि-1 के खाते से रू0 231221/ का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी।

- (क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।
- (ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।
- (घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।
- (च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।
- (छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि0 नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।
- (ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम0वी0 बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री छिददा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली

ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0 अधि0 से बराबर बराबर ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 20 दिनांक 22.03.2016 को 14वें वित्त आयोग की धनराशि रु0 2,25,000 बैंक खाते से नगद आहरित करके बिना वर्क आई0डी0 जनरेट किये हुए व्यय किया जाना अनियमित रहा। साथ खरीद सामग्री बिना कोटेशन व टेण्डर के किये जाना तथा बिना निर्माण समिति के भुतानादेश प्राप्त किये नगद व्यय किया जाना अनियमित रहा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश की है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(9) ग्राम पंचायत का नाम रायपुर शहजादपुर

वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 21 वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि के खाते से रु0 242580 का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी है।

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि0 नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।

(ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम0वी0 बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्रीमती चन्नो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नानक चन्द ने आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0 अधि0 से बराबर बराबर ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 22 प्रधान मानदेय दिनांक 27.04.2015 को रु0 30,000 एवं दिनांक 19.09.2015 को रु0 15,000.00 कुल रु0 45,000.00 रु0 का भुगतान बिना मानदेय रजि0 एं0 रसीद के नगद भुगतान किया जाना अनियमित रहा। भुगतान रजि0 न होने से भुगतान अवधि तथा पुरावृत्ति की जांच नहीं हो सकी आवश्यक कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 23 दिनांक 27.04.2015 को रु0 169300 नगद आहरण करके दि0 24.03.2016 को 30000 ईट मूल्य रु0 135000 रु0 बिना कोटेशन व टेण्डर के ही खरीद किया गया है तथा दिनांक 31.03.2016 को मजदूरी भुगतान रु0 17500 तथा मिटटी भराव रु0 16800 का नगद भुगतान किया गया है। साथ ही 14वें वित्त आयोग में व्यय हेतु निर्धारित मानकों को बिनापूर्ण किये बिना वर्क आई0 डी0 जनरेट किये हुए व्यय किया जाना अनियमित रहा ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नानक चन्द से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(10) ग्राम पंचायत का नाम रायपुर खुर्द

वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 24

वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि के खाते से रु0 235552 का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी है।

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।

(ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम०वी० बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्रीमती रूशदा परवीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश ने आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा०वि० अधि० से बराबर बराबर तातारीख मय ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 25 दिनांक 21.03.2016 को बैंक खाते से ग्राम प्रधान श्री नासिर द्वारा एक मुश्त नगद धनराशि रु० 2,80,000 का आहरण करके निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
01	21.03.2016	8600 बोरी सीमेन्ट ईट रु०18	154800.00
02	21.03.2016	9700 ईट	48500.00
03	21.03.2016	मिटटी भराव	8634.00
04	22.03.2016	सीमेन्ट रेता	28883.00
05	22.03.2016	ईट रोडी	19683.00
06	30.03.2016	म०रो०	19500.00
		योग	2,80,000.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं—

क. खरीद सामग्री बिना कोटेशन व टेण्डर प्राप्त किया गया है।

ख. व्यय विभिन्न तिथियों में होने के बावजूद एक मूश्त धनराशि आहरण किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा।

ग. सभी भुगतान बिना भुगतानादेश प्राप्त किये नगद किया जाना आपत्तिजनक है।

घ. सीमेन्टेड ईट का बाजार मूल्य रु० 13 प्रति ईट है जबकि 18 प्रति ईट खरीद दर्शित है।

च. 14वे वित्त की धनराशि बिना आई०डी० जनरेट किये बिना व्यय किये जाना पमर्णतया अनियमित रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त व्यय अनियमित है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नासिर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश की है। आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(11) ग्राम पंचायत का नाम -मौहम्मदपुर

वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 26 वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि-1 के खाते से रु० 329152.00 का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी है।

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।

(ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम०वी० बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्रीमती रामेश्वरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नानक चन्द ने आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया

है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0 अधि0 से बराबर बराबर ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 27 दिनांक 22.03.2016 को 14वें वित्त आयोग की धनराशि बैंक खाते से नगद रु0 202152.00 आहरित करके बिना वर्क आई0डी0 जनरेट किये हुए व्यय किया जाना अनियमित रहा। साथ खरीद सामग्री बिना कोटेशन व टेण्डर के किये जाना तथा बिना निर्माण समिति के भुतानादेश प्राप्त किये नगद व्यय किया जाना अनियमित रहा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(12) ग्राम पंचायत का नाम - मूढा इम्मा वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 28 वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि-1 के खाते से रु0 286942.00 का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी है।

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि0 नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।

(ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम0वी0 बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

झ. दिनांक 18.05.2015 को खरीद ईट मूल्य रु0 29400.00 का प्रयोग नहीं दर्शाया गया है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री रफी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार व तत्कालीन सचिव ने आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0 अधि0 से बराबर बराबर ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

(13) ग्राम पंचायत का नाम कांकर सराय उर्फ काजी सराय वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 29 1.वर्ष 2015-16 की प्रस्तुत कैश बुक की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों में बैंक से धन आहरण करके बिना कैश बुक में दर्ज किये हुए तथा बिना किसी प्रमाणक के धन अपहरण किया गया है।

क्र0सं0	तिथि	चैक नं0	धनराशि	आहरणकर्ता
01	16.05.2015	6404469	30,000.00	श्री रवीन्द्र
02	22.07.2015	68020156	25,000.00	श्री योगेश
03	24.08.2015	68020160	30,000.00	श्री अशरफ
04	16.09.2015	68020168	20,000.00	श्री अशरफ
		योग	105000.00	

उक्त धन की वसूली ग्राम प्रधान श्री अल्ला बक्श एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री भगत सिंह से ब्याज सहित बराबर बराबर वसूली की जाये।

(14) ग्राम पंचायत का नाम - हटव्वा वर्ष - 2015-16

प्रस्तर संख्या – 30

वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि-1 के खाते से रु0 345600.00 का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी है।

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययो के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

(ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।

(घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।

(च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।

(छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।

(ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम०वी० बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

झ. मिटटी भराव 18.05.2016 से 20.07.2015 कुल रू० 120000 का दर्शित है, मिटटी भराव की प्रक्रिया कैसे की गयी, जिससे मिटटी कय की गयी कितनी मिटटी किस दर पर ली बयी कोई विवरण एवं प्रमाणक नहीं रहा तथा रायल्ली भुगतान नहीं किया गया है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री इल्यास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार ने आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा०वि० अधि० से बराबर बराबर ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 31

14वें वित्त आयोग की धनराशि रू० 250000 बैंक खाते से नगद आहरित करके बिना वर्क आई०डी० जनरेट किये हुए व्यय किया जाना अनियमित रहा। साथ खरीद सामग्री बिना कोटेशन व टेण्डर के किये जाना तथा बिना निर्माण समिति के भुगतानादेश प्राप्त किये नगद व्यय किया जाना अनियमित रहा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्री शहरोज अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश की है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

15) ग्राम पंचायत का नाम – शहवाजपुर कला

वर्ष – 2015–16

प्रस्तर संख्या –32 बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से नगद धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन/टेण्डर के ही तथा ग्राम पंचायत का भुगतानादेश भी न प्राप्त करके व्यय दर्शाया जाना। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान सुमित्रा एवं सेक्रेट्री नानक चन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि – 208468.00

प्रस्तर संख्या –33. प्रधान मानदेय दिनांक 02.05.2015 को रू. 30000/- एवं दिनांक 17.09.2015 को रू. 15000.00 कुल रुपये-45000.00 का नगद भुगतान बिना प्रमाणक के दर्शाया गया है। भुगतान किस अवधि से किस अवधि का हुआ अज्ञात रहा। पूर्व में भुगतान हुआ था या नहीं कोई प्रमाणक/रजिस्टर न होने से पुष्टि नहीं होती है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 34 दिनांक 24.03.2016 को 19800 ईट रुपये 89100.00 की खरीद बिना कोटेशन के नगद किया जाना दिनांक 31.03.2016 के मजदूरी रुपये 11438.00 मिट्टी कार्य हेतु भुगतान रुपये 11200.00 नगद किया जाना अनियमित रहा तथा 14वें वित्त आयोग में निर्धारित प्रतिबन्धों का बिना पालन किये बिना वर्क आई.डी. जनरेट किये ही एक मुश्त 22.09.2016 को रुपये 111738.00 आहरण करके व्यय दर्शाना अनियमित रहा। जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान मीनाक्षी एवं सेक्रेट्री नानक चन्द्र की होती है के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(16) ग्राम पंचायत का नाम – खाता

वर्ष –2015–16

प्रस्तर संख्या – 35

वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि-1 के खाते से रू० 224016.00 का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी है।

(क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययो की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) व्ययो के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।

- (ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।
 (घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।
 (च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।
 (छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।
 (ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम०वी० बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री इल्यास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार ने आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा०वि० अधि० से बराबर बराबर तातारीख ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 36

दिनांक 21.09.2015 को प्रचार प्रसार हेतु दैनिक जागरण को रुपये 3000.00 का भुगतान नगद किया जाना दर्शाया गया है। यह प्रचार प्रसार किस हेतु किया गया कोई विवरण स्पष्ट नहीं है। तत्ता राजकीय धन जो विकास कार्यों हेतु प्राप्त था उससे भुगतान किया जाना पूर्ण तथा अनियमित रहा। आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(17) ग्राम पंचायत का नाम नारंगपुर

वर्ष – 2015–16

प्रस्तर संख्या – 37

वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि-1 के खाते से रु० 537882.00 का आहरण करके निम्न आपत्ति पायी गयी है।

- (क) कैश बुक में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
 (ख) व्ययों के सापेक्ष बैंक खाते से आहरित समस्त धनराशि नगद रूप में की गयी है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के आलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी नगद आहरण किया गया है।
 (ग) निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन व टेण्डर के ही किया गया है।
 (घ) मस्टर रोल पर दर्शित व्यय भी नगद किया गया, जबकि समस्त श्रमिकों के बैंक खाते खुले हुए हैं।
 (च) ग्राम पंचायत निर्माण समिति का भुगतानादेश नहीं प्राप्त किया गया है।
 (छ) निर्माण कार्यों का सम्पत्ति रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शित कार्यों के पुनरावृत्ति तथा मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में कब निर्माण हुआ था, इसकी जाँच नहीं हो सकी।
 (ज) निर्माण कार्यों का बजट, स्टीमेट एम०वी० बजट, नहीं कराया गया है, तथा प्रस्तुत कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान महकार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार ने आपस में राजकीय धन को बॉट लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा०वि० अधि० से बराबर बराबर तातारीख ब्याज सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित है।

(18) ग्राम पंचायत का नाम – चौधरपुर

वर्ष – 2015–16

प्रस्तर संख्या – 38

तहबाजारी का धन बैंक खाते से आहरण करके बिना कैश बुक में दर्ज किये एवं बिना किसी प्रमाणक के अपहरण किया जाना। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान नन्हें एवं सेक्रेट्री अनुपम शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि – 750000.00

(19) ग्राम पंचायत का नाम – बीझलपुर

वर्ष – 2015–16

प्रस्तर संख्या – 39

कैशबुक में निम्न तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय धनराशि दर्शित है—

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
01	10.04.2015	ईंट खरीद	59472.00
02	05.06.2015	ईंट खरीद	39648.00
03	03.08.2015	ईंट खरीद	52038.00
04	03.08.2015	मिट्टी भराव	17325.00
05	16.09.2015	ईंट खरीद	66906.00
06	16.09.2015	मिट्टी भराव	24300.00
		योग	259689.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

1— ईंट क्रय का कोटेसन व वाउचर अप्राप्त रहा।

2— मिट्टी कार्य हेतु भुगतान का वाउचर अप्राप्त रहा।

अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त खर्च धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली पंचायत सचिव श्री अवध बिहारी लाल एवं ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(20) ग्राम पंचायत का नाम —मलकपुर मुस्तकम

वर्ष —2015—16

प्रस्तर संख्या — 40

कैशबुक में निम्न तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय धनराशि दर्शित है—

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
01	10.04.2015	हिन्दुस्तान समाचार पत्र	3000.00
02	01.10.2015	अमर उजाला	3000.00
03	01.10.2015	अमर उजाला	3000.00
04	01.10.2015	हिन्दुस्तान	3000.00
		योग	12000.00

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत के कृत्य में नहीं आती है अतः राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान मनोज त्यागी एवं सेक्रेट्री अवध बिहारी लाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या — 41

कैशबुक में निम्न तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय धनराशि दर्शित है—

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
01	15.10.2015	ईंट खरीद	89208.00
02	15.10.2015	मिट्टी कार्य	32400.00
03	15.10.2015	मजदूरी	14400.00
04	15.10.2015	सोलर लाइट क्रय	28000.00
		योग	164008.00

1— ईंट क्रय का कोटेसन व वाउचर अप्राप्त रहा।

2— मिट्टी कार्य हेतु भुगतान का वाउचर अप्राप्त रहा।

3— मजदूरी व्यय का मस्टर रोल अप्राप्त रहा।

4— सोलर लाइट क्रय का वाउचर अप्राप्त रहा।

अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त खर्च धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान मनोज त्यागी एवं सेक्रेट्री अवध बिहारी लाल से की जानी अपेक्षित है।

(21) ग्राम पंचायत का नाम —भूवरा**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या — 42ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि की इन्ट्री कैश बुक में न करके धन का अपहरण करना। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान ब्रह्मराज सिंह एवं सेक्रेट्री अवध बिहारी लाल से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि — 157000.00

(22) ग्राम पंचायत का नाम —पथरा एतमाली**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या — 43

दिनांक 18.09.2015 में ग्राम निधि प्रथम खाते से रु. 50000.00 एवं रु. 47000.00 कुल 97000.00 का आहरण हा है, किन्तु उक्त धनराशि की इन्ट्री कैश बुक में नहीं की गयी है, उक्त धनराशि के व्यय से संबन्धित लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, स्टीमेंट, वाउचर व कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र अप्राप्त रहा। इस दशा में उक्त आहरित धनराशि आहरण की श्रेणी में आती है। अतः जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान सोमपाल सिंह एवं सेक्रेट्री यशपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(23) ग्राम पंचायत का नाम —पथरा मुस्कतम**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या—44 निम्न तिथियों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण कैश बुक में दर्ज न करके उक्त धन का आहरण किया गया है। जो इस प्रकार है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि
01	18.09.2015	50,000
02	18.09.2015	75,000
	योग	125000.00

उक्त धनराशि का आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि का अप्राप्त रहना यह साबित करता है कि उक्त धन का अपहरण किया गया है। इसके लिए सचिव श्री यशपाल सिंह एवं प्रधान श्री सत्यप्रकाश उत्तरदायी है। इस प्रकार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(24) ग्राम पंचायत का नाम —नानई लिसडी**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या—45 निम्न तिथियों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण कैश बुक में दर्ज न करके उक्त धन का आहरण किया गया है। जो इस प्रकार है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि
01	10.04.2015	45,000.00
02	04.06.2015	70500.00
03	11.08.2015	62400.00
04	11.08.2015	72000.00
05	17.09.2015	95000.00
	योग	344900.00

उक्त धनराशि का आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि का अप्राप्त रहना यह साबित करता है कि उक्त धन का अपहरण किया गया है। इसके लिए सचिव श्री यशपाल सिंह एवं प्रधान श्रीमती सुधा देवी उत्तरदायी है। इस प्रकार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(25) ग्राम पंचायत का नाम —मुबारिजपुर कंला**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या—46 दिनांक 31.07.2015 में ग्राम निधि खाते से रु० 30000.00 एवं रु० 25,000 का आहरण चैक संख्या क्रमश 925271, 925278 से किया गया है, किन्तु कैश बुक में एन्ट्री नहीं करके रु० 55000.00 का अपहरण

कर लिया गया है। इसके लिए सचिव श्री अवध बिहारी लाल एवं ग्राम प्रधान तोताराम उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(26) ग्राम पंचायत का नाम —खेतापुर जाहॉगीर

वर्ष —2015—16

प्रस्तर संख्या—47 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दोरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैक्रेट्री वीर सिंह के द्वारा रू0 5,54,714 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी मे आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है,एवं अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी ब्याज सहित सैक्रेट्री वीर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री मौ0 इरफान से करायी जानी अपेक्षित है।

(27) ग्राम पंचायत का नाम —गालिबबडा

वर्ष —2015—16

प्रस्तर संख्या—48 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दोरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैक्रेट्री कृपाल सिंह के द्वारा रू0 8,17,063 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी मे आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है,एवं अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सैक्रेट्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री महावीर से करायी जानी अपेक्षित है।

(28) ग्राम पंचायत का नाम —आलमपुर कैच

वर्ष —2015—16

प्रस्तर संख्या—49 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दोरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैक्रेट्री पूरन सिंह के द्वारा रू0 5,34,932 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी मे आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है,एवं अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सैक्रेट्री पूरन सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीर से करायी जानी अपेक्षित है।

(29) ग्राम पंचायत का नाम —कूडा माफी

वर्ष —2015—16

प्रस्तर संख्या—50 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दोरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैक्रेट्री वीर सिंह के द्वारा रू0 6,71,300 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी मे आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है,एवं अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सैक्रेट्री वीर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री बन्टी से करायी जानी अपेक्षित है।

(30) ग्राम पंचायत का नाम —सैदपुर इम्मा

वर्ष —2015—16

प्रस्तर संख्या—51 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दोरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैक्रेट्री वीर सिंह के द्वारा रू0 05,54,684 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी मे आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है,एवं अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सैक्रेट्री वीर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री फुरकान से करायी जानी अपेक्षित है।

(31) ग्राम पंचायत का नाम —भेडा भरतपुर

वर्ष —2015—16

प्रस्तर संख्या—52 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दोरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैक्रेट्री वीर सिंह के द्वारा रू0 10,79,491 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध

(37) ग्राम पंचायत का नाम —फैयाज नगर**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या—58 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैंक्रेट्री दिनेश कुमार के द्वारा रु0 4,32,879 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी में आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित्त ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 ऐव खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है,ऐव अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सैंक्रेट्री दिनेश कुमार ऐव ग्राम प्रधान जगन्नाथ सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

(38) ग्राम पंचायत का नाम —बाईखेडा**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या—59 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैंक्रेट्री विजेन्द्र त्यागी के द्वारा रु0 4,84,449 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी में आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित्त ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 ऐव खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है,ऐव अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सैंक्रेट्री विजेन्द्र त्यागी ऐव ग्राम प्रधान अनीता से करायी जानी अपेक्षित है।

(39) ग्राम पंचायत का नाम —मंगरौली**वर्ष —2015—16**

प्रस्तर संख्या—60 वित्तीय वर्ष 2015—16 में लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध कैश बुक के अनुसार सैंक्रेट्री विजेन्द्र त्यागी के द्वारा रु0 4,98,843 का आहरण किया गया है,परन्तु लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक मस्टरोल उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में गबन की श्रेणी में आता है,तथा ग्राम पंचायत के वित्त ऐव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 ऐव खण्ड 8क तथा 8ख धारा 27 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है,ऐव अधिभार की कार्यवाही योग्य है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सैंक्रेट्री विजेन्द्र त्यागी ऐव ग्राम प्रधान सत्यवीर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

जनपद— बिजनौर**ग्राम पंचायत:—उमरा बुजुर्ग****विकास खण्ड:—नूरपुर**

प्रस्तर संख्या—1 दिनांक 04—04—2015 की चैक सं0 129182 द्वारा अंकन 93000.00 की धनराशि श्री अवनीश कुमार प्रधान द्वारा आहरित की गयी है परन्तु आहरित धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति श्री नौवत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री अविनाश कुमार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप धनराशि की वसूली करते हुए समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 29)

प्रस्तर संख्या—2 आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा जॉच पर पाया गया कि दिनांक 20—05—2015 की चैक सं0 129184 द्वारा अंकन 9000.00 की धनराशि का आहरण प्रधान श्री अवनीश कुमार द्वारा किया गया है परन्तु आहरित धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिस प्रति श्री नौवत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री अविनाश कुमार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से धनराशि की वसूली करते हुए समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 30)**ग्राम पंचायत:—खैरुल्लापुर****विकास खण्ड:—कोतवाली**

प्रस्तर संख्या—3 वर्ष 2015—16 की कोषबही में दि. 01.04.2015 को प्रधान के पास नकद प्रारम्भिक अवशेष (-)24739.00 अंकित है जिसका अर्थ है कि यह धनराशि पूर्व वर्ष में प्रधान द्वारा खर्च की गयी है। पूर्व वर्ष

2014-15 की कोषबही लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण इस कलात्मक अवशेष की पुष्टि नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि बैंक खाते में धनराशि न होने की दशा में यदि श्रमिकों की मजदूरी या सामग्री से सम्बन्धित भुगतान करना आवश्यक हों तो विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रधान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से अमानत लेनी चाहियें। अमानत प्राप्त करने के पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिये तथा अमानत प्राप्त करते समय रूप पत्र-7 से सम्बन्धित कैश रसीद निर्गत होनी चाहिये। सीधे प्रधान द्वारा धनराशि उपलब्ध किया जाना तथा बैंक खातों में धनराशि आने पर उसे निकाल लिया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(आपत्ति सं० 20)

प्रस्तर संख्या-4 आलोच्य वर्ष 2014-15 में जुलाई से सितम्बर, 15 तक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत नगीना से बड़ापुर की रोड़ पर अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया है जिस पर निम्नांकित तिथियों में सामग्री व मजदूरी पर धनराशि व्यय की गयी है :-

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
29-7-2015	20.07.2015 से 29.07.2015 के मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल के अनुसार	51000.00
29-7-2015	15000 ईंट	75000.00
29-7-2015	रेत एवं बजरी	61420.00
29-7-2015	226 कट्टे सीमेंट	79100.00
29-7-2015	16 कु. सरिया	83200.00
30-7-2015	300 कट्टे सीमेंट	105000.00
1-8-2015	10 घन मी० बजरी	17660.00
2-8-2015	दरवाजा एवं खिड़की	35240.00
4-8-2015	15000 ईंट	75000.00
8-8-2015	30.7.2015 से 8.8.2015 के मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल के अनुसार-	51000
10-8-2015	2.8.2015 से 9.8.2015 के मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल के अनुसार-	33000.00
10-8-2015	310 कट्टे सीमेंट	108500.00
12-8-2015	32 कु	166400.00
13-8-2015	9.8.2015 से 13.8.2015 के मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल के अनुसार-	25500.00
16-8-2015	रेत	45483.00
26-8-2015	बजरी	90665.00
29-8-2015	16.8.2015 से 28.8.2015 के मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल के अनुसार-	58550.00
30-8-2015	10000 ईंट	50000.00
7-9-2015	सीट-पाईप-चैनर	49797.00
14-9-2015	1.9.2015 से 13.9.2015 के मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल के अनुसार-	58550.00
30-9-2015	18.9.2015 से 30.9.2015 के मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल के अनुसार-	58550.00
30-9-2015	वेल्लिड एवं टिन रोड फीटीड	4600.00
		रूपये 1383215.00

उपरोक्त के बार में निम्न आपत्तियाँ हैं :-

(1) उपरोक्त कार्य की एम०बी० एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण इस कार्य की पूर्णता की स्थिति अस्पष्ट रही। एम०बी० के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

(2) स्टोर पंजिका के अभाव में सामग्री के आमद की पुष्टि नहीं हो सकी।

(3) मजदूरी से सम्बन्धित कतिपय मस्टररोल पर श्रमिकों के नाम एवं उनके पिता के नाम पर उपलब्ध पाया गया जिसके कारण दी गयी मजदूरी की स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

(4) ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया, बजरी, दरवाजे आदि सामग्री क्रय करते समय विभिन्न फर्मों से कोटेशनस नहीं लिया गया है जिसके कारण क्रय दर की पुष्टि नहीं हो सकी।

(5) बरसात के समय में कार्य कराया गया है जो कि इस कार्य के लिये उपयुक्त समय नहीं है। दिनांक 29.07.2015 से दिनांक 10.08.2015 (13 दिन) तक 836 कट्टे सीमेंट क्य किये गये हैं। दिनांक 29.07.2015 को 226 कट्टे सीमेंट क्य किये थे तत्पश्चात् दिनांक 30.07.2015 को 300 कट्टे सीमेंट क्य किये गये। एक दिन बाद सीमेंट क्य करने की क्यों आवश्यकता पड़ गयी ? इससे प्रतीत होता है कि वास्तविक से अधिक व्यय दर्शाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के कारण लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि तत्कालीन प्रधान श्रीमती चन्द्रो देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गंगा राम द्वारा वास्तविक से अधिक व्यय दर्शाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(आपत्ति सं० 21)

ग्राम पंचायत:—हीमपुर बुजुर्ग

विकास खण्ड:—नूरपुर

प्रस्तर संख्या—5 दिनांक 24-04-2015 को चैक सं० 841750 द्वारा अंकन 46000.00 का आहरण बैंक से किया गया है किन्तु आहरित धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर धनराशि का आहरण किया गया है। जिस प्रति श्री नौबत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री कदीर अहमद पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से धनराशि की वसूली करते हुए समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 27)

ग्राम पंचायत:—छजुपुरा

विकास खण्ड:—नूरपुर

प्रस्तर संख्या—6 आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा पर पाया गया कि विभिन्न तिथियों में बैंक से आहरण किया गया है किन्तु कैश बुक में दर्शित नहीं किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	चैक सं०	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
23-04-2015	301424	40000.00	श्रीमती उर्मिला देवी (प्रधान)
23-04-2015	301425	40000.00	श्रीमती उर्मिला देवी (प्रधान)
14-05-2015	301426	25000.00	श्रीमती उर्मिला देवी (प्रधान)
16-05-2015	301428	45000.00	श्रीमती उर्मिला देवी (प्रधान)
16-05-2015	301429	25000.00	(अज्ञात)
19-05-2015	301427	25000.00	(सीमेन्ट स्टोर)
19-05-2015	301430	30000.00	(अज्ञात)
26-05-2015	977001	10000.00	(सुभाष सीमेन्ट)
अज्ञात	977002	25000.00	(अज्ञात)
योग		265000.00	

उपरोक्त धनराशि को आहरित कर कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से धनराशि की वसूली करते हुए समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 27)

प्रस्तर संख्या—7 दिनांक 10-09-2015 को चैक सं० 977017 द्वारा अंकन 42500.00 का आहरण किया गया है किन्तु कैश बुक के आय पक्ष में रु० 42000.00 ही दर्शित किया गया है जो अन्तर रुपये 500.00 से कम दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 28)

ग्राम पंचायत:—सेमला

विकास खण्ड:—नूरपुर

प्रस्तर संख्या—8 आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा जाँच पर पाया गया कि दिनांक 16-06-2015 को ग्राम पंचायत सेमला के खाता सं० 2944000300195544 से चैक संख्या 725344 द्वारा अंकन 6000.00 की धनराशि श्री रजनीश द्वारा आहरित की गयी है परन्तु आहरित धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में दर्शाकर धनराशि का अपहरण

किया गया है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री करन सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नौबत सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 28)

विकास खण्ड का नाम—कुन्दरकी
पंचायत का नाम—ढकिया जुम्मा

जनपद का नाम— मुरादाबाद
वर्ष 2015—16

प्रस्तर—1 ग्राम पंचायत ढकिया जुम्मा मे वर्ष 2015—16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तेरहवे वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक मे दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री गुलजारी लाल तथा सचिव श्री विजय बहादुर शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
08.04.2015	70,000.00
14.05.2015	40,000.00
29.06.2015	85000.00
योग	195,000.00

प्रस्तर—2 ग्राम पंचायत ढकिया जुम्मा वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त/तेरहवे वित्त से 53,55,83.00 खर्च विभिन्न मदों पर किया गया है। पुष्टि में व्यय बाउचर नहीं पाये गये हैं। पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि में बाउचर नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री गुलजारी लाल तथा सचिव श्री विजय बहादुर शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— बरैठा खिजरपुर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—3 ग्राम पंचायत बरैठा खिजरपुर मे वर्ष 2015—16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तेरहवे वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक मे दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मौ० हसन पाशा तथा सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
17.06.2015	25,000.00
17.10.2015	93,600.00
योग	118600.00

प्रस्तर—4 ग्राम पंचायत बरैठा खिजरपुर वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त से 2,03,081.00 खर्च विभिन्न मदों पर किया गया है। पुष्टि में व्यय बाउचर नहीं पाये गये हैं। पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि में बाउचर नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मौ० हसन पाशा तथा सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— हुसैनपुर पस्तौर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—5 ग्राम पंचायत हुसैनपुर पस्तौर मे वर्ष 2015—16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तेरहवे वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक मे दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री सुरेश पाल तथा सचिव श्री धनेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
07.04.2015	57,400.00
22.09.2015	45,000.00
योग	102,400.00

प्रस्तर—6 ग्राम पंचायत हुसैनपुर पस्तौर वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त से 1,12,322.00 खर्च विभिन्न मदों पर किया गया है। पुष्टि में व्यय बाउचर नहीं पाये गये हैं। पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि में

वाउचर नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री सुरेश पाल तथा सचिव श्री धनेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— खजरा

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—7 ग्राम पंचायत खजरा में वर्ष 2015—16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तहरवे वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक में दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राखी तथा सचिव श्री जयपाल सिंह / विनय आशीष से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
16.04.2015	81,800.00
18.06.2015	25,000.00
08.09.2015	47,700.00
16.10.2015	36,250.00
योग	190,750.00

प्रस्तर—8 ग्राम पंचायत खजरा वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त से 2,18,153.00 खर्च विभिन्न मदों पर किया गया है। पुष्टि में व्यय वाउचर नहीं पाये गये हैं। पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि में वाउचर नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती राखी तथा सचिव श्री जयपाल सिंह / विनय आशीष से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— रसूलपुर हमीर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—9 ग्राम पंचायत रसूलपुर हमीर में वर्ष 2015—16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तहरवे वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक में दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती अजशमा तथा सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
17.04.2015	40,000.00
29.06.2015	32,000.00
30.06.2015	35,250.00
26.10.2015	65,000.00
योग	172,250.00

प्रस्तर—10 ग्राम पंचायत रसूलपुर हमीर वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त से 3,53,600.00 खर्च विभिन्न मदों पर किया गया है। पुष्टि में व्यय वाउचर नहीं पाये गये हैं। पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि में वाउचर नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती अजशमा तथा सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— ललवारा

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—11 ग्राम पंचायत ललवारा में वर्ष 2015—16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तहरवे वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक में दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया

गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री शमीम तथा सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
20.05.2015	50,000.00
26.08.2015	35,000.00
योग	85,000.00

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत ललवारा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से 1,75,314.00 खर्च विभिन्न मदों पर किया गया है। पुष्टि में व्यय चाउचर नहीं पाये गये हैं। पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि में वाउचर नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री शमीम तथा सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— अली नगर

वर्ष 2015-16

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत अली नगर में वर्ष 2015-16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तेहरवें वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक में दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शीला देवी तथा सचिव श्री मौ० कौशर से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
15.04.2015	30,000.00
15.05.2015	40,000.00
17.07.2015	50,000.00
21.09.2015	60,000.00
योग	1,80,000.00

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत अली नगर वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से 3,96,437.00 खर्च विभिन्न मदों पर किया गया है। पुष्टि में व्यय चाउचर नहीं पाये गये हैं। पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि में वाउचर नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती शीला देवी तथा सचिव श्री मौ० कौशर से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— डींगरपुर

वर्ष 2014-15 से 2015-16

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत डींगरपुर में वर्ष 2014-15 से 2015-16 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि खाते से राज्य वित्त व तेहरवें वित्त की निकाली गई धनराशि कैशबुक में दर्ज न करके तथा कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री कामिल हुसैन तथा सचिव श्री मौ० कौशर व जयपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
29.04.2014	62,280.00
29.04.2014	1,23,880.00
03.05.2014	33,270.00
24.06.2014	46,350.00
26.08.2014	86,400.00
29.04.2015	15,000.00
29.05.2015	5000.00
योग	3,72,180.00

विकास खण्ड का नाम—छजलैट
पंचायत का नाम— सदरपुर मतलबपुर

जनपद का नाम— मुरादाबाद
वर्ष 2015—16

प्रस्तर—16 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 31568322932 से धनराशि आहरण किया गया। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक में न कर ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्रा०पं० अधि० श्री अंकित सिंह द्वारा अपहरण किया गया। अपहरित धनराशि रू० 1,49,720.00 की वसूली 50 प्रतिशत राशि ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व बाकी 50 प्रतिशत श्री अंकित सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत् है—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
21.04.2015	155246	5000.00
29.05.2015	155249	5000.00
06.06.2015	039627	54720.00
02.07.2015	039639	5000.00
28.08.2015	039647	10000.00
29.09.2015	039652	50000.00
31.10..2015	039657	10000.00
31.10..2015	039655	10000.00
योग—		149720.00

प्रस्तर—17 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 31568322932 से अंकन 3,84,840.00 का आहरण किया गया, जिसकी व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त राशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्रा०पं० अधि० अंकित सिंह द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व 50 प्रतिशत राशि श्री अंकित कुमार से की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— सुल्तानपुर फलैदा

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—18 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता सं० 31571703478 से वर्ष 2015—16 में आहरित धन के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार सचिव श्री अंकित सिंह व प्रधान श्रीमती महेन्द्रा द्वारा रू० 3,59,146.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली व्याज सहित सचिव व ग्राम प्रधान से 50—50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— खुशहालपुर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—19 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 31568333295 से निम्न विवरणानुसार धन का आहरण किया गया। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक में न कर ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार व ग्रा०पं० अधि० श्री अंकित सिंह द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी वसूली 50—50 प्रतिशत राशि ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
13.04.2015	762453	20,000.0
23.04.2015	762455	5,000.00
27.04.2015	762460	65,835.00
30.06.2015	762465	5,000.00
02.07.2015	762469	5,000.00
14.08.2015	762473	10,000.00
22.08.2015	762477	60,000.00
24.09.2015	762484	5,000.00
26.09.2015	762490	42,500.00
	योग	2,18,335.00

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 31568333295 से पूर्व प्रधान श्री संजीव कुमार व ग्राम सचिव श्री अंकित सिंह द्वारा आहरित धनराशि रु0 2,54,535.00 बिना व्यय प्रमाणक व सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के व्यय दर्शाकार ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया। अपहरित धनराशि की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से वरावबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— पचौकरा खानपुर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 315683337529 से निम्न विवरणानुसार धन का आहरण किया गया। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक में न कर ग्राम प्रधान श्रीमती महावती व ग्रा0पं0 अधि0 श्री अंकित सिंह द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी वसूली 50—50 प्रतिशत राशि ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
23.04.2015	977763	10,000.00
02.06.2015	977767	25,000.00
20.07.2015	977769	15,000.00
03.08.2015	977772	10,000.00
07.08.2015	977774	20,000.00
22.09.2015	977780	27,000.00
19.10.2015	977783	20,000.00
	योग	1,37,000.00

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 315683337529 से प्रधान श्रीमती महावती व ग्राम सचिव श्री अंकित सिंह द्वारा आहरित धनराशि रु0 3,51,300.00 बिना व्यय प्रमाणक व सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के व्यय दर्शाकार ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया। अपहरित धनराशि की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से वरावबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड का नाम—ठाकुरद्वारा

जनपद का नाम— मुरादाबाद

पंचायत का नाम— शिवनगर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देशराज सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अकरम द्वारा ग्राम निधि खाते से आहरण कर व्यय धनराशि की पुष्टि व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	क्रय सामग्री,मस्टर रोल,	धनराशि
10.11.2014	मिट्टी कार्य	8000.00
31.12.2014	ईट क्रय	44650.00
30.04.2015	मिट्टी	16750.00
22.09.2015	मजदूरी	11840.00
	योग	81,240.00

पंचायत का नाम— फैजुल्लागंज

वर्ष 2015—16

प्रस्तर-24 ग्राम निधि खाता संख्या 85882200112475 से निम्न तिथियों में आहरित धनराशि की कैश बुक में प्रविष्टि नहीं की गयी न ही व्यय किया गया। इस धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ऋषिपाल एवं ग्राम पं0 अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा किया गया है।

दिनांक	धनराशि
11.07.2014	80,000.00
13.07.2014	60,000.00
13.08.2015	33,000.00
योग	1,73,000.00

उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

विकास खण्ड का नाम—डिलारी
पंचायत का नाम— बाकरपुर अटायन

जनपद का नाम— मुरादाबाद
वर्ष 2015—16

प्रस्तर—25 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा निम्न तिथियों में ग्राम निधि खाते से आहरण कर व्यय धनराशि की प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गयी है। अतः इस धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गुलिस्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश चन्द्रा द्वारा की गयी है, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
02.07.2015	33,000.00
19.08.2015	44,000.00
14.03.2016	25,000.00
28.03.2016	30,000.00
योग	132000.00

पंचायत का नाम— सिडलउ नजरपुर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—26 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री जागीर द्वारा ग्राम निधि खाते से आहरण कर व्यय धनराशि की पुष्टि व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	क्रय सामग्री, मस्टर रोल,	धनराशि
09.04.2015	ईट	55006.00
09.04.2015	सीमेंट	37853.00
18.04.2015	मजदूरी	23360.00
18.04.2015	मिट्टी क्रय	19000.00
14.08.2015	ईट	70265.00
14.08.2015	मस्टर रोल व मजदूरी	20440.00
23.09.2015	मिट्टी क्रय	26500.00
	योग	252424.00

विकास खण्ड का नाम—भगतपुर टांडा
पंचायत का नाम— भानपुर गजरौला

जनपद का नाम— मुरादाबाद
वर्ष 2015—16

प्रस्तर—27 दिनांक 27.08.2015 को बैंक खाते से ₹ 5,000 आहरित किया गया है, किन्तु इसे कोषवही में दर्ज न करके अपहरण किया गया है। इससे सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक भी मौजूद नहीं रहा। इसलिए ₹ 5000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मोहिनी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज कुमार से बराबर— बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—28 चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से निम्नांकित व्यय बिना वर्क आई0 डी0 जनरेट किये हुए तथा खरीद सामग्री बिना कोटेशन व टेण्डर के नगद भुगतान करते हुए अनियमित रूप से 14 वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के विपरीत व्यय किया जाना पूर्णरूप से अनियमित रहा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल देव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज कुमार की होती है। आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दिनांक

12.02.2016

व्यय का विवरण

मजदूरी भुगतान

धनराशि

104860.00

12.02.2016	20000 ईट	100000.00
23.02.2016	22.5 घन मी0 रोड़ा	19125.00
23.02.2016	250 बोरी सीमेंट	87500.00
23.02.2016	10000 ईट	50000.00
23.02.2016	52.98 घन मी0 रेत	37086.00

पंचायत का नाम— रानी नांगल

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—29 दिनांक 15.04.2015 को रू0 55,000.00 एवं दिनांक 08.06.2015 को रू0 15,000.00 कुल रू0 70,000.00 बैंक खाते से आहरित किया गया है, जिसका लेखा कैश बुक में नहीं किया गया। तथा इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे स्पष्ट होता है कि आहरित धन का अपहरण किया गया है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान श्रीमती आशमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय आशीष की होती है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम— मंगावाला

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—30 दिनांक 14.08.2014 को रू0 30,000.00 एवं दिनांक 17.11.2014 को रू0 22500.00 कुल रू0 52500.00 बैंक खाते से आहरित किया गया है, जिसका लेखा कैशबुक में नहीं किया गया है तथा इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि आहरित धन का अपहरण किया गया है। जिसकी जिम्मेदारी प्रधान श्री सरफराज अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज कुमार की होती है। इनसे बराबर बराबर का वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड का नाम—बिलारी

जनपद का नाम— मुरादाबाद

पंचायत का नाम— बलकरनपुर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—31 ग्राम पंचायत बलकरनपुर वर्ष 2015—16 में ग्राम निधि खाता संख्या 3159262483 (एस0बी0आई बिलारी) में दिनांक 31.03.2016 को रू0 607028.00 रू0 अवशेष दर्शित है। उपरोक्त धन का न तो समयान्तर्गत विकास कार्यों में उपयोग न किया गया गया है, न ही शासन एवं विभाग को वापस किया गया, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप विकास हेतु भेजा गया धन अनियमित रूप से रूका रहा, इसके लिए तत्कालीन सचिव श्री विकास त्यागी एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती आदेश कुमारी उत्तरदायी है। आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड का नाम—मुरादाबाद

जनपद का नाम मुरादाबाद

पंचायत का नाम—सोनकपुर देहात

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—32 वर्ष 2015—16 की लेखा परक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि 1 के खाते से रू0 229537.00 का आहरण करके निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है—

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
15.03.2016	लेबर भुगतान	40000.00
16.03.2016	ईट क्रय हेतु भुगतान	31122.00
16.03.2016	सीमेंट क्रय हेतु भुगतान	15490.00
16.03.2016	बजरी बजरफुट हेतु भुगतान	30360.00
16.03.2016	ईट क्रय हेतु भुगतान	10260.00
18.03.2016	मिटटी कार्य हेतु भुगतान	9801.00

28.03.2016	सीमेन्ट क्रय हेतु भुगतान/ बजरफूट	47665.00
29.03.2016	लेबर भुगतान	10,000.00
30.03.2016	कंक्रीट क्रय हेतु भुगतान	34839.00
	योग	229537.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बजट, तथा एम0बी0 आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री सौकत हुसैन व ग्राम विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार द्वारा संयुक्त रूप से धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली दोनों से 50 50 प्रतिशत के साथ ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

पंचायत का नाम—सलेमपुर बंगर

वर्ष 2015—16

प्रस्तर—33 वर्ष 2015—16 की लेखा परक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि 1 के खाते से रू0 185500.00 का आहरण करके निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है—

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
24.04.2015	सीमेन्ट क्रय हेतु भुगतान	14000.00
24.04..2015	ईट क्रय हेतु भुगतान	40000.00
20.05.2015	लेबर भुगतान	23500.00
11.08.2015	सीमेन्ट क्रय हेतु भुगतान	33275.00
19.08..2015	सीमेन्ट क्रय हेतु भुगतान	25000.00
21.09..2015	ईट क्रय हेतु भुगतान	26000.00
21.09..2015	सीमेन्ट क्रय हेतु भुगतान	21929.00
21.09..2015	रेत क्रय हेतु भुगतान	1796.00
	योग	185500.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बजट, तथा एम0बी0 लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बिना कार्य कराये ही बैंक से धन आहरित करके ग्राम प्रधान श्री कलुआ सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली दोनों से 50 50 प्रतिशत के साथ ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

जनपद— रामपुर

जनपद का नाम:— रामपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

विकास खण्ड:—बिलासपुर

ग्राम पंचायत का नाम:— अहरो

लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर—1 ग्राम पंचायत अहरो की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से व विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 777000.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 2 दिनांक 22.05.2015 को रु0 30000.00, 20.08.2018 को रु0 100000.00 ग्राम प्रधान श्री कमरयार खां द्वारा उक्त धनराशि का बैंक से आहरण किया गया। इतनी अधिक धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा आहरण करने के कारण ले0 प0 में आज्ञात रहा। पुष्टि में कोई अभिलेख न था अतः आहरित धनराशि अपुष्ट रही अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री कमरयार खां तथा सचिव से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—3 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु 1140089.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 1140089.00 (रु— ग्यारह लाख चालीस हजार नवासी मात्र) को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम:— रामपुरइ

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

विकास खण्ड:—बिलासपुर

ग्राम पंचायत का नाम:—बिड़ऊ

लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—4 ग्राम पंचायत बिड़ऊ की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से व विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 526534.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—5 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—595866.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु—595866.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम:— रामपुर
मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

विकास खण्ड:—बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:— दलकी
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत दलकी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 293884.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-7 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-399483.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु- 399483.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवर्द्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम:— रामपुर
मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

विकास खण्ड:—बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:— दिबदिबा
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत दिबदिबा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से व विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 309326.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 9 निम्नांकित दिनांकों में श्री सुरेश कुमार गुप्ता ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के (राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त) खातों से रु0 117300.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः समस्त धनराशि अपुष्ट रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम सचिव द्वारा श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा किस विभागीय नियम के अन्तर्गत पंचायत के खातों से स्वयं के नाम से धनराशि रु0 117300.00 का आहरण किया गया जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्मा /मजदूरो आदि को धनराशि का भुगतान चौको द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट है यह समस्त धनराशि ग्राम सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा आहरित कर अपहरण कर लया गया है। अतः समस्त धनराशि ब्याज सहित सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता तथा ग्राम प्रधान से वसूल की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार त्वरित विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-10 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-1854576.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं

किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 1854576.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

विकास खण्ड:—बिलासपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:—गजरौलालेखा

परीक्षा वर्ष :- 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—11 ग्राम पंचायत गजरौला की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 391000.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—12 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—429755 .00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 429755.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

विकास खण्ड:—बिलासपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:—गोधी

लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—13 ग्राम पंचायत गोधी की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 880914.00की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—14 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—592303 .00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 592303.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

विकास खण्ड:—बिलासपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:—हमीदाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर—15 ग्राम पंचायत हमीदाबाद की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से व विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 361269.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 16 निम्नांकित दिनांकों में श्री सुरेश कुमार गुप्ता ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के (राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त) खातों से रू0 40000.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः समस्त धनराशि अपुष्ट रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम सचिव द्वारा श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा किस विभागीय नियम के अन्तर्गत पंचायत के खातों से स्वयं के नाम से धनराशि रू0 40000.00 का आहरण किया गया जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्मा /मजदूरो आदि को धनराशि का भुगतान चौको द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट है यह समस्त धनराशि ग्राम सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। अतः समस्त धनराशि ब्याज सहित सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता तथा ग्राम प्रधान से वसूल जाना अपेक्षित है। इस प्रति त्वरित त्वरित विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—17 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रू—1053520.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रू— 1053520.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवर्द्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

विकास खण्ड:—बिलासपुर

ग्राम पंचायत का नाम:—हामिदनगर

लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—18 ग्राम पंचायत हामिदनगर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 200480.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—19 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रू—463024.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं

किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 463024.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर
मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

विकास खण्ड:—बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:—हसनपुर
लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—20 ग्राम पंचायत हसनपुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 301342.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—21 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—302410.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 302410.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर
मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

विकास खण्ड:—बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:—जिठानियाँ जागीर
लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—22 ग्राम पंचायत जिठानियाँ जागीर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 192000.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—23 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—250675.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 250675.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर
मण्डल का नाम:- मुरादाबाद

विकास खण्ड:-बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:-महेशपुरा
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर:-24 ग्राम पंचायत महेशपुरा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 332270.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही । व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-25 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-446531.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु-446531.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर
मण्डल का नाम:- मुरादाबाद

विकास खण्ड:-बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:-महुनगर
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर:-26 ग्राम पंचायत महुनगर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1267000.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही । व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-27 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-1363521.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु- 1363521.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर

विकास खण्ड:-बिलासपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:—मनिहार खेड़ा
लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर—28 ग्राम पंचायत मनिहार खेड़ा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से व विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 254250.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 29 निम्नांकित दिनांकों में श्री सुरेश कुमार गुप्ता ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के (राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त) खातों से रू0 410500.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः समस्त धनराशि अपुष्ट रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम सचिव द्वारा श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा किस विभागीय नियम के अन्तर्गत पंचायत के खातों से स्वयं के नाम से धनराशि रू0 410500.00 का आहरण किया गया जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्मा /मजदूरो आदि को धनराशि का भुगतान चौको द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट है यह समस्त धनराशि ग्राम सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। अतः समस्त धनराशि ब्याज सहित सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता तथा ग्राम प्रधान से वसूल जाना अपेक्षित है। इस प्रति त्वरित त्वरित विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—30 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रू—554587 .00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में अवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रू— 554587.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबादग्राम

विकास खण्ड:—बिलासपुर

पंचायत का नाम:—मनकरा

लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—31 ग्राम पंचायत मनकरा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 262534.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—32 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रू—358303.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में अवरुद्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं

किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 358303.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

विकास खण्ड:—बिलासपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:—मिर्जापुर

लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—33 ग्राम पंचायत मिर्जापुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 265000.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—34 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—380286.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 380286.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

विकास खण्ड:—बिलासपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:—नरखेडा

लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—35 ग्राम पंचायत नरखेडा की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 397000.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—36 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—566505.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु—566505.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर

विकास खण्ड:—बिलासपुर

मण्डल का नाम:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:-नूरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर:-37 ग्राम पंचायत नूरपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 377000.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-38 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-482118.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु- 482118.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवर्द्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर

विकास खण्ड:-बिलासपुर

मण्डल का नाम:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम:-पिपलिया जट्ट

लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर:-39 ग्राम पिपलिया जट्ट की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 438137.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-40 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-626216.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु- 626216.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवर्द्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर

विकास खण्ड:-बिलासपुर

मण्डल का नाम:— मुरादाबाद

**ग्राम पंचायत का नाम:—रामनगर
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015—16**

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—41 ग्राम पंचायत रामनगर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 191950.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही । व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—42 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—409077.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 409077.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

**जनपद का नाम:— रामपुर
मण्डल का नाम:— मुरादाबाद**

**विकास खण्ड:—बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:—रम्पुरा बुजूर्ग
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015—16**

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—43 ग्राम पंचायत रम्पुरा बुजूर्ग की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी विकास खण्ड कार्यालय से बार—बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षा की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 440614.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही । व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—44 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु—648947.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु— 648947.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

**जनपद का नाम:— रामपुर
मण्डल का नाम:— मुरादाबाद**

**विकास खण्ड:—बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:—चंदायन
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015—16**

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत चंदायना की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से व विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 78650.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 46 निम्नांकित दिनांकों में श्री सुरेश कुमार गुप्ता ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के (राज्य वित्त/तेरहवों वित्त) खातों से रु0 65800.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः समस्त धनराशि अपुष्ट रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम सचिव द्वारा श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा किस विभागीय नियम के अन्तर्गत पंचायत के खातों से स्वयं के नाम से धनराशि रु0 65800.00 का आहरण किया गया जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्मा /मजदूरो आदि को धनराशि का भुगतान चौको द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट है यह समस्त धनराशि ग्राम सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा आहरित कर अपहरण कर लया गया है। अतः समस्त धनराशि ब्याज सहित सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता तथा ग्राम प्रधान से वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति त्वरित त्वारित विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-47 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-384073.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु- 384073.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवर्द्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर
मण्डल का नाम:- मुरादाबाद

विकास खण्ड:-बिलासपुर
ग्राम पंचायत का नाम:-करसौला
लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत कसौला की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से व विकास खण्ड कार्यालय से बार-बार सम्पर्क किया गया परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रु0 194342.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 49 ग्राम प्रधान श्री होरी लाल द्वारा रु0 445000.00 धनराशि का बैंक से आहरण किया गया। इतनी अधिक धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा आहरण करने के कारण ले0 प0 में आज्ञात रहा। पुष्टि में कोई अभिलेख न था अतः आहरित धनराशि अपुष्ट रही अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री होरी लाल तथा सचिव से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-50 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में रु-624758.00 अवशेष रहा जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में उवर्द्ध रखा तथा वर्षांत में संबंधित विभाग को वापिस भी नहीं

किया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु- 624758.00 को अनावश्यक रूपसे रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम—रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद।
ग्राम पंचायत का नाम—इमरता लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

प्रस्तर—51 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० 14730200000225 के अनुसार विभिन्न दिनांको में असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट तथा रईस सीमेन्ट स्टोर से सीमेन्ट क्रय कुल रु० 1,95,000.00 (रु० एक लाख पिन्चानवे हजार मात्र) का किया जाना दर्शित है। आहरित धनराशि के भुगतान हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 1,95,000.00 (रु० एक लाख पिन्चानवे हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली किया जाना आपेक्षित रहा।

प्रस्तर—52 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000225 के अनुसार भारत ब्रिक्स ईट से दिनांक 30. 04.2015 को रु० 14,000.00 (रु० चौदह हजार मात्र) का ईट क्रय किया जाना दर्शित है। किये गये भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे जो कि लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 14,000.00 (रु० चौदह हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—53 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000225 के अनुसार विभिन्न दिनांको में धनराशि का ट्रांसफर कमशः 147302/44, 456602/1 एवं 147301/9282 को कुल रु० 6,55,000/- (रु० छः लाख पचपन हजार मात्र) का किया जाना दर्शित है। यह धनराशि किस बावत किया गया है, अज्ञात रहा? भुगतान किये गये धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, लो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8 तथा खण्ड—8ख एवं पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत है व धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 6,55,000/- (रु० छः लाख पचपन हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—54 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000225 के अनुसार ग्राम पंचायत अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी रु० 1,37,173/- (रु० एक लाख सैतीस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) का दर्शित है किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जो कि अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8क तथा खण्ड—8ख एवं पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत है व धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः सम्बन्धित धनराशि रु० 1,37,173/- (रु० एक लाख सैतीस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूल किया जाना आपेक्षित रहा।

प्रस्तर—55 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000225 के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षन्त में रु० 14,17,983.00 (रु० चौदह लाख सत्रह हजार नौ सौ तिरासी मात्र) अवशेष रहा। जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे, जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में न करके उसको बैंक खाते में अवरुद्ध रखा तथा वर्षान्त में सम्बन्धित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु० 14,17,983 (रु० चौदह लाख सत्रह हजार नौ सौ तिरासी मात्र) को अनावश्यक रूप से रोककर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम—रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद।
ग्राम पंचायत का नाम—नगलिया आकिल लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

प्रस्तर—56 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000229 के अनुसार असरारआयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर तथा सिददीकी सीमेन्ट स्टोर को विभिन्न दिनांको मे कुल रू० 7,63,000.00 (रू० सात लाख तिरैसठ हजार मात्र) बावत सीमेन्ट कय हेतु भुगतान किया गया दर्शित है, परन्तु किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 7,63,000.00 (रू० सात लाख तिरैसठ हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली किया जाना आपेक्षित रहा।

प्रस्तर—57 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000229 के अनुसार पी०एस ईट से दिनांक 21.05.2015 को रू० 2,50,000.00/— (रू० दो लाख पचास हजार मात्र) का बावत ईट कय हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है, परन्तु किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 2,50,000.00 (रू० दो लाख पचास हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली किया जाना आपेक्षित रहा।

प्रस्तर—58 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000229 के अनुसार शमसी इलैक्ट्रीकल एवं कपूर इलैक्ट्रीकल को विभिन्न दिनांको मे कुल रू० 1,42,000/— (रू० एक लाख बयालिस हजार मात्र) बावत इलैक्ट्रिक सामान कय हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है, परन्तु किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 1,42,000/— (रू० एक लाख बयालिस हजार मात्र)— को ब्याज के साथ सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली के लिए ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—59 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000229 के अनुसार श्रीमती हसीना बानो को विभिन्न दिनांको मे कुल रू० 1,00,000/— (रू० एक लाख मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है। यह भुगतान किस बावत किया गया है? लेखा परीक्षा मे किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः लेखा मैनुअल के उपरोक्त नियमानुसार अपहरण है और अधिभार योग्य है। सम्बन्धित धनराशि रू० 1,00,000/— (रू० एक लाख मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली किया जाना आपेक्षित रहा।

प्रस्तर—60 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000229 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा फुटकर व्यय सम्बन्धी कुल रू० 2,04,197/— (रू० दो लाख चार हजार एक सौ सत्तानवे मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है। किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 2,04,197/— (रू० दो लाख चार हजार एक सौ सत्तानवे मात्र) को ब्याज के साथ सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली के लिए ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—61 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730200000229 के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त मे कुल रू० 20,60,221.72 (रू० बीस लाख साठ हजार सौ सौ इक्कसी रुपये एवं बहत्तर पैसे मात्र) अवशेष रहा, जो कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये थे, जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा किस कार्यो मे न करके उसको खाते मे अवरुद्धरखा वर्षान्त मे सम्बन्धित विभाग को वापिस नही किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा उक्त धनराशि रू० 20,60,221.72 (रू० बीस लाख साठ हजार सौ सौ इक्कसी रुपये एवं बहत्तर पैसे मात्र) को अनावश्यक रूप से रोककर विकास कार्यो को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है जिस ओर विभागीय अधिकारियो का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम—रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद।

ग्राम पंचायत का नाम—हमीरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

प्रस्तर—62 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० — 10990200000105 के अनुसार विभिन्न दिनांको मे असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर तथा कार्तिक सीमेन्ट स्टोर से कुल रू० 3,99,000,00 (रू० तीन लाख निन्यानवे हजार मात्र) का सीमेन्ट कय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा मे किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम —1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 3,99,000,00 (रू० तीन लाख निन्यानवे हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—63 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं०. — 10990200000105 के अनुसार दिनांक 08.04.2015 को रामपुर सादक (सड़क) के पक्ष मे रू० 1,00,000,00 (रू० एक लाख मात्र) का अपहरण किया जाना दर्शित है। किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। तथा यह भी अस्पष्ट रहा कि यह धनराशि किस बावत आहरित की गयी थी? अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम —1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 1,00,000,00 (रू० एक लाख मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—64 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं०. — 10990200000105 के अनुसार विभिन्न दिनांको मे ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद इकलाख द्वारा कुल रू० 1,80,000,00/— (रू० एक लाख अस्सी हजार मात्र) का आहरण किया जाना दर्शित है। आहरित किये गये धनराशि के भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, अन्य सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा व्यय प्रमाणक एवं भुगतान प्रमाणक अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम —1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 1,80,000,00/— (रू० एक लाख अस्सी हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—65 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० — 10990200000105 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर कुल व्यय कुल रू० 2,60,916/— (रू० दो लाख साठ हजार नौ सौ सोलह मात्र) किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा मे किये गये अन्य फुटकर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम —1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 2,60,916/— (रू० दो लाख साठ हजार नौ सौ सोलह मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर—66 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० — 10990200000105 के आलोच्य वर्ष के वर्षान्त मे कुल कुल रू० 14,88,918/— (रू० चौदह लाख अट्ठासी हजार नौ सौ अट्ठराह मात्र) अवशेष दर्शित है, जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को योजनान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया था, जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा न करके खाते मे अवरूद्ध रखा गया। अप्रयुक्त धनराशि को वर्षान्त मे वापिस सम्बन्धित विभाग को किया जाना चाहिए था, जो नही किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू० 14,88,918/— (रू० चौदह लाख अट्ठासी हजार नौ सौ अट्ठराह मात्र) को अनावश्यक रूप से रोककर विकास कार्यों को अवरूद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है, जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपदका नाम—रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद।

ग्राम पंचायत का नाम—सींगनखेड़ा

लेखा परीक्षा 2015—16

प्रस्तर—67 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं०— 14720100000216 के आधार पर असरार एण्ड सीमेन्ट स्टोर को विभिन्न दिनांको मे कुल रू० 11,32,000,00 (रू० ग्यारह लाख बत्तीस हजार मात्र) का भुगतान सीमेन्ट कय हेतु किया गया दर्शित है, परन्तु किये गये भुगतान का व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत

रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू0 11,32,000,00 (रू0 ग्यारह लाख बत्तीस हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-68 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं0. - 14720100000216 के आधार पर चौधरी भट्टा (ईट उद्योग) को दिनांक 22.04.2015 को रू0 1,00,000,00 (रू0 एक लाख मात्र) का भुगतान ईट क्रय हेतु किया जाना दर्शित है, परन्तु किये गये भुगतान का व्यय प्रमाणक (बाउचर) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू0 1,00,000,00 (रू0 एक लाख मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-69 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं0. - 14720100000216 के आधार पर प्रधान श्री अत्तर सिंह को विभिन्न दिनांको में रू0 1,06,500,00 (रू0 एक लाख छः हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है। यह भुगतान किस बावत किया गया? लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू0 1,06,500,00 (रू0 एक लाख छः हजार पांच सौ मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-70 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं0. - 14720100000216 के आधार पर दिनांक 21.09.2015 कैनल इलै0कार्पो को रू0 9,500/- (रू0 नौ हजार पांच सौ मात्र) का किस बावत किया गया? का प्रमाणक अप्राप्त रहा है। अतः लेखा मैनुअल के उपरोक्त नियम के आधार पर उक्त धनराशि रू0 9,500/- (रू0 नौ हजार पांच सौ मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-71 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं0. - 14720100000216 के आधार विभिन्न दिनांको में ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी कुल रू0 5,70,885/- (रू0 पांच लाख सत्तर हजार आठ सौ पिच्चासी मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू0 5,70,885/- (रू0 पांच लाख सत्तर हजार आठ सा पिच्चासी मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-72 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं0. - 14720100000216 के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में कुल कुल रू0 25,23,753/- (रू0 पच्चीस लाख तेईस हजार सात सौ तिरेपन मात्र) अवशेष दर्शित है। जो कि विभिन्न योजनान्तर्गत गांव के विकास के लिए उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा न करके उसे खाते में रोककर रख गया। अप्रयुक्त धनराशि को वर्षान्त में सम्बन्धित विभाग को वापिस भी नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा उक्त धनराशि रू0 25,23,753/- (रू0 पच्चीस लाख तेईस हजार सात सौ तिरेपन मात्र) को अनावश्यक रूप से रोककर विकास कार्यो को अवरुद्ध कर उसका उपयोग किया गया है, जिस ओर विभगीय अधिकारियो का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपदका नाम-रामपुर

ग्राम पंचायत का नाम-काशीपुर

वि0ख0-सैदनगर

मण्डल का नाम-मुरादाबाद।

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों-

प्रस्तर-73 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730100012378 के अनुसार शावेज ट्रेडर्स को बावत सीमेन्ट क्रय हेतु रू० 4,92,000,00 (रू० चार लाख बयानवे हजार मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 4,92,000,00 (रू० चार लाख बयानवे हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-74 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730100012378 के अनुसार विभिन्न दिनांको को नवाब ब्रिक्स को बावत ईट क्रय हेतु रू० 3,30,000,00 (रू० तीन लाख तीस हजार मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 3,30,000,00 (रू० तीन लाख तीस हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-75 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730100012378 के अनुसार विभिन्न दिनांको में ब्लू डायमण्ड टैक्क को बावत बिजली के समान हेतु कुल रू० 1,36,800 (रू० एक लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 1,36,800 (रू० एक लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-76 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730100012378 के अनुसार दिनांक 18.09.2015 न्यू भारत ईट को क्रय हेतु रू० 80,000 (रू० अस्सी हजार मात्र) दर्शित है। जबकि किये गये भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 80,000 (रू० अस्सी हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-77 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730100012378 के अनुसार दिनांक 15.09.2015 को के०एन० श्री इण्टर प्राइजेज को रू० 19,000 (रू० उन्नीस हजार मात्र) भुगतान किया गया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणक अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 19,000 (रू० उन्नीस हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-78 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730100012378 के अनुसार ग्राम प्रधान श्री नफीस अहमद को विभिन्न दिनांको में कुल रू० 3,95,000 (रू० तीन लाख पिच्चानवे हजार मात्र) भुगतान किया गया जाना दर्शित है। किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 3,95,000 (रू० तीन लाख पिच्चानवे हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-79 बैंक स्टेटमेन्ट के अकाउण्ट नं० - 14730100012378 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा फुटकर व्यय सम्बन्धी रू० 4,22,905,75 (रू० चार लाख बाइस हजार नौ सौ पांच रुपये पिछत्तर पैसे मात्र) भुगतान किया जाना दर्शित है। जबकि लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा, जो कि जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू० 4,22,905,75 (रू० चार लाख बाइस हजार नौ सौ पांच रुपये पिछत्तर पैसे मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-80 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं० – 14730100012378 के अनुसार आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में कुल ₹0 28,84,003.21 (₹0 अट्ठाईस लाख चौरासी हजार तीन सौ रुपये एवं इक्कीस पैसे मात्र) अवशेष दर्शित है। जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को योजनान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया था। अप्रयुक्त धनराशि वर्षान्त में वापिस सम्बन्धित विभाग को किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा उक्त धनराशि कुल ₹0 28,84,003.21 (₹0 अट्ठाईस लाख चौरासी हजार तीन सौ रुपये एवं इक्कीस पैसे मात्र) को अनावश्यक रूप से रोककर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है, जिस विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम—रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद।
ग्राम पंचायत का नाम—अलीगंज बेनजीर लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

प्रस्तर-81 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं०. – 14730100012371 के आधार पर निम्न सीमेंट कय भुगतान किया जाना दर्शित है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
06.05.2015	3,00,000 /—	असरार आयस एण्ड सीमेंट स्टोर
03.07.2015	2,60,000 /—	असरार आयस एण्ड सीमेंट स्टोर
योग	5,60,000 /—	

लेखा परीक्षा में भुगतान किये गये भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (बाउचर) अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि ₹0 5,60,000 /— (₹0 पांच लाख साठ हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-82 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं०. – 14730100012371 के आधार पर श्रीमती राधा तोमर को विभिन्न दिनांको में भुगतान किया जाना दर्शित है।

दिनांक	धनराशि
06.05.2015	1,60,000 /—
21.08.2015	6,60,000 /—
10.09.2015	1,45,000 /—
09.11.2015	5,000 /—
योग	9,70,000 /—

यह भुगतान किस बावत एवं किस कार्य हेतु किया गया, का व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रुपये 9,70,000 /— (नौ लाख सत्तर हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-83 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं० – 14730100012371 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी ₹0 17,300 /— (सत्रह हजार तीन सौ मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि ₹0 17,300 /— (सत्रह हजार तीन सौ मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-84 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं०. – 14730100012371 के आधार पर आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में रु० 12,00,155 /— अवशेष दर्शित है। जो कि ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। जिसको उपयोग ग्राम पंचायत ने नहीं किया तथा सरकारी धन को खाते में रोककर रखा। अप्रयुक्त धनराशि को अनावश्यक रूप से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है, जिस और विभागीय अधिकारियों ध्यानाकर्षित किया जाता है।

जनपदका नाम—रामपुर
ग्राम पंचायत का नाम—सैदनगर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद।
लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

प्रस्तर-85 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं०. – 10990200000115 के आधार पर निम्न दिनांको में सीमेंट क्रय का भुगतान किया जाना दर्शित है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
06.04.2015	42,00 /—	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
20.04.2015	10,000 /—	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
07.05.2015	30,000 /—	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
07.05.2018	20,000 /—	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
18.06.2015	50,000 /—	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
07.04.2015	35,000 /—	असगर आयस एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.08.2015	30,00 /—	असगर आयस एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.08.2015	40,000 /—	हर्षित सीमेन्ट स्टोर
योग	2,19,200 /—	

लेखा परीक्षा में भुगतान किये गये उक्त धनराशि प्रमाणक (बाउचर) अप्राप्त रहा, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख अन्तर्गत अपहरण और अधिभाग योग्य है। अतः सम्बन्ध धनराशि रुपये 2,19,200.00 (दो लाख उन्नीस हजार दो सौ मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है

प्रस्तर-86 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं०. – 10990200000115 के आधार पर निम्न दिनांको में ईट क्रय का भुगतान किया जाना दर्शित है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
06.04.2015	70,000 /—	चौधरी भट्टा
20.04.2015	20,000 /—	चौधरी भट्टा
05.05.2015	40,000 /—	चौधरी भट्टा
05.05.2018	60,000 /—	चौधरी भट्टा
07.05.2015	30,000 /—	चौधरी भट्टा
23.05.2015	15,000 /—	चौधरी भट्टा
योग	2,35,000 /—	

लेखा परीक्षा में भुगतान किये गये उक्त धनराशि रुपये 2,35,000 /— का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख अन्तर्गत अपहरण और अधिभाग योग्य है। अतः सम्बन्ध धनराशि रुपये 2,35,000 /— (दो लाख पैंतीस हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-87 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं०. – 10990200000115 के आधार पर दिनांक 07.04.2015 को कमल इलोक्ट्रिकल, कारपोरेशन लि० को रु० 17,500 /— (सत्रह हजार पांच सौ मात्र) भुगतान किया जाना दर्शित है, लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय, प्रमाणक अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के

खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख अन्तर्गत अपहरण और अधिभाग योग्य है। अतः सम्बन्ध धनराशि को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-88 श्री अय्यर सिंह को विभिन्न दिनांको मे मिलाकर कुल रु0 59,000 /—(रु0 उनसठ हजार मात्र) का भुगतान दर्शित है। यह भुगतान किस बावत किया गया, का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क एवं 8ख एवं पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभाग योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु0 59,000 /—(रु0 उनसठ हजार मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
28.04.2015	10,000 /—	17.08.2015	1,000 /—
30.04.2015	5,000 /—	20.08.2015	5,000 /—
05.05.2015	18,000 /—	27.08.2015	15,000 /—
		07.09.2015	5,000 /—

प्रस्तर-89 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं0. — 10990200000115 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी रु0 46,444 /—(रु0 छियालिस हजार चार सौ चौवालिस मात्र) का भुगतान किया जाना दर्शित है, जिसके सपेक्ष लेखा परीक्षा मे व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाणक अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड 8क, 8ख एवं पंचायती राज अधिनियम -1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभाग योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु0 46,444 /—(रु0 छियालिस हजार चार सौ चौवालिस मात्र) को ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान से वसूली हेतु ध्यानाकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-90 बैंक स्टेटमेंट के अकाउण्ट नं0- 10990200000115 के आधार पर आलोच्य वर्ष के वर्षान्त मे रु0 1199053.88 अवशेष दर्शित है, जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायतो को योजनान्तर्गत विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन को अवरुद्ध करके बैंक खाते मे रोककर रखा गया है। अप्रयुक्त धन को वर्षान्त मे वापस सम्बन्धित विभाग को किया जाना चाहिए था। अतः उक्त धनराशि रु0 1199053.88(रु0 ग्यारह लाख निन्यानवे हजार तिरेपन एवं अट्ठासी पैसे) को अनावश्यक रूप से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है, जिस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर
ग्राम पंचायत —रायपुर

विकास खण्ड—चमरौआ मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 91— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभाग योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 436000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण

13.07.2015	6000.00	ओम ब्रिक उद्योग
20.07.2015	45000.00	ओम ब्रिक उद्योग
22.07.2015	38000.00	ओम ब्रिक उद्योग
07.11.2015	60000.00	ओम ब्रिक उद्योग
18.04.2015	10000.00	ओम ब्रिक उद्योग
योग	436000.00	

प्रस्तर 92— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 299700.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
18.05.2015	10000.00	ओम सीमेंट स्टोर
10.06.2015	300000.00	ओम सीमेंट स्टोर
20.07.2015	150000.00	ओम सीमेंट स्टोर
26.06.2015	11000.00	ओम सीमेंट स्टोर
02.05.2015	10000.00	कृष्णा सीमेन्ट स्टोर
19.05.2015	33000.00	कृष्णा सीमेन्ट स्टोर
21.05.2015	10000.00	कृष्णा सीमेन्ट स्टोर
01.06.2015	10000.00	कृष्णा सीमेन्ट स्टोर
15.06.2015	45000.00	कृष्णा सीमेन्ट स्टोर
26.06.2015	19200.00	कृष्णा सीमेन्ट स्टोर
26.06.2015	13500.00	कृष्णा सीमेन्ट स्टोर
योग	299700.00	

प्रस्तर 93— ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी रु० 56934.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 56934.00) धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 94— ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में अवशेष 530613.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन को अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोककर रखा गया है। उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.3.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना

चाहिये था । जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 530613.00 धनराशि को अन्यावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर विकास खण्ड—शाहबाद

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

ग्राम पंचायत —निस्बा

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 95— ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.06.2015 में बैंक खाता संख्या— 08610100009425 में ईट खरीद हेतु चैक सं०— 72 से ₹0 29800.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 29800.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 96— ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती द्वारा स्वयं के नाम से बैंक खाता सं० 08610100009425 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत व किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया व्यय प्रमाणक का न होना अपराध की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 72000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
14.05.2015	61	5000.00
14.05.2015	60	27000.00
05.06.2015	63	5000.00
06.06.2015	64	30000.00
29.07.2015	74	5000.00
	योग	72000.00

प्रस्तर 97— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता संख्या—08610100009425 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 209550.00) धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
09.06.2015	70	92050.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
09.06.2015	71	73500.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
07.09.2015	81	44000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
	योग	209550.00	

प्रस्तर 98— ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम श्रीमती राजवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निम्न तालिका के अनुसार व्यक्तियों को बैंक खाता सं० 08610100009425 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत व किस कार्य के सम्बन्ध में किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्य प्रति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्रामपंचायत अधिकारी लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 45975.00) धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	नाम व्यक्ति
16.05.2015	62	5000.00	श्री लाखन सिंह
06.06.2015	65	5000.00	श्री शोभित
10.06.2015	66	4000.00	श्री शोभित
09.06.2015	67	5000.00	श्री इस्लाम
22.07.2015	76	5000.00	श्री इस्लाम
24.07.2015	77	5000.00	श्री इस्लाम
27.06.2015	73	3575.00	श्री अशोक
18.08.2015	79	3400.00	श्री अशोक
16.07.2015	75	5000.00	श्री मोहन लाल
29.07.2015	78	5000.00	श्री राजेश कुमार
	योग	45975.00	

प्रस्तर 99— ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी रु० 4034.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 4034.00) धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 100— ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक खाता सं० 08610100009425 में अवशेष रु० 506386.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन को अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक

कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रू0 506386.00 धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यो को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर

विकास खण्ड—शाहबाद

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

ग्राम पंचायत —पटवाई

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

प्रस्तर 101— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0—9351 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रू0 1206761.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
15.04.2015	92	95000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
06.05.2015	97	32033.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
06.05.2015	93	17000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
13.05.2015	101	70070.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
13.05.2015	105	15882.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
19.05.2015	109	89545.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
26.05.2015	114	61261.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
04.06.2015	118	72495.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
04.06.2015	123	59910.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
10.06.2015	127	37365.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
10.06.2015	131	52171.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
22.06.2015	135	100000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
08.07.2015	142	66106.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
14.07.2015	151	30230.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
14.07.2015	155	36350.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
06.08.2015	164	71774.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
13.08.2015	169	54017.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
09.09.2015	174	64824.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
09.09.2015	178	77134.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
06.08.2015	159	59753.00	गंगवार बिल्डिंग मेटेरियल स्टोर
17.09.2015	184	43841.00	गंगवार बिल्डिंग मेटेरियल स्टोर
	योग	1206761.00	

प्रस्तर 102— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0—9351 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की

धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 473987.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
06.05.2015	94	23044.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
06.05.2015	98	5720.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
12.05.2015	102	15855.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
12.05.2015	106	5218.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
19.05.2015	110	27779.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
26.05.2015	115	19080.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
04.06.2015	119	15506.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
04.06.2015	124	67200.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
10.06.2015	128	41046.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
10.06.2015	132	50748.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
01.07.2015	137	31118.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
08.07.2015	143	26943.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
14.07.2015	152	6689.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
14.07.2015	156	10249.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
06.08.2015	161	13087.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
06.08.2015	165	13382.00	सरस्वती ब्रिक वर्क्स
13.08.2015	170	72277.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
08.09.2015	179	14308.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
08.09.2015	175	14738 .00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड
	योग	473987.00	

प्रस्तर 103— ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी द्वारा स्वयं व अन्य व्यक्तियों के नामों से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता संख्या-9351 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 352582.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	नाम व्यक्ति
13.05.2015	108	4508.00	श्रीमती ऊषा देवी प्रधान
08.09.2015.	182	.15000.00	श्रीमती ऊषा देवी प्रधान
06.05.2015	96	32870.00	श्री विजय
19.05.2015	113	28819.00	श्री विजय
03.06.2015	122	15134.00	श्री विजय

10.06.2015	134	10948.00	श्री विजय
01.07.2015	141	30268.00	श्री विजय
06.8.2015	162	19803.00	श्री विजय
13.08.2015	173	13846.00	श्री विजय
17.09.2015	187	12880.00	श्री विजय
06.05.2015	100	9310.00	श्री शकील अहमद
12.05.2015	104	21413.00	श्री अवरार हुसैन
26.05.2015	117	17388.00	श्री शकील अहमद
04.06.2015	126	16261.00	श्री अवरार हुसैन
04.06.2015	125	9600.00	श्री शहादत हुसैन
11.07.2015	144	1800.00	श्री शहादत हुसैन
14.07.2015	158	10465.00	श्री शहादत हुसैन
14.07.2015	160	3000.00	श्री शफी अहमद
08.09.2015	180	24633.00	श्री शफी अहमद
06.09.2015	167	22540.00	श्री शकील अहमद
08.09.2015	181	41696.00	श्री शकील अहमद
17.09.2015	190	22540.00	श्री फैयाज हुसैन
	योग	352582.00	

प्रस्तर 104— ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर सम्बन्धी व्यय बैंक खाता सं०—9351 से रु० 225236.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे—किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 225236.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 105— ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में अवशेष रु० 1527004.50 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन को अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु० 1527004.50 धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर विकास खण्ड—शाहबाद
ग्राम पंचायत —हिम्मतपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 106— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं०—08610100009361 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 280000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
28.04.2015	207	40000.00	राज ब्रिक फील्ड
28.04.2015	208	40000.00	राज ब्रिक फील्ड
22.05.2015	187	100000.00	राज ब्रिक फील्ड
13.07.2015	211	100000.00	राज ब्रिक फील्ड
योग		280000.00	

प्रस्तर 107— ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी देवी द्वारा स्वयं के नाम से बैंक खाता सं० 086101000009361 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत व किसे—किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 425000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
09.04.2015	203	10000.00
18.04.2015	204	25000.00
18.04.2015	205	25000.00
18.04.2015	206	10000.00
28.04.2015	209	5000.00
07.05.2015	181	15000.00
22.05.2015	186	60000.00
09.06.2015	193	150000.00
07.07.2015	212	100000.00
23.07.2015	213	25000.00
योग		425000.00

प्रस्तर 108— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं०—08610100009361 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा

अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 372000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
11.05.2015	210	5000.00	शिव शक्ति सीमेन्ट स्टोर
02.06.2015	190	10000.00	शिव शक्ति सीमेन्ट स्टोर
18.06.2015	188	10300 .00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
07.07.2015	191	52000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
16.07.2015	192	132000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
19.01.2015	217	70000.00	शिव शक्ति सीमेन्ट स्टोर
	योग	372000.00	

प्रस्तर 109— ग्राम पंचायत द्वारा ईरफान वेल्डर को दिनांक 31.08.2015 को चैक सं0 215 से 10000.00 व दिनांक 28.01.2016 को चैक सं0 218 से 62000.00 का कुल रु0 72000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बैंक खाता सं0 08610100009361 से किया गया। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किया गया सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 72000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 110— ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर सम्बन्धी व्यय रु0 134882 .00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 134882.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 111— ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक खाता सं0 08610100009361 में अवशेष रु0 1422935.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन को अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1422935.00 धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर विकास खण्ड—शाहबाद
ग्राम पंचायत —चकरपुर कदीम

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16

प्रस्तर 112— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 365670.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
16.05.2015	158	40000.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
08.07.2015	170	40000.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
08.07.2015	169	40000.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
05.08.2015	175	40000.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
03.09.2015	177	40000.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
18.09.2015	184	18290.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
18.09.2015	183	66750.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.09.2015	192	40000.00	सुल्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
19.05.2015	157	40000.00	किशन ब्रिक
	योग	365670.00	

प्रस्तर 113— ग्राम पंचायत द्वारा श्री नरेश को हैड पम्प मरम्मत हेतु दिनांक 07.11.2015 को चैक सं0 195 से 4000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव अधिकारी द्वारा किया गया। उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 4000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 114— ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री शाहिद हुसैन/श्रीमती वाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अधिकांशतः श्री जलीस एवं अन्य के नाम से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 223587.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	नाम व्यक्ति
14.05.2015	160	25000	श्री जलीस
14.05.2015	161	25000	श्री जलीस
14.05.2015	159	15000	श्री जलीस

23.06.2015	166	15000	श्री जलीस
03.07.2015	168	25000	श्री जलीस
16.07.2015	172	15000	श्री जलीस
03.09.2015	180	15000	श्री जलीस
18.09.2015	188	26000	श्री जलीस
29.09.2015	193	22500	श्री जलीस
14.05.2015	162	5000	श्री अनेकपाल
29.05.2015	165	18000	श्री महेन्द्र सिंह
26.06.2015	167	5000	श्री राम प्रकाश
10.07.2015	171	5000	श्री भीकम सिंह
18.09.2015	186	7087	श्री फरीद
	योग	223587.00	

प्रस्तर 115— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 154687.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
16.07.2015	173	35000	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
03.09.2015	179	17000	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
03.09.2015	181	20000	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
18.09.2015	185	15187	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
21.09.2015	191	30000	शिव शक्ति सीमेन्ट स्टोर
01.10.2015	194	37500	शिव शक्ति सीमेन्ट स्टोर
	योग	154687.00	

प्रस्तर 116— ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर सम्बन्धी रु० 32410.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 32410.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 117—ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में अवशेष रु० 966087.50 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारीधन को अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु० 966087.50 धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर
ग्राम पंचायत —दीनपुर

विकास खण्ड—चमरौआ

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 118— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 332000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

थदनांक	चैक संख्या	विवरण
05.05.2015	100000.00	शिव शक्ति ब्रिक
27.05.2015	200000.00	शिव शक्ति ब्रिक
12.10.2015	32000.00	शिव शक्ति ब्रिक
योग	332000.00	

प्रस्तर 119— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 855000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

थदनांक	धनराशि	विवरण
08.04.2015	155000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
25.04.2015	65000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
05.05.2015	100000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
08.06.2015	100000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
12.06.2015	25000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
22.08.2015	60000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
11.09.2015	200000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
16.09.2015	50000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
24.09.2015	100000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
योग	855000.00	

प्रस्तर 120— ग्राम पंचायत द्वारा राजीव एण्ड कम्पनी को दिनांक 15.09.2015 को रु० 200000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया । उपरोक्त भुगतान किस बाबत व किसे—किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के

विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 200000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 121— ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी रु0 331536.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 331536.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
16.04.2015	15000.00	रेता खरीद/बंजरपुट
02.05.2015	5000.00	रेता खरीद/बंजरपुट
26.06.2015	4000.00	रेता खरीद/बंजरपुट
18.09.2015	2500.00	रेता खरीद/बंजरपुट
08.04.2015	21000.00	मिट्टी कार्य
24.04.2015	25000.00	मिट्टी कार्य
01.06.2015	55000.00	मिट्टी कार्य
08.06.2015	40000.00	मिट्टी कार्य
10.09.2015	50000.00	मिट्टी कार्य
06.04.2015	1950.00	हैण्डपम्प मरम्मत
01.05.2015	3000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
01.06.2015	35000.00	मजदूरी
12.06.2015	45000.00	मजदूरी
23.09.2015	25000.00	मजदूरी
06.07.2015	2000.00	जैड0 पी0आर0ए0
10.10.2015	2000.00	प्रियासोफ्ट फिडिंग
	86.00	अन्य
योग	331536.00	

प्रस्तर 122— ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में अवशेष रु0 1364207.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन को अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1364207.00 धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर
ग्राम पंचायत —फतेंहपुर
ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

विकास खण्ड—चमरौआ

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर 123— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 342500.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक संख्या	विवरण
09.05.2015	106500.00	शिव शक्ति ब्रिक
07.04.2015	135000.00	श्री गनेश ब्रिक
13.04.2015	21500.00	अयान ब्रिक वर्कस
13.05.2015	19500.00	अयान ब्रिक वर्कस
26.08.2015	60000.00	अयान ब्रिक वर्कस
योग	342500.00	

प्रस्तर 124— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 298000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
08.04.2015	70000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
08.05.2015	24500.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
18.06.2015	60000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
01.09.2015	20000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
06.04.2015	20000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
07.04.2015	50000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
13.04.2015	13500.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
16.06.2015	20000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
20.08.2015	20000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
योग	298000.00	

प्रस्तर 125— ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी रु0 62534.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और

अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 62534.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 126— ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में अवशेष रु0 1128959.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लियें योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन को अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1128959.00 धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:— रामपुर विकास खण्ड:—चमरौआ मण्डल का नाम:— मुरादाबाद
ग्राम पंचायत का नाम:— मैडयान शादी लेखा परीक्षा वर्ष :— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर—127 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांको में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार— बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड क तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु0 75775.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
27.05.2015	8400.00	एस0के0ब्रिक
16.07.2015	22375.00	एस0के0ब्रिक
16.07.2015	45000.00	एस0के0ब्रिक
योग	75775.00	

प्रस्तर—128 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांको में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड क तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु0 86000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
03.05.2015	86000.00	एस0के0 कन्सट्रक्शन
योग	86000.00	

प्रस्तर—129 ग्राम पंचायत द्वारा सिंह ट्रेडर्स को दिनांको 18.05.2015 को रु0 70000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया। उपरोक्त भुगतान किस वावत किया गया सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार

बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 70000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत द्वारा निम्न दिनांकों में विभिन्न चैक संख्याओं के द्वारा राजेन्द्र कुमार एवं दिनेश कुमार को भुगतान किया गया। जो कि तालिका में हैं-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	विवरण
02.06.2015	55	30000.00	राजेन्द्र कुमार
03.09.2015	44	40000.00	दिनेश कुमार
03.09.2015	45	240000.00	दिनेश कुमार
योग	—	94000.00	—

उक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम लेखा परीक्षा के दौरान बार- बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 94000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी रु० 44942.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस वावत व किसे- किसे गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 44942.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वषान्त में बैंक में अवशेष रु० 503614.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन का अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु० :रु० 503614.00 उक्त धनराशि को अन्यावाश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर विकास खण्ड:-चमरौआ

ग्राम पंचायत का नाम:- ककरौआ

मण्डल का नाम:- मुरादाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांको में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 525160.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
06.04.2015	156000.00	हलील ब्रिक
15.04.2015	162000.00	हलील ब्रिक
28.04.2015	47160.00	हलील ब्रिक
12.06.2015	30000.00	हलील ब्रिक
28.08.2015	50000.00	हलील ब्रिक
योग	525160.00	

प्रस्तर-134 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांको में बैंक से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 348118.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
06.04.2015	45650.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
06.04.2015	15000.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
13.04.2015	10000.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
15.04.2015	30650.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
17.04.2015	29650.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
18.04.2015	14000.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
22.04.2015	12000.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
29.04.2015	126500.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
06.05.2015	28000.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
08.05.2015	15000.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
21.08.2015	21668.00	सिद्धकी सीमेन्ट स्टोर
योग	348118.00	

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत द्वारा फैशल ट्रेडर्स को निम्न दिनांकों में भुगतान ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया। उपरोक्त भुगतान किस वावत किया गया सम्बंधी प्रमाणरक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के

अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु0 1407393.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
11.06.2015	95000.00	फैशल ट्रेडर्स
22.08.2015	66668.00	फैशल ट्रेडर्स
28.08.2015	83725.00	फैशल ट्रेडर्स
31.08.201	150000.00	फैशल ट्रेडर्स
07.09.2015	200000.00	फैशल ट्रेडर्स
08.09.2015	50000.00	फैशल ट्रेडर्स
14.09.2015	25000.00	फैशल ट्रेडर्स
16.09.2015	52000.00	फैशल ट्रेडर्स
09.11.2015	300000.00	फैशल ट्रेडर्स
09.11.2015	100000.00	फैशल ट्रेडर्स
10.11.2015	150000.00	फैशल ट्रेडर्स
17.11.2015	60000.00	फैशल ट्रेडर्स
26.11.2015	45000.00	फैशल ट्रेडर्स
योग	1407393.00	

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बंधी रु0 102008.00 का भुगतान किया गया है उक्त भुगतान किस वाव व किसे –किसे किये गये सम्बंधी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु0 102008.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में अवशेष रु0 2125866.50 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन का अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु0 :रु0 2125866.50 उक्त धनराशि को अन्यावाश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम:- रामपुर विकास खण्ड:-चमरौआ मण्डल का नाम:- मुरादाबाद
ग्राम पंचायत का नाम:- खजुरिया लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांको में बैंक से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 257750.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
15.06.2015	56250.00	शिव शक्ति ब्रिक
29.06.2015	52000.00	शिव शक्ति ब्रिक
31.08.2015	62000.00	शिव शक्ति ब्रिक
17.09.2015	87500.00	शिव शक्ति ब्रिक
योग	257750.00	

प्रस्तर-139 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांको में बैंक से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 69320.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
11.04.2015	12000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
07.05.2015	22000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
18.06.2015	10000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
17.09.2015	25320.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
योग	69320.00	

प्रस्तर-140 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बंधी रु० 297066.00 का भुगतान किया गया है उक्त भुगतान किस वाव व किसे-किसे किये गये सम्बंधी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(रु० 297066.00.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-141 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में बैंक में अवशेष रु० 376249.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन का अवरुद्ध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रु० :रु० 376249.00 उक्त धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुद्ध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से विकास कार्यों

को अवरुध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम— रामपुर
ग्राम पंचायत —लखमन नगला

विकास खण्ड—स्वार

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 142— भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर वर्ष 2015—16 में रूपया 7,77,509.00 आमदनी एवं रूपया 2,99,000.00 का व्यय दर्शाया गया है। व्ययों की पुष्टि में बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल, भुगतान रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित ऑडिट तिथि में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा—27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः वर्ष 2015—16 में दर्शित आय व्यय रूपया 2,99,000.00 की पुष्टि में बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल, भुगतान रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अंकन रूपया 2,99,000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मनोज कुमार सचिव एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। व्ययों का विवरण निम्नलिखित है:—

दिनांक	धनराशि	मद	विवरण
02.05.2015	25000.00	सी0सी0 रोड हेतु बजरफुट क्रय व नल मरम्मत	नगद भुगतान
22.05.2015	2000.00	डवलपमेन्ट तथा मेन्टीनेन्स कार्य पर खर्च	नगद भुगतान
15.06.2015	25000.00	सी0सी0 रोड हेतु ईट क्रय तथा नल मरम्मत	नगद भुगतान
17.06.2015	15000.00	सी0सी0 रोड हेतु सीमेन्ट क क्रय व नल मरम्मत	नगद भुगतान
26.05.2015	2000.00	डवलपमेन्ट तथा मेन्टीनेन्स कार्य पर खर्च	नगद भुगतान
15.07.2015	25000.00	सी0सी0 रोड हेतु सीमेन्ट क्रय व नल मरम्मत	नगद भुगतान
22.07.2015	35000.00	ईट क्रय	नगद भुगतान
26.08.2015	10000.00	सी0सी0 रोड हेतु क्रय तथा नल मरम्मत	नगद भुगतान
05.08.2015	5000.00	मिटटी कार्य	नगद भुगतान
12.08.2015	5000.00	हैण्ड पम्प क्रय	नगद भुगतान
25.08.2015	80000.00	—	चैकसंख्या 514059
03.09.2015	35000.00	सी0सी0 रोड हेतु ईट क्रय तथा नल मरम्मत	द्वारा
04.09.2015	20000.00	सी0सी0 रोड हेतु बजरफुट क्रय व नल मरम्मत	नगद भुगतान
09.09.2015	5000.00	सी0सी0 रोड हेतु रेता क्रय व नल मरम्मत	नगद भुगतान
09.09.2015	10000.00	मजदूरी भुगतान	नगद भुगतान
योग	2,99,000.00		

जनपद का नाम— रामपुर
ग्राम पंचायत —दड़ियाल मुस्तेहकम

विकास खण्ड—स्वार

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष— 2015—16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 143— भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर वर्ष 2015—16 में रूपया 34,24,926.00 आमदनी एवं रूपया 13,99,777.00 का व्यय दर्शाया गया है। व्ययों की पुष्टि में बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल, भुगतान रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित ऑडिट तिथि में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों न होना अपहरण की श्रेणी

में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः वर्ष 2015-16 में दर्शित आय व्यय रूपया 13,99,777.00-34=13,99,743.00 की पुष्टि में बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल, भुगतान रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उत्तरदायी श्री हरिओम शर्मा सचिव/ ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती अलसुरमीन ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। व्ययों का विवरण निम्नलिखित है:-

दिनांक	धनराशि	व्यय का मद	विवरण
07.04.2015	1,68,400.00	सीमेन्ट क्रय तथा नल मरम्मत	नगद
13.04.2015	136016.00	सीमेन्ट क्रय तथा नल मरम्मत	नगद
13.04.2015	79862.00	सीमेन्ट व बजरफुट क्रय तथा नल	नगद
13.04.2015	88215.00	मरम्मत	नगद
20.04.2015	179400.00	बजरफुट क्रय तथा नल मरम्मत	नगद
22.04.2015	245950.00	सीमेन्ट व बजरफुट क्रय तथा नल	चैक संख्या-516547
13.05.2015	60000 .00	मरम्मत	चैक संख्या-516550
13.06.2015	34.00	सीमेन्ट बजरफुट क्रय तथा नल	—
15.07.2015	5000.00	मरम्मत	नगद
16.07.2015	5000.00	ईट क्रय व नल मरम्मत	नगद
20.07.2015	5000.00	चैक बुक चार्ज	नगद
20.07.2015	2000.00	रेता क्रय तथा नल मरम्मत	नगद
23.07.2015	50000.00	रेता क्रय तथा नल मरम्मत	नगद
25.07.2015	5000.00	मिटटी कार्य	
30.07.2015	50000.00	कम्प्यूटर फीडिंग हेतु	
31.07.2015	2000.00	सी0सी0 क्रय तथा नल मरम्मत	
28.08.2015	50000.00	रेता क्रय तथा नल मरम्मत	
02.09.2015	2000.00	ईट क्रय तथा नल मरम्मत	
03.09.2015	206800.00	डी0पी0आर0ओ0के0	
14.09.2015	5000.00	सीमेन्ट क्रय तथा नल मरम्मत	
14.09.2015	42600.00	मिटटी कार्य नकद	
29.09.2015	5000.00	सीमेन्ट क्रय तथा नल मरम्मत	
30.09.2015	5000.00	राजेश द्वारा खर्च	
19.11.2015	1500.00	ईट क्रय व नल मरम्मत	
		राजेश द्वारा खर्च	
		रोता क्रय तथा नल मरम्मत	
		मजदूरी भुगतान	
योग	1399777.00		
चैकबुक चार्ज	34.00		
	1399743.00		

(आ0 सं0-18)

मण्डल का नाम:- मुरादाबाद

जनपद का नाम:- रामपुर

विकासखण्ड:-शाहबाद

ग्राम पंचायत का नाम:- पैगुपुरा

लेखा परीक्षा वर्ष :- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर-144 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.04.2015 को बैंक खाता सं0 08610100009375 से सीमेन्ट खरीद हेतु नेहा सीमेन्ट स्टोर को ₹0 8600.00 भुगतान किया गया। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(₹0 8600.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-145 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार को ₹0 10,000.00 भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती सलीम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बैंक खात सं0- 08610100009375 से भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस वावत व किस कार्य के सम्बंध में किया गया सम्बंधी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः(₹0 10,000.00) उक्त धनराशि ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव /अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-146 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष वर्षान्त में बैंक खाता सं0- 08610100009375 में अवशेष ₹0 12,17,967.00 दर्शित है जबकि यह धनराशि ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिये योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी जिसका ग्राम पंचायत ने उपयोग नहीं करके सरकारी धन का अवरुध करके बैंक खाते में रोक कर रखा गया है उक्त धन को उपयोग न कर पाने की दशा में वर्षान्त में 31.03.2016 को धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये था जिससे उसका उपयोग अन्य ग्राम पंचायतों के विकास में किया जा सकता था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 :₹0 12,17,967.00 उक्त धनराशि को अनावश्यक तरीके से रोक कर विकास कार्यों को अवरुध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से विकास कार्यों को अवरुध कर उसका दुरुपयोग किया गया है। जिस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

जनपद का नाम- रामपुर विकास खण्ड-स्वार
ग्राम पंचायत -मिलक नौ खरीद

मण्डल का नाम-मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 147- भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर वर्ष 2015-16 में रुपया 1066951.00 आमदनी एवं रुपया 694958.00 का व्यय दर्शाया गया है। व्ययों की पुष्टि में बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल, भुगतान रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित ऑडिट तिथि में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः वर्ष 2015-16 में दर्शित आय व्यय रुपया 694958-258=694700.00 की पुष्टि में बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल, भुगतान रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उत्तरदायी श्री हरिओम शर्मा सचिव/ ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती अलसुरमीन ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। व्ययों का विवरण निम्नलिखित है:-

दिनांक	धनराशि	व्यय का मद	विवरण

10.04.2015	319000	सी0सी0 रोड व नल पर खर्च	चैक संख्या 585862
28.04.2015	187200		चैक संख्या 585863
18.06.2015	85000	सी0सी0 रोड निर्माण व नल पर खर्च	चैक संख्या 585864
18.08.2015	103500	सी0सी0 रोड निर्माण व नल पर खर्च	चैक संख्या 585865
योग	694958		
04.12.2015	(-)258	बैंक चार्ज	
कुल योग	694700		

(आ0 सं0-18)

**जिला का नाम— सम्भल मण्डल का नाम — मुरादाबाद
ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण —**

ग्राम पंचायत—बटौआ वर्ष 2015—16 विकास खण्ड—सम्भल, जनपद सम्भल।

प्रस्तर —01

वर्ष आडिट में ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि का उपभोग विकास कार्यों में व्यय न करके 110000.00 रुपये धनराशि का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री गौरीशंकर व प्रधान श्री विरेश से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। धनराशि अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आहरित करना आपत्तिजनक है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	मद
1— 27.04.15	993239	50000.00 /—	संजय
2— 07.05.15	993242	60000.00 /—	दीपक
योग—110000.00 /—			

**ग्राम पंचायत —खावरी भोला वर्ष 2015—16 विकास खण्ड—सम्भल,
जनपद— सम्भल।**

प्रस्तर —02

ग्राम निधि खाते से धनराशि आहरित विकास कार्यों न व्यय कर 96500.00 रुपये का अपहरण किया गया। धनराशि अन्य व्यक्तियों द्वारा आहरित करना आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री गौरीशंकर व प्रधान श्री जुगल से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	मद
1— 11.04.15	32565	20000.00 /—	राजीव कुमार
2— 13.04.15	602112	70000.00 /—	करन सिंह
3— 27.04.15	602119	6500.00 /—	दीपक
योग—96500.00 /—			

ग्राम पंचायत—मिलक सिरसी वर्ष 2015—16 वि0ख0— सम्भल, जनपद—सम्भल।

प्रस्तर —03

वर्ष आडिट में ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि का उपभोग विकास कार्यों में व्यय न करके 105000.00 रुपये धनराशि का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री गौरीशंकर व प्रधान श्री मनोज से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। धनराशि अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आहरित करना आपत्तिजनक है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	मद
1—15.04.15	892518	15000.00 /—	रियासत हुसैन
2—18.04.15	892524	50000.00 /—	मनोज कुमार
3— 18.04.15	892521	25000.00 /—	दीपक
4— 20.04.15	892525	15000.00 /—	आलेहसन
योग—105000.00 /—			

ग्राम पंचायत – तातारपुर रोड वर्ष 2015–16 विकास खण्ड–सम्भल, जनपद– सम्भल।

प्रस्तर –04

व्यय धनराशि 109220.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री निर्दोश से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-08.04.15	80000.00 /—	ईट क्रय
2-04.06.15	14928.00 /—	लेवर भुगतान
3-04.06.15	8072.00 /—	हैण्ड पम्प मरम्मत
4-09.09.15	6220.00 /—	लेवर भुगतान
योग-109220.00 /—		

ग्राम पंचायत – सलखाना वर्ष 2015–16 विकास खण्ड–सम्भल, जनपद– सम्भल।

प्रस्तर –05

व्यय धनराशि 282000.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-07.04.15	120000.00 /—	स्थानान्तरित-0032025111842
2- 04.06.15	60000.00 /—	स्थानान्तरित-0034532490729
3-18.06.15	7000.00 /—	रविन्द्र
4-16.09.15	30000.00 /—	एनईएफटी एस0बीआई0एन081525969115
5- 16.09.15	20000.00 /—	स्थानान्तरित-0032025111842
6- 19.09.15	45000.00 /—	स्थानान्तरित-0032025111842
योग-282000.00 /—		

ग्राम पंचायत – भडवाड़ा वर्ष 2015–16 विकास खण्ड–सम्भल, जनपद– सम्भल।

प्रस्तर –06

पार्क निर्माण पर राजकीय धन 163500.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
1- 09.04.15	40000.00 /—
2- 09.04.15	40.000.00 /—
3- 25.06.15	42000.00 /—
4- 09.09.15	9180.00 /—
5- 09.09.15	32320.00 /—
योग-163500.00 /—	

ग्राम पंचायत –हाफिजपुर वर्ष 2015–16 विकास खण्ड–सम्भल, जनपद– सम्भल।

प्रस्तर –07

रुपये 100000.00 (एक लाख) खर्च धनराशि के सापेक्ष कार्ययोजना टेण्डर कोटेशन व देय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहना। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। दिनांक 11.04.2015 को कैश बुक के आय पक्ष में ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी द्वारा रुपये 100000.00 ग्राम निधि खाते से आहरण दर्शित है। कैश के देय पक्ष में उक्त तिथि में ईट क्रय 21277.00 प्रति हजार दर 4700.00 प्रतिमय ढुलाई रुपये 100000.

00 का व्यय दर्शित है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—100000.00 /—

ग्राम पंचायत —अतौरा वर्ष 2015—16 विकास खण्ड—सम्भल, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—8

ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धनराशि का निज हित में खर्च कर धन का अपहरण करना। वर्ष आडिट में कौश बुक के आय पक्ष में आहरित धनराशि 85000.00 रुपये की प्रविष्टि है। किन्तु कौश के व्यय पक्ष में खर्च धनराशि 85000.00 रुपये का कोई विवरण नहीं है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री गौरीशंकर व ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1— 17.04.15	636797	65000.00 /—	नरेश
2— 27.04.15	636798	20000.00 /—	दीपक

योग—85000.00 /—

ग्राम पंचायत —भारतलमदापुर वर्ष 2015—16 विकास खण्ड—सम्भल, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—9

व्यय धनराशि रुपये 411192.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मस्टर रोल का अप्राप्त रहना, कय सामग्री का भुगतान चेक द्वारा एकाउण्ट पेई न करके नगद किया गया है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री गुरुदयाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उषा से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1— 15.04.15	48000.00 /—	मिट्टी कार्य
2—15.04.15	89320.00 /—	ईट कय
3—15.04.15	19200.00 /—	सीमेण्ट कय
4—15.04.15	7680.00 /—	बजरफुट कय
5— 15.04.15	11600.00 /—	रेत कय
6— 20.04.15	123192.00 /—	ईट कय
7— 05.05.15	27000.00 /—	हैण्ड पम्प मरम्मत
8— 04.07.15	49600.00 /—	मजदूरी व्यय
9— 04.07.15	35600.00 /—	हैण्ड पम्प मरम्मत

योग—411192.00 /—

ग्राम पंचायत—महमूदपुर इम्मा वर्ष 2010—11, 15—16 विकास खण्ड— सम्भल, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—10

धनराशि 230027.00 रुपये के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक का अप्राप्त रहना। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, स्टीमेंट आदि अप्राप्त रहे। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री धर्मवीर सिंह ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1— 08.04.15	105000.00 /—	ईट कय
2— 05.06.15	27000.00 /—	मिट्टी कार्य
3— 05.06.15	5720.00 /—	लेवर भुगतान
4— 05.06.15	14280.00 /—	हैण्ड पम्प मरम्मत
5— 05.06.15	13000.00 /—	विद्युत बल्व
6— 11.10.15	18500.00 /—	मिट्टी कार्य
7— 11.10.15	11979.00 /—	लेवर भुगतान
8— 11.10.15	34548.00 /—	ईट कय

योग—230027.00 /—

**ग्राम पंचायत-वाजिदपुर सराय वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-11

धनराशि 515000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व स्टीमेट कार्ययोजना अप्राप्त। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री सोहन लाल से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1-04.04.15	536233	170000.00 /-	नरेन्द्र सिंह
2-13.04.15	536235	139000.00 /-	ग्लोबल
3-31.08.15	536238	15000.00 /-	बाबी
4-31.08.15	536236	65000.00 /-	रविन्द्र सिंह
5- 01.10.15	536239	69000.00 /-	रविन्द्र सिंह
6- 07.10.15	536240	57000.00 /-	मनोज

योग-515000.00 /-

ग्राम पंचायत-खग्गपुरा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-12

आहरित धनराशि 432000.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद सिंह से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1- 13.04.15	33750998	50000.00 /-	मौ० तहजीब
2- 13.04.15	33750997	50000.00 /-	मौ० तहजीब
3- 13.04.15	33750999	50000.00 /-	विजेन्द्र
4- 13.04.15	33751000	29000.00 /-	विजेन्द्र
5- 07.07.15	49337854	30000.00 /-	मौ० तहजीब
6- 07.07.15	49337855	63000.00 /-	विजेन्द्र
7- 09.09.15	49337852	40000.00 /-	मौ० तहजीब
8- 09.09.15	49337857	40000.00 /-	विनोद
9- 09.09.15	49337851	40000.00 /-	विनोद
10- 09.09.15	49337856	40000.00 /-	विनोद

योग-432000.00 /-

**ग्राम पंचायत- मौहम्मदपुर मालनी वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-13

आहरित धनराशि 298000.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सायमा जहाँ से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1- 22.04.15	24619	100000.00 /-	नत्थू खान
2-07.05.15	24618	15000.00 /-	आसिफ
3-21.07.15	24621	50000.00 /-	नत्थू खान
4-24.07.15	24622	20000.00 /-	मोमिन

5-24.07.15	24625	5000.00 / -	आसिफ खान
6-24.07.15	24624	5000.00 / -	हबीब
7-24.07.15	24623	5000.00 / -	अच्छन
8-08.09.15	24626	30000.00 / -	मोबिन
9- 08.09.15	24627	30000.00 / -	नत्थू खान
10- 09.09.15	24629	8000.00 / -	नूर हसन
11- 03.10.15	24628	30000.00 / -	तहजीब

योग-298000.00 / -

ग्राम पंचायत- पोटा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड-सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-14

आहरित धनराशि 600000.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी देवी से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-04.04.15	98000.00 / -	उमेश
2-04.04.15	100000.00 / -	नरेन्द्र सिंह
3-11.04.15	60000.00 / -	0032025111842
4-15.04.15	109000.00 / -	0011544477201
5-04.06.15	93000.00 / -	स्वयं
6-01.10.15	140000.00 / -	0033382488848

योग-600000.00 / -

ग्राम पंचायत-मांडली समसपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल रजपुरा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-15

आहरित धनराशि 416000.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री आरिफ से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1-11.04.15	103286	172000.00 / -	तहजीब
2-02.07.15	103287	94000.00 / -	नरेन्द्र
3-09.09.15	103288	150000.00 / -	मनोज सिंह

योग-416000.00 / -

ग्राम पंचायत-शाहपुर चामरान वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-16

आहरित धनराशि 200000.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धनराशि का उल्लेख कैश बुक में है किन्तु व्यय धनराशि का उल्लेख नहीं है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री गौरीशंकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती दीपिका पाल से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1-13.04.15	806354	40000.00 / -	दीपिका पाल
2-13.04.15	806353	40000.00 / -	करन सिंह
3-13.04.15	806355	40000.00 / -	अरविन्द
4-22.04.15	806356	60000.00 / -	0033315853379

5-27.04.15

806352

20000.00 / -

0030466011373

योग-200000.00 / -

**ग्राम पंचायत- कमलपुर सराय वर्ष 2015-16 विकास खण्ड-सम्भल,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-17

आहरित धनराशि 385200.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धनराशि का खर्च विकास कार्य में न करके तथा कैश बुक के व्यय पक्ष में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री गौरीशंकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि
1-30.04.15	311145	10000.00 / -
2-30.04.15	311148	25000.00 / -
3-01.05.15	311144	15000.00 / -
4-01.05.15	311143	10000.00 / -
5-01.05.15	311147	100000.00 / -
6- 01.05.15	311141	59800.00 / -
7- 01.05.15	311150	40000.00 / -
8- 24.07.15	311153	1500.00 / -
9- 11.09.15	311157	6400.00 / -
10- 20.09.15	311158	2000.00 / -
11- 20.09.15	311159	15000.00 / -
12- 27.09.15	311164	15000.00 / -
13- 27.09.15	311165	44000.00 / -
14- 27.09.15	311163	10000.00 / -
15- 27.09.15	311161	21000.00 / -
16- 23.10.15	311166	10500.00 / -

योग-385200.00 / -

**ग्राम पंचायत- पंसुख मिलक वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-18

सचिव द्वारा आहरित धनराशि 137000.00 रुपये के सापेक्ष विकास कार्य न कराया जाना एवं व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। व्यय की पुष्टि में कार्य योजना कार्यपूर्ति अप्राप्त रही। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अकील अहमद से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1- 13.04.15	776429	90000.00 / -	नरेन्द्र सिंह
2-02.07.15	776431	47000.00 / -	नरेन्द्र सिंह

योग-137000.00 / -

ग्राम पंचायत- पल्था वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-19

आहरित धनराशि 244000.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुलसुम बेगम से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	मद
1- 13.04.15	83893	105000.00 /-	रविन्द्र सिंह
2-03.07.15	83900	59000.00 /-	रविन्द्र सिंह
3-05.10.15	83802	30000.00 /-	तहजीब
4-05.10.15	83901	40000.00 /-	तहजीब
5-06.10.15	83905	10000.00 /-	तहजीब
		योग-244000.00 /-	

**ग्राम पंचायत- मढावली रसूलपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- सम्भल,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-20

आहरित धनराशि 275500.00 रुपये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना। कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं कार्ययोजना अप्राप्त। ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सतवीर से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1- 13.04.15	20000.00 /-	तहजीब
2-13.04.15	20000.00 /-	तहजीब
3-13.04.15	90750.00 /-	महीपाल सिंह
4-02.07.15	59000.00 /-	ग्लोबल ब्रिक वर्क्स
5- 09.09.15	85750.00 /-	महीपाल सिंह
		योग-275500.00 /-

ग्राम पंचायत- सौडोरा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड-रजपुरा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-21

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रुपया 536917.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पारूल से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-06.02.16	245975.00 /-	ईट कय हेतु गौरव ब्रिक उद्योग को भुगतान
2-06.02.16	195375.00 /-	ईट कय हेतु गौरव ब्रिक उद्योग को भुगतान
3- 08.02.16	33171.00 /-	सीमेण्ट कय हेतु बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान
4-08.02.16	31175.00 /-	लेवर भुगतान शीशपाल को
5-08.02.16	31221.00 /-	लेवर भुगतान शीशपाल को
		योग-536917.00 /-

ग्राम पंचायत-कल्हा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड-गुन्ौर, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-22

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रुपया 54537.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अवधेश एवं ग्राम प्रधान श्री विजयपाल सिंह से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-27.05.15	35250.00 /	खडंजा लगाई मै0 रजा कादरी ईट उद्योग को भुगतान
2-21.05.15	7000.00 /-	खडंजा लगाई, मिट्टी भराव पर ट्रैक्टर मजदूरो को भुगतान
3-22.05.15	5487.00 /-	खडंजा लगाई पर सीमेण्ट आदि का भुगतान
4-14.07.15	6800.00 /-	खडंजा लगाई पर राज मिस्त्री और मजदूरो को भुगतान
योग-54537.00 /-		

ग्राम पंचायत- शाहपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-23

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 131515.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अवधेश एवं ग्राम प्रधान श्री भानुप्रताप सिंह से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-25.04.15	7000.00 /	इण्डिया मार्का 2 पम्प मरम्मत हेतु सामग्री पर व्यय।
2-25.04.15	3000.00 /-	इण्डिया मार्का 2 पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय।
3-06.05.15	50450.00 /-	खडंजा लगाई पर अम्बे ईट को भुगतान।
4-07.05.15	14070.00 /-	खडंजा लगाई पर मै0 परिजी सीमेण्ट स्टोर गुन्नौर को भुगतान
5- 07.05.15	4000.00 /-	मिट्टी भराव पर ट्रैक्टर का भुगतान।
6- 10.05.15	9450.00 /-	खडंजा लगाई पर राज मिस्त्री एवं मजदूरो का भुगतान
7- 07.07.15	21650.00 /-	नाला निर्माण के लिए मै0 महा अम्बे ईट को भुगतान
8- 28.09.15	23895.00 /-	सोक पिट निर्माण मै0 महा अम्बे ईट को भुगतान।
योग-131515.00 /-		

ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-24

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 101667.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अवधेश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रिहाना से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-07.07.15	51440.00 /	मै0 महा अम्बे ईट उद्योग को खडंजा लगाई पर भुगतान।
2-11.07.15	3024.00 /-	खडंजा लगाई पर मै0 परिजी सीमेण्ट स्टोर गुन्नौर को भुगतान
3-05.11.15	36103.00 /-	मै0 महा अम्बे ईट उद्योग को भुगतान।
4-08.11.15	6000.00 /-	खडंजा लगाई मिट्टी पर भुगतान।
5-12.11.15	5100.00 /-	खडंजा लगाई पर राज मिस्त्री एवं मजदूरो का भुगतान।
योग-101667.00 /-		

ग्राम पंचायत- असदपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-25

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 109349.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न

दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अवधेश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-06.05.15	54300.00 /	खडंजा लगाई पर अम्बे ईट को भुगतान।
2-07.05.15	8117.00 /-	मै0 अश्विनी जुनावाई का नाली में सीमेंट लगाई का भुगतान।
3-12.05.15	10800.00 /-	खडंजा लगाई मिट्टी भराव पर भुगतान।
4-28.09.15	29279.00 /-	खडंजा लगाई पर अम्बे ईट को भुगतान।
5-30.09.15	6800.00 /-	खडंजा लगाई पर राज मिस्त्री एवं मजदूरों का भुगतान।
योग-109349.00 /-		

ग्राम पंचायत- सिरसा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- रजपुरा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-26

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रुपया 602623.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री हरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री वेदप्रकाश गौतम से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-19.03.16	33175.00 /	एस एच ईट को भुगतान।
2-21.03.16	31871.00 /-	बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
3-28.03.16	19372.00 /	- बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
4-28.03.16	133200.00 /-	बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
5-28.03.16	29830.00 /-	बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
6-28.03.16	33775.00 /-	बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
7-29.03.16	117900.00 /-	ओम गंगा टाईल्स को भुगतान।
8-31.03.16	40000.00 /-	प्रधान वेदप्रकाश गौतम द्वारा नगद आहरण।
9-31.03.16	50000.00 /-	प्रधान वेदप्रकाश गौतम द्वारा नगद आहरण।
10-31.03.16	50000.00 /-	प्रधान वेदप्रकाश गौतम द्वारा नगद आहरण।
11-31.03.16	63500.00 /-	एस एच ईट को भुगतान।
योग-602623.00 /-		

ग्राम पंचायत- हिरौनी वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- रजपुरा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-27

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रुपया 874172.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री मौ0 कामरान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विशेष कुमारी से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-06.02.16	144197.00 /	एस एच ईट को भुगतान।
2-06.02.16	144197.00 /-	एस एच ईट को भुगतान।
3-01.03.16	64670.00 /-	सतवीर सिंह को लेकर भुगतान।

4-01.03.16	30068.00/-	सीमेण्ट कय साई बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान।
5-01.03.16	30068.00/-	सीमेण्ट कय साई बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान।
6-01.03.16	64831.00/-	सतवीर सिंह को लेवर भुगतान।
7-21.03.16	102150.00/-	सीसीटाइल्स कय हेतु एसएचइन्टरलाकिंग रजपुरा को भुगतान।
8-21.03.16	164000.00/-	सीसीटाइल्स कय हेतु एसएचइन्टरलाकिंग रजपुरा को भुगतान।
9-30.03.16	129991.00/-	लेवर भुगतान।

योग-874172.00/-

**ग्राम पंचायत- भीकमपुर जैनी वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- रजपुरा,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-28

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 640110.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रानी यादव से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-12.02.16	150000.00/-	सीसीटाइल्स कय हेतु गंगा टाइल्स रजपुरा को भुगतान।
2-15.02.16	150000.00/-	सीसीटाइल्स कय हेतु गंगा टाइल्स रजपुरा को भुगतान।
3-21.03.16	100000.00/-	सीमेण्ट कय हेतु बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
4-28.03.16	100000.00/-	बैंक खाते से आहरण किन्तु कैश बुक में दर्ज नहीं।
5-28.03.16	122700.00/-	लेवर भुगतान।
6-30.03.16	17410.00/-	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु यादव आयरन स्टोर को भुगतान।

योग-640110.00/-

**ग्राम पंचायत- तुमरिया घाट वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- रजपुरा,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-29

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 193841.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी देवी से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-04.02.16	90000.00/-	सीसीटाइल्स कय हेतु ओम गंगा टाइल्स रजपुरा को भुगतान।
2-05.02.16	48425.00/-	सीमेण्ट कय हेतु बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
3-14.03.16	30420.00/-	सीसीटाइल्स कय हेतु ओम गंगा टाइल्स रजपुरा को भुगतान।
4-17.03.16	10150.00/-	सीमेण्ट कय हेतु बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान।
5-30.03.16	14846.00/-	लेवर भुगतान।

योग-193841.00/-

ग्राम पंचायत-आर्थल वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- रजपुरा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-30

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 460000.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती घमण्डी से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-09.03.16	135000.00 /	सीमेण्ट क्रय हेतु रचना ट्रेडर्स को भुगतान।
2-09.03.	16135000.00 / -	सीसीटाइल्स क्रय हेतु रचना ट्रेडर्स रजपुरा को भुगतान।
3-19.03.16	70000.00 / -	लेवर भुगतान।
4- 28.03.16	120000.00 / -	सीसीटाइल्स क्रय हेतु रचना ट्रेडर्स रजपुरा को भुगतान।

योग-460000.00 / -

ग्राम पंचायत- सिंहावली वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- रजपुरा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-31

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 386877.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री हरवेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अमित शर्मा से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-03.03.16	141500.00 /	सीसीटाइल्स क्रय हेतु गंगा टाइल्स रजपुरा को भुगतान।
2-03.03.16	46377.00 / -	लेवर भुगतान।
3-08.03.16	38000.00 / -	मिट्टी भराव हेतु भुगतान।
4-16.03.16	20000.00 / -	मिट्टी भराव हेतु भुगतान।
5-17.03.16	141000.00 / -	सीसीटाइल्स क्रय हेतु गंगा टाइल्स रजपुरा को भुगतान।

योग-386877.00 / -

ग्राम पंचायत- रजपुरा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- रजपुरा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-32

बिना व्यय प्रमाणक के बैंक खाते से रूपया 349000.00 धन आहरण करके निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेण्डर के ही करके तथा ग्राम पंचायत का भुगतान आदेश न प्राप्त करके व्यय का न दर्शाया जाना। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री अजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री लखपत सिंह से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद
1-28.07.15	132000.00 /	सीसीटाइल्स क्रय हेतु भुगतान।
2-28.07.	15150000.00 / -	सी सी टाइल्स क्रय हेतु भुगतान।
3-28.07.15	50000.00 / -	सी सी टाइल्स लेवर भुगतान।
4-30.07.15	17000.00 / -	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान।

योग-349000.00 / -

**ग्राम पंचायत- नियामतपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- बनियाखेड़ा,
जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-33

हैण्ड पम्प मरम्मत के नाम पर ग्राम निधि से धनराशि रुपये 17000.00 आहरित करके अपहरण किया गया। सम्बन्धित सामग्री खरीद, सम्बन्धी बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया। उत्तरदायी व्यक्ति

सचिव श्री प्रमोद कुमारसिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34

नाली निर्माण के नाम पर धनराशि 32609.00 का अपहरण किया गया।सामग्री खरीद, मानचित्र, सम्बन्धी बाउचर, बजट स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35

कार्यशाला निर्माण पर व्यय दिखा कर ग्राम निधि खाते से रुपये 143260.00 आहरित कर अपहरण किया गया। सामग्री खरीद, मानचित्र, सम्बन्धी बाउचर, बजट स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग-192869.00 / -

**ग्राम पंचायत- नमैनीगद्दी वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- बनियाखेड़ा,
जनपद- सम्मल।**

प्रस्तर-36

पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं ग्राम निधि से रुपये 52447.00 धन आहरित करके व्यय न करके अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदय पाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश कुमारी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37

ठेली मरम्मत के नाम पर ग्राम निधि खाते से रुपये 19000.00 धन आहरित करके अपहरण किया गया है।उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदय पाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश कुमारी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग-71447.00 / -

**ग्राम पंचायत- पहाड़पुर वर्ष 2014-15, 2015-16 विकास खण्ड- बनियाखेड़ा,
जनपद- सम्मल।**

प्रस्तर-38

पंचायत सचिव द्वारा स्वयं धन निकाल कर ग्राम निधि से रुपये 109700.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदयपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-39

राजपाल के नाम से धनराशि रुपये 376700.00 आहरित कर अपहरण किया गया है।उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदयपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40

हैण्ड पम्प मरम्मत के नाम पर धनराशि रुपये 35860.00 आहरित कर अपहरण किया गया है।उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदयपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग-522260.00 / -

**ग्राम पंचायत— देवरी दिनौरा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड— बनियाखेड़ा,
जनपद— सम्भल ।**

प्रस्तर—41

चुनाव आचार संहिता में धनराशि रुपये 718600.00 आहरित करके ग्राम निधि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—718600.00 /—

ग्राम पंचायत— करियामई वर्ष 2015-16 विकास खण्ड—जुनावई, जनपद— सम्भल ।

प्रस्तर—42

ग्राम निधि प्रथम खाते से रुपये 143800.00 धन आहरित कर कैश बुक में दर्ज न कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री सुरेन्द्र सकसैना एवं ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—143800.00 /—

**ग्राम पंचायत— हरगोविन्दपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड—जुनावई,
जनपद— सम्भल ।**

प्रस्तर—43

ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि 241000.00 आहरण कैश बुक में दर्ज न कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री सुरेन्द्र सकसैना एवं ग्राम प्रधान श्रीमती यशोदा देवी। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—241000.00 /—

ग्राम पंचायत— कुहेरा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड— गुन्नौर, जनपद— सम्भल ।

प्रस्तर—44

खडंजा निर्माण हेतु ईट क्रय करने में कार्ययोजना, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व व्यय प्रमाणक नहीं पाये गये। धनराशि रुपये 110000.00 को आहरित कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री रामप्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जलधारा। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—110000.00 /—

ग्राम पंचायत—नूरपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड—गुन्नौर, जनपद— सम्भल ।

प्रस्तर—45

धनराशि रुपये 72100.00 आहरण कर कैश बुक में न दर्ज कर, व व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री तुकीराम शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीना यादव। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—72100.00 /—

ग्राम पंचायत— बमनपुरी वर्ष 2015-16 विकास खण्ड— गुन्नौर, जनपद— सम्भल ।

प्रस्तर—46

नाली निर्माण में क्रय किये गये ईटो के व्यय प्रमाण न पाये जाने से आहरित धनराशि रुपये 30000.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री राजप्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—30000.00 /—

**ग्राम पंचायत—चाँदपुर गणेश वर्ष 2014-15, 2015-16 विकासखण्ड—बनियाखेड़ा,
जनपद— सम्भल ।**

प्रस्तर—47

ग्राम निधि खाते से धन आहरित करके कैश बुक में न दर्ज कर रुपये 46000.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदयपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री गंगाराम। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48

ग्राम समाज के ग्राउन्ड में मिट्टी डलवाने के नाम पर रुपये 42120.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदयपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री गंगाराम। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49

पंचायत सचिव द्वारा स्वयं धन आहरण करके व्यय न करके रुपये 62000.00 का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदयपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री गंगाराम।

दिनांक	धनराशि
25.08.14	7000.00
22.10.14	7000.00
14.03.15	37000.00
14.03.15	11000.00
योग-	62000.00

उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50

हैण्ड पम्प के मरम्मत के नाम पर रुपये 29600.00 का आहरण कर अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री उदयपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री गंगाराम। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग-138320.00/-

ग्राम पंचायत- औरंगाबाद वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-51

खडंजा निर्माण कार्य में कार्ययोजना, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व व्यय प्रमाण पत्र का न होना। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री रामप्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्री नेकराम। दिनांक 23.07.15 चैक सं0 422492 धनराशि 45000.00। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग-45000.00/-

ग्राम पंचायत- पाठकपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-52

आहरित धनराशि को कैश बुक में प्रविष्ट न करके धनराशि रुपये 72785.00 का गबन किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री रामप्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका यादव। दिनांक 07.11.15 चैक सं0 467500 धनराशि 72785.00। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग-72785.00/-

ग्राम पंचायत- अफजलपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-53

कैश बुक में व्यय पक्ष में आहरित धनराशि का विवरण न होना, व्यय प्रमाणक एवं कार्य योजना, एम0 बी0 कार्य प्रमाण पत्र का न होना। रुपये 115000.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री रामप्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चरनवती।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि
1-30.09.15	477292	40000.00/-
2-09.10.15	477291	50000.00/-

3-15.10.15	477290	5000.00 /—
4-19.10.15	477293	20000.00 /—
		योग—115000.00 /—

उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—गुमथल वर्ष 2015—16 विकासखण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—54

अमरउजाला के विज्ञापन के नाम पर व्यय कर रुपये 6000.00 (दिनांक 10.07.15) का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री हरनाम सिंह। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—55

अन्तेष्टि स्थान पर हैण्ड पम्प लगवाने हेतु व्यय किये गये रुपये 70000.00 (दिनांक 03.09.15) के सन्दर्भ में स्टीमेट एवं वाउचर न प्रस्तुत करना। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री हरनाम सिंह। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—56

अन्तेष्टि स्थल निर्माण सम्बन्धि बजट, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, शासन द्वारा स्वीकृत बजट की सीमा मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रुपया 1790914.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री हरनाम सिंह। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—57

अनावश्यक रूप से ग्राम निधि से दिनांक 08.12.15 को 50000.00 एवं दिनांक 01.01.16 को 150000.00 धनराशि आहरित कर अपने पास रख कर धन का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री हरनाम सिंह। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—2066914.00 /—

ग्राम पंचायत— मौ0पुर बाबई वर्ष 2015—16 विकास खण्ड— पंवासा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—58

बिना वर्क आई डी जनरेट किये रुपये 644100.00 का कार्य माह फरवरी 2016 से माह मार्च 2016 तक कराकर गम्भीर अनियमितता की गई है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री चैतन्य कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेशा। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—644100.00 /—

ग्राम पंचायत— अल्लीपुर बुजर्ग वर्ष 2015—16 विकास खण्ड— पंवासा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—59

बिना वर्क आई डी जनरेट किये रुपये 156000.00 ग्राम निधि खाते से कार्य माह फरवरी 2016 से माह मार्च 2016 तक कराकर गम्भीर अनियमितता की गई है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री चैतन्य कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—156000.00 /—

ग्राम पंचायत—चिड़िया भवन वर्ष 2015—16 विकासखण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल ।

प्रस्तर—60

अम्बेडकर जयन्ती के नाम पर रुपये 3000.00 (दिनांक 09.04.15) का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री उमेशचन्द वर्मा। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—61

विज्ञापन के नाम पर रुपया 5500.00 का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री उमेशचन्द वर्मा। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—62

प्रत्येक माह के अन्त में नकदी का अवशेष अपने पास रोकना। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री उमेशचन्द वर्मा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—63

ग्राम निधि से धन आहरित कर वर्ष 2015—16 में रुपये 328048.00 विकास कार्य पर व्यय न अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री दिनेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री उमेशचन्द वर्मा। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

योग—336548.00 /—

जनपद— फतेहपुर

नाम सस्था— ग्राम पंचायत—चक कोर्सादात
विकास खण्ड का नाम—हसवाँ

मण्डल— इलाहाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16
जनपद—फतेहपुर

प्रस्तर-1.

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत एक कोरासादात के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था। लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गये थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट /16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने-अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा फिर भी कर्मचारियों द्वारा पत्र की अवहेलना करते हुए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत चक कोरासादात के अभिलेख का विवरण प्रिया सापट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी गयी थी लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनदेश संख्या-ऑडिट/2116/दस- 2008- 101 (64)/07 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस- 2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011-322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या-01/1165/2014-1/47/ग्राम पं०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2506/7-पं०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया सापट के आधार पर 13 वां, 14 वां वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-प्रथम खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आकां जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०. 1638320.00 ग्राम प्रधान श्री राज कुमार (भू०पू०) में रु०. 819160.00, तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव से रु०. 819160.00 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध लेखा परीक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1.	फुटपाथ वाली निर्माण	1014257.00
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	134532.00
3.	ग्राम प्रधान मानदेय	57500.00
4.	सोलर स्ट्रीट लाइट	432000.00
5.	विविध	31.00
	योग-	1638320.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-बड़नपुर
विकास खण्ड का नाम-हसवां

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16
जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-2.

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत बड़नपुर के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गये थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा फिर भी कर्मचारियों द्वारा पत्र की अवहेलना करते हुए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक-1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत बड़नपुर के अभिलेख का विवरण प्रिया सापट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम नरेश सिंह को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी गयी थी लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट/2116/दस-2008-101 (64)/07 दि० 07 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस-2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011-322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या-01/1165/2014-1/47/ग्राम पं०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि०-29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7 पं०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अधिनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया सापट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वां वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु० 702341.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती से रु०. 351170.50 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम नरेश सिंह से रु०. 351170.50 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम नरेश सिंह के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	269160.00
2	फुटपाथ व नाली निर्माण	360780.00
3	ग्राम प्रधान मानदेय	32500.00
4	स्कूल मरम्मत	37559.00
5	सफाई कर्मचारी को सफाई सामग्री	2291.00
6	विविध	51.00
	योग-	702341.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-बहरामपुर
विकास खण्ड का नाम-हसवां
प्रस्तर-3.

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16
जनपद-फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत बहरामपुर के अभिलेख परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत बहरामपुर के अभिलेख का विवरण प्रिया सापट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी गयी थी लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट/2116/दस-2008-101(64)/07दि० 7 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस-2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011 -322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 01/1165/2014-1/47/ग्राम पंच०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7-पंच०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया सापट के आधार पर 13 वां वित्त, राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०. 1342757.00 ग्राम प्रधान श्री मुनउवर खां से रु. 671378.50 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव से रु. 671378.50 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नवत है—

क्र.सं.	व्यय का विवरण	धनराशि
1	ग्राम प्रधान मानेदय	55000.00
2	नाली खडंजा निर्माण	198956.00
3	सी०सी० रोड़ व नाली (मेवा साहू के घर से राम गोविन्द के घर तक)	461230.00
4	विविध	165
5	हैण्ड पंप मरम्मत	101300.00
6	साईन बोर्ड	3500.00
7	खडंजा मरम्मत	46400.00
8	खडंजा निर्माण (रमेश चन्द्र लोधी के घर से रोड़ तक)	81600.00 (केवल ईट खरीद)
9	खडंजा मरम्मत (सशी के घर से समाधि तक)	18431.00 (केवल म०रो०)
10	खडंजा निर्माण (चन्द्र लोधी के घर से रोड़ तक)	29925.00 (केवल म०रो०)
11	सोलर लाइट	216000.00
12	ओ०वी०मिशन	130250.00

योग—	1342757.00

नाम सस्था— ग्राम पंचायत—कुसुम्भी
विकास खण्ड का नाम—हसवां

लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16
जनपद—फतेहपुर

प्रस्तर—4.

आलोच्य वर्ष 2015—16 में ग्राम पंचायत कुसुम्भी के अभिलेख परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16—17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16—17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत कुसुम्भी के अभिलेख का विवरण प्रिया साफ्ट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम नरेश सिंह को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था। तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी थी लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या —ऑडिट/2116/दस—2008—101 (64)/07दि० 7 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस—2011—101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस—2011—322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 01/1165/2014—1/47/ग्राम पं०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7—पं०/ऑडिट परिपालन/2016—17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015—16 की प्रिया साफ्ट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि—1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०. 1693079.00 ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू सिंह से रु. 846539.50 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम नरेश सिंह से रु. 846539.00 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम विकास अधिकारी श्री राम नरेश सिंह के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1	स्ट्रीट सोलर लाइट	70800.00
2	फुटपाथ व नाली निर्माण	1229908.00
3	ऑडिट फीस	19404.00
4	ग्राम प्रधान मानदेय	37500.00
5	ग्राम पंचायत की सफाई पर व्यय	43631.00
6	हैंडपंप मरम्मत	291836.00

योग-	1693079.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-मौहार

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

विकास खण्ड का नाम-मलवां

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-5.

आलोच्य वर्ष 2015-16 में बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 08650100014326 से रु. 1246138.00 आहरण कर विभिन्न मदों में कार्य कराया जाना कैशबुक में दर्शित पाया गया किन्तु कराये गये कार्यों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, बजट, स्टीमेंट, कार्य योजना, एम0बी0 निर्माण कार्य रजिस्टर एवं सक्षम तकनीकी अधिकारी से प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे कैशबुक में दर्शित कार्य एवं भुगतान फर्जी है अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद सोनकर से रु. 623069.00 एवं ग्राम प्रधान श्री सिद्धार्थ सिंह से रु. 623069.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-चक रसूलाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

विकास खण्ड का नाम-हसवां

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-6.

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत चक रसूलाबाद के अभिलेख परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा फिर भी कर्मचारियों द्वारा पत्र की अवहेलना करते हुये अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत चक रसूलाबाद के अभिलेख का विवरण प्रिया साफ्ट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था। तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी थी लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या -ऑडिट/2116/दस-2008-101 (64)/07दि० 7 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस-2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011 -322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 01/1165/2014-1/47/ग्राम पंच०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7-पंच०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया साफ्ट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु. 927929.00 ग्राम प्रधान श्री मान सिंह (भू०पू०) से रु. 417652.00, तथा श्रीमती सुन्दरी देवी वर्तमान ग्राम प्रधान से रु. 46312.50 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1	ग्राम प्रधान मानदेय	35000.00

2	सी0सी0 रोड. निर्माण	457283.00
3	फुटपाथ निर्माण	189860.00
4	फुटपाथ व नाली निर्माण हेतु केवल सामग्री क्रय	45549.00
5	हैण्डपंप मरम्मत	47076.00
6.	हैण्डपंप मरम्मत	109120.00
7	नाली निर्माण	44003.00
8	विविध	38.00
	योग-	927929.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-टेक्सारी बुजुर्ग

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

विकास खण्ड का नाम-हसवां

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-7

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत टेक्सारी बुजुर्ग के अभिलेख परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत टेक्सारी बुजुर्ग के अभिलेख का विवरण प्रिया साफ्ट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था। तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी थी लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या -ऑडिट/2116/दस-2008-101 (64)/07दि० 7 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस-2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011-322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 01/1165/2014-1/47/ग्राम पं०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7-पं०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया साफ्ट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०. 989853.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी से रु. 494926.50, तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव से रु. 494926.50 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि

1	विविध	1252.00
2	खडंजा निर्माण	784925.00
3	हैण्ड पंप मरम्मत	106733.00
4	मिट्टी पुराई	30072.00
5	खडंजा व नाली निर्माण हेतु केवल सामग्री	61612.00
6	पुलिया व नाली निर्माण	5259.00
	योग-	989853.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-छीतमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

विकास खण्ड का नाम-हसवां

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-8.

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत छीतमपुर के अभिलेख परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत छीतमपुर के अभिलेख का विवरण प्रिया साफ्ट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सोनकर को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था। तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी थी लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या -ऑडिट/2116/ दस-2008-101 (64)/07 दि० 7 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस-2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011-322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 01/1165/2014-1/47/ग्राम पं०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7-पं०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया साफ्ट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०. 463548.00 ग्राम प्रधान श्री राम सिंह से रु. 231774.00, तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सोनकर से रु. 231774.00 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सोनकर के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1	सोलर लाइट	124000.00

2	नाली खडंजा व पुलिया (माधव धोबी के घर से राम नरेश शुक्ल के घर तक)	206840.00
3	हैण्डपंप मरम्मत	75158.00
4	ग्राम प्रधान मानदेय	12500.00
5	नाली निर्माण (मुन्ना सेंगर के घर से रामदास साहू के घर तक)	12500.00
6	खडंजा	32550.00
	योग-	463548.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-जाफराबाद

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

विकास खण्ड का नाम-मलवां

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-9.

आलोच्य वर्ष में निधि-1 के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 14353 से माह अप्रैल 15 में रु0. 752500.00 आहरण किया गया है जिसके सापेक्ष रु0. 675988.00 का व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है कैशबुक में माह अप्रैल-15 के आय पक्ष का योग रु0. 676000.00 दर्शित है जबकि बैंक से रु0. 752500.00 का आहरण किया गया है। अस्तु रु0. 76500.00 कम आय पकड़कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती राजरानी से रु0. 38250.00 व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से रु0. 38250.00 तावानी ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष में निधि-1 के बैंक ऑफ बड़ौदा संख्या 14353 से माह सितम्बर 2015 में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया।

तिथि	वा0सं0	फर्म का नाम	सामग्री	चेक सं0	धनराशि
18.09.15	41	यादव ट्रेडर्स	सीमेंट, मोरम	234	90000.00
19.09.15	43	प्रकाश एण्ड कंपनी	ईट	232	95000.00
22.09.15	44	गौरव कंस्ट्रक्शन कंपनी	ईट	239	99975.00
22.09.15	45	गौरव कंस्ट्रक्शन कंपनी	ईट	240	99975.00
28.09.15	46	यादव ट्रेडर्स	सीमेंट, मोरम	241	45000.00
19.09.15	47	गणेश ईट उद्योग	ईट	238	99995.00
				योग	529945.00

उपरोक्त व्यय पर निम्न गंभीर आपत्तियां हैं-

1. कैशबुक में व्ययों में कार्यों का उल्लेख नहीं है।
2. खरीदी गई तिथि के बाद निर्माण सामग्री के सापेक्ष मजदूरी का मस्टररोल 31.03.2016 तक कैशबुक में अंकित नहीं है जिससे कार्य का होना दर्शित नहीं हो रहा है।
3. निर्माण रजिस्टर अप्राप्त रहा।
4. उपरोक्त खरीद के सापेक्ष सेक्टर अधिकारी का कार्य पूर्ति जांच प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।
5. उपरोक्त खरीद के सापेक्ष परिसंपत्ति रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।
6. स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य न कराकर क्रय सामग्रियों को निजी कार्य में लगाकर या बिक्री कर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली तावानी ब्याज सहित पूर्व प्रधान श्रीमती राजरानी से रु0. 264972.50 व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से रु0. 264972.50 ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-टीकर

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

विकास खण्ड का नाम-हसवां

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-11.

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत छीतमपुर के अभिलेख परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त

पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत टीकर के अभिलेख का विवरण प्रिया साफ्ट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सोनकर को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था। तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी थी लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या -ऑडिट/2116/ दस-2008-101 (64)/07 दि० 7 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस-2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011-322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 01/1165/2014-1/47/ग्राम पं०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7-पं०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया साफ्ट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०. 847075.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रु. 423537.50, तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सोनकर से रु. 423537.50 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सोनकर के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नलिखित है-

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1	खडंजा निर्माण	312849.00
2	सोलर लाईट	261520.00
3	ब्रिक फील्ड को	70000.00
4	हैंडपंप मरम्मत	99540.00
5	शौचालय निर्माण	13606.00
6	ग्राम प्रधान मानदेय	4000.00
7	मिट्टी पुराई	49560.00
	कुल योग	847075.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-सरकी

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16

विकास खण्ड का नाम-हसवां

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-12.

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत छीतमपुर के अभिलेख परीक्षा हेतु दिनांक 21.07.2016 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक 10.11.2016 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक 10.11.2016 तिथि को ही

साप्ताहिक बैठक में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2016 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट/16-17 दि० 03.12.2016 को समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक 1209/ऑडिट/16-17/दि० 20.03.2017 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नहीं किया गया है लेखा परिक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत सरकी के अभिलेख का विवरण प्रिया सापट फीडिंग से निकालकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 21.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था। तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी थी लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या -ऑडिट/2116/ दस-2008-101 (64)/07 दि० 7 जुलाई 2008, ऑडिट/840/दस-2011-101 (15)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/दस-2011 -322(9) दि० 25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 01/1165/2014-1/47/ग्राम पं०/विकास अधिकारी/09 लखनऊ दि० 29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7-पं०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया सापट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-1 खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०. 1315404.00 ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र कुमार मौर्य से रु. 582477.00, (भू०पू०प्रधान) श्रीमती अंजलि देवी रूपया 75225.00 (ग्राम प्रधान) तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम से रु. 657702.00 ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम के विरुद्ध लेखा परिक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1	सी०सी० रोड़ निर्माण (चुनवाद से बच्चा सेंगर तक)	538761.00 भू०पू० ग्राम प्रधान
2.	ह्यूम पाइप	116500.00 भू०पू० ग्राम प्रधान
3	डिजिटल डायरी भुगतान	49800.00 भू०पू० ग्राम प्रधान
4	हैण्ड पंप मरम्मत हेतु केवल सामग्री क्रय	112700.00 भू०पू० ग्राम प्रधान
5	हैण्ड पंप मरम्मत हेतु केवल सामग्री क्रय	150450.00 वर्तमान ग्राम प्रधान
6	सोलर लाईट क्रय	70000.00 भू०पू० प्रधान
7	खरंजा एवं नाली निर्माण (प्रभु से सी०सी० रोड़ तक)	95000.00 भू०पू० प्रधान
8	शौचालयों में नाम लिखाई	5000.00 भू०पू० ग्राम प्रधान
9	डिजिटल एलबम बनवाई	24580.00 भू०पू० ग्राम प्रधान
10	बैठक में टेंट का भुगतान	5000.00 भू०पू० ग्राम प्रधान
11	शौचालय मरम्मत हेतु सीमेंट व मोरम क्रय	25000.00 भू०पू० प्रधान
12	शौचालय निर्माण हेतु ईंट क्रय	39900.00 भू०पू० प्रधान
13	शिवशरण ब्रिक फील्ड को ईंट का भुगतान	82320.00 भू०पू० प्रधान
14	विविध व्यय	393.00 भू०पू० ग्राम प्रधान

कुल योग	1315404.00

नाम सस्था- ग्राम पंचायत-वाजिदपुर
विकास खण्ड का नाम-मलवां

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16
जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-13.

आलोच्य वर्ष 2015-16 की कैशबुक में खडंजा मरम्मत राजेश के घर से राम प्रकाश के दरवाजे तक में निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया दर्शित पाया गया।

दिनांक	वाउचर संख्या	मद	मात्रा	दर	धनराशि
07.04.15	1	मजदूरी व्यय	—	—	12689.00
16.04.15	2	ईट क्रय	4500 नग	7000.00	31500.00
17.04.15	3	मिट्टी पुराई	20 ट्राली	400.00	8000.00
22.04.15	4	ईट क्रय	2500 नग	7000.00	17500.00
				योग-	69689.00

उपरोक्त दर्शित समस्त व्यय निम्न कारणों से काल्पनिक है-

- (क) ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण उपरोक्त दर्शित सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य के प्रस्ताव खुली बैठक में किये गये अथवा नहीं अज्ञात रहा।
- (ख) नियोजन समिति द्वारा प्रस्ताव किया गया अथवा नहीं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (ग) निर्माण समिति द्वारा उक्त व्यय को प्रमाणित नहीं कराया गया।
- (घ) कैशबुक में कराये गए निर्माण कार्य एवं मिट्टी खुदाई स्थल की माप दर्शित नहीं किया गया है जिसके निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं मिट्टी कार्य के मूल्यांकन की जांच न की जा सकी।
- (ङ) लेखा परीक्षा में एम0बी0 उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे क्रय सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य, कार्य में प्रयुक्त सामग्री व्यय की गयी धनराशि तथा सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रमाणित एम0बी0 की जांच न की जा सकी।
- (च) मस्टररोल में मजदूरों के अंगूठे निशान प्रमाणित नहीं पाए गये ऐसा प्रतीक होता है कि अंगूठे के निशान एक या दो व्यक्तियों द्वारा ही लगाये हैं।
- (छ) ईट क्रय के बिल में बुक नंबर अंकित नहीं पाया गया जिससे उपलब्ध कराये गये बिल फर्जी प्रतीक होते हैं।
- (ज) मिट्टी पुराई के वाउचर पर रसीदी टिकट चस्पा नहीं पाया गया।
- (झ) स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण गत वर्ष का शेष स्टाक वर्ष में क्रय प्रयुक्त एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्री की जांच न की जा सकी।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि कार्य न करवाकर फर्जी व्यय प्रमाणक बनाकर रु. 69689.00 का अपहरण किया गया है अतः प्रधान श्री भूरा साहू से रु. 34844.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदित्य प्रसाद श्रीवास्तव से रु. 34844.50 तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14.

वर्ष 2015-16 की कैशबुक के अनुसार हैंडपंप में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया जैसे-

दिनांक	वाउचर संख्या	मद	धनराशि
15.06.15	10	सामग्री क्रय	15000.00
22.06.15	11	मजदूरी भुगतान	2800.00
17.09.15	25	सामग्री क्रय	10800.00
		योग-	28600.00

निम्न कारणों से उपरोक्त व्यय काल्पनिक है-

- (क) नए हैंडपंप जल निगम द्वारा लगाये जाते हैं जल निगम द्वारा ग्राम पंचायत को कब हैंड ओवर किये गये की लिखित सूचना लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी अगर जल निगम द्वारा हैंडपंप पंचायत को हैंडओवर नहीं किये थे तब किस नियम के अनुसार मरम्मत कार्य कराया गया स्पष्ट किया जाए।
- (ख) मरम्मत कार्य में डिस्पोजल सामग्री का स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- (ग) दिनांक 17.09.2015 को क्रय की गयी सामग्री द्वारा हैंडपंप मरम्मत में व्यय मजदूरी का भुगतान दर्शित न होने के कारण क्रय सामग्री फर्जी प्रतीत होता है। उक्त सामग्री का स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न कराये जाने के कारण स्टाक में अवशेष होने की जांच न की जा सकी।

(घ) जल प्रबंधन समिति द्वारा हैंडपंप खराब होने एवं स्थल का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान काल्पनिक दर्शाकर रु. 28600.00 का अपहरण किया गया है अतः रु. 14300.00 प्रधान श्री भूरा साहू से एवं रु. 14300.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदित्य प्रसाद श्रीवास्तव से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत- अतरहा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015-16

विकास खण्ड का नाम - हसवां

जनपद- फतेहपुर

प्रस्तर- 15

आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत अतरहा के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-21.07.16 को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया था लेकिन लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसके पश्चात दिनांक-10.11.16 को पुनः खण्ड विकास अधिकारी हसवां को पत्राचार किया गया था तथा दिनांक-10.11.16 तिथि को ही साप्ताहिक बैठक में सम्बंधित कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के बारे में नोट भी कराया था लेकिन सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना की गयी छ इसके पश्चात दिनांक- 01.12.16 को खण्ड विकास अधिकारी हसवां से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था तथा खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 901/ऑडिट16-17 दि०-03.12.16 को समस्त ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अभिलेख लेखा परीक्षा कराने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा माह दिसम्बर 2016 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा फिर भी कर्मचारियों द्वारा पत्र की अवहेलना करते हुए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके पश्चात दिनांक 15.03.17 को अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी फतेहपुर को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी हसवां द्वारा कार्यालय पत्रांक -1209/ऑडिट/ 16-17/दि०-20.03.17 को समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी को ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन कर्मचारियों द्वारा उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था इसके विषय में जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर द्वारा भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है लेखा परीक्षण में अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत अतरहा के अभिलेख का विवरण प्रिया साफ्ट फीडिंग से निकालकर सम्बंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम को सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 23.03.17 को उपलब्ध कराया गया था तथा एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी हसवां को प्राप्त करायी गयी थी लेकिन सम्बंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है छ जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट/2116धदस-2008-101(64)/07दि07 जुलाई 2008,ऑडिट 840 / दस- 2011-101 (05)/11 दि० 30 मार्च 2011 एवं ऑडिट/1598/ दस-2011-322(9) दि०25 जुलाई 2011, निदेशक पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या- 01ध1165ध2014-1ध47धग्राम पं०धविकास अधिकारी /09 लखनऊ दि०-29 जून 2014 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पत्रांक 2206/7-पं०/ऑडिट परिपालन/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के क्रम में शत प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है लेकिन सम्बंधित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है छ अतः वर्ष 2015-16 की प्रिया साफ्ट के आधार पर 13 वां वित्त, 14 वां वित्त राज्य वित्त आदि से अनुदान की धनराशि ग्राम निधि-प्रथम खाते से आहरित समस्त धनराशि के निम्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है छ लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण समस्त आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आका जाता है।

अतः समस्त आहरित धनराशि रु०-312540.00 ग्राम प्रधान श्रीमती ममता से रु०-156270.00, तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम से रु०- 156270.00 ब्याज सहित सूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम के विरुद्ध लेखा परीक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
1.	नाली व खडंजा निर्माण (गुडिया से रमेश तक)	114250.00
2.	ग्राम प्रधान मानदेय	7500.00
3.	हैण्ड पंप मरम्मत	87950.00
4.	सोलर लाइट	102540.00

5.

स्टेशनरी
योग-300.00
312540.00

जनपद — प्रतापगढ़ संभाग—इलाहाबाद
ग्राम पंचायतों से संबंधित गंभीर आपत्तियाँ :- वर्ष 2015-16

क्रमांक-1 — ग्राम पंचायत —खालसा सादात

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायतखालसा सादात में वर्ष 14-15 व 15-16 में रु0 15,77,417.00 के व्यय संबंधित व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण रु0 15,77,417.00 के अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित —

1. श्रीमती अफरोज —	296046.50
2. श्री ओम प्रकाश पाण्डेय—	296046.50
3. श्रीमती अफरोज —	436024.50
4. श्री विनोद प्रकाश मिश्र—	436024.50
5. श्री बाबू लाल—	56637.50
6. श्री विनोद प्रकाश मिश्र—	56637.50

क्रमांक-2 — ग्राम पंचायत अझारा

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत अझारा के वर्ष 2014-15 व 2015-16 में रु0 1892948.00 के व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण रु0 1892948.00 के अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है —

1. श्री दिनेश	344311.00
2. श्री बजरंगी प्रसाद पाण्डेय	344311.00
3. श्री दिनेश	591663.00
4. श्री विनोद प्रकाश मिश्र	591663.00
5. श्रीमती रिकी मिश्रा	10500.00
6. श्री विनोद प्रकाश मिश्र	10500.00

क्रमांक-3 — ग्राम पंचायत समापुर

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत समापुर के वर्ष 2013-14 व 2015-16 तक रु0 573601.00 की धनराशि बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गई और लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । अतः 573601.00 रु0 की धनराशि अपहरण मानते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है—

1. श्री विन्देश्वरी प्रसाद	573601.00
2. बजरंगी प्रसाद पाण्डेय	

क्रमांक-4 — ग्राम पंचायत उमरी कोटिला

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत उमरी कोटिला में वर्ष 15-16 में 813177.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण 813177.00 रु0 की अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है —

1. श्री राधेश्याम विश्वकर्मा	
2. श्री संतोष पाण्डेय	

क्रमांक-5 — ग्राम पंचायत गरीबपुर

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत गरीबपुर में वर्ष 15-16 में 681825.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण 681825.00 रु0 की अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों में किया जाना अपेक्षित है

1. श्रीमती शांति देवी	
2. श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी	

क्रमांक-6 — ग्राम पंचायत शकरदहा

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत शकरदहा में वर्ष 15-16 में 1165254.00 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण 1165254.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण 1165254.00 रु0 की धनराशि के अपहरण की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री हरिशंकर पाण्डेय
2. श्री संतोष पाण्डेय

क्रमांक-7 — ग्राम पंचायत सण्डौरा

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत सण्डौरा में वर्ष 2015-16 में 1436460.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किये जाने के कारण 1436460.00 रु0 अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

1. श्रीमती किस्मत-उल निशा (ग्राम प्रधान)
2. श्री राम पूजन मिश्र (ग्राम विकास अधिकारी)

क्रमांक-8 — ग्राम पंचायत छानापार

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत छानापार में वर्ष 2015-16 में 565256.00 रु0 की धनराशि की व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किये जाने के कारण 565256.00 रु0 के अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

1. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह (ग्राम प्रधान)
2. श्री वीरेन्द्र सरोज (ग्राम विकास अधिकारी)

क्रमांक-9 — ग्राम पंचायत अवधानपुर

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत अवधानपुर में वर्ष 2015-16 में 412100.00 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किये जाने के कारण 412100.00 रु0 की अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

1. श्री छोटे लाल (ग्राम प्रधान)
2. श्री वीरेन्द्र सरोज (ग्राम विकास अधिकारी)

क्रमांक-10 —ग्राम पंचायत इटवा

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत इटवा में वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में 1087500.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण 1087500.00 रु0 के अपहरण की राशि ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

1. श्रीमती गया देवी (ग्राम प्रधान) 625500.00-2014-15
2. श्री वीरेन्द्र सरोज (ग्राम विकास अधिकारी)
3. श्रीमती गया देवी (ग्राम प्रधान) 462000.00- 2015-16
4. श्री रमाकांत शर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)

क्रमांक-11 —ग्राम पंचायत औरंगाबाद

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत औरंगाबाद में वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में 1462201.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः 1462201.00 रु0 की अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

1. श्रीमती अवधा देवी (ग्राम प्रधान) 652771.00-2014-15
2. श्री रमाकान्त शर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)
3. श्रीमती अवधा देवी (ग्राम प्रधान) 605300.00-2015-16
4. श्री रमाकान्त शर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)
5. श्री मुनवर हुसैन (ग्राम प्रधान) 204130.00 - 2015-16
6. श्री रमाकान्त शर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)

क्रमांक-12 —ग्राम पंचायत उतरास

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत उत्तरास में 2014-15 से 2015-16 की अवधि में 1445390.00 रु0 की धनराशि की व्यय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त अपहरण धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री विजय शंकर यादव (ग्राम प्रधान) 872060-2014-15
2. श्री रमाकान्त शर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)
3. श्री विजय शंकर यादव (ग्राम प्रधान) 384830.00, 2015-16
4. श्री रमाकान्त शर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)
5. श्रीमती प्रभावती (ग्राम प्रधान) 188500.00, 2015-16
6. श्री रमाकान्त शर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)

क्रमांक-13 -ग्राम पंचायत करैटी

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत करैटी में 2015-16 में 1767080.00 रु0 की धनराशि के व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्रीमती पिकी देवी (ग्राम प्रधान)
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (ग्राम विकास अधिकारी)

क्रमांक-14 -ग्राम पंचायत चौकापारपुर

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत चौकापारपुर के वर्ष 2015-16 में 592932.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री भारत लाल (ग्राम प्रधान)
2. श्री वृन्दावन मौर्य (ग्राम प्रधान)
3. श्री आत्माराम मौर्य (ग्राम विकास अधिकारी)
4. श्री अशोक कुमार सचान (ग्रा0वि0अधि0)

क्रमांक-15 -ग्राम पंचायत पीरानगर

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत पीरानगर में 2015-16 में 1077147.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त अपहत धनराशि की वसूली ब्याज सहित निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री तेजभान (ग्राम प्रधान)
2. श्री बाबाराज सिंह (ग्राम प्रधान)
3. श्री त्रिलोक सिंह (ग्रा0वि0अधि0)

क्रमांक-16 -ग्राम पंचायत डीहा

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत डीहा में 2015-16 में 2414924.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त अपहत धनराशि की वसूली ब्याज सहित निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्रीमती रीता सिंह (ग्राम प्रधान)
2. श्री अमित कुमार मिश्र (ग्रा0वि0अधि0)

क्रमांक-17 -ग्राम पंचायत रामापुर

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत रामापुर में 2015-16 में 2297972.00 रु0 की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त अपहत धनराशि की वसूली ब्याज सहित निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री कृष्ण लाल (ग्राम प्रधान)
2. श्रीमती अरुणा सिंह (ग्राम प्रधान)
3. श्री त्रिलोक सिंह (ग्रा0वि0अधि0)

क्रमांक-18 -ग्राम पंचायत विक्रमपुर

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत विक्रमपुर में 2012-13 से 2015-16 की अवधि में 447050.00 रु० की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री उमेश चन्द्र पाल (ग्राम प्रधान)
2. श्री हीरालाल (ग्रामाधिकारी)

क्रमांक-19 -ग्राम पंचायत रेड़वीर

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत रेड़वीर में 2013-14 से 2015-16 की अवधि में 220050.00 रु० की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री हरीलाल (ग्राम विकास अधिकारी)
2. श्री सदन लाल (ग्राम प्रधान)

क्रमांक-20 -ग्राम पंचायत बड़नी

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत बड़नी में 2013-14 से 2015-16 की अवधि में 402000.00 रु० की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्रीमती संगीता (ग्राम प्रधान)
2. श्री हरी लाल (ग्राम पंचायत अधिकारी)

क्रमांक-21 -ग्राम पंचायत कटकावली

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत कटकावली में 2014-15 से 2015-16 की अवधि में 670000.00 रु० की धनराशि के व्यय संबंधी व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है -

1. श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय (ग्राम प्रधान)
2. श्री कमल किशोर तिवारी (ग्राम पंचायत अधिकारी)

जनपद-इलाहाबाद

नाम ग्रामपंचायत-दुसौती, वर्ष 2015-16 , विकास खण्ड-सैदाबाद, जनपद-इलाहाबाद

प्रस्तर 1

कैशबुक की जांच में पाया गया कि प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्रामप्रधान व ग्रामपंचायतअधिकारी द्वारा धन का अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	06.04.2015	हैण्डपम्पमरम्मतसामग्री	15000
2	06.04.2015	कार्यस्थलविहीनहैण्डपम्पमरम्मतमजदूरी	5000
3	08.04.2015	नालीनिर्माणहेतुपाइप	63300
4	09.04.2015	6000 नगईट	42000
5	09.04.2015	टाटाआरयनस्टोर से पाइप क्रय	30000
6	10.04.2015	नालीनिर्माण की मजदूरी	2400
7	10.04.2015	नालीनिर्माण की मजदूरी	2400
8	10.04.2015	नालीनिर्माण की मजदूरी	1500
9	12.04.2015	4000 नगईट	27200
10	13.04.2015	1000 नगईट	68000
11	14.04.2015	खड्जानिर्माणहेतुभुगतान	7500
12	14.04.2015	खड्जानिर्माणहेतुभुगतान	20000

13	15.04.2015	अमृतलालके घर से जी0टी0 रोडतक खड़न्जानिर्माण की मजदूरी	21800
14	16.04.2015	खड़न्जानिर्माण/मरम्मत की मजदूरी (कार्यस्थलअंकित नहीं)	30000
15	16.04.2015	हैण्डपम्पमरम्मतमजदूरीकार्यस्थलअंकित नहीं)	4000
16	18.04.2015	खड़न्जानिर्माणहेतुईट (मात्रा अंकित नहीं)	50000
17	29.04.2015	हैण्डपम्पमरम्मतमजदूरी (कार्यस्थलअंकित नहीं)	5000
18	01.05.2015	सरयूकुशवाहा के मकान से चौबेलाल के मकानतक खड़न्जाहेतु 20000 ईट	100000
19	05.05.2015	खड़न्जानिर्माण/मरम्मत की मजदूरी	31500
20	08.05.2015	खड़न्जानिर्माण/मरम्मत की मजदूरी	5000
21	20.05.2015	हैण्डपम्पमरम्मतमजदूरी	12230
22	30.05.2015	हैण्डपम्पमरम्मतमजदूरी	13500
23	02.06.2015	ग्रामपंचायतदुसौती/सैदाबादकैम्पहेतुकुर्सी व दरी	10000
24	05.06.2015	आवंटनस्टोर से हैण्डपम्पसामग्री	2100
25	06.06.2015	खड़न्जानिर्माण/मरम्मत की मजदूरीहेतु 10000 ईट	50000
26	08.06.2015	हैण्डपम्पमरम्मतमजदूरी	630
27	10.04.2015	हैण्डपम्पमरम्मतमजदूरी	630
28	13.06.2015	खड़न्जानिर्माण/मरम्मत की मजदूरी (कार्यस्थलअंकित नहीं)	8000
29	15.06.2015	हैण्डपम्पमरम्मतसामग्री	930
30	10.07.2015	हैण्डपम्पमरम्मतमजदूरी	900
		योग	630540
		दिनांक 25-02-16 कोचेक सं0 262 कोवर्तमानप्रधानकोचार्ज।मेंदियेबिनावर्तमानप्रधान का फर्जीहस्ताक्षरबनाकरराजपूतईटउद्योग के सहयोग से धन का आहरणकरलियागयाहै।ग्रामप्रधानश्रीमतीकिरणमिश्रा व चन्द्रभान सिंह ग्रा0 पं0 अ0 द्वाराअपहरण की धनराशिदण्डात्मकब्याजसहितवसूलीकरतेहुए वैधानिककार्यवाहीकियाजानाअपेक्षितहै।	210000
		महायोग	840540

उपर्युक्त दर्शित कार्यो का न तो प्रमाणक है, न ही कार्यपूति प्रमाणपत्र न ही चेकबुक प्राप्ति रजिस्टर व चेक निर्गमन रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।कार्यवाही रजिस्टर (सामान्य) नियोजक एवं विकास समिति, निर्माण समिति, जल प्रबन्धन समिति, प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति आदि की कार्यवाही रजिस्टर अनुपलब्ध रहा एवं इस्टीमेट नहीं बनाया गया है, सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया है एवं टेण्डर नहीं लिया गया है।कार्यमाप पुस्तिका भी अनुपलब्ध रही। इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्जी व्यय कैशबुक में दर्शाकर रु0 630540 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली पूव ग्रामप्रधान श्रीमती किरन मिश्रा व ग्रामपंचायत अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से नियमानुसार बराबर-बराबर ब्याजसहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

इसीप्रकार पूर्वप्रधान श्रीमती किरन मिश्रा द्वारा वर्तमान ग्रामप्रधान को चेक सं0 262/2-2116 को चार्ज में न देकर वर्तमान प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर राजपूत ईट उद्योग के सहयोग से रु0 210000/-बैंक से आहरित कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली बराबर बराबर पूर्व ग्रामप्रधान श्रीमती किरन मिश्रा व ग्रामपंचायत अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्तिसंख्या – 02 एवं 03

**ग्रामपंचायत का नाम—रामपुरउपरहार, वर्ष—2015—16, विकासखण्ड—करछना
जनपद—इलाहाबाद**

प्रस्तर— 2 वर्ष 2015—16 के दौरान खाता संख्या—2237 से दिनांक—16.06.2015 कोईट क्रय 27200.00 तथा दिनांक— 01.08.2015 रू0 5000.00 पौध क्रय हेतु प्रथम कोषबही में अंकित है किन्तु उक्त दोनों व्ययों का लेखा परीक्षा में चालान एवं कैशमेमो प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार दोनों व्यय रू0 32200.00 अपहरण मानते हुए संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत आधी धनराशि रू0 16100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री घनश्याम एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्री राम सिंह से ब्याजसहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

मूलआपत्तिसंख्या — 14(1)

प्रस्तर—3 वर्ष 2015—16 के दौरान खाता संख्या 2237 से प्रथम कोषबही में दिनांक— 16.03.2016 को हैण्डपम्प सामग्री हेतु रू0 12500.00 अंकित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक (चालान एवं कैशमेमो) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार रू0 12500.00 को अपहरण मानते हुए संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत उक्त धनराशि की आधी धनराशि रू0 6250.00 वर्तमान प्रधान श्री रमेशकुमार से एवं आधी धनराशि 6250.00 तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी श्री राम सिंह से ब्याजसहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

मूलआपत्तिसंख्या — 14(2)

ग्राम पंचायत—सैदाबाद विकास खण्ड—सैदाबादजनपद—इलाहाबाद

प्रस्तर— 4

वर्ष 2015—16 के कोषरजिस्टर के अनुसार छात्रवृत्ति को रोकड़ शेष रू0 55760.00 ग्रामप्रधान श्री ज्ञानेश्वर के पास दर्शित रहा, जो दिनांक—01.04.2011 के पूर्ण से यथावत चला आ रहा है, जिसे वर्तमान प्रधान को रोकड़ शेष चार्जमें न देकर पूर्व प्रधान श्री ज्ञानेश्वर द्वारा अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्रामप्रधान श्री ज्ञानेश्वर एवं ग्रामविकास अधिकारी श्री सर्वेश मिश्रा उत्तरदायी हैं। अतः उक्त छात्रवृत्ति रोकड़ शेष रू0 55760.00 की वसूली श्री ज्ञानेश्वर पूर्वप्रधान व श्री सर्वेश मिश्रा तत्कालीन ग्र0वि0अ0 से ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या —01

प्रस्तर— 5 छात्रवृत्ति की धनराशि दिनांक—01.04.2011 के पूर्व से ही रू0 791353.00 को समाजकल्याण विभाग को वापस न कर बैंक में यथावत जमा दर्शाया जा रहा है, जिसस समाजकल्याण विभाग को आर्थिक क्षति हुई है। अतः ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में उक्त धनराशि को जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्रामपंचायत का नाम— खजूरी वर्ष 2015—16, विकास खण्ड—करछना
जनपद— इलाहाबाद**

प्रस्तर—06 वर्ष 2015—16 के दौरान खाता संख्या 2248 से दिनांक—20.04.2015 को प्रथम कोषबही में रू0 84000.00 व्यय खड़न्जा निर्माण सामग्री (राज नारायण के घर से रामसेवक के घर तक) हेतु अंकित है। जो हीवा इन्टरप्राइजेज को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है लेकिन व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (चालान एवं कैशमेमो) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जिसस स्पष्ट नहीं हो सका कि कौन सी सामग्री क्रय की गयी थी। वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार रू0 84000.00 को अपहरण मानते हुए संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत उक्त धनराशि की आधी धनराशि रू0 42000.00 तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी श्री राम सिंह एवं ग्रामप्रधान श्री राजेश सिंह से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद—मुजफ्फरनगर सम्भाग—सहारनपुर।
ग्राम पंचायत खेडी सराय वर्ष 2015—16 विकास खण्ड जानसठ

1. बैंक खाते से चैक आहरण कर कोष बही में न दर्शाकर अंकन रु0 25000/— की धनराशि का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मानवेन्द्र शर्मा ग्राम प्रधान व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खलवाडा वर्ष 2015—16 विकास खण्ड जानसठ

2. कोषबही में व्यय पक्ष का योग अधिक दर्शाकर अंकन रु0 990/— धन का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान व श्री ओम कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

3. निर्माण रजिस्टर में फर्जी निर्माण कार्य दर्शाकर अंकन रुपये 218350/— का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान व श्री ओम कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चुडियाला वर्ष 2015—16 विकास खण्ड जानसठ

4. बैंक खाते से चैक आहरण कर कोषबही में न दर्शाकर अंकन रु0 18,000/—की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति पालो ग्राम प्रधान व श्री ओम कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रसूलपुर गढी वर्ष 2015—16 विकास खण्ड जानसठ

5. बैंक खाते से चैक आहरण कर कोषबही में न दर्शाकर अंकन रु0 35,000/—की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री राम गोपाल ग्राम प्रधान व श्री सतीश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

6. सीमेन्ट क्रय पर कोषबही में दर्शाकर स्टॉक पंजिका में दर्ज न कर अंकन रु0 24,300/—की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम गोपाल ग्राम प्रधान व श्री सतीश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत टन्डेढा वर्ष 2015—16 विकास खण्ड जानसठ

7. निर्माण रजिस्टर में फर्जी निर्माण कार्य दर्शाकर अंकन रु0 84034/—की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री पवन कुमार ग्राम प्रधान व श्री भूपेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भूवापुर वर्ष 2015—16 विकास खण्ड मोरना

8. दर्शाये गये भुगतान की पुष्टि में बिल, मस्ट्रौल, स्टेटमेन्ट, एम.बी. नहीं है। साथ ही सामग्री क्रय हेतु टैण्डर/कुटेशन नहीं लिये गये हैं। अंकन रु0 283710/—की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मोहन लाल ग्राम प्रधान व श्री नरेन्द्र कुमार व आर्यन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सीकरी वर्ष 2015—16 विकास खण्ड मोरना

9. केश बुक में माह मई 2015 का आय पक्ष का योग कम दर्शाकर अंकन रु0 40250/—की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जमशेद ग्राम प्रधान व श्री बिजेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

10. ग्राम सफाई पर व्यय दर्शाकर अंकन रुपये 50,000/— का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जमशेद ग्राम प्रधान व श्री बिजेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सावटू वर्ष 2015—16 विकास खण्ड शाहपुर

11. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणित बिल व मस्ट्रौल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 1124027/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति सुमन ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सदरुद्दीन नगर वर्ष 2015—16 विकास खण्ड शाहपुर

12. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 343000/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति सज्जो देवी ग्राम प्रधान व श्री राहुल आर्य ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खेडी सूडियान वर्ष 2015-16 विकास खण्ड शाहपुर

13. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 140834/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति संजना देवी ग्राम प्रधान व श्री राहुल आर्य ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

14. गत वर्ष की अमानत को वापस किया जाना दर्शित है। पुष्टि प्रमाणित न होने के कारण अंकन 52000/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति संजना देवी ग्राम प्रधान व श्री राहुल आर्य ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत शौरों वर्ष 2015-16 विकास खण्ड शाहपुर

15. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 177000/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति मेहरुनिशा ग्राम प्रधान व मौ० हनीफ अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

16. वर्ष 2015-16 में प्रधान मानदेय का 6 माह का अतिरिक्त भुगतान कर अंकन रुपये 15000/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति मेहरुनिशा ग्राम प्रधान व मौ० हनीफ अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

17. ग्राम निधि धन को निर्वाचित कार्य में व्यय कर अंकन रुपये 5400/- की धनराशि की गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

18. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 1200/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति मेहरुनिशा ग्राम प्रधान व मौ० हनीफ अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पलडा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 विकास खण्ड शाहपुर

19. वर्ष 2014-15 में आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 950408/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सरफजीत उर्फ अलीखान ग्राम प्रधान व श्री राहुल आर्य ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

20. वर्ष 2015-16 में आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 288650/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सरफजीत उर्फ अलीखान ग्राम प्रधान व श्री मितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

21. खाते से बंसल एजेन्सी को बैंक के द्वारा भुगतान कर अंकन रु० 15550/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सरफजीत उर्फ अलीखान ग्राम प्रधान व श्री मितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत काकडा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड शाहपुर

22. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 2419155/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रविन्द्र कुमार ग्राम प्रधान व श्री मितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

23. अन्तेष्टि स्थल में प्राप्त हुई धनराशि को अन्य कार्यों में व्यय कर अंकन रुपये 42893/- का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रविन्द्र कुमार ग्राम प्रधान व श्री मितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चाँदपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड शाहपुर

24. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 123098/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमित त्यागी ग्राम प्रधान व श्री हनीफ अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

25. आहरित धन के सापेक्ष व्यय का मस्ट्रोल एवं स्वीकृत आदेश प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 37000/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमित त्यागी ग्राम प्रधान व श्री हनीफ अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दुल्हैरा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड शाहपुर

26. माह 4/2015 व 5/2015 को आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 221007/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजीव कुमार ग्राम प्रधान व श्री धर्मदत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

27. माह 6/2015 व 3/2016 को आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 305004/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजीव कुमार ग्राम प्रधान व श्री मितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ताजपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

28. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 155055/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विक्रम सिंह ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भटौड़ा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

29. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 156500/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान व श्री मुकुल कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मढकरीमपुर वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

30. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल/मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 331781/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति बबीता ग्राम प्रधान व श्री राजवीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खेडी राघडान वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

31. फर्जी बिल/प्रमाणक लगाकर ईट क्रय कर अंकन रुपये 80240/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति लता कुमारी ग्राम प्रधान व श्री रामकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चन्दसीना वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

32. रेहडा मरम्मत पर अनियमित रूप से व्यय कर अंकन रुपये 22000/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रवेश कुमार ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

33. ग्राम सफाई व कूड़ा उठाई पर अनियमित व्यय कर अंकन रुपये 60309/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रवेश कुमार ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

34. बुकलेट तैयार कर अनियमित रूप से व्यय कर अंकन रुपये 34500/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रवेश कुमार ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत फहीमपुर कलां वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

35. खाते से फर्म को चैक के द्वारा भुगतान कर सामग्री को क्रय न करके अंकन रुपये 32500/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति बीरमति ग्राम प्रधान व श्री मुकुल कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

36. कोषबही में व्यय पक्ष का योग अधिक दर्शाकर अंकन रुपये 2000/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति बीरमति ग्राम प्रधान व श्री मुकुल कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत युसुफपुर पीपलहेडा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

37. खाते से फर्म को चैक के द्वारा भुगतान कर सामग्री को क्रय न करके अंकन रुपये 66155/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कैलाश ग्राम प्रधान व श्री रामकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

38. ग्राम की कांवड मार्ग सफाई व टैन्ट पर अनियमित व्यय कर अंकन रुपये 34080/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कैलाश ग्राम प्रधान व श्री रामकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

39. मिट्टी भराव पर मानक के अनुसार अधिक भुगतान कर अंकन रुपये 41266/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कैलाश ग्राम प्रधान व श्री रामकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सादपुर वर्ष 2015–16 विकास खण्ड खतौली

40. कोषबही में व्यय पक्ष का योग अधिक दर्शाकर अंकन रुपये 20000/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति भूरी ग्राम प्रधान व श्री चन्द्रपाल ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत आदमपुर मोचडी वर्ष 2015–16 विकास खण्ड खतौली

41. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 353000/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजवीर सिंह ग्राम प्रधान व मौ० हनीफ ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत टिटौडा वर्ष 2015–16 विकास खण्ड खतौली

42. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 271000/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मांगेराम ग्राम प्रधान व श्री राजवीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सराय रसूलपुर वर्ष 2015–16 विकास खण्ड खतौली

43. खाते से फर्म को चैक के द्वारा भुगतान कर सामग्री को क्रय न करके अंकन रुपये 30000/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति शारदा ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

44. ग्राम सफाई व कूड़ा उठाई पर अनियमित व्यय कर अंकन रुपये 44000/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति शारदा ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

45. विभिन्न व्ययों पर अनियमित रूप से धन व्यय कर अंकन रुपये 67000/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति शारदा ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सोन्टा वर्ष 2015–16 विकास खण्ड खतौली

46. खाते से फर्म को चैक के द्वारा भुगतान कर सामग्री को क्रय न करके अंकन रुपये 60800/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति मन्जू देवी ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

47. कांवड मार्ग पर की गई सफाई पर अनियमित व्यय तथा मिष्ठान पर अनियमित व्यय कर अंकन रुपये 30000/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति मन्जू देवी ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

48. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 617923/— की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति मन्जू देवी ग्राम प्रधान व श्री विष्णु दत्त ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दूधाहेडी वर्ष 2015–16 विकास खण्ड खतौली

49. आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बिल व मस्ट्रोल प्रस्तुत न करके अंकन रुपये 526726.50/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति मिथलेश ग्राम प्रधान व श्री मुकुल कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चिन्दौडा वर्ष 2015-16 विकास खण्ड खतौली

50. कोषबही में व्यय पक्ष का योग अधिक दर्शाकर अंकन रुपये 2500/- की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रदीप कुमार ग्राम प्रधान व श्री चन्द्रपाल ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम :- सहारनपुर

मण्डल का नाम:- सहारनपुर

1, ग्राम पंचायत- मीरपुर मोहनपुर विकासखण्ड- नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-01

दिनांक - 21/04/2015 को चैक संख्या 726575 से अंकन रुपये 45000 ग्राम निधि 1 से आहरित कर कैश बुक में अंकन रुपये 15000 दर्ज कर अंकन रुपये 30,000 का सीधा अपहरण किया गया। अतः रु- 30000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अन्नू चौधरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 12)

2, ग्राम पंचायत- डकरावर कला विकासखण्ड- रामपुर मनिहारन अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-02

ग्राम निधि खाता संख्या 634802010000434 से दिनांक 19-6-2015 को चैक सं० 20117292 द्वारा रु० 20000/- का आहरण किया गया है जिसका लेखा कैश बुक के आय पक्ष में न कर सीधे रोकड का अपहरण किया गया है। अतः रु- 20000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय सैनी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 29)

3, ग्राम पंचायत- मडकी विकासखण्ड- बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-03

, ग्राम निधि -1 बैंक खाता सं० 24270100017592 (बैंक ऑफ बडौदा) से निकासी का विवरण कैश बुक के आय पक्ष में दर्शित है। परन्तु व्यय पक्ष में आहरित धनराशि में आहरित धनराशि के सापेक्ष खर्च दर्शित नहीं पाया गया। साथ ही सम्बन्धित तिथि/ माह का व्यय बिल-बाउचर,मस्टररोल एवं स्टॉक रजिस्टर तथा सार्वजनिक निर्माण रजि० और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध होने के कारण अपहरण की पुष्टी होती है। अतः रु- 101424.000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजब सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विशाल पंवार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 25

निम्नलिखित धनराशि बैंक पास बुक/स्टेटमेंट पर आधारित है।

क्रम सं०	चैक सं०	तिथि	निकासी धनराशि रुपये
1	141	30.6.2015	50000 .00
2	142	30.07.2015	5000.00
3	143	04.08.2015	5000.00
4	144	11.08.2015	10000.00
5	145	28.08.2015	1500.00
6	146	11.08.2015	14924.00

7	147	07.08.2015	2000.00
8	148	19.08.2015	3000.00
9	149	19.08.2015	3000.00
10	150	01.09.2015	7000.00
		योग	101424.00

4, ग्राम पंचायत— मेघ छप्पर विकासखण्ड— बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—04

ग्राम प्रधान के राज्य वित्त बैंक खाता से निकासी का विवरण कैश बुक के आय पक्ष में दर्शित है परन्तु व्यय पक्ष में खर्च दर्शित नहीं पाया साथ ही सम्बंधित तिथि / माह का बिल — बाउचर मस्ट्ररोल एवं स्टॉक रजि० तथा सार्वजनिक निर्माण रजि० और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त होने के कारण अपहरण की पुष्टी होती है। अतः रु— 123000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अंजुम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विशाल पंवार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 25

विवरण निम्नवत है। विवरण बैंक पास बुक / स्लेटमेन्ट से लिया गया।

क्रम सं०	चैक सं०	तिथि	निकासी धनराशि रुपये
1	4426241	25.08.2015	10000 .00
2	4426242	01.09..2015	15000.00
3	4426243	31.08.2015	20000.00
4	4426244	25.08.2015	20000.00
5	4426247	16.09.2015	22000.00
6	4426248	24.08..2015	14000.00
7	4426246	16.09.2015	22000.00
		योग	102300.00

5, ग्राम पंचायत— दानियालपुर उर्फ नौजली विकासखण्ड— बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—05

ग्राम निधि —1 बैंक खाता सं० 1169155869 से निकासी का विवरण निम्नवत है जिसका अंकन कैश बुक के आय पक्ष में दर्शित है परन्तु व्यय पक्ष में खर्च दर्शित नहीं पाया साथ ही सम्बंधित तिथि / माह का बिल — बाउचर मस्ट्ररोल एवं स्टॉक रजि० तथा सार्वजनिक निर्माण रजि० और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त होने के कारण अपहरण की पुष्टी होती है। अतः रु— 287000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती वरिशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विशाल पंवार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 25

विवरण निम्नवत है। विवरण बैंक पास बुक / स्लेटमेन्ट से लिया गया।

क्रम सं०	चैक सं०	तिथि	निकासी धनराशि रुपये
1	144868	14.07.2015	50000 .00
2	144869	14.07..2015	40000.00
3	144870	14.08..2015	54000.00
4	144871	14.08.2015	45000.00
5	144872	10.09.2015	8000.00
6	144873	10.09..2015	45000.00

7	144874	10.09.2015	45000.00
		योग	287000.00

6, ग्राम पंचायत— माल्ली विकासखण्ड— बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—06

ग्राम निधि —1 भारतीय स्टेट बैंक खाता सं० 11691558727 से निम्नलिखित तिथियों को निकासी का विवरण कैश बुक के आय पक्ष में दर्शित है परन्तु व्यय पक्ष में खर्च दर्शित नहीं पाया साथ ही सम्बंधित तिथि /माह का बिल — बाउचर मस्टररोल एवं स्टॉक रजि० तथा सार्वजनिक निर्माण रजि० और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त होने के कारण अपहरण की पुष्टी होती है। अतः रु— 180500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विजेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विशाल पंवार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 24

निम्न विवरण बैंक पास बुक/स्लेटमेन्ट से लिया गया।

क्रम सं०	चैक सं०	तिथि	निकासी धनराशि रुपये
1	99153	14.07.2015	50000 .00
2	99154	14.07..2015	50000.00
3	99155	08.09..2015	37500.00
4	99156	28.08.2015	35000.00
5	99157	28.08.2015	6000.00
6	99158	10.09कृ०2015	2000.00
		योग	180500.00

7, ग्राम पंचायत— जयरामपुर विकासखण्ड— सरसावा अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—07

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि 1 खता सं० 31679572283, स्टेट बैंक आफ इण्डिया पिलखनी से दिनांक 04—04—15 को ग्रामप०अधिकारी श्री जे०पी० वर्मा द्वारा रु० 1,00,000—00 नकद आहरित किया गया है किन्तु आहरित धनराशि का लेखा कोष बही में नहीं किया गया है इस प्रकार रु 10,0000 का सीधा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कुन्ता देवी तथा ग्रामप०अधिकारी श्री जे०पी०वर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—25)

8, ग्राम पंचायत— महमूदपुर विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—08

माह अप्रैल 2015 में कैश बुक में रु 35000.00 बैंक से आहरण की प्रविष्टि की गई हैं। जिसका न तो कोई व्यय किया गया है और न ही शेष रोकड़ में सम्मिलित करके दर्शाया गया है अतः सचिव एवं प्रधान द्वारा धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह तथा ग्रामप०अधिकारी श्री नैन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०—23)

प्रस्तर— 09

लेखा परीक्षा वर्ष में रु० 410004.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणक एस्टीमेट कार्यपूर्ति, स्टॉक पंजिका के अभाव में न की जा सकी। अतः प्रधान योगेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री नैन सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०—24)

9, ग्राम पंचायत— मझौल जबरदस्तपुर विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—10

.लेखा परीक्षा वर्ष में 837293.00 का व्यय किया गया है। पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति निर्माण रजिस्टर अनुपलब्ध होने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रधान मदन सिंह एवं सचिव श्री नैन सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।
(आपत्ति सं०—23)

10, ग्राम पंचायत— रणमलपुर विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—11

वर्ष 2014—15 में रू० 609577.00 का व्यय किया गया है जिसके प्रमाणकों के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा है। अतः प्रधान मंगल सिंह एवं सचिव श्री नैन सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

(आपत्ति सं०—23)

प्रस्तर— 12

वर्ष 2015—16 में रू० 382810.00 का व्यय किया गया है जिसके प्रमाणकों के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा है। अतः प्रधान मंगल सिंह एवं सचिव श्री नैन सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

(आपत्ति सं०—24)

प्रस्तर—13

3माह अगस्त 15 में आय पक्ष का योग 10000 कम दर्शाकर पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः प्रधान मंगल सिंह एवं सचिव श्री नैन सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

(आपत्ति सं०—25)

11, ग्राम पंचायत— अम्बौली विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015—16 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—14

लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 से 2015—16 तक रू० 9121119.00 का व्यय किया पुष्टि में व्यय प्रमाणक , निर्माण रजिस्टर ,कार्यपूर्ति आदि अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय अपुष्ट रहा है। अतः प्रधान शीश राम एवं सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

(आपत्ति सं०—23)

मण्डल— वाराणसी

1—ग्राम पंचायत—अटौली विकास खण्ड—धानापुर वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—1

दिनांक 16.04.15 को कोष बही में (सरजू के घर से.....के घर तक) रु0 1050.00 मजदूरी भुगतान खारिज किया गया है। लेखा—परीक्षा में प्रस्तुत पासबुक में दिनांक 16.04.15 को अंतरण द्वारा चेक सं0 21040792 से रु0 1050.00 डेविट था। इस प्रकार भुगतान किसे हुआ है, स्पष्ट नहीं है। लेखा—परीक्षा में रु0 1050.00 का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोष बही में ही कार्यस्थल का नाम स्पष्ट (सरजू के घर से.....के घर तक) अंकित था। कार्य स्थल प्रारम्भ कहाँ है दर्शित है किन्तु समाप्ति किस स्थल पर हुआ अंकित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोष बही में मजदूरी भुगतान पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 1050.00 का तत्कालीन प्रधान संजीव यादव व ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतएव रु0 1050.00 ब्याज सहित की वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

दिनांक 16.04.15 को कोष बही में पुनवासी विन्द के घर से बनारसी शर्मा के घर तक नाली निर्माण कार्य पर रु0 11122.00 मजदूरी भुगतान खारिज किया गया है। लेखा—परीक्षा में प्रस्तुत पासबुक में दिनांक 16.04.15 को अंतरण द्वारा चेक सं0 21040788 से रु0 11112.00 डेविट था। इस प्रकार भुगतान किसे हुआ है, स्पष्ट नहीं है। लेखा—परीक्षा में रु0 11112.00 का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोष बही के अनुसार उक्त कार्य पर कोई निर्माण सामग्री के क्रय पर व्यय ही खारिज था। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोष बही में मजदूरी भुगतान पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 11112.00 का तत्कालीन प्रधान संजीव यादव व ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतएव रु0 11112.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—3

दिनांक 29.05.15 को निधि प्रथम खाता सं0 349602010009911 (यू0बी0आई0 धानापुर) से चेक सं0 21042442 द्वारा रु0 11622.00 का आहरण स्वयं द्वारा किया गया है जिसकी प्रविष्टि कोष बही के आय पक्ष में भी की गयी है लेकिन व्यय पक्ष में सिर्फ व्यय धनराशि रु0 11622.00 अंकित था, मद का नाम/विवरण अंकित नहीं था और न ही व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया। अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का व्यय नहीं हुआ है और न ही उक्त धनराशि को कोष बही में मासान्त का अवशेष ही दर्शाया गया है। अतएव आहरित धनराशि रु0 11622.00 का तत्कालीन प्रधान संजीव यादव व ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतएव रु0 11622.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—4

आलोच्च वर्ष में दधिवल यादव के खेत से अमरदेव यादव के खेत तक खड़जा मरम्मत हेतु दिनांक 06.08.15 को 3000 प्रथम श्रेणी ईट एवं दिनांक 08.08.15 को 1000 प्रथम श्रेणी ईट कुल 4000 ईट 6500.00 प्रति हजार की दर से क्रय कर क्रमशः चेक सं0 21042446 से रु0 19500.00 एवं चेक सं0 21042445 से रु0 6500.00 कुल रु0 26000.00 का भुगतान ईट आपूर्तिकर्ता राजेश ईट उद्योग को किया गया है। कोष बही के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक उक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय शून्य है। अतः स्पष्ट है कि उक्त ईट का उपभोग दिनांक 31.03.16 तक नहीं हुआ है और न ही ईट का स्टॉक पूँजी लेखा—परीक्षा में उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार उक्त ईट जिसका कुल कीमत रु0 26000.00 होता है, का तत्कालीन प्रधान संजीव यादव व ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतएव रु0 26000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत-शांतिपुर तोरवा विकास खण्ड-धानापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-5

दिनांक 14.05.15 को रु0 20000.00, दिनांक 30.09.15 को रु0 15000.00 अर्थात कुल रु0 35000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर भुगतान कोष बही में दर्शित है। उक्त भुगतान की जाँ में लेखा परीक्षा समय निम्न आपत्तियां पायी गया :-

क- लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

ख- संबंधित लाभार्थी का मांग पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ग- उक्त भुगतान से कितना नग हैण्डपम्प व ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर मरम्मत कराया गया से संबंधित विवरण सुलभ नहीं रहा।

घ- हैण्ड पम्प मरम्मत के निष्प्रयोजन सामग्री की बिक्री से आलोच्य वर्ष के कोष बही में कोई आय दर्शित नहीं है।

ङ- अन्य कोई पुष्टिकारक अभिलेख जो उक्त भुगतान की पुष्टि करता हो लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं रहा। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त भुगतान पूर्णतया काल्पनिक व धन का अपहरण है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार व प्रधान श्री राजेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु0 35000.00 की वसूली मय ब्याज उत्तरदायी व्यक्ति से बराबर-बराबर संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

दिनांक 04.04.15 को रु0 3500.00 का भुगतान किस उद्देश्य के लिए किया गया है कैश बुक पर अंकित नहीं है और न उक्त भुगतान से संबंधित व्यय प्रमाणक/अन्य पुष्टिकारक अभिलेख सुलभ कराया गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त भुगतान काल्पनिक व धन का अपहरण है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार व प्रधान श्री राजेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु0 3500.00 की वसूली मय ब्याज उत्तरदायी व्यक्ति से बराबर-बराबर संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

वर्ष 2015-15 के विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के प्राचार-प्रसार के विज्ञापन पर खर्च किया गया है। जो कैश बुक पर अंकित है। विवरण निम्न अनुसार है :-

क्र० सं०	दिनांक	उद्देश्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	13.05.15	ग्रा0पं0 के प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	जय प्रकाश यादव-आज अखबार	3000.00
2	19.05.15	ग्रा0पं0 के प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	ओंकारनाथ यादव-आज अखबार	3000.00
3	20.05.15	ग्रा0पं0 के प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	न्याज अहमद- दैनिक जागरण	2000.00
4	20.05.15	ग्रा0पं0 के प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	अबुल कैश -सहारा इण्डिया	3000.00
5	24.08.15	ग्रा0पं0 में स्वच्छता के प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	दीपक सिंह-हिन्दुस्तान	2000.00
6	24.09.15	ग्रा0पं0 में 15 अगस्त पर प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	न्याज अहमद- दैनिक जागरण	4000.00
7	24.09.15	ग्रा0पं0 में 15 अगस्त पर प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	अबुल कैश -सहारा इण्डिया	2000.00
8	24.09.15	ग्रा0पं0 में 15 अगस्त पर प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर खर्च	संजय उपाध्याय-अमर उजाला	2000.00
योग				21000.00

उक्त भुगतान की जांच में निम्न आपत्ति पायी गयी है :-

- 1-उक्त भुगतान से संबंधित भुगतान प्रमाणक/चेक प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं रहा।
- 2-नियमानुसार उक्त भुगतान संबंधित अखबार को एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से किया जाना था। परन्तु अखबार को न करके उक्त अंकित व्यक्ति के नाम चेक काटा गया है।
- 3-लेखा परीक्षा में संबंधित अखबार की प्रति भी सुलभ नहीं रहा।

उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त भुगतान धन का अपहरण रहा। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार व प्रधान श्री राजेश यादव उत्तरदायी हैं। अतः रु0 21000.00 की वसूली मय व्याज उत्तरदायी व्यक्ति से बराबर-2 संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

दिनांक 23.09.2015 को रु0 5000.00 का भुगतान ग्राम पंचायत में स्टेशन न्यूज टी0वी0 पर किया गया है जो कैश बुक पर दर्शित है। उक्त भुगतान से संबंधित भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं रहा। उक्त भुगतान की जांच बैंक पासबुक से करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भुगतान श्री मुकेश कुमार मौर्या को चेक संख्या 21037531 द्वारा किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि भुगतान काल्पनिक व धन का अपहरण है। जिसके लिए तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार व प्रधान श्री राजेश यादव उत्तरदायी हैं। अतः रुपया 5000.00 की वसूली मय व्याज उत्तरदायी व्यक्ति से बराबर-2 संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

3-ग्राम पंचायत-मन्नापुर विकास खण्ड-नियमताबाद वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-9

ग्राम मन्नापुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में रु0 20500.00 का अपहरण पाया गया जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 10.06.2015 एवं दिनांक 11.06.2015 को कराए गए हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी पर रु0 10200.00 एवं रु0 10300.00 व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही प्रस्ताव बही, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति की कार्यवाही पंजी व स्टाक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे उपरोक्त व्यय रु0 20500.00 की पुष्टि न की जा सकी। अतएव उक्त व्यय को अपुष्ट मानते हुए ब्याज सहित उसकी वसूली अपेक्षित है।

अतएव रु0 20500.00 की शीघ्र ब्याज सहित वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

4-ग्राम पंचायत-बखरा विकास खण्ड-नियमताबाद वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-10

ग्राम बखरा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में रु0 9762.00 का अपहरण पाया गया जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 18.05.2015 को कराए गए खण्डजा कार्य की मजदूरी पर रु0 9672.00 व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल एवं अन्य संबंधित प्रमाणक यथा प्रस्ताव बही, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका एवं स्टाक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। व्यय को अपुष्ट मानते हुए उसकी वसूली अपेक्षित है।

अतएव रु0 9762.00 की शीघ्र ब्याज सहित वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

5-ग्राम पंचायत-पुरैनी विकास खण्ड-नियमताबाद वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष 2015-16 में तेरहवां/राज्य वित्त मद से निम्न तिथियों में कराए गये कार्यों पर कुल रु0 345905.00 का व्यय किया गया है जो कोष बही में अंकित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव उक्त धनराशि रु0 345905.00 ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीस कुमार सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीस कुमार सिंह से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है :-

15.06.15	नन्दकिशोर के घर से कमरुद्दीन के घर तक सीवर कार्य पर ह्यूम पाइप कय	75000.00
15.06.15	ओम साई इन्डस्ट्रीज को भुगतान	30576.00
15.06.15	योगेश्वरी इन्टरप्राइजेज को भुगतान	24141.00
19.03.16	योगेश्वरी इन्टरप्राइजेज को भुगतान	77170.00
19.03.16	मुन्नालाल चौरसिया को भुगतान	300.00
03.08.15	नन्दकिशोर के घर से कमरुद्दीन के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु ओम साई इन्डस्ट्रीज को भुगतान	50400.00
08.07.15	पूमा0विद्यालय सैदपुर में मिटटी भराई की मजदूरी	9016.00
08.07.15	रामअवतार को मिटटी का भुगतान	38850.00
08.07.15	योगेश्वरी इन्टरप्राइजेज को भुगतान	21782.00
08.07.15	अमित कंकरिट उद्योग को भुगतान	2975.00
27.07.15	नन्दकिशोर के घर से कमरुद्दीन के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	15749.00
	योग	345905.00

6-ग्राम पंचायत-पिपरी विकास खण्ड-सकलडीहा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-12

ग्राम पंचायत-पिपरी, विकास क्षेत्र-सकलडीहा, जनपद-चन्दौली के वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिसके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

(क)- कैश बुक में दर्शित निम्नांकित व्ययों की पुष्टि में किसी प्रकार का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया :-

क्र०सं०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	दिनांक	धनराशि	व्यय-विवरण
1	सचिव श्री सुभाष चन्द्र भारती एवं प्रधान श्री अरविन्द कुमार यादव	21.04.15	18920.00	सफाई सामग्री- बेलचा, झाड़ू व ठेलागाड़ी
2	सचिव श्री सुभाष चन्द्र भारती एवं प्रधान श्री अरविन्द कुमार यादव	29.04.15	17920.00	स्टेशनरी कय
3	सचिव श्री सुभाष चन्द्र भारती एवं प्रधान श्री अरविन्द कुमार यादव	06.05.15	27000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री
		योग	63840.00	

(ख)

क्र०सं०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	दिनांक	धनराशि	व्यय-विवरण
1	सचिव श्री राजेश कुमार वर्मा एवं प्रधान श्री रामविलास यादव	06.02.16	27360.00	कुर्सी, टेबल व आलमीरा कय
2	सचिव श्री राजेश कुमार वर्मा एवं प्रधान श्री रामविलास यादव	29.03.16	23700.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री
		योग	51060.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार व्यय की पुष्टि में किसी प्रकार का साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कैंश बुक में दर्शित उपरोक्त सामग्री का क्रय से पूर्व कोटेशन/टेण्डर नहीं लिया गया है। हैण्ड पम्पों के मरम्मत हेतु जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति रिपोर्ट सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहा। संबंधित कार्यवाही पंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रस्ताव सं० व प्रस्ताव की तिथि सम्बंधित स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित समस्त भुगतान लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है।

अतएव रु० 63840.00 सचिव श्री सुभाष चन्द्र भारती एवं तत्कालीन प्रधान श्री अरविन्द कुमार यादव से तथा रु० 51060.00 सचिव श्री राजेश कुमार वर्मा एवं प्रधान श्री रामविलास यादव से ब्याज सहित जमा कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

7-ग्राम पंचायत-धानापुर विकास खण्ड-चन्दौली वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-13

(क) निम्नांकित तिथियों में विवरणहीन कार्य हेतु जायवाल इ०प्रा० से निर्माण सामग्री काल्पनिक क्रय दर्शाकर अपहरण किया गया है।

दिनांक	वा०नं०	धनराशि	
04.04.15	1	84585.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
02.05.15	2	34245.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
02.05.15	3	71522.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
	योग	190352.00	

दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। कार्यस्थल का उल्लेख नहीं होने के कारण किया गया व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित रहा। अतः सम्बन्धित प्रधान एवं ग्रा०प०अ० से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उपरोक्त भुगतान एकाउन्ट पेयी द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं स्टॉक पंजी अप्राप्त। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्रा०प०अ० से रु० 190352.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

(क) निम्नांकित तिथियों में विवरणहीन कार्य पर काल्पनिक मजदूरी व्यय दर्शाकर रुपया 49020.00 का अपहरण किया गया है। व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा :-

दिनांक	वा०नं०	धनराशि
12.05.2015	4	29556.00
12.05.2015	5	19464.00
	योग	49020.00

(ख) कार्यवाही पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का नाम, सम्पत्ति सृजन एवं कार्य पूर्ण होने का प्रमाण अज्ञात रहा।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा०प०अ० से रु० 49020.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

(क) निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 33330.00 का अपहरण किया गया है :-

दिनांक	वा०नं०	सामग्री	मजदूरी	योग
20.05.15	7	14560.00	—	14560.00
03.07.15	8	14270.00	—	14270.00
03.07.15	9	—	4500.00	4500.00
योग		28830.00	4500.00	33330.00

(ख) उपरोक्त भुगतान एकाउन्ट पेयी द्वारा नहीं किया गया है और न ही व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराया गया।

(ग) कार्यवाही पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा०पं०अ० से रु० 33330.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 30950.00 का अपहरण किया गया है। व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा :-

दिनांक	वा०नं०	विवरण	धनराशि	कुल धनराशि
06.03.16	15	सामग्री	24870.00	30950.00
16.03.16	16	मजदूरी	6080.00	

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा०पं०अ० से रु० 30950.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

8-ग्राम पंचायत-जसुरी विकास खण्ड-चन्दौली वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-17

(क) बैंक खाता संख्या-34400100001168 से विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 251246.00 का आहरण कर व कोषबही में नहीं दर्शाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत है :-

क्र०	दिनांक	धनराशि
1	06.04.2015	9660.00
2	06.04.2015	9660.00
3	06.04.2015	6408.00
4	13.04.2015	52000.00
5	15.04.2015	21397.00
6	16.04.2015	651.00
7	25.04.2015	39000.00
8	13.05.2015	20000.00
9	13.05.2015	18145.00
10	14.05.2015	59450.00
11	19.05.2015	14875.00
	योग	251246.00

(ख) उपरोक्त तिथियों में किया गया भुगतान एकाउन्ट पेयी द्वारा नहीं किया गया है। भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

(ग) कार्यवाही पंजिका, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अभाव में धन आहरण का उद्देश्य, निर्माण सामग्री का विवरण एवं किया गया कार्य(सृजित सम्पत्ति) का विवरण अज्ञात रहा।

तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०अ० द्वारा अपहरण के उद्देश्य से रुपया 251246.00 का आहरण कर गबन किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

(क) दिनांक 14.06.2015 एवं दिनांक 24.06.2015 को ओम कन्स्ट्रक्शन को बिना एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा बिना कार्य के क्रमशः रु० 20638.00 एवं रु० 58500.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

(ख) कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजिका एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में धन भुगतान का उद्देश्य, कार्य का नाम, निर्माण सामग्री का विवरण एवं सृजित सम्पत्ति का विवरण अज्ञात रहा।

तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०अ० द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 79138.00 का अपहरण किया जाता है। अतः उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

9—ग्राम पंचायत—भभौरा विकास खण्ड—चकिया वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—19

ग्राम निधि—1 खाते में दिनांक 18.03.2016 को रु0 72800.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित है। मरम्मत स्थल का विवरण नहीं दिया गया है। कितनी धनराशि सामग्री क्रय पर व्यय की गयी तथा कितनी मजदूरी पर व्यय की गयी, इसका भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात न हो सका कि अवशिष्ट डेडस्टॉक कितने मूल्य का था तथा वह धनराशि किस कार्य पर कैसे व्यय की गयी। जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्वीकृति ली गयी थी या नहीं, यह भी ज्ञात न हो सका क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि रु0 72800.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर उसका अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्री अवधेश कुमार(ग्रा0प्र0) तथा श्री योगेन्द्र पाल(ग्रा0प0अ0) से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

10—ग्राम पंचायत—मुज्जफरपुर विकास खण्ड—चकिया वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—20

ग्राम निधि—1 खाते में दिनांक 15.07.2015 को रु0 42730.00 एवं दिनांक 11.02.2016 को रु0 39600.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित है। मरम्मत स्थल का विवरण नहीं दिया गया है। कितनी धनराशि सामग्री क्रय पर व्यय की गयी तथा कितनी मजदूरी पर व्यय की गयी, इसका भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात न हो सका कि अवशिष्ट डेडस्टॉक कितने मूल्य का था तथा वह धनराशि किस कार्य पर कैसे व्यय की गयी। जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्वीकृति ली गयी थी या नहीं, यह भी ज्ञात न हो सका क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि रु0 82330.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर उसका अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती शांति देवी (ग्रा0प्र0) एवं श्री त्रिदेव(ग्रा0प्र0) तथा श्री राजेन्द्र भारती(ग्रा0प0अ0) से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

11—ग्राम पंचायत—कोनिया विकास खण्ड—चन्दौली वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—21

दिनांक 22.04.2015 वा0नं0(2) विवरणहीन व्यय अज्ञात को भुगतान रुपया 15750.00 कोष बही में दर्शित था। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रुपया 15750.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—22

दिनांक 04.06.2015 वा0नं0(6) विवरणहीन व्यय जायसवाल इं0प्रा0 को रुपया 65000.00 का भुगतान दर्शित था। इसकी पुष्टि में सामग्री का विवरण, कोटेशन, व्यय प्रमाणक स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर निर्माण कार्य समिति का प्रस्ताव एवं अनुमति अनुपलब्ध रहा। अतः अपहरण की धनराशि रुपया 65000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—23

दिनांक 27.06.2015 वा0नं0(10) विवरणहीन व्यय जायसवाल इं0प्रा0 को रुपया 21340.00 का भुगतान दर्शित था। इसकी पुष्टि में सामग्री का विवरण, कोटेशन, व्यय प्रमाणक स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर अनुपलब्ध था। भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रुपया 21340.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—24

दिनांक 30.06.2015 वा0नं0(13) मिट्टी/खण्डजा कार्य की मजदूरी पर रुपया 20710.00 का भुगतान दर्शित था। इसकी पुष्टि में मस्टररोल, इस्टीमेट, एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति एवं कार्यवाही रजि0 अनुपलब्ध रहा।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 20710.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25

दिनांक 28.07.2015 वा0नं0(16) एवं वा0नं0(18) क्रमशः रुपया 45500.00 एवं रुपया 17550.00 का विवरणहीन निर्माण सामग्री क्रय जायसवाल इं0प्रा0 से किया गया दर्शाया गया है। उक्त सामग्री जहाना सिंह के खेत से काली मंदिर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य हेतु क्रय किया गया दर्शित है, किन्तु वर्ष पर्यन्त सामग्री उपभोग नहीं हुआ। स्पष्ट है कि अपहरण के उद्देश्य से काल्पनिक कार्य हेतु काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है। उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 63050.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 36400.00 का अपहरण किया गया है :-

थदनांक	वा0नं0	विवरण	धनराशि	
06.04.2015	1	सामग्री क्रय	9950.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
16.05.2015	5	सामग्री क्रय	15450.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
23.06.2015	9	सामग्री क्रय	11000.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	36400.00	

कोषबही में सामग्री क्रय का (मजदूरी) नहीं दर्शित है। स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अभाव में उक्त व्यय काल्पनिक प्रतीत होती है।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 36400.00 ब्याज सहित की वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27

निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 28530.00 का अपहरण किया गया है। व्यय प्रमाणक/मस्टररोल अप्राप्त :-

थदनांक	वा0नं0	विवरण	धनराशि
16.03.2016	22	सामग्री क्रय	22650.00
29.06.2016	23	मजदूरी	5000.00
29.06.2016	24	मजदूरी	880.00
		योग	28530.00

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 28530.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

12-ग्राम पंचायत-एकौनी विकास खण्ड-चन्दौली वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-28

दिनांक 22.04.2015 को चेक संख्या-86 द्वारा दो माह(फरवरी,मार्च- 2015) का मानदेय रुपया 5000.00 ग्राम प्रधान को भुगतान दर्शाने के बाद पुनः दिनांक 07.07.2015 को चेक संख्या-90 द्वारा दो माह(माच,अप्रैल- 2015) का मानदेय रुपया 5000.00 ग्राम प्रधान को भुगतान दर्शित है। इस प्रकार माह मार्च-2015 का मानदेय दो बार आहरण कर रुपया 2500.00 का अपहरण किया गया। मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहा। अतः ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29

(क) दिनांक 25.07.2015 को चेक संख्या-92 द्वारा बिना किसी कार्य के विवरणहीन निर्माण सामग्री जायसवाल इं0प्रा0 से रुपया 69917.00 का क्रय काल्पनिक रुप से दर्शाया गया है। किन्तु सामग्री का उपभोग आलोच्य वर्ष में नहीं दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

(ख) उपरोक्त तिथियों में किया गया भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) कार्यवाही पंजिका, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण के अभाव में धन आहरण का उद्देश्य, स्टॉक का विवरण एवं कार्य का नाम अज्ञात रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि अपहृत कर ली गयी है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपया 69917.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30

(क) दिनांक 25.07.2015 को चेक संख्या-91 द्वारा बिना किसी कार्य के जय बजरंग से रुपया 63173.00 का ईट कय काल्पनिक रुप से दर्शाया गया है। किन्तु सामग्री का उपभोग आलोच्य वर्ष में नहीं दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

(ख) उपरोक्त तिथियों में किया गया भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) कार्यवाही पंजिका, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण के अभाव में धन आहरण का उद्देश्य, स्टॉक का विवरण एवं कार्य का नाम अज्ञात रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि अपहृत कर ली गयी है।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपया 63173.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत-धूरीकोट विकास खण्ड-चन्दौली वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-31

दिनांक 10.04.2015 वा0नं0(1) कोषबही में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय रुपया 38820.00 दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर कार्यपूर्ति कार्यवाही पंजिका, जलप्रबंधन समिति का प्रस्ताव एवं उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 38820.00 का अपहरण किया गया।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपया 38820.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32

दिनांक 15.04.2015, वा0नं0(2) कोषबही में हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी पर रुपया 4200.00 का दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। भुगतान एकाउन्ट पेयी द्वारा नहीं किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 4200.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33

दिनांक 13.05.2015, वा0नं0(3) हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का कय रुपया 32350.00 का दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति, कार्यवाही पंजिका एवं उपभोग का विवरण (स्थलवार) अनुपलब्ध रहा।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 32350.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34

दिनांक 23.06.2015, वा0नं0(8) हैण्डपम्प सामग्री का व्यय रुपया 11320.00 का दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति, कार्यवाही पंजिका एवं स्थलवार उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा। अतः अपहरण की धनराशि रुपया 11320.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35

दिनांक 07.08.2015, वा0नं0(12) हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का व्यय रुपया 21325.00 का दर्शित था। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति, कार्यवाही पंजिका एवं स्थलवार उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 21325.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

दिनांक 14.08.2015, वा0नं0(13) हैण्डपम्प मजदूरी पर व्यय रुपया 5000.00 का दर्शित था। इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 5000.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37

दिनांक 03.09.2015, वा0नं0(15) हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का व्यय रुपया 9275.00 का दर्शित था। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति, कार्यवाही पंजिका कार्यपूर्ति एवं स्थलवार उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपया 9275.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38

दिनांक 12.10.2015, वा0नं0(21) हैण्डपम्प सामग्री का व्यय रुपया 15953.00 का दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति एवं स्थलवार उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा। अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 15953.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जा अपेक्षित है।

प्रस्तर-39

दिनांक 16.10.2015, वा0नं0(22) हैण्डपम्प मजदूरी पर व्यय रुपया 1800.00 दर्शित तथा इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 1800.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40

दिनांक 14.07.2015, वा0नं0(10) ह्यूमपाइप रुपया 7666.00 का व्यय दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका एवं उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। उपरोक्त ह्यूमपाइप किस स्थान पर लगाई गई दर्शित नहीं था।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 7666.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41

दिनांक 26.10.15, वा0नं0(24) स्ट्रीट लाइट पर व्यय रुपया 22500.00 दर्शित तथा इसकी पुष्टि में कोटेशन, सामग्री का विवरण, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति एवं स्थलवार उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा। अतः अपहरण की धनराशि रुपया 22500.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42

दिनांक 26.10.15, वा0नं0(25) स्ट्रीट लाइट पर व्यय रुपया 17500.00 दर्शित तथा इसकी पुष्टि में कोटेशन, सामग्री का विवरण, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति एवं स्थलवार उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा। अतः अपहरण की धनराशि रुपया 17500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43

दिनांक 08.03.16, वा0नं0(27) हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी पर व्यय रुपया 2880.00 दर्शित था। इसकी पुष्टि में स्थलवार विवरण एवं मस्टररोल अनुपलब्ध रहा। उक्त व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 2880.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44

दिनांक 15.03.16, वा0नं0(28) हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का व्यय रुपया 23260.00 का दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कोटेशन, सामग्री का विवरण, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहा।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 23260.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45

दिनांक 16.03.16, वा0नं0(29) हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय रुपया 3200.00 का दर्शित तथा इसकी पुष्टि में स्थलवार विवरण एवं मस्टररोल अनुपलब्ध रहा।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपया 3200.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत-मानिकपुर विकास खण्ड-चन्दौल वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-46

(क) दिनांक 18.06.15 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का काल्पनिक क्रय दर्शाकर रुपया 18560.00 का अपहरण किया गया। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं स्थान का नाम का विवरण अप्राप्त रहा।

(ख) उक्त भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक नहीं किया गया है।

(ग) कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजिका एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) जल प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्ताव एवं स्वीकृति भी नहीं ली गयी है।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 18560.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47

दिनांक 08.07.15 को सफाई सामग्री पर काल्पनिक व्यय रुपया 5000.00 दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से उक्त अपहरण की धनराशि रुपया 5000.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48

दिनांक 17.08.15 को स्टेशनरी सामग्री का काल्पनिक क्रय रुपया 5000.00 ग्राम प्रधान द्वारा दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। दुकान का नाम एवं सामग्री का विवरण भी अज्ञात रहा।

अतः तत्कालीन प्रधान से अपहरण की धनराशि रुपया 5000.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49

(क) दिनांक 19.03.16 को हैण्डपम्प मरम्मत का काल्पनिक क्रय दर्शाकर रुपया 13340.00 का अपहरण किया गया है। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

(ख) उक्त भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजिका एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपहरण की धनराशि रुपया 13340.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत-लीलापुर विकास खण्ड-चन्दौली वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-50

दिनांक 06.05.15 वा0नं0(4) रुपया 10500.00 कोषबही में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 10500.00 का अपहरण किया गया है। उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं रायल्टी का विवरण अप्राप्त रहा। भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 10500.00 तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51

(क) निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का काल्पनिक क्रय दर्शाया गया है। उक्त सामग्री का आलोच्य वर्ष में उपभोग नहीं दर्शित है। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं स्थलवार उपयोग का विवरण अनुपलब्ध रहा—

थदनांक	वा0नं0	धनराशि
09.05.2015	09	15376.00
07.07.2015	12	11660.00
	योग	27036.00

(ख) उक्त भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) उक्त की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजिका एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।

(घ) जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति से सम्बन्धित रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 27036.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52

(क) निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 14800.00 का अपहरण किया गया है—

दिनांक	वा0नं0	विवरण	धनराशि	
21.03.2016	27	सामग्री	11000.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
30.03.2016	28	मजदूरी	3800.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	14800.00	

उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं स्थलवार उपभोग का विवरण अनुपलब्ध रहा।

(ख) उक्त भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) उक्त की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजिका कार्यपूर्ति एवं परिसम्पत्ति पंजिका अनुपलब्ध रहा।

(घ) जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति से सम्बन्धित रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 14800.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

जनपद-गाजीपुर**प्रस्तर-1**

1. ग्राम पंचायत- बहरार, विकास खण्ड- कासिमाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में रू0 60484.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ उप ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए वह के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी।

अतः रू0 60484.00 की अपहरित धनराशि की वसूली में सब्याज तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिवकुमारी देवी ग्राम विकास अधिकारी श्री गोपाल नाथ मिश्र संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है कोषबही में दर्शित व्यय का विवरण का विवरण निम्न है—

क्र0 सं0	प्रमाणक सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
1	12	21.09.15	मानदेय प्रधान 4/15 से 7/15 4 माह दर 2500/-	10000.00	प्रमाणक/अन्य अभिलेख अनुपलब्ध
2	13	24.09.15	गणेश ईट उद्योग सिधागर से 5000 ईट क्रय दर 6/- प्रति	30000.00	तदैव
3	14	30.09.15	मस्टररोल मरम्मत का भुगतान, दरवाजे से मेन	9639.00	तदैव

			खडण्जा तक मिट्टी खडण्जा कार्य		
4	15	30.09.15	हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान हिन्दुस्तान मशीनरी स्टोर कासिमाबाद	3345.00	तदैव
5	16	30.10.15	मानदेय प्रधान 8/15 से 10/15 3 माह दर 2500/-	7500.00	तदैव
			योग	60484.00	

प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत- बहरार, विकास खण्ड- कासिमाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कार्यवार पत्रावली स्वीकृति अनुमानित लागत सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजी, माप पुस्तिका, क्रयादेश, भुगतान प्राप्ति रसीद, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित कार्यवार पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव संख्या, कार्यवाही पंजी, तकनीकी स्वीकृति, सृजित परिसम्पत्ति पंजी, प्रिया साफ्ट संबंधी 8 प्रारूप, कोटेशन व निविदा आमंत्रित किए जाने से संबंधित पत्रावली आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। राजकीय कर, आयकर आदि भी संबंधित फर्मों से कटौती नहीं किय गए हैं। इस कारण ग्राम पंचायत बहरार वर्ष 2015-16 में 260571.00 का व्यय अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिवकुमारी देवी ग्राम विकास अधिकारी श्री गोपाल नाथ मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	प्रमाणक सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1.	01	11.04.15	मे० गणेश ईट उद्योग सिधागार से 8 हजार ईट क्रय दर 6100/-	48800.00
2.	02	25.04.15	मे० स्वतन्त्र कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स से हयूम पाईप क्रय	50000.00
3.	03	08.05.15	मस्टररोल पर व्यय	9982.00
4.	04	18.05.15	मस्टररोल पर व्यय	12516.00
5.	05	25.05.15	मे० हिन्दुस्तान मशीनरी स्टोर का०बाद से इडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	2502.00
6.	06	30.06.15	मे० स्वतंत्र कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स से स्ट्रीट लाईट क्रय	45000.00
7.	07	08.07.15	मे० हिन्दुस्तान मशीनरी स्टोर का०बाद से इडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	15755.00
8.	08	25.07.15	मे० गणेश ईट उद्योग सिधागार से 6 हजार ईट क्रय दर 6000/-	36000.00
9.	09	29.07.15	मे० हिन्दुस्तान मशीनरी स्टोर कासिमाबाद से इडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	3000.00
10.	10	18.08.15	मे० गणेश ईट उद्योग सिधागार से 4 हजार ईट क्रय दर 6000/-	24000.00
11.	11	27.08.15	मस्टररोल पर व्यय	13016.00
			योग	260571.00

प्रस्तर-3

2. ग्राम पंचायत- पखनपुरा, विकास खण्ड- भौवरकोल, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 व 2015-16 में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० 2523854.00 निकासी दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान निधि 1 के वर्ष 2014-15 की कैशबुक व्यय वाउचर एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2014-15 में रु० 2523854.00 आहरित किये गये हैं, इस प्रकार आहरित धनराशि रु० 2523854.00 की पुष्टि में कोषबही व्यय प्रमाण के साथ-साथ कार्यों की पुष्टि में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि०, कार्य

मापन पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजि०, इस्टीमेट, ग्र० पं० स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदन पत्रावली, कोटेशन, निविदा, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः कार्य की वस्तुस्थिति अपुष्ट रही। अतः उक्त धनराशि का अपहरण सम्भावित है जिसके लिए ग्राम प्रधान अब्दुल वाजिद खॉ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्णानन्द राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत- पखनपुरा, विकास खण्ड- भाँवरकोल, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 व 2015-16 में उपलब्ध ग्राम निधि प्रथम सम्बंधी बैंक पासबुक के अनुसार विभिन्न विधियों में रु० 1105000.00 आहरण दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरा ग्राम निधि के वर्ष 15-16 की कैशबुक व्यय वाउचर एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उपलब्ध बैंक पासबुक के अनुसार वर्ष 15-16 में विभिन्न विधियों में रु० 1105000.00 का आहरण किया गया है। इस आहरित धनराशि रु० 1105000.00 पुष्टि में कोषबही, व्यय प्रमाणकों के साथ-साथ कार्यो की पुष्टि में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि०, कार्य मापन पुस्तिका, सृजित परि सम्पत्ति रजि०, इस्टीमेट, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदन पत्रावली, कोटेशन, निविदा, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः कार्य की वस्तुस्थिति अपुष्टि/अप्रमाणित रही। अतः उक्त धनराशि का अपहरण सम्भावित है जिसके प्रति ग्राम प्रधान अब्दुल वाजिद खॉ ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्णानन्द राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

3. ग्राम पंचायत- कनुवान, विकास खण्ड- भाँवरकोल, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कोषबही के अनुसार रु० 990730.00 व्यय दर्शित है जबकि वास्तविक व्यय 990750.00 का किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. मिट्टी, राबिस कार्य पर भुगतान	128652.00
2. खण्डजा कार्य व ईट, बालू सीमेंट पर भुगतान	612856.00
3. हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान	89588.00
4. नाली निर्माण पर भुगतान	19670.00
5. मजदूरी पर भुगतान	99484.00
6. प्रधान के मानदेय एवं अन्य कार्यो पर भुगतान	40500.00

योग - 990750.00

उल्लेखित है कि आलोच्य वर्ष के माह नवम्बर 2015 में दर्शित व्यय 52128.00 है जबकि व्यय मात्र 52108.00 है अतः कुल व्यय में रु० 20 अंतर आ रहा है। जो गम्भीर अनियमितता का विषय है। अतः कुल व्यय 990730 + 20 (नवम्बर 2015) = 990750.00

1. लेखा परीक्षा में कुल व्यय रु० 990750 में से मिट्टी व राबिस कार्य से संबंधित भुगतान पर रु० 128652.00 व्यय दर्शाया जा रहा है।

उपरोक्त कार्य से संबंधित आपत्तिया निम्नवत है-

क- मिट्टी व राबिस व्यय से संबंधित कार्य इस्टीमेट, नक्सा, निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति, माप पुस्तिका, निर्माण कार्य की संस्तुति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक है।

ख- उपर्युक्त व्ययों से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग- मिट्टी सन्तली करण हेतु किसी भी प्रकार की मजदूरी का उल्लेख कोषबही में दर्ज नहीं जो आपत्तिजनक है।

घ- शासन के निर्देशानुसार मिट्टी क्रय पर रायल्टी 9 प्रति घन मी० दर से काटौती की जानी चाहिए वस्तु मिट्टी की मात्रा काअंकन स्पष्ट नहीं होने के कारण राजस्व की मात्रा निर्धारण कर पाना संभव नहीं हो सका। इससे राजकीय राजस्व की क्षति प्रतीत होता है। अतः जाँच अपेक्षित है।

अस्तु उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में दर्शित व्यय रु० 128652.00 दुरुपयोगित रहा जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/सचिव श्री पदुमदेव शुक्ला एवं श्री ग्राम राम अशीष से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

2. लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 में सम्पर्क मार्ग, खडन्जा कार्य, ईट, बालू व अन्य निर्माण सामग्री प कुल रु० 612856.00 व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में किसी भी तरह का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सम्पूर्ण राशि अपुष्टित रहा आयकर की दर 2.24 से आकलित राशि 13728.00 है जिसको राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है। कय संबंधी कयादेश, निविदा, कोटेशन, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से कय सामग्री की वस्तु स्थिति संदिग्ध है।

3. हेण्डपम्प मरम्मत संबंधी व्यय रू0 89588.00 की पुष्टि में नहीं है। हेण्डपम्प मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और नहीं उन स्थानों का स्पष्ट अंकिन ही किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गयी। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
4. लेखा परीक्षा में नाली निर्माण पर कुल व्यय रू0 19670.00 दर्शित है, लेखा परीक्षा में न तो कोई व्यय प्रमाणक, न ही कोई कयादेश, निविदा, कोटेशन इस्टीमेट, माप पुस्तिका, निर्माण पंजी, सृजित परि0 रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट वग्रां पंचायत स्तर पर गठित समितियों के रिपोर्ट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।
5. मजदूरी का भुगतान रू0 99484.00 दर्शित है। इससे संबंधित मस्टररोल, बैंक खात सं0, जाब कार्ड सं0, पंजियन सं0, कार्य निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर, निर्माण कार्य समिति का अनुमोदन भुगतान नकद रहा या चेक द्वारा खाते में राशि डाली गयी। अभिलेखों के अभाव में उक्त सारी स्थिति अपुष्टित रही।
6. अन्य व्यय के अन्तर्गत प्रधान का मानदेय 32500.00 एवं सफाई कर्मी तथा ठेला मरम्मत पर रू0 8000.00 का व्यय दर्शित है। प्रधान के मानदेय से संबंधित कोई भी अभिलेख तथा मानदेय प्रमाण पत्र, मानदेय संबंधी पंजी आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध रही।

सफाई कर्मी व ठेला मरम्मत पर रू0 8000.0 दर्शित है परन्तु कोई भी कयादेश, किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे राशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

ग्राम पंचायत- कनुवान, विकास खण्ड- भाँवरकोल, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 व 2015-16 के वर्ष 14-15 में कोषबही के अनुसार रू0 1529778.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. मिट्टी, राबिस कार्य पर भुगतान	524722.00
2. खण्डजा कार्य व ईट, बालू सीमेंट पर भुगतान	754168.00
3. हेण्डपम्प मरम्मत भुगतान	58119.00
4. नाली निर्माण पर भुगतान	56448.00
5. मजदूरी पर भुगतान	75664.00
6. प्रधान के मानदेय एवं अन्य कार्यों पर भुगतान (ह्यूम पाईप, प्लास्टिक पाईप, सफाई कर्मी, पंचायत स्तर प्रशासनिक व्यय, बैंक चार्ज आदि)	60657.00

योग - 1529778.00

1. लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में कुल व्यय रू0 1529778 में से मिट्टी व राबिस कार्य से संबंधित भुगतान पर रू0 524722.00 व्यय दर्शाया जा रहा है।

उपरोक्त कार्य से संबंधित आपत्तिया निम्नवत है-

क मिट्टी व राबिस व्यय से संबंधित कार्य इस्टीमेट, नक्सा, निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति, माप पुस्तिका, निर्माण कार्य की संस्तुति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक है।

ख- उपर्युक्त व्ययों से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग- मिट्टी सम्तली करण हेतु किसी भी प्रकार की मजदूरी का उल्लेख कोषबही में दर्ज नहीं जो आपत्तिजनक है।

घ- शासन के निर्देशानुसार मिट्टी कय पर रायल्टी 9 प्रति घन मी0 दर से कटौती की जानी चाहिए वस्तु मिट्टी की मात्रा का अंकन स्पष्ट नहीं होने के कारण राजस्व की मात्रा निर्धारण कर पाना संभव नहीं हो सका। इससे राजकीय राजस्व की क्षति प्रतीत होता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम आशीष व ग्रा0वि0अ0 पदुमदेव देव शुक्ला उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से करायी जानी अपेक्षित है।

2. लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में सम्पर्क मार्ग, खडन्जा कार्य, ईट, बालू व अन्य निर्माण सामग्री प कुल रू0 754168.00 व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में किसी भी तरह का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत नहीं किया गया। कय संबंधी कयादेश, निविदा, कोटेशन, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से कय सामग्री की वस्तु स्थिति अपुष्टित है। अपहरण की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

3. हेण्डपम्प मरम्मत संबंधी व्यय रू0 5819.00 की पुष्टि में हेण्डपम्प मरम्मत रजिस्टर नहीं बनाया गया है और नहीं उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गयी। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
4. लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में नाली निर्माण पर कुल व्यय रू0 56448.00 व्यय दर्शित है, लेखा परीक्षा में न तो कोई व्यय प्रमाणक, न ही कोई कयादेश, निविदा, कोटेशन इस्टीमेट, माप पुस्तिका, निर्माण पंजी, सृजित परि0 रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट वग्राह्य पंचायत स्तर पर गठित समितियों के रिपोर्ट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए जिससे कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।
5. अन्य व्यय के अन्तर्गत प्रधान का मानदेय 60657.00 एवं व्यय दर्शित है। प्रधान के मानदेय से संबंधित कोई भी अभिलेख यथा मानदेय प्रमाण पत्र, मानदेय संबंधी पंजी आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार हयूम पाईप व प्लास्टिक पाईप से संबंधित व्यय प्रमाणक, स्थान का नक्शा व सूची लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत नहा। पंचायत कर व प्रशासनिक व्यय तथा सफाई कर्मों से संबंधित व्यय प्रमाण व अभिलेख अपुष्टित रहे। अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध रही।

अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पदुमदेश शुक्ला व ग्रा0पं0अ0 श्री आशीष शुक्ला से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

4. ग्राम पंचायत- सोनाड़ी, विकास खण्ड- भाँवरकोल, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में वर्ष 2012-13 में कोषबही के अनुसार रू0 835870.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण है-

1. खडंजा कार्य व नाली निर्माण हेतु ईट, सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि हेतु व्यय भुगतान
— 489775.00
2. मजदूरी कार्य पर भुगतान
— 141125.00
3. मिट्टी कार्य पर भुगतान
— 46000.00
4. हेण्डपम्प, स्ट्रीट लाइट, हयूम पाईप पर व्यय
— 114880.00
5. कम्प्यूटरकरण व कूप निर्माण पर व्यय
— 46790.00

योग - 835870.00

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री कय पर रू0 489775.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कय सामग्री की सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गई है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है से संबंधित आदेश, कोटेशन, निविदा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है।
2. मजदूरी पर भुगतान रू0 141125.00 दर्शित है। मजदूरी की पुष्टि में संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध है।
3. लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में कोषबही में मिट्टी कार्य का भुगतान रू0 46000.00 व्यय दर्शित है मिट्टी व्यय से संबंधित कार्य का स्टीमेट, माप पुस्तिका निर्माण कार्य की संस्तुति, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। मिट्टी कय पर रायल्टी 9 रू0 प्रति घन मी0 की दर से कटौती की जानी चाहिए परन्तु मिट्टी की मात्रा का अंकन स्पष्ट न होने से राजस्व की मात्रा का निर्धारण कर पाना संभव न हो सका। जाँच अपेक्षित है।

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दर्शित व्यय रू0 141125.00 दुरुपयोगित रहा। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी, तत्कालीन सचिव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से अपेक्षित है।

4. हेण्डपंप मरम्मत, स्ट्रीट, हयूम पाईप पर व्यय रू0 114880.00 की पुष्टि में ना तो हेण्डपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है। अस्तु दर्शित सम्पूर्ण व्यय रू0 114880.00 अपुष्टित एवं दुरुपयोगित रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

5. ₹0 46790.00 कम्प्यूटर कार्य एवं कूप निर्माण कार्य पर व्यय दर्शित हैं परन्तु कम्प्यूटर के संबंध में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है और नही संबंधित अधिकारी की स्वीकृति ही ली गयी है। अतः ₹0 46790.00 अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित से अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

ग्राम पंचायत- सोनाड़ी, विकास खण्ड- भाँवरकोल, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में वर्ष 2013-14 में कोषबही के अनुसार ₹0 421112.00 में से ₹0 421000.00 दुरुपयोग हुआ है, जिसका विवरण है-

1. खडंजा कार्य व नाली निर्माण हेतु ईट, सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि हेतु व्यय भुगतान	— 202920.00
2. मजदूरी कार्य पर भुगतान	— 91682.00
3. मिट्टी कार्य पर भुगतान	— 41000.00
4. हैंडपम्प मरम्मत पर व्यय	— 37853.00
5. भारद्वाज मन्दिर हेतु सामग्री पर व्यय	— 29545.00
6. प्रधान के मानदेय पर व्यय	— 18000.00

योग — 421000.00

- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर ₹0 202920.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्रय सामग्री की सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गई है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है से संबंधित आदेश, कोटेशन, निविदा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। अस्तु दर्शित व्यय ₹0 202920.00 दुरुपयोगित रहा। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
- मजदूरी कार्य पर भुगतान ₹0 91682.00 दर्शित है। मजदूरी की पुष्टि में संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। अस्तु मजदूरी कार्य पर दर्शित व्यय 91682.00 दुरुपयोगित रहा। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
- लेखा परीक्षा वर्ष में मिट्टी कार्य का भुगतान ₹0 41000.00 व्यय दर्शित है। मिट्टी व्यय से संबंधित कार्य का स्टीमेट, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। मिट्टी व्यय पर रायल्टी 9 ₹0 प्रति घन मीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु मिट्टी मात्रा का अंकन स्पष्ट न होने से राजस्व की मात्रा का निर्धारण कर पाना संभव न हो सका। अस्तु दर्शित व्यय ₹0 41000.00 दुरुपयोगित प्रतीत होता है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से वसूली अपेक्षित है।
- हैंडपंप मरम्मत संबंधित ₹0 37853.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है। अस्तु दर्शित व्यय ₹0 37853.00 दुरुपयोगित रहा। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से वसूली अपेक्षित है।
- लेखा परीक्षा वर्ष में भारद्वाज मन्दिर पर छतरी निर्माण पर ₹0 29545.00 व्यय दर्शित है। परन्तु इससे संबंधित माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, संबंधित अधिकारी की स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु दर्शित सम्पूर्ण व्यय ₹0 29545.00 अपुष्टित एवं दुरुपयोगित रहा। अतः जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से वसूली अपेक्षित है।
- ₹0 18000.00 प्रधान का मानदेय कुल 24 माह का सादे कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किए ही भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय पंल प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। संबंधित ग्रा0वि0अ0 श्री कृष्णानंद राय एवं ग्रा0प्र0 श्रीमती तारा देवी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-9

ग्राम पंचायत- सोनाड़ी, विकास खण्ड- भाँवरकोल, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में वर्ष 2014-15 में कोषबही के अनुसार रु0 2100283.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. खडंजा कार्य व नाली निर्माण हेतु ईट, सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि हेतु व्यय भुगतान	- 1639590.00
2. मजदूरी कार्य पर भुगतान	- 201420.00
3. मिट्टी कार्य पर भुगतान	- 61211.00
4. हैंडपम्प, मरम्मत पर व्यय	- 61662.00
5. हयूम पाईप पर व्यय	- 136400.00

योग - 2100283.00

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु0 1639590.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्रय सामग्री की सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गई है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है से संबंधित आदेश, कोटेशन, निविदा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है।

लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान 14.04.14 चेक सं0 21020452 द्वारा रु0 700000.00 निकासी की गयी है यह निकासी किस कार्य हेतु निर्गत किया गया लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे संबंधित माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कोटेशन/निविदा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह दर्शित राशि बिना किसी कार्य एवं संबंधित अधिकारियों के बिना निर्देश के ही ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी की सहमती से ओम ईट भट्टा द्वारा निकासी की गयी है। यह अपुष्टित होने से दुरुपयोगित रहा।

2. मजदूरी पर भुगतान रु0 201420.00 दर्शित है। मजदूरी की पुष्टि में संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध है।

3. लेखा परीक्षा वर्ष में मिट्टी कार्य का भुगतान रु0 61211.00 व्यय दर्शित है। मिट्टी व्यय से संबंधित कार्य का स्टीमेट, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। मिट्टी व्यय पर रायल्टी 9 रु0 प्रति घन मीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु मिट्टी मात्रा का अंकन स्पष्ट न होने से राजस्व की मात्रा का निर्धारण कर पाना संभव न हो सका।

अस्तु दर्शित व्यय रु0 61211.00 दुरुपयोगित प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से वसूली अपेक्षित है।

4. हैंडपंप मरम्मत संबंधित रु0 61662.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है। संबंधित ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णा नंद राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

5. लेखा परीक्षा वर्ष में हयूम पाईप पर व्यय रु0 136400.00 किया गया है परन्तु इससे संबंधित व्यय प्रमाणक, अधिकारियों का स्वीकृति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसेस यह स्पष्ट हो सका क इनकी सं0 एवं आय क्या है तथा इसे किन स्थानों पर लगाया है? अतः कार्य संदिग्ध होने से ग्रा0पं0अ0 श्रीकृष्णानंद राय एवं ग्रा0प्र0 श्रीमती तारा देवी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

5. ग्राम पंचायत- बेनीपुर खास, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कोषबही के अनुसार रु0 736395.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. ईट क्रय	132000.00
2. मिट्टी क्रय	29376.00
3. मजदूरी	113397.00

4. सामग्री	89450.00
5. हयूम पाईप क्रय	97200.00
6. स्ट्रीट लाईट	170000.00
7. हैंडनधमन मरम्मत	78277.00
8. विविध व्यय (परि0रजि0का0 कम्प्यूटरीकरण, प्रिया सॉफ्ट निविदा प्रकाश)	26695.00
योग –	736395.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 में कोषबही के आधार पर ईट क्रय रु0 132000.00 का किया गया है। ईट क्रय की पुष्टि में क्रय प्रमाणक एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे क्रय की वस्तुस्थिति अपुष्टित रही। उल्लेखनीय है कि इस पर आय कर की कटौती दर्शित नहीं है। इससे राज्य के कोषबही राजस्व का रु0 2957.00 की आर्थिक क्षति हुई है।
2. लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 में कोषबही में 216 घ0मी0 मिट्टी क्रय का भुगतान रु0 29376 दिखाकर खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। मिट्टीक्रय एवं इस पर किये गये रायल्टी के भुगतान की वस्तु स्थिति अप्रमातिण रहा।
3. आलोच्य वर्ष में कोषबही के विभिन्न बाउचर/तिथियों में मजदूरी पर श्रमिकों को रु0 113397.00 का भुगतान खडन्जा नाली निर्माण, व मरम्मत, लेवलिंग पर किया गया दर्शित है। परन्तु पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मापन पुस्तिका वार्षिक कार्ययोजना निर्माण समितिका प्रस्ताव पत्र तथा कार्यवाही रजि0 प्रस्तुत न किये जाने से भुगतान अपुष्टित रहा। क्रय सामग्री पर आयकर की कटौती नहीं की गई है।
4. आलोच्य वर्ष की कोषबही प्रथम के विभिन्न तिथियों में रु0 89450.00 का भुगतान सीमेन्ट, बालू इत्यादि पर किया गया है। जिसके सापेक्ष क्रयप्रमाणक/प्राप्ति रसीद निर्माण समिति के प्रस्ताव पत्र वार्षिक कार्ययोजना कोटेशन/टेण्डर स्टमेट, स्टॉक रजि0 वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण सामग्री क्रय पर किया गया व्यय अपुष्ट रहा।
5. आलोच्य वर्ष में कोषबही में विभिन्न तिथियों में रु0 97200 का हयूम पाईप क्रय किया गया दर्शित है, जिसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि ग्राम पंचायत में कहा-कहा के निर्माण में प्रयोग किया गया है।
6. आलोच्य वर्ष में कोषबही के विभिन्न तिथियों में रु0 170000.00 का भुगतान स्ट्रीट लाईट क्रय पर किया गया है जिसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक/प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस बात का उल्लेख भी नहीं किया गया है कि स्ट्रीट लाईट किस कम्पनी का है। और ग्राम पंचायत में कहा-कहा लगया गया है। सरकार के निर्देशानुसार स्ट्रीट लाईट किसी भारतीय कम्पनी या आई0एस0आई0 मार्क का होना चाहिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से पुष्टित नहीं है विभागीय अधिकारियों द्वारा पुष्टित नहीं है।
7. हैंडपंप मरम्मत संबंधित रु0 78277.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य से संबंधित व्यय संदिग्ध है।
8. आलोच्य वर्ष 15-16 में परिवार रजि0 का कम्प्यूटरीकरण, प्रिया साफ्ट फिडिंग, वर्ष 13-14 पर व्यय रु0 20195 एवं परफेक्ट मिशन को निविदा प्रकाशन पर 3500 रु0 तथा प्रिया साफ्ट फिडिंग वर्ष 2014-15 पर रु0 3000.00 व्यय कोषबही में दिखाकर खारिज है, जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त कुल व्यय रु0 26695.00 की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं होती है। अपुष्टित/अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का अपहरण सम्भावित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि वर्ष 15-16 योजना से संबंधित व्यय रु0 736395.00 के सापेक्ष प्रमाणक प्राप्ति रसीद प्रस्तुत न किये जोन से दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री भगवान एवं ग्राम पंचायतअधिकारी मिठाई लाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

6. ग्राम पंचायत- मोलनापुर उर्फ तालगाँव, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 16.08.2014 को बैंक खाता सं० 127372 के चेक नं० 21046907 से ₹० 2000.00 का आहरण किया गया है, परन्तु इस धनराशि का अंकन कोषबही के आय पक्ष में न करके ग्राम प्रधान श्री परशुराम एवं ग्रा०पं०वि०अ० श्री दयाशंकर राम के मिली भगत से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी सब्याज वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-12

ग्राम पंचायत- मोलनापुर उर्फ तालगाँव, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के आलोच्य वर्षों में ग्रा०पं० की कोषबही प्रथम में कुल ₹० 1759742.00 का भुगतान निम्नांकित मदों में व्ययों दिखाना खरिज किया गया है, परन्तु उक्त किये गये भुगतान नियमांकित मदों में व्यय दिखाना खारिज किया गया परन्तु उक्त किये गये भुगतान पंचायती राज नियमावली एवं शासनादेशों के निर्देशों के अनुरूप नहीं रहे हैं। अतः समस्त किया गया भुगतान अनियमित रहा है। जिनमें निम्नांकित आपत्ति व्याप्त रही है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री परशुराम व नन्दलाल एवं ग्रा०पं०वि०अ० दयाशंकर राम उत्तरदायी रहे हैं। अतः इनसे समस्त धनराशि की सब्याज वसूली हेतु उच्च विभागीय अधि० का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-13

7. ग्राम पंचायत- ताजपुर, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 के अनुसार ₹० 2736252.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. ईट राबीस क्रय	1109400.00
2. मिट्टी क्रय	18000.00
3. मजदूरी	367602.00
4. सामग्री	192100.00
5. हयूम पाईप क्रय	288000.00
6. स्ट्रीट लाईट	700000.00
7. हैण्डपम्प मरम्मत	46000.00
8. विविध व्यय (परि०रजि०का० कम्प्यूटरकरण, प्रिया सॉफ्ट निविदा प्रकाश)	15150.00

योग - 2736252.00

- लेखा परीक्षा वर्ष 13-14 में कोषबही के आधार पर ईट, राबीस क्रय पर ₹० 1109400.00 का किया गया है। ईट क्रय की पुष्टि में क्रय प्रमाणक एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे क्रय की वस्तुस्थिति अपुष्टित रही। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। आयकर की कटौती नहीं की गयी है।
- लेखा परीक्षा वर्ष 13-14 में कोषबही में 60 ट्रालीमिट्टी क्रय का भुगतान ₹० 18000 दिखाकर खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। रायल्टी के भुगतान से संबंधित कोई प्रमाणक/विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- आलोच्य वर्ष में कोषबही के विभिन्न बाउचर/तिथियों में मजदूरी पर श्रमिकों को ₹० 367602.00 का भुगतान खडन्जा नाली निर्माण, व मरम्मत, लेवलिंग पर किया गया दर्शित है। परन्तु पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मापन पुस्तिका वार्षिक कार्ययोजना निर्माण समितिका प्रस्ताव पत्र तथा कार्यवाही रजि० प्रस्तुत न किये जाने से भुगतान अपुष्टित रहा। क्रय सामग्री पर आयकर की कटौती नहीं की गई है।
- आलोच्य वर्ष की कोषबही प्रथम के विभिन्न तिथियों में ₹० 192100.00 का भुगतान सीमेन्ट, बालू इत्यादि पर किया गया है। जिसके सापेक्ष क्रयप्रमाणक/प्राप्ति रसीद निर्माण समिति के प्रस्ताव पत्र वार्षिक कार्ययोजना कोटेशन/टेण्डर एस्टीमेट, स्टॉक रजि० वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण सामग्री क्रय पर किया गया व्यय अपुष्टित रहा।
- आलोच्य वर्ष में कोषबही में विभिन्न तिथियों में ₹० 288000 का हयूम पाईप क्रय किया गया दर्शित है, जिसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस बात का भी उल्लेख

नहीं है कि ग्राम पंचायत में कहा-कहा के निर्माण में प्रयोग किया गया है इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

6. आलोच्य वर्ष में कोषबही के विभिन्न तिथियों में रु0 700000.00 का भुगतान स्ट्रीट लाईट कय पर किया गया है जिसकी पुष्टि में कय प्रमाणक/प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षामें प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस बात का उल्लेख भी नहीं किया गया है कि स्ट्रीट लाईट किस कम्पनी का है। और ग्राम पंचायत में कहा-कहा लगाया गया है। इसकी पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. हैंडपंप मरम्मत संबंधित रु0 46000.00 की पुष्टि में प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है।
8. आलोच्य वर्ष 13-14 में ग्राम प्रधान का मानदेय पर रु0 14250 तथा सामान्य भविष्य निधि में जमा रु0 400 एवं पंचायत कर वसूली का 10 प्रतिशत जमा रु0 500 कुल रु0 15150.00 व्यय कोषबही में दिखाकर खारिज किया गया है, जिसकी पुष्टि में प्राप्ति रसीद/ मानदेय रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उरोक्त कुल व्यय रु0 15150 की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आलोच्य वर्ष में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 2736252.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से अपुष्टित होने एवं निर्माण की वस्तुस्थिति अभिलेखों के अभाव में अपहरण संभावित है। जिसके लिए श्री देवनाथ ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री रामापति ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

ग्राम पंचायत-ताजपुर, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 के कोषबही के अनुसार रु0 3328972.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. ईट राबीस क्रय	1341300.00
2. मिट्टी क्रय	93300.00
3. मजदूरी	447790.00
4. सामग्री	577400.00
5. हयूम पाईप क्रय	280000.00
6. हैंडपम्प मरम्मत	145500.00
7. स्ट्रीट लाईट	345000.00
8. विविध व्यय (मानदेय, कम्प्यूटरीकरण, प्रिया सॉफ्ट निविदा प्रकाश)	98682.00

योग -3328972.00

1. लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में कोषबही के आधार पर ईट राबीस कय रु0 1341300.00 का किया गया है। कय की पुष्टि में कय प्रमाणक एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कय की वस्तुस्थिति अपुष्टित रही। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।
2. लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में कोषबही में 311 ट्राली मिट्टी कय का भुगतान रु0 93300 दिखाकर खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि में कय प्रमाणक प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। मिट्टीकय एवं इस पर किये गये रायल्टी के भुगतान की वस्तु स्थिति अप्रमातिण रहा।
3. आलोच्य वर्ष में कोषबही के विभिन्न बाउचर/तिथियों में मजदूरी पर श्रमिकों को रु0 447790.00 का भुगतान खडन्जा नाली निर्माण, व मरम्मत, लेवलिंग पर किया गया दर्शित है। परन्तु पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मापन पुस्तिका वार्षिक कार्ययोजना निर्माण समितिका प्रस्ताव पत्र तथा कार्यवाही रजि0 प्रस्तुत न किये जाने से भुगतान अपुष्टित रहा। वस्तुस्थिति संदिग्ध है।
4. आलोच्य वर्ष की कोषबही प्रथम के विभिन्न तिथियों में रु0 57740.00 का भुगतान सीमेन्ट, बालू इत्यादि पर किया गया है। जिसके सापेक्ष कय प्रमाणक/प्राप्ति रसीद निर्माण समिति के प्रस्ताव पत्र वार्षिक कार्ययोजना कोटेशन/टेण्डर स्टमेट, स्टॉक रजि0 वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण सामग्री कय पर किया गया व्यय अपुष्टित रहा।

5. आलोच्य वर्ष में कोषबही में विभिन्न तिथियों में रु0 280000 का हयूम पाईप कय किया गया दर्शित है, जिसकी पुष्टि में कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि हयूम पाईप की मोटाई कितनी है तथा ग्राम पंचायत में कहा-कहा के निर्माण में प्रयोग किया गया है। फलतः व्यय संदिग्ध है।
6. हैंडपंप मरम्मत संबंधित व्यय रु0 145500.00 की पुष्टि में कय प्रमाणक/मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया और ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है।
7. आलोच्य वर्ष में कोषबही के विभिन्न तिथियों में रु0 345000.00 का भुगतान स्ट्रीट लाईट कय पर किया गया है जिसकी पुष्टि में कय प्रमाणक/प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस बात का उल्लेख भी नहीं किया गया है कि स्ट्रीट लाईट किस कम्पनी का है। और ग्राम पंचायत में कहा-कहा लगया गया है एवं कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है। कय किये जाने का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति से पुष्टि नहीं करायी गयी अतः दर्शित कार्य अपुष्टि रहा।
8. आलोच्य वर्ष 14-15 में परिवार रजि0 कम्प्यूटराईज करानं पर रु0 61200 ग्रा0प्र0 के मानदेय पर रु0 32500, वर्ष 09-10 के सी0ए0 के भुगतान पर रु0 4000 पंचायत कर वसूली का 10 प्रतिशत जमा रु0 500 सामान्य भविष्य निधि जमा रु0 400 तथा कुल रु0 98682 व्यय कोषबही में दिखाकर खारिज किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त कुल व्यय रु0 98682.00 की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में 14-15 की योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 3328972.00 के सापेक्ष अपुष्टित होने के कारण निर्माण कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है एवं कोषबही में काल्पनिक व्यय दर्शित करते हुए अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री देवनाथ ग्रा0प0अ0, श्री रमापति ग्रा0प्र0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

ग्राम पंचायत- ताजपुर, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 के कोषबही में 30.10.14 को प्रधान के पास अवशेष धन रु0 23639.00 होना चाहिए जबकि अवशेष धन रु0 18639.00 दर्शित हैं इस प्रकार अवशेष धनराशि रु0 5000.00 का गबन प्रधान द्वारा किया गया है। कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

8. ग्राम पंचायत-गौरा, विकास खण्ड- सादात, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 में वर्ष 2014-15 में ग्राम सभा के बैंक खाता संख्या 453002010006147 से रु0 1117360.00 का आहरण किया गया है किंतु बार-बार मांग किए जाने के बावजूद इस से संबंधित कोष वही, व्यय प्रमाणक सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि खाते से अधिक धनराशि का अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में अंकित के टिप्पड़ी यदि दर्शाए गए वह के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई वह धनराशि को गमन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.12.14 के करीब 3 माह बाद रु0 60000.00 का भुगतान लक्ष्मी स्टील मकदूमपुर को किया गया है, मजदूरी व्यय शून्य है। जो स्थिति को संदोहास्पद बना देती है। इस प्रकार संपूर्ण धनराशि रु0 1117360.00 की पुष्टि में कोई प्रमाणिक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से उपस्थित होने के कारण राजकीय धन का अपहरण की पूर्ण संभावना है जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री बेचई यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम कृष्ण राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17

9. ग्राम पंचायत-बबुरा, विकास खण्ड- सादात, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 से 2015-16 में कोषबही के अनुसार क्रमशः 625054.00 एवं रु0 661000.00 का व्यय दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

	2013-14	2014-15
1. सामग्री ईट	389031.00	403840.00
2. मजदूरी	103802.00	106424.00
3. हैण्डपम्प मरम्मत	19172.00	55600.00
4. मिट्टी	56676.00	24960.00
5. हयूम पाईप	30000.00	50000.00
6. लाईट सड़क	12000.00	—
7. मानदेय, फोटोस्टेट व अन्य	14358.00	20176.00
योग	625039.00	661000.00

(1+2). लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14, 14-15 में विभिन्न कार्यों पर निर्माण सामग्री ईट व मजदूरी पर व्यय क्रमशः रु0 492833.00 एवं रु0 510264.00 दर्शित है। जिसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, कोटेशन निविदा, क्रयादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे फलतः व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत, मापपुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजि0, निर्माण कार्य रजि./स्टाक रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निर्माण कार्य समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होता है अतः दर्शित व्यय काल्पनिक एवं दर्शित कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

1. हैण्डपम्प मरम्मत कैशबुक में विभिन्न तिथियों में दो वर्षों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय क्रमशः रु0 19172.00 एवं 55600 दर्शाये गये हैं। किन्तु इससे संबंधित कय प्रमाणक, कार्यपूर्ति, प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का विवरण आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जलप्रबंध समिति द्वारा इसकी पुष्टि संबंधी प्रपत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः अप्रमाणित एवं अपुष्टित होने की स्थिति में दर्शित व्यय एवं कार्य संदिग्ध रहा।
2. लेखा परीक्षा वर्षों में क्रमशः रु0 56676 व 24960 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने की स्थिति में मिट्टी के साथ रायल्टी कटौती की वस्तुस्थिति की पुष्टि नहीं होती है। जिससे रायल्टी कटौती नहीं किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति की पूर्ण संभावना है। निर्माण कार्य समिति द्वारा मिट्टी कार्य की पुष्टि नहीं कराई गई है। निर्माण कार्य समिति द्वारा मिट्टी कार्य की पुष्टि नहीं कराई गई हैं। अतः दर्शित व्यय/कार्य काल्पनिक एवं संदिग्ध प्रतीत होती है।
3. वर्ष 2013-14 व 14-15 में क्रमशः रु0 30000 व 50000 का व्यय हयूमपाईप पर दर्शाया गया है। जिससे संबंधित कय प्रमाणक हयूमपाईप की स्टोक रजि0 में प्रविष्टि की पुष्टि में स्टोक रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा। विभागीय अधिकारियों यथा ए0डी0ओ0 पं0 द्वारा स्टोक का सत्यापन प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कय स्टोक की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। हयूमपाईप कहा-कहा कितनी मात्रा में लगाये गये हैं, इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निर्माण कार्य समिति सेकराकर प्रमाण पत्र पत्रावली में संरक्षित नहीं रखे गये हैं। जिससे इसके लगाये जाने क वस्तुस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही ग्राम निर्माण समिति द्वारा इसकी पुष्टि नहीं कराई गई है।
4. वर्ष 2013-14 में रु0 12000 का 3 नग लाईट ग्राम सभा में लगाया जाना दर्शित है। सोलर स्ट्रीट लाइट/हैलोजन लाईट कहा-कहा किस-किस खम्भों पर लगाये गये हैं। इसकी पुष्टि पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा नहीं करायी गयी है। अतः व्यय प्रमाणक पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा नहीं करायी गयी है। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्ययों की पुष्टि व पुष्टि पत्र के अभाव में लगाये जाने की वस्तुस्थिति पुष्टि नहीं होती है। अतः कय व लगाये जाने की वस्तु स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि वर्ष 13-14 व 14-15 से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 625039.00 एवं 661000.00 की वस्तुस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है एवं बिना प्रमाणकों एवं मस्टटरोल के व्यय दर्शित करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण/दुरुपयोग किया गया है। इस

हेतु ग्राम प्रधान श्री फौजदार राम एवं ग्रा०पं०अ० श्री राम कृत राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।
उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत- बबुरा, विकास खण्ड- सादात, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 से 2015-16में वर्ष 2012-13 में ग्राम सभा के बैंक खाता सं० 459002010969352 से रू० 366000.00 आहरण किया गया है। किन्तु इससे संबंधित व्यय प्रमाणक, कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रूपए 366000.00 आहरित किया गया है जिसमें अधिकांश धन राशियां प्रधान द्वारा व अधिक धनराशिया संस्था आपूर्तिकर्ता को चेक निर्गत कर आहरित है। लेखा परीक्षा में आहरित राशित की पुष्टि में रोकड़ बही व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए। राष्ट्रीय धनराशि खाते से आहरित कर आय व्यय की पुष्टि में कोई वही प्रमाणक गार्ड फाइल अनेक नहीं रखा जाना। शासकीय निर्देशों व विभागीय व्यवस्था के विपरीत कार्य किए जाने से राष्ट्रीय धन का अपहरण/दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है अपुष्टि एवंअप्रमाणित होने की स्थिति में वस्तुस्थिति संदिग्ध है इसके लिए वर्तमान ग्राम प्रधान जी फौजदार राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम राम उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

10. ग्राम पंचायत-नौदर, विकास खण्ड- करण्डा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16के लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषबही के अनुसार सामग्री क्रय कर उसका भूगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. अनिता बिल्डिंग मैटेरियल्स सिमेंट बालू आदि	66000
2. पवन ईट उद्योग ईट क्रय	85000
3. संतोष हयूम पाईप क्रय	42250
4. संतोष हयूम पाईप क्रय	96000
5. संतोष हयूम पाईप क्रय	96000
6. संतोष हयूम पाईप क्रय	64000
7. रवि सिमेंट एजेसी सिमेंट	35000
8. संतोष हयूम पाईप क्रय	96000
योग	580250.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोषबही में दर्शित आहरण धनराशि रू० 580250 की पुष्टि ना तो व्यय प्रमाणक रखे गए हैं और ना ही कृत्य कार्यों की पुष्टि में व्यय अनुमान, माप पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर पत्रावली क्रयादेश पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का रजिस्टर, पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। अतः धनराशि संबंधित व्यय काल्पनिक व संदिग्ध प्रतीत होती है इससे राजकीय धन के अपहरण की पूर्ण संभावना है जिसके लिए प्रधान चंद्रलेखा यादव व सचिव श्री प्रेम प्रकाश दुबे उत्तरदायी है। अतः अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

ग्राम पंचायत-नौदर, विकास खण्ड- करण्डा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में प्रधान चंद्रलेखा द्वारा नगद रू० 360000.00 एवं वर्ष 14-15 में प्रधान द्वारा नगद रू० 493500.00 तथा लेखा परीक्षा वर्ष में नगद रू० 828000.00 की धनराशि स्वयंआहरण की गई है। जो नियमों के विरुद्ध है। उक्त धनराशि जो निर्माण कार्य में व्यय दर्शित है उसकी पुष्टि में ना तो व्यय प्रमाणक रखे गए हैं और ना ही कृत्य कार्यों की पुष्टि में व्यय अनुमान, माप पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर पत्रावली क्रयादेश पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का रजिस्टर, पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। अतः धनराशि संबंधित व्यय काल्पनिक व संदिग्ध प्रतीत होती है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

ग्राम पंचायत-नौदर, विकास खण्ड- करण्डा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में 31.03.14 को रु0 85000.00 एवं लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में 31.03.15 को 30000.00 की धनराशि का आहरण श्री प्रेम प्रकाश दुबे ग्रा0वि0अ0 ने स्वयं अपने नाम से किया है। जो नियमों के विरुद्ध है। उक्त धनराशि जो निर्माण कार्य में व्यय दर्शित है उसकी पुष्टि में ना तो व्यय प्रमाणक रखे गए हैं और ना ही कृत्य कार्यों की पुष्टि में व्यय अनुमान, माप पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर पत्रावली क्रयादेश पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का रजिस्टर, पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। इससे स्पष्ट है कि प्रेम प्रकाश दूबे ग्रा0वि0अ0 द्वारा स्वयं धन का अपहरण कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22

11. ग्राम पंचायत-बड़सरा, विकास खण्ड- करण्डा, जनपद-गाजीपुर की (i) वर्ष 14-15 की लेखा परीक्षा में सम्पर्क मार्ग निर्माण व खडन्जा निर्माण आदि कार्यों पर ईट क्रय पर रु0 440700.00 व्यय दर्शित है इसी कम में बिलडिंग मैटेरियल्स से सिमेन्ट बालू आदि सामग्री पर रु0 528000.00 व्यय एवं हयूम पाईप पर रु0 115200.00 तथा इन्टर लाकिंग ईट पर 54000.00 (कुल रु0 1137900.00) व्यय दर्शित है। उसकी पुष्टि में ना तो व्यय प्रमाणक रखे गए हैं और ना ही कृत्य कार्यों की पुष्टि में व्यय अनुमान, माप पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर पत्रावली क्रयादेश पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का रजिस्टर, पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति अपुष्टित व अप्रमाणित रहा। इससे राजकीय धन के अपहरण की पूर्ण संभावना है। जिसके लिए प्रधान नसीम अख्तर व सचिव श्री प्रेम प्रकाश दूबे उत्तरदायी है।

(ii) लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 में बिलडिंग मैटेरियल्स से सिमेन्ट बालू गिट्टी आदि रु0 178000 व्यय एवं ईट क्रय पर रु0 126800 (कुल 304800.00) व्यय दर्शित है। उसकी पुष्टि में ना तो व्यय प्रमाणक रखे गए हैं और ना ही कृत्य कार्यों की पुष्टि में व्यय अनुमान, माप पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर पत्रावली क्रयादेश पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का रजिस्टर, पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। जिससे दर्शित कार्यों की वस्तु स्थिति अपुष्टित व अप्रमाणित रही। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

ग्राम पंचायत-बड़सरा, विकास खण्ड- करण्डा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 से 2015-16 की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में प्रधान द्वारा स्वयं 326500 एवं वर्ष 15-16 850000 खाता से आहरण किया गया है। आहरण कर केशबुक में निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शित है। है। उसकी पुष्टि में ना तो व्यय प्रमाणक रखे गए हैं और ना ही कृत्य कार्यों की पुष्टि में व्यय अनुमान, माप पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर पत्रावली क्रयादेश पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का रजिस्टर, पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। इसी के साथ प्रधान व सचिव द्वारा अपने नामसे चेक काट कर उक्त धनराशि का आहरण उक्त वर्षों में किया गया है। जो नियम के विरुद्ध है। इससे स्पष्ट है कि मात्र धन का आहरण मात्र धन का स्वयं आहरण कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24

12. ग्राम पंचायत-बासुदेवपुर, विकास खण्ड- कासिमाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में रु0 434200.00 व्यय किया गया है। परंतु लेखा परीक्षा के समय व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8क के अनुसार यदि दर्शाया गया व्यय के संबंध में कोई भी वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गमन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान सचिव ग्राम पंचायत की जाएगी इस प्रकार दर्शित व्ययों की पुष्टि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/म0रो0 एवं कृत कार्यों की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में अपहरण संभावित है।

अतः रु0 434200.00 की अपहरण धनराशि की वसूली मय व्याज तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी व ग्र0वि0अ0 श्री सुधीर प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25

13. ग्राम पंचायत-कादीपुर, विकास खण्ड- कासिमाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में रु0 465950.00 व्यय किया गया है। परंतु लेखा परीक्षा के समय व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाया गया व्यय के संबंध में कोई भी वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गमन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत की जाएगी इस प्रकार दर्शित व्ययों की पुष्टि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/म0रो0 एवं कृत कार्यों की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में अपहरण संभावित है।

अतः रु0 465950.00 की अपहरण धनराशि की वसूली मय व्याज तत्कालीन प्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता व ग्र0वि0अ0 श्री सुधीर प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

14. ग्राम पंचायत-नैसारा, विकास खण्ड- देवकली, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में कतिपय वित्तीय अनियमितता के प्रकरण प्रथम दृष्टिया प्रकाश में आयी हैं जिसके प्रति विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक	चंक सं0	धनराशि
09.04.12	718541	60309
13.09.12	718557	76000
03.10.12	150601	46000
योग -		182903.00

उक्त चेक की धनराशि रु0 182903.00 का भुगतान कैशबुक में सामग्री क्रय के रूप में दिखाकर खारिज है। किन्तु क्रय सामग्री की पुष्टि में क्रय प्रमाणक, क्रयदेश, कोटेशन पत्रावली आदि लेखा परीक्षाप्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे क्रय की पुष्टि नहीं होती है। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का अपहरण/दुरुपयोग सम्भावित है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत-नैसारा, विकास खण्ड- देवकली, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 में अखिलेश कुमार को निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है-

दिनांक	चंक सं0	धनराशि
26.12.12	150618	20000
12.01.12	150620	20000
08.02.12	210078	13000
योग -		53000.00

उपरोक्त भुगतान संबंधित बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा साथ यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि क्रय का उपभोग कहा और किस कार्य में किया गया इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि का उपभोग संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके लिए प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28

ग्राम पंचायत-नैसारा, विकास खण्ड- देवकली, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 में प्रधान द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रु0 820000.00 नगद धन नियम विरुद्ध एवं विभागीय व्यवस्थाओं के विपरीत सिमा से अधिक बैंक से सामग्री क्रय एवं श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान हेतु आहरण किया गया है। कैशबुक में दर्शित है। क्रय सामग्री की प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित धनराशि की क्रय की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। अतः अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने एवं बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दिखाये जाने से

राजकीय धन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। जिसके लिए प्रधान एवं ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29

15. ग्राम पंचायत-बेलसड़ी, विकास खण्ड- देवकली, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 में प्रधान द्वारा रू0 133000.00 नकद धन नियम विरुद्ध सीमा से अधिक बैंक से आहरण कर सामग्री कय एवं श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान दिखाकर खारिज है। जिसकी पुष्टि में कय प्रमाणक कयादेश कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। एकाउण्ट पेयी चेक से तथा मजदूरी का एकाउण्ट में भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में प्रधान द्वारा बिना व्यय प्रमाणक धनराशि खारिज किये जाने से राजकीय धन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। जिसके लिए प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30

ग्राम पंचायत-बेलसड़ी, विकास खण्ड- देवकली, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 में अखिलेश कुमार को निम्न विवरणानुसार सामग्री कय का भुगतान किया गया है।

दिनांक	चंक सं0	धनराशि
21.09.12	155133	8000
20.03.12	150142	2500
योग -		10500.00

उपरोक्त भुगतान से संबंधित बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ यह भी स्पष्ट नहीं हुआ की कय का उपभोग कहा और किस कार्य में किया गया। इस प्रकार भुगतान की धनराशि का उपभोग संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके लिए प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-31

ग्राम पंचायत-बेलसड़ी, विकास खण्ड- देवकली, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 में रू0 102000.00 का भुगतान मुख्तार सिंह यादव को किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	चंक सं0	धनराशि
21.09.12	150134	12000
24.01.13	150137	25000
24.01.13	150138	25000
13.02.13	150139	20000
13.02.13	150140	20000
योग -		102000.00

उक्त तिथियों में कुल रू0 102000.00 की धनराशि का भुगतान श्री मुख्तार सिंह यादव को नियमों के किस आधार पर किया गया है। बताया गया कि श्री यादव प्रधानपति है। सामग्री कय का एकाउण्ट पेयी चेक से भुगतान किया जाना चाहिए किन्तु नियमों एवं व्यवस्था की अनदेखी कर राजकीय अनुदान मनमाने तौर पर रिश्तेदार/संबंधी के नाम से निर्गत कर अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि से कराये गये कार्य की पुष्टि भी नहीं करायी गयी। अतः राजकीय धन का अपहरण/दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-32

16. ग्राम पंचायत-महना कला, विकास खण्ड- रेवतीपुर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में सामग्री कय -

1. ईट	रू0 188400.00
2. मिट्टी कय	रू0 123680.00
3. मजदूरी	रू0 79830.00
4. हैण्डपम्प मरम्मत	रू0 37490.00
5. मानदेय प्रधान का	रू0 35000.00
योग	रू0 464400.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही के आधार पर ईट क्रय रु0 188400.00 का किया गया है। ईट क्रय की पुष्टि में क्रय प्रमाणक एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे क्रय की वस्तु स्थिति अपुष्टित रहा। उल्लेखनीय है कि इस पर आयकर की कटौती दर्शित नहीं है। इससे राज्य के कोषबही राजस्व का रु0 4220.16 की आर्थिक क्षति हुई है।
2. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही में मिट्टी क्रय का भुगतान रु0 123680.00 दिखाकर खारिज किया गया है। मिट्टी क्रय एवं इस पर किये गये रायल्टी के भुगतान पर लेखा परीक्षा में क्रय प्रमाणक नहीं रहा, जिससे रायल्टी कटौती की वस्तु स्थिति अपुष्टित रही।
3. कोषबही में लोहा राम के घर से दीनानाथ के घर तक, राजेश राम के घर से बसन्त राम के घर तक वकैलाश यादव के घर से विनोद पाण्डेय के घर तक खडन्जा मरम्मत, आयूब के घर से विन्ध्याचली देवी के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर दिनांक 09.06.15 को रु0 38700.00 और मेन रोड से यादव बस्ती तक खडन्जा निर्माण कार्य पर दिनांक 24.09.15 को रु0 41130.00 जो कुल कार्य पर रु0 79830.00 मजदूरी व्यय दर्शित, जिसकी पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती है।
4. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही में दिनांक 09.06.12 को रु0 11300.00 व दिनांक 17.09.15 को रु0 24800.00 तथा दिनांक 24.09.15 को रु0 1390.00 इस प्रकार कुल रु0 37490.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दर्शित कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है।
5. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही में दिनांक 17.09.15 को रु0 30000.00 व दिनांक 30.09.15 को रु0 5000.00 मानदेय व्यय दिखाकर खारिज है, जिसकी पुष्टि में भुगतान की प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। अतः अपुष्टित रहा।

उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2015-16 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 464400.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति संदिग्ध है एवं बिना व्यय प्रमाणक/मस्टररोल के व्यय दर्शित किये जाने से राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्रा0प्र0 श्री ओमप्रकाश गुप्ता और ग्रा0प0अ0 श्री गुरुशरण श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33

17. ग्राम पंचायत-उधरनपुर , विकास खण्ड- रेवतीपुर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में सामग्री क्रय

1. ईट	रु0 170800
2. मिट्टी क्रय	रु0 60000
3. खडन्जा मजदूरी	रु0 72450
4. मिट्टी कार्य मजदूरी	रु0 9821
5. मानदेय	रु0 56000
6. प्रिया साफ्ट	रु0 3000
7. स्टेशनरी	रु0 129
योग	रु0 372200.00

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही के आधार पर ईट क्रय रु0 170800 का किया गया है। ईट क्रय की पुष्टि में क्रय प्रमाणक एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे क्रय की वस्तुस्थिति अपुष्टित रही। उल्लेखनीय है कि इस पर आयकर की कटौती दर्शित नहीं है। इससे राज्य के कोषबही राजस्व का रु0 3826.00 की आर्थिक क्षति हुई है।
2. लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 में कोषबही में 120 ट्राली मिट्टी का क्रय भुगतान रु0 60000.00 दिखाकर खारिज किया गया। मिट्टी की पुष्टि में क्रय प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मिट्टी क्रय एवं इस पर किये गये रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं होती है।

3. कोषबही में गुड्डू के घर से सुशील राय के घर तक दिनांक 12.04.15 को रू0 34937.00 और झंगर के घर से परमेश्वर के घर होकर मेन खडंजा तक दिनांक 09.05.15 को रू0 27537.00 जो कुल खडंजा कार्य पर रू0 62574.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में मस्टररोल कार्य माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण रजि0, सृजित सम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती है।
4. कोषबही में प्रा0पा0 उधरनपुर के प्राणन में मिट्टी काग्र समतलीकरण पर मजदूरी व्यय रू0 9982.00 दिखाकर खारिज है, जिसकी पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः अपुष्टित रहा।
5. लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 में कोषबही में दिनांक 08.05.15 को रू0 13500.00 व दिनांक 08.09.15 को रू0 42500 जो कुल रू0 56000 मानदेय व्यय दिखाकर खारिज है, जिसकी पुष्टि में भुगतान की रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।
6. लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 में कोषबही में प्रिया साफ्ट फिडिंग संबंधी व्यय रू0 3000.00 एवं तथा स्टेशनरी रू0 129 व्यय दिखाकर खारिज है, जिसकी पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः अपुष्टित रहा।

उपरोक्त कुल व्यय रू0 372200.00 की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं होता है। अपुष्टित/अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का अपहरण संभावित है, जिस हेतु ग्रा0प्र0 श्रीमती खुशबू राय और ग्रा0पं0अ0 श्री अशोक कुमार राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34

18. ग्राम पंचायत-सिलाईच, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 से 2015-16 में कोषबही के अनुसार 31 मार्च 2016 को प्रधान के पास नकद अवशेष धनराशि रू0 230000.00 दर्शित है, जिस निम्न तिथियों में आहरित किया गया है।

1. 17.02.16 रू0 50000
2. 25.02.16 रू0 50000
3. 10.03.16 रू0 100000
4. 22.03.16 रू0 30000

योग रू0 230000

नियमानुसार वर्षान्त में 5000 रू0 से ज्यादा की रकम नहीं रोकी जा सकती। किन् कारणों से 230000 रू0 की धनराशि 31 मार्च 16 तक रोक कर रखी गयी है, यह स्पष्ट नहीं किया जा सका। ब्याज का आकलन कर वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए सूर्यभान राय ग्रा0पं0अ0 एवं प्रभा यादव ग्रा0प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

प्रस्तर-35

19. ग्राम पंचायत-सरायबहादुर, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 में लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में बैंक पासबुक खाता सं0 488902010002740, यूनियन बैंक, शहबाजकुली के अनुसार कुल रू0 436300.00 का आहरण दर्शित है। लेखा परीक्षा में बैंक से कुल रू0 436300.00 का आहरण किया गया। इस आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही व्यय प्रमाणक एवं आवश्यक अन्य अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त धनराशि का अपहरण संभावित है। जिस हेतु ग्रा0पं0अ0 श्री सुशील तिवारी एवं ग्रा0प्र0 श्री हनुमंत सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

ग्राम पंचायत-सरायबहादुर, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 में लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में बैंक पासबुक खाता सं0 488902010002740, यूनियन बैंक, शहबाजकुली के अनुसार कुल रू0 624500.00 का आहरण दर्शित है। लेखा परीक्षा में बैंक से कुल रू0 624500.00 का आहरण किया गया। इस आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही व्यय प्रमाणक एवं आवश्यक अन्य अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त धनराशि का अपहरण संभावित है। जिस हेतु ग्रा0पं0अ0 श्री सुशील तिवारी एवं ग्रा0प्र0 श्री हनुमंत सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37

ग्राम पंचायत-सरायबहादुर, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 में लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में बैंक पासबुक खाता सं० 488902010002740, यूनियन बैंक, शहबाजकुली के अनुसार कुल रु० 1100500.00 का आहरण दर्शित है। लेखा परीक्षा में बैंक से कुल रु० 1100500.00 का आहरण किया गया। इस आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही व्यय प्रमाणक एवं आवश्यक अन्य अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त धनराशि का अपहरण संभावित है। जिस हेतु ग्रा०पं०अ० श्री सुशील तिवारी एवं ग्रा०प्र० श्री हुनमंत सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38

ग्राम पंचायत-सरायबहादुर, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 में लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक पासबुक खाता सं० 488902010002740, यूनियन बैंक, शहबाजकुली के अनुसार कुल रु० 1050000.00 का आहरण दर्शित है। लेखा परीक्षा में बैंक से कुल रु० 1050000.00 का आहरण किया गया। इस आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही व्यय प्रमाणक एवं आवश्यक अन्य अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त धनराशि का अपहरण संभावित है। जिस हेतु ग्रा०पं०अ० श्री सुशील तिवारी एवं ग्रा०प्र० श्री हुनमंत सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-39

20. ग्राम पंचायत-हरदिया, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 से 2015-16 में 2014-15 की कोषबही के अनुसार रु० 2173004.00 व्यय दर्शित है, जिसमें से 2168954.00 रु० का विवरण निम्नवत है-

1	सामग्री क्रय (ईट, सीमेंट, बालू, आर०सी०सी०, हयूम पाईप, मिट्टी आदि)	1657722.00
2	मजदूरी (नाली, खडंजा एवं पंचायत भवन मरम्मत)	307932.00
3	हैंडपंप मरम्मत	30000.00
4	अन्य व्यय	173300.00
	योग	2168954.00

लेखा परीक्षा वर्ष में नाली एवं खडंजा आदि कार्यों पर ईट, मिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु० 1657722.00 व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में उपलब्ध व्यय प्रमाणक न तो प्रधान द्वारा प्रमाणित है और न ही पेड एण्ड कैसिल अंकित है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। कृषि संबंधित क्रयदेश, निविदा/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से क्रयसामग्री की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत माप पुस्तिका, सृजित परिसंपत्ति रजिस्टर, निर्माण पंजी,स्टाक पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मजदूरी पर भुगतान रु० 307932.00 दर्शित है। मस्टर रोल पर कार्य स्थल का विवरण कार्य अवधि अंकित है। परंतु बैंक खाता संख्या, जॉब कार्ड संख्या, पंजीयन संख्या, निरीक्षण करता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं भुगतान नगद किया गया है मजदूरी के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

हैंडपंप मरम्मत संबंधित रु० 30000.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अन्य व्यय के अन्तर्गत स्ट्रीट लाईट, मानदेय व्यय क्रमशः 146300 व 27000.00 रु० दर्शित है।

स्ट्रीट लाईट के कार्य स्थल का विवरण नहीं है एवं कितनी-कितनी धनराशियाँ व्यय की गयी है स्पष्ट नहीं है। क्रय किये जाने का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति से पुष्टि नहीं करायी गयी है।

ग्राम प्रधान को मानदेय 27000.00 सादे कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किये भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षा के अनुसार व्यय 2172004.00 होना चाहिए, जबकि कोष बही में कुल व्यय 21730040.00 दर्शित है। इस प्रकार आहरित धन की अपेक्षा 1000 रु० का अधिक व्यय वर्ष 2014-15 के कुल व्यय को काल्पनिक एवं संदिग्ध बना देता है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40

ग्राम पंचायत-हरदिया, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 से 2015-16 में 2015-16 की कोषबही के अनुसार रु० 885290.00 व्यय दर्शित है, जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार कुल व्यय 875290.00 रु० होना चाहिए। कोषबही के अनुसार व्यय की गयी धनराशि 885290.00 का विवरण निम्नवत है-

1	सामग्री क्रय (ईट, सीमेंट, बालू, आर०सी०सी०, हयूम पाईप, मिट्टी आदि)	633900.00
2	मजदूरी (नाली, खड्जा एवं पंचायत भवन मरम्मत)	195390.00
3	हैंडपम्प मरम्मत	56000.00
	योग	885290.00

लेखा परीक्षा वर्ष में नाली एवं खड्जा आदि कार्यों पर ईट, मिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु० 633900.00 व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में उपलब्ध व्यय प्रमाणक न तो प्रधान द्वारा प्रमाणित है और न ही पेड एण्ड कैसिल अंकित है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है कृषि संबंधित क्रयदेश, निविदा/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से क्रय सामग्री की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत माप पुस्तिका, सृजित परिसंपत्ति रजिस्टर, निर्माण पंजी,स्टाक पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी तारों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मजदूरी पर भुगतान रु० 195390.00 दर्शित है। मस्टर रोल पर कार्य स्थल का विवरण कार्य अवधि अंकित है। परंतु बैंक खाता संख्या, जॉब कार्ड संख्या, पंजीयन संख्या, निरीक्षण करता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं भुगतान नगद किया गया है मजदूरी के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

हैंडपंप मरम्मत संबंधित रु० 56000.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षा के अनुसार व्यय 875290.00 होना चाहिए, जबकि कोष बही में कुल व्यय 885290.00 दर्शित है। इस प्रकार आहरित धन की अपेक्षा 10000 रु० का अधिक व्यय वर्ष 2015-16 के कुल व्यय को काल्पनिक एवं संदिग्ध बना देता है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41

21. ग्राम पंचायत-सरैया, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कोष बही में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थलों पर मिट्टी ढुलाई का कार्य ट्रैक्टर ट्रौली द्वारा कराया जाना दर्शित रहा। जिस पर रु० 105000.00 का व्यय/भुगतान श्री मेराज खॉ पुत्र तसौवर सरैया को दर्शाया गया है जिससे संबंधित प्रमाणक ट्रैक्टर नं०, मालिक का नाम तथा ट्रैक्टर के व्यवसायिक अपयोग संबंधी संस्तुति आर०टी०ओ० कार्यालय से ली गयी है अथवा नहीं की स्थिति स्पष्ट नहीं रही। ग्रामपंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा मिट्टी कार्य की पुष्टि नहीं करायी गयी है। अतः दर्शित व्यय संदिग्ध होने के कारण फर्जी प्रतीत होता है। अतः राजकीय धन के अपहरण की पूर्ण संभावना है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रेम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना चाहिए। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42

ग्राम पंचायत-सरैला, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कोष बही में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थलों पर कार्य हेतु कार्टेज मिट्टी कय दिखाकर श्री मेराज खॉ पुत्र तसौवर सरैला को रू0 67542.00 भुगतान दर्शाया गया है। जिससे संबंधी आर0टी0ओ0 ने अनुमित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे यह व्यय अपुष्टित रहा। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का अपहरण संभावित है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रेम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43

ग्राम पंचायत-सरैला, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में दिनांक 29.05.15 को रू0 5166.00 का भुगतान कैशबुक में समीर कन्सट्रक्शन दिलदार नगर को जे0सी0बी0 द्वारा नाली खुदाई पर दर्शाया गया था। जिससे संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने तथा कार्य में मशीन का प्रयोग किये जाने के कारण मनमाने तौर पर किया गया कार्य है तथा राजकीय निर्देशन एवं विभागीय व्यवस्था के विपरीत मशीन से कार्य कराये जाने से श्रमांश का सृजन बाधित रहा। इसमें राजकीय धन का दुरुपयोग/अपहरण संभावित है। अतः इस धनराशि की वसूली इनसे संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रेम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह संयुक्त रूप जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44

ग्राम पंचायत-सरैला, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कैशबुक में निम्न विवरण के अनुसार बिना विवरण व्यय दर्शाया गया है -

दिनांक	बाउचर सं०	धनराशि	कय सामग्री/विवरण	कार्यस्थल का नाम/उद्देश्य
27.07.15	46	45500.00	7 हजार नग ईट	अंकित नहीं
27.07.15	48	14850.00	45 बोरी सीमेंट	अंकित नहीं नाली निर्माण
06.08.15	51	19320.00	मजदूरी भुगतान	अंकित नहीं
06.08.15	53	62000.00	10 हजार नग ईट	अंकित नहीं
14.08.15	56	62000.00	10 हजार नग ईट	अंकित नहीं
07.10.15	62	13636.00	मजदूरी भुगतान	अंकित नहीं
07.10.15	63	13000.00	2 हजार नग ईट	अंकित नहीं
10.10.15	64	17280.00	ईट टुकड़ी	अंकित नहीं
	योग	247586.00		

इस प्रकार रू0 247586.00 के व्यय संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा तथा कैशबुक में इस व्यय से संबंधित विवरण अंकित नहीं किया गया है जबकि अन्य व्ययों से संबंधित विवरण अंकित किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक तथा विवरण के अभाव में यह व्यय संदिग्ध एवं फर्जी प्रतीत होता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रेम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-45

22. ग्राम पंचायत-गोड़सरा, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 की कैशबुक में रजिन्दर राजभर के घर से स्व0 जलील खॉ के घर तक नाली निर्माण पर व्यय नियमानुसार दर्शाया गया था-

दिनांक	वाउचर सं०	धनराशि	विवरण
11.05.15	14	1750.00	5 बोरी सीमेंट
12.05.15	15	14850.00	2396 नग ईट
23.05.15	20	9080.00	मजदूरी भुगतान
	योग	25680.00	

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर कुल 25680.00 के व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा तथा ईट की कीमत रु0 14855.00 होता है जबकि भुगतान रु0 14850.00 दर्शित है। इस कार्य पर बालू क़य नहीं दर्शाया गया है तथा क़य प्रोजेक्टर दर्शाया गया है। कोष बही में वर्ष के प्रारम्भ में ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रथम कार्य दर्शित है। जिससे अन्य प्रोजेक्ट से स्टाक रजि0 से इस कार्य पर बालू का प्रयोग सम्भव नहीं रहा। अतः बिना बालू के नाली निर्माण कैसे संभव है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः इन आपत्तियों के आधार पर यह दर्शित कार्य फर्जी एवं धन के समायोजन की कार्यवाही प्रतीत होती है। राजकीय धन का अपहरण संभावित है जिस हेतु उक्त धनराशि प्रधान श्री अम्बिका राम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह से संयुक्त रूप से जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46

ग्राम पंचायत-गोड़सरा, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में दिनांक 21.07.15 के र0 6067.00 का भुगतान हिन्दुस्तान मीडिया को टेण्डर आमंत्रण हेतु किया गया है जिससे संबंधित रसीद तथा समाचार पत्र की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिस हेतु यह धनराशि प्रधान श्री अम्बिका राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह से संयुक्त रूप से जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47

ग्राम पंचायत-गोड़सरा, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 की कोषबही से समसुददीन के घर से अमरपाल के घर तक नाली खडन्जा पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है-

दिनांक	धनराशि	बाउचर सं0	विवरण
02.06.15	7000	25	20 ट्राली मिट्टी 350 रु0 प्रति ट्राली की दर से मेराज खों को भुगतान
13.06.15	22024	27	मजदूरी भुगतान
13.06.16	8550	28	एक ट्राली बालू 15 बोरी सीमेन्ट राजकेशरी बिल्डिंग मैटीरियल्स
11.07.15	20500	31	3310 नग ईट सम्राट उद्योग दर 6200
योग	58074.00		

जिस पर आपत्तियाँ निम्न रही-

1. उपरोक्त व्ययों से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा तथा क़य सामग्री का भुगतान चेक द्वारा न कर नगद किया गया है जो विभागीय नियमों के विपरीत रहा। लेखा परीक्षा में क़या देश कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य रजि0, सत्यापित स्टाक रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा।

2. ईट क़य की तिथि 11.05.15 है जबकि मजदूरी भुगतान 13.06.15 को ही दर्शाया गया है। बिना ईट क़य किए निर्माण कार्य का मजदूरी का भुगतान एक माह पूर्व किया जाना अपने आप में संदेहास्पद है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के अधीन दर्शित व्यय संदिग्ध एवं फर्जी प्रतीत होता है जिसकी वसूली प्रधान श्री अम्बिका तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह से संयुक्त रूप से जॉचोपरान्त किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48

ग्राम पंचायत-गोड़सरा, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार फन्ते जू0हा0 स्कूल में मिट्टी भराई एवं खडन्जा कार्य पर कैश बुक में व्यय दर्शित था-

दिनांक	वाउचर सं०	धनराशि	विवरण
02.06.15	26	8750.00	मेराज खॉ पुत्र शेर खॉ गोड़सरा को 25 ट्राली मिट्टी दर 350 प्रति ट्राली से भुगतान
24.06.15	30	9000.00	मु० तारिक खॉ पुत्र उमर खॉ गोड़सरा को 27 ट्राली मिट्टी दर 350 प्रति से मिट्टी का भुगतान
11.08.15	43	9000.00	सम्राट ईट उद्योग 1500 नग ईट का भुगतान दर 6000 प्रति हजार भुगतान
18.08.15	44	6300.00	मु० तारिक खॉ पुत्र उमर फारुख 18 ट्राली दर 350 से मिट्टी का भुगतान
18.08.15	45	5635.00	मजदूरी भुगतान
	योग	38685.00	

जिस पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं—

1. संबंधित व्ययों का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा मैनुअल के धारा 8 के नियम 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय गबन माना जायेगा।
2. 14.06.15 को दर्शित मिट्टी का मुल्य मात्रा एवं दर के हिसाब से 9180.00 होता है जबकि भुगतान 9000.00 दर्शाया गया है। कारण स्पष्ट नहीं रहा।
3. 1500 नग ईट क्रय 6000.00 कि दर से दर्शाया गया है जबकि अन्य तिथियों में इसकी दर 6200.00 दर्शाया गया है।
4. मिट्टी क्रय भुगतान पर रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व कोक्षति पहुँचायी गया है।
5. ट्रैक्टर ट्राली का नम्बर अंकित नहीं है। नियमानुसार विभागीय/शासकीय व्यवस्थानुसार ट्रैक्टर ट्राली से ढुलाई प्रतिबन्धित है ट्रैक्टर द्वारा ढुलाई कार्य व्यवहिक रूप से किए जाने का ए०आर०टी०ओ० कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. कार्यों की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र प्रत्येक कार्य की पत्रावली, क्रयदेश, कोटेशन/टेण्डर, माप पुस्तिका, स्वीकृत व्यय अनुमान, क्रय स्टॉक की पुष्टि में ए०डी०ओ०पी० द्वारा सत्यापित स्टॉक रजि०, सृजित परिसम्पत्ति रजि० आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के अधीन इस प्रोजेक्ट पर दर्शित कुल व्यय रू० 38685.00 लेखा परीक्षा की दृष्टि से फर्जी एवं संदिग्ध तथा धन के समायोजन की कार्यवाही प्रतीत होती है। अतः उक्त धनराशि जॉचोपरान्त उत्तरदायी प्रधान श्री अम्बिका तथा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह से संयुक्त रूप से जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—49

23. ग्राम पंचायत—सैदाबाद, विकास खण्ड— जमानियाँ, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2012—13 से 2015—16 के वर्ष 12—13 के प्रस्तुत कोषबही के अनुसार रू० 315600.00 व्यय किये गये हैं बैंक पासबुक से कुल रू० 315000.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। दिनांक 01.04.2012 को प्रधान के पास रू० 602.00 नकद अवशेष थे। इस प्रकार बैंक से आहरित धनराशि रू० 315000.00 और नकद धनराशि रू० 600.00 कुल रू० 315600.00 व्यय दर्शाया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण आडिट के 8 क अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी राशी को गबन मानमे हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान

तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली केसाथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा- 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार 2012-13 में रु0 315600.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा राय और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र राय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50

ग्राम पंचायत-सैदाबाद, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 से 2015-16 में प्रस्तुत किये गए बैंक पासबुक में माह अक्टूबर 2013 में त्रुटिपूर्ण प्रिटिंग किये जाने के कारण रु0 19000.00 संभवतः आहरित किया गया है दर्शित नहीं है, कोषबही में भी तदनरूप ही प्रविष्टकिया गया है, अक्टूबर 2013 में बैंक पासबुक में रु0 277378.84 अवशेष दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार रु0 296378.84 अवशेष होना चाहिए। इस प्रकार रु0 19000.00 की प्रविष्टि कोषबही के आय पक्ष में न किये जाने से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा राय और ग्रा0पं0वि0अ0 श्री सुभाष चन्द्र राय से मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51

ग्राम पंचायत-सैदाबाद, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 से 2015-16 के वर्ष 13-14 की कोषबही के अनुसार रु0 457782.00 विभिन्न मदों में व्यय किये गए हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में रु0 457782.00 व्यय सापेक्ष कोई भी प्रमाणक एवं कार्यों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। पं0रा0 वि0 उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार उक्त स्थिति में रु0 457782.00 का अपहरण किया गया है, रु0 436160.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा राय और ग्रा0पं0वि0अ0 श्री सुभाष चन्द्र राय से तथा शेष धनराशि रु0 21622.00 तत्कालीनग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा राय और ग्रा0पं0वि0अ0 श्री सुभाष चन्द्र राय से मय ब्याज संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52

ग्राम पंचायत-सैदाबाद, विकास खण्ड- जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 से 2015-16 के वर्ष 14-15 के कोषबही के अनुसार ग्रा0पं0 द्वारा विभिन्न कार्यों/शीर्षों में कुल व्यय रु0 890056.00 दिखाए गए हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में रु0 890056.00 केव्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक एवं कार्यों सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। पं0रा0वि0अ0 द्वारा निर्गत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार उक्त स्थिति में रु0 890056.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा राय और ग्रा0पं0वि0 अ0 राम प्रकाश राम संयुक्त रूप से ब्याज मय किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-53

24. ग्राम पंचायत-नरायनपुर, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कोषबही के अनुसार रु0 428473.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न है -

1. सामग्री कय	244285
2. मजदूरी	60162
3. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	22116
4. मिट्टी कार्य	26000
5. अन्य व्यय	75910

योग

428473.00

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री कय पर रु0 244285.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कय सामग्री की सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गई है फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है से संबंधित आदेश, कोटेशन, निविदा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है।
2. मजदूरी पर भुगतान रु0 60162.00 दर्शित है। मजदूरी की पुष्टि में संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध है।

3. हैंडपंप मरम्मत संबंधित रु0 22116.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है।
4. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही में 65 ट्राली मिट्टी कय का भुगतान रु0 26000 दिखाकार खारिज किया गया है। मिट्टी कय की पुष्टि में कय प्रमाणक एवं उस पर दिये गये रायल्टी के भुगतान की पुष्टि में विवरण पत्र/चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ट्राली से कय किये जाने की पुष्टि में ट्राली का व्यवसायिक प्रयोग किये जाने का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः 65 ट्राली मिट्टी ढुलाई की वस्तुस्थिति संदिग्ध है।
5. अन्य व्यय के अन्तर्गत कम्प्यूटर कार्य, स्ट्रीट लाईट, स्टेशनरी, सफाई कर्मी कीट पर व्यय क्रमशः रु0 20320, रु0 30000, रु0 3590, रु0 22000 एवं कुल रु0 75190 दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में स्पष्ट है कि समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-54

ग्राम पंचायत-नरायनपुर, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कोषबही में रु0 370973 आहरित किया गया तथा व्यय रु0 428473 दर्शित है। अतः रु0 57500 का अतिरिक्त काल्पनिक व्यय किया गया है। इस प्रकार न होने और अतिरिक्त काल्पनिक व्यय के कारण पूरा व्यय एवं कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2015-16 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 428473 के सापेक्ष अभिलेख के अभाव में निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति संदिग्ध है एवं बिना व प्रमाण के आधार हीन व्ययदर्शित करते हुए धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए मिठाई लाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवं बब्बन ठाकुर प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः उक्त दुरुपयोगित धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-55

25. ग्राम पंचायत-चितावनपट्टी, विकास खण्ड- जमानियों, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 में मार्च 2013 के कोषबही के आय पक्ष का योग रु0 42980 दर्शाकर रु0 39980 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 3000 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन प्रधान श्री शंभू यादव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश राम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56

ग्राम पंचायत-चितावनपट्टी, विकास खण्ड- जमानियों, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के वर्ष 2013-14 में बैंक पासबुक व कोष वही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/शीर्षक पर कुल रु0 669036.00 व्यय किया गया है लेखा परीक्षा में व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है इस कारण व्यय पुष्टि ना की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क में अंकित टिप्पणी यदि दर्शाया गया व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई वह धनराशि को मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ब्याज सहित वसूली के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा है।

इस प्रकार रु0 669036.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री शंभू यादव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश राम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57

ग्राम पंचायत-चितावनपट्टी, विकास खण्ड- जमानियों, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के वर्ष 2014-15 ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 822160.00 व्यय किया गया है परंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया लेखामैनुअल के अनुसार उक्त संपूर्ण धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका दायित्व तत्कालीन प्रधान शिव शंभू यादव व ग्राम पंचायत विकास

अधिकारी श्री राम प्रकाश राम का है। मय ब्याज आकलित करते हुए रु0 822160.00 की धनराशि संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58

26. ग्राम पंचायत-गुलाल सराय, विकास खण्ड- मरदह, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कोषबही के अनुसार रु0 1082730.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न है-

1. सामग्री क्रय	434887
2. मिट्टी कार्य	116600
3. मजदूरी	250885
4. अन्य व्यय	280358

योग

1082730.00

- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में संपर्क मार्ग पक्की निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु0 434887.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में उपलब्ध व्यय प्रमाणक न तो प्रधान द्वारा प्रमाणित है और न तो पेड एण्ड कैन्सिल अंकित किया गया है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। क्रय संबंधी क्रयादेश, निविदा/कोटेशन, अनुमानित लागत, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक पंजी, फर्म को किये गये भुगतान पर आयकर की कटौती आदि नहीं की गयी है। उपरोक्त के अभाव में व्यय की स्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- लेखा परीक्षा में मिट्टी कार्य पर व्यय के रूप में रु0 116600 दर्शित है। मिट्टी ढुलाई मत से रोयल्टी आदि की कटौती नहीं की गई है सादे कागज पर भुगतान करना दर्शित है, इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से नहीं कराई गई है रोयल्टी आदि की कटौती ना किए जाने से राज्य के राजस्व की हानि की गयी है।
- मजदूरी भुगतान पर रु0 250885.00 दर्शित है। मास्टर रोल पर कार्यस्थल का विवरण कार्य अवधि अंकित है परंतु बैंक खाता जॉब कार्ड संख्या पंजीयन संख्या का निरीक्षण करता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं भुगतान नगद किया गया है। मजदूरों के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है।
- अन्य व्यय के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत, स्पनपाइप एवं स्ट्रीट लाइट पर व्यय क्रमशः 87450, 104408 एवं 88500 कुल रु0 280358.00 दर्शित है।

उक्त की पुष्टि में हैण्डपम्प मरम्मत पंजी, कार्य स्थल का विवरण, स्पन पाइप एवं स्ट्रीट लाइट पर व्यय की गयी पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त। व्यय अपुष्टित। इसके लिए श्री सचिन कुमार एवं प्रधान श्री विरेन्द्र यादव/श्री प्रदीप राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-59

27. ग्राम पंचायत-भरौली कला, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के वर्ष 13-14 की कोषबही के अनुसार रु0 818390.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न है -

1. सामग्री क्रय	570150
2. मजदूरी	137190
3. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	35900
4. मिट्टी कार्य	75150

योग

818390.00

- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु0 570150.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्रय संबंधी क्रयादेश, निविदा/कोटेशन, अनुमानित लागत, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति पंजी, स्टॉक पंजी आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2. मजदूरी भुगतान पर रु0 137190.00 दर्शित है। मास्टर रोल पर कार्यस्थल का विवरण कार्य अवधि अंकित है परंतु बैंक खाता जॉब कार्ड संख्या पंजीयन संख्या का निरीक्षण करता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं भुगतान नगद किया गया है। मजदूरों के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
3. हैंडपंप मरम्मत संबंधित रु0 35900.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
4. अन्य व्यय के अन्तर्गत मानदेय, सफाईकर्म का सामान, स्टेशनरी, पंचायत कर वसूली सामान्य भविष्य निधि पर व्यय क्रमशः रु0 9000, 62250, 3000, 500, 400 कुल रु0 75150 दर्शित है। मानदेय सादे कागज बिना औपचारिकता पूर्ण किये हुए किया गया है। मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।
रु0 62250.00 पंचायत उद्योग से सफाई कर्म के सामान पर व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
रु0 3000.00 स्टेशनरी व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध।
रु0 500.00 पंचायत कर वसूली का 10 प्रतिशत जमा दर्शित प्रमाणक अनुपलब्ध।
रु0 400.00 सामान्य भविष्य लाभ निधि में जमा दर्शित प्रमाणक अनुपलब्ध।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि वर्ष 2013-04 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 818390.00 के सापेक्ष निर्माण की वस्तुस्थिति संदिग्ध है एवं फर्जी व्यय प्रमाणक मस्टररोल अप्राप्त। जिसके लिए देवनाथ ग्रा0प0अ0 एवं सुनीता देवी प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60

ग्राम पंचायत-भरौली कला, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 में दिनांक 27.06.13 को बैंक से रु0 62550 आहरण किया गया लेकिन कैशबुक के आय पक्ष में 62250.00/-(-250) प्रविष्ट किया गया। इसी प्रकार दि0 02.08.13 को रु0 10000/- और दि0 07.08.13 को रु0 20000/- का आहरण किया गया। लेकिन कैशबुक के आय और व्यय पक्ष में प्रविष्ट न कर कुल रु0 30250/- का अपहरण/गबन कर लिया गया है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61

ग्राम पंचायत-भरौली कला, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के वर्ष 14-15 के कोषबही के अनुसार रु0 1044392.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न है -

1. सामग्री क्रय	740520
2. मिट्टी	1200
3. मजदूरी	180732
4. हैंडपम्प मरम्मत	61500
5. अन्य व्यय	60440
योग	1044392.00

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु0 740520.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्रय संबंधी क्रयादेश, निविदा/कोटेशन, अनुमानित लागत, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति पंजी, स्टॉक पंजी आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषबही में 4 ट्राली मिट्टी कय का भुगतान रू0 1200 दिखाकर खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहे। रायल्टी संबंधी कटौती का निर्धारण कर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
 3. मजदूरी पर भुगतान रू0 180732.00 दर्शित है। मजदूरी की पुष्टि में संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
 4. हैंडपंप मरम्मत संबंधित रू0 61500.00 की पुष्टि में ना तो हैंडपंप मरम्मत संबंधी रजिस्टर बनाया गया है और ना ही उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है जल प्रबंध समिति से पुष्टि भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य संबंधी व्यय संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
 5. अन्य व्यय के अन्तर्गत स्ट्रीट लाईट, मानदेय, कम्प्यूटर कार्य, सी0ए0 को भुगतान, विज्ञापन, पंचायत कर वसूली, सामान्य भविष्य निधि पर व्यय क्रमशः रू0 15040, 9000, 25500, 4000, 6000, 500, 400 कुल रू0 60440 दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख अप्राप्त। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2014-15 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रू0 1044392.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। जिसके लिए देवनाथ राम ग्रा0पं0अ0 एवं सुनीता देवी प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62

ग्राम पंचायत-भरौली कला, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 में 31 मार्च 2015 के प्रधान के पास अवशेष धन रू0 67 कोषबही में न दिखाकर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63

ग्राम पंचायत-भरौली कला, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के वर्ष 15-16 के कोषबही के अनुसार रू0 312500.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न है -

1. सामग्री कय	213350
2. मजदूरी	58523
3. मिट्टी	25500
4. अन्य व्यय	15127
योग	312500.00

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री कय पर रू0 213350.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कय सामग्री की सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गई है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है से संबंधित आदेश, कोटेशन, निविदा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
2. मजदूरी पर भुगतान रू0 58523.00 दर्शित है। मजदूरी की पुष्टि में संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। अतः भुगतान की वस्तुस्थिति अपुष्टित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
3. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही में 85 ट्राली मिट्टी कय का भुगतान रू0 25500 दिखाकर खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहे। मिट्टी कय एवं इस पर दिये गये रायल्टी के भुगतान पर लेखा परीक्षा में कय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

4. अन्य व्यय के अन्तर्गत मानदेय तथा स्टेशनरी पर व्यय क्रमशः 15000 रु0 तथा रु0 127 दर्शित है। मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्टेशनरी क्रय प्रमाणक अनुपलब्ध।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आलोच्य वर्ष 15-16 में संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 312500.00 व्यय निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। व्यय प्रमाणक फर्जी एवं मस्टररोल अप्राप्त होने की स्थिति में धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए देवनाथ ग्रा0पं0अ0 एवं सुनीता देवी प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः उक्त व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोगित धनराशि से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-64

ग्राम पंचायत-भरौली कला, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 में 31 मार्च 2016 को प्रधान के पास अवशेष धन रु0 38 कोषबही में न दिखाकर अपहरण किया गया है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिए देवनाथ ग्रा0पं0अ0 एवं सुनीता देवी प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-65

28. ग्राम पंचायत-कमसड़ी, विकास खण्ड- बाराचवर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2015-16 में कोषबही के अनुसार 423192.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. ईट क्रय आदि	87000
2. मिट्टीक्रय	146000
3. मजदूरी	83192
4. सामग्री क्रय	9000
5. स्ट्रीट लाईट	20000
6. हेण्डपम्प मरम्मत कार्य	59500
7. विविध व्यय	18500
योग	423192.00

- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में संपर्क मार्ग निर्माण नाली खडंजा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु0 87000.00 व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्रय सामग्री की सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गई है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है से संबंधित आदेश, कोटेशन, निविदा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय अपुष्टित होने की स्थिति में कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। उल्लेखनीय है कि इस पर आयकर की कटौती का अवधारण नहीं किया गया है। आयकर कटौती का अवधारण कर राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही में 365 ट्राली मिट्टी क्रय का भुगतान रु0 146000 दिखाकर खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहे। रायल्टी संबंधी कटौती का निर्धारण कर राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- आलोच्य वर्ष में कोषबही के विभिन्न वाउचर/तिथियों के मजदूरी पर श्रमिकों को रु0 83192.00 का भुगतान खडंजा नाली निर्माण मरम्मत लेबलिंग पर किया गया दर्शित है परंतु पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मापन पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र वार्षिक कार्य योजना निर्माण रजिस्टर निर्माण समिति का प्रस्ताव पत्र तथा कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कोष वहीं में दर्शन मस्टररोल के आधार पर किया गया भुगतान अनियमित रहा तथा कार्य की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- आलोच्य वर्ष की कोषबही प्रथम की विभिन्न तिथियों में रु0 9000.00 का भुगतान सीमेन्ट, बालू इत्यादि सामग्री पर किया गया है। जिसके सापेक्ष क्रय प्रमाणक, निर्माण समिति का प्रस्ताव पत्र, वार्षिक कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर आदि प्रमाणक/पुष्टि पत्र अनुपलब्ध रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

5. आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाईट मत संबंधित व्यय रु0 20000 दर्शित है। क़य की पुष्टि में क़य प्रमाणक अप्राप्त रहा है। पुनः उन स्थानों पर स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर स्थित लाईट लगाई गई है एवं कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है। क़य किए जाने का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से इसकी पुष्टि नहीं कराई गई है अतः दर्शित कार्य अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
6. आलोच्य वर्ष में कोषबही में विभिन्न तिथियों में रु0 59500 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत व समान क़य पर किया गया है। जिसकी पुष्टि में वह प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा गठित कार्य नियोजन समिति जल प्रबंधन समिति से हैंडपंप खराब होने की पुष्टि भी प्राप्त नहीं की गई है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कुल कितने हैंडपंप लगाए गए हैं तथा उनमें से कितने मरम्मत योग्य हैं इससे संबंधित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है उपरोक्त प्रपत्रों के अभाव में हैंडपंप मरम्मत/क़य पर किया गया भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
7. विविध व्यय के अन्तर्गत मानदेय तथा स्टेशनरी पर क्रमशः रु0 15000 तथा रु0 3500 कुल रु0 18500.00 दर्शित है। मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्टेशनरी क़य प्रमाणक अनुपलब्ध।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि वर्ष 15-16 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 423192.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। फर्जी व्यय प्रमाणक/मस्टररोल अप्राप्त से व्यय दर्शित करते हुए धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए मृगुनाथ सहाय ग्रा0पं0अ0 तथा रामपति प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः दुरुपयोगित धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66

29. ग्राम पंचायत-जमुआँव विकास खण्ड- करण्डा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के

(i) वर्ष 2013-14 में संपर्क मार्ग निर्माण व खड़जा नाली निर्माण आदि कार्यों पर ईट क़य पर रु0 463500 व्यय दर्शित है। इसी क्रम में बिल्डिंग मटेरियल से सीमेंट बालू कंक्रीट आदि सामग्री पर रु0 50000 दर्शित है। इसकी पुष्टि में और ना ही कृत कार्य की पूर्ति में व्यय अनुमान, माप पुस्तिका, कोटेशन टेंडर पत्रावली क़यादेश पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र परिसंपत्तियों का रजिस्टर पंचायत स्तर पर गठित समितियों द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित कार्यों की वस्तुस्थिति अपुष्टित व अप्रमाणित रही। जिसके लिए ग्रा0प्र0 श्री उपेन्द्र नाथ सिंह व प्रेम प्रकाश दूबे जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ii) वर्ष 14-15 में नाली निर्माण संपर्क मार्ग खड़िया कार्यों पर ईट क़य रु0 449800 एवं बिल्डिंग मटेरियल से सीमेंट बालू गिट्टी आदि रु0 220000 तथा हयूम पाईप पर 57625 रु0 व्यय दर्शित है। उसकी पुष्टि में ना तो व्यय प्रमाणक रखे गए हैं और ना तो कृत कार्यों की पुष्टि में अनुमान पत्रावली माप पुस्तिका कोटेशन टेंडर पत्रावली क़यादेश, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर सत्यापित स्टॉक रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पंचायत स्तर पर गठित समितियों द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित कार्यों की वस्तुस्थिति अपुष्टित व अप्रमाणित रही। जिसके लिए ग्रा0प्र0 श्री उपेन्द्र नाथ सिंह व प्रेम प्रकाश दूबे जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-67

ग्राम पंचायत-जमुआँव विकास खण्ड- करण्डा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के वर्ष 13-14 में रु0 515000 व वर्ष 14-15 में रु0 754000 वर्ष 15-16 में रु0 352000 स्वयं प्रदान द्वारा स्वयं के खाते से आहरण किया गया है जो कि स्वयं अपने नाम से धन का आहरण करना नियम के विरुद्ध है। आहरण कर कैश बुक में निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शित है। उसकी पुष्टि में ना तो व्यय प्रमाणक रखे गये और ना तो कृत कार्यों की पुष्टि में अनुमान पत्रावली माप पुस्तिका कोटेशन टेंडर पत्रावली क़यादेश, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर सत्यापित स्टॉक रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पंचायत स्तर पर गठित समितियों द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित कार्यों की वस्तुस्थिति अपुष्टित व अप्रमाणित

रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री उपेन्द्र नाथ व ग्रामविकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश दूबे से नियमानुसार अपेक्षित है।

प्रस्तर-68

30. ग्राम पंचायत- टांडा, विकास खण्ड- सादात, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 से 2015-16 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 में ग्राम सभा के बैंक खाता संख्या 453002010005772 से विभिन्न तिथियों में ₹0 868140.00 का आहरण किया गया है किन्तु इससे संबंधित कोषबही, व्यय प्रमाणक सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आहरण का विवरण निम्न प्रकार है -

आहरण का विवरण

तिथि	धनराशि	आहरण का विवरण
04.04.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
11.04.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
16.04.14	40000.00	शंकर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज
24.04.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
25.04.14	30000.00	मॉ शारदा इण्टर कॉलेज
25.04.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
28.04.14	25000.00	श्री महेश प्रसाद विश्वकर्मा
28.04.14	10000.00	श्री महेश प्रसाद विश्वकर्मा
01.05.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
01.05.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
01.05.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
02.05.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
02.05.14	40000.00	शंकर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज
03.05.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
09.05.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
20.06.14	4000.00	श्रीमती तारा देवी
22.06.14	15.00	एसएमएस चार्ज
11.07.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
12.07.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
14.07.14	10000.00	गनेश प्रसाद गुपता
15.07.14	9000.00	श्रीमती तारा देवी
16.07.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
26.07.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
26.07.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
26.07.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
22.08.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
22.08.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
23.08.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
25.08.14	50000.00	शंकर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज
26.08.14	20000.00	श्रीमती तारा देवी
28.08.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
04.09.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
04.09.14	10000.00	श्रीमती तारा देवी
09.09.14	52000.00	शंकर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज
15.09.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
21.09.14	15.00	एसएमएस चार्ज

30.09.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
07.10.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
08.10.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
09.10.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
15.10.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
17.10.14	51330.00	आशुतोष ईट भट्टा
21.10.14	45000.00	आशुतोष ईट भट्टा
21.10.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
26.11.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
26.11.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
11.12.14	5000.00	श्रीमती तारा देवी
21.12.14	15.00	एसएमएस चार्ज
16.02.15	5000.00	श्रीमती तारा देवी
16.02.15	5000.00	श्रीमती तारा देवी
21.02.15	5000.00	श्रीमती तारा देवी
21.02.15	5000.00	श्रीमती तारा देवी
26.02.15	51300.00	आशुतोष ईट भट्टा
26.02.15	45000.00	मिश्रा सीमेन्ट एजेन्सी
14.03.15	10000.00	श्रीमती तारा देवी
21.03.15	15.00	एसएमएस चार्ज
23.03.15	50300.00	आशुतोष ईट भट्टा
23.03.15	40150.00	मिश्रा सीमेन्ट एजेन्सी
योग	868140.00	

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकांश धनराशियों प्रधान द्वारा स्वयं आहरित की गयी है। शेष धनराशियाँ आपूर्तिकर्ता/दुकानदार को निर्गत चेक के आधार पर आहरित है। आहरित धनराशियों की पुष्टि में कोषबही व्यय प्रमाणक पत्रावली कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अनुमान व्यय माप पुस्तिका सृजित सम्पत्तियों का रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर सत्यापित स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे संबंधित आहरित धनराशियों से कराये गये कार्यों की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। प्राप्त राजकीय अनुदान का बैंक से आहरण कर रु0 868140.00 का पंचायत स्तर पर अभिलेखों को तैयार कर न रखा भी शासकीय व्यवस्था के विपरीत एवं मनमानापन का प्रतीक है। अतः अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय धन का अपहरण/दुरुपयोग संभावित है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपति राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4

(1)

ग्राम पंचायत-सरायमोहिददीनपुर विकासखण्ड-सुइथकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-1

निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
13.04.2015	5 अद्द हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 14415.00
24.04.2015	7 अद्द हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 21300.00
05.05.2015	3 अद्द हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 6692.00
05.06.2015	1 अद्द हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 2488.00
28.07.2015	4 अद्द हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 10300.00
03.08.2015	2 अद्द हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 3700.00

31.08.2015	5 अदद हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 15500.00
08.09.2015	6 अदद हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 18192.00
14.09.2015	3 अदद हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रु0 6500.00

योग—रु0 99087.00

उक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

1. मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत में कहां स्थित हैं, विवरण अनुपलब्ध रहा।
2. तकनीकी अधिकारी/डी0पी0आर0ओ0 का अनुमोदन/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।
3. ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।
4. भुगतान चेक द्वारा किया जाना था, किन्तु नगद किया गया है।
5. व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

उक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित भुगतान काल्पनिक है। अतः रु0 99087.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामप्रताप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राउदय पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(2)

ग्राम पंचायत—पोटरिया विकासखण्ड—खुटहन जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—2

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा रु0 20,000.00 से अधिक की सामग्री क्रय किया गया :—

प्र0सं0/दिनांक	सामग्री क्रय का उद्देश्य	विवरण	धनराशि	भुगतान प्रक्रिया
1/04.04.2015	खडन्जा मरम्मत	6000 ईट दर 6.5	39000.00	नगद
3/10.04.2015	खडन्जा मरम्मत	4000 ईट दर 6.5	26000.00	नगद
4/13.04.2015.	खडन्जा मरम्मत	10000 ईट दर 6.5	65000.00	नगद
6/24.04.2015	नाली निर्माण	ह्यूम पर्प	39000.00	नगद
8/11.07.2015	नाली निर्माण	ह्यूम पर्प	21000.00	नगद
9/14.07.2015	नाली निर्माण	ह्यूम पर्प	20250.00	नगद
13/04.09.2015	खडन्जा मरम्मत	7000 ईट दर 6.5	45500.00	नगद

योग :—रु0 2,55,750.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियों हैं :—

(1) शानादेश संख्या—ए—1—864(1)/दस—2008—15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20,000.00 से अधिक का क्रय कोटेशन लेकर तथा रु0 1,00,000.00 से अधिक का क्रय निविदा लेकर किया जाना था, लेकिन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निविदा/ कोटेशन नहीं लेकर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया।

(2) शासनादेश संख्या—क0नि0—2—1315/ग्यारह—9(10)/0—उ0प्र0 अधि0—5—2008—आदेश—(101)—2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के अनुसार भुगतान करते समय प्रतिशत की दर से मूल्य सम्बर्धित कर की कटौती कर कोषागार में सम्बन्धित

शीर्ष में जमा किया जाना था। कर की कटौती नहीं कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया तथा राजकीय कोष में क्षति पहुंचायी गयी।

(3) भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक अथवा एन0ई0एफ0टी0 से आपूर्ति कर्ता के खाते में किया जाना था, जबकि भुगतान नकद किया गया है जो भुगतान प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता है।

(4) स्टाक रजिस्टर तैयार कर उक्त को स्टाक में दर्ज नहीं किया गया है।

(5) क्रय आदेश तथा सामग्री के उपयोग का लेखा तैयार कर नहीं रखा गया है। अतः किस कार्य पर कितना सामग्री उपभोग हुआ अस्पष्ट रहा।

(6) भुगतान की प्राप्ति रसीद नहीं लिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री काजिम हुसैन तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसूरत यादव द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर, सामग्री क्रय की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रु0

2,55,750.00 की गम्भीर अनियमितता की गई। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(3)

ग्राम पंचायत-औवार विकासखण्ड-जलालपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-3

दिनांक 21.03.2016 को रोकड़ वही में 10 नग हैण्डपम्प मरम्मत कराना दर्शित है जिसमें रु0 25,500.00 सामग्री क्रय क्रान्ति हार्डवेयर व रु0 5000.00 मजदूरी परव्यय दर्शित हैं, परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक यथा बिल/बाउचर, स्थान, खराब हैण्डपम्प की रिपोर्ट, प्रस्ताव, खराब पार्ट्स का विवरण व स्टॉक आमद कार्यपूर्ति आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्रामपंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(4)

ग्राम पंचायत-बिन्द विकासखण्ड-जलालपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-4

विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत कराया जाना रोकड़ वही में दर्शित है परन्तु सम्बन्धित अभिलेख यथा ग्राम पंचायत में स्थित हैण्डपम्पों की संख्या, एवं स्थान, खराब हैण्ड पम्पों की रिपोर्ट प्रस्ताव, उसकी स्वीकृति, खराब पार्ट्स का विवरण स्टॉक आमद पुराने पार्ट्स की स्टॉक पंजी, कार्यपूर्ति व प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक

व्यय धनराशि

11.04.2015

रु0 21,543.00

08.07.2015

रु0 35,500.00

09.09.2015

रु0 20,000.00

योग :- 77,043.00

इस प्रकार रु0 77,043.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती रंजना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीप श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(5)

ग्राम पंचायत-नन्दौली विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-5

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा रु0 20,000.00 से अधिक की सामग्री क्रय किया गया :-

प्र0सं0/दिनांक	सामग्री क्रय का उद्देश्य	विवरण	धनराशि	भुगतान प्रक्रिया
1/07.04.2015	जल निकासी नाली निर्माण	150 एम0एम 25 नग, ह्यूम पाईप दर 1400/नग	41000.00	बियरर चेक
3/13.04.2015	सोखपिट निर्माण	4000 ईट दर 6.45	25800.00	नगद
5/28.04.2015	सोखपिट निर्माण	4000 ईट दर 6.45	25800.00	नगद
8/01.05.2015	सोखपिट निर्माण	4000 ईट दर 6.45	25800.00	नगद
14/17.06.2015	खडन्जा निर्माण हेतु ईट	20400 ईट दर 6.50	132600.00	बियरर चेक
15/23.06.2015	खडन्जा निर्माण हेतु ईट	800 ईट दर 6.50	52000.00	बियरर चेक

20/21.07.2015	खडन्जा निर्माण हेतु ईट	5000 ईट दर 6.50	32500.00	नगद
23/03.08.2015	ह्यूम पाईप क्रय जल निकासी हेतु	150 एम0एम 25 नग,ह्यूम पाईप दर1400/नग 300 एम0एम 10 नग,ह्यूम पाईप दर2200/नग	36000.00	बियरर चेक
24/22.08.2015	खडन्जा निर्माण हेतु ईट	8000 नग दर 6.45	52000.00	बियरर चेक
31/04.09.2015	खडन्जा निर्माण हेतु ईट	12000 नग दर 6.45	78000.00	बियरर चेक

योग :—रु0 5,01,500.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :-

- (1) शानादेश संख्या-ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20,000.00 से अधिक का क्रय कोटेशन तथा रु0 1,00,000.00 से अधिक काक्रय निविदा लेकर किया जाना था, लेकिन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निविदा/ कोटेशन नहीं लेकर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया ।
- (2)शासनादेशसंख्या-क0नि0-2-1315/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(101)-2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के अनुसार भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से मूल्य सम्बर्धित कर की कटौती कर कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना था । कर की कटौती नहीं कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया ।
- (3)भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक अथवा एन0ई0एफ0टी0 से आपूर्ति कर्ता के खाते में किया जाना था, जबकि नकद अथवा बियरर चेक से किया गया, जो भुगतान प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता हैं ।
- (4)स्टाक रजिस्टर तैयार कर उक्त को स्टोक में दर्ज नहीं किया गया है ।
- (5)क्रय आदेश तथा सामग्री के उपभोग का लेखा तैयार कर नहीं रखा गया है । अतः कार्य पर कितना सामग्री उपभोग हुआ अस्पष्ट रहा ।
- (6) भुगतान की प्राप्ति रसीद नहीं लिया गया है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री राजबहादुर यादव द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर, सामग्री क्रय की प्रक्रिया कापालन नहीं कर रु0 5,01,500.00 की गम्भीर अनियमितता की गई ।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(6)

ग्राम पंचायत-गन्धौना विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-6

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 21327 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 06.04.2015 को चेक संख्या 2173405 से रु0 117000.00 (रु0 एक लाख सतरह हजार) अमन ईट भट्ठा को खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय के सापेक्ष भुगतान किया गया है जबकि कैश बुक के व्यय पक्ष में दिनांक 06.04.2015 को प्रमाणक संख्या 1 से रु0 96100.00 अमन ईट भट्ठा को सुबास पटेल के घर से डीहबाबा मंदिर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय 15500 नम दर रु0 6200/1000 तथा दिनांक 07.04.2015 को प्रमाणक संख्या-2 से उक्त खडन्जा निर्माण हेतु रु0 17727.00 मजदूरी पर भुगतान दर्शित किया गया है । ईट भट्ठे को निर्गत चेक से ईट व मजदूरी दोनों का भुगतान दर्शित किये जाने से स्पष्ट होता है कि दुरभि सन्धि करके कूटरचित अभिलेख तैयार कर आहरित धनराशि रु0 117000.काल्पनिक दर्शाकर अपहरण नहीं किया गया जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री लल्लन यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर-7

आलोच्य वर्ष में दिनांक 01.06.2015 को चेक संख्या 21073416 से ग्राम प्रधान को माह मार्च 15 से जून 15 तक (चार माहX2500 प्रति माह) का मानदेय रू0 10000.00 भुगतान किया गया है स्पष्ट है कि माह जून 2015 का मानदेय अग्रिम भुगतान किया गया है। अग्रिम मानदेय भुगतान किये जाने के कोई प्रावधान न होने के कारण उक्त भुगतान रू0 2500.00(माह जून 15 हेतु) अनियमित है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री लल्लन यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-8

आलोच्य वर्ष में दिनांक- 07.07.2015 को चेक संख्या-21073417 से अमन ईट भट्टा को रू0 130000.00 नकद भुगतान किया गया है। उक्त ईट का प्रयोग पदमाकर दूबे के घर तक खडन्जा निर्माण पर किया गया है। इस खडन्जा निर्माण हेतु दिनांक- 19.07.2015 को रू0 12960.00 मजदूरी का भुगतान किया गया है। ईट भट्टा को निर्गत किये गये चेक से मजदूरी भुगतान दर्शित करने से स्पष्ट है कि दुरभि सन्धि कूटरचित अभिलेख तैयार का पूर्णतायः काल्पनीक ईट,मजदूरी भुगतान दर्शाकर आहरित धनराशि रू0 143000.00 (130000+13000) का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री लल्लन यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-4)

(7)

ग्राम पंचायत-महेवा विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-9

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	07.04.2015	21047743	60000
2	13.04.2015	21047744	45000
3	20.04.2015	21047745	50000
4	27.04.2015	21047746	52000
5	05.05.2015	21047748	10500
6	11.05.2015	21047749	60000
7	15.05.2015	21047750	35000
8	25.05.2015	21047751	60000
9	01.06.2015	21047752	55000
10	09.06.2015	21047753	55000
11	15.06.2015	21047754	25000
12	23.06.2015	21047755	35000
13	24.07.2015	21047756	65000
14	31.07.2015	21047757	35000
15	01.09.2015	21047758	70000
16	04.09.2015	21047759	13000
		योग-	725500.00

विकास खण्ड कार्यालय रामपुर पर लगातार लिखित कार्यक्रम देने तथा प्रा०पं० अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंह से सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्रामनिधि खातों के बैंक स्टेटमेन्ट के अलावा अन्य कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में ग्रामनिधि खातों से आहरित सम्पूर्ण धनराशि रू0 772500.00 अपहृत कर ली गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मुनिराज गौतम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंहसे ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

(8)

ग्राम पंचायत-धनन्जयपुर विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-10

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	11.04.2015	21042241	42500
2	17.04.2015	21042242	15000
3	02.05.2015	21042244	30000
4	11.09.2015	21042245	40000
5	14.09.2015	21042246	39500
6	26.10.2015	21042247	2200
		योग-	169200

विकास खण्ड कार्यालय रामपुर पर लगातार कार्यक्रम देने तथा प्रा०पं० अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंह से सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्रामनिधि खातों के बैंक स्टेटमेण्ट के अलावा अन्य कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में ग्रामनिधि खातों से आहरित सम्पगर्ण धनराशि रु० 169200.00 अपहृत कर ली गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री बुधई राम गौतम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंहसे ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

(9)

ग्राम पंचायत-आशानन्दपुर विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-11

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	15.04.2015	21066321	49000
2	15.04.2015	21066322	48000
3	15.04.2015	21066323	47000
4	17.04.2015	21059798	45000
5	17.04.2015	21059800	48000
6	17.04.2015	21059799	49000
7	18.04.2015	21066325	49000
8	18.04.2015	21066324	47000
9	18.04.2015	21066326	45000
10	22.04.2015	21066327	45000
11	22.04.2015	21066328	45000
12	22.04.2015	21066329	40000
13	22.04.2015	21066331	41000
14	22.04.2015	21066330	40000
15	11.05.2015	21066332	16000
16	25.08.2015	21066335	40000
17	25.08.2015	210663334	40000
18	25.08.2015	21066333	45000
19	04.09.2015	21078102	40000
20	04.09.2015	21066336	45000
21	04.09.2015	21066337	45000
		योग-	909000

विकास खण्ड कार्यालय रामपुर पर लगातार लिखित कार्यक्रम देने तथा प्रा०पं० अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह से सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्रामनिधि खाता संख्या 21289 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया गया। इसके कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में ग्रामनिधि खाता संख्या 21289 से आहरित सम्पगर्ण धनराशि रु० 909000.00 अपहृत कर ली गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती हुस्नाबानों तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

(10)

ग्राम पंचायत-नोनरा विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुरवर्ष-2015-16

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.04.2015 को गत वर्ष में करवाये गये कार्य के मजदूरी का भुगतान रु० 18876.00 किया गया है। उक्त भुगतान के विरुद्ध निम्न आपत्तियों हैं।

(1) गत वर्ष की लेखा परीक्षित कैशबुक आलोच्य लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त बकाया धनराशि की पुष्टि नहीं किया जा सका।

(2) उक्त भुगतान किये गये मजदूरी का मस्टर रोल आलोच्य लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे कार्य के नाम, माप कार्य की अवधि आदि सम्बंधी विवरण अप्राप्त रहा।

(3) उक्त कार्य का स्टीमेट व एम.बी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त भुगतान पूर्णतया काल्पनिक है। भुगतान की गयी धनराशि रु० 18876.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री तस्नीम आरिफ तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

आलेच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राम शिरोमणि के हैण्डपम्प का चबूतरा व सोख्ता निर्माण कराया गया है जिस पर निम्न विवरणनुसार धनराशि सामग्री व मजदूरी पर भुगतान किया गया है।

1. दिनांक 20.04.2015 रु० 20000.00
2. दिनांक 12.06.2015 रु० 10000.00
3. दिनांक 05.09.2015 रु० 10000.00

योग-रु० 40000.00

दिनांक 20.04.2015 को भुगतान किये गये रु० 20000.00 में ही सीमेन्ट, बालू ईट व मजदूरी का भुगतान (कैशबुक व प्रमाणक के अनुसार) सम्मिलित है किन्तु उसके पश्चात दिनांक- 12.06.2015 को रु० 10000.00 तथा दिनांक 05.09.2015 को रु० 10000.00 का नकद भुगतान उसी हैण्डपम्प के चबूतरा व सोख्ता निर्माण पर पुनः दर्शित किया गया है। इस प्रकार एक ही वर्ष में एक ही हैण्डपम्प के चबूतरे व सोखते का निर्माण दो बार दर्शित कर दो बार भुगतान किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त भुगतान पूर्णतया काल्पनिक है तथा व्यय प्रमाणक कूटरचित। भुगतान की गयी धनराशि रु० 40000.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री श्री तस्नीम आरिफ तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

आलेच्य वर्ष में दिनांक 15.09.2015 को रु० 21500.00 तथा दिनांक 25.09.2015 को रु० 7000.00 10 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रमशः सामग्री तथा मजदूरी पर भुगतान कैशबुक में दर्शित है। उक्त भुगतान के विरुद्ध निम्नांकित आपत्तियां हैं।

- (1) उक्त भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- (2) हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जलप्रबन्धन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- (3) हैण्डपम्प खराबी की तकनीकी रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- (4) हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान की गयी मजदूरी प्रचलित दर से अधिक प्रतीत होती है।
- (5) हैण्डपम्प मरम्मत के उपरांत निकले डेडस्टाक के सम्बन्ध में विवरण अप्राप्त रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त भुगतान पूर्णतया काल्पनिक है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री तस्नीम आरिफ तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश से ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

(11)

ग्राम पंचायत-जीतापुर विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हरिनाथ के दालान से दयाराम के मकान तक खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिस पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है-

1. दिनांक 06.04.2015 को चेक सं0 21058376 से रू0 48750.00 में0 अमन ईट उद्योग बनीडीह रामपुर जौनपुर को 7500 नग ईट दर 6500/1000 के सापेक्ष भुगतान किया गया है।
 2. दिनांक 05.05.2015 को चे सं0 21077762 से रू0 52000.00 में0 अमन ईट उद्योग बनीडीह रामपुर जौनपुर को 8000 नग ईट दर 6500/1000 के सापेक्ष भुगतान किया गया है।
 3. 15.05.2015 को रू0 8616.00 उक्त खड़ण्जा निर्माण की मजदूरी का भुगतान किया गया है। उक्त कुल रू0 109366.00 भुगतान के विरुद्ध निम्न अपत्तियां हैं-
- (1) कैंशबुक तथा मस्टररोल पर कार्य कार्य की माप अंकित नहीं रहा तथा कार्य एम0बी0/स्टीमेंट भी अप्राप्त रहा।
 - (2) ईट के प्रमाणक तथा मस्टर रोल के हस्तलेख में की समानता है।
 - (3) मस्टर रोल पर भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष मजदूरों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि दुरभिसंधि कर कूटरचित अभिलेखां द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 109366.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री देवराज पटेल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

आलोच्य वर्ष में लालता प्रजापति व संतराज सरोज का सोख्ता निर्माण कराया गया है। जिस पर अधोलिखित विवरणानुसार धनराशि का भुगतान किया गया है-

दिनांक	प्रमाणक	धनराशि	विवरण
20.04.2015	03	6500	नग ईट क्रय कर रू0 6500/1000 के सापेक्ष अमन ईट उद्योग बनीडीह रामपुर जौनपुर को भुगतान
22.04.2015	04	6450	में0 आदर्श बिल्डिंग मटेरियल पचरूखी रामपुर जौनपुर को भुगतान।
29.04.2015	05	6991	मजदूरी भुगतान।

योग- 19941.00

- (1) ईट क्रय तथा बिल्डिंग मटेरियल क्रय के प्रमाणक के हस्तलेख में काफी समानता है।
 - (2) मस्टर रोल पर भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है
- अतः स्पष्ट है कि कूटरचित अभिलेख तैयार कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 19941.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री देवराज पटेल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूलीकिया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17

दिनांक 01.05.2015 को रू0 5000.00 ग्राम प्रधान को मानदेय बाबत माह अप्रैल व मई 2015 भुगतान किया गया है उक्त भुगतान में माह मई 2015 के मानदेय का भुगतान मनमाने ढंग से अग्रिम किया गया है। जो आपत्तिजनक है। यह गम्भीर अनियमितता है। मानदेय माह की समाप्ति पर ही किया जाना चाहिए।

अतः उक्त धनराशि में माह मई 2015 अनियमित ढंग से अग्रिम मानदेय रू0 2500 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री देवराज पटेल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

आलोच्य वर्ष में कन्नौजिया बस्ती से नाला तक नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार धनराशि का भुगतान किया गया है-

दिनांक	प्रमाणक सं०	धनराशि	विवरण
10.07.15	13	13000.00	मै० अमन ईट उद्योग बनीडीह रामपुर जौनपुर को 2000 नग ईट दर 6500/1000 कय के सापेक्ष भुगतान।
11.07.15	14	7000.00	मै० श्रद्धा आयरन एण्ड स्टोर्स सधीरनगंज गोरापट्टी जौनपुर।
20.07.2015	15	7008	मजदूरी भुगतान।

उक्त भुगतान के विरुद्ध निम्न अपत्तियां हैं—

1. ईट कय तथा बिल्डिंग मटेरियल के प्रमाणक के हस्तलेख व कैशबुक के हस्तलेखमें काफी समानता है। अतः स्पष्ट है कि प्रमाणक स्वयं तैयार किये गये हैं।
2. मस्टररोल पर भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष मजदूरी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि कूटरचित अभिलेख तैयार कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर आहरति रु० 27008.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री देवराज पटेल तथा ग्राम विकास अधिकारी से री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—19

आलोच्य वर्ष में दिनांक 14.09.2015 को रु० 26000 अमन ईट उद्योग बनीडीह रामपुर जौनपुर को 4000 नग ईट दर 6500/10000 कय के सपेक्ष नकद भुगतान किया गया है। तथा दिनांक 21.09.2015 को रु० 9762.00 उक्त ईट का खडण्जा मरम्मत में प्रयोग कर मजदूरी का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के विरुद्ध निम्न आपत्तियां हैं—

1. मस्टर रोल पर कार्य का नाम अर्थात कहां से कहां तक का खडण्जा मरम्मत कराया गया है। अंकित नहीं है।
2. मस्टररोल अथवा कैशबुक पर कार्य की माप अंकित नहीं है।
3. ईट कय के प्रमाणक के हस्तलेख व कैशबुक के हस्तलेख में काफी समानता है। अतः स्पष्ट है कि प्रमाणक स्वयं तैयार किये गये हैं।
4. मस्टर रोल पर भुगतान की गयी धनराशि के सपेक्ष मजदूरों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि कूटरचित अभिलेख तैयार कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर आहरित धनराशि रु० 35762.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री देवराज पटेल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश गौतम से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(12)

ग्राम पंचायत—राघोरामपट्टी विकासखण्ड—रामपुर जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—20

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	04.04.2015	21063534	40000
2	06.04.2015	21063535	30000
3	07.04.2015	21063536	40000
4	17.04.2015	21063537	40000
5	08.05.2015	21063542	12000
6	08.05.2015	21063538	6000
7	08.05.2015	21063540	16000
8	18.05.2015	21063541	37700
9	21.07.2015	21063545	4000
10	14.08.2015	21063544	1500
11	14.08.2015	21063545	32500
12	04.09.2015	21063547	8000

13	04.09.2015	21063546	32000
14	07.09.2015	21063548	8000
		योग-	307700

विकास खण्ड कार्यालय रामपुर पर लगातार लिखित कार्यक्रम देने तथा प्रा0पं0 अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंह से सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्रामनिधि खातों का बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध कराया गया। इसके कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वर्ष 2015-16 में से आहरित सम्पूर्ण धनराशि रु0 307700.00 अपहृत कर ली गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री संतोष पाण्डेय तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(13)

ग्राम पंचायत-ठाठर विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-21

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	06.04.2015	21048766	45000
2	07.04.2015	21048767	20000
3	13.04.2015	21048768	45000
4	17.04.2015	21048769	25000
5	25.04.2015	21048770	52000
6	02.05.2015	21048771	104000
7	08.05.2015	21048772	35000
8	11.05.2015	21048773	20000
9	15.05.2015	21048774	35000
10	25.05.2015	21048775	10000
11	06.07.2015	21048776	45000
12	08.04.2015	21048777	30000
13	13.07.2015	21048778	5000
14	02.09.2015	21048779	60000
15	04.09.2015	21048780	28000
		योग-	559000

विकास खण्ड कार्यालय रामपुर पर लगातार लिखित कार्यक्रम देने तथा प्रा0पं0 अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंह से सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्रामनिधि खातों का बैंक स्टेटमेन्ट के अलावा अन्य कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि खाता संख्या 486602010000391(यू0बी0आई0 भवानी गंज) से आहरित सम्पूर्ण धनराशि रु0 559000.00 अपहृत कर ली गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वरुण कुमार सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(14)

ग्राम पंचायत-बहाउद्दीनपुर विकासखण्ड-महराजगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-22

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न दिनांको में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुल रु0 44140.00 व्यय खारिज रहा जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि
1	13.04.2015	3000.00
2	13.04.2015	4094.00

3	29.05.2015	13170.00
4	10.07.2015	23876.00

योग—44110.00

उक्त व्यय के सापेक्ष आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक, सादा छपा— (कैश मेमो/स्टीमेट) पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय की कुल धनराशि लिखकर बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया, जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। उक्त व्यय के पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

1. समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. समस्त व्यय के सापेक्ष जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. समस्त व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प खराबी की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. समस्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/ एम0 बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. समस्त व्यय के सापेक्ष स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. समस्त व्यय के सापेक्ष डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक/नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
8. समस्त आय(आलोच्य वर्ष के दौरान) के सापेक्ष खाता रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वर्ष के दौरान मरम्मत हेतु इतने बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त हुई या इस कार्य के लिए दूसरे मद की धनराशि आहरित की गयी।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत के सापेक्ष अनुचित बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील उपाध्याय (ग्रा0वि0 अधिकारी) व श्री अजय कुमार (ग्राम प्रधान) द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि रु0 44140.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—23

लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 कोषवही के अनुसार— खडन्जा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 13.04.2015 को (6000 नग ईट दर प्रति एक हजारx 6400=38400 रु0 व 5230 नग ईटदर प्रति एक हजार x6200=32426) कुल मिलाकर 70826.00 रु0 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन न0 के कैशमेमो/स्टीमेट के रूप में पाये गये जो मानक के अनुरूप नहीं थे। ईट क्रय की पुष्टि हेतु स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, ईट क्रय का भुगतान फर्म के नाम एकाउन्ट पे चेक से नहीं किया गया। कोषवही में दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्यवाही रजि0, स्टीमेट/ एम0बी व पुष्टि, हेतु अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि खडन्जा कार्य हेतु अनुचित बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणकों का ले0 परीक्षा में न प्रस्तुत करके एवं काल्पनिक कार्य हेतु ईट क्रय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील उपाध्याय (ग्रा0वि0 अधिकारी) व श्री अजय कुमार (ग्राम प्रधान) द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि रु0 70826.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—24

उपरोक्त खडन्जा निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी पर व्यय रु0 29544 /— दिनांक 13.04.2015 को कोषवही में दर्शित है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

1. उक्त कार्य से सम्बन्धित कोषवही में दर्शित मजदूरी व्यय का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः बिना व्यय प्रमाणक के कृत कार्य की पुष्टि नहीं होती। लेखा परीक्षा में मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उपरोक्त मजदूरी भुगतान की भी पुष्टि नहीं होती।

अतः दिनांक 13.04.2015 को कोषवही में दर्शित कुल मजदूरी भुगतान रु0 29544.00 प्रमाणकों के अभाव में अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील उपाध्याय (ग्रा0वि0अ0) व श्री अजय कुमार ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—25

लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 की कोषवही के अनुसार मेन रोड से भगवत चौरसिया के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 01.05.2015 को 10000 नग ईट दर प्रति एक हजार x 6500=65000 रु0 व्यय खारिज

रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन न0 के कैशमेमों/स्टीमेट के रूप में पाये गये जो मानक के अनुरूप नहीं थे। ईट क्रम की पुष्टि हेतु स्टॉक रजि0 प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषवाही में दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर,स्टीमेट/एम0बी0 व पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि खडन्जा कार्य हेतु काल्पनिक बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करके उत्तरदायी व्यक्तियों, श्री सुशील उपाध्याय ग्राम विकास अधिकारी व श्री अजक कुमार ग्राम प्रधान ने सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि रू0 65000.00 का अपहरण कर लिया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

उपरोक्त खडन्जा निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी रू0 12330.00 दिनांक 01.05.2015 को कोषवाही में दर्शित है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

1. उक्त कार्य से सम्बन्धित कोषवाही में दर्शित मजदूरी का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः बिना व्यय प्रमाणक के कृत कार्य की पुष्टि नहीं होती।
2. लेखा परीक्षा में मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उपरोक्त मजदूरी भुगतान की भी पुष्टि नहीं होती।

अतः दिनांक 01.05.2015 में कोषवाही में दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 12330.00 प्रमाणकों के अभाव में अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील उपाध्याय ग्राम विकास अधिकारी व श्री अजय कुमार ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(15)

ग्राम पंचायत—खेमापुर विकासखण्ड—रामपुर जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर-27

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	06.04.2015	21054420	25000
2	07.04.2015	21054419	20000
3	07.04.2015	21054418	25000
4	11.04.2015	21077641	3000
5	06.07.2015	21077642	10000
6	21.07.2015	21077643	4000
7	25.07.2015	21077644	20000
8	04.09.2015	21077645	27000
9	09.09.2015	21077648	6800
		योग	140800

विकास खण्ड कार्यालय रामपुर पर लगातार कार्यक्रम देने तथा ग्रा0 पं0 अधि0 श्री नागेन्द्र सिंह से सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्रामनिधि खाता संख्या 90425 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया गया। इसके कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वर्ष 2015—16 से आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाबी देवी तथा ग्रा0 पं0 अधि0 श्री नागेन्द्र सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(16)

ग्राम पंचायत—अंगराह विकासखण्ड—महराजगंज जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर-28

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि
1	06.05.2015	12500
2	23.06.2015	9200

3	04.07.2015	9200
4	18.08.2015	8300
5	08.09.2015	12100
6	07.10.2015	4100
7	05.11.2015	8500
8	29.03.2016	10200
योग		74100

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक, किसी रजिस्टर्ड फर्म के न होकर सादा छपा कैशमेमो/स्टीमेट पाये गये जिस पर सामग्री एवं मजदुरी व्यय की कुल धनराशि लिखकर बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया, जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

1. समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. समस्त व्यय के सापेक्ष जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. समस्त व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प खराबी की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. समस्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/ एम0 बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. समस्त व्यय के सापेक्ष स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. समस्त व्यय के सापेक्ष डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक/नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

समस्त आय(आलोच्य वर्ष के दौरान) के सापेक्ष खाता रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वर्ष के दौरान मरम्मत हेतु इतने बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त हुई या इस कार्य के लिए दूसरे मद की धनराशि आहरित की गयी।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत के सापेक्ष अनुचित बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजपति राम (ग्रा0वि0 अधिकारी) व श्री राम आसरे (ग्राम प्रधान) द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि रु0 74100.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 की कोषवही के अनुसार ब्राम्हण बस्ती से राम समुझ के खेत तक खड्डन्जा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 03.06.2015 एवं दिनांक 22.09.2015 में क्रमशः रु0 52000/- एवं रु0 13000/-का ईट क्रय किया गया और कुल मिलाकर रु0 65000/- व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन न0 के कैशमेमो/स्टीमेट के रूप में पाये गये जो मानक के अनुरूप नहीं थे। ईट क्रय की पुष्टि हेतु स्टॉक रजि0 प्रस्तुत नहीं किया गया। ईट क्रय का भुगतान फर्म के नाम एकाउन्ट पे चेक से नहीं किया गया है। कोषवही में दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्यवाही रजि0, स्टीमेट/एम0बी व पुष्टि, हेतु अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि खड्डन्जा कार्य हेतु मानकारूप बिल बाउचर न प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणकों का लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करके एवं काल्पनिक कार्य हेतु ईट क्रय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों, श्री राजपति राम (ग्रा0वि0 अधिकारी) व श्री राम आसरे (ग्राम प्रधान) द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि रु0 65000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30

उपरोक्त खड्डन्जा निर्माण में लगे मजदूरों की मजदुरी पर व्यय रु0 12075/- एवं रु0 16422 दिनांक 08.06.2015 एवं दिनांक 22.09.2015 को कोषवही में दर्शित है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

1. उक्त कार्य से सम्बन्धित कोषवही में दर्शित मजदुरी व्यय का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः बिना व्यय प्रमाणक के कृत कार्य की पुष्टि नहीं होती।
2. लेखा परीक्षा में मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उपरोक्त मजदुरी भुगतान की भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उपरोक्त दिनांक में कोषबही में दर्शित मजदूरी पर व्यय रु0 28497 /- प्रमाणकों के अभाव में पूर्णतया काल्पनिक है। जिसकी तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्तियों, श्री राजपति राम (ग्रा0वि0 अधिकारी) व श्री राम आसरे (ग्राम प्रधान) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 की कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न दिनांको में ह्यूम पाईप क्रय हेतु भुगतान कुल रु0 45262 /- दर्शित व्यय खारिज रहा, विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि
1	29.04.2015	20250 /-
2	20.05.2015	14812 /-
3	15.03.2016	10200 /-
	योग	45262 /-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक मानक के अनुरूप नहीं पाया गया तथा उक्त व्यय की पुष्टि हेतु निम्नलिखित अन्य प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये-

1. समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. समस्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/ एम0 बी0 प्रतुत नहीं किया गया।
3. समस्त व्यय के सापेक्ष टेण्डर प्रक्रिया एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ह्यूम पाईप क्रय हेतु मानक के विपरीत बिल बाउचर प्रस्तुत न करके तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्तियों, श्री राजपति राम (ग्रा0वि0 अधिकारी) व श्री राम आसरे (ग्राम प्रधान) ने सुनियोजित तरीके से सम्पूर्ण धनराशि रु0 45262 /- का अपहरण किया। जिसकी उत्तरदायी व्यक्तियों, श्री राजपति राम (ग्रा0वि0 अधिकारी) व श्री राम आसरे (ग्राम प्रधान) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(17)

ग्राम पंचायत-नाऊपुर विकासखण्ड-केराकत जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-32

ग्राम पंचायत नाऊपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम में वर्षान्त में अवशेष रु0 1098077.10 अप्रयुक्त बचा रहा। इसका उपयोग समयान्तर्गत नहीं किया गया। इस अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय सहायतादाता को भी वापस नहीं किया गया, जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। नियमानुसार अवशेष अनुदान को टेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित हेड में जमा किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। समय से उपयोग न करने के कारण इसका लाभ जन सामान्य का न मिल सका। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(18)

ग्राम पंचायत-मधुपुरविकासखण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-33

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	व्यय का विवरण
1	24.04.2015	24645	हरिजन बस्ती, पटेल बस्ती, यादव बस्ती में 15 नग हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
2	24.07.2015	1130	प्राथमिक पाठशाला पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य
3	30.10.2015	139	प्राथमिक पाठशाला मधुपुर इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय(वासर, नट, बोल्ट)
	योग	25914.00	

उपरोक्त विवरण में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि रु0 25914.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त व्यय काल्पनिक है तथा उक्त धनराशि का अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान- श्रीमती सविता देवी एवं सचिव

श्री गिरीश चन्द्र शुक्ला द्वारा किया गया। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(19)

ग्राम पंचायत-बीरबलपुर विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-34

ग्राम पंचायत बीरबलपुर की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि, प्रथम के वर्षान्त में रु.8033.00 अवशेष रहा। इसका उपभोग समयान्तर्गत नहीं किया गया। इस उपर्युक्त धनराशि को वित्तीय सहायता को भी दिनांक 31.03.2013 तक वापस नहीं किया गया था जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। नियमानुसार अवशेष अनुदान को टेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित हेड में जमा किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों का ध्यान उक्त अनियमितता की ओर आक आकृष्ट किया जाता है। समय से उपभोग न करने के कारण इसका लाभ जन सामान्य को न मिल सका। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर-35

आलोच्य वर्ष 2012-13 के कैशबुक में रु. 160058 व्यय दर्शित किया गया है, जबकि वास्तविक योग रु. 158058.00 है, इन दोनों धनराशियों में रु. 2000.00 का अन्तर पाया गया। इस प्रकार व्यय को अधिक दिखाकर रु. 2000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती धर्मा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री संतोष पटेल ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(20)

ग्राम पंचायत-मलसिल विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-36

ग्राम पंचायत मलसिल की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि, प्रथम के वर्षान्त में रु.722543.00 अवशेष रहा। इसका उपभोग समयान्तर्गत नहीं किया गया। इस अपर्युक्त धनराशि को वित्तीय सहायता को भी दिनांक 31.03.2016 तक वापस नहीं किया गया था जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। नियमानुसार अवशेष अनुदान को टेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित हेड में जमा किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों का ध्यान उक्त अनियमितता की ओर आक आकृष्ट किया जाता है। समय से उपभोग न करने के कारण इसका लाभ जन सामान्य को न मिल सका। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(21)

ग्राम पंचायत-राजापुर प्रथम विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-37

आलोच्य वर्ष 2015-16 के दिनांक 24.07.2015 को ग्राम निधि खाता सं0-54453 यू0बी0आई0 से चेक संख्या 03590770 द्वारा रु0 54500.00 का आहरण किया गया और ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा पासबुक पर (मेरे द्वारा नहीं निकाला गया) की सामान्य टिप्पणी अंकित पायी गयी। जांच में पायी गयी कि ग्राम निधि की चालू चेक बुक क्रमांक 21062243 से 21061252 तक कुल 10 चेको से आहरण दर्शित था। स्पष्ट है कि वर्ष पर्यन्त कुल 11 बार के आहरण राशि के संदर्भ में एक अन्य चेक का उपयोग उक्त धनराशि के आहरण में करके ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपहरण किया गया है तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा वैधानिक कार्य वाही या स्पष्टीकरण न दिया जाना तथा संयुक्त उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में समान रूप से उत्तरदायी सिद्ध होते हैं। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर-38

आलोच्य वर्ष 2015-16 के दिनांक 10.04.2015 को कैशबुक में अंकित प्रमाणक-01 पर रु0 98500.00 को ह्यूम पाइप कय का संदर्भ अंकित है। उक्त परिव्यय के संदर्भ में-

(अ) क्रय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा, जिससे पाइपों की संख्या, कय दरें व पाइप का आकार/साइज व फर्म का नाम अज्ञात रहा।

(ब) पूरे वर्ष ह्यूम पाइप फिक्सिंग की मजदूरी व्यय का उल्लेख नहीं था।

(स) उक्त पाइपें गांव में कहाँ-कहाँ लगायें गये, स्थलों का परिचयात्मक विवरण अंकित नहीं पायी गयी।

(द) लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित/लिखित साक्ष्य पत्र अनुपलब्ध रहा।

उक्त कारणों से धन का दुरुपयोग सिद्ध होता है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती लालदेई व तत्कालीन गाम पंचायत विकास अधिकारी श्री अश्वनी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि पर ब्याज आकलित करते हुये समेकित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर-39

आलेख्य वर्ष की प्राप्तियों व व्ययों की स्थिति इस प्रकार है-

प्रारम्भिक राशि-289640.00

वर्ष की प्राप्ति- (+)471877.00

वर्ष का कुल आ0-(-)403000.00 (आकलन से)

वर्षान्त अवशेष- 358517.00

जबकि पासबुक में कुल आहरित धनराशि रु0 387000.00 रहा, जो कैशबुक के व्ययों के योगो से मिलता है। अतः अन्तर 403000-387000=16000.00 के सम्बन्ध में गम्भीर अनियमितता प्रकट होती है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-15)

(22)

ग्राम पंचायत- शिउरा, विकास खण्ड- मड़ियाहूँ, जनपद- जौनपुर वर्ष 2015-16

प्रस्तर-40

आलेख्य वर्ष की (2015-16) लेखा परीक्षा के कार्यक्रमानुसार (दिनांक 21,22,10.2016) को कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामअवध राम से सम्पर्क करके लेखा परीक्षा हेतु समस्त अभिलेखों की मांग पर तत्काल केवल बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराया गा। जबकि कैशबुक (रूप पत्र-6) प्रमाणक व अन्य आवश्यक अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, चल/अचल सम्पत्ति पंजिका, सर्वजनिक निर्माण पंजिका, विकास/नियोजन समिति समिति की कार्य पंजिका, निर्माण कार्य समिति प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहा। वस्तुतः अधिकांश पंजिकाएँ या तो अपूर्ण थी या बनाया नहीं गया है। ऐसा अवगत कराया गया। बार-बार मांक के वावजूद कैशबुक व प्रमाणक सहित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जा सका। बैंक स्टेटमेंट की लेन-देन की स्थिति वर्ष 2015-16 में इस प्रकार रही-

निधि-1 खाता संख्या- 927117 यू0बी0आई0

प्रा0 राशि - 541404.00

प्राप्त राशि - 601032.00

आहरित राशि-876249.00

वर्षान्त शेष- 266187.00

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में रु0 876249.00 का आहरण किया गया है। जिसके लिए एक पन्ने पर व्यय विवरण अंकित कर बाद प्रस्तुत किया गया जो प्रमाणित नहीं था। प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु0 876249.00 के अपहरण की स्थिति है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री राममूरत व द्वै ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी क्रमशः श्री रमाशंकर दूबे व श्री रामअवध राम सभी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-15, अपवाद)

(23)

ग्राम पंचायत-सेल्हुआपारा विकासखण्ड-मड़ियाहूँ, जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-41

आलेख्य वर्ष की (2015-16) कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामअवध राम, द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.09.2015 के पूर्व के सभी व्यय उस समय कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मु0 मुस्ताक अहमद द्वारा किया गया था, जिनसे कोई भी प्रपत्र/अभिलेखों को हस्तान्तरित नहीं किया गया। अतः सम्पूर्ण वर्ष निधि-1 की खाता संख्या -18742 यू0बी0आई0 से आहरित धनराशि रु0 307000.00 से सम्बन्धित परिव्ययों में से रु0 40000.00 छोड़कर दिनांक 01.04.2015 से 23.09.2015 की अवधि में कुल आहरित

रु0 307000-40000=267000.00 से सम्बन्धित व्ययों की कोषवाही (रूपपत्र-6), प्रमाणक, स्टाक/चल'-अचल/सार्वजनिक निर्माण पंजिकाएं, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, खुली बैठक की प्रस्ताव संख्या व तिथि, नियोजन निर्माण पंजिकाएं, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, खुली बैठक की प्रस्ताव संख्या व तिथि, नियोजन/विकास समिति का अनुमोदन निर्माण कार्य समिति का सत्यापन प्रतिवेदन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कुल कार्यों के निरीक्षण की स्थिति आदि प्रस्तुत न किये जाने से रु0 367000.00 के अपहरण की स्थिति है। जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री संतोष एवं तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मु0 मुस्ताख अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि पर ब्याज आकलित करते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-42

आलेख्य वर्ष 2015-16 के दिनांक 24.09.2015 के पश्चात वर्षान्त दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि का व्यय विवरण सम्बन्धी कैशबुक की मांग किये जाने पर बिना हस्ताक्षर वाला एक पन्ना ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामअवध राम द्वारा रु0 40000.00 के सम्बन्ध में लेखा प्रस्तुत रहा जो संलग्न है। अतः निर्धारित प्रारूप की कोषवाही रूप पत्र- 6 सम्बन्धित प्रमाणक, स्टाक/चल-अचल/ सार्वजनिक निर्माण पंजिकाएं, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण-पत्र खुली बैठक की प्रस्ताव संख्या व तिथि, नियोजन/विकास समिति का अनुमोदन, निर्माण कार्य समिति का सत्यापन प्रतिवेदन सक्षम अधिकारियों द्वारा कृत कार्यों के निरीक्षण की स्थिति, योजनागत लाभार्थियों से लिखित साक्ष्य पत्र आदि प्रस्तुत न किये जाने से सम्पूर्ण धनराशि रु0 40000.00 के दुरुपयोग की स्थिति है। जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री संतोष एवं तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री रामअवध राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि पर ब्याज आकलित करते हुये सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

(24)

ग्राम पंचायत-कुठली विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-43

आलेख्य वर्ष की 2015-16 कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामअवध राम, द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.09.2015 के पूर्व के सभी व्यय उस समय कार्यरत ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी मु0 मुस्ताख अहमद द्वारा किया गया था, जिनसे कोई भी प्रपत्र/अभिलेखों को हस्तान्तरित नहीं किया गया। अतः सम्पूर्ण वर्ष निधि-1 की खाता संख्या -18667 यू0बी0आई0 से आहरित धनराशि रु0 150000.00 से सम्बन्धित परिव्ययों में से रु0 31000.00 छोड़कर दिनांक 01.04.2015 से 23.09.2015 की अवधि में कुल आहरित रु0 150000-31000=119000.00 से सम्बन्धित व्ययों की कोषवाही (रूपपत्र-6), प्रमाणक, स्टाक/चल'-अचल/सर्वजनिक निर्माण पंजिकाएं, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, खुली बैठक की प्रस्ताव संख्या व तिथि, नियोजन/विकास समिति का अनुमोदन, निर्माण समिति का सत्यापन प्रतिवेदन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कुल कार्यों के निरीक्षण की स्थिति आदि प्रस्तुत न किये जाने से रु0 119000.00 के अपहरण की स्थिति है। जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री संतोष एवं तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मु0 मुस्ताख अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि पर ब्याज आकलित करते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर-44

आलेख्य वर्ष 2015-16 के दिनांक 24.09.2015 के पश्चात वर्षान्त दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि का व्यय विवरण सम्बन्धी कैशबुक की मांग किये जाने पर बिना हस्ताक्षर वाला एक पन्ना ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामअवध राम द्वारा रु0 31000.00 के सम्बन्ध में लेखा प्रस्तुत रहा जो संलग्न है। अतः निर्धारित प्रारूप की कोषवाही रूप पत्र- 6 सम्बन्धित प्रमाणक, स्टाक/चल-अचल/ सार्वजनिक निर्माण पंजिकाएं, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण-पत्र खुली बैठक की प्रस्ताव संख्या व तिथि, नियोजन/विकास समिति का अनुमोदन, निर्माण कार्य समिति का सत्यापन प्रतिवेदन सक्षम अधिकारियों द्वारा कृत कार्यों के निरीक्षण की स्थिति, योजनागत लाभार्थियों से लिखित साक्ष्य पत्र आदि प्रस्तुत न किये जाने से सम्पूर्ण धनराशि रु0 31000.00 के दुरुपयोग की स्थिति है। जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री संतोष एवं तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री रामअवध राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि पर ब्याज आकलित करते हुये सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0)

(25)

ग्राम पंचायत-फत्तूपुर विकासखण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-45

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 कोषवही के अनुसार खडन्जा मरम्मत पिरोड़ से मुसलमान बस्ती तक (90x2.5) वर्ग मीटर हेतु दिनांक 15.04.2015 को मजदूरी व्यय 13104.00 रु० एवं दिनांक 17.04.2015 को सिंह ईट भट्टा से 8000.00 नग (6400 रु० प्रति हजार) 51200.00 रु० व्यय खारिज रहा। उक्त कार्य पर व्यय से सम्बन्धित आपत्ति यह कि लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक एम०बी०, कार्यपूर्ति, स्टॉक रजि०, खाता रजि० चके बुक का प्रतिपण व अनय पुष्टि प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में व्ययक पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। पासबुक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 17.04.2015 को रु० 51200.00 ईट भट्टा को भुगतान न कर टी आर सी 106 (काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) को ट्रांसफर किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि (90x2.5 मीटर) खडन्जा मरम्मत हेतु 8000 नग ईट क्रय दर्शित रहा, जो 60 प्रतिशत ईट व्यय दर्शाता है। जबकि मानक अनुसार 30 प्रतिशत से अधिक ईट का उपभोग/क्रय किया जाना चाहिए था। उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रमाणक न प्रस्तुत कर एवं फर्म को भुगतान न कर अन्यत्र ट्रांसफर कर तथा मानक से अधिक ईट क्रयदर्शित कर, कोषवही में फर्जी कार्य की प्रविष्टि की गई है, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रु० 64304.00 सुनियोजित ढंग से आहरण कर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामदुलार ग्राम प्रधान एवं श्री छोटे लाल (ग्रा०वि०अधि०/ग्रा०प०अ०) द्वारा अपहरणकर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-06 में अंकित)

प्रस्तर-46

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 की कोषवही के अनुसार दिनांक 20.04.2015 को ह्यूम पाइप क्रय हेतु रु० 51920.00 प्रकाश ट्रेडर्स को भुगतान किया गया। उक्त से सम्बन्धित आपत्ति यह कि लेखा परीक्षा में उक्त क्रय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और कोषवही में उक्त के अधिष्ठान हेतु वर्ष के दौरान कोई मजदूरी व्यय खारिज नहीं रहा, जिससे यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि उक्त धनराशि से कितने नग, कितने एमएम एवं किस उद्देश्य से क्रय किया गया। उक्त क्रय के सापेक्ष पुष्टि हेतु अन्य अभिलेख यथा- कार्यवाही रजि०, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणक, स्टॉक रजि०, चेक बुक का प्रतिपण, खाता रजि०, टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का प्रमाणक, आयकर एवं वैट भुगतान आदि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। महत्वपूर्ण तथ्या यह कि राज्य वित्त/तेरहवां वित्त से ह्यूम पाइप क्रय की मनाही के बाद भी उक्त मद से क्रय किया गया दर्शित रहा। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि बिना उद्देश्य के, बिना प्रमाणक के उक्त पाईप का काल्पनिक क्रय दर्शाकर रु० 51920.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामदुलार (ग्राम प्रधान) एवं श्री छोटे लाल, ग्राम विकास /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरणकर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-07 में अंकित)

(26)

ग्राम पंचायत-अनुसार विकासखण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-47

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 कोषवही के अनुसार कार्यानाम-बघाड़ी पड़ान बस्ती में खडन्जा मरम्मत जीर्णोद्धार हेतु ईट क्रय दिनांक 05.07.2014 को 8000 नग दर 5500=44000 रुपये पावर ईट उद्योग एवं मजदूरी व्यय दिनांक 12.07.2014 करे 5460.00 रु० व्यय खारिज रहा। उक्त से सम्बन्धित आपत्ति यह कि क्रय ईट एवं मजदूरी व्यय का प्रमाणक एवं अन्य पुष्टि प्रमाणक यथा-कार्यवाही रजि०, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति, स्टॉक रजि०, खाता रजि०, चेकबुक का प्रतिपण, कोटेशन/अण्डर प्रक्रिया का प्रमाणक फोटोग्राफी, डेड स्टॉक रजि० क्रय से सम्बन्धित आयकर व वैट भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही पासबुक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईट क्रय का भुगतान पावर ईट उद्योग को एकाउन्ट पेयी चेक से फर्म के नामे भुगतान न कर दिनांक 05.07.2014 को ग्राम प्रधान श्रीमती रीता यादव द्वारा 49460.00 रु० आहरण किया गया है, जिससे क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि कय एवं उपभोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रमाणक लेखा में प्रस्तुत न कर तथा कोषवही में काल्पनिक कार्य एवं व्यय दर्शाकर सुनियोजित तरीके से उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रीता यादव ग्राम प्रधान एवं श्री विजय द्विवेदी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 49460.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06 में अंकित)

प्रस्तर-48

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 कोषवही के अनुसार कार्यनाम- प्राथमिक विद्यालय सेक्टर मार्ग पर आगे खडन्जा बढ़ाने हेतु ईट कय दिनांक 16.05.2015 को 8000 नग दर 6500-52000.00 रु0 राम ईट उद्योग एवं दिनांक 16.05.2015 को 8000 नग दर 65000=52000.00 राम ईट उद्योग तथा दिनांक 06.06.2015 को रु0 5635.00 मजदूरी व्यय खारिज रहा। उक्त से सम्बन्धित आपत्ति यह कि, ईट कय एवं मजदूरी व्यय का प्रमाणक व अन्य प्रष्टि प्रमाणक यथा-कार्यवाही रजि0 स्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति स्टाक रजि0 खाता रजि0,चेक बुक का प्रतिपण, कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का प्रमाणक, फोटोग्राफी, कय से सम्बन्धित आयकर व र्वट भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही पासबुक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कय का भुगतान राम ईट उद्योग को एकाउन्ट पेयी चेक से फर्म के नाम न कर दो अलग-अलग व्यक्तियों री वेद प्रकाश एवं श्री कृष्ण प्रसाद को भुगतान कर काल्पनिक फर्म से कय दर्शित किया गया है। कोषवही के अनुसार कार्य नाप 110X2.5 मीटर रहा। जिस पर 5635.00 रु0 मजदूरी व्यय खारिज रहा। जब कि 110X2.5 मीटर=275 मीटर X मजदूरी दर 40.50=11137.50 रु0 मजदूरी मानक के अनुसार व्यय किया जाना चाहिए था जिससे स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है।

अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि कय एवं उपभोग से संबन्धित किसी भी प्रकार का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर कोषवही में काल्पनिक कार्य की प्रविष्टि कर सुनियोजित तरीके से उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रीता यादव ग्राम प्रधान एवं श्री विजय द्विवेदी ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कुल 109635.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07 में अंकित)

(27)

ग्राम पंचायत-खानपुर विकासखण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-49

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कोषवही के अनुसार निम्नलिखित दिनांकों में ह्यूम पाईप कय दिनांक 07.11.2014 को रुप्या 50500.00 जनता ट्रेडर्स से कय एवं दिनांक 06.05.2015 को रु0 96870.00 प्रकाश ट्रेडर्स से कय तथा अधिष्ठापन पर दिनांक 16.05.2015 को रु0 2400.00 व 23.10.2015 को 2100.00 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

अ- ह्यूम पाईप कय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं, जिससे कय की पुष्टि नहीं होती। कितने नग कय एवं कितने एमएम कय की स्थिति अज्ञात रहा।

ब-उक्त ह्यूम पाईप के कय हेतु प्रस्ताव/कार्यवाही रजि0 अप्रस्तुत रहा।

स- ह्यूम पाईप के कय एवं उसके स्टाक में होने की पुष्टि हेतु स्टाक रजि0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

द-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाणक लेखा परीक्षक में अप्रस्तुत रहा।

य- कार्यपूर्ति का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

र- चेकबुक का प्रतिपण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत, जिससे फर्म को भुगतान किया गया अथवा नहीं की स्थिति अज्ञात रहा।

ल-कय हेतु कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

व- कय के सापेक्ष आयकर एवं वैट के भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

श-आलेख्य वर्ष में प्राप्तियों से सम्बन्धित खाता रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कय हेतु उपलब्ध धनराशि की स्थिति अज्ञात रही।

ष-उक्त कय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य यह कि तृतीय राज्य वित्त/तेरहावां वित्त से ह्यूम पाईप कय की मनाही के बाद भी उक्त मद से कय किया गया। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

स-दिनांक 16.05.2015 को 2400.00 रु0 व दिनांक 23.10.2015 को 2100.00 मजदूरी व्यय के सापेक्ष अधिष्ठापन स्थल का उल्लेख/उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे क्रय का उद्देश्य एवं अधिष्ठापन स्थल की स्थिति अज्ञात रही।

ह-दिनांक 07.11.2014 को क्रय की गयी ह्यूम पाईप के सापेक्ष अधिष्ठापन पर कोई मजदूरी व्यय खारिज नहीं रहा। जिससे क्रय के उद्देश्य एवं अधिष्ठापन स्थल की स्थिति अज्ञात रही।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि बिना उद्देश्य एवं बिना प्रमाणक के पाईप एवं मजदूरी पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल रु0 151870.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती वन्दना देवी ग्राम प्रधान एवं श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(28)

ग्राम पंचायत-बबुरा विकासखण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-50

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 कोषवही के अनुसार कार्यनाम-बकबहादुर के घर से पिचरोड़ तक (100X2.5 मी0) खडन्जा मरम्मत हेतु दिनांक 08.09.2015 को रु0 12880.00 मजदूरी व्यय एवं दिनांक 18.09.2015 को ईट क्रय 8000.00 नग 6500.00 रु0 प्रति हजार रु0 52000.00 रु0 व्यय खारिज रहा। उक्त से सम्बन्धित आपत्तियह कि ईट क्रय एवं मजदूरी व्यय का

प्रमाणक एवं अन्य पुष्टि प्रमाणक यथा- कार्यवाही रजि0 स्टीमेट एम0बी0, कार्यपूर्ति, स्टाक रजि0, खाता रजि0 चेकबुक का प्रतिपण, डेड स्टाक रजि0, कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का प्रमाणक, फोटोग्राफ क्रय से सम्बन्धित आयकर व वैट भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं फर्म के नामे एकाउन्ट पेयी चेक से न कर दिनांक 02.09.2015 को रु0 20000.00 एवं दिनांक 18.09.2015 को रु0 55000.00 भोलानाथ प्रधान के नामें भुगतान रहा जिससे फर्म से क्रय की पुष्टि नहीं होती। उक्त कार्य पर व्यय के सपेक्ष आहरण अधिक रहा जा गम्भीर विषय है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि क्रय एवं उपभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा कोषवही में काल्पनिक कार्य दर्शाकर सुनियोजित तरीके से उत्तरदायी व्यक्तियों श्री भेला नाथ ग्राम प्रधान एवं श्री छोटेलाल ग्राम विकास/ ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कुल 64880.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06 में अंकित)

(29)

ग्राम पंचायत-रारीकला विकासखण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-51

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषवही के अनुसार कार्यनाम- सरोज बस्ती में अण्डर ग्राउण्ड नाली 134 मी0 निर्माण हेतु दिनांक 11.06.2015 को ह्यूम पाईप 150 एम0एम0, एन0पी0-3 (क्रय की मात्रा अज्ञात) क्रय हेतु रु0 98490.00 व्यय एवं दिनांक 08.07.2015 को उक्त के अधिष्ठापन पर मजदूरी व्यय रु0 18193.00 व्यय खारिज रहा। उक्त से सम्बन्धित आपत्ति यह की उक्त कार्य के सापेक्ष ह्यूम पाईप क्रय एवं मजदूरी व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही अन्य पुष्टि प्रमाणक यथा कार्य का प्रस्ताव व कार्यवाही रजि0, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति, स्टाक रजि0, खाता रजि0, चेकबुक की प्रतिपूर्ण, टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का प्रमाणक, क्रय से सम्बन्धित आयकर एवं वैट भुगतान का प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य यह कि राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से ह्यूम पाईप क्रय की मनाही के बाद भी उक्त मद से क्रय दर्शित रहा, जिसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ खाता रजि0(जिससे यह पुष्टि किया जा सके की उक्त मद से ह्यूम पाईप क्रय हेतु धनराशि प्राप्त थी अथवा नहीं) ले0प0 में पुष्टि हेतु अप्रस्तुत रहा। पासबुक के अनुसार भुगतान विधि में किसी फर्म का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि कोषवही में उक्त भुगतान प्रकाश ट्रेडर्स के नामे रहा। स्टाक रजि0 के अभाव में क्रय दर्शित ह्यूम पाईप के स्टाक में होने एवं कार्य कराये जाने की दशा में परिसम्पत्ति रजि0 में दर्ज किये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी। स्टीमेट एवं क्रय प्रमाणक के बिना यह अज्ञात नहीं किया

जा सका कि उक्त धनराशि से कितने नग ह्यूम पाईप व कितने मीटर कय किया गया तथा अधिष्ठापन हेतु ह्यूम पाईप के अतिरिक्त अन्य सामग्री (सीमेन्ट, बालु) भी कय किया गया अथवा नहीं की पुष्टि नहीं करायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य की काल्पनिक प्रविष्टि की गयी है।

अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय के सापेक्ष किसी भी प्रकार का प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत न कर तथा कोषबही में काल्पनिक कार्य की प्रविष्टि कर सुनियोजित तरीके से उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती गीता देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री विजय द्विवेदी (ग्रा0वि0अ0) द्वारा कुल 116683.00 रु0 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06 में अंकित)

(30)

ग्राम पंचायत-कूड़ा विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-52

आलोच्य वर्ष 2015-16 में कृत कार्यों के लिए भुगतान की गयी मजदूरी की धनराशियों की पुष्टि नहीं होती है।

क्र0सं0	प्रमाणक सं0/तिथि	धनराशि रु0 में	विवरण
1	05/09.05.2015	2199	शौचालय निर्माण का भुगतान ह्यूम पाईप फिक्सिंग भुगतान खण्डन्जा निर्माण मरम्मत भुगतान।
2	19/20.07.2015	2093	"
3	26/04.08.2015	15456	"
4	37/23.09.2015	18998	"

योग-38746.00

उक्त परिव्ययों के संन्दर्भ में श्रमिक चिट्ठे प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये थे। कार्ययोजना की बैठक, प्रस्ताव संख्या व तिथि, कार्य स्थल की परिचयात्मक विवरण, मजदूरों की जांच कार्ड संख्या व बैंक खाता चल-अचल/सर्वजानिक निर्माण पंजिका, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, नियोजन/विकास समिति का अनुमोदन, निर्माण कार्य समिति का सत्यापन प्रतिवेदन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कृतकार्यों के निरीक्षण की स्थिति, लाभार्थियों द्वारा लिखित/हस्ताक्षरित साक्ष्य पत्र तथा सीनियर मजदूर होने की पुष्टि में कर्मी पंजिका, मजदूर विवरणिका, दैनिक उपस्थिति पंजिका, जैसी सुचनाएं व अभिलेखें (परम्परागत रूप से तैयार) के अभाव में व्यय पूर्णतया काल्पनिक है। अतः अपहरण के लिए उस समय कार्यरत प्रधान श्री सुवाष चन्द्र व तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः ब्याज आकलित करते हुए समेकित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0संख्या -02)

प्रस्तर-53

आलोच्य वर्ष 2015-16 के निम्नलिखित सामग्री कय के परिव्यय दर्शित है:-

क्र0सं0	प्रमाणक सं0/तिथि	धनराशि रु0 में	विवरण
1	18/15.07.2015	24900	ह्यूम पाईप पर व्यय
2	21/31.07.2015	11000	हैण्डपम्प सामग्री कय पर व्यय
3	33/05.09.2015	21800	ह्यूम पाईप कय पर व्यय
4	39/26.10.15	1449	ह्यूम पाईप मद पर व्यय
5	40/26.10.15	3043	हैण्ड पम्प मद(सा0/मज0)

व्यय समस्त प्रमाणक अप्रस्तुत

योग-62192.00

उक्त से सम्बन्धित कय प्रमाणक जांच में प्रस्तुत न करने के कारण कय दरें, साइज व नगों की संख्या, फर्म का नाम, कैशबुक में चेक संख्या अज्ञात रहा। उक्त सामाग्री का विवरण पंजिका (प्रा० शेष, प्राप्ति, उपभोग व अवशेष अज्ञात रहा) नहीं बनाया गया है लाभार्थी/संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित/लिखित साक्ष्य पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। हैंड पम्प मरम्मत में अलग से क्या मजदूरी दी गयी, विवरण अंकित नहीं था। अतः मनमाने ढंग से व्ययों को खारिज कर धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री सुवाषचन्द्र व तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०संख्या -11)

(31)

ग्राम पंचायत-हाजीपुर उर्फ फरिदाबाद विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16
प्रस्तर-54

दिनांक 19.05.2015 को ग्राम निधि खाता सं० 00414 से चेक सं० 21033036 से श्री रजनीश पाण्डेय के नाम से रू० 14400.00 के अपहरण की पुष्टि बैंक पासबुक से होती है। किन्तु कैशबुक में उक्त आहरित धनराशि रू० 14400.00 की प्रविष्टि नहीं किया गया है। कैशबुक में प्रविष्टि न करके रू० 14000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रू० 14400.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अब्दुल सत्तार से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-55

निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर धनराशि का भुगतान दर्शाया गया है:-

दिनांक	बा०न०	धनराशि	विवरण
09.06.2015	14	19800.00	सूरज, आस मोहम्मद, सुनील लड्डन, नगेन्द्र भुरकुण्डी व मोसीन के हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान।
07.07.2015	19	13800.00	तेजु, बॉकेलाल, मन्नौर, अजय नसरुल्ला (5) हैण्डपम्प मरम्मत का
24.07.2015	22	14700.00	राजेन्द्र यादव, रज्जाक, अवधू, कल्लू, खवई यादव, व जावेद का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान।
05.08.2015	23	12500.00	महताब, मस्जिद, डब्बू यादव, बबलू (5) के हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान।
07.09.2015	24	12400.00	जान मोहम्मद, मुख्तार, सादाव शक्कून असिउल्ला (5) के हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान।

योग- 73200.00

उपरोक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं:-

- (1) भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक यथा- हैण्डपम्प का पार्ट्स/सामान कय का कैशमेमों/बिल तथा हैण्डपम्प बनाने वाले मिस्त्री का भुगतान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
- (2) भुगतान नकद किया जाना दर्शित है जबकि सम्बन्धित के खाते में भुगतान किया जाना थ।
- (3) हैण्डपम्प मरम्मत के लिए उपभेक्ताओं/हैण्डपम्प उपरोगकर्ता द्वारा हैण्डपम्प बनवाने के लिए दिया गया प्रार्थनापत्र/शिकायत पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा तथा इससे सम्बन्धित कोई शिकायती रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है।

(4) हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त लाभार्थी अथवा हैण्डपम्प उपयोगकर्ता/शिकायतकर्ता से ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया, जिससे कि पुष्टि हो सके कि हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है।

(5) हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त निकले हुए रद्दी सामान/पार्ट्स का न तो डेडस्टाक बनाया गया है और न ही सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर निकले सामान/खराब पार्ट्स का बिक्री कर धनराशि को खाते में जमा ही किया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत स्पष्ट हो जाता है कि कुल ₹0 73200.00 को हैण्डपम्प मरम्मत मद में काल्पनिक व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है, अपहरति धनराशि ₹0 73200.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अब्दुल सत्तार से एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री पुद्दनरम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। माह अप्रैल 2015 के व्यय के योग को दो रूपया से बढ़ा दिया गया है। ऐसा करके ₹0 दो (2) का अपहरण किया गया है, तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अब्दुल सत्तार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(32)

ग्राम पंचायत-जंगीपुर कला विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-56

दिनांक 21.07.2015 को बा0न0 11 अंकित करके ₹0 19720.00 का भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत मय मजदूरी सहित कैशबुक में दर्शाया गया है इस पर निम्न आपत्ति है:-

उपरोक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं-

(1) भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

(2) भुगतान नकद किया जाना दर्शित है जबकि सम्बन्धित के खाते में भुगतान किया जाना था।

(3) किस-किस जहजान संख्या वाला अथवा किन-किन स्थानों पर लगे हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया अंकित नहीं है।

(4) हैण्डपम्प मरम्मत के लिए उपभेक्ताओं द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र/शिकायत पत्र अप्राप्त रहा तथा इससे सम्बन्धित कोई रजि0 भी नहीं बनाया गया है।

लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा तथा इससे सम्बन्धित कोई शिकायती रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है।

(5) हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त लाभार्थी अथवा उपयोगकर्ता से ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है, जिससे कि पुष्टि हो सके कि हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है।

(6) हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त निकले हुए रद्दी सामान/पार्ट्स का न तो डेडस्टाक बनाया गया है और न ही सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर निकले सामान/खराब पार्ट्स का बिक्री कर धनराशि को खाते में जमा ही किया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत स्पष्ट हो जाता है कि कुल ₹0 19720.00 को हैण्डपम्प मरम्मत मद में काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया है, अपहरति धनराशि ₹0 19720.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री मूलचन्द से एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री रामअवध से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(33)

ग्राम पंचायत-सलोनी महिमापुर विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-57

दिनांक 04.04.2015 को चेक संख्या 046028 से रूपया 41893.00 दिनांक 17.07.2015 को चेक संख्या 046034 से रूपया 17500.00 का ट्रांसफर एकाउन्ट नम्बर-0011646429252 में किये जाने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होता है। कैश बुक में निम्न विवरणानुसार उक्त दोनों धनराशियों का व्यय / भुगतान दर्शाया गया है।

दिनांक	बाउचर नम्बर	धनराशि	विवरण
04.04.2015	बिल न0 971	26920.00	जयराम के घर से पोखरी तक पक्की नाली निर्माण हेतु जायसवाल बिल्डींग मैटेरियल में भुगतान प्राप्त किया (सीमेन्ट आदि का)
04.04.2015	बिल न0 102	14973.00	उपरोक्त नाली निर्माण में लगी ह्यूम पाईप का भुगतान नन्दन स्पून पाईप गौराबादशाह पुर ने प्राप्त किया ।

17.07.2015	बिल न0 694	10000.00	ग्राम प्रधान ने दो अदद इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प सामग्री कय (मरम्मत हेतु) भुगतान दिया मां शीतला हार्डवेयर पेंट स्टोर दुधौड़ा बाजार
17.07.2015	बिल न0 01	7500.00	ग्राम प्रधान ने माह जनवरी 2015 से माह मार्च 2015 तक तीन माह का दर2500 की दर से मानदेय भुगतान प्राप्त किया ।
	योग	59393.00	

उपरोक्त दोनो चेकों से कुल रू0 59,393.00 एकाउन्ट नम्बर 0011646429252 में ट्रांसफर किया गया हैं एकाउन्ट न0 0011646429252 तत्कालीन प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव का स्टेट बैंक आफ इण्डिया (एस0बी0आई)आरा शाखा हैं इसी बैंक में ग्राम पंचायत का भी खाता तत्कालीन प्रधान श्री यादव द्वारा उक्त दोनो चेको को अपने खातों में जमा कराकर धनराशि कुल रू0 59,393.00 का ट्रांसफर करा लिया गया । कैंश बुक में उपरोक्त भुगतान काल्पनिक रूप अंकित कर दर्शाया गया है । चूंकि दिनांक 17.07.2015 को रू0 7500.00 का भुगतान प्रधान का मानदेय का किया गया दर्शाया गया है,।

अतः प्रधान के खाते में ट्रांसफर की गयी कुल धनराशि रू0 59,393.00 से मानदेय की धनराशि रू0 7500.00 को घटाने के बाद शेष रू0 51,893.00 बचता है। रू0 51,893.00 को तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया हैं अपहरित धनराशि रू0 51893.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान धर्मेन्द्र कुमार यादव, एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश राम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(34)

ग्राम पंचायत-दरबानीपुर विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16
प्रस्तर-58

निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत दर्शित कर धनराशि भुगतान किया गया है।			
दिनांक	बा0नं0	धनराशि	विवरण
29.08.2015	13	13280.00	प्रा0पा0 दरबानीपुर,राम आसरे,मुनिराम,रईस अहमद,कल्लू व लालमन का हैण्डपम्प मरम्मत।
07.09.2015	14	9500.00	सुरेश कुमार, श्रीराम, राजनाथ व सीताराम के हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान
08.09.2015	15	16100.00	बबुराम,अमरनाथ,अरबीस्कूल, कैलाश,रामअकबाल इसराइल के हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान।

उपरोक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

1. भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहे।
2. भुगतान खातों में नहीं किया गया है जबकि एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान होना था।
3. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र/ शिकायत नहीं की गयी है।
4. हैण्डपम्प सही होने का प्रमाणपत्र लाभार्थी से नहीं किया गया।
5. निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं है और न तो बिक्री ही की गयी है।

अतः कुल रूप्या 38880.00 के व्यय का अपहरण मानकर ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा देवी एवं ग्राम वि0अ0 पुद्दन राम से बराबर-बराबर की जाय।

(35)

ग्राम पंचायत-भदेठी विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16
प्रस्तर-59

निम्नविवरणानुसार नकद आहरित धनराशि के सापेक्ष अभिलेख तैयार न कर के अथवा अभिलेख चार्ज में न दे करके अपहरण किया गया है। विवरण :-

दिनांक	आहरित धनराशि
06.04.2015	20000.00
20.04.2015	20000.00
27.04.2015	18000.00
06.05.2015	40000.00
15.05.2015	30000.00
24.06.2015	20000.00
27.06.2015	5775.00
30.06.2015	9000.00
योग	1,62,775.00

उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअवध राम द्वारा अभिलेख तैयार न कर के अथवा अपने उत्तरवर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम को चार्ज न दे कर धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरवर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम ने लिखित रूप में अवगत कराया की पूर्व के ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअवध राम से बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख मांगने के बावजूद माह जून 2015 तक का अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)

अतः स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअवध राम द्वारा नकद आहरित धनराशि के सापेक्ष अभिलेख तैयार न कर के कुल रु० 1,62,775.00 का अपहरण किया गया है। तथा इस कृत्य में तत्कालीन प्रधान की भी भूमिका बराबर की है अपहरित धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जुबेर अहमद, एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअवध राम से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(36)

ग्राम पंचायत-शेषपुर अशरफपुर विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-60

लेखा परीक्षा में निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा रु० 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय किया गया :-

प्रा०सं०/दिनांक	सामग्री क्रय का उद्देश्य	विवरण	धनराशि	भुगतान प्रक्रिया
1/06.04.2015	खडन्जा मरम्मत हेतु ईट	8000 ईट दर 6.25	50000	नकद
4/08.04.2015	नाली निर्माण हेतु ईट	8000 ईटदर 6.25	50000	नकद
5/10.04.2015	नाली निर्माण हेतु	सीमेंट बालू	23600	नकद
7/13.04.2015	ह्यूम पाईप	28नग दर 3000 2 नग दर 1150	86300	स्पष्ट नहीं
09/02.05.2015	नाली निर्माण हेतु	सीमेंट बालू गिट्टी	20200	नकद
14/11.07.2015	नाली निर्माण हेतु	ह्यूम पाईप 10 नगदर3000	30000	स्पष्ट नहीं
योग-			2,60,100	

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियों हैं :-

(1)शानादेश संख्या-ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु० 20,000.00 से अधिक का क्रय कोटेशन लेकर तथा रु० 1,00,000.00 सेअधिक का क्रय निविदा लेकर किया जाना

था, लेकिन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निविदा/ कोटेशन नहीं लेकर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया।

- (2) शासनादेश संख्या-क0नि0-2-1315/ ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008 -आदेश-(101)-2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के अनुसार भुगतान करते समय प्रतिशत की दर से मूल्य सम्बन्धित कर की कटौती कर कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना था। कर की कटौती नहीं कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया तथा राजकीय कोष में क्षति पहुंचायी गयी।
- (3) भुगतान नकद दर्शाया गया है, जबकि अपूर्ति कर्ता के खाते में एकाउन्टपेयी चेकसे/एन0ई0एफ0टी0 से किया जाना था जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बना रहे।
- (4) प्रमाणक संख्या 7 दिनांक 13.04.2015 से रू0 86,300.00 तथा प्रमाणक संख्या 14/11.07.2015 से रू0 30,000.00 का ह्यूम पाईप क्रय दर्शाया गया है। क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं रहा। धनराशि का आहरण जितेन्द्र द्वारा किया गया है। वह कौन हैं स्पष्ट नहीं है।
- (5) स्टॉक रजिस्टर तैयार कर उक्त को स्टॉक में दर्ज नहीं किया गया है।
- (6) क्रय आदेश तथा समग्री के उपभोग का लेखा तैयार कर नहीं रखा गया है। अतः किस कार्य पर कितना सामग्री उपभोग हुआ अस्पष्ट रहा।
- (5) भुगतान की प्राप्ति रसीद नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रू0 2,60,100.00 के सामग्री क्रय में क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा शासनादेश का उल्लंघन किया गया। प्रमाणक संख्या 7 दिनांक 13.04.2015 तथा प्रमाणक संख्या 14/11.07.2015 कुल रू0 1,16,300.00 ह्यूम पाईप क्रय का प्रमाणक सुलभ नहीं रहा जिससे दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। बिना प्रमाणक के स्पष्ट है कि रू0 1,16,300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामअधार तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुरत यादव द्वारा किया जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। शेष रू0 1,43,800.0 के सामग्री का क्रय नियम विरुद्ध कर रू0 1,43,800.00 की गम्भीर अनियमितता प्रधान श्री रामअधार तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुरत यादव द्वारा किया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(37)

ग्राम पंचायत-घिरौली नानकार विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-61

दिनांक 10.6.2015 को ग्राम निधि प्रथम खातों से रू0 19,500.00 का आहरण चेक संख्या 21090217 से किया गया। धनराशि का अंकन कैश बुक में नहीं किया गया। स्पष्ट है कि कैशबुक में प्रविष्टि नहीं कर रू0 19,500.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विद्या देवी तथा ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री मनीष श्रीवास्तव, द्वारा किया गया। रू0 19,500.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(38)

ग्राम पंचायत-बनहरा विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-62

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है-

प्रा0सं0/दिनांक	धनराशि
2/05.04.2015	20,000.00
9/01.06.2015	20,000.00
11/04.08.2015	20,000.00
20/16.09.2015	11,157.00
योग-	71,157.00

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न अपत्तियां हैं :-

- जल प्रबन्धन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अनुशंसा नहीं कि गयी है।
- मरम्मत कराए गए हैण्डपम्प का नाम/स्थान व संख्या अंकित नहीं हैं। और न ही मरम्मत कराए गए हैण्डपम्प की संख्या अंकित किया गया है।

3. मरम्मत हेतु क़य की गयी सामग्री का विवरण एवं दर तथा मजदूरी की धनराशि अंकित नहीं है। प्रमाणक पर बिना किसी विवरण के धनराशि अंकित किया गया है।
4. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कम्प्लेन्ट रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है। और न ही कोई कम्प्लेन्ट लेखा परीक्षा में सुलभ रहा।
5. मरम्मत सामग्री के निर्गत एवं पार्टस वापसी का स्टाक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है।
6. मरम्मत हेतु समस्त भुगतान नकद किया जाना दर्शित है। स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 71,157.00 का अपहरण श्रीमती हुबराजी देव तत्कालीन प्रधान तथा श्री महेन्द्र यादव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया। रू0 71,157.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-63

दिनांक 02.11.2015 को रू0 10,000.00 ह्यूम पाईप क़य पर व्यय दर्शाया गया है। ह्यूम पाईप क़य का उद्देश्य स्पष्ट नहीं रहा। उक्त ह्यूम पाईप लगाये जाने से सम्बन्धित कोई मस्टर रोल नहीं है। स्टाक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है, जिससे उक्त के स्टाक में दर्ज होने एवं प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त रहने की स्थिति अस्पष्ट रही। क़य का भुगतान नकद किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ह्यूम पाईप क़य पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 10000.00 का अपहरण श्रीमती हुबराजी देवी तत्कालीन प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया। रू0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(39)

ग्राम पंचायत-पटैला विकासखण्ड- खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-64

दिनांक 10.04.2015 को रू0 19,000.00 तथा 19.03.2016 को रू0 19,500.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध निम्न आपत्तियां हैं-

1. जल प्रबन्धन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।
2. दिनांक 10.04.2015 को रू0 19,000.00 श्री मिथलेश मौर्य के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय दर्शाया गया है, जबकि रू0 19000.00 में रू0 19000.00 में नया हैण्डपम्प स्थापित किया जा सकता है।
3. दिनांक 19.03.2016 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 19,500.00 व्यय दर्शाया गया है। मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प का नाम/ स्थान व हैण्डपम्प की संख्या अंकित नहीं हैं।
4. सामग्री एवं व्यय पर कितना-कितना व्यय किया गया है। स्पष्ट नहीं है।
5. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कम्प्लेन्ट रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है। और न ही कोई कम्प्लेन्ट लेखा परीक्षा में सुलभ रहा।
6. मरम्मत सामग्री के निर्गत एवं पार्टस वापसी का स्टाक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है।
7. भुगतान नकद किया जाना दर्शित है।

स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 38,500.00 का अपहरण किया गया। दिनांक 10.04.2015 को हुऐ काल्पनिक व्यय के लिए उत्तरदायी श्री मिथिलेश मौर्य, प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा दिनांक 19.03.2016 को हुऐ व्यय के लिए श्री मिथिलेश मौर्य प्रधान एवं श्री विद्याधर शुक्ल ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। रू0 19,000 की वसूली श्री मिथिलेश मौर्य एवं श्री महेन्द्र यादव से तथा रू0 19,500 की ब्याज सहित वसूली श्री मिथिलेश मौर्य एवं श्री विद्याधरशुक्ल से संयुक्त रूप किया जाना अपेक्षित है।

(40)

ग्राम पंचायत-तिसौली विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-65

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है :-

प्रा0सं0 / दिनांक	धनराशि
3 / 22.05.2015	13700
6 / 20.06.2015	6250
7 / 22.06.2015	5064

11 / 05.08.2015	6700
12 / 17.08.2015	5000
योग—	36,714.00

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न अपत्तियां हैं :-

1. जल प्रबन्धन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।
2. मरम्मत कराए गए हैण्डपम्प का नाम/स्थान व संख्या अंकित नहीं हैं। और न ही मरम्मत कराए गए हैण्डपम्प की संख्या अंकित किया गया है।
3. मरम्मत हेतु क़य की गई सामग्री का विवरण एवं दर तथा मजदूरी की धनराशि अंकित नहीं है। प्रमाणक पर बिना किसी विवरण के धनराशि अंकित किया गया है।
4. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कम्प्लेन्ट रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है। और न ही कोई कम्प्लेन्ट लेखा परीक्षा में सुलभ रहा।
5. मरम्मत सामग्री के निर्गत एवं पार्टस वापसी का स्टॉक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है।
6. मरम्मत हेतु समस्त भुगतान नकद किया गया है।

स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 36714.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती नन्हका एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से विजय प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया रु० 36714.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66

लेखा परीक्षा में निम्न विवरण अनुसार रु० 20000.00 से अधिक की सामग्री क़य किया गया।

प्र०सं०/दिनांक	क़य सामग्री का विवरण	धनराशि
01 / 01.05.2015	4500 ईट दर 6.5	29250.00
14 / 31.08.2015	3780 ईट दर 6.5	24570.00
16 / 11.09.2015	ह्यूम पाईप 34 नंग दर 1400	47600.00
19 / 24.09.2015	4000 ईट दर 6.5	26000.00

योग— 1,27,420.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं:-

1. शासनादेशानुसार रु० 20000.00 से अधिक का क़य कोटेशन लेकर किया जाना था, जबकि बिना कोटेशन लिए मनचाहे फ़र्म एवं दर से सामग्री का क़य किया गया।
2. क़य सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में तथा एम०बी०में दर्ज किया जाना था लेकिन उक्त दोनों अभिलेख तैयार कर नहीं रखा गया है।
3. क़य आदेश तथा सामग्री के उपभोग का लेखा तैयार कर नहीं रखा गया है। अतः किस कार्य के लिए सामग्री क़य किया गया एवं किस कार्य पर कितना उपभोग हुआ, अस्पष्ट रहा।
4. समस्त बिलों का भुगतान नकद अथवा बियरर चेक से किया गया है। प्रप्ति रसीद भी नहीं लिया गया है जबकि क़य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भुगतान आपूर्ति कर्ता के खातों में अन्तरण द्वारा/एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जाना था।

स्पष्ट है कि शासनादेश एवं क़य प्रक्रिया का पालन नहीं कर रु० 1,27,420.00 के सामग्री क़य में अनियमितता की गई। उक्त हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती नन्हका एवं ग्राम पंच/विकास अधिकारी श्री विजय प्रकाश तिवारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(41)

ग्राम पंचायत-ईश्वरी सलहदीपुर विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-67

माह जुलाई 2015 का मासारान्त रोकड़ शेष रु० 9,547.00 था, जबकि माह अगस्त का प्रारम्भिक रोकड़ शेष रु० 1,693.00 अंकित किया गया। इस प्रकार 9547-1693=7,854.00 से रोकड़ शेष क़य दर्शाकर रु० 7,854.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामलाल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसूरत यादव, द्वारा किया गया। रु० 7,854.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामलाल तथा श्री रामसूरत यादव से किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-68

1. कैश बुक में निम्न विवरण अनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है।

प्र0सं0/दिनांक	धनराशि
8/09.05.2015	5000.00
11/29.08.2015	3600.00
14/07.09.2015	7600.00
17/09.10.2015	844.00
19/28.03.2016	19,930.00

योग :- **रु0 36,974.00**

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियों हैं :-

1. मरम्मत कराए गए हैण्ड पम्प का नाम/स्थान व संख्या अंकित नहीं है।
2. हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कम्प्लेन्ट रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है।
3. मरम्मत के लिए कार्य आदेश नहीं हैं।
4. मरम्मत सामग्री के निर्गत करने एवं बदले गए पार्ट्स वापसी का विवरण नहीं है।
5. जल प्रबन्धन समिति द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए अनुशंसा नहीं की गई है।

स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 36974.00 का अपहरण ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया। दिनांक 09.05.2015 से 09.10.2015 तक कुल धनराशि रु0 17,044.00 के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री रामलाल, व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसूरत यादव तथा दिनांक 28.03.2016 को व्यय दर्शित धनराशि के रु0 19930.00 के अपहरण हेतु श्री विनोद यादव, प्रधान तथा श्री रामसूरतयादव ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-69

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार रु0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय किया गया है:—

प्र0सं0/दिनांक	सामग्री क्रय का उद्देश्य	विवरण	धनराशि	भुगतान प्रक्रिया
1/06.04.2015	खडन्जा मरम्मत	6000 ईट दर 6.5	39000.00	नगद
3/08.04.2015	खडन्जा मरम्मत	5800 ईट दर 6.5	37700.00	नगद
5/13.04.2015	खडन्जा मरम्मत	6500 ईट दर 6.5	42250.00	नगद
7/15.05.2015	खडन्जा मरम्मत	3600 ईट दर 6.5	23400.00	नगद
10/15.07.2015	खडन्जा मरम्मत	4000 ईट दर 6.5	26000.00	नगद

योग —रु0 1,68,350.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियों हैं :-

- (1)शानादेश संख्या-ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000.00 से अधिक का क्रय कोटेशन लेकर तथा रु0 100000.00 से अधिक का क्रय निविदा लेकर किया जाना था लेकिन प्रधान एवं ग्रामविकास अधिकारी द्वारा निविदा/ कोटेशन नहीं लेकर मनमाने फर्म से क्रय कर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया।
- (2)शासनादेश संख्या क0नि0-2-1315/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008—आदेश -(101)-2013दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के अनुसार भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से मूल्य संबोद्धर्शित कर की कटौती कर कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना था। कर की कटौती नहीं कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया।
- (3)भुगतान नकद दर्शाया गया है, जो भुगतान प्रक्रिया को आपरदर्शी बनाता है।
- (4)स्टाक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है, क्रय सामग्री को स्टॉक दर्ज नहीं किया गया है।
- (5)क्रय आदेश तथा सामग्री के उपयोग का लेखा तैयार कर नहीं रखा गया है।

किस कार्य पर कितना सामग्री उपयोग हुआ, अस्पष्ट रहा।

(6) भुगतान की प्राप्ति रशीद नहीं लिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री रामलाल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसूरत यादव द्वारा रु0 1,68,350.00 के क़य मे शासनादेश का उल्लंघन कर, क़य प्रक्रिया का पालन नहीं कर गम्भीर अनियमितता की गई।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(42)

ग्राम पंचायत-पिलकिछा विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-70

प्र0सं08 दिनांक 19.09.2015 से सरयू ईट भट्ठा पिलकिछा खुटहन से ईट क़य दर्शाया गया है। प्रमाणक पर विवरण में 5300 ईट दर6.5 से रु0 3,44,500.00 का दर्शाया गया है, जबकि 34,450.00 होना चाहिए। धनराशि शब्दों में चौतीस हजार पांच सौ अंकित था जिस पर अपरलेखन कर तीन लाख चौवालिस हजार पांच सौ अंकित किया गया। तथा कैश बुक में 3,44,835.00 खारिज किया गया। धनराशिका भुगतान नकद किया जाना दर्शित हैं भुगतान की प्राप्ति रशीद भी नहीं लिया गया हैं, स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक को अंकित नहीं किया गया है। रु 100000.00 से अधिक की सामग्री क़य हेतु निविदा लिया जाना था, जबकि प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारीद्वारा उक्त शासनादेश का भी पालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रमाणक पर अपरलेखन कर 34,450.00 रु0 के सामग्री को रु0 3,44,500.00 दर्शाकर कैश बुक से रु0 3,44,835.00 की धनराशि खारिज किया गया। 344835-34450=3,10,385.00 अधिक धनराशि खारिज कर रु0 3,10,385.00 का अपहरण श्रीमती जड़ावती यादव, ग्राम प्रधान तथा श्रीमनीष श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया। रु0 3,10,385.00 की वसूली श्रीमती जड़ावती देवी तथा श्री मनीष श्रीवास्तव,ग्राम विकास अधिकारी ,द्वाराकिया गया। रु0 3,10,385.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती जड़ावती देवी तथा श्री मनीष श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-71

प्र0सं0 9 दिनांक 25.05.2015 से कृष्णकान्त राय की बाग से भटौली पुरवा तक सम्पर्क मार्ग, खड्डन्जा निर्माण पर रु 20,329.00 मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। मस्टररोल पर श्रमिकों की उपस्थिति दिनांक 16. 05.2015 से 25.05.2015 तक अंकित है। कुल 20 मानव दिवस कुशल श्रमिकों की उपस्थिति अंकित है जिसकी मजदूरी 300 की दर से रु0 6000.00 तथा 83 मानव दिवस अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 161 प्रति दिन से 13,363.00 कुल रु0 19,363.00 होता हैं। जबकि 20,329 खारिज किया गया है। इस प्रकार रु0 966.00 अधिक मजदूरी भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए श्रीमती जड़ावती यादव, तत्कालीन प्रधान तथा श्री मनीष श्रीवास्तव ,ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। रु0 966 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-72

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण अनुसार रु0 20000.00 से अधिक की सामग्री क़य किया गया :-

प्र0सं0 /दिनांक	क़य सामग्री का विवरण	धनराशि
4 / 24.04.2015	ईट एवं ईट गिट्टी	76775
5 / 24.04.2015	बालू सीमेन्ट	68520
10 / 25.05.2015	ईट 17700 दर 6.5	115050
11 / 01.06.2015	ईट 10354 दर 6.5	67301
13 / 15.07.2015	ईट 7935 दर 6.5	51577
14 / 25.07.2015	सीमेन्ट बालू	51974
16 / 29.07.2015	सीमेन्ट	69700
17 / 29.07.2015	सीमेन्ट,गिट्टी,बालू	118332
19 / 29.07.2015	ईट एवं ईट टुकड़ा	71000
21 / 29.07.2015	ईट 12377 दर 6.5	80450
22 / 29.07.2015	ईट एवं ईट टुकड़ा	48750
23 / 04.08.2015	सरिया सीमेन्ट	147000
24 / 10.08.2015	सीमेन्ट, बालू,सरिया	42196

26 / 03.09.2015	ईट एवं ईट गिट्टी	20754
29 / 17.09.2015	ईट 33166 दर 6.5	214890
32 / 22.09.2015	एंगल ट्रांस मय लगवाई	260775
33 / 22.09.2015	मैकनाइज्ड कारोगेटेड छत में स्टील	78867
34 / 22.09.2015	राडेड बैली एण्ड कटर आयरन एंगल चौख	59078
	योग—	16,42,989.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :-

1. शासनादेशानुसार रू0 20000.00 से अधिक का क्रय कोटेशन लेकर तथा रू0 100000.00 से अधिक का क्रय निविदा लेकर किया जाना था, जबकि बिना कोटेशन एवं निविदा लिए शासनादेश का उल्लंघन मनचाहे फर्म एवं दर से सामग्री का क्रय किया जाना दर्शित हैं।
2. क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।
3. क्रय आदेश तथा सामग्री के उपभोग का लेखा तैयार कर नहीं रखा गया है जिससे किस कार्य के लिए सामग्री क्रय किया गया एवं किस कार्य पर कितना उपभोग हुआ अस्पष्ट रहा।
4. दिनांक 29.07.2015 को रू0 1,88,500.00 बाई ट्रांसफर सरयू ईट भट्टा काभुगतान किया गया हैं। शेष समस्त भुगतान नकद अथवा बियरर चेक से किया गया है। जिसकी प्राप्ति रसीद भी नहीं ली गई हैं। नकद अथवा बियरर चेक से भुगतान किया जाना भुगतान प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता है। स्पष्ट है कि शासनादेश का एवं क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रू0 16,42,989.00 के सामग्री क्रय में गम्भीर अनियमितता की गई जिसके लिए श्रीमती जड़ावती यादव, तत्कालीन प्रधान तथा श्री मनीष श्रीवास्तव तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(43)

ग्राम पंचायत—मेजा विकासखण्ड—मड़ियाहूँ जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—73

आलोच्य वर्ष 15—16 में निम्नलिखित प्रमाणक क्रम पर हैण्डपम्प मद पर व्ययों को कैशबुक में खारिज किया गया—

प्रा0सं0 / दिनांक	धनराशि	विवरण
03 / 17.04.2015	6061	हैण्डपम्प मद पर व्यय
08 / 31.05.2015	11558	हैण्डपम्प मद पर व्यय
14 / 30.06.2015	6731	हैण्डपम्प मद पर व्यय
16 / 24.07.2015	4580	हैण्डपम्प मद पर व्यय
22 / 09.10.2015	2500	हैण्डपम्प मद पर व्यय
योग—	31430.00	

उक्त व्ययों की पुष्टि में सम्बन्धित व्यक्तिगत लाभार्थी अथवा संस्था प्रमुख से लिखितहस्ताक्षरित साक्ष्य पत्र, स्थल का परिचयात्मक विवरण, क्रय सम्पूर्ण का प्रमाणक, स्टॉक विवरण (प्रा0 शेष क्रय/प्राप्त उपभोग व अवशेष की स्थिति हेतु) बनाया नहीं गया है। अलग से मजदूरी व्यय व उसका प्रमाणक प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शित कर धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती श्यामा प्यारी व तत्कालीन कार्यरत प्रा0पं0/वि0अधि0 श्री अश्विनी सिंह दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—74

निम्नलिखित प्रमाणक क्रमों पर वर्ष पर्यन्त प्रधान को मानदेय दिया गया है।

प्रा0सं0 / दिनांक	धनराशि	विवरण
01 / 07.04.2015	15000	प्रधान मानदेय
13 / 30.06.2015	12500	प्रधान मानदेय
19 / 28.09.2015	5000	प्रधान मानदेय

21 / 09.10.2015	15000	प्रमाणक अप्राप्त
योग—	47500	

उक्त के सन्दर्भ में भुगतान नगद किया गया या एकाउन्ट पेयी चेक से यह स्पष्ट है नहीं था। प्रधान द्वारा मानदेय प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षरित व प्रमाणित रसीदी जांच में अनुपलब्ध रहा। वस्तुतः प्रधान को रु. 2500/-माह मानदेय देय होता है, इस प्रकार आलोच्य वर्ष 15-16 में कुल रु. 30000/-का भुगतान होना चाहिए जब कि रु. 17500/- की धनराशि बढ़ाकर दी गयी है, कैशबुक में स्पष्टतः महीनों के नाम व बकाया विवरण अंकित नहीं पायी गयी है। मानदेय वितरण पंजिका न बनाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(44)

ग्राम पंचायत-बेलगहन विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-75

आलोच्य वर्ष 15-16 में कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री रामअवध राम द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.09.2015 के पूर्व के सभी व्यय उस समय कार्यरत गाम पंचायत/विकास अधिकारी मु0 मुस्ताक अहमद द्वारा किया गया था, निसे कोई भ प्रपत्र/अभिलेखों को हस्तन्तरित नहीं किया गया। अतः सम्पूर्ण वर्ष निधि-1 की खाता संख्या-18670 (यू0वि0आई0) से आहरित धनराशि रु0 225530.00 से सम्बन्धित परिव्ययों में रु0 40000.00 छोड़कर दिनांक 01.04.2015 से 23.09.2015 की अवधि में कुल आहरित रु0 225530-40000=185530(-) बैंक चार्ज रु0 30 अर्थात रु0 185500.00 से सम्बन्धित व्ययों की कोषवही (रूप पत्र-6), प्रमाणक स्टाक/चल-अचल/सर्वजनिक निर्माण पंजिकाएं कार्यपूर्ति उपभोग प्रमाण पत्र, खुली बैठक की प्रताव संख्या व तिथि, नियोजन/विकास समिति का अनुमोदन, निर्माण समिति का सत्यापन प्रतिवेदन सक्षम अधिकारियों द्वारा कृत कार्यों के निरीक्षण की स्थिति आदि प्रस्तुत न किया जाने से रु0 185500.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री विजय कुमार एवं तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मु0 मुस्ताक अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः धनराशि पर ब्याज आकलित करते हुये सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर-76

उक्त के क्रम में दिनांक 24.09.2015 से दिनांक 31.3.2015 की अवधि का व्यय विवरण सम्बन्धी कैशबुक मांग किये जाने पर बिना हस्ताक्षर वाला एक पन्ना ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री रामअवध राम द्वारा रु0 40000.00 के सम्बन्ध में लेखा प्रस्तुत रहा, जो संलग्न है। अतः निर्धारित प्रारूप की (रूप पत्र-6), सम्बन्धित प्रमाणक स्टाक/चल-अचल/सर्वजनिक निर्माण पंजिकाएं कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, खुली बैठक की प्रताव संख्या व तिथि, नियोजन/विकास समिति का अनुमोदन, निर्माण कार्य समिति का सत्यापन प्रतिवेदन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कृत कार्यों का निरीक्षण की स्थिति, योजनागत लाभार्थियों से लिखित साक्ष्य पत्र आदि प्रस्तुत न किये जाने से सम्पूर्ण धनराशि रु0 40000.00 के दुरुपयोग की स्थिति है, जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री विजय कुमार एवं तत्समय कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मु0 मुस्ताक अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(45)

ग्राम पंचायत-कुम्भ विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-77

आलोच्य वर्ष 2015-16 के निम्नलिखित मजदूरी राशियों का भुगतान खण्डजा निर्माण/मरम्मत अथवा नाली निर्माण के सन्दर्भ में कैशबुक में व्यय खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि नहीं होती है।

क्र०सं०	प्रमाणक सं०/तिथि	धनराशि रु० में	विवरण
1	02 / 19.06.2015	14973.00	खडंन्जा मरम्मत/नि० मजदूरी
2	12 / 22.07.2015	7889.00	खडंन्जा मरम्मत/नि० मजदूरी
3	17 / 30.07.2015	10626.00	खडंन्जा मरम्मत/नि० मजदूरी
4	21 / 15.08.2015	10190.00	नाली निर्माण की मजदूरी प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा।

योग— 43678.00

उक्त के सन्दर्भ में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्य योजना की बैठक प्रस्ताव सं० तिथि, कार्यस्थल का परिचयात्मक विवरण, मजदूरों की जॉब कार्ड संख्या व बैंक खाता संख्या चल-अचल/सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, नियोजन/विकास समिति का सत्यापन प्रतिवेदन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कृत कार्यों का निरीक्षण की स्थिति तथा लाभार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, स्थानीय मजदूर होने के पुष्टि में कर्मी पंजिका/मजदूर विवरणिका/दैनिक उपस्थिति पंजिका जैसी सूचनाएं व अभिलेख जो परम्परागत रूप से बनाया गया हो के अभाव में व्यय पूर्णतया काल्पनिक है। अतः अपहरण के लिए उस समय कार्यरत प्रधान श्री अनिल व तत्कालीन कार्यरत ग्रामपंचायत/विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-02)

प्रस्तर-78

आलोच्य वर्ष 2015-16 के निम्नलिखित परिव्यय सामाग्री क्रय से सम्बन्धित है।

क्र०सं०	प्रमाणक सं०/तिथि	धनराशि रू० में	विवरण
1	05/24.06.2015	42025.	ह्यूम पाईप क्रय
2	11/22.07.2015	50000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
3	25/25.09.2015	23762.00	ह्यूम पाईप क्रय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे

योग- 115787.00

उक्त के सन्दर्भ में क्रय प्रमाणक जॉच में प्रस्तुत न होने के कारण क्रय दरें, साइज, नगों की संख्या, फर्म का नाम, कैशबुक में चेक संख्या अज्ञात रहा उक्त सामाग्री का उपयोग किस-किस व्यक्ति के यहां लगाया गया अज्ञात रहा। स्टाक पंजिका/विवरण (प्रा० अवशेष, क्रय सामाग्री प्राप्त, उपभोग, अवशेष विवरण) बनाया नहीं है लाभार्थी/संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित/लिखित साक्ष्य पत्र प्रस्तुत नहीं था। उक्त सामाग्री की फिक्सिंग में अलग से क्या बजदूरी दी गयी, कोई विवरण नहीं था। अतः मनमाने ढंग से व्यय खारिज कर धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत प्रधान श्री अनिल व तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, जिनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01)

(46)

ग्राम पंचायत-हुसेनाबाद विकासखण्ड-सुइथाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-79

निम्न तिथियों में ह्यूम पाईप क्रय हेतु भुगतान दर्शित है :—

दिनांक	विवरण	धनराशि
1. 29.04.2015	ह्यूम पाईप क्रय हेतु भुगतान	रू० 48,600.00
2. 24.06.2015	ह्यूम पाईप क्रय हेतु भुगतान	रू० 41,625.00

योग-रू० 90,225.00

उक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्नलिखित अपत्तियां पायी गयी है :—

- (1) क्रय आमद हेतु स्टाक रजिस्टर में लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
- (2) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।
- (3) क्रय ह्यूम पाईप कहां स्थापित करवाई गयी विवरण अनुपलब्ध रहा।
- (4) व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

उक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि किया गया समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः रू० 90,225.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामउदय पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 03 पर अंकित है)

निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय :—

दिनांक	विवरण	धनराशि
04.04.2015	7 अदद् हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रू० 21500.00
17.06.2015	7 अदद् हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	रू० 21208.00

31.07.2015

5 अदद हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय

रु0 13020.00

योग :-रु0 55,728.00

उक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

- (1)मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत में कहां स्थित हैं, विवरण अनुपलब्ध रहा।
- (2)तकनीकी अधिकारी/डी0पी0आर0ओ0 का अनुमोदन/स्वीकृति अनुपलब्ध रही।
- (3)ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्वीकृति अनुपलब्ध रही।
- (4)भुगतान चेक द्वारा किया जाना था, किन्तु नगद किया गया है।
- (5)व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

अतः रु0 55,728.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं ग्रामपंचायत अधिकारी,श्री रामउदय पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-4 पर अंकित है।)

(47)

ग्राम पंचायत-खमपुर विकासखण्ड-बक्शा जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-80

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न दिनांकों में हैण्डपम्प की मरम्मत हेतु कुल 27 नग पर मरम्मत कार्य रु0 69,595.00 व्यय खारिज रहा,जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	दिनांक	हैण्डपम्प मरम्मत नगों की संख्या	व्यय धनराशि
1	24.04.2015	15	29,920.00
2	29.04.2015	15	8,580.00
3	12.06.2015	6	11,508.00
4	12.06.2015	6	3,492.00
5	14.08.2015	4	7,767.00
6	14.08.2015	4	2,328.00
7	03.11.2015	2	4,836.00
8	03.11.2015	2	1,164.00
	कुल योग	27 नग	69,595.00

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्रस्तुत प्रमाणक मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-

1. समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजि0 प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. समस्त व्यय के सापेक्ष जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति प्रस्तुत नहीं की गई।
3. समस्त व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प खराबी की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
4. समस्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/एम0बी प्रस्तुत नहीं रहा।
5. समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।
6. समस्त व्यय के सापेक्ष स्टाक रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा।
7. समस्त व्यय के सापेक्ष डेड स्टाक रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा। मरम्मत के उपरान्त संग्रहित खराब पार्ट का स्टाक/निलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका की आलोच्य वर्ष के दौरान मरम्मत हेतु इतने बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त हुई, या दुसरे मद की धनराशि आहरित की गई।
9. ग्राम पंचायत में कुल कितने नग हैण्डपम्प स्थापित है, कि लिस्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि समस्त हैण्डपम्प मरम्मत के सापेक्ष उचित बिल बाउचर प्रस्तुत न कर पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर श्री सुधाकर सिंह,ग्रा0पं0/विकास अधिकारी एवं श्री विनोदकुमार यादव, ग्राम प्रधान द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि 69,595.00 रु0 का आहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर-81

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 कोषवही के अनुसार श्री प्रकाश यादव के खेत से डा0 पलोनम के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 05.05.2015 को 10000 नग ईटXरु0 6500 प्रति हजार की दर से रु0 65,000.00 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्षा लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन न0 के (कैश मेमो/स्टीमेट)के रूप में प्रस्तुत किये गये, जो कि मानक के अनुरूप नहीं रहे। ईट क्रय की पुष्टि हेतु स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा। कोषवही में दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्यवाही रजि0,स्टीमेट/एम0बी0 व पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कोषवही में उपर्युक्त दिनांको में दर्शित ईट क्रय परव्यय रु0 65,000.00 नियमानुसार अपहरण माना जाय एवं जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुधाकर सिंह, ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी व श्री विनोद कुमार यादव, ग्राम प्रधान से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर-82

उपरोक्त खडन्जा निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी पर व्यय रु0 11,914.00 दिनांक 11.05.2015 को कोषवही में दर्शित है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया हैं।

1. उक्त कार्य से सम्बन्धित कोषवाही में दर्शित मजदूरी व्यय का कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बिना व्यय प्रमाणक के कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. लेखा परीक्षा में मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उपरोक्त मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। (सा0आ0सं0-07)

अतः अपहरण की श्रेणी में आता है। मजदूरी पर व्यय रु0 11,914.00 जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुधाकर सिंह, ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी व श्री विनोद कुमार यादव, ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

(48)

ग्राम पंचायत-बरमलपुर विकासखण्ड-डोभी जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-83

आलोच्य वर्ष में 2015-16 कोषवही के भिन्न-भिन्न तिथियों में खडन्जा पुनः निर्माण(अनुज के खेत से राधेश्याम के घर तक)रु0 105400.00 ईट एवं मजदूरी रु0 51480 कुल रु0 51480.00 कुल रु0 156880.00 व्यय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

1. कार्यवाही पुस्तिका एवं पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कोषवाही में दर्शित कार्यों का प्रस्ताव एवं उस पर हुए खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत सेहोने की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय काल्पनिक है।
2. सामाग्रियों का क्रय आदेश एवं बिलबाउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामाग्रियों के क्रय की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय काल्पनिक है।
3. ग्राम पंचायत का स्टॉक बुक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ईट, आदि क्रय सामाग्रियों की पुष्टि नहीं होती अतः कोषवही में दर्शित व्यय काल्पनिक है।
4. तकनीकी अधिकारी से कार्य का प्रस्तव एवं माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे कार्य अपुष्टि एवं संदिग्ध है।
5. उक्त कार्यों का मजदूरी भुगतान हेतु व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे समस्त कार्य पर व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है।
6. उक्त कार्य का कार्यपूर्ति पी0सी0आर0 एवं टी0डी0एस0 कटौती प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्यों की पुष्टि नहीं होती।
7. सेक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है, जिससे उपरोक्त काल्पनिक व्यय कोषवही में दर्शाकर कुल रु0 156880.00 अपहरण किया गया।

अतः उपरोक्त अपहरित धनराशि रु0 156880.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामकिशुन राम से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

(49)

ग्राम पंचायत-भूलनडीह विकासखण्ड-डोभी जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-84

आलोच्य वर्ष में 2015-16 कोषवही के भिन्न-भिन्न तिथियों में रू0 58545.00 ईट एवं रू0 24955.00 मजदूरी मरम्मत (अब्दुल के घर से फेकू के घर तक) कुल रू0 83500.00 व्यय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

1. कार्यवाही पुस्तिका एवं पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कोषवाही में दर्शित कार्यों का प्रस्ताव एवं उस पर हुए खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत सेहोने की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय काल्पनिक है।
2. सामाग्रियों का क्रय आदेश एवं बिल बाउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामाग्रियों के क्रय की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय काल्पनिक है।
3. ग्राम पंचायत का स्टॉक बुक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ईट, आदि क्रय सामाग्रियों की पुष्टि नहीं होती अतः कोषवही में दर्शित व्यय काल्पनिक है।
4. तकनीकी अधिकारी से कार्य का प्रस्ताव एवं माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे कार्य अपुष्टि एवं संदिग्ध है।
5. उक्त कार्यों का मजदूरी भुगतान हेतु व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे समस्त कार्य पर व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है।
6. उक्त कार्य का कार्यपूर्ति पी0सी0आर0 एवं टी0डी0एस0 कटौती प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्यों की पुष्टि नहीं होती।
7. सेक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है, जिससे उपरोक्त काल्पनिक व्यय कोषवही में दर्शाकर कुल रू0 83500.00 अपहरण किया गया।

अतः उपरोक्त अपहरित धनराशि रू0 83500.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री बृजेश सिंह सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार मय ब्याज सहित वसुल किया जाना चाहिए।

(50)

ग्राम पंचायत-सतमेसरा विकासखण्ड-डोभी जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-85

आलोच्य वर्ष में 2015-16 ह्यूम पाईप खरीद पर रू0 61125.00 कोषवही में दर्शित है। उक्त के सम्बन्धित निम्न गम्भीर आपत्तियां हैं।

1. ह्यूम पाईप का कोटेशन/टेण्डर तथा क्रय बाउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं रहा जिससे व्यय के विवरण का ज्ञान नहीं हो सका यह व्यय काल्पनिक है।
2. कार्यवाही पुस्तिका एवं पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे सामग्रियों को क्रय हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं उस पर हुए खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत से होने की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है।
3. डेडस्टॉक/उपयोग पंजी तैयार न करके उपरोक्त सामग्रियों के स्टॉक लेखा एवं वितरण अंकित नहीं किया गया है। अतः कार्य फर्जी है।
4. सेक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है, अतः उपरोक्त व्यय कुल रू0 61125.00 कोषवही में फर्जी दर्शाकर अपहरण श्रेणी में आता है। उपरोक्त धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति श्री आनन्द श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री भूपेन्द्र यादव ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसुल किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-86

आलोच्य वर्ष 2015-16 के कोषवही में खडण्जा मरम्मत (पिच रोड़ से दूर हटा सरहद तक) कुल रू0 71880.00 व्यय दर्शाया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

1. कार्यवाही पुस्तिका एवं पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कोषवाही में दर्शित कार्यों का प्रस्ताव एवं उस पर हुए खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत से होने की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय काल्पनिक है।

2. सामाग्रियों का क्रय आदेश एवं बिल बाउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामाग्रियों के क्रय की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय काल्पनिक है।
3. ग्राम पंचायत का स्टॉक बुक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ईट, आदि क्रय सामाग्रियों की पुष्टि नहीं होता।

अतः कोषवही में दर्शित व्यय काल्पनिक है। सेक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है, जिससे उपरोक्त काल्पनिक व्यय कोषवही में दर्शाकर कुल ₹0 71880.00 अपहरण किया गया। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(51)

ग्राम पंचायत—करीमपुर बिन्दविकासखण्ड—सुइथाकला जनपद—जौनपुरवर्ष—2015—16

प्रस्तर—87

निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय :—

दिनांक	विवरण	धनराशि
07.04.2015	3 अदद् हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	₹0 8890.00
08.05.2015	2 अदद् हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	₹0 4600.00
01.06.2015	2 अदद् हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	₹0 5000.00
22.08.2015	4 अदद् हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	₹0 9700.00
15.09.2015	3 अदद् हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	₹0 6550.00

योग :—₹0 34,740.00

उक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी :—

- (1) मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत में कहाँ स्थित हैं, विवरण अनुपलब्ध रहा।
- (2) तकनीकी अधिकारी/डी0पी0आर0ओ0 का अनुमोदन/स्वीकृति अनुपलब्ध रही।
- (3) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्वीकृति अनुपलब्ध रही।
- (4) भुगतान चेक द्वारा किया जाना था, किन्तु नगद किया गया है।
- (5) व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

अतः ₹0 34,740.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री दीपक कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—3 पर अंकित है)

प्रस्तर—88

निम्न तिथियों में ह्यूम पाईप क्रय हेतु भुगतान दर्शित है :—

दिनांक	विवरण	धनराशि
18.04.2015	जल निकासी हेतु क्रय ह्यूम पाईप का भुगतान	₹0 47,500.00
08.05.2015	जल निकासी हेतु क्रय ह्यूम पाईप का भुगतान	<u>₹0 27000.00</u>

योग—₹0 74,500.00

उक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है :—

- (1) क्रय ह्यूम पाईप कहाँ स्थापित है, लगवाये गये विवरण अनुपलब्ध रहा।
- (2) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।
- (3) भुगतान चेक द्वारा किया जाना था। किन्तु नगद किया गया।
- (4) क्रय की पुष्टि स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।
- (5) व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

अतः ₹0 74,500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0— 04 पर अंकित है)

(52)

ग्राम पंचायत-नगहटी विकासखण्ड-खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-89

निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है -

प्र0सं0/दिनांक	धनराशि	विवरण
9/16.07.2015	15500	सामग्री क्रय
10/22.07.2015	3432	मजदूरी
12/01.09.2015	24760	सामग्री क्रय
13/07.09.2015	4398	मजदूरी

योग :-रु0 48,090.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियों हैं :-

1. मरम्मत कराए गए हैण्ड पम्प का नाम/स्थान व संख्या अंकित नहीं है।
2. हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कम्प्लेन्ट रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है।
3. मरम्मत के लिए कार्य आदेश नहीं हैं।
4. मरम्मत सामग्री के निर्गत करने एवं बदले गए पार्ट्स वापसी का विवरण नहीं है।
5. जल प्रबन्धन समिति द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत के हेतु अनुशंसा नहीं की गई है।

स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 48,090.00 का अपहरण श्रीमती सुमित्रा, ग्राम प्रधान तथा श्री रामसूरत यादव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया। रु0 48,090. की सहित ब्याज वसूली श्रीमती सुमित्रा तथा श्री रामसूरत यादव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-90

प्र0सं0 11 दिनांक 06.08.2015 से दर 3000 ईट रु0 19,500.00, प्र0सं0 14 दिनांक 8.09.2015 से 2000 ईट रु0 13,000.00 का खडन्जा मरम्मत हेतु क्रय किया गया। प्र0सं0 15 दिनांक 11.09.2015 से रु0 5,957.00 खडन्जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान दर्शाया गया। मरम्मत कराए गए खडन्जा का नाम/स्थान कैश बुक पर अंकित नहीं हैं। मस्टररोल पर भी कोई विवरण अंकित नहीं हैं। नाम/स्थान अंकित नहीं होने से स्पष्ट है कि खडन्जा मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 38,457 का अपहरण श्रीमती सुमित्रा, ग्राम प्रधान तथा श्री रामसूरत यादव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया। रु0 38,457.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-91

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार रु0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय किया गया है:-

प्र0सं0/ दिनांक	सामग्री क्रय का उद्देश्य	विवरण	धनराशि	भुगतान प्रक्रिया
1/28.04.2015	स्पष्ट नहीं	ह्यूम पाईप 20 नग	30000	बियरर चेक
2/15.05.2015	खडन्जा निर्माण	ईट 10000 दर 6.5	65000	नगद
3/18.05.2015	खडन्जा निर्माण	4000 ईट दर 6.5	26000	नगद
7/11.07.2015	खडन्जा निर्माण	6000 ईट दर 6.5	39000	नगद

योग -रु0 1,60,000.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियों हैं :-

- (1) शानादेश संख्या-ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000.00 से अधिक का क्रय कोटेशन लेकर तथा रु0 100000.00 से अधिक का क्रय निविदा लेकर किया जाना

था, लेकिन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निविदा/ कोटेशन नहीं लेकर मनमाने फर्म से क़य कर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया ।

- (2) शासनादेश संख्या क0नि0-2-1315/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश- (101)-2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के अनुसार भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से कटौती कर कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना था । कर की कटौती नहीं कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया ।
- (3) भुगतान बियरर चेक से अथवा नकद किया गया है। जबकि आपूर्तिकर्ता के खाते में एकाउन्ट पेयी चेक से/एन0ई0एफ0टी0से किया जाना क़य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है।
- (4) स्टॉक रजिस्टर तैयार कर सामग्री को स्टॉक में दर्ज नहीं किया गया है।
- (5) क़य आदेश तथा सामग्री के उपयोग का लेखा तैयार कर नहीं रखा गया है किस कार्य पर कितना सामग्री उपयोग हुआ, अस्पष्ट रहा। भुगतान की प्रप्ति रसीद नहीं लिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसूरत यादव द्वारा शासनादेशका उल्लंघन कर, क़य प्रक्रिया का पालन नहीं कर रु0 1,60,000.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(53)

ग्राम पंचायत-खम्हौरा विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-92

आपत्ति निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर धनराशि व्यय किया गया है।

दिनांक	बा0न0	धनराशि	विवरण
20.06.2012	01	5700.00	हैण्ड पम्प का सामग्री क़य किया गया।
25.06.2012	02	1300.00	हैण्ड पम्प की मजदूरी पर व्यय।
31.08.2013	03	20000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क़य मजदूरी सहित भुगतान
14.03.2014	04	19000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत (राज्य) सामग्री क़य एवं मजदूरी भुगतान

योग- 46000.00

उपरोक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं-

- (1) भुगतान सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षामें अप्रयुक्त रहा।
 - (2) भुगतान नकद किया जाना दर्शित हैं जबकि भुगतान खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए था
 - (3) किस-किस पहचान संख्या वाला अथवा किन-किन स्थानों पर लगे हैण्ड पम्प का मरम्मत कराया गया, अंकित नहीं है।
 - (4) हैण्डपम्प मरम्मत के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र भी अप्राप्त रहा है। तथा इससे सम्बन्धित कोई रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है।
 - (5) हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त के उपरान्त लाभार्थी अथवा उपभोक्ताओं से ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। जिससे कि पुष्ट हो सके कि हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है।
 - (6) हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त निकले हुए रद्दी सामान का न तो डेड स्टॉक बनाया गया है और न ही सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रद्दी सामान का बिक्री कर धनराशि को खातें में जमा ही किया गया है।
- अतः उपरोक्त आपत्तियों के दुष्टिगत स्पष्ट है कि रुपया 46000.00 का हैण्डपम्पमें काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु046000.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअवध राम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93

दिनांक 30.06.2012 को रुपया 8000.00 का भुगतान सी0ए0 पर किया जाना कैशबुक में दर्शित है।

- (1) भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है।
- (2) भुगतान नकद किया जाना दर्शित है। जबकि चेक द्वारा खातें में किया जाना चाहिये था।
- (3) सी0ए0 द्वारा तैयार की गई पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
- (4) सी0ए0 को भुगतान किस वर्ष का अभिलेख तैयार करने के लिए किया गया, यह भी अंकित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त भुगतान काल्पनिक है। काल्पनिक भुगतान दर्शित कर रूपया 8000.00 का अपहरण किया गया है, अपहरति धनराशि रूपया 8000.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालिन प्रधान श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं तत्कालिन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(54)

ग्राम पंचायत-जंगीपुरखुर्द विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015

प्रस्तर-94

दिनांक 15.05.2015 को रूपया 30000.00 का आहरण श्रीमती चमेला देवी (प्रधान) के नाम हुआ है। तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअवध राम द्वारा अपने उत्तरवर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम राम को उक्त आहरण के सापेक्ष कोई अभिलेख (श्री राधेश्याम द्वारा लिखित पत्र की छायाप्रति संलग्न है) श्री रामअवध राम द्वारा अभिलेख तैयार न करके रूपया 30000.00 का अपहरण किया गया तथा इसमें तत्कालीन प्रधान श्रीमती चमेला देवी की भी भूमिका बराबर की है।

अतः अपहरित धनराशि रूपया 30000.00 (तीस हजार मात्र) की वसूली तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी श्री रामअवध राम एवं तत्कालीन प्रधान चमेला देवी से ता-तारीखमय दण्डनीय सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

निम्न विवरणानुसार आहरित (स्थानान्तरित) धनराशि पर आपत्ति है।

उपरोक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं-

दिनांक	बा0न0	धनराशि	विवरण
01.09.2015	अंकित नहीं	98766.00	पी0के0एस0 ईट उद्योग से ईट क्रय का भुगतान।
01.09.2015	अंकित नहीं	98766.00	पी0के0एस0 ईट उद्योग से ईट क्रय का भुगतान।
01.09.2015	अंकित नहीं	98766.00	पी0के0एस0 ईट उद्योग से ईट क्रय का भुगतान।

योग-रु0 296298.00

उपरोक्त चेक द्वारा भुगतान पर निम्नवत आपत्तियां हैं-

(1) बैंक स्टेटमेंट से तो पी0के0एस0 ईट उद्योग को धनराशिके (स्थानान्तरित) की पुष्टि तो होती है, किन्तु अन्य कोई प्रमाणक यथा-बिल आदि अप्राप्त रहा।

(2) क्रय दर्शित ईट का उपयोग कहां किया गया अंकित नहीं है।

(3) ईट के उपयोग में मजदूरी भुगतान सम्बन्धित मस्टरोल आवश्यक है, किन्तु उक्त ईट क्रय के सापेक्ष तक कोई मजदूरी भुगतान कैशबुक में दर्शित नहीं हैं और नही ऐसा कोई मस्टरोल ही प्राप्त हुआ।

(4) क्रय ईट का पहले स्टॉक रजिस्टर में अंकन किया जाना चाहिए, किन्तु या तो स्टॉक रजिस्टर बनाया ही नहीं गया अथवा लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

ऐसी दशा में न तो ईट के उपयोग की पुष्टि होती है और न ही स्टॉक की पुष्टि होती है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि पी0के0एस0 ईट उद्योग से दुरभि संधि करके रु0 296298.00 का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु0 296298.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती चमेला देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम राम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(55)

ग्राम पंचायत-राजापुर विकासखण्ड-बरसठी जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-95

ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के कैशबुक वर्ष 2015-16 में व्यय दर्शित धनराशि का विवरण निम्न है-

प्रा0सं0 / दिनांक	धनराशि	विवरण
01 / 18.04.2015	64000.00	ईट प्रथम श्रेणी 1000 नग दर 6.40 मिश्रा बस्ती से संजय सिंह के घर तक खडन्जा कार्य।
02 / 06.05.2015	56984.00	ईट प्रथम श्रेणी 8906 नग 6.40 मिश्रा बस्ती खडन्जा से संजय सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु।

04 / 08.06.2015	13562.00	ईट प्रथम श्रेणी 2119 नग 6.40 मिश्रा बस्ती से संजय सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु।
05 / 08.06.2015	27000.00	उपरोक्त खडन्जा निर्माण की मजदूरी
06 / 08.06.2015	42770.00	ईट प्रथम श्रेणी 5600 नग , 6.40, 7 नग सोख्ता हेतु एवं 03 मी0 ईट मिटटी, 1100
07 / 16.06.2015	20412.00	28 बोरी सीमेन्ट दर 3406.3 मी0 बालू दर 840 , 28 नग पटिया दर 200
08 / 18.06.15 / 24.06.15	7000.00	उपरोक्त सोख्ता निर्माण मजदूरी
योग	231728.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक , स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि0 निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियां आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, फलतः परियोजनाओं की स्वीकृति (तकनीकी एवं वित्तीय) अनुमानित लागत, वास्तविक व्यय कार्यपूति मापपुस्तिका आदि की स्थिति का ज्ञात न हो सका। समुचित प्रमाण के अभाव में बैंक से धन आहरित कर व फर्जी व्यय दिखाकर धनराशि का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञानचंद से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(56)

ग्राम पंचायत-रसुलहां विकासखण्ड-बरसठी जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-96

ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम राज्यवित्त एवं तेरहवां वित्त के कैशबुक वर्ष 2015-16 में व्यय दर्शित धनराशि का विवरण निम्नवत रहा-			
दिनांक	प्रमाणक संख्या	विवरण	धनराशि
18.04.2015 / 25.04. 2015	01	खडन्जा उखड़वाई पर व्यय (पारस पटेल के घर से लालमणि मास्टर के मशीन तक)	10000.00
18.04.2015	02	खडन्जा मरम्मत ईट 6400 नग(पारस पटेल के घर से लालमणि मास्टर के मशीन तक)	41600.00
27.05.2015	03	खडन्जा मरम्मत ईट(पारस पटेल के घर से लालमणि मास्टर के मशीन तक)	29900.00
04.06.2015	04	खडन्जा मरम्मत ईट(पारस पटेल के घर से लालमणि मास्टर के मशीन तक)	26702.00
04.06.2015 / 10.06. 2015	05	उपरोक्त खडन्जा मरम्मत मजदूरी	27300.00
07.07.2015 / 13.07. 2015	07	खडन्जा उखड़वाई मजदूरी (प्रा0पा0 डाढ़ा से तालाब तक)	14000.00
25.07.2015	08	खडन्जा मरम्मत ईट (प्रा0पा0 डाढ़ा से तालाब तक) 4494 नग	29211.00

10.08.2015	10	खडन्जा मरम्मत ईट (प्रा0पा0 डाढ़ा से तालाब तक) 2182 नग	14183.00
08.09.2015	11	खडन्जा मरम्मत ईट (प्रा0पा0 डाढ़ा से तालाब तक) 4494 नग	5687.00
08.09.2015	12	उपरोक्त खडन्जा मजदूरी	22750.00
25.01.2016	13	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत (सामग्री व मजदूरी)	26567.00
		योग—	247900.00

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक , स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि० निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियां आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, फलतः परियोजनाओं की स्वीकृति (तकनीकी एवं वित्तीय) अनुमानित लागत, वास्तविक व्यय कार्यपूर्ति मापपुस्तिका आदि की स्थिति का ज्ञात न हो सका। समुचित प्रमाण के अभाव में बैंक से धन आहरित कर व फर्जी व्यय दिखाकर धनराशि का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री लल्लन सिंह/श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञानचंद एवं श्री लाल जी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(57)

ग्राम पंचायत-भन्नौर विकासखण्ड-बरसठी जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-97

ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम राज्यवित्त एवं तेरवांति के कैशबुक वर्ष 2015-16 में व्यय दर्शित धनराशि का विवरण निम्नवत रहा—			
दिनांक	प्रमाणक संख्या	विवरण	धनराशि
04.04.2015	01	ईट प्रथम श्रेणी 12000 नग दर 6.50 खडन्जा निर्माण हेतु।	78000.00
04.04.2015	02	ईट प्रथम श्रेणी 5077 नग दर 6.50 खडन्जा निर्माण हेतु।	33000.00
06.04.2015	03	खडन्जा निर्माण (डिहवां मार्ग से राकेश पाण्डेय के घर तक)	11914.00
06.04.2015	04	ईट प्रथम श्रेणी 4020 नग दर 6.50 खडन्जा मरम्मत हेतु।	26130.00
22.04.2015	05	खडन्जा मरम्मत (पक्की सड़क से ठाकुर बस्ती)	37674.00
22.04.2015	06	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	15000.00
01.05.2015	07	ईट प्रथम श्रेणी 8000 नग दर 6.50 खडन्जा मरम्मत हेतु।	52000.00
05.05.2015	08	ईट प्रथम श्रेणी 7000 नग दर 6.50 खडन्जा मरम्मत हेतु।	45500.00
27.05.2015	09	खडन्जा मरम्मत (खडन्जा से ब्राम्हण बस्ती तक)	27370.00
03.06.2015	10	खडन्जा मरम्मत (खडन्जा से ब्राम्हण बस्ती तक)	14973.00
03.06.2015	11	ईट प्रथम श्रेणी 6092 नग दर 6.50	39600
03.06.2015	12	ईट प्रथम श्रेणी 10000 नग दर 6.50	65000
26.06.2015	13	ईट प्रथम श्रेणी 6000 नग दर 6.50	39000.00
		योग—	485161.00

दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक , स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि० निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियां आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, फलतः परियोजनाओं की स्वीकृति (तकनीकी एवं वित्तीय) अनुमानित लागत, वास्तविक व्यय कार्यपूर्ति मापपुस्तिका आदि की स्थिति का ज्ञात न हो सका। समुचित प्रमाण के अभाव में बैंक से धन आहरित कर व फर्जी व्यय दिखाकर धनराशि का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती इंद्रावती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रामप्यारे से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(58)

ग्राम पंचायत-भैंसनी विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-98

दिनांक 21.04.2015 को रूपया 11,856.00 एवं दिनांक 27.08.2015 को रूपया 9,000.00 का भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में दर्शाया गया है। इस भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

1. भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है।
2. भुगतान नकद किया जाना दर्शित है, जबकि भुगतान खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए था।
3. किस-किस पहचान संख्या बाला अथवा किन-किन स्थानों पर लगे हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया, अंकित नहीं है।
4. हैण्डपम्प मरम्मत के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र भी अप्राप्त रहा है। तथा इससे सम्बन्धित कोई रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है।
5. हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त के उपरान्त लाभार्थी अथवा उपभोक्ताओं से ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। जिससे कि पुष्ट हो सके कि हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है।
6. हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त निकले हुए रद्दी सामान का न तो डेड स्टॉक बनाया गया है और न ही सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रद्दी सामान का बिक्री कर धनराशि को खातों में जमा ही किया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत स्पष्ट हो जाता कि कुल रूपया 20,856.00 का हैण्डपम्प मरम्मत में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि में से रूपया 11,856.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री लालचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रमाजीत से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है तथा शेष रूपया 9,000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री लालचन्द्र एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती मीनादेवी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99

निम्नविवरणनुसार कैश बुक में सोखपिट पर भुगतान दर्शाया गया है।

दिनांक	बाउचर नं०	धनराशि	विवरण
11.05.2015	अंकित नहीं	7440	सोखपिट हेतु ईट 1200 दर 6200 क्रय का भुगतान किया।
11.05.2015	अंकित नहीं	2470	ईट गिट्टी 1.90X1300
11.05.2015	अंकित नहीं	1700	उक्त पर सीमेन्ट 5 बोरी X340
11.05.2015	अंकित नहीं	1596	सफेद बालू 1.90 X840
11.05.2015	अंकित नहीं	1000	मेरंग .80 X1250

योग-14,206.00

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं

1. क्रय एवं भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
2. भुगतान नकद किया जाना दर्शित है।
3. किन स्थानों पर सोखपिट का निर्माण कराया गया कैशबुक में अंकित नहीं है।
4. दर्शित क्रय मैटेरियल के उपयोग के सापेक्ष मजदूरी भुगतान भी नहीं हुआ है।
5. क्रय सामाग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी सुलभ नहीं रहा है।
6. कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
7. सोखपिट से सम्बन्धित क्रय सामाग्री की पुष्टि हेतु अन्य कोई प्रपत्र भी सुलभ नहीं रहा है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के अधीन यह स्पष्ट हो जाता है कि रु० 14,206.00 का काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु० 14,206.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री लालचन्द्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रमाजीत से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(59)

ग्राम पंचायत-मल्हनी विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-100

दिनांक 10.04.2015 को रुपया 12,400.00 का भुगतान मल्हनी में खडन्जा हेतु ईट (2000X6.2) मद में किया जाना कैशबुक में दर्शित है। इस भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

1. ईट क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है।
2. भुगतान नकद किया जाना दर्शित है, जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्म के खाते में भुगतान किया जाना चाहिए था।
3. ईट क्रय के सापेक्ष मजदूरी भुगतान (31.03.2016 तक) भी नहीं किया गया है।
4. किस खडन्जा हेतु ईट क्रय किया गया, स्थान अथवा नाम तक अंकित नहीं किया गया है।
5. स्टॉक रजिस्टर भी अप्राप्त रहा।
6. ईट क्रय एवं उपयोग की पुष्टि में अन्य और भी कोई प्रपत्र सुलभ नहीं रहा है।
7. उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत यह स्पष्ट हो जाता है कि रुपया 12,400.00 का काल्पनिक ईट क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रुपया 12,400.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी से तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रमाजीत से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-101

माह अप्रैल 2015 के कैशबुक के आय के योग को रुपया 10,000.00 (दस हजार) से कम करके एवं माह अप्रैल के ही व्यय के योग को रुपया 2400.00 (दो हजार चार सौ) से बढ़ाकर कुल रुपया 12,400.00 (बारह हजार चार सौ) का अपहरण किया गया है। इसको इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

आय का योग

लेखा परीक्षा अनुसार -1,95,251.00

कैशबुक अनुसार - 1,85,251.00

अन्तर-10,000.00

व्यय का योग

लेखा परीक्षानुसार-1,82,851.00

कैशबुक अनुसार -1,85,251.00

अन्तर-2,400.00

अतः कुल अपहरित धनराशि रुपया 12400.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी से तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रमाजीत से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(60)

ग्राम पंचायत-देवीहिम्मतपुर विकासखण्ड-मुँगराबादशाहपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-102

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही में निम्न विवरणानुसार ईट क्रय पर व्यय दर्शित है-			
दिनांक	ईट क्रय	दर	रुपया
11.06.2012	4000	3600	14400
16.06.2012	4000	3600	14400
27.06.2012	2000	3600	7200
08.08.2012	8000	4000	32000
21.02.2012	2000	4000	8000
27.09.2012	4000	4000	16000
31.10.2012	4000	4000	16000
		योग-	108000.00

जिसके सन्दर्भ में निम्नांकित आपत्ति है:-

कय की गयी ईंटों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्ताव कार्यवाह परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में स्टाक रजि० प्रस्तुत न किये जाने से उक्त कय की गयी ईंटों का स्टाक में होना प्रमाणित नहीं होता है।

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त दिनांक में आहरित की गयी धनराशि को कोषवही में काल्पनिक खडन्जा मरम्मत दर्शाकर भुगतान किया गया। उक्त धन 108000 का अपहरण किया गया।

अतः कोषवही में उपरोक्त दिनांक में दर्शित ईंट कय पर व्यय रूपया-108000.00 उक्त आपत्तियां/प्रमाणकों के अभाव में पूर्णतया काल्पनिक है, जिसकी धनराशि की वसूली तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्ति श्री अवधेश यादव ग्राम प्रधान व सचिव श्री हरिवेश बहादुर सिंह ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103

खडन्जा निर्माण में लगे ट्रैक्टर द्वारा डाली गयी मिट्टों पर व्यय निम्नवत है-

दिनांक	ट्राली	दर	रूपया
26.07.2012	38	270	10260
21.08.2012	40	270	10800
02.10.2012	36	270	9720
योग-			30780

उक्त कार्य से सम्बन्धित कोषवही में मिट्टी व्यय पर कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः बिना व्यय प्रमाणक के कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त दिनांक में कोषवही में मिट्टी पर व्यय उक्त आपत्तियां/प्रमाणकों के अभाव में पूर्णतया काल्पनिक है। जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्ति श्री अवधेश यादव ग्राम प्रधान व श्री हरिवंश बहादुर ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है:-

प्रस्तर-104

खडन्जा निर्माण में लगे मजदूरों पर मजदूरी व्यय निम्नवत है:-

दिनांक	मजदूर	दिन	दर	धनराशि रूपया
26.07.2012	9	15	120	16200
28.08.2012	9	15	120	16200
22.10.2012	9	15	120	16200
योग-				48600

उक्त कार्य से सम्बन्धित कोषवही में दर्शित मजदूरी व्यय का कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बिना व्यय प्रमाणक के दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उपरोक्त कार्य पर मजदूरी के रूप में व्यय किये गये रूपया-48600.00 को पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उपरोक्त दिनांक में कोषवही में मजदूरी पर व्यय उक्त आपत्तियां/प्रमाणकों के अभाव में पूर्णतया काल्पनिक है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्ति श्री अवधेश यादव ग्राम प्रधान व श्री हरिवंश बहादुर सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(61)

ग्राम पंचायत-गोरियापुर विकासखण्ड-बक्शा जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-105

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न दिनांकों में हैण्डपम्प मरम्मत कुल धनराशि रु 12,125.00 व्यय खारिज रहा। जिसका विवरण निम्नवत् हैं।

दिनांक	धनराशि
1. 23.05.2015 को	रु० 2,446.00
2. 29.04.2015 को	रु० 9,679.00
योग-रु० 12,125.00	

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना किसी फर्म के सादा छपा (कैश मेमों/स्टीमेट) पर धनराशि लिखकर बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया, जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया, साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, खराबी की तकनीकी रिपोर्ट, स्टीमेट, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, डेडस्टाक रजिस्टर, खाता रजिस्टर आदि पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत के सापेक्ष फर्जी बिल प्रस्तुत कर उक्त धनराशि को कोषवही में दर्शाकर उक्त धन का अपहरण किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि समस्त हैण्डपम्प मरम्मत के फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुमताज अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री अमरनाथ यादव, ग्राम प्रधान द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि 12,125.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-5)

प्रस्तर-106

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 के कोषवही के अनुसार कल्पनाथ शर्मा के घर से विनोद कुमार विश्वकर्मा के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 11.04.2015 को ईट कय के मद में 39,900.00 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन न0 के (कैश मेमों/स्टीमेट) के रूप में मानक के अनुसार नहीं पाया गया। ईट कय की पुष्टि हेतु स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा। कोषवही में दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट/एम0बी0 व पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कोषवही में उपर्युक्त दिनांक में दर्शित ईट कय पर व्यय रू0 39,900.00 उक्त आपत्तियों के अभाव में पूर्णतया फर्जी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुमताज अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री अमरनाथ यादव ग्राम प्रधान से व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-6)

प्रस्तर-107

उपरोक्त खडन्जा निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी पर व्यय रू0 14,007.00 दिनांक 29.04.2015 को कोषवही में दर्शित है, जिसके संबंध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं। उक्त कार्य से सम्बन्धित कोषवही में दर्शित मजदूरी व्यय का कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बिना व्यय प्रमाणक के कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती। लेखा परीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उपरोक्त मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकती।

अतः उपरोक्त दिनांक में कोषवही में मजदूरी पर व्यय रू0 14,007.00 उक्त आपत्तियों/प्रमाणकों के अभाव में पूर्णतया फर्जी है, जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुमताज अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री अमरनाथ यादव ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-7)

(62)

ग्राम पंचायत-शेखपुरा विकास खण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-108

आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण, प्रकाश में आया जिसका निराकरण अपेक्षित है-

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर सामग्री कय कुल रू0 384775.00 का किया गया है। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 7640.00 आयकर तथा 4.00 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रू0 13642.00 की कटौती नहीं की गयी है। अतः निर्धारित दर से कर की कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा करया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रू0 15732.00 दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय प्रमाणक, तकनीकी अधिकारी का स्टीमेट, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा कसी। अतः उत्तरदायी व्यक्ति

श्रीमती इमिरता देवीप्रधान एवं श्री ग्राम पंचायत अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110

दिनांक 31.03.2016 को ग्राम निधि खाता प्रथम में नकद शेख रु० 3128.00 तथा पासबुक में अवशेष रु० 381647.00 योग रु० 384775.00 विभिन्न योजनाओं की धनराशि अवशेष/अप्रयुक्त रही। जिसका न तो समय से उपयोग ही किया गया और न ही संबन्धित विभाग को वापस ही किया गया। अतः उक्त धनराशि का समय से उपयोग न किये जाने से इसका लाभ जन सामान्य को नहीं मिल सका।

अतः उपयोग न होने की दशा में उक्त धनराशि रु० 384775.00 को वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-111

कैशबुक के अनुसार वर्ष 2015-16 में पंचायत कर की वसूली/आमदनी शून्य है। किन्तु बिना पंचायत कर की वसूली किये वा०सं० 18 दिनांक 27.08.215 द्वारा रु० 950.00 पंचायत कर का भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इमिरता देवी प्रधान एवं श्री चन्द्रशेखर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(63)

ग्राम पंचायत-बासापुर विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-112

ग्राम पंचायत बासापुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिसका निराकरण अपेक्षित है -

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रु० 27624.00 दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय प्रमाणक, तकनीकी अधिकारी का स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजि० आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री रामकृष्ण यादव, ग्रा०पं० अधि० एवं श्रीमती रीनू देवी ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-113

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर सामग्री क्रय कुल रु० 93177.00 का किया गया है। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 2087.00 आयकर तथा 4.00 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु० 3727.00 की काटौती नहीं की गयी है। अतः निर्धारित दर से कर की काटौती कर राजकीय कोषगार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-114

दिनांक 13.03.2015 को ग्राम निधि खाता प्रथम रु० 189926.00 विभिन्न योजनाओं की धनराशि अवशेष/अप्रयुक्त रही। जिसका न तो समय से उपयोग ही किया गया और न ही संबन्धित विभाग को वापस ही किया गया। अतः उक्त धनराशि का समय से उपयोग न किये जाने से इसका लाभ जन सामान्य को नहीं मिल सका। अतः उपयोग न होने की दशा में उक्त धनराशि रु० 189926.00 को वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(64)

ग्राम पंचायत-भरहुपुर विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-115

ग्राम पंचायत भरहुपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिसका निराकरण अपेक्षित है -

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर सामग्री क्रय कुल रु० 144484.00 का किया गया है। जिसपर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 3236.00 आयकर तथा 4.00 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु० 5780.00 की कटौती नहीं की गयी है। अतः निर्धारित दर से कर की काटौती कर राजकीय कोषगार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-116

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रू0 25572.00 दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय प्रमाणक, तकनीकी अधिकारी का स्टीमेट कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजि0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री रविशंकर प्रधान एवं श्री रामकृष्ण यादव ग्रा0पं0अधि0 से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-117

दिनांक 31.03.2016 को ग्राम निधि खाता प्रथम रू0 218913.00 विभिन्न योजनाओं की धनराशि अवशेष/अप्रयुक्त रही। जिसका न तो समय से उपयोग ही किया गया और न ही संबन्धित विभाग को वापस ही किया गया। अतः उक्त धनराशि का समय से उपयोग न किये जाने से इसका लाभ जन सामान्य को नहीं मिल सका। अतः उपयोग न होने की दशा में उक्त धनराशि रू0 218913.00 को वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(65)

ग्राम पंचायत-जमालिया विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16**प्रस्तर-118**

कैशबुक के अनुसार वर्ष 2015-16 में पंचायत कर की वसूली/आमदनी शून्य हैं। किन्तु बिना पंचायत कर की वसूली का बा0सं0-21 दिनांक 09.09.2015 द्वारा रू0 950.00 पंचायत कर का भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश पटेल प्रधान एवं श्री इन्द्रजीत पाल ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रू0 52406.00 दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय प्रमाणक, तकनीकी अधिकारी का स्टीमेट कार्यपुर्ती प्रमाणपत्र, स्टाक रजि0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजेश पटेल प्रधान एवं श्री इन्द्रजीत पाल ग्रा0वि0अधि0 से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-120

वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर सामग्री क्रय कुल रू0 335186.00 का किया गया है। जिसपर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 7508.00 आयकार तथा 4.00 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रू0 13407.00 की काटौती नहीं की गयी है। अतः निर्धारित दर से कर की कटौती कर राजकीय कोषगार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-121

दिनांक 31.03.2016 को ग्राम निधि खाता प्रथम रू0 376935.00 विभिन्न योजनाओं की धनराशि अवशेष/अप्रयुक्त रही। जिसका न तो समय से उपयोग ही किया गया और न ही संबन्धित विभाग को वापस ही किया गया। अतः उक्त धनराशि का समय से उपयोग न किये जाने से इसका लाभ जन सामान्य को नहीं मिल सका। अतः उपयोग न होने की दशा में उक्त धनराशि रू0 376935.00 को वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(66)

ग्राम पंचायत-बढ़ौना विकासखण्ड-सिकरारा जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16**प्रस्तर-122**

आलोच्य वर्ष 2015-16 में कोषबही के अनुसार दिनांक 06.06.2015 को ह्यूम पाईप क्रय रू0 24250.00 तथा दिनांक 26.08.2015 को सोलर लाईट रू0 23500.00 का भुगतान दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में भुगतान प्रमाणक, भुगतान प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त क्रय का काल्पनिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुबेदार यादव व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रीठी विकासखण्ड-सिकरारा जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-123

आलोच्य वर्ष 2015-16 में कोषबही के अनुसार माह अप्रैल 2015 के आय का योग रु0 642200.00 दर्शाकर रु0 565062.00 व्यय किया जाना तथा रु0 77138.00 मासान्त रोकड शेष प्रधान के पास दर्शाया गया है, माह मई 2015 में आय का योग रु0 104138.00 होता है, जिसमें से रु0 103975.00 व्यय दर्शाकर शेष रु0 163.00 प्रधान के पास नगद दर्शाया गया है। माह अप्रैल 2015 में कुल आहरित धनराशि रु0 527000.00 तथा मई 2015 में आहरित रु0 27000.00 कुल योग रु0 554000.00 के सापेक्ष रु0 669037.00 व्यय दर्शाया गया है, इस प्रकार आय से अधिक व्यय दर्शाये जाने से स्पष्ट है कि व्यय वास्तविक नहीं है, आय में दर्शित धनराशि का समायोजन व्यय में दर्शाकर किया गया। समस्त व्यय अवास्तविक है, कुल आहरित धनराशि रु0 554000.00 में मासान्त रोकड शेष रु0 163.00 छोड़कर रु0 553837.00 धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन पुर्व ग्राम प्रधान श्री भानुप्रताप यादव व श्री राम सदन यादव ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(67)

ग्राम पंचायत-सीठापुर विकासखण्ड-सिकरारा जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-124

आलोच्य वर्ष में कोषबही के अनुसार दिनांक 11.04.2015 को हैण्डपम्प मरम्मत रु0 9360.00 दिनांक 24.06.2015 को 6 हैण्डपम्प मरम्मत रु0 11520.00, दिनांक 09.08.2015 को 4 हैण्डपम्प मरम्मत रु0 6300.00 तथा दिनांक 18.10.2015 को 4 हैण्डपम्प मरम्मत रु0 8250.00 कुल रु0 35430.00 का भुगतान दर्शाया गया, किन्तु पुष्टि में भुगतान प्रमाणक, कार्यस्थल का नाम या जिसके दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हुआ, प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त कुल हैण्डपम्प मरम्मत रु0 35430.00 काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजबली व श्री महेन्द्र प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है

(68)

ग्राम पंचायत-गद्दीपुर विकासखण्ड-मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-125

ग्राम पंचायत गद्दीपुर में निधि-1, खाता संख्या-15157 से दिनांक 10.04.2015 को रु0 17712.00 तथा रु0 6864.00 आहरण करके कोषबही में श्यामलाल मौर्य के घर से धर्मराज के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु क्रमशः ईट कय तथा मजदूरी व्यय अंकित किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त ईट कय से सम्बन्धित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. उक्त खडन्जा मरम्मत से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या एवं तिथि का उल्लेख कोषबही में नहीं किया गया है।
3. लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा।
4. ईट कय से सम्बन्धित पुष्टिकारक व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा।
5. मजदूरी व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल, कार्यवाही रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में स्पष्ट है कि रु0 24576.00(17712.00 एवं 6864.00) को काल्पनिक रूप से कोषबही में व्यय दर्शित करके अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्रीमती सुदामा देवी और तत्कालीन ग्रा0वि0अधि0 श्री रामआसरे सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(69)

ग्राम पंचायत-विशुनपुर बसवत विकासखण्ड-धर्मापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-126

वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा में निम्न तिथियों में ईट कय किया गया, कोषबही पर नाली मरम्मत व खडन्जा मरम्मत हेतु और चबुतरा मरम्मत में खर्च दिखाया जा रहा है, जो की नाली कितने मीटर में ईट लगा

और खडन्जा मरम्मत में कितने मीटर में ईट खर्च हुआ और चबुतरे में कितना ईट खर्च हुआ और कितना शेष बचा, इन सबका हिसाब स्टाक रजि० में दर्ज न दिखाकर सीधा खर्च किया जा रहा है। जिसका कोई विवरण भी नहीं रखा गया, वर्ष में वर्क का कोटेशन, टेण्डर, प्रस्ताविक सूची, कार्यवाही रजि०, निर्धारण क्रय आदेश, खडन्जा मरम्मत से सम्बन्धित लम्बाई, चौड़ाई, एम०बी का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं रहा, और कार्यस्थल का विवरण उसका हस्तगत निर्माण सामग्री की आपूर्ति एवं वैध रमन्ना (एम०एम०-11) इस प्रकार निर्माण सामग्रियों का क्रय आपूर्ति ही संदिग्ध रही। ईट की धनराशि को कोषबही में भी अलग-अलग नहीं किया गया है, जो मनमाने तरीके से सभी कार्य एक ही में पाया गया। वर्ष में क्रय की गयी ईट की कुल धनराशि 88746.00 की आदेश प्रति की सूची, बिल बाउचर, कोष बही पर रसीद नम्बर न पाया जाना गम्भीर अनियमितता किया गया है। इसके जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम प्रधान व ग्रा०वि०अधि० से ब्याज सहित वसूल किया जाना नियमतः अपेक्षित है।

दिनांक	ईट क्रय प्रथम श्रेणी	दर	धनराशि	आडिट के अनुसार
01.05.2015	700-नग	6.5	—	4550.00
08.05.2015	1450-नग	6200	8990	—
22.05.2015	2600-नग	6200	16120	—
02.06.2015	1600-नग	6200	—	9920.00
04.08.2015	405-नग	6200	2511	—
08.09.2015	19025-नग	6200	11935	—
08.09.2015	1600-नग	6200	—	9920.00
09.09.2015	4000-नग	6200	—	24800.00
		योग—	39556	49190
			कुल धनराशि	88746

उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु वर्ष में कुल धनराशि—88746.00 का प्रथम श्रेणी ईट क्रय दर्शित है जिसके सापेक्ष रु० 18.00 प्रति हजार की दर से रु० 1597.00 रायल्टी की कटौती न करके राजस्व की क्षति की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य खनिज सम्पदा की आपूर्ति में न तो रमन्ना (एम०एम०-11) प्राप्त है, न तो रायल्टी काटी गयी है। रायल्टी जमा की पुष्टि में चालान की प्रति भी प्रस्तुत नहीं है, जमा अपेक्षित है।

प्रस्तर—127

वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा में निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत और सामग्री क्रय एवम मजदूरी सभी का व्यय कोषबही में दर्शित है, जिसके सापेक्ष में कितने हैण्डपम्प मरम्मत हुआ, और किसके दरवाजे पर मरम्मत कार्य हुआ, उसका नाम व विवरण कोषबही पर दर्ज नहीं पाया गया, कोषबही पर सामग्री क्रय दिखाया जा रहा है। जो कितने सामग्री का क्रय हुआ, यह अलग-अलग नहीं पाया गया व मजदूरी भी कितने मिस्त्री का हुआ, कितना रु० मिस्त्री में खर्च हुआ, यह अलग-अलग खर्च न दिखाकर एक ही में धनराशि दर्शित दिखाया जा रहा है। यह अपने मनमाने खर्च दिखाया जा रहा है। इसका स्टाक रजि० में दर्ज नहीं किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत में खर्च किया गया, जिसका स्टाक रजि० में दर्ज नहीं पाया गया, वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत और सामग्री क्रय व मजदूरी पर व्यय धनराशि 40755.00 विवरण सहित न दिखाकर गम्भीर अनियमितता किया गया है।

हैण्डपम्प मरम्मत सामान क्रय में दर्शित धनराशियों के सापेक्ष निकाले गये पुराने सामानों का स्टाक रजि०, क्रय बिल, बिल बाउचर, मस्टरोल, हैण्डपम्प की संख्या, खराब होने की रिपोर्ट, खराबी का विवरण, जल समिति का अनुमोदन, संस्तुति आदि के अभाव में मरम्मत कार्य आदि की पुष्टि नहीं करायी गयी, जो गम्भीर अनियमितता किया गया। जिसके जिम्मेदार व्यक्ति से ग्राम प्रधान व ग्रा०वि०अधि० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	हैण्डपम्प मरम्मत और सामग्री क्रय व मजदूरी पर व्यय धनराशि
24.04.2015	10850.00
22.05.2015	17960.00
02.06.2015	7645.00
24.06.2015	4300.00
योग—	40755.00

प्रस्तर—128

वर्ष के लेखा परीक्षा में दिनांक 20.04.2015 में प्रधान का मानदेय रु0 20000.00 कोषबही में दिखाया जा रहा है। प्रधान का मानदेय 2500X8 तीसरा राज्य वित्त से रु0 20000.00 खर्च दिखाया जा रहा है। जो कोषबही पर दर्शित है, जिसके सापेक्ष में प्रधान का मानदेय किस माह से किस माह तक दिया गया है, यह कोषबही में दर्ज नहीं पाया गया, और न बिल बाउचर प्रमाणित हेतु वेतन रजि0, प्रमाणित वेतन रजि0 पर प्रधान का हस्ताक्षर कराकर भी पुष्टि हेतु नहीं प्रस्तुत रहा। जो गम्भीर आपत्ति जनक और गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके जिम्मेदार व्यक्ति से ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0अधि0 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(70)

ग्राम पंचायत—अहमदपुर विकासखण्ड—सिरकोनी जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—129

ग्राम पंचायत अहमदपुर में निधि —1 खाता संख्या 5746 (यू0बी0आइ0) से दिनांक 18.04.2015 को रु0 7880.00, दिनांक 14.09.2015 को रु0 16000.00 कुल धनराशि रु0 23880.00 का आहरण करके कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत एवं सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है। उपरोक्त दोनों धनराशियों के दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी—

लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, स्टाक रजि0, प्रस्ताव व तिथि, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वित्तीय स्वीकृति, परिसम्पत्ति रजिस्टर, बाउचर, हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख , उपभोगकर्ता द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, मरम्मतकर्ता मिस्त्री को दिया पारिश्रमिक का उसके द्वारा लिखित प्रमाणक एवं कितने नग हैण्डपम्प की मरम्मत हुयी, की जानकारी अप्रस्तुत रहा।

इस प्रकार उक्त खर्चों की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि रु0 23880.00 का दर्शित व्यय काल्पनिक है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साहबलाल यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—130

ग्राम पंचायत अहमदपुर में निधि—1 खाता संख्या 5746 (यू0बी0आइ0) से दिनांक 19.05.2015 को रु0 24376.00 का आहरण करके कैशबुक में रीता के घर के पास पुलिया निर्माण पर व्यय अंकित किया गया है। उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां लेखा परीक्षा में पायी गयी—

लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति, प्रस्ताव व तिथि कार्यपूर्ति रजिस्टर, बाउचर, पुलिया निर्माण हेतु किसी सामग्री क्रय का विवरण, मस्टर रोल, एम0बी0 क्रय सामग्री पर आयकर एवं व्यापारकर की कटौती की रसीद अप्राप्त रहा। इससे प्रमाणित होता है कि रु0 24376.00 को काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साहबलाल यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से की जानी अपेक्षित है।

(71)

ग्राम पंचायत—सिरकोनी विकासखण्ड—सिरकोनी जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—131

ग्राम पंचायत सिरकोनी में निधि —1 खाता संख्या 8532 (यू0बी0आइ0) से दिनांक 22.04.2015 को रु0 4118.00, दिनांक 22.04.2015 को रु0 4260.00 और दिनांक 22.04.2015 को रु0 41125.00 कुल धनराशि रु0

49503.00 को कैशबुक में पिच रोड से योगेन्द्र यादव के घर तक खडन्जा निर्माण पर व्यय अंकित किया गया है। उपरोक्त तीनों धनराशियों के दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी।

लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, स्टाक रजि०, ईट कय से सम्बन्धित निविदा, कार्य प्रस्ताव रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेंट, वित्तीय स्वीकृति, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल, एम०बी०, बाउचर, आयकर एवं व्यापारकर सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र, ईट कय से सम्बन्धित दिये चेक की जानकारी अप्रस्तुत रहा।

इस प्रकार उक्त खर्चों की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि रु० 49503.00 का दर्शित व्यय काल्पनिक है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दयाराम यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-132

दिनांक 24.06.2015 को निधि-1 खाता संख्या-8532 (यू०बी०आई०) से रु० 20000.00 का आहरण करके कैशबुक पर स्टेशनरी पर खर्च अंकित किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव व कार्यवाही रजिस्टर जैसे अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः रु० 20000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दयाराम यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-133

दिनांक 24.07.2015 को निधि-1 खाता संख्या-8532(यू०बी०आई०) से रु० 20000.00 और रु० 40000.00 तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला के नाम से कुल धनराशि रु० 60000.00 से सम्बन्धित पूर्ण विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है।

अतः उक्त धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव व तिथि, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रमाणित होता है कि धनराशि रु० 60000.00 को काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दयाराम यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-134

दिनांक 13.01.2016 को रु० 6750.00 दिनांक 15.01.2016 को रु० 23250.00 को रु० 9750.00 और दिनांक 29.01.2016 को रु० 35250.00 का आहरण निधि-1 खाता संख्या 8532(यू०बी०आई०) से करके कुल धनराशि रु० 75000.00 को कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत एवं सामग्री कय पर व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित चारों व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी-

लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, स्टाक रजि०, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति, प्रस्ताव व तिथि, बाउचर, हैण्डपम्प मरम्मत कार्य स्थल का उल्लेख, उपभोगकर्ता द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, जिस मिस्त्री को पारिश्रमिक दिया गया, उसके द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, कय सामग्री पर आयकर एवं व्यापारकर की कटौती की रसीद, कितने नग हैण्डपम्प मरम्मत हुआ, से सम्बन्धित जानकारी अप्रस्तुत रहा।

अतः उपरोक्त दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि रु० 75000.00 को काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदयाराम यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला से की जानी अपेक्षित है।

(72)

ग्राम पंचायत-कान्हापुर विकासखण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-135

विकास खण्ड कार्यालय सुजानगंज पर लगातार लेखा परीक्षा कार्यक्रम देने तथा ग्रामपंचायत अधिकारी श्री रमेश चन्द्र, से बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवलग्राम निधि खाता संख्या यू०बी०आई० 432702010028306 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ग्राम पंचायत धारिकपुर की विभिन्न दिनांको में कुल धनराशि

रु0 11,23,600.00 आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक बार-बार आग्रह के बाद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कोषवही सहित कोई अन्य पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि आहरित धनराशि का व्यय उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत नहीं किया गया।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 5(क) के अनुसार समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती हैं।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वित्तीय वर्षों में आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला तथा ग्राम वि0/प0अधिकारी श्री रमेश चन्द्र से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	खाता संख्या-यू.बी.आई. 432702010028306 चेक नम्बर	आहरित धनराशि	आपत्ति का पूर्ण विवरण/ आहरित करने वाले का नाम हरित धनराशि
1	09.04.2014	21024533	45000	हरीपाल यादव
2	29.04.2014	21024534	30000	हरीपाल यादव
3	05.05.2014	21024535	30000	हरीपाल यादव
4	09.05.2014	21024536	35000	हरीपाल यादव
5	15.05.2014	21024537	30000	हरीपाल यादव
6	24.05.2014	21024538	40000	कैलाश नाथ मौर्या
7	28.05.2014	21024539	20000	कैलाश
8	05.07.2014	—	30000	रमेश चन्द्र
9	14.07.2014	21031321	20000	कैलाश नाथ मौर्या
10	21.07.2014	21031322	40000	हरीपाल यादव
11	28.07.2014	21031323	24000	हरीपाल यादव
12	08.08.2014	21031325	11000	हरीपाल
13	22.08.2014	21031326	10000	उर्मिला
14	26.08.2014	21031324	60000	हरीपाल
15	01.09.2014	21031327	20000	हरीपाल यादव
16	20.12.2014	21031328	40000	हरिपाल
17	30.12.2014	21031329	25000	उर्मिला
18	13.01.2015	21031330	20000	हरिपाल
19	30.01.2015	21031331	1500	विजय सिंह
20	04.02.2015	21031332	3000	विजय
21	20.02.2015	21031333	25000	हरीपाल यादव
22	04.03.2015	21031334	25000	हरीपाल यादव
23	13.03.2015	21031335	45350	रमेश कुमार
24	24.03.2015	21031336	35000	हरिपाल
25	25.03.2015	21031337	15000 योग— 6,79,850.00	शिव बिल्डिंग कैटेरियल
26	04.04.2015	21031338	35200	हरीपाल यादव
27	04.04.2015	21031340	20000	शिव बिल्डिंग कैटेरियल

28	10.04.2015	21031339	30000	50450002
29	22.04.2015	21037801	30000	हरिपाल
30	25.04.2015	21037803	35000	हरिपाल
31	28.04.2015	21037804	12000	हरिपाल
32	28.04.2015	21037802	60250	टीराम हरख यादव उद्योग
33	25.05.2015	21037805	30000	हरिपाल
34	13.05.2015	21037806	45000	हरिपाल
35	19.05.2015	21037808	15700	विजय
36	10.07.2015	21037810	25000	रमेश
37	10.07.2015	21037809	35000	हरिपाल
38	15.09.2015	21037813	20300	रामकुमार
39	16.09.2015	21037812	40000	हरिपाल
40	18.09.2015	21037814	4000	कमलेश
41	22.09.2015	21037815	6300	हरिपाल यादव
योग—			4,43,750.00	

वित्तीय वर्ष 2014—15 6,79,850.00

वित्तीय वर्ष 2015—16 4,43,750.00

सम्पूर्ण योग—11,23,600.00

(73)

ग्राम पंचायत—धारिकपुर विकासखण्ड—सुजानगंज जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—136

विकास खण्ड कार्यालय सुजानगंज पर लगातार लेखा परीक्षा कार्यक्रम देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्यामजी लाल, से बार—बार सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्राम निधि खाता संख्या यू0बी0आई0 366602010714522 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2014—15 व 2015—16 में ग्राम पंचायत धारिकपुर की विभिन्न दिनांकों में कुल धनराशि रू0 12,10,555.00 आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक बरम्बार आग्रह के बाद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कोषवही सहित कोई अन्य पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि आहरित धनराशि का व्यय उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 5(क) के अनुसार समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती हैं।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वित्तीय वर्षों में आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री कृष्णकान्त तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री श्यामजीलाल से किया

जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	आपत्ति का पूर्ण विवरण / आहरित करने वाले का नाम	खाता संख्या—यू0बी0आई0 366602010714522 चेक नम्बर	आहरित धनराशि
1	02.06.2014	कृष्णकान्त	21049859	5000
2	09.06.2014	टी0आर0एफ0	21049860	35000
3	10.06.2014	हरिशंकर	21060501	55000

4	11.06.2014	शिवमूर्ति	21060503	30000
5	12.06.2014	शिवमूर्ति	21060502	20000
6	18.06.2014	कृष्णकान्त	21060504	34500
7	30.06.2014	कृष्णा	21060505	30000
8	03.07.2014	अमरनाथ	21060506	10500
9	15.07.2014	मयंक शुक्ल	21060507	15000
10	22.07.2014	कृष्णकान्त	21060509	15000
11	26.07.2014	सरयू प्रसाद	21060508	25500
12	30.07.2014	हरिशंकर सिंह	21060510	35000
13	04.08.2014	योगेश कुमार	21060511	5000
14	07.08.2014	दिनेश	21060513	15000
15	09.08.2014	राजेश कुमार सिंह	21060514	18000
16	12.08.2014	टी0आर0एफ0ए0एस0 के0जी0एस0आर0	21060512	25000
17	23.08.2014	शान्ति देवी	21060515	18500
18	13.09.2014	दिनेश तिवारी	21060516	6000
19	13.09.2014	योगेश	21060517	25500
20	16.09.2014	संतोष कुमार	21060518	8500
21	27.09.2014	कृष्णकान्त	21060520	14000
22	27.09.2014	टी0आर0टी0ओ ए0 / सी0 32061	21060519	15000
23	22.12.2014	टी0आर0 एफ0 टू0 / विजय आयरन स्टोर	21069581	50000
24	26.012.2014	राजबहादुर	21069582	15000
25	02.01.2015	कल्पनाथ विश्वकर्मा	21069586	7000
26	02.01.2015	ओमप्रकाश	21069583	10500
27	06.01.2015	योगेश	21069584	14300
28	13.01.2015	दीपक उपाध्याय	21069585	10700
29	20.01.2015	कृष्णकान्त	21069587	13000
30	07.01.2015	कृष्णकान्त	21069589	30000
31	09.03.2015	विजय आयरन स्टोर	21069588	40000
32	24.03.2015	योगेश	21069590	15000
33	30.03.2015	ओमप्रकाश	21069591	10000
34	07.04.2015	राजबहादुर	21069592	30000
35	10.04.2015	विजय आयरन स्टोर	21069595	45500
36	15.04.2015	कृष्णा	21069596	35000
37	15.04.2015	एस0एस0ईट उद्योग	21069594	10000
38	22.04.2015	अमरनाथ	21069599	25500
39	23.04.2015	आलोक मशीनरीस्टोर	21069597	35000
40	24.04.2015	ओम साई ईट उद्योग	21069598	99200

41	01.05.2015	कृष्णकान्त	21069600	40000
42	17.06.2015	सरयू प्रसाद	21078001	10000
43	20.06.2015	अनिल एजेन्सी	21078002	31355
44	22.06.2015	शम्भूनाथ	21078003	31500
45	24.06.2015	विजय आयरन स्टोर	21078004	20000
46	15.07.2015	कृष्णा	21078005	30000
47	20.07.2015	विजय आयरन स्टोर	21078006	25500
48	26.08.2015	कृष्णकान्त	21078007	3500
49	01.09.2015	कृष्णकान्त	21078010	20000
50	01.09.2015	टी0आर0	21078008	30000
51	07.09.2015	राजबहादुर	21078009	12000
योग—				12,10,555.00

वित्तीय वर्ष 2014—15 6,76,500.00

वित्तीय वर्ष 2015—16 5,34,055.00

सम्पूर्ण योग 12,10,555.00

(74)

ग्राम पंचायत—भीलमपुर विकासखण्ड—सुजानगंज जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—137

विकास खण्ड कार्यालय सुजानगंज पर लगातार लेखा परीक्षा कार्यक्रम देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश,भारती से बार—बार सम्पर्क करने के बावजूद उनकेद्वारा केवल ग्राम निधि खाता संख्या यू0बी0आई0 491602010084706 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2014—15 व 2015—16 में ग्राम पंचायत भीलमपुर की विभिन्न दिनांको में कुल धनराशि रू0 12,72,318.00 आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक बार—बार आग्रह के बाद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कोषवही सहित कोई अन्य पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि आहरित धनराशि का व्यय उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 5(क) के अनुसार समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती हैं। अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वित्तीय वर्षों में आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री हरीनाथ तथा ग्राम वि0/पं0अधिकारी श्री रमेश चन्द्र राम से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	आपत्ति का पूर्ण विवरण/ आहरित करने वाले का नाम	खाता संख्या—यू.बी. आई.. 491602010084706 चेक नम्बर	आहरित धनराशि
1	09.04.2014	शिवशंकर	21009555	60000
2	10.04.2014	शिवशंकर प्रधान	21009554	49500
3	19.04.2014	शिवशंकर प्रधान	21009557	60000
4	07.05.2014	शिवशंकर प्रधान	21009556	52000
5	19.05.2014	शिवशंकर प्रधान	21009558	49984
6	28.05.2014	एस0ई0	21009559	28400
7	03.06.2014	शिवशंकर गुप्ता	21014281	41600
8	11.06.2014	शिवशंकर प्रधान	21009560	49982

9	14.06.2014	शिवशंकर	21014282	30000
10	26.06.2014	शिवशंकर प्रधान	21014283	5000
11	09.07.2014	शिवशंकर प्रधान	21014284	15000
12	23.07.2014	शिवशंकर प्रधान	21014286	20000
13	01.08.2014	201328	21014287	9000
14	05.08.2014	शिवशंकर प्रधान	21014288	25000
15	09.08.2014	शिवशंकर	21014289	5000
16	19.08.2014	एस0ई0	21014290	15000
17	22.08.2014	एस0ई0	21014285	48152
18	02.09.2014	शिवशंकर प्रधान	21014291	10000
19	17.09.2014	83126	21014292	6000
20	23.09.2014	शिवशंकर	21014293	20000
21	03.11.2014	एस0ई0	21014294	30000
22	15.11.2014	एस0ई0	21014295	2000
23	23.12.2014	एस0ई0	21014296	15000
			योग—	6,46,618.00
24	15.04.2014	शिवशंकर प्रधान	21014297	10000
25	17.04.2015	शिवशंकर प्रधान	21014298	15000
26	18.04.2015	एस0ई0	21014300	12000
27	21.04.2015	आदर्श ईट उद्योग	21014299	11000
28	29.04.2015	शिवशंकर गुप्ता	21009881	60000
29	17.06.2015	एस0ई0	21023282	20000
30	17.06.2015	एस0ई0	21023281	2500
31	08.07.2015	शिवशंकर गुप्ता	21023283	50000
32	10.07.2015	रमाशंकर गुप्ता	21023284	50000
33	10.07.2015	एस0ई0	21023285	50000
34	11.07.2015	रमेश	21023288	30500
35	11.07.2016	101 / 30010	21023287	61000
36	14.07.2015	शिवशंकर गुप्ता	21023289	49500
37	14.07.2015	रमाशंकर गुप्ता	21023290	49500
38	22.07.2015	शिवशंकर गुप्ता	21023291	50200
39	24.07.2015	कमलेश	21023292	4000
40	31.07.2015	एस0ई0	21023293	30000
				625700.00

वित्तीय वर्ष 2015—16 6,25,700

वित्तीय वर्ष 2014—15 6,46,618.00

योग—12,72,318.00

(75)

ग्राम पंचायत-जमालपुर विकासखण्ड-करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16
प्रस्तर-138

निम्न विवरणानुसार कैशबुक में हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय किया गया है -			
थदनांक	ब0नं0	धनराशि	विवरण
25.05.11	02	30000.00	10 हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी सहित भुगतान।
25.06.11	08	20179.00	08 हैण्डपम्प मरम्मत की भुगतान।
15.04.13	अंकित नहीं	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.04.13	अंकित नहीं	4563.00	हैण्डपम्प मरम्मत
09.05.13	अंकित नहीं	5200.00	हैण्डपम्प मरम्मत
28.09.13	अंकित नहीं	4716.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.10.13	अंकित नहीं	5408.00	हैण्डपम्प मरम्मत
22.11.13	अंकित नहीं	15000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
25.03.14	अंकित नहीं	11600.00	हैण्डपम्प मरम्मत
27.06.14	अंकित नहीं	9348.00	हैण्डपम्प मरम्मत
28.07.14	अंकित नहीं	12292.00	हैण्डपम्प मरम्मत
28.08.14	अंकित नहीं	19582.00	हैण्डपम्प मरम्मत
29.09.14	अंकित नहीं	10085.00	हैण्डपम्प मरम्मत
04.10.14	अंकित नहीं	11000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.12.14	अंकित नहीं	30418.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.03.15	अंकित नहीं	30530.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग-	224981.00	

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है।
2. भुगतान नकद किया जाना (अधिकांशतः) दर्शित है जबकि भुगतान खाते के माध्यम से किया जाना था।
3. किस-किस पहचान संख्यावाला अथवा किन-किन स्थानों पर लगे हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया अंकित नहीं।
4. हैण्डपम्प मरम्मत के लिए उपभोगकर्ताओं द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र भी अप्राप्त रहा है तथा इससे सम्बन्धित कोई रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है।
5. हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त लाभार्थी अथवा उपभोगकर्ताओं से ऐसा कोई प्रमाणक भी नहीं लिया गया है। जिससे की पुष्टि हो सके कि हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया।
6. हैण्डपम्प मरम्मतोपरान्त निकले हुये रद्दी सामान का न तो डेड स्टॉक बनाया गया है और न ही सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रद्दी सामान का बिक्री करके धनराशि को खाते में जमा ही किया गया है।
 अतः उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत स्पष्ट हो जाता है कि कुल रूपया 224981.00 का हैण्डपम्प मरम्मत में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। कुल अपहरित धनराशि में से रु0 50179.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमशीला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअधार मौर्य से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है, तथा शेष रूपया 174802.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमशीला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-139

निम्न विवरणानुसार कैशबुक हैण्डपम्प मरम्मत पर धनराशि व्यय किया जाना दर्शित है।

दिनांक	बा0न0	धनराशि	विवरण
30.04.15	अंकित नहीं	24944.00	हैण्डपम्प मरम्मत सरफल, दयाशंकर, लालचन्द विनोद कन्नैजिया, बबलू विश्वकर्मा मिठाईलाल, ज्ञानचन्द्र प्रताप कश्यप, शैलेश मौर्य
23.05.15	अंकित नहीं	4000.00	हैण्डपम्प मरम्मत दीपनारायन मेहीलाल,
20.09.15	अंकित नहीं	5905.00	हैण्डपम्प मरम्मत, दशरथ, जयप्रकाश मनीराम
	योग—	34849.00	

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

1. भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा अप्राप्त रहा।

2. भुगतान नकद किया जाना दर्शित है जबकि भुगतान फर्म के खाते में किया जाना था।

3. हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त निकले हुये रद्दी समान का न तो डेड स्टॉक रजिस्टर बनाया गया है। और न ही सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रद्दी सामान की बिक्री कर धनराशि खाते में जमा ही किया गया है।

5. हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त लाभार्थी/उपभोक्ताओं से ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है कि जिससे पुष्टि हो सके कि हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत स्पष्ट हो जाता है कि कुल ₹0 34849.00 का हैण्डपम्प मरम्मत मद में काल्पनिक व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः अपहृत कुल धनराशि ₹0 34849.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमशीला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—140

दिनांक 27.06.2014 को मस्टरोल द्वारा (प्रमाणक संख्या—2) कुल ₹0 26832.00 का भुगतान मोहन के घर से मुख्तार के घर तक खण्डन्जा मरम्मत मजदूरी मद में व्यय किया गया है। तथा ₹0 53940.00 का (8700 ईट दर 6200 हजार) ईट क़य मद में भुगतान किया है। इसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

(क) ईट क़य से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीखा में अप्राप्त रहा।

(ख) ईट क़य का भुगतान नकद किया जाना दर्शित है जबकि फर्म के खाते में किया जाना था।

(ग) सम्बन्धित मस्टरोल मजदूरों द्वारा भुगतान/धनराशि प्राप्ति हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं है। (मस्टरोल की छायाप्रति संलग्न है)

अतः उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि खण्डन्जा मरम्मत मद में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ₹0 80772.00 (53940+26832.00) का अपहरण किया गया है। अतः अपहृत धनराशि ₹0 80772.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमशीला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(76)

ग्राम पंचायत—मझलीपट्टी विकासखण्ड—करंजाकला जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—141

दिनांक 02.07.2015 को ₹0 5500.00 एवं दिनांक 22.07.2015 को ₹0 10000.00 का आहरण क्रमशः श्री बृजेश कुमार यादव एवं श्री रमेश के नाम हुआ है। आहरण के सापेक्ष कैशबुक के व्यय पक्ष में बिना शीर्ष के धनराशि का अंकन किया गया है। अर्थात् किस मद में धनराशि का भुगतान किया गया अंकित नहीं। तथा साथ ही उक्त धनराशियों के व्यय सम्बन्धी कोई प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट हो जाता उक्त धनराशि योग—(5500+10000) ₹0 15500.00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहृत धनराशि ₹0 15500.00 की वसूली ब्याज सहित तातारीख श्रीमती मरनाजी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं श्री राधेश्याम तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—142

निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि का भुगतान खण्डन्जा निर्माण मजदूरी मद में किया गया है। जबकि बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार भुगतान एम0एल0वाई0ईट उद्योग के खाता संख्या 030868354420 में हुआ है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
27.08.2015	722099	22217.00

14.09.2015	722100	12400.00
08.10.2015	722106	15100.00
08.10.2015	722105	15500.00
15.10.2015	722113	10850.00
15.10.2015	722112	14007.00

योग— 90074.00

उपरोक्त आहरित धनराशि रु0 90074.00 का मजदूरी भुगतान दर्शित किया गया है। बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि उक्त समस्त धनराशि का भुगतान एम0एल0वाई0 ईट उद्योग के खाता संख्या 030865354420 में किया गया है। तथा लेखा परीक्षा में सम्बन्धित मस्टररोल भी अप्राप्त रहा।

अतः स्पष्ट हो जाता है कि एम0एल0वाई0ईट उद्योग से दुरभिसन्धि करके कुल धनराशि रु0 90074.00 का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु0 90074.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मनराजी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(77)

ग्राम पंचायत-नारीपुर विकासखण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-143

विकास खण्ड कार्यालय सुजानगंज पर लगातार लेखा परीक्षा कार्यक्रम देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्यामजी लाल , से बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्राम निधि खाता संख्या यू0बी0आई0 366602010015558 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ग्राम पंचायत धारिकपुर की विभिन्न दिनांको में कुल धनराशि रु0 10,56,560.00 आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी पुष्टि

प्रमाणक बरम्बार आग्रह के बाद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कोषवही सहित कोई अन्य पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि आहरित धनराशि का व्यय उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 5(क) के अनुसार समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती हैं।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वित्तीय वर्षों में आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र यादव तथाग्राम वि0/पं0अधिकारी श्री श्यामजी लाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	आपत्ति का पूर्ण विवरण/ आहरित करने वाले का नाम	खाता संख्या- यू.बी. आई. 366602010015558 चेक नम्बर	आहरित धनराशि
1	25.04.2014	राजेन्द्र यादव	21046335	45000
2	01.05.2014	नीलेश	21046336	49000
3	30.05.2014	टीआरएफ एज केएसजी8	21046337	25000
4	04.06.2014	राजेन्द्र	21046339	49000
5	04.06.2014	नीलेश	21046338	30000
6	27.06.2014	राजेन्द्र	21046330	20000
7	18.10.2014	नीलेश	21063861	40000
8	20.10.2014	अभय प्रकाश	21063862	30000
9	22.10.2014	राजेन्द्र	21046324	30000
10	28.10.2014	नीलेश	21063865	25000
11	05.11.2014	एस एस आईएनटी उद्योग	21063866	40000
12	10.11.2014	राजेन्द्र	21063867	13000

13	22.12.2014	राजेन्द्र	21063868	35000
14	27.12.2014	राजेन्द्र	21046327	5000
15	02.01.2015	राजेन्द्र	21063869	30000
16	16.01.2015	राजेन्द्र	21063870	15000
17	03.03.2015	राजेन्द्र	21063871	7000
18	04.03.2015	नीलेश	21063872	35000
19	07.03.2015	नीलेश	21046328	10000
20	10.03.2015	नीलेश	21063873	40000
21	16.03.2015	नीलेश	21063863	15000
22	27.03.2015	नीलेश	21063876	50000
23	30.03.2015	नीलेश	21063878	68200
24	21.04.2015	ट्रांसफर टू अकाउण्ट 101 / 32100	21063864	12400
25	25.04.2015	ट्रांसफर टू वेद कन्सट्रक्शन	21063877	74400
26	08.05.2015	ट्रांसफर टू वेद कन्सट्रक्शन	21063879	9300
27	20.06.2015	ट्रांसफर टू वेद कन्सट्रक्शन	21063880	70060
28	11.07.2015	ट्रांसफर टू वेद कन्सट्रक्शन	21063875	43400
29	08.09.2015	ट्रांसफर टू वेद कन्सट्रक्शन	21077241	46000
30	22.03.2016	जय प्रकाश	21077244	45200
31	22.03.2016	राजेन्द्र मिश्र	21077243	49600
			योग—	10,56,560-00

वित्तीय वर्ष 2014—15 7,06,200.00

वित्तीय वर्ष 2015—16 3,50,360.00

योग— 1056560.00

(78)

ग्राम पंचायत—बदलपुर विकासखण्ड—सिरकोनी जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—144

ग्राम पंचायत बदलपुर में निधि —1 खाता संख्या 7612 (यू0बी0आइ0) से दिनांक 19.06.2015 को रु0 55380.00, व रु0 12400.00 ईट कय आहरित करके कुल धनराशि रु0 67780.00 को कैशबुक में पिच रोड से देवनारायन के चक तक खडन्जा मरम्मत कार्य व मजदूरी व्यय अंकित किया गया है। उपरोक्त दोनों धनराशियों के दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी—

लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, स्टाक रजि0, ईट कय से सम्बन्धित निविदा, कार्य प्रस्ताव व तिथि, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेंट, वित्तीय स्वीकृति, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल, एम0बी0, बाउचर, आयकर एवं व्यापारकर कटौती रसीद सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र, ईट कय से सम्बन्धित दिये चेक की जानकारी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार उक्त खर्चों की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि रु0 67780.00 का दर्शित व्यय काल्पनिक है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दयाराम यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शहीरावती देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—145

ग्राम पंचायत बदलपुर में निधि—1 खाता संख्या—7612 (यू0बी0आइ0) से दिनांक 05.05.2015 को रु0 15000.00, व दिनांक 03.08.2015 को रु0 39980.00, दिनांक 03.08.2015 को रु0 9000.00 का आहरण करके कुल धनराशि रु0 63980.00 कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत व मजदूरी पर व्यय अंकित किया गया है। उपरोक्त धनराशियों के दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी—लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, स्टाक रजि0, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति, प्रस्ताव व तिथि, बाउचर, हैण्डपम्प मरम्मत कार्य स्थल का उल्लेख, उपभोगकर्ता द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, जिस मिस्त्री को पारिश्रमिक दिया गया, उसके द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, कय सामग्री पर आयकर एवं व्यापारकर की कटौती की रसीद, कितने नग हैण्डपम्प मरम्मत हुआ, से सम्बन्धित जानकारी अप्रस्तुत रहा।

इससे प्रमाणित होता है कि रु0 63980.00 को काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दयाराम यादव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हीरावती देवी की जानी अपेक्षित है।

(79)

ग्राम पंचायत-बारा विकासखण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-146

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न दिनांकों में ईट क्रय भुगतान का कुल धनराशि 90,215.00 रु0 व्यय खारिज रहा। जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	विवरण
1	15.04.2015	अंकित नहीं	73780.00	ईट क्रय भुगतान (मुस्लिम बस्ती में सो0कार्य)
2	11.09.2015	अंकित नहीं	16435.00	ईट क्रय भुगतान (सो0 से तरसांव बार्डर कुल योग-90,215.00तक सो0)

कोषवही में दर्शित है उक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई-

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन न0 (कैश मेमो/स्टीमेट) के रूप में मानक के अनुसार नहीं पाया गयाईट क्रय की पुष्टि हेतु स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

1-ईट क्रय कितनी मात्रा में और खरीदने की दर अंकित नहीं किया गया।

उक्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/एम0बी0 प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2-उक्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3-उक्त व्यय के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-उक्त व्यय के सापेक्ष स्टाक रजि0/डेड स्टाक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5-उक्त व्यय के सापेक्ष खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

6-ईट क्रय के अनुरूप खडन्जे की ल0Xचौड़ाई कोषवही में अंकित नहीं की गई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईट क्रय हेतु फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर व फर्जी कार्य हेतु क्रय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रघुराज सिंह, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री नजीमुल, ग्राम प्रधान द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि 90,215.00 रु0 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

(80)

ग्राम पंचायत-कोतांव विकासखण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-147

विकास खण्ड कार्यालय सुजानगंज पर लगातार लेखा परीक्षा कार्यक्रम देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश भारती से बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्राम निधि खाता संख्या यू0बी0आई0 366602010714515 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत कोतांव की विभिन्न दिनांकों में कुल धनराशि रु0 4,10,600 आहरण किया गया, जिसके सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक बार-बार आग्रह के बाद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कोषवही सहित कोई अन्य पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि आहरित धनराशि का व्यय उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत नहीं किया गया।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनेजर के अध्याय 8 की धारा 5(क) के अनुसार समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती हैं।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वित्तीय वर्षों में आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री ओमप्रकाश भारती से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	आपत्ति का पूर्ण विवरण/ आहरित करने वाले का नाम	खाता संख्या-यू.बी.आई. 366602010714515 चेक नम्बर	आहरित धनराशि
1	09.03.2015	राजेश कुमार	21053620	49000
2	11.03.2015	राजेश कुमार	21073581	23000
3	16.03.2015	राजेश कुमार	21073582	49600
4	18.03.2015	राजेश कुमार	21073584	49600
5	23.03.2015	अरविन्द कुमार तिवारी	21073583	8400
6	17.04.2015	राजेश कुमार	21073585	49500
7	29.04.2015	राजेश कुमार	21073586	43000
8	16.06.2015	राजेश कुमार	21073587	50000
9	23.06.2015	राजेश कुमार	21073588	11000
10	08.07.2015	राजेश कुमार	21073589	35000
11	11.07.2015	राजेश कुमार	21073590	3000
12	01.09.2015	राजेश कुमार	21073591	39500
				410600

वित्तीय वर्ष 2015-16 4,10,600.00

(81)

ग्राम पंचायत-सोनहिता विकासखण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-148

विकास खण्ड कार्यालय सुजानगंज पर लगातार लेखा परीक्षा कार्यक्रम देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश चन्द्र राम से बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्राम निधि खाता संख्या यू0बी0आई0 432702010028201 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ग्राम पंचायत सरायखाकी की विभिन्न दिनांको में कुल धनराशि रु0 17,97,450.00 आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक बार-बार आग्रह के बाद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कोषवही सहित कोई अन्य पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि आहरित धनराशि का व्यय उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनेजर के अध्याय 8 की धारा 5(क) के अनुसार समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती हैं।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वित्तीय वर्षों में आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री हरीनाथ तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री रमेश चन्द्र राम से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	आपत्ति का पूर्ण विवरण/ आहरित करने वाले का नाम	खाता संख्या-यू.बी.आई. 432702010028201 चेक नम्बर	आहरित धनराशि
1	10.04.2014	संजय सरोज	21025213	20000
2	15.04.2014	एस0एस0 एसोसिएशन	21025214	95000
3	16.04.2014	संजय सरोज	21025215	80000
4	17.04.2014	संजय	21025217	80000
5	23.04.2014	संजय	21025216	15000
6	28.05.2014	कैलाश नाथ	21025218	50000

7	28.05.2014	कैलाश	21025219	20000
8	02.06.2014	विजय	21025220	5000
9	10.07.2014	स्वयं		20000
10	15.07.2014	स्वयं		52000
11	18.07.2014	स्वयं		90000
12	23.07.2014	संजय	21031041	25000
13	25.08.2014	संजय सरोज	21031042	90000
14	28.08.2014	स्वयं	21031043	35000
15	15.09.2014	विजय प्रताप	21031044	11000
16	20.12.2014	संजय सरोज	21031045	80250
17	22.12.2014	अजीत कुमार	21031048	19000
18	30.12.2014	आदर्श ईट उद्योग	21031046	27500
19	30.12.2014	राज कुमार बिल्डिंग	21031047	20100
20	30.12.2014	विजय	21031049	25000
21	30.01.2015	विजय सिंह	21031050	2500
22	10.02.2015	विजय सिंह	21031051	3000
23	09.03.2015	संजय	21031053	90000
24	13.03.2015	कैलाश	21031054	48250
25	13.03.2015	संजय	21031055	48250
26	13.03.2015	श्याम	21031056	35000
27	16.03.2015	कैलाशनाथ	21031058	48300
28	16.03.2015	संजय सरोज	21031057	48300
			योग—	11,83,450.00
29	04.04.2015	हरिपाल यादव	21031052	48500
30	04.04.2015	हरिपाल	4617097	48500
31	07.04.2015	कैलाश	21031060	48500
32	17.04.2015	कैलाश नाथ मौर्या	21038621	90000
33	20.04.2015	ओ बी सी 103	21031059	42600
34	22.04.2015	कैलाश मौर्या	21038624	45300
35	15.05.2015	विजय सिंह	21038626	3500
36	06.07.2015	कैलाश	21038627	44000
37	06.07.2015	संजय	21038628	42200
38	31.08.2015	संजय सरोज	21038629	48200
39	31.08.2015	राम कुमार	21038630	40000
40	31.08.2015	संजय सरोज	21038631	4200
41	15.03.2016	सन्तोष कुमार	21038634	60000
42	19.03.2016	कैलाश नाथ मौर्या	21038633	48500
				614000

वित्तीय वर्ष 2014—15 11,83,450.00

वित्तीय वर्ष 2015—16 6,14,000.00

योग—1797450.00

(82)

ग्राम पंचायत-सरायखानी विकासखण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-149

विकास खण्ड कार्यालय सुजानगंज पर लगातार लेखा परीक्षा कार्यक्रम देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश चन्द्र राम से बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद उनके द्वारा केवल ग्राम निधि खाता संख्या यू0बी0आई0 366602010714599 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ग्राम पंचायत सरायखाकी की विभिन्न दिनांको में कुल धनराशि रू0 7,10,550.00 आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक बार-बार आग्रह के बाद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कोषवही सहित कोई अन्य पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि आहरित धनराशि का व्यय उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 5(क) के अनुसार समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती हैं।

अतः स्पष्ट है कि उक्त खाते से वित्तीय वर्षों में आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती जड़ावती तथा ग्राम वि0/प0अधिकारी श्री रमेश चन्द्र राम से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	आपत्ति का पूर्ण विवरण/ आहरित करने वाले का नाम	खाता संख्या- यू.बी. आई चेक नम्बर	आहरित धनराशि
1	17.04.2014	राजेश	21046910	10000
2	19.04.2014	विमल कुमार तिवारी	21046911	56000
3	03.05.2014	राज कुमार	21046913	40000
4	03.05.2014	अमरनाथ	21046912	8700
5	09.05.2014	मिठाई लाल	21046914	10000
6	06.06.2014	रामनाथ सरोज	21046915	6000
7	07.07.2014	राज कुमार	21046917	25000
8	10.07.2014	राजेश	21046918	2500
9	21.07.2014	राज कुमार	21046919	40000
10	23.08.2014	राज कुमार	21046920	35000
11	02.09.2014	स्वयं		10000
12	13.12.2014	राज कुमार	21071181	3000
13	19.12.2014	राज कुमार	21071183	50350
14	26.12.2014	राजेन्द्र प्रसाद	21071184	10200
15	05.01.2015	विनोद कुमार	21071185	4500
16	03.03.2015	स्वयं	21071187	50700
17	11.03.2015	राज कुमार	21071188	10000
18	14.03.2015	मिठाई लाल	21071189	25000
19	23.03.2015	राजेश कुमार	21071191	30000
20	23.03.2015	मिठाई लाल	21071190	30000
21	25.03.2015	मिठाई लाल	21071192	14000
			योग-	4,70,950.00
22	07.04.2015	मिठाई लाल	21071193	30500
23	08.04.2015	राजेश कुमार	21071194	20000
24	17.04.2015	राजेश कुमार	21071195	5000

25	24.04.2015	राजेश	21071196	8200
26	09.06.2015	मिठाई लाल	21071197	48300
27	12.06.2015	मिठाई लाल	21071198	3500
28	17.07.2015	मिठाई लाल	21071199	20300
29	11.07.2015	स्थानान्तरण 83126	21071200	10000
30	16.09.2015	बसन्त लाल	21071201	33500
31	22.03.2016	लल्लन यादव	21071202	60300

वित्तीय वर्ष 2014-15 4,70,950.00

वित्तीय वर्ष 2015-16 239600

योग-7,10,550.00

(83)

ग्राम पंचायत-करनौली विकास खण्ड-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-150

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न दिनांको में ईट कय भुगतान पर कुल धनराशि रू0 4,29,600.00 व्यय खारिज रहा। जिसका विवरण निम्नवत् रहा।

क्र० सं०	दिनांक	चेक न०	धनराशि	आहरित(चेक न०) व्यक्ति का	विवरण
1	12.04.2014	21056009	49500	दया	खडन्जा मरम्मत हेतु 8000 ईट प्रथम श्रेणी 6200 प्रति हजार की दर से भुगतान (कोषवही में भुगतान) 49600 रू0 किया गया।
2	16.04.2014	21056010	49000	रामप्यारे	खडन्जा मरम्मत हेतु 8000 ईट 6200.00 / हजार की दर से चेक भुगतान (कोषवही में भुगतान) 49600 रू0 व्यय खारिज किया गया।
3	29.05.2014	21056014	49500	दयाशंकर प्रधान	खडन्जा मरम्मत हेतु 8000 ईट प्रथम श्रेणी 6200.00 / हजार की दर से चेक भुगतान (कोषवही में भुगतान) 49600 रू0 व्यय खारिज किया गया।
4	31.03.2015	21067192	49600	स्थानान्तरण	खडन्जा मरम्मत हेतु 8000 ईट 6200.00 / हजार की दर से कय भुगतान (कोषवही में भुगतान) 49600 रू0 व्यय खारिज किया गया।
5	07.04.2015 08.04.2015	21067193 21067194	49600 49600	दयाशंकर	खडन्जा मरम्मत हेतु 16000 ईट प्रथम श्रेणी 6200.00 / हजार की दर से कय भुगतान एक द्वारा (कोषवही में भुगतान) 99200 रू0 व्यय खारिज किया गया।
6	29.04.2015	2107196	65000	वीरेन्द्र बहादुर ईट भट्टा	खडन्जा हेतु ईट 10000 ईट प्रथम श्रेणी 6200 / हजार की दर

					से क्रय भुगतान चेक द्वारा कोषवही में भुगतान 6200.00 रु० व्यय खारिज किया गया।
7	11.05.2015	21067198	48000	दयाशंकर	खडन्जा हेतु 5000 ईट 60200/ हजार की दर से क्रय भुगतान की दर से क्रय भुगतान चेक द्वारा कोषवही में 30000.00 रु० व्यय खारिज किया गया।
8	27.07.2015	21056018	20000	दयाशंकर प्रधान	खडन्जा मरम्मत हेतु 8000 ईट/6200/ हजार की दर से क्रय भुगतान / कोषवही में 40000.00 रु० व्यय खारिज किया गया।

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन न० के (कैश मेमो/ स्टीमेट) के रूप में मानक के अनुसार नहीं पाया गया। ईट कस की पुष्टि हेतु स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं, ईट क्रय का भुगतान अधिकांशतः फर्म के नाम एकाउंट पेयी चेक से नहीं किया गया कोषवही में दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्यवाही रजि०, स्टीमेट/एम०बी० व पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कारणों से स्पष्ट है कि खडन्जा कार्य हेतु फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा प्रश्रित हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर काल्पनिक कार्य हेतु क्रय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामप्यारे राम (ग्रा० वि० अधि०) एवं श्री दयाशंकर (ग्राम प्रधान) द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि रु० 4,29,600.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

समस्त आय वर्ष के दौरान के सापेक्ष खाता रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वर्ष के दौरान क्या इस कार्य हेतु धनराशि प्राप्त हुआ था या दूसरे मद की धनराशि आहरित की गई है।

प्रस्तर-151

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न दिनांको में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर रु० 25000.00 व्यय खारिज रहा। जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र सं०	दिनांक	व्यय धनराशि
1	26.06.2014	10000.00
2	13.01.2015	12000.00
3	30.04.2015	3000.00
	कुल योग-	25000.00

(पच्चीस हजार रुपये मात्र)

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना किसी फर्म के सादा छपा (कैश मेमो/ स्टीमेट) पर सामाग्री एवं मजदूरी व्यय की कुल धनराशि लिख कर बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-

समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

समस्त व्यय के सापेक्ष जल प्रबन्धन समिति की सस्तुति प्रस्तुत नहीं किया गया।

समस्त व्यय के सापेक्ष खराबी की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया।

समस्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया।

समस्त व्यय के सापेक्ष सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

समस्त व्यय के सापेक्ष स्टॉक रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

समस्त व्यय के सापेक्ष डेड स्टॉक रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया। मरम्मत के उपरान्त संग्रहित खराब पार्ट का स्टॉक/नीलामी के प्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं।

समस्त असय (वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान) के सापेक्ष खाता रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिससे या पुष्टि नहीं की जा सकी कि वर्ष के दौरान मरम्मत के लिए धनराशि प्राप्त हुआ था या दूसरे मद की धनराशि आहरित की गई। उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि समस्त हैण्डपम्प मरम्मत के सापेक्ष फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामप्यारे राम (ग्र०वि०अधि०) एवं श्री दयाशंकर (ग्राम प्रधान) द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि ₹० 25000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-152

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान दिनांक 23.09.2014 को स्ट्रीट लाईट पर ₹० 38000.00 व्यय खारिज रहा। जिसका विवरण निम्न है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक न०	धनराशि	आहरित करने वाले का नाम
1	23.09.2014	21067183	38000.00	दयाशंकर

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना किसी फर्म के सादा छपा (कैशमेमो/स्टीमेट) पर सामग्री पर व्यय कुल धनराशि लिख कर बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

समस्त व्यय के सापेक्ष सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

समस्त व्यय के सापेक्ष सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष खाता रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

स्ट्रीट लाईट कहां लगी है स्थान का अंकन नहीं किया गया।

स्ट्रीट लाईट पर मजदूरी भुगतान का अंकन नहीं किया गया।

स्ट्रीट लाईट की दर से और कितनी संख्या में खरीदी गई इसका उल्लेख नहीं किया गया।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि स्ट्रीट लाईट का व्यय काल्पनिक है। अतः स्ट्रीट लाईट का धन अपहरण किया गया है। जिससे वसूली हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-153

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान दिनांक ह्यूम पाईप क्रय भुगतान पर कुल धनराशि 20000.00 ₹० व्यय खारिज किया गया। जिसका विवरण निम्न है—

क्रम संख्या	दिनांक	चेक न०	धनराशि	आहरित करने वाले का नाम
1	22.07.2014	21079341	4000.00	श्री सुरेन्द्र कुमार कोषवही में 20000

अंकित है

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक मानक के अनुरूप नहीं पाया गया, उक्त व्यय के पुष्टि हेतु प्रमुख प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

ह्यूम पाईप कितने एम०एम० की है इसका अंकन कोषवही में नहीं किया गया।

ह्यूम पाईप किस स्थान पर किस उद्देश्य हेतु लगवाई गई इसका अंकन नहीं

किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय के सापेक्ष खाता रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया। कि किस मद के पैसे से ह्यूम पाईप खरीदी गई।

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल बाउचर मानक के अनुसार नहीं प्रस्तुत किया।

उक्त कारणों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाईप के व्यय के सापेक्ष उचित बिल बाउचर प्रस्तुत न कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा 20000.00 ₹० का आहरण किया गया। जिसकी वसूली हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-154

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषवही के अनुसार वर्ष दौरान दिनांक 30.06.2015 को सफाई हेतु टूल्स एवं किट्स क्रय भुगतान पर कुल धनराशि 17000.00 ₹० व्यय खारिज किया गया। जिसका विवरण निम्न है—

क्रम संख्या	दिनांक	चेक न०	धनराशि	आहरित करने वाले का नाम
1	30.06.2015	21067199	20000.00	स्थानान्तरित कोषवही में 17000 खरिज व्ययसफाई कर्मी द्वारा मांग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष मानक अनुरूप बिल बाउचर उपलब्ध नहीं रहा। सफाई कर्मी द्वारा टूल्स एवं किट्स प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। व्यय के सापेक्ष खाता रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त करणों से स्पष्ट है कि सफाई कर्मी हेतु टूल्स एवं किट्स के व्यय के सापेक्ष उचित बिल बाउचर न प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा 17000.00 रु० का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा।

(84)

ग्राम पंचायत—सरायरैचन्द विकासखण्ड—मुँगराबादशाहपुर जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—155

अ०क्र०—12— दिनांक 27/05/2014 को सुबेदार के धर से उर्मिला के घरतक खड़जा निर्माण में 18000 नग ईट दर 5500 रु० प्रति हजार रु० 99000 का उपभोग दर्शाया जा रहा है। लेखा परीक्षा में कार्य की माप एवं उपभोग दर्शाया जा रहा है। लेखा परीक्षा में कार्य की माप एवं उपभोगप्रमाण पत्र तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कोषवही में फर्जी भुगतान दर्शाकर ग्रा०प्रधान श्री रामपाल एवं ग्रा० पं० अधिकारी श्री ओमप्रकाश द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान रामपाल एवं पंचायत श्री ओम प्रकाश से संयुक्तसे रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—156

दिनांक 12/09/2014 को एकाउन्ट न० 25029 रु० 91000 आहरित कर के पक्की सड़क से पंचायत भवन तक खड़जा निर्माण हेतु 1900 नग ईट मूल्य 91000 रु० भुगतान दर्शाया जा रहा है। उक्त कार्य कीमाप उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। साथ ही किस ईट भट्टे से क्रय की गयी से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भुगतान संदिग्ध एवं अप्रमाणित है जिससे ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामपाल एवं ग्राम पंचायत श्री ओम प्रकाश से रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(85)

ग्राम पंचायत—सराय चौहान, विकास खण्ड—मुँगराबादशाहपुर जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—157

दिनांक 08/04/2015 को खाता सं० 84854 यू०बी०आई से टू० ट्रांसफर करके चेक सं० 21091804 से रु० 65000 का ट्रांसफर दर्शाया गया जा रहा है। धनराशि किसे स्थानान्तरित की गयी है बैंक पासबुक से पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत की कोषवही में आय पक्ष में रु० 65000 का अपहरण दर्शाया गया। व्यय पक्ष में ईट प्रथम श्रेणी 10 हजार नग 6500 प्रति हजार की दर से 65000 का भुगतान दर्शाया जा रहा है। ईट भट्टे से किया गया व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं होने से न तो क्रय की पुष्टि हो रही है। न तो सम्बन्धित धनराशि रु० 65000 किसी ईट भट्टे को दी गयी है की पुष्टि नहीं हो रही है।

अतः स्पष्ट है कि प्रधान अंजना पाण्डेय एवं ग्रा०पं० अधिकारी की दुरभिसंधि से धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्रा०प्र० श्रीमती अंजना पाण्डेय एवं ग्रा०पं० अधिकारी श्री विजय शुक्ला से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—158

निम्नलिखित तिथियों में नियमों के विपरित प्रधान श्रीमती अंजना पाण्डेय एवं ग्रा०पं० अधिकारी श्री विजय शुक्ला की दुरभि संधि से अनाधिकृत रूप से श्री रामसिंगार पाण्डेय के नाम चेक निर्गत करके एवं कोषवही में फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि भुगतान रु० 60600.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती अंजना पाण्डेय एवंग्राम पंचायत श्री विजय शुक्ला से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है—

दिनांक	चे०सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
27 / 04 / 15	21091806	20000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
14 / 08 / 15	21091808	10000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
21 / 08 / 15	21091809	20000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
07 / 09 / 15	21091810	10600	श्री राम सिंगार पाण्डेय	

योग— 60600.00

कुल रूपये 60600.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान अंजना पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शुक्ला से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—159

ग्रा० निधि प्रथम खातें से प्रधान श्रीमती अंजना पाण्डेय एवं ग्रा०पं० अधिकारी श्री विजय कुमार शुक्ला की दुरभि संधि से प्रधान पति श्री राम सिंगार पाण्डेय के नाम निम्नविवरणानुसार चे० निर्गत करके कोषवही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

विवरण:—

दिनांक	चे०सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
28 / 05 / 14	21077102	27000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
8 / 1 / 14	21077102	33000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
26 / 07 / 14	21077106	30000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
03 / 11 / 14	21077111	10000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
17 / 03 / 15	21077120	11500	श्री राम सिंगार पाण्डेय	
31 / 03 / 15	21077104	42000	श्री राम सिंगार पाण्डेय	

योग—153500.00

उपरोक्त धनराशि किस नियमान्तर्गत प्रधान पति राम सिंगार पाण्डेय को भुगतान की गयी स्पष्ट नहीं है कि प्रधान श्रीमती अंजना पाण्डेय एवं ग्रा०वि०अधि० के रु० 153500 का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर—160

वित्तीय वर्ष—2014—15 में पंचायत राज नियमों की अनदेखी प्रधान श्रीमती अंजना पाण्डेय के नाम चेक निर्गत करके निम्नविवरणानुसार भुगतान प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया है। तबकि 20000 रुपये से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म के नाम किया जाना चाहिए कोषवही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि अपहरण कर लिया गया है।

दिनांक	चे०सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
20 / 10 / 14	21077108	34000	श्रीमती अंजना पाण्डेय	
10 / 11 / 14	21077112	60000	श्रीमती अंजना पाण्डेय	
19 / 11 / 14	21077113	26600	श्रीमती अंजना पाण्डेय	

योग—120600

उपरोक्त धनराशि रु० 120600.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती अंजना पाण्डेय एवं ग्रा०वि०अधि० श्री विजय शंकर शुक्ला से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(86)

ग्राम पंचायत-सतहरिया विकासखण्ड-मुँगराबाशाहपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-161

दिनांक 14/04/2014 राम आसरे नाम के व्यक्ति को 82500 रु0 का ईट कय हेतु भुगतान कोषवाही में दर्शाया गया है जबकि कोषवाही में ईट का भुगतान रु0 81250 का भुगतान दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि भुगतान एकाउन्ट पेयी ने करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधान अवधनारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश पाठक के दुरभि संधि से रु0 82500 का दुरपयोग किया गया है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-162

दिनांक - 15-4-2014 से 30-03-15 तक निम्न विवरणानुसार रामआसरे नाम के व्यक्ति को चेक निर्गत कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

विवरण:-

दिनांक	चे0सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
15/04/14	21065411	28000	श्री रामआसरे	दुरुपयोग
15/04/14	21065410	99000	श्री रामआसरे	दुरुपयोग
07/07/14	21065414	33000	श्री रामआसरे	दुरुपयोग
30/03/15	21065425	97500	श्री रामआसरे	दुरुपयोग

योग- 257500

रु0 257500.00 का प्रधान अवधनारायण एवं ग्रा0पं0अ0 श्री रमेश पाठक के द्वारा दुरपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-163

निम्न विवरणानुसार सर्वजीत नाम के व्यक्ति को जो कि पंचायत मित्र है भुगतान करके धन का दुरुपयोग किया गया है-

विवरण:-

दिनांक	चे0सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
01-05-14	21065412	9000	सर्वजीत	दुरुपयोग
07-07-14	21065413	13000	सर्वजीत	दुरुपयोग
25-07-14	21065415	32000	सर्वजीत	दुरुपयोग
28-07-14	21065417	35000	सर्वजीत	दुरुपयोग
25-08-14	21065418	60000	सर्वजीत	दुरुपयोग
24-11-14	21065420	5000	सर्वजीत	दुरुपयोग
30-12-14	21065421	88000	सर्वजीत	दुरुपयोग
21-01-15	21065422	20000	सर्वजीत	दुरुपयोग
12-02-15	21065423	6000	सर्वजीत	दुरुपयोग
04-03-15	21065424	97500	सर्वजीत	दुरुपयोग
24-03-15	21065426	85000	सर्वजीत	दुरुपयोग

योग-450500

उपरोक्त धनराशि रु0 चार लाख पचास हजार पांच सौ मात्र की ब्याज सहित वसूली प्रधान रामअवध नारायण एवं ग्रा0पं0अ0 श्री रमेश पाठक से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है समस्त आहरित धनराशि का काल्पनिकव्यय दर्शाकर पंचायत मित्र सर्वजीत के नाम भुगतान प्राप्त कर दुरुपयोग किया गया है।

प्रस्तर-164

वर्ष 2015-16 में प्रधान एवं सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा निम्न तिथियों में धनराशि का आहरित कर कोषवही में व्यय न दर्शाकर धनराशि का अहरण करके अपहरण कर लिया गया है एवं कोषवही में अपहरण वाले भाग पर जानबूझ कर हस्ताक्षर भी नहीं किया गया ।

दिनांक	चे0सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
23-01-16	21084130	135100	सर्वजीत	
24-02-16	21084131	87500	सर्वजीत	
04-03-16	21084132	51000	सर्वजीत	

योग-273600

उपरोक्त धनराशि रू0 273600 का अपहरण प्रधान श्री रामअजोर एवं ग्रा0पं0अ0 श्री रमेश पाठक के द्वारा सर्वजीत को भुगतान करके एवं सर्व जीत से दुरभि सन्धि करके कर लिया गया है। साथ ही कोषवही के अपहरण वाले भाग पर जानबूझकर हस्ताक्षर भी नहीं किया गया । अतः रू0 दो लाख तिहत्तर हजार छः सौ की ब्याज सहित वसूली प्रधान रामअजोर एवं ग्रा0पं0अ0 श्री रमेश पाठक से संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

(87)

ग्राम पंचायत-इटहरा विकासखण्ड-मुँगराबाशाहपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-165

दिनांक 28/04/2014 को ग्राम निधि खाते से प्रधान के नामचेक निर्गत प्रधान राकेश कुमार साहू के नाम स्वयं रू0 136400.00 का भुगतानप्राप्त कर समस्त आहरित धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसमें 30800.00 रू0 का ईट कय नकद भुगतान दर्शाया है, जो कि नियम के विपरीत है। अन्य भुगतान व्यय काल्पनिक दर्शाया गया है। अतः रू0 136400.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राकेश कुमार साहू से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-166

दिनांक - 26-6-2014 को दो बार में क्रमशः प्रधानद्वारा 15500+25470= 47970 रुपये का भुगतान स्वयं प्राप्त कर उक्त हैण्डपम्प मरम्मत करना दर्शाया जा रहा। साथ ही रू0 7000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी का मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल रू0 47970.00 का प्रधान एवं सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कोषवही में इसका उल्लेख नहीं किया गया। अतः रुपये 47970.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान राकेश कुमार साहू से एवं पं0अ0 श्री रमेश पाठक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-167

मार्य बस्ती में 100 मीटर खण्डन्जा मरम्मत कार्य रू0 6000 नग ईट कय प्रधान द्वारा नकद भुगतान प्राप्त कर कय दर्शाया जा रहा है। प्रथमतया भुगतान ईट भट्टा मालिक को एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है।

रू0 39000.00 प्रधान द्वारा स्वयं आहरित कर कोषवही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 39000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान राजेश कुमार साहू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी रमेश कुमार पाठक से समान रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-168

दिनांक 15.09.15 को खाता संख्या 9259 ग्राम निधि प्रथम से प्रधान राकेश कुमार साहू के द्वारा स्वयं के नाम से प्राप्त कर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश पाठक से दुरभि संधि करके कोषवही में आय पक्ष में आहरण दर्शाया गया है। व्यय पक्ष में व्यय न दर्शाकर समस्त आहरित धनराशि का अपहरण किया गया है।

जो निम्न विवरणानुसार है-

विवरण:-

दिनांक	चे0सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
15/09/15		20000.00	श्री राकेश साहू	अपहरण
15/09/15		65000.00	श्री राकेश साहू	अपहरण
24/09/15		10000.00	श्री राकेश साहू	अपहरण

योग- 95000.00

उपरोक्त रू0 95000.0 का अपहरण प्रधान राकेश कुमार साहू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार पाठक के द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-169

वित्तीय वर्ष 15-16 में निम्नविवरणानुसार पंचायत मित्र सर्वजीत के नाम चेक निर्गत कर कोषवही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर प्रधान राकेश कुमार साहू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को श्री रमेश पाठक द्वारा समस्त आहरित धन अनियमित तरीके से सर्वजीत को भुगतान करके दुरुपयोग किया गया है।

विवरण:-

दिनांक	चे0सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
18-04-15	—	145000	सर्वजीत	दुरुपयोग
30-04-15	—	136000	सर्वजीत	दुरुपयोग
12-06-15	—	35000	सर्वजीत	दुरुपयोग
02-07-15	—	85000	सर्वजीत	दुरुपयोग
03-08-15	—	33150	सर्वजीत	दुरुपयोग
03-08-15	—	39000	सर्वजीत	दुरुपयोग
19-08-15	—	17500	सर्वजीत	दुरुपयोग
19-08-15	—	33000	सर्वजीत	दुरुपयोग
28-08-15	—	15000	सर्वजीत	दुरुपयोग
15-09-15	—	65000	सर्वजीत	दुरुपयोग
15-09-15	—	20000	सर्वजीत	दुरुपयोग
22-09-15	—	10000	सर्वजीत	दुरुपयोग

योग-633650.00

उपरोक्त समस्त आहरित धनराशि सर्वजीत नामक व्यक्ति को जो कि अनाधिकृत है को षणयन्त्र में शामिल कर अनियमित तरीके से उसे भुगतान कर दुरुपयोग एवं अपहरण की गयी है रू0 633650.00 की व की ब्याज सहित वसूली प्रधान राकेश कुमार साहू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरमेश पाठक से समान एवं संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। कोषवही में काल्पनिक व्यय के सापेक्ष भी एक भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(88)

ग्राम पंचायत-देहुआ विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-170

आलेख्य वर्ष दिनांक 02.11.2015 को ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या -303402010959936 में रू0 488.00 अवशेष था। दिनांक 08.01.2016 को चौदहावा वित्त आयोग की किस्त के रूप में रू0 177620.00 प्राप्त हुआ। उक्त धनराशि में से निम्नविवरणानुसार धनराशि आहरित कर कैशबुक में नकद भुगतान दर्शित किया गया है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि
1	03.02.2016	21066457	50000.00
2	06.02.2016	21066458	50000.00
3	16.02.2016	21066459	50000.00
4	22.02.2016	21066460	25000.00

योग-175000.00

उक्त आहरण के सापेक्ष कैशबुक में निम्नविवरणानुसार कार्यो पर नकद भुगतान दर्शित किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	03.02.2016	49600.00	मै0 आनन्द ईट उद्योग परमालपुर भरथीपुर जौनपुर को बिल सं0 159 पर 8000 नग ईट क्रय रू0 6200.00/1000

2	06.02.2016	31000.00	मै0 आनन्द ईट उद्योग परमालपुर भरथीपुर जौनपुर को बिल सं0 174 पर 5000 नग ईट क्रय रु0 6200.00 / 1000
3	16.02.2016	21990.00	उक्त खडन्जा मरम्मत की मजदूरी।
4	16.02.2016	10910.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर सामग्री क्रय पर भुगतान।
5	17.02.2016	1500.00	उक्त सामग्री का प्रयोग कर 6 नग हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान।
6	22.03.2016	25000.00	ग्राम पंचायत हेतु आलमारी, कुर्सी, मेज क्रय पर भुगतान।
	योग—	140000.00	

उक्त सम्पूर्ण भुगतान रु0 140000.00 के विरुद्ध निम्नांकित आपत्तियां हैं—

1. ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का शासन स्तर से बिना मार्ग निर्देश निर्गत हुए व बिना आईडी जनरेट हुए आहरण पर रोक के बावजूद धनराशि आहरण कर भुगतान कर गम्भीर अनियमितता।
 2. प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 234/33-3-2/2015 व शासनादेश सं0 2161/33-3-2016-2/2016 के अनुसार न तो कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदन लिया गया है। और न ही प्रत्येक कार्य का पृथक-पृथक एक्शन साफ्टवेयर पर आईडी जनरेट की गयी है।
 3. उक्त खडन्जा मरम्मत कर प्रकलन व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहें।
 4. उक्त खडन्जा मरम्मत के मस्टररोल पर सार्वजनिक निर्माण समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर अंकित नहीं रहा।
 5. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु शिकायत रजि0 जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति, हैण्डपम्पों की खराबी की तकनीकी रिपोर्ट, मरम्मत हेतु मिस्त्री को निर्गत आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
 6. हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त निकले डेड स्टॉक के सम्बन्ध में विवरण अप्रस्तुत रहा।
 7. ग्राम पंचायत हेतु क्रय आलमारी कुर्सी व मेज हेतु ए0डी0ओ0 पंचायत की स्वीकृति नहीं ली गयी है।
 8. ग्राम पंचायत का स्टॉक/डेड स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- अतः उक्त अपत्तियों से स्पष्ट होता है कि रु0 140000.00 का अनियमित ढंग से आहरण कर व कार्य दर्शाकर भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञान चन्द्र से ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर—171

31.03.2016 को रु0 35000.00 ग्राम प्रधान के पास नकद हस्तगत रखा गया है। जो दिनांक 18.02.2016 से ही यथावत है। इसी बीच दिनांक 22.03.2016 को रु0 25000.00 का आहरण कर भुगतान भी दर्शित है। यह स्पष्ट रूप से प्रमुख सचिव उ0प्र0 के शासनादेश सं0 /2016/3038/33-1-2016 के विरुद्ध है। जिसके अनुसार नकद हस्तगत रखनेकी सीमा रु0 5000.00 की स्वीकृति दी गयी है।

अतः उक्त अपत्तियों से स्पष्ट होता है कि रु0 35000.00 का ग्राम प्रधान के पास नकद हस्तगत रखकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञान चन्द्र से ब्याज सहित अपेक्षित है

(89)

ग्राम पंचायत—रायपुर विकासखण्ड—धर्मापुर जनपद—जौनपुर वर्ष—2015—16

प्रस्तर—172

आलेख्य वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कोषवही में निम्न दिनांक में हैण्डपम्प पार्ट्स क्रय किया गया है। जो कितने हैण्डपम्प मरम्मत का पार्ट्स सामग्री क्रय किया गया, सामान क्रय में दर्शित धनराशियों के सापेक्ष निकाले गये पुराने सामानों का स्टॉक रजि0 क्रय बिल बाउचर, मस्टररोल, हैण्डपम्प की संख्या, एवं खराबी होने की रिपोर्ट, खराबी का वितरण, जल समिति का अनुमोदन, संस्तुति कोटेशन, इत्यादि का उल्लेख सूची के आधार पर नहीं कराया गया जो कोई नियम का

अनुपालन न कर मनमाने कार्य कराया गया। जो कितने हैण्डपम्प व कितने दरवाजे पर मरम्मत कराया गया इसकी पुष्टि स्टाक रजि० में दर्ज कर स्वीकृति सूची से पुष्टि नहीं करायी गयी। और न कार्यवाही रजि० की पुष्टि में रखी गयी, जो धनराशि गम्भीर आपत्ति जनक और अनिमितता किया गया है।

जो हैण्डपम्प मरम्मत और पार्ट्स सामग्री क्रय, मजदूरी सहित की कुल धनराशि 51944.00 खर्च किया गया है। जिसके सापेक्ष में जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी(सचिव) से नियमतः बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अति आवश्यक है।

दिनांक	बाउचर नं०	पार्ट सामग्री क्रय का नाम	धनराशि व्यय
20.04.2015	1	कोई नाम नहीं दर्ज है।	12500.00
06.06.2015	10	कोई नाम नहीं दर्ज है।	15800.00
04.08.2015	24	कोई नाम नहीं दर्ज है।	14644.00

योग— 42944.00

दिनांक	बाउचर	हैण्ड पम्प मरम्मत का नकद भुगतान प्रधान द्वारा धनराशि
24.01.2015	2	3600.00
05.06.2015	9	2400.00
05.08.2015	23	3000.00

योग— 9000+42944 कुल धनराशि रू० 51944.00

प्रस्तर-173

आलोच्य वर्ष-2015-16 के निम्न दिनांक में निम्न जगहों पर खडन्जा निर्माण में ईट क्रय और मजदूरों का मजदूरी भुगतान प्रधान द्वारा नकद भुगतान किये जाने में निर्माण पत्रावली, निर्माण कार्य पंजी, वर्ष में कौन-कौन सी परियोजनायें निर्माण कार्य में स्वीकृत की गयी थी। तथा उनकी अनुमानित लागत एवं तकनीकी स्वीकृति की स्थिति क्या थी, वर्ष प्रारम्भ की तिथि क्या थी, तथा समाप्त की तिथि क्या थी तथा पदतत्त समय क्या था। निर्माण कार्य पदन्त, कार्य प्रभारी की नियुक्ति का सम्बन्धित समिति का अनुमोदन संस्तुति और क्रय ईट क्रय व सामानों का स्टाक रजि० में दर्ज न होना कितना ईट लगा कितना शेष बचा सामग्री क्रय कोटेशन टेन्डर आमन्त्रण प्राप्त टेन्डर न्यूनतम दर का निर्धारण क्रय आदेश बिल बाउचर राजकीय राजस्व की कटौति जमा एवं शेष कार्यपूर्ति एम०बी०सी०आर०, कार्य स्थल का विवरण, निर्माण सामग्री की अपूर्ति एवं बैध्य रमन्ना,(एम०एम० 11) की स्थिति परिसम्पत्तियों का सृजन,परसम्पत्ति रजि० का अंकन कार्य, आदि की अनुपलब्धता के कारण इसकी पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार निर्माण सामग्री का क्रय पूर्णतः संदिग्ध रहा। व्यय की गयी कुल धनराशि रू० 385791.00 अपुष्टित है। जो गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त आहरण के सापेक्ष कैशबुक में निम्नविवरणानुसार कार्यों पर नकद भुगतान दर्शित किया गया है। से नियमतः बराबर-बराबर वसूल किया अपेक्षित है।

दिनांक	खडन्जा निर्माण में ईट प्रथम श्रेणी	दर	धनराशि
22.06.2015	9000 नग	6500	58500.00
22.06.2015	18000 नग	6500	117000.00
22.06.2015	18000 नग	6500	117000.00
29.07.2015	900 नग	6500	5850.00
24.09.2015	2700नग	6500	17550.00

कुल धनराशि— 315900.00

उपरोक्त निर्माण कार्यो हेतु वर्ष में कुल धनराशि 315900.00 ईट प्रथम श्रेणी कय दर्शित है। जिसके सापेक्ष में दर 18 रू0 प्रति हजार की दर से रू0 5686.00 रायल्टी की कटौती न करके राजस्व की छती की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य खनिज सम्पदा का अपूर्ति में न तो रमन्ना (एम0एम0 11) प्राप्त है। एवं न ही रायल्टी काटी गयी है। रायल्टी जमा की पुष्टि में चालान की प्रति भी प्रस्तुत नहीं है। जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-174

वर्ष के निम्न दिनांक को निम्न जगहो पर खडन्जा निर्माण व मरम्मत से सम्बन्धित एम0बी0/लम्बाई/चौडाई का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं है। एक ही खडन्जों के निर्माण में विभिन्न तिथियों में मजदूरों की मजदूरी खडन्जा निर्माण कार्य में दिखाया गया है जो वास्तविकता से परे है। विभिन्न तिथियों में दर्शित मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल बिल बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी भुगतान दर्शित किया गया है। जबकि बैंक खातों के माध्यम से होना चाहिए था। उक्त की स्थिति में निर्माण कार्य व मजदूरी भुगतान संदिग्ध है। दर्शित व्यय की धनराशि 69891.00 की पुष्टि बिल बाउचर मस्टररोल कार्यपूर्ति,एम0बी, परिसम्पत्ति रजि0, स्टॉक रजि0,कार्यवाही रजि पंजिका, जिले की स्वीकृत सूची के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी उक्त गम्भीर अनियमितता का दयित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (सचिव)की होती है। उक्त धनराशि 69891.00 जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	मजदूर/मजदूरी	उक्त धनराशि का नकद भुगतान
05.06.2015	130X161	20930.00
05.06.2015	8X61	1288.00
12.06.2015	157X161	31717.00
22.06.2015	16X161	3076.00
04.09.2015	80X161	12180.00

योग- 69891.00

(90)

ग्राम पंचायत-रामपुर विकासखण्ड-रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16

प्रस्तर-175

विकास खण्ड कार्यालय रामपुर पर लगातार लिखित कार्यक्रम देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह से सम्पर्क करने का वावजूद उनके द्वारा केवल ग्राम निधि खाता सं0 21289 की बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया गया इसके कोई अन्य अभिलेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिससे आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि
1	04.04.2015	21065631	45000.00
2	07.04.2015	21065633	45000.00
3	07.04.2015	21065632	45000.00
4	15.04.2015	21065634	45000.00
5	22.04.2015	21065635	45000.00
6	24.04.2015	21065637	45000.00
7	24.04.2015	21065636	45000.00
8	05.05.2015	21065639	47000.00
9	05.05.2015	21065638	45000.00
10	05.05.2015	21065640	47000.00

11	10.07.2015	21077501	45000.00
12	13.07.2015	21077502	45000.00
13	15.07.2015	21077503	4000.00
14	10.08.2015	21077504	36000.00
15	04.09.2015	21077507	19000.00
16	04.09.2015	21077505	45000.00
17	04.09.2015	21077506	45000.00
		योग—	693000.00

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि खाता सं० 21289 से आहरित सम्पूर्ण धनराशि 693000.00 अपहरित कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री भोरिक सोनकर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नगेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप- 4

जनपद-वाराणसी

1-ग्राम पंचायत-रसूलपुर विकास खण्ड-पिण्डरा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर - 1

वर्ष 2015-16 में तृतीय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य पर कोष बही में अंकन रु० 197100.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	कय सामग्री / मजदूरी	धनराशि
1	पी०डब्लू०डी० रोड से भोला धरकार के घर तक खण्डजा मरम्मत	18.05.15	मिट्टी कय	14000
		18.05.15	ईट(मात्रा अंकित नहीं)	91000
		18.05.15	मजदूरी	48000
	योग(सामग्री अंश ईट/मिट्टी-105000, मजदूरी- 48000)			153000
2	बबलू के घर से जितेन्द्र मिश्र के घर तक खण्डजा मरम्मत	09.09.15	मिट्टी कय	11500
		14.09.15	ईट(मात्रा अंकित नहीं)	22100
		14.09.15	मजदूरी	10500
	योग(सामग्री अंश ईट/मिट्टी- 49400, मजदूरी-30000)			44100

उपरोक्तानुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य हेतु सामग्री(ईट) कय रु० 113100.00(91000+22100), मिट्टी कय रु० 25500.00(14000+11500), एवं मजदूरी रु० 58500.00(48000+10500), कुल रु० 197100.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत हैं :-

- 1- उपरोक्त दर्शित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम०बी० भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।
- 2- ईट कय हेतु निविदा/कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई कय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। कय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। कय की गयी ईट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
- 3- मिट्टी कय पर रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है।
- 4- दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

5- क्रमांक 1 पर अंकित कार्य का समस्त भुगतान एक ही दिन दिनांक 18.05.15 को दर्शित है जबकि मिट्टी एवं ईट क़य तथा उसी कार्यपूर्ण हो जाना सम्भव नहीं है।

6-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

7-सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

8-उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टररोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क़य किया गया न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 197100.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 2

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सोख्ता निर्माण पर कोष बही में अंकन रु0 38520.00 व्यय दर्शित किया गया है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क़य सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	मैनुद्दीन तथा उमा के घर के पास हैण्डपम्प सोख्ता निर्माण	07.07.15	मजदूरी	8400
		08.07.15	सामग्री (मद अंकित नहीं)	11590
		09.07.15	ईट	18530
	योग(सामग्री अंश- 30120, मजदूरी- 8400)			38520

उपरोक्तानुसार भूमिगत नाली निर्माण पर ईट/सामग्री क़य रु0 30120.00 एवं मजदूरी रु0 8400.00 कुल रु0 38520.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं:-

1. हैण्डपम्प सोख्ता निर्माण की स्वीकृति, वित्तीय/ तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ ऊंचाई का कोई उल्लेख नहीं है।
2. सामग्री क़य का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क़य प्रमाणक के रु0 11590.00 की सामग्री क़य दर्शित है। सामग्री को स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।
3. ईट क़य का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क़य प्रमाणक के रु0 18530.00 की ईट क़य दर्शित है। ईट को स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
5. सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्य पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।
6. मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क़य की गयी न ही सोख्ता निर्माण किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 38520.0 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 3

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोष बही में अंकन रु0 70000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/ मजदूरी	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 7 नग	29.04.15	सामग्री	10600.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 5 नग	02.06.15	मजदूरी	8100.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 15 नग	07.07.15	सामग्री	21200.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 16 नग	09.09.15	सामग्री	20100.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	09.09.15	मजदूरी	10000.00
	योग(सामग्री अंश-60000, मजदूरी-10000)			70000.00

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु० 60000.00 एवं मजदूरी रु० 10000.00, कुल रु० 70000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1. हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहां कहां स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तालिका के अनुसार मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या भी अंकित नहीं है।
2. हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु० 60000.00 की सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।
3. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
4. मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टररोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।
5. किन स्थानों पर हैण्डपम्प के मरम्मत कराए गये हैं उनका स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास है भी या नहीं इसका कोई उल्लेख अभिलेखों में नहीं पाया गया।
6. बदले गये पार्ट्स की पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे पुराने पार्ट्स के आमद एवं निस्तारण की स्थिति अज्ञात रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु० 70000.0 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो० साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 4

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार पुलई गुरु के घर के पीछे से होते हुए बबलू कोहार के घर तक नाली निर्माण कार्य पर कोष बही में अंकन रु० 207815.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/ मजदूरी	धनराशि
1	पुलई गुरु के घर के पीछे से होते हुए बबलू कोहार के घर तक नाली निर्माण कार्य	04.04.15	हयूम पाइप	71880.00
		06.04.15	सीमेन्ट	6400.00
		29.04.15	सामग्री(मद अंकित नहीं)	27500.00
		06.05.15	हयूम पाइप	71880.00
		07.05.15	मजदूरी	11855.00
		08.05.15	सामग्री(मद अंकित नहीं)	7850.00
		08.05.15	ईट	10450.00
	योग(सामग्री अंश-195960, मजदूरी-11855)			207815.00

उपरोक्तानुसार दर्शित कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 195960.00(71880+6400+27500+71880+7850+10450) एवं मजदूरी रु० 11855.00, कुल रु० 207815.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1. उपरोक्त दर्शित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।
2. ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
3. दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।
4. निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान दिनांक 07.05.15 को दर्शित है अर्थात् कार्य पूर्ण होना दिनांक 07.05.15 को ही दर्शित है किन्तु इसके बाद दिनांक 08.05.15 को सामग्री एवं ईट क्रय किया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है।
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
6. सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।
7. उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क्रय किया गया न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 207815.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 5

दिनांक 13.07.15 को रु0 10000.00 परिवार रजिस्टर के कम्प्यूटरी करण हेतु व्यय दर्शित किया गया है जिसके पक्ष में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा और न ही मांग के बावजूद कम्प्यूटरी कृत रजिस्टर लेखा परीक्षा में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। इसके अभाव में प्रतीत होता है कि किसी रजिस्टर का कम्प्यूटरीकरण नहीं कराया गया है अपितु समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 10000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

2— ग्राम पंचायत –राजवाड़ी विकास खण्ड— चोलापुर वर्ष— 2015—16

प्रस्तर – 6

ग्राम पंचायत राजवाड़ी की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायत में ड्रेन वर्क में निम्न विवरण के आधार पर कुल रु0 164060.00 का व्यय दर्शाया गया है। खाते से निकासी की धनराशि एवं रोकड़बही में व्यय दर्शायी गई धनराशि का विवरण निम्न है :-

खाते से निकासी का विवरण			रोकड़बही में दर्शाया गया व्यय विवरण		
दिनांक	धनराशि	नकद/अंतरण	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
06.04.15	15330.00	नगद निकासी	06.04.15	15330.00	रविशंकर के घर के सामने ड्रेन वर्क हेतु मैटेरियल्स
06.04.15	47396.00	नगद निकासी	06.04.15	47396.00	रविशंकर के घर के सामने ड्रेन वर्क हेतु हयुम पाइप क्रय
16.04.15	21352.00	नगद निकासी	16.04.15	21352.00	रविशंकर के घर के सामने ड्रेन वर्क हेतु मैटेरियल्स
06.04.15	51900.00	नगद निकासी	06.04.15	51900.00	कन्हैया गौड़ के घर के सामने ड्रेन वर्क हेतु हयुम पाइप

06.04.15	14040.00	नगद निकासी	06.04.15	14040.00	रविशंकर के घर के सामने ड्रेन वर्क की मजदूरी
06.04.15	14040.00	नगद निकासी	06.04.15	14040.00	कन्हैया गौड़ के घर के सामने ड्रेन वर्क की मजदूरी
योग	164060.00		योग	164060.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह अप्रैल-15 में उपरोक्त कार्यों हेतु कुल नकद रु0 164060.00 खाते से आहरित किया गया है जिसका समायोजन लेखा विभिन्न तिथियों में पारित की गई है। निर्माण नियमावली के अनुसार सर्वप्रथम कार्य का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित होने पर उसकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के बाद धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है। इस्टीमेट के अनुसार आवश्यक सामग्री की माँग पर आपूर्ति पंजीकृत सप्लायर्स द्वारा की जाती है। उक्त सामग्री आमद को स्टॉक पंजिका में दर्ज होने पर निर्माण समिति की संस्तुति के क्रम में उपलब्ध चालान एवं बिल/बाउचर के आधार पर टी0डी0एस0(व्यापार कर/आयकर) काट कर एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा रनिंग बिल का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर नकद निकासी कर प्रधान/ कार्यप्रभारी द्वारा की जाती है। समस्त कार्य का अवर अभियंता/अभियंता(आर0ई0एस0) द्वारा परिमाण कर माप-पुस्तिका में विवरण दर्ज किया जाता है। कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। सृजित कार्य को परिसंपत्ति पंजिका में दर्ज किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त कार्य के संबंध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

(क) व्यय विवरण से स्पष्ट है कि रविशंकर के घर के सामने ड्रेन वर्क हेतु दिनांक 16.04.15 को इस परियोजना पर तीसरी बार सामग्री क्रय दर्शाया गया है, लेकिन उक्त सामग्री के प्रयोग के क्रम में दिनांक 06.04.15 के बाद की तिथियों में इस कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है। सामग्री के सापेक्ष स्टॉक पंजिका भी अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

(ख) सामग्री के सापेक्ष चालान बिल/बाउचर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

(ग) मजदूरी भुगतान के सापेक्ष मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कार्य पर कुल रु0 164060.00 का व्यय दर्शाकर तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार(82030) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दु सिंह(82030) से अपेक्षित है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत -कटारी विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर - 7

01.1-वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम(राज्य वित्त/चौदहवां वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 562329.00 का स्टॉक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान, बिल, वाउचर प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नहीं है।

01.2-स्टॉक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।

01.3-उक्त स्टॉक के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है।

01.4-धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40 क-3(घ) के अनुसार रु0 5000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।

01.5-क्रमांक 11 पर दर्शित रु0 126125.00 का मात्र सामग्री क्रय किया गया है, आलोच्य वर्ष में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

01.6-क्रमांक 12 पर दर्शित रु0 37940.00 के क्रय सामग्री का उपयोग ग्राम पंचायत के किस स्थान पर स्थित हैण्डपम्प के प्लेटफार्म के निर्माण पर उपयोग किया गया, ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका।

उक्त स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी जल प्रबन्धन समिति से नहीं करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0 562329.00 अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अनिल

कुमार(ग्राम विकास अधिकारी) से रु0 281164.50 एवं श्री लक्ष्मीना देवी(ग्राम प्रधान) से रु0 281164.50 किया जाना अपेक्षित है। कय किये गये स्टाक का विवरण निम्न है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	सामग्री का विवरण
1	06.04.15	21740	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
2	05.05.15	49300	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
3	08.05.15	26950	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
4	25.05.15	48890	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
5	20.06.15	29969	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
6	14.09.15	49860	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
7	21.09.15	39980	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
8	22.03.16	43982	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
9	22.03.16	49607	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
10	31.03.16	37986	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
11	07.05.16	126125	खडन्जा मरम्मत हेतु ईट व राबिस
12	03.06.15	37940	हैण्डपम्प का प्लेटफार्म निर्माण हेतु सामग्री
	योग	562329	

प्रस्तर – 8

02.1- वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम (राज्य वित्त/चौदहवों वित्त) के द्वारा रु0 140848.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में कैशबुक में दर्शित है। भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार (ग्रा0वि0अ0) से रु0 70424.00 एवं श्रीमती लक्ष्मीना देवी (ग्राम प्रधान) से रु0 70424.00 किया जाना अपेक्षित है।

02.2- वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पत्ति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात न हो सका की कैशबुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है। वे वास्तव में कराये गये या नहीं क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से ही लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ण होने की पुष्टि होती है। साथ ही साथ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मजदूरी भुगतान ग्राम पंचायत के संज्ञान में नहीं लाया गया। निर्माण समिति/जल प्रबंधन समिति से कार्य पूर्ण होने तथा भुगतान करने की स्वीकृति नहीं ली गयी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मस्टर रोल के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	कार्य
1	05.05.15	12804	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
2	11.05.15	7566	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
3	15.05.15	39000	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
4	20.06.15	11640	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
5	21.09.15	3490	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
6	21.03.15	15132	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
7	21.09.15	11640	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
8	22.03.16	13968	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
9	31.03.16	10476	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
10	20.06.15	15132	हैण्डपम्प प्लेटफार्म निर्माण की मजदूरी
	योग	140848	

4- ग्राम पंचायत –परानापट्टी विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर – 9

ग्राम पंचायत परानापट्टी की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायत में खडन्जा/हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में निम्न विवरण के आधार पर कुल रू0 303000.00 का व्यय दर्शाया गया है। खाता से निकासी की धनराशि एवं रोकड़बही में व्यय दर्शायी गई धनराशि का विवरण निम्न है-

खाते से निकासी का विवरण			रोकड़बही में दर्शाया गया व्यय विवरण		
दिनांक	धनराशि	नकद/अंतरण	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
05.08.15	65000	नगद निकासी	05.08.15	65000	देवराज प्रजापति के घर के सामने से मिश्री सोनकर के घर तक खडन्जा हेतु ईट क्रय
07.08.15	65000	नगद निकासी	07.08.15	65000	विजेन्द्र के घर से शंकर जी के मंदिर तक खडन्जा हेतु ईट क्रय
24.08.15	39000	नगद निकासी	24.08.15	39000	विजेन्द्र के घर से शंकर जी के मंदिर तक खडन्जा हेतु ईट क्रय
21.09.15	84500	नगद निकासी	21.09.15	84500	विजेन्द्र के घर से शंकर जी के मंदिर तक खडन्जा हेतु ईट क्रय
22.03.15	49500	अंतरण	22.03.15	49500	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
योग	303000		योग	303000	

उपरोक्त कार्य हेतु कुल नकद रू0 303000.00 खाते से आहरित किया गया है, जिसका समायोजन लेखा विभिन्न तिथियों में पारित की गई है। निर्माण नियमावली के अनुसार सर्वप्रथम कार्य का प्रस्ताव ग्रा0पं0 द्वारा पारित होने पर उसकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उपलब्ध धन होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है। इस्टीमेट के अनुसार आवश्यक सामग्री की मांग पर आपूर्ति पंजीकृत सप्लायर्स द्वारा की जाती है। उक्त सामग्री आमद को स्टॉक पंजिका में दर्ज होने पर निर्माण समिति की संस्तुति के कम में उपलब्ध चालान एवं बिल/बाउचर के आधार पर टी0डी0एस0(व्यापार कर/आयकर) काटकर एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा रनिंग बिल का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर नकद निकासी कर प्रधान/कार्यप्रभारी द्वारा की जाती है। समस्त कार्य का अवर अभियंता/अभियंता (आर0ई0एस0) द्वारा परिमाण कर माप-पुस्तिका में विवरण दर्ज किया जाता है। कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। सृजित कार्य को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त कार्य के संबंध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गई-

क- व्यय विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है। सामग्री के सापेक्ष स्टॉक पंजिका भी अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ख- सामग्री के सापेक्ष चालान, बिल/बाउचर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

ग- हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में मात्र सामग्री क्रय करना दर्शित है, सामग्री क्रय के पश्चात आलोच्य वर्ष मजदूरी देने का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और न ही जल प्रबन्धन समिति द्वारा कार्य का अनुमोदन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त क्रय काल्पनिक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कार्य पर कुल रू0 303000.00 का व्यय दर्शाकर तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधि0 श्री अशोक राजभर (151500) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गीता विश्वकर्मा (151500) से अपेक्षित है।

5- ग्राम पंचायत-कैथोर विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-10

1-वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम (राज्य वित्त/चौदहवॉ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू0 222290.00 का स्टॉक कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान, बिल, बाउचर प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नहीं है।

2- स्टॉक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।

3- उक्त स्टॉक के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है।

4- धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क-3(घ) के अनुसार रु0 5000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।

उक्त स्टॉक क़य के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क़य दर्शाकर रु0 222290.00 अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अशोक राजभर(ग्रा0पं0अ0) से रु0 111145.00 एवं श्री लालचन्द विश्वकर्मा(ग्राम प्रधान) से रु0 111145.00 किया जाना अपेक्षित है।

क़य के स्टॉक का विवरण निम्न है :-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	सामग्री का विवरण
1	15.05.15	10150.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
2	16.05.15	19150.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
3	04.08.15	38500.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
4	23.10.15	14730.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
5	19.03.16	33360.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
6	19.05.15	54150.00	सोख्ता निर्माण सामग्री
7	01.09.15	32050.00	खडन्जा मरम्मत हेतु ईट
8	10.09.15	2700.00	खडन्जा मरम्मत हेतु राबिस
9	28.09.15	17500.00	खडन्जा मरम्मत हेतु राबिस
	योग	222290.00	

प्रस्तर-11

1- वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम(राज्य वित्त/चौदहवां वित्त) के द्वारा रु0 47426.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में कैशबुक में दर्शित है। भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अशोक राजभर(ग्रा0पं0अ0) से रु0 23713.00 एवं श्री लालचन्द विश्वकर्मा(ग्राम प्रधान) से रु0 23713.00 किया जाना अपेक्षित है।

2-वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कैश बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है, वे वास्तव में कराये गये या नहीं क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र से ही लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ण होने की पुष्टि होती है। साथ ही साथ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मजदूरी भुगतान ग्राम पंचायत के संज्ञान में नहीं लाया गया। निर्माण समिति/जल प्रबन्ध समिति से कार्य पूर्ण होने तथा भुगतान करने की स्वीकृति नहीं ली गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मस्टररोल के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	सामग्री का विवरण
1	16.06.15	11440.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
2	04.08.15	11440.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
3	23.10.15	5720.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
4	19.03.16	11640.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
5	27.05.15	3000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
6	04.08.15	4186.00	सोख्ता निर्माण सामग्री
	योग	47426.00	

6- ग्राम पंचायत-मंगोलेपुर विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-12

1-वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम से विभिन्न तिथियों में रु0 84580.00 का हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार क़य किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क़य स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया और न ही उससे सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत किया गया।

2- स्टॉक आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजीका भी नहीं बनायी गयी है।

3- उक्त स्टाक कय के भुगतान की स्वीकृति भी जल प्रबन्धन समिति से नहीं करायी गयी है।

4-धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क-3(घ) के अनुसार रु0 5000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।

5-व्ययों के औचित्य हेतु कार्यवाही पंजिका भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

6- ग्राम पंचायत के किन-किन हैण्डपम्पों पर उक्त कय सामग्री का उपभोग किया गया विवरण अनुपलब्ध रहा।

क्रय किये गये स्टाक का विवरण निम्न है :-

क्र 0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण
1	09.05.15	14760.00	अस्पष्ट/अज्ञात
2	20.05.15	12800.00	अस्पष्ट/अज्ञात
3	04.08.15	18320.00	अस्पष्ट/अज्ञात
4	14.08.15	14500.00	अस्पष्ट/अज्ञात
5	04.09.15	24200.00	अस्पष्ट/अज्ञात
	योग	84580.00	

इस सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

1-वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम के द्वारा रु0 11600.00 का भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी के रुप में कैश बुक में दर्शित है। भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला(रु0 5800.00) एवं श्री ओंकार ग्राम विकास अधिकारी (रु0 5800.00) से अपेक्षित है।

2- भुगतान किये गये धनराशि की जांच बैंक स्टेटमेंट से किये जाने पर पाया गया कि उक्त मजदूरी का आहरण बैंक से कैश आहरित किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण कैश बुक के अनुसार
1	25.05.15	2000.00	अस्पष्ट/अज्ञात
2	10.08.15	3000.00	अस्पष्ट/अज्ञात
3	14.08.15	1800.00	अस्पष्ट/अज्ञात
4	07.09.15	4800.00	अस्पष्ट/अज्ञात
	योग	11600.00	

प्रस्तर-14

1- वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम के द्वारा दिनांक 26.08.2015 को किशोरी के घर के पास जल निकासी हेतु रु0 13585.00 का ह्युम पाइप कय पर व्यय किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि उक्त जल निकासी के निर्माण हेतु अन्य सामग्री किन तिथियों में कय की गई तथा उक्त कार्य की मजदूरी पर किन तिथियों में और कितनी धनराशि व्यय की गई है।

2-धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क-3(घ) के अनुसार रु0 5000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।

3-व्ययों के औचित्य हेतु कार्यवाही पंजिका भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

4-स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।

जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

1- वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम के द्वारा दिनांक 25.08.2015 को ग्राम पंचायत के विभिन्न चक मार्ग एवं नहर पर पुलिया हेतु रु0 36795.00 का ह्युम पाइप कय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

2- स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।

3- उक्त क्रय ह्युम पाइप का उपयोग ग्राम पंचायत के किन स्थानों पर प्रयोग किया गया ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका।

4-ययों के औचित्य हेतु कार्यवाही पंजिका भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

5-धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क-3(घ) के अनुसार रु0 5000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए। जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

1-वर्ष 2015-16 में खाता प्रथम से दिनांक 01.09.2015 को रु0 18193.00 ग्राम पंचायत के चकमार्ग एवं नहर पर ह्युम पाइप लगाने की मजदूरी का भुगतान करना कैश बुक में दर्शित किया गया है। भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे ब्याज सहित भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला(रु0 9096.50) एवं श्री ओंकार ग्राम विकास अधिकारी (रु0 9096.50) से अपेक्षित है।
2- भुगतान किये गये धनराशि की जांच बैंक स्टेटमेंट से किये जाने पर पाया गया कि उक्त मजदूरी का आहरण बैंक से कैश आहरित किया गया है।

7- ग्राम पंचायत-जरियारी विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-17

ग्राम पंचायत जरियारी के ग्राम निधि प्रथम की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण व गंभीर अनियमितता प्रकाश में आयी। इस पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	दिनांक	रोकड़ में विवरण	धनराशि	विवरण
1	15.05.15	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	54150.00	प्रमाणक नहीं
2	27.05.15	हैण्डपम्प मजदूरी	15000.00	प्रमाणक नहीं
3	31.08.15	बरखू चौहान, रामजतन, कल्पू का हैण्डपम्प की सामग्री	6000.00	मजदूरी नहीं दी गयी
4	14.01.16	राजू, पप्पू, बच्चेलाल, हरिहर, दिनेश की हैण्डपम्प मजदूरी	14000.00	इस पर सामग्री क्रय नहीं है
5	15.02.16	प्रा0पा0वर्जी, कल्पू, विश्वनाथ, रामविलास के हैण्डपम्प की सामग्री रु0 25500.00 व मजदूरी रु0 10000.00	35500.00	प्रमाणक विहिन
		योग	124650.00	

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां रहीं :-

1- किसी का क्रय प्रमाणक यथा बिल/वाउचर/चालान प्राप्त नहीं है।

2- क्रम सं0 3 पर सामग्री के उपयोग हेतु मजदूरी नहीं दी गयी है।

3- क्रम सं0 4 पर मजदूरी दी गयी है किन्तु कोई सामग्री खरीद नहीं की गयी है जो संभव नहीं है।

4- कार्य का प्रस्ताव, हैण्डपम्प खराब होने की जांच रिपोर्ट, अनुमानित लागत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, कार्यपूति प्रमाणपत्र, निरीक्षण पत्र, स्टाक पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं है।

5-निष्प्रयोज्य सामग्री के बिक्री से आय नहीं दर्शायी गयी है।

6-दिनांक 14.01.16 को रु0 49500.00 आहरित किया गया जिसमें दिनांक 14.01.16 को रु0 14000.00 का फर्जी व्यय दर्शाया गया। शेष धन रु0 35500.00,33 दिन तक रोककर रखा गया फिर इसे दिनांक 15.02.16 को फर्जी व्यय दर्शा दिया गया।

स्पष्ट है कि उक्त फर्जी हैण्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर रु0 124650.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 75150.00 सचिव श्री अशोक राजभर व प्रधान श्री राधेमोहन से 50-50 प्रतिशत तथा रु0 49500.00 सचिव श्री अशोक राजभर तथा श्रीमती नीलम सिंह, प्रधान से 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

क्र०सं०	दिनांक	रोकड़ में विवरण	धनराशि
1	09.11.15	हैण्डपम्प सामग्री क्रय रु० 29250.00 एवं मजदूरी रु० 11000.00	40250.00
		योग	40250.00

रोकड़ बही में दर्शित उक्त व्यय प्रधान चुनाव के आचार संहिता के दौरान किया गया। रु० 40250.00 की गंभीर अनियमितता के लिए श्री अशोक राजभर उत्तरदायी रहे। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8- ग्राम पंचायत-बेला विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत बेला के ग्राम निधि-प्रथम की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण व गंभीर अनियमितता प्रकाश में आयी। इस पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	रोकड़ वही में दर्ज विवरण	धनराशि
1(क)	06.09.15	पू०मा०वि० प्रा०पा० महामाया मंदिर, विजय विश्वकर्मा, जयप्रकाश मौर्या, लल्लू मौर्या के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	27300.00
1(ख)	30.11.15	सोमारु राजभर, लालजी, पारस राजभर, रामलखन यादव, लल्ला, फूलचंद, सुरेश के घर के सामने हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री का भुगतान	17400.00
	योग		44700.00

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां रहीं :-

- 1- क्रय प्रमाणक यथा बिल/वाउचर/चालान प्राप्त नहीं है।
- 2- सामग्री के उपयोग हेतु मजदूरी नहीं दी गयी है।
- 3- कार्य का प्रस्ताव, हैण्डपम्प खराब होने की जांच रिपोर्ट, अनुमानित लागत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, निरीक्षण पत्र, स्टाक पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं है।
- 4- निष्प्रयोज्य सामग्री के बिक्री से आय नहीं दर्शायी गयी है। न ही स्टाक में इसकी प्रविष्टि की गयी है।
- 5- रु० 27300.00 का भुगतान भी फर्म को खाते में न करके नगद किया गया है। इसी प्रकार रु० 17400.00 खाते में फर्म को भुगतान न करके किसी और के खाते में किया गया है। जो वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।

स्पष्ट है कि उक्त फर्जी मरम्मत व्यय दर्शाकर रु० 44700.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु० 22350.00 सचिव, श्री ओंकार तथा रु० 22350.00 श्री नन्दलाल, प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

क्र०सं०	दिनांक	रोकड़ वही में दर्ज विवरण	धनराशि
1	29.01.16	राम आसरे के घर के पास कूप जगत मरम्मत हेतु ईट क्रय 6000 नग दर 6500/हजार	39000.00
		योग	39000.00

रोकड़ बही में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं :-

- 1- क्रय प्रमाणक यथा बिल/वाउचर/चालान प्राप्त नहीं है।
- 2- उक्त कार्ययोजना का प्रस्ताव, प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, एम०बी०, निरीक्षण प्रमाणपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक रजिस्टर जैसे अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए।
- 3- उक्त व्यय के क्रय के वित्तीय औचित्य की पुष्टि हेतु कोटेशन आमंत्रित नहीं है।
- 4- भुगतान फर्म को न देकर प्रधान द्वारा नगद दिया गया दर्शाया है।
- 5- उक्त कूप निर्माण की मजदूरी नहीं दी गयी है। बिना मजदूरी के निर्माण संभव नहीं है। स्पष्ट है कि ईट क्रय के नाम पर दुरभिसंधि कर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली रु० 19500.00 सचिव श्री ओंकार तथा रु० 19500.00 प्रधान श्री नन्दलाल से की जानी अपेक्षित है।

9- ग्राम पंचायत-भदवां विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-21

ग्राम पंचायत भदवां के ग्राम निधि-प्रथम की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण व गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आयी। इस पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

क्र०सं०	दिनांक	रोकड़ में विवरण	धनराशि	विवरण
1	26.06.15	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	18600.00	मजदूरी नहीं दी गयी।
2	23.12.15	सुरेन्द्र चौबे, कण्डार, रामजीत, बंगाली के हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री।	15400.00	मजदूरी नहीं दी गयी।
3	21.03.16	हीरालाल, संतोष, देवराज, दृगपाल, प्रा०पा० राजेन्द्र, जयशंकर, रामजी का हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री रु० 20500.00 व मजदूरी रु० 4800.00	25300.00	-
		योग	59300.00	

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां रहीं :-

- 1- 1,2,3 पर क्रय सामग्री का प्रमाणक यथा बिल/वाउचर/चालान प्राप्त नहीं है।
- 2- क्रम सं०-1 पर दर्शाये व्यय में स्थान व स्थल का नाम नहीं है।
- 3- क्रम सं०-2 पर सामग्री के उपयोग हेतु मजदूरी नहीं दी गयी है।
- 4- क्रम सं०-3 पर रु० 4800.00 का मस्टररोल भी प्राप्त नहीं है।
- 5- क्रम सं०-1 का भुगतान किसी शिवकुमार को तथा क्रम सं०-3 का प्रधान द्वारा रु० 25000.00 आहरित कर नकद किया गया है। जबकि भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा किया जाना चाहिए।
- 6- कार्य का प्रस्ताव, हैण्डपम्प खराब होने की जांच रिपोर्ट, अनुमानित लागत, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, निरीक्षण पत्र, स्टाक पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं है।
- 7-निष्प्रयोज्य सामग्री के बिक्री से आय नहीं दर्शायी गयी है न ही स्टाक में अंकन है।
- 8- क्रमांक 02 पर अंकित व्यय रु० 15400.00 आचार संहिता के दौरान किया गया है। जो गंभीर अनियमितता है।

स्पष्ट है कि उक्त फर्जी हैण्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर रु० 59300.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु० 29650.00 सचिव श्री ओंकार व प्रधान श्री राधेश्याम से रु० 17000.00 तथा श्रीमती शांति देवी से रु० 12650.00 की जानी अपेक्षित है।

10- ग्राम पंचायत-बनतरी विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-22

ग्राम पंचायत बनतरी के ग्राम निधि प्रथम की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण प्रकाश में आया। इस पर उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	आहरित धन	विवरण
1	11.05.15	मनोज चौबे, प्रा०पा० मुशहर बस्ती, शान्ति देवी के दरवाजे पास, राजेन्द्र, श्री प्रकाश सिंह एवं वद्रीपाल के घर के पास हैण्डपम्प मरम्मत पर सामग्री का भुगतान	22300.00	मजदूरी नहीं दी गयी/प्रमाणक नहीं है।
2	28.01.16	बैजनाथ, विखदी, प्रा०पा० महामाईदायी, राजेन्द्र, वद्रीपाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान 3600.00 व सामग्री पर व्यय रु० 18400.00	22000.00	प्रमाणक नहीं है।

- 1- क्रमांक 01 पर अंकित रु0 22300.00 हैण्डपम्पों की सामग्री का भुगतान है जिसका क्रय प्रमाणक यथा बिल/वाउचर नहीं है। इस सामग्री के उपभोग हेतु रोकड़ वही में मजदूरी व्यय नहीं दिया गया है।
- 2- क्रमांक 02 पर व्यय की पुष्टि में प्रमाणक व मजदूरी का मस्टररोल प्राप्त नहीं है।
- 3- क्रमांक 01 पर रुपया 22300.00 की निकासी किसी शिवकुमार द्वारा की गयी है वहीं क्रमांक 02 पर रु0 22000.00 का व्यय प्रधान द्वारा नगद किया गया है। जबकि सामग्री का भुगतान फर्म के खाते में एकाउन्ट पेयी चेक से किया जाना चाहिए था।
- 4- कार्य का प्रस्ताव, हैण्डपम्प खराब होने की जांच रिपोर्ट जिससे मरम्मत की आवश्यकता की पुष्टि हो सके, अनुमानित लागत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, स्टॉक पंजी, निष्प्रयोज्य बिक्री से आय जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

उक्त के आलोक से स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने दुरभिसंधि कर राजकीय धन रु0 44300.00 का हैण्डपम्प मरम्मत का सहारा लेकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 22150.00 सचिव श्री ओंकार व प्रधान श्रीमती नीलम से रु0 11150.00 तथा श्री कृष्णकांत से रु0 11000.00 ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत-चोलापुर विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-23

ग्राम पंचायत चोलापुर के ग्राम निधि प्रथम की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण व गंभीर अनियमितता प्रकाश में आयी। इस पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है -

क्र0सं0	दिनांक	विवरण/रोकड़ बही में दर्ज है	आहरित धन	व्यय का विवरण
1 क	18.05.15	श्री साई इण्टर प्राइजेज बड़ी पियरी को ह्यूम पाइप क्रय के बिल का भुगतान	85516.00	कार्य का नाम अंकित नहीं है न ही कहीं उपयोग दर्शाया गया है।
1 ख	11.07.15	'श्री साई इण्टर प्राइजेज बड़ी पियरी को ह्यूम पाइप क्रय के बिल का भुगतान' 1- सूरत यादव के हैण्डपम्प से मेन रोड तक, 2- रामाश्रय के घर से शिवधार के घर तक	50000.00	इस पर मजदूरी पूरे वर्ष नहीं दी गयी है।
		योग	135516.00	

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां रहीं :-

- 1- क्रमांक 1 क व ख पर दर्ज कुल रु0 135516.00 का व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- अंकित व्यय के साथ कार्य का नाम तथा स्थान का उल्लेख नहीं है। सामग्री के उपयोग हेतु कोई मजदूरी नहीं दी गयी है। जिससे क्रय का औचित्य स्पष्ट नहीं होता।
- 3- कार्य योजना, प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति, निरीक्षण पत्र, कार्यपूर्ति, एम0बी0, स्टॉक रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
- 4- मजदूरी व्यय के पुष्टि हेतु मस्टररोल नहीं है।
- 5- सामग्री क्रय का टेण्डर नहीं लिया गया है।
- 6- व्यय किस मद में किया गया है स्पष्ट नहीं है।
- 7- बिल भुगतान के पूर्व टीडीएस की कटौती नहीं की गयी है।

इस तरह रु0 135516.00 सचिव श्री संजय गुप्ता व प्रधान श्रीमती मुन्नी पासी द्वारा सामग्री क्रय कर सामग्री का अपहरण कर लिया गया है।

कुल अपहरण की गयी धनराशि रु0 135516.00 में सचिव श्री संजय गुप्ता से रु0 67758.00 व प्रधान श्रीमती मुन्नी पासी से रु0 67758.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24

क्र०सं०	दिनांक	रोकड़ बही में दर्ज विवरण	धनराशि	योग
1	02.06.15	मेन रोड से नरायन पासी के खेत तक चैम्बर, अवधेश के मशीन से रामधनी चौबे के खेत तक चैम्बर तथा गोला में श्रीकांत के घर से फूलचंद विश्वकर्मा के खेत तक ह्यूम पाइप के चैम्बर का निर्माण हेतु ईट क्रय का भुगतान 2343 नग दर 6400/हजार	14995.00	69055.00
2	08.06.15	नन्द लाल को 8000 नग ईट क्रय का भुगतान दर 6400/हजार	51200.00	
3	29.06.15	उपरोक्त चैम्बर निर्माण की मजदूरी 1 मिस्त्री 5 दिन 260.00+ 2 श्रमिक 5 दिन 156.00 दर	2860.00	

रोकड़ वही में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं :-

- 1- उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव, प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, एम०बी०, निरीक्षण प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर जैसे अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए।
- 2- उक्त व्यय के क्रय के वित्तीय औचित्य की पुष्टि हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं है। टी०डी०एस० कटौती नहीं की गयी है।
- 3- क्र०सं० 01 पर दर्शित व्यय फर्म को खाते में एकाउन्ट पेयी चेक से न देकर प्रधान द्वारा नगद दिया गया है। जबकि क्र०सं० 02 पर व्यय फर्म को न करके किसी नन्दलाल को किया गया है।
- 4- इसी प्रकार 2343+8000 अर्थात् 10343 ईट की लगवाई मजदूरी मात्र रु० 2860.00 दी गयी है। जो संभव प्रतीत नहीं होती। मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

स्पष्ट है कि योजना में वित्तीय नियमों की पूर्णतया अनदेखी की गयी है। उक्त रु० 69055.00 की गंभीर अनियमितता के लिए तत्कालीन सचिव व प्रधान उत्तरदायी रहे। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25

हैण्डपम्प के मरम्मत कार्य हेतु सामग्री के बिल का भुगतान रु० 23000.00 रोकड़वही में दर्शित है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं :-

- 1- क्रय प्रमाणक यथा बिल/वाउचर/चालान प्राप्त नहीं है।
- 2- स्थान का नाम तथा क्रम सं० व संख्या का अंकन नहीं है।
- 3- सामग्री के उपयोग हेतु मजदूरी नहीं दी गयी है।
- 4- कार्य का प्रस्ताव, हैण्डपम्प खराब होने की जांच रिपोर्ट, अनुमानित लागत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, स्टॉक पंजी, निष्प्रयोज्य बिक्री से आय जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं हैं।
- 5- रु० 23000.00 का भुगतान भी फर्म के खाते में न करके किसी ओमप्रकाश को किया गया है। जो नियमों के विरुद्ध है।

स्पष्ट है कि उक्त फर्जी व्यय दर्शाकर रु० 23000.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु० 11500.00 सचिव श्री संजय गुप्ता तथा रु० 11500.00 प्रधान श्रीमती मुन्नी पासी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

दिनांक 27.4.15 को प्रधान मुन्नी पासी को 4 माह सितम्बर से दिसम्बर तक रु० 10000.00 का मानदेय भुगतान किया गया है जो प्रधान को एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया है। उक्त धन स्टेटमेंट के अनुसार किसी सुरेश द्वारा निकाला गया है जो नियमों के विपरीत है। रु० 11500.00 की इस गंभीर अनियमितता हेतु सचिव व प्रधान उत्तरदायी रहे। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

12-ग्राम पंचायत-परनापुर विकास खण्ड- चिरईगांव वर्ष- 2015-16**प्रस्तर-27**

ग्राम पंचायत परनापुर के ग्राम निधि प्रथम के वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण एवं गंभीर अनियमितता प्रकाश में आयी जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

1- दिनांक 20.10.2015 को कैशबुक में रु0 15000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को व्यय न कर अपहृत कर लिया गया है। जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

2- उक्त हैण्डपम्प के किन-किन स्थानों हेतु सामग्री क्रय की गयी विवरण एवं जांच रिपोर्ट, जल प्रबंधन समिति की रिपोर्ट स्वीकृति आदि नहीं रही।

अतएव उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी तत्कालीन सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित रही।

13-ग्राम पंचायत-बड़ालालपुर विकास खण्ड- हरहुआ वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-28

1. ग्राम पंचायत बड़ालालपुर, विकासखण्ड हरहुआ, जनपद वाराणसी के वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण की धनराशि प्रकाश में आयी है। इस पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान यथोचित कार्यवाही की ओर आकृष्ट किया जाता है :-

विभिन्न तिथियों में निम्नांकित धनराशि का व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नांकित है

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया भुगतान	भुगतान प्राप्तकर्ता/फर्म/दुकानदार का विवरण
18.04.15	672614	54450.00	ट्रांसफर	अज्ञात/अस्पष्ट
16.04.15	672415	54450.00	संतोषकुमारसिंह	अज्ञात/अस्पष्ट
28.05.15	672621	55000.00	आशादेवी	अज्ञात/अस्पष्ट
05.06.15	672618	35000.00	ट्रांसफर	अज्ञात/अस्पष्ट
15.07.15	672624	50000.00	कैस नकद चेक	अज्ञात/अस्पष्ट
08.08.15	672629	15000.00	कैस नकद चेक	अज्ञात/अस्पष्ट
19.08.15	672630	40000.00	कैस नकद चेक	अज्ञात/अस्पष्ट
29.08.15	672632	45000.00	यू बी आई	अज्ञात/अस्पष्ट
24.09.15	672634	26000.00	स्वयं	अज्ञात/अस्पष्ट
01.10.15	672635	92000.00	यू बी आई	अज्ञात/अस्पष्ट
03.11.15	672636	16000.00	आशादेवी	अज्ञात/अस्पष्ट
26.08.15	672631	12000.00	अशोककुमार	अज्ञात/मस्टर रोल नहीं
30.09.15	672633	27000.00	यू बी आई	अज्ञात/मस्टर रोल नहीं
	योग	521900.00		

उपरोक्त विभिन्न तिथियों में रु0 521900.00 का व्यय किये गये हैं जिसमें रु0 482900.00 सामग्री खरीद पर और रु0 39000.00 मजदूरी पर व्यय किये गए हैं। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में सामग्री क्रय प्रमाणक/बिल तथा मस्टररोल तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। पंचायत लेखा मैनुअल के आडिट के “बिन्दु 8(क)” के अनुसार दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

2. लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद निम्नलिखित विवरण के अनुसार अभिलेख तैयार कर प्रस्तुत नहीं किये गए। नियमानुसार अभिलेख तैयार नहीं किया जाना गंभीर अनियमितता का द्योतक है :-

1- कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्ययोजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2-कार्य कराये जाने हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति और सम्बन्धित समितियों से व्यय की स्वीकृति और निर्माण हेतु आवंटित कार्यों की सूची सम्बन्धी पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे जिससे यह

स्पष्ट नहीं हो सका कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया गया है जिस पर किये जाने की अनुमति दी गयी है या नहीं।

3— सामग्री क्रय की पुष्टि के सन्दर्भ में स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वास्तव में सामग्री की आमद हुई है या नहीं।

4— परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पिछले वर्षों में कराये गये कार्यों और चालू वर्ष में कराये गये कार्यों का स्पष्ट बिभेद अज्ञात रहा।

5— किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/पीओसीआरओ निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।

6— हैण्डपम्प मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही जल प्रबंधन समिति से मरम्मत की स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं रही, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। फलतः दर्शाए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7— पंचायत लेखा मैनुवल के अनुसार क्रय सम्बन्धी कोई भी भुगतान रु० 2000.00 से ऊपर एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से सिर्फ फर्म या दुकान को किया जाना लेकिन यहां भुगतान चेक से विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है।

उपर्युक्त बिन्दु 1 एवं 2(1-7) को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का मत है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उन पर व्यय दर्शित है वे अनियमित हैं। इस प्रकार कुल रुपये 521900.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

14—ग्राम पंचायत—भगवानपुर विकास खण्ड— हरहुआ वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—29

1. ग्राम पंचायत भगवानपुर, विकासखण्ड हरहुआ, जनपद वाराणसी के वित्तीय वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण व अनियमित व्यय की धनराशि प्रकाश में आयी है। इस पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान यथोचित कार्यवाही की ओर आकृष्ट किया जाता है :—

विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय की गयी है जिसका विवरण निम्नांकित है—

दिनांक	व० न०	चेक संख्या	धनराशि	बिल के अनुसार भुगतान	बिल न०	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान
16.04.15	1	10804 30	15265.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	402	पार्वती
16.04.15	2	80429	7488.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	403	पार्वती
22.04.15	3	80431	10300.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	405	पार्वती
28.04.15	5	80432	10450.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	408	संतोष के सिंह
29.04.15	6	80433	9375.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	409	धर्मेन्द्र मशीनरी
07.05.15	8	80435	10200.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	411	पार्वती
03.07.15	16	83561	5250.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	416	पार्वती
08.07.15		83565	5100.00			नवीन हरद्वारे
20.07.15	20	83569	7000.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	417	स्वयं

20.07.15		83567	5000.00			पार्वती
29.07.15		83571	8150.00			पार्वती
30.07.15		83570	1500.00			संजय
03.08.15	21	83572	6250.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	418	हेमंत
07.08.15		83573	3000.00			सुनील कुमार
07.08.15		83574	1500.00			विनोद
11.08.15		83576	2000.00			मत्तर
27.08.15	27	87964	10250.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	419	मनोज
01.10.15	36	91326	10000.00	धर्मेन्द्र मशीनरी	420	पार्वती
	37			2500-सामग्री +6000-मजदूरी		
		योग	128078.00			

हैण्डपम्प मरम्मत के लिए जिस उपर्युक्त सामग्री का क्रय किया गया है इसमें धर्मेन्द्र मशीनरीसिर्फ एक बार बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 29.04.15 को चेक संख्या 80433 से रु0 9375.00 का (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) भुगतान किया गया है लेकिन (वाउचर नं0-6) के लिए संलग्न बिल नं0 409 में रु0 9335.00 का ही भुगतान अंकित है। इसके अलावा वाउचर नं0 27 में रु0 10250.00 का सामग्री क्रय अंकित है जबकि कैशबुक के अनुसार भुगतान रु0 10200.00 का दर्शित किया गया है। दिनांक 01.10.15 चेक संख्या 91326 से रु0 10000.00 पार्वती देवी को भुगतान किया गया है लेकिन इसमें से रु0 2500.00 की सामग्री खरीद का वाउचर नं0 36 प्रस्तुत रहा लेकिन बाकि रु0 7500.00 में से दिनांक 12.10.15 रु0 6000.00 मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है लेकिन मजदूरी भुगतान के मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

उपर्युक्त कुल रु0 128078.00 में से रु0 122078.00 सामग्री खरीद के नाम विभिन्न व्यक्तियों को दिए गये हैं। लेकिन खरीद के प्रमाणक धर्मेन्द्र मशीनरी के नाम का प्रस्तुत रहा। इसमें रु0 6000.00 के मजदूरी भुगतान के मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार सामग्री खरीद और मजदूरी का किया गया यह भुगतान अनियमित है जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकी। जिस हेतु समुचित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

2. लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद निम्नलिखित विवरण के अनुसार अभिलेख तैयार कर प्रस्तुत नहीं किये गये। नियमानुसार अभिलेख तैयार नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है :-

1-कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्ययोजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2- कार्य कराये जाने हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति और सम्बन्धित समितियों से व्यय की स्वीकृति और निर्माण हेतु आवंटित कार्यों की सूची सम्बन्धी पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया गया है जिस पर किये जाने की अनुमति दी गयी है या नहीं।

3- उपर्युक्त के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही जल प्रबंधन समिति से स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं रही, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो

सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का उपभोग किया गया। फलतः दर्शाए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4— सामग्री क्रय की पुष्टि के सन्दर्भ में स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वास्तव में सामग्री की आमद हुई है या नहीं।

5— परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पिछले वर्षों में कराये गये कार्यों और चालू वर्ष में कराये गए कार्यों का स्पष्ट बिभेद अज्ञात रहा।

6— किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/पीओसीओआर निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।

7— पंचायत लेखा मैनुवल के अनुसार क्रय सम्बन्धी कोई भी भुगतान रु० 2000.00 से ऊपर एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से सिर्फ फर्म या दुकान को किया जाना लेकिन यहां भुगतान चेक से विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है। यहां तक कि भुगतान नवीन हार्डवेयर को किया गया और बिल धर्मेन्द्र मशीनरी का प्रस्तुत किया गया।

8— सामग्री क्रय के लिए व्यय की गयी धनराशि के प्रमाणक/बिल पर टिन नं० व बुक नं० अंकित नहीं है। नियमानुसार सामग्री क्रय वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्म/दुकान से ही किया जाना चाहिए। इसलिए व्यय प्रमाणक से धर्मेन्द्र मशीनरीसे सामग्री का क्रय किया गया है कि पुष्टि संदिग्ध प्रतीत होती है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.07.15 को रु० 5100.00 का भुगतान नवीन हार्डवेयर को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है लेकिन बिल धर्मेन्द्र मशीनरीका प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त बिल/व्यय प्रमाणक की पुष्टि नहीं की जा सकती है जिस हेतु समुचित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर—30

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 26.05.15 को चेक संख्या 80437 से रु० 3000.00 का भुगतान जय संदेश टाइम्स प्रा. लि. को किया गया है लेकिन कैशबुक में ऐसी कोई भी धनराशि इस फर्म को भुगतान की गयी है का अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस धनराशि का किस बात के लिए भुगतान किया गया है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त बिन्दु 01, 02(1-8) एवं 03 को दृष्टिगत रखते हुए उ०प्र० सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का मत है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उन पर व्यय दर्शित है वे अनियमित है। इस प्रकार कुल रुपये 131078.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

15—ग्राम पंचायत—पिसौर विकास खण्ड— हरहुआ वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—31

1. ग्राम पंचायत पिसौर विकासखण्ड—हरहुआ, जनपद—वाराणसी के वित्तीय वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण और अनियमित व्यय की धनराशि प्रकाश में आयी है। इस पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान यथोचित कार्यवाही की ओर आकृष्ट किया जाता है :-

विभिन्न तिथियों में धनराशि की निकासी की गयी है जिसका विवरण निम्नांकित है —

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान	कैशबुक के अनुसार व्यय का मद
09.04.15	21079020	44430.00	रविंद्र	मिट्टी+लेबर+निर्माण
13.04.15	84601	20125.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
20.04.15	84603	12225.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
23.04.15	84605	15105.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
01.05.15	84607	15000.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
05.05.15	84610	5000.00	रविंद्र	हैण्डपम्प मजदूरी
12.05.15	84611	23600.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
14.05.15	84615	15150.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
15.05.15	84613	23900.00	रविंद्र	पंचायत भवन ढलाई + मरम्मत
18.05.15	84615	23900.00	रविंद्र	मजदूरी+मिट्टी

23.05.15	84617	10200.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
26.05.15	85841	22205.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
02.06.15	85843	15295.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
04.06.15	85848	10000.00	रविंद्र	हैण्डपम्प मजदूरी
05.06.15	85851	15200.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
18.06.15	85852	24955.00	रविंद्र	ईट
20.06.15	85854	15200.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
01.07.15	85856	17000.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
06.07.15	85860	11120.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
13.07.15	88141	10200.00	रविंद्र	वायरिंग सामग्री
16.07.15	88143	15500.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
22.07.15	88146	15350.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
29.07.15	88148	16005.00	रविंद्र	हैण्डपम्प मजदूरी
30.07.15	88149	12200.00	रविंद्र	वायरिंग सामग्री
06.08.15	88152	9350.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
06.08.15	88151	10370.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
13.08.15	88154	10000.00	रविंद्र	हैण्डपम्प मजदूरी
18.08.15	88156	18200.00	रविंद्र	सीमेंट
09.08.15	88158	5000.00	रविंद्र	सीमेंट
22.08.15	88159	5000.00	रविंद्र	मजदूरी
27.08.15	90021	19000.00	रविंद्र	मजदूरी
04.09.15	90022	20500.00	रविंद्र	ईट क्रय
07.09.15	90023	14800.00	रविंद्र	हैण्डपम्प सामग्री
08.09.15	90027	23250.00	रविंद्र	रंग पेंट सामग्री
11.09.15	90028	1000.00	रविंद्र	मजदूरी
29.09.15	90035	10000.00	रविंद्र	रंगाई मजदूरी
	योग	555335.00		

वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी धनराशि में से रु0 555335.00 ईट, सीमेंट, मिटटी कार्य, हैण्डपम्प सामग्री, रंगरोगन सामग्री खरीद और मजदूरी का भुगतान सिर्फ एक व्यक्ति श्री रविंद्र को किया गया है। इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि श्री रविंद्र क्या हैं। ये न तो ग्राम प्रधान हैं न सचिव हैं, न किसी फर्म के मालिक हैं न ही मजदूर हैं। फिर इनको इतनी रकम का भुगतान विभिन्न तिथियों में क्यों किया गया। उपर्युक्त सामग्री क्रय के प्रमाणक/बिल तथा मस्टररोल तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत लेखा मैनुअल के आडिट के “बिन्दु 8क” के अनुसार दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

2. लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद निम्नलिखित विवरण के अनुसार अभिलेख तैयार कर प्रस्तुत नहीं किये गए। नियमानुसार अभिलेख तैयार नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है :-

1- कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्ययोजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2- कार्य कराये जाने हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति और सम्बन्धित समितियों से व्यय की स्वीकृति और निर्माण हेतु आवंटित कार्यों की सूची सम्बन्धी पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया गया है जिस पर किये जाने की अनुमति दी गयी है या नहीं।

3— हैण्डपम्प मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही जल प्रबंधन समिति से स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं रही, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का उपभोग किया गया। फलतः दर्शाए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4— सामग्री क्रय की पुष्टि के सन्दर्भ में स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वास्तव में सामग्री की आमद हुई है या नहीं।

5—किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/पीओसीआरओ निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।

6— पंचायत लेखा मैनुवल के अनुसार क्रय सम्बन्धी कोई भी भुगतान रु० 2000.00 से ऊपर एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से सिर्फ फर्म या दुकान को किया जाना है लेकिन यहां भुगतान चेक से एक व्यक्ति को किया गया है।

7— परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पिछले वर्षों में कराये गये कार्यों और चालू वर्ष में कराये गए कार्यों का स्पष्ट बिभेद अज्ञात रहा।

उपर्युक्त बिन्दु 01, 02(1-7) को दृष्टिगत रखते हुए उ०प्र० सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का मत है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उन पर व्यय दर्शित है वे अनियमित हैं। इस प्रकार कुल रुपये 555335.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

16—ग्राम पंचायत—चौका विकास खण्ड—हरहुआ वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—32

वित्तीय वर्ष 2015—16 में ग्राम निधि प्रथम से रु० 40145.00 व्यय किये गए। कैशबुक में दर्शित इस व्यय की पुष्टि के सन्दर्भ में मांग के बावजूद नियमानुसार अभिलेख/व्यय प्रमाणक तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1—नंदू के घर से कमला पटेल के दूकान मार्ग तक राजभर बस्ती में खण्डजा निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की गयी है। कैशबुक के अनुसार दिनांक 17.07.15 को चेक संख्या 21046197 से रु० 16000.00 का ईट+राबिस और दिनांक 20.07.15 को चेक संख्या 21046198 से रु० 3600.00 का बालू खरीदा गया है। जिसका भुगतान क्रमशः “प्रवक्ता ईट भण्डार” और “वैष्णव ट्रेडर्स” को किया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में यह अज्ञात (TRF)को दर्शित है। बैंक स्टेटमेंट से यह स्पष्ट नहीं है कि सामग्री खरीद से सम्बन्धित ये दोनों ही भुगतान सम्बन्धित फर्म को किये गए हैं या नहीं। इसके अलावा इन खरीद सामग्री के सन्दर्भ में कोई भी व्यय प्रमाणक/कैश रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिसके अभाव में व्यय अनियमित रहे।

2—उपर्युक्त कार्य के सन्दर्भ में दिनांक 15.07.15 को चेक संख्या 21046199 से कुल रु० 20545.00 मजदूरी भुगतान के नाम पर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय विश्वकर्मा के द्वारा सामग्री खरीद से पूर्व ही अपने नाम से खारिज कर लिया गया है। साथ ही मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे अभाव में भुगतान अनियमित रहे।

3—कार्यवाही रजिस्टर, जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्ययोजना/कार्यों के प्रस्ताव का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके।

4—उपर्युक्त के सन्दर्भ में सामग्री खरीद की प्रक्रिया और खरीद दर क्या रही इसकी पत्रावली (कोटेशन/निविदा) प्रस्तुत नहीं रही।

5—उपर्युक्त कार्य के सन्दर्भ में माप पुस्तिका और तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे कार्य पर किये जाने वाले अनुमानित व्यय तथा तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किये जाने वाले व्यय के अनुरूप वास्तविक व्यय का मिलान कर की सम्पूर्ण व्यय की पुष्टि की जा सके। इसके अभाव में व्यय के नियमित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6— उपर्युक्त के सन्दर्भ में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में किया गया है या नहीं।

7- उपर्युक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जिस कार्य को कराये जाने का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये हैं या नहीं क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से ही कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि होती है। जिससे व्यय की प्रमाणिकता संदिग्ध रही।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि रु0 40145.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर उसका अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत-भेलखा विकास खण्ड- हरहुआ वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-33

ग्राम पंचायत भेलखा, विकासखण्ड हरहुआ, जनपद वाराणसी की वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम से रु0 124968.00 व्यय किये गये हैं, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान यथोचित कार्यवाही की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

1- कैशबुक के अनुसार मेन रोड से सेम्स कालेज(कैश बुक में अंकित के अनुसार) तक कार्य कराया गया है। इस हेतु दिनांक 10.07.15 को चेक संख्या 21078912 से रु0 30000.00 और पुनः दिनांक 21.07.15 को चेक संख्या 21078913 से रु0 30000.00 राबिस का भुगतान किया गया है।

2- दिनांक 24.07.15 को मिट्टी रमेश के घर के पास कार्य हेतु चेक संख्या 21078915 से रु0 40000.00 का भुगतान जिसमें से रु0 39928.00 का उपभोग (कैशबुक के अनुसार) किया गया है।

3- दिनांक 31.07.15 को चेक संख्या 78917 से रु0 25000.00 का भुगतान जिससे अधिक रु0 25040.00(कैशबुक के अनुसार उपभोग) रमेश के घर से राजभर बस्ती तक खण्डजा निर्माण हेतु ईट के खरीद के लिए किया गया है।

उपर्युक्त समस्त भुगतान श्री नंदलाल यादव को किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं :-

1-उपर्युक्त के सन्दर्भ में कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्ययोजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके।

2-उपर्युक्त के सन्दर्भ कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रही जिससे कार्य के अनुमानित लागत का पता लगाया जा सके।

3-उपर्युक्त के सन्दर्भ में क्रय की प्रक्रिया और क्रय सामग्री की दर क्या रही इसकी पत्रावली(कोटेशन/निविदा) प्रस्तुत नहीं रही। उल्लेखनीय है कि एफएचबी खण्ड-1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस, दिनांक 23.09.2008 के अनुसार ऐसा किया जाना अपेक्षित है।

4-उपर्युक्त के सन्दर्भ में यह स्पष्ट नहीं है कि सामग्री का क्रय कहां से किया गया है क्योंकि सामग्री क्रय हेतु सम्पूर्ण भुगतान और आहरण श्री नंदलाल को किया गया है।

5-उपर्युक्त के सन्दर्भ में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में किया गया है या नहीं।

6-उपर्युक्त के सन्दर्भ में सामग्री खरीद के भुगतान का बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह पता नहीं लगाया जा सका कि सामग्री की खरीद पंजीकृत फर्म से की गयी है और उससे टीडीएस और वैट की कटौती की गयी है।

7- उपर्युक्त कार्यों के सन्दर्भ में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जिस कार्य को कराये जाने का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र से ही कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि होती है जिससे व्यय की प्रमाणिकता संदिग्ध रही।

8-उपर्युक्त के सन्दर्भ में माप पुस्तिका और तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे कार्य पर किये जाने वाले अनुमानित व्यय तथा तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किये जाने वाले व्यय के अनुरूप वास्तविक व्यय का मिलान कर सम्पूर्ण व्यय की पुष्टि की जा सके। इसके अभाव में व्यय के नियमित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि रु0 124968.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर उसका अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत-बुडापुर विकास खण्ड- अराजीलाइन वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-34

ग्राम निधि-1 खाते में दिनांक 08.04.15 को रु0 9000.00 एवं दिनांक 14.09.15 को रु0 10500.00, कुल मिलाकर रु0 19500.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर श्रीराम बिल्डिंग मैटेरियल को चेक द्वारा भुगतान किया

गया है। लेकिन कैशबुक में कहीं भी इन हैण्डपम्पों की अवस्थिति का उल्लेख नहीं है। हैण्डपम्पों में कौन सी सामग्री लगी इसका भी उल्लेख नहीं है। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने से यह ज्ञात न हो सका कि अवशिष्ट सामग्री कितने मूल्य की थी तथा वह धनराशि किस कार्य पर और कैसे व्यय की गयी। उपभोगताओं द्वारा हैण्डपम्प की आवश्यकता से सम्बन्धित मांग पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्वीकृति ली गयी थी या नहीं यह भी ज्ञात नहीं हो सका क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्टतः हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 19500.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बलिराम(ग्राम प्रधान) एवं श्री जयप्रकाश जायसवाल(ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है।

19—ग्राम पंचायत—भदरासी विकास खण्ड— अराजीलाइन वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—35

ग्राम निधि—1 खाते से दिनांक 28.04.15 को रु० 15260.00, दिनांक 07.05.15 को रु० 18850.00(चेक संख्या 21145502), दिनांक 27.05.15 को रु० 10800.00 (चेक संख्या 21145505), दिनांक 27.07.15 को रु० 13340.00(चेक संख्या 21145511) से रोशन कंसट्रक्सन एवं जनरल सप्लायर को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु भुगतान किया गया है। जबकि प्रथम भुगतान रु० 15260.00 नकद किया गया है। लेकिन कैशबुक में हैण्डपम्पों की अवस्थिति का उल्लेख नहीं है। हैण्डपम्पों में कौन सी सामग्री लगी इसका भी उल्लेख कैशबुक में नहीं है। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने से यह ज्ञात न हो सका कि अवशिष्ट सामग्री कितने मूल्य की थी तथा वह धनराशि किस कार्य पर और कैसे व्यय की गयी। उपभोगताओं द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत की मांग का पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्वीकृति ली गयी थी या नहीं यह भी ज्ञात नहीं हो सका क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। स्पष्टतः हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 58250.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कल्पनाथ(ग्राम प्रधान) एवं श्री विनोद सिंह यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है।

20—ग्राम पंचायत—सरायशेख लार्ड विकास खण्ड— पिण्डरा वर्ष— 2015—16

प्रस्तर—36

वर्ष 2015—16 में 13वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य पर कोष बही में अंकन रु० 178600.00 व्यय दर्शित किया गया है :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	कय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	अनु० बस्ती हरिशंकर घर से सुदामा घर तक खण्डजा मरम्मत	27.05.15	मजदूरी	10200
		27.05.15	मजदूरी	12000
		27.05.15	ईट 4000 नग	26000
		12.06.15	ईट 2000 नग	13000
	योग(सामग्री अंश ईट— 39000, मजदूरी—22200)			61200
2	पं० भ० से अनु० बस्ती खण्डजा मरम्मत	18.05.15	मजदूरी	15000
		18.05.15	ईट 4000 नग	26000
		19.05.15	मजदूरी	15000
		29.05.15	ईट 3600 नग	23400
	योग(सामग्री अंश ईट— 49400, मजदूरी—30000)			79400
3	अनु० बस्ती बाबूलाल के घर से रमेश के घर तक खण्डजा मरम्मत	08.07.15	मजदूरी	6000
		08.07.15	ईट(मात्रा अंकित नहीं)	10000
	योग(सामग्री अंश ईट— 49400, मजदूरी—30000)			16000

4	राजनरायन के घर से सुदामा के घर तक खण्डजा मरम्मत	14.09.15	मजदूरी	9000
		14.09.15	ईट 2000 नग	13000
	योग(सामग्री अंश ईट— 13000, मजदूरी—9000)			22000

उपरोक्तानुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य हेतु सामग्री(ईट) क्रय रु0 111400.00(39000+49400+10000+13000) एवं मजदूरी रु0 67200.00(22200+ 30000+6000+9000), कुल रु0 178600.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1-उपरोक्त दर्शित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2-ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

3-दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टररोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

4-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

5-उक्त तालिका के क्रम सं0 01 पर अंकित कार्य हेतु रु0 10200.00 एवं रु0 12000.00 मजदूरी भुगतान एक ही दिन दिनांक 27.05.15 को दो बार में दर्शित है, स्पष्ट है कि कार्य दिनांक 27.05.15 को समाप्त हो जाना चाहिए, किन्तु ईट क्रय दिनांक 27.05.15 एवं दिनांक 12.06.15 को किया गया दर्शित है, मजदूरी भुगतान के 15 दिवस बाद ईट क्रय करने एवं उसके बाद कोई मजदूरी भुगतान न होने से स्पष्ट है कि क्रय किये गये ईटों का कोई उपयोग नहीं हुआ है और कार्य किया जाना फर्जी रूप से दर्शाया गया है। इसी प्रकार तालिका के क्रम सं0 02 पर अंकित कार्य हेतु रु0 15000.00 एवं रु0 15000.00 मजदूरी भुगतान दिनांक 18.05.15 एवं 19.05.15 को तथा ईट क्रय दिनांक 18.05.15 एवं 29.05.15 को किया गया दर्शित है, मजदूरी भुगतान के 10 दिवस बाद ईट क्रय दर्शित है। तालिका के क्रम सं0 04 एवं 05 पर अंकित कार्यों हेतु एक ही दिवस में मजदूरी भुगतान एवं ईट क्रय दर्शित है। स्पष्ट है कि केवल धनराशि के बन्दरबांट हेतु धनराशियां आहरित कर ली गई और उसका कोई सदुपयोग न कर आपस में केवल बंटवारा किया गया।

6- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

7-उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/ मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टररोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क्रय किया गया है न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 178600.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प चबूतरा एवं नाली निर्माण पर कोषबही में अंकन रु0 7000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री / मजदूरी	धनराशि
1	रमेश व भरत के घर के पास हैण्डपम्प चबूतरा एवं नाली निर्माण	02.08.15	सामग्री(मद अंकित नहीं)	5000
		04.08.15	मजदूरी	2000
	योग(सामग्री अंश – 5000, मजदूरी—2000)			7000

उपरोक्तानुसार भूमिगत नाली निर्माण पर ईट क्रय रु0 5000.00, एवं मजदूरी रु0 2000.00, कुल रु0 7000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1-हैण्डपम्प चबूतरा एवं नाली निर्माण की स्वीकृति, वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2-सामग्री क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 5000.00 की सामग्री क्रय दर्शित है। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4-सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्य पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

5-मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टररोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टररोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी नाली निर्माण किया गया न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 7000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38

वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोषबही में अंकन रु0 93800.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	01.05.15	सामग्री	13000
2	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	05.05.15	मजदूरी	6000
3	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	05.05.15	सामग्री	5800
4	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	18.05.15	सामग्री	15000
5	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	27.05.15	मजदूरी	8000
6	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	12.06.15	सामग्री	13000
7	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	12.06.15	मजदूरी	4000
8	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	08.07.15	मजदूरी	4000
9	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	08.07.15	सामग्री	10000
10	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	14.09.15	सामग्री	12000
11	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	14.09.15	मजदूरी	3000
योग (सामग्री अंश-68800, मजदूरी-25000)				93800

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु0 68800.00, एवं मजदूरी रु0 25000.00, कुल रु0 93800.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् है :-

1- हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहां कहां स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तालिका के अनुसार मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या भी अंकित नहीं है।

2- हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 88000.00 की सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टररोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

5-किन स्थानों पर हैण्डपम्प के मरम्मत कराए गये हैं एवं उनका स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास है भी या नहीं इसका कोई उल्लेख अभिलेखों में नहीं पाया गया।

6- बदले गये पार्स की पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे पुराने पार्स के आमद एवं निस्तारण की स्थिति अज्ञात रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी है न ही किसी हैंडपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबान्ट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 93800.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

21-ग्राम पंचायत-चमरु विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-39

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से राधेश्याम के दरवाजे पर सोकपिट निर्माण कार्य पर कोषबही में अंकन रु0 17000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि	टिप्पणी
04.09.15	समग्री	10000	सामग्री का नाम अंकित नहीं है
17.09.15	मजदूरी	2000	
17.09.15	समग्री	5000	
योग		17000	

उपरोक्तानुसार सोकपिट निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रु0 15000.00 (1000+5000), एवं मजदूरी रु0 2000.00, कुल रु0 17000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् है :-

1- उपरोक्त दर्शित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2-सामग्री क्रय हेतु कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

3-मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टररोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

4-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

5-सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

6-उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्म/ मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टररोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय किया गया न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा बन्दरबान्ट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 2000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40

वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से शान्ता मास्टर के घर से पोखरी तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य पर कोषबही में अंकन रु0 33000.00 व्यय दर्शित किया गया है-

भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि	टिप्पणी
04.03.15	मजदूरी	7000	सामग्री का नाम अंकित नहीं है
03.03.15	समग्री	15000	
24.04.15	समग्री	11000	
योग		33000	

उपरोक्तानुसार शान्ता मास्टर के घर से पोखरी तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य पर रु0 26000.00(15000+11000), सामग्री क्रय(जिसका नाम अंकित नहीं है) एवं मजदूरी रु0 7000.00, कुल रु0 33000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1-भूमिगत नाला निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2-सामग्री क्रय हेतु कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 26000.00 की सामग्री क्रय भी दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

5- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टररोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टररोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी भूमिगत नाला निर्माण किया गया और न कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 33000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41

वर्ष 2014-15 व 2015-16 में 13वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोषबही में अंकन रु0 100000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
09.04.14	सामग्री	11000
28.04.14	मजदूरी	5500
21.05.14	सामग्री	11000
21.05.14	मजदूरी	6000
12.07.14	सामग्री	2000
12.07.14	मजदूरी	2000
21.08.14	सामग्री	4500
27.08.14	मजदूरी	3500
10.10.14	सामग्री	3000
18.02.15	मजदूरी	8000
18.02.15	सामग्री	10000
24.04.15	सामग्री	11000
24.04.15	मजदूरी	2500
15.07.15	सामग्री	4000
15.07.15	मजदूरी	2000
04.09.15	सामग्री	10000
17.09.15	मजदूरी	4000
	योग	100000

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु0 66500.00 एवं मजदूरी रु0 33500.00, कुल रु0 100000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1- हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहाँ स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है।

2- हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 66500.00 की सामग्री क्रय दर्शित है, किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4-मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

5- बदले गये पार्ट्स की पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे पुराने पार्ट्स के आमद एवं निस्तारण की स्थिति अज्ञात रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी है न ही किसी हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 100000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42

वर्ष 2014-15 में दिनांक 20.09.14 को 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से रु0 2500.00 मजदूरी भुगतान पर व्यय कर प्रा0 विद्यालय में शौचालय मरम्मत कार्य कराया जाना दर्शित किया गया है जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत हैं :-

1- शौचालय मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया।

2-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

3-सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

4-प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्रधानाचार्यों से नहीं ली गयी है न ही मरम्मत के बाद पुष्टि करायी गयी है।

5- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टर रोल के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई शौचालय मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 2500.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43

वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से रु0 22000.00 व्यय दर्शित कर राजेश, मुसलमान बस्ती, हेमराज, कमलेश के घर के पास हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण कार्य कराया जाना निम्न विवरण के अनुसार दर्शित किया गया है :-

भुगतान तिथि	मद	धनराशि	टिप्पणी
17.04.14	सामग्री	20000.00	सामग्री का नाम अंकित नहीं
28.04.14	मजदूरी	2000.00	
योग		22000.00	

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण कार्य पर रु0 20000.00, सामग्री क्रय(जिसका नाम अंकित नहीं है) एवं मजदूरी रु0 2000.00, कुल रु0 22000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत हैं :-

1- हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2- सामग्री क्रय हेतु कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 20000.00 की सामग्री क्रय भी दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि भूमिगत नाला निर्माण पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

5- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी भूमिगत नाला निर्माण किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 22000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44

वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार रामनरेश के घर से मोती के घर होते हुए सुरेश के घर तक खण्डजा कार्य पर कोष बही में अंकन रु0 21000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

11.03.15	ईट	15000.00
11.03.15	मजदूरी	6000.00
	योग	21000.00

उपरोक्तानुसार खण्डजा कार्य हेतु सामग्री(ईट) क्रय रु0 15000.00 एवं मजदूरी रु0 6000.00, कुल रु0 21000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1- उपरोक्त दर्शित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2- ईट क्रय हेतु कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

3-दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

4- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

5- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

6- उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही कोई खण्डजा निर्माण किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 21000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत-भटपुरवा खुर्द विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-45

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य पर कोष बही में अंकन रु0 119800.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री / मजदूरी	धनराशि
1	भटपुरवा ट्यूबवेल से मस्तराम के घर तक खण्डजा कार्य	26.05.15	ईट	26000
		22.06.15	मजदूरी	8000
		03.07.15	मजदूरी	9500
		13.07.15	मजदूरी	8000
		21.07.15	मजदूरी	9000
		13.08.15	मजदूरी	3000
	योग(सामग्री अंश ईट— 26000,	मजदूरी—37500)		63500
2	भटपुरवा में कल्लू के घर से जमुना के चक तक खण्डजा कार्य	26.05.15	ईट	26000
		22.06.15	मजदूरी	7300
	योग(सामग्री अंश ईट— 26000,	मजदूरी—7300)		33300
3	भटपुरवा ट्यूबवेल से पिच सड़क तक खण्डजा कार्य	21.08.15	मजदूरी	10000
		02.09.15	ईट	13000
	योग(सामग्री अंश — 13000,	मजदूरी—10000)		23000

उपरोक्तानुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य हेतु सामग्री (ईट) क्रय रु0 65000.00 (26000+26000+13000) एवं मजदूरी रु0 54800.00 (37500+7300+10000), कुल रु0 119800.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- 1- उपरोक्त दर्शित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।
- 2- ईट क्रय हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
- 3- दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।
- 4- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
- 5- उक्त तालिका के क्रम सं० 03 पर अंकित कार्य हेतु रु0 10000.00 मजदूरी भुगतान दिनांक 21.08.15 को दर्शित है, किन्तु ईट क्रय दिनांक 02.09.15 को किया गया दर्शित है, मजदूरी भुगतान के 10 दिवस बाद ईट क्रय करने एवं उसके बाद कोई मजदूरी भुगतान न होने से स्पष्ट है कि क्रय किये गये ईटों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। कार्य किया जाना फर्जी रूप से दर्शाया गया है।
- 6- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।
- 6- उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क्रय किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 119800.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार भूमिगत नाली निर्माण पर कोष बही में अंकन रु0 108500.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	कय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	बरईपुर में राजदेव के हैण्डपम्प से उत्तर नाला तक भूमिगत नाली	24.04.15	मजदूरी	8000
		26.05.15	ईट	13000
		02.07.15	मजदूरी	9500
		08.07.15	सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी आदि	13000
	योग(सामग्री अंश – 26000, मजदूरी-17500)			43500
2	मुसहर बस्ती भूमिगत नाला	09.05.15	मजदूरी	2500
3	मेवा के मशीन से सुखराम के कूप तक भूमिगत नाली मजदूरी	13.07.15	मजदूरी	15000
		21.07.15	मजदूरी	9500
		25.07.15	सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी आदि	9000
		25.07.15	मजदूरी	7000
		09.09.15	मजदूरी	4500
		19.09.15	ईट	13000
		02.09.15	मजदूरी	4500
	योग(सामग्री अंश – 22000, मजदूरी-40500)			62500

उपरोक्तानुसार भूमिगत नाली निर्माण पर ईट कय रु० 26000.00, सामग्री क्रय (सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी आदि) रु० 22000.00 (13000+9000) एवं मजदूरी रु० 60500.00 (8000+9500+2500+15000+9500+7000+4500+4500), कुल रु० 108500.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- 1-भूमिगत नाली निर्माण की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम०बी० भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई का कोई उल्लेख नहीं है।
- 2- ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु० 22000.00 की सामग्री (सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी आदि) कय भी दर्शित है। ईट एवं सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।
- 3-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
- 4-सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।
- 5- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।
- 6- लेखा परीक्षा की दृष्टि में भूमिगत नाली निर्माण पर दर्शित व्यय काफी अधिक प्रतीत होता है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट/सामग्री क्रय की गयी न ही किसी भूमिगत नाली निर्माण किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु० 108500.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47

वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोषबही में अंकन रु० 112000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	09.04.15	सामग्री	7000
2	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	22.05.15	सामग्री	15000
3	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	22.05.15	मजदूरी	6000
4	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	08.06.15	सामग्री	9500
5	हैण्डपम्प चबूतरा हेतु ईट	13.06.15	ईट	5000
6	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	22.06.15	मजदूरी	4000
7	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	02.07.15	मजदूरी	5000
8	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	02.07.15	सामग्री	18000
9	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	31.07.15	सामग्री	15000
10	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	31.07.15	मजदूरी	5000
11	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	07.09.15	सामग्री	15000
12	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	08.09.15	मजदूरी	7500
योग(सामग्री अंश – 84500, मजदूरी-27500)				112000

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु० 84500.00 एवं मजदूरी रु० 27500.00, कुल रु० 112000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1- हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहां कहां स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तालिका के अनुसार मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या भी अंकित नहीं है।

2- हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु० 84500.00 की सामग्री क्रय दर्शित है, किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- हैण्डपम्प चबूतरा हेतु रु० 5000.00 का ईट क्रय दर्शित है जिसका कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत नहीं है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

4- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

5- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु० 112000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48

कोषबही वर्ष 15-16 में निम्न विवरण के अनुसार ह्यूम पाइप क्रय दर्शित कर भुगतान किया गया है :-

दिनांक	मद	धनराशि
24.04.15	आर०सी०सी० ह्यूम पाइप 42 नं० एवं 30 नं० कॉलर	80760
20.05.15	आर०सी०सी० ह्यूम पाइप 21 नं० एवं 16 कॉलर	40524
23.06.15	आर०सी०सी० ह्यूम पाइप 21 नं० एवं 16 कॉलर	40524
	योग	161808

ह्यूम पाइप क्रय का न तो कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध है न ही ह्यूम पाइप की स्थापना कहां की गयी, इसका कोई उल्लेख है। स्थापना हेतु कोई मजदूरी भी दर्शित नहीं है। स्टॉक रजिस्टर में इसे दर्ज कर लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं करायी गयी। स्पष्ट है कि बिना ह्यूम पाइप क्रय किये ही नकद भुगतान दर्शित कर रु० 161808.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार वर्मा एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49

कोषबही वर्ष 15-16 में निम्न विवरण के अनुसार ह्यूम पाइप कय दर्शित कर भुगतान किया गया है :-

दिनांक	मद	धनराशि
24.04.15	पं० भवन हेतु पेण्ट क्रय	5000
22.05.15	पं० भवन हेतु पेण्ट हेतु सामग्री क्रय	15000
05.06.15	पं० भवन हेतु पेण्ट हेतु मजदूरी	9500
09.06.15	पं० भवन हेतु पेण्ट हेतु मजदूरी	5000
	योग	34500

उपरोक्तानुसार पं० भवन हेतु पेण्ट हेतु सामग्री कय रु० 20000.00 (5000+15000) एवं मजदूरी रु० 14500.00 (9500+5000), कुल रु० 34500.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1- पं० भवन हेतु पेण्ट हेतु स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम०बी० भी तैयार नहीं कराया गया। पेण्ट के क्षेत्रफल का कोई उल्लेख नहीं है।

2- पेण्ट हेतु सामग्री कय का कोई प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व कब दर्शित है।

5- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई पेण्ट हेतु सामग्री कय की गयी न ही पंचायत भवन का पेण्ट कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु० 34500.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

23-ग्राम पंचायत-बढ़ौना विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-50

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य पर कोषबही में अंकन रु० 168707.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	कय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	पन्नालाल के घर से लौटू राजभर के घर तक	22.05.15	मजदूरी	3200
		28.05.15	ईट	15600
	योग(सामग्री अंश ईट- 15600, मजदूरी-3200)			18800
2	श्यामनरायन पाठक के घर से कल्लू यादव के घर तक	16.06.15	मजदूरी	14100
		02.07.15	ईट	51675
	योग(सामग्री अंश ईट- 51675, मजदूरी-14100)			65775
3	पिच रोड से घनश्याम के घर तक	13.08.15	मजदूरी	3200
		18.08.15	ईट	15600
	योग(सामग्री अंश ईट- 15600, मजदूरी-3200)			18800
4	सहादर के घर से राजबली के घर तक	03.09.15	मजदूरी	3000
		04.09.15	ईट	14300
	योग(सामग्री अंश ईट- 14300, मजदूरी-3000)			17300
5		16.09.15	ईट	38350

	पिच रोड से संतोष चौहान के घर तक	21.09.15	मजदूरी	6250
	योग(सामग्री अंश ईट— 38350, मजदूरी—6250)			44600
6	राधेश्याम के घर से देवी के घर तक	06.04.15	मजदूरी	3432
		कोई सामग्री क्रय नहीं		—
	योग(सामग्री अंश— 0, मजदूरी—3432)			3432

उपरोक्तानुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य हेतु सामग्री(ईट) क्रय रु0 135525.00 (15600+51675+15600+ 14300+38350) एवं मजदूरी रु0 33182.00(3200+14100+3200+3000+6250+3432), कुल रु0 168707.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- 1-उपरोक्त दर्शित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।
- 2- ईट क्रय हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
- 3- दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।
- 4- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
- 5- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।
- 6- उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क्रय किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि खण्डजा लगाने के नाम पर बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 168707.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रजापति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार कूप जगत निर्माण/मरम्मत कार्य पर कोषबही में अंकन रु0 68819.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0स0	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि	टिप्पणी
1	तिलकधारी राम के घर के पास कूप जगत निर्माण/मरम्मत	01.08.15	सामग्री	16455	सामग्री का नाम अंकित नहीं
		01.08.15	मजदूरी	10400	
		10.08.15	ईट	35100	
	योग(सामग्री अंश- 51555, मजदूरी-10400)			61955	
2	मो0 हसन के दरवाजे पर कूप जगत निर्माण/मरम्मत	06.04.15	मजदूरी	6864	कोई सामग्री क्रय नहीं
	योग(सामग्री अंश -शून्य, मजदूरी-6864)			6864	

उपरोक्तानुसार कूप जगत निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु ईट/सामग्री क्रय रु0 51555.00(16455+351000) एवं मजदूरी रु0 17264.00(10400+6864), कुल रु0 68819.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1—कूप जगत मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2— कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

3— सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि कूप जगत मरम्मत पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

4— मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न किसी कूप जगत मरम्मत किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 68819.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रजापति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—52

वर्ष 2015—16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोषबही में अंकन रु0 84266.00 व्यय दर्शित किया गया है :—

दिनांक	मद	धनराशि
06.04.15	हैण्डपम्प मरम्मत	6200
30.06.15	हैण्डपम्प मरम्मत(7)	15000
02.06.15	हैण्डपम्प मरम्मत(12)	14800
07.07.15	हैण्डपम्प मरम्मत(12)	7566
13.07.15	हैण्डपम्प मरम्मत(12)	12100
23.07.15	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री (12)	18000
28.07.15	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	6300
06.08.15	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	1000
06.08.15	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	3300
	योग	84266

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर कुल रु0 84266.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :—

1—हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहां कहां स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है।

2—हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3— कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4— मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

5— बदले गये पार्ट्स की पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे पुराने पार्ट्स के आमद एवं निस्तारण की स्थिति अज्ञात रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 84266.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रजापति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53

कोषबही वर्ष 15-16 में निम्न विवरण के अनुसार ह्यूम पाइप क्रय दर्शित कर भुगतान किया गया है :-

दिनांक	मद	धनराशि
29.04.15	ह्यूम पाइप क्रय	9480
16.05.15	ह्यूम पाइप क्रय	9480
25.05.15	ह्यूम पाइप क्रय	27000
	योग	45960

उपरोक्त का न तो कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध है न ही ह्यूम पाइप की स्थापना कहां की गयी, इसका कोई उल्लेख है। स्थापना हेतु कोई मजदूरी भी दर्शित नहीं है। स्टॉक रजिस्टर में इसे दर्ज कर लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं करायी गयी। स्पष्ट है कि बिना ह्यूम पाइप क्रय किये ही नकद भुगतान दर्शित कर रु0 45960.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रजापति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-54

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार मिट्टी कार्य पर कोषबही में अंकन रु0 19150.00 नकद व्यय दर्शित किया गया है :-

30.06.15	दशमी मैदान के पास मिट्टी पटाई हेतु मिट्टी क्रय	9000
04.09.15	पंचायत भवन के पास पटाई हेतु मिट्टी क्रय	10150
	योग	19150

उपरोक्तानुसार मिट्टी क्रय हेतु रु0 19150.00, व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- 1- मिट्टी क्रय हेतु 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की निर्देशिका में कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण यह क्रय पूर्णतया अनियमित है।
- 2- मिट्टी क्रय हेतु प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।
- 3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
- 4- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि इस कार्य पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कोई मिट्टी क्रय नहीं की गयी बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 19150.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रजापति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

24-ग्राम पंचायत-रामनगर(गजेन्द्रा) विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2015-16**प्रस्तर-55**

वर्ष 2015-16 में तृतीय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार पिचरोड से प्रा0पाठशाला तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर कोषबही में अंकन रु0 22550.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	पी0डब्लू0डी0 से भोला धरकार के घर तक खण्डजा मरम्मत	20.10.15	ईट (मात्रा अंकित नहीं)	16250
		20.10.15	मजदूरी	6300
	योग(सामग्री अंश ईट- 16250, मजदूरी-6300)			22550

उपरोक्तानुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य हेतु सामग्री(ईट) क्रय रु0 16250.00 एवं मजदूरी रु0 6300.00, कुल रु0 22500.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- 1- उपरोक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।
- 2- ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
- 3- दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।
- 4- क्रमांक 01 पर अंकित कार्य का समस्त भुगतान एक ही दिन दिनांक 20.10.15 को दर्शित है जबकि ईट क्रय तथा उसी दिवस कार्य पूर्ण हो जाना सम्भव नहीं है।
- 5- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
- 6- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।
- 7- उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क्रय किया गया न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 22550.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चानी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-56

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सोखता निर्माण पर कोषबही में अंकन रु0 56646.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री / मजदूरी	धनराशि
1	विमल, राजनरायन, रामआ सरे, विनोद, गुलाम के घर के पास हैंडपम्प सोखता निर्माण	06.04.15	मजदूरी	3432
		06.04.15	मजदूरी	3432
		09.04.15	सामग्री(मद अंकित नहीं)	7304
		10.04.15	गिट्टी	37110
		10.04.15	सामग्री(मद अंकित नहीं)	3652
		11.04.15	मजदूरी	1716
	योग(सामग्री अंश – 48066, मजदूरी—8580)			56646

उपरोक्तानुसार भूमिगत नाली निर्माण पर ईट/सामग्री क्रय रु048066.7304+37110+3652), एवं मजदूरी रु0 8580.00(3432+3432+1716), कुल रु0 56646.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- 1- हैण्डपम्प सोखता निर्माण की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई का कोई उल्लेख नहीं है।
- 2-सामग्री क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 48066.00 की सामग्री क्रय दर्शित है। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।
- 3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
- 4-सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।
- 5-मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री की गयी न ही सोखता निर्माण किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 56646.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चानी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी मो० साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोषबही में अंकन रु० 169238.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/ मजदूरी	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 9 नग	06.04.15	सामग्री	13338
2	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 9 नग	11.05.15	सामग्री	13100
3	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी 9 नग	13.05.15	मजदूरी	4000
4	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी 3 नग	05.06.15	मजदूरी	5200
5	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 7 नग	13.07.15	सामग्री	10000
6	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 9 नग	31.07.15	सामग्री	15100
7	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 8 नग	01.07.15	सामग्री	16100
8	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी 9 नग	13.08.15	मजदूरी	5100
9	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 8 नग	13.08.15	सामग्री	20000
10	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 5 नग	21.08.15	सामग्री	8200
11	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 8 नग	24.09.15	सामग्री	12600
12	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 9 नग	01.10.15	सामग्री	15000
13	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी 9 नग	01.10.15	मजदूरी	12400
14	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 11 नग	05.11.15	सामग्री	19100
योग(सामग्री अंश - 142538, मजदूरी-26700)				169238

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु० 142538.00 एवं मजदूरी रु० 26700.00, कुल रु० 169238.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1-हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहां कहां स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तालिका के अनुसार मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या भी अंकित नहीं है।

2-हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु० 60000.00 की सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

5-किन स्थानों पर हैण्डपम्प के मरम्मत कराए गये हैं एवं उनका स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास है भी या नहीं इसका कोई उल्लेख अभिलेखों में नहीं पाया गया।

6-बदले गये पार्ट्स की पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे पुराने पार्ट्स के आमद एवं निस्तारण की स्थिति अज्ञात रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री की गयी न ही किसी हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित

धनराशि रु0 169238.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चानी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-58

वर्ष 2015-16 में तृतीय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार प्रा0 पाठशाला शौचालय गड्ढा निर्माण कार्य पर कोषबही में अंकन रु0 67783.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	प्रा0 पाठशाला शौचालय गड्ढा निर्माण	10.09.15	मजदूरी	5800
		10.09.15	सामग्री	27993
		05.10.15	मरम्मत पर व्यय	10080
		05.11.15	निर्माण पर व्यय	23910
	योग			67783

उपरोक्तानुसार प्रा0 पाठशाला शौचालय गड्ढा निर्माण कार्य हेतु कुल रु0 67783.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1- उपरोक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2-सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। क्रय सामग्री का नाम अंकित नहीं है और न ही मरम्मत पर व्यय/निर्माण पर व्यय के सम्बन्ध में कोई विवरण अंकित है। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस मद में वास्तव में भुगतान दर्शित है।

3-दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

4- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से न तो कार्य की पूर्व स्वीकृति ली गयी है न ही कार्य की पुष्टि करायी गयी है।

5- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

6-उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय किया गया न कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 67783.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चानी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59

दिनांक 30.07.15 को रु0 1000.00 पौध दुलाई भाड़ा हेतु नकद व्यय दर्शित किया गया है जिसके पक्ष में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा और न ही यह ज्ञात हो सका कि कौन से पौध की कहां से कहां तक दुलाई हेतु भाड़ा का भुगतान किया गया। वर्ष में किसी पौध के क्रय की भी जानकारी लेखा परीक्षा में न दी जा सकी इसलिये भाड़ा का भुगतान पूर्णतया संदिग्ध है। स्पष्ट है कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 1000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चानी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 साजिद अंसारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60

दिनांक 31.07.15 को सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान की धनराशि से रु0 2000.00 पंचायत कर का भुगतान दर्शित किया गया है जिसके पक्ष में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में अथवा पूर्व के

वर्षों में किसी पंचायत कर के वसूली का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर का भुगतान किया गया है जो पूर्णतया अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चानी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो० साजिद अंसारी संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

25-ग्राम पंचायत-गाडर विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-61

वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार पिच रोड से जंगली मास्टर के घर तक खण्डजा कार्य पर कोषबही में अंकन रु० 40000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री / मजदूरी	धनराशि
1	पिच रोड से जंगली मास्टर के घर तक खण्डजा मरम्मत	16.06.15	ईट	25000
		16.06.15	मजदूरी	15000
	योग(सामग्री अंश - 25000, मजदूरी-15000)			40000

उपरोक्तानुसार पिच रोड से जंगली मास्टर के घर तक खण्डजा कार्य हेतु सामग्री(ईट) क्रय रु० 25000.00 एवं मजदूरी रु० 15000.00, कुल रु० 40000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1-उपरोक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्तीमेत एवं एम०बी० भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2-ईट क्रय हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टोक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

3- दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

4-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

5-सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

6- उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क्रय किया गया न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु० 40000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62

वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोषबही में अंकन रु० 160000.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री / मजदूरी	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	17.04.15	मजदूरी	11000
2	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	18.04.15	सामग्री	20000
3	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	08.05.15	सामग्री	21000
4	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	09.05.15	मजदूरी	11000
5	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	25.05.15	सामग्री	15000

6	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	12.06.15	सामग्री	20000
7	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	12.06.15	मजदूरी	10000
8	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	15.07.15	सामग्री	20000
9	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	24.07.15	मजदूरी	7000
10	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	04.09.15	मजदूरी	10000
11	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	09.09.15	सामग्री	15000
योग(सामग्री अंश – 111000, मजदूरी-49000)				160000

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु0 111000.00 एवं मजदूरी रु0 49000.00, कुल रु0 160000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत हैं :-

1- हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहाँ कहां स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तालिका के अनुसार मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या भी अंकित नहीं है।

2- हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 160000.00 की सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 160000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63

कोषबही वर्ष 15-16 में दिनांक 08.05.15 को रु0 2500.00 एवं 04.09.15 को रु0 2000.00, कुल रु0 4500.00 का स्टेशनरी क्रय दर्शित है जिसका व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। कौन कौन सी स्टेशनरी क्रय की गयी इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। वर्ष में रु0 1000.00 की सीमा तक ही स्टेशनरी क्रय अनुमन्य है। वित्तीय सीमा का उल्लंघन एवं व्यय प्रमाणक की अनुपलब्धता से स्पष्ट है कि बिना स्टेशनरी क्रय किये ही नकद भुगतान दर्शित कर रु0 4500.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-64

कोषबही वर्ष 15-16 में निम्न विवरण के अनुसार पंचायत भवन मरम्मत, बाउंड्री एवं शौचालय निर्माण पर दर्शित कर भुगतान किया गया है :-

दिनांक	मद	धनराशि
23.05.15	पं0 भवन बाउंड्री निर्माण मजदूरी	20000
30.05.15	पं0 भवन बाउंड्री निर्माण ईंट क्रय	65000
30.05.15	पं0 भवन बाउंड्री निर्माण मजदूरी	25000
05.06.15	पं0 भवन मरम्मत एवं शौचालय निर्माण मजदूरी	20000
05.06.15	पं0 भवन मरम्मत सामग्री क्रय	25000
05.06.15	पं0 भवन बाउंड्री निर्माण ईंट क्रय	65000

05.06.15	पं० भवन बाउड्री निर्माण सामग्री(सीमेंट बालू आदि)	
06.06.15	पं० भवन एवं शौचालय हेतु दरवाजा एवं सामग्री	20000
09.07.15	पं० भवन बाउड्री में आयरन गेट(1बड़ा एवं 1छोटा)एवं सामग्री क्रय	50000
08.09.15	पं०भवन व बाउड्री रंगाई पुताई सामग्री एवं शौचालय टाइल्स क्रय	19000
08.09.15	पं० भवन बाउड्री निर्माण अवशेष मजदूरी	18000
09.09.15	पं० भवन शौचायल एवं सोख्ता हेतु ईट क्रय	23000
	योग	385000

उपरोक्तानुसार पंचायत भवन हेतु पेण्ट हेतु सामग्री क्रय रु० 302000.00 एवं मजदूरी रु० 83000.00, कुल रु० 385000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत हैं :-

1—पं० भवन में उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम०बी० भी तैयार नहीं कराया गया। पेण्ट के क्षेत्रफल का कोई उल्लेख नहीं है।

2—निर्माण हेतु सामग्री क्रय का कोई प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

3— कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4— सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

5— मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई पेण्ट हेतु सामग्री क्रय की गयी न ही पंचायत भवन का पेण्ट कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु० 385000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवतार सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

26—ग्राम पंचायत—फूलवरिया विकास खण्ड— बड़ागांव वर्ष— 2014—15

प्रस्तर—65

वर्ष 2014—15 में 13वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य पर कोषबही में अंकन रु० 390336.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1	अनिल मिश्र के घर से दयाशंकर के खेत तक खण्डजा कार्य	18.08.14	ईट	45400
		15.05.14	ईट	37500
		07.06.14	ईट	35500
		20.06.14	मजदूरी	19500
		17.07.14	मजदूरी	10700
	योग(सामग्री अंश— 118400, मजदूरी— 30200)			148600
2	विश्वनाथपुर पिच रोड से लालमन के खेत तक खण्डजा कार्य	31.05.14	ईट	39200
	योग(सामग्री अंश — 39200, मजदूरी— 00)			39200
3	विश्वनाथपुर पिच रोड से दयाशंकर के मशीन तक खण्डजा कार्य	29.09.14	ईट	57000
		28.01.15	मजदूरी	24960
		31.01.15	मजदूरी	15600
		07.02.14	मजदूरी	6240
	योग(सामग्री अंश — 57000, मजदूरी— 46800)			103800
4		07.02.15	ईट	52000

	विजयशंकर के घर से लालमन के खेत तक खण्डजा कार्य	13.02.15	मजदूरी	2500
		13.02.15	मजदूरी	3000
		19.02.15	मजदूरी	15288
		27.02.15	मजदूरी	12948
		13.03.15	ईट	13000
योग(सामग्री अंश – 65000, मजदूरी– 33736)				98736

उपरोक्तानुसार विभिन्न मार्गों पर खण्डजा कार्य हेतु सामग्री(ईट) क्रय रु0 279600.00 (118400+39200+57000+65000) एवं मजदूरी रु0 110736.00 (30200+00+46800+ 33736), कुल रु0 390336.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-1- उपरोक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2- ईट क्रय हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। क्रय की गयी ईट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

3-मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्यों पर मजदूरी भुगतान कुल व्यय रु0 390336.00 के सापेक्ष केवल रु0 110736.00 अर्थात् 28 प्रतिशत ही है जो निर्धारित मानक 60-40 से काफी कम है।

4-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

5-उक्त तालिका के क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्य हेतु रु0 39200.00 का ईट क्रय दर्शित है किन्तु मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है, न ही अवशेष ईट दर्शित है।

6- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्यों पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

7-उपरोक्त समस्त भुगतान नकद/बियरर चेक द्वारा किये गये हैं जिससे फर्मों/मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट क्रय किया गया न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया और समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 390336.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुझारत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वय श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री ओम प्रकाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66

वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार कूप जगत निर्माण/मरम्मत कार्य पर कोष बही में अंकन रु0 118300.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री / मजदूरी	धनराशि	टिप्पणी
1	सोमारु राजभर के घर के पास कूप जगत निर्माण / मरम्मत	02.04.14	मजदूरी	10500	सामग्री का नाम अंकित नहीं है
		12.04.14	ईट	44800	
		21.04.14	सामग्री	15400	
		30.05.15	सामग्री	10000	
		02.07.14	सामग्री	17600	
		07.07.14	सामग्री	20000	
	योग(सामग्री अंश— 87800, मजदूरी— 30500)			118300	

उपरोक्तानुसार सोमारु राजभर के घर के पास कूप जगत निर्माण/मरम्मत हेतु ईट क्रय रु0 44800.00, सामग्री क्रय (जिसका नाम अंकित नहीं है) रु0 43000.00 (15400+10000+17600) एवं मजदूरी रु0 30500.00 (10500+00+20000), कुल रु0 118300.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1- कूप जगत निर्माण/मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट एवं एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई का कोई उल्लेख नहीं है।

2- ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा आमन्त्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 43000.00 की सामग्री क्रय भी दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। ईट एवं सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि सोमारु राजभर के घर के पास कूप जगत निर्माण/मरम्मत पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

5- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

6-लेखा परीक्षा की दृष्टि में कूप जगत निर्माण/मरम्मत पर दर्शित व्यय काफी अधिक प्रतीत होता है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई ईट/सामग्री क्रय की गयी न ही किसी कूप जगत निर्माण/मरम्मत किया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 118300.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुझारत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-67

वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत पर कोष बही में अंकन रु0 75850.00 व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/ मजदूरी	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 7 नग	27.08.14	सामग्री	10000
2	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी उपरोक्त	28.08.14	मजदूरी	3500
3	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी 5 नग	29.08.14	मजदूरी	2500
4	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी (संख्या अंकित नहीं)	24.09.14	सामग्री	18950
5	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री (संख्या अंकित नहीं)	12.02.15	सामग्री	10500
6	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी (संख्या अंकित नहीं)	13.02.15	मजदूरी	7000
7	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री (संख्या अंकित नहीं)	03.03.15	सामग्री	5800
8	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी (संख्या अंकित नहीं)	04.03.15	मजदूरी	2000
9	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री (संख्या अंकित नहीं)	13.03.15	सामग्री	5300
10	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी (संख्या अंकित नहीं)	13.03.15	मजदूरी	2500
11	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 03 नग	19.03.15	सामग्री	6300
12	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी (संख्या अंकित नहीं)	20.03.15	मजदूरी	1500
योग(सामग्री अंश - 56850, मजदूरी-19000)				75850

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु0 56850.00 एवं मजदूरी रु0 19000.00, कुल रु0 75850.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1- हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया। कहां कहां स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तालिका के क्रमांक 04 से 10 तक मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या भी अंकित नहीं है।

2- हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 56850.00 की सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 75850.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुझारत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वय श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री ओम प्रकाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68

वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से रु0 35000.00 व्यय कर प्रा0 विद्यालय कुम्भापुर व फुलवरिया में शौचालय मरम्मत कार्य कराया जाना दर्शित किया गया है :-

भुगतान तिथि	क्रय सामग्री/मजदूरी	धनराशि	टिप्पणी
22.07.14	समग्री	14500	सामग्री का नाम अंकित नहीं है
01.08.14	मजदूरी	5000	
20.08.14	समग्री	15500	
योग(सामग्री अंश- 30000, मजदूरी- 5000)		35000	

उपरोक्तानुसार प्रा0 विद्यालय कुम्भापुर व फुलवरिया में शौचालय मरम्मत हेतु सामग्री क्रय रु0 30000.00 एवं मजदूरी रु0 5000.00, कुल रु0 35000.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके प्रति आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1-शौचालय मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है। ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वाकृति है न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है। इस्टीमेट भी तैयार नहीं कराया गया।

2-सामग्री क्रय हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है। क्रय का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है। बिना क्रय प्रमाणक के रु0 30000.00 की सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु मदों का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी। सामग्री को स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

3-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।

4- सृजित परिसम्पत्ति का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उक्त शौचालयों के मरम्मत पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

5-प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्रधानाचार्यों से नहीं ली गयी है नही मरम्मत के बाद पुष्टि करायी गयी है।

6- मजदूरी भुगतान के पक्ष में कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है।

7- लेखा परीक्षा की दृष्टि में शौचालय मरम्मत पर दर्शित व्यय काफी अधिक प्रतीत होता है।

मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव सहित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न कोई सामग्री क्रय की गयी न ही किसी शौचालय का मरम्मत कराया गया और न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया बल्कि समस्त धनराशि बैंक से आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बन्दरबांट कर अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 35000.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुझारत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-69

कोषबही वर्ष 14-15 में दिनांक 22.09.2014 को रु0 20000.00 ह्यूम पाइप क्रय दर्शित कर व्यय किया गया है किन्तु न तो कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध है न ही ह्यूम पाइप की स्थापना कहां की गयी, इसका कोई उल्लेख है। स्थापना हेतु कोई मजदूरी भी दर्शित नहीं है। स्टाक रजिस्टर में इसे दर्ज कर लेखा परीक्षा में पुष्टि

नहीं करायी गयी। स्पष्ट है कि बिना ह्यूम पाइप कय किये ही नकद भुगतान दर्शित कर रु0 20000.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुझारत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-70

कोषबही वर्ष 14-15 में दिनांक 20.08.2014 को रु0 2500.00 एवं 17.10.14 को रु0 2500.00 कुल रु0 5000.00 का स्टेशनरी कय दर्शित है जिसका व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत रहा। कौन कौन सी स्टेशनरी कय की गयी इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। वर्ष में रु0 1000.00 की सीमा तक ही स्टेशनरी कय अनुमन्य है। वित्तीय सीमा का उल्लंघन एवं व्यय प्रमाणक की अनुपलब्धता से स्पष्ट है कि बिना स्टेशनरी कय किये ही नकद भुगतान दर्शित कर रु0 5000.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुझारत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 06 तक अंकित आपत्तियों में अपहरित कुल धनराशि रु0 644486.00 का आपत्तिवार/उत्तरदायी व्यक्ति वार विवरण निम्नवत् है :-

आ0 सं0	सन्निहित धनराशि	उत्तरदायी व्यक्तिवार सन्निहित धनराशि		
		श्री बुझारत, तत्कालीन ग्राम प्रधान	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन ग्रा0पं0अ0	श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन ग्रा0पं0अ0
1	390336.00	195168.00	142680.00	52488.00
2	118300.00	59150.00	59150.00	—
3	75850.00	37925.00	17475.00	20450.00
4	35000.00	17500.00	17500.00	—
5	20000.00	10000.00	10000.00	—
6	5000.00	2500.00	2500.00	—
योग	644486.00	322243.00	249305.00	72938.00

इस प्रकार श्री बुझारत, तत्कालीन ग्राम प्रधान से रु0 322243.00, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से अंकन रु0 249305.00 एवं श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से अंकन रु0 72938.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद —भदोही मण्डल का नाम विन्ध्याचल ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

1—ग्राम पंचायत पूरे रजा

प्रस्तर —01

ग्राम पंचायत पूरे रजा वर्ष 2015—16 में पाया गया कि कुल रू0 142259.00 व्यय किया गया जिसके सापेक्ष अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त व्यय कि सत्यता की पुष्टि न की जा सकी जिसका उत्तरदायित्व श्री इम्तियाज अहमद एवं श्री अक्षय कुमार प्रधान श्री राकेश मिश्रा एवं श्री बरसातू ग्राम वि० अधिकारी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

2—ग्राम पंचायत चकसून्दर

प्रस्तर —02

ग्राम पंचायत चकसून्दर वर्ष 2015—16 में पाया गया कि कुल रू0 323245.00 व्यय किया गया जिसके सापेक्ष अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त व्यय कि सत्यता की पुष्टि न की जा सकी जिसके प्रति ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजा देवी श्री विशुन लाल एव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रूपेश श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

3—ग्राम पंचायत सोबरी

प्रस्तर —03

ग्राम पंचायत सोबरी वर्ष 2015—16 में पाया गया कि कुल रू0 709005.00 व्यय किया गया जिसके सापेक्ष अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त व्यय कि सत्यता की पुष्टि न की जा सकी जिसके प्रति ग्राम पंधान श्री शिव नारायण बिन्द एवं श्री गुलाबधर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह चौहान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

4—ग्राम पंचायत मीनापुर

प्रस्तर —04

आलोच्य ग्राम पचायत मीनापुर मे वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह जून 2015 एवं जुलाई 2015 में निम्न तिथियों में रू0 58500.00 बैंक पास बुक के अनुसार बैंक से आहरित किया गया किन्तु उक्त आहरित धनराशि कोषवही के आय पक्ष में आय न पकड़ कर धन का अपहरण किया गया हैं अतः उक्त धनराशि रू0 58500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरोत्तम लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गणेश राय से कि जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि
12.06.15	229394	10000
15.06.15	229395	10000
18.06.15	229397	10000
24.06.2015	229398	10000
01.07.2015	229399	10000
10.07.2015	229400	8500
योग		58500

5—ग्राम पंचायत लीलाधरपुर

प्रस्तर —05

ग्राम पंचायत लीलाधरपुर में वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत सामान रू0 35170.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद दपाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचन जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद

पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचन जिसके सम्मिलित रूप से रु0 35170.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -06

2- ग्राम पंचायत लीलाधरपुर में वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से खण्डजा निर्माण सामाग्री रु0 285200.00 एवं मरम्मत मजदूरी रु080238.00 कुल रु0 365438.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे ईट मजदूरी व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचन एवं श्री ईश्वर चन्द्र जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचन एवं श्री ईश्वर चन्द्र जिसके सम्मिलित रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	सामाग्री	मजदूरी	जिम्मेदार व्यक्ति
22.05.15	49600.00	-----	
09.06.15	-----	18660.00	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
27.06.158	37200.00	-----	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
08.07.15	-----	18660.00	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
21.07.154	49600.00	-----	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
28.07.15	-----	5598.00	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
09.03.16	-----	18660.00	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
09.03.16	74400.00	-----	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
09.03.16	74400.00	-----	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
16.03.16	-----	18660.00	जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं प्रधान बेचन
योग	285200.00	80238.00	

प्रस्तर -07

3-ग्राम पंचायत लीलाधरपुर में वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से हयूम पाइप सामाग्री रु0 73080.00.00 एवं मजदूरी रु014160.00.00 कुल रु087240.00.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हयूम पाइप सामग्री एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचन एवं श्री जगदीश चन्द्र जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचन जिसके सम्मिलित रूप से रु0 87240.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	सामाग्री	मजदूरी
07.04.2015	-----	4830.00
16.04.2015	73080	—
24.04.2015	-----	9330.00
योग	73080	14160.00

6-ग्राम पंचायत खेमईपुर

प्रस्तर -08

1- ग्राम पंचायत खेमईपुर में वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत सामान रु0 201683.00 मजदूरी 34900.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संगीत एवं श्री ओम प्रकाश जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम पंधान श्रीमती संगीता एवं ओम प्रकाश जिसके सम्मिलित रूप से रु0 236583.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -09

2— ग्राम पंचायत खेमईपुर वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से शंकर के मकान से नन्दलाल के तक भूमि गत नाली भुगतान दिनांक 04.03.2016से 09.03.2016 तक रु0 166896.00.00 एवं नन्दलाल के मकान से प्रा0 वि0 के पास तक भूमि गत नाली हयूम पाईप का भुगतान रु0 166896 किया गया है भूमिगत नाली में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संगीता एवं श्री ओम प्रकाश जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैरु0 333792.00.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -10

3— ग्राम पंचायत खेमईपुर वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से हयूम पाईप सामग्री रु0 472772.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हयूम पाईप सामग्री एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संगीता एवं श्री ओम प्रकाश जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती संगीता एवं श्री ओम प्रकाश जिसके सम्मिलित रूप से रु0 47272.00की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -11

4— ग्राम पंचायत खेमईपुर वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से खण्डजा निर्माण सामग्री रु0 238178.0 एवं मजदूरी 79283.00 कुल रु0 317460.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हयूम पाईप सामग्री एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीमती संगीता एवं श्री ओम प्रकाश जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती संगीता श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संगीता एवं श्री ओम प्रकाश जिसके सम्मिलित रूप से रु0 317460.00.00की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -12

5 — ग्राम पंचायत खेमईपुर वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से खण्डजा से 6.7.15 एवं 9.07.2015 को पिच रोड से बुढेना तक खण्डजा एवं ब्रिक गार्ड मरम्मत मजदूरी एवं ईट कुल रु0 55816.00 व्यय किया गया जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे खण्डजा एवं ब्रिक गार्ड मरम्मत पर व्यय क पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीमती संगीता एवं जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता जिसके सम्मिलित रूप से रु0 55816.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

7—ग्राम पंचायत लठियाँ

प्रस्तर -13

1— ग्राम पंचायत लठिया मे वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत सामान रु0 15000.00 मजदूरी 21295.00 कुल रु0 36295.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार दूबे एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार दूबे एवं श्रीमती रेखा देवी जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम 36295.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत लठिया में वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से खण्डजा निर्माण सामाग्री रु0 294500.00 एवं मजदूरी 56092.00 कुल रु0 350592.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे खण्डजा निर्माण एवं मरम्मत व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार दूवे एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार दूवे एवं श्रीमती रेखा देवी जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास 350592.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

3-ग्राम पंचायत लठिया में वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से भूमिगत नाली एवं ह्यूम पाइप सामग्री रु0 108035.00 मजदूरी रु0 30985.00 कुल रूप 139020.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे ह्यूम पाईप सामग्री एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार दूबे एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार दूबे जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है 139020.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

4—ग्राम पंचायत लठिया मे वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से सोख्ता निर्माण सामाग्री रु0 57200.00.00 मजदूरी रु0 16716.00.00 कुल रूप 73916.00.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हयूम पाईप सामग्री एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि न की जा सकी अत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार दूवे एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार जिसके सम्मिलितरूप से जिम्मेदार है 733916.00 की ब्याज सहित वसुली की जानी अपेक्षित है।

4-ग्राम पंचायत लठिया मे वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से कूप जगत निर्माण सामाग्री रु0 17000.00 मजदूरी रु0 6822.00 कुल रुप 23822.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया जिससे हयूम पाईप सामग्री एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि न की जा सकी अत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार दूवे एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार जिसके सम्मिलित रुप से जिम्मेदार है 23822.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1- ग्राम पंचायत इस्मैला में वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत सामान रु0 28542.00 मजदूरी 11196.00 कुल रु0 39738.00.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह एवं मोहन लाल यादव जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है 29738.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

2— ग्राम पंचायत इस्मैला मे वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से हैण्डपम्प फर्श सामान रु0 3550.00 मजूदूरी 2788.00 कुल रु0 6338.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रियका सिंह जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है 6338.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

3— ग्राम पंचायत इस्मैला मे वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से खण्डला निर्माण एवं मजदूरी रु0 336567.00 मजदूरी 52206 कल रु0 388773.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत

किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रियका सिंह एवं जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है 388773.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

4- ग्राम पंचायत इस्मैला मे वर्ष 2015-16 के ग्राम पंचायत पक्की नाली निर्माण सामान रू0 199610.00 मजदूरी 24478.00 कुल रू0 224088.00.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रियका सिंह जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास 224088.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -22

1— ग्राम पंचायत सूरहन मे वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से हयूम पाईप सामाग्री रू0 130100.00 मजूदूरी 2737.0000 कुल रू0 132837.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम रमेश कनौजीया जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है 132837.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1— ग्राम पंचायत सूरहन मे वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से दिनांक 19.9.15 को स्ट्रीट लाइट लगवाकर रु0 38250.00 व्यय किया गया व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सरोज एवं तत्कालीन ग्राम रमेश कनौजीया जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है 38250.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर -25

1— ग्राम पंचायत मल्लूपूर में वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से खण्डजा निर्माण सामान रु0 605000 मजदूरी 93300.0 कुल रु0 698300.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति ,माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे खण्डजा निर्माण मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश

प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम रिकी देवी जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है ग्राम पंचायत विकास 698300.0 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

11—ग्राम पंचायत मानीक पट्टी

प्रस्तर —27

1— ग्राम पंचायत मानिकपट्टी मे वर्ष 2015—16 के ग्राम पंचायत खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत सामान रू0 365800.0 मजदूरी 9000.0 कुल रू0 45580.00 व्यय किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत सामान व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सभा जीत एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान अमरावती जिसके सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है 45580.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

12—ग्राम पंचायत भानीपुर

प्रस्तर —28

ग्राम पंचायत भानीपुर वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

- 1— हैण्डपम्प मरम्मत एवं साख्ता निर्माण सामग्री 80235.00
- 2— कूप जगत निर्माण में सामग्री एवं मजदूरी व्यय 17160
- 3— खण्डजा निर्माण में सामग्री एवं मजदूरी व्यय 53683.
- 4— नल हैण्डपम्प, फर्श निर्माण में सामग्री एवं मजदूरी व्यय 5898.00
- 5—हयूम पाईप का क्रय एवं मजदूरी व्यय 78580.0
- 6—इर्ट सिमेंट एवे वालू पर व्यय 150300.00

कुल रू0 385856.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी सद्दारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराने के कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अन्तर्गत आती है।। इस प्रकार 385856. का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी और श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर नाथ से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

13—ग्राम पंचायत गौरा

प्रस्तर —29

ग्राम पंचायत गौरा वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

- 1— हैण्डपम्प मरम्मत एवं साख्ता निर्माण सामग्री 125259.00
- 2— स्नानागार निर्माण में सामग्री एवं मजदूरी व्यय 80410
- 3— खण्डजा निर्माण में सामग्री एवं मजदूरी व्यय 27209.00

कुल रू0 232878.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी सद्दारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराने के कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अन्तर्गत आती है।। इस प्रकार 232878.0 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्यामवली एवं दिलिप कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नन्हेलाल विन्द से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

14—ग्राम पंचायत रैया

प्रस्तर —30

ग्राम पंचायत रैया वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

- 1— हैण्डपम्प मरम्मत एवं साख्ता निर्माण सामग्री 41050.0000
- 2— पूल निर्माण में सामग्री एवं मजदूरी व्यय 21700.0

- 3- खण्डजा निर्माण में सामाग्री एवं मजदूरी व्यय 1095980.00
 4- शौचालय निर्माण में सामाग्री एवं मजदूरी व्यय 46350.00
 5-हयूम पाईप का कय एवं मजदूरी व्यय 72000.00

कुल रू0

1277080.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कार्ड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी सद्द्वारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करानेके कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है।। इस प्रकार 1277080.00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान इशारा अहमद एव उमराई एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महेन्द्र शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

15-ग्राम पंचायत पीपरगाँव

प्रस्तर -31

ग्राम पंचायत पीपरगाँव की वर्ष 2015-16 के आलोच्य वर्ष में व्यय की गयी धनराशि 491553.07 की पुष्टि में सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने के नही की जा सकी

उपलब्ध प्रिया साफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय रू0 491553.07 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण नहीं बनाये गये है और न ही कार्ययोजना स्टमेट मापपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बिल बाउचर आदि तैयार किया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निधि एक में दर्शाया गया व्यय 491553.07 राजकिय धन का अपहरण है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती मनकेशरा एव सीताराम एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

16-ग्राम पंचायत औराई

प्रस्तर -32

ग्राम पंचायत औराई की वर्ष 2015-16 के आलोच्य वर्ष में व्यय की गयी धनराशि 624829.00 की पुष्टि में सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने के नही की जा सकी

उपलब्ध प्रिया साफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय रू0 624829.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण नहीं बनाये गये है और न ही कार्ययोजना स्टमेट मापपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बिल बाउचर आदि तैयार किया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निधि एक में दर्शाया गया व्यय 624829.00 राजकिय धन का अपहरण है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती फूलेशवरी देवी एव श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गुलाब चन्द्र सरोज से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

17-ग्राम पंचायत जगरनाथपुर

प्रस्तर -33

ग्राम पंचायत जगरनाथपुर की वर्ष 2015-16 के आलोच्य वर्ष में व्यय की गयी धनराशि 1085068.00 की पुष्टि में सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने के नही की जा सकी

उपलब्ध प्रिया साफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय रू0 1085068.0 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण नहीं बनाये गये है और न ही कार्ययोजना स्टमेट मापपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बिल बाउचर आदि तैयार किया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निधि एक में दर्शाया गया व्यय 1085068.00 राजकिय धन का अपहरण है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती कन्चनदेवी एव विन्दू देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

18-ग्राम पंचायत नकटापुर

प्रस्तर -34

ग्राम पंचायत नकटापूर वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

- 1-आगनवाडी पंचायत भवन 74452.00
 2-खण्डजा निर्माण 85585.00
 3- हैण्डपम्प मरम्मत 89021.00

4- शौचालय निर्माण	24750
5- कूप निर्माण	23702.00
6- एम0आई0एस0पर	2500.00
7-प्रधान का मानदेय भुगतान	22500.00
8- स्टेशनरी क्य	2533.00
कुल रू0	325043.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी सद्द्वारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करानेके कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है।। इस प्रकार 325043.00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती भुखाली देवी एवं श्रीमती मन्नी देवी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हौसिला प्रसाद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

19-ग्राम पंचायत लालानगर

प्रस्तर -35

ग्राम पंचायत लालानगर वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

1-स्नानगृह/शौचालय	00.00
2-खण्डजा निर्माण	218320.00
3- हैण्डपम्प मरम्मत	344626.00
4- नाली की सफाई	395379.00
5- मिट्टी कार्य पर व्यय	7500.0
6- एम0आई0एस0पर	00.00
7-प्रधान का मानदेय भुगतान	47500.00
8- स्टेशनरी क्य	2659.00
कुल रू0	1015984.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और तकनीकी अधिकारी द्वारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराने के कारण दर्शायी गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है।। इस प्रकार 1015984.00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री नरेश एवं श्रीमती हमीदूलनिशा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पारस नाथ से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर -36

20-ग्राम पंचायत कुरौना

ग्राम पंचायत कुरौना वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

1-स्नान गृह/शौचायल मरम्त पर व्यय	333267.00
2-खण्डजा मरम्त	116500.00
3- हैण्डपम्प मरम्मत	89021.00
4- कूप जगत की मरम्मत	76232.00
5-नाला की सफाई	5500.00
6- एम0आई0एस0पर	3000.00
7-प्रधान का मानदेय भुगतान	10000.00
8- स्टेशनरी क्य	3849.00
कुल रू0	632006

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कार्ड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी द्वारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करानेके कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है। इस प्रकार 632006.00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान राम तवकलएव श्री उमा शंकर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हौसीला प्रसाद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

1—ग्राम पंचायत भवानीपुर पश्चिमी

प्रस्तर —37

ग्राम पंचायत भवानीपुर पश्चिमी वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

1—स्नानगृह/चबूतरा	424261.00
2—खण्डजा निर्माण	190286.0
3— हैण्डपम्प मरम्मत	148350.00
4— कूप जगत की मरम्मत	
5— शौचायल	
6— एम0आई0एस0पर	2000
7—प्रधान का मानदेय भुगतान	17500
8— स्टेशनरी क्रय	25.00
कुल रू0	424261.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कार्ड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी सद्दारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करानेके कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है।। इस प्रकार 424261.0..00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री दिलिप कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इन्दर राम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

22—ग्राम पंचायत भवानीपुर पूर्वी

प्रस्तर —38

ग्राम पंचायत भवानीपुर पूर्वी वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

1—नाली निर्माण	222352.00
2—खण्डजा निर्माण	170000.00
3— हैण्डपम्प मरम्मत	135816.00
4—प्रधान का मानदेय भुगतान	25000.00
5— स्टेशनरी क्रय	6000.00
कुल रू0	559167.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कार्ड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी द्वारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करानेके कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है।। इस प्रकार 559167.00.00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती शशि शुक्ला एवं श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गुलाब चन्द्र सरोज से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

23—ग्राम पंचायत हरिहरपुर

प्रस्तर —39

ग्राम पंचायत हरिहरपुर उर्फ सूकूलपूर वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

1—खण्डजा निर्माण	110290.00
2— हैण्डपम्प मरम्मत	87776.00
3—एम0आई0एस0 पर व्यय	2000.00
4— स्टेशनरी क्य	184.0

कुल रू0 200250.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कार्ड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी सद्द्वारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करानेके कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है।। इस प्रकार 200250.00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जयदीप पाण्डये एवं श्रीमती गीता देवी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गुलाब चन्द्र सरोज से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

24—ग्राम पंचायत महदवाँ

प्रस्तर —40

ग्राम पंचायत महदवा वर्ष 2015—16 के लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम में अपहरण /दु/अनियमिता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार है

1—नाली निर्माण	
2—खण्डजा निर्माण	279068
3— हैण्डपम्प मरम्मत	67250
4— कूप जगत की मरम्मत	20024
5—प्रधान का मानदेय भुगतान	12500
6— स्टेशनरी क्य	20108

कुल रू0 398950.00.00

निर्माण कार्य से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेन्ट का कार्ड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही तकनीकी अधिकारी सद्द्वारा एम0वी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और व्यय के परिपेक्ष में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करानेके कारण दर्शाई गयी धनराशि अपहरण के अर्न्तगत आती है।। इस प्रकार 398950.00 का कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सत्य प्रकाश एवं श्री सूर्य लाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हौसिला प्रसाद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

25—ग्राम पंचायत जहागीराबाद

प्रस्तर —41

ग्राम पंचायत जहागीराबाद की वर्ष 2015—16 के आलोच्य वर्ष में व्यय की गयी धनराशि 229850.00 की पुष्टि में सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने के नही की जा सकी उपलब्ध प्रिया साफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय रू0 229850.0 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण नहीं बनाये गये है और न ही कार्ययोजना स्टमेट मापपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बिल बाउचर आदि तैयार किया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निधि एक में दर्शाया गया व्यय 229850.00 राजकिय धन का अपहरण है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एव श्री चन्द्र एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

26—ग्राम पंचायत जाठी

प्रस्तर —42

ग्राम पंचायत जाठी की वर्ष 2015—16 में शासन द्वारा ग्राम पंचायत जाठी के विकास कार्य हेतु ही गई अनुदान की धनराशि की जाँच में अपहरण से सम्बन्धित रू0635698.00 के प्रकरण प्रकाश में आये उपर्युक्त भुगतान की गई धनराशि की व्यय पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार 635698.00

बिना कैशबुक के बैंक पास बुक से अपहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री गीरजाशंकर बिन्द एवं श्री महेशचन्द्र एव ग्राम विकास अधिकारी श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय से संयुक्त रूप ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

27—ग्राम पंचायत नरायणपुर

प्रस्तर —43

ग्राम पंचायत नरायणपुर वर्ष 2015—16 में शासन द्वारा ग्राम पंचायत जाठी के विकास कार्य हेतु ही गई अनुदान की धनराशि की जाँच में अपहरण से सम्बन्धित रु0 281692.98 के प्रकरण प्रकाश में आये उपर्युक्त भुगतान की गई धनराशि की व्यय पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार 281692.98 बिना कैशबुक के बैंक पास बुक से अपहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री भग्नराम एवं श्रीमती संगीतादेवी एव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश तिवारी से संयुक्त रूप वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

28—ग्राम पंचायत पूरेशम्भू

प्रस्तर —44

ग्राम पंचायत पूरेशम्भू वर्ष 2015—16 में शासन द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्य हेतु ही गई अनुदान की धनराशि की जाँच में अपहरण से सम्बन्धित रु0 688476.00 के प्रकरण प्रकाश में आये उपर्युक्त भुगतान की गई धनराशि की व्यय पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार 688476.00 बिना कैशबुक के बैंक पास बुक से अपहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है

जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री कपिल देव पाल एवं श्रीमती कमलापाल एव सचिव श्री सूरेंद्र प्रताप सिंह से संयुक्त रूप वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 45

ग्राम पंचायत पूरेशम्भू वर्ष 2015—16 के पास बुक की जाच करने पर पाया गया की धनराशि 34000.00 आहरित किया गया है जिसका लेखा कोषवही में दर्शित नहीं किया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री कपिल देव पाल एवं श्रीमती कमलापाल एव सचिव श्री सूरेंद्र प्रताप सिंह है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद— मीरजापुर**मण्डल का नाम— विन्ध्याचल****1. नाम ग्राम पंचायत—नौगवां, वि०ख०—हलिया**

प्रस्तर—01 कोष रजिस्टर के अनुसार हैण्ड पंप मरम्मत पर रु० 274073.00 निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है—

दिनांक	बाउचर सं०	सामग्री क्रय की धनराशि	मजदूरी की धनराशि	
25-04-15	4	48890 —	48890	वाउचर अप्राप्त
28-04-16	7	50183 —	50183	वाउचर अप्राप्त
07-05-15	12	35000 —	35000	वाउचर अप्राप्त
15-05-15	16	20000	20000	वाउचर अप्राप्त
23-05-15	19	20000 —	20000	वाउचर अप्राप्त
01-06-15	22	20000 —	20000	वाउचर अप्राप्त
30-06-15	26	10000 —	10000	वाउचर अप्राप्त
15-02-16	28	70000 —	70000	वाउचर अप्राप्त

अन्य — 20000

योग — 254073

योग — 274073

उपरोक्तानुसार रु० 274073.00 हैण्ड पंप मरम्मत हेतु धनराशि कोष रजिस्टर से खारिज है । कोष रजिस्टर में हैण्ड पंप मरम्मत स्थल का नाम नहीं अंकित है । प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । पुरानी एवं निष्प्रयोज्य हैण्ड पंप सामग्री के अवशेष भी बिक्री करने के पश्चात धनराशि न तो कोष रजिस्टर में आय दर्शित है और न ही स्टॉक रजिस्टर बनाया गया है । जल प्रबंधन समिति की सर्वे रिपोर्ट, प्रस्ताव, भुगतान की स्वीकृति भी नहीं प्राप्त की गयी है । इस प्रकार रु० 274073.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर धनराशि कोष रजिस्टर से खारिज किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय साहनी से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०—16)

प्रस्तर—02 निधि प्रथम खाता सं०—50060539765 से ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय साहनी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 26.05.2015 को चेक संख्या 003489 से श्री विजय शंकर के नाम से चेक काटकर धनराशि रु० 50000.00 का अपहरण किया गया है । क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम से चेक काटकर धन निकाला गया है । उस व्यक्ति के नाम से न ही कोई फर्म है न ही सामग्री आपूर्ति करने का अधिकार है । उक्त धनराशि से दिनांक 26.05.15 को कैशबुक में हैण्ड पंप सामग्री खरीद पर व्यय दर्शित है । वाउचर कैश मेमो नहीं है । अतः स्पष्ट है कि गलत व्यक्ति के नाम से चेक काटकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय साहनी से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०—18)

2. नाम ग्राम पंचायत—पटेहरा कला, वि०ख०—पटेहरा कला

प्रस्तर—03 वर्ष 2015-16 के दौरान हैण्ड पंप मरम्मत पर रु० 499837.00 निम्नवत् व्यय दर्शाया गया है—

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	21.04.15	39840	सामग्री हैण्ड पंप क्रय
02	21.04.15	45410	सामग्री हैण्ड पंप क्रय
03	29.04.15	36775	सामग्री हैण्ड पंप क्रय
04	12.05.15	5000	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
05	13.05.15	5000	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
06	21.05.15	45530	सामग्री हैण्ड पंप क्रय
07	21.05.15	53550	सामग्री हैण्ड पंप क्रय
08	26.05.15	20000	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत

09	11.07.15	49255	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री क्रय
10	11.07.15	37550	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री क्रय
11	11.07.15	25000	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री क्रय
12	11.07.15	10500	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
योग		373410	प्रधान श्रीमती धनपत्ती द्वारा ।
13	29.02.16	39540	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री क्रय
14	01.03.16	5950	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
15	01.03.16	2735	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
16	18.03.16	1932	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
17	18.03.16	4200	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
18	19.03.16	22090	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री क्रय
19	21.03.16	3500	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
20	21.03.16	1610	मजदूरी हैण्ड पंप मरम्मत
21	28.03.16	44870	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री क्रय
योग		126427	प्रधान श्री अमृत लाल द्वारा ।
सर्वयोग 499837.00			

उपरोक्त की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

1. किसी भी व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा ।
2. उपरोक्त के संबंध में कोई सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही ।
3. ग्रामीणों का हैण्ड पंप मरम्मत हेतु कोई माँग पत्र उपलब्ध नहीं रहा ।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा ।
5. व्यय के संबंध में इस्टीमेट व एम0बी0 उपलब्ध नहीं रही ।
6. सामग्री के सापेक्ष मजदूरी का प्रतिशत 13.75: रहा, जबकि लगभग 25 से 30 प्रतिशत मजदूरी व्यय होती है ।
7. मरम्मत में निकले पार्ट्स की बिक्री से कोई धनराशि कोषबही के आय पक्ष में नहीं दर्शायी गयी है । स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान धनपत्ती देवी, श्री अमृत लाल व ग्रा0प0अ0 श्री हरिश्चन्द्र बिन्द से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

3. नाम ग्राम पंचायत-समोगरा, वि0ख0-सिटी

प्रस्तर-04 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार हैण्डपंप सामग्री क्रय कैश बुक में दर्शित है

दिनांक	वा0सं0	धनराशि	फर्म
17.04.15	2	29952.00	मौर्या हार्डवेयर
16.05.15	4	22100.00	शिखा मशीनरी स्टोर्स
04.07.15	7	40100.00	तदैव
योग		92152.00	

उपरोक्त विवरणानुसार रु0 92152.00 का हैण्डपंप सामग्री वर्ष 2015-16 में क्रय की गयी है, किंतु हैण्डपंप सामग्री क्रय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही सामग्री स्टॉक रजि0 में अंकित की गयी और न ही उपरोक्त सामग्री को कहीं भी वर्ष पर्यन्त उपयोग में ही लाया गया है । जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सामग्री क्रय ही नहीं की गयी । अतः रु0 92152.00 की वसूली प्रधान श्रीमती शकुन्तला एवं ग्रा0वि0अ0 श्री लल्लूराम भारतीय से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-05 आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप सामग्री पर रु0 22530.00 एवं मजदूरी पर रु0 3360.00 कुल रु0 25890.00 का कैशबुक में दर्शित है । उक्त के क्रम में कोई भी प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया और न ही पुरानी सामग्री बिक्री की

गयी है । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हैण्डपंप मरम्मत पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह एवं ग्रा०वि०अधि० श्री लल्लूराम भारतीय द्वारा किया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या-23)

4.नाम ग्राम पंचायत-रजौहाँ, वि०ख०-पटेहरा कला

प्रस्तर-06 वर्ष में निम्न विवरणानुसार स्टाक क्रय दर्शित है, किंतु कोष रजिस्टर में कार्य स्थल का उल्लेख नहीं रहा, उक्त के संबंध में व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टोर व स्टाक पंजी भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उल्लेखनीय है कि क्रय स्टाक के उपभोग के संबंध में वर्ष पर्यन्त कोई मजदूरी व्यय नहीं दर्शाया गया है, जिससे सामग्री उपभोग की पुष्टि नहीं होती है । स्पष्ट है कि काल्पनिक स्टाक क्रय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान श्रीमती सुनैना देवी, व ग्रा०पं०अ० श्री प्रकाश चन्द्र दूबे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

क्रम	दिनांक	सामग्री	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
01	21.05.15	ब्रिक सोलिंग व सोख्ता गद्दा	निर्माण सामग्री	55480.00	व्यय प्रमाणक नहीं
02	08.07.15	मोरंग		48480.00	व्यय प्रमाणक नहीं
03	30.07.15	ह्यूम पाईप		24600.00	व्यय प्रमाणक नहीं
योग				128560.00	

(मूल आपत्ति संख्या-07)

5.नाम ग्राम पंचायत-भिस्कुरी, वि०ख०-सिटी

प्रस्तर-07 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत भिस्कुरी में पंचायत भवन मरम्मत एवं हैण्डपंप मरम्मत पर चौदहवाँ वित्त की धनराशि का व्यय किया गया है । जबकि "ग्राम पंचायतें चौदहवाँ वित्त आयोग की मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना स०वि०अ० (पं०) स्तर पर संकलित कर अपने स्तर से जि०पं०रा०अ० मीरजापुर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा प्रत्येक कार्य की वर्क आई०डी० जनरेट की जायेगी । तुदनुरूप ही किया जाना चाहिए किंतु उक्त ग्राम पंचायत भवन मरम्मत एवं हैण्डपंप मरम्मत की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, वर्क आई०डी०, निर्माणकार्य रजि०, परि०रजि०, एम०वी०, कार्यवाही रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि उपलब्ध नहीं रही । कोष बही के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	दिनांक	वा०सं०	विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
01	11.02.17	19	सामग्री (पं०भ०)	47308.00	14वाँ वित्त आयोग
02	20.02.17	22	पं०भ० मजदूरी	5000.00	
03	20.02.17	23	पं०भ० मजदूरी	5000.00	
04	20.02.17	24	पं०भ० मजदूरी	4198.00	
योग				61506.00	
01	27.01.17	18	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री	41910.00	
02	18.02.17	20	मजदूरी	5000.00	
03	19.02.17	21	मिस्त्री (हैण्डपंप)	1048.00	
योग				47958.00	
महायोग				109464.00	

उक्त धनराशि रु० 109464.00 14वाँ वित्त की धनराशि व्यय किया गया है । अतः उक्त पंचायत भवन एवं हैण्डपंप मरम्मत कार्य की पुष्टि में एवं उक्त वांछित अभिलेख के अभाव में दर्शित व्यय की गयी अनियमितता के अंतर्गत है । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सूर्यबली एवं ग्रा०पं०अधि० श्री शेष नारायण सिंह समान रूप से उत्तरदायी है । विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या-22)

6.नाम ग्राम पंचायत-भटवारी, वि०ख०-हलिया

प्रस्तर-08 दिनांक 05-07-15 को रसीद सं०-345 से रु० 20075.00 की सीमेंट एवं दिनांक 15-07-15 को रसीद सं०-359 से रु० 12280.00 की गार्टर व गरारी एवं दिनांक 03-08-15 को रसीद सं०-340 से रु० 20000.00 की ईट प्रथम श्रेणी श्रद्धा सुमन मैटेरियल सप्लायर्स भटवारी हलिया मीरजापुर से क्रय दर्शाकर भुगतान किया गया है । अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त फर्म की रसीद सं०-345 व 359 से सामान क्रय जुलाई में

क्रय किया गया जबकि रसीद सं०-340 से रु० 20000.00 की ईट गस्त में क्रय दर्शाया गया है । अतः रु० 20000.00 की ईट क्रय स्वतः संदिग्ध प्रतीत होती है । जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री लाल जी मौर्य एवं तत्कालीन ग्रा० प०अधि० श्री प्रभाशंकर से अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-09 दिनांक 0-09-15 को बिल सं०-40 द्वारा अंत्येष्टी स्थल शेड निर्माण हेतु मे० एस०के० कन्सट्रक्शन एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर हलिया लालगंज मीरजापुर को रु० 280000.00 सामग्री क्रय का भुगतान दर्शाया गया है । बिल में रु० 140000.00 के सामान का विवरण अंकित किय गया है किंतु रि० 140000.00 के लिखा गया है कि अन्त्येष्टी स्थल के सेड निर्माण में मजदूरी सम्मिलित है जबकि दिनांक 07-08-15 को रु० 73988.00 व दिनांक 04-09-15 को रु० 81397.00 शेड निर्माण की मजदूरी का भुगतान दर्शाया गया है । अतः सप्लायर के बिल पर रु० 140000.00 मजदूरी भुगतान दर्शाया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है । अतः उक्त राशि के दुरुपयोग के लिये प्रधान / ग्रा०प०अधि० स्वयं उत्तरदायी हैं । जिसकी वसूली श्री लाल जी मौर्या प्रधान व तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री प्रभा शंकर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या-09)

7.नाम ग्राम पंचायत-गोनौरा, वि०ख०-छानबे

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत गोनौरा द्वारा इलाहाबाद मीरजापुर रोड से पन्ना लाल के घर तक एवं इलाहाबाद-मीरजापुर रोड से राजनरायन के कूप तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर 14वाँ वित्त की धनराशि से भी व्यय किया गया है, जबकि ग्राम पंचायतें 14वाँ वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना बनाएंगी और खण्ड स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों की कार्य की कार्य योजना सहायक विकास अधिकार (पंचायत) स्तर पर संकलित कर अपने स्तर से जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा एवं प्रत्येक कार्य की वर्क आई०डी० जनरेट की जाएगी । तदनुरूप ही कार्य किया जना चाहिए, किंतु उक्त खडन्जा मरम्मत की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, वर्क आई०डी०, निर्माण कार्य रजि०, परिसमपत्ति रजिस्टर माप-पुस्तिका कार्यवाही आदि उपलब्ध नहीं रही । कोष रजिस्टर के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	दिनांक	व०सं	विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
1	11.03.16	7	खडन्जा मरम्मत कार्य इलाहाबाद मीरजापुर रोडसे राज नरायन के कूप तक मजदूरी	4704.00	चतुर्थ वित्त
2	11.03.16	8	खडन्जा मरम्मत कार्य इलाहाबाद मीरजापुर रोडसे राज नरायन के कूप तक मजदूरी	4704.00	चतुर्थ वित्त
3	14.03.16	11	उक्त कार्य हेतु 8500नग ईटा दर 6500 प्रति हजार 12.90 घ०मी० राबिस दर 500 प्रति घ०मी०	61700.00	चतुर्थ वित्त
4	16.03.16	15	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4515.00	14वाँ वित्त
5	16.03.16	16	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4515.00	14वाँ वित्त
6	21.03.16	17	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4998.00	चतुर्थ वित्त
7	22.03.16	18	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4998.00	14वाँ वित्त
8	22.03.16	19	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	1505.00	14वाँ वित्त
9	29.03.16	20	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4998.00	14वाँ वित्त
10	11.03.16	09	खडन्जा मरम्मत कार्य इलाहाबाद मीरजापुर रोड से पन्ना लाल के घर तक मजदूरी पर व्यय	4704.00	चतुर्थ वित्त
11	11.03.16	10	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4704.00	चतुर्थ वित्त
12	14.03.16	12	उक्त कार्य हेतु 5600नग ईट दर-6500 प्रति बदापस 7 घ०मी० राबिश	39900.00	14वाँ वित्त
13	16.03.16	13	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4515.00	चतुर्थ वित्त
14	16.03.16	14	उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय	4515.00	14वाँ वित्त
योग				154975.00	

उक्त धनराशि रु0 154975 मे से रु0 64946 14वाँ वित्त की धनराशि व्यय किया गया है । शेष चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय रहा, जबकि 14वाँ वित्त की धनराशि जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना पर ही व्यय किया जाना है । अतः उक्त खडन्जा मरम्मत कार्य की पुष्टि में वांछित अभिलेख के अभाव में दर्शित व्यय एक गंभीर अनियमितता के अंतर्गत है । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्र समान रूप से उत्तरदायी हैं । वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

8. नाम ग्राम पंचायत-देवहट, वि0ख0-हलिया

प्रस्तर-11 निम्न तिथियों में हैण्ड पंप मरम्मत की मजदूरी रु0 9000.00 भुगतान कोष बही में दर्शाया गया है किंतु भुगतान प्राप्त करने के प्रमाण में भुगतान प्राप्त कर्ता के प्रमाणक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान नहीं है । अतः भुगतान की गई राशि की पुष्टि न की जा सकी । फर्जी भुगतान दर्शाकर ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है ।

क्र0	तिथि	प्रमाण सं0	धनराशि	विवरण
01	30-04-15	04	1500.00	है0 पं0 मर0 मजदूरी मायाशंकर /व दुलीचन्द्र मिस्त्री
02	30-05-15	21	4800.00	है0पं0 मर0 मजदूरी राम जी /व दुलीराम मिस्त्री
03	18-06-15	29	2700.00	है0पं0 मर0 मजदूरी मायाशंकर /व दुलीचन्द्र मिस्त्री
योग			9000.00	

अतः उपरोक्त राशि रु0 9000.00 के लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी स्वयं उत्तरदायी है । जिसकी वसूली श्री मंगल दास जायसवाल एवं ग्राम पंचायत वि0अधि0 श्री राजनाथ यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-07)

प्रस्तर-12 निम्नलिखित सामग्री क्रय के प्रमाणक/बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी ।

क्र0	तिथि	वाउचर सं0	धनराशि रु0	विवरण
01	30.04.15	01	17000.00	हैण्ड पंप मर0 सामग्री क्रय
02	27.05.15	17	20850.00	हैण्ड पंप मर0 सामग्री क्रय
03	09.06.15	22	17400.00	हैण्ड पंप मर0 सामग्री क्रय
04	13.06.15	—	3150.00	हैण्ड पंप मर0 सामग्री क्रय आदि
योग			58400.00	

इस प्रकार रु0 58400.00 की है0पं0 सामग्री बिना बिल/कैश रसीद के ही भुगतान दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया प्रतीत होता है । जिसकी वसूली श्री मंगलदास जयसवाल प्रधान एवं श्री राजनाथ यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-08)

प्रस्तर 13 दिनांक 27.05.15 को मे0 संतोष कुमार सप्लायर ड्रमडंगंज मीरजापुर बिल सं0-13 के अनुसार 19034.00 की बालू एवं रु0 16550.00 की गिट्टी कुल रु0 35584.00 का क्रय दर्शाया गया है किंतु कोष बही में क्रमशः रु0 27300.00 व रु0 8340.00 कुल रु0 35640.00 दर्शाया गया है जिसकी बिल/कैश रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, बिल की फोटोस्टेट कॉपी है । बिल के अनुसार कोष बही में प्रविष्टि नहीं की गयी । अतः क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है । जिसकी वसूली श्री मंगल दास जायसवाल प्रधान एवं श्री राजनाथ यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत में निम्नांकित निर्माण कार्य की मजदूरी श्रमिकोंको निम्न तिथियों में भुगतान दर्शाया गया है किंतु भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में म0रो0 प्रस्तुत नहीं किए गये । अतः भुगतान की पुष्टि न की जा सकी ।

क्र0	तिथि	वाउचर सं0	धनराशि	विवरण
01	27.05.15	09	32872.00	निर्माण कार्य मजदूरी
02	27.05.15	10	4800.00	हैण्ड पंप मर0 हेतु मजदूरी
03	27.05.15	13	17724.00	नाली निर्माण हेतु मजदूरी
04	27.05.15	14	2832.00	पटंजा निर्माण हेतु मजदूरी

05	27.05.15	15	9440.00	खडन्जा निर्माण मजदूरी
06	13.06.15	23	15704.00	ब्रिक्स स्प्रेलिंग सोख्ता गड्डा
07	13.06.15	24	6264.00	चबूतरा निर्माण
08	13.06.15	25	8196.00	पट्टा निर्माण मजदूरी
09	13.06.15	26	9440.00	पट्टी एवं सीढ़ी निर्माण प्रा०वि०
10	13.06.15	27	3110.00	हैण्ड चबूतरा निर्माण आदि

योग 110382.00

इस प्रकार रु० 110382.00 निर्माण कार्य की मजदूरी बिना मास्टर रोलके ही भुगतान दर्शाकर ग्राम पंचायत के राशि का अपहरण किया गया है । अतः उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली श्री मंगलदास जायसवाल प्रधान एवं श्री राजनाथ यादव गरा०प०अ० से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर-15 निम्न विवरण के अनुसार रु० 214025.00 की सामग्री विभिन्न फर्मों से एवं विभिन्न तिथियों में क्रय दर्शाया गया है किंतु पुष्टि हेतु फर्मों के बिल/कैश रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई । बिल की केवल छाया प्रति है, तथा बिल के अनुसार कोष बही में प्रविष्टि भी नहीं की गई । एक बिल की कुछ धनराशि दूसरे बिल की धनराशि के साथ जोड़कर कोष बही में द्रसित है । इस प्रकार अनियमित भुगतान दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी वसूली श्री मंगल दास जायसवाल प्रधान एवं श्री राजनाथ यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

दिनांक	बिल सं०	धनराशि	वा०सं०	कोष बही में प्रविष्टि	विवरण
02.04.15	162	17550.00	11	66950.00	ईट क्रय विपिन ईट भट्टा डडवा पक्सोड़ा मीरजापुर
27.05.15					
02.04.15	161	19500.00	11	---	ईट क्रय विपिन ईट भट्टा डडवा पक्सोड़ा मीरजापुर
27.05.15					
02.04.15	164	10400.00	11	---	ईट क्रय विपिन ईट भट्टा डडवा पक्सोड़ा मीरजापुर
27.05.15					
02.05.15	163	19500.00	11	---	ईट क्रय विपिन ईट भट्टा डडवा पक्सोड़ा मीरजापुर
27.05.15					
योग				66950.00	
02.05.15	271	8300.00	12	46575.00	शत्रुघनलाल हार्डवेयर स्टोर्स ड्रमंडगंज बालू सीमेंट गिट्टी
27.05.15					
02.05.15	282	5700.00	12	---	शत्रुघनलाल हार्डवेयर स्टोर्स ड्रमंडगंज बालू सीमेंट गिट्टी
27.05.15					
02.05.15	276	7950.00	12	---	शत्रुघनलाल हार्डवेयर स्टोर्स ड्रमंडगंज बालू सीमेंट गिट्टी
27.05.15					
02.05.15	288	23225.00	12	---	शत्रुघनलाल हार्डवेयर स्टोर्स ड्रमंडगंज बालू सीमेंट गिट्टी
27.05.15					
30.04.15	50	1400.00	12		मे० संतोष कुमार कु० सप्लाई ड्रमंडगंज मीरजापुर सीमेंट
27.05.15					
योग				46575.00	
02.04.15	48	14350.00	03	16000.00	मे० संतोष कुमार सप्लायर्स ड्रमंडगंज बालू सीमेंट गिट्टी
30.04.15					
02.04.15	50	1650.00	03	---	मे० संतोष कुमार सप्लायर्स ड्रमंडगंज बालू सीमेंट गिट्टी
30.04.15					
योग				16000.00	
01.04.15	176	9750.00	02	32500.00	ओम साँई ईटा भट्ट से ईट क्रय
30.04.15					

01.04.15	179	22750.00	02	—	ओम साँई ईटा भट्ट से ईट क्रय
30.04.15					
योग				32500.00	
08.05.15	183	32500.00	18		ओम साँई ईटा भट्ट से ईट क्रय
08.05.15	187	19500.00	18	—	ओम साँई ईटा भट्ट से ईट क्रय
योग		52000.00		214025.00	
			योग	.214025.00	

(मूल आपत्ति संख्या-12)

9.नाम ग्राम पंचायत-मड़वा धनावल, वि०ख०-हलिया

प्रस्तर-16 वर्ष 2014-15 में तत्कालीन प्रधान श्री राजेन्द्र कोल एवं ग्राम पं०/वि०अधि० श्री राम यश एवं श्री विजय पाल मिश्रा द्वारा रु० 1915806.00 बैंक से आहरण किया गया । तथा उक्त राशि विभिन्न मदों में सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य की मजदूरी आदि का भुगतान कोष बही में दर्साया गया है किंतु कोई भी प्रमाणक सामग्री से संबंधित एवं मस्टररोल मजदूरी भुगतान प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किए गये । अतः उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया । दुरुपयोगित राशि के लिए तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा०वि०अधि० संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।विवरण निम्नवत् है-

दिनांक	वा०सं०	धनराशि मद	विवरण
09.04.14	01	90000.00	रामदेव के घर से पी०डब्लू०डी०रोड तक इण्टर लाकिंग खडन्जा हेतु ईट 5455 दर रु०1650 प्रतिमन
की दर से			
09.04.14	02	80000.00	रामदेव के घर से पी०डब्लू०डी०रोड तक इण्टर लाकिंग खडन्जा हेतु ईट 4849 दर रु०16.50 प्रतिमन की दर से
17.04.14	04	50000.00	उक्त कार्य हेतु बालू 34-49 घ०मी० दर 1450.00 की दर से
03.05.14	05	80000.00	उक्त कार्य हेतु स्टोन बैलास्ट 63.35 घ०मी० दर1263.00
03.05.14	06	85000.00	सीमेंट 24 बोरी दर350.00 की दर से
03.05.14	07	85000.00	उक्त कार्य हेतु ईट 13600 दर 6250 की दर से क्रय प्रति हजार
03-05-14	09	11800.00	लोकल बालू क्रय 29.50 घ०मी० दर 400.00
05-05-14	10	51696.00	उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान
09-01-15	11	80000.00	उक्त कार्य हेतु इन्टर लाकिंग ईट 4850दर रह० 16.50 प्रति नग की दर से
योग		613496.00	
17.04.14	03	50000.00	हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
16.05.14	11	70000.00	कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री क्रय
05.05.1	08	6000.00	नग हैण्ड पंप मरम्मत की मजदूरी दर 400.00
16.05.14	12	40000.00	कूप जगत निर्माण हेतु 115 बोरी सीमेंट क्रय दर 350.00
16.05.14	13	70000.00	हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
22.05.14	14	132000.00	नरैना से चन्द्रमणि के घर तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी गिट्टी व मोरम क्रय
22.05.14	15	132000.00	ब्राह्मण बस्ती से फुल्ले के घर तक स०मा० हेतु उपरोक्त सामग्री क्रय

23.05.14	16	29438.00	राम सजीवन के घरके पास जगत निर्माण की मजदूरी
02.06.14	17	48000.00	नरैना से चन्द्रमणि के घर तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी गिट्टी व मोरम क्रय
20.06.14	18	85000.00	ब्राह्मण बस्ती से फुल्ले के घर तक सं० मार्ग हेतु गिट्टी मिट्टी क्रय
30.12.14	21	90000.00	खुशी लाल के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री क्रय
30.12.14	22	90000.00	रामदेव के घर से शिवकुमार के घर तक गिट्टी छर्री सीमेंट आदि क्रय
30.12.14	23	90000.00	नरैना से चन्द्रमणि के घर तक सं० मार्ग हेतु गिट्टी, मिट्टी, मोरम क्रय
30.12.14	24	90000.00	ब्राह्मण बस्ती से फुल्ले के घर तक सं० मार्ग हेतु गिट्टी, मोरम क्रय
योग		1022438.00	
09.01.15	25	80000.00	सामग्री क्रय
09.01.15	26	40250.00	खुशीलाल के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री सीमेंट 115 बोरी 350 की दर से क्रय
09.01.15	27	39800.00	रामदेव मौर्य के घर से शिवकुमार मौर्य के घर तक गिट्टी छर्री व 114 बोरी सीमेंट 350 की दर से क्रय
09.01.15	29	80000.00	हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
12.03.15	30	19968.00	नरैना से चन्द्रमणि के घर तक सं० मार्ग पर गिट्टी मोरम बिछाने की मजदूरी 128 मा० दि०
12.03.15	31	19854.00	ब्राह्मण बस्ती से फुल्ले के घर तक सं० मार्ग हेतु मिट्टी मोरम व 3 नग पुलिया निर्माण हेतु मजदूरी

योग 279872 27250 व 84156 की दर से आदि कुल योग—1915806.00

मूल आपत्ति संख्या—07

10.नाम ग्राम पंचायत—मटिहरा, वि०ख०—हलिया

प्रस्तर—17 निम्न तिथियों में प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल एवं आर्डर सप्लायर बटवारी, हलिया से रु० 195442.00 एवं मे० आनंद बिल्डिंग मैटेरियल एवं आर्डर सप्लायर भटवारी, हलिया से रु० 56365.00 कुल रु० 251807.00 की गिट्टी, बालू, सिमेन्ट आदि क्रयकोष बही में दर्शाया गया है किंतु प्रस्तुत बिलों पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं हैं कुछ बिलों पर ग्रा०वि०अधि० द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बना लिया गया है। एवं व्यय की पुष्टि हेतु कैश मेमो भी प्रस्तुत नहीं की गई अतः व्यय संदिग्ध है। इस प्रकार प्रधान एवं ग्रा०वि०अ० द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त राशि रु० 251807.00 प्रधान श्री मनीराम एवं ग्रा०वि०अधि० श्री रामजी गुप्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र०	तिथि	वा०सं०	बिल नं०	धनराशि	फर्म का नाम	सामान विवरण
01	06.04.15	01	377	131250.00	मे० प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल एवं आर्डर सप्लायर भटवारी, हलिया	गिट्टी, मोरंग
02	6.04.15	02	380	64192.00	मे० प्रकाश बिल्डिंग	

मैटेरियल एवं आर्डर
सप्लायर भटवारी, हलिया बालू बोल्डर गिट्टी

03	01.05.15	05	325	195442.00	मे0 आनंद बिल्डिंग मैटेरियल एवं आर्डरभटवारीहलिया	सीमेंट 98 बोरी दर व गडारी एक सेट
	28.05.15			39270.00		
04	28.04.15	07	330	17095.00	मे0 आनंद बिल्डिंग मैटेरियल एवं आर्डर सप्लायरभटवारी हलिया	सीमेंट और बाल आदि
	02.05.15			56365.00		
योग	251807.00					

मूल आपत्ति संख्या-07

11.नाम ग्राम पंचायत-देवपुरा, वि0ख0-राजगढ़

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की कोष बही में निम्नलिखित विवरणानुसार हैण्डपंपों की मरम्मत पर व्यय दर्शित है-

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.04.15	65400.00	सामग्री क्रय
02	09.04.15	55075.00	सामग्री क्रय
03	16.04.15	60025.00	सामग्री क्रय
04	15.12.15	25000.00	मजदूरी व्यय
	योग	205500.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययके संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

1.हैण्डपंप मरम्मत हेतु खराब होने संबंधित सूचना किसी व्यक्ति अथवा जल प्रबंधन समिति द्वारा नहीं दी गयी है ।

3. हैण्डपंप कहाँ पर स्थित है एवं उसकी क्या स्थिति है एवं मरम्मत में कौन सी सामग्री क्रय होना है विवरण उपलब्ध नहीं रहा ।

3.सामग्री क्रय का प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा ।

4.कार्य की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं रहा ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैण्ड पंप मरम्मत संबंधित व्यय पूर्णतया फर्जी एवं काल्पनिक है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सभाजीत सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकुर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-19 दिनांक 15.04.15 को कोषबही में रमाशंकर के घर से मुरली के घर तक खण्डजा मरम्मत हेतु व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
16.04.15	30000.00	सामग्री क्रय
16.04.15	9923.00	मजदूरी व्यय
	योग	39923.00

उपरोक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

1. खडन्जा मरम्मत की लम्बाई व चौड़ाई की स्थिति अज्ञात रही ।

2. खडन्जा मरम्मत संबंधित एम0बी0 एवं स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं रहा ।

3. सामग्री क्रय का प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा ।

4. मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल भी अप्राप्त रहा एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय फर्जी है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सभाजीत सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार ठाकुर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत की कोषबही में निम्न विवरणानुसार मोरंगी करण हेतु व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. पंचायत भवन व रामलीला प्रांगण में मोरंगीकरण ।
2. रामकुमार के खेत से अकृहवा तालाब तक मिट्टी मोरंग कार्य ।
3. रामचरित्र के घर से अशोक मिस्त्री के घर तक मिट्टी मोरंग कार्य ।

दिनांक	धनराशि	विवरण
16.04.15	27946.00	मोरंग क्रय
28.04.15	11914.00	मजदूरी
20.06.15	39928.00	मजदूरी
22.06.15	29830.00	मोरंग क्रय
11.12.15	154882.00	मजदूरी
15.12.15	88234.00	मोरंग क्रय

योग 352734.00

उपरोक्त मोरंगीकरण कार्य से संबंधित एम0बी0, असटीमेट, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व सामग्री क्रय प्रमामक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जिसके आधार पर दर्शित व्यय पूर्णतया फर्जी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सभाजीत सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकुर पूर्णतया उत्तरदायी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत की कोषबही में मोहन विश्वकर्मा के घरके पास कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री रु0 16550.00 एवं मजदूरी पर रु0 19985.00 व्यय दर्शित है । व्यय से संबंधित क्रय प्रमाणक, मस्टर रोल, एम0बी0 स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिसके आधार पर किया गया व्यय पूर्णतया फर्जी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सभाजीत सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकुर पूर्णतया उत्तरदायी हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

12. नाम ग्राम पंचायत-नौडीहा लालपुर, वि0ख0-राजगढ़

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत में निम्नलिखित विवरण के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत एवं सामग्री परव्यय कोषबही में दर्शित है-

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.04.15	49500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
02	15.04.15	48500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी
03	09.06.15	49500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
04	20.02.16	46065.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
05	20.02.16	6220.00	हैण्डपंप मरम्मत मजदूरी

योग 199785.00

उपरोक्त व्ययके संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

1. हैण्डपंप खराब होने व उसकी मरम्मत कराए जाने की सूचना किसी सदस्य अथवा जल प्रबंधन समिति द्वारा की गयी है ।
2. हैण्डपंप मरम्मत हेत किन-किन सामग्री की आवश्यकता है उसकी माँग मिस्त्री द्वारा नहीं की गयी है ।
3. सामग्री क्रय का प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा ।
4. मजदूरी भुगतान से संबंधित प्रमामक भी अनुपलब्ध रहा एवं हैण्डपंप किन-किन स्थानों पर स्थापित है का भी उल्लेख नहीं रहा ।

उपरोक्त कारणों से हैण्डपंप मरम्मत पर दर्शित व्यय पूर्णतया फर्जी है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकुर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-23 दिनांक 15.04.15 को ग्राम पंचायत की कैशबुक में मोही सिंह के घर से नान्हक के घर तक नाली सफाई हेतु व्यय रु0 27370.00 एवं दिनांक 09.05.15 को नहर से रामतपस्या के खेत तक नाली सफाई

हेतु भुगतान रु0 21413.00 दर्शित है। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की नियुक्ति होने पर भी नाली सफाई पर व्यय करना पूर्णतया फर्जी प्रतीत होता है एवं उक्त कार्य पर कार्य करने वाले मजदूरों के भुगतान का मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 24 दिनांक 15.04.15 को ग्राम पंचायत में हैण्डपंप के पास सोक्ता गड्ढा निर्माण हेतु सामग्री हेतु रु0 39900.00 एवं मजदूरी पर रु0 8225.00 दर्शित है। व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी हैं—

1. सोक्ता गड्ढा निर्माण किस स्थान पर हुआ है जनकारी अप्राप्त रही।
2. क्रय सामग्री का प्रमाणक भी अप्राप्त रहा।
3. मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा।

अतः रु0 48125.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकुर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत में दिनांक 29.03.16 को स्टेशनरी व्यय हेतु रु0 4970.00 एवं स्ट्रीट लाईट भुगतान हेतु रु0-40800.00 व्यय दर्शित है। व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि संबंधित व्यय पूर्णतया फर्जी है। जाँचोपरांत वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकुर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

13. नाम ग्राम पंचायत—कुशहाँ, वि0ख0—सीखड़

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत कुशहाँ विकास खण्ड सीखड़ के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 दर राज्य वित्त/14वां वित्त के खाते से दिनांक 01.04.15 से 30.11.15 के मध्य कुल रु0 332800.00 का आहरण किया गया जिसके विरुद्ध कोष रजिस्टर, रूप पत्र संख्या-06 में अधोलिखित कार्य किया जाना दर्शित था—

कुशहाँ-अदलपुरा मार्ग से गोपाल सिंह के घर तक खडन्जा मरम्मत	कुल व्यय	61282.00
सुधा सिंह के घर से लड्डू सिंह के घर तक नाली।	कुल व्यय	38594.00
किलोघर सिंह के हैण्डपम्प से नाला तक नाली एवं खडन्जा मरम्मत	कुल व्यय	43160.00
संजय पाण्डेय के घर से राम उजागिर के घर तक खडन्जा निर्माण	कुल व्यय	38152.00
हैण्डपंप मरम्मत	कुल व्यय	49211.00
मुन्ना की मशीन से जगदीश की मशीन तक खडन्जा मरम्मत	कुल व्यय	32252.00
रमेश पाण्डेय के घर से कन्हैया सिंह के घर तक खडन्जा मरम्मत	कुल व्यय	35618.00
लेखन सामग्री / फोटोग्राफी	कुल व्यय	1969.00
ज्ञानी के घर से मुकेश के घर तक खडन्जा मरम्मत	कुल व्यय	14062.00
मानदेय	कुल व्यय	15500.00
सफाई सामग्री	कुल व्यय	3000.00
	योग	332800.00

उक्त दर्शित कार्यों में क्रय की गयी सामग्रियों के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल (मजदूरी-भुगतान के) अप्राप्त रहे। साथ ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 भी अनुपलब्ध रहे।

यह इंगित करता है कि प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया। अतः रु0 332800.00 (रु0 तीन लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र) की वसूली 12 ब्याज एवं 2 दण्डात्मक ब्याज अधिभार के साथ तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती सिंह तथा समरनाथ तिवारी, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

14. नाम ग्राम पंचायत—देवलासी, वि0ख0—नरायनपुर

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत देवलासी की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार के वित्तीय अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए हैं—

1. ग्राम पंचायत देवलाशी में वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय कोषबही में दर्शित है—

क्र०	दिनांक	वा०सं०	धनराशि	विवरण
1	01.06.15	1	10130.00	सामग्री क्रय
2	07.06.15	2	4870.00	मरम्मत व्यय
3	16.09.15	8	25000.00	सामग्री क्रय
4	23.09.15	10	6818.00	मजदूरी
योग			46818.00	

उपरोक्त व्ययके संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. हैण्डपंप मरम्मत हेतु किसी सदस्य द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है जिससे खराब होने की पुष्टि नहीं होती है ।
 2. हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर होने वाले व्यय का अनुमानित विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है ।
 3. क्रमांक 01 से 04 पर दर्शित क्रय / मजदूरी भुगतान का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा ।
 4. मरम्मत हेतु 01 मिस्त्री के साथ 05 मजदूरों का भुगतान दर्शाया गया है । 01 मिस्त्री के साथ 05 मजदूर औचित्यपूर्ण नहीं है ।
- उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय फर्जी है जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-7(1))

प्रस्तर-28 कमालपुर में हरिद्वार के मकान से भोनू के मकान तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार भुगतान कोषबही में दर्शित है—

क्र०	दिनांक	वा०सं०	धनराशि	विवरण
1	14.07.15	3	15000.00	मिट्टी 71.429 घ०मी० दर 210
2	21.08.15	4	7500.00	बालू 15 घ०मी० दर 500
3	22.08.15	5	12453.00	मजदूरी 1x7x 330 दर 9x7x161
4	03.09.15	6	43400.00	ईंट 7000 दर 6200
5	14.09.15	7	11382.00	मजदूरी 2x7x330 दर 6x7x161
योग			89735.00	

उपरोक्त के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना ईंट के खडन्जा निर्माण कराया गया और मजदूरी का भुगतान किया गया । ईंट मजदूरी भुगतान दिनांक 22.08.15 के बाद दिनांक 03.09.15 को क्रय किया गया ।
 2. खडन्जा निर्माण हेतु 01 मिस्त्री के साथ 09 मजदूर 07 दिन तथा 02 मिस्त्री के साथ 06 मजदूर 07 दिन कार्य करना दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल रु० 23835.00 का व्यय किया जाना दर्शित है जबकि 01 हजार ईंट खडन्जा में प्रयुक्त करने हेतु अधिकतम रुपया 1000.00 मजदूरी होनी चाहिए । इस प्रकार कुल रुपया 7000.00 का व्यय होना चाहिए
 3. खडन्जा निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है ।
 4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा ।
- उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि व्यय फर्जी दर्शाया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-7(2))

15. नाम ग्राम पंचायत-गोगाँव, वि०ख०-छानबे

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत गोगाँव क्षेत्र पंचायत-छानबे एवं जनपद मीरजापुर के उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्नलिखित अपहरण, दुर्विनियोग, गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनका विवरण निम्नवत् है—

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नवत् स्टाक क्रय पर धनराशि व्यय की गयी है किंतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । उल्लेखनीय है कि कोष रजिस्ट्र में अंकित वाउचर सं०-16 व 18 द्वारा ईट क्रय दर्शित है, किंतु किस कार्य हेतु ईट कर्त रहा, उसके कार्य स्थल का उल्लेख कोष रजिस्टर में नहीं रहा और वाउचर सं०-31 द्वारा पिच रोड से छक्कू मुसहर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु ईट क्रय रहा, किंतु उक्त दर्शित कार्य के लिये वर्ष पर्यन्त मजदूरी व्यय नहीं दर्साया गया और दिनांक 31.03.16 को स्टाक अवश, भी नहीं दर्शित रहा । कार्य की पुष्टि में स्टीमेट, कार्यपूति प्रमाण पत्र जे०ई० द्वारा कार्यमाप पुस्तिका निर्माण कार्य रजि०, परिसम्पत्ति रजि०, कार्यवाही आदि अभिलेख भी अनुपलब्ध रहा । स्पष्ट है कि काल्पनिक स्टाक क्रय दर्शाकर धन रु० 174494.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी वसूली ब्याज सहित से किया जाना अपेक्षित है । विवरण निम्नवत् है—

क्र०	दिनांक	वा०सं०	विवरण	धनराशि
1	25.05.15	16	खडन्जा निर्माण हेतु 11 हजार ईट क्रय दर-6300.00 प्रति हजार दो ट्राली राबिश दर-1537.00 प्रति ट्राली से।	72374.00
2	26.05.15	18	ईट क्रय 10 हजार नग, दर-6300.00 प्रति हजार व 5 ट्राली राबिश दर-1524.00 प्रति ट्राली से	70620.00
3	20.07.15	31	पिच रोड से छक्कू मुसहर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु 5000 नग ट क्रय दर-6300.00 प्रति हजार	31500.00
योग				174494.00
				मूल आपत्ति संख्या-02

16. नाम ग्राम पंचायत-बिहसड़ा कला, वि०ख०-छानबे

प्रस्तर-30 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि माताभीख मौर्या के घर से श्यामाचरम के आगे तक नाली मरम्मत कार्य पर कुल रु० 163831.00 व्यय किया गया दर्शित है । जिसका व्यय प्रमाण अनुपलब्ध रहा । उल्लेखनीय है कि नाली मरम्मत सामग्री क्रय हेतु चेक द्वारा भुगतान जीत नारायण हार्ड वेयर को किया गया है, जबकि नाली मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री (ईट, सीमेंट, बालू आदि) बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्तिकर्ता के नाम-फर्म को भुगतान होना चाहिए । अतः वांछित फर्म के नाम भुगतान के अभाव में क्रय सामग्री एवं कराए गए कार्य की पुष्टि नहीं होती है । विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०	दिनांक	वा०सं०	विवरण	धनराशि
01	16.02.16	20	नाली मरम्मत क्रय सामग्री (विवरण अंकित नहीं है)	125056.00
02	22.02.16	23	उक्त मरम्मत कार्य में मजदूरी का भुगतान	38775.00
योग				163831.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त नाली मरम्मत कार्यपर कुल व्यय रु० 163831.00 किया गया है, जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, कार्य माप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजि०, परिसम्पत्ति पंजि०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्यवाही आदि उपलब्ध नहीं रहा । कोष रजिस्टर में क्रय सामग्री का विवरण भी अंकित नहीं रहा । बिल्डिंग मैटेरियल फर्म नाम के स्थान पर जीत नारायण हार्डवेयर के नाम चेक का भुगतान भी सामग्री क्रय हेतु संदिग्ध रहा और सामग्री क्रय संदिग्ध की स्थिति में उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान भी संदिग्ध रहा ।

अतः उक्त नाली मरम्मत कार्य पर दर्शित व्ययरु० 163831.00 संदिग्ध रहा, जो धनराशि के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री बलराम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद बिन्द समान रूप से उत्तरदायी हैं । जिसकी वसूली मय ब्याज द्वा से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-02,03)

17. नाम ग्राम पंचायत—भरुहना, वि०ख०—सिटी

प्रस्तर—31 आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप सामग्री पर रु० 147000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है जो निम्नवत् रहा—

दिनांक	वा०सं०	धनराशि	फर्म का नाम	अभ्युक्ति
30.04.15	6	42000.00	मौर्या हार्डवेयर शुक्लहा	क्रमांक—235वर्ष 2013—14
23.07.15	22	25000.00	मौर्या हार्डवेयर शुक्लहा	क्रमांक 03 दर 149
31.08.15	25	80000.00	मौर्या हार्डवेयर शुक्लहा	क्रमांक 09 दर 422
योग		147000.00		

हैण्डपंप मरम्मत से संबंधित कोई प्रसव कार्यवाही रजिस्टर में नहीं रहा । उक्त सामग्री की प्रयुक्त हेतु वर्ष पर्यन्त मजदूरी पर कोई व्यय भी नहीं रहा । अतः सामग्री को वित्तीय वर्ष में उपयोग में नहीं लाया गया है । क्रय की गयी सामग्री न तो स्टॉक रजिस्टर में अंकित एवं बिक्री भी नहीं की गई है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वा०सं०—6 रु० 42000.00 जो कि वर्ष 2013—14 के व्यय प्रमाणक का भुगतान दिनांक 30.04.15 को कैशबुक में दर्शित है । अपने आय में अवास्तविक दर्शाता है । जिससे स्पष्ट है कि हैण्डपंप सामग्री पर किया गया व्यय अवास्तविक क्रय दर्शाकर प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्राम०पं०अ० श्री सुभाष यादव द्वारा रु० 147000.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या—22)

प्रस्तर—32 दिनांक 13.09.15 को मुंहकुचवां बस्ती में सफाई व्यय पर रु० 12565.00 कैशबुक में दर्शित है । ग्राम पंचायत में शासन द्वारा सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी की तैनाती भी ग्राम पंचायत में की गई है, ऐसी दशा में ग्राम पंचायत में सफाई पर कार्य अपने आप में अवास्तविक है । जिससे स्पष्ट है कि सफाई पर किया गया व्यय रु० 12565.00 अवास्तविक रहा । जिसकी वसूली प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्राम०पं०अ० श्री सुभाष यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या—23)

प्रस्तर—33 आलोच्य वर्ष में भरुहना की गलियों में मिट्टी भराई (संतराम की गली में एवं गुल्लू के घर तक मिट्टी कार्य) पर निम्न व्यय दर्शित है ।

दिनांक	वा०सं०	धनराशि	अभ्युक्ति
04.07.15	16	10143.00	मजदूरी
07.07.15	17	33005.00	मजदूरी
07.07.15	18	54890.00	अमरेश चन्द को भुगतान
11.06.15	11	44300.00	मिट्टी क्रय
योग		142338.00	

उपरोक्त कार्य का कोई भी प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में नहीं रहा तथा माह जुलाई (बरसात के समय) गलियों में मिट्टी कार्य कराया जाना अपने आप में अवास्तविक है, कार्य का स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृति एम०बी०, परिसम्पत्ति रजि० इत्यादि भी नहीं रहा । जिससे स्पष्ट है कि रु० 142338.00 का अपहरण प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्राम०पं०अ० श्री सुभाष यादव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या—24)

प्रस्तर—34 दिनांक 21.08.15 वा०सं० 23 द्वारा जी०डी० बिनानी के पास नाला की सफाई पर रु० 10000.00 का व्यय कैश बुक में दर्शित है । जबकि उक्त कार्यका प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं रहा और न ही उच्च अधिकारियों से स्वीकृति ली गयी है । ग्राम पंचायत में सफाईकर्मी की तैनाती के बावजूद नाला की सफाई पर रु० 1000.00 का व्यय किया जाना फर्जी रहा । जिसकी वसूली प्रधान श्री राम कुमार सिंह एवं ग्राम०पं०अ० श्री सुभाष यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या—25

18. नाम ग्राम पंचायत—भलवा, वि०ख०—नरायनपुर

प्रस्तर—35 ग्राम सभा भलवा, न्याय पंचायत—टेहुआ, चुनार मीरजापुर में वर्ष 2015—16 में निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है—

क्र०सं०	दिनांक	वा०सं०	धनराशि	विवरण
1	29.04.15	1	14150.00	हैण्डपंप सामग्री क्रय
2	29.04.15	2	5844.00	मजदूरी (1 मिस्त्री, 04 लेबर 06 दिन)
3	26.05.15	10	10000.00	सामग्री क्रय
4	06.06.15	11	4870.00	मजदूरी (1 मिस्त्री, 04लेबर 05 दिन)

योग 34864.00

उपरोक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. हैण्डपंप खराब होने एवं उसकी मरम्मत कराये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र किसी सदस्य द्वारा नहीं दिया गया है ।
2. कितने हैण्डपंप खराब था और उसकी मरम्मत पर अनुमानित व्यय का विवरण पत्र अप्राप्त रहा ।
3. हैण्डपंप मरम्मत हेतु दर्शित क्रय सामग्री व मजदूरी का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा ।
4. क्रमांक-04 पर 1 मिस्त्री के साथ 04 लेबर 06 दिन कार्य करना दर्शाया गया है तथा क्रमांक 04 पर 1 मिस्त्री के साथ 04 लेबर 05 दिन कार्य करना दर्शाया गया है । जो उचित प्रतीत नहीं होता है । लेबर के कार्य का स्थान प्रतिदिन का अस्पष्ट रहा ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-7(1))

प्रस्तर-36

इरशाद के घर से मिठन के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु निम्न प्रकार व्यय कोषबही में दर्शाया गया है—

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	25.05.15	20000.00	बालू एवं मिट्टी हेतु संजय को
2	18.06.15	25000.00	4033 नग ईट 6200 रु० प्रति हजार
3	22.06.15	17500.00	मजदूरी
योग		62500.00	

उक्त के व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. क्रमांक01,02 एवं 03 पर दर्शित क्रय एवं मजदूरी भुगतान का प्रमाणक / मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।
2. खडन्जा निर्माण कितनी लम्बाई व चौड़ाई में होनी थी तथा उस पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण पत्र भी तैयार नहीं कराया गया है ।
3. क्रमांक-02 पर ईट क्रय 4033दर्शाया गया है जो हास्यासपद है । ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शित रुपयों के समायोजन हेतु ईट की गणना कर क्रय दर्शाया गया है ।
4. ईट क्रय के 04 दिन बाद मजदूरी भुगतान दर्शित है । जिस हेतु 07 दिन लेबर / मिस्त्री का कार्य किया जाना अंकित है । जबकि भुगतान की तिथि तक कुल 04 दिन होते हैं ।
5. क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे स्टॉक की आमद तिथि व प्रतिदिन के व्यय का विवरण ज्ञात हो सके ।

उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय फर्जी है जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-37 बदरू के घर से पेबूर के घर तक नाली निर्माण एवं मकबूल के घर के पास कूप जगत मरम्मत हेतु कोषबही में निम्न प्रकार व्यय दर्शित है—

क्र०सं०	दिनांक	बा०सं०	धनराशि	विवरण
01	22.07.15	17	25000.00	4033 नग रु० 6200 की दर से ईट क्रय
02	22.07.15	18	12000.00	24 घन मी० बालू क्रय 500 की दर से
03	07.09.15	20	13200.00	25 बोरी सिमेंट 360 रु० प्रति बोरी की
			1400.00	दर से 3 घन मी० बालू रु० की

दर से ।

04	20.09.15	22	11350.00	मजदूरी 5X4X161+2X5X330+6X5X161
योग			61550.00	

उपरोक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. नाली निर्माण व जगत मरम्मत हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। नाली का लम्बाई व चौड़ाई भी अज्ञात रही ।
2. क्रमांक 01 से 04 पर दर्शित क्रय एवं मजदूरी भुगतान का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा ।
3. नाली निर्माण हेतु खुदाई का कार्य 05 मजदूरों द्वारा 04 दिनों में पूर्ण कर लिए जाने के बाद नाली निर्माण में 02 मिस्त्री के साथ 06 मजदूरों की आवश्यकता औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।
4. कार्य पूर्ण होने की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

उपरोक्त कारणों से दर्शित है व्यय संदिग्ध है जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

19.नाम ग्राम पंचायत—असवा दुगरहा, वि०ख०—छानबे

प्रस्तर—38 ग्राम पंचायत असवा दुगरहा क्षेत्र पंचायत—छानबे एवं जनपद मीरजापुर के उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी ,जिसमें निम्नलिखित अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए ।

क्र०	दिनांक	वा०सं०	विवरण	धनराशि
1	28.04.15	02	खडन्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय 4000 दर 6000/हजार एवं राबिश क्रय 4 ट्राली दर 1000/ट्राली	28000.00
2	13.05.15	05	ईट क्रय 6000 दर 6500/हजार एवं राबिश ट्राली 4 दर 1100/ट्राली (नहर से बिन्द बस्ती होते हुए नीबी बिहसड़ा मार्ग हेतु खडन्जा मरम्मत पर व्यय)	43400.00
3	22.05.15	06	उपरोक्त कार्यमें लगे श्रमिकों की मजदूरी	14400.00
4	22.05.15	07	उपरोक्त कार्य में लगे श्रमिकों की मजदूरी	15600.00
			योग	101400.00

उपरोक्त खडन्जा मरम्मत कार्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टिमेट, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि० कार्यवाही स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहा और दिनांक 28.04.15 के वा०सं० 2 द्वारा दर्शित खडन्जा मरम्मत कार्य का कार्यस्थल भी कोष रजिस्टर में दर्शित नहीं रहा । अतः कराये गये कार्यकी पुष्टि नहीं होती है । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी है । उक्त की वसूली दोनों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या—02)

प्रस्तर—39 आलोच्य वर्ष 2015—16 में कोष रजिस्टर के अनुसार सोक्था गड्ढा प्लेटफार्म अनुपलब्ध रहा ।

क्र०	दिनांक	वा०सं०	विवरण	धनराशि
1	21.09.15	14	ईट क्रय 2000 दर 6500/हजार	13000.00
2	21.09.15	15	बालू क्रय 10 बोरी दर 50/बोरी	500.00
3	21.09.15	16	सीमेंट क्रय 05 बोरी दर 300/बोरी	1500.00
4	06.10.15	17	सोख्ता गड्ढा व प्लेटफार्म निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की मजदूरी (कार्यस्थल का उल्लेख नहीं)	1536.00
			योग	16536.00

उपरोक्त सोख्ता गड्ढा व प्लेटफार्म पर रु0 16536.00 व्ययकिया गया है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा और कोष रजिस्टर में कराए गए कार्यस्थल का उल्लेख भी नहीं पाया गया । कार्य की पुष्टि में स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यमाप पुस्तिका (एम0बी0), निर्माण कार्य रजि0, परिसम्पत्ति रजि0, कार्यवाही आदि अभिलेख भी उपलब्ध नहीं रहा । स्पष्ट है कि काल्पनिक कार्य दर्शाकर धन रु0 16536.00 का अपहरण किया गया है। जिसके ले ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्रा0पं0 अधि0 श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी हैं । उक्त की वसूली ब्याज सहित दोनों से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

20. नाम ग्राम पंचायत-पड़रा हनुमान, वि0ख0-सिटी

प्रस्तर-40 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में लल्लू के घर से कोई रान बस्ती तक खडन्जा मरम्मत पर निम्न व्यय किया गया है ।

दिनांक	वा0सं0	सामग्री	धनराशि
11.04.15	2	ईट क्रय	134902.00
11.04.15	4	मिट्टी ढुलाई	19320.00
11.04.15	6	बालू	25200.00
		योग	179422.00

उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय की गई है । किंतु मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और न ही स्टाक रजिस्टर में उपरोक्त सामग्री का अंकन ही किया गया है। कार्य का स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत की खुली बैठक में उक्त कार्य का प्रस्ताव भी नहीं रहा । जिससे स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय कैश बुक में दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान श्री राधेमोहन एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शेषनारायन सिंह द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधान द्वारा नकद आहरित करके तथ्य को छिपाने के उद्देश्य से ऐसा किया है ।

(मूल आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 13.04.15 को वा0सं0-7 द्वारा रु0 40800.00 का ईट क्रय किया है जो कि प्रा0वि0 के कंगाल पड़रा पर खडन्जा निर्माण हेतु रहा, किंतु वर्ष पर्यन्त मजदूरी पर व्यय नहीं रहा, मात्र कैशबुक में ईट क्रय दर्शित रहा, उक्त कार्य का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में नहीं है तथा न तो व्यय प्रमाणक कार्य का स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजि0 इत्यादि भी नहीं रहा, जिससे स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान श्री राधेमोहन एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शेष नारायन सिंह द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर-42 आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 13.04.15 को वा0सं0-8 द्वारा रु0 59194.00 का ईट क्रय किया है, जो कि बग्गी के घर से अजय गोड़ के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु रहा, किंतु वर्ष पर्यान्त मजदूरी पर व्यय नहीं रहा । मात्र कैशबुक में ईट क्रय दर्शित रहा । जबकि उक्त कार्यका प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में नहीं है तथा न तो कार्य का व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर इत्यादि भी नहीं रहे, जिससे स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान श्री राधेमोहन एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शेषनारायन सिंह द्वारा किया गया है जिसकी वसूली दोनों लोगों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर-43 आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 15.04.15 को वा0सं0-10 द्वारा रु0 34944.00 का मस्टररोल कोलान बस्ती से मोती के घर तक खडन्जा पर मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित है, किंतु मस्टररोल पर किसी भी लेबरों का निशान अंगूठा / हस्ताक्षर नहीं रहा । उक्त कार्य का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में भी नहीं रहा । कार्य का स्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, इत्यादि भी नहीं रहे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रधान द्वारा नकद आहरित करके तथ्य को छिपाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है । अतः प्रधान श्री राधेमोहन एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शेषनारायन सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष में गंगाराम के घर से टुनटुनन के घर तक खडन्जा मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शित है ।

दिनांक	वा0सं0	सामग्री	धनराशि
03.07.15	20	ईट क्रय	25920.00
03.07.15	21	सीमेंट, बालू क्रय	12349.00
06.07.15	23	मस्टर रोल	11079.00
06.07.15	24	बालू क्रय	5000.00
योग			54348.00

उपरोक्त कार्य स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, निर्माण कार्य रजि0, परिसम्पत्ति रजि0 इत्यादि नहीं रहे और न ही ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव ही रहा । अतः उक्त वांछित अभिलेख के अभाव में दर्शित कार्य फर्जी है । प्रधान श्री राधेमोहन एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शेष नारायन सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर-45 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में प्रा0वि0 कंगाल पड़रा पर बाउण्ड्री वाल पर निम्न व्यय दर्शित है—

दिनांक	वा0सं0	सामग्री	धनराशि
11.04.15	5	सामग्री	94160.00
28.04.15	15	मस्टर रोल	35790.00
योग			129950.00

उपरोक्त कार्य पर मजदूरी (मस्टर रोल) पर किसी भी लेबरों के नि0 अँगूठा / हस्ताक्षर नहीं रहे । जिससे स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधान द्वारा नकद रु0 130000.00 का अपहरण का आहरण करके तथ्य को छिपाने के उद्देश्य से किया गया है , जबकि उक्त कार्य का ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव भी नहीं रहा तथा उक्त कार्य का न तो स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि भी नहीं रहे । जिससे स्पष्ट है कि प्रधान श्री राधेमोहन एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शेषनारायन सिंह द्वारा रु0 129950.00 का अपहरण किया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या-29)

21. नाम ग्राम पंचायत-शोभी, वि0ख0-पटेहरा कला

प्रस्तर-46 दिनांक 28.08.15 को पंचायत भवन मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर रु0 44550.00 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा । उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर दिनांक 31.03.16 तक कोई पुष्टि नहीं होती है । स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के रु0 44550.00 का अपहरण किया गया है । जिसे प्रधान श्री लाल बहादुर, व ग्रा0पं0अ0 श्री प्रकाश चन्द्र दूबे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।
मूल आपत्ति सं0-09

22. नाम ग्राम पंचायत-आदमपुर, वि0ख0-छानबे

प्रस्तर-47 वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत-आदमपुर द्वारा मेन रोड से मंसूर इली के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य बिना अनुमोदित कार्य योजना (14वां वित्त से) के व्यय दर्शाया गया है, जबकि ग्राम पंचायत 14वां वित्त आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना बनाएगी और खण्ड स्तर पर सम्मिलित कार्य योजना स0वि0अ0(पं0) स्तर पर संकलित कर अपने स्तर से जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा एवं प्रत्येक कार्य की वर्क आई0डी0 जनरेट की जाएगी तदनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए, किंतु उक्त की पालन में पुष्टि पत्र प्रस्तुत नहीं रहा । कोष रजिस्टर के अनुसार दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत् रहा—

क्र0	दिनांक	वा0सं0	विवरण	धनराशि
1	01.03.16	27	5000 नग ईट दर 6800 प्रति हजार	
भस्सी 2 घ0मी0 दर रु0 500 प्रति घ0मी0 की दर से गोपाल ईट उद्योग को भुगतान ।				35000.00

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्ति निम्न प्रकार रही—

1. दि० 01.03.16 को 14वां वित्त आयोग के अंतर्गत बिना अनुमोदित कार्य योजना के गोपाल ईट उद्योग को रु० 35000.00 भुगतान रहा, किंतु मासान्त तक न तो ईट प्रयुक्त की पुष्टि हुई और न ही स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर शेष स्टॉक के रूप में पुष्टि कराई गयी । ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(प))

प्रस्तर-48 दि० 05.03.16 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चेक के द्वारा(चेक सं०-871825) पार्टी को रु० 49378.00 भुगतान रहा, किंतु इसे कोष रजिस्टर में प्रधान के पास मासान्त में नकद अवशेष दर्शाया गया है , जबकि पार्टी भुगतान हो जाने के पश्चात नकद के रूप में शेष दर्शाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना कार्य योजना अनुमोदित एवं वर्क आईडी० जनरेट हुए 14वां वित्त की धनराशि रु० 84378.00 आहरण करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसमें से पार्टी को भुगतान हो जाने के बावजूद भी रु० 49378.00 का अवशेष प्रधान के पास दर्शाया गया है, जो एक गंभीर प्रकरण है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार प्रथम समान रूप से उत्तरदायी है । अतः दोनों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-2(पप))

23. नाम ग्राम पंचायत-ददरी, वि०ख०-हलिया

प्रस्तर-49 कैशबुक में दिनांक 08.03.16 से 14.03.16 तक की अवधि को वा०सं०-3 पर कार्यरत मजदूर एवं दिनांक 13.03.16 से 20.03.16 तक की अवधि को वा०सं०-4 पर कार्यरत मजदूर 1. श्री राम ललित 2. श्री बच्चा लाल एक ही तिथि 13.03.16 व 14.03.16 में दो जगहों पर कार्य करते दर्शाये गए हैं । स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल बनाकर धनराशि रु० 10080.00 का अपहरण किया गया है विवरण निम्न है—

मस्टर रोल में कार्य की अवधि 8.03.2016 से 14.03.2016 तक कैश बुक के अनुसार भुगतान

तिथि	बाउचर	मजदूर का नाम	पिता का नाम	दिवस	दर	कुल धनराशि
15.03.2016	3	श्री राम ललित	श्री गुलाब	7	350	2450
		श्री संतलाल	श्री शोभनाथ	7	161	1127
		श्री बच्चा लाल	श्री रामचरन	7	161	1127
					योग	4704

मस्टर रोल में कार्य की अवधि 13.03.2016 से 20.03.2016 तक कैश बुक के अनुसार भुगतान

तिथि	बाउचर	मजदूर का नाम	पिता का नाम	दिवस	दर	कुल धनराशि
21.03.2016	4	श्री राम ललित	श्री गुलाब	8	350	2800
		श्री संतलाल	श्री शोभनाथ	8	161	1288
		श्री बच्चा लाल	श्री रामचरन	8	161	1288
					योग	5376

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कैशबुक के बाउचर संख्या 3 पर दर्शित मजदूर बाउचर संख्या 4 में भी उसी तिथि 13.03.2016 व 14.03.2016 में दोनों स्थानों पर कार्य करते दर्शाए गए हैं । स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल बनाकर दोनों मस्टर रोलों पर कुल रु० 10080.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली प्रधान श्री धनंजय एवं ग्राम पं० / वि० अधिकारी श्री राम जस से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित तातिथि किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर-50 हैण्ड पंप सामग्री खरीद के सापेक्ष उपलब्ध व्यय बाउचर बिल्कुल गलत है । क्यों कि बाउचर कैश मेमो नहीं है संबंधित दूकान जिससे सामग्री क्रय की गयी है, उसने राज्य सरकार को व्यापार कर का भुगतान नहीं किया गया है । इस प्रकार सामग्री कर्य के सापेक्ष पक्का बाउचर ने लेकर कच्चा बाउचर लिया गया, और अपने संबंधित दुकान / फर्म को कर की चोरी करने में पूरा-पूरा सहयोग दिया गया है । आप के इस कार्य से राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है, जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्री धनंजय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामजस का बराबर-बराबर का है । विवरण निम्न है—

तिथि	वाउचर सं०	सामग्री का मूल्य	कर की धनराशि	कुल धनराशि	आपूर्ति का विवरण	फर्म का नाम
09.03.2016	1	33045.00	1652.00	34697.0	हैण्ड पंप सामग्री	श्री शक्ति मशीनरी
21.03.2016	5	9950.00	498.00	10448.00	हैण्ड पंप सामग्री	
	योग	42995.00	2150.00	45145.00		

अतः उक्तानुसार रु० 45145.00 का फर्जी वाउचर बनाकर रु० 45145.00 का अपहरण प्रधान श्री धनंजय एवं ग्राम पं० अधिकारी श्री रामजस द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित तातिथि किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-19)

24. नाम ग्राम पंचायत-थोथा, वि०ख०-हलिया

प्रस्तर-51 दिनांक 03.07.2015 को चेक सं० 409278 से प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्रा०पं०अ० श्री ए०के० मिश्रा द्वारा रु० 34937.00 भारतीय स्टेट बैंक शाखा हलिया खाता संख्या 31572458991 से आहरण किया गया था, किंतु उपरोक्त राशि कोष बही में जमा न दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं सचिव श्री ए०के० मिश्रा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-52 निम्न तिथियों में हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं कूप जगत निर्माण की मजदूरी भुगतान को कुल रु० 58124.00 कोष बही में भुगतान दर्शाया गया है । किंतु सामग्री क्रय की पुष्टि में प्रमाणक / कैश रसीद एवं जगत निर्माण की मजदूरी से संबंधित मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः भुगतान सत्यता की पुष्टि न की जा सकी । व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है । प्रधान एवं ग्रा०पं०अ० द्वारा ग्राम सभा की राशि का दुरुपयोग किया गया है । अतः श्रीमती ममता देवी एवं सेक्रेटरी श्री ए०के० मिश्रा से रु० 58124.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्न है-

क्र० सं०	तिथि	धनराशि	कोषबही में अंकित	वार्ड नं०	मद विवरण
01	15.05.15	26700.00	01		हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का चेक से भुगतान
02	20.05.15	11300.00	05		हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का चेक से भुगतान
03	23.05.15	20124.00	07		राम दत्त के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु

मजदूरी से संबंधित मस्टर रोल

योग 58124.00

(मूल आपत्ति संख्या-08)

25. नाम ग्राम पंचायत-लठिया सहिजनी, वि०ख०-जमालपुर

प्रस्तर-53 आलोच्य वर्ष 2015-16 में श्रीमती सुनीता देवी, पूर्व ग्राम प्रधान एवं श्री कमतला शंकर सिंह ग्रा०वि०अ० द्वारा निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया जो कोषबही में दर्शित है-

दिनांक	वाउचर सं०	विवरण	धनराशि
08.04.2015	1	नहर से मदुसूदन के घर तक खडन्जा मरम्मत में ईट क्रय	29997.00
11.04.2015	2	उपरोक्त कार्य में सामग्री क्रय	31120.00
14.04.2015	3	उपरोक्त कार्य में मजदूरी भुगतान	37908.00
16.04.2015	4	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय	20410.00
23.04.2015	6	मेन रोड से लल्लन के खेत तक पक्की नाली निर्माण में सामग्री क्रय	19916.00
23.04.2015	7	उपरोक्त कार्य में सामग्री क्रय	17452.00
24.04.2015	8	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	20448.00
05.05.2015	9	मेन रोड से लल्लन के खेत तक खडन्जा मरम्मत में ईट क्रय	35516.00

05.05.2015	10	उपरोक्त कार्य में सामग्री क्रय	50584.00
12.05.2015	11	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	47544.00
17.05.2015	13	जलालू के घर से मेन रोड तक खडन्जा मरम्मत में सामग्री क्रय	21346.00
17.05.2015	14	उपरोक्त कार्य में सामग्री क्रय	28234.00
26.05.2015	15	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	32208.00
15.06.2015	17	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय व मजदूरी	19970.00
23.06.2015	18	मलियाने कुँआ से मेन बाजार तक खडन्जा मरम्मत में ईट क्रय	17966.00
23.06.2015	19	उपरोक्त कार्य में सामग्री क्रय	20254.00
26.06.2015	20	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	17640.00
27.06.2015	21	स्नान घर निर्माण में ईट क्रय	31200.00
28.06.2015	22	उपरोक्त कार्य में सामग्री क्रय	11131.00
01.07.2015	23	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	6156.00

योग 517000.00

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूतिप्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका आदि अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार उपरोक्त कार्य व्यय प्रमाणक विहीन दर्शाक रु0 517000.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए श्रीमती सुनीता, ग्राम प्रधान एवं श्री कमला शंकर सिंह, ग्रा0वि0अधि0 समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली मय ब्याज द्वय से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या दृ03)

26. नाम ग्राम पंचायत-चन्दौली, वि0ख0-जमालपुर

प्रस्तर-54 दिनांक 08.04.2015 को प्रियासाफ्ट में डाटाइण्ट्री व अभिलेख वर्ष 2014-15 हेतु रु0 2000.00 भुगतान दर्शित है। भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक की जाँच में पाया गया कि उस पर किसी फर्म का नाम अंकित नहीं है। प्रमाणक पर टिन नं0 व रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी व्यय प्रमाणक तैयार कर रु0 2000.00 का अपहरण किया गया है जिसे श्रीमती बाढ़ी देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार, ग्रा0वि0अ0 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर-55 दिनांक 21.04.2015 को ईट, सिमेंट, बालू, गिट्टी आदि सामग्री क्रय हेतु रु0 33515.00 व्यय दर्शाया गया है। भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक पर पुस्तक संख्या, क्रम संख्या व दिनांक अंकित नहीं है। उल्लेखनीय है कि रसीद पर धन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी रसीद तैयार कर रु0 33515.00 का अपहरण किया गया है जिसे अद्यावधि ब्याज सहित श्रीमती बाढ़ी देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार, ग्रा0वि0अ0 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर-56 प्रमाणक संख्या-6 दिनांक 30.05.2015 द्वारा अजय बिल्डिंग मैटेरियल एवं स्टोन सप्लायर, देवरा, मनदर, मीरजापुर को रु0 47965.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक पर पुस्तक संख्या, क्रम संख्या अंकित नहीं है। व्यय प्रमाणक पर धन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं अन्य प्रमाणक पर उन्ही के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है। प्रमाणक में अंकित वस्तुओं के मूल्य का योग रु0 37863.00 आता है। स्पष्ट है कि फर्जी रसीद तैयार कर रु0 47965.00 का अपहरण किया गया है जिसे अद्यावधि ब्याज सहित श्रीमती बाढ़ी देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार, ग्रा0वि0अ0 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर-57 प्रमाणक संख्या-9 दिनांक 15.06.2015 द्वारा जय बिल्डिंग मैटेरियल एवं स्टोन सप्लायर, को रु0 45500.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक पर पुस्तक संख्या, क्रम संख्या अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी रसीद तैयार कर रु0 45500.00 का अपहरण किया गया है जिसे अद्यावधि ब्याज सहित श्रीमती बाढ़ी देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार, ग्रा0वि0अधि0 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर-58 प्रमाणक संख्या-7 दिनांक 30.06.2015 तथा प्रमाणक संख्या-10 दिनांक 09.09.2015 द्वारा क्रमशः कृष्णा हार्डवेयर को रु0 20000.00 तथा न्यू तेज राज हार्डवेयर एण्ड पेनेट सेटोर को रु0 8500.00 का

भुगतान दर्शाई है । व्यय प्रमाणक पर टिन नं० व रजिस्ट्रेशन नं० अंकित नहीं है । न्यू तेज राज हार्डवेयर एण्ड पेनेट स्टोर, शर्मा रोड गरौड़ी अदलहाट मीरजापुर के व्यय प्रमाणक पर किसी अन्य प्रमाणक का टिन नं० काटकर चिपका दिया गया है । इस प्रकार बिना रजिस्टर्ड कम्पनियों से सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है । सम्पूर्ण धनराशि रु० 28500.00 को अद्यावधि ब्याज सहित श्रीमती बाढ़ी देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-15)

27. नाम ग्राम पंचायत-बिसौरा कला, वि०ख०-जमालपुर

प्रस्तर-59 प्रमाणक संख्या-3 दिनांक 20.04.2015 एवं प्रमाणक संख्या-8 दिनांक 28.04.2015 द्वारा उत्कर्ष बिल्डिंग मैटेरियल को क्रमशः रु० 25020.00 एवं 25020.00 (योग-रु० 50040.00) का भुगतान किया गया है । व्यय प्रमाणक पर पुस्तक संख्या, क्रम संख्या अंकित नहीं है । स्पष्ट है कि फर्जी व्यय प्रमाणक तैयार कर रु० 50040.00 (रु० 25020.00 + 25020.00) का अपहरण किया गया है जिसे अद्यावधि ब्याज सहित श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर-60 दिनांक 01.05.2015 एवं 03.07.2015 को लोहिया ग्राम खखड़ा की बुकलेट हेतु फोटोग्राफी, डिजिटल डायरी के लिए धनराशि क्रमशः रु० 25190.00 व रु० 7000.00 का भुगतान शिवा स्टूडियो को किया गया है । प्रस्तुत प्रमाणक पर टिन नं० व रजिस्ट्रेशन नं० अंकित नहीं है । स्पष्ट है कि फर्जी रसीद तैयार कर रु० 32190.00 (रु० 25190.00 + रु० 7000.00) का अपहरण किया गया है जिसे श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश चन्द्र मौर्य, ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-61 दिनांक 05.04.2015 को परिसम्पत्ति एवं चतुर्थ राज्य वित्त के आनलाइन फीडिंग हेतु तथा दिनांक 22.08.2015 को प्रिया साफ्ट में अभिलेख वर्ष 2014-15 के डाटा इन्ट्री हेतु कुल रु० 6965.00 (रु० 2465+ रु० 200.00 + रु० 2000.00) का भुगतान दर्शित है । भुगतान की पुष्टि प्रस्तुत प्रमाणक पर टिन नं० व रजिस्ट्रेशन नं० अंकित नहीं है । स्पष्ट है कि फर्जी रसीद तैयार कर रु० 6965.00 का अपहरण श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश चन्द्र मौर्य, ग्रा०वि०अ० द्वारा किया गया है । इसकी वसूली श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश चन्द्र मौर्य ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-62 प्रमाणक संख्या-19 दिनांक 08.03.2016 द्वारा ओम साई बिल्डिंग मैटेरियल को रु० 20605.00 का भुगतान किया गया है । व्यय प्रमाणक पर पुस्तक संख्या, क्रम संख्या अंकित नहीं है । स्पष्ट है कि फर्जी रसीद तैयार कर रु० 20605.00 का अपहरण किया गया है जिसे अद्यावधि ब्याज सहित श्रीमती भगवन्ती देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश चन्द्र मौर्य, ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-23)

28. नाम ग्राम पंचायत-ओड़ी, वि०ख०-जमालपुर

प्रस्तर-63 ग्राम निधि-1 के खाते के बैंक स्टेटमेंट / पासबुक के अनुसार कि दिनांक 01.09.2015 से 08.10.2015 तक की अवधि में निम्नलिखित धनराशियाँ तत्कालीन प्रधान श्री पंचम भारती द्वारा आहरित की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	चेक सं०	धनराशि
01	04.09.2015	चेक द्वारा अन्तरण	002796	15000.00
02	07.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002798	7500.00
03	10.09.2015	चेक द्वारा अन्तरण	002799	50120.00
04	14.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002802	5000.00
05	14.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002805	1127.00
06	15.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002803	5000.00
07	15.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002804	5000.00
08	16.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002807	5000.00
09	16.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002809	5000.00

10	16.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002806	5000.00
11	16.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002808	5000.00
12	30.09.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002810	5000.00
13	08.10.2015	पंचम द्वारा चेक से आहरण	002811	2000.00

योग 115747.00

उक्त आहरित धनराशियां कोषबही में अंकित नहीं की गयी है और इसके अतिरिक्त इन धनराशियों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, श्रुजित सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त धनराशि रु0 115747.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पंचम भारतीय के नाम पर आहरित की गयी है, न कि किसी फर्म अथवा कम्पनी को भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त धनराशियों को बैंक से आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि रु0 115747.00 (अक लाख पन्द्रह हजार सात सौ सैतालिस रुपये मात्र) अद्यावधि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पंचम भारतीय एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत खाता 1 के बैंक पास बुक / स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 07.09.2015 तथा 10.09.2015 को क्रमशः रु0 75000.00 व रु0 1000.00 मे-0 अजय बिल्डिंग तथा लक्ष्मण कोभुगतान किया गया दर्शित है जबकि उक्त भुगतान के सापेक्ष न ही कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है न ही आलोच्य वर्ष की कोष पंजिका में उक्त धनराशियों का अंकन किया गया। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु0 76000.00 का अपहरण कर लिया गया है। इस धनराशियों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, श्रुजित सम्पत्ति रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि रु0 76000.00 (छिहत्तर हजार रुपये मात्र) अद्यावधि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पंचम भारतीय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-24)

29. नाम ग्राम पंचायत-रामपुर ठाकुर दयाल / किरहा, वि०ख०-पटेहरा कला

प्रस्तर-65 वर्ष 2013-14 में निम्नवत् तालिकानुसार रु0 524448.00 का आहरण किया गया कोषबही में दर्शित है किंतु व्यय पक्ष में बिना की विवरण अंकित किए आय पक्ष का योग, व्यय पक्ष में भी दर्शा दिया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त धनराशियों के व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / अभिलेख अथवा सम्यक स्पष्टीकरण (कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि) भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट प्रमाणित होता है कि रु0 524448.00 का अपहरण किया गया जिसे अद्यावधि ब्याज सहित त्रिस्तरीय समिति (1. श्री नन्दलाल 2. श्री फूलचन्द्र 3. श्रीमती लालती) तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कैलाश नाथ बिन्द से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अन्य विवरण
01	26.06.2013	003749	46500.00	ट्रान्सफर विड्राल
02	17.07.2013	005441	25000.00	कैश चेक
03	05.08.2013	429342	43280.00	कैश चेक
04	06.08.2013	429341	65700.00	कैश चेक
05	19.08.2013	429346	48500.00	कैश चेक
06	02.09.2013	429348	47500.00	कैश चेक
07	04.09.2013	429344	1018.00	क्लीयरिंग
08	01.10.2013	429347	48500.00	कैश चेक
09	18.10.2013	429345	80000.00	कैश चेक
10	12.12.2013	429351	21000.00	कैश चेक
11	09.01.2014	429352	48500.00	कैश चेक
12	18.01.2014	429353	48950.00	कैश चेक

योग 524448.00

उपरोक्त तालिका ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कैलाश नाथ बिन्द एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा धन के मनमाने ढंग से अपहरण को परिलक्षित करने के साथ ग्राम पंचायत के प्रति उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता का भी परिचायक है । उक्त वृहद धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत के सर्वगीण विकास में किया जाना अपेक्षित था, किंतु ऐसा न करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गई । अतः यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा कि श्री कैलाश नाथ बिन्द एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के पास ग्राम पंचायत के धन के “वित्तीय आहरण” का अधिकार होना, ग्राम पंचायत के हितों के प्रतिकूल है, इनके द्वारा बैंक से वित्तीय आहरण संबंधी अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना अपेक्षित है । इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

(मूल आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर-66 दिनांक 12.09.2014 को चेक संख्या 433873 द्वारा रु0 1500.00 का आहरण अब्दीस के नाम से तथा दिनांक 22.09.2014 को चेक संख्या 433877 द्वारा रु0 12500.00 का आहरण सुरेश चन्द्र के नाम से किया गया है जिसे कोषबही के आय पक्ष व्यय पक्ष में नहीं लिया गया और इस प्रकार रु0 14000.00 का अपहरण किया गया । रु0 14000.00 को त्रिस्तरीय समिति (1. श्री नन्दलाल, 2. श्री फूलचन्द्र 3. श्रीमती लालती) तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कैलाश नाथ बिन्द से ब्याज सहित वसूल किया जाने के अतिरिक्त नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर-67 वर्ष 2009-10 में रु0 133000.00 शौचालय हेतु प्राप्त हुआ था जिसका वर्ष 2010-11 में न तो उपभोग किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया । यह स्थिति भारी अनियमितता का परिचायक रही । वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक खाते से लेन देन बन्द रहा जिसके कारण दिनांक 31.03.2011 को जमा धनराशि बैंक कटौती के कारण दिनांक 15.09.2016 तक रु0 2722.00 से कम हो गई । रु0 2722.00 की वसूली प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण व ग्रा0पं0 अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र दूबे से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-15)

30. नाम ग्राम पंचायत-चितांग, वि0ख0-लालगंज

प्रस्तर-68 आलोच्य वर्ष 2015-16 में तत्कालीन प्रधान श्री लाल मनि एवं तत्कालीन ग्रा0वि0 / पं0 अधिकारी श्री विजय कुमार सोनी द्वारा निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया कोष बही में दर्शित है-

आलोच्य वर्ष 205-16 में तत्कालीन ग्रा0वि0 / पं0 अधिकारी श्री विजय कुमार सोनी द्वारा निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया है-

दिनांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
11.04.15	हैण्डपंप चबूतरा निर्माण हेतु सामग्री	56129.00
13.04.15	पुलिया निर्माण सामग्री विरजू और श्याम सुन्दर बिन्द हेतु	32000.00
22.04.15	हैण्ड पंप मरम्मत चबूतरा निर्माण सामग्री एवं मजदूरी भुगतान	45000.00
24.04.15	ग्राम प्रधान लालमणि द्वारा व्यय मद अज्ञात	40200.00
29.04.15	ह्यूम पाइप हेतु	6300.00
29.04.15	कल्लर यादव के घर के पास पुलिया और स्थान घर हेतु सामग्री	42096.00
07.05.15	प्रधान मानदेय	20000.00
08.50.15	स्नान घर हेतु सामग्री	10000.00
13.05.15	प्रधान मानदेय	20000.00
02.07.15	ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी भुगतान	20000.00
02.07.15	ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी भुगतान	20000.00
02.07.15	हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री	27600.00

योग 339325.00

उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य रजि0, परिसम्पत्ति रजिस्टर स्टीमेट, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजि0 कार्यवाही पंजिका आदि अनुपलब्ध रहा । इस प्रकार उपर्युक्त व्यय प्रमाणक विहीन दर्शाकर रु0 339325.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालमनि एवं तत्कालीन ग्रा0वि0 / पं0 अधिकारी श्री विजय कुमार सोनी समानरूप में उत्तरदायी है जिसकी वसूली मय ब्याज द्वय से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

31. नाम ग्राम पंचायत-तेन्दुआ कला, वि०ख०-लालगंज

प्रस्तर-69 आलोच्य वर्ष 2015-16 की ग्राम पंचायत तेन्दुआ कला की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी है, जिसमें अपहरण से संबंधित निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए विवरण निम्नवत् है-

आलोच्य वर्ष 2015-16 में तत्कालीन प्रधान श्री सीताराम पाल एवं तत्कालीन ग्रा०वि० / पं० अधिकारी श्री विजय कुमार सोनी द्वारा निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया है-कोष बही में दर्शित है-

दिनांक	विवरण	धनराशि (रु० में)
30.04.15	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से राम लाल के घर तक	
	आर०सी०सी० रोड हेतु सामग्री एवं मजदूरी भुगतान	60200.00
30.04.15	कोल बस्ती से तेन्दुआ बाही तक जल निकासी हेतु सामग्री	58935.00
30.04.15	हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री	41692.00
08.05.15	स्कूल में हैण्डवाश हेतु सामग्री	14000.00
25.05.15	हैण्डपंप मरम्मत हेतु मिस्त्री को भुगतान	15000.00
25.06.15	6 नग स्ट्रीट लाइट	27600.00
25.06.15	2 नग स्ट्रीट लाइट	9200.00
07.07.15	सामुदायिक भवन पर 1 नग पुलिया निर्माण हेतु सामग्री	25000.00
योग		251627.00

उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य रजि०, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजि० कार्यवाही पंजिका आदि अनुपलब्ध रहा । इस प्रकार उपर्युक्त व्यय प्रमाणक विहीन दर्शाकर रु० 251627.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सीताराम पाल एवं ग्रा०वि० / पं० अधिकारी श्री विजय कुमार सोनी समानरूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली मय ब्याज द्वय से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

32. नाम ग्राम पंचायत-तेन्दुआ खुर्द (रामपुर मंडवा), वि०ख०-लालगंज

प्रस्तर-70 आलोच्य वर्ष 2015-16 में तत्कालीन प्रधान श्री गणेश चन्द्र पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्रा०वि० / पं० अधिकारी श्री विजय कुमार सोनी द्वारा निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया है-कोष बही में दर्शित है-

दिनांक	वा०सं०	विवरण	धनराशि
13.04.15	---	रामपति के कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री	61741.00
29.04.15	---	इन्टरलाकिंग से अखिलेश के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु सामग्री	56129.00
29.04.15	---	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से मौर्या बस्ती तक खडन्जा मरम्मत हेतु सामग्री	50516.00
20.05.15	---	उपर्युक्त कार्य हेतु सामग्री	50300.00
28.05.15	---	हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री	20800.00
05.06.15	---	स्ट्रीट लाइट	18400.00
08.06.15	---	स्ट्रीट लाइट	18400.00
22.06.15	---	नन्हकी के घर से प्रधान के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु सामग्री ।	104300.00
14.08.15	---	रामपति के कूप जगत निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	30200.00
14.08.15	---	इन्टरलाकिंग से अखिलेश के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	25100.00
14.08.15	---	उपर्युक्त हेतु मजदूरी भुगतान	25300.00
14.08.15	---	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से मौर्या बस्ती तक खडन्जा मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	20300.00

19.08.15	—	हैण्डपंप मरम्मत हेतु मिस्त्री को भुगतान	20000.00	
19.08.15	—	नन्हकी के घर से प्रधान के घर तक खडन्जा मजदूरी भुगतान	19750.00	
योग			521236.00	

उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य रजि० परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र स्टाक रजि० कार्यवाही पंजिका आदि अनुपलब्ध रहा । इस प्रकार उपर्युक्त व्यय प्रमाणक विहीन दर्शाकर रु० 521236.00 (पाँच लाख इक्कीस हजार दो सौ छत्तीस) का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गणेश चन्द्र पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्रा०वि० / पं० अधिकारी श्री विजय कुमार सोनी समानरूप से उत्तरदायी हैं, जिसकी वसूली मय ब्याज द्वय से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या-02)

33. नाम ग्राम पंचायत-बर्डिहा कला, वि०ख०-हलिया

प्रस्तर-71 निम्न तिथियों में निम्न फर्मों से सेल इनवाइस / बिल (टिन नं०- अंकित नहीं है) से रु० 12035.00 की सामग्री क्रय किया गया दर्शाया गया है । ग्रा०पं० अधिकारी द्वारा प्रमाणकों पर अंकित की गई टिप्पणी के अनुसार ग्राम पंचायत में उक्त सामग्री से कार्य नहीं कराया गया है । क्रय की गई सामग्री स्टाक रजिस्टर में अंकित होनी चाहिए किंतु स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । प्रधान / ग्रा०पं० अधिकारी ने सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं कराया । अतः सामग्री क्रय की पुष्टि न की जा सकी । दि० 13.04.15 को रु० 19075.00 एवं दि० 29.04.15 को रु० 66010.00 क्रय की गई सामग्री का भुगतान सेल इनवाइस बिल के आधार पर किया गया है । जब कि भुगतान की कैश मेमो प्राप्त की जानी चाहिए थी । कैश रसीद के अभाव में पुष्टि न की जा सकी । विवरण निम्नवत् है-

दिनांक	बिल सं०	टिन न०	प्रमा०सं०	धनराशि	फर्म का नाम	सामग्री क्रय का विवरण
13.04.15	01	093148079995	04	19075.00	मे०एस०के०	कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग मैटे० सप्लायर हलिया मीरजापुर सीमेन्ट ईट गिट्टी-40उउ
04.04.15	04	093148079995	09	66010.00	मे०एस०के०	कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग मैटे० सप्लायर हलिया मीरजापुर ईट बालू
19.05.15	64	0921480676				
(प्रिंट में शुरु के अंक अस्पष्ट)			11	35250.00	मे०एस०के०	कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग मैटे० सप्लायर हलियामीरजापुरबोल्डर, बालू
योग				120335.00		

अतः उपरोक्त सामग्री पर व्यय की गई धनराशि रु० 120335.00 के लिए प्रधान श्रीमती माना देवी एवं श्री तेजराज सिंह ग्रा०पं० अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । जिसकी वसूली प्रधान एवं ग्रा०पं० अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

34. नाम ग्राम पंचायत-मसारी, वि०ख०-सिटी

प्रस्तर-72 दिनांक 07.11.15 को चेक सं०-413339 द्वारा श्री अमरेश चन्द बिंद को भुगतान रु० 31000.00 कैशबुक में दर्शित है । किंतु कोष रजिस्टर में कार्यस्थल एवं सामग्री क्रय का विवरण अंकित नहीं रहा । वर्षान्त तक उक्त सामग्री का उपयोग नहीं किया गया और न ही स्टाक रजिस्टर में ही दर्शित रहा । उपरोक्त धनराशि का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे स्पष्ट है कि कमेटी में श्रीमती सन्तिया, श्री दिनेश कुमार एवं श्री चन्दन कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष यादव द्वारा रु० 31000.00 का अपहरण किया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

35. नाम ग्राम पंचायत-बघेड़ा कला, वि०ख०-छानबे

प्रस्तर-73 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नवत् स्टाक क्रय पर धनराशि व्यय की गयी है, किंतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उल्लेखनीय है कि कोष रजिस्टर में दर्शित कार्यों के लिए वर्ष पर्यन्त न तो मजदूरी व्यय रहा और न ही कार्यों की पुष्टि में स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजी०, स्टाक रजि०, कार्यवाही रजि० आदि अभिलेख प्रस्तुत रहा । स्पष्ट है कि काल्पनिक स्टाक क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी हैं, जिसकी वसूली मय ब्याज द्वय से किया जाना अपेक्षित है । विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०	दिनांक	वा०सं०	विवरण	धनराशि
01	23.05.15	07	पंचू के घर से कर्णावती नदी तक भूमिगत नाली निर्माण हेतु 13 बोरी सिमेंट, 31.50 घमी० बालू, पटिया 4 नग, पाइप 17.50 आर०एम० कालर 5 नग आदि ।	13280.00
	24.05.15	08	उक्त कार्य हेतु 492 नग ईट क्रय, दर-6500.00 प्रति हजार ।	3198.00
02	28.06.15	21	रमेश के घर के पास सोकपिट, फाउण्डेशन हेतु 1650 नग ईट क्रय, दर-6500.00 प्रति हजार ।	10725.00
03	28.06.15	22	अजय के घर के पास हैण्डपंप का सोकपिट व नाली निर्माण हेतु 1650 नग ईट क्रय, दर-6500 प्रति हजार से ।	10725.00
योग				37928.00

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-74 आलोच्य वर्ष में कोष रजिस्टर के अनुसार दिनांक 01.06.15 को वाउचर क्रमांक 13 द्वारा 5 ब्लास्ट (40 एम०एम०) हेतु 3 घ०मी० की दर से रु० 1345.00 प्रति घ०मी० से कुल 4035.00 का व्यय दर्शाया गया है, किंतु ब्लास्ट का व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा । अतः स्पष्ट है कि 5 ब्लास्ट पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि रु० 4035.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी हैं । जिसकी वसूली मय ब्याज द्वय से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

36. नाम ग्राम पंचायत-देवरी कला, वि०ख०-पटेहरा कला

प्रस्तर-75 वर्ष 2013-14 में ग्राम निधि खाता सं०-21996690334 से विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1282298.00 आहरित किया गया जिसके संबंध में आज की तिथि तक न तो कोषबही तैयार की गयी है और न ही कोई व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, एम०वी० अथवा स्टाक अवशेष रजिस्टर आदि ही रखा गया है । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि सम्पूर्ण आहरित धनराशि रु० 1282298.00 का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान श्री सदाफल एवं ग्रा०पं०अधि० श्री कैलाश नाथ से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशियों का विवरण बैंक पास बुक के अनुसार निम्नांकित है—

दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
10.04.13	कैश/चेक पेड टू दिनेश	481313	10000
16.04.13	कैश/चेक पेड टूझब्बू लाल	481312	20000
20.04.13	कैश/चेक पेड टू पप्पू	481314	10000
20.04.13	कैश/चेक पेड टू प्रदीप	481315	30000
22.04.13	कैश/चेक पेड टू श्री पी के	481316	20000
30.04.13	कैश/चेक पेड टू रमेश	481317	30000
30.04.13	कैश/चेक पेड टूझब्बू लाल	481318	20000

03.05.13	कैश/चेक पेड टूराज बहादुर	481320	20000
04.05.13	कैश/चेक पेड टूदिनेश कुमार	481319	10000
10.05.13	कैश/चेक पेड टूदिनेश कुमार	482231	20000
14.05.13	कैश/चेक पेड टू पवन कुमार	482232	20000
18.05.13	कैश/चेक पेड टू पवन कुमार	482233	22000
21.05.13	कैश/चेक पेड टू प्रदीप	482234	20000
31.05.13	कैश/चेक पेड टूसदफल	482236	20000
01.06.13	कैश/चेक पेड टू पवन कुमार	482235	12000
17.06.13	कैश/चेक पेड टू सदफल	482238	2000
17.06.13	कैश/चेक पेड टू मधूसूदन	482237	1000
21.06.13	एम सी सी चेक चार्ज	35	
21.06.13	कैश/चेक पेड टू जे0एल0	483251	22000
22.06.13	कैश/चेक पेड टूदिनेश कुमार	483252	20000
01.07.13	कैश/चेक पेड टू पवन कुमार	482239	3000
03.07.13	कैश/चेक पेड टूराज बहादुर	483261	12000
10.07.13	कैश/चेक पेड टू पवन कुमार	483262	17000
18.07.13	कैश/चेक पेड टू यज्ञ नारायण	483253	5000
29.07.13	कैश/चेक पेड टू अभिषेक सिंह	483255	32000
01.08.13	कैश/चेक पेड टू पीताम्बर यादव	483258	2000
06.08.13	कैश/चेक पेड टू सदफल	483260	30000
08.08.13	कैश/चेक पेड टू श्री नरेश	483259	5000
08.08.13	कैश/चेक पेड टू पवन कुमार	483257	32000
16.08.13	कैश/चेक पेड टू डी के	483264	12000
22.08.13	कैश/चेक पेड टू रमेश	483263	30000
27.08.13	कैश/चेक पेड टू राज बहादुर	483267	40000
12.09.13	कैश/चेक पेड टू पी के	483269	40000
12.09.13	कैश/चेक चार्ज	35	
12.09.13	कैश/चेक पेड टू जे0एल0	483265	12000
18.09.13	कैश/चेक पेड टू जगदीश	485371	11000
18.09.13	इनवर्ड क्लीयरिंग अखिल भारती	483266	1018
21.09.13	कैश/चेक पेड टू जगदीश	485374	10000
21.09.13	कैश/चेक पेड टू जय सिंह	485372	1000
01.10.13	कैश/चेक पेड टू रमेश	483268	40000
01.10.13	कैश/चेक पेड टू स्वयं	485376	35000
03.10.13	कैश/चेक पेड टू जय सिंह	485378	5000
11.10.13	कैश/चेक पेड टू त्रिलोचन सिंह	485379	6000
12.10.13	चेक एक्स एफ ई आर डब्ल्यू		
	डी आर के सीमेण्ट पाइप	485373	15000
21.10.13	एम सी सी चेक चार्ज	70	
26.10.13	कैश/चेक पेड टू सुनील	486681	6000
26.10.13	कैश/चेक पेड टू राज बहादुर	486683	6000

28.10.13	कैश/चेक पेड टू सुरेन्द्र कुमार	486682	7000
09.11.13	कैश/चेक पेड टू रमेश	485377	35000
09.11.13	कैश/चेक पेड टू रमेश	485375	10000
11.11.13	कैश/चेक पेड टू रमेश	485380	12000
13.11.13	कैश/चेक पेड टू राज बहादुर	486685	25000
25.11.13	कैश/चेक पेड टू बेलन	486687	20000
26.11.13	कैश/चेक पेड टू		
	अशोक कुमार यादव	486688	5000
05.12.13	कैश/चेक	486686	25000
28.01.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	486692	3000
18.02.14	कैश/चेक पेड टू राजेश कुमार	486690	5000
18.02.14	कैश/चेक पेड टू राजेश कुमार	486684	6000
18.02.14	कैश/चेक पेड टू राजेश कुमार	486689	26000
22.02.14	कैश/चेक पेड टू प्रमोद	486694	5000
26.02.14	एम सी सी चेक चार्ज	70	
26.02.14	कैश/चेक पेड टू		
	राम सिंह यादव	973001	47000
07.03.14	कैश/चेक पेड टू काशी	973002	10000
08.03.14	कैश/चेक पेड टू		
	अशोक कुमार यादव	973003	10000
08.03.14	कैश/चेक पेड टू राम सिंह	973004	2000
13.03.14	कैश/चेक पेड टू काशी	973008	10000
13.03.14	कैश/चेक पेड टू सुनील	973007	5000
14.03.14	कैश/चेक पेड टू वीरेन्द्र	973009	40000
14.03.14	कैश/चेक पेड टू प्रमोद	973006	20000
15.03.14	कैश/चेक पेड टू प्रदीप	973012	45000
15.03.14	कैश/चेक पेड टू काशी	973011	10000
15.03.14	कैश/चेक पेड टू राम नरेश	973013	10000
20.03.14	कैश/चेक पेड टू अशोक कुमार	973015	20000
21.03.14	कैश/चेक पेड टू काशी	973010	15000
25.03.14	कैश/चेक पेड टू राम नरेश	973016	15000
25.03.14	कैश/चेक पेड टू वलेश्वर	973018	2000
27.03.14	कैश/चेक पेड टू काशी	973020	15000
27.03.14	कैश/चेक पेड टू मोती	973017	11000
28.03.14	कैश/चेक पेड टू सुरेन्द्र कुमार	973019	20000
28.03.14	एम सी सी चेक चार्ज	70	
29.03.14	कैश/चेक पेड टू मंगलराम	974281	5000
31.03.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	974283	35000
31.03.14	कैश/चेक पेड टू बुद्धिराम	974284	5000

योग

1282298.00

मूल आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर-76 वर्ष 2014-15 मे ग्राम निधि खाता सं0-21996690334 से विभिन्न तिथियों में कुल रु0 677305.00 आहरित किया गया जिसके संबंध में आय व व्यय विवरण सहित कोष बही आज की तिथि तक तैयार नहीं की गयी है । उल्लेखनीय है कि उक्त अवधि से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टीमेट अथवा एम0बी0 भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि रु0 677305.00 अपहरण कर लिया गया है जिसे प्रधान श्री सदाफल एवं ग्रा0पं0अ0 श्री कैलाश नाथ से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशियों का विवरण बैंक पासबुक के अनुसार निम्नांकित है-

दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
02.04.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	974288	17000
10.04.14	कैश/चेक पेड टू काशी	974290	5000
12.04.14	कैश/चेक पेड टू राम नरेश	974291	30000
21.05.14	कैश/चेक पेड टू प्रमोद	486697	10000
05.06.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	486700	5000
05.06.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	974298	30000
09.06.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	974299	36000
13.06.14	कैश/चेक पेड टूस्वयं	974300	10000
17.06.14	कैश/चेक पेड टूस्वयं	486696	16000
20.06.14	कैश/चेक पेड टूस्वयं	977143	10500
21.06.14	कैश/चेक पेड टू आशीष कुमार	977141	5000
07.07.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	977146	15500
10.07.14	कैश/चेक	486699	35000
21.07.14	कैश/चेक पेड टू राजबहादुर	977149	2000
21.07.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	977147	35500
23.07.14	कैश/चेक पेड टू सदफल	977151	10200
05.11.14	एमसीसी चेक चार्ज		70
11.11.14	कैश/चेक पेड टू राकेश कुमार यादव	981321	20000
11.11.14	कैश/चेक पेड टूदिनेश कुमार	981322	29690
15.11.14	कैश/चेक पेड टू राकेश कुमार यादव	981323	15000
28.11.14	कैश/चेक पेड टूराकेश	981324	55000
29.11.14	कैश/चेक पेड टू रामदास	981325	37000
12.12.14	कैश/चेक पेड टू राजेश कुमार	981328	24000
22.12.14	कैश/चेक पेड टूप्रेम चन्द्र यादव	981326	12000
22.12.14	कैश/चेक पेड टू राजेश कुमार	981329	44000
09.01.15	कैश/चेक पेड टू राजेश कुमार	981330	2000
09.01.15	कैश/चेक पेड टू रामदास	981331	3300
20.01.15	कैश/चेक पेड टूझब्बू लाल	981334	45000
20.01.15	कैश/चेक पेड टू रामदास	981332	40000
20.01.15	कैश/चेक पेड टू नितेश कुमार	981333	25000
03.02.15	कैश/चेक पेड टू राजेश कुमार	981336	2750
09.02.15	कैश/चेक पेड टू रामदास	981335	7550
16.02.15	कैश/चेक पेड टू दिनेश	981337	19395

16.02.15	कैश/चेक पेड टू रामदास	981339	7000
27.10.15	एमसीसी चेक चार्ज		350
28.02.15	कैश/चेक पेड टू दिनेश	981338	2500
04.03.15	कैश/चेक पेड टू राकेश कुमार यादव	981327	13000
योग			677305.00

मूल आपत्ति संख्या-09

37. नाम ग्राम पंचायत-बटौवां, वि०ख०-सीखड़

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत बटौवां, विकास खण्ड सीखड़ की र्व, 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 03.09.2015 के निधि-1 के खाते से रु० 35400.00 का भुगतान मोहन के मकान से चारागाह तक खडन्जा उखड़वाई तथा मिट्टी काय के विरुद्ध किया गया । इसका प्रमाणक अनुपलब्ध पाया गया । इसी कार्य पर रु० 65044.00 तथा रु० 42984.00 का व्यय (मजदूरी) भी किया गया जिसके प्रमाणक पाए गए ।

अतः विदित होता है कि उक्त दिनांक 03.09.2015 की धनराशि रु० 35400.00 प्रमाणक विहीन रहा । अतः इस धनराशि रु० 35400.00 (रु० पैंतीस हजार चार सौ रुपये मात्र) की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लक्ष्मण प्रसाद से ब्याज के साथ किया जाना चाहिए ।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

38. नाम ग्राम पंचायत-कठेरवां, वि०ख०-सीखड़

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत कठेरवां विकास खण्ड सीखड़ की निधि-1 की कोष पंजिका (रूप पत्र संख्या-6) से विदित होता है कि दिनांक 12.01.2016 को चेक संख्या 851116 द्वारा रु० 25079.00 का आहरण अंकित किया गया जिसकी पुष्टि उक्त खाते की खाता संख्या-50047337212, इलाहाबाद बैंक, शाखा खैरा के बैंक स्टेटमेंट से होती है । कोष पंजिका में इसी तिथि को उक्त धनराशि को वापस जमा बैंक में दर्शाया गया । इस संबंध में आपत्ति है कि (क) बैंक स्टेटमेंट से विदित होता है कि उक्त दिनांक 12.01.16 को या 31.03.2016 तक धनराशि जमा नहीं पायी गयी (ख) जिस तिथि को अर्थात् 12.01.2016 को धनराशि आहरित दर्शित है वह वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती सपना कुमारी का कार्यकाल है न कि विगत ग्राम प्रधान श्री दासुराम का, किंतु कोष रजिस्टर पर विगत ग्राम प्रधान श्री दासुराम के हस्ताक्षर पाये गये ।

अतः स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का आहरण कर दिनांक 31.03.2016 तक इसे बैंक में वापस जमा भी नहीं कराया गया है । अतः उक्त धनराशि रु० 25079.00 (रु० पच्चीस हजार उन्यासी मात्र) की वसूली ब्याज के साथ तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लक्ष्मण प्रसाद तथा कोष पंजिका पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्व ग्राम प्रधान श्री दासुराम किया जाना चाहिए ।

मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रारूप-4
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2015-16
जनपद-सोनभद्र मण्डल का नाम-विन्ध्याचल

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-सतौहां, **विकास खण्ड-**घोरावल, **जिला** सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-01

(1) ग्राम पंचायत द्वारा मार्च 2016 में खाता संख्या-2229296385 इलाहाबाद बैंक शाखा खरुआँव से अधोलिखित विवरणानुसार धनराशियां आहरित कर रोकड़ बही से व्यय दर्शित है:-

क्र०सं०	तिथि	विवरण	धनराशि
1	21.03.2016	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	रु० 30,300.00
2	21.03.2016	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	रु० 30,300.00
3	21.03.2016	मस्टररोल	रु० 5,000.00
		योग-	रु० 65,600.00

उक्त धनराशि रु० 65,600.00 से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिससे इनकी पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गई है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री भगवन्त कोल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामवृक्ष उत्तरदायी है। अतः समस्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित श्री भगवन्त कोल एवं श्री रामवृक्ष से की जानी अपेक्षित है साथ ही उन लोगों पर विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-बरवाडीह, **विकास खण्ड-**घोरावल, **जिला** सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-02

(1) ग्राम पंचायत बरवाडीह की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्ति प्रकाश में आयी:-

- लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक-21.04.2015 को रु० 13700.00 की हैण्डपम्प सामग्री जेके मशीनरी स्टोर कोन एवं दिनांक 08.10.2015 को रु० 62000.00 की हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री मे० त्रिमूर्ति कांस्ट्रक्शन कं० ओबरा से ग्राम प्रधान श्री असरार अहमद एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप द्वारा दिनांक तथा दिनांक-10.03.2016 को रु० 51610.00, दिनांक-16.03.2016 को रु० 14950.00 की हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री मे० त्रिमूर्ति कांस्ट्रक्शन कं० ओबरा से एवं दिनांक-18.03.2016 को रु० 19180.00 की हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री जे०के० मशीनरी स्टोर कोन से प्रधान श्रीमती रीमा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप द्वारा क्रय कर कुल धनराशि रु० 241930.00 कोष बही में खारिज की गयी है। किन्तु इसकी पुष्टि में निर्गत चेकों का कोई विवरण व सामग्री खरीद की गयी है। किन्तु इसकी पुष्टि में निर्गत चेकों का कोई विवरण व सामग्री खरीद के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त दर्शित व्यय पूर्णतया तथ्यहीन एवं फर्जी है।

अतः उपरोक्त धनराशि रु० 156190.00 ग्राम प्रधान श्री इसरार अहमद एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप एवं रु० 85740.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रीमा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप से शीघ्र ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—खगिया, विकास खण्ड—घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—03

- (1) दिनांक—30.03.2016 को चेक नं०—894591 से रु० 30290.00 मात्रा खाता सं०—22282571125 इलाहाबाद बैंक शाखा खरुआँव से आहरित किया गया है किन्तु इस धनराशि के व्यय का विवरण वर्ष 2015—16 की रोकड़ पंजिका (कोष रजि०) पर अंकित नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाकान्त एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामवृक्ष इस अपहरण के लिए उत्तरदायी है।

इस कृत्य में वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सियाराम का दायित्व भी कम नहीं है क्योंकि श्री सियाराम द्वारा प्रस्तुत कोष रजि० में उक्त अंकित व्ययों के विवरण की पुष्टि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामवृक्ष तथा तत्कालीन प्रधान श्री उमाकान्त से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है तथा उक्त तीनों व्यक्तियों पर विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—विसुंधरी, विकास खण्ड—घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—04

- (1) निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित स्टॉक रजि० ग्राम पंचायत स्तर पर बनाकर नहीं रखा है। जिसके स्टॉक का सत्यापन/पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार स्टॉक को आहरित कर लिया गया है।

क्र० सं०	तिथि	विवरण	धनराशि	बैंक का नाम व एकाउन्ट नं०
1.	07.05.2015	फोटो कैमरा क्रय	रु० 7,500.00	इलाहाबाद बैंक शाखा खरुआँव खाता सं०—22282963771
2.	04.06.2015	फर्नीचर क्रय	रु० 4,200.00	
3.	04.06.2015	फर्नीचर क्रय	रु० 5,250.00	
4.	31.07.2015	फर्नीचर क्रय	रु० 5,050.00	
		योग—	रु० 22,000.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा रु० 22,000.00 का स्टॉक क्रय किया गया है जिससे सम्बन्धित स्टॉक रजि० नहीं बनाया गया है और वर्षान्त में विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त का सत्यापन नहीं कराया गया है।

इसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री रमाशंकर एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुखबूराम उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०—02

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

ग्राम पंचायत का नाम—बिसरेखी, विकास खण्ड—घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—05

- (1) अधोलिखित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा—

आलोच्य वर्ष में मोरंगीकरण पर खाता सं०—22282965587 इलाहाबाद बैंक शाखा खरुआँव से धनराशि आहरित कर रु० 29988.00 व्यय रोकड़ बही में दर्ज किया गया है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा वर्ष से अप्राप्त रहें। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत कोष पंजिका में उक्त का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी जॉप हेतु नहीं पाया गया।

क्र०सं०	तिथि	विवरण	धनराशि
1.	17.10.2015	मोरंगीकरण	रु० 16,524.00
2.	17.10.2015	मोरंगीकरण	रु० 13,464.00
		योग—	रु० 29,988.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छद्म व्यय दर्शाकर रू0 29,988.00 ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामवृक्ष एवं ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार पूर्णरूपेण उत्तरदायी हैं। अस्तु समस्त धनराशि की वसूली उपरोक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-डोरिया, विकास खण्ड-घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-06

- (1) ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि का आहरण कर कैशबुक में उसका अंकन माह अप्रैल 2015 से अगस्त 2015 तक नहीं किया गया है। कैशबुक में माह सितम्बर 2015 से मार्च 2016 के आय व्यय का पूर्णतः अंकन किया गया है। ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता सं0-22483271807 इलाहाबाद बैंक शाखा खलियारी से उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक-01.04.2015 से 30.08.2015 तक आहरित धनराशि रू0 129576.00 का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	तिथि	चेक संख्या	धनराशि
1.	11.04.2015	493729	रू0 2000.00
2.	13.04.2015	493730	रू0 2000.00
3.	25.04.2015	493733	रू0 36000.00
4.	25.04.2015	493737	रू0 6000.00
5.	27.04.2015	493736	रू0 25000.00
6.	27.04.2015	493735	रू0 20500.00
7.	08.06.2015	----	रू0 76.00
8.	10.06.2015	493732	रू0 2000.00
9.	12.06.201	493740	रू0 28000.00
10.	17.06.2015	498242	रू0 8000.00
		योग-	12 9576.00

इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 129576.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं सचिव श्री अमित कुमार वर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-08

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-पनिकप कला, विकास खण्ड-घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-07

- (1) ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक-19.10.2015 को प्रमाणक संख्या-14 द्वारा ग्राम प्रधान का मानदेय माह अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 का कैशबुक में अंकित करते हुए 09 माह का रू0 22500.00 का भुगतान कैशबुक में

दर्शित है जबकि माह अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 की कुल अवधि 06 माह ही होती है। उस अवधि का मानदेय रू0 2500.00 प्रतिमाह की दर से ही रू0 1500.00 देय रहा।

इस प्रकार अधिक कर रू0 7500.00 का अधिक भुगतान दर्ज कर राजकीय धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनूप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण सिंह द्वारा किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित दोनों उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-08

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-पनिकप कला, विकास खण्ड-घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-08

- (1) ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि का आहरण कर कैशबुक में उसका अंकन माह अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक नहीं किया गया है। कैशबुक में माह अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 के आय व्यय का पूर्णतः अंकन किया गया है। ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता सं0-22483271830 इलाहाबाद बैंक शाखा खलियारी से उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक-01.08.2015 से 31.03.2016 तक आहरित धनराशि रू0 150700.00 का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	तिथि	चेक संख्या	धनराशि
1.	05.08.2015	494138	रू0 38700.00
2.	05.08.2015	494137	रू0 15000.00
3.	19.08.2015	494139	रू0 8000.00
4.	22.08.2015	494140	रू0 12000.00
5.	03.09.2015	499281	रू0 10000.00
6.	07.09.2015	499282	रू0 7500.00
7.	23.10.2015	499288	रू0 2000.00
8.	23.10.2015	499284	रू0 16000.00
9.	23.10.2015	499286	रू0 5000.00
10.	23.10.2015	499285	रू0 13000.00
11.	28.10.2015	499287	रू0 3500.00
12.	16.01.2016	499293	रू0 20000.00
		योग-	रू0 150700.00

इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 150700.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम यादव एवं सचिव श्री राजेश्वर यादव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-08

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-डेहरी कलां, विकास खण्ड-घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-09

- (1) आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में रू0 4000.00 (रू0 चार हजार मात्र) विज्ञापन व्यय निम्नलिखित तिथियों में कोष बही में अंकित किया गया है:-

क्र0सं0	तिथि	धनराशि	विवरण
1.	15.10.2015	रू0 2000.00	सी0एम0वाई के प्रिन्टेड लि0 समाचार पत्र को भुगतान
2.	19.10.2015	रू0 2000.00	विन्ध्य लीडर समाचार पत्र को भुगतान
	योग-	रू0 4000.00	(रू0 चार हजार मात्र)

उपरोक्त दर्शित धनराशि के प्रमाण में विज्ञापित समचार पत्र की प्रति, विज्ञापन का निर्णय, विज्ञापन को विषय वस्तु, व्ययादेश आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त विज्ञापन से ग्राम पंचायत का कोई विकास या हित निहित था या नहीं, समाचार पत्र की प्रति के अभाव में इसके औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः स्पष्ट है कि कोष बही में फर्जी विज्ञापन व्यय दर्शाकर रु0 4000.00 (रु0 चार हजार मात्र) का अपहरण ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्र देव पाण्डेय के द्वारा किया गया है। जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना वांछनीय है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-बेलगाई, विकास खण्ड-घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-10

(1) आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री पर अधोलिखित व्यय रोकड़ बही (प्रथम) में दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	मद	सन्निहित धनराशि
1.	29.04.2015	सामग्री	रु0 23,800.00
2.	06.05.2015	मजदूरी	रु0 10,000.00
3.	17.09.2015	सामग्री	रु0 25,900.00
4.	09.11.2015	सामग्री	रु0 19,900.00
5.	10.11.2015	सामग्री	रु0 9,950.00
		योग-	रु0 89,950.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 89950.00 व्यय दर्शित है, परन्तु हैण्डपम्प सामग्री क्रय की रसीद एवं मजदूरी भुगतान का प्रमाणक मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई है। इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के समय निकाली गई सामग्री जैसे-जी0आई0पाईप रोड, सिलेण्डर, लायनर, चैन, पलंजर इत्यादि का स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आलोच्य वर्ष में रोकड़ बही-। में उक्त की निलामी/बिक्री से कोई आय दर्शित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शित कर उक्त धनराशि रु0 89950.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-04

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

ग्राम पंचायत का नाम-देवरी खुर्द, विकास खण्ड-घोरावल, जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-11

(1) आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में रु0 4500.00 विज्ञापन व्यय कोष बही में निम्नलिखित तिथियों में अंकित किया गया है:-

क्र0सं0	तिथि	धनराशि	विवरण
1.	16.05.2015	रु0 1000.00	गणतंत्र दिवस बधाई संदेश पर भुगतान

2.	16.05.2015	रु0 2500.00	संमार्ग समाचार पत्र को भुगतान
3.	26.10.2015	रु0 1000.00	आडिसन टाईम्स समाचार पत्र को भुगतान
	योग—	रु0 4500.00	(रूपया चार हजार पाँच सौ मात्र)

उपरोक्त दर्शित धनराशि के प्रमाण में विज्ञापित समाचार पत्र की प्रति, विज्ञापन का निर्णय, विज्ञापन की विषय वस्तुतः, व्ययादेश आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त विज्ञापन से ग्राम पंचायत का कोई विकास या हित निहित था या नहीं, समाचार पत्र की प्रति के अभाव में इसके औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रु0 4500.00 (रूपया चार हजार पाँच सौ मात्र) का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बलवन्त तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रदेव पाण्डेय के द्वारा किया गया है। जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना वांछनीय है।

मूल आपत्ति सं0-02

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नस्ति संग्रह का विवरण

5.1—जिला पंचायत—

जिला पंचायतों में मात्र 45 जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित संस्थाओं में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही। मात्र 06 सामान्य प्रतिवेदन तथा 01 विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

5.2—क्षेत्र पंचायत—

मात्र 86 क्षेत्र पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा दल को प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, किसी भी क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

5.3—ग्राम पंचायत—

ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही, मात्र 41 ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन तथा 299 ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

अध्याय-6 निष्कर्ष व सुझाव

6.1-निष्कर्ष

वाह्य सम्प्रेक्षण के प्रति उदासीनता-

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 821 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान मात्र 86 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल क्षेत्र पंचायतों का मात्र 10.48 प्रतिशत है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने की व्यवस्था है। किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या- 174 के क्रम में कार्यकारी अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 55494 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान मात्र 38563ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल ग्राम पंचायतों का मात्र 69.49 प्रतिशत है। ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय-8 के पैरा-3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना- त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अनेक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारगर्भित विवेचना नहीं की जा सकी। प्रारूप-2

1. कार्य की पंचायत, तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।
2. खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी।
3. इच्छित लाभ लोगों तक पहुँचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।
4. कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।
5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।
6. श्रमिकों के भुगतान में विलंब।
7. नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।
8. असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।
9. सतत व व्यापक अनियमितता, धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।
10. अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।
11. अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।
12. महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर नहीं रखे जा रहे हैं।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- 1— परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?
- 2— किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं ?
- 3— न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं ?
- 4— न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं ?
- 5— ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं ?

भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण—

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- 1— लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।
- 2— परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।
- 3— परियोजना में कृत कार्य वास्तविक अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टि कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।
- 4— लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

अनुपालन जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नगण्य रहा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन कुल लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अत्यन्त कम है। प्राप्त अनुपालन भी अत्यन्त सरसरी तौर पर मात्र औपचारिकता पूर्ति के लिए किये गये। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

6.2—संस्तुतियां—

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट—2 एवं 3 में किया जा सकता है। अधिनियम व नियमावलियों में निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई दण्डात्मक विधान न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियां की जाती हैं—

- 1— लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।

2— सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

3— निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4— लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

5— कराये गये कार्य को कम से कम 20 प्रतिशत का भौतिक परीक्षण लेखा परीक्षक के स्तर से भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रस्तुत अभिलेख एवं कृत कार्य का सर्वांगीण परीक्षण कर वस्तुस्थिति का स्पष्ट चिट्ठा प्रस्तुत किया जा सकता है।

6— पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिये एक लेखा परीक्षा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

7—महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित सभी 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर रखे जाँए जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

अनुपालन— पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहां लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रुपये की धनराशि के उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये अनुपालन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहें।

(पद्म जंग)

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें
उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16
प्रारूप 1 जिला पंचायत

प्रारूप-1											
वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र० सं०	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं०			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं०			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4)			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	1	1	2	1	1	2	-	-	-	
2	रायबरेली	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	उन्नाव	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
4	हरदोई	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
5	सीतापुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
6	लखीमपुर-खीरी	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
7	गोरखपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
8	देवरिया	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
9	महाराजगंज	1	3	4	1	3	4	-	-	-	
10	कुशीनगर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
11	बस्ती	1	1	2	-	1	1	1	-	1	
12	संतकबीर नगर	1	1	2	-	1	1	1	-	1	
13	सिद्धार्थनगर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	1	-	1	1	-	1	-	-	-	

15	मुरादाबाद	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
16	सम्भल	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
17	रामपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
18	बिजनौर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
19	फैजाबाद	1	2	3	-	1	1	1	1	2	
20	बहराइच	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
21	गोण्डा	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
22	बलरामपुर	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
23	अमेठी	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
24	श्रावस्ती	1	3	4	-	3	3	1	-	1	
25	सुल्तानपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
26	बाराबंकी	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
27	अम्बेडकर नगर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
28	आजमगढ़	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
29	बलिया	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
30	मऊ	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
31	बाँदा	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
32	ललितपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
33	हमीरपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
34	जालौन	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
35	चित्रकूट	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
36	महोबा	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
37	झांसी	1	-	1	1	-	1	-	-	-	

38	प्रतापगढ़	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
39	इलाहाबाद	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
40	कौशाम्बी	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
41	फतेहपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
42	बुलन्दशहर	1	2	3	-	-	-	1	2	3	
43	गौतमबुद्धनगर	1	3	4	-	-	-	1	3	4	
44	गाजियाबाद	1	1	2	-	-	-	1	1	2	
45	हापुड	1	2	3	-	-	-	1	2	3	
46	मेरठ	1	3	4	-	1	1	1	2	3	
47	बागपत	1	8	9	-	3	3	1	5	6	
48	मुजफ्फरनगर	2	1	3	1	1	2	1	-	1	
49	सहारनपुर	1	2	3	-	-	-	1	2	3	
50	वाराणसी	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
51	चन्दौली	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
52	जौनपुर	1	1	2	-	1	1	1	-	1	
53	गाजीपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
54	मीरजापुर	1	1	2	-	-	-	1	1	2	
55	सोनभद्र	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
56	भदोही	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
57	बरेली	1	5	6	-	-	-	1	5	6	
58	पीलीभीत	1	2	3	-	1	1	1	1	2	
59	बदायूँ	1	7	8	-	-	-	1	7	8	
60	शाहजहाँपुर	1	11	12	-	-	-	1	11	12	

61	आगरा	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
62	फिरोजाबाद	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
63	मथुरा	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
64	अलीगढ	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
65	एटा	1	2	3	-	-	-	1	2	3	
66	मैनपुरी	1	1	2	1	1	2	-	-	-	
67	हाथरस	1	1	2	-	-	-	1	1	2	
68	कासगंज	1	7	8	-	-	-	1	7	8	
69	कानपुर नगर	1	1	2	-	1	1	1	-	1	
70	औरैया	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
71	कानपुर देहात	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
72	फर्रुखाबाद	1	6	7	-	-	-	1	6	7	
73	कन्नौज	1	2	3	-	-	-	1	2	3	
74	इटावा	1	-	1	1	-	1	-	-	-	

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16
प्रारूप 1 क्षेत्र पंचायत

प्रारूप-1											
वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र० सं०	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं०			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं०			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4)			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	8	128	136	-	-	-	8	128	136	
2	रायबरेली	18	266	284	1	11	12	17	255	272	
3	उन्नाव	16	97	113	-	-	-	16	97	113	
4	हरदोई	19	84	103	2	-	2	17	84	101	
5	सीतापुर	19	232	251	-	-	-	19	232	251	
6	लखीमपुर-खीरी	15	215	230	-	-	-	15	215	230	
7	गोरखपुर	19	294	313	-	4	4	19	290	309	
8	देवरिया	16	179	195	-	1	1	16	178	194	
9	महाराजगंज	12	56	68	-	2	2	12	54	66	
10	कुशीनगर	14	154	168	-	-	-	14	154	168	
11	बस्ती	14	211	225	-	-	-	14	211	225	
12	संतकबीर नगर	9	136	145	-	-	-	9	136	145	
13	सिद्धार्थनगर	14	158	172	-	35	35	14	123	137	
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	6	68	74	-	-	-	6	68	74	
15	मुरादाबाद	8	107	115	-	-	-	8	107	115	

16	सम्भल	8	104	112	-	-	-	8	104	112	
17	रामपुर	6	96	102	-	-	-	6	96	102	
18	बिजनौर	11	150	161	-	-	-	11	150	161	
19	फैजाबाद	11	22	33	3	11	14	8	11	19	
20	बहराइच	14	154	168	3	21	24	11	133	144	
21	गोण्डा	16	253	269	-	-	-	16	253	269	
22	बलरामपुर	9	141	150	-	-	-	9	141	150	
23	अमेठी	13	45	58	8	12	20	5	33	38	
24	श्रावस्ती	5	52	57	-	-	-	5	52	57	
25	सुल्तानपुर	14	9	23	11	4	15	3	5	8	
26	बाराबंकी	15	165	180	-	10	10	15	155	170	
27	अम्बेडकर नगर	9	18	27	6	-	6	3	18	21	
28	आजमगढ़	22	317	339	-	-	-	22	317	339	
29	बलिया	17	196	213	-	-	-	17	196	213	
30	मऊ	9	87	96	5	20	25	4	67	71	
31	बाँदा	8	117	125	-	-	-	8	117	125	
32	ललितपुर	6	-	6	6	-	6	-	-	-	
33	हमीरपुर	339	1333	1672	253	452	705	86	881	967	
34	जालौन	9	143	152	-	-	-	9	143	152	
35	चित्रकूट	5	73	78	-	-	-	5	73	78	
36	महोबा	4	57	61	1	1	2	3	56	59	
37	झांसी	8	-	8	-	-	-	8	-	8	
38	प्रतापगढ़	17	289	306	2	-	2	15	289	304	

39	इलाहाबाद	20	281	301	1	10	11	19	271	290	
40	कोशाम्बी	8	41	49	5	30	35	3	11	14	
41	फतेहपुर	13	4	17	7	4	11	6	-	6	
42	बुलन्दशहर	16	316	332	1	-	1	15	316	331	
43	गौतमबुद्धनगर	4	12	16	-	-	-	4	12	16	
44	गाजियाबाद	4	32	36	-	-	-	4	32	36	
45	हापुड	4	32	36	-	-	-	4	32	36	
46	मेरठ	12	114	126	-	-	-	12	114	126	
47	बागपत	6	71	77	-	-	-	6	71	77	
48	मुजफ्फरनगर	14	234	248	-	-	-	14	234	248	
49	सहारनपुर	11	55	66	-	-	-	11	55	66	
50	वाराणसी	8	57	65	1	3	4	7	54	61	
51	चन्दौली	9	50	59	2	8	10	7	42	49	
52	जौनपुर	21	1	22	17	1	18	4	-	4	
53	गाजीपुर	16	127	143	-	28	28	16	99	115	
54	मीरजापुर	12	121	133	-	-	-	12	121	133	
55	सोनभद्र	8	65	73	-	4	4	8	61	69	
56	भदोही	6	-	6	6	-	6	-	-	-	
57	बरेली	15	145	160	-	-	-	15	145	160	
58	पीलीभीत	7	98	105	-	-	-	7	98	105	
59	बदायूँ	15	242	257	-	-	-	15	242	257	
60	शाहजहाँपुर	15	105	120	-	-	-	15	105	120	
61	आगरा	15	34	49	-	-	-	15	34	49	

62	फिरोजाबाद	9	148	157	-	-	-	9	148	157	
63	मथुरा	10	184	194	-	-	-	10	184	194	
64	अलीगढ	12	186	198	-	-	-	12	186	198	
65	एटा	8	126	134	-	-	-	8	126	134	
66	मैनपुरी	9	37	46	-	1	1	9	36	45	
67	हाथरस	7	116	123	-	-	-	7	116	123	
68	कासगंज	7	112	119	-	-	-	7	112	119	
69	कानपुर नगर	10	19	29	6	14	20	4	5	9	
70	औरैया	7	115	122	1	16	14	6	99	105	
71	कानपुर देहात	10	35	43	1	1	2	9	32	41	
72	फर्रुखाबाद	7	41	48	-	-	-	7	41	48	
73	कन्नौज	7	80	87	-	-	-	7	80	87	
74	इटावा	8	128	136	-	-	-	8	128	136	

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16

प्रारूप 1 ग्राम पंचायत

प्रारूप-5 जिला पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2015-16

जिला पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या										
क्र.सं.	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल जिला पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	2	2	-	2	-	2	2	-	2
2	रायबरेली	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	उन्नाव	1	1	-	1	-	1	-	-	-
4	हरदोई	1	1	-	1	-	1	1	-	1
5	सीतापुर	1	1	-	1	-	1	-	-	-
6	लखीमपुर-खीरी	1	1	-	1	-	1	1	-	1
7	गोरखपुर	1	1	-	1	-	1	-	-	-
8	देवरिया	1	1	-	10	-	10	2	-	2
9	महराजगंज	1	1	-	-	-	-	1	-	1
10	कुशीनगर	1	1	-	1	-	1	1	-	1
11	बस्ती	1	-	1	-	-	-	-	-	-
12	संतकबीर नगर	1	-	1	-	-	-	-	-	-
13	सिद्धार्थनगर	1	1	-	-	-	-	1	-	1
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	1	1	-	1	-	1	1	-	1
15	मुरादाबाद	1	1	-	1	-	1	1	-	1
16	सम्भल	1	-	1	-	-	-	-	-	-
17	रामपुर	1	1	-	1	-	1	1	-	1

18	बिजनौर	1	1	-	1	-	1	1	-	1
19	फैजाबाद	1	-	1	1	-	1	1	-	1
20	बहराइच	1	1	-	1	-	1	1	-	1
21	गोण्डा	1	1	-	1	-	1	-	-	-
22	बलरामपुर	1	-	1	-	-	-	-	-	-
23	अमेठी	1	1	-	1	-	1	-	-	-
24	श्रावस्ती	1	1	-	1	-	1	1	-	1
25	सुल्तानपुर	1	1	-	1	-	1	-	-	-
26	बाराबंकी	1	1	-	1	-	1	1	-	1
27	अम्बेडकर नगर	1	1	-	1	-	1	-	-	-
28	आजमगढ़	1	1	-	15	-	15	9	-	9
29	बलिया	1	1	-	12	-	12	6	-	6
30	मऊ	1	-	1	10	-	10	5	-	5
31	बाँदा	1	1	-	1	-	1	1	-	1
32	ललितपुर	1	-	1	1	1	-	1	1	-
33	हमीरपुर	1	1	-	1	-	1	1	-	1
34	जालौन	1	-	1	1	-	1	-	-	-
35	चित्रकूट	1	1	-	1	-	1	1	-	1
36	महोबा	1	1	-	1	-	1	1	-	1
37	झाँसी	1	1	-	1	-	1	-	-	-
38	प्रतापगढ़	1	1	-	1	-	1	1	-	1
39	इलाहाबाद	1	1	-	1	-	1	1	-	1
40	कौशाम्बी	1	-	1	-	-	-	-	-	-
41	फतेहपुर	1	1	-	1	-	1	1	-	1
42	बुलन्दशहर	1	-	1	10	-	10	-	-	-
43	गौतमबुद्धनगर	1	-	1	-	-	-	-	-	-

44	गाजियाबाद	1	-	1	-	-	-	-	-	-
45	हापुड	1	-	1	-	-	-	-	-	-
46	मेरठ	4	1	3	1	-	1	1	-	1
47	बागपत	1	-	1	-	-	-	-	-	-
48	मुजफ्फरनगर / शामली	2	1	1	1	-	1	-	-	-
49	सहारनपुर	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50	वाराणसी	1	1	-	-	-	-	1	-	1
51	चन्दौली	1	1	-	1	-	1	1	-	1
52	जौनपुर	1	-	1	-	-	-	-	-	-
53	गाजीपुर	1	1	-	1	-	1	1	-	1
54	मीरजापुर	1	-	1	-	-	-	-	-	-
55	सोनभद्र	1	1	-	1	-	1	1	-	1
56	भदोही	1	1	-	1	-	1	1	-	1
57	बरेली	1	-	1	-	-	-	-	-	-
58	पीलीभीत	1	-	1	1	-	1	1	-	1
59	बदायूँ	1	-	1	-	-	-	-	-	-
60	शाहजहाँपुर	1	-	1	-	-	-	-	-	-
61	आगरा	1	1	-	1	-	1	-	-	-
62	फिरोजाबाद	1	1	-	1	-	1	1	-	1
63	मथुरा	1	-	1	-	-	-	-	-	-
64	अलीगढ़	1	1	-	-	-	-	-	-	-
65	एटा	1	-	1	-	-	-	-	-	-

66	कासगंज	1	1	-	-	-	-	-	-	-
67	मैनपुरी	1	-	1	1	-	1	1	-	1
68	हाथरस	1	-	1	-	-	-	-	-	-
69	कानपुर नगर	2	1	1	1	-	1	1	-	1
70	कानपुर देहात	1	1	-	-	-	-	-	-	-
71	फरुखाबाद	7	-	7	-	-	-	-	-	-
72	कन्नौज	3	-	3	11	-	11	1	-	1
73	इटवा	1	-	1	-	-	-	-	-	-
74	औरैया	1	1	-	1	-	1	1	-	1

प्रारूप-5 क्षेत्र पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2015-16

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र.सं.	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल क्षेत्र पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	8	-	8	-	-	-	-	-	-
2	रायबरेली	18	1	17	3	-	3	-	-	-
3	उन्नाव	16	-	16	-	-	-	-	-	-
4	हरदोई	19	2	17	2	-	2	-	-	-
5	सीतापुर	19	-	19	-	-	-	-	-	-
6	लखीमपुर-खीरी	15	-	15	-	-	-	-	-	-
7	गोरखपुर	19	*	19	-	-	-	-	-	-
8	देवरिया	16	-	16	20	-	20	2	-	2
9	महाराजगंज	12	-	12	-	-	-	-	-	-
10	कुशीनगर	14	-	14	-	-	-	-	-	-
11	बस्ती	14	-	14	-	-	-	-	-	-
12	संतकबीर नगर	9	-	9	-	-	-	-	-	-
13	सिद्धार्थनगर	14	-	14	-	-	-	-	-	-
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	6	-	6	-	-	-	-	-	-
15	मुरादाबाद	8	-	8	-	-	-	-	-	-
16	सम्भल	8	-	8	-	-	-	-	-	-
17	रामपुर	6	-	6	-	-	-	-	-	-
18	बिजनौर	11	-	11	-	-	-	-	-	-
19	फैजाबाद	11	3	8	14	-	14	3	-	3
20	बहराइच	14	3	11	3	-	3	-	-	-

21	गोण्डा	16	-	16	-	-	-	-	-	-
22	बलरामपुर	9	-	9	-	-	-	-	-	-
23	अमेठी	13	8	5	8	-	8	2	-	2
24	श्रावस्ती	5	-	5	-	-	-	-	-	-
25	सुल्तानपुर	14	11	3	11	-	11	-	-	-
26	बाराबंकी	15	2	13	3	-	3	3	-	3
27	अम्बेडकर नगर	9	6	3	6	-	6	-	-	-
28	आजमगढ़	22	-	22	14	-	14	10	-	10
29	बलिया	17	-	17	34	-	34	4	-	4
30	मऊ	9	7	2	11	-	11	2	-	2
31	बाँदा	8	-	8	-	-	-	-	-	-
32	ललितपुर	6	6	-	6	-	6	1	-	1
33	हमीरपुर	7	1	6	1	-	1	1	-	1
34	जालौन	9	-	9	-	-	-	-	-	-
35	चित्रकूट	5	-	5	-	-	-	-	-	-
36	महोबा	4	1	3	1	-	1	1	-	1
37	झाँसी	8	8	-	8	-	8	8	-	8
38	प्रतापगढ़	17	2	15	2	-	2	2	-	2
39	इलाहाबाद	20	-	20	-	-	-	-	-	-
40	कौशाम्बी	8	5	3	5	-	5			
41	फतेहपुर	13	7	6	7	-	7	1	-	1
42	बुलन्दशहर	16	1	15	5	-	5	1	-	1
43	गौतमबुद्धनगर	4	-	4	-	-	-	-	-	-
44	गाजियाबाद	4	-	4	-	-	-	-	-	-
45	हापुड	4	-	4	-	-	-	-	-	-
46	मेरठ	126	-	126	-	-	-	-	-	-
47	बागपत	6	-	6	-	-	-	-	-	-

48	मुजफ्फरनगर / शामली	14	-	14	-	-	-	-	-	-
49	सहारनपुर	11	-	11	-	-	-	-	-	-
50	वाराणसी	8	-	8	-	-	-	-	-	-
51	चन्दौली	9	2	7	2	-	2	2	-	2
52	जौनपुर	21	8	13	6	-	6	4	-	4
53	गाजीपुर	16	-	16	13	-	13	12	-	12
54	मीरजापुर	12	-	12	-	-	-	-	-	-
55	सोनभद्र	8	-	8	-	-	-	-	-	-
56	भदोही	6	6	-	6	-	6	-	-	-
57	बरेली	15	-	15	-	-	-	-	-	-
58	पीलीभीत	7	-	7	-	-	-	-	-	-
59	बदायूँ	15	-	15	-	-	-	-	-	-
60	शाहजहाँपुर	15	-	15	-	-	-	-	-	-
61	आगरा	15	-	15	-	-	-	-	-	-
62	फिरोजाबाद	9	-	9	-	-	-	-	-	-
63	मथुरा	10	-	10	-	-	-	-	-	-
64	अलीगढ़	12	-	12	-	-	-	-	-	-
65	एटा	8	-	8	-	-	-	-	-	-
66	कासगंज	7	-	7	-	-	-	-	-	-
67	मैनपुरी	9	-	9	-	-	-	-	-	-
68	हाथरस	7	-	7	-	-	-	-	-	-
69	कानपुर नगर	29	20	9	6	-	6	6	-	6
70	औरैया	7	1	6	1	-	1	1	-	1
71	कानपुर देहात	10	1	9	1	-	1	-	-	-
72	फर्रुखाबाद	48	-	48	-	-	-	-	-	-
73	कन्नौज	7	-	7	5	-	5	-	-	-
74	इटवा	8	-	8	-	-	-	-	-	-

प्रारूप-5 ग्राम पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2014-15

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र.सं.	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	570	508	62	508	-	508	7	-	7
2	रायबरेली	989	780	209	764	-	764	16	-	16
3	उन्नाव	1044	564	480	564	-	564	16	-	16
4	हरदोई	1101	625	476	625	-	625	-	-	-
5	सीतापुर	1600	380	1220	380	-	380	2	-	2
6	लखीमपुर	1167	865	302	865	-	865	-	-	-
7	गोरखपुर	1354	1249	155	1249	-	1249	55	-	55
8	देवरिया	1017	560	457	560	-	560	1	-	1
9	महाराजगंज	929	790	139	790	-	790	16	-	16
10	कुशीनगर	1121	789	332	789	-	789	4	-	4
11	बस्ती	1247	1130	117	1130	-	1130	9	4	5
12	संतकबीर नगर	794	701	93	701	-	701	7	-	7
13	सिद्धार्थनगर	1199	1091	108	1042	-	1042	49	-	49
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	601	559	42	559	-	559	39	10	29

15	मुरादाबाद	578	567	11	567	-	567	22	-	22
16	सम्भल	556	546	10	546	-	546	49	-	49
17	रामपुर	684	560	124	560	-	560	43	-	43
18	बिजनौर	1128	928	200	928	-	928	5	-	5
19	फैजाबाद	781	781	-	781	-	781	46	21	25
20	बहराइच	903	607	296	607	-	607	33	-	33
21	गोण्डा	1054	561	493	561	-	561	9	-	9
22	बलरामपुर	667	269	398	269	-	269	40	-	40
23	अमेठी	682	545	137	545	-	545	43	-	43
24	श्रावस्ती	397	293	76	293	-	293	8	-	8
25	सुल्तानपुर	986	775	211	775	-	775	19	-	19
26	बाराबंकी	1002	931	71	931	-	931	52	1	51
27	अम्बेडकर नगर	819	798	21	798	-	798	10	-	10
28	आजमगढ़	1617	794	823	1548	-	1548	291	-	291
29	बलिया	835	476	131	607	-	607	615	333	282
30	मऊ	607	470	137	737	-	737	196	-	196
31	बाँदा	471	189	282	189	-	189	17	-	17
32	ललितपुर	416	381	35	381	-	381	35	-	35

33	हमीरपुर	339	253	86	253	-	253	33	-	33
34	जालौन	575	291	284	291	-	291	26	-	26
35	चित्रकूट	330	283	47	283	-	283	17	-	17
36	महोबा	273	119	154	119	-	119	2	-	2
37	झांसी	496	496	-	496	-	496	494	6	488
38	प्रतापगढ़	1255	1105	150	1105	-	1105	21	-	21
39	इलाहाबाद	1637	1509	128	1509	-	1509	4	-	4
40	कौशाम्बी	440	439	1	439	-	439	-	-	-
41	फतेहपुर	840	721	119	721	-	721	13	-	13
42	बुलन्दशहर	889	807	82	949	-	949	-	-	-
43	गौतमबुद्धनगर	100	100	-	100	-	100	-	-	-
44	गाजियाबाद	161	133	28	133	-	133	-	-	-
45	हापुड	254	235	19	-	-	-	-	-	-
46	मेरठ	890	349	541	338	-	338	43	-	43
47	बागपत	237	185	52	185	-	185	18	-	18
48	मुजफ्फरनगर/ शामली	687	573	114	573	-	573	29	-	29
49	सहारनपुर	766	454	312	454	-	454	8	-	8
50	वाराणसी	702	685	17	685	-	685	9	-	9
51	चन्दौली	734	678	56	678	-	678	15	-	15
52	जौनपुर	1773	1347	426	1347	-	1347	91	-	91
53	गाजीपुर	1237	747	490	747	-	747	30	-	30
54	मीरजापुर	809	741	68	741	-	741	38	-	38
55	सोनभद्र	637	472	185	472	-	472	11	-	11
56	भदोही	561	461	100	461	-	461	28	-	28

57	बरेली	1193	527	666	527	-	527	47	11	58
58	पीलीभीत	721	207	214	207	-	207	36	-	36
59	बदायूँ	1038	299	739	299	-	299	-	-	-
60	शाहजहाँपुर	1077	670	407	670	-	670	116	-	116
61	आगरा	637	433	204	433	-	433	-	-	-
62	फिरोजाबाद	510	275	235	275	-	275	20	-	20
63	मथुरा	479	185	294	185	-	185	11	-	11
64	अलीगढ़	853	128	725	128	-	128	-	-	-
65	एटा	506	22	484	22	-	22	3	-	3
66	कासगंज	389	97	292	97	-	97	4	-	4
67	मैनपुरी	503	131	372	131	-	131	7	-	7
68	हाथरस	430	76	354	76	-	76	4	-	4
69	कानपुर नगर	3020	1965	1055	499	-	499	168	-	168
70	औरैया	441	66	375	66	-	66	2	-	2
71	कानपुर देहात	640	479	161	479	-	479	8	-	8
72	फर्रुखाबाद	6137	512	5625	119	-	119	-	-	-
73	कन्नौज	441	43	398	43	-	43	-	-	-
74	इटवा	471	115	356	115	-	115	-	-	-